

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

भारतीय अर्थशास्त्र एवं आर्थिक विकास

लेखक

डा० जगदीश नारायण निगम

एम० ए०, पी एच० डी०, एल एल० बी० (चान्दलर्स गोल्ड मेडलिस्ट)
(Member, Indian Delegation to U S S R)

प्रबक्ता, अर्थशास्त्र विभाग, दयानन्द कालेज, कानपुर

तथा

पद्माकर अष्टाना, एम० कॉम० (रिसर्च स्कालर)

प्रबक्ता, वाणिज्य विभाग, दयानन्द कालेज, कानपुर

किताब महल, इलाहाबाद

१९६१

भूमिका

आधुनिक सुग आर्थिक विकास का सुग है। प्रत्येक राज्य आर्द्धिक एवं श्रीदो गिक विकास के द्वारा अपनी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ एवं स्मृदशाली बनाकर देशवासियों के जीवन में सुधार वर एक वल्याएवारी राज्य की स्थापना की ओर प्रयत्नशील है। इस सम्बन्ध में सभ्यते जटिल समस्या उन होठे एवं अविवित राज्यों के समक्ष उपस्थित है जि होने अभी बुद्ध समय पूर्व ही अपनी स्वतंत्रता प्राप्त थी है - और अनेक यात्रणों से जिनकी किंचित् हुई अर्थ व्यवस्था देशवासियों के हित अभिशाप उन गई है। भारत एवं ऐसा ही राज्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश की आर्थिक प्रगति वा उत्तरदायित्व देशवासियों पर आ गया है। परन्तु हर्ष का विषय है कि एक नवोदित राष्ट्र होते हुए भी, भारत इस उत्तरदायित्व को निभाने तथा इस महान् चुनौती का खामना करने में पूर्ण समर्थ है। समरण रहे इस लक्ष्य वी प्राप्ति तभी सम्भव है जब हम अपनी विभिन्न आर्थिक समस्याओं वा विस्तृत, विशेषणात्मक एवं वैशानिक अध्ययन कर उसके निवारण के लिए योजनाओं का निर्माण करें। 'भारतीय अर्थशास्त्र एवं आर्थिक विकास' का उद्देश्य ही ऐसे अध्ययन में सहायता प्रदान करना है जिसके अन्तर्गत भारत की अनेक वर्तमान, आर्थिक, सामाजिक एवं श्रीदोगिक समस्याओं का गहन अध्ययन कर भारतीय अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों का भारत की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया गया है।

प्रख्युत पुस्तक के लेखन में समस्त उपलब्ध सामग्री, सरकारी प्रकाशनों, रिपोर्टों एवं अधिकार्यों वित्तियों की सहायता ही गई है, जिनका यथास्थान उल्लेख किया गया है।

पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल एवं सुनोध बनाने का प्रयास किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को भाषा की हितेष्टता के कारण समस्याओं की वास्तविक प्रवृत्ति को समझने में कठिनाई न हो। साथ ही उनकी सहायता के लिए पुस्तक में अनेक रेखाचित्रों, चाटों दथा मानचित्रों का प्रयोग करके विषय सामग्री को सुग्राह बनाया गया है। इन विशेषताओं वे वार्ष्य पुस्तक भारतीय विश्वविद्यालयों के अर्थशास्त्र में यथि रखने वाले प्रत्येक प्रियार्थी के लिए अपरिहार्य है। पुस्तक के सुधार वे लिए दिये गये मुकाबों का हम स्वागत करेंगे।

प्रख्युत पुस्तक के लेखन में हमें श्रीमती माधुरी निगम एम० ए०, एल० टी० से विशेष सहायता प्राप्त हुई है। वे हमारे भन्यवाद की विशेष पात्र हैं।

दीपावली, १९६०
द्यानन्द यालेज, बानपुर

जगदीश नारायण निगम
पञ्चाकर अप्ताना

विषय सूची

खण्ड १—विषय प्रवेश

पृष्ठ

१ भारतीय अर्थशास्त्र का अर्थ, विषय, हेतु एवं अध्ययन का महत्व । ११३

अर्थशास्त्र के अध्ययन के विभिन्न रूप प्रामीण अर्थशास्त्र एवं हृषि अर्थशास्त्र भारतीय अर्थशास्त्र के विभिन्न अर्थ भारतीय अर्थशास्त्र का वास्तविक अर्थ भारतीय अर्थशास्त्र का द्वेष, अध्ययन का महत्व प्रश्न ।

भारतीय अर्द्ध व्यवस्था वी मूल विशेषताएँ तथा भारती प्रवृत्तियाँ १४ २०

‘ ‘ ‘ वी मूल विशेषताएँ मूल विशेषताओं का देश के आर्थिक पूर्ण पर प्रभाव, मात्री प्रवृत्तियाँ प्रश्न ।

खण्ड २—प्राकृतिक समाधन

३ भारत की भौगोलिक परिस्थिति एवं प्राकृतिक समाधन २३ ६४

भारत की भौगोलिक रीति और स्थिति भारत के प्राकृतिक विभाग, भूमि चरण, जलवायु भारत की यन सम्पत्ति भारत की सम्पत्ति शक्ति समाधन मानव शक्ति, पशु-सम्पत्ति निषेध प्रश्न ।

खण्ड ३—सामाजिक वानावरण एवं जनसंख्या

४ भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सम्पत्ति ६७ ८०

भारत में प्रमुख सामाजिक एवं धार्मिक सम्पत्ति जाति प्रथा समुक्त बुद्धम् प्रणाली उत्तरादित्य निषेध पर्दा प्रथा एवं आल विजाह भारतीय धर्म एवं दर्शन, ग्राम पञ्चायत, प्रश्न ।

५ भारत की जनसंख्या—संघ, समस्या तथा उपाय ८१ ११७

जनसंख्या के अध्ययन का महत्व जनसंख्या और राज्यीय आप अर्द्ध विकसित अर्थ व्यवस्था में जनसंख्या की समस्या भाज की जनसंख्या के मूलभूत तथा—जनसंख्या का आकार, घरेलान जनसंख्या, जनसंख्या का पितरण, जनसंख्या का धनत्व, छोटे पुस्त अनुपात, आयु उम, जात्यन की अवधि, जग तथा मृत्यु-दर, जनसंख्या का व्यावर्तायिक पितरण, नागरीकरण का समस्या, भारत में जनसंख्या की प्रगति, सहार में जनसंख्या की प्रगति, भारत में जनसंख्या की समस्या, जनसंख्या सम्बन्धी अध्ययन व विभिन्न पक्ष, क्या भारत में जनसंख्या का आविष्य है ? जनसंख्या के सम्बन्धी विभिन्न विदाय, जनसंख्या का प्राप्तपूर्ति से सम्बन्ध, समझौते के सुलभाने के उग्र, पर्वत, निर्भात, जनसंख्या सम्बन्धी योग्यता नीति, जनसंख्या एवं पक्ष वर्णन शास्त्रार प्रश्न ।

खंड ४—कृपि एवं उसकी समस्याएँ

- ६. १६ वीं शताब्दी में भारतीय अर्थ-व्यवस्था का अध्ययन** — १२१-१३०
 , विदेशियों का आगमन; १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत का आर्थिक संगठन, भारत में आर्थिक क्रान्ति का प्रारम्भ; सामाजिक क्रान्ति; आर्थिक क्रान्ति; उत्पादन पद्धति में क्रान्ति; ग्रौदोग्गिक क्रान्ति; प्रश्न।
- ७. भारत में कृपि का महत्व तथा उसकी समस्याएँ** १३१-१४६
 . - भारत की अर्थ-व्यवस्था में कृपि का स्थान? कृपि उत्पादन की विशेषताएँ; भारतीय कृपि की प्रमुख विशेषताएँ; कृपि उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय, भारत में विस्तृत तथा सघन खेती की समस्या; कृपि ज्ञेत्र में विदेशों के अनुभव; जापानी दङ्ग से चावल की खेती; प्रश्न।
- ८. भारत में कृपि की इकाई** १५०-१५४
 कृपि उत्पादन का परिमाण; जोत वीं विस्में; आर्थिक जोत; आधारभूत जोत, अनुकूलतम जोत तथा पारिवारिक जोत; भारत में कृपि की इकाई; कृपि जोतों का उपयोगजनन तथा अपवाहन; समस्या को हल बरने के उपाय; जोतों की चक्रवर्ती; चक्रवर्ती की प्रगति, कृपि की विभिन्न प्रणालियाँ; सहवारी कृपि; सहवारी सेवा उभितियाँ; प्रश्न।
- ९. भूमि व्यवस्था एवं भूमि सुधार** १५५-१६४
 भूमि व्यवस्था का अर्थ; भूमि व्यवस्था का महत्व; भूमि व्यवस्था के पच्छ; भू-स्वामित्व; जमीदारी प्रथा; महालबारी प्रथा, रैयतवारी प्रथा; मध्यवर्ती लोगों का उन्मूलन; भूमि सुधारों की प्रगति; भारत में कृपि मजदूर; प्रश्न।
- १०. भारत में सिंचाई** १६५-२१३
 सिंचाई का अर्थ; सिंचाई का महत्व; सिंचाई के साधनों का विभाजन; भारत में सिंचाई के विभिन्न साधन; भारत सरकार की सिंचाई नीति; प्रमुख दृष्टि सिंचाई-परियोजनाएँ; सिंचाई योजनाओं का उपयोग; प्रश्न।
- ११. कृपि विपणन** २१४-२३२
 कृपि विपणन का महत्व; कृपि विपणन का अर्थ; भारतवर्ष में कृपिविपणन; बाजारों के प्रवार; कृपि उपज के विपणन वीं विधि; कृपि विपणन के दोष, कृपि विपणन का सुधार; नियन्त्रित मटियाँ; प्रशिक्षण; सहवारी विपणन; योजनाओं में विपणन सम्बन्धी लक्ष्य; प्रश्न।
- १२. भारत में अकाल** २३३-२४१
 अकाल का अर्थ; अकाल के सारण; ऐतिहासिक मीमांसा; अमरननि प्रयत्न; वर्तमान अकाल निवारण नीति; प्रश्न।
- १३. खाद्य समस्या** २४२-२५८
 खाद्य समस्या के पच्छ; मात्रा सम्बन्धी पच्छ; गुण सम्बन्धी पच्छ; विकार; भारत में रेल
- ५०३-५१८

सरकार द्वारा किये गये प्रमल, साधान का राजवीय व्यापार, साधान भण्डारों का महत्व, प्रश्न ।

१४ भारत में प्राम्न्य वित्त व्यवस्था २५८-२७२
शृणु का परिमाण, कृपा वी साप सम्बद्धी आगश्यवताएँ, प्राम्न्य वित्त प्राप्ति के साधन, महाजन, सहकारी संस्थाएँ सरकार रिजर्व बैंक आक इशिन्ना देशी नैवर्द व्यापारिक बैंक, शृणु कार्यालय, निधार्या व निट बोय, पचवर्दीय योजनाओं में

३५ प्रामीण शृणु सहरारिता आदोलन वा निमिन राज्यों में विवास, प्रश्न ।

१५ भारतीय कृषि नीति का विवास २७३-२८४
प्रारम्भिक प्रयत्न कृषि पर शाही आयोग १६८६ साथ उत्पादन परिषद १६४८ साधान नीनि समिति १६४४, भड़ाल अवाल जाँच आयोग १६४५, साथ एवं कृषि नीति १६४६, अधिक अन्न उपजाऊ आदोलन, पचवर्दीय योजनाओं के अन्तर्गत कृषि नीति प्रश्न ।

१६ सामुदायिक विवास योजनाएँ तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा २८५-३०१
परिमाण एवं अर्थ, योजनाओं का महत्व ऐतिहाचिक विवास दार्यकम पर प्रदूषित निरोपवाएँ, योजनाओं का प्रशासन, योजनाओं के लक्ष्य एवं प्रगति, योजनाओं के लाभ, दूसी पर्याप्ति योजना, प्रश्न ।

१७ भूदान यज्ञ की महिमा ३०२-३२३
भूदान एवं नद कान्ति भूदान यज्ञ का अर्थ, भूदान यज्ञ का उद्देश्य, भूदान यज्ञ की मूल वृत्त, भूदान आन्दोलन का चेत, भूदान यज्ञ का उदय, भूदान एवं बानूल भूदान एवं साम्बाद, भूदान आन्दोलन की काय प्रणाली भूमि वितरण के सिद्धान्त भूदान का आलोचनात्मक अध्ययन, भूदान आदोलन की प्रगति भूदान यज्ञ की दैन, प्रश्न ।

खण्ड ५—सहकारिता

१८ सहकारिता आन्दोलन ३२७-३२८
सहकारिता का अर्थ, परिमाण, सहकारिता के मूल लक्ष्य, सहकारिता का महत्व, मारत म सहकारिता की आगश्यवता सहकारिता आदोलन का उदय, ऐसिन तथा गुलबदलिज प्रणाला, सहनारी समितियां का वर्गजरण, मारत म सहकारिता नियाजित ग्रथन्तव्यस्था म सहनारी आन्दोलन, मारत म सहनारी आन्दोलन का यज्ञटन प्राथमिक समितियां माध्यमिक समितियां, सुधार क लिए सुभाष, बहुन्दैर्यी सहकारी समितियां रिजर्व बैंक और सहकारी आदोलन सहकारिता आदोलन के दोष सहकारिता आदोलन का पुनर्यज्ञटन, आदोलन की वर्तमान प्रवृत्तियां भारी अर्थ, अन्तर्ज्ञान प्रश्न ।

१९ उद्यान, एवं निष्ठा—थमिक गमस्थाएँ, कल्याण एवं सुरक्षा ३२९-४०१
उद्यान, एवं निष्ठा—थमिक गमस्थाएँ, कल्याण एवं सुरक्षा वर्षाय योजनार, प्रश्न थमिका की वर्तमान स्थिति, श्रीयागिक थम पर मूल निशापत्रार्थ,

भारतीय श्रमिकों की अकुशलता; अकुशलता के कारण; कुशलता बढ़ाने के लिए -
सुझाव; प्रश्न ।

२०. श्रमिक कल्याण ४०२-४१४

श्रमिक कल्याण का अर्थ; श्रमिक कल्याण के पद; श्रमिक कल्याण के शब्द; श्रमिक कल्याण का उद्देश्य, श्रमिक कल्याण कारों वी महत्त्व; भारत में आयोजित श्रमिक कल्याण कार्य, प्रश्न ।

२१. सामाजिक सुरक्षा ४१५-४२६

सामाजिक सुरक्षा का महत्व, सामाजिक सुरक्षा का अर्थ, परिभासाएँ; विशेषताएँ; भारतवर्ष में सामाजिक सुरक्षा वी आनश्वर्य; सामाजिक सुरक्षा का विकास; भारतवर्ष में सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारी राज्य चीमा योजना; भविष्य के लिए प्रावधान कोष; प्रश्न ।

२२. श्रमिक संघ आन्दोलन ४२७-४४७

श्रमिक संघठन की परिभासा; श्रमिक संघठनों के कार्य तथा उद्देश्य; श्रमिक संघ आन्दोलन का भारतवर्ष में इतिहास; भारतवर्ष में श्रमिक संघों वी वर्तमान स्थिति; श्रमिक संघ तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना; प्रश्न ।

२३. श्रम सन्नियम ४४८-४५८

श्रम सन्नियम का विकास; देशी अधिनियम—१८८१ का अधिनियम; १८८१ का अधिनियम; १८११ का अधिनियम; १८२२ का अधिनियम, १८३४ का अधिनियम; १८४८ का अधिनियम; वागान श्रम सन्नियम; दानों में सन्नियम; पारिश्रमिक भुगतान सन्नियम, न्यूनतम मजदूरी सन्नियम; प्रश्न ।

खंड ७--राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक नियोजन

२४. भारत की राष्ट्रीय आय ४६१-४८१

राष्ट्रीय आय वा अर्थ एवं परिभासा; राष्ट्रीय आय के शाँकड़ों का महत्व; राष्ट्रीय आय एवं श्रीयोगीकरण; राष्ट्रीय आय वी गणना करने की रीति; भारत में राष्ट्रीय आय के पूर्व अनुमान; राष्ट्रीय आय की गणना का सामाजिक महत्व, राष्ट्रीय आय समिति; भारत की राष्ट्रीय आय के मूल लक्ष्य, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाईयाँ; अन्य देशों वी राष्ट्रीय आय से तुलना; अन्तर्राष्ट्रीय तुलना में राष्ट्रीय आय वी बठिनाईयाँ; राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के स्रोत; पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय आय; प्रश्न ।

२५. आर्थिक आयोजन ४८२-५००

आर्थिक आयोजन का अर्थ; भारतवर्ष में आर्थिक आयोजन; प्रथम पंचवर्षीय योजना; द्वितीय पंचवर्षीय योजना; तृतीय पंचवर्षीय योजना; स्मरणीय तथ्य; प्रश्न ।

खंड ८--यातायात-साधन एवं समस्याएँ

२६. भारत में रेल यातायात ५०३-५१८

यातायात का महत्व; यातायात का उद्दगम; यातायात के प्रकार; भारत में रेल

यातायात का नियाय; पर्यावरण योजनाओं में रेल यातायात; रेलों की वर्तमान अवस्था; रेलों का नैत्रिक सामूहीकरण; रेलों का प्रशासन; रेल वित्त व्यवस्था; प्रश्न ।

५०६-५२८

२७. सड़क यातायात

सड़क यातायात का महत्व; भारत में सड़क यातायात का प्रादुर्भाव, नागपुर योजना; प्रथम पञ्चार्थीय योजना; द्वितीय पञ्चार्थीय योजना; दीस वर्षीय योजना, मोटर

यातायात; रेल सड़क स्वर्धा एव सामर्जस्य, सड़क यातायात का राष्ट्रीयकरण; प्रश्न ।

५२८-५३५

२८. जल यातायात

जल यातायात का नियाय, नदी यातायात; सामुद्रिक यातायात; योजनाओं के अन्त
१ न जल यातायात; प्रश्न ।

५३६-५४४

वायु यातायात

प्रारम्भिक इनिहाउ; प्रथम महायुद्ध के पश्चात्, युद्धोपर्यान्त वायु यातायात नीति, यदि
की वायु यातायात योजना, वायु यातायात जांच समिति; वायु यातायात का
राष्ट्रीयकरण; योजनाओं के अन्तर्गत वायु यातायात की वर्तमान स्थिति; प्रश्न ।

खण्ड ६—भारतीय प्रमुख उद्योग एव श्रीदोगिक वित्त

५४७-५५०

३०. श्रीदोगिक अर्थ प्रबन्धन

पूँजी की आवश्यकता, पूँजी प्राप्त करने के साधन; अश पत्रों एव प्रश्न पत्रों का
निर्गमन; धारित लाभ का पुनर्भवित्वात्, विशिष्ट संस्थाएँ, श्रीदोगिक अर्थ प्रबन्धन
सार्वजनिक निदेश, प्रथम अभिवक्ता, विशिष्ट संस्थाएँ, श्रीदोगिक अर्थ प्रबन्धन
नियम, राज्य अर्थ प्रबन्धन नियम; श्रीदोगिक सात एव विनियोग नियम; राज्य
श्रीदोगिक विभाग नियम; राज्य लंउ उद्योग नियम; अन्तर्दोगिक वित्त नियम; पुन.
अर्थ प्रबन्धन नियम; निदेशी पूँजी; प्रश्न ।

३१. कुटीर एवं लघु उद्योग

५८१-५८५

कुटीर एव लघु उद्योग का महत्व; अर्थ; परिणामाएँ; कुटीर उद्योग के प्रमुख लक्षण,
कुटीर एव लघु उद्योग का वर्गीकरण; प्राचीन भारत में कुटीर उद्योग धन्ये; अवनति
के लक्षण, समस्याएँ, सरकार द्वारा प्रथल; पञ्चार्थीय योजनाओं में कुटीर एव
लघु उद्योग; विदेशी सहयोग; वित्तीय सहायता; उपसहाय, प्रश्न ।

३२. प्रमुख संगठित उद्योग

६२३-६६०

१. स्टीं वस्त्र उद्योग

६२२-६३२

२. लूट उद्योग

६३३-६४१

३. लौह एव इसात् उद्योग

६४२-६५३

४. चीनी उद्योग

६५४-६६२

५. सीमेंट उद्योग

६६३-६७२

६. फोयला उद्योग

६७३-६८०

खण्ड १

विषय-प्रवेश

- १ भारतीय अर्थशास्त्र का अर्थ, विषय, क्षेत्र एवं अध्ययन का महत्त्व
- २ भारतीय अर्थ-व्यवस्था की मूल विशेषताएँ तथा भावी प्रवृत्तियाँ

अध्याय १

भारतीय अर्थशास्त्र का अर्थ, विषय, क्षेत्र एवं अध्ययन का महत्व

(Meaning, Definition, Subject Matter, Scope and
Importance of the Study of Indian Economics)

ग्रामिक युग आर्थिक विज्ञान का युग है। इस युग में केवल वही सामूहिक उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं जिनका पर्याप्त आर्थिक एवं ग्रौवोगिक विज्ञान हो चुका है। ऐसी देश की आर्थिक सम्पन्नता एवं विज्ञान की योजनाओं के सफल निर्माण एवं राजनीतिक नेतृत्व ने लिए उस देश की आर्थिक समस्याओं का वैशानिक अध्ययन एवं विश्लेषण अत्यन्त आवश्यक है। भारतीय अर्थशास्त्र एक ऐसा ही अध्ययन है जिसके अन्तर्गत हम भारत की सामाजिक, आर्थिक एवं साहस्रिक परिस्थितिया एवं पृष्ठभूमि में उसकी विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करते हैं जिनका देश के निवासियों के आर्थिक जीवन पर महरा पड़ता है।

आज भारत स्वतन्त्र है। राजनैतिक परलगता की शुद्धिलाला उसे मुक्त होकर हमारा देश तेजी से उन्नति के पथ पर आग्रसर हो रहा है। स्वतन्त्र भारत की सबसे जटिल समस्या उसकी आर्थिक विज्ञान की समस्या है। आर्थिक एवं ग्रौवोगिक विज्ञान द्वारा ही कोई देश अपने उत्पादन में निरन्तर वृद्धि करके एवं उसके उचित वितरण द्वारा देश वासियों के जीवन को सुधारी व सम्पन्न बना कर एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना की कल्याना के सुप्रद स्तम्भ को सावार रूप दे सकता है। देश की आर्थिक उन्नति एवं विज्ञान केवल देशवासियों के जीवन को उच्च स्तर प्रदान करके उनके जीवन में सुधी बनाने के लिए ही आवश्यक नहीं है वरन् देश की स्वतन्त्रता के लिए भी अत्यन्त आवश्यक है। वह स्वतन्त्रता जो वर्षों ब कठोर परिश्रम तथा देश के महान् नेताओं के त्याग एवं नलिदान द्वारा प्राप्त थी गई है, उसे स्थायी बनाने के लिए और जीवित रखने के लिए भी आर्थिक उन्नति अनिवार्य है। बास्तविकता तो यह है कि राजनैतिक पड़ाभीन्तता सामूहिक भी उन् भावनाओं पर बुद्धासामाजिक बदली है जो किसी देश के विज्ञान एवं उन्नति के लिए अत्यन्त मृत्युवान है। ऐसे राष्ट्रीय चरित्र का पराधीनता द्वारा पिनाश होना सामाजिक ही है। (Foreign domination is a curse not

only because it involves political servitude but because it ruins national character) राजनीतिस स्वतंत्रता उस समय तक कोइ अर्थ नहीं रखती जब तक कि उसकी रक्षा एवं उसके पापण के लिए आर्थिक स्वतंत्रता ने प्राप्त कर ली गई हो। इस उद्देश्य की पूर्ति न लिए हम भारत नेहे महान् देश, तो तिं अभी कच्चे समय पूर्वी मिदेशी शासन से मुक्त हुआ है, क लिए अनेक आर्थिक समस्याओं का

— एवं उनक नियारण न लिए योजनाएँ बनानी हैं। हमारे देश म पचार्थीय

रा उद्य इसी उद्देश्य की पूर्ति न लिए हुआ है। राष्ट्रीय योजना आयोग ने

मन्त्री नवाहूलाल नेहरू के निर्देशन म इस स्तर में ग्रन्ति वदम उतारे हैं।

पचार्थीय योजना की सफलता के पश्चात् द्वितीय पचार्थीय योजना का काय

म हुआ और आशा यो जना ही है कि योइ ही समय र इस योजना के पायकाल म हा अनेक निधारित लक्ष्यों के पूर्ति हो जायगा। इस प्रवार लगानार कइ पचार्थीय योजनाओं की सफलता पर ही आधुनिक भारत की समृद्धि एवं समन्वय निभर करता है। कोइ भी योजना बनानी हा, चाहे वह देश के आर्थिक विकास की योनना हो अथवा किसी उत्तराधीन की प्रतिम्यापना एवं प्रवासी वी योनना हा, प्रारम्भिक आनंदकाला इस गत की होता है कि इस योजना र वाय सम्बन्धित प्रश्ना एवं समस्याओं रा भला प्रवार अन्वयन कर लिया जाय।

भारत क समव अनेक आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएँ हैं। इन समस्याओं क नियारण पर ही देश भी ज्ञनि निमर करती है। इसन लिए यह अयन्त आनंदपन है कि हम इन समस्याओं रा विस्तृत एवं वैद्यानक रूप से अध्ययन करें। उनके हर पहलुओं का निरीक्षण एवं नाच प्रताल वर लैं ताकि निधारित योनमाओं की सफलता प्राप्त हा। भारतार अध्यात्म इसी उद्देश्य के पूर्ति का एवं साक्षण है। यह एक ऐसा अध्ययन है जिसक अन्तम देश भारत के निमित्त आर्थिक समस्याओं का अध्ययन वरर उन्ह दूर करने के मुभार प्रस्तुत कर सकत है।

अर्थशास्त्र के अध्ययन के विभिन्न रूप—अध्यात्म एवं लोकविषय विषय है। इसक अध्ययन के दो विभिन्न रूप हैं। प्रथम ऐदानिक अर्थशास्त्र अपना अर्थशास्त्र के सिद्धान्त। दूसरा व्यापकारित अर्थशास्त्र। इन दोनों म दडा धनित सम्बन्ध है क्योंकि विना व्यापकारित उत्तराधीन के आर्थिक सिद्धान्तों का महत्व सामित है और साथ हा साथ व्यापकारित अर्थशास्त्र य सम्बन्धित किसी योजना र नियारण के लिए अर्थशास्त्र के सिद्धान्त मी अपन आनंदर हैं। लाई फॉन्स (Lord J M Keynes) क शब्दों म “The theory of economics does not furnish a body of settled conclusions immediately applicable to a policy. It is a method rather than a doctrine, an apparatus of the mind, a technique of thinking, which helps its possessor to draw correct conclusions.”

अर्थात् अर्थशास्त्र के सिद्धांत मुनिश्चित नियमों के रूप में नहीं होते जिनका विसी नीति के निर्धारण में प्रयोग किया जा सके। यह एक रीति है न कि एक सिद्धांत, मस्तिष्क का एक यन्त्र, विचार की एक ऐसी विधि जो विचारक द्वारा सही निष्पर्य निष्कालने में सहायता होती है। सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र वह है जिसके ग्रन्तर्गत हम अर्थशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं और जिसका सम्बन्ध मनुष्य की विभिन्न आर्थिक नियाओं से होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उससी ग्रन्ते का आवश्यकताएँ होती हैं जिनसी पृति के लिए वह अनेक प्रयत्न करता है। अर्थशास्त्र के अन्तर्गत हम मनुष्य की उन समस्त क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जो वह अपने उद्देश्य की पृति के लिए करता है। मनुष्य के ग्रन्ते का लक्ष्य हैं परन्तु उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो साधन उसके पास उपलब्ध हैं, वे सीमित हैं, अतः उसके समक्ष निर्वाचन की समस्या उत्पन्न होती है। अर्थात् निस प्रकार वह अपने सीमित साधनों द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं की पृति करे, जिससे उसको अधिकतम तृप्ति प्राप्त हो। यही अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या है। सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र उन समस्त सिद्धांतों एवं समस्याओं से सम्बन्धित है जिनका सम्बन्ध अर्थशास्त्र के विभिन्न विभागों से है।

अर्थशास्त्र के अध्ययन का दूसरा रूप व्यावहारिक अर्थशास्त्र (Applied Economics) वहलाता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन का यह रूप भी सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र की तरह महत्वपूर्ण है। सत्य तो यह है कि अर्थशास्त्र की लोकप्रियता का मुख्य कारण उसका व्यावहारिक समस्याग्राम के अध्ययन से सम्बन्धित होना है। अर्थशास्त्र ही उन इन गिने सामाजिक शास्त्रों में से एक है जो मनुष्य द्वारा उस शास्त्र के आधारभूत एवं मुख्य सिद्धांतों से अवगत करने में ही सम्मुख नहा होता वल्कि व्यावहारिक जीवन से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं ने अध्ययन को भी अपना वर्त्तन्य समझता है जिनके सफल निवारण पर मानवीय हित एवं वस्तुयाग (Human Welfare) निर्भर करता है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक शास्त्र है, अतः मानव इति एवं वल्याग इसका मुख्य व्येय है जिसके लिए वह मनुष्य की विभिन्न साधारण एवं दैनिक समस्याओं का अध्ययन करता है। प्रो० मार्शल (Dr Alfred Marshall) के शब्दों में “मनुष्य के दैनिक जीवन में उत्तर्न होने वाली विभिन्न समस्याग्राम का अध्ययन अर्थशास्त्र के अन्तर्गत सिया जाता है।” (Economics is a study of mankind in the ordinary business of life) इस दृष्टि से “व्यावहारिक अर्थशास्त्र”, “अर्थशास्त्र के सिद्धांत” अथवा “सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र” से भिन्न है। जहाँ एक तरफ सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र में आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन होता है वहाँ दूसरी ओर व्यावहारिक अर्थशास्त्र (Applied Economics) में मानवीय जीवन से सम्बन्धित विभिन्न आर्थिक नियाओं से उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं का अध्ययन होता है। जैसे उत्पादन में वृद्धि की समस्या, मुद्रा तंत्र वैक से

सम्बन्धित समस्याएँ, खेती एवं उत्तोग सम्बन्धित समस्याएँ, आर्थिक नियोजन एवं विवाद की समस्या। अर्थशास्त्र के व्यापकारिक अध्ययन पहलू के अन्तर्गत हम किसी देश की आर्थिक स्थिति एवं समस्याओं वा अध्ययन करते हैं। इसी दृष्टिकोण से भारतीय आर्थिक समस्याओं एवं स्थिति का पिवेस्टर्गुण अध्ययन भारतीय अर्थशास्त्र के अन्तर्गत किया जाता है।

ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं कृषि अर्थशास्त्र (Rural Economics and Agricultural Economics)—ग्रामीण अर्थशास्त्र निम्ने अन्तर्गत मनुष्य की विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उच्चका नेपल एवं माझे डेश सारबंद जीवन को सुनी एवं समृद्धिशाली बनाना है। सुविधा के लिए ग्रामीण अर्थशास्त्र के अध्ययन के प्रिय दो हम कई भागों में विभाजित कर उठते हैं। जैसे ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं कृषि अर्थशास्त्र, और निम्न अर्थशास्त्र आदि। ग्रामीण अर्थशास्त्र के अध्ययन का प्रिय वे समस्त एवं एप्रिल ग्रामीण नीडन सम्बन्धी परिस्थितियाँ हैं जिन पर ग्रामीण-जीवन की

एवं समृद्धि निर्भर बरती है। भारत जैसे प्रिशाल देश में जिसी अविकाश अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नियात रखती है, ग्रामीण अर्थशास्त्र का अध्ययन प्रिय महत्व या है। इसके अन्तर्गत हम ग्राम निवासियों के कार्य एवं उनके रहन सहन सम्बन्धी गति का अध्ययन, उनके जीवन को सुनामय एवं उत्तरोगी बनाने के उपाय निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार कृषि अर्थशास्त्र के अन्तर्गत ऐसी सम्बन्धी कारों, कृषकों के समक्ष पैदा होने वाली विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के इस भाग में कृषि सम्बन्धी समस्त गति का अध्ययन किया जाता है। अर्थात् उन समस्त गतियों पर चिनार होता है जिनमा सम्बन्ध या तो भूमि से है अथवा प्राकृति की विभिन्न स्वतंत्र देनों (Free Gifts of Nature) से है। इस प्रकार कृषि अर्थशास्त्र जास्तिकर रूप से अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्तों का उत्तरोगी भाग है।

उपरोक्त दो प्रमुख विभाग अर्थशास्त्र के व्यापकारिक अध्ययन में सहायता होती है। भारतीय अर्थशास्त्र इन दोनों प्रकार ये अध्ययनों से प्रभावित प्रत्येक लाभान्वित होता है।

भारतीय अर्थशास्त्र के विभिन्न अर्थ (Various Interpretations of the term "Indian Economics")—"भारतीय अर्थशास्त्र" एवं ऐसा एक ही विसर्ग व्याख्या अनेक प्रकार से जी जा सकती है। प्रारम्भ काल से ही भारतीय लेपरा एवं अर्थशास्त्रियों के समक्ष यह एप्रिल प्रियाद्रीप्रसन रहा है। यही कारण है कि 'भारतीय अर्थशास्त्र' के विभिन्न अर्थ लगाय गये हैं। विचार करते से यह ज्ञान होता है कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों के पारम्परिक मतभेद विद्यार्थियों के मन में भ्रम उत्पन्न कर रहते हैं। साधारण तौर पर भारतीय अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग हम तीन प्रकार के अर्थों में करते हैं। यह तीन रूप निम्न हैं —

(१) "भारतीय अर्थशास्त्र" भारतीय आर्थिक विचारों के इतिहास के रूप में (Indian Economics as a History of Indian Economic Thought)

(२) अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का भारतीय आर्थिक समस्याओं पर आधारित अध्ययन के रूप में (Study of Economic Principles based upon instances from Indian Economic Life)

(३) भारतीय अर्थशास्त्र एवं नवीन शास्त्र के रूप में (Indian Economics as a new science or subject of study)

(१) "भारतीय अर्थशास्त्र" भारतीय आर्थिक विचारों के इतिहास के रूप में—भारतीय अर्थशास्त्र के इस अर्थ के अन्तर्गत हम भारत में पिंगल विचारों की पिंचारधाराओं एवं उनके द्वारा प्रतिपादित आर्थिक सिद्धान्तों का अध्ययन करते हैं जैसे थैटिल्य एवं आर्थिक सिद्धान्त तथा आय ग्राचीन अर्थशास्त्रियों द्वारा निर्मित एवं रचित आर्थिक नीति एवं पद्धतियों का अध्ययन। इसके अन्तर्गत समय समय पर इन्हें जाने वाले प्रयोगों ना अध्ययन भारतीय आर्थिक विचारों ने इतिहास के अध्ययन के विषय हो सकते हैं। जैसे अलाउद्दीन रिलजी, शेरशाह सूरी और अब्दुर महान् जैसे मुसलमान शासकों की मालगुजारी एवं वित्त सम्बन्धी नीति अपने राजकोषों को पूरा करने के उद्देश्य से वार्षिक मुहम्मद तुगलक द्वारा (Token Currency) की नाति। इसके अनिरिक्त आधुनिक भारत की अनेक महान् विभूतियाँ जैसे न्यायाधीश रानाडे, दादाभाई नौरोजी, महात्मा गांधी, जे० सी० कुमारप्पा तथा विनोग्रा भावे द्वारा समय समय पर देश की आर्थिक समस्याओं के लिए दिये गये सुभावों एवं नीतियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। यही नहा भारत जैसे महान् देश में समय समय पर होने वाली क्रान्तियाँ एवं चलाये गये आदोलनों का जिनका हमारे देश की आर्थिक परिस्थितिया एवं जीवन पर गहरी छाप पड़ी है, अध्ययन किया जाता है, जैसे अमिक सघ आन्दोलन (Trade Union Movement), सहकारिता आदोलन (Co operative Movement), भूदान आदोलन (Bhoodan Movement)। यद्यपि इन सबका अध्ययन हम भारतीय अर्थशास्त्र में बर समझते हैं किंतु भी भारतीय अर्थशास्त्र का यह अर्थ नहीं हो सकता। इसके निम्न कारण हैं—

(१) भारतीय अर्थशास्त्र के उपरोक्त विश्लेषण से इस बात ना आभास होता है कि यह केवल एक ऐतिहासिक अध्ययन मान है। इस बारण यदि इसको भारतीय अर्थशास्त्र के स्थान पर भारतीय आर्थिक विचारों के इतिहास की सज्जा दी जाये तो अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि भारतीय अर्थशास्त्र केवल भूतकाल की समस्याओं का ही अध्ययन नहीं है। बल्कि यह एक ऐसा व्यापक अध्ययन है जिसका

उद्देश्य भूत के अनुभवों को दृष्टि में रखते हुए देश की चर्तौमान आर्थिक स्थिति की पृष्ठभूमि में भविष्य के लिए एक सफल योजना का निर्माण करना है।

(२) भारतीय आर्थिक विचारा एवं प्रयोगों की ऐनिहासिक सामग्री इतनी अल्प मात्रा म है जिससे इस विषय के अन्यथा का द्वेष अनि सीमित हो जाता है।

(३) निमिन्न ग्रन्थ एवं अर्थशास्त्रियों का स्वनामाचार में इन आर्थिक विचारों के फैले होने के कारण इनका वाइ निश्चित क्रमदद विनाश नहीं हुआ है जिसके कारण इसका विधिवत् अध्ययन करना असम्भव है।

(२) अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का भारतीय आर्थिक समस्याओं पर आधारित अध्ययन के रूप में—अध्ययन के विभिन्न विधियों के लिए ऐपल अर्थशास्त्र का सेद्वानिक अध्ययन ही प्रयोग एवं उपयोगी नहीं होगा। उसकी सफलता तो इस नात पर निभर करती है जिसके बाहर वह अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का अपने अपने अन्यान्य अध्ययन करना होता है। इसी दृष्टि से भारतीय अर्थशास्त्र का एक और अर्थ लगाना नाता है निसके अन्तर्गत अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का मारतीय आर्थिक नामन के साथ निरूपण करना होता है परन्तु अर्थशास्त्र का यह अर्थ भा भ्रामक है। कारण यह ही जिसके अन्तर्गत कबले सेद्वानिक अध्ययन पर ही निशाय बल दिया जाता है।

(३) भारतीय अर्थशास्त्र एवं नीन शास्त्र के रूप में—इस दृष्टिकोण से भारतीय अर्थशास्त्र एवं प्रियुल नया विषय है निसकी विषय सामग्री परिचयी अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिगान्ति अर्थशास्त्र के मौलिक सिद्धान्तों पर निरमा उपर्युक्त मिल है। इस विचारधारा का मूल रारण यह है जिसके अन्तर्गत अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का जम दिया है, ये भारत का स्थिति एवं मारन के आर्थिक नीन से प्रियुल मल नहीं सानी। इसलिए भारतीय आर्थिक समस्याओं के अध्ययन एवं उनके हल के लिए ये प्रियुल अनुयाया यिद्ध होंगे। इसी कारण भारतीय अर्थशास्त्र एवं प्रियुल नामन सिद्धान्तों का समूह है जिसका विकास भारतीय आर्थिक परिस्थिति एवं वानामरण में हुआ है। परन्तु यह विचारधारा उग्रिन नहीं है क्योंकि अर्थशास्त्र ऐसे सर्वेशीन विषय का मारतीय अर्थशास्त्र (Indian Economics) की सत्ता देना टीक उसी प्रमाण अनुचन होगा जिसे जिसकी भौतिक शास्त्र (Russian Physics), जर्मन अर्थशास्त्र (German Economics), मारतीय गणित शास्त्र (Indian Mathematics) इत्यादि।

भारतीय अर्थशास्त्र का वास्तविक अर्थ (Real Meaning of Indian Economics)—उत्तरान विचार से यह दिलिन हो गया है जिसकी भारतीय अर्थशास्त्र एवं ऐसा विचारप्रबन्ध शब्द है। निसकी आलया कई प्रकार से हो सकता है। इसलिए यह आमरक्ष हो जाता है जिसके हम इस शब्द का वास्तविक अर्थ

समझ लें। यह एक ऐसा विषय है जिसके अन्तर्गत हम भारत की वर्तमान समय की विभिन्न आर्थिक समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। ऐसे अध्ययन का केन्द्र यही उद्देश्य होता है कि हम देश की आर्थिक स्थिति के भली प्रभाव परिचित हो जायें जिसके आधार पर हम देश की भागी आर्थिक प्रवृत्तियों का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकते हैं। देश की आर्थिक स्थिति का ऐसा वस्तुगत (objective) अध्ययन देश की आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लिए बनाऊं जाने वाली योजनाओं के हेतु पर्याप्त दर्शन का कार्य करेगा।

अत भारतीय अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसके अन्तर्गत हम भारत की विभिन्न आर्थिक समस्याओं का विस्तृत एवं विवाहित अध्ययन करते हैं और उन समस्याओं के नियाय के लिए सुभाव प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए हम देश की भौगोलिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दशाओं का भी अध्ययन करना पड़ता है और साथ ही उनका देशवासियों के आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका भी ज्ञान प्राप्त करना अनियार्थ होता है क्योंकि आनुनिक सुग में देश की आर्थिक स्थिति इन सामाजिक एवं राजनीतिक स्थायों से प्रभावित हुए रिक्त नहीं है। भारत वासियों को इस सत्य का कड़ अनुभव है। यद्यपि भारत आज एक स्वाधीन देश है और जिसे ससार का एक महान् प्रनातन देश कहलाये जाने का गौरव प्राप्त है फिर भी आज से कुछ बर्ष पूर्व तक यह दासता की जजीरा में ज़रूर हुआ था और इस बाल में हमारे देश का जो आर्थिक शोषण (economic exploitation) हुआ है उसमें प्रत्येक देशवासी भलीभांति परिचित है। एक मिट्ठी रासन उ अधीन होने पर देश अपने आर्थिक लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। स्वतंत्र होने के पूर्व हमारे देश में अब्रेजों का शासन था जिन्होंने सर्दैप हमारे देश को अपने आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति का नेतृत्व राखने भाव ही समझा। परिणामस्वरूप हमारे देश का इतना आर्थिक पतन हो गया कि स्वतंत्र प्राप्त होने के लगभग १३ बर्ष पश्चात् भी देश की आर्थिक स्थिति गम्भीर ही भनी हुई है और आये दिन देशवासियों के सामने अनेक आर्थिक कठिनाइयों भनी ही रहती हैं। देश में अब भी, आपश्यम वस्तुओं का अपर्याप्त उत्पादन एवं देश के आर्थिक विकास सम्बन्धी अनेक समस्याएँ राढ़ के लिए चिन्ता का विषय भनी हुई है। भारतीय अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के समक्ष यही और ऐसी ही अनेक आर्थिक समस्याएँ हैं जिनका वह भारत की भौगोलिक, सामाजिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि में अध्ययन एवं विश्लेषण करता है जैसे देश की कृषि सम्बन्धी समस्याएँ, ग्राम्योत्पादिक विकास सम्बन्धी समस्याएँ, यातायात, व्यापार एवं वित्तीय समस्याएँ इत्यादि।

भारतीय अर्थशास्त्र का द्वेष (Scope of Indian Economics)—भारतीय अर्थशास्त्र एवं ऐसा विषय है जिसके अध्ययन का द्वेष ग्रन्थन्त व्यापर है जैसा कि उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है। भारतीय अर्थशास्त्र के अन्तर्गत हम भारत की

आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। यह नेतृत्व समस्याओं के विश्लेषणात्मक (analytical) अध्ययन तक ही सीमित नहीं बल्कि समस्याओं के हल के सुभाव भी प्रस्तुत करती है। सारांश में भारतीय अर्थशास्त्र के द्वेष ने अन्तर्गत निम्न चारों का वर्णनात्मक एवं आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है —

(१) **प्राकृतिक दशा (Physical Conditions)**—इसके अन्तर्गत हम भारत की प्राकृतिक स्थिति एवं उत्तरी बनानट तथा जलवायु का उसके आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं।

(२) **प्राकृतिक साधन (Natural Resources)**—देश की आर्थिक स्थिति पर प्राकृतिक साधनों का गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें यह भी देखना है कि हमारे देश में उपलब्ध होने वाले प्राकृतिक साधन क्या हैं। उसकी मिट्टी कैसी है? उसकी बनार्थी, सनिन पदार्थ एवं शक्ति के साता का उसके आर्थिक विकास के लिए किस प्रकार ग्राहितनम प्रयोग हो सकता है।

(३) **सामाजिक पृष्ठभूमि (Social Background)**—इसके अन्तर्गत हम भारत की विभिन्न आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक जैसे जाति प्रथा, समुक्त परिवार प्रणाली, उत्तराधिकार नियम एवं भारत का जनता, उसकी जनसंख्या, नागरणकरण (urbanisation) की समस्या तथा उसके व्यापकायिक अधिकार जीवन निर्धारणी से दशाओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं।

(४) **कृषि एवं औद्योगिक समस्याएँ (Agricultural and Industrial Problems)**—इसके अन्तर्गत देश में उत्पन्न होने वाली विभिन्न फसलों, भूमि के पक्ष की प्रणालिया (Systems of Land Tenure), सिन्चाई, कृषि मजदूर एवं रेती की उत्तरीत तथा अधिकार प्राप्त उत्पादन की समस्या, विभिन्न विशाल उद्योग, औद्योगिक निक्षेपण एवं प्रदर्श तथा देश के औद्योगिक उत्पादनी सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन होता है।

(५) **अम सम्बन्धी समस्याएँ (Labour Problems)**—देश के औद्योगिक वरण के साथ-साथ औद्योगिक अम का महत्व भी बढ़ जाता है। इस कारण देश के औद्योगिक अम की जारी-कीरण, अम कल्याण एवं आगास सम्बन्धी योनाना, प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा, राज्यीय बेतन नीति (National Wage Policy), औद्योगिक शान्ति (Industrial peace) जैसी समस्याओं निमाना देश के उत्पादन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, का भी अध्ययन किया जाता है।

(६) **यातायात एवं संचाराद्वाहन सम्बन्धी समस्याएँ (Problems of Transport and Communication)**—इसके अन्तर्गत देश में उपलब्ध विभिन्न यातायात के साधन जैसे रेल-परिवहन, बड़ों और जल एवं वायु पथ Waterways and Airways) सम्बन्धी समस्याएँ।

(७) व्यापार तथा वाणिज्य (Trade and Commerce)—अन्तर्रेशीय व्यापार, विदेशी व्यापार, व्यापार संतुलन (Balance of Trade), शोधन शेष (Balance of Payment) सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं का अध्ययन भी भारतीय अर्थशास्त्र के अध्ययन में सम्मिलित है।

(८) मुद्रा तथा वित्तीय समस्याएँ (Currency and Financial Problems)—इसके अन्तर्गत देश की बैंकिङ्ग व्यवस्था, वस्तुओं का मूल्य स्तर (Price Structure), सार्वजनिक वित्त (Public Finance) जैसी समस्याएँ आती हैं।

(९) राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक नियोजन (National Income and Economic Planning)—स्वतन्त्र प्राप्ति के पश्चात् देश की आर्थिक समृद्धि के लिए राष्ट्रीय आयोजना आयोग (National Planning Commission) द्वारा निर्भित प्रथम, द्वितीय एवं आगामी पचवाहावर योजनाओं का विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक अध्ययन इससा मुख्य अग्र है।

(१०) विभिन्न आन्दोलन (Various Movements)—देश में समय समय पर होने वाले विभिन्न आन्दोलनों का अध्ययन, जिनका हमारे आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ा है अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है, जैसे सहनारिता आन्दोलन (Co operative Movement), अमिन सघ आन्दोलन (Trade Union Movement), भूदान आन्दोलन (Bhoodan Movement) इत्यादि।

भारतीय अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व (Importance of the Study of Indian Economics)—भारतीय अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्या महत्व है तथा अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों को इससे क्या लाभ हो सकता है यह जात उपरोक्त विवेचन से स्वतं स्पष्ट है। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि भारतीय अर्थशास्त्र एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिससे अध्ययन से हम देश की आर्थिक स्थिति का सही अनुमान तथा देश की विभिन्न आर्थिक समस्याओं का पूर्ण ज्ञान होता है। यालनिकता तो यह है कि यह शास्त्र हमारे समक्ष देश के भूत, वर्तमान तथा भावी आर्थिक एवं सामाजिक मिकास का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। इससा यह अर्थ नहीं है कि भारतीय अर्थशास्त्र का महत्व बेवल गैदानिक ही है बरन् यह एक ऐसा शास्त्र है जिससा अध्ययन व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः भारतीय अर्थशास्त्र ने अध्ययन का महत्व मुख्यतया निम्न धारां पर निर्भर है—

(१) व्यावहारिक महत्व—व्यावहारिक लाभ के धारणा भारतीय अर्थशास्त्र अत्यन्त उपयोगी विषय माना जा सकता है। देश की विभिन्न आर्थिक क्रियाओं जैसे

हृषि उत्तोग, व्यापार और वाणिज्य में लगे व्यक्तियों के लिए उनके व्यवसाय समर्पित रामस्याग्रा का पैशानिक शान जिसे वह भारतीय अर्थशास्त्र के अध्ययन में प्राप्त कर सकता है, नि सदैह उनके लिए अपने उपरोक्त सिद्ध हो सकता है।

(२) पथ प्रदर्शक के स्वरूप में—देश की आर्थिक स्थिति को भली भाँति समझने के लिए, उसकी वर्तमान स्थिति एवं प्रवृत्तियों की जानकारी के लिए भारतीय अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। आर्थिक प्रगति के क्षेत्र मार्ग पर अग्रिम राष्ट्र के लिए इस शास्त्र के अध्ययन का महत्व उस पथ प्रदर्शक के समान है जो हम इस जगत् की जान कार्य करता है दिवानी भूमि हम प्रगति कर रहे हैं अथवा नहीं या किसी सीमा तक हम अपने आर्थिक नियां रखते हैं और कौन कौन-सी जारी हमारे मार्ग में उपलब्ध हैं।

(३) तुलनामय अध्ययन की दृष्टि से—आनुनिक सुग की समस्या ऐसी विशेषता यह है कि सभी राष्ट्र एक दूसरे के नामी नियन्त्रण या बाये हैं जिसके बालं इसी एक दश में हानि वाला आर्थिक धटनाएँ दूखर देश के आर्थिक जागरूकता के लिए दिना नहीं रख सकता। इसी कारण यह जानना आवश्यक है कि सहारं र निमित्त राजा के मध्य हमारे देश का क्या स्थान है और निम्न प्रकार उन राष्ट्रों के नुभास ये देश का आर्थिक स्थिति का सुगरन में सम्भवता मिल सकता है।

(४) आर्थिक नियोजन के लिए महाय—दश के आर्थिक नियां के लिए भनाइ जान वाला याननाएँ ये समय तक सम्भव नहीं हैं कि उनकी जगत् तरफ़ का आर्थिक स्थिति का पूर्ण शान पर आशिल न हो। देश के नियां (Planners) जिन पर यानना नियाण का उच्चरदातित है उनके लिए ये अपनत आवश्यक हैं कि वे दश के आर्थिक दशाग्रा एवं समस्याओं के भली भाव में परिपूर्ण हों। भारतीय अर्थशास्त्र देश का सही आर्थिक परिस्थिति तक दशाओं का ज्ञान कर कर आर्थिक योजनाओं के नियाण में सहायता देता है।

(५) आर्थिक अज्ञानता दूर करने के लिए—जिस राष्ट्र की उनकी ऐसे समृद्धि के लिए समय नहीं आवश्यक है जिन नी है उस देश के नागरिक उन याननाओं का सफल भनाओ भूमि भाग लें। यह तभी सम्भव हो सकता है कि दश के आर्थिक अज्ञानता (economic ignorance) का उम्मूलन हो। प्रथमेह नागरिक दश का आर्थिक जिन एवं समस्याओं के भली भाव में परिचित हो तभी उनके समाजन के लिए नन जानी याननाओं का भला भावि रामक सकता है। ऐसी हानि पर ही राष्ट्र के आर्थिक विज्ञास के लिए आवश्यक ननमत तैयार हो सकता है। इच्छा समय पूर्ण तक हम प्रदेशों शाखान के अधान थे। देश का आर्थिक विवाक अन्ना उनका थाय था। पर अब हम स्वतंत्र हो गय हैं। अब स्वतंत्रता प्राप्ति

के पश्चात् अपने देश की आर्थिक समृद्धि का उत्तरदायित्व हमारे कल्पों पर है। इसलिए 'मारा यह कर्तव्य है कि हम अपनी समस्याओं का भली भाँति अध्ययन करके देश के प्रार्थिक विकास में पूर्ण सहयोग प्रदान करे।

प्रश्न

- 1 Clearly explain the meaning of the term 'Indian Economics'. Describe the importance of its study
- 2 Write a short note on the scope of Indian Economics
(Agra, 1957)



अध्याय २

भारतीय अर्थ-व्यवस्था की मूल विशेषताएँ तथा भावी प्रवृत्तियाँ

(Basic Characteristics of Indian Economy
and Future Trends)

भारत एक विशाल देश है जिसमें जनसंख्या चीन को छोड़ कर सबसे अधिक संख्या में विदेशी विकास के कारण सकार में अन्य देशों की तुलना में सबसे उच्च स्थान प्राप्त कर चुका था। इस समय हमारा देश सोने की विदिया कहलाता था। ऐसे में राजनीति तथा ग्राम्य आवश्यक बस्तुओं का अपार भट्टाचार था, चारों ओर दूध धी की निर्दिया जहां फरली थीं और समस्त वेशबासी मुग्ह एवं शान्ति से अपना जीवन व्यवहार करते थे। परन्तु आज हमारा देश वह गौरवपूर्ण स्वानं सो चुका है। आज भारत की स्थिति नहीं दयनीय आवश्यक में पहुँच चुकी है। एस लम्बे काल तक विदेशी शास्त्रों के ग्रन्थी होने के कारण हमारे देश की आर्थिक एवं ग्रीष्मोगिता प्रगति न हो सकी। वैसे तो हमारे देश में प्रहृति भी विशेष दृष्टि से प्राइवेट संसाधनों की कमी नहीं है। देश में विशाल धनसंकुप्ति एवं जनशालि उपलब्ध है। सकार में सबसे उच्चाऊ रेटी गोपनीय भूमि भारत में ही मात्र है और भूमि के अन्दर अपार रानिज सम्पत्ति देशवासियों की सहायता के लिए प्राप्त है परन्तु दासता की शहूलाता में अनड़े होने के कारण भारत वासी प्रहृति की इन ग्रामार्दीनों का समुचित उपयोग एवं विदोहन कर अपनी आर्थिक उन्नति करने में असमर्थ नहीं है। यही कारण है आज भारतवासियों का जीवन-स्तर अन्य देशों की तुलना में निम्नतम है। इसी प्रधान देश होने हुए भी वाचान की रामस्वा र्दद्य नहीं रहती है। हम अपने ग्रीष्मोगिता विकास के लिए दूसरे राष्ट्रों की सहायता लेनी पड़ती है। यदि हम भारत की आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति का भली मात्रा अध्ययन करें तो हम उससे आर्थिक जीवन को प्रभावित करने वाले कुछ मूल लक्षणों ना जान हींगा।

भारतीय अर्थ-व्यवस्था की निम्न विशेषताएँ जानने योग्य हैं जो इस प्रमार हैं—
मूल विशेषताएँ

(?) धनी देश की निर्वन जनता (A rich country inhabited by

poor people)—भारतीय अर्थ व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि धनी देश होते हुए भी यहाँ की जनता निर्धन है। देश में प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। देश में अपार बन-सम्पत्ति, श्रम शक्ति, जल शक्ति, पशु धन एवं पनिज पदार्थ होते हुए भी भारतवासियाँ वा जीवन स्तर सबसे निम्न हैं जिसका प्रमुख कारण यह है कि अभी इस अपार प्राकृतिक सम्पदा का आर्थिक विदोहन नहीं हो सका है, जिससे देश समग्र तथा समृद्धिशाली हो सके।

(२) भारत एक अर्ध-विकसित राष्ट्र है (India is an under developed country)—देश के साधनों वा अपर्याप्त विदोहन तथा समुचित विकास न होने के कारण भारत एक अर्ध विकसित राष्ट्र कहलाता है जो उसकी निर्धनता का मूल कारण है। आधुनिक युग में सर्वार के सब राष्ट्रों वा ग्रामर आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो आर्थिक द्वेष में निरन्तर प्रगति के राखे जाएँ जाएँ रेशाल एवं समृद्धिशाली राष्ट्र बन गये हैं। परन्तु भारत वी स्थिति अभी ग्रसन्तोषजनक है। एक अर्ध विकसित राष्ट्र के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं—

(१) कृषि एवं औद्योगिक द्वेष में बैश्यानिक एवं यानिक आविष्कार तथा शान सा सीमित उपयोग,

(२) उत्पादन जीवन निर्वाह की सीमा तक ही होना,

(३) सदुचित बाजार,

(४) निर्माणार्थी उत्पादन का अपेक्षाकृत गौण स्थान,

(५) आर्थिक विकास के लिए अनुपयुक्त वातावरण।

इस दृष्टि से देखा जाय तो भारत वास्तव में एक अर्ध विकसित राष्ट्र कहलायेगा जहाँ विभिन्न कारणों से देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकी है और देशवासियों वा जीवन स्तर अब भी काफी नीचा है। हर्य का विषय है कि राष्ट्रीय सरकार ने अत्यधिक प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत में उसके आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की अनेक योजनाएँ निर्मायी जा रही हैं और इस समय भारत में अनेक ऐसे वार्षीय हो रहे हैं जिनकी सफलता शीघ्र ही देश के लिए प्रयोग की जाने वाली सजा—‘अर्ध विकसित राष्ट्र’ से मुक्ति प्रदान करायेगी और हमारा देश भी अन्य राष्ट्रों की तरह एक विकसित एवं समृद्धिशाली राष्ट्र बन जायगा।

(३) भारत एक कृषि प्रधान देश है (India is a predominantly agricultural country)—भारत की एक और प्रमुख विशेषता यह है कि देश की आधिकारी जनता अपने जीविकोपार्जन के लिए खेती एवं आनंदित है जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था सतुरित नहीं कही जा सकती। सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या वा लगभग ७०% भाग कृषि पर तथा रोप ३० प्रतिशत भाग कृषि से भिन्न व्यवसायों पर निर्भर रखता है। इस कारण भारत के समटिन

उग्रोग धन्वों में, व्यापार, उद्योग तथा यातायात में नमुने कम जनसंख्या लगी होने के कारण भारत एक वृप्ति प्रधान देश कहलाता है। इसी पर अत्यधिक भार होने के फलस्वरूप ये भी अनेक समस्याओं से ग्रस्त हैं जिसके कारण भारतीय वृप्ति पिछड़ी हुई एवं दयनीय अपन्त्रणा म है। इसी वृप्ति सकलता तथा देश की आर्थिक दृढ़ता दोनों एक प्रकार से वर्षा पर निर्भर करती है। इसना कारण यह है कि मुख्यतया वृप्ति पर आधिक अर्थ व्यवस्था उसी समय उत्तरिशील एवं समपत्र अपन्त्रणा में होगी जिस समय फगल घट्टी होने से वृप्ति व उत्पादन म बढ़ि हो। ऐच्चाई के साधनों का पर्याप्त मात्रा म उत्पादन न होने के फलस्वरूप भारत में वृप्ति वर्षा पर ही निर्भर करती है। इसने अतिरिक्त जय अधिक व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए भूमि पर निर्भर करने लगते हैं तो ऐतिहासिक भूमि अनार्थिक जोता म रिभाजित हो जाती है जिससे वृप्ति उत्पादन कम हो जाता है।

(४) निरन्तर वृद्धिशील जनसंख्या वाला देश (A country with rapidly rising population)—भारत एन ऐसा देश है जहाँ न नेपल ससार म जीन को छोड़ कर एवं अधिक जनसंख्या पाइ जाती है यह एक प्रियोपता यह भी है कि यहाँ की जनसंख्या की निरंतर वृद्धि हाना जा रही है। सन् १९०१ ई० म जिस देश म लगभग २३ ५५ करोड़ जनसंख्या हा और जिसने सन् १९६१ तक ४५ करोड़ तक पहुँच जाने का अनुमान हो उस देश म जनसंख्या की निरंतर वृद्धि की समस्या एवं जटिल समस्या होगी। देश की प्रति व्यक्ति निम्न आय तथा देशनासियों का जीवन-स्तर घटन नाचा होना, अत्यधिक शिशु तथा मातृ मृत्यु दर, जीवन की छोटी अवधि, यहाँ हुए वेरायी की समस्या, एवं मालेख स्वारा बताये गये बुद्ध प्राइनिं अपरोधी की क्रिया शीलता जैसे चाढ़, अनाल एवं महामायी इत्यादि इस नाते प्रमुख प्रमाण हैं कि भारत एवं अति जनसंख्या गाला देश है। इसलिए यदि हम देश की राष्ट्रीय आप छड़ाना है तो इस निरन्तर घटनी हुई जनसंख्या को सीमित रखने के उपाय ढूँढ़ने होगे और तभी देश की धाराविरुद्ध प्रगति भी हो सकती।

(५) अतिरेक जनशक्ति का देश (Land of surplus manpower)—जैसा कि ऊर कहा जा चुका है कि भारत में तीव्र गति से जनसंख्या के घटने के कारण सब व्यक्तियों के लिए उपयोग कार्य उत्पादन नहीं है। ग्रामीण ज़ेतों म निम्न दुर्दृष्टि-उद्वागों के विनाश तथा वृप्ति भूमि पर निरन्तर घटने भार के कारण भारी सख्ता म लोग देश के बड़े-बड़े नगरों एवं विशेष ग्रामीणीय केन्द्रों में नौकरी की लोज के लिए उपडे खेले जाते हैं। परन्तु देश का पर्याप्त ग्रामीणीय विवास न होने के कारण इन सभी के लिए रोजगार ना अपने प्राप्त होना असम्भव है। इस कारण भारी सख्ता में लग वेशर रहने हैं तथा देश की अविभाग जन शक्ति का अवाक्षणिक द्वारा छोड़ कर।

उत्तरोग नहीं हो पाता। एक और तो यह स्थिति है और दूसरी और देश में कुशल शमिकों का अमान भी है। देश में स्थापित किये जाने वाले नये-नये उद्योग पर्धा के लिए कुशल अमर्शक्ति का अमान नहा रहता है जो बहुत सीमा तक देश की आर्थिक प्रगति में नाथन सिद्ध होना है।

(६) वैज्ञानिक एवं तात्रिक क्षेत्र में पिछड़ा होना (Scientific and Technical Backwardness)—इसी देश की आर्थिक समृद्धि के लिए यह अत्यन्त अप्रशंसनीय है कि उम्मीदेश में वैज्ञानिक अनुसुधान तथा तात्रिक ज्ञान का समुचित प्रयोग हो। तात्रिक विज्ञान में विद्युत होने के कारण हमारे उत्पादन के संबंध एवं यन्त्र अन्वन्त प्राचीन एवं अनुपयुक्त हैं जो बहुत हद तक हमारे आर्थिक विज्ञान में मददगारी होने के लिए उत्तरदायी हैं। बास्तव में हमारे देश का उस समय तक सम्पूर्ण आर्थिक विज्ञान सम्मान नहा जप तक कि वैज्ञानिक एवं तात्रिक ज्ञान के विस्तृत क्षेत्र में अन्य देशों द्वारा किये गये अनुसुधान एवं अनुभवों का भारतीय उद्योगों में समादरेश न हो।

(७) निर्धनता एवं अज्ञानता का देश (A Country of Poverty and Ignorance)—भारत में आर्थिक ज्ञान की एक और विशेषता यह है कि यहाँ की जनता निर्धनता एवं अज्ञानता की वैदिकी में नव्ही हुई है। देश में वेरोजगारी के कारण अधिकांश जनता अपने लिए आपश्यक जीवितोपार्जन में असमर्पि रहती है। एक निर्धन देश में जन शक्ति का अनुपयोगी अवस्था में पड़ा रहना उसी निर्धनता का एक प्रमुख कारण है। यही नहीं कि हमारे देशवासी ऐवल निर्धन हैं वरन् अशिक्षित होने के कारण अपनाएँ जनता अज्ञानता के अधनार में अपना जीवन व्यवाह करती है। देश की ८२.७% जनसंख्या ऐसी है जो भारत के विभिन्न ग्रामों में निवास करती है। खेती में लगे हुए ये सीधे-सादे लोग सारी आयु अधि विश्वास एवं अज्ञानता में समाप्त कर देते हैं। ससार के अनेक राष्ट्र शिक्षा एवं प्रचार एवं वैज्ञानिक प्रगति के कारण अपने देश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को मुधारने में न जाने कहाँ तर उपलब्ध हा चुके हैं। परन्तु भारत के आमीण क्षेत्रों में जैसे इस नवीन युग का अभी पारम्पर ही नहा हुआ है। ससार क्या अपने देश के ही विस्तृत एवं उन्नतिशील नगरों से अलग होने के कारण आम-व्यापी अज्ञानता का जीवन व्यतीत भरने हैं। इस लिए इस जात की महान् आवश्यकता है कि भारत के प्रत्येक गाँव में शिक्षा एवं प्रसार के लिए सूल स्थापित किये जायें जो अज्ञानता को गाहर निभाल कर देशगासियों का सुपरम्पन जारी रखने में सहायता हो।

(८) रीति रिवाज में प्रसिद्ध तथा धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का देश (A Land of Custom Ridden & Religious minded People)—भारत में अति प्राचीन काल से देशवासियों ने जीवन पर विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक

सम्पदों की गहरी द्युप पड़ती आई है। देश के आर्थिक जीवन पर इन सामाजिक एवं धार्मिक भास्त्राओं का इतना अमिट प्रभाव पहा है कि वे देश की अर्थव्यवस्था का एक अमिन अग्रजन जुड़ी है। इसी धार्मिक एवं सामाजिक वातावरण का यह प्रभाव है कि भारत आध्यात्मिक उन्नति की चरम सीमा तक पहुँचने के कारण भौतिक उन्नति औ बृहात्तद इटि से देखना आया है। भारत के अनेक प्राचीन एवं धार्मिक ग्रन्थ देशनासियों को खादा जीवन तथा सतोप वा पात्र पढ़ात आये हैं। पश्चिमी राष्ट्रों ने आर्थिक चेत्र में जो प्रगति की है उसका मूल कारण यह है कि उनके जीवन में ऐसे उन्नति को प्रथम स्थान दिया गया है। इसके अनिरिक्त हमारे देश में कुछ अधिक एवं एसे रूप से रिकान हैं जो इसी न किसी प्रभाव भारत के आर्थिक जीवन की प्रभावित करते आये हैं। जैसे जानि प्रथा, सुखन कुदम्ब प्रणाली, पर्दे की प्रथा, उच्चरा विसार नियम।

(६) निमिन्ल अभावों का देश (A Land of Scarcities)—मान जैसे देश की ऐसी निशेषता यह भी है कि वहां पर अनेक ऐसी रसियां हैं जो उसके आर्थिक विकास में जाया ढाकती हैं। जैसा कि सर्व शिद्धि है कि आर्थिक विकास के लिए अनेक ऐसी जगता एवं सुविधाओं की आवश्यकता होती है जिनसे देश के ग्रीष्मोंगिक एवं आर्थिक समृद्धि में सहायता मिलती है जैसे यूरोप अमेरिका तथा प्राचीन चीन एवं अर्थात् तथा समुचित नियम, साम सुविधाओं, यातायात एवं संग्राहवाहन के साधनों का उपलब्ध होना। परन्तु यह की जात है कि भारत में अभी तक इन सब जातों की कमी है जिसके कारण देश की आर्थिक प्रगति नहीं पानी।

(१०) निमित जलवायु वाला देश (A Nation of Divers' Climates)—भारत के आर्थिक जीवन पर उसका जलवायु का गहरा प्रभाव पड़ता है। मान में उन देशों में से एक है जहां निमित ग्राहक की जलवायु पाठ जाती है। इसी कारण यहि भारत में उसके उत्तरी भाग में नगरीनाम्य जलवायु पाठ जाती है तो दक्षिण में उत्तर जलवायु मिलता है। यह नहीं जाता कि भारत में अत्यन्त असुन्नति विद्युत वातावरण मिलता है जिसके कारण कुछ स्थान एवं हृष्टों पर वहा अर्थात् होती है जैसे चेपारैजा, परतु याथ हा कुछ एवं स्थान में होती है जहाँ यहा उसके नम मात्रा में होती है जैसे रानीथान, उत्तर पूर्वी सम्प्रदेश तथा दक्षिण एशिया इत्यादि। निमित ग्राहक की जलवायु अवधि हानि के भारण हमारे देश में अनेक ग्राहक की फसलें उत्पन्न होती हैं जैसे ट्रांज, नियर, अस्सर, रिस्ट, "इंडिया", "कल्पनालय", हानि में जड़ी रहायना मिलती है जिसके सामने भारतीय प्राकृतिक योग्यता का इटि से एक धनी देश कहलाता है।

(११) नियोजित आर्थिक प्रगति वाला देश (A Country with Planned Economic Development)—वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख लक्षण यह है कि यहाँ देश की प्रगति के लिए आर्थिक नियोजन (Economic Planning) की सहायता ली जा रही है। यहाँ की मिशन हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने तथा आर्थिक जीवन में दृढ़ता लाने का आर्थिक नियोजन के अतिरिक्त और कोई उपाय हो ही क्या सकता है। जब देश की अधिकाश जनता निर्धन हो और साधनों का पर्याप्त मात्रा में विदोहन न हो रहा हो तो आर्थिक नियोजन द्वारा ही देश का राष्ट्रीय विकास हो सकता है। इसी कारण सारे के प्राय सभी विचारों के व्यक्ति आज इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि विसी भी देश की निर्धनता की समस्या और आर्थिक विकास की प्रगति को तीव्र करने के लिए विसी न इसी रूप में आर्थिक यात्रोजन अपनाना अत्यन्त आवश्यक है। भारत ऐसा ही एक उदाहरण है जहाँ भारी पैमाने पर आर्थिक नियोजन द्वारा देश के आर्थिक विकास का प्रयत्न किया जा रहा है।

देश के आर्थिक जीवन पर प्रभाव

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की अनेक ऐसी मिशनाएँ हैं जिनका अध्ययन देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति समझने के लिए अनिवार्य है। इन मूल लक्षणों के अध्ययन का विशेष महत्व यह है कि इनका देश की राष्ट्रीय आय तथा विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए भारत एक कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ की अधिकाश जनता को कृषि द्वारा जीविता प्राप्त होती है। अति प्राचीन वाल से अधिकाश जनता का रेती के व्यवसाय में लगे होने के कारण भारतगांधियों में औद्योगिक चरित्र (industrial character) का विरास नहीं हो पाया जो उसकी मद्दगति से औद्योगिक विकास होने का मुख्य कारण है। निरतर महती हुई जनसंख्या के कारण देश में जनशक्ति का आधिकाय है जिससे कारण अम पूर्ति भी अत्यधिक मात्रा में हो रही है। रोजगार के लिए अभियां में पारस्परिक प्रतियोगिता होने के कारण मजदूरी की दर घटती जाने की प्रवृत्ति है। इसके फलस्वरूप मजदूरों ने मोल भाव बरने की शक्ति (bargaining power) कम है। इसी प्रकार जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली तथा धर्मिक भागनायों द्वारा भी भारतगांधियों का आर्थिक जीवन बहुत प्रभावित हुआ है। धर्म की प्रधानता होने के कारण भारत में भौतिक विकास की अपेक्षा नैतिक एवं आनिम उन्नति को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

भावी प्रवृत्तियाँ (Future Trends)—देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो परन्तु भवित्व अवश्य ही उच्चल प्रतीत होता है। आर्थिक विकास के द्वारा भारत जीवन का दूर पर भारतगांधी अपने निस्तर तथा अधिक उन्नति को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

परिश्रम से निश्चय ही भारत को एक समृद्धिशाली तथा सुनिकसित राष्ट्र बनाने का सुखद स्वप्न देख रहे हैं। गौरव की बात यह है कि भारतवर्ष कई क्षेत्रों की पराधीनता की शृणलाओं से अब मुक्त हो गया है तथा राष्ट्रीय सरनार देश के आर्थिक विकास तथा समृद्धि के लिए प्रयत्नशील है। इस सम्बन्ध में सत्त्वे हृषि की जगत् यह है कि भारतवर्ष जिसे कुछ समय पूर्व तक एक ग्रनिकसित राष्ट्र कहा जाता था अब उसे अर्थ विस्तृत राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है। अविकसित आर्थिक अवस्था से अर्थ विस्तृत अवस्था (from backward economy to under developed economy) तक, वास्तव में, पहुँच वर भारत ने एह लम्हा रास्ता तय किया है। इस ऊर्ध्व भारत जैसे राष्ट्र का भजिय निश्चय ही उज्ज्वल प्रतीत होता है। इस समय भारत में देश के आर्थिक विकास सम्बन्धी पर्याप्ति योजनाओं के अन्तर्गत अनेक महत्वपूर्ण प्रयत्न रिये जा रहे हैं जिनकी सफलता पर राष्ट्र का भविष्य निर्भर है।

प्रश्न

1. Describe the basic features of Indian economy and state to what extent these have been responsible for the slow growth of our national economy
 (Agra, 1953, 1959)

2. India has often been described as a rich country inhabited by poor people. Do you agree with this view? Give full reasons for your answer
 (Punjab 1954, Rajputana, 1951)



खण्ड २

प्राकृतिक संसाधन

१ भारत की भौगोलिक परिस्थिति एवं प्राकृतिक संसाधन

अध्याय ३

भारत की भौगोलिक परिस्थिति एवं प्राकृतिक संसाधन

भारत की भौगोलिक परिस्थितियाँ एवं प्राकृतिक साधनों से तात्पर्य देश के वातापरण, बलवायु, भूमि की स्वना, शक्ति के साधन, सनिज पदार्थ, वन-सम्पत्ति, पर्वत, तथा समुद्र तट इत्यादि से है। विसी भी देश का आर्थिक, सामाजिक एवं सामृतिक विभाग उस देश में भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियाँ पर निर्भर होता है। प्रह्लनि ने हमारे देश को प्रश्न उपहार प्रदान रखे थे महान् वृपा की है। हमारे देश में निभिन्न प्रनार वी जलवायु और निट्टदी पाठ जाती है। फलस्वरूप लगभग सभी वृष्टि पदार्थ मारतमप म उत्तम होते हैं। साथार म सुखुक राष्ट्र अमरिता और सोनियत रूप के पश्चात् भारत ही एक ऐसा देश है जो ग्राम निर्भर आर्थिक व्यवस्था का निर्माण भर सकता है। प्राकृतिक साधनों की अनुकूलता एवं अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति विकास के लाभ ही भारत को अनादि काल से 'सोने वी चिकिया' तथा 'विटिश साम्राज्य का सर्व सुदर हात' जैसे मुद्र शब्दों की सज्जा प्रदान की गई है। आज भी भारत का गीरय उपरोक्त इटिकोण से कम नहीं है।

भारतीय आर्थिक विकास का टीक-टीक रूप जानने से पूर्व यह आवश्यक है कि हम इस देश के प्राकृतिक साधनों एवं भौगोलिक परिस्थितियाँ वे बारे म खोजा-सा शान कर लें। सर्व प्रथम हम भारत की प्राकृतिक परिस्थिति का अध्ययन करेंगे और तत्पश्चात् भारतीय बन, सनिज पदार्थ, शक्ति के साधन इत्यादि का विवेचन करेंगे।

अध्ययन वी सुविधा के इटिकोण से भारतीय भौगोलिक परिस्थिति को निम्न मार्गों में विभाजित किया जा सकता है —

- (१) भौगोलिक सीमा और स्थिति,
- (२) भूमि की बनावट,
- (३) जलवायु, तथा
- (४) वनस्पति एवं पशु।

(१) भारत की भौगोलिक सीमा और स्थिति

भारतवर्ष भूमध्य रेखा से उत्तर म ८०° अक्षांश से लेकर ३७° अक्षांश तक तथा

६६ २० से ६४० देशान्तर तर पैला हुआ है। देश का सीमा स्तर और निश्चित है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है जिसे समस्त संसार में सर्वसे ऊचे होने का गौरव प्राप्त है और जो सदैर वर्ष से ढेरा रहता है। देश के उत्तर पृथक् तथा उत्तर पश्चिम में और प्रियाल पहाड़ों की श्रेणियाँ शाभायमान हैं। देश का पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी भाग समुद्रों से घिरा हुआ है। पूर्व में उगाल का पानी है पश्चिम की ओर अरब सागर है, और दक्षिण में हिन्द महासागर है। इस प्रवार भारत हिन्द महासागर के सिरद्दाने स्थित है।

भारत का चेत्रकल इन गणमणि १२,६६,६४० खंग मील है। प्रियाल पूर्व समस्त भाग का चूपकल १५ लाख दृष्टि हजार वर्ग मील था। उत्तर के दक्षिण मारत की लम्बाई २ हजार मील है और पश्चिम से पूर्व तक १,३०० मील है। इस का सामुद्रिक तट ४,१०० मील लम्बा है। यह अमिन कटा पता नहीं है, प्राचीन लगभग पृथ्वीना सीधा है। भारतपर के प्रियाल चूपकल तथा अनुपुल स्थिति के कारण इस देश की गणना संसार के प्रियालतम देशों के साथ वी जानी है। इस देश का चेत्रकल रुख का छोड़ वर समस्त याराम के चूपकल से कुछ कम है, और उत्तर राज्य (U K) का गाह गुना है। भारत के चूपकल के सम्बन्ध में सर्वसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका अधिकार भाग माने उगाम के लिए मुलभ है जब कि उगाम के इह देशों का अधिकार भाग अनुशुल पक्ष रहता है। उदाहरणार्थ रुख और कनाटा भे प्रियाल चूप निरन्तर हिमाच्छादिन रहत है और ग्रास्टेनिया में ऐसे चूप रोगिलान हैं जो मानवान उपयोग के उद्दिष्ट ये निरथ हैं।

जनसंख्या के उद्दिकाण से भी भारत का संसार में एक महत्वपूर्ण स्थान है। संसार का जनसंख्या का लगभग $\frac{1}{4}$ भाग भारत में पाया जाता है। इसी प्रियाल चूप कल और प्रियाल जनसंख्या को देखकर कुछ वामा ने भारत का भू महाद्वीप अथवा उप-महाद्वीप (Sub Continent) के नाम से दिल्लिति किया है।

भारत का भौगोलिक स्थिति अनेकांग व्यापार के उद्दिकाण से भा उत्तर अच्छी है। हमारे देश पूर्व भू-मर्गों के द्वारा मध्य में स्थित है। इसके एक द्वारा यमो, चान, हिन्दगिरा, जागन तथा दूसरी और चार और मध्य पूर्वी दश हैं पिनर साथ स्थाननामक ग्रन्थ व्यापारिक सम्पाद स्थापित किये जा सकते हैं। भारत के पात लोग अपना जहाजी बड़ा न होते के कारण भारत अभी तक अपनी भी गोलियों स्थिति का दूरा पूरा लाभ नहीं उठा पाया है। यदि यह अभाव भा दूर हो जाय (जैसी जिआया न जाता है) तो शीघ्र ही भारत संसार का एक ग्रन्थुप और अप्रगतामी व्यापारिक दर्शन जावेगा।

भारत के प्राकृतिक प्रियाल—प्राकृतिक प्रियाल के वान्यर्थ उत्तर नृगण्य हैं द्वितीया

है जिसमें भौतिक परिस्थितियाँ, जलगायु और प्राकृतिक वनस्पति में समानता होती है। इन तीन समानताओं के प्रत्यक्ष स्वरूप उस समझ भू-प्रणाली की क्षमिता उपर, जीव जन्म, मनुष्यों की आर्थिक क्रियाएँ, जनसंख्या वा धनत्य और इन सहन लगभग समान होता है। भारत के प्राकृतिक विभागों को निर्धारित करने में देशी और विदेशी दोनों ही विद्वानों ने अपने विचार घट्ट किये हैं। रामगान्धी धारणा डा० स्टॉन्प द्वारा गानी जाती है। उन्होंने भौतिक आकृति के आधार पर भारत के तीन मुख्य विभाग किये हैं—

(अ) हिमालय प्रदेश—इसमें अन्तर्गत निम्न प्राकृतिक छठ माने गये हैं—

- (१) पूर्वी पहाड़ी प्रदेश,
- (२) हिमालय प्रदेश,
- (३) उत्तर हिमालय प्रदेश,
- (४) निव्वत वा पठार।

(ब) गंगा सतलज का मैदान—इसमें निम्न प्राकृतिक छठ अवस्थित है—

- (५) पठार का मैदान,
- (६) गंगा का ऊपरी मैदान,
- (७) गंगा का मध्य मैदान,
- (८) गंगा का निचला मैदान,
- (९) बहातुर वी धाटी।

(स) दक्षिण का पठार—इसमें निम्न छठ सम्मिलित किये गये हैं—

- (१०) बच्छ, चौगांड़ प्रदेश,
- (११) पश्चिमी तटीय प्रदेश,
- (१२) तामिलनाडु प्रदेश अथवा कर्नाटक,
- (१३) नलिंग प्रदेश,
- (१४) दक्षिणी दक्षन,
- (१५) दक्षिण का लावा प्रदेश,
- (१६) उत्तरी पूर्वी दक्षन,
- (१७) धार महस्थल,
- (१८) मलावा, धुन्देलभट्ट और छोटा नागपुर वा पठार,
- (१९) राजस्थान का पठार।

डा० रामनाथ दुबे ने भारत को निम्नलिखित चार विभागों में विभाजित किया है—

- (१) हिमालय प्रदेश,
- (२) गंगा-सतलज का मैदान,

- (३) दक्षिणी पठार तथा
 (४) तटीय प्रदेश।

(१) हिमालय प्रदेश—मिशाल हिमालय पर्वत माला उत्तर म पामीर से प्रारम्भ होती है और सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। हिमालय पर्वत को तीन मालों में विभाजित किया जाता है—(१) भीतरी हिमालय जिसमें प्रधान शेरशी स्थित है (२) गाहरी हिमालय और (३) शिखालिय पहाड़। हिमालय पर्वत सकार वा समुद्र नदीन पहाड़ है। नदीन होने के कारण ही इसे सकार वीउच्चतम चोटी 'एवरेट' प्राप्त है। इसके आतिरिक्त इसमें ग्रनेक उच्चतम चाटया है जो उत्तर म ग्रन्ता सानी नहीं रखता। उदाहरणाथ एवरेट, ५६, १४१ पाठ, कचनचगा २७,८१५. काट तथा धीला ८, ८६,८६८ीट ऊँची है। हिमालय के कारण भारतीय क्षेत्र एशिया के अन्य जलगायु क्षेत्रों से भिन्न हो गया है। तिब्बत से उत्तरी हिमालय का यहाँ न आने देने के कारण तथा भारत म मानवता का रास ऐसा रास कारण हिमालय एवं जलगायु सम्बंध अवरोध है। यान्तर म इस प्रवेश के कारण हमार देश की जलगायु हमार देश म ही बनती है। ऊँपे दरों के कारण हिमालय व्यापसारित तथा सामाजिक अवरोध भा जना रहा है। भारत म जितने भी आक्रमण गाहर से हुए हैं उनमें से काहूं भी इन ऊँच दरों से नहीं हुए।



चित्र १—भारतवर्ष का प्राकृतिक मानचित्र

हिमालय पर्वत से देश को अनेक लाभ हैं जैसे—

(१) अरब सागर तथा बगाल की गाड़ी से आने गले मानवत को रोक वर यह पर्वत जल नुट्टि प्रदान करता है जो भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए जीवन-संरक्षणीय है।

(२) निक्षत की ओर से आने वाली ठड़ी द्राघी को रोक लेता है जिससे भारत ने कोई हानि नहीं होता।

(३) देश की लगभग सभी महत्वपूर्ण नदियाँ हिमालय पर्वत से ही निकलती हैं।

(४) हिमालय पर्वत से अनेक जल प्रधारी यों जल मिलता है जिससे प्रियुत शक्ति का निर्माण होता है।

(५) हिमालय पर्वत के दक्षिण में विशाल बगल हैं जो हमसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अनेक लाभ पहुँचाते हैं।

(६) हिमालय पर्वत के ही बाराण्डे देश में विभिन्न प्रधार की जलगातु पाइ जाती है जिसके प्रत्यक्ष हमारे देश में अनेक प्रधार के साथ एवं पेय पदार्थ उत्पन्न किये जाते हैं।

(७) विशाल एवं अभेद्य होने वाले यह देश को गहरी आनंदता से सुखिन रखता है।

(८) पर्वत पर अनेक व्यास्थर्थक भ्यान हैं।

(९) पर्वत पर नहुमूल्य पदार्थ एवं जड़ी बूटियाँ पाइ जाती हैं जो विभिन्न असाध्य रोगों के निवारण में सहायत होती हैं।

(१०) इसकी गोद में नहुमूल्य सनिज पदार्थ तथा विशाल चरागाह भी पाये हैं जो हमारे पश्च धन को भोजन प्रदान करते हैं।

(१) गगा-सतलज का मैदान—गगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदियों से यह हुआ यह भाग पूर्व-पश्चिम में लगभग १५०० मील लम्बा और उत्तर दक्षिण में १५० मील चौड़ा है। यह विशाल मैदान सालार ने सन्देश उत्तराञ्चल समतल मैदानों में से है और यहाँ सभी अधिक जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। सिंचाई सम्बन्धी पर्याम सुनिधारे उत्तराञ्चल होने के कारण यह भाग ग्राहित हाटी में भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत से बड़े-बड़े मैदान सम्मिलित हैं जिनसे कई नदियाँ नहती हैं और दोमठ मिट्टी लाकर मैदानों पर बना देती हैं।

गगा सतलज का मैदान दक्षिण में विन्ध्याचल पर्वत से लेकर उत्तर पर्वत (श्रीगंगाय, राम रथ, पूर्व और उत्तर लाली) के सेत्तर पश्चिम में यक्किल्लान वी सीमा तक पैला हुआ है। इस भाग के पश्चिम में व्याप्त तथा सतलज नदियों नहती हैं और अख्य सागर में जाकर गिरती हैं। नदियाँ या एक दूसरा पुज जिनमें गगा और यमुना प्रमुख हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और बगाल से होकर गुजरता है। इन सब में गगा

फैला हुआ है। यह मैदान उत्तर में भर और राजस्थान के रेगिस्तानों से मिल जाने हैं। बालू, मिट्ठी के निशाल सम्रद्द जो कि पुराने नदी मार्गों के गूँब जाने के कारण तथा समुद्रों के हट जाने के कारण बन गये हैं, यहाँ वी विशेषताएँ हैं। पश्चिमी तट नारियल के पेड, बगान और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे उत्तम सूर्य—भड़ौच की सूर्य—इसी प्रदेश में पूरा होती है। पूर्णी तट नी सबसे महल्यपूर्ण उपज जानल है। यहाँ कपास और गन्ने ही उत्पन्न होते हैं।

(२) भूमि की बनामट

प्रत्येक देश की आर्थिक व्यवस्था में उस देश की भूमि नी बनामट का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक देश का आर्थिक विकास वहाँ की भूमि की बनामट पर निर्भर होता है। हमारा देश कृषि प्रधान होने के कारण और कृषि का मिट्ठी पर निर्भर रहने के कारण, भारतीय मिट्ठिया या अधिकतर हमारे लिए जहुत आवश्यक हो जाता है। भारतपर्य में अनेक प्रकार की मिट्ठियाँ पाई जाती हैं जो दाफी अच्छी और टरंगा भी होती हैं निन्तु यह अधिकतर सूखी होती हैं और पर्याप्त मात्रा में पानी भिलने पर ही यह अच्छी उपज देती हैं।

भारतीय मिट्ठी का विभाजन विभिन्न सम्भागों द्वारा विभिन्न प्रकार से किया गया है। Indian Agricultural Research Institute, Delhi, ने भारत की मिट्ठी को निम्न बगों में विभाजित किया है:—

- (१) घासार,
- (२) बड़े घासार,
- (३) परिवर्तित चट्टानों पर की लाल मिट्ठी,
- (४) लाल कड़ी मिट्ठी,
- (५) काली मिट्ठी,
- (६) गहरी काली मिट्ठी,
- (७) ट्रैप चट्टानों पर की हरनी मिट्ठी, तथा
- (८) गहरी काली घासार की मिट्ठी।

Indian Council of Agricultural Research ने भारतीय मिट्ठियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है:—

- (१) लाल मिट्ठी,
- (२) लैटेराइट,
- (३) कपास की काली मिट्ठी,
- (४) घासार मिट्ठी,
- (५) पहाड़ी और वन प्रदेशों की मिट्ठी,

(६) चारखुत मिट्ठी, और

(७) दलदली मिट्ठी।

भूमि का वर्गीकरण आज का नहीं पन्तु पुराना है। चारपेद म भूमि को उसके गुण तथा किस्मा के अनुसार तीन भागों में विभक्त किया गया है—अर्वता (अनुजाऊ), अपनाम्बती (अनाऊ) तथा उर्परा (अति उपजाऊ)। इसी प्रकार विज्ञानी को पीछे उनके हल समने के अनुसार—ग्रहिली (मिना हल वा), मुहली (मुद्र दल समेत बल्ला) तथा दुखली (दोपृष्ठी हल)।—में विभक्त किया है।

यद्यपि हमारे देश में नाना प्रकार की मिट्ठियाँ पाइ जाती हैं परन्तु प्रियमी उनमें अव्यवन की दृष्टि से चार मुख्य भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है—

(१) नदिया द्वारा लाई गई मिट्ठी या दोमट मिट्ठी,

(२) लाल मिट्ठी,

(३) काली मिट्ठी,

(४) सादार मिट्ठी।

(१) दोमट मिट्ठी (Alluvial Soil)—यह मिट्ठी ग्राहिकतर नदियों द्वारा लाई जाती है। अब इसको नदिया द्वारा लाई गई मिट्ठी, गग्नार, दोमट अथवा दुमट आदि नामों में पुराना जाता है। इस मिट्ठी का भारतीय कृषि-अर्थ अवस्था में विशेष महत्व है। भारत में यह उनमें अविक्ष उपजाऊ मिट्ठी है। इसी नावट तथा इसके लक्षण प्रायः नदियां रहते हैं। दश व उत्तरी भागों में यह मिट्ठी शुष्क और छद्दार होती है, जगाल में यह नम और धनी होती है, दक्षिण भारत में यह गहरी धनी और गोली होती है। जस्ता में यह निकटी मिट्ठी की भानि और रग में काली होता है। यह मिट्ठी रसी और दर्पण दोनों ही फसलों के लिए बाधी उपयुक्त है। यह पान, उचर प्रदेश, रानस्थान, पंजाबी जगाल, असम और गुजरात तथा मद्रास और दक्षिण पनिमुक्ता के इन्द्र भागों में मीलता है। सन्तोप में इन मिट्ठी वाले प्रदेश वा क्षेत्रकள के लाग बग मील है।

(२) लाल मिट्ठी (Red or Crystalline Soil)—लाल या पीली मिट्ठी उन चट्टानों की प्रियोपानाएँ हैं जिनमें लाहौर तथा अश्व प्रदुर भागों में विशेषता होती है। साथा यह रूप से उच्चे तापमान का दशाय में लोहा गल कर सारी मिट्ठी में समान रूप से फिल जाता है और मिट्ठी को लाल या पीला रंग देता है। अत ये मिट्ठिया उच्च कठिकन्ध म आमतीर से पाइ जाता है। भारत में यह मिट्ठी ताजी के दक्षिण में विशेष रूप से पाई जाती है। बाड़ी भागों में ताजी के उचर तथा अग्रम में भी पाइ जाता है। दलूस्थानों और पहाड़ा प्रदेशों पर पाइ जानेवाली लाल मिट्ठी हल्दी और लिंगपूर्ण होती है और गुणा अनुरजाऊ होती है। मैदान में यह मिट्ठी असिं भोजी और शुष्क होता है। अत अच्छी फसल उगाने के योग्य होती है।

(३) काली मिट्ठी (Black Soil)—धातुग्राफ अधिक मिलन हो जाने के बारण इस मिट्ठी का रग काला हो गया। इस मिट्ठी में नाइट्रोजन, फासफोरिक एसिड की मात्रा कम होती है और पोटास तथा चूने की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्ठी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। इसलिए इसे 'वाली कपास वाली मिट्ठी' तथा 'ट्रैप' मिट्ठी भी बहुत हैं। यह मिट्ठी नहुत घनी होती है और चिकनाहट भी नहुत होती है। इसमें बनस्पति को पालने की इच्छा अधिक शक्ति है कि हजारों वर्ष से बिना किसी साद का उत्पादन निये इस पर रेती की जा रही है। कपास की पैदागार के अतिरिक्त इसमें गेहूँ और मोटे अनाज भी पैदा निये जा सकते हैं। साधारणतया इस पर रेती की फसलें सफलनापूर्ण होती हैं।

इस मिट्ठी का मुख्य चेन पश्चिम में नम्बई से पूर्व म अमरस्टडम तक, तथा उत्तर में पूना से दक्षिण में वेलगांव तक पैला है। यह चेनपल्लि लगभग २ लाख वर्ग मील है।

(४) रथादार मिट्ठी (Laterite Soil)—यह मिट्ठी प्राय उन प्रदेशों में मिलती है जो उत्तर हैं। इनकी उपरी सतह बँबरीली होती है। यह भौतिक और रसायन तत्वों में एक-की नहा होती। इसमें पासफोरिक एसिड की नहुत कमी होती है। यह एसिड नहुत महत्वपूर्ण याद है। यह मिट्ठी विशेष रूप से दक्षिण, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी धाटा क पास पाइ जाती है। मिलन स्थानों पर यह विभिन्न प्रकार की होती है। यह पहाड़ी प्रदेशों में अनुपचार होती है किन्तु मैदानों में जहाँ इसका रग कुछ भूरा सा होता है, वहाँ उपचार होती है। यौसवन्न यह मिट्ठी खेती के उपयुक्त नहीं होती।

भूमि क्षरण (Soil Erosion)

भूमि क्षरण भारतीय कृषि के लिए नहुत बड़ा अभिशाप है। इसके द्वारा भारत की वित्ती हानि हो रही है। इस पर पूरा पूरा व्यान न दिया जाना ही भारतीय शैक्षणिक की गम्भीर समस्या है। प्रति वर्ष हजारों टन अच्छी मिट्ठी नह बर समुद्र म चली जाती है। भारतीय वर्षों की प्रकृति ही कुछ ऐसी है जिसके बारण छोटी-बड़ी नदियों में गाढ़ आ जाती है और उनके राथ देश के एक भाग की मिट्ठी बूरर माग म और अन्न समुद्र म चली जाती है। वर्षों के बल अथवा बायु द्वारा भूमि के महीन करणों, हठाये जाने को ही 'भूमि क्षरण' अथवा मिट्ठी का 'बटाव' कहते हैं। भूमि क्षरण से भूमि की ऊपरी शक्ति नाट हो जाती है और भूमि बजर बन जाती है। हमारे देश की हजारों एक भूमि क्षरण पे पारण बेनार हो गई है। बिहार के विशाल भू माग तथा उत्तर प्रदेश में यमुना और चम्पल नदियों के दोनों ओर नहुत से बड़े भू माग खेती के लिए अनुपयुक्त हो गये हैं।

भूमि-क्षरण के प्रकार

भारतवर्ष में भूमि क्षरण तीन प्रकार से होता है—

- (१) तल क्षरण अथवा एक-सा कटाव (Sheet Erosion),
- (२) ग्रन्त नदरण अथवा कट्टार वाला कटाव (Gully Erosion),
- (३) वायु क्षरण अथवा हवा द्वारा कटाव (Wind Erosion)।

(१) तल क्षरण—मिट्ठी व उपरी कला मुलायम, दीले और उपजाऊ होते हैं, अत वर्षा का जल इन्ह अपने साथ नहीं ले जाता है। इस प्रकार के कटाव को एक-सा कटाव अथवा तानरण कहते हैं। इसमें भूमि की ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाती है और देश को असंधित हानि घटानी पड़ती है।

(२) ग्रन्त क्षरण—जब वर्षा मूलायम होती है तब वह जल नदी और नाला के रूप में जल लगता है, जिसमा जहार मिट्ठी को बुरी तरह ऐ बाट देता है। इस प्रकार गहर गहड़े और रस्त जन्म जाते हैं जिन्ह कठार अथवा गीहड़ कहते हैं। ये कठार गंती के लिए अनुपयोगी होते हैं।

(३) वायु क्षरण—जब वायु का वेग बहुत तीव्र होता है तब वह अपने साथ भूमि की ऊर्जा सहज के मूलायम और ऊर्जाऊ कला को अपने साथ लहरा ले जाता है। वह प्राय तूरे प्रदेशों में होता है जैसे रानस्थान और पूर्वी पश्चिम।

भूमि-क्षरण के कारण (Causes of Soil Erosion)

भूमि-क्षरण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

(१) बनां का निनाश—प्राय भूमि-क्षरण बनां के निनाश के कारण होता है। भारत में बनां का निनाश नदी कूराना के साथ किया गया है। बनां और पीधीं तथा घास का जड़ी में जल के प्रभाव का ऐकत्र ही शक्ति होती है, जिससे भूमि का कटाव नहीं होता। परन्तु भारतीय लोग इस तथ्य को नहीं समझ पाते हैं।

(२) बनन्पति का नष्ट करना—नवभानि के नष्ट हो जाने से भूमि रोगिस्तानी बन जाती है। हवा का एक भाँड़ा आन ही रसीली मिट्ठी हवा के साथ उड़ने लगती है और शनि शनि भूमि की ऊर्जी सबह, जा कि अग्रिम उपजाऊ होती है, उइ जाती है।

(३) निरन्तर रोती—एक ही स्थान पर निरन्तर अनुर वांगों तक गंती होते रहने के कारण भूमि की ऊर्जा शक्ति कम हो जाती है। यदि कृतिम साधनों जैसे पाद इन्धादि के द्वारा भूमि की ऊर्जाकता को प्रतिस्थापित नहा जिया जाता है तो भूमि का क्षरण हो जाता है।

(४) स्थान परिवर्ती रोती—देश के कुछ प्रदेशों जैसे असम, बिहार, उडीसा और गच्छ प्रदेश के आदिगांवी एवं निरिचन स्थान पर गंती नहीं करते। वे लोग कभी एक स्थान पर, कभी दूसरे स्थान पर और कभी तीसरे स्थान पर रोती करते हैं। इस प्रकार ये

जगलों द्वाे नष्ट करके रोती वे लिए स्थान बनाते रहते हैं। जगलों को जला कर साफ करने की क्रिया द्वाे अरब में 'भूमिग क्रिया' रहते हैं।

(५) अनियन्त्रित चराई—जिहार, उझीला, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पश्चिमांश द्वारा जगलों की अन्यथिक अनियन्त्रित चराई होती है। सरकार के द्वारा इस पर योई नियन्त्रण न होने के पारण स्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है।

भूमि-क्षरण की हानियाँ

भूमि-क्षरण से होनेवाली प्रमुख हानियाँ निम्नलिखित हैं—

(१) भूमि की उत्पादन शक्ति का घास—भूमि वी ऊपरी सतह के उड़ जाने अथवा कट जाने से भूमि की उत्पादन शक्ति कम हो जाती है।

(२) भूमि से पौधों की धुराक एक बढ़ी मात्रा में उड़ जाती है—भूमि की ऊपरी सतह के शक्तिहीन हो जाने के कारण, नीचे की सतह याली भूमि भी कमज़ोर होने लगती है और वह टीके से पानी को सोए नहीं पाती।

(३) कुओं एवं जलस्रोतों का जल स्तर नीचा हो जाता है—भूमि में पानी सौख्यने की शक्ति कम हो जाने के कारण जलाशयों का जल स्तर नीचा हो जाता है।

(४) बछार एवं कगारों का निर्माण हो जाता है—भूमि के निरन्तर कटाव से भूमि कमारी तथा कटायदार हो जाती है जिससे भूमि सेती योग्य नहीं रहती। यह दुखद स्थिति उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्राय दृष्टिगोचर होती है।

(५) बाढ़ आने की सम्भावना रहती है—वनस्पति के समाप्त हो जाने से जल नियंत्रण एक बड़ा भाग न बचता व्यर्थ बह घर नाट हो जाता है बल्कि देश में बाढ़ आदि आ जाने की आशका भी रहती है।

(६) सिंचाई में वाधा पड़ती है—भूमि-क्षरण के फलस्वरूप नदिया, नहरा तथा जलाशयों के दोनों ओर गालू (रेती) एवं बढ़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाती है। इससे सिंचाई की व्यवस्था में अड़चन पड़ती है।

(७) नीचालन (Navigation) में वाधा पड़ती है—नदी, नहरा आदि नीचे में मिट्टी (गालू) आदि के जम जाने से जल मार्ग नीचालन के ग्रयोग्य हो जाते हैं। इससे जल यातायात को वापी हानि होती है।

(८) सरकारी व्यवस्था बढ़ जाता है—पानी के निकास के मार्गों (drainage) आदि के साफ करने में सरकार की रचने एवं कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

(९) जगली जानवर तथा आदिवासी—इनके प्रश्रय (shelter) तथा भोजन के साधन कम हो जाते हैं और वे नगर के लोगों को परेशान करने लगते हैं।

भूमि क्षरण को रोकने के तरीके

भूमि क्षरण की समस्या आनंदेश के लिए एवं जटिल समस्या है। सबुत राज्य अमरीका और लंग ने इस समस्या पर निवाय प्राप्त करली है। भारत को भी इस समस्या का बोई न थोड़ा हल निरालना है। भारत में भूमि क्षरण का रोकने के लिए निम्न उपायों को अपनाना होगा —

(१) उच्चम भूमि प्रयोग कार्यक्रम को अपनाना चाहिए—इस कार्यक्रम के अतर्गत उन सभ उपायों को अपनाना चाहिए जिन्हें भूमि का सर्वोत्तम प्रयोग हो सके। उदाहरणार्थ ऐसी भूमि को जो खेती य सर्वथा अयोग्य हो, वहाँ पर घने जगत लगाने चाहिए। ऐसी भूमि जो ढालू हो और जिस पर धारु आदि जम सकती हो वहा स्थायी रूप से धार को उगने दिया जाय। १०% से अधिक ढाल वाली भूमि को जहाँ तक हो सके धार अपना खेड़ी से आच्छादित रखना चाहिए।

(२) फसलों का हेर कर (Rotation) होना चाहिए—ऐसी भूमि जहाँ बटाय वी समाजना हो, वहाँ पर चर पर्यन्त खेती करना चाहिए और निरोक्त ऐसे अवसरों पर जब कि वर्षा होने वाली हो।

(३) बर्ना का यथासम्भव संरक्षण करना चाहिए।

(४) ढालू भूमि पर समोन्च रेताओं (contours) के समानान्तर जोत कर पट्टीदार खेती (strip cropping) करना चाहिए। इससे पानी रक्ता है, और मिट्टी काटने की शक्ति कम होती है। लम्बे ढाल पर छोटे छोटे भागों में नियमित कर भूमि क्षरण कम होता है।

(५) यात्रिक निधियाँ—भूमि-क्षरण को रोकने के लिए यात्रिक (mechanical) निधियों को भी अपनाना होगा। इसमें शार्डा (dams), चूतरों (terraces), अतिरिक्त जल को नियशालने वाली नालियाँ आदि का नियमाण सम्मिलित है। इन सभ नियमाणों का उद्देश्य यह होने हुए पाना की मात्रा व धग कम करना है, जिससे मिट्टी का बगाय कम हो।

(६) सड़ बन्द करना (Gully Plugging)—यदि भूमि के बटाय य कारण मिली क्षेत्र में यथा सड़ बहुत ही गंभीर हो तो उह बढ़ कर देना अथवा पाठ देना चाहिए। सड़ नियशालन का सरणे सल्ला और नियशसनीय तरीका यह है कि समृद्धि सड़ में बैनसनि उगाना चाहिए और उस प्रकृति के ऊपर छोड़ देना चाहिए। यदि सड़ नहीं होने के कारण वहाँ समृद्धि सड़ में बैनसनि वो लगाना सम्भव न हो तो कम कम सिरे तथा गंगलों (heads and sides) में तो बैनसनि लगाना ही देना चाहिए। अनेक छोट भागे नांदा (dams) की बनाना चाहिए। ये बांध प्राय बुने हुए तार (woven wire), बश (brush), चलायमान चट्टानों (loose rocks), झाट (plants) आदि के बने होते हैं।

(७) किसानों को रिक्ता—भूमि सरकारण के सम्बन्ध में रियानों की भी सहायता लेनी चाहिए। भूमि कदाच को रोपने के छोटे मोटे तरीके उन्हें मालूम होने चाहिए, जिससे वे पहले ही ग्रावरेशन व्यवस्था बरते रहें। सरकार द्वा इस सम्बन्ध में नियानों की पूरी पूरी सहायता बरनी चाहिए।

(८) यना की अनियन्त्रित चराई (free grazing) को नियमित बरना चाहिए।

योजनाओं के अन्तर्गत भूमि-सरकारण

प्रथम पचवर्षीय योजना—इसके अन्तर्गत भूमि सरकारण के कार्य क्षमा पर चेन्द्रीय सरकार ने २ करोड़ रुपये व्यय करने का प्राविधान दिया था। राज्य सरकारों की योजनाएँ, तथा उनके द्वारा किया जाने वाला व्यय इसमें शामिल नहीं है।

योजना के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में निम्न कार्य दिये गये हैं—

(१) २५० कृषि व वन अधिकारियों को भूमि-सरकारण (soil conservation) की विधियां के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया गया है।

(२) पांच ‘अनुसन्धान व प्रशिक्षण केन्द्र’ (Research cum Training Centres) देहरादून, बोटा, बहादुर (उत्तरी गुजरात), बेलारी और उठकमड़ और जोधपुर में स्थापित किये गये हैं।

(३) ११ आदर्श योजना केन्द्र (Pilot Projects) नम्बई, आन्ध्र, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, मद्रास, पंजाब, सौराष्ट्र, निमाकुर नोचीन, अजमेर, कच्छ और मणिपुर में खोले गये हैं। मद्रास और केरल के आदर्श योजना केन्द्रों को ‘नियास योजनाओं’ (Development Projects) में बदल दिया गया है।

(४) देहरादून में मिट्टी के कदाच सरकारण से सम्बन्धित समस्याओं पर योजने के लिए एक ‘वन अनुसन्धान संस्था’ (Forest Research Institute) की स्थापना की गई है।

(५) सन् १९५३ ई० में राष्ट्रीय भूमि सरकारण का वार्षिकम नामे के लिए एक ‘चेन्द्रीय सरकारण मण्डल’ (Central Soil Conservation Board) स्थापित किया गया है।

(६) योजना काल में विभिन्न राज्यों में लगभग सात लाख एकड़ भूमि पर उपरोक्त उपायों के कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया है। इस क्षेत्रफल (७ लाख एकड़ भूमि) का तुम्हा केवल अर्बद्वय में है।

द्वितीय पचवर्षीय योजना—इसमें भूमि सरकारण सम्बन्धी कार्यों के लिए चेन्द्रीय रूपये का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट चाले २ में एक फरोड़ एकड़ भूमि के पर्यवेक्षण (survey), वर्गीकरण विवरण इत्यु ६५ लाख रूपये की व्यवस्था की गई है।

योजना काल में—

(१) ५० लाख एकड़ि में भी आर्थिक भूमि पर विशेष स्प से भूसंरक्षण का कार्य रिया जावेगा।

(२) लगभग ४,००० में भी आर्थिक कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में प्रशिद्ध दिया जावेगा।

(३) निसाना को भूसंरक्षण सम्बन्धी शान बराने के लिए अनेक प्रदर्शन केंद्र (Demonstration Centres) स्थापित दिये गये हैं।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार भूमि व्यवण की समस्या के निवारणार्थ कभी प्रयत्नशील है। आशा है कि भारतीय निसान तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्ति ग्रप्तना योग प्रदान करक सरकार की योजनाओं को सफल बनावेंगे।

जलवायु

जलवायु का किसी देश के आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव पहता है। देश म पाये जाने वाले पशु तथा वन सम्पत्ति, देशभासिया की कार्यक्रमना, मानवीय आप्रश्यकताएँ और उद्योग धन्या की स्थिति राष्ट्रीय बुद्धि जलवायु के द्वारा निर्धारित होते हैं। सम्भवा तो जलवायु की उपन वहलाती है। किसी भी अन्य देश में बहुआधा वा उत्तादन जलवायु पर इतना निर्भर नहीं जितना भारतपर म है। भारत एवं इसी प्रधान देश है और यहाँ असल्य निमान अपनी गेती की उपलब्धता के लिए आवाशी वा और आशा भरी हॉट र निहारन रहन हैं। उरुमुन और सामयिक जल-नृष्टि ही उनमा मात्र है। जलवायु भारतीय जीवन-र इसी सम्बन्धी नहीं, वरन् ग्रन्यान्य पहलुओं पर भी प्रभाव डालती है। हमारा छन सहन, वप्पें, धर, सड़ने, गेल, मौजन व स्वास्थ्य और कार्य शक्ति सभी बुद्धि जलवायु पर निर्भर रहते हैं।

भारतपर भूमध्य ग्रना के उत्तर म ८° से ३७° अक्षांश के अन्तर्गत पैदा हुआ है। कक्ष राना इसका दा भाग म विभाजन रखती है—उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। उत्तरी भाग की जलवायु शानदार है। दक्षिणी भारत भूमध्य ग्रना की पटी म ग्राना है अतएव यहाँ तापमान खाल भर ऊँचा रहता है और ज्ञार्डी तथा गर्विया र तापमान म बहुत रम अन्न रहता है। तांदीय प्रदेशों की जलवायु शीतोष्ण है। देश म विभिन्न प्रसार की जलवायु पाये जान र नारण विभिन्न प्रसार की गेती, विभिन्न प्रसार के लाग तथा विभिन्न प्रसार के उद्योग धन्ये भी पाये जाते हैं।

वनस्पति एवं पशु

विस्तीर्ण देश की मौजालिक, भूगर्भिक एवं जलवायु सम्बन्धी अप्रस्थ ही उस देश की बनस्ति एवं पशु भव्यानि को निर्धारित करती है। भारतपर में ये दशाएँ इतनी

विभिन्न हैं जिन पर बनस्पति पर पशु सम्बन्धीय विभिन्न प्रकार की होती है। उत्तर प्रदेशीय, शीतोष्ण प्रदेशीय तथा पर्वतीय सभी प्रकार की बनस्पति इस देश में पाई जाती हैं।

भारत में बन समस्या (Forest Resources in India)

देश के अधिकांश भाग में उत्तर प्रदेशीय बनस्पति है। यहाँ पर भड़-भड़ तथा विभिन्न प्रकार के बन पाये जाने हैं, जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण निषिद्धि है। भारत में यन्हाँ का चेत्रफल २६८ वर्ग मील है। यह चेत्रफल दरा के कुल चेत्रफल का लगभग २१% भूमिका है। खोजित रूप में प्रति वर्ष बन चेत्रफल ३५ हेक्टर, समुक्त राज्य अमरीका में ८ हेक्टर तथा भारत में ८० हेक्टर है। इससे ज्ञात होता है कि भारत में यन्हाँ का चेत्रफल अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। यही नहीं यहाँ पर यन्हाँ का वितरण भी बहुत असमान है और प्रति वर्ष प्रति एकड़ उत्पादन भी इन्हें ३० फीट (c ft) है जो इस देश की अपेक्षा बहुत कम है। उदाहरणार्थ यह उत्पादन काल्पनिक में ५३८, जापान में ३७० तथा समुक्त राज्य अमरीका में १८० फीट फीट है। इन तथ्यों को इटिवोए में रखते हुए सन् १९५२ के 'राजीव बन नीति प्रस्ताव' के अन्तर्गत यह प्रस्तावित किया गया जिसे धीरे धीरे बना का चेत्रफल बढ़ा कर कुल भूमि के चेत्रफल के ३३% तक बढ़ावा दी गयी है। इस अभियुक्त चेत्रफल का अनुगत पहाड़ी ज़ोड़ों में ६% तथा मैदानों में २०% होगा।

भारतीय बनों नी एक निरोपता तथा अभाव यह भी है कि यहाँ पर विभिन्न राज्यों में बन का वितरण भी बहुत असमान है। उदाहरणार्थ भारत ने उत्तरी पश्चिमी भाग में ११% तथा रुद्रगीर क्षेत्र में ४४% है। प्रथम पचासवार्षीय योजना में विभिन्न राज्यों के बनों के चेत्रफल सम्बन्धीय जो आनंद दिये गये हैं उससे टक्के कठन की पुष्टि होती है।

राज्य	भू चैप का बनों के अन्तर्गत चेत्रफल
उडीसा	७.६
उत्तर प्रदेश	११.२
पञ्चाब	१२.३
मिश्र	२०.१
पश्चिमी भाग	२०.६
मद्रास	२२.५
आसाम	२४.५
मध्य प्रदेश	३१.४
अंडमान तथा निकोबार	८५.८

*India, 1960 p. 254.

†द्वितीय पचासवार्षीय योजना, पृष्ठ २६८।

भारतवर्ष में यातायात सम्बन्धी बटिनाहायां तथा कुछ ग्रन्थ बटिनाइयों के बारण घनों का केवल ५५.३% ही व्यापार योग्य है और ४४.७% व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभदायक नहीं है।

बनों का महत्व

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वन-सम्बन्धि का नहा महत्वपूर्ण स्थान होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तो नि सदैह इन घनों का यहा भागी महल है। योजना आयोग ने भी इनसी महत्ता को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। यदि रुप, समुन्न राज्य अमेरीका और ब्राज़ील को जहाँ तक प्रचुर मात्रा में वन पाये जाने हैं, तो उन्हें तो भारत में सुधार का सर्वसे अधिक वन क्षेत्र है। उत्तादक्षिण के दृष्टिकोण से भी इनसा राज्य अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। यन् १९५५-५६ में घनों से प्राप्त वीमती लकड़ी तथा गोण (timber) उन्ना का मूल्य क्रमशः २४,४६,२८,००० रुपये तथा ८,०२,७४,००० रुपये था।*

घनों के प्रकार (Kinds of Forests)—भारतवर्ष में निमित्त प्रकार की जलवायु पाये जाने के कारण निमित्त प्रकार के वन भी पाये जाते हैं। साधारण रूप से वनों को निम्न गिमारी में विभाजित किया जा सकता है—


- (१) शुष्क वन (Arid Forests)
- (२) पतझड़ी वन (Deciduous Forests)
- (३) सदानन्दार वन (Evergreen Forests)
- (४) पर्वतीय वन (Mountain Forests)
- (५) देल्टा वन (Tidal or Mangrove Forests)

(१) शुष्क वन—ये उन ऐसे शुष्क तोनों में पाये जाने हैं जहाँ २० इन से कम जल नहीं होती है। जैसे राजस्थान तथा दक्षिणी पाकाम। इस प्रकार के घनों में चौल खोड़े से दृढ़ पाये जाते हैं जो नदी नी गढ़ त कारण जीकिं रहते हैं जैसे बहूल और वीकर के पेड़।

(२) पतझड़ी वन—इनको मानस्त्री वन भी कहते हैं। इन घनों में ग्रन्थ वाय पेड़ नप के किसी भाग में पर्हान हो जाते हैं। अभिन्नतर ग्रीष्म शून्य से ही पानड़ प्राप्त हो जाता है। ये वन हिमालय की दशाई भ तथा दक्षिण के पठार के कुछ भागों में पैल हुए हैं। कागीन तथा भारू ने बहुत इन्हीं घनों में पाये जाते हैं।

(३) सदानन्दार वन—ये वन उन द्यानां में पाये जाते हैं जहाँ वर्षा अधिक होती है। इन घनों ने दृढ़ साल मर तक हर भरे रहते हैं। ये अधिनार पूर्णी हिमालय

प्रदेश तथा पश्चिमी घाट पर पाये जाने हैं। वहाँ में बॉस तथा वैत की प्रचुरता होती है।



चित्र २—प्राकृतिक वनस्पति

(४) पर्वतीय वन—ये वन पूर्वी हिमालय और असम में पाये जाते हैं। इन वनों में विशेष रूप से ग्रोर, भैक्नोलिया, लारल, देवदार, चीढ़, जलून जैसे वृक्ष होते हैं।

(५) डेलटा वन—ये वन उत्तर प्रदेशीय सदाजहार वन की भाँति होते हैं। उगने वाले पेड़ों की नीची छालें भूमि में पहुँच कर जड़ें वन जाती हैं और भूमि में समाजाती हैं। ये वन बहुत धने होते हैं। भारतगत में इस प्रकार के वन पूर्वी तट पर स्थित डेल्टों में पाये जाते हैं। गगा के डेल्टे का मुख्य वन इसमा सर्पेन्ट उदाहरण है।

वनों का वर्गीकरण (Classification of Forests)

भारतीय वनों का वर्गीकरण विभिन्न हाइकोलोजी से विभिन्न रूपों में किया जा सकता है। चार विभिन्न हाइकोलोजी से इनका विभाजन इस प्रकार है—

१. प्रशासन के द्वायिकोण से—

(१) सचिन वन (Reserved Forests)

(२) रक्षित वन (Protected Forests)

(३) अविभाजित वन (Unclassified Forests)

सर्वप्रथम उन् १९६५ म बना क महार को रिदेशी सरकार ने समझा और इसा बध एक बन अधिनियम पास किया। बना की रक्षा तथा प्रिमाल के लिए कन्द्राय तथा प्राक्तीय (अप राज्यीय) विभाग की स्थाना की गई। बना क सम्बन्ध में सब् १९७८ और उन् १९८० क भी बन अनेक अधिनियम भी पार किय गय। बना का विभाजन भी उपरोक्त तिथि से किया गया।

सचित (Reserve) बन य होता है, जिनका नलगायु तथा भौतिक पारणी मुख्यतः उनाव रखना जहुत आवश्यक होता है। इन पर कन्द्राय सरकार का कार न रहता है। रक्षित (Protected) बन य होता है जिनसे व्यापारिक दृष्टिकोण महबूर्य वस्तुएँ प्राप्त होती हैं। इन बना को ठर पर उत्तरादिया जाता है। इन बना पर सरकार का इतना कठोर नियन्त्रण नहीं होता जितना उन सचित बना पर। अविभाजित (Unclassified) बन य होता है, जिनसे सामाजिक मूल्य की लकड़ा तथा चारा आदि प्राप्त होता है। इन बना म पशु चराने और लमड़ी काटने पर काइ प्राप्तवाद नहीं होता। स्वाक्षर सरकार का इन बना पर उपरोक्त दाना बना का अपश्य नियन्त्रण जहुत बन होता है।

इस समय इन बना की स्थिति इस प्रसार है—

(बग माल)

बन	१९५०-५१	१९५५-५६
सचित (Reserved)	२,३८,६७५	१,३८,७८१
रक्षित (Protected)	४५,५३२	६४,६११
अविभाजित (Unclassified)	६८,७२५	६४,६५५
योग	२,७७,२३२	२,३८,७०१

२. उत्पादन (Outturn) क वर्णनालय म

इस दृष्टिकोण से बना का दो भागों म विभाजित किया जा सकता है—

- (१) व्यापारिक (Merchandise) तथा
- (२) अप्राप्य (Inaccessible)।

व्यावसायिक बनों से तात्पर्य ऐसे बनों से है, जहाँ सुगमता से पहुँचा जा सकता है और ऐसी वस्तुओं को जो इस व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्योग न स्थानों तक पहुँचाया जा सकता है।

अप्राप्य बनों से तात्पर्य ऐसे बनों से है जो इतने धने व दुर्गम स्थानों पर दखले हैं कि उनको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। ऐसे बन भयानक जगली जीव जनुओं के निवास के गढ़ होते हैं।

इन बनों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है—

	(वर्ग मील)	
	१८५० ५१	१८५५ ५६
१. व्यापारिक (Merchantable)	२,२५,७१४	२,२५,१३८
२. अप्राप्य (Inaccessible)	५१,५१८	५३,५६२
योग		२,७७,२३२। २,६८,७०३
३. सरचना (Composition) के दृष्टिरौप्त से		

इस दृष्टिरौप्त से बनों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—

(१) महीन पत्ती वाले (Coniferous)।

(२) चौड़ी पत्ती वाले (Broad leaved)।

इन बनों की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है—**

	(वर्ग मील)	
	१८५० ५१	१८५५ ५६
१. महान पत्ती वाले बन	१४,१०७	६,७३६
२. चौड़ी पत्ती वाले बन .	.	.
(अ) साल	४०,७४७	४०,४४८
(ब) दीरु	१६,७८४	२२,४४५
(ग) निनिधि	२,०५,६८८	१,६६,०७१

* India, 1960, p. 214.

** Ibid, 1960, p. 214.

४. स्वामित्व के हांटिकोण से

इस हांटिकोण से बनों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है

(१) राज्य वन (State Forests),

(२) संस्थाओं (Corporations) वे वन, तथा

(३) निजी वन (Private Forests)

उन १६५२ वर्ग में इनमें ज्ञेनफल क्रमशः २७०, ३ तथा १० हजार वर्ग मील था।

वनों का आर्थिक महत्व

यह समस्ति छिक्की देश के आर्थिक जीवन में विशेष महत्व रखती है। वनों का आर्थिक महत्व उपर्युक्त व लिए हमें वनों से हमें वाले विभिन्न लाभों की ओर दृष्टि ढालनी पड़ेगी। ये लाभ मुख्यतः दी प्रकार के होते हैं—प्रत्यक्ष लाभ एवं परोक्ष लाभ।

प्रत्यक्ष लाभ (Direct Advantages)

वनों से प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ एवं सामग्री वो हम वनों से 'प्रत्यक्ष लाभ' के अन्तर्गत समिलित करते हैं। प्रमुख प्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित हैं—

(१) सहकारी आव—वन राजनीत्य आव का एक प्रमुख स्रोत है। प्रत्येक वर्ष सरकार को देश की वन समस्ति से पर्याप्त आव होती है। ग्रीष्म ऋतु में सरकार का वनों से प्राप्त वर्षीय लगभग १२ करोड़ रुपये से अधिक वीच आव होती है।

(२) घटुभूत्य लकड़ी—वनों से घटुभूत्य इमारती लकड़ी के ग्रनिटिक इंधन व उपयुक्त लकड़ी भी प्राप्त होती है। उन् १६५२ वर्ग में २४,५६,२८,००० वर्ग के मूल्य की इमारती एवं जानाने वाली लकड़ी प्राप्त हुई।

(३) कच्चा माल—भारत के कुछ महत्वपूर्ण उद्योग अरबी कच्चे माल की उपलब्धता के लिए वनों पर ही निर्भर करते हैं। जैसे दियाललाई उद्योग, बागान उद्योग, रसायन उद्योग, रेशम व रेखन उद्योग हथाहि।

(४) विशिष्ट—उत्तोल लाभों के ग्रनिटिक वनों से व्याप्त प्रकार के उपयोगी पदार्थ मी प्राप्त होते हैं, जैसे जड़ी फूटिया, लाय, गोद, द्याल, पसिर्यों तथा पशुओं के लिए चारा आदि।

अप्रत्यक्ष लाभ (Indirect Advantages)

(१) वर्षी में सहायता—वनों से देश में वर्षी होने में जड़ा सहायता मिलती है। उनमें जमी नमाये रहने की शक्ति होने के कारण मात्र युक्त होते हैं उनसे और आहुति होती है जिससे सभी वस्तुतां प्रदेशों में वर्षी होती है।

(२) भूमि चारण परोक्ष—देश की भूमि-चारण जैसी गम्भीर समस्या को

हल करने में भी वन महत्वपूर्ण योग देते हैं। वनों द्वारा मिट्टी के कटाव पर एक प्रभाव की रोक लग जाती है।

(३) बाढ़ पर नियंत्रण—वन चाह को रोकने में सहायता होते हैं क्योंकि बढ़ते हुए पानी के तीक्ष्ण बेग को पेड़ पौधे बम दर देते हैं।

(४) वन रोजगार के साधन—देश की जनसंख्या के एवं भारी भाग को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होता है।

(५) वन तूफानी हवाओं को नियन्त्रित करते हैं।

(६) वन बातावरण के तापमान को कम करते हैं।

(७) वन रेगिस्तान के विस्तार पर रोक लगाते हैं।

सरकार की वन-नीति Importance

देश की अर्थव्यवस्था में वनों का अत्यधिक महत्व होने के कारण सरकार ने वनों के नियन्त्रण एवं विकास के लिए समुचित नीति का निर्माण किया है। सब प्रथम सन् १९४४ में वन सम्बन्धी सरकारी नीति वी घोषणा की गई थी, जिसके अन्तर्गत देश के वनों को तीन बगों में विभक्त विषय गया था—सुरक्षित, रक्षित एवं वर्ग रहित।

इस वन-नीति वी प्रमुख बातें सन्तुष्टि में इस प्रकार हैं। यदेशी सरकार की यह नीति अधिक प्रभाव पूर्ण नहीं रही। वनों के विस्तार और सुरक्षा की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। वनों के योजनात्मक विकास एवं सुरक्षा के लिए १३ जून, १९५२ को राष्ट्रीय सरकार ने अपनी नवीन नीति घोषित की। इस नीति की प्रमुख बातें निम्नान्ति थीं—

(१) तटीय क्षेत्रों में समुद्री रेत के आक्रमण तथा राजस्थान के बढ़ते हुए रेगिस्तानी इलाकों को रोकने के लिए तथा भूमि के कटाव को रोकने के लिए वृक्षों वा पुनरारोपण करना तथा वृक्षों की निरन्तर निर्दिय कटाई को रोकना।

(२) इमारती तथा जलाने वाली लकड़ी की प्राप्ति के लिए तथा पशुओं के लिए चरणगाह बनाये रापना।

(३) देश की जलवायु और भौतिक दशाओं में सुधार करने के लिए वृक्षों का पुनरारोपण करना।

(४) निजी वनों पर सरकारी नियमन तथा नियन्त्रण रखना।

(५) सरकार के लिए निरन्तर अधिकतम वार्षिक आय प्राप्त करने में सहायता देना।

(६) ऐसी व्यवस्था करना जिससे राज्य सरकारें राष्ट्रीय वन नीति के आगार पर अपनी वन नीति बना सकें।

— 'योजनाओं के आतंगत बनों का विकास

प्रथम पचार्षीय योजना ने अनंतगत कदाच एवं राष्ट्र सरकारी द्वारा ११.७० करोड़ रुपये राष्ट्र नगरों की व्यवस्था था। इसमें से २ करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार द्वारा और ८.७० करोड़ रुपये राष्ट्र सरकारी द्वारा व्यवस्था जाने थे।

योजना में चार जना पर विशाप ज्ञान दिया गया था—

(१) जना म सड़कों पर जनाया जावा जिसमें वन पटाखों का ग्राहन रखने में जुना है।

(२) भूमि नगरा से दृष्टित भागों पर वन लगाये जावें।

(३) प्रामाण्य जना म जलाने वाली लकड़ा या व्यापका करों ने लिए जानी लगाना।

(४) युद्धगत म निष्पत्ति जना रा पुनर्निर्माण रखा।

योजना काल म राष्ट्र सरकारी ने ७५,००० एकड़ से भी अधिक चेत्र म नवे यन लगाय। वनों ने ग्रादर लगभग ३,००० माल लकड़ी सड़कों वा निमाण तथा सुधार हुए। सरकार ने निर्वी व्याकल्प र स्थानिक नदा बराड़ से भी अधिक जगहों का अपने हाथ म ले लिया। सन १९५२ म 'न अनुसधान संस्था' स्थापित थी। इसक अतिरिक्त 'वन भूमि की सुरक्षा' तथा वन सम्बद्धी शिक्षा का प्रबन्ध किया। योजना काल म वन तथा भूमि की सुरक्षा पर १२ करोड़ रुपय व्यवस्था दिय गये।

योजना काल के अन म 'वान एवं हृषि संगठन' (F A O) तथा (ECAFE) ने सहयोग से देश म लकड़ी सम्बद्धी परिवेश विश्वास दिया गया। इस पर वैकल्प वा उद्देश लकड़ी तथा अन्य नगलान वस्तुओं का गम्भीर म आवश्यक अनुकूल एवं विकास करना था। इस परिवेश (Survey) र पलस्वरप वन सम्बद्धी वस्तुओं का माग और पूर्ति की साई पट जामनी।

द्वितीय पचार्षीय योजना म वन विकास के लिए २७ करोड़ रुपये का प्राप्तिशान दिया गया है। राज्यीय सरकार वन विभाग योजनाकारी र सम्बद्धी म रोज़ (Research), विद्या, प्रश्नान् तथा समन्वय नगलाना लकड़ी राष्ट्र सरकारे इन योजनाओं का वार्ता रूप म परिणत होंगी। 'द एडल ना' आफ परिस्टी' भालीप वनों सम्बद्धा समस्याओं की मुलभाना है और यासम्भव सहायता पहुंचाता है। देश एवं वन सम्बद्धा आकर्षी का एकत्रित करने र लिए, जनार रा अध्ययन करने व लिए, यन सम्बद्धी विधियों की तात्पत्र ज्ञाना का विकास करने के लिए 'न आयोग' स्थापित करने का मुमाल दिया गया है।

योजना न अतांगत विभाग कार्यक्रमों की संनिधि रूपरेता इति प्रकार है—

(१) वन हेतुफल में बृद्धि—नहरा, सड़का, व बेवार यमि पर दृढ़ा को लगा एवं वन द्वे ग्राम में लगभग ३,८०,००० एकड़ी की बृद्धि वी जावेगी।

(२) औद्योगिक एवं व्यापारिक महत्व की मूल्यवान लकड़ियाँ बाले दृढ़ा का आरोपण किया जावेगा।

(३) वन पदार्थों तथा वस्तुओं को प्राप्त करने के साधन। म सुधार एवं प्रिकास किया जावेगा।

(४) वन सम्पत्ति सम्बन्धी उपयुक्त आँकड़ा उक्तित बनाये जावेग।

(५) वन सम्बन्धी अनुराधान का विस्तार किया जायेग।

(६) वन सम्बन्धी वायों के लिए पर्याप्त सख्ता म कर्मचारी नियुक्त किये जावेग और उनक आवास वी भी व्यवस्था की जावेगी।

वन-सम्पत्ति की रक्षा एवं वन-महोत्सव

जैसा कि उपरोक्त विवेचन ऐ स्पष्ट है कि वन हमारे आर्थिक जीवन क एवं महत्वपूर्ण ग्राग हैं, जिसके कारण भारत जैसे दृष्टि प्रधान देश की प्रगति इन पर निर्भर करती है। परन्तु वर्षा को पर्याप्त एवं नियमित रूप म प्राप्त करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम अपने देश की वन-सम्पत्ति की रक्षा करें तथा उसक उत्तरोत्तर विकास के लिए प्रयास करें जायें। परन्तु खेद का विषय है कि लगभग विलूले ५० से अधिक वर्षों के बीच म हमारे देश की वन-सम्पत्ति को भारी क्षति पहुँची है। प्रथम महायुद्ध, द्वितीय महायुद्ध तन्त्रजनात् स्वतन्त्रा प्राप्ति के बाद देश क आर्थिक विकास के लिए बनाई गई प्रथम एवं द्वितीय पञ्चर्थीय योजनाओं म इन्ह भारी मात्रा म इमारी लकड़ी की आवश्यकता पड़ने तथा निस्तर बनसख्या की बृद्धि के फलस्वरूप नई नई वनिका प आपाद होने, नये-नये उद्योगों की म्याना, स्फुल रालज तथा ग्रन्थ इमास्ता क निर्माण के कारण देश की वन सम्पत्ति का भारी उदयोग हुआ है। इसलिए वह आवश्यक है कि वनों की रक्षा की जाय। इस उद्देश्य स प्रब्लेम वय जुलाई मास क प्रथम छठाह म 'वन महासभा' मनाया जाता है। इसक अवर्गन देश क विभिन्न स्थानों म पौव लगाये जाते हैं। परन्तु नवल नय नय पड़ा क लगा देने मान से ही हमारा उत्तरदायक समाज नहीं हो जाता। शाय देसा देसा जाता है कि प्रति वय 'वन महा सभा' क अन्तर्गत लगाये गय दृढ़ा का अधिनाय अमना वास्तविक आवृत्त फूटने के एवं ही सर हो जाता है। इसलिए वह आवश्यक है कि हम उनको उचित देख दें रखें।

खनिज सम्पत्ति

(Mineral Resources)

सातवां सम्पत्ति किमी देश की समृद्धि क सात होत है। खनिज सम्पत्ति

कारण ही ग्राज इगनेंड सहार में इतना समृद्धिशाली उत्तोग प्रधान देश बन सका है। रुस, अमेरिका, जर्मनी, प्राप्ति व अन्य योरोपियन देशों की उत्तरति का एकमात्र भारत उनकी धनवान उनिज सम्पत्ति व उसका निदोहन है। हमारे देश में कुछ उनिज पदार्थों की सीसा, ज़िक, ताँग, गधन तथा पंट्रोलियम को क्षोइकर और सभी उनिज पदार्थ बहुतायत से पाये जाते हैं। वह उनिज पदार्थ देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होते हैं और इन्हाने उन्नादन तथा यातायात के आनुनिक तरीकों में कानूनी दी है।

१९५८ में भारतवर्ष में सनन कार्य में लगभग ६,४७,००० व्यक्ति लगे हुए थे और ३,३०० लाख में कम हो रहा था। आधिक महत्वपूर्ण सनन केन्द्र आनंद प्रदेश, उडीसा, पश्चिमी बंगाल, निहार, मैसूर तथा राजस्थान में हैं। १९५७ में लानों से १ अरब २६ करोड़ २० लाख रुपये के मूल्य के उनिज पदार्थ निकाले गये। १९५८ में इनका परिमाण सम्पन्नी गूच्छनाव ११६५ (आधार वर्ष = १९५१ = १००) था। उनिज पदार्थों का निलार में अध्ययन इस प्रकार है:—

अनुमान लगाया गया है कि भारत में लोहे का भट्टार २१ अरब टन का है जो सहार के कुल भट्टार का एक चौथाई है। उडीसा, बंगाल, निहार, मध्य प्रदेश तथा मैसूर में हेमेटाइट लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। मैसेटाइट लोहा उडीसा, निहार, बंगाल, मैसूर तथा हिमाचल प्रदेश में पाया जाना है। पश्चिमी बंगाल में लाइ-गोनाइट लोहे का काफी बड़ा भट्टार है। देश में सभी-प्रकार के लोहे का भट्टार लगभग ६७६ अरब टन का है।

कोयला

स्वतन्त्र भारत की नीति सुल्लग्नित अर्थव्यवस्था पर उड़ी करने के लिए आजादी के जाद देश में बहुत से विकास कार्य शुरू हुए हैं। देश के औद्योगिकरण के लिए रोयला और इसान उत्तोग के विकास को प्रधानता की गई है। दूसरी योजना के अन्त तक ६ करोड़ टन कोयला निकालने का लक्ष्य रखा गया है।

भारत में २५ हजार वर्ग मील म ६० अरब टन सभी प्रकार के कोयले के भट्टार होने का अनुमान है। यह दुनिया भर के कोयले के भट्टारों का पाँचवाँ भाग है। भारत का कोयला क्षेत्र प्रिटेन के कोयला क्षेत्र के निश्चिना है।

कोयले की खुदाई का काम हमारे देश न लिए नया नहीं है। प्रकाशित स्वतन्त्राओं से पता चलता है कि सन् १९३४ म रानीगढ़ में कम गहरी पाने थीं। इसने ४० साल बाद कोयले का काम नये सिरे से शुरू हुआ और १६ की उम्र के मध्य तक रानीगढ़ में गहुत-सी कोयला पाने पांदी गई।


प्रमुख रोयला क्षेत्र रानीगढ़, भरिया, गिरीडीह, बोकारो, पैच, चांदा घाटी तथा गोद्वाना हैं।

१९५५ में दूसरी योजना के शुरू में देश में ३ करोड़ ८० लाख टन कोयला निकाला जाता था। दूसरी योजना के ६ करोड़ टन कोयले के उत्पादन के लक्ष्य का पूरा करने के लिए कोयले का उत्पादन २ करोड़ २० लाख टन बढ़ाना है।

निजी कोयला यानी के उत्पादन में १ करोड़ टन और सरकारी यानी के उत्पादन में १ करोड़ ३० लाख टन तृप्ति से इस कमी के पूरा होने की आशा है। १९५८ में इन यानीों से निजी चेन में ३ करोड़ ६५ लाख टन और सरकारी चेन में ५७ लाख टन कोयला निकाला गया। सन् १९५८ में दोनों चेनों में ४ करोड़ ६४ लाख टन कोयला निकाले जाने का अनुमान है।

रुच्चा लोहा (Iron Ore)

लौह उत्पादक देशों में भारत का हर्याँ स्थान है। सन् १९५८ में ६० लाख



चित्र ३—भारत के स्वनिज पदार्थ

मीट्रिक टन वर्षे लोहे का उत्पादन हुआ और जून १९५८ तक ३७,७१,००० टन लोहा निकाला गया। द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में १३५ लाख टन वर्षे लोहे का लक्ष्य रखा गया है। वर्षे लोहे के प्रमुख स्वनिज छेन बिहार और उड़ीसा राज्यों में स्थापित

है। अनुमान है कि यदि १५ लाख टन लोहा प्रति वर्ष नियाला जाय तब भी कच्चे लोहे का बोग १,००० वर्ष के लिए पर्याप्त होगा।

मैंगनीज (Manganese)

भारत, मैंगनीज पैदा करने वाले सभार के देशों में सर्वांग महत्वपूर्ण देश है। यहाँ प्रति वर्ष औसतन १५ लाख टन से अधिक मैंगनीज नियाला जाता है। यह बुल विश्व के उत्पादन का ३% है। इसका प्रयोग स्पान, रासायनिक पदार्थ, चिकित्सा तथा सीढ़ी की बस्तुएँ बनाने में किया जाता है। इसका उत्पादन अधिकतर भूम्य प्रदेश, मद्रास व मैसूर में होता है। युल उत्पादन का १०% देश के काम में लाया जाता है और शेष भाग ब्रिटेन व संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात कर दिया जाता है।

अनुमान है कि मैंगनीज का मध्यार लगभग १५ वर्षों के बढ़िया विस्म के हैं और शेष घटिया प्रकार यह है, जिसमें मैंगनीज धातु ४० प्रतिशत या इससे कम होती है। बढ़िया विस्म का मैंगनीज प्राय १० लाख टन प्रति वर्ष नियांत विद्या जाता है या फैरो मैंगनीज के उत्पादन के काम में लाया जाता है और उसके घटिया विस्म का मैंगनीज फैरो दिया जाता है।

२५-३० वर्ष पहले मैंगनीज धातु का धातुरम्भिक उत्पोग में बोई प्रयोग नहीं होता था, क्योंकि धातु का पिल्कुल पालिस आवार बनाना चाहिए था।

द्वितीय योजना में कच्चे मैंगनीज के उत्पादन का लक्ष्य २० लाख टन रखा गया है। १६५८ में कच्चे मैंगनीज का उत्पादन १२ लाख ५३ हजार मीट्रिक टन और नियांत ८ लाख ७६ हजार मीट्रिक टन हुआ। इस प्रकार इस वर्ष नियांत ५०% पट गया।

अभ्रक (Mica)

भारत में अभ्रक की पैदागार सभार में सबसे अधिक और सबसे बढ़िया किम्बरी हानी है। हमारा देश सभार का ८०% अभ्रक पैदा करता है। भारत में अभ्रक ३ ग्राम प्रदेश (६०० वर्ग मील), निहार (१,५०० वर्ग मील) तथा राजस्थान (१,२०० वर्ग मील) से प्राप्त होता है। निहार में सर्पेनेट अभ्रक प्राप्त होता है। भारत अपने उत्पादन का अधिकतर बिटेन को नियांत कर देता है। १६५९ में १२,५२,६७,७०१ रुपये का अभ्रक नियांत किया गया। इनका नियांत उत्पादक शहर किसी भी वर्ष में न हो सकता, यद्यपि प्रयत्न किये जाते रहे हैं। १६५३ में अभ्रक का नियांत ८,८७,६६,५५८ रुपये का मूल्य रखा था। नियांत बढ़ाने के उद्देश्य से 'अभ्रक नियांत समर्द्धा समिति' की स्थापना की गई है। सन् १६५८ में ३,१८,११००० मीट्रिक टन अभ्रक खाना से नियाला गया नियका मूल्य २,५१,६६००० रुपये था।

चाँचा (Copper)

ताँच के उत्पादन में सभार में भारत का २३ वाँ नम्बर है। ताँच विहार की

एक ह० मील की पट्टी में पाया जाता है। १६५८ में कन्या ताँगा वा उत्पादन ४,११, ४७१ मीट्रिक टन हुआ जिसका मूल्य २,२६,६८००० रुपये था।

साना (Gold) ३३० ९५३ J 240/25885

भारत में सारे वे उत्पादन वा खेल दो प्रतिशत साना (ग्राम २५८५) हैं। मैसूर राज्य की बोलार सोना यानों में सम्भवत १२ ह० लास टन सोने वा भरणार है। भारत के कुल उत्पादन वा ६६ प्रतिशत मैसूर की बोलार यानों से निकलता है। १६५८ में ५,२८८ क्लिओप्राइम (१,७०,११२ औंस) सोने वा उत्पादन हुआ जिसका मूल्य ४,६६,८८००० रुपये था।

बॉक्साइट (Bauxite)

बॉक्साइट का प्रयोग अधिकतर अलम्बूनियम के उत्प्रोग में होता है। यह भारत में व्यापक रूप से लगभग सभी स्थानों में मिलता है। जम्मू, गढ़वाल, विहार, मद्रास तथा मध्य प्रदेश इसके मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ कुल मिला कर इसके लगभग २५ करोड़ टन के भड़ार की सम्भावना है। नीनतम अनुमान के अनुसार भारत में २ ह० करोड़ टन बढ़िया किसम के बॉक्साइट का भड़ार है जिसमें से लगभग एक तिहाई भाग विहार में है। सन् १६५७ में १,३८,०६८ मीट्रिक टन बॉक्साइट का उत्पादन हुआ जिसका मूल्य १२,८४,००० रुपये था।

चोमाइट (Chromite)

चोमाइट मुख्यत उड़ीसा, विहार तथा मैसूर में भिरता है, भारत में कुल १३ २० लाख टन टन के भड़ार का अनुमान लगाया गया है। इसका उपयोग लोहे, इसात तथा क्रोमियम चाल आदि उत्प्रोग में होता है। सन् १६५८ में ६३,६५७ मीट्रिक टन चोमाइट वा उत्पादन निया गया जिसका मूल्य ३१,८६००० रुपये था।

इलमेनाइट

यह मुख्यत भारत के शूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र तटों के किनारे की रेत में पाया जाता है। भारत में इसके ३५ करोड़ टन के भड़ार का अनुमान लगाया गया है। सन् १६५८ में ३,१४,१२२ मीट्रिक टन इलमेनाइट का उत्पादन हुआ जिसका मूल्य १,८३,३६००० रुपये था।

नमक (Salt)

भारत भ नमक मुख्यत समुद्रस्तर स्थित नमक वारपाना, बम्बई तथा राजस्थान की भीलों और हिमाचल प्रदेश की सेंधा नमक वी यानों से पाया जाता है। सन् १६५८ में नमक " (सेंधा नमक छोड़कर) का उत्पादन ४२,२७००० मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ जिसका मूल्य ८,४३,३५००० रुपये था।

चिरिय अलीद खानज पदार्थ

अलीद लनिज पदार्थों में से जो अणु विलेपन के लिए प्रयुक्त होते हैं,

भारतीय अर्थशास्त्र एवं आर्थिक विकास

‘बेरिल’ राजस्थान और ‘मोनाजाइट’ बेरल में मिलता है। निहार में ऐसे ध्रुव से स्थान हैं जहाँ यूरेनियम निकाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त पिटकरी, एपाटाइट (एवं प्रनार का नमक), सप्तिया, ऐस्प्रस्टस, बेरियम चल्फेट, पेल्टिपार, रेह, गारनेट (लाल खनिज), काला सीसा, स्फटिक, शोरा तथा स्ट्रियाटाइट धातुएँ भी योजी धोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। जिसमें (दृढ़ करोड़ टन का सम्मानित भदार) पन्द्रह, मद्रास तथा राजस्थान में पाया जाता है। एपाटाइट के भदार मद्रास तथा निहार में हैं जिनमें २० लाख टन एपाटाइट सुगमता से प्राप्त रिया जा सकता है।

सन् १९५८ में खनिज खनिज पदार्थों का उत्पादन तथा उत्पादन मूल्य इस प्रकार

खनिज पदार्थों का उत्पादन (परिमाण तथा मूल्य) १९५८*

	परिमाण (Quantity) (मात्रिक टन में)	मूल्य (हजार रुपये) (Value)
धातु खनिज पदार्थ		
लौह		
फोमाइट (टन)	६३,६५७	३,१८६
लोहा (टन)	६१,३०,०००	४,८८१
मैग्नीज (टन)	१२,५३,०००	११,२,४२६
अलौह		
धॉर्डिटाइट (टन)	१,३८,०६८	१,२८४
तींगा (टन)	५,११,४७१	२,२,६६८
सोना (निलोग्राम)	५,२६१	४,६,६८८
इलेमेनाइट (टन)	३,१४,१९२	१,८,३३६
सीसा (टन)	५,३४१	१,६,३७
चाँदी (निलोग्राम)	३,४१६	५४८
जल्ता (टन)	७,२६१	२,०४६
धातु खनिज पदार्थ		
होरा (वैरेट)	१,५४०	३७०
मरनत (एमरल्ड) (कैरेट)	८०,०००	५०
जिंसम (टन)	७,६४,३६२	५,२१२
वच्चा अग्रवर (टन)	३१,८११	२,५,१६६
नमक (सैंधा नमक वा घोड़वर) (टन)	४२,२७,०००	८,४,३३५

भारतीय खान व्यूगे

दूसरी पचासीवां योजना में भारी उद्योगों के विवास पर जो अधिक जोर दिया गया है उसे देखने हुए भारतीय खान व्यूगे का कार्य पिशेष महत्व रखता है। खनिज राधनों के विवास और उपयोग के नामे में इस व्यूगे को जो विधित् काम होंगा गया

है उसके अलावा भी इस व्यूरो को मूल समाप्ति सनिज पदार्थों का पता लगाने और उनकी खुदाई का एक महत्व पड़ा कार्यक्रम पूरा बर्खा है। दूसरी पञ्चपर्याय योजना में व्यूरो ने निम्न महत्वपूर्ण (सर्वे) पर्यवेक्षण कार्य निया —

(१) राजस्थान में खेतबी और दरीगो-ताना भड़ारों का पर्यवेक्षण।

(२) पच्चा की हीरा साना का पर्यवेक्षण।

(३) अमरों भाजीक का पर्यवेक्षण।

इनके अलावा व्यूरो ने कोयला भड़ारों का पता लगाने और खुदाई का काम भी मौंपा गया था। जनपरी, १९५८ के अन्त तक १४६,६०० मीटर तक की खुदाई की जा चुकी थी जिसमें ७,८३७.५ लाख टन कोयले का पता लग चुका था। अक्टूबर, १९५८ के अंत तक ८,००० लाख टन का लक्ष्य प्राप्त करना है। व्यूरो ने अभी हाल में उडीसा के विरोध नामक स्थान में सनिज लोहे का पता लगाने का काम भी हाथ में लिया है।

उडीसा यान निगम—उडीसा यान निगम की स्थापना १५ नवम्बर १९५६ में, सार्वजनिक क्षेत्र में सनिज साधनों का उपयोग करने के बारे में सर्वे करने के लिए की गई थी। इस निगम ने पहली खुलाई १९५७ से लेकर २८ फरवरी, १९५८ तक वी अधिक में दो यानों पर काम निया। इन दोनों यानों से ७३,१४६.६ टन कर्बन लोहा निराला गया।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम—राष्ट्रीय खनिज विकास निगम १५ करोड़ रुपये की अधिकृत पैंडी से १५ नवम्बर, १९५८ में स्थापित किया गया था। यह निगम तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र में सनिज साधनों से लाभ उठाने का करने वाला। दीर्घालीन शापार पर जापान की इसात मिलां को कन्वेंशन लोहा देने के बारे में भारत सरकार का जापान सरकार से एक समझौता हुआ।

शक्ति साधन (Power Resources)

शक्ति के साधनों अथवा स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है —

(१) **क्षय (Exhaustible) साधन**—ये शक्ति के सन्ति बोय हैं जैसे कोयला, सनिज तेल तथा प्राकृतिक गैसें, और

(२) **अक्षय (Inexhaustible) साधन**—ये ये साधन हैं जिनकी पूर्ति प्रकृति के द्वारा निरन्तर होती रहती है, जैसे जलप्रपात (Waterfalls), हवाएँ तथा ज्वार माटे (Tides)। हवाओं व ज्वार माटे से शक्ति का उत्पादन एकदम प्रकृति के ऊपर निर्भर है।

किसी भी देश की ओरोगिर एवं आर्थिक प्रगति उसके व्यावसायिक (Commercial) शक्ति के सम्बन्धों—कोयला, मिन्तु तथा तेल—पर निर्भर होती है। यद्यपि भवित्व में प्रणु शक्ति (Atomic energy) भी व्यावसायिक तर पर प्राप्त ही समर्पणी परन्तु उसका प्रभाव भवित्व म अधिक प्रभावपूर्ण होने की सम्भावना नहीं है। कोयला, जिसने ओरोगिर क्रान्ति के समय म अन्य अव्यावसायिक शक्ति के साथना जैसे लकड़ी आदि की प्रतिस्थापित कर दिया, की महत्वा तेल के सामने २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में कम होती जा रही है। सत्य तो यह है कि ऐसा परिवर्तन पिछले तीस वर्षों से हुआ जैसा कि निम्न लालिका यह स्पष्ट है—

संसार में कार्य साधन रीति से प्रयुक्त शक्ति का आधार (World Pattern of Effectively Utilised Energy)

	कुल का प्रतिशत अशुद्ध दोनों	
	१९२३	१९५४
कोयला तथा लिनाइट (Coal and Lignite)	७७	५५
पेट्रोलियम ईंधन तथा प्राकृतिक गैस (Petroleum Fuel and Natural gas),	२०	५६
जल विद्युत (Hydro-Electricity)	३	६
मोटा	१००	१००

शक्ति के उपयोग के लिए ओरोग और सुखुक राज्य अमेरिका कोयला भवारी हे मध्यपूर्व (Middle east) तथा करीबियन (Caribbean) के तेल क्षेत्रों की ओर निरन्तर नहीं रहे हैं। सधारन कुल तल का उत्पादन भी वासी नहीं बढ़ गया है। १९२० में तेल का कुल उत्पादन १०० मिलियन टन था जो यह इकूल १९५४ में ८८० मिलियन टन हो गया। जल विद्युत का उत्पादन भी सधारन में बड़ी तीव्र गति से बढ़ रहा है, परन्तु उसना सधारन की कुल शक्ति प्रदाय (Supply) में योगदान अब मी अपेक्षाकृत नहुत कम है।

ओरोगिर हाइटि के अनियन्त्रित अन्य देशों की भाँति मारतामय में भी शक्ति के साधन बिन्द हैं। भारत की कुल शक्ति सम्बन्धी आपश्वक्ताओं की लगामग ८०%, पूर्ति इस समय गोदर (Animal dung), लकड़ी, इति की बेकार वस्तुओं (Agricultural Waste) इत्यादि, तथा जीवित शक्ति (मानवीय तथा दार्शनिक) से होती है, तथा शेष २०% शक्ति कोयला, तेल तथा चिजली से प्राप्त होती है। यदि

(३) बालदेवक, विश्वामित्रपठनम, और

(४) असम आँखल कम्पनी, डिगोइ (असम)।

डिगोइ रिफाइनरी (असम) सर्वप्रथम पुरानी रिफाइनरी है। इसका वार्षिक उत्पादन ६० मिलियन गैलन है जो कि देश की कुल आपूर्यकला का ७% पूरा बरता है। उपरोक्त चारीं रिफाइनरीज की उत्पादन क्षमता ४ मिलियन टन है और देश की पर्याप्ति मांग ५ मिलियन टन है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष तल की मांग में ८% वृद्धि हो जाती है। इस नदीती हुई मांग को पूरा करने के लिए दो और रिफाइनरीज सर्वेजनिप्प चेत्र में ८८ और द्विहार में सोली जानेगी। भारत में कच्चा तेल (Crude-oil) आपात विद्या जायगा और इन रिफाइनरीज में साप विद्या जायगा, इस प्रकार १० पर्सेंट रुपये प्रति वर्ष सोलाना की बचत होगी। बिजली का उत्पादन बढ़ने पर इसका आपात कम हो जायगा।

निम्न राज्य, पश्चिमिया (असम) तथा कैंगड़ा (पश्चात) जिलों में तेल क्षेत्र पाये जाने की सम्भासना है, परन्तु पिर भी और ग्राहिक तेल प्राप्त करने की समस्या नहीं ही-रहेगी। देश के वर्तमान औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की दर के अनुसार १९६१ में ५-५ मिलियन टन से अधिक और १९७१ तक २० मिलियन टन से ग्राहिक क्षेत्र तेल (Crude Oil) की आवश्यकता होने का अनुमान है। एवं अनुमान के अनुसार १९६५ तक इन भारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ३५० करोड़ रुपये के विनियोग की और १९७० तक इस विनियोग के दुगुने की आवश्यकता होगी। इन प्रकार तेल उद्योग में भारी पैंडी विरोध की आवश्यकता होगी, अत्यधिक तेल की पूर्ति के साथ सहज जायेगी।

प्रथम पचार्पीय योजना—इसमें पश्चात के यौगिक जिले, राजस्थान के जय सलमर तथा बच्छ के क्षम्भे ज़ोरों में तेल के अनुसन्धान सम्बन्धी पर्यावरण बराने की योजना थी। १९५२ तथा १९५५ में भारत सरकार ने Standard Vacuum Oil Co. Ltd., से परिचमी नगाल के खेलिन में सुखुम रूप से तेल की खोज करने का एक समझौता किया है। योजना की प्रगति की रिपोर्ट के अनुसार योजना का अनुसारी नियन्त्रित रूप से वायर चल रहा है।

वेद्यीय प्राकृतिक गाधन एवं वैज्ञानिक अनुसन्धान विभाग ने १९५५ में तेल एवं प्राकृतिक गैस विभाग (Oil and Natural Gas Division) तथा १९५५-५६ में जयसलमर क्षेत्र में विमानीय तेल सोन (Departmental Exploration) (of Oil) ग्रामम री। नेल योजना कार्य के गमन्य में कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कलाया एवं प्रार्थित (Technical) गवायता भी शामि रहा है।

द्वितीय पचार्पीय योजना—इसमें तेल-न्देश के अवैष्णव तथा रितास वायर में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। जयसलमर, काम्बे तथा ज्वालामुखी में

होने वाले कार्यों के लिए ११५ करोड़ रुपये ना प्राप्तिशान था, जो कि गढ़ में बढ़ा कर २० करोड़ रुपये कर दिया गया।

द्वितीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले योजनाओं में काफी प्रगति हुई है। १९५८-५९ में लागभग ८ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। परिचमी उगाल वेसिन में आवेषण सार्थक जारी है। नाहोरसटिया तेल क्षेत्र के निदोहन के लिए तथा एक पाइप लाइन बनाने एवं चलाने के लिए भारत सरकार और वर्मा आयल कम्पनी की साझेदारी में रूपी कम्पनी का निर्माण हुआ है। इस चर्चे तेल के शोधन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में दो रिफाइनरीज बनाने का विचार है। पाइप लाइन का निर्माण तथा रिफाइनरीज की स्थापना दो चरणों ('Stages) में की जावेगी। प्रथम चरण में नाहोरसटिया से गौहाटी तक एक पाइप लाइन डाली जावेगी जहाँ कि '७५ मिलियन टन की क्षमता की एक रिफाइनरी बनाई जावेगी। दूसरे चरण में पाइप लाइन बरौनी तक बढ़ा दी जावेगी जहाँ कि दूरारी रिफाइनरी बनाई जावेगी, जिसकी उत्पादन क्षमता १५ से २० मिलियन टन की होगी। रूपी कम्पनी तथा गौहाटी में बनने वाली रिफाइनरी में सरकार २४ करोड़ रुपये द्वितीय योजना बाल में व्यय करेगी।

सितंबर १९५८ में काम्बे में ६,५०० पीट की गहराई पर तेल पाया गया है। भूरिय में और तेल कूपों के पाये जाने की सम्भावना है।

१९५७ में मध्य पूर्वाय देश (Middle east) से २८,२६,२६,००० रुपये के मूल्य का कूड़ पेट्रोलियम आयात किया गया। १९५८ के प्रथम ८ महीनों में यही आयात ८,६७,०५,००० रुपये के मूल्य का किया गया।

पेट्रोलियम की विकास योजनाएँ

तेल और प्राकृतिक गैस कमीशन—तेल और प्राकृतिक गैस कमीशन ने तेल की योजना का काम और भी जोरों से शुरू कर दिया है। पजान के ज्यालामुखी क्षेत्र में तेल के लिए प्रारम्भिक खुदाई का काम हो रहा है। वहाँ गैस होने र मी कुछ संकेत मिले हैं। पजान के होशियारपुर क्षेत्र में परीक्षण के तौर पर एक कुआँ भी पोदा गया है। घरम के शिवसागर क्षेत्र में भी प्रारम्भिक खुदाई का काम जल्दी ही शुरू किया जायगा। नड़ीदा क्षेत्र में ऊपरी संह की खुदाई का काम हो रहा है। वहाँ गैस और तेल होने की सम्भावना का पता चला है।

भारत स्टेन्डर्ड वैकुम पेट्रोलियम परियोजना—इस योजना के अधीन जिसम सरकार के २५ प्रतिशत हिस्से हैं, स्टैण्डर्ड वैकुम आयल कम्पनी परिचमी उगाल के खेतियों में तेल की योजना का काम कर रही है।

आयल इंडिया लिमिटेड—वर्मा आयल कम्पनी और असम आयल कम्पनी ने साथ एक समझौते के अधीन १८ फरवरी, १९५८ को 'आयल इंडिया

'लिमिटेड' के नाम से एक कम्पनी स्थापित भी गई। इसमें सरकार के ३३% प्रतिशत हिस्से हैं। यह कम्पनी आसाम के नाहोरकटिया तेल खेतों से बिना साफ तिथा तेल निर्माणेगी और एक पाइप लाइन के जरिये यह तेल अब्दम और मिहार में स्थापित निये जाने वाले तेल साफ करने के बारेवाना तक पहुँचायेगी। पाइप लाइन नवाने का चाम दो चरणों में पूरा होगा। तेल साफ करने के इन बारेवानों के निर्माण और सञ्चालन के लिए इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड के नाम से एक सरकारी कम्पनी 'आरिन' की गई है। अब उस में खोले जाने वाले तेल साफ तरने के पहले बारेवाने लिए मशीनों तथा टेम्परेटर गहायता प्राप्त करने के लिए रुमानिया सरकार ने एक समझौता कर लिया गया है। मिहार के जीवी नामक स्थान में खोले जाने वाले दूसरे बारेवाने के लिए रिदेशा से इसी तरह भी गहायता प्राप्त तरने के लिए कार्यगाही की जा रही है।

प्राकृतिक गैस—आसाम के नाहोरकटिया क्षेत्र में तेल के साथ साथ प्राकृतिक गैस का काफी बड़ा मठार होने का पता चला है। इस सम्बन्ध में श्रभी जैव पद्धताल हो रही है कि इस गैस का उपयोग करने के लिए वहाँ कौन सीन के उत्तेज स्थापित किये जाएँ।

प्रियुत शक्ति के स्रोत (साधन) (Electric Power Resources)

गैरुंदी शक्तिकी के दूसरे दशक ने मध्य तक प्रियुत उत्पादन में ग्रहन ही कम प्रयोग की हुई। भार्च, १९५६ म रारेजनिक उत्पादन के प्रियुत उत्पन्न (Plants) की प्रस्थापित क्षमता (Installed Capacity) ३५,१९,५८६ किलोवाट थी। इसी अवधि में प्रियुत-उत्पादन भी बढ़कर १२ घण्टा ६६ करोड़ ४० लाख किलोवाट हो गया।

भारत का वार्षिक यानि व्यक्ति प्रियुत उत्पादन केवल १५ किलोवाट घटे है, जबकि नामें, कमाऊ, प्रिंटन, रुख तथा जामान का प्रति व्यक्ति प्रियुत उत्पादन क्रमशः ७,२५०, ५,४५०, २,०००, ६६०, तथा ८५० किलोवाट घटे हैं।

पश्चिम की ओर गहने वाली पश्चिमी धाट भी नदिया, पूर्व की ओर गहने वाली दक्षिण भारत की नदियों तथा मध्यमर्ता भारतीय पठार की नदियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय जल नया प्रियुत ग्राहणग, द्वारा इसे ग्राह्यनाम से पता चलता है कि इस ग्राहण (Commissions) की स्थिति म सुभार्द गई ११५ बड़ी योननाग्रा से लगभग १४७ करोड़ किलोवाट प्रियुत का उत्पादन किया जा सकता है। इस समय देश में अनुमानतः ४१० करोड़ किलोवाट से अधिक प्रियुत का उत्पादन किया जाना है।

प्रियुत विभास सम्बन्धी संगठन

भारत में प्रियुत-उत्पादन तथा उपर्युक्त विवरण की व्यवस्था लम्बे समय तक

१९१० के 'भारतीय विद्युत अधिनियम' के अनुसार होती रही। १९४८ में पालि 'विद्युत (उपलब्धि) अधिनियम' के अनुसार १९५० में 'फ़ैदीय विद्युत प्राधिकारी समन्वय'



चित्र ४—शक्ति के साधन

की स्थापना हुई और इसके अतिरिक्त आसम, केरल, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, बंगलादेश, बिहार, मद्रास, गण्डकी, मैसूरु नथा राजस्थान में विद्युत मण्डल (बोर्ड) स्थापित किये जा चुके हैं। स्वामिल सथा उपरोक्त

१९४५ तक विद्युत विभास का कार्य मुख्यतः प्राइवेट कम्पनियों के ही हाथ में था। गत दूसरे दशक में ही कुछ राज्यों में विद्युत-विभास योजनाओं पर कार्य करना आरम्भ किया गया। मार्च १९४८ में सार्वजनिक उपयोग में आने वाली ३६८ प्रति-शत विद्युत पर प्राइवेट कम्पनियों का ही स्वामिल था।

१९५८-५९ में घोलू, घासारिक, श्रीबोगिक, सार्वजनिक प्रयाण तथा दिनांक आदि की सुविधाओं के लिए कुल मिलाकर ३६१८ लाख उपरोक्ताओं ने विद्युत का उपयोग किया।

गांधीं में विजली

बुद्ध बड़े नियुक्त केन्द्रों में आमीण चेनों के लिए भी विजली पैदा की जाती है। आमीण चेनों में विजली लगाने के सम्बन्ध में अभी तक रेल ग्रान्ड प्रदेश, उत्तर प्रदेश केरल, पजाह, पश्चिमी बंगाल, बम्बई, विहार, मद्रास तथा मैसूर में ही बुद्ध प्रगति हुई है। मार्च १९५६ के अन्त में ५,६१,१०८ चेनों तथा गांधीं में विजली की व्यापत्ता थी। दोनों योजनाओं की विनुत् योजनाएँ

प्रथम योजना न शार्नेजनिक क्षेत्र में १४२ विनुत् विकास योजनाएँ समिलित हैं। उनमें से नहे नहु-डेशीय नदी धाटी योजना कार्य थ—मायदा नगल, हार्दिकुण्ड, २५ धाटी कारपोरेशन, चम्बल, रिन्द, कोयना तथा बोसी।

प्रथम योजना काल में जिन सुख्य विनुत् योजनाओं का कार्य पूरा हो गया तथा जिनमें विनुत्-उत्पादन आरम्भ हुआ, वे इष्ठ प्रगति हैं—

प्रस्थापित समता (मिलोगट)
[Installed Capacity Kwt.]

१. नगल (पजाह)	४८,०००
२. बोसारी (विहार)	१,५०,०००
३. चौल (कर्नाटक, बम्बई)	५४,०००
४. सापरगढ़ा (मध्य प्रदेश)	३०,०००
५. भोवार (मद्रास)	३६,०००
६. मद्रास नगर संयन्त्र (Plant) विस्तार (मद्रास)	३०,०००
७. मच्छुरेट (आन्ध्र प्रदेश—उडीसा)	३४,०००
८. पश्ची (उत्तर प्रदेश)	२०,०००
९. शारदा (उत्तर प्रदेश)	४१,५००
१०. चेनगुलम (कर्नल)	४८,०००
११. जोग (मैसूर)	७२,०००

मार्च १९५१ में विनुत् उत्पन्न करने वाले संयन्त्रों (Plants) की कुल प्रस्थापित समता (Installed Capacity) २०३ मिलियन मिलोगट थी। प्रथम योजना काल में इस समता १०१ मिलियन मिलोगट की बढ़ि हुई। योजना काल में ३,७०० अतिरिक्त चेनों तथा गांधीं में विजली पर्वत्वादं गई और प्रति वर्ष विजली का उत्पादन १९५०-५१ के १४ यूनिट से १९५५-५६ में २५ यूनिट हो गया।

द्वितीय योजना काल में विनुत् संयन्त्रों की समता ३४४ मिलियन मिलोगट गये ६०६ मिलियन मिलोगट करने वा विचार है। इस अतिरिक्त उत्पादन समता को संरक्षणी व नियंत्रित संयन्त्रों तथा हाइड्रा पर थम्बल पारर प्लाट्स के द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

योजना काल में सार्वजनिक ज्ञेन में ४२७ करोड़ रुपये और निजी ज्ञेन में ४२ करोड़ रुपये व्यय करने का विचार है।

द्वितीय योजना के अन्त तक १८,००० कस्तों व गाँवों में पिजली पहुँच जायेगी और पिजली का प्रति व्यक्ति उपभोग १६६० ६१ तक ५० यूनिट हो जायेगा।

द्वितीय योजना वाल म कुल मिलाकर ४२ विद्युत-उत्पादन योजनाएँ आरम्भ की जायेगी जिनमें से २३ जल विद्युत योजनाएँ तथा १६ वाष्प शक्ति योजनाएँ होंगी।

दृतीय पचावर्षीय योजना के अन्त तक पिजली की उत्पादन ज्ञमता बढ़ाकर १ करोड़ १८ लाख विलोगाट कर दी जायगी। अग्रणी शक्ति से भी ३ लाख विलोगाट पिजली बनाई जायगी। आशा है कि इस योजना वाल म १५,००० गाँव और छोटे कस्तों में पिजली लगाई जायगी, जिससे इनकी कुल सख्ता ३४,००० हो जायगी।

मानव-शक्ति

(Human Resources)

किसी देश की जनसंख्या का परिमाण और उसके गुण उस देश की आर्थिक, सामाजिक एवं औद्योगिक स्थिति पर प्रत्यक्ष एवं प्रभावपूर्ण प्रभाव डालती हैं। अनादि काल से ग्रथशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों तथा देशभक्तों में इस गत को लेकर कि किसी देश में अविकासम् आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण के लिए कितनी जनसंख्या बा होना उपयुक्त है, वाद विवाद होता रहा है। सामान्यत, एशियाई देशों की जनसंख्या निरन्तर अवाध गति से नढ़ती जा रही है। इस वृद्धि से उन देशों की उत्पादन ज्ञमता पर द्वुष्ठ प्रभाव पड़ा है, और इन देशों में जनसंख्या की वृद्धि एक प्रमुख आर्थिक-सामाजिक समस्या बन गई है। भारत स्वयं इस श्रेणी में ग्राना है।

भारत की जनसंख्या और उसके विभिन्न पहलुओं का ग्रन्थयन औद्योगिक प्रियास की किसी भी योजना के लिए सर्वथा आवश्यक है।

संसार की सबसे ग्रधिक जन संख्या वाले देश म भारत का स्थान दूसरा है। १९५१ की अलिम जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या ३५,६८,७८,३६४ थी। इसमें सिक्किम की जनसंख्या (१,३७,७२५) तो सम्मिलित थी, परन्तु असम के 'ए' भाग के आदिम जालीय ज्ञेन और जमू तथा काश्मीर राज्य की नहीं। १९५८ के मध्य में भारत की कुल जनसंख्या अनुमानत ३८,७५, करोड़ थी जिनमें जमू तथा पाश्मीर, पारिंडचेरी और सिक्किम का जनसंख्या भी सम्मिलित थी।

भारत के राज्यों तथा ज्ञेनीय संघों व ज्ञेनकल और उनकी जनसंख्या निम्न तालिका म दी गई है—

राज्यों तथा संघीय लेन्ड्रिंग के हेत्रफल तथा जनसंख्या*

	क्षेत्रफल (वर्गमील)	जनसंख्या
भारत	१२,५८,७६७	३६,११,५१,६६६
राज्य :		
आसम	८८,८८८	६०,४२,३०३
आन्ध्र प्रदेश	१,०६,०५२	३,१२,६०,१३३
उड़ीसा	६०,१६२	१,४६,४५,६४६
उत्तर प्रदेश	१,१२,४५२	६,२२,१५,७४२
बंगल	१५,००३	१,१५,४४,११८
जम्मू तथा काश्मीर	८६,०८४	४४,१०,०००
पंजाब	४७,०८४	१,६१,३४,५००
पश्चिमी बंगाल	३२,६२८	२,६३,०२,३८६
झारखंड	१,६०,०३८	४,८२,६५,२२१
बिहार	६७,१६८	१,८७,८२,७०८
मध्य प्रदेश	५०,१३२	२,६८,७१,६३६
मैसूर	१,७१,२१०	२,६०,७१,६३७
राजस्थान	७४,१२२	१,६४,०१,१६३
संघीय क्षेत्र .	१,३२,१५०	१,५८,७०,७७४
आहंकर तथा निरोगर हाँप समृद्धि	३,२१५	३०,६७१
दिल्ली	५७३	१८,४४,०३९
मणिपुर	८,६२८	५,७७,६३५
लाखादीप, मिनिसांथ तथा आर्नान दीपी		
द्वीप समूह	६९	२१,०३५
हिमाचल प्रदेश	१०,८८०	११,०६,४६६
नियुया	४,०३६	६,३८,०२८

भारतीय जनसंख्या और उसके प्रमुख लक्षण

(१) जन्म दर तथा मृत्यु-दर—अधिकारी जन्म तथा मृत्यु क्षोरि पंजीयन (Register) नहीं करावे जा पाता, इसलिए पंजीयन के आस्ती पर आधारित जन्म तथा मृत्यु के आँकड़ों तथा जनगणना ने आँकड़ों में भिन्नता मिलती है। १९४१ ई० के दशक में पंजीयन जन्म दर २८ तथा पंजीयन मृत्यु दर २० थी। १९५७ में प्रति हजार व्यक्ति दो वें घोड़े जन्म दर २१% तथा मृत्यु दर १५% थी।

१९५१ में १,००० पुरुषों के पीछे ६४७ महिलाओं थीं। इस प्रकार कुल जनसंख्या में महिलों की संख्या लगभग ४५-५५ प्रतिशत है। जनसंख्या में महिलों की कमी का प्रधान कारण उचित देसमाल न होने के कारण उनकी मृत्यु दर का अधिक होना है।

(२) काम करने वाली आयु के व्यक्तियों का चम अनुपात—जनसंख्या के आँकड़ों से आयु विभाजन का भी विशेष महत्व है, क्योंकि उससे विसी देश की कार्य शक्ति का परिचय मिलता है। अन्य उन्नत देशों की गुलाना में हमारे यहाँ नहुते ही थोड़े ऐसे अविकृत हैं, जो पचास साल से अधिक जीवित रहते हैं। योरोप म अधिकतर एवं व्यक्ति के कार्य करने का समय २० से ६० साल माना जाता है जब कि हमारे यहाँ वह कार्य ताल १३ से ४० साल है। इस प्रकार कुल जनसंख्या म हमारे यहाँ कार्य करने वाली जनता का अनुपात ४२ प्रतिशत नैतिक है, जबकि इगलैंड में वह ६२ प्रतिशत और प्राप्त म ५२ प्रतिशत है। इसमा प्रधान कारण हमारे यहाँ अत्यधिक शिशु और गाल मृत्यु-दर है।

(३) जनता का हीन स्वास्थ्य और कार्यक्षमता—केवल जीवित लोगों की संख्या से ही हम उनकी कार्यक्षमता का अनुमान नहीं लगा सकते। इसमें लिए हमें उनके स्वास्थ्य, शिशु और प्राप्त सुरक्षाओं की ओर भी धृष्टि छालनी होगी। इस इन्डिया से हमारी जनसंख्या की अवस्था बहुत ही निराशाजनक है। आवश्यक प्रैटिक भौजन, चिकित्सा एवं शिशु सुरक्षाओं के अभाव में उनकी विस्म और कार्यक्षमता का गिरा होना स्वाभाविक ही है।

(४) कृषि पर अत्यधिक निर्भरता—अर्थशालियों का कहना है कि निरी देश की अधिकांश जनसंख्या का कृषि जैसे प्राथमिक उत्पादों पर निर्भर रहना उसकी निर्भनता वा सूक्ष्म है। इसके विपरीत उत्पादों, वालायात तथा अन्य व्यावसायिक सेवाओं में जनसंख्या ऐसे अधिक अनुभाव का लगा होना उसकी समुद्दिक का सूक्ष्म है।

१९५१ की जनगणना के अनुसार भारत की ७० प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ३६१ करोड़ जनसंख्या में से २४८ करोड़ व्यक्ति कृषि तथा शक्ति १०७ करोड़ अन्य धर्मों पर निर्भर हैं। ८६५ करोड़ काम करने वाला में से ७०१ करोड़ कृषि, ६० लाख उत्पादों, ६० लाख व्यापार तथा स्वास्थ्य, ३० लाख शिशु और शासन गेवाओं में तथा ५ लाख व्यक्ति अन्य परेलू सेवाओं इत्यादि कार्यों में लगे हुए हैं।

(५) शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या—देश की कुल जनसंख्या में से ६१६ करोड़ अथवा १७.३ प्रतिशत व्यक्ति नगरों और वस्त्रों में रहते हैं, जबकि शेष २६४० करोड़ अथवा ८२.७ प्रतिशत व्यक्ति गाँवों में। १९४१-१९५१ के दशक म शहरी जनसंख्या में ३.४ प्रतिशत की वृद्धि तथा ग्रामीण जनसंख्या में ३.४ प्रतिशत की कमी हुई। देश में कुल ३,०१८ नगर तथा ५,५८० लाख गाँव हैं।

(६) परिवार नियोजन—महती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए १६१ की जनगणना रिपोर्ट में परिवार नियोजन का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार मिथ्र जनसंख्या ही विषमान रिश्ते में हमारे लिए उपयुक्त है। इसके लिए जन्मदर में कमी अनिवार्य है। जनगणना आयुक्त (Census Commissioner) थी गोपन स्थामी के अनुसार एक विभागित दम्पति और विवेचने वाले बच्चे होने चाहिए। जनसंख्या वा प्रसानन नियन्त्रण परिवार नियोजन के द्वारा हो सकता है। दूसरी प्रबल्पय योजना भी परिवार नियोजन के महत्व का स्वीकार किया गया है।

(७) बेरोजगारी—हमारे नवादित स्वतन्त्र भारत के उम्मीद अनेक समस्याएँ हैं, परन्तु आज उनसे चिन्ताजनक समस्या बेरोजगारी की है। इससे समाधान के ऊपर ही हमारे सम्मीलीय आयोजन की सफलता और असफलता निर्मित करती है।

१६४१ से १६५१ तक हमारे यहाँ ४५५ करोड़ की वृद्धि हुई है जो प्राप्त की कुल आवादी के बराबर है। प्रति वर्ष हमारे महाँ ४५५ लाख जनसंख्या की वृद्धि होती है, जो डेनमार्क की बुल आवादी है। द्वितीय योजना की अवधि में प्रति वर्ष ७० लाख की वृद्धि हो रही है और यह सम्मानना है कि द्वितीय योजना की अवधि में यह जनसंख्या १ करोड़ प्रति वर्ष वृद्धि से बढ़ने लगी गी। ऐसी दशा में बड़ती हुई जनसंख्या के काम देना एक असम्भव कार्य है, क्यानिक व्यापार, वाणिज्य और उत्पादन भारत में उस गति से नहीं नहीं है।

प्रथम पचार्हीय योजना में, ऐसा अनुमान है कि, लगभग ४५५ लाख व्यक्तियों को राजगार दिलाया गया। परन्तु राजगार की दशा निगलती गई। जनता प्रथम योजना की असफल धारणा वरने लगी क्यानिक योजना की प्रगति न साथ बेरोजगारी की भी प्रगति हो रही थी। यह अनुभव रिया गया कि ग्रीष्मांशुक विज्ञान की योजना तभी सफल है। सर्वानी है जब लोगों का राजगार दिलाना भा उत्तरा एक प्रवाने लक्ष्य हो।

इस लक्ष्य को सामने रखना ही द्वितीय पचार्हीय योजना में १ करोड़ २० लाख व्यक्तियों का नाम दिलाने की प्रतिक्रिया की गई है। दूसरे शब्दों में द्वितीय योजना का एक प्रधान लक्ष्य रोजगार मुद्रणसंसाधन का व्यवित्रित विस्तार करना है। परन्तु वर्तमान प्रगति का देखन हुए कहा जा सकता है कि योजना अपने इस लक्ष्य की पूर्ति में सफल नहीं पायगी।

पशु-सम्पत्ति (Livestock Resources)

एशिया में सारांश की समस्या पशु-सम्पत्ति का ४३ प्रतिशत भाग है, परन्तु प्रति व्यक्ति पशुओं की संख्या एशिया में (०.०३६) सातांश न प्रत्येक लोग से कम है। उदा हरणामध्य उत्तरी अमरीका में प्रति व्यक्ति पशुओं की संख्या ०.६८, दक्षिणी अमरीका १.०१७, अफ्रीका ०.४६ तथा याराप ०.२५ है। भारतपर में पशुओं की संख्या प्रति व्यक्ति

१० लाख है। १९५६ की पशु गणना के अनुसार भारतमय में कुल पशुओं की सख्ता ३० करोड़ ६५ लाख थी। इसमें गाय, बैल, भैंस तथा भैंसे, भेड़, बकरे जैसी जातियाँ, घोड़े और टट्टू एवं अन्य पशु (खच्चर, गधे, ऊँट तथा सुअर) सम्मिलित हैं। इनकी सख्ता १९५६ की पञ्चमीय पशु गणना इस प्रकार थी—*

१९५६ की पशुगणना

१. गाय बैल	१५,८७,००,०००
२. भैंस तथा भैंसे	४,४६,००,०००
३. भेड़	३,८२,००,०००
४. बकरे जैसी	४,५४,००,०००
५. घोड़े तथा टट्टू	१५,००,०००
६. अन्य पशु (खच्चर, गधे, ऊँट तथा सुअर)	६८,००,०००
कुल योग	३०,६५,००,०००

भारतमय में सासार की कुल पशु-सख्ता का चौथाई हिस्सा है, जो कि हमारे आधिक विवाद में बहुत कुछ सहायक हो सकता है। मिल्टु हमारे देश में जानवरों को अच्छा लाना नहीं भिलता, फलस्वरूप हमारे जानवर नहुत सराय मिल्स के होते हैं। चरागाहों की कमी, गर्भाधान व खुराक के वैज्ञानिक तरीकों का अभाव और वेषार जानवरों का बढ़ बढ़ने के विकद धार्मिक विचार, इन सब गतांने ने मिलकर भारतीय पशुओं की किसी को बहुत सराय कर दिया है।

भारत व किसानों की आय का लगभग ५० प्रतिशत भाग उनके दूध दही के उद्योग से प्राप्त होता है। पर यदि गर्भाधान की विधि को वैज्ञानिक रूप से दिया जाय और चरागाहों का पर्याप्त प्रकाश कर दिया जाय तो इस आय को और भी अधिक बढ़ाया जा सकता है। हमारे देश में प्रति एकड़ जुती हुई भूमि पर पशुओं का घनत्व ६७ है। यह घनत्व साथ साथ भूमि पर पशुओं का घनत्व ६७ है। यह घनत्व साथ साथ भूमि पर पशुओं का घनत्व ६७ है।

सरकार की नीति

पशुपालन विकास सम्बन्धी सरकारी नीति का उद्देश्य देश में जुनी हुई नम्ला के पशुओं की तथा अन्य पशुओं की किसी भी विकासी में सुधार वरके उनकी दुष्प्रभाव दूर करना है। इससे बैलों की किसी भी विकासी पर बुरा प्रभाव नहीं पहने दिया जायगा। इस उद्देश्य की वृत्ति केन्द्र आम योजना, गोशाला विकास योजना तथा गोसदन योजना द्वारा करने का लक्ष्य रखा गया है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विभिन्न साधनों के उचित प्रयोग एवं विदोहन से भारत को भूमि, देशाधी, दिविता और वीमाधी से मुक्ति दिलाई जा सकती है। भारत सरकार ने आयोजन के द्वारा इन विभिन्न दातानों से मुक्ति दिलाने के लिए जिन प्रशासनों ने अनुमति लगाया है, वे इस प्रकार हैं—*

	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना	चतुर्थ योजना	पचम योजना
राष्ट्रीय आव (करोड़ में)	१०,८००	१३,५८०	१७,२६०	२१,६८०	२७,२००
कुल शुद्ध विनियोग "	३,१००	६,२००	८,४००	१४,८००	२०,७००
विनियोग दर (राष्ट्रीय आव का प्रतिशत)	७३	१०७	१२७	१६०	१३०
जनसंख्या (करोड़ में)	३८.४	४०.८	४३.४	४६.५	५०.०
प्रति व्यक्ति आव (रुपयों में)	२८१	३२१	३६८	४४६	५४९

प्रश्न

1. Describe the natural resources of India and discuss the circumstances in which they could not be properly and adequately exploited
(Agra 1954)

2. Give a description of the mineral wealth of India and indicate the policy of the development plan for the future
(Agra 1960)

3. In what different ways do forests prove beneficial to the economy of a country? What is the present policy of the state in this connection?
(Agra 1960)

4. What are the economic consequences of soil erosion? What steps have been taken in the country against this evil?
(Banaras, 1954)

खण्ड ३

सामाजिक वार्तावरण एवं जनसंख्या

१. भारत में सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएँ
२. भारत की जनसंख्या—तथ्य, संमस्या एवं उपाय

अध्याय ४

भारत में सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएँ

(Social and Religious Institutions in India)

मानव एक सामाजिक प्राणी है। उसनी सभी आर्थिक क्रियाएँ समाज में प्रचलित रीति रिपाज, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं द्वारा प्रभावित होती हैं। सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं का देश के आर्थिक विकास पर भी गहन प्रभाव पड़ता है। आर्थिक स्टेट शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के द्वारा ही देश के उत्पाद धर्धों, व्यवसायों तथा गान्धीय आदि वा निरण निर्धारित होता है। डॉ. मार्शल के अनुसार “संसार में सर्वत्र बड़ी निर्माणकारी दो संस्थाएँ चला आ रही हैं—धार्मिक तथा आर्थिक।” सम्भवतः भारतरप्य म सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं ने हमारे देश के आर्थिक विकास को जितना प्रभावित किया है उनमें वदाचित् अन्यत नहीं। भारत में प्रत्येक सामाजिक एवं आर्थिक क्रिया के पीछे धार्मिक भावना होनी है। प्रत्येक कार्य ना श्रीगणेश शुभ मुहूर्त बेला में किया जाता है। यह ज्ञात करने के लिए कि इन संस्थाओं ने हमारे देश के आर्थिक जीवन को कहाँ तक प्रभावित किया है, आनश्वर है कि हम उनमें पारे से थोड़ा पिछार से अवश्यन करे।

प्रमुख सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएँ

भारतरप्य में प्रमुख धार्मिक संस्थाएँ, जिनका हमारे आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ा है, निम्नलिखित हैं:—

- (१) जाति प्रथा (Caste System);
- (२) समुकुल घट्टमन प्रणाली (Joint Family System),
- (३) उत्तराधिकार नियम (Laws of Inheritance),
- (४) पर्दा प्रथा एवं बाल विगाह,
- (५) भारतीय धर्म एवं दर्शन, तथा
- (६) ग्राम पञ्चायते।

जाति-प्रथा

जाति प्रथा का हस्तागी धर्मान्तर एवं समाजाङ्गिक संस्थाओं में एवं सन्दर्भों में एक अनेक सामाजिक एवं

जन धार्मिक, उत्तम सम्बन्धी, राजनीतिक, ऐनिक तथा श्रीदोगिक संगठन एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित थे और वाहाप में एक ही दस्तु दे प्रिभिन्न रूप थे। लगभग 'उन सभी राष्ट्रों ने जो सासार की प्रणाली में अध्यात्मी थे, जाति के लगभग कठोर 'रूप को अपना लिया था।' श्री जेन्स मिल का निश्चास है रिं जाति प्रथा वा निःसंश्लिष्ट विभाजन की अवश्यकता ने पलस्तरूप हुआ। श्री एन० सोमर्ट के सिद्धान्त के अनुसार जाति प्रथा वा निःसंश्लिष्ट समय की परिस्थितिया के अनुसार हुआ।

जाति प्रथाली केवल भारतवर्ष में ही प्रचलित नहीं है वर्तमान समाज के अन्य देशों में भी है। अन्य देशों में इसका रूप इतना कठोर एवं जटिल नहीं है जितना भारतवर्ष में। जाति प्रथा ने भारतीय वर्ग व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है जैसा अगले पृष्ठों में दिये गये प्रिभिन्न से गत होगा।

जाति प्रथा के लाभ

(१) सामाजिक शुद्धता—जाति प्रथा के भारत भारतवर्ष को अपनी सामूहिक वैकल्पिक तथा सामाजिक शुद्धता मनाये रखने में बड़ी सहायता मिली है। एक ही रामप्रदाय में रहने से, सान पान करने से तथा वैताहिक रामनव्य स्थापित करने से आचार प्रिचार और रक्त री शुद्धता ननी रही है।

(२) श्रम विभाजन—जाति प्रथाली ने नियमानुसार प्रत्येक जाति अपने पैतृक व्यवसाय को ही अपनाती है। यह एक प्रवार वा कार्य अथवा श्रम विभाजन है। इस प्रवार जाति प्रथा ने पलस्तरूप श्रम विभाजन वे सभी लाभ प्राप्त हैं।

(३) पैतृक प्रशिद्धण संस्थाएँ—प्राचीन वाल में जेन राजवारी की ओर से प्रशिद्धण संस्थाओं की स्थापना नहीं की जाती थी, जाति प्रथा के द्वारा व्यक्तियों द्वारा ऐसी संस्थाएँ अपने घर पर ही प्राप्त हो जाती थी। इसी भी नवयुग को शिद्धा प्राप्त करने के लिए जाहर नहीं जाना पड़ता था। वह अपने पिता द्वारा सम्पूर्ण प्रतिविधि नियम कारीगरी का उत्तराधिनार पाता था, और पिर अपनी भाव अपने पर वह उस उत्तराधिनार को अपनी मतान को दे देता था।

(४) कार्य में निपुणता—जाति प्रथा प्रत्येक व्यक्ति का भवित्व उसके जन्म नुसार ही निश्चित कर देती थी। नवयुग को द्वारा जीविता रे लिए इधर उधर नहीं भट्टना पड़ता था। वह अपना व्यवसाय प्रारम्भ से ही सीमना रहता था और आगे चढ़ कर वह उसमें दक्षता प्राप्त कर लेता था।

(५) सहकारिता की भावना—जाति प्रथा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर अपने जीन की आवश्यकताओं की पृति के लिए निर्भर रहा रहता था। किसी व्यक्ति का एक दूसरे की सहायता के लिए नहीं चलना था। भवान सभी जाति के लोगों में सहायता की भावना जागृत हो जाती थी।

(६) श्रमिक सघ—जाति प्रणाली ने आर्थिक क्षेत्र में श्रमिक सघ के कार्य वी भूमिग्रा अदा की है। प्रायः जानि अपने प्रत्यक्ष सदस्य के अधिकारों की रक्षा करनी था।

(७) स्वतंत्र सामाजिक समगठन—सामाजिक प्रयाग्रां का नियमन करने के लिए प्रत्यक्ष जानि भी पचायत हुआ करनी थी। उन पचायतों का निर्णय समग्राम्य होता था। पचायतों ने सामाजिक क्षेत्र में अन्यन्य महत्वपूर्ण काय लिया है और उनकी महत्वता भी आज हमारी राष्ट्रीय सरकार भी स्वाक्षर करती है।

(८) ऐक्षानिक समन्वय—जानि प्रथा के समर्थकों ने जाति प्रथा को ऐक्षानिक समाजवाद भी करना भी दी है। सुप्रसिद्ध द्वितीय भगवन्दास के शब्दों में “लोगों ने प्राचीन काल से जानि प्रथा को समझ भी क्षौटी पर मरा उतरा हुआ पेंडा ऐक्षानिक समाजवाद जनतामा है, जिसने व्यापकाधिक वर्गों में शक्ति सुलुलन का समावनय रखा।”

(९) धर्म संवेद का नमन—जो आर० पी० मुग्नाना के अनुसार जाति प्रथा में वर्ग संवेद के कम से कम कर दिया था और आर्थिक शक्तियों के नियन्त्रित जाँच के प्रयोग जाम का कान लिया था। जानि प्रथा के अनुसार प्रत्यक्ष व्यक्ति का यह धारणा है कि ज्ञान नाम किसी जानि विशेष में नहीं प्राप्त हो सकता है। अत वर्ग संवेद भी भागना रह दा नहीं जाता।

(१०) नीतिक प्रतिपाद्य—प्रत्यक्ष व्यक्ति जानि से उहि हुते हो जान के भव से नीतिक दुरान्वरण नहीं रखा है क्षात्र नीतिक दुरान्वरण नग्ने जाना भी समाज से वहिहुत दर दिया जाता है। जो आर० पी० मुग्नाना के शब्दों में जानि प्रथा के द्वारा “प्राचीन परम्परा जो ज्ञान का जाना था, सामाजिक शानि जो सुरक्षित रखा जाना था, नागरिक तथा आर्थिक करनाल्य प्राज्ञ जिता जाना था तथा व्यक्तिगत ज्ञानाद और समाज का नदाया जाना था।

जाति प्रथा के नाप

(१) श्रमिकों की गतिशीलता एवं वायक—जानि प्रथा के अनुसार प्रत्यक्ष व्यक्ति इसल घरना जानि जो हो व्यवसाय कर सकता था अत जाति भी व्यवसाय नहीं दर सकता, जहां उसम इस प्रकार के काय नग्ने भी जितना हो निपुणता क्यों भी हो। इस प्रभार प्रमिता में व्यापकाय गतिशालता नहीं रहता।

(२) पूँजी की गतिशीलता एवं व्यापक—जाति प्रथा के अनुसार घरना जानि अपने घर भी जिनियाँ अपना जानि भाल व्यवसाय में हो कर सकत थ। एउ जानि के लाग दूसर्य जानि के व्यवसाय में धन नहीं लगा सकत। इस प्रकार जानि प्रथा

पैदी की गतिशीलता में व्याधक होती है जिसका कुछ प्रभाव श्रीयोगिक विकास पर भी पड़ता है।

(३) व्यवसाय और व्यक्तिगत रुचि में असामजस्य—जाति प्रथा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना जातीय व्यवसाय ही करना होता था। व्यक्तिगत रुचि एवं दबाव पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अत व्यापकिक एवं श्रीयोगिक निपुणता का निवान्त अमाव रहता था।

(४) अम की गरिमा की हानि—जाति प्रथा के बारण अम की गरिमा (digmaria) को भारी धड़ा लगता है। ऊँची जाति के लोग निम्न कोटि क वार्ष करने में सक्षम करते थे और निम्न जाति के लोग ऊँची जाति के वार्ष करने में डरते थे। इससे देश को चाही हानि होती थी। आज यह सर्वमान्य है कि 'अम की गरिमा मही मानव की महिमा है।'

(५) प्रिदेश गमन में सक्षम—जाति प्रथा के विचारों के अनुसार लोगों को प्रिदेश जाने की आगा नहीं मिलती थी। यदि वे प्रिदेश जाते थे तो उनका हुक्का पानी बन्द घर दिया जाता था। इस भय से लोग प्रिदेशी व्यापार करने में सक्षम करते थे।

(६) राष्ट्रीय एकता में व्याधक—जाति प्रथा के अनुसार लमाज अनेक होटे होटे भाग में निभाजित हो जाता है और अपने हितों के सम्मुख राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करता है। साम्प्रदायिकता के नल पर ही देश का विभाजन हुआ और यह विभिन्न राज्य होटे होटे राज्यों में निभाजित हो रहे हैं जैसे गुजरात और महाराष्ट्र।

(७) निरर्थक व्यय—जाति प्रथा के नियमानुसार अथवा परम्परानुसार लोगों को प्रियोग अपनार्ह व्यय उत्पन्न पर हेतियत से अपने धन व्यय बरना पड़ता है जैसे शादी, जाम, मृत्यु आदि पर। इससे आर्थिक जीवन पर चुरा प्रभाव पड़ता है।

(८) आपसी द्वेष भाव—एक जाति दूसरी जाति की प्रगति को इर्द्दी एवं सर्धी की दृष्टि से देखती है जिससे परस्पर घृणा, द्वेष एवं घृट की भावना को नल मिलता है।

(९) सामाजिक दुराचरण—एक ही जाति के अन्तर्गत निवाह इत्यादि होने के बारण कुछ सामाजिक और नैतिक दुराचरण जैसे दहेज, ग्रामहत्या तथा शिंगु हत्या वह जात हैं। शिंगु और पुनर्वाप का अनुभाव प्रत्येक जाति में समान नहीं होता, अत उपरोक्त दोनों का होना स्वामानिक है।

(१०) अन्त में जाति प्रथा 'जीवशास्त्र' के दृष्टिकोण से भी हानिगरर है। जीवशास्त्र हम मनाता है कि यदि एक ही जाति में परस्पर निवाह हानि है तो सन्नान

। इन सेकंद एवं शारीरिक रूप से ग्राहिक सदस्य नहीं होती । यही नहीं इसका प्रमाण स्त्री और पुरुषों ने सदस्य पर भी ग्रस्ता नहीं पड़ता ।

सयुक्त कुदुम्ब प्रणाली

सयुक्त कुदुम्ब प्रणाला का ग्राह है कि एक ही परिवार में उनुक से सदस्य जैसे पति पनी, माना भिता भाइ भट्टन, चाचा-चाची तथा दादा दादी आदि सम्मिलित स्पृष्ट ये रहने हैं । परिवार का सबसे बुद्ध पुरुष प्रभावक ग्राहण करा होता है । उसी सदस्य अपने द्वारा कमाये गये धन वा कर्ता को सौंप देते हैं और करा उस धन से पूरे परिवार का प्रभाव लेता है । समाज का सुरक्षा सिद्धान्त—‘प्रयेत पुरुष अपनी शक्ति वे अनुसार काय कर और आपराधिकानुसार उपभोग कर । —इह प्रणाली के अन्तर्गत पूरा होता है ।

प्राचीन भारत में सयुक्त परिवार समृद्ध रामाजित दावे का कल्प हाता था । इस प्रथा के अनुसार पारपार के सदस्यों में अनुशासन, खाग, आशीर्वादन, आदर की भावना जागल होती था और स्वाधेन्द्रता का हनोराहन होता था । वाइ व्यक्ति^१ अभाव, रोग अधरा ग्रालस्य का रितार नहीं होता था । यह परिवार के सदस्यों के लिए एक प्रवार के सामानिक नीम का वाम बरला था । अनाथ, बुद्ध, असहाय तथा दिव्यराजा वी भला भाव देवतभाल वी भावा था । मिदेशी प्रभाव के दारण मारत में सयुक्त परिवार प्रथा का अन्त हो लगा । भद्रना गाड़ी ने बुटीर उद्घागा वी उहवारिता के ग्राधार पर चलाने का मुभाव इसीलिए दिया था निःसे सयुक्त परिवार प्रथा का पुनर्गठन हो नाय ।

सयुक्त कुदुम्ब प्रणाली के लाभ

(१) एनता का भावना—सयुक्त पारपार प्रणाला उहयाग एवं निःस्वार्थ ऐवा का भावना वा प्राच्याद्वान रखता है । इसने अन्तर्गत समृद्ध परिवार का स्थवर होता है ति ‘एक के लिए सब और ‘सब के लिए एक’ । इससे परिवार के सदस्यों में एकता का भावना का नागरण होता है ।

(२) मित्र्यवदा—सयुक्त परिवार में सभी सदस्यों ने सम्मिलित स्पृष्ट में रहने के दारण दिनिर एक सामयिक व्यवहार में जारी मित्र्यवदा होती है । पञ्चन-सा मूल्यग्रन्थ वस्तुओं को सम्मिलित है भ प्रसाग में लाया जा सकता है । इस प्रसाग प्राप्त सदस्य का अलग अलग पर्यादने वा आपराधिका नहीं पड़ता ।

(३) समीक्षभास्त्र—सयुक्त पारपार है एवं पारलूपीरियारूप सदस्य अन्मी योग्यता एवं क्षमता न अनुसार कायों वा करने हैं निःसे उमप्रिभावन के लाभ यहज हो प्राप्त हो जात है ।

(४) सामाजिक सुरक्षा—भारतीय संयुक्त परिवार प्रणाली एक प्रकार से सामाजिक सुरक्षा का बार्य करती है यहां पर सब सदस्य अपनी योग्यतानुसार धन चमाते हैं और उस धन को सदस्यों पर उनकी आवश्यकतानुसार व्यव लिया जाता है। ग्रस्ताव, अपग एवं बेनार सदस्यों का पूरा पूरा व्यान रखा जाता है।

(५) भूमि के विभाजन पर रोक—संयुक्त परिवार में यदि उनका सड़न नहीं होता है तो भूमि तथा ग्राम सम्पत्ति अविभक्त रहती है। इस प्रकार इस पद्धति के अनुसार भूमि विभाजन तथा डग्गड़न के दोष उन्नत नहीं होते।

(६) सदस्यों की मानसिक सतुष्टि—संयुक्त परिवार प्रणाली में सम्पूर्ण सदस्यों का उनकी ग्रामस्थानुसार सम्मान होता है। इससे प्रयोग सदस्य मानसिक हासि से सतुष्ट होता है।

संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली के दोष

(१) आलरण एवं अकर्मण्यता में वृद्धि—परिभ्रम और प्रतिपत्ति में व्यापो नित सम्बन्ध न होने के कारण परिवार के सदस्यों में आलरण और अकर्मण्यता आ जाती है। सदस्य मली भोंति समझते हैं कि जो कुछ भी करायेंगे, उनका एक ग्राश ही उनको मिल पावेगा। अत उनको ग्राहिक कराने की प्रेरणा नहीं मिलती।

(२) पूजी के निर्माण में वाधा—चौकि परिवार के सदस्यों को प्रत्यक्ष करने के निए पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिलता, अत पूजी दा निर्माण भी नहीं होता। पूजी का निर्माण इनके द्वारा ही होता है। पूजी का विनाय न होने के काळस्वरूप देश का ग्राहिक विवाह ही रह जाता है।

(३) निर्थक व्यय—संयुक्त परिवार पद्धति के अन्तर्गत फिनून्याचा को भागदाना मिलता है। व्यय का भार व्यक्तिगत न होने के कारण इच्छा समर्पण की भागदाना को तीव्र कर देता है। फलत विनाह, मुरदन, जन और मृत्यु इत्यादि अपराधों पर सदस्य हस्तमुक्त व्यय वरत है। यहुथा वह मृण प्रलता का भी रूप धारण कर लेता है।

(४) परिवार नियोनन की अवहेलना—संयुक्त परिवार में गल्यावस्था में ही विनाह हो जाने के पारण तथा नच्चा का पालन पोषण का प्रत्यक्ष उत्तरदायित न होने के कारण सदस्यगण परिवार नियोनन जैसी महत्वपूर्ण युक्ति वी अवहेलना करते हैं। इससे परिवार तथा अन्तरोगत्वा देश के रहन सहन का स्तर गिर जाता है।

(५) अम गतिशीलता में वाधा—संयुक्त परिवार में रहने के काळस्वरूप सदस्यगण परिवार के मुहामने यानावरण को द्वेष वर भाहर जाना पसद नहीं भरत चाहे उहें किन्तु ही अच्छे मुश्वरसर क्यों न प्राप्त होते हैं। देश के ग्राहिक विवाह में यह एक बड़ी वाधा है।

भारतीय आर्थशास्त्र एवं आर्थिक विज्ञान

(६) वैमनस्य एवं मनमुटाव—सुप्रसिद्ध लोकोक्ति है कि 'जहाँ चार वर्तन होते हैं वहाँ पटकते ही हैं।' सयुक्त परिवार में व्यक्तु से व्यक्तियों के एक साथ रहने के कारण छोटी-मोटी घरेलू बातों पर आपस में मनमुटाव हो जाता है। स्त्रियों में विशेष रूप से स्वभावतः वह भावना अधिक होती है। मनमुटाव भीरे धीरे वैमनस्य का रूप धारण कर लेता है जिसमें सयुक्त परिवार वा स्वर्गीय जीवन नारकीय बन जाता है।

(७) मुकद्दमेवाजी—धन-सम्पत्ति की वितरण सम्बन्धी तथा पारम्परिक मान-हानि सम्बन्धी भगवं वभी वभी इतने अधिक वढ़ जाते हैं कि उनके निवारणार्थ न्यायालयों तक वा मुह देखना पड़ता है। इससे दोनों पक्षों की आर्थिक तथा मानसिक हानि होती है।

उत्तराधिकार के नियम

(Laws of Inheritance)

भारतनर्म भेद उत्तराधिकार सम्बन्धी दो प्रमुख नियम हैं :—

(१) मिताक्षरा (Mitakshara), तथा

(२) दायभाग (Dayabhaga)।

उपरोक्त दोनों नियम भारतीयों के आर्थिक जीवन पर व्यक्त गहरा प्रभाव डालते हैं।

मिताक्षर प्रणाली—यह प्रणाली सम्पूर्ण भारत में, बगाल औ छोड़पट फ्रचलित है। इस प्रणाली के अन्तर्गत परिवार के सभी सदस्य सयुक्त रूप से परिवार वी सम्पत्ति के स्थामी होते हैं। पिता के जीवन वाल में ही पिता के साथ-गाथ पुत्रों वा पारिवारिक सम्पत्ति पर रहाना अधिकार होता है। कोई भी पुत्र किसी भी समय सम्पत्ति वा बैट्टारा नरके अपनी सम्पत्ति का भाग प्राप्त कर सकता है। अविभाजित सम्पत्ति पर पिता वा अधिकार रहता है और वह परिवार के सदस्यों की ओर से उसका प्रबन्ध करता है। पिता अपने पुत्रों की अनुमति के बिना सम्पत्ति वो बेच नहीं सकता। जब तक सयुक्त परिवार वा घटन नहीं होता, तब तक यही क्रम चलना रहता है। बैरल रिमाजन होने पर ही प्रथम सदस्य वो सम्पत्ति का भाग प्राप्त होता है।

दायभाग प्रणाली—यह प्रणाली बैरल बगाल ज़ेब में ही प्रचलित है। इस प्रणाली के अन्तर्गत पिता का पारिवारिक सम्पत्ति पर नितान अधिकार रहता है। उसे यह भी अधिकार होता है कि वह अपनी इच्छानुमार, पुत्रों की अनुमति लिये पिता भी इस सम्पत्ति की बेच सकता है। पुत्रगण पिता के जीवन वाल में इस सम्पत्ति का बैट्टारा नहीं करवा सकते। पुत्रों का सम्पत्ति पर अधिकार पिता वी मृत्यु के पश्चात् होता है।

सन् १९५६ के पूर्वी क्रिया को उपरोक्त दोनों प्रणालियों के अन्तर्गत पारिवारिक सम्पत्ति में रोइ अधिसार नहीं हाता था। विधा क्रिया वरल ग्रन्तने लिए निर्वाह भत्ता मांग सकती था। अनिगहिता लड़की के लिए प्रियांह न होने तक उन्हें उच्च प्राप्तिशान किया जाता था। नित्यदेह यह एक दोषपूर्ण पद्धति थी। इस दोष के नियासणाथ १७ जून १९५६ को भारतीय सरकार ने एक भवत्पृण अधिनियम, 'हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६', पास किया। इस अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति की सम्पत्ति जो उसके परिवार के सभी सदस्या यथात् लड़क, लड़किया, विधवा और माता पि समान रूप से ग्राह जायगा, यदि वह व्याकृत अपनी मृत्यु के पृथक् बोइ इच्छापत्र (will) न लिए गया हो।

मुसलमानों में उत्तराधिकार

भारतगत मुसलमानों में पैतृक सम्पत्ति वा पैटवारा 'मोहम्मदन ला' (Mohammedan Law) के अनुसार नियमित होता है। इस नानूत उन्हें अनुसार पैतृक सम्पात्ति परिवार के पुरुष एवं छोटी सभी सदस्या में विभाजन की जानी है। इस प्रकार व्यापकारिक दृष्टिकोण से मुसलमानों के पैतृक नियम हिन्दुओं के नियम से मिलते जुलते ही हैं।

चूंकि हिन्दू और मुसलमान दाना ही उमाजा में सम्पत्ति का विभाजन किया जाता है अतः इसका प्रभाव देश के आधिकारिक विभास पर समान रूप से पड़ता है।

उत्तराधिकार नियमों के गुण

(१) सम्पत्ति पर अधिकार—संख्ये महत्पृण गुण यह है कि परिवार के अत्येक सदृश्य को सम्पत्ति पर दुष्कृति अधिकार हाता है जिसमें उसे जीवन की दुर्घट और लम्बी यात्रा पार करने के लिए प्रारम्भिक आमार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भास्त्राय उत्तराधिकार नियम समानता और गाय के सिद्धान्तों के बातों हैं।

(२) समाजगाद—परिवार के प्रत्येक सदस्य को सम्पत्ति में से दुष्कृत दुष्कृत भाग मिलते हैं कारण उसकी सम्पत्ति के वितरण में समानता आ जाती है। इस प्रकार पूँजी गाद का स्थान प्राप्त न होने समाजगाद का आंगणण होता है।

(३) भ्रातृन्य की भागता—सम्पत्ति के विभाजन में सभी भ्रातृन्य अधिकार प्राप्त होने के कारण आपस में वैमनन्य एवं इन्होंने की भागता वा मृत्यु नहीं होता, फलत परिवार के सभी सदस्यों में भ्रातृन्य एवं सहभासिता की भागता नाश्त होता है।

(४) स्वतन्त्र वृपक भू स्थानीय वर्ग—इसे देखें में यह नियम स्वतन्त्र वृपक भू स्थानीय वर्ग तथा उनके द्वारा निर्मित विधि अन्य समान पा जान देन हैं।

उत्तराधिकार नियमों का दोष

(१) भूमि विभाजन एवं उपरोक्तन—भारतीय सूचि का

भारतीय अधिकारी एवं आधिक प्रिकार

१. भूमि पिमाजन एवं उन यज्ञों हमारे भागीय उत्तराविनार नियमों से ही देन है।
२. दूर पीढ़ी भूमि का पिमाजन योग्य होने तक ही महोना जाना है यहाँ तक कि वे नेती के लिए पिनकर अनार्थिक इनाद्या जन जानी हैं।

(३) पूँजी निर्माण भ घाघा—उत्तराविनार नियमों के अनुसार सम्पत्ति अथवा पजी का अनेक भागों में पिमाजन ही जाने के लिए पूँजी का पिमाण (capital formation) बड़े पैमान पर नहीं हो पाता। हमने फलम्बन्स्प आनुनिक बड़े पैमाने के उत्तोग अथवा कृषि नहीं चल पाते और देश आर्थिक होने से अप्रियमित हो जाता है।

(४) मुकद्दमेजानी—सम्पत्ति के बदलारे के सम्बन्ध में प्राय आमते में मत भद्र हो जाया करता है। यह नभी नभी इनना निकाल लूँ घासण कर लेना है विद्युत्य म आरण म उल्ह भगड़ तथा फैनदारी भी हो जाती है। अब वहा जाता है कि 'सम्पात्त पूर्ण का नन होती है।

(५) अकमण्यता—पूर्णा डाग अर्जित सम्पत्ति में से किना प्रयाग किये हुए एवं अशामिल जाने के लिए आधिकार्य समरात्तरासिया न असमरणता आ जाती है। वह जीविका नभाने का चाड़ प्रयाग नहीं करन कराड़ सम्पत्ति की आव ये ही जनकी आमरणता आ जाती है। अब वह सत भलूनाम के शब्दों 'अनगर वरे वा वा, पद्धा वर न नाम। तास भलूना भाह गये उप के लिए जाता राम जो चालाथ न है।

पदा एवं वाल पिराह

भारतरप म दो ग्रन्थ दामपूर्ण सामान्त प्रथाएँ भी प्रचलित हैं। यह है—गाल पिराह और पर्दा प्रथा। यह प्रथाएँ भी हमारे आर्थिक जागन या जाषी प्रभागित करता हैं।

गाल पिराह भारत म उप स प्रबलित हुआ, यह टार टीर ता नहीं कहा जा सकता परतु यह अप्रश्न है कि मुख्लमान शासकी डाग किय जाने वाले अगाजारी रुकने के लिए छाड़-छाड़ा जालनाक्का का पिराह कर दिया जाना था। वालर जाने गाल्लों का यह भा पना नहीं होता था कि पिराह क्या होना है और ज्योर क्या उत्तरावायन्य होन है। अखु, दुख मा हो ज्यु समय समर का तकाजा था परतु अब समय ना दूसरा तकाजा है। अधिक सवानापात्त वी नगह सरति नियमन, निम्न स्पास्थ स्तर ना नगह अच्छ स्वास्थ स्तर तथा अल्यायु वी नगह दायायु वी आमरणता है। इस प्रथा के लाभ ता नाम मात्र के हैं परन्तु हानिया अमरणता है। यह इस प्रकार है

(६) गालापस्था म पिराह हु जाने के जायग्य भारत म उप दूर भी न्यून छुँचा है। दश यह ननवरना तिन-चूना रात-न्यौगुनी बढ़ना जला ना रहा है। देश के चाड़ भी यानना चाह यह कितनी भी अच्छ क्या न हो ज्यु समय तक सक्क नहीं हो

सक्रीय जब तक जनसंख्या सीमित न हो। १९५१ के जनगणना आयुक्त (Census Commissioner) ने यह सुझाव दिया था कि एक व्यक्ति की सतान नीन से अधिक नहीं होनी चाहिए अन्यथा देश की आर्थिक प्रगति रुक जायगी।

(२) दूसरा दोष यह है कि शाल्यावस्था में जो संतान उत्पन्न होती है वह अस्वस्थ एवं अपग होती है। हम लोगों की यह एक धार्मिक एवं सामाजिक धारणा है कि संतानहीन व्यक्ति भनहृत एवं पापी होता है। वे इतने अधम समझे जाते हैं कि एक भियारी उनसे भीत लेना भी उचित नहीं समझता। ऐसी अवस्था में शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकृत होने हुए भी व्यक्ति विवाह कर लेते हैं और संतानोत्पत्ति पर भी प्रतिभूत नहीं लगते। कलतः देश के भागी वर्षधार शारीरिक एवं मानसिक रूप से जन्म दे ही ग्रयोग्य होते हैं।

(३) अल्पायु में मातृत्व प्रहण करने के बारण अधिनाश विद्यां वी प्रसव-काल में ही मृत्यु हो जाती है। दुर्बल बच्चे होने के बारण उनकी भी अधिवारातः मृत्यु हो जाती है। इस प्रवार हमारे देश में जन्म और मृत्यु दोनों की दरें अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ऊँची हैं।

(४) चौथी हानि यह है कि शारीरिक एवं मानसिक रूप से अभाव ग्रस्त होने के कारण हमारे नवजानों की आर्यक्षमता अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम होती है। इसका आर्थिक परिणाम यह होता है कि देश का आर्थिक विवास कम होता है और रहन-सहन का स्तर नीचा रहता है।

पद्म प्रथा

बाल-विवाह वी तरह पद्म-प्रथा भी हमारे राष्ट्र के शरीर में एक घोड़ है। पद्म-प्रथा का प्रादुर्भाव सम्भवनः मुस्लिम काल से ही होता है। कुछ मुख्लमान शासनों के शासन काल में मुख्लमानों को इतनी स्पतनवा मिल गई भी कि वे यिनी भी हिन्दू नारी के साथ बलात् विवाह कर सकते थे। सुन्दर नारियों का अद्वारण एक माधारण-सी बान बन गई थी। ऐसे भी उदाहरण पाये जाते हैं जहाँ कुछ अन्याचारी शासनों ने यह घोषित कर दिया था कि वोई भी मुख्लमान छिठी भी हिन्दू वालिमा अथवा नारी से स्वप्न ऐच्छिक अथवा बलात् विवाह कर सकता था और असमर्प होने पर ऐसा करने के लिए राज्य अधिकारियों की सहायता भी ले सकता था। इन अन्याचारों से इनके लिए तभी अपने धर्म भी लाज अन्यथा रखने के लिए हिन्दू समाज में पद्म-प्रथा प्रचलित हो गई। उस समय पद्म-प्रथा के लाभ कुछ भी रहे हों परन्तु अब तो हानि ही हानि है। परिस्थितियां बदल चुकी हैं और परिवर्तित परिस्थितियों में पद्म-प्रथा वो भी परिवर्तित कर देना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? इसके बारण ये हैं—

(१) पर्दा प्रथा के कारण हमारी श्रम शक्ति का एक बहुत गङ्गा अर्थ निक्षिप्त पड़ा रहता है। मिया अब देश की भाँति जीवन-सप्ताह में उक्तिय भाग नहीं ले पाता। उनकी दुष्कृति एवं श्रम का पूर्ण उत्तराग नहीं हो पाता।

(२) पर्दा प्रथा के कारण हमारा स्त्री वर्ग अधिकारात् अशिक्षित भ्रमा रहता है और जीवन अधरामय भ्रमा रहता है।

(३) पदा प्रथा के कारण स्त्रियाँ स्वच्छ एवं खुले हुए वातावरण में चिकनखण्ड नहीं कर पाता निकारा दुष्परिणाम क्यूंकि उनके मानाचक एवं शारीरिक स्वास्थ्य तक ही सामित न रहनेर उनकी सतान पर भी पड़ता है।

(४) पदा प्रथा के कारण पुरुष अपनी दिव्या की शहरा में, नहा स्थान का अभाव होता है, साथ नहा रख पान जिसका फल वह होता है कि अन्या अनेक अमैतिरुद्गुणों में फस जाती है। पुरुष लोग भी इस टुगुण के शिकार हो जाते हैं।

यद्यपि पदा प्रथा का आजकल काफा प्रगत हो रहा है और प्रश्नी सम्बता के प्रभाव, सामाजिक एवं आत्मारक नायकत तथा प्रगतिशील शिक्षा का वृद्ध के क्षेत्रस्त्री पदा प्रथा समाप्त हो रहा है परंतु फिर भी देश के ग्रामीण भागों में इसका प्रबलन है। ग्रामशस्त्रा यह है कि इसका शाश्वातशीघ्र उत्तरान किया जाय और स्त्रिया पुरुषों के साथ उसके मिलाकर राष्ट्रीय आर्थिक विकास में भाग लें किया जिसके अद्यता में हो रहा है। यह भारत के क्षेत्र कोइ नवीन चाज न होगी क्योंकि प्राचीन भारत में भी दिव्या ने पुरुषों को सदैव सहयोग दिया है। ऐसे भी हाटाने के लिए दिव्या ने पुरुषों को नवृत्त भी किया है।

भारतीय धर्म एवं दर्शन

भारतीय आर्थिक विज्ञान का प्रभावित क्षमते में भारतीय धर्म और दर्शन का भा एक प्रिय हिन्दू व्यक्ति किसी भी धारा का वरन से पहले उत्तर शुभ मुद्दत का साजवा है और ज्ञानियों द्वारा पाठ्यकालीन स्त्रियों की वाय जो सफलता के बारे में पूछ जान प्राप्त कर लेना उचित समझता है। आधुनिक विज्ञान ने स्थान पर धार्मिक एवं ग्रामीणशास्त्र के पदों पर अधिक जार दिया जाता है। यह उत्तर अशिक्षित व्याक्तियों तक ही सामित नहीं है बल्कि इनके निकारा व्यक्तियों और लिए समान रूप में सत्य है। उदाहरणार्थ हमारे राष्ट्रपति डॉ. रामेन्द्रप्रसाद द्वितीय मन्त्री भिक्षु भिक्षु विदेश भ्रमण नहीं करते। हमारे प्रैश्य के मुख्य मन्त्री डॉ. सम्पृष्टि भिक्षु अपने मरियूद के बारे में व्याक्तियों से परामरण लेते हैं।

धर्म के नाम पर आज हमारे देश में कितने ही लोग निक्षिप्त पड़े हुए हैं। असल्य धन का अपव्यय किया जा रहा है और जितने ही सामाजिक ट्रांसरेण्ट का

सहा जा रहा है। धर्म के नाम पर लाप्ति व्यक्ति भी समझते हैं। अहिंसा के नाम पर अनेक हानिकारक कीटाणुओं एवं पशुओं को नाट नहीं रिया जाता जो हमारी खेती को करोड़ों रुपये की प्रति वपु हानि पहुँचाते हैं। इसी विचारधारा ने अनुसार बृद्ध और वैदार जानपरों को मारा नहीं जाता बिसठे लगभग ६० बरोड़ रुपये प्रति वपु की हानि होती है। नि सदैह भारतपर विशाल जनसंख्या का निर्भन एवं पिछङ्गा हुआ देश है परन्तु इसी निर्भनता वथा पिछङ्गे पन व लिए कल हमारा धर्म और दर्शन ही उत्तरदायी नहीं। हम यह भी मना नहा कर सकत कि भास्तीय धर्म और दर्शन से देश के आर्थिक विकास को बोई जानि नहीं पहुँची। श्रीमती वीरा एस्टे क अनुसार “धार्मिक प्रवृत्ति चाहे दिसी भी विशेष सम्प्रदाय से सम्बद्धित हाँ, भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र म व्याप्त है और दुरुह रुद्धिशाद व ग्रन्थ विश्वासों को जन्म देती है तथा प्रत्येक नवीनता का चाहे वह कितनी ही जागृत व उदार क्या न हो, तर्हीन विरोध करती है। पाश्चात्य देशी की अपेक्षा भारत म आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए धार्मिक विकास को नाट करना अधिक बढ़िया है क्यानि यहा वर्तमान धार्मिक विश्वास वथा उनसे उत्पन्न हुआ विशेष सामाजिक संगठन इस उद्देश्य म जागरूक है।”^{१३}

भारतीय धार्मिक ग्रन्थ जैसे उपनिषद्, दर्शनशास्त्र, श्री मद्भगवद्गीता वथा श्री रामचरित मानस को विदेशिया द्वारा भारतीय निर्भनता व वारण ज्ञाय जात हैं। इसक प्रत्युत्तर म यही कहा जा सकता है कि विदेशिया ने हमारी धार्मिक पुन्तरी की शिक्षा को या तो पिछुल नहीं समझा है और यदि समझा है तो उस गलत समझा है। वास्तव म देखा जाय तो हमारे ये शास्त्र हम लोगों को निष्क्रिय एवं उदा सान न जना कर निराशम धर्म दोग वी शिक्षा देकर कर्मण्य बनात हैं। बनागजन का कही भी निपथ नहीं है परन्तु यह हम यह भी नहीं सियात कि मानवीय जीवन क वास्तिव लक्ष्य को भुलाकर उबल धन वी ही सान म पागल हो जाना चाहिए। हमारा धर्म यह भवता है कि धन मनुष्य क कल्याण व लिए है न कि मनुष्य धन क लिए। धन साधन है साय नहीं। यही गति प्रतिद्वं अर्थशास्त्री ३० मार्याल और उनक अनुयायिया ने अर्थशास्त्र श्री परिमाण म स्पष्ट वी है। हमारा सच्चा ५८ हम एवं मुद्दर जीवन विताने के लिए, परमार्थ क लिए उद्यागी अथवा कर्मठ ननन क लिए प्रेरणा देता है।

आयुनिर पुण्य पुण्य लाभमान्य निलम, महाभा गार्भी वथा मिनाम भावे ने धर्म की व्याप्ति घरन हुए कर्म ३। ही धर्म वी प्रधान शिक्षा भवनाया है। श्री मद्भगवद्गीता जा सम धर्म और दर्शन वा खार है एवं कर्मयोग शास्त्र है। इसक अनुसार कर्म निराशम होना चाहिए। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि धन क प्राप्ति नहीं करनी चाहिए। धन साधन एवं रूप म उत्तर्जित करना अपन्त आपरमप है। यह धर्म माह वी प्राप्ति क लिए आपरमप है अतु धनोपार्जन करना और उसका सुपरयाग

बरना हिन्दू धर्म की मूल शिक्षा है। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने भी आर्य समाज में कर्म को ही पधान बताया है।

अतएव यह निर्भीखा से बहा जा सकता है कि यदि भारत में साधारण शिक्षा एवं साध साथ धार्मिक शिक्षा दो भी स्थान दिया गया होता और धर्म के सही और मूल मिद्दानों को साप्त स्प से उताया गया होता तो निस्सदेह भारतपर्य अन्य देशों की अपेक्षा कहीं आविष्क मुग्धी, सम्प्र एवं समृद्धिशाली होगा।

ग्राम पचायत

ग्राम पचायतें भी हमारी नामाजिक व्यवस्था में एवं महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और अन्तत देश पर आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं। प्राचीन भारत में पचायतें समाज के सुगठन की आधार शिलाएँ थीं। श्री एलकिन्सटन के अनुसार “इन ग्रामों में (भर्त्ता ग्रान्ट) छोटे पेमाने पर अपने घन्दर ही एवं पूर्ण राज्य पर सभी उपकरण हैं और यदि सभी सरकारी को यहाँ से हटा लिया जाय, तरं भी पचायतें ग्रामों की मुग्धा के लिए पर्याप्त हैं।” इनकी महत्वा यो स्तीगर वरते हुए हमारी राष्ट्रीय संरक्षण ने इन पचायतों को पुनः प्रतिष्ठित स्थान प्रदान किया है। विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में पचायत राज्य की स्थापना की है। देश में ग्राम पचायतों की पुनर्स्थापना निस्सन्देह एक कान्तिकारण बार्य है जो योग्य ही आमाल जीवन के स्तर पर उँचा करने तथा अन्तोगत्या देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने में सहायक होगा।

प्रश्न

1 In what manner do the important social and religious institutions help or hinder the economic progress of the people in India? Give examples. (Punjab, 1954)

2 Discuss the economic consequences of the caste system. Do you think there is any justification for its continuance in the present conditions? (Agra 1954)

3 Write a short note on Joint family system. (Agra 1957)

प्रध्याय ५

भारत की जनसंख्या—तथ्य, समस्या तथा उपाय

(The Population of India—Facts, Problems, and Remedies)

किसी देश की अर्थव्यवस्था पा अध्ययन उस समय तक पूर्ण नहीं पहा जा सकता जब वक उस देश के आर्थिक जीवन पर प्रभाव डालने वाली हमी घाटों पा निश्चेत्यागमन एव आलोचनात्मक अध्ययन न वर लिया गया हो। देश की आर्थिक उन्नति के लिए ऐसल प्राइविक साधनों पा ही महत्व नहीं है क्योंकि प्राइविक साधनों के अधिकार राष्ट्र की सरये बड़ी समस्ति उपर्यं मानवी शक्ति (human resources) होती है। इस कारण देश की प्रगति एव आर्थिक समृद्धि प्राइविक साधनों के अनुरिक्त उस देश की जनसंख्या की प्रवृत्ति एव उसी पार्यव्रक्ति पर भूत युद्ध निर्भर है।

जनसंख्या के अध्ययन का महत्व

(Significance of the Study of Population)

किसी देश की जनसंख्या पा अध्ययन उस देश की अर्थव्यवस्था के अध्ययन का महत्वपूर्ण ग्रण है। यह स्पष्ट है कि किसी देश की उन्नति उस देश में उपलब्ध प्राइविक सम्पदा और प्रहृति के अन्य प्राइविक उपहारा (other free gifts of nature) पर जितना निर्भर करती है उससे अधिक उसके नियांसियों पर। कारण यह है कि एक और तो जनसंख्या उन्नति पा प्रमुख साधन है अर्थात् देश के प्राइविक साधनों पा समुचित उपयोग राष्ट्र की श्रमशक्ति द्वारा ही होता है, दूसरी ओर देश के समल उत्पादन एव प्रवृत्ति के उपलब्ध साधनों के शोषण का लक्ष्य देश की जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ही निया जाता है। अन्य शब्दों में जनशक्ति द्वारा ही उत्पादन सम्भव है और समस्त उत्पादन जनशक्ति के लिए ही निया जाता है। (Population helps production and all production is for population.)

जनसंख्या के अध्ययन के महत्व का दूसरा कारण यह है कि आधुनिक सुग में जब प्रत्येक राष्ट्र अपनी आर्थिक उन्नति के लिए प्रयत्नरीति है, देश के विभिन्न सम्बन्धी योजना के निर्माण के लिए यह जानना आवश्यक है कि देश की किसी जनसंख्या है? जनसंख्या की वृद्धि निय गति से हो रही है? देश के विभिन्न भागों में जनसंख्या के विवरण का क्या रूप है तथा जनसंख्या की रचना किस प्रकार की है? जनसंख्या के ऐसे अध्ययन द्वारा देश की कार्यव्यस्त जनशक्ति का अनुमान हो जायेगा जिससे उस देश

के नियन्त्रण की सम्पूर्ण कार्यशक्ति का आभास हो सकता। ऐसी कार्यशक्ति का देश के आर्थिक विकास के लिए उच्चतम उपयोग करना आर्थिक नियन्त्रण का उत्तरदायित्व है। उदाहरणार्थ यदि हम इसी देश के लिए आर्थिक योजना का निर्माण करते हैं तो यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि उस देश का निवासी भाग कार्ड करने योग्य है। साधारण तौर पर १५ से ६० वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों को वार्द्धशील जनसंख्या (Working population) में माना जाता है। इस दृष्टि से यदि इस देश की जनसंख्या का नियन्त्रण आयु-समूह (different age groups) में वर्गीकरण कर लें तो हमें देश की कार्यव्यवस्था जनसंख्या का एही अनुमान हो जायेगा, जो आर्थिक योजना एवं रोजगार (economic planning and employment) में अपना विशेष स्थान रखता है।

जनसंख्या और राष्ट्रीय आय

(Population and National Income)

नियी देश की राष्ट्रीय आय का उस देश की जनसंख्या से नज़ारे घनिष्ठ सम्बन्ध है। जनसंख्या ना जिनना आविष्कार भाग कार्यशील होने वाले राष्ट्र की नियन्त्रित क्षमता में व्यस्त होगा उनी ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि सम्भव होगी। इसी प्रभाव राष्ट्रीय आय देश की जनशुक्ति व लिये उपलब्ध रोजगार के साधनों (avenues of employment) पर भी निर्भर करती है। यदि नियी देश की अधिकार्य जनवा बेनार है या नियन्त्रित लिये पक्षात् कार्य उपलब्ध न हो तो उस देश की राष्ट्रीय आय, नि स्वेच्छा ऐसे देश की तुलना में कम होगा जहाँ सम्पूर्ण जनशुक्ति के लिये पर्याप्त कार्य उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आय नियी देश की प्रकृति व गुण (nature and qualities) पर भी निर्भर होता है। अधात् घनी आगामी और अधिक चारव्यवस्था जनसंख्या होने पर भी यदि देशासियों में राष्ट्र व जनसंख्या में वृद्धि का योग्यता एवं इच्छा (ability and willingness) न हो तो उस देश का आर्थिक विकास (economic growth) कठारि सम्भव नहीं। इसके बारे में किसी देश की आर्थिक समृद्धि व राष्ट्रीय आय देशासियों व उन व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करती है जो आर्थिक उत्तरवादी व लिये प्रत्यक्ष आवश्यक हैं जैसे मौजितव विविध पदार्थों में जान (liking for material things), नये विचारों का प्रहरण करने वाला तात्पर्य (responsiveness to new things), नई विद्याओं का इच्छा (desire to learn new techniques), सामान्य योग्यता (general ability), गतिशीलता (mobility), उद्योग और साधन-सम्भवता (industry and resourcefulness) इत्यादि।

अधिकांशित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की समस्या (The Problem of Population in an Underdeveloped Economy)

एक पूर्ण विभिन्न अर्थव्यवस्था में आधिकांशित विसाय की दशाएँ एक अर्थव्यवस्था की दुनिया में वृद्धियाँ हैं। ऐसे हो जाएगा आधिकांशित विसाय में एक महत्वपूर्ण बल है परंतु एक अधिकांशित अर्थव्यवस्था में उससे विशेष खनस्थानी के बारण जनसंख्या पा विशेष महत्व होता है। स्टीन फ्रैंसुर अर्थव्यवस्था प्रोफेसर गुन्नार मिर्डल (Prof Gunnar Myrdal) के अनुसार अधिकांशित अर्थव्यवस्था में जहाँ एक और औरत आय का मार (average level of income) गहुत भिन्न होता है, वहाँ दूसरी और जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि के बारण भूमि पर जनसंख्या पा भार लड़ता जाता है। इसी प्रश्न दोनों प्रश्न की अर्थव्यवस्था में विसाय सम्बन्धी समस्याएँ उनके आकार भी दृष्टि से भी भिन्न होती हैं। आज जो विभिन्न देश हैं उनसे जनसंख्या प्रारम्भ में गहुत योग भी, उदाहरणार्थ इंग्लैण्ड की जनसंख्या उठाएँ पूर्व औद्योगिक वाल (pre-industrial era) के समान उम्मीद एक वरोड़े रोल लगभग भी। इस बारण ये इन्हे विभिन्न राज्यों अनेक अवस्था पर अपने लक्ष्य की पूर्णि कर सकने में समर्थ थे। इन्हे उनके आधिकांशित और औद्योगिक विवास के लिये एक साधन समझा जाता था और उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिये एक विस्तृत बाजार। यही नहीं ताजालीन सांघनिक अवस्था ने भी उनके आधिकांशित विसाय में भी गहुत योग दिया, विसाय बारण गहुत बड़े राज्यों ने अनेक छोटे छोटे अविवित राज्यों का अपनी दासता भी बढ़ावा में लाने लिया। अधिकांशित देशों के आधिकांशित विसाय के लिये ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं हैं। उनके सामने विशाल एवं दिनोंतर लड़ती हुई जनसंख्या के आधिकांशित कृत्याण और उच्च स्तर प्रदान करने की जटिल एवं भीमण्य समस्या है।

भारत की जनसंख्या के मूलभूत तथ्य (Basic Facts about Indian Population)

(१) जनसंख्या का आकार (Size of Population)—भारतमें सासार में सबसे धनी आवादी बाले देशों में से एक है। इसकी जनसंख्या पा आसार नहुत विशाल है। चीन को छोड़कर सासार में भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है। सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार जम्मू-कश्मीर, काशीनी, ग़ज़ा, तथा, असम के बहुत ज़ेरा के छोड़कर भारतमें की जनसंख्या ३५,६८,७६,५८५ थी। जम्मू-कश्मीर राज्य की जनसंख्या लगभग ४४ लाख है और असम के (Tribal Areas) की ५७ लाख थी। इस प्रकार भारत की कुल जनसंख्या १९५१ की जनगणना के अनुसार ३६,१८

करोड़ थी। ऐसा अनुग्रान किया जाता था कि प्रति वर्ष १२० प्रतिशत की औसत वृद्धि होता गई तो १९५८-५९ तक भारत की जनसंख्या लगभग ४० करोड़ हो जायगी।

(२) देश की वर्तमान जन संख्या—भारत की जनसंख्या आजकल वितनी है? इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (Central Statistical Organization) के एक विशेष अध्ययन दल (Special Study Group) का अनुमान जानने योग्य है। इसके अनुसार ६ मार्च सन् १९६१ तक भारत की जनसंख्या ४३० लाख मिलियन हो जायगी और सन् १९६६ तक यह जनसंख्या बढ़ कर ४७६.६ मिलियन तक पहुंच जायगा। देश की आगामी जनगणना १९६१ म होगी और जब तक सन् १९६१ की जनगणना के परिणाम ज्ञात नहीं हो जाते तब यही अनुमान आगामी तृतीय पञ्चवर्षीय योजना के सम्बन्ध म प्रयोग किये जा रहे हैं।

(३) विभिन्न राज्यों की जनसंख्या (Population in Different States)—१ नवम्बर सन् १९५६ को हमारे देश म राज्यों का पुनर्संगठन हुआ। १९५१ की जनगणना के अधार पर भारत की पुनर्संगठित जनसंख्या निम्न तालिका म उनकी जनसंख्या न क्रम म दी जाती है—

राज्य	जनसंख्या (लाखों में)	कन्द्र शासित क्षेत्र	जनसंख्या (लाखों में)
उत्तर प्रदेश	६३२	दिल्ली	१७
मराठा	८२	मणिपुर	६
मिहार	३८८	हिमाचल प्रदेश	११
आन्ध्र प्रदेश	३१३	निषुआ	६
मद्रास	१००	आदमान नीमोपार द्वीप	३
पश्चिमी बंगाल	२६३	लरादिन, गिमीराय	२
मध्य प्रदेश	२६१	एय अमिनीदिव	
मैसूर	१६४		
पंजाब	१६१		
राजस्थान	१५८		
उड़ीसा	१४६		
चंगल	१३५		
असम	६०		
जम्मू व काश्मीर	४४		

इस उपरोक्त अनुमान से यह स्पष्ट है कि आज भारत की जनसंख्या ४० करोड़ से अधिक हो गया।

(४) जनसंख्या का वितरण ग्रामीं तथा नगरों में (Distribution of Population between Towns and Villages)—उत्तराखण्ड तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि भारतवर्ष की जनसंख्या पाँच विभिन्न ग्रामीं में इस प्रसार हुआ है। अब हम देखेंगे कि देश में नगरी तथा ग्रामीं में देश की जनसंख्या का वितरण का क्या रूप है। जैसा कि सर्वाधिक है कि भारत एक हृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकांश जनता खेती पर आधित है इस कारण देश का अधिकांश भाग ग्रामीं में निवास करता है। इसी लेतरु ने सब लिखा है 'भारत ग्रामीं पर निवासी हैं, (India lives in villages) कुल जनसंख्या का पाँच ३% अर्थात् ६२ मिलियन शहरों और नगरों में तथा पाँच ७% भाग अर्थात् २६५ मिलियन ग्रामीं में चला हुआ है। इस समय भारत में लगभग ३,०१८ नगर और ५,४८,०८८ ग्राम हैं जिन्हें तालिका में जनसंख्या के आधार पर नगरी और ग्रामीं की संख्या पा जाता है —

शहर और ग्राम जिनकी जनसंख्या	गुण्य
५०० से कम	३,८०,०२०
५०० से १,०००	१,०४,२६८
१,००० से २,०००	५१,७६६
२,००० से ५०००	२०,५०८
५,००० से १०,०००	३,१०१
१०,००० से २०,०००	८५६
२०,००० से ५०,०००	४०१
५०,००० से १,०,००००	१११
१,००,००० से अधिक	७३
कुल योग	५,६१,१०७

(५) जनसंख्या का घनत्व (Density of Population)—किसी देश की 'जनसंख्या के घनत्व' से हमारा आशय इस देश में प्रतिवर्ग मील रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या से है। अर्थात् एक वर्ग मील में जितने लोग रहे हुए हैं। जनसंख्या का घनत्व सम्पूर्ण देश के लिए निकाला जा सकता है अथवा देश के किसी प्रदेश व भाग का, जिसने वही गणि धड़ी गारल है। किसी देश या प्रदेश की कुल जनसंख्या को देश अथवा प्रदेश के कुल क्षेत्रफल से भाग देकर जनसंख्या या घनत्व निकाला जा सकता है।

जनसंख्या के घनत्व का महत्व (Significance of the Density of Population)—किसी देश की जनसंख्या का घनत्व का ज्ञान उस देश की वास्तविक आर्थिक एवं प्राकृतिक स्थिति की जानकारी के लिए अत्यन्त आवश्यक है। जनसंख्या के घनत्व से हमें इस गत का पता लगता है कि देश के निभिन्न प्रदेशों एवं चौराहे के राष्ट्र की जनसंख्या अथवा जनशक्ति के नितरण का क्या स्वरूप है। जैसा आगे चलकर हम भारत के निभिन्न भागों में जनसंख्या के घनत्व की जानकारी से स्पष्ट होगा कि भारत के निभिन्न प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व एक-सा नहीं है। उनमें भीषण निभिन्नता है। उदाहरणार्थ जन एवं और भगाल में जनसंख्या का घनत्व ८०६ है तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश में उपर १६३ है। इसी प्रकार सउर्य अधिक घनत्व देहली का है जो ३,०१७ है तो अन्डमन नीबोगार का सउर्य कम है जो १० है। जनसंख्या का घनत्व से निरी स्थान अथवा प्रदेश की जलगाम, वहाँ हाने वाली पर्यातक्या उपलब्ध भूमि, चिंचाइ के साधन तथा उत्तोष घनधों की स्थिति, एवं रोजगार के उपलब्ध साधनों की वास्तविक दशा का ज्ञान होता है निसर्ग वारणि कियी एवं स्थान पर दूसरे स्थान की अपेक्षा अधिक अर्थित होता है।

भारतवर्ष में जनसंख्या का घनत्व (Density of Population in India,—उन् १९५१ की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष की जनसंख्या का औसत घनत्व ३१३० प्रति वर्गमाल था। निम्न तालिका में देश के निभिन्न प्रमुख राज्यों के घनत्व को प्रदर्शित किया गया है। यह तालिका १९५१ के जनगणना के अँगड़ों पर आधारित घनत्व के प्रमाणानुसार दिये गये हैं—

राज्य	घनत्व	राज्य	घनत्व
दिल्ली	३,०१७	मैगूर	३०८
शाहनवोर बोकीन	१,०१५	मध्य प्रदेश	१६३
पश्चिमी बंगाल	८०६	राजस्थान	११७
झिहार	५७२	आसम	१०६
उत्तर प्रदेश	५५८	हिमाचल प्रदेश	६४
पंजाब	३३८	पंजाब	३५
बंगलुरु	३२३	आण्डमान नीकीनार झील	१०

उपरोक्त गालिया से देश की जनसंख्या के घनत्व में प्रादेशिक विभिन्नता स्पष्ट है इस विभिन्नता के अनेक वारण्य हैं जो निम्न हैं —

जनसंख्या के घनत्व को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व (Factors governing Density of Population)

(१) जलवायु (Climate)—जनसंख्या के घनत्व पर जलवायु वा वहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि किसी प्रदेश की जलवायु स्थान्यप्रद है तो उस क्षेत्र में अधिक लोगों वा निवास होगा जिससे उस क्षेत्र वा घनत्व भी अधिक होगा परन्तु यदि जलवायु ऐसी हो जहा अनेक प्रभाव वी भीमात्रिया वो प्रोत्साहन मिलता हो जैसे, असम वी जलवायु में मलेसिया वा प्रश्नोर रहता है, तो ऐसे स्थानों पर जनसंख्या का घनत्व कम होगा, यह स्वाभाविक है।

(२) वर्षा (Rainfall)—भारत एवं हिंगे प्रधान देश होने वे वारण्य जिस क्षेत्र अथवा स्थान पर सेती के लिए आवश्यक सुनिधार्य उपलब्ध हैं वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अवश्य ही अधिक होता है। सेती के लिए वर्षा चीवन-सजीवनी है इस कारण जिन क्षेत्रों में वर्षा पर्याप्त मात्रा में तथा उपयुक्त समय पर होती है वहाँ प्रति वर्गमील अधिक आगामी होती है। उदाहरण के लिए हमारे देश में उत्तर प्रदेश, झिहार, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी एवं पूर्वी बाट आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। इस वारण्य घनी आगामी बाले प्रदेश भी यही है। ही यह अवश्य जानने योग्य गत है कि असम, जहा सबसे अधिक वर्षा होती है, फिर भी वहाँ आगामी

कम है क्योंकि जनसंख्या के घनत्व का पहला तत्व जलवायु ही है। असम, जहाँ मलेरिया का भीषण प्रबोध रहता है वहाँ वीजलवायु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है इसलिए जनसंख्या का घनत्व कम है।

(३) भूमि की उर्वरता (Fertility of Soil)—अच्छी उपज वाले द्वे देशों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होना स्थानाधिक ही है जिसमें कारण हृषिकों को कम लागत और कम परिश्रम से अधिक प्रति एकड़ उपज प्राप्त होती है।

(४) सिंचाई (Irrigation)—जनसंख्या का घनत्व ऐप्ल वर्षा पर ही निर्भर नहीं करता क्यानि जिन द्वे देशों में सिंचाई के पद्धति साधन उपलब्ध हो वहाँ वर्षा की इस कमी को विसी हृद तक पूरा कर लिया गया है और इसी कारण जिन द्वे देशों में पहले वर्षा न होने से जनसंख्या का घनत्व कम था वहाँ नहरों जैसे सिंचाई के अन्य हृषिम साधनों द्वारा उपलब्धि के फलस्वरूप प्रति वर्गमील जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि होती गई है।

(५) सुरक्षा (Security)—जिन द्वे देशों में जान व माल की सुरक्षा होती है वहाँ अधिक लोग रहने लगते हैं और जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि होती है। हमारे देश में निभाजन के नाद सीमान्त द्वे देशों में, जहाँ पाकिस्तानी द्वे देशों से अप्राप्य आतंक व सतरा बना रहता है, जनसंख्या का घनत्व अपेक्षाकृत कम है।

(६) रोजगार के साधन (Avenues of Employment)—जिन स्थानों में रोजगार एवं जीविकोगार्जन के साधन अधिक उपलब्ध हैं वे स्थान सबसे धनी आवादी वाले द्वे देशों में जैसे कलारक्ता, चम्बई, दिल्ली, कानपुर, अहमदाबाद आदि, जहाँ रोजगार के आवश्यक के फलस्वरूप दूर-दूर के स्थानों से लोग आपार ग्रामों लगते हैं और इससे कारण जनसंख्या के घनत्व में निरन्तर वृद्धि होती जाती है।

संसार के प्रमुख देशों की जनसंख्या के घनत्व का तुलनात्मक अध्ययन (Comparative Study of the Density of Population of Important Countries of the World)

निम्न तालिका में हम सारे दुनिया प्रमुख देशों की जनसंख्या के घनत्व की मात्रा एवं अनुसार घनत्व से तुलना करेंगे—

देश	घनत्व (प्रति वर्ग मील)
भारत	३१२
आस्ट्रेलिया	३
कनाडा	३
कानास	२५०
इटली	३६४
स्ट्रीजरलैण्ड	३१२
यूनाइटेड किंगडम	५३५
सुमुक्त राज्य अमेरिका	५४
सोवियत रूस	२३

जनसंख्या के घनत्व का आर्थिक समृद्धि में सम्बन्ध (Relation between Economic Prosperity and Density of Population)

अब प्रश्न उठता है कि क्या विभीं देश की जनसंख्या के घनत्व का उससे आर्थिक सम्बन्ध से कोई सम्बन्ध है अथवा नहीं? इस सम्बन्ध में दो विचार प्रस्तुत किये जाते हैं। एक विचार के अनुसार आर्थिक घनत्व से देश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में सहायता निलंती है क्योंकि विसी स्थान पर भारी सख्त्या में उत्पोदी एवं परिश्रमी जनसंख्या के एकत्रित होने के फलस्वरूप उस द्वेरा अधिक प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का समुचित विभास सम्भव हो सकते के कारण भौतिक एवं आर्थिक समृद्धि अवश्य होगी परन्तु इससा अर्थ यह नहीं कि देश की जनसंख्या का घनत्व सदैव आर्थिक समृद्धि का दोषक है। सचार के प्रमुख देशों की उत्पोदक तालिका में प्रदर्शित जनसंख्या के घनत्व के अध्ययन से यह द्वात् सिद्ध हो जाती है कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि एवं विभास देश की जनसंख्या के घनत्व से सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं। उदाहरणार्थ सचार में कुछ ऐसे सुनिश्चित एवं विशाल राष्ट्र हैं जिनमें जनसंख्या का घनत्व अन्य देशों की अपेक्षाकृत बहुत कम है परन्तु फिर भी आर्थिक उन्नति की दौड़ में वे सरखे आगे हैं जैसे सुमुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस इत्यादि जहाँ जनसंख्या का घनत्व क्रमशः ५४, ३ व २३ है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि विसी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि वेवल जनसंख्या के घनत्व पर ही निर्भर नहीं करती। देश की जनसंख्या का घनत्व तो वेवल मानवी साधनों (Human Resources) अधिक। जनशक्ति भी दोषक मात्र है। राष्ट्र की उन्नति के लिए देश में रहने वाले व्यक्तियों के उत्तरिक, योग्यता, प्रार्थक्षमता तथा प्राकृतिक साधनों द्वारा पूँजी के कुराला उत्पोदग की भी अत्यन्त आवश्यकता है।

स्त्री-पुरुष अनुपात (Sex-Ratio)

स्त्री पुरुष अनुपात का अर्थ—किसी देश के स्त्री-पुरुष अनुपात

आशय है उस देश म प्रत्येक एक हजार पुरुष अथवा स्त्री के पीछे वितनी क्षियाँ अथवा पुरुष हैं।

अध्ययन का महत्व—देश की जनसंख्या वा अध्ययन उसके ही पुरुष का अनुपात की छटि से मुरलयता ऐसे देशों के लिए विशेष महत्व रखता है जहाँ सम्भता का उदय तथा सामाजिक प्रगति भद्र गति से होने वे वारण देश की क्षियाँ देश की आर्थिक क्रियाओं म सक्रिय नाग नहीं लेती। आधुनिक सुग में जहाँ एक और नड़े देशों में क्षियाँ ने निर्स्तर प्रगति करके पुरुषों के वराप्रवर स्थान प्राप्त कर लिया है और आर्थिक क्रियाओं म व्यस्त रह कर वे भी देश की राष्ट्रीय ग्राम व उत्पादन में अपना सहयोग देती हैं—जैसे सुनुक राज्य अमरीना, ब्रेट प्रिटेन तथा सोवियत रूस इत्यादि—जहाँ दूसरी ओर भारत व पाकिस्तान जैसे अन्य प्रिव्हड़े देशों में क्षियाँ अब भी आर्थिक क्रियाओं से दूर रहती हैं। उनका यह स्वामिनी का ही वार्य मुख्य वार्य तथा घर की चहारदावारी ही उनका ग्रादर्श स्थान समझा जाता है।

सन् १९५१ की जनगणना वे अनुसार हमारे देश की कुल जनसंख्या ३,५६६ लाख थी जिसमें से १,८२२ लाख अथात् ५१% प्रतिशत पुरुष और १,७३४ लाख अथात् ४८% प्रतिशत क्षियाँ थीं। भारत में एक हजार पुरुषों न पांच हजार क्षियाँ हैं। परन्तु मारन व कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ क्षिया की संख्या पुरुषों से अधिक है, जैसा निम्न तालिका से स्पष्ट है—

राज्य	क्षिया की संख्या (प्रति हजार पुरुष)
केरल	१,००८
मध्य प्रदेश	१,०१७
मण्डपर	१,०३६
उड़ीसा	१,०४०
मद्रास	१,०५४
पश्च	१,०७६

उसीका तालिका में दिये गये भारत व कुछ इने गिने ही ऐसे प्रदेश हैं जहाँ क्षिया की संख्या पुरुषों व अधिक है परन्तु देश की सामाजिक स्थिति इससे भिन्न है। साधारणतया हमारे देश म पुरुषों की अपवाह क्षिया की संख्या कम है। इसका मुख्य वारण क्षियों में पुरुषों की अपवाह क्षियों की मृत्यु दर अधिक होता है। यद्यपि जनसंख्या वर्षा म क्षियों की अपवाह पुरुषों म अधिक मृत्यु होता है परन्तु भी यिंगु उनमें फरने वाली ग्राम (child bearing age) अपान् २५ व ४५ वर्ष का आवृत्ति में क्षियों की अधिक संख्या में मृत्यु होती है। यही वारण है कि हमारे देश म क्षियों की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होती रहता है। इसके अतिरिक्त स्त्रियों की अधिक मृत्यु होने पर वृद्धि

यामाजिर एवं आर्थिक वारण भी हैं। हमारे देश की अधिकाश जनता प्राचीण लोगों में नियाय करती है जहाँ अधिकाश क्रियां व पुरुष अधिकाश होते हैं। उनसे इटि 'कोण सीमित होता है। पर्दे की प्रथा एवं अस्तच्छ यातारण में अधिक परिव्रम व अनौठिय भोजन मिलने के कानूनीरूप स्थियाँ अस्तरथ हो जाती हैं और वे अनेक प्रकार के रोगों से प्रसन्न रहती हैं, जैसे प्रदर, जर, दृश्यरोग इत्यादि जिनक वारण स्थियाँ की अधिक मृत्यु होती हैं।

देश की जनसंख्या में स्त्री पुरुष का अनुगत असनुलित होने के परिणामस्वरूप तथा नागरीरण एवं औद्योगीकरण की नियन्त्र प्रगति के वारण जब वहे वहे नगरों एवं शहरों की सुख्या म भरामर वृद्धि होती जाती है और अधिक मात्रा में प्राचीण लोगों से लोग औद्योगिक बन्दों में आमर रसने लगे हैं जिससे एक नई उमस्ता उत्पन्न हो जाती है। वहे मिशाल नगरों में आवास की पर्याप्त सुविधा न होने के वारण अभिक अग्ने परिवार को शार्मा ही में छोड़ आते हैं, इससे स्त्री पुरुष अनुपात में अन्तर (disparity in sexes) उत्पन्न हो जाता है जो अनेक असामाजिक एवं अनैतिक क्रियाओं को जन्म देता है, जो देश की जन शक्ति एवं जन स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिप्रद है।

आयु-वर्ग (Age Structure)

महत्व—विसी देश की जनसंख्या का अनुमान लगाने समय प्रत्येक व्यक्ति की आयु की भी जानकारी कर ली जाती है जिससे समूर्ध जनसंख्या को विभिन्न आयु, समूहों में विभक्त करने म सकलता होती है। देश का आयु वर्ग (age structure) उस देश के आर्थिक जीवन को भली प्रशार समझने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जनसंख्या के विभिन्न आयु समूहों के विभाजन से हम इस बात का ज्ञान हो जाता है कि देश में कार्यशील जनसंख्या (working population) विनानी है। जिसरी जानकारी राष्ट्र की आर्थिक योजना के निर्माण के लिए अत्यन्त उपयोगी होती है। सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार हम भारत की कुल जनसंख्या को विभिन्न आयु समूहों में इस प्रकार विभक्त कर सकते हैं —

वर्गीकरण	आयु वर्ग	कुल जनसंख्या का प्रतिशत भाग
शिशु व बालक	०—४	१३.५
लड़के व लड़कियाँ	५—१४	२४.८
युवक व युवतियाँ	१५—२४ } २५—३४ }	१७.४ १५.६
प्रीढ़ पुरुष व लिया	३५—४४ } ४५—५४ }	११.६ ८.५
वृद्ध पुरुष व लियाँ	५५—६४ ६५—७४ ७५ से ऊपर	५.१ २.२ १.०
कुल योग		१००

जैला कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत में १४ वर्ष की आयु तक की वयस्ता की जनसंख्या कुल जनसंख्या का ३८.३ प्रतिशत है। इस आयु समूह में संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या वा केवल २७.१ प्रतिशत भाग आना है। इससे हमें इस नात का ज्ञान होता है कि हमारे देश में संयुक्त राज्य अमेरिका की अपेक्षा शिशुओं तथा नालबों की संख्या अधिक है जो इस नात का खोतान है कि हमारे देश में जम दर काफी ऊँची है। उपरोक्त तालिका से हमें यह भी पता चलता है कि हमारे देश की कार्यव्यस्त जनसंख्या क्या है। साधारण तौर पर १५ से ४५ वर्ष की आयु के व्यक्तियों से अपनी जीविका स्वयं कमाने की आशा व्यक्ति जाती है जिसके अन्तर्गत हमारे देश की जनसंख्या का ५३.४ भाग आता है। ५५ वर्ष की आयु के पश्चात् बृद्धावस्था प्रारम्भ हो जाती है। अर्थात् इस या इससे अधिक अवस्था वाले लोग भी अपनी जीविका के लिए दूसरों पर ही निर्भर होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश की ५३.४ प्रतिशत जनसंख्या जो कि कार्यशील जनसंख्या कही जा सकती है इसको अपने ऊपर आधिक देश की बुल जनसंख्या के अवृत्त ४६.६ प्रतिशत भाग के लिए भी जीविका कमानी पड़ती है। इस प्रकार देश की आर्थिक समृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि उसकी जनसंख्या का अधिक से अधिक भाग आर्थिक कार्य में व्यक्त होने के योग्य हो। देश की कार्यव्यस्त जनसंख्या जितनी अधिक होगी उतनी ही राष्ट्रीय आय में बढ़ि होगी। आयु-वर्ग की उपरोक्त तालिका से एक और महत्वपूर्ण तथ्य का ज्ञान होता है। देश की जनसंख्या का कुल ८.३ प्रतिशत भाग ऐसा है जिसमें ५५ वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति सम्मिलित हैं। यह सर्वविदित है कि आयु के साथ-साथ विशी व्यक्ति में

शान की वृद्धि होती है। अतः उनके सचित शान एवं अनुभव से राष्ट्र को अनेक प्रसार से लाभ पहुँचता है। यात्रा में देश के पथ प्रदर्शन के लिए ऐसे ही अनुभवी तथा बुद्धिमान व्यक्तियों की आवश्यकता है। निम्न तालिका से विदित होगा कि हमारे देश में अन्य देशों की तुलना में ऐसी आयु वाले लोगों की संख्या बहुत कम है।—

राष्ट्र के नाम

५५. वर्ष से अधिक आयु वाले
(कुल जनसंख्या का प्रतिशत भाग)

भारतर्पण	८.३
जर्मनी	१६.१
यूनाइटेड किंगडम	२१.१
फ्रान्स	२१.४
उत्तरी अमेरिका	१६.६
जापान	११.०
इटली	१२.०

उपरोक्त तालिका से यह प्रियुल स्पष्ट है कि योरोप के मुद्दे ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ ५५. वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की संख्या भारत की तुलना में बाही अधिक है जिसके कारण वहाँ अधिक समय तक अनुभवशील एवं बुद्धिमान व्यक्ति अपने राष्ट्र की सेवा तथा उनके पथ प्रदर्शन में समर्थ होने हैं। भारतवर्ष में इस आयु वर्ग में कुल जनसंख्या का योगल दर्द द्रव्यशत भाग हमारी निर्दलता का चोतार है।

जीवन की आशा या अवधि (Expectation of Life)—विभी देश में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के जीवित रहने की आशा किन्तु समय तक वी जा सकती है इसके हमें उत्तर देश ने जन साधारण के व्यास्था का शान होता है। अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में जीनन की अवधि बहुत कम है। सन् १९३१ की जनगणना के अनुसार एक भारतवासी की आयु केवल २७ वर्ष थी जो १९३१ से ४१ के बीच पट कर केवल २३ वर्ष थी। १९४१ से ५१ के जीनन की अवधि बढ़कर ३२ वर्ष तक पहुँच गई। निम्नतालिका से विदित होगा कि सारां वे अन्य राष्ट्रों की तुलना में भारतवर्ष की जीनन अवधि बहुत कम है:—

राष्ट्र	औसत आयु (वर्ष)
नार्त	६६
यूनाइटेड किंगडम	६८
यू० एस० ए० (अमेरिका)	६७
न्यूजीलैंड	६७
भारत	३२

जन्म तथा मृत्यु-दर (Birth and Death Rate)

निम्न लालिता^{*} में भारतवर्ष की जन्म तथा मृत्यु दर का ग्रन्थ देशों से तुलना-त्वम् ग्रन्थयन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत जन्म तथा मृत्यु की दरों से उसका अनेक गड़े देशों से आगे पढ़ा हुआ है।

देश	जन्म दर (प्रति हजार)	मृत्यु दर (प्रति हजार)
भारत	३०५	११७
जापान	२०१	८२
फ्रांस	२८७	८२
न्यूज़लैंड	२५८	८०
संयुक्त राज्य अमेरिका	२४८	८२
यू.ए.	१५८	११४
प्रांगन	१८८	१२०
इटली	१७६	८२

भारत में जन्म-दर आधिक होने के कारण

जैसा कि उपरोक्त तालिमा से निर्दित होगा हमारे देश में ग्रन्थ देशों की तुलना में जन्म दर अधिक है निचले निम्न जारण है —

(१) वाल प्रियाह—भारत में जन्म दर अविक होने से उल्लंघनायित बहुत उच्च उत्तरांत नाल प्रियाह जीवी प्राचीन प्रवा पर है जिसमें कलम्बन्य छोरी आयु में ही घन्धा का पैदा होना शुरू हो जाता है।

(२) धार्मिक विचार—भारत जैसे धर्म प्रवान देश में घन्धा का जन्म एवं धार्मिक महन रखता है। तिन धर्म मृत्यु न गाद उत्तर आगा की शान्ति देने के लिए उन्होंना प्रिया उम पुन द्वारा होना आवश्यक है। इसी कारण धार्मिक इष्टि से घन्धे पैदा करना आवश्यक है।

(३) सामाजिक आवश्यकता—भारत का जन्म सामाजिक इष्टि से भी आवश्यक हो जाता है। भारतवर्ष में उन प्रिया कों पूरणी वीं इष्टि से देया जाता है जो उन्होंने रहने की है। इस प्रवार प्रत्यक्ष दमति को इसी तीव्र इच्छा होनी है कि उसके उच्च रैंग हो जिससे उह सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाये।

(४) सन्तानि नियोजन (Family Planning) के कारण का अभाव—हमारे देश में सन्तानि नियोजन का महत्व उच्चता उच्च होने में नियित व्यक्तियों में

*United Nation's Statistical Year Book, 1956

ही समझा नाता है। देश की अधिकार्य ननता जनसंख्या नियमन उपर्याएँ पूर्णतया अनभिवृत्त है इससे भी जन-दरअधिक है।

(५) निर्धनता—मातृतासियों की निर्धनता भी देश की उच्च जन दर वा कारण है।

मुमारा—उपरोक्त कारणों से सहज है कि यदि हम देश के जन-दर को कम बरना है तो हम अधिक सामाजिक व्युत्तियों एवं धार्मिक अधिकारों का दूर बलने का प्रयत्न बरना होगा। देश में शिक्षा एवं प्रशार द्वारा हम देशनासियों का दृष्टि में परि वर्तन कर सकते हैं जिससे जनसंख्या नियमन के लिए उत्त्युक्त वातावरण उत्पन्न हो सकता है।

मृत्यु-दर ✓

शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality)—जिस प्रत्यार हमारे देश में जन-दर अधिक है उसी प्रकार मृत्यु दर भी अब देशों की तुलना में काफी ऊँची है। मृत्यु-दर वा सम्बन्ध में हम शिशु मृत्यु दर एवं छोटी मृत्यु दर वा अध्ययन करेंगे। निम्न तालिका में दुष्ट ग्राम देशों की तुलना में भारतवर्ष की शिशु मृत्यु दर प्रति हजार दी गई है—

देश	शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार)
भारत	१३१✓
श्रीलंका	७२
नारान	४८ ८
कनाडा	३१ ८
न्यूजीलैंड	२४ १
संयुक्त राज्य अमेरिका	२६ ८
स्वीडनरलैंड	२७ ९
यूनाइटेड रिंग्नेम	२६ ३

जैसा कि उपरोक्त तालिका द्वारा है मारत में शिशु मृत्यु दर अब देशों की अपेक्षा काफी ऊँची है। अत्यधिक शिशु मृत्यु दर का निम्न सुरक्षा कारण है—

(१) माताओं का अस्थायी जीवन—हमारे देश में माताओं का स्वास्थ अनेक कारणों से निगड़ जाता है जैसे अत्यधिक परियम, अस्थायी बातावरण में रहना पद्दें की प्रथा एवं उनका अनेक जीवारियों में शक्ति होना। माताओं के स्वास्थ का होना उनके शिशुओं पर भी बुरा प्रभाव डालता है जिसके कारण वन्दों की मृत्यु अधिक होती है।

(२) माताओं का अस्वास्थ्य वर्धक भोजन—देश की अधिकाश जनता निर्भन है जिसके बारण यह सम्भव नहीं नि माताओं को स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध हो सक, यहाँ तक कि गर्भिणी होने के समय देश की अधिकाश क्रिया को आवश्यक स्वास्थ्यवर्धक एवं पौष्टिक भोजन दिया जा सक। इसका उनके स्वास्थ्य पर तो कुरुते प्रभाव पड़ता ही है साथ ही उनके उच्चे भी दुर्बल एवं कमज़ोर होने हैं जो विभिन्न ग्रीमारियों का सामना करने में असमर्थ होते हैं।

(३) अस्वच्छता—देश की अधिकाश जनता गन्दे तथा अस्वच्छ बातावरण में अधिकाश जीनन निर्भाव करती है। अपने दैनिक जीवन में भी हमारी प्रामीण जनता सपाई की ओर ध्यान नहीं देती जिससे अनेक ग्रीमारियां का जन्म होता है और प्राय महामारी एवं अनेक भीषण ग्रीमारियां के कारण हजारी शिशुओं की अकाल मृत्यु हो जानी है।

(४) प्रजनन सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव—हमारे देश में ऐसे अस्पतालों की अनुकूल कमी है जहाँ जन-साधारण को प्रजनन सम्बन्धी विभिन्न सुविधाएँ प्राप्त हो सकें तथा जन्म-स्थलों की उचित देसभाल हो सक। प्रामीण ज्ञेन्मां में प्रजनन के समय प्राय अशिक्षित एवं अनुशुल दाइयाँ ही उपलब्ध होती हैं जिसके बारण अत्यधिक शिशु मृत्यु दर होना स्वाभाविक ही है।

(५) चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं की कमी—देश की अधिकाश जनता ग्रामीण में निवास करती है जहाँ ग्रीमारियां वर्षे पर चिकित्सा का कोई प्रयत्न नहीं होता और मारी सख्ती में उच्चे भौत का शिकार हो जाते हैं।

स्त्री मृत्यु-दर—देश में अत्यधिक स्त्री मृत्यु दर का विभिन्न कारण है। इस सम्बन्ध में यह चात जानने याप्त है कि हमारे देश में १५ से ४५ वर्ष का आयु एसा है जिस बाल में स्त्रियाँ उच्चों का जन्म देती हैं। दुमाय्य से यही आयु एसी है जिसमें सदस्य अधिक स्त्रियाँ मर जाती हैं जो इस नात का सकल है नि हमारे देश में प्रयोग-काल ही स्त्रियाँ के लिए सदस्य धानक एवं जारिम का समय होता है। स्त्री मृत्यु-दर के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

(१) छोटी आयु में विवाह हो जाना—जाम के सम्बन्ध में अपयाप रिपाड होने के कारण बानूनम अवैध होने पर भी गल विवाह की प्रथा माल में नहुन इद तक प्रचलित है। द्योदा उम्र में विवाह होने के फलम्बूरुप लड़ियाँ अपरिपक्व अपस्था म ही भाना बन जाती हैं और प्रस्तुत सम्बन्धी कठिनाइयाँ सहन नहीं कर पाती हैं।

(२) जल्दी-जल्दी घर्चे पैदा होना—हमारे देश में आधिकाश स्त्रियों के उच्चे जल्दी-जल्दी पैदा होने हैं। उच्चों के जन्म सम्बन्धी अपयाप अन्तर होने के कारण भानाओं का स्वास्थ्य निगड़ जाता है और अनेक ग्रीमारियाँ में ग्रस्त हो जाने के कारण शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है।

(३) प्रजनन सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव—जैसा कि ऊपर देख चुके हैं भारत में प्रजनन सम्बन्धी सुविधाओं की कमी भी स्त्री मृत्यु दर अधिक होने का एक महत्वपूर्ण कारण है।

(४) सामाजिक रीति रिवान—भारत में विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं के बारण भी स्त्रियों का समस्या परामर्श है। जाता है, जैसे स्त्री शिक्षा वे प्रति असचित, पदा प्रधा आदि।

समस्या के हल के हेतु सुझाव—भारत में ग्राम्यक शिशु एवं स्त्री मृत्यु दर होने के कारण इस और आपश्यर कदम उठाना अवश्यक हो जाता है। इस गमीर समस्या को हल करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता इस गत वी है नियमान्वया को कम से कम उत्तर गर्भसाल में एवं शिशु जन्म रेट में कुछ समय पश्चात् तर सास्थ्यनर्धक एवं पौटियों भोजन दिया जाये। प्रमुख सम्बन्धी आपश्यक सुविधाएँ प्राप्त हों, जिन्होंने उन्हें प्रदान हो तथा गल निमाह एवं अन्य सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए उनमें आपश्यर शिक्षा वा प्रशार होना चाहिए।

जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण (Occupational Distribution of Population)

महात्व—जिसी देश का आर्थिक जीवन उस देश की जनसंख्या के पेशेवर वितरण द्वारा नियंत्रित होता है। देश की जनसंख्या के पेशेवर वितरण से इस गत का ज्ञान होता है कि उस देश की स्थिती जनसंख्या किन किन आर्थिक क्रियाओं तथा उद्योगों में व्यक्त है। ऐसी जानकारी के फलस्वरूप ही सासार के विभिन्न राज्यों में से कुछ को आर्थिक राष्ट्र तथा कुछ देशों वो कृपि प्रधान देश कहना सभन होता है।

सन् १९५१ की जनगणना के अनुमार भारतरप्य में विभिन्न उद्योगों तथा पेशों में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या निम्न तालिका में दियाई गई है —

पेशा	आधिक जनसंख्या (लाखों में)	कुल जनसंख्या का प्रतिशत
कृषि	२४६०	६६.८
अन्य प्रसार के उद्योगों में (कृषि को छोड़ कर)	३७७	१०.५
पायार	२१३	६.०
यातायात	५६	१.६
अन्य	४३०	१२.१
कुल योग	३५६६८	१००.०

*उपरोक्त तालिका में कुल जनसंख्या ३५६६ लाख में बैल ३५६६ लाख

जनसंख्या के व्याप्रसाधिक प्रितरण का नेश के आर्थिक जीवन पर प्रभाव—उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारतवर्ष की जनसंख्या का अधिकांश भाग सेवी पर निभर है। इस कारण भारत एक कृषि प्रधान देश है। उद्योग तथा अन्य पेशी में लगे हुए लोगों की संख्या कम होने के कारण हमारी आर्थिक योननाग्री में सेवी के विकास पर विशेष महत्व दिया गया है। यही कारण है कि हमारी प्रथम पच वर्षीय योजना की भी सफलता कृषि और विकास पर निभर करती है। एस और भरगुरुण घर जो देश की जनसंख्या का पेशवर प्रितरण से प्रदर्शित करने वाली उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है वह यह नि हमारा देश ग्राम्यांगिन जल म वाक्ता पिछड़ा हुआ है तथा भारतीय आर्थिक नीपन गहुन हृद तर अस्तालत अपरथा में है जो उठन मद गति से ग्राम्यिक विकास का एक सुरक्षा कारण है ग्राम्यिक कृषि पर निभर होना जिससे देश की ग्राम्यीय आय में वर्गवर परिवर्तन होता रहता है जिससे राष्ट्र की आय निस्तर घटती नढ़ती रहती है। जिसी लेतर तो टीक ही कहा है कि “भारतीय नगर मानस्त्र में एक उद्या है।” (Indian budget is a gamble in monsoons) कारण यह है कि नियत वर्ष देश में काल ग्रन्थी होती है उस साल ग्राम्यवर्षस्था सुरु हो जाता है, कृषकों की अपस्था सुरक्षा जाती है, राजनीय आय में उद्दिष्ट होती है तथा देश के आर्थिक विकास की विभिन्न योजनाओं ने लिए प्रयत्न आपराह्न धन उत्तरव्य हो जाता है परन्तु यदि वर्षा या अवधि किसी प्राहृतिक कारण ने फलस्वरूप दुमाय से यदि किसी वर्ष काल ग्रन्थी न हो तो देश की समस्त ग्राम्यवर्षस्था गिर जाती है और आर्थिक जीवन अस्तरम्भ हो जाता है। यही नहीं ग्राम्यविकास जनसंख्या के सतत में लगे होने के कारण भूमि पर अधिक दबाव हो जाता है जो कृषि ग्राम्यवर्षस्था में अनेक दौष प्रभाव कर देता है, जिसे गवां वा छोटे घास दुर्भागी में भिजता है जाना जिससे सेवी की उत्तर गहुन कम हो जाता है।

नागरीकरण की समस्या (Problem of Urbanization)— जनसंख्या की वृद्धि न साथ भारतवर्ष में नागरीकरण की समस्या भी जाटल होता जा रही है। जैसा कि जनाया जा चुका है कि १९५१ की जनगणना के अनुसार इन्हीं ननसंख्या का इन्हीं ६१६ लाख प्रथम् १७३ प्रतिशत भाग शहरी नगर में रहता है और शायद ग्रामीण में। सहार व अन्य देशों में विविध ऐरी नहीं है। “दाहरणा न लाए प्रान्त में लगभग ५२ प्रतिशत विविध इलाजों में ८० प्रतिशत भाग तर गांवर जनसंख्या कहीं जा सकती है। भारतवर्ष में नगरी तथा ग्रामीण में जनसंख्या के प्रितरण का रूप सदा

के सम्बन्ध में ही परामर्श सार्वज्ञ आसन्न हो गया है। शायद लाप व्याकरण के सम्बन्ध में जनसंख्या प्राप्त नहीं है।

ऐसा ही नहीं रहा है। कुछ समय पूर्व तक स्थिति पूर्णतया भिन्न थी। परन्तु समय की गति के साथ साथ नागरीनरण में बृद्धि होती गई जिसके प्रभुत बारण ये हैं;—

(१) भूमि पर जनसंख्या के नियन्त्रण नहीं भारत के कारण ग्रामीण नियांत्रियों को जीवोपार्जन के अन्य साधनों की रोज़ करना आपराधिक हो गया और वे नगरों तथा शहरों में अधिक मात्रा में जा वर बसने लगे।

(२) ग्रीष्मीयऋण तथा मरीच के आगमन से नव-युग वा प्रारम्भ हुआ और रोजगार के अनेक क्षेत्र नगरों में उत्पलब्ध होने लगे।

(३) नागरिक जीन के प्रति अधिक आनंदण होने का एक और कारण वहाँ अनेक सुप सुविधाओं का उत्पलब्ध होना है जो प्रायः ग्रामीण जीन में प्राप्त नहीं हो पाता।

(४) जर्मादारी उन्मूलन के पश्चात् वडे वडे जर्मादार हुडुम्हों वा ग्रामों से नगरों तथा बस्तों की ओर बढ़ना स्वाभाविक ही था।

(५) देश के नियाजन ने भी नागरीनरण में योग दिया और व्यापार तथा वाणिज में अधिक उचित होने के कारण विधायितों ने अपने जीवोपार्जन के लिए नगरों में ही रहना उचित समझा।

उपरोक्त कारणों के पलस्तरूप इधर कुछ घटों से देश की नागरिक जनसंख्या में नियन्त्रण बृद्धि होती जा रही है जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है —

वर्ष	कुल जनसंख्या की	
	ग्रामीण जनसंख्या	नागरिक जनसंख्या
१९२१	८८०७ प्रतिशत	११०२ प्रतिशत
१९३१	८७०६ "	१२०१ "
१९४१	८६०१ "	१३०८ "
१९५१	८२०७ "	१७०३ "

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि विछुले ३० वर्षों में नगरों की जनसंख्या में ६०% प्रतिशत की बृद्धि हुई है। यही नहीं, देश में वडे-वडे शहरों और नगरों में लोग छोटे छोटे नगरों की अपेक्षा रहना अधिक परन्द करते हैं जैसा कि अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका से स्पष्ट है:—

जनसंख्या

नागरिक जनसंख्या का प्रतिशत भाग

१,००,००० तथा इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में	३८ % प्रतिशत
५०,००० से १,००,००० तक जनसंख्या वाले	३० % „
५,००० से ५०,००० जनसंख्या वाले	२८ % „
५०० से ५,००० जनसंख्या वाले	३ % „

नागरिकरण का महत्व—इसके पृष्ठे हम यह देख रहे हैं कि नागरिकरण का हमारे आधिक एवं रामाजन जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है यह जान लेना अधिक उपयोगी होगा कि नागरिकरण का क्या महत्व है तथा किसी देश की जनसंख्या का ग्रामीण तथा नागरिक जनसंख्या में विभाजन या उस दश के राष्ट्रीय जीवन के विषय तथा का आधार होता है।

(१) नागरिकरण से इसी तथा के राष्ट्रीय चरित्र (National Character) का ज्ञान होता है—नगर तथा ग्राम जनवासियों के चरित्र में अन्तर होता है। यहाँ एवं अब ग्रामीण जनसंख्या में वृत्ति में व्यस्त निवासियों की प्रशंसा में प्रसिद्ध निचारे केटो (Cato) ने कहा है, “The agricultural population produces the bravest men, the most valiant soldiers and a class of citizens the least given of all to evil designs” वहाँ उनके सम्बन्ध में यह भी प्राप्त है कि वे साहस्रादी प्रचारधारा एवं तथा नवीन एवं उनातशील प्रवाहा एवं प्राण अद्वितीय रूपने एवं वारण आधिक विनाश की दौड़ में वे अपने नागरिक माद्यों की अपेक्षा प्रायः पछु होते हैं तो उनके विपरीत विशाल दृष्टिकोण, उनकी शाल निचार तथा आधिक राधन सम्पन्न होते हैं। इस दृष्टि से भारत एवं सम्बन्ध में नहीं या आशा जनसंख्या ग्रामीण है, हम यह सरलता से कह सकते हैं कि दश के आधिक विनाश एवं लिए ग्रामशब्द पृजनभवि ग्रन्थी अपशास्त्र एवं निष्पत्ति है।

(२) नागरिकरण से इसी तथा का आधिक विधाता का ज्ञान होता है—यदि दश नी जनसंख्या का आधिक भाग ग्रामीण है और शहर तथा नगरों में रहने वालों की संख्या ज्ञात करने हो तो हम यह नाम्य जनसाल संख्या है कि देश की ग्राम जनसंख्या इस पर निभर है तथा ग्रामीणगाँव जैसे दश अभी पिछड़ा हुआ है। इसी प्रकार यदि दश की आधिक जनसंख्या शहरों तथा नगरों में रहता हो, तो यह समझना चाहें कि दश जनसंख्या का ग्रामीण जीवन का अन्त प्रगतिशाली संग्रह है।

जैसे रेल, ट्राम, बसा, डार्क व गार, सचार साधन इत्यादि वा आनश्वर मुद्रिताय प्राप्त हैं।

भारत में एक लाख या इससे अधिक जनसंख्या गाले शहरों का सरना लगाया ७३ है, जहा पिछले बड़े वर्षों से निरतर अन्वनावनश्वर वृद्धि होनी जा रही है। हम नीच दी गई तालिमा में ऐसे दस प्रमुख नगरों की जनसंख्या में पिछले पचास वर्षों में हाने वाली प्रगति वा चिन प्रकृति न रहत है जिससे इस वर्ष वा शान होगा तथा भारत में इस गति से नागरीकरण (urbanisation) हो रहा है।

नगर	जनसंख्या में वृद्धि (लाखों में)		ग्राम (लाखों में)
	१९०१	१९५१	
कलापत्ता	६.०	४५.८	३६.८
पट्टीर्हा	५.६	२८.४	२२.८
मद्रास	१.६	१४.२	१२.६
दिल्ली	२.३	१६.८	११.५
हैदराबाद	०.२	१०.६	१०.७
ग्रहमन्दाराद	१.३	७.८	६.६
गगलोर	१.५	७.८	६.३
कानपुर	०.४	७.१	६.७
पूना	०.८	५.८	५.०
लापुनऊ	०.३	५.०	४.८

नागरीकरण के प्रभाव (Effects of Urbanisation)—नागरीकरण वा देश की आर्थिकवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी दश में नागरीकरण के प्रभाव के दो पक्ष होते हैं। आर्थिक एक ओर जहा नागरीकरण द्वारा दश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में योग्यता मिलती है वहा दूसरी ओर नागरीकरण के अनेक दोष भी होते हैं।

नागरीकरण के लाभायक प्रभाव (Beneficial Effects of Urbanisation)

(१) आर्थिक दर औद्योगिक विकास—नागरीकरण दश की आर्थिक दर औद्योगिक प्रगति में उच्चायक होता है। यहे यहे मिशनल उद्योग धर्म के लाए कुशल व परिश्रमी जनशक्ति की उत्तराधिक वारद दश का औद्योगिक विकास सखलता से हो जाता है।

(२) राष्ट्रीय आय में वृद्धि—भूमि पर जनसुख्या में वृद्धि से निरन्तर बढ़ते भार के बारण ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त जनशक्ति (surplus man power) को नागरीकरण ने पलस्त्रूप उपयोगी रोजगार (gainful employment) प्राप्त होता है। इससे वेतनार जनशक्ति का आर्थिक उपयोग (economic utilisation) होता है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है।

(३) देश की सामाजिक एवं राजनीतिक प्रगति होती है—नगरा में जनसुख्या में वृद्धि से प्रगतिशील चिनारों के सचार में सहायता होती है शिक्षित एवं विद्युत हाउटोनोग थाले व्यक्ति जब ग्रामीण में जाने हैं तो वहाँ वे एक नई चेतना व जागृति में सहायता होते हैं। अपने राजनीतिक व सामाजिक अधिकारों एवं कर्तव्यों ऐ सुरक्षित व्यक्ति देश की प्रगति में सहायता होते हैं और अनेक प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ एवं परम्पराओं के उन्मूलन में सहायता होती हैं जैसे जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, गाल निगाह, ग्रस्यूश्यता आदि।

नागरीकरण के हानिकारक प्रभाव (Adverse Effects of Urbanisation)

(१) देश का असमुलित रिकास—नागरीकरण के बारण नगरों व शहरों में विशाल उत्तोगा की स्थापना होती है। जहाँ अनेक व्यक्तियों को रोजगार मिलता है, जहाँ एक और शहरों व नगरों की आर्थिक प्रगति होती जाती है वहाँ ग्रामीण क्षेत्र उसी विद्युती अपरत्था में दहो रहते हैं जिससे देश के निभिन्न भागों का असमुलित नियास होता है।

(२) आगास की समस्या—नागरीकरण के बारण जब ग्राहिकाया जनसुख्या नगरों में प्रवास करने लगती है, तो इससे नगरों का नियासकर असमुलित हो जाता है और लोगों के रहने के लिए जगह ज्ञाना एवं समस्या हो जाती है। गन्दी बस्तियाँ (slums) तथा असम्भूता का जन्म होता है।

(३) घुआं एवं अस्पास्थ्यकर यातानरण—नागरीकरण के जनसाधारण के स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। हर और दुआँ, गन्दगी एवं यातायात की स्नानट (traffic congestion) जैसी अनेक समस्याओं के बारण व्यक्तियों के सामान्य जीवन प्रगाह में रोधा पहुँचती है।

समस्या के हल का सुझाव (Suggestions and Remedies)—उपराज्य विनियन स म्याट है कि नागरीकरण के दोष भी हैं और गुण भी। इस कारण, हम नागरीकरण को राजात्मक करने के बहुत महत्वपूर्ण हैं। परन्तु इतना तात्पर्य यह नहीं है कि हम इस दिशा में परिचमी राष्ट्र का अन्यान्युसरण करने चले जाएं जहाँ कुछ इन-गिने विशाल नगरों में देश का जनसम्प्या वा आर्थिक भाग नियास करता है। हमारे

देश में बुद्धि नहीं वही नगरों की जनसंख्या में रिक्तियाँ एवं अवृद्धि हुई है जिसमें नागरीकरण पर प्रतिरक्षा लगाना आवश्यक हो गया। इसलिए हमारे देश में समस्या यह है कि हम ग्रामों में जनसंख्या के लिए सुनिश्चित योजना जनायें जिससे नगरों तथा शहरों का नियोजित विकास (planned growth) हो तथा नागरिकों के लिए पर्याप्त सुन् मुनिधार्थी शान्त हो। देश का समुचित आर्थिक प्रगति के लिए यही आवश्यक नहा कि व्यवस्था का विकास हो वरन् आमीण ज्ञेयों में भी नये नये उद्योग व्यवस्थाएँ विद्येय जायें जिससे आमीण ज्ञेयों का भी विकास होता जाये। उभी राज्य की समृद्धि सम्भव हो सकेगी।

भारत को जनसंख्या की प्रगति ~

(Increase in India's Population)

जैसा सर्वाधिक है कि भारत सहार के अत्यधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है। यही नहा, यिन्होंने इड वर्षों से भारत की जनसंख्या में नियन्त्रण बढ़ि होती जा रही है जैसा कि हम आगे देखें। भारत की जनसंख्या की यह प्रगति आर्थिक नियोजनों के लिए घोर चिन्ता का विषय बनी हुई है। निम्न तालिका भारत की जनसंख्या की (१८८१ से १९५८ तक की) प्रगति का चिन प्रमुख बर्णी है—

भारत की जनसंख्या की प्रगति (१८८१ से १९५८)

वर्ष	जनसंख्या (लाखों में)	प्रगति (लाखों में)	प्रगति (प्रतिशत में)
१८८१	२,३५६	—	—
१९०१	२,३५५	—४	-१.३
१९११	२,४६०	+१३५	+५.८
१९२१	२,४८१	-२	-०.३५
१९३१	२,६५५	+२७५	+११.०
१९४१	३,१२८	+३७३	+१४.३
१९५१	३,५६६	+४४१	+१३.३
१९५८ (अनुमानित)	३,८७५	+४०६	+६.५

भारत की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण

(१) घाल विवाह—शात विवाह जैसी सामाजिक कुरीति विस्तर प्रत्यक्ष स्थोदी आयु में विवाह हो जाने से देश की जनसंख्या में नियन्त्रण बढ़ि होती रहती है।

(२) भारत में ग्रनेक धार्मिक एवं सामाजिक विचार घालव के जाम को प्रोत्ताहन देने का कार्य करते हैं जैसे पिता के लिए कन्या दान देना तथा उनकी मृत्यु

के पश्चात् अन्तिम दाह सत्सार का पुनर्व्वारा समझ होना उसकी आत्मा की शान्ति के लिए अनिवार्य है।

(३) देशवासियों का निर्वनता तथा उनका जीवन लर अधिक निम्न होना भी जनसख्या में वृद्धि का कारण है।

(४) नहुआ यह देखा गया है कि आर्थिक निर्धन परिवारों में अधिक जन्म जन्मे पैदा होते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सामाजिक विचारों का गोलबाला है। अत्येक खी पुलप के लिए यह अनिवार्य समझा जाता है, जो जनसख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है।

(५) अशिक्षित एवं निरक्षर होने के कारण अधिकाश भारतवासी उच्च जीवन लर को विशेष महत्व नहा देते हैं। अत गतिर वे जन्म को यह भगवान की देन समझते हैं। ऐसी प्रवृत्ति भी जनसख्या की वृद्धि में सहायता देती है।

(६) सयुम्ब युद्ध प्रणाली—इसने कारण जन्म जालन-योग्य वी समस्या तथा उत्तर उत्तरदायित्व दम्पति परन पढ़ने के कारण जालन के जन्म में वोई नाथा नहीं पहुचती और जनसख्या में निरन्तर वृद्धि होती रहती है।

(७) आर्थिक दृष्टि—इसने भी जन्म का अधिक पैदा होना उचित समझा है। परिवार का आय वम होने के फलस्वरूप पिता छोटी आयु में ही अपने वन्ना काँ जिसी वार्ष में लगा देता है जिससे आय में वृद्धि हो। इस कारण वे अधिक वन्ने उच्च वरने के पक्ष में हैं।

(८) देश में परिवार नियोजन का वार्ष मन्द गति से होने के कारण जनसख्या वृद्धि मिना रोक-दोक दुया करती है।

जनसख्या वृद्धि का प्रभाव (Effects of Increase in Population)
लाभदायक प्रभाव (Beneficial Effects)

(१) देश की जनशक्ति में विभिन्नता (Diversity in Man power)—देश की जनसख्या की वृद्धि मानव शक्ति का एक प्रमुख स्रोत है इससे देश की विभिन्न आर्थिक क्रियाओं (economic activities) के लिए विभिन्न प्रकार की आवश्यक मानवी शक्ति उपलब्ध होती रहती है।

(२) श्रीयोगिक विकास (Industrial Progress)—देश का आर्थिक एवं श्रीयोगिक विकास एवं राष्ट्रीय आय की निरन्तर वृद्धि के लिए बुशल जनशक्ति एक आवश्यक तथ्य है।

(३) नागरीकरण (Urbanisation)—जनसख्या की निरन्तर वृद्धि से नागरीकरण में सहायता होती है और वहे नहे विशाल श्रीयोगिक चेन्डों में देश की जनशक्ति आवर्धित होती है।

हानिकारक प्रभाव (Bad Effects)

(१) भूमि पर दबाव (Pressure of Population on Land)—जनसंख्या के नियन्त्रण नहीं होने से भूमि पर उत्तरा भारत बढ़ता रहता है जिससे इसी अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

(२) अतिरेक जनशक्ति (Surplus Man-power)—आधिक पिशाच के अभाव में जनसंख्या नीं बढ़ि ऐ सम्पूर्ण मानवी शक्ति का उपयोग नहीं हो पाता है, इन वारण देश में प्रायः अतिरेक जनशक्ति के आविष्कर उपयोग की समस्या भी रहती है।

(३) बेकारी की समस्या (Problem of Unemployment)—जनसंख्या की बढ़ि ऐ अविभक्ति राष्ट्रों में बेकारी की समस्या का जन्म होता है। इन वारण देश वे लिए सर्वोच्च जनसंख्या से अधिक जनसंख्या की बढ़ि राष्ट्र के आधिक जीवन के लिए उपयोगी नहीं रही जा सकती।

(४) निर्धनता व जीवन का निम्न न्यून (Poverty and Low Level of Life)—जन देश में जनसंख्या वी अत्यधिक बढ़ि हो जाने से बेकारी व बेरोजगारी की समस्या बढ़ने लगती है तो देश की अधिकांश जनता को गरीबी तथा निम्न जीवन-स्तर का सामना करना पड़ता है।

(५) बड़े बड़े श्रीयोगिक केन्द्रों के दुष्परिणाम (Evils of Big Industrial Towns)—जनसंख्या की बढ़ि ऐ अत्यधिक लोगों का शहरों की ओर प्रगति होने लगता है जिससे बड़े श्रीयोगिक केन्द्र तथा निशाल नगरों के असन्तुलित प्रिशास ने पक्षस्तरलय अस्वच्छता, ग्रास का अभाव, यातायात की रसायन (traffic congestion), खुँगा, गदी वस्तियां आदि की अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। भविष्य में जनसंख्या निर्धारण के तत्व (Factors determining the Future Population)

रिसी देश नी भविष्य में इनी जनसंख्या होगी यह मुख्यतया निम्न बातों पर निर्भर है—

(१) आगास (Immigration)—अर्थात् रिसी निश्चित समय में देश के भीतर आने वालों की संख्या।

(२) प्रयास (Emigration)—अर्थात् रिसी निश्चित समय में देश से बाहर जाकर नहने वालों की संख्या।

(३) पुर्वजन्म की दर (Rate of Reproduction)—अर्थात् जन्म दर तथा मृत्युदर में अन्तर।

भारत जैसे देश में जनसंख्या की बढ़ि के बल पुर्वजन्म की दर (Rate of reproduction rate) पर निर्भर करती है क्योंकि यहाँ से प्रयास करने वालों की संख्या तथा देश में आने वालों की संख्या गहुत ही कम है जिससे देश की बढ़ि पर कोई निशेष प्रभाव नहीं पड़ता है।

भविष्य में जनसंख्या-वृद्धि के कारण—भारत ही क्या, सहार के समस्त राष्ट्रों में जनसंख्या की नियन्त्रण वृद्धि हो रही है जिसके अपराण विशेषज्ञों ने अनेक चिनाजनक विचार प्रस्तुत किये हैं, इनकी जानकारी अत्यन्त उचित एवं उपयोगी होगी।

१ “Double in forty years”—डॉ. सी. पी. ब्लैकर (Dr. C. P. Blacker), जो विटेन के स्नास्य मन्दालय के सलाहकार हैं, के अनुसार यदि चतुर्भास गति से सहार की जनसंख्या की वृद्धि होती रही तो ४० वर्षों में सहार की जनसंख्या दूनी हो जायगी।

२ “Rise in population may cause water shortage”—एम्प्रेस राष्ट्र के अन्तर्राष्ट्रीय ग्लोबल के अधिकारी सर हर्बर्ट ब्रॉडले (Sir Herbert Broadley) के अनुसार सहार की जनसंख्या में नियन्त्रण वृद्धि होने से सहार के बह-बहे नगरों में जल की कमी उत्पन्न हो सकती है।

सहार में जनसंख्या की प्रगति (Growth of World Population) लगभग यिहुते २०० वर्षों में सहार की जनसंख्या में जिस गति से प्रगति हुई है उसे निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है—

वर्ष	जनसंख्या (करोड़ में)
१७५०	७२·८
१८००	६०·६
१८५०	११७·१
१९००	१६०·१
१९४०	२१७·१
१९५०	२४०·९

भारत की जनसंख्या की मुख्य विशेषताएँ (Principal Characteristics of Population)—भारत की जनसंख्या असाधारण अव्ययन के पश्चात् इस देश की जनसंख्या ने कुछ प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश ढालेंगे। भारत की जनसंख्या की निम्न विशेषताएँ उसकी आर्थिक दशा पर गहरा प्रभाव ढालती हैं तथा इन्हीं विशेषताओं से भारत की समस्या अन्य देशों की जनसंख्या और समस्या से भिन्न है।

(१) तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या (Progressively increasing Population)—निस गति से भारत भी जनसंख्या की वृद्धि हो रहा है वह भारत की जनसंख्या की सबसे बड़ी विशेषता है। १९५१ की जनगणना ने अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग ३६ करोड़ थी परन्तु १९६१ तक यह सरका नद्दनर लगभग ४२ करोड़

होने वाला अनुमान है जो १९७१ में तथा १९८१ में क्रमशः ^{५५} तथा ^{६४} करोड़ तक पहुँच सकती है।

(२) भारतीय जनसंख्या संरक्षणक हृष्टि से मिशाल परन्तु गुणात्मक हृष्टि से निर्धन है (Indian population is quantitatively great but qualitatively poor)—विसे तो भारत का जनसंख्या के आनाकार की हृष्टि से साथ में दृसरा स्थान है परन्तु स्वास्थ्य तथा शक्ति की हृष्टि ऐ निम्नतम है जिससे देश में जन्म दर, शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर का बहुत ऊँचा होना तथा भारतीयों की जीवन अवधि का बहुत घम होना है।

(३) अति ग्रामीण जनसंख्या (Predominantly Rural Population)—भारत की जनसंख्या की एक प्रमुख विशेषता यह है कि देश का अधिकांश भाग ग्रामीण जीवों में निवास करता है। १९५१ की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का ८२% प्रतिशत भाग ग्रामों में तथा १७% प्रतिशत भाग नगरों में रहता है।

(४) अत्यधिक वृप्ति पर आधित जनसंख्या (Population mainly depending upon Agriculture)—देश की अधिकांश जनता अपने जीविकोपार्जन के लिए वृप्ति व्यवसाय में लगी हुई है यही कारण है कि भारत की अधिकांश जनता खेतिहार है।

(५) द्वियों की अपेक्षा पुरुष आर्थिक कार्यशील (Male Population more active than Female Population)—ग्रनेश सामाजिक तथा धार्मिक रीति दिवाज के कारण भारतमें में स्त्रियाँ आर्थिक कार्यों में अधिक सक्रिय भाग नहीं ले पातीं, अतः देश के निमित्त आर्थिक जीवों में भाग लेने का उत्तरदायित्व पुरुषों पर ही है।

(६) जनसंख्या के घनत्व में प्रादेशिक विभिन्नता (Regional Disparity in the Density of Population)—भारत में विभिन्न प्रदेशों एवं जीवों में जनसंख्या का घनत्व एक-सा नहीं है। मिन्तु कुछ भागों में आगामी हजारी घनी है कि जिसके कारण घनत्व में बहुत वृद्धि हो गई है, जैसे दिल्ली जहाँ घनत्व ३०१७ है इसके विपरीत राजस्थान प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व ऐवल ११६ है।

भारत में जनसंख्या की समस्या

(Problem of Population in India)

भारत की जनसंख्या के सम्बन्ध में मूलभूत तथों का अध्ययन करने के पश्चात् इसकी जनसंख्या की समस्या के वास्तविक रूप को समझने की भी अत्यन्त आवश्यकता है। साथ में जनसंख्या की समस्या के विषय में एक चात गड़ी महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक राज्य में जनसंख्या की समस्या एक-सी नहीं है। हाँ, देश में उसकी जनसंख्या की समस्या उसकी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितिया द्वारा निर्धारित होती है।

बरत जनसंख्या की वृद्धि (जिसे नि उपरोक्त तालिका से प्रदित है जिसमें सारांची जनसंख्या की ग्राहित प्रदर्शित री गई है) ही समस्या का मूल कारण नहीं है। बास्तव में जनसंख्या की समस्या उसी वृद्धि के साथ साथ इसी देश की आर्थिक एवं श्रीधरणीनि प्रगति से भी सर्वान्व होती है। इस इटिंग से सारांचे अनेक सुविधालित राष्ट्र ऐसे हैं जहां जनसंख्या नी बास्तव में बोढ़ समस्या ही नहीं और वे अपनी निखतर गढ़ते हुए आवादी के लिए पर्याप्त उत्तराधिकार भोजन डालकर बरते रहे पृथ्वीवां समर्थ हैं। यही नहीं, उन देशों में जनसंख्या की वृद्धि दो प्रोत्साहन दिया जाता है, परन्तु हमारे देश में ऐसी स्थिति नहीं है।

भाग्यतामन मिथुने तीस चालीस वर्षों में जनसंख्या में वित्ताजनक वृद्धि हुई है और देश के पर्याप्त आर्थिक एवं श्रीधरणीनि प्रियास के बारबा बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आवश्यक सुविधाये न प्राप्त होने के कारण भारतगामियों का जीवन-स्तर बराबर गिरता जा रहा है। यही नहीं, जनसंख्या की वृद्धि से उनके प्रमुख आर्थिक व्यवसाय गंती में भी अनेक समस्याये उत्पन्न हो गए हैं। जनसंख्या के बढ़ने से जग भूमि पर आरपित भार बढ़ता है तो देश की रिती योग्य जमीन आरपित जाता (uneconomic holding) में फैट जाती है नियुक्ते सेती के उत्पादन में वृद्धि नहीं होता। यहां के प्रियुक्त होने के कारण कृषि पर आन्तिक अधिकार जनसंख्या की आर्थिक दशा सुधरने नहीं पाती। भाग्यता में वित्ती जनसंख्या रह सकती है जिसका जीवन स्तर नियुक्त राष्ट्रों की तुलना में भी नाभों अच्छा हो। यह राष्ट्र के सभूत आर्थिक साधनों के दृष्टि से एवं धनी देश है, परन्तु दूसरे धनी जात यह ही कि यहां के नियामियों का जागन स्तर याकी नीचा है जिसका मूल कारण देश की पर्याप्त आर्थिक प्रगति न तथा उत्तराधिकारों का कुशल उपयोग न होना है, जिसके फलस्तर पर्याप्त जनसंख्या की वृद्धि एवं नियान समस्या प्रतान होती है। पश्चिम के बड़े राष्ट्रों में जनसंख्या की वृद्धि से देश की आर्थिक व्यवस्था में दृढ़ता आती है तथा पर्याप्त जनशक्ति की उपलब्धि से गद्याधिक साधनों का अच्छा विवास होता है, परन्तु हमारे देश में परि स्थिति इसके विपरीत है। भाग्यता में जनसंख्या की वृद्धि देश की श्रीर्थ व्यवस्था की दृढ़ नहीं नार्ती रत देश के आर्थिक द्वारे में शिथिलता उत्पन्न होती है।

भारत की जनसंख्या सम्बन्धी अध्ययन के विभिन्न पक्ष (Different Aspects of the Study of India's Population)—इस भाग की जनसंख्या की समस्या का कई इटिंगोंसे से निरीक्षण बरत सकते हैं। मुख्यतया इसके समस्या के दो स्तर हैं—

(१) जन पर्याप्ति पहलू (Demographic Aspect)—जनसंख्या के अध्ययन के इस पहलू में हम देश की जनसंख्या की ग्राहित दर (Rate of

growth) तथा मानवी प्रजनन शक्ति (human fertility) का साहस्रीय अध्ययन करते हैं जिससे देश की वर्तमान जनसंख्या का क्या रूप है, इसका विलृप्त ज्ञान प्राप्त होता है। इस दृष्टि से भारत की जनसंख्या का आकार उसके आर्थिक साधनों के विनाश की दृष्टि से बहुत बड़ा है और जिस गति से देश की जनसंख्या घटती जा रही है वह राष्ट्र के आर्थिक विकास में गाधन सी प्रतीत होती है।

(२) आर्थिक पहलू (Economic Aspect)—जनसंख्या की समस्या उ अध्ययन का एक आर्थिक दृष्टिकोण भी होता है जिसने अन्तर्गत हम देश की जनसंख्या तथा उसके आर्थिक जीवन के पारस्परिक सम्बन्ध का अध्ययन करते हैं। इस दृष्टि से भी भारत में जनसंख्या का आधिक्य है। बारंग यह कि हमारे देश की जनसंख्या का स्थान्य और शक्ति अन्य देशों की तुलना में काफी नीची है। जहा कि शिशु मृत्यु दर, और मृत्यु दर तथा देश की सामान्य मृत्यु दर के आकड़ों से जाना जा सकता है। अनेक रोगों में प्रस्ता और अपर्याप्त पौष्ट्रिक भोजन + अभाव में देश की आधिकारी जनसंख्या की स्थान्य प्रियता हुआ है जिससे बारंग देश की श्रमशक्ति अनुशाल है।

क्या भारत में जनसंख्या का आविक्ष्य है ?

(Is India overpopulated?)

भारत में जनसंख्या का आधिक्य है अथवा देश की जनसंख्या उसकी आवश्यकता के अनुसार है? इस सम्बन्ध में पारम्परिक पिरोधी विचार प्रस्तुत किये जाते हैं। यह जानने से पूर्व कि किन परिस्थितियों में देश की जनसंख्या आवश्यकता से अधिक होती है और किन अवस्थाओं में देश की जनसंख्या उसकी आर्थिक स्थिति के अनुबूल होती है यह जान लेना उम्मोदी होगा कि जनसंख्या के प्रमुख सिद्धान्त क्या हैं, जिसको ध्यान में रखकर इसी देश की जनसंख्या के सम्बन्ध में निष्पत्ति निकाले जा सकते हैं।

जनसंख्या सम्बन्धी प्रमुख सिद्धान्त (Important Theories of Population)

(१) जनसंख्या का माल्थस का सिद्धान्त (Malthusian theory of population)—जनसंख्या सम्बन्धी माल्थस का सिद्धान्त एक प्रमुख सिद्धान्त है। इसके अनुसार इसी देश की जनसंख्या ज्योग्यिताके वृद्धि (geometrical progression) अर्थात् १ २ ४ ८ १६ ३२ आदि, परन्तु देश की खाद्य सामग्री में समानान्तर वृद्धि (arithmetical progression) होती है। इस बारंग इसी देश की जनसंख्या उस देश की खाद्य सामग्री की पृष्ठि की अपेक्षा आर्थिक तीव्र गति से बढ़ती है परन्तु ऐसा तभी होता है जब किसी प्रकार का अवरोध कार्य न कर रहा हो। जैसे निवारक (preventive) तथा नैसर्गिक (positive) अवरोध। निवारक अवरोधों द्वारा जनसंख्या के जन्म दर में ह्रास होता है तथा नैसर्गिक अवरोध।

से मृत्यु दर में बढ़ि होनी है। माल्यस के अनुसार यदि देश की जनसंख्या को रोकने के लिए निमार ग्रामण में द्वारा उपलब्ध न मिल रही हो और उम देश में महामारी, भूमध्य, जाड इत्यादि जैसे कारण द्वारा मृत्यु दर में बढ़ि हो रही हो अर्थात्, नैसर्जिक ग्रामरोध क्रियारूप हो तो उस देश में आमरक्षणा से अधिक जनसंख्या कही जा सकती है।

जनसंख्या का आधुनिक सिद्धान्त या अनुकूलतम् (optimum) जनसंख्या का सिद्धान्त—आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने माल्यस के सिद्धान्त की तीव्र आलोचना करन जनसंख्या का एवं नवीन सिद्धान्त प्रलूप लिया है जिसे अनुकूलतम् जनसंख्या का सिद्धान्त (optimum theory of population) कहा जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रथेत देश के लिये जनसंख्या का एवं आदर्श आवार होता है जो उचिती सापूर्ण म उपलब्ध पूँजी, औद्योगिक एवं कलान्वयन ज्ञान द्वारा देश के अधिक साधनों का सर्वात्म उपयोग हो सके। इसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति की व्यापक आय (per capita real income) अविकल्प होती है। यदि देश की जनसंख्या सर्वात्म जनसंख्या से कम होती तो देश के अधिक साधनों का पूर्ण प्रियापि न होता तो प्रति व्यक्ति आय अविकल्प से कम होती है। इसी प्रकार यदि देश में जनसंख्या अधिक है तो भी व्यक्तियों को रोजगार न मिलने के कारण प्रति व्यक्ति आय सर्वात्म जनसंख्या की दशा से कम होती है।

भारतमें जनसंख्या आविष्यक की समस्या

जनसंख्या के उत्तोक्षण सिद्धान्त को इटि म रवर अब हम भारत की जनसंख्या का आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। इस सम्बन्ध म एवं नियादन्त्रण प्रश्न यह है कि देश में जनसंख्या का आविष्यक है अथवा आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में दो मत हैं—

(१) भारत म जनसंख्या का आविष्यक नहीं है।

(२) भारत म जनसंख्या अधिक है।

भारत में जनसंख्या का आविष्यक नहीं है (India is not overpopulated)

(१) निन लोगों का यह मत है कि भारतमें में जनसंख्या अधिक नहीं है वे इस तर्फ की पुष्टि के लिए देश की राष्ट्रीय आय के ग्राहकों का सहाय लेते हैं। उनकी राय म जिस देश की राष्ट्रीय आय यह रही हो तो उस देश में जनसंख्या का आविष्यक नहीं हो सकता है ३० दी० दी० आर० गी० राज० ने अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय १६३१ ३२ म ६५० रुपया थी। परन्तु १९५०-५१ में २६५०२ रुपया हो गई और द्वितीय पञ्चमीय योजना की सफलता के पश्चात् देश की प्रति व्यक्ति

राष्ट्रीय आय बढ़वार' लगभग ३३० सप्तया वापिक होने वा अनुभान है। इससे यह सिद्ध होता है कि भारत अतिवासित नहीं है।

(३) माल्थस द्वारा कहाये गये नैसर्गिक अवरोधों, जिनका प्रबोध भारत में पिछले वर्षों से विलम्ब यम हो गया है, इस बात की सुषिट करते हैं कि भारत में जन संख्या अधिक नहीं है।

'(३) उसार के विभिन्न देशों की तुलना में भारत में जनसंख्या का घनत्व भी यम होना इस तथ्य का प्रमुख प्रमाण है।

(४) भारत के औद्योगिक विकास की गति मन्द होने का एक प्रमुख बारण देश में कुशल शक्ति का अभाव है। जिससे यह भी सिद्ध होता है कि भारत की जनसंख्या अधिक नहीं है।

(५) मुच्च लोग भारत की गतीय व निर्धनता का दोष उसकी हुई जन संख्या पर मढ़ देते हैं परन्तु यह भ्रमात्मक है। वास्तव में देश का निर्धन होना उसके प्राकृतिक सम्पदों का उचित प्रयोग एवं शोषण न होने के पलखरूप अधिक विवास में वापा पड़ने के बारण है जिसना उत्तराधित्व राष्ट्रीय आय के अनुभान वितरण पर भी है न कि इसलिए कि हमारा देश अतिवासित है।

देश में जनसंख्या का आधिक्य है (India is overpopulated)

भारत की जनसंख्या के सम्बन्ध में दूसरा मत यह है कि भारत में जनसंख्या अधिक है जिसके लिए निम्न प्रमाण प्रस्तुत किये जाते हैं—

(१) देश की जनसंख्या के नियतर वृद्धि से ही भारत जैसे दृष्टि प्रधान देश में खेती की अनेक समस्याएँ उपरिधित हो गई हैं, जैसे खेती की भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक भार ढारा दृष्टि जोत का छोटे होटे टुकड़ों में विभक्त हो जाना।

(२) देश में जनसंख्या के वरावर बढ़ते जाने के कारण ही वेवारी की विस्ट समस्या उत्पन्न हो गई है।

(३) जनसंख्या के स्वास्थ्य विगड़ने के कारण अधिकांश जनता में अधिक रोगों का प्रबोध बढ़ता जा रहा है जिसका मुख्य कारण स्वास्थ्यपर्दक तथा पौष्टिक भोजन का न मिलना भी जनसंख्या के आधिकान का एक प्रमाण है।

(४) भारत में जनसंख्या के अधिक होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वृष्टि प्रधान देश होने हुए भी देश में साधारण की कमी वरावर बढ़ती जा रही है और यह के लिए पर्याप्त साधारण की पूर्ति बरने की दृष्टि से सरकार को भारी मात्रा में विदेशों से अप्रकाश आयात करना पड़ता है।

(५) देशवासियों के जीवन स्तर की देश इस दात का जीता जागता उदाहरण कि देश में जनसंख्या का आधिक्य है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की राष्ट्रीय आय में

कृदि तो अपरद्य हुइ है पर सुखार के शास्त्र देशों की तुलना में रिधि अभी सन्तोषजनक नहीं रही जा सकती है जिसना मूल बारण है देश में जनसंख्या का आवश्यकता से म अधिक होना जिसमें भारतवासियों का जीवन स्तर अद्युत नीचा है।

(६) यद्यपि भारत में चिकित्सा के प्रबन्ध द्वारा सरकार ने जनसंख्यारण के स्वास्थ्य में काफी प्रगति की है पर भी समय समय पर माल्हस द्वारा उताये गये मैसर्गिक अपरोधी (positive checks) जैसे बाढ़, चेचर, फ्लू, इत्यादि की क्रियाशीलता इस गत वा प्रमाण है कि देश में जनसंख्या का आधिक्य है।

जनसंख्या का खाद्यपूर्ति से सम्बन्ध (Population in relation to Food Supply)—जैसा कि अपरोक्ष विवरण से स्पष्ट है भारत में जनसंख्या के अधिक होने का सबसे बड़ा प्रमाण देश में खाद्यान्न की निरन्तर कमी होते जाना है। निम्न तालिका से स्पष्ट है सरकार द्वारा देश में अन्न की इस कमी को पूरा करने के लिए घरावर भारी मात्रा में अन्न का आवाहन करना पड़ता है जिससे देश की राष्ट्रीय आय का अद्युत बड़ा भाग निर्देशों को चला जाता है।

देश में खाद्यान्न का आवाहन (१९४७-५८)

वर्ष	आवाहन की मात्रा (टनों में)	लगत (करोड़ रुपये में)
१९४३	२५३	६३७
१९४४	२८४	१२८५
१९४५	३८०	१४२०
१९४०	२०३	१५००
१९४२	४७०	२१६०
१९४२	४७६	२२८१
१९४०	२८१	१५३०
१९४७	३५८२	१६२०
१९५८	३१७३	१२०५

निस गति से भारत की जनसंख्या में प्रगति होती जा रही है यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि देश में हृषि उत्पादन की कृदि के लिए ग्रामस्वरूप प्रयत्न न रिये गये तो भारत में खाद्यान्न की उत्पादन कमी नहीं रहेगी। १९६१ की जनगणना के पूर्व भारत में जनसंख्या की कृदि इस सम्बन्ध में जो अनुमान लगाय गया है उत्तर पर १९६१ में देश की जनसंख्या लगभग ४१ करोड़ तक पहुच जायगी जिस दर पर १९६१ करोड़ तक पहुच जायगी जिस दर पर १९६१ में देश की जनसंख्या लगभग ७३० लाख टा होगा,

अवधि में देश की साथ आवश्यकता लगभग ७६० लाख टन होने का अनुमान है। ऐसी स्थिति में लगभग २० लाख टन अनाज की कमी होने की सम्भावना है।

जनसंख्या के सुधारने के उपाय (Suggestions to tackle the Problem)—भारत में जनसंख्या की समस्या भी प्रण रूप धारण कर चुकी है, अतएव इस समस्या के मुलभाने की अत्यन्त आवश्यकता है। भारत की जनसंख्या की समस्या हल करने के लिए हम दो प्रकार के प्रयत्न करने हैं। प्रथम तो हम जनसंख्या की मात्री प्रगति में प्रतिस्पृष्ठ लगाना होगा अर्थात् ऐसे उपाय करने हैं जिससे जनसंख्या की प्रगति कम हो जाये। दूसरी ओर हम वर्गभान जनसंख्या के जीवन स्तर को ऊँचा उठा कर तथा उन्हें रोजगार व अवसर प्रदान करके जीवन को सुखमय बनाना है। इसके अनिस्तिन भारतमें में जनसंख्या की समस्या को हल करने के लिए हम नीचे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देने हैं—

(१) कृषि में प्रगति (Progress in Agriculture)—कृषि प्रधान देश होने के द्वारण आगमी कुछ समय तक देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर रहेगी जिसकी प्रगति पर देश का आर्थिक विवास तथा देशवासियों के जीवन लार को उठाने की आशा की जा सकती है।

(२) शिक्षा का प्रसार (Spread of Education)—जनसंख्या की समस्या को हल करने के लिए देश में शिक्षा का प्रसार करना अत्यन्त आवश्यक है जिससे देशवासियों के ज्ञान में वृद्धि होगी तथा उनका इष्टिकोण विस्तृत होगा। इससे प्रत्येक व्यक्ति समझा के हल करने में अपना योग दे सकेगा जिससे परिवार नियोजन जारी में उपलब्धता मिल सकेगी।

(३) जनसंख्या का समान वितरण (Equal Distribution of Population)—जैसा कि विदित है कि भारत में जनसंख्या के घनत्व में भी प्रण प्रादेशिक विभिन्नता पाई जाती है। इस कारण यदि हम देश की घनी आवादी बाले क्षेत्रों से कुछ जनसंख्या उन क्षेत्रों में भेज दें जहाँ आवादी कम है तथा जिनका विवास अभी कम हुआ है तो यहुत दीमा तक समस्या के प्रकोप को कम किया जा सकता है।

(४) आत्म संयम (Self restraint),—आत्म संयम द्वारा हमारी समस्या का हल आसानी से हो सकता है। इस कारण यदि अधिक उम्र भविवाह हो और विवाह सबसे लिए आवश्यक न होने वेचल उन्हीं के लिए आवश्यक समझा जाय जो अपने पैरों पर रहे होकर अपने तथा अपने परिवार के खदर्स्या का भली भाँति पालन पोषण कर सके तो अवश्य ही पैदा होने वाले बच्चों की संख्या कम होगी जिससे इस समस्या को हल करने में सफलता होगी।

(५) औद्योगीकरण (Industrialisation)—देश के औद्योगिक

ऐसे भी हम देश की जनसंख्या की समस्या सुलभा रहती है। श्रीगोपीकरण के कल-स्वरूप देशवालिया की आर्थिक स्थिति में मुवार होगा तथा उनका जीवन-स्तर ऊँचा होगा और साथ ही जनसंख्या के लिए जीवितीजार्जन उन्नत होने से भूमि पर जनसंख्या वा भार भी उम होगा जिससे ऐसी भी समस्याएँ भी हल हो सकेंगी।

(६) स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाएँ (Measures to improve Health and Physique)—बैसा नि ल्पर ज्ञाया जा सकता है भारत में ऐसल जनसंख्या के घनत्व की ही समस्या नहीं है वरन् समस्या वा गुणात्मक (qualitative) पहलू भी है। इस बारण हम देशवालिया के स्वास्थ्य तथा शक्ति को सुधारने के लिए ग्रनेव स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाएँ ज्ञानी पृष्ठी जिससे जनसंख्या की गुणात्मक प्रगति (qualitative improvement) हो सकेगी।

(७) अन्तर्राष्ट्रीय प्रगति (Emigration)—कुछ लोगों वा भवति हि अन्तर्राष्ट्रीय प्रगति द्वारा ग्रातिमालिन देशों की जनसंख्या की समस्या को हल किया जा सकता है। यह सुझाव कानून म काफी महत्वपूर्ण है, परन्तु टुर्मांगमण आयुनिव म अन्तर्राष्ट्रीय प्रगति में ग्रनेव प्रतिमूल लगे हुए है। फलत हम सुझाव को कायाक्रियत नहीं कर सकते और सार म कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ जातीयता (Racialism) की जागना इनी तीव्र है जिनके पक्षसंघर्ष कुछ जानियाँ वो द्वोइकर ग्रन्थ जानियो न लिए उन देशों व द्वार नहीं है। आस्ट्रेलिया की शंखत जातीय नीति (White Australia Policy) तथा दक्षिणी अफ्रीका म जातीय प्रश्न को सेवर आयी दास्टर वर्वोर्ड (Dr. Verwoerd) सरकार ने जो अन्याचार रिये है उनसे अन्तर्राष्ट्रीय प्रगति एक सम्भव मार है।

(८) सतति नियन्त्रण (Birth Control)—देश की वर्तमान जनसंख्या की प्रगति को देखकर हम जनसंख्यन्तरण का भी आधार लेना पड़ेगा, जिससे सम्बन्ध में आग चलना अवश्यक चर्चेंगे।

परिवार नियोनन (Family Planning)—इस तथ्य को अस्थीजार करना चाहिया है कि भारत म इस समय परिवार नियोनन का परम आवश्यकता है। नियु देश म देशवालिया का जागन सर इन्होंने निम्न तथा आदिर दृष्टि स मा राष्ट्र काफी नियु हुआ है वहाँ देश की जनसंख्या की वृद्धि का नियन्त्रण राष्ट्र के लिए परिवार नियोनन को नियम बन देना हांगा। यहा नहीं, भारत म जहाँ नियाह एक समलौकिक प्रया है और प्रवृत्ति स्त्री पुरुष उन्निए एक आपृथक कर्तव्य समझा जाता है, वहाँ परिवार नियोनन मा और भी महत्व नहीं जाता है। इस बारण देश म जनसंख्या की समस्या को हल करने के लिए यह अन्त आपृथक है कि खरकार परिवार नियोनन के लिए आपृथक घटम उद्याये और हर सम्भव प्राप्ताहन प्रदान करे। देश म ग्राहिक

से अधिक असताल तथा स्मारक्ष के प्रयोग जायें जहाँ विज्ञाहित व्यक्तियों को सन्तुति निप्रह सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान तथा मुनिधायें प्राप्त हो सकें।

परिवार नियोजन के विभिन्न उपाय (Different Methods of Family Planning)—भारत में जनसंख्या की समस्या को हल करने के लिए परिवार नियोजन एक सरल उपाय समझा जाता है जिसके सम्बन्ध में इस समय देश में पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है। विशेषज्ञों ने सन्तुति निप्रह के विभिन्न तरीके ज्ञाताये हैं जिनमें द्वारा देशवासी गर्भ निरोध में सफल हो सकते हैं।

(१) सतर्क रीति (Precaution Method)—उद्योग सरल उपाय सन्तुति निप्रह पर यह है कि सभोग के समय पति थोड़ी सतर्कता से काम ले तथा वीर्यपात्र से पहले ही छी योनि से अन्ती इन्द्री बाहर नियाल ले। इस रीति को coitus interruptus method भी कहते हैं।

(२) अप्रजनन काल (Safe period Method)—इस रीति के अनुसार पुरुष को कुछ समय तक छी-सभोग से दूर रहना पड़ता है अर्थात् स्त्रियों के माहवारी के दिन पश्चात् उनमें जनन काल (fertile period) प्रारम्भ होता है, इन दिनों यदि सभोग न दिया जाय तो गर्भ रहने की आशका नहीं रहती।

(३) गम्भ निरोधक रीति (Use of Contraceptives)—अनेक प्रकार की रसर वी बनी वस्तुओं के प्रयोग से जैसे शीथ, डारफन, रसर पेटरी, डच कैप, सर्विक्ल और तथा ट्यूगस कैप से भी गर्भ निरोध हो सकता है।

(४) स्पर्मिसाइडल रीति (Spermicidal Method)—इस रीति के अन्तर्गत कुछ ऐसी गोलियाँ, क्रीम अथवा जेली के प्रयोग से स्त्री सेलों को समाप्त किया जा सकता है जिससे गर्भ वी आशक्ता नहीं रहती।

(५) वायर कराने की रीति (Sterilization)—इस रीति के अनुसार आपरेशन (vesectomy) द्वारा स्त्री तथा पुरुष वॉर्क्सन (sterilization) से गर्भ वी चिन्ता से मुक्त हो जाते हैं।

रुक्कामटें (Obstacles)—भारत में परिवार नियोजन भ बहुत कम सफलता प्राप्त हुई है जिसके फलस्वरूप सरकार द्वारा किये गये अनेक प्रयत्नों के फलस्वरूप भी भारत की जनसंख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। हमारे देश में अनेक वारण ऐसे हैं जो परिवार नियोजन के दार्ये में वाघक हैं जिनमें सर्वसे प्रमुख वारण है अशिक्षा एवं निर्भनता। देश वी अधिकाश जनता निरक्तर है जिसके कारण वह परिवार-नियोजन की विभिन्न रीतियों को समझने में असमर्थ है तथा अशिक्षित होने के फलस्वरूप सीमित दृष्टिकोण होने के कारण अधिकाश देशवासी

परिवार नियोनन का महत्व नहीं समझत। इसी प्रश्न अधिनाश जनता गर्भनियोग सम्बन्धी आपश्वन सामग्री व परीदाने में असमर्थ है। कारण यह है कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी शाचनीय है कि वह इस सम्बन्ध में अपनी आवाय का खोड़ा भाग भी नहीं बचा बर सकते। देश में परिवार नियोनन का सफलता के लिए यह अपने आपश्वन है कि सरकार शिक्षा का प्रत्यार कर लोगों को पारवार नियोजन व प्रनिहारित पैदा बर तथा वस्तु मूल्य पर उह सत्तानि निप्रह सम्बन्ध आपश्वन सामग्री प्रदान कर।

जनसंख्या सम्बन्धी सरकारी नीति (Population Policy in India)—हमार देश में कुछ साल पहिले तर जनसंख्या सम्बन्धी कोइ निश्चित नीति नहीं रही। निरेशी शासन काल में सरकार ने इस ओर पोइ ध्यान नहा दिया। इससे समस्या निस्तर गम्भीर होना गई। स्वदेशी प्राप्ति व पश्चात् राष्ट्रीय सरकार की अपन इस ग्राम आपश्वन हुआ और यह समझा जाने लगा कि उस समय तर भारत की आर्थिक अपराध में काई भारी प्रगति नहीं हो सकती जब तर देश की जनसंख्या प्रा एव समुचित हलन दृढ़ लिया जाव। गालन में यह भय है कि जा कुछ भी आर्थिक प्रगति उस कुछ सालों व परिक्रम व पश्चात् करने हैं देश की जनसंख्या की वृद्धि उस पटरा बर देती है। इसलिए यह आपश्वन है कि सरकार देश में जगह जगह पर विशेषतया ग्रामीण ज़ज़ा में ऐसे अस्तवाल पाले जाहों जनसंघारण को विभिन्न साधनों द्वारा सत्तानि निप्रह की गियन रीतया का शान कराया जा सकता तथा उह आपश्वन सहायता एव परामर्श मिलन में सहायता हो।

जनसंख्या एव पचवर्षीय योजनाए (Population and Five Year Plan)—जनसंख्या के सम्बन्ध में हमारी राष्ट्रीय योजना काल में कुछ महत्वपूर्ण कदम उगाये गये हैं और परिवार नियोनन में भा कुछ प्रगति हुई है। प्रथम पचवर्षीय योजना में कन्नदीय सरकार ने लगभग ६५ लाख रुपया परिवार नियोजन के कायक्रम पर खच किय था। उन १६५४ द० में इस दिशा में एक परिवार आयोजन अनुदान समिति (Family Planning Grants Committee) की स्थापना की तथा पार वार नियोजन सम्बन्ध अनुस राजन का काय प्रारम्भ हुआ।

द्वितीय पचवर्षीय योजना में भी परिवार नियोजन के काय में काफी प्रगति हुई। सन् १९५५ तक दूरद परिवार नियोजन इन्द्र खाले जा चुक थे और लगभग ४६२३ पुस्ता का आपश्वन किया गया। लगभग ७८२४ लियाँ नम्बर बर दी गई।

प्रश्न

1. Viewed over a long period the Indian economy has been, more or less stagnant and has failed to meet the demands of a rapidly growing population. Do you agree with the above statement? Explain fully
(Agra, 1958 Rajputana, 1952)

- 2 Discuss what do you consider to be the main problem of Indian population
 (Agra 1956)
- 3 Explain critically the problem of population in India. How far can the population be deliberately planned and controlled ?
 }
 (Patna, 1955)
- 4 In what sense is India overpopulated ? Do you advocate population control ? Give reasons
 (Agra, 1956)
- 5 How far do you agree with the view that the rapid growth of population in India stands in the way of economic progress ?
 (Delhi, 1953, Agra, 1957)
- 6 Write a short note on 'Family Planning'
 (Agra 1960 1957, Delhi, 1954)
- 7 Examine the case for family planning in India
 (Punjab, 1957)
- 8 What are the major problems of population in India ? Suggest a suitable population policy for the solution of these problems
 (Punjab, 1958)
-

खण्ड ४

कृषि एवं उसकी समस्याएँ

१. उप्रीसर्वी शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था
२. भारत में कृषि का महत्व एवं उसकी समस्याएँ
३. भारत में कृषि की इकाई
४. भूमि व्यवस्था एवं भूमि सुधार
५. भारत में सिंचार्द
६. भारत में कृषि-विपणन
७. भारत में अवाल
८. भारत में खाद्य समस्या
९. भारत में प्रामीण वित्त
१०. भारतीय कृषि नीति का विकास
११. सामुदायिक विकास योजनाएँ तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा
१२. भूदान यज्ञ की महिमा

अध्याय ६

१९वीं शताब्दी में भारतीय अर्थ-व्यवस्था का अध्ययन

(A Study of Indian Economy during 19th Century)

इतिहास की ट्रिटी से भारत का प्राचीन वाल एक स्वर्ण काल बहलाता है। जिस समय सासार के अन्य राष्ट्र ग्रजानता के घोर अधकार में छूटे हुए थे तथा जिनसे सम्भवता का प्रकाश कोई दूर था उस समय भारत अपनी आर्थिक, सामाजिक, आत्मिक तथा नैतिक प्रगति द्वारा उन्नति के शिखर तक पहुँच चुका था जिसके कारण सासार के अन्तर्गत का भार भारत जैसे देश पर था। इस काल में भारतीय स्वतंत्रि का वह तेजस्वी रूप या जिसमें आर्थिक उन्नति के अतिरिक्त हमारे देश में कला, साहित्य, धर्म तथा दर्शन का उन्नतम निरास हुआ। यही नहीं, यह वह समय था जब देश में स्वर्ण एवं चादी का अपार मदार था। चारों तरफ सुख-शान्ति की रथा होती थी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए भरपैठ मोजन, पहनने की वस्त्र तथा देश में दूध धी की नदियाँ यहाँ करती थी। कला तथा उन्नोग की महान् प्रगति के कारण देश में बड़ी हुई अनेक सुन्दर तथा चलात्मक घरेलूँ विदेशा को जाता करती थी जिसके कारण भारत ने सासार में अपना आविष्टत्व अभ्यास करना था। यही नहीं, भारत के कुटीर उन्नोगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की प्रशस्ता प्राचीन रोम एवं मिश्र जैसे सभ्य देशों में भी बी जाती थी। इतिहास साक्षी है कि भारतीय मलमल मिथ की मरीज के आवरण के लिए प्रयुक्त होती थी। इस प्रकार आपार तथा उन्नोगों के कारण भारत में सोना व चौंदी दूसरे देशों से ढुला चला आता था। एक लेपक के अनुसार विक्रम धी पहली दूसरी व तीसरी शताब्दी में भारत का रोम साम्राज्य के साथ जो व्यापार था उसका यह फल हुआ कि पश्चिम से वह कर आने वाली नदी ने भारत को सांच दिया परतु अपनी आर्थिक समृद्धिशीलता एवं सम्भवता के कारण भारत अन्य राष्ट्रों की आखों में खटकने लगा और किसी न किसी आवरण ने फलत्वरूप विदेशियों ने भारत में पदार्पण प्रारम्भ कर दिया।

विदेशियों का आगमन (Advent of Foreigners)—भारत विदेशियों के लिए सदा ही आवरण का कारण रहा। १९वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में योरोप के अनेक धर्म प्रचारकों ने भारत में आना प्रारम्भ कर दिया था। सन् १८६८ ई० में सर्वप्रथम पुर्तगाल निवासी वास्तोडिगामा चालीकट में उतरा। इसके पश्चात् डच, देन, कासीरी तथा अग्रेज इत्यादि योरोप निवासियों ने भारत में आना प्रारम्भ

कर दिया। यह जातियाँ हमारे देश में मुख्यतया व्यापारिह उद्देश्यों की पूर्ति ही के लिए आई थीं, जिन्हे कालानन्दर मं पारस्तरिक सघर्ष के कारण एक-एक कर के इनका पतन होना गया और अन्त में अपेक्षोंने भारत में अपने सामाजिक व्यवस्था की स्थापना कर ली। अपेक्षों से पूर्व अन्य शासकोंने भारतीय अर्थव्यवस्था में बोई विशेष परिवर्तन उत्पन्न होने नहीं दिया और देश का सामान्य आर्थिक जीवन प्रायः हस्तक्षेप से मुक्त (undisturbed) ही रहा। परन्तु मारत में अपेक्षी शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उस काल में अनेक ऐसे कार्य हुए जिनका देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। उनकी नीतियोंने भारत की प्राचीन आर्थव्यवस्था की काया ही पलट दी। समृद्धिशील तथा आत्मनिर्भर भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णतया छिन्न मिल हो गई और हमारा देश आर्थिक अवनति की ओर बढ़ने लगा।

१६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत का आर्थिक संगठन

१६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत के आर्थिक संगठन की कुछ प्रमुख विशेष गाँधी जिनका अध्ययन विशेष महत्व रखता है। अतिप्राचीन काल से भारत एको देश रहा है जिसके कारण देश का आर्थिक संगठन तथा सम्यता की प्रकृति भी। देश की जनसंख्या का अधिकांश भाग गाँधी में रहा रहता था जिनका मुख्य व्यवसाय हृषि था, परन्तु उस समय भारत के ग्रामीण ज़ेधों में छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों द्वारा भी अनेक व्यक्तियों का जीवन निर्बाह हो रहा था। यह कुटीर उद्योग न बेचल भारत की जनसंख्या के अधिकांश भाग को उसकी जीविता प्रदान करने में समर्थ थे यरन् इनके द्वारा भारत की प्राचीन सभ्यता तथा सहजि का परिचय मी होता था। भारत भूमि से जन्मित थे अनेक उद्योग भारत के प्राचीन गौत्य-प्रतीक हैं जिनसे स्पष्ट था कि भारतगाथी एक सरल तथा नम्र स्वभाव के होने हुए भी विभिन्न कलाओं तथा उद्योगों से सिद्धा प्रेम रखते थे। उनका जीवन सादा परन्तु परिथमशील था। निर्देशी शासन द्वारा प्रभावित होने के पूर्व भारत के आर्थिक संगठन की कुछ प्रमुख विशेषताएँ भी जिनकी देश के आर्थिक जीवन पर गहरी छाप पड़ी थीं। हम इनका चर्चना नीचे करेंगे।

(१) ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आत्मनिर्भर होना—भारत के आर्थिक इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि हमारे ग्राम-आमनिर्भर थे, यहाँ तक कि सातार अथवा देश में जो अनेक आनंदोलन अर्थात् आन्विताँ हुई थे भी हमारे ग्रामीण जीवन को न प्रभावित कर सकी। अन्तः उनकी सामाजिक एवं आर्थिक आन्विता ज्यों की तरीं चली रही। ग्रामीण निवासी ने तत्त्व अपने गाँव सम्बन्धी अनेक समस्याओं में व्यन्त रहते थे। उनका सातार तथा देश की विभिन्न वादों से बोई सम्बन्ध

न था। एक सरल तथा आत्मनिर्भर जीवन के लिए हमारे ग्रामीण द्वेत्रों में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध थी। उनका जीवन सुखी एवं सम्पन्न था। देश की जनसंख्या भी इतनी न थी कि भूमि पर उसके अत्यधिक भार ऐ वृष्टि की अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती। उनके सुखमय एवं समुद्दिशील जीवन का मुख्य कारण यह था कि उनके जीवन तथा मुख्य व्यवसाय वृष्टि में किसी प्रकार की कठिनाई एवं समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी। खेती के लिए पर्याप्त भूमि भी जिसके कारण कृपक तथा उसके परिवार को जीवन निर्वाह के आवश्यक साधन उपलब्ध हो जाते थे। जो कुछ भी अतिरिक्त जनसंख्या थी उसके लिए भारत में वैले हुए विभिन्न कुटीर उद्योग द्वारा जीविका प्राप्त हो जाती थी। ग्रामीण द्वेत्रों में रहने वाले देशवासियों के लिए अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए गाँव के बाहर का मुँह नहीं देखना पहता था। उनके लिए समस्त आवश्यक वस्तुएँ एवं कच्चे माल वा गाँवों में पर्याप्त भएँडार था तथा देहातों में रहने वाले विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों में पारस्परिक प्रेम तथा सद्मावना के कारण इसी व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता तथा अभाव के कारण पीड़ित होने का कोई कारण ही न था।

(२) दूव्य एक गौण स्थान के रूप में—जैसा कि उपरोक्त विवेचन से सिद्ध है कि १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में हमारे गाँव आत्मनिर्भर ये जिसके कारण बहुत सीमित मात्रा में विनियमय की आवश्यकता पड़ती थी। अधिकतर प्रचलन वस्तुविनियम (barter) का था। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ग्राम व्यक्ति स्वयं अपने प्रयत्न द्वारा कर लिया करता था। यदि किसी समय उसे किसी ऐसी वस्तु की आवश्यकता होती थी जिसका उत्पादन उसके द्वारा नहीं होता था तो वह उस वस्तु को अपने द्वारा निर्मित किसी अन्य वस्तु द्वारा प्राप्त कर लिया करता था। गाँव में जितनी भी सेवाएँ होती थीं जैसे खेतिहार मजदूरी की सेवाएँ, नाई, कुन्हार, जुलाहे, कहार, तेली, अहीर, घोड़ी, सुनार इत्यादि, इन सभी की सेवाओं के लिए हमारे ग्रामीण बन्दु प्राप्त अनाज का ही प्रयोग करते थे। इस कारण अनाज उस समय विनियम का प्रमुख माध्यम (medium of exchange) था, पर इसका यह अर्थ नहीं कि हमारे ग्रामीण भाई मुद्रा से पूर्णतया अनभिज्ञ थे। यास्ताविकता यह थी कि मुद्रा का प्रचलन कभी था जिसका प्रमुख कारण यह था कि उस समय देश-वासियों को मुद्रा की अधिक आवश्यक प्रतीक नहीं होती थी। इस कारण उनके दैनिक जीवन में आधुनिक मुद्रा के विषयी गैत मुद्रा का महत्व गौण था। यथापि आज हमारे जीवन में मुद्रा का एक उच्च स्थान है पर भारत में एक ऐसा भी सर्वो था जब कि भारतवासियों का जीवन मुद्रा की महानवा (supremacy of money) से मुक्त था।

(३) सामाजिक तथा धार्मिक भावनाओं से प्रस्तु जीवन—एक और विशेषता यह थी कि देशवासियों का जीवन विभिन्न सामाजिक रीति रिवाज तथा परम्परा

आप्रगतिशील जागरूकता करने रहे। उनका इटिनोश अभिनवित रहा तथा उनकी विभिन्न साधनों का उन्हें ज्ञान तक न होने पाया।

(५) पारस्परिक प्रतियोगिता का अभाव—भारत की प्राचीन अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण यह था कि उसमें प्रतियोगिता न काई स्थान न था। आम निमित्तों तथा जाति के आधार पर विभिन्न व्यवसाय में होने वाले कारण पारस्परिक प्रतियोगिता वा नोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न। जैसा कि विदित है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापारिक रागु का महत्व बहुत कम था तिकड़ फलस्वरूप ग्रामीण लम्ब करने की दृष्टि से की जाने वाली प्रतियोगिता नहुत कम देखने में आती थी। एक प्रमाण से लोगों में अपने व्यवसाय को चुनने वाली स्वतंत्रता नहा था। जाति के आधार पर व्यवसायों के विभाजन होने वाले जो व्यक्ति निस जाति में नम ले लेता था उसे उस जाति द्वारा स्थिर गये व्यवसाय नो ही अपनाना पड़ता था।

(६) कृषि में व्यापारीकरण का अभाव—१६वीं शताब्दी के प्रारम्भिक चाल तक जन देश व अर्थित जीवन में पर्याप्त काति नहा होने पाई थी तब देश व अर्थित व्यक्तियों वा प्रमुख व्यवसाय कृषि वा निःसारा स्वरूप भी उसके आधुनिक स्वरूप से पूर्णतया भिन्न था। मुख्यतया छोटे ऐमाने पर चलाये जाने के कारण कृषि उद्योग के लिए बहुत सीमित सारा में थम तथा पूँजी की आवश्यकता होती थी। यही कारण था कि कृषि अधिगश्त जनता के जीवन निर्वाह का साधन जल्दी हुई था। कृपना की अधिक अविहर मजदूरी की मी आवश्यकता न था और प्राप्त उह स्वयं तथा अपने परिवार के अन्तर सदस्या द्वारा खेती सम्बद्धी समझ वाले पूँजी व्यवहार करते थे। कृषि के समद्वय अधिक समस्याएँ भी न था। भूमि पर जनसंख्या व अविहर भारत न होने के कारण खेती की भूमि के अनार्थिक नोता (uneconomic holding) में विभक्त होने वाली जर्तमान जैसी कड़ी समस्या भी न थी। खेती की प्रणाली वथा पद्धति भी अत्यन्त सरल थी। कृषि में प्रयोग होने वाले ग्रीजार सादे व घरलूहुआ रसें थे। परन्तु इस सम्बन्ध में सरसे बड़ी विशेषता यह थी कि भारत की जनती व्यापारिकरण से गुज़र था। कृषि का अधिगश्त भाग किलान अपने तथा परिवार ने सदस्यों की आवश्यकता व निए सुरक्षित रखता था। शेष भाग उसकी अन्य विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता था। वस्तुतिनियत वी प्रधानता होने वाले कारण कृषि अनेक खेताओं वा भुगतान आनाज द्वारा रखता था। जिसके फलस्वरूप कृषि का मिशाल स्तरीय उत्पादन (large scale production) न होने के कारण किसान के पास बाजार में बचने के लिए पक्षावृत्त माना जाना नहीं बच पाता था जिससे कृषि में व्यापारीकरण समव नहीं था।

(७) उद्योग तथा व्यापार की दशा—कृषि प्रधान देश होने हुए भी प्राचीन

काल में भारत ने श्रीयोगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र में भी कासी प्रगति कर ली थी। १६व शताब्दी के प्रारम्भ कान तक यज्ञपि देश में निशाल स्तुत्य उद्योगों की भरमार नहीं थी परं भी असने कुरीर उद्योगों की कलाभक्त वस्तुआँ के उत्पादन के लिए हमारा देश संसार के सभ देशों के ग्रामे था। भारत में लगे हुए कुटीर उद्योगों में अनिकुण्ठ श्रमिकों द्वारा विभिन्न अनेक मुक्त तथा मोहक वस्तुआँ की प्रशस्ता समल संसार के कला प्रेमियों द्वारा की जाती थी। प्राप्ति, इटली तथा मिश्र ने सभ देशों में भारत की जनी हुई सुन्दर कलाशृण वस्तुआँ के प्रयोग से लाग प्रसन्नता तथा गौरव अनुभव करते थे। उस रात जी श्रीयोगिक देश की प्रसुप्ति विशेषता यह थी कि भारत में निशाल उद्योगों की अपद्वा कुटीर एवं लालुनीय उद्योगों का प्रसुप्ति स्थान था। यही नहीं कि उन्नत भारत की इन कलाभक्त वस्तुआँ की स्थानि कल निशेशा ही में थी वरन् सभ देश में तत्त्वालीन राजाओं व महाराजाओं के प्रोत्साहन के कारण इन वस्तुओं का विस्तृत वाचार था। भारत में जनी हुई अनेक वस्तुआँ से लदे जाहाज प्रायः संसार के सभी भागों में जाता करते थे जिनसे देश में अधिक मात्रा में स्थान तथा रोपनी हानी थी।

भारत में आर्थिक कान्ति का प्रारम्भ—ग्रामीण आमनिर्मलता, मुद्रा का अभाव, भगर तथा ग्रामों में सम्पन्न हानता तथा कुटीर उद्योगों की प्रधानता जैसी प्रसुप्ति विशेषज्ञानों निशेशा वर्णन उपर दिया गया है उनसे भारत के प्राचीन आर्थिक संग्रहन का विस्तृत रूप ग्रामों के सामने आ जाता है, परन्तु याहाँ ही समय के बाद भारत की आर्थिक स्थिति सभ महान् परिवर्तन दृष्टिगति होने लगे। निशेशा के सम्पर्क में आने के कारण तथा उनके राजि रियान से प्रभावित होने के कालस्थरूप भारत की इह आर्थिक स्थिति जो भूप मी बदलने लगा। अप्रेन शासक अपने प्रारम्भ काल से ही भारत में अपना आर्थिक जमाना जो स्वप्न देख रहे थे निशेशा लिए उन्होंने धार धार यहाँ के ग्रामानिक तथा आर्थिक कारों से निलगे जो जाय प्रारम्भ कर दिया था।

‘द्वीप शतादी में अप्रेना का आर्थिक भारत में काढ़ी गहराइ तक पहुँच चुका था। अप्रेन शासन बाल में अनेक आर्थिक तथा राजनीतिक नानिशा के प्रवर्त्तन उन्होंने भारत के सामाजिक तथा आर्थिक जागन में महान् कान्ति उत्थन बढ़ावा दिया। अप्रेन भारत में ग्रामीण आमनिर्मलता समाप्त होने लगी। निशेशा के सम्पर्क में आने के कारण नदीन दृष्टिगति वा जम हुआ तथा ग्रामीण निशेशा मा अप्रेन ने इस नदी निचारगता से प्रभावित होने लगा। निशेशा में अपनी दैनिक आमरणस्तानों तथा खानाओं को पूत्र के लिए लाग वस्तु विनिमय था ही उत्तरा सेन ये वहा अप्रेन मुद्रा का चलन बढ़ गया। उत्तरादिन में बृद्धि होने लगा। उत्तरा के तरीकों में परिवर्तन होने लगा जिसके कारण कुप्रब अपने तथा अपने परिवार का आवरणक्ति से आर्थिक उत्पादन करों में समर्थ हो सके और विभिन्न समाजों का मुगवान अप्रेन अनाज में न हाकर

मुझ में होने लगा जिसके द्वारण ग्रामीण जनता के पास जाजार में निकी के लिए भी अनाज की पर्याप्त पूर्ति शेष रहने लगी। जनसख्त्या की वृद्धि के साथ साथ खेती पूँछ भार अधिक गढ़ने लगा और यथाने जीप्रोगर्जन के लिए भारी सख्त्या में लोग शहरों में आने लगे। त्रिटिश शासनों के समर्क में आने के द्वारण अब देशी राजा तथा नवाजों की रचि तथा पैशन में भी परिवर्तन होने लगा। वे अप्रेजी सभता से अत्यधिक प्रभावित हो चुके थे जिसने द्वारण भारत के कुशल कार्यगरों द्वारा निर्मित विभिन्न आकर्षक तथा कलात्मक वस्तुओं की मौग घटने लगी। राजाओं तथा नवाजों के प्रोत्याहन के अपावों के द्वारण अनेक कुटीर उप्रोग एवं दस्तशारी का विनाश होने लगा जिससे उन पर आश्रित जनसख्त्या के समक्ष जीप्रोगर्जन वी जटिल समस्या उत्पन्न होने लगी। अधिकाय लोग बेसारी का शिकार हो गये। अप्रेजों ने भारत को अपनी आर्थिक पूर्ति करने का साधन मान समझ रखता था। इगलैंड तथा स्कॉटलैंड के अनेक उद्योगों की सफलता भारत के शोपण पर ही निर्भर थी। उनके लिए पर्याप्त माना में तथा सख्ते मूल्य पर कच्चे माल की पूर्ति के लिए भारत में अप्रेजी शासकों ने अनेक बदम उठाये। एक और तो अप्रेज भारत से भारी भात्रा में कच्चा माल इगलैंड को ले जाया करते थे दूसरी ओर वहाँ की हुई उसी कच्चे माल की बस्तुये जैसे गूल्य पर बेचने के लिए भारत को एक विस्तृत बाजार समझा जाता था। इन सब पादेश के आर्थिक जीप्रन पर बड़ा धुग प्रभाव पड़ा और भारत की आर्थिक सम्पन्नता नी मजबूत चड़ान हिलने लगी और देश के आर्थिक जीप्रन की नीज बिहारने लगी। फलस्वरूप देश का आर्थिक पतन प्रारम्भ हो गया।

पर ऐसा सोचना सर्वथा अन्यथा ही होगा कि अग्न्हरेजी शारन द्वारा भारत का केवल आर्थिक पतन ही हुआ है और उसकी प्राचीन आर्थिक व्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई। सत्य तो यह है कि विदेशियों के समर्क में आने तथा उनके शासन काल में अनेक ऐसी आर्थिक घटनायें हुई तथा जहुत सी ऐसी योजनाएँ ननी जिनसे भारत के आर्थिक जीप्रन में एक नये युग का प्रारम्भ हुआ। अब हम देश के विभिन्न आर्थिक जैवों तथा सामाजिक जैवों में इनके प्रभावों का परीक्षण परेंगे।

सामाजिक क्रान्ति (Social Transition)—१९वीं शताब्दी भारत के लिए एक ऐसा युग रहा है जिसमें भारत में अनेक सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन हुए, जिनके फलस्वरूप भारत का सामाजिक ढाँचा पूर्णतया बदल गया। सामाजिक जैवों में इस क्रान्ति का परिणाम यह हुआ कि भारत में ग्रामीण आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई और अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए ग्रामवासियों को औरों पर निर्भर रहना आवश्यक होने लगा। देश की प्राचीन सामाजिक सुस्थायें जैसे संयुक्त कुद्रम्ब प्रणाली एवं जाति प्रथा का अन्त होने लगा। लोगों में व्यक्तिवाद की भावना जाग्न हो गई।

शिक्षा वा प्रसार तथा ग्रामीण क्षेत्रों वा नगरों से समर्प हीनता की समाप्ति के कारण लोगों में नई दिनांकधारा का सचार हुआ। देशासिया के डॉटरेल में महत्वपूर्ण परिवर्तन दियाइ देने लगा। उक्त में भारत ने प्राचीन सामाजिक ढाँचे ने एक नया रूप प्रदाय दिया।

आर्थिक प्रान्ति (Economic Transition)—नये दिवारों के समावेश तथा नयीन विचारणागत्रा से पोषित इन नयीन वातावरण में देश में हर वरक आर्थिक क्षेत्र में भी एक नई जाएति होने लगी। विस्तिरण राष्ट्र तथा समुद्रिशील राष्ट्र न समर्प में आने से भारत के आर्थिक जीवन तथा उससी प्राचीन अर्थ व्यवस्था में भी ब्रान्ति उत्पन्न हो गई। देश में यह कृषि व साध साध ग्रामीणिक उत्पत्ति व प्रति भी इच्छा नहीं लगी। कृषि से उत्पाद की ओर (from agriculture to industry) इच्छा भी प्राप्ति आर्थिक प्रान्ति का एक प्रमुख कारण थी। यही नहीं निकाल इस काल में देश में कुछ उत्पाद का प्रारम्भ हुआ तथा भारत में नये नये उत्पाद की नीति रखनी जाने लगी तरन् स्वयं देश न प्राचीन व्यवस्था कृषि में भी एक प्रशार की काल्पनिकी आ गई। अब भारतीय कृषि का वह स्वयं नहीं था जिसका केवल अपने निए हाँ उत्पादन तरन हा और जिसमें धूम य पूँजी का सीमित उपयोग होना वृष्टि की प्रणाली सीधी सादी नहीं हो। इस नई अर्थ व्यवस्था में भारत का कृषि में अनेक सुधार हुए। संस्करण प्रमुख परिवर्तन जो भारतीय कृषि म दृष्टिगोचर हुआ वह देश में कृषि का व्यापारीकरण (commercialisation of agriculture) था जिसका अर्थ था कि अब कृषि का उत्पादन करने अपने लिए ही न रखें देश व सुधार के अन्य लोगों के लिए भी करता था। विदेशी खाप्रान्यगदियों, जिनका मारत पर आधिक था, वे भारत से अधिक मात्रा म कच्चा माल अपने देश में निर्यात नहीं थे जिससे भारतीय निकाल को काफी आय होने लगी थी। भारतीय कृषि अब वह भली भाँति समझ गया था जिसे ऐसी अवस्था म उत्पन्न किए जाने लिए ही कृषि सम्बन्धी वस्तुओं का उत्पादन करना उचित नहीं बरन् ऐसी अनेक वस्तुओं का जैसे चाय, कहा, रन्ह, कपास, जूट, रेशम इत्यादि जिनका उत्पादन द्वारा उत्तर वासी आमदनी हो सकती है। जिससे भारतीय कृषि म व्यापारीकरण भी प्रवृत्ति आने लगी।

उत्पादन पद्धति में प्रान्ति (Transition in Productive Technique)—१९वीं शताब्दी में भारत म होने वाली आर्थिक प्रान्ति तथा शिक्षा व प्रशार एवं ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरों में समर्प स्थापित होने का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि सूक्ष्मादी विचारों तथा अन्यजित्यात्र को छोड़कर दैश्यमाणी एक नयीन वृष्टिकोण तथा उन्नतिशील विचारों को अपनाने के लिए उन्मुख होने लगे। इस नये प्रवाशा एवं नवीन चेतना के प्रशार व सूक्ष्मसंरूप भारत के किसान अब कृषि की अपनी प्राचीन रीति तथा पद्धति से घृणा करने लगे। कृषि उत्पादन पद्धति में मी

सर्वथा कान्ति दिखाई देने लगी। भारतीय किसान ग्राम सेती में बेवल अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों नी सहायता से ही सन्तुष्ट नहीं था वरन् सेती क व्यापारीकरण के फलस्वरूप उसे कृषि उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी जिसके फलस्वरूप अब इसी में सातहर मजदूरों (Agricultural labourers) की अत्यधिक सहायता लेने लगा और इसी उत्पादन की पढ़ति में परिवर्तन होने लगा। अब किसान बेवल कुओं तथा तालाबों से ही अपने इन नहां साचता था वरन् तिचाई की मुविधाओं के लिए देश के अनेक मार्गांम नहरों का निर्माण हो गया था जिससे भारतीय किसान को बाही लाभ हुआ।

औद्योगिक कान्ति (Industrial transition)—सन् १८६६ ई० में स्पेन नहर (Suez Canal) के खुलने से भारत के उद्योग एवं व्यापार पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसके कारण भारत की अन्य देशों से प्रथम करने वाली दूरी कम हो गई। उदाहरण के लिए नेप की ओर से (Via Capetown) अमर्याई से लदन (London) लगभग दस हजार कि.मी (१०,६००) मीज से अधिक की दूरी पर है जब कि स्पेन नहर के खुलने तक पश्चात् यह फारला घटकर करल ६,२७४ मील ही रह गया जिससे लगभग दूरी में ४१ २ प्रतिशत की कमी हो गई।¹

यही नहीं स्पेन नहर के खुलने से करल भारत से अन्य देशों की दूरी में कमी हो गई वरन् इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर अनेक प्रभाव से गहरा प्रभाव पड़ा। भारत के पिंडीशी व्यापार में महान प्रगति होने का मुख्य कारण स्पेन नहर का खुलना ही था। इस नहर के खुलने तथा दूरी में कमा के बारण विराये (reductions) में पर्याप्त कमी हो गई जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत से भारी मात्रा में बच्चे माल के बिर्यात तथा उसके बदले में निभित वस्तुओं के आयात में और भी प्रोत्साहन मिला और अब विनश्चाम में ननी वस्तुये, आयात के लिए में कमी के बारण, कम व सस्ता मूल्य पर विकल्प लगा। इसके दो मुख्य पारण्याम हुए। पहला तो यह कि भारत को अपने उद्योगों के लिए आशनक यन्त्र तथा साज-सज्जा कम मूल्य पर प्राप्त होने लगी परन्तु साथ ही दूसरा परिणाम यह हुआ कि इससे भारत के प्राचीन कुटीर उद्योगों को भारी ज़ति भी पहुँचने लगी और अनेक भारतीय उद्योगों तथा दस्तावारों का विनाश प्राप्त हो गया।

इस काल में भारत में अनेक आनुनिक मुविधायें उत्पन्न होने लगीं। देश में ऐन यातायाज तथा उत्पादकालन के उपकरणों की सुविधाओं के बारण देश के आर्थिक तथा औद्योगिक विकास में नई सहायता मिली। देश में बड़े नड़े उद्योग स्थापित होने लगे जिनमें आधुनिक यन्त्र तथा मशीनों द्वारा उत्पादन होने के फलस्वरूप मारी सर्प्या

* V. Halayya A Text book of Economic History p. 17¹

म बेसार लोगों को रोनगार प्राप्त हुआ। इन्हें श्रीनगिरु बन्द्र तथा नगरों की स्थापना होने लगा जिसके कारण देश की जनसंख्या न नगर तथा शहरों में प्रिव्यय में भी वापस परिवर्तन हो गया।

उपरोक्त प्रिव्यय से स्पष्ट है कि १९वीं शताब्दी में भारत में जो आर्थिक, खामोजिक तथा श्रीनगर मान्यता हुई उसके देश का प्राचीन अर्थ-व्यवस्था पूर्णतया परिवर्तित हो गई जिसके परिणाम-स्वरूप देश का आधिक दाचा ही बिल्कुल नदल गया। जिमिन ज़मा म हान ज़मा मान्यता द्वारा जलन इस नजान अर्थ व्यवस्था में भारत के भाग श्रीनगर करण तथा आविष्ट प्रगति की जात तो अर्थव्यवस्था पड़ गई है परन्तु यहाँ भी अनेक कारण से देश का सम्पूर्ण आर्थिक प्रक्रिया श्रीनगिरु दिवाय नहीं हो सका। सबार के अन्त राष्ट्र का तुलना में भाल यहाँ भी एक पिछड़ा तथा अर्थनिष्ठित राष्ट्र ज्ञा रहा जिसे कारण भारतभासिया भा जान नहीं भटुत निभा है।

प्रश्न

1. What do you know about the economic transition in India during 19th Century? What were its causes and effects on the economic life of the country?
(Lucknow 1944)

भारत में कृषि का महत्व तथा उसकी समस्याएँ

(Importance of Agriculture and its Problems in India)

प्रत्येक देश के आर्थिक जीवन की कुछ विशेषतायें होती हैं जिनका राष्ट्रीय अर्थ तथा जनसख्त्या के व्यावसायिक वितरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अर्थ व्यवस्था की प्रकृति तथा देशवासियों की आर्थिक क्रियाओं का इनके द्वारा प्रभावित होना स्वाभाविक ही है। अत राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में इन विशेषताओं को ध्यान में रखना अत्यन्त आवश्यक है। उदाहरण के लिए औद्योगिक राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि के लिए यह अनिवार्य है कि वहाँ प्रथम उद्योग सम्बन्धी व्यवसायों जैसे खनिज उद्योग व इज्जीनियरिंग उद्योगों का विकास किया जाये जिसके फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में निम्नतर वृद्धि होती जाय। इसी प्रकार एक कृषि प्रधान देश की आर्थिक उन्नति तथा समृद्धि के लिये पहले वृप्ति की दशा को मुघारना होगा। जिन उन्नतिशील वृप्ति के देश की अर्थ व्यवस्था में वास्तविक सुधार होना अवश्यक है। यही दशा हमारे देश की है। एक कृषि प्रधान देश होने के कारण अधिकांश जनता खेती के व्यवसाय में लगी हुई है, अत राष्ट्रीय विकास की योजनाओं को सफल बनाने तथा देश की आर्थिक उन्नति के लिये आवश्यकता इस बात की है कि वृप्ति के चेत्र में पर्याप्त उन्नति हो। यही हमारा अर्थ व्यवस्था का आधारभूत तथ्य है।

भारत की अर्थ-व्यवस्था में कृषि का स्थान (Place of agriculture in Indian economy)—भारत सदा से ही कृषि प्रधान देश रहा है। ऐसे ही प्रत्येक देश में उत्तरी जनसख्त्या के पालन पोषण तथा उद्योगों के लिए पर्याप्त बन्दे माल की पूर्ति की समस्या को हल करने के लिये कृषि का महत्व होता है, परन्तु भारत में कृषि का एक विशेष स्थान है। हमारे आर्थिक जीवन का आधारस्तम्भ-कहलाने का गौरव ऐसल कृषि को ही प्राप्त है। प्राचीन काल से ही यह हमारे देश वासियों का मुख्य व्यवसाय रहा है। कृषि उद्योग भारत का सर्व श्रेष्ठ उद्योग है। आज से लगभग सौ वर्ष पूर्व बग देश में यातायात सम्बन्धी सुविधायें बहुत कम थीं कृषि उत्पादन का क्रम विक्रय के बल गाँव तक ही सीमित था। हमारे गाँव आत्मनिर्भर थे तथा बाहरी दुनिया के उनका कोई सम्बन्ध न था। यातायात के साधनों के विकास से कृषि उत्पादन के बाजार में भी विस्तार हुआ, अत वृप्ति का व्यापारीकरण हो गया। यद्यपि वर्तमान समय में हमारे देश के समक्ष साध पूर्ति की गम्भीर समस्या उपरिख्यत है,

हमारे देश से भिन्न प्रकार की कृषि वस्तुओं का नियोग किया जाता है। याच समस्या को हल करने के लिये किये गये प्रयत्नों से कृषि की उन्नति तथा उसमें मुश्वर किये जाने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। अब यह गत स्पष्ट हो गई है कि निम्न उन्नतिशील कृषि के देश की आर्थिक उन्नति सम्मान नहीं है। देश व आर्थिक विकास के लिये निर्भव एवं विकास पर ही निर्भर है।

हमारे देश न प्राकृतिक साधनों में सबसे प्रमुख साधन “भूमि” है। उत्पत्ति के लिये आवश्यक पाँच साधनों - भूमि, अम, मूँजी, राहस एवं सगड़न में जिन दो उत्पत्ति के साधनों का हमारे देश में बहुत्य है वह हैं भूमि व अम (Land and labour)। देश का आधिकार्य जनता एवं जन शक्ति भूमि पर आधित है। इसी कारण देश की आर्थिक स्थिति में कृषि का सबसे आधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्रत्यक्ष एवं पराक्रम से देश की जन समस्या का आधिकारा भाग खेती के व्यवसाय में लगा हुआ है। सेन् १९५१ का जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का लगभग ७० प्रतिशत भाग आर्थिक प्राप्ति करते हैं। कुल जन-संख्या का लगभग ३० प्रतिशत ही भाग ऐसा है जो कृषि से भिन्न व्यवसायों पर निर्भर रहता है। इससे यह स्पष्ट है कि देश की अनुसंख्या के प्रत्येक दण्ड व्यक्तियों में से सात व्यक्ति ऐसे हैं जो कृषि वा उससे सम्बन्धित कारों में सलग्न हैं। कृषि में लगा हुए हुए जन-संख्या पर ही गढ़ व चालीस करोड़ में भी आविक व्यक्तियों ने लिए यात्रा सामग्री उपलब्ध करने का उत्तरदायित है। परन्तु इस समय राष्ट्र सामग्री की पृष्ठि के अभाव न कारण देश की आवश्यकता का बहुत भाग निरेशा स आयात कराना आवश्यक हा जाता है।

कृषि राष्ट्रीय आय का प्रमुख सात है। सन् १९५५ ने राष्ट्रीय आय के उपरांत आकर्षी के अनुसार भारत में कृषि (वन इत्यादि समत) वर्गसमिक्षा ५,२२० करोड़ रुपये का राष्ट्रीय आय प्राप्त हुई। यह उस बीमा का कुल राष्ट्रीय आय का ४३.७ प्रतिशत भाग है। इससे यह चिढ़ हाता है कि कृषि हमारी राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण साधन है। सातांत्र देश में कृषि द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय भारत की तुलना में बहुत कम है जैसा कि निम्न तालिका से निर्दित है।

कृषि द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय (१९५५)

पद्ध	कृषि द्वारा प्राप्त आय (करोड़ रुपये में)	कुल राष्ट्रीय आय का प्रतिशत
भारत	४२२०.०	४३.७
चीन	१६७१.१	२१.८
यूनाइटेड किंगडम	१०२०.०	४.६
संयुक्त राज्य अमेरिका	७२७१.८	४.३

१) हमारे देश द्वारा किये गये आन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी कृपिका—महत्व कम नहीं है। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं वृषि से सम्बद्धित हैं, जैसे जट, तम्बाकू, चाय, तिलहन, लाख इत्यादि। इन वस्तुओं के निर्यात से देश को पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। जहाँ तक सावधानी का प्रश्न है, भारत की दशा इस समय वास्तव में बड़ी शोचनीय है। देश में जनसंख्या के लिए पर्याप्त सावधानी के अभाव के पलस्त्रूप मारत के हर वर्ष अपनी आन्तर्राष्ट्रीय का लगभग प्रति शत मांग प्रैशों से आयात करना पड़ता है। आयात किये गये इस सावधानी से राष्ट्र की ग्रथ्य व्यवस्था पर बड़ा हानिकर प्रभाव पड़ता है। एक और जबकि विदेशों से आयात किये गये गेहूं तथा अथवा प्रकार की सावधानी की किसी (quality) निम्न श्रेणी की होती है, जो एक प्रकार से निर्यात करने वाले देशों के लिए अतिरिक्त (surplus) के समान होती है, तो दूसरी ओर भारी मात्रा में सावधान के आयात के लिए राष्ट्रीय आय का नहुन बड़ा भाग विदेशों का चला जाता है। इससे हमारी विकास सम्बंधी योजनाओं को पूरा करने में कठिनाई उपरिपल होती है। किसी समय हमारे देश को विश्व वाले सावधान का सलिहान (Grainary of the world) कहलाने का गौरव प्राप्त या, परन्तु आज स्थिति बड़ी गम्भीर है। सन् १९३७ म भारत से गर्मी के अलग हो जाने वाले वस्त्रों के पश्चात देश में सावधान की व्यावरण कमी अनुभव की जा रही है। १९५७ १९५८ में ग्रमश ३५ और ३८७ मिलियन टन अनाज का आयात किया गया जिसका मूल्य ग्रमश १६२२, १२०५ करोड़ रुपया होता है। २) द्वितीय एवं आगामी पचवर्षीय योजना में वृषि को महत्वपूर्ण स्थान देने के फलस्त्रूप मारत न केवल सावधान के द्वेष में आत्मनिर्भरता की दशा को प्राप्त कर लेगा वरन् ऐसी आशा की जाती है कि पुन वह अपने उपादन का कुछ भाग विदेशों को निर्यात करने में भी समर्थ हो सकेंगा।

२) भारत के आर्योगिक विकास के द्वेष में भी कृपिका महत्व कुछ कम नहीं है। देश में प्रतिस्थापित अनेक उद्योगों में कई माल की तिरन्तर पूर्ति करते रहने के लिए भी भारतीय वृषि को उत्तरितील और समृद्धि शोल अवस्था में लाना अत्यन्त आनंदक है। भारत के कुछ उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग, चीनी, तथा जूट उद्योग ऐसे उद्योग हैं जिनक भावी विकास के लिए हमें उनक लिए आवश्यक कई माल का उत्पादन जैसे कपास, पटवन, गना, इत्यादि वृषि वस्तुओं के उत्पादन में व्यावरण वृद्धि करने रहने का प्रयत्न करना चाहिए। देश विभाजन वाले पश्चात् जूट उद्योग के उपकृत कई माल की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। अत इस उद्योग का भविष्य मुख्यतया जूट के आनंदरिक उत्पादन पर ही निर्भर करता है। इन कारणों से

यह स्तर होता है कि मात्र की अर्थ व्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उच्चे में राष्ट्र की उन्नति कृषि की उन्नति पर निर्भर करती है।

कृषि उत्पादन की पिरोपतायें (Characteristics of agricultural production) — पूर्व इसन कि हम मात्र की कृषि की समस्याओं का अध्ययन करें। यह जान लेना अत्यन्त आवश्यक है कि कृषि उत्पादन की मुख्य पिरोपतायें क्या हैं तथा श्रीगणिक उत्पादन से कृषि उत्पादन किस प्रकार भिन्न है? कृषि सत्रार ने प्रमुख व्यवसायों में गिना जाता है। प्रत्यक्ष देश में कृषि अथवा कृषि से प्राप्त वस्तुओं का महत्व अप्रत्यक्ष होता है। इस आवश्यकता का पृथक् करने के लिए याता देश स्वयं उपर्याहा उत्पादन करता है अथवा अन्य देशों से अपनी आपशक्तियों की पूर्ति के लिए इन वस्तुओं का आपान करता है। एक हृषि प्रथम देश का हित इसी में है कि वह कृषि उत्पादन सम्बन्धी अपनी समस्त आपशक्तियों के लिए आमनिर्भर है। कृषि उत्पादन की सबसे पहली पिरोपता यह है कि यह प्रत्यक्ष पर बहुत निर्भर रहती है। प्रदूषित पर निरस्ता व कारण कृषि में बढ़, गूरा, टिही आगमन, अनेक प्रकार के रागों

1. दो नैति प्राकृतिक प्रकारों का नदैर मय बना रहता है। कृषि उत्पादन में क्रमागत उत्पत्ति हाव नियम (Law of Diminishing Returns) अधिक शीघ्रता से लागू होने लगता है। श्रीगणिक उत्पादन में काफी रामय के बाद इस नियम की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है और उत्पादन के आकार में घुट्ठि कर देने से बहुत हृद तक उत्पत्ति हाव नियम की प्रवृत्ति का दूर किया जा सकता है, परन्तु कृषि में भूमि की मात्रा शीमित होने के कारण उत्पादन बढ़ने में कठिनाद होती है।

कृषि द्वारा उत्पादित वस्तुओं की प्रदूषि प्राप्त जट्ठी नष्ट होने वाली होनी है तिक्क कारण कृषिकों के सामने अन संग्रह की प्रिक्ट समस्या होती है, अत फसल कटने के बाद हा गाड़ी में पूर्ण अधिक जड़ जाती है और वस्तुओं के दाम गिरने लगते हैं। कमा कमा पारस्परिक प्रतिवागिता के कारण कृषिकों का अग्ने उत्पादन न संगत मूल्य प्राप्त करने में भी घाटा पहुँचता है तिच्छ उक्ता आर्थिक स्थिति पर बढ़ा हानिकर प्रभाव पड़ता है। इसपर व्यवसाय की उत्तरास पिरोपताओं का कृषि उत्पादन एवं कृषिकों के आर्थिक एवं सामाजिक जातन पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है। इस कारण कृषि सभी समस्याओं का अध्ययन करने समय इन्हें ज्यान में रखना अत्यन्त आवश्यक है।

interests, and farmers in the course of their pursuit of a living and a private profit are the custodians of the basis of national life »

भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएँ

(Main features of Indian agriculture)

साथर के अन्य देशों की माँति भारत के कृषि उत्पादन में भी उपरोक्त विशेषताओं चरितार्थ होती हैं। परन्तु कृषि उत्पादन की इन मौलिक विशेषताओं के अतिरिक्त भारतीय कृषि की कुछ और प्रमुख बातें विशेष महत्व की हैं जिनमें सम्बन्ध में जानकारी होना भारतीय कृषि की विभिन्न समस्याओं के वैज्ञानिक ग्रन्थयन के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

(१) भारतीय कृषि की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध न होने के कारण कृषि वर्षा पर ही मुख्यतया निर्भर करती है, परन्तु वर्षा के अनिश्चित, अपर्याप्त एव समय पर न होने ने कारण कृषिकों के सामने गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाती है।

(२) हमारे खेतों का छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होना तथा उनके छिटके होने के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि करना कठिन हो जाता है।

(३) भारतीय कृषि की एक विशेषता यह भी है कि भूमि ज्ञान जैसी समस्याओं के कारण भारत की कृषि सूनि भी उपज म निरन्तर छानि होती जा रही है जिसक पल स्वरूप प्रति एकड़ उत्पादन म कमी होने की समस्या उत्पन्न हो गई है।

(४) भारतीय कृषि बड़ी पिछड़ी अवस्था म है। प्राचीन उत्पादन पद्धति तथा खेती सम्बन्धी अनेक मुनिषाओं की कमी के कारण भारतीय कृषि की दशा बड़ी शोचनीय है।

(५) भारतीय कृषक की अव्याहता एव निरक्षरता कृषि की उत्पत्ति में बाधक है। किसानों के पास पूँजी की पर्याप्त मात्रा न होने के कारण अपनी आवश्यकताओं के लिए शूल लेना पड़ता है। सामाजिक रूप से रिसाज एव परम्पराओं के कारण किसान अपव्यय का गिराव हो जाता है जिसक कारण उसे मारी बाज पर मूल्य लेने की आवश्यकता होती है जिसका उससे आर्थिक एव सामाजिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(६) भारतीय कृषि की दूसरे बड़ी विशेषता यह है कि अभी तक भारत के कृषि उद्योग में विज्ञान न प्रयोग का अभाव है। साथर के अन्य राष्ट्रों में वैज्ञानिक अनुसधान द्वारा कृषि उत्पादन म पर्याप्त उत्पन्न कर ली गई है। भारतीय कृषि अभी तक वैज्ञानिक प्रयोग एव अनुसधान से लाभान्वित होने में असमर्थ रही है। यही भारतीय कृषि की समस्याओं का मूल कारण है।

*Quoted in Theory and Practice of Co-operation in India and Abroad, Vol III

भूमि उपयोग (Land Utilisation)

भारत में कृषि क्षेत्र भूमि कियनी है, इसकी जानकारी करना अत्यन्त आवश्यक है। देश का कुल मीणोलिक जेनरल लगभग ८१ एकड़ है। इहमें से केवल ८२.२ करोड़ एकड़ भूमि के प्रयाग रंगमंड में ही गोंडाडे उपलब्ध है। लगभग ८६ करोड़ एकड़ भूमि ऐसी है जिसके मध्यम पर्याप्त जानकारी का अभाव है। भारत की ७२.२ करोड़ एकड़ भूमि का उपयोग निम्नतालिका में प्रदर्शित किया गया है।

भूमि

चेत्रफल (करोड़ एकड़ में)

कुल ज्ञानस्तल	८१ १
ठराई की जाने वाली भूमि	७२ ८
उन पर्याप्त	१३ ३
गेहनी में प्रयुक्त भूमि	३१ ५
गेहनी याण अप्राप्य भूमि	१२ २
कृषि य एवं व्यापक भूमि	६ ५
उपर भूमि	५ ८

उपरांत वालका सु स्पष्ट है कि भारत में लगभग ३१ ५ करोड़ भूमि ही ऐसी है जिस पर जनता का जाना है वैसे तो परवा भूमि मिलाकर भारत में कुल ज्ञानी याण भूमि लगभग ८६.३ करोड़ एकड़ है परंतु ३१ ५ करोड़ एकड़ ही भूमि पर गेहनी की गड़ थी। १६५६ ५७ में ३२.० करोड़ एकड़ भूमि पर गेहना का गड़ थी। प्रथम पञ्चार्थीय याजना काल में कृषि याण भूमि के ज्ञानस्तल में वृद्धि करने के प्रयत्न किये गये हैं। केन्द्रीय एवं राज्यकार ट्रेवर साइटों द्वारा लगभग ८३ लाख एकड़ भूमि की ज्ञानी योग्य भूमि बनाने का काव किया गया। भारत का कुल ज्ञानी याण भूमि को अगर भारताय लियानों में वितरित किया जाय तो प्रति व्यक्ति भूमि लगभग ११ एकड़ आवेदी। सुसार क अन्य देशों में प्रति व्यक्ति जारी हुई भूमि भारत का तुलना में कहीं अधिक है। निम्न तालिका में हम भारत तथा सुसार क कुछ प्रमुख देशों में प्रति व्यक्ति जोनी गड़ भूमि का प्रदर्शन करते हैं।

राज्य

प्रति व्यक्ति जारी गड़ भूमि (एकड़)

भारत	१ १
अमेरिका	३ १७
आस्ट्रेलिया	४ ७१
कनाडा	५ २६

मुख्य फसलें (Main crops)

भारत की फसलें मुख्यतया दो प्रकार की हैं—खाद्य फसलें (Foodcrops) और अखाद्य फसलें (Non food crops)। परन्तु भारतीय वृषि उत्पादन की सधें बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ अधिक मात्रा में उपजाऊ भूमि उपलब्ध होने के कारण तथा पर्याप्त वर्षा एवं विभिन्न प्रकार की आवश्यक जलजायु वे कारण वृषि उत्पादन में बड़ी सहायता मिलती है जिसके पलस्वरूप भारत में विभिन्न प्रकार की फसलें गोई जाती हैं। दूसरी विशेषता भारतीय वृषि की यह है कि यहाँ खाद्य फसलों का प्रमुख स्थान है अर्थात् वृषि योग्य भूमि के ८० प्रतिशत भाग पर ऐसी खस्ताओं का उत्पादन होता है जो खाद्य पदार्थों की श्रेणी में आती हैं जैसे चावल, गेहूँ, ज्ञार, जाजार, जी, मक्का, दालें इत्यादि। वेवल २० प्रतिशत ज्ञेन पर ही अन्य प्रकार की खस्ताओं का उत्पादन होता है। निम्न तालिका म हम १९५८-५९ में देश में उगाई गई मुख्य फसलों का ज्ञेनफल एवं उत्पादन प्रदर्शित कर रहे हैं।

मुख्य फसलों का ज्ञेनफल एवं उत्पादन (१९५८-५९)*

फसल	कुल ज्ञेनफल (लाख एकड़ में)	उत्पादन (लाख ठन में)
चावल	८१५.१०	२६७.२१
गेहूँ	३०८.६६	६६.६४
ज्ञार	४२६.०८	८६.८८
बाजरा	२७८.०५	३७.६१
मक्का	१०३.१४	२६.६०
रागी	५८.३०	१७.२२
जी	८१.८६	२६.४०
दाले	५८८.७०	१२२.०८
कुल	२७८६.०३	७३५.०३

(उगोत्र तालिका में प्रमुख खाद्य फसलों के सम्बन्ध में आँकड़े प्रस्तुत किये गये हैं परन्तु खाद्य फसलों के अतिरिक्त भारत में अखाद्य फसलों का भी काफी महत्व है। निम्न तालिका में हम तिलहन, कपास, तमाकू चाय, गन्ना, पटकन इत्यादि फसलों से सम्बन्धित ज्ञेनफल एवं ठनके उत्पादन के सम्बन्ध में आँकड़े दे रहे हैं:-

*India, 1960, p. 240

प्रस्तुति	कुल चेन्ऱल (लाख एकड़)	कुल उत्पादन (लाख टन में)
तिलहन	३३४.२	५६.१
कणास	२०१.६	४७.५
पटकन	१७.५	४०.६ (लाख गाँठ)
गन्ना	५०.२	६४१.४
तमाणू	६.३	२.५
चाय	७.८	६.८ (लाख पौड़)
कहवा	२.४	६.० (लाख पौड़)
रबर	१.८	४६.० (लाख पौड़)

चापल फसलें

चापल—चापल भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में गिना जाता है देश की कृषि-यात्र्य भूमि के लगभग ३ ५ प्रतिशत भाग पर चापल की खेती होती है। भारत में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ के नियांसियों का मुख्य भोजन चापल ही है। १६५८.५६ में इसका चेन्ऱल लगभग ८१५.६ लाख एकड़ और उपज २६७.२१ लाख टन थी। चापल एक सरीकी की फसल होने के कारण नवभर दिसंभर के महीने में काटी जाती है। भारत में चापल की समत्वा १६३५ में वर्षा के अलग हो जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है। आपनी आनंदकता के लिए भारत को चापल विदेशी आयात करना पड़ता है। पश्चिमी गणाल, मध्यप्रदेश, असम, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उडीचा, दक्षिणादि प्रदेश चापल के प्रमुख उत्पादन चेताते हैं।

गेहूँ—भारत में शीत शून्य में गेहूँ की खेती होती है। गेहूँ देशवासियों का प्रमुख भोजन है। वैसे तो इसके उत्पादन के लिये वर्षा की आनंदकता होती है परन्तु कम वर्षा वाले स्थानों में लिचाइ द्वारा इसकी विदागर के लिये प्रभात जल उत्तराञ्चल कर लिया जाता है। गेहूँ के उत्पादन के लिए दुमढ़ मिट्टी यादें अमिक लाभदायक हैं। इस कारण देश की कुल उत्पन्न का लगभग ३५ प्रतिशत भाग उत्पन्न उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त होता है। शाय उत्पादन पञ्चाश, बिहार, बंगाल, राजस्थान से प्राप्त होता है। १६५८.५६ में इसका चेन्ऱल १०८.६६ लाख एकड़ या त्रिपांगे लगभग ६६.६४ लाख टन की उत्पन्न हुई थी।

जी—जी भी देश में भोजन के लिए प्रयुक्त होता है। यह आविकतर निर्भन एवं कम आय वाले व्यक्तियों का लोकप्रिय अनाज है। इसका प्रयोग बियर (Beer) बनाने के लिए भी किया जाता है और याद ही पशुओं के जारे के लिए भी। इस कारण

कृषकों के लिए वह द्राविक फसल होने के कारण अधिक महत्व की है। उसका उत्पादन उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, मध्य प्रदेश, पञ्जाब, राजस्थान आदि में अधिक होता है। १९५८-५९ में इसकी कुल उपज २६४० लाख टन थी।

ज्यारं चाजग एवं रागी—ज्यार, चाजरा, रागी को घटिया किस्म की फसलों में गिना जाता है परन्तु देश की निर्धन जनता के भोजन के लिए इनका महत्व कम नहीं है। सन् १९५८-५९ में ज्यार, चाजरा तथा रागी का उत्पादन क्रमशः ८६८८ लाख टन, ३७६१ लाख टन और १७२२ लाख टन था।

दालें—दालें भारत के लिए अत्यन्त महत्व की हैं। देश की अधिकांश जनता शाकाहारी होने के कारण लगभग सारे देश में दालों का उत्पादन किया जाता है। दालें माय देश न सभी क्षेत्रों में उत्पन्न की जाती हैं। स्वास्थ्य की हानि से भी इनका महत्व अधिक है क्योंकि इनसे प्रोटीन काफी मात्रा में प्राप्त होती है। सन् १९५८-५९ में लगभग ५८८७ लाख एकड़ में दालों की काशत हुई थी जिसकी कुल उपज लगभग १२९०८ लाख टन थी। बिहार, पञ्जाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, झज्जर्बां, आदि राज्य इसके लिए प्रमुख हैं।

गन्ना—यह भारत की प्रमुख व्यापारिक फसल गिनी जाती है तथा देश का एक प्रमुख उद्योग—चीनी उद्योग—इसी पर आधारित है। गन्ने के उत्पादन की हानि से विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। सन् १९५७-५८ में देश में लगभग ५०२ लाख एकड़ भूमि पर गन्ने की खेती हुई थी। उसी समय इसका उत्पादन लगभग ६४१४ लाख टन था। उत्तर प्रदेश, जो गन्ने का प्रमुख उत्पादक है, के अतिरिक्त बंगर्बां, मद्रास, आसाम, बिहार, पञ्जाब, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों में भी गन्ने का उत्पादन होता है।

अर्थात् फसले (Non food crops)

कपास (Cotton)—कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्ठी सबसे बढ़िया है। इसने लिए पर्याप्त वर्षा तथा उच्च तापक्रम की भी आवश्यकता है। इस कारण भारत में कुल उत्पादन का लगभग ८०%, भाग दक्षिणी भारत से ही प्राप्त होता है। इसके उत्पादन के मुख्य क्षेत्र झज्जर्बां, मद्रास, मध्य प्रदेश आदि राज्य हैं। सधार में सबुन राज्य अमेरिका एवं त्रिवियत इस न पृथ्वीत ही भारत का गणना होती है। भारत में अस्यु किस्म की कपास अधिक पैदा न होने के कारण देश की सूती मिलों की आवश्यकता अलिए चढ़िया किस्म की कपास मिलती तथा असुरक्षित रूप ग्रन्तीकृत जैसे देशों के आपाने भी जाती है। १९५७-५८ में कपास का कुल उत्पादन ४७०५ लाख सौठ हुआ था। एक गांठ का भार लगभग ३६२ पौँड होता है। भारत में १६८ लाख एकड़ के क्षेत्रफल से अधिक भूमि पर कपास का उत्पादन किया जाता है।

पटसन (Jute)—सुसार में पटसन के कुल उत्पादन का लगभग ६६% माग अभिभावित भारत में होता था। इस कारण देश के विभाजन के पूर्वी भूमि के उत्पादन का भारत को एकाधिकार प्राप्त था। परन्तु अब दशा बदल गई है। विभाजन के पहले स्वरूप भूमि के उत्पादन द्वितीय अधिकाश पाकिस्तान में चल जाने के कारण भारत की जूट की मिला के लिये देश का पाकिस्तान से आयात किये गये जूट पर निर्भर होना होता है। इस कारण देश में नृ का उत्पादन बढ़ाने के लिए सक्रिय प्रयत्न किये जा रहे हैं।

तिलहन (Oil seeds)—मूँगफली, सरसा, अलसी, तिल एवं रेण्डी ही प्रमुख फल भारत में उत्पाद जाती हैं। इनका उत्पयोग पशुओं के खिलाने, तल निकालने एवं सामुन तथा उत्पादनी थोंडे उत्पादों में किया जाता है। सन् १९५७ पूर्व में इन दाँतों प्रसार के तिलहन का उत्पादन लगभग १३४ २ लाख एकड़ भूमि पर किया गया था। शिरका कुल उत्पादन लगभग ५६ लाख टन था। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बिहार और अयम् द्वारा उत्पादन के मुख्य क्षेत्र हैं।

चाय (Tea)—सुसार में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, दूसरा स्थान भारत का है। आतंरिक उपभोग के अतिरिक्त इक्षु रान्धे बड़ा महत्व निर्यात की दृष्टि से है। भारतीय चाय संसार के अनेक देशों को निर्यात की जाती है। सन् १९५७ पूर्व में भारत से लगभग ११६ करोड़ रुपये की चाय का नियान हुआ था।

रबर (Rubber)—दक्षिणी भारत में अधिकाश रबर का उत्पादन होता है। क्षेत्र उत्तर राज्य में ही कुन देश का लगभग ६० प्रतिशत रबर पैदा होता है। केरल के अतिरिक्त मद्रास और मैसूर राज्यों में भी रबर का उत्पादन होता है। सन् १९५८ पूर्व में भारत में लगभग ४६ लाख पौंड रबर का उत्पादन हुआ था।

तम्बाकू (Tobacco)—सुसार के प्रमुख तम्बाकू उत्पादक देश सुनुक शर्जन अमेरिका तथा चान हैं। तम्बाकू के उत्पादन की ईटिंग से सुसार में भारत का तृतीय स्थान है। या तो यारे देश में तम्बाकू किसी न किसी मात्रा में उत्पन्न होता है परन्तु बिहार, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, उत्तर प्रदेश, बंगल तथा पश्चिमांशील तम्बाकू व प्रमुख उत्पादक हैं। लगभग २ ६३ लाख टन तम्बाकू का उत्पादन सन् १९५८ पूर्व में किया गया था।

कहगा (Coffee)—कहगा भी दक्षिणी भारत में अधिक उत्पन्न होता है। मैसूर तथा मद्रास कहगा के प्रमुख उत्पादक हैं। कहगा का अधिकाश माग निर्यात के काम आता है। सन् १९५७ पूर्व में दस लाख पौंड कहगा उत्पन्न किया गया।

भारतीय कृषि की समस्याएँ

वर्तमान समय में भारत की सबसे प्रमुख समस्या उसकी कृषि की समस्या

है। वास्तव में भारत, जो कभी संसार के अन्य देशों के लिये भी खाय सामग्री उत्पन्न करता था, आज उसकी अधिकाश जनसंख्या कृषि व्यवसाय में लगी होने पर भी वह अभी आवश्यकता के लिए पर्याप्त खाद्य उत्पन्न करने में असमर्थ है। इसके कारण राष्ट्रीय समस्ति का एक भारी भाग प्रति वर्ष देश-वासियों के लिए आवश्यक भोजन के आवाहन करने में व्यय कर दिया जाता है। हमारी कृषि की समस्या ही वर्तमान में देश की अत्यन्त गंभीर समस्या है। जिन कृषि की समस्या हल किये भारत का आधिक विकास सम्भव नहीं। यदि हम देश के विभिन्न ज़ोनों में रहने वाले व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना करें तो हमें ग्रामीण ज़ोनों में रहने वाले तथा नागरिक ज़ोनों में रहने वाले व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय में भारी अन्तर दिखाई देगा। राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार ग्रामीण ज़ोनों की कृषि व्यवसाय में लगी जनसंख्या की प्रति व्यक्ति आय १८० इक्के है परन्तु दूसरे ज़ोनों में सलग्न व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान ४१६ इक्के लगाया गया है। अतः इससे स्फूट है कि ऐसे तो समस्त राष्ट्र ही निर्धन व्यक्तियों से बसा हुआ है, परन्तु भारत की ग्रामीण जनता की दशा अत्यन्त दयनीय है जिसका मुख्य कारण भारतीय कृषि के समव्य अनेक समस्याओं का उपस्थित होना है। इन समस्याओं को हल करने पर ही हम देश के कृषि-उत्पादन में बढ़िये करके ग्रामीण नियासियों तथा समस्त देश-वासियों के जीवन-स्तर को ऊचा उठाकर उनका जीवन मुख्यमय बनाने में समर्थ हो सकेंगे। भारतीय कृषि की निम्न प्रमुख समस्यायें हैं जिनके कारण भारतीय कृषि एक पिछड़ी हुई आवश्यक में है—

भारतीय कृषि के पिछड़े होने के कारण

(१) भूमि पर जनसंख्या का भार—भारतीय कृषि की सबसे प्रमुख समस्या भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक भार होना है जिसके कारण हमारा देश एक कृषि-प्रधान देश होने हुए भी कृषि की दृष्टि से एक पिछड़ी हुई आवश्यक में है। खेती के व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या अत्यधिक होने के कारण खेतों के छोटे-छोटे टुकड़े हो गये हैं। ऐसी स्थिति में उत्पादन कम होना स्वामानिक ही है। तथा इन छोटे-छोटे खेतों में खेती के आधुनिक तरीकों को अपनाने में भी अत्यन्त कठिनाई होती है। इस समस्या को हल करने के लिए हमें रोजगार के अन्य आवसरों की उपलब्धि के लिए नये नये उद्योग-धन्यों का विकास करना आवश्यक है।

(२) खेतों का छोटे-छोटे टुकड़ों में विभवत होना तथा छिटके छोना—
खेती की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि खेत काफी बड़े हो जिनके अन्दर हम आधुनिक यन्त्रों तथा ड्रैक्टों से सुगमता से खेती कर सकें परन्तु भारत में खेत छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गये हैं। भारत में कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ जेत का औषध चेत्रफल देवल नहीं एक ही है। छोटे-छोटे टुकड़ों में तथा उनके सर्वत्र विलरे

होने के कारण हमारी खेती एक विद्युदी अवस्था में है। चक्रवर्ती द्वारा ही हम इस समस्या को हल कर सकते हैं जिससे हमारी वृष्टि में पर्याप्त सुधार सम्भव हो सकता है।

✓ (३) उत्तरदायित्व का अभाव—इसे के लिए में वेन्ट्रीय एवं राज्य समझीयों द्वारा बीच उत्तरदायित्व के अभाव के कारण वृष्टि को भारी ज़हरी हो रही है (Divided responsibility is hitting agriculture)। वृष्टि की समस्या को हल करने के लिए उससे बड़ी आपरेशन्टता इस बात की है कि राज्य सरकारों ने वृष्टि उत्पादन में वृद्धि करने का अपने जिम्मेदारी का अनुभव न कर अपने लिए आपरेशन्ट राज्यालय द्वारा लिए वेन्ट्रीय सरकार पर संदेश निर्भर करते रहने की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए संविधान का सशोधन किया जाय जिससे वृष्टि सम्बन्धी समस्त ग्रामिकार वेन्ट्रीय सरकार के पास आ जायें।

✓ (४) वर्षा पर आर्थिक निर्भर होना—अच्छी उपज के लिए पर्याप्त मार्ग में पानी की आपरेशन्टता है, परन्तु मार्ग में सिंचाई के वृत्तिम साधनों की आपराह्नी मात्रा में उत्पलन्धि के कारण भारतीय वृपक को अपनी उपज के लिए वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता है, परन्तु वर्षा का टीक उमर पर तथा समान वितरण न होने के कारण खेती को बड़ी ज़हरी पहुँचती है। वर्षा आर्थिक हो जाने से बढ़ आ जाती है और फसल को नुकसान पहुँचता है। वर्षा न होने अपना कम होने के फलस्वरूप कभी कभी सूखा पड़ जाने का मत रहता है। इस कारण सब्सेप में मारतीय वृष्टि मानसूनी जुआ (grainable in monsoons) के नाम से जिल्हान है।

(५) दोपूर्ण भूमि व्यवस्था—भारत में प्रचलित भूमि व्यवस्था दोपूर्ण होने के कारण खेती की उत्तरति म शाधा पहुँचती है तथा इसका वृपकों की वार्षिकमता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। भारत में जर्मादारी प्रथा के प्रचलित होने के कारण दोनों एक विद्युदी आपरेशन्ट में रही है, परन्तु जर्मादारी उम्मूलन न परन्तु वृपक को अपनी भूमि में सुधार करने तथा उठाने उत्पादन में वृद्धि करने की प्रेरणा मिली है। आपरेशन्ट का इस बात की है कि वृपक और सरकार ने बीच मध्यस्थी को समात कर दिया जाये तभी वृष्टि में वास्तविक सुधार सम्भव हो सकेगा।

✓ (६) वृष्टि की दोपूर्ण प्रणाली—मारतीय वृष्टि के विद्युदे होने का एक प्रमुख कारण देश में प्रत्यनी तथा दोपूर्ण वृष्टि पद्धति का अपनाया जाना है। हमारे वृपक प्राचीन यन्त्रों द्वारा ही रोटी करते हैं। उनके रोटी के तरीक बहुत पुराने हैं जिसका मुख्य कारण उनकी अशानवा ही है। इस कारण रोटी में प्रयुक्त यन्त्रों का उत्पन्नील बनाया जाये तो पार हमारे वृपक गण खेती के नदेनये एवं सुधार तरीकों को अपनाने जिससे भारतीय वृष्टि को वास्तविक लाभ अवश्य होगा।

✓ (७) राद की कमी—राद उपच बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण धार्षन है। ग्रामीण देशों में उत्पन्न आर्थिक गोदर, जो अच्छी खाद के रूप में प्रयुक्त किया जा

सकता है, मारी मात्रा में किसानों द्वारा ईंधन के रूप में जला दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे किसानों को कम्पोस्ट बनाने का भी समुचित शान नहीं है जिससे कारण यह तो अधिकांश कूड़ा करकट व्यर्थ चला जाता है अर्थात् दोगपूर्ण ढग से इकट्ठा रखने पर कारण उनके आवश्यक रासायनिक तत्व नाट हो जाते हैं। इस कारण कृषि का उत्पादन कम हो जाता है।

✓(८) उत्तम धीज की कमी—भारतीय कृषि को सुधारने के लिए उत्तम धीज का भी होना अत्यन्त आवश्यक है। अच्छे प्रकार के धीज के प्रयोग से कृषि उत्पादन में पृद्धि की जा सकती है।

✓(९) दुर्बल पशु—वैसे तो हमारे देश में खेती में प्रयोग होने वाले पशुओं की संख्या कम नहीं है तथा संख्या की हाफ्ट ऐ मारत में सारांश में रखने से अधिक पशु हैं, परन्तु किस की हाफ्ट से (Qualitatively) भारतीय पशु दुर्बल और घटिया प्रकार हैं। उनकी कार्य क्षमता कम होने के कारण किसान को उनसे वास्तविक लाभ नहीं हो पाता। भारत की पशु सम्पत्ति सुधारने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि पशुओं के लिए चारे का समुचित प्रबन्ध हो, उनके रहने का स्थान स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्धक हो तथा उनकी चिकित्सा का भी प्रबन्ध हो।

✓(१०) कृषि विपणन के दोष—भारतीय कृषि के पिछड़े होने का दायित्व बहुत बुद्ध वृष्टिकों की भी विद्वानी एवं दयनीय अवस्था होना है जिसका मुख्य कारण यह है कि दोगपूर्ण विपणन प्रणाली के कारण उन्हें अपनी परल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। गाँवों के गत्ते परापर होने तथा यानायात के साधनों के अभाव के फलस्वरूप किसान को गाँव में ही प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी परल को बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। सगटिल महियों के अभाव के कारण यहाँ नाना प्रकार की धोखे जानियाँ प्रचलित हैं तथा मध्यस्थी द्वारा उसके मूल्य का एक भारी माण हड्डप कर लिया जाता है। सहकारी विपणन समितियों द्वारा इन मध्यस्थी को दूर कर किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाया जा सकता है जिससे उसकी दशा में वास्तविक सुधार हो जायेगा।

(११) कृषिकों का ऋण प्रस्त होना—भारतीय कृषक लूटिवादी तथा दकिया नहीं विचारधारा का शिकार है। अपनी अशानता के कारण उसे सामाजिक एवं धार्मिक अपराधों पर गाँव के महाबन से भूमि लेना पड़ता है। इसने अतिरिक्त अपनी खेती 'सामन्धी आवश्यकताओं के लिए भी उसे महाबन और साहूकार के द्वारा खटरटाने पड़ते हैं। सहकारी समितियों द्वारा किसान को अपनी आवश्यकता के लिए उचित व्याज पर साल दिलाकर उसे महाबन साहूकार के निर्दर्शी पजों से मुक्त किया जा सकता है। इससे देश की कृषि की दशा को सुधारने में सहायता मिलेगी।

कम उपज के बारण—जैसा कि उपरोक्त विवरण से विदित है भारतीय कृषि

की अप्रस्था बड़ी दयनीय है। एक और तो देश की जन सख्ता में निरंतर वृद्धि होती जा रही है और दूसरी ओर इस बढ़ती हुई जनसख्ता के लिए देश में पर्याप्त साध्य सामग्री का आमाव है जिससे फलस्वरूप देश को विदेशी पर आधिक रहना पड़ता है। भारत में प्रति एकड़ उपज बहुत कम है। निम्न ताजिका में हम चावल, गेहूँ, तथा गन्ने के सम्बन्ध में सासार के प्रमुख देशों का प्रति एकड़ औसत उत्पादन का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हैं।

[प्रति एकड़ औसत उत्पादन (पौन्डों में)]

देश	गेहूँ	चावल	गन्ना
भारत	५८६	६६१	२६,४६७
पाकिस्तान	८३३	१,२६१	१७,४६६
अमेरिका	६४६	—	३६,६१८
कनाडा	१,०५०	—	—
यू.ए.०	२,४३६	—	—
जापान	—	३,५३३	—
हार्ड	—	—	१,५०,३६८

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत में गेहूँ, चावल, गन्ना जैसे प्रमुख वस्तुओं का प्रति एकड़ औसत उत्पादन सासार के अन्य देशों के प्रति एकड़ औसत उत्पादन से बहुत कम है। जबकि यू.ए.० में प्रति एकड़ गेहूँ का औसत उत्पादन २,४३६ पौड़ है वहाँ भारत में चावल ५८६ पौड़ ही है। इसी प्रकार जापान में चावल के प्रति एकड़ औसत उत्पादन की तुलना में भारत का प्रति एकड़ उत्पादन बहुत ही कम है। इससे इस दान का आमाव होता है कि हमें कम उत्पादित करारणों का विस्तृत अध्ययन करना चाहिए जिनसे हल करने के पश्चात् ही देश की कृषि अर्थव्यवस्था में कोई वास्तविक सुधार सम्भव हो सकेगा। भारत में कम उत्पादित के प्रमुख कारण निम्न हैं—

(१) खेतों का उपराडन तथा छिट्ठने होना।

(२) लगातार खेती करने तथा भूमिक्षरण (Soil erosion) के कारण कृषि नुस्खे की उत्तरी शक्ति कम होते जाना।

(३) उत्तम वीज तथा खाद का प्रयोग कम होना।

(४) दोषरूप प्राचीन कृषि प्रणाली का अपनाया जाना।

(५) सिंचाई के साधनों के आमाव के कारण सेती का बर्फ पर निर्भर होना।

(६) दुर्बल तथा रोगप्रस्त गुणों का प्रयोग।

(७) दोषरूप कृषि विपणन की पद्धति।

- (८) विभिन्न रोगों तथा कीटागुर्जाद्वारा फसल नष्ट हो जाना । —
- (९) कृषकों की अशानता तथा आखण्डता होना ।
- (१०) दोषपूर्ण भू पारण प्रणाली ।
- (११) कृषकों की निर्धनता तथा कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिए दृङ् जी का अभाव ।

कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय

भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए समय समय पर नियुक्त की गई समितियाँ एवं सम्मेलनां द्वारा अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं । हमारे विचार से यदि हमें देश की कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करना है तो निम्नलिखित सुझावों को ध्यान में रखना होगा —

(१) उच्चोग घन्थों के विकास से रोजगार के विभिन्न अवसर प्रदान किये जायें जिससे भूमि पर जनसख्त्य का भार कम हो ।

(२) देश की बनस्तति की रक्षा करने की इच्छा से पेढ़ों के काटने पर रोक लगानी चाहिये ।

(३) (३) लिंचाई के साधनों का समुचित विकास हो । उन्नतिशील कृषि यन्त्र, उत्तम चीज़ एवं नदिया याद का प्रयोग हो ।

(४) ग्रामीण द्वेरा में शिक्षा का प्रसार हो जिससे कृषक की अशानता एवं उसकी रुद्दिवादी विचारधारा समाप्त की जा सके ।

(५) यातायात के साधनों का विकास हो ।

(६) कीटागु एवं विभिन्न रोगों से फसल की रक्षा की जाये ।

(७) कृषि अनुसधान एवं वैज्ञानिक अन्वेषणों द्वारा खेती के उन्नतिशील सरीकों का विकास हो ।

(८) भूमिक्षय द्वारा होने वाली हानि से कृषि भूमि की रक्षा की जाये ।

(९) छोटे छोटे खेतों पर मिलाकर कृषि जोड़ (agricultural holdings) में वृद्धि की जाये ।

(१०) पशु संपत्ति के सुधार के लिए प्रयत्न किये जायें ।

भारत सरकार द्वारा एवं कृषि मंत्रालय (Ministry of Food and Agriculture) एवं सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Community Development and Co-operation) के नियन्त्रण पर आपसित १३ सदस्यों वाले 'फोर्ड फाउन्डेशन अध्ययन टल' (Ford Foundation Study Team) द्वारा भारतीय कृषि के उत्पत्ति को बढ़ाने के लिए दिये गये सुझाव शांत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । इन सुझावों से देश के कृषि उत्पादन में वास्तविक वृद्धि को अभावना की जा सकती है । सुझावों की सहेज में नीचे दे रहे हैं —

(१) भूमि सुधार तथा भूमि की स्थाई अवस्था करना ।

(२) खालील दूरी में रियर्टा लाना ।

- (३) खेतों की चकमन्दी।
- (४) सहकारी कृषि प्रणाली।
- (५) साप सम्बन्धी मुद्रिधार्यों को प्रदान करना।
- (६) कृषि नियन्त्रण में सुधार।
- (७) भूमि व्यापक से भूमि की रक्षा की जाना।
- (८) पशुओं द्वारा खेतों में अनियन्त्रित दूग से चरने पर रोक।
- (९) रासायनिक यादृच्छा का प्रयोग।
- (१०) कृषि का योग्यकरण।
- (११) पशुओं की दशा सुधारना तथा वेकार पशुओं की सख्ती कम करना।
- (१२) इसि अर्थगति में अनुकूलान् (Research in Agricultural Economics)

भारत में विस्तृत तथा सघन अर्थवा गहरी खेती की समस्या (Problem of Extensive and Intensive Cultivation in India)

भारत में कृषि सम्बन्धी सुधार के अन्तर्गत विस्तृत तथा गहरी खेती की समस्या भी आती है। हमारे देश ने समक्ष इस समय आर्थिक उत्पादन की समस्या है। कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से न बेल मारत अपनी बढ़ता हुई जनसख्ती वें लिए आपरेटक खात्याक जुनाने में लमर्ह द्वारा सरेगा थरन् उत्पादन की इस वृद्धि का अन्य दृष्टि से भी अत्यन्त रोक्षीय महत्व है। प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा यदि हमारे देश को निर्देशी मुद्रा प्राप्त करना है तो उसके लिए यह अव्याप्त आपरेटक है कि भारत अपनी उन वस्तुओं के उत्पादन में दिनोंतर वृद्धि करता जाय जिनका प्राचीन समय से भारत द्वारा नियंत्रित किया जाता रहा है। दूसरे नियंत्रित आर्थिक विकास के अन्तर्गत होने वाले औद्योगिक व्यापार के लिए आपरेटक है कि विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की पूर्ति के लिए स्वयं आमनिमंत्र न रहना पड़े। इस समस्या में दो समस्यायें हैं —

(१) विस्तृत खेती (Extensive Cultivation) — अर्थात् खेती योग्य भूमि की मात्रा में वृद्धि करना। आवश्यक उत्पादन के लिए हमें देश की कृषि योग्य भूमि में निरन्तर वृद्धि करनी चाहिए। दश में अमीं युद्ध ऐसे ज्ञेन हैं जिनमें बड़ी-बड़ी चट्ठानें हैं और मिट्टी न होने के कारण उसका खेती के लिए प्रयोग नहीं हो पा रहा है। भारत की युद्ध कृषि योग्य भूमि का उत्पादन करने के लिए जाना हो जाने या आविक बगानी धारा यात्रा से दफ्तर होने के कारण खेती के योग्यता अप्रोग्य हो गई है। हमें इस प्रकार की भूमि का पुनरुद्धार करके पुनः खेती योग्य बनाना है। इस प्रकार मारत की कृषि योग्य पड़ी हुई भागी मात्रा में व्यर्थ भूमि खेती के कार्य में प्रयुक्त हो सकती है। भारत के तराई के तेव्र में मीठुत-सी ऐसी भूमि है जिसमें सुधार करके कृषि उत्पादन किया जा सकता है।

'के श्रीय द्रेस्टर रागडन' की स्थानना हस्ती उद्यम को पूरा करने के लिए की गई है। इस कार्य के लिए भारत को अर्न्तराष्ट्रीय पैकड़ से समय समय पर फूर्ण भी प्रदान किया गया है। भारत की तृतीय पचमांश योजना काल में लगभग १५ लाख एकड़ भूमि को खेतों के योग्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अत इस्ताने के लिए इस्तुत खेतों का भी पर्याप्त सम्भावनाएँ हैं परन्तु इसमें ग्राम शक्ति का विकास तथा विक्षेप साधनों का अभाव है।

(२) गहरी सधन खेती (Intensive Cultivation)—अधिक उत्थान के लिए या तो खेती योग्य भूमि की मात्रा में वृद्धि की जाये अथवा भूमि के एक निश्चित क्षेत्रफल पर अधिक श्रम व पूँजी तथा सादे प्रयोग से उत्थान म आवश्यक वृद्धि प्राप्त भी जाये। यदि हमें अपने देश में इसी उत्थान म वृद्धि करनी है तो उसके लिए भी सधन खेती की पर्याप्त सम्भावनाएँ हैं। सिंचाइ की सुविधाओं के समुचित विकास, उन्नतिशील इसी, यानि उत्तम बीज व बढ़िया खाद द्वारा देश की प्रति एकड़ भूमि म पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है। इस क्षेत्र में हमें जापान के उदाहरण को समझ रखना होगा जहाँ प्रति वर्षकि खेती किया गया क्षेत्रफल भी भारत की तरह कम है। पर तु वैज्ञानिक एवं उन्नतिशील इसी पद्धति द्वारा वहाँ उत्थान में पर्याप्त वृद्धि कर ली गई है। हमारे देश में भी सरकार द्वारा आयोजित फसल प्रतियोगिताओं के अर्तं गत की गई उपर इस बान का साक्षी है कि सुधरे हुये तरीकों तथा पर्याप्त सुविधाओं द्वारा देश में सधन खेती द्वारा उत्थान में वृद्धि करना अधिक कठिन नहीं है।

इसी क्षेत्र में विदेशों के अनुभव

व सापर में यह बड़े दुउ का विषय है कि भारत एक इसी प्रधान देश होते हुए भी इसी सम्बन्धी अन्तक समस्याओं में प्रस्ता है जिसने कारण उसकी इसी अर्थ व्यवस्था वही रिंगड़ी हुई अवस्था में है। सप्तर र आप देशों के इसी सम्बन्धा अनुभवों द्वारा भारत का काफी लाभ हा सकता है। नीचे हम अमरीका, रूस, चीन और जापान जैसे प्रमुख राज्यों की इसी पद्धति का अध्ययन करेंगे।

अमेरिका (America)—अमेरिका की इसी पद्धति के विषय में दो जाते बड़ी महत्वपूर्ण हैं, पहली तो इसी में विज्ञान का प्रयोग और दूसरी वैज्ञानिक इसी प्रब्र व (scientific farm management)। विज्ञान न क्षेत्र में अप्रसर हाने के कारण इसी-सम्बन्धी अनेक वैज्ञानिक अनुसंधान एवं अपेक्षण द्वारा इसी प्रणाली में अनेक महत्वपूर्ण सुधार कर निए गये हैं। आमुनिक इसी, औजारो, रासायनिक साद तथा इसी पर्याप्त व्यवस्था द्वारा इसी में पर्याप्त उत्थान हुए हैं।

रूस (Russia)—सोवियत स्वत इसी क्षेत्र में सपार के प्रमुख राज्यों में गिना जाता है। अपनी समस्त आवश्यकताओं के लिए रूस अपने आन्तरिक उत्थान पर आत्मनिर्भर है। रूसी इसी के सम्बन्ध में निम्न चर्ते जानने योग्य हैं—

- (१) बड़े बड़े खेतों पर खेती किया जाना ।
- (२) कृषि यन्त्रकरण (Mechanisation of agriculture) ।
- (३) सामूहिक कृषि प्रणाली (Collective farming) ।

चीन (China)—पिछले कुछ वर्षों में चीन ने भी कृषि के क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए अधिक मात्रा में यादों का प्रयोग किया जाता है। चीन में प्रात एक ह उपज बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में यादों का प्रयोग किया जाता है। जिन सालों का चान में आधिक प्रयोग किया जाता है उसमें स प्रमुख हैं मल की याद (night soil), कुइं की याद (compost) तथा उम की घटी (bean cake) इत्यादि। भारत में उत्तर द्वाने वाली अधिकारी गोपर कृषि द्वारा इंधन के रूप म प्रयुक्त है। जाने न कारण तथा अन्य प्रकार की यादों के सम्बन्ध में समुचित जानकारी न होने के कारण भारतीय कृषि में याद का पर्याप्त मात्रा के प्रयोग का पाउ हमें चीन से मिलता है जिससे दश के कृषि उत्पादन में काफ़ा वृद्धि सकती है।

जापान (Japan)—जापान के कृषि उत्पादन में सबसे प्रमुख बस्तु चावल है। जिससे सम्बन्ध में जापान के अनुभद्वारे ये भारतीय कृषि को पर्याप्त लाभ होने की समाधान है। जापान में प्रति एक ह चावल की उपज भारत की प्रति एक ह चावल की उपज से कई गुना अधिक है जैसा कि निम्न तालिका से विदित है —

देश	प्रति एक ह चावल की उपज (पौंड में)
जापान	३५३३
भारत	६६१

जापान में प्रति एक ह उपज अधिक होने का मुख्य कारण एक विशेष प्रकार की धान की रोपी का जाना है जिसका विवरण नीचे दिया जाता है।

जापानी दण से चावल की रोपी (Japanese Method of Rice Cultivation)—जापानी दण से धान की उपज बढ़ाने के लिए २ बातों को सदैव याद रखना आवश्यक है — (१) बड़े बड़े पुँड होना (२) फसल का अच्छा होना।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम निम्नलिखित तरीकों को काम में लाना चाहिए —

- (१) बेड को भनी भाँति तैयार का हुई क्षारिया में लगाने से।
- (२) बेड के लिए गेंज की मात्रा कम ढालने से।
- (३) क्षारिया और खेत दोनों में प्रस्तुर मात्रा में याद देने से।
- (४) क्तार में और दूर दूर पर रोपाइ बरने से।

*(१) उत्तर प्रदेश में जापानी दण से धान की रोपी।

(५) बेड़ की देखभाल करने और खेत में उचित निराई करने से।

यदि इन तरीकों से कार्य किया जाये तो धान की प्रेशागार और उत्तर से दुगनी और तिगुनी हो जाती है।

बेड़ लगाने का स्थान सिचाई के साधन के नजदीक ही होना चाहिए। क्यारी बनाने के पहले खेत को गूच अच्छी तरह जोत कर मिट्टी बारीक कर लेनी चाहिए। क्यारी की लम्बाई २५-फुट तथा चौड़ाई ४ फुट होनी चाहिए। इस प्रकार की प्रत्येक क्यारी में एक मन की दर से सधी हुई गोपर की खाद व कमोस्ट अच्छी तरह से मिला देनी चाहिए। इसके खाद क्यारी के ऊपर लगभग ३ इच्छुनी हुई बारीक कमोस्ट और इसके ऊपर रात की एक पतली तह पैला देनी चाहिए। रात की तह के ऊपर १ खेर रासायनिक खाद का मिश्रण बिसमें आधा अमोनियम सल्फेट और आधा सुपर फार्मेट हो छिह्निक देना चाहिए। अब अच्छे बीज को नमक के पानी में डालकर फिर अलग पानी में धो लेना चाहिए, तत्तश्चात् खाद के मिश्रण के ऊपर बीजों को इस प्रकार यालना चाहिए कि बीज हर स्थान पर बरामद-बराबर पड़ जाये। एक क्यारी के लिए ३ खेर बीज काफी है। ७ या ८ दिन के बाद धौधों की निराई करनी चाहिए। बेड़ तैयार हो जाने के बाद उन्हें शीप्र ही रोप देना चाहिए इसके बाद खेत तैयार किया जाता है। हर एक बेड़ को बहुत साराधानी से उडाइना चाहिए। रोपाई कनार ही में करनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कनार की दूरी दस-दस इच्छुनी होनी चाहिए। रोपाई के बाद पन्द्रह पन्द्रह दिन पर गोडाई करनी चाहिए। भरसात में यदि पानी की कमी हो तो समय-समय पर पानी देते रहना चाहिए।

प्रश्न

1. Mention the chief characteristics of Indian agriculture. How can we improve it? (Rajputana, 1951)

2. What are the main problems of Indian Agriculture? How is it proposed to solve them during the next five years? (Allababad, 1954, Punjab, 1953, Agra, 1946)

3. Why is agricultural productivity low in India? Are you satisfied with the steps taken so far to increase it? (Bihar, 1954)

4. The central problem in planning and development of India's economy is the reconstruction of agriculture. Discuss. (Bengal, 1953)

5. Write a short on:—
 (1) 'Principal Agricultural Crops of India'. (Agra, 1957)
 (2) Causes of Low Yield (Agra, 1941)

प्रधाय द

भारत में कृषि की इकाई

(Unit of Cultivation in India)

कृषि की इकाई में प्रभाव ढालने वाली जाती नातो में जीत का आकार समये अधिक महत्व छा है। यह सत्य है कि चिना, बांग्ला, गोज, उत्तर श्रीजार, एवं कृषि यत्र

सिंचाई आदि की मुख्यायां ये कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं की जा सकती है,

उन सभी साधनों तथा मुख्यायां से अधिकतम लाभ उठाने तथा उनका अधिक वर्षा आविष्क व्रयाय करने ये लिए रखने की इकाई अर्थात् जीत का आकार एक महत्व पूर्ण विषय है जिसका मुख्य कारण यह है कि कृषि का आकार पर ही उत्पत्ति का भौमाना, कृषि यत्रों का प्रयोग एवं उत्पादन प्रविविष्ट्यादि जैसी समस्त जातें निर्भर करती हैं। कृषि की इकाई के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन हम आगामी पृष्ठों में करेंगे।

कृषि उत्पादन का परिमाण (Scale of Agricultural Production)

जिस प्रकार शास्त्रीय उत्पादन छोटे पैमाने अर्थात् बड़े पैमाने पर किया जा सकता है टीक उसी प्रकार कृषि उत्पादन का पैमाना भी निर्धारित करने वाला मुख्य तत्व देश की जनसंख्या है। एक कृषि प्रधान देश में भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार होने के कारण प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की मात्रा कम होती है। अधिक लोगों की जीविता मिलने के कारण समस्त देश की कृषि योग्य भूमि छोटे छोटे फूलड़ों में विभक्त हो जाती है और यदि कृषक इस सीमित कृषि भूमि की मात्रा से उत्पादन वृद्धि का इन्हुक है तो उसे अधिक मात्रा में भ्रम तथा दूजी लगाकर गहरी खेती कर अपने लक्ष्य को पूरा करना होगा। परन्तु सहार फ उन देशों में जहाँ कृषि योग्य भूमि अधिक है और साथ ही जनसंख्या का भूमि पर भार भी कम है, वहाँ प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण नड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन किया जा सकता है। कृषि से उत्पत्ति का परिमाण अनेक बातों पर निर्भर करता है जिनम मुख्य निम्न हैं—

कृषि में उत्पादन का पैमाना नियंत्रित करने वाले तत्त्व (Factors governing the Scale of Production in Agriculture)—

(१) भूमि पर जनसंख्या का भार—पनी आवादी वाले देशों में भूमि पर

जनसंख्या का भार अधिक होने के कारण कृषि भूमि का छोटे छोटे टुकड़ों में बँट जाने से बड़े पैमाने पर खेती नहीं की जा सकती।

(२) भूमि की प्रदूषिति—यदि खेती की भूमि उपजाऊ है तो योही ही भूमि पर कृषि की उत्पत्ति में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है।

(३) जलवायु—जन स्वास्थ्य तथा कृषि के लिए डायागी जलवायु होने के कारण किसी स्थान पर जनसंख्या के घनत्व अधिक हो जाने से कृषि जोतों का चेतन छोटा हो जाता है।

(४) वृषि सम्बन्धी सुविधायें—खाद, वीज तथा सुधरे हुए कृषि के औजार तथा सिनाई के साधनों की उपलब्धि पर कृषि उत्पत्ति का परिमाण निर्भर करता है।

(५) उत्पादन प्रविधि तथा कृपकों की कार्य कुशलता—कुशल कृपकों तथा उनके कृषि पद्धति द्वारा सीमित चेत्र में भी पर्याप्त उत्पादन सम्भव हो सकता है।

उपरोक्त बातों से स्पष्ट है कि कृषि उत्पत्ति का परिमाण अनेक बातों पर निर्भर करता है। अत यह कहना कठिन है कि बड़े पैमाने पर खेती अच्छी है अथवा छोटे पैमाने पर। वास्तव में दोनों प्रकार की कृषि उत्पत्ति के परिमाण के लाभ व द्वौप हैं और प्रत्येक देश की आर्थिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियों को हट में संपर्क ही उस देश के लिए कृषि उत्पत्ति का परिमाण निश्चित किया जाना चाहिए। जहाँ तक कृषि की जोत का सम्बन्ध है यह यात संवेदित है कि एक छोटे जोत में कृषि उत्पादन में अनेक कठिनाइयाँ होती हैं। इस कारण कृषि की छोटी जोत की अपेक्षा बड़े जोत में खेती करना अधिक लाभदायक होता है।

जोतों के उत्परिमाजन से होने वाली हानियाँ का वर्णन हम आगे करेंगे। यहाँ यह ज्ञानना उपयोगी होगा कि वास्तव में कृषि को बड़ी जोतों से क्या लाभ होते हैं।

कृषि की बड़ी जोतों से होने वाले लाभ (Advantages of Bigger Holdings)—बड़ी जोत के मुख्य लाभ निम्न हैं—

(१) उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का उच्चतम आर्थिक प्रयोग होना।

(२) उच्चत कृषि आजारों, समय तथा परिश्रम बचाने वाल यन्त्रों का प्रयोग सम्भव होना।

(३) प्रति इकाई उत्पादन व्यय में कमी होना।

(४) औजारों तथा पशुओं का अधिकतम प्रयोग होने से विसरण व्यय (D-preciuation) कम होना।

(५) कृषि में अनुशन्धान होना।

जोत का अर्थ (Meaning of Holding)—कृषि जात से दूनारा त तर्वे कृपक द्वारा जाने हुए समस्त चेत्र से है अर्थात् यह कुल भूमि जिस पर एक कियान खेती रखनेवाली कार्य सम्पन्न करता है।

जोत की किसें (Kinds of Holdings)—कृपक कृपि भूमि के नियंत्रण पर सेती करता है उस पर या तो उसकी मिलकियत या पैतृक अधिकार हो सकता है अथवा उसे उस भूमि पर बनने कृपि उत्पादन मात्र का ही अधिकार हो। इस दृष्टि से कृपि जोत की दो मुख्य प्रकार होती है—

(१) भूस्वामी की जोत (Owner's Holdings)—अर्थात् वह जोत जिस पर किसान का अधिकार हो और कानूनी दण्ड से उसे उत्पादन स्वामित्व प्राप्त हो। इस प्रकार की भूमि पर या तो भूस्वामी रूप से कृपि करे अथवा कई किसानों में उसे विभक्त कर दे जिससे प्रत्येक किसान को कुल स्वामित्व की इकाई (unit of ownership) का केवल एक द्वाटा भाग ही प्राप्त होगा।

(२) कृपक की जोत (Cultivator's Holdings)—इसे कृपि की इकाई (unit of cultivation) भी कहते हैं। इससे हमारा अभिन्नाय एक कृपक द्वारा उस समस्त भूमि से है जो वास्तव में कृपक द्वारा जोती जाती है। किसान अपनी आनश्वरता ने लिए अनेक भूस्वामियों से होटी छोटी मात्रा में भूमि लेकर सेती कर दिया है। इस प्रकार उसमें द्वारा जोती गई समस्त भूमि को 'कृपि की इकाई' या 'कृपक जोत' कहा जायगा।

आर्थिक जोत (Economic Holding)

अर्थ—आर्थिक जोत व समय व में विभिन्न मत प्रगट किये गये हैं जिससे इस शब्द का सही अर्थ समझने में कठिनाई होती है। वास्तव में आर्थिक जोत से हमारा तात्पर्य एक कृपक द्वारा जोती गई कृपि भूमि के उस द्वेष से है जिससे उसे न्यूनतम लगान से अधिकतम उपयोग प्राप्त होती है। यह तब समझ होगा जब रेत का आकार कम से कम इतना अवश्य हो जिससे कृपि में लगे उन्नति के समस्त साधनों के उच्च तरम प्रयोग के फलस्वरूप किसान को होने वाला लाभ अधिकतम हो।

आर्थिक जोत का वास्तविक अर्थ जानने के लिए इस सम्बन्ध में कुछ विशेषज्ञों एवं लेखकों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक है।

परिभाषायें

कीटिंग्स (Keatings) के शब्द में एक आर्थिक जोत उसे कहते हैं “जो आनश्वरक सचें निकालने के पश्चात् एक कृपक को अपने और अपने परिवार को उचित मुपिधाओं की प्राप्ति के लिए पर्याप्त उत्पादन का ग्रन्ति देती है।”^१

डॉ मान व श्रान्तुदार—“एक आर्थिक जोत वह है जो एक औसत शाक्त्र के परिवार को जीवन का सहोपजनक समझा जाने वाला न्यूनतम स्तर प्रदान करती है।”^२

स्टैन्ले जेवेन्स (Stanley Jevons) व रिचार्ड शुसार द्वारा जात तभी आर्थिक

¹ Keatings, *Agricultural Problems in Western India*

² H. Mann *Land and Labour in Deccan Villages*

आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार इष्टि के स्वरूप पर भी आर्थिक जोत का आकार निर्भर करता है।

(५) उगाई जाने वाली फसल की प्रकृति—कुछ फसलें ऐसी हैं जिनके उगाने के लिए एक छोटा खेत भी आर्थिक जोत कहा जा सकेगा जैसे गन्ना, सब्जी, फल इत्यादि। परंतु विभिन्न प्रकार के अन्नाजौं जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा इत्यादि की उत्पत्ति के लिए आर्थिक जोत का बड़ा ही होना उपयुक्त होगा।

(६) बाजार से अन्तर—खेत से बाजार का अन्तर भी आर्थिक जोत निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण सम्बन्ध है। उदाहरण ये लिए जो खेत बाजार व रेलवे स्टेशन के निकट होते हैं ऐसे ही खेत भी आर्थिक जोत कहे जा सकते हैं। इसके विपरीत यातायात व्यय में वृद्धि होने से स्टेशन व बाजार से दूर स्थित होने वाली इष्टि भूमि के जोत का आकार बड़ा होना चाहिए।

आधारभूत जोत, अनुकूलतम जोत तथा पारिवारिक जोत

(Basic Holdings, Optimum Holdings & Family Holdings)

भारतीय राष्ट्रीय कमेस द्वारा नियुक्त इष्टि सुधार समिति १९४९ (Agrarian Reforms Committee 1949) ने भारतीय इष्टि अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षों का अध्ययन कर इष्टि भूमि के आर्थिक जोत का आकार निर्धारित करने के लिए देश की आर्थिक स्थिति की अपेक्षा भाग्यांकित परिस्थितियाँ तथा देश में उपलब्ध भूमि की माँग व पूर्ति को दृष्टि में रखने पर अधिक चल दिया है। समिति द्वारा इष्टि भूमि के आर्थिक जोत को आधारभूत जोत (basic holding) का नाम दिया गया है।

आधारभूत जोत—आधारभूत जोत इष्टि जोत की सबसे छोटी इकाई है। इससे कम भूमि पर इष्टि उत्पादन का कार्य करना आर्थिक दृष्टि से ग्रामाभक्त होगा अर्थात् “जुनियादी जोत” ये हमारा अभिप्राय व्यक्तिगत आधार पर की जाने वाली लामदायक खेती के लिए आवश्यक न्यूनतम ज्ञेय से है।

अनुकूलतम जोत—इसे “आदर्श जोत” भी कहते हैं। सहार के कुछ राष्ट्रों में (जैसे कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका) आर्थिक जोत तथा आदर्श या अनुकूलतम जोत में कोई अन्तर नहीं माना जाता है। अर्थात् खेत का वह आकार, जिससे एक किमान का उसके द्वारा लगाये गये भ्रम व पूँजी ये अधिकतम लाभ प्राप्त होता है, यही आदर्श जोत कही जायेगी। भारत में अनुकूलतम जोत का आकार आर्थिक जोत के आकार का तीन गुना माना गया है। आदर्श जोत के आकार को इस प्रकार निश्चित करना सामाजिक दृष्टि से देश के लिए बड़े महत्व की बात है जिससे द्वारा देश में फैली आर्थिक विप्रवास को दूर करने का प्रयास किया गया है।

पारिवारिक जोत—पारिवारिक जोत से हमारा चाल्यव्य इष्टि भूमि के ऐसे आकार से है जो किसान को कम से कम इतना उत्पादन अवश्य प्रदान करे जिससे

कृषि जोत का श्रीसत आकार^१

देश	कृषि जोत का श्रीसत आकार
भारत	७५
प्रिटेन	२०
प्राय	२०५
अमेरिका	२१५
हार्लैंड	२६
वेनेमार्क	४०
संयुक्त राज्य अमेरिका	१४५

जब कि भारत की श्रीसत जोत ७५ एकड़ है, भारत के कुछ देश ऐसे हीं जहाँ कृषि जोत का आकार काफ़ी होता है। निम्न तालिका में हम भारत के कुछ राज्यों में, जोत के श्रीसत आकार का विवरण दे रहे हैं—^२

राज्य	जोत का श्रीसत आकार (एकड़ में)
टहर प्रदेश	२५
पश्चिमी प्रगाल	४४
मद्रास	४५
आसम	४८
उड़ीसा	४८
मैनपुर	६२

भारत में पबात तथा धर्मर्हंश राज्य ऐसे हीं जहाँ जोत का श्रीसत आकार, उत्तरोक्त तालिका में दियाये गये विभिन्न राज्यों की जीत के श्रीसत आकार से काफ़ी बड़ा है। यह प्रमाण १० व १३ व एकड़ है। जिस भी इन आकृहाँ से कृषि जोत की समस्या का वास्तविक रूप स्पष्ट नहीं होता। कारण यह है कि श्रीसत आकार बाने सेतों की सरता द्वारे आकार गले सेतों की दुनाना में बहुत कम है और समस्त कृषि भूमि छोटे-छोटे दुक्कड़ों में विभक्त होने पर भी श्रीसत आकार से यही ग्रनुमान लगता है कि प्रदेश की जीत का श्रीसत आकार काफ़ी बड़ा आकार है। इस कारण निम्न तालिका में हम

¹ Indian Economics Year Book, p 53

² Agricultural Legislation in India, 1951 (Govt. of India)

भारत के कुछ राज्यों में ५ एकड़ से कम वाली जोतों का विवरण दे रहे हैं। यह कुल जोतों के प्रतिशत तथा कुल कृषि चान के प्रतिशत भाग में प्रदर्शित किया गया है —
विभिन्न राज्यों में पाये जाने वाले ५ एकड़ से कम कृषि जोतों का विवरण^१

राज्य	कुल जोतों की प्रतिशत	कुल चेनफल की प्रतिशत
द्रावनकोर कोचीन	६४६	५७ १
उत्तर प्रदेश ^२	८१ २	३८ ८
मद्रास	६७ ६	५० ३
आंध्र प्रदेश	६६ ८	१८ १
मध्य प्रदेश	५६ ४	१३ ६
राजस्थान	५१ ४	११ ०
बंगाल	५१ ३	१० ८

ऊपर दी हुई तालिका से यह बात स्पष्ट है कि भारत के विभिन्न राज्यों में कृषि जोत के आकार में पर्याप्त अन्तर है जहाँ द्रावनकोर कोचीन जैसे राज्यों में कुल जोतों के ६४६ प्रतिशत जोत ५ एकड़ से कम न आकार के हैं वहाँ बंगाल राज्य में चेनफल ५१३ प्रतिशत ही जोतों का आकार ५ एकड़ से कम है। फिर भी यह नहीं समझना चाहिये कि यह राज्य कृषि जोत की समस्या से मुक्त हैं। वास्तव में समस्त देश में जोत का आकार इतना छोटा है कि जिसने भारतीय कृषि को बहुत सीमा तक एक अनार्थिक व्यवसाय बना दिया है। ऐसी स्थिति में कृषि के चेन में उत्तरांति करना चेनफल स्वनामात्र है। आगामी तालिका में उत्तर प्रदेश व बंगाल में कृषि जोत के आकार का विस्तृत चित्र दिया जा रहा है—

उत्तर प्रदेश व बंगाल में योतों का आकार

उत्तर प्रदेश	बंगाल				
चेनफल (एकड़)	संख्या	प्रतिशत	चेनफल (एकड़)	संख्या	प्रतिशत
०—५	१८७२	८१ २	०—५	१३१३	५२ ३१
५—१०	१५६३	१२ ७	५—१५	७०७	२८ १८
१०—१६	४४२	३ ६	१५—२५	२७४	१० ६०
१६—२५	१६०	१ ६	२५—३००	२०१	८ ०२
२५ से ऊपर	११४	० ६	३००—५००	१४	० ५७
-			५०० से ऊपर	१	० ०२

¹ Second Five Year Plan p. 213-220

² First Five Year Plan p. 199-201

कृषि जोतों का उपनिभाजन एवं अपखण्डन

(Subdivision and Fragmentation of Agricultural Holdings)

जल्द दिये गये आइडी से शात होता है कि भारत में छोटे छोटे आकार वाले खेतों की संख्या अत्यधिक है। इन अलाभकर कृषि जोतों के ही कारण भारतीय कृषि में उत्पत्तिशील तरीकों को अपनाने में घाटा पहुंचता है। पहले यह देखना आवश्यक है कि जोतों का उपनिभाजन व अपखण्डन से हमारा क्या आभिप्राय है।

अर्थ—कृषि जोतों की दो प्रमुख समस्यायें हैं—एक उपनिभाजन (subdivision) की और दूसरे अपखण्डन (fragmentation) की। कृषि भूमि की इन गम्भीर समस्याओं में पारस्परिक शनिएट सम्बन्ध होने के कारण इन्हें दृष्टक नहीं किया जा सकता।

उपनिभाजन—इसका अर्थ है कृप भूमि का छोटे-छोटे अलाभकर जोतों में पैट। भूस्थामी की मूल्य के पर भल् उसकी कृषि भूमि का उसके उत्तराधिकारियों में र घरावर अथवा उनके हक के अनुसार बैट जाने के कारण ही जोता के उपनिभाजन की समस्या उत्पन्न होती है। यह ब्रह्म घरावर चलता रहता है जिसके कारण पिछले लगभग २०० वर्षों में भारत की कृषि भूमि के दुकड़े दुकड़े हो गये हैं।

जोतों के अपखण्डन से हमारा आशय यह है कि किसी भूस्थामी की कुल भूमि एक चक्र के रूप में नहीं है बरन् उसके छोटे छोटे खेत एक अथवा कई गाँवों में चिल्हरे पड़े हैं। सर्वेष में भूमि के अपखण्डन से हमें कृषि जोतों की स्थिति का आभास होता है। खेतों के अपखण्डन होने के फलस्वरूप किसान को खेती में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

डा० मान (Dr Mann) द्वारा बनाई राज्य के पूना जिले के 'सिमला सौदागर' ग्राम में कृषि जोतों ने सम्बन्ध में की गई जाँच से वहाँ की स्थिति का सही ज्ञान होता है। उनके अनुसार सन् १७७१ में वहाँ जोत का औरत ग्रामार लगभग ४० एकड़ था जो १८१८ व १८१५ में घटकर कमरा १७३ व ७ एकड़ ही रह गई थी। इससे पता चलता है कि लगभग १५० वर्षों में उपनिभाजन की निरंतर प्रवृत्ति से कृषि जोत पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस काल में कृषि जोत दूसरे भी कम रह गई है।

इसा प्रकार खेतों का अपखण्डन के समय में भी दिखति अत्यन्त गम्भीर है देश के अधिकार्य ज्ञेन ऐसे हैं जहाँ किसान छोटे छोटे अनेक रेतों पर खेती करता है। डा० मान की जाँच से जोतों का अपखण्डन का भी पता चलता है। उनके अनुसार वहाँ लगभग १५६ भूस्थामियाँ के ७०६ रेत थे। इनमें ४६३ खेत ऐसे थे जिनका आकार १ एकड़ से कम था तथा २११ खेत तो २ एकड़ से भी छोटे थे।¹ कृषि जोतों के उपनिभाजन तथा अपखण्डन के कारण—

¹ Dahama, *Agricultural and Rural Economics*, p. 50.

(१) जनसख्या की वृद्धि से भूमि पर भार का बढ़ना—भारत की अधिकाश जनता सेती समव्यधी कार्य में लगी है। पिछले दुछ वर्षों में देश की जनसख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण भूमि पर आश्रित व्यक्तियों की सख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हो गई है जिनके पास रोजगार के कोई अन्य अवसर न होने के कारण सेतीबाही ही जीविका का एक मान साधन रह जाता है। यही कारण है कि भारत की कृषि भूमि छोटे-छोटे अलाभदायक जोतों में विभाजित होती जा रही है।

(२) सयुक्त कुदुम्ब प्रणाली का अन्त—आजकल देश में सयुक्त परिवार प्रणाली जैसी प्राचीन प्रथा का लोप होता जा रहा है। सारी जनसख्या छोटे छोटे परिवारों में बँट गई है। आज भारत के एक साधारण परिवार की औसत सख्या केवल ५ ही रह गई है।

(३) व्यक्तिवाद की भावना—पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के प्रसार तथा पश्चिमी सभ्यता के समर्क में आने के कारण देश में व्यक्तिवाद की भावना के विकास में प्रोत्ताहन मिला जिसके फलस्वरूप व्यक्ति में अलग रहने की प्रवृत्ति जाएत हो गई। प्रत्येक अपना हिस्सा अलग ही कर लेना चाहता है। इस व्यक्तिवाद की भावना ने कृषि जोत के उपविभाजन तथा अपखड़न में भारी योग दिया।

(४) उत्तराधिकार के नियम—हमारे देश में प्रचलित दायाधिकार तथा उत्तराधिकार नियमों ने भी भूमि के उपविभाजन तथा अपखड़न को प्रोत्ताहन दिया है। पैतृक सभ्यति के विभाजन समव्यधी दायाधिकार के नियम के अनुसार पिता के सभी पुत्रों को उसकी सभ्यति में बराबर का अधिकार होता है जिससे कृषि भूमि का उपविभाजन तो होता ही है साथ ही प्रत्येक उत्तराधिकारी का सब प्रकार की भूमि से हिस्सा लेने के कारण भूमि का अपखड़न भी होता है।

(५) कुटीर उद्योगों एवं सहायक धन्वों का विनाश—देश के विभिन्न कुटीर उद्योगों, सहायक धन्वों एवं दस्तकारियों के पतन होने के कारण ग्रामीण जनसख्या के लिए केवल कृषि ही रोजगार का एकमात्र साधन शैयर रह गया जिससे भूमि से जीविका प्राप्त करने वालों की सख्या में चिन्ताजनक वृद्धि हो गई और कृषि भूमि का उपविभाजन तथा अपखड़न होता गया।

(६) कृपकों का अण्णप्रस्त होना—भारतीय कृपके अण्णप्रस्त होने से भी भूमि के उपविभाजन एवं अपखड़न में सहायता मिली। ऊँची व्याज की दर पर मृण देकर ग्रामीण महाजन संदेव किसानों की भूमि के कुछ भाग को हथियाने की ताक में रहता है।

(७) मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति—भारत के किसानों में पैतृक एवं अचल सभ्यति के प्रति अपूर्व प्रेम होने की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप भी कृषि भूमि का उपविभाजन एवं अपखड़न होना स्वाभाविक ही है।

उपविभाजन एवं अपसंदेन के आर्थिक प्रभाव—देश की खेती योग्य भूमि के उपविभाजन तथा अपसंदेन का मारक की दृष्टि अर्थव्यवस्था पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। दृष्टि पर जोतों के अन्तर्विभाजन तथा दूर दूर द्वितीय होने के प्रभावों को समझने के लिए उपविभाजन तथा अपसंदेन से होने वाले लाभों एवं हानियों का पर्याप्त वरना होगा।

जोतों का उपविभाजन

लाभ—खेतों के छोटे-छोटे ढुकड़ों में विभाजित होने से निम्न लाभ होते हैं—

(१) एक दृष्टि-प्रधान देश में जहाँ भूमि को मात्रा के समान सम्मान प्राप्त है यह कहाँ तक उचित है कि बुद्धि के पास काफी भूमि हो और बुद्धि को इससे चिन रखा जाये। भूमि के उपविभाजन से प्रत्येक को बुद्धि न कुछ भूमि प्राप्त हो जाती है।

(२) देश की अधिकार्य जनसंख्या को भूमि द्वारा ही जीविका मिलती है। इस

जब तक देश के श्रीनगरीकरण द्वारा जीवकोशजन के अन्य साधन मुलभ मही हो जाने भूमि के उपविभाजन से हर व्यक्ति को अपनी रोटी कमाने के लिए एक छोटे से खेत का मिल जाना ही उचित है।

(३) भूमि के उपविभाजन के कारण दृष्टि के एक सीमित क्षेत्र से ही अपनी आवश्यकता के लिए पर्याप्त उत्पादन प्राप्त करने के उद्देश्य से आमीण जनता में सधन खेती तथा दृष्टि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अन्य प्रयत्न करने की आवश्यकता अनुभव होगी।

(४) आर्थिक एवं सामाजिक विषमता को दूर करने की दृष्टि से भी दृष्टि भूमि का उपविभाजन आवश्यक है। कारण, इससे देश दो वारस्यरिक विरोधी वर्गों में विभक्त हो जाने से बच जाता है। एक वर्ग भूमिहीन किसानों का और दूसरा वह जिसके हाथों में देश की अधिकार्य भूमि होती है।

हानियाँ—दृष्टि जोतों का छोटे-छोटे अनार्थिक एवं अलाभदायक ढुकड़ों में विभाजित होने से खेती पर बड़ा दुरा प्रभाव पड़ता है। इससे होने वाले बुद्धि लाभों को उपर बताया गया है। नीचे हम इससे होने वाली हानियाँ का वर्णन कर रहे हैं—

(१) छोटे-छोटे खेतों में दृष्टि-उत्पादन करने से बहुत-सी भूमि मेहड़ी तथा गर्मी उत्पादन बनाने में व्यर्थ नष्ट हो जाती है।

(२) अत्यधिक छोटे एवं उपविभाजित दृष्टि जोत पर खेती सम्बन्धी स्थाई सुधार नहीं किये जा सकते जिसके दिना दृष्टि उत्पादन में वृद्धि होना असम्भव है।

(३) छोटे खेतों पर दृष्टि सम्बन्धी कार्य सम्पन्न करने से उत्पादन लागत में काफी वृद्धि हो जाती है। कारण कृषि यन्त्रों तथा खेती में प्रयुक्त पशुओं का पूरा उपयोग नहीं हो पाता और यात्र ही लाद डालने जैसे कार्यों पर खर्च भी आर्थिक आवा है।

(४) बहुत छोटे खेतों पर उन्नतिशील कृषि प्रविधि, सुधरे हुए यन्त्रों तथा खेती के लिए उपयोगी मशीनों इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ट्रैक्टर जैसी मशीनों के प्रयोग के लिये खेतों का आकार काफ़ी बड़ा होना चाहिए।

(५) अत्यधिक छोटे कृषि जोनों पर खेती करने वाले कृषकों की आर्थिक स्थिति बही शोचनीय होती है। पर्याप्त आय तथा आर्थिक लाभ न होने के कारण उनके साधन भी सीमित होते हैं जिसके प्रलखरूप कृषि में उन्नति करने की उनमें पर्याप्त समता नहीं होती।

जोतों का अपराह्न—जोतों के उपविभाजन की भाँति जोतों के अपराह्न से भी अनेक लाभ बहानियाँ हैं।

लाभ

(१) कृषि भूमि के अपराह्न होने से सबसे पड़ा लाभ यह होता है कि एक कृषक के पास विभिन्न प्रकार की कृषि योग्य भूमि आ जाती है जिसमें से यदि कुछ का उन्नत कर्म है तो दूसरी भूमि की उपज अधिक होने के कारण कपक को होने वाली हानि कुछ सीमा तक पूरी हो जाती है। इससे कृषक को विभिन्न प्रकार की पसलों बोने की सुविधा होती है। इसके अतिरिक्त कई प्रकार की भूमि पर विभिन्न प्रकार की पसलों को उत्पादन करणे उसे वप भर के लिए प्रयोग करने में उपलब्ध हो जाता है।

(२) खेतों के अपराह्न वे प्रलखरूप पैदिक सम्पत्ति के प्रत्येक उत्तराधिकारी को सब प्रकार की भूमि मिल जाती है। यह नहीं, कि एक पुनर को बढ़िया तथा उत्पादक भूमि प्राप्त हो और दूसरे के घटिया और कम उत्पादक भूमि ही हाथ लगे।

(३) खेतों का दूर-दूर छिटके होना वर्षा, पाला, टिड़ी व आकरण, सूखा इत्यादि विभिन्न प्रकार के प्राकनिक प्रकोपों के प्रति एक सीमा जैसा है जिससे नियान को विस्तीर्ण स्थान के खेत में होने वाले हानि का दूसरे स्थान पर स्थित खेतों से पूरा किया जा सकता है। इससे उसकी आर्थिक सुरक्षा होती है।

हानियाँ

(१) कृषि जोत वे दूर दूर स्थित होने के कारण किसान को कृषि उत्पादन में अधिक परिश्रम करना पड़ता है। एक खेत से दूसरा खेत काफ़ी दूरी पर स्थित होने के कारण आने जाने में काफ़ी समय व शक्ति का अपव्यय होता है।

(२) अपराह्नित खेतों की दैप रेख करने में कृषक को भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्राय दैपभाल तथा निरक्षण के अभाव में कृषि उत्पादन को मारी जाति पहुँचती है।

(३) खेतों के अपराह्नित होने के कारण किसान के सीमित साधनों तथा पूँजी का संगुचित प्रयोग नहीं हो पाता। काफ़ा मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाद,

चीज़ तथा कृपि-यन्त्रों के लाने वाले जाने में यानायात च्यव तथा घन का अपव्यय होता है।

(४) खेतों के अपखण्डन तथा दूर-दूर छिटके होने के कारण सिंचाई का भी समुचित प्रबन्ध नहीं हो पाता जिसके फलस्वरूप कृपि उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती॥ कृपि जोतों के दूर-दूर स्थित होने के कारण पशुओं की शक्ति का मारी नुकसान होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में ही बैल इतने थक जाते हैं कि नेतों पर उनसे भरपूर काम नहीं लिया जा सकता।

(५) कृपि जोतों के अपखण्डन से किसानों में परस्परिक भ्रगड़े-किसाद पैदा होते हैं जिनसे गाँव का वातावरण तानावपूर्ण तथा दूषित हो जाता है।

समस्या को हल करने के उपाय (Remedies)

भारत की कृपि के पिण्डां होने का एक महत्व पूर्णकारण कृपि जोतों का छोटे-टुकड़ों में होना तथा उनका दूर-दूर छिटके होना है। यही कारण है जिसने भारतीय कृपकों की आर्थिक दशा इतनी दयनीय बना दी है। अतः यह आवश्यक है कि इस समस्या को हल करने के लिए आवश्यक प्रथम किये जायें। कृपि जोतों को उपविभाजन एवं अपखण्डन से उत्पन्न होने वाली वुराहयों को दूर करने के लिए हम दो प्रकार के भिन्न उपायों का सहारा ले सकते हैं :—

(१) वर्तमान कृपि जोतों की एक निश्चित सीमा के उपरान्त भविष्य में होने वाले उपविभाजन एवं अपखण्डन पर वैधानिक प्रतिबन्ध लगाना।

(२) जोतों की चक्रवन्दी करना।

उपविभाजन पर रोक—कृपिजोत के उपविभाजन तथा अपखण्डन की गम्भीर समस्या को हल करने के लिए सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि एक निश्चित एवं निमातम आकार के पश्चात् जोतों का अपखण्डन न किया जाय। इस प्रकार बड़ी बड़ी तथा आर्थिक कृपि जोतों के अपखण्डन पर वैधानिक प्रतिबन्ध लगाकर उन्हें अनुल्यादक एवं अलाभकर जोतों में परिवर्तित होने से रोका जाय। इस समस्या को मुलभाने के लिए वैयल चक्रवन्दी से काम न चलेगा जैसा कि हम आगे देखेंगे। छोटे छोटे खेतों को मिलाकर तथा दूर-दूर छिटके खेतों को एकत्र करके उन्हें चक्रवन्दी द्वारा यदि हम एक बड़ी कृपि की इकाई में बदल भी देते हैं तो भविष्य में उनके उपविभाजन तथा अपखण्डन पर वैधानिक प्रतिबन्ध न लगाने पर भविष्य में किर उनके अन्तर्भिर्माजन तथा छिटक जाने का मय रहेगा। इस कारण या तो ग्रामीण ज्ञेनों में इन्हों का प्रशंसन किया जाय जिनसे कृपि में लगी जनसम्बन्ध की ग्राशानता का अन्त हो और उनमें चक्रवन्दी से होने वाले लान का महत्व सन्मान की जगह उत्पन्न हो, मिलके परिणामस्वरूप वह स्वरूप उपविभाजन तथा उपखण्डन जैसी वुराहयों को दूर करने का प्रयत्न करने लगेंगे, परन्तु साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि ऐसे खेतों की अन्तर्भिर्माजन से रक्षा की जाय जिनका

आकार वेवल इतना ही रह गया है कि जिसके और दृढ़कड़े किये जाने पर वे आर्थिक जोत ही न रह सकेंगे। इस कार्य के लिए कानून की सहायता लेना भी आवश्यक है। भारत के कुछ राज्यों में जैसे पश्चात् पेप्सु (PEPSU), बम्बई तथा उत्तर प्रदेश इत्यादि में भूमि के एक निम्नतम सीमा के पश्चात् भूमि के अन्तर्विभाजन एवं उसके हस्तातरण पर वैधानिक प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। आज आवश्यकता तो इस बात की है कि समस्त देश में व्यापक कृषि जोत के उपविभाजन तथा अपखण्डन की इस चुराई को दूर करने के लिए प्रत्येक राज्य में इस प्रकार के वैधानिक प्रतिबन्ध लगा दिये जायें।

निम्न तालिका में हम भारत के विभिन्न राज्यों में भूमि की जिस निम्नतम सीमा के पश्चात् उपविभाजन तथा अपखण्डन पर वैधानिक प्रतिबन्ध लगा दिया गया है उसका विवरण दे रहे हैं—¹

राज्य	न्यूनतम सीमा (एकड़)
उत्तर प्रदेश	६५२ एकड़
झारखण्ड	३५५ "
मध्य भारत	१५५ "
दिल्ली	८ स्टैन्डर्ड एकड़
पश्चिम प्रदेश	५ एकड़ (चिचाई वाली भूमि) १० " (सूखी भूमि)

उपरोक्त तालिका में विभिन्न राज्यों द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध कृषि भूमि की निम्नतम सीमा निर्धारित करने के लिए वास्तव में पड़ा महत्वपूर्ण कदम है। परन्तु इस सम्बन्ध में एक और आवश्यक कार्य किया जाना भी उपेक्षेगी होगा और वह है देश में दायाधिकार व उत्तराधिकार के नियमों में आवश्यक संशोधन करना। वर्तमान अवस्था में इन नियमों द्वारा पैतृक समति का सब उत्तराधिकारियों में उन्ने ग्राधिकारानुसार बराहर वितरण करने से एक भूस्वामी की कृषिभूमि के अन्तर्विभाजन तथा अपखण्डन में सहायता मिलती है। इन नियमों में अगर ऐसा परिवर्तन कर दिया जाये जिससे वेवल छोटे पुत्र को ही पिता की मृत्यु के पश्चात् समस्त कृषि भूमि मिले तो उससे कृषि भूमि उपखण्डन होने से नह जायगी। परन्तु क्या यह न्यायेचित्र कहलायेगा? छोटे पुत्र तथा अन्य उत्तराधिकारियों को कुछ न मिले और सब भूमि गड़े लड़के को ही मिल जाय? इससे भूमि वित्त व्यक्तियों व समक्ष ओवरपार्सन की जटिल समस्या उत्पन्न हो जायेगी।

¹ India, 1959, p. 274-275

जोतों की चकनन्दी *

चकनन्दी का अर्थ—जब भूस्यामियों की दूर दूर विटड़ी नुइं कृपि भूमि के छोटे छोटे ढुकड़ों को मिलाकर एक या आवश्यकता पड़ने पर एक से आधिक जोतों में बंधने का प्रयास किया जाता है तो इस कार्य को जोतों की चकनन्दी (consolidation of holdings) कहते हैं। इस कारण चकनन्दी कृपि भूमि वे उपनिभाजन तथा अपखण्डन की समस्या को हल करने का एक सफल प्रयास है।


चकनन्दी का उद्देश्य—चकनन्दी का मुख्य उद्देश्य उत्तरार्द्धत तथा दूरदूर वितरी हुईं कृपि भूमि¹ को एक बड़े एवं आर्थिक जोत में बदल देना है। कृपि की आर्थिक जोतों वे निर्माण द्वारा ही हम अन्तर्भिभाजन से होने वाली हानियों को दूर कर कृपि में उन्नति कर सकते हैं।

शाही कृपि आयोग (Royal Commission on Agriculture) के
“भूमि के दुखड़े दुखड़े होने की उराई को रोककर उसकी कुछ सहायता करने का केवल एक उपाय दियाई पड़ता है, वह उपाय है—चकनन्दी। इस प्रणाली द्वे एक मालिक की समस्त भूमि का एक भूमिरण्ड ग्रथवा निभिन्न प्रकार की मिट्ठी वे कुछ भूमिरण्ड बन सकते हैं।”¹

चकनन्दी के प्रकार—चकनन्दी का कार्य दो प्रकार से किया जा सकता है—

(१) ऐच्छिक चकनन्दी। यह भी दो प्रकार से हो सकती है (अ) व्यक्तिगत प्रयत्न द्वारा व) सहकारिता द्वे आधार पर

(२) अनिवार्य चकनन्दी। चकनन्दी के निभिन्न प्रकारों को हम नाचे दिये गये रेखाचित्र द्वारा साट कर सकते हैं—



ऐच्छिक चकनन्दी (Voluntary Consolidation)—इस प्रकार की कृपि जोतों की चकनन्दी का कार्य किसानों की देन्द्रिय पर निर्भर करता है तथा चकनन्दी के लिए किसी व्यक्ति की गाँधी किया जा सकता। इस प्रकार चकनन्दी का कार्य करने में सहकारात्मकता करने के लिए वह आवश्यकता आपरेक्षा है कि पहले हम चकनन्दी के प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों का उपर्युक्त होने वाले लाभों से अरणत करारें। भोली

माली, अशिक्षित एवं सुदिवादी विचारधारा वाली ग्रामीण जनसंख्या को चक्रबन्दी का अर्थ तथा उसका महत्व समझने में काफी समय लगेगा, परन्तु यदि एक बार वे चक्रबन्दी की सम्भायनाओं तथा कृषि को उसके द्वारा प्राप्त होने वाले लाभों से प्रभावित हो जाते हैं, तो फिर निसन्देह वे स्वेच्छापूर्वक चक्रबन्दी के लिए तैयार हो जायेंगे। ऐच्छिक चक्रबन्दी का कार्य दो प्रकार से सम्पन्न हो सकता है —

(१) व्यक्तिगत प्रयत्नों के आधार पर—व्यक्तिगत प्रयत्नों द्वारा चक्रबन्दी करना वास्तव में एक बड़ा ही कठिन कार्य है। आश्वर्य ही बात तो यह है कि व्यक्तिगत प्रयत्नों द्वारा की जाने वाली चक्रबन्दी का कार्य सासार के उत्तरिशील राष्ट्रों जैसे देनमार्क, जर्मनी तथा फ्रान्स आदि देशों में भी अधिक सफलता नहीं प्राप्त कर सका तो इस द्वेष में भारत जैसे पिछड़े देश में व्यक्तिगत प्रयत्नों के आधार पर की जाने वाली चक्रबन्दी की सफलता के लिए आशा करना ही व्यर्थ है। अनेक कारणों से हमारे देश में चक्रबन्दी का कार्य व्यक्तिगत प्रयत्नों द्वारा सफल नहीं हो सकता। क्योंकि —

(अ) भारत की अधिकाश कृषि जनसंख्या अशिक्षित एवं सुदिवादी होने के कारण चक्रबन्दी का वास्तविक महत्व नहीं समझती।

(ब) भारत में इन्द्रियों में अधिकारों की विभिन्नता के कारण भी व्यक्तिगत प्रयत्नों के आधार पर चक्रबन्दी करने में बड़ी वाधा पहुँचती है।

(स) टेक्नीकल ज्ञान का अभाव।

(२) सहकारी सिद्धान्तों के आधार पर—चक्रबन्दी का कार्य सहकारिता के आधार पर किया जा सकता है। इस प्रकार चक्रबन्दी के कार्य का जग्य सर्वप्रथम १६२१ भ पजान में हुआ जहाँ चक्रबन्दी के लिए सहकारी समितियों की स्थापना की गई। सहकारी सिद्धान्तों द्वारा की जानेवाली चक्रबन्दी में भी किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की जाती और न ही किसी को चक्रबन्दी के लिए बनाई गई योजना को गान्धी प्रदान करने के लिए विवश किया जाता है। समिति के अधिकारियों का मुख्य कार्य चक्रबन्दी सम्बन्धी लाभों से सदर्श्यों को अद्वगत करना है। समिति की सदस्यता के द्वारा गमी व्यक्तियों ने लिए खुले होते हैं। चक्रबन्दी के लिए आवश्यक भूमि के पुर्णविभाजन तथा चक्रबन्दी की योजना उस समय तक कार्यान्वित नहीं की जा सकती जब 'तक प्रत्येक सदस्य की अनुमति प्राप्त न हो जाये। इस प्रकार सहकारिता के आधार पर की जानेवाली चक्रबन्दी में भी अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे —

(१) अशिक्षित तथा अन्धविश्वासी ग्रामीण जनता को चक्रबन्दी का लाभ तथा महत्व समझाना अत्यन्त कठिन कार्य है।

(२) आसानी से भारतीय किसान अपनी पैदॄक भूमि के हस्तातरण के लिए तत्पर नहीं होते।

(३) यथार्थ में किसी एक व्यक्ति को भी चक्रवन्दी की योजना मान्य न होने पर उसे कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।

(४) चक्रवन्दी के लिए आवश्यक धोड़े से भी व्यय के लिए कियान तैयार नहीं होता।

(५) इस प्रकार चक्रवन्दी में समय अधिक लग जाता है।

अनिवार्य चक्रवन्दी—भारत जैसे देश में व्यक्तिगत प्रयत्नों के आधार पर तथा सहकारी सिद्धान्तों के आधार पर वीजाने वाली ऐच्छिक चक्रवन्दी उफल न होने के कारण यह बात स्टॉप हो जाती है कि यदि हमें भारतीय कृषि की भूमि के विभाजन तथा अपर्देश न दोषा से मुक्त करना है तो यह आवश्यक है कि अनिवार्यता (compulsion) का सहाय लें। इसलिए कानून द्वारा चक्रवन्दी का कार्य किया जाने।

अनिवार्य चक्रवन्दी या तो गाँव के अधिकारी भूम्यामियों, जिनके पास गाँव की

निश्चित न्यूनतम भूमि है, द्वारा चक्रवन्दी ने लिए खरी गई योजना पे आवार पर की जाती है। अथवा सरकार अपनी आंदोलन के चक्रवन्दी का कार्य प्रारम्भ कर देती है। ऐसी दशा में सरकार ने लिए भूस्वामी की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। अनिवार्य रूप से चक्रवन्दी का कार्य करने ने लिए भारत में विभिन्न राज्यों में चक्रवन्दी सम्बन्धी अधिनियम बना लिए गये हैं। मध्य प्रदेश में यह नियम १६२८ में पास हुआ था, पश्चिम में १६३६ में, उत्तर प्रदेश में १६३६ म, तथा जमूक काश्मीर में भी यह नियम १६४० में पास किये गये। उत्तर प्रदेश के अधिनियम का संशोधन १६५३ में किया गया। बंगला राज्य में १६४७ में, पूर्वी पश्चिम में १६४८ में, उड़ीसा में १६५७ म, हिमाचल प्रदेश में १६५३ में, राजस्थान में १६५४ में, पश्चिमी बंगाल में १६५५ में और बिहार तथा द्वारामाद में १६५६ में चक्रवन्दी सम्बन्धी अधिनियम पास किये गये।^१

चक्रवन्दी की प्रगति

चक्रवन्दी ही भारत की कृषि भूमि पे अन्तर्रिमाजन तथा लिटरे होने का एक मात्र उपाय है। हमारे देश में चक्रवन्दी का महत्व पूर्णतया स्टॉप हो जाने पर कारण प्राप्त है। देश के सभी राज्यों में चक्रवन्दी का कार्य प्रारम्भ हो गया है। कुछ राज्यों में तो इस क्षेत्र में महान प्रगति हुई है। परन्तु साथ ही कुछ राज्य ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में श्रमी कार्पोरेशन कारण भारतीय कृषि के समक्ष उत्तर इस भीषण रूप को पूर्णतया दूर नहीं किया जा सका है। देश के विभिन्न राज्यों में उन १६५७ के अन्त तक चक्रवन्दी के क्षेत्र में की गई प्रगति अगले पृष्ठ पर दी गई है^२ (इसका प्रिलूप निवारण अध्याय ६ में दिया गया है।)

¹ Indian Economics, Gupta S B, p 202

² Indian Economics Year Book, 1919-20, p 69

बम्बई	१८६० गाँव
दिल्ली	२१० गाँव
मध्य प्रदेश	२६ लाख एकड़
पंजाब	६१४ लाख एकड़
उत्तर प्रदेश	४०८ लाख एकड़

चक्रवन्दी में आने वाली कठिनाइयाँ

यद्यपि चक्रवन्दी द्वारा हम भारतीय कृषि में पर्याप्त उन्नति कर सकते हैं फिर भी चक्रवन्दी के कार्य में अनेक ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं जिनमें कारण चक्रवन्दी की प्रगति में बड़ी वाधा पहुँचती है। इनमें से कुछ कठिनाइयाँ निम्न हैं:—

(१) चक्रवन्दी के कार्य में आवश्यक व्यय होने के कारण इसकी प्रगति में वाधा पहुँचती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सरकार भी चक्रवन्दी के लिए कुछ शुल्क लेती है।

यदि यह कार्य विना कुछ लिये ही किया जाये तो ग्राशा है कि चक्रवन्दी के त्रैन में पर्याप्त प्रगति ही संभवी।

(२) अपनी पैदृक तथा पूर्वजों से प्राप्त भूमि के प्रति अत्यधिक समता तथा लगात होने के कारण किसान उसे हस्तानित करने के लिए आसानी से तैयार नहीं होता। इस कारण भी चक्रवन्दी का कार्य अधिक तेजी से नहीं हो पा रहा है।

(३) भारत के अधिकार द्वारा भूमि में अधिकार सम्बन्धी आवश्यक अभिलेख (Records) के न होने के कारण भी चक्रवन्दी के कार्य में कठिनाई होती है।

(४) प्रशिक्षित तथा कुशल कर्मचारियों की कमी होने के कारण चक्रवन्दी जैसे गम्भीर तथा पेचीदा कार्य को पूरा करना अत्यन्त कठिन हो जाता है, जो उसके मार्ग में आने वाली प्रमुख वाधा है।

(५) चक्रवन्दी कार्य से सम्बन्धित कर्मचारियों में ईमानदारी की कमी, रिश्वत लेने, भेदभाव तथा पद्धति करने की प्रवृत्ति के कारण ग्रामीण जनता में चक्रवन्दी के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई है जो इस कार्य की प्रगति में बड़ी वाधक सिद्ध हुई है।

(६) निरक्षरता, अधिविश्वास तथा अज्ञानता के कारण भारतीय किसान चक्रवन्दी के कार्य का न तो वास्तविक महत्व समझता है और न उसकी प्रगति में अपना समुचित योग प्रदान कर पाता है जिसके कारण चक्रवन्दी के त्रैन में भारी प्रगति नहीं हो सकी है।

कृषि की विभिन्न प्रणालियाँ (Types of Farming)

भारतीय कृषि को सुधारने के लिए कृषि जोतों के अन्तर्यामाजन तथा अपखराड़म को रोकने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में दिये गये उपरोक्त सुझाव जैसे उत्तरा

सिवार नियमों में परिवर्तन करना तथा चकवन्दी द्वारा बड़े आकार के आर्थिक जोतों का निर्माण करना तो इस समस्या को हल करने का एक सफल उपाय है ही, परन्तु साथ-साथ कृषि प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन करने भी हम इस समस्या को बहुत सीमा तक हल कर सकते हैं। वास्तविकता तो यह है कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जहाँ जनसंख्या का अधिकांश भूमि पर ही अपनी जीविका प्राप्ति के लिए निमंर करता हो व्यक्तिगत आधार पर कृषि व्यवसाय अधिकतर उपयुक्त नहीं हो सकता। वर्तमान परिस्थितियों में जब भूमि पर जनसंख्या का भार घटाता जा रहा है तो इस बात की ओर गमीलापूर्वक सोचना चाहिए कि क्या हम व्यक्तिगत खेती (individual farming) के स्थान पर किसी अन्य प्रकार का प्रयोग नहीं कर सकते। सचार के अनेक राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ पर किसानी द्वारा व्यक्तिगत आधार पर खेती नहीं की जा सकती है जिसके पक्षस्वरूप वे राष्ट्र उत्तिमाजन एवं अपदरण्डन जैसी सभ में मुक्त हैं और साथ ही उनकी खेती भी मुख्य दृढ़ अवस्था में है। कृषि ये ५ में अपनाइ जाने वाली निमित्त प्रणालियों का धरण भी चित्रित किया जा रहा है—

(१) सामूहिक खेती (Collective Farming) सामूहिक कृषि प्रणाली का अन्तर्गत बड़े पैमाने पर खेती की जा सकती है। भूमि पर किसी व्यक्ति का आधार न होकर सामूहिक अधिकार हो जाता है। समस्त कृषि यन्त्रों तथा अन्य साधनों का सामूहिक रूप से प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत किसान को मजदूरी पाने का अधिकार होता है जिसका निर्धारण उसके कार्य के अनुसार किया जाता है। सर्वेष में सामूहिक प्रणाली ने अन्तर्गत भूमि पर व्यक्तिगत अधिकारों का प्राप्त अन्त सा हो जाता है। हमारे देश में जहाँ भूमि तथा अबल सम्पत्ति के प्रति लोगों में इतना प्रेम है इस प्रकार की कृषि पदति के लिए अनुशूल बातावरण नहीं है, परन्तु सोमियत रूप जैसे महान देशों में सामूहिक कृषि उन्नादन में भारी प्रगति हुई है। रूपरेखा कोल्होज (Kolkhoz), इजराइल के किन्नुज (Kibbutz) तथा मोशाव शितुफी (Moshav shitufi) सामूहिक खेती के उत्तम उदाहरण हैं।¹

(२) राज्य कृषि अथवा भूमि का राज्यीकरण (State Farming or Nationalisation of Land)—राज्य कृषि भी भारत की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुशूल नहीं है। हमारे देश में आदि बाल से भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की परम्परा चली आ रही है। शायद ही भारत का कोई भी किसान ऐसा हो जो भूमि पर अपने व्यक्तिगत स्वामित्व को समाप्त कर देने को ठत्तर हो, परन्तु राज्य कृषि के अन्तर्गत ऐसा सम्भव नहीं है। उसके अन्तर्गत समस्त भूमि का राज्यीकरण करने पर व्यक्तिगत स्वामित्व को समाप्त कर देना पहला कार्य होगा। सरकार

सारी कृषि भूमि को अपने अधिकार में लेकर कृषकों द्वारा आधुनिक यन्त्रों के प्रयोग से कृषि उत्पादन का कार्य करायेगी जिसके लिए किसानों को वेतन दिया जायेगा। परन्तु क्या इस प्रणाली में समस्त कृषि समस्याओं का हल हो जायेगा? सत्य तो यह है कि कृषि में उन्नति व्यक्तिगत प्रेरणा तथा प्रेत्साहन द्वारा ही सम्भव हो सकती है। भूमि के राष्ट्रीकरण के पश्चात् किसान बेवल सहकारी कर्मचारी के रूप में ही खेती का कार्य करेंगे। व्यक्तिगत लाभ की आशा के अमाव में प्रत्येक कृषक अपना अधिकतम योग (maximum contribution) न देगा।

(३) सुसगठित खेती (Corporate Farming)—इस प्रकार की सुसगठित खेती का एक मात्र उद्देश्य कृषि उत्पादन द्वारा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। सुसगठित खेती वास्तव में पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली का ही एक रूप है। कृषि उत्पादन की इस प्रणाली के अन्तर्गत बड़े पेमाने पर खेती करने के लिये पर्याप्त पूँजी एवं भूमि का होमा आवश्यक है जिससे खेती के उन्नत तरीकों से कृषि उत्पादन करने से लाभ में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार कृषि उत्पादन भी बहुत बढ़ जाता है।

(४) सहकारी कृषि (Co operative Farming)—वर्तमान समय में सहकारी कृषि के ऊपर काफी वादविवाद उठ पड़ा हुआ है। खेतों के उपखण्डन तथा दूर दूर छिटके होने की समस्या को हल करने वे लिये तथा भारतीय कृषि के पुनर्संगठन वे लिए रुहकारी कृषि पद्धति अपनाये जाने का मुम्भाव दिया जाता है। सहकारी कृषि का वास्तविक अर्थ यह है। इस सम्बन्ध में बड़ा मतभेद है और अनेक भ्रममूलक विचार प्रस्तुत किये गये हैं जिनसे सहकारी कृषि का अर्थ तथा देश की वर्तमान कृषि व्यवस्था में उसके महत्व को समझने में बड़ी कठिनाई होती है। हम इस सम्बन्ध में नीचे कुछ प्रमुख लेपकों तथा विशेषज्ञों द्वारा बताये गये सहकारी कृषि के अर्थ का विवरण दे रहे हैं। उदाहरण के लिए डॉ ओटो शिलर (Dr Otto Schiller) के शब्दों में—

"In modern literature generally co-operative farming is understood as a form of farm management in which the land is used jointly.....¹ अर्थात् आधुनिक साहित्य में सहकारी कृषि का यह अर्थ लगाया जाता है कि यह प्रायः कृषि व्यवस्था का एक रूप है जिसमें भूमि का समुक्त प्रयोग किया जाता है।

कांग्रेस अध्यक्ष श्री संजीव रेडी (Shri Sanjiva Reddy) के अनुसार "Co-operation is not only a technique for greater production and better living but is also a way of life

¹ Dr. Otto Schiller Quoted by K. R. Kulkarni, *Theory and Practice of Co-operation in India and Abroad*, V. III, p. 578.

which is opposed to many of the conflicts that exist to-day.”* सहकारिता न केवल अधिक उन्मादन तथा उन्नत जीवन की एक विधि है बरन् यह जीवन का एक ऐसा मार्ग भी है जो वर्तमान समय के अनेक समर्थों के विषद्द है।

सहकारी कृषि के भेद—सहकारी कृषि के ४ विभिन्न रूप हैं जिनका भेद सभी भना आवश्यक है :—

(१) सहकारी संयुक्त कृषि (Co-operative Joint Farming)—इस प्रकार की सहकारी कृषि में छोटे छोटे ग्रामीं को मिलाकर एक बड़ी इकाई बना ली जाती है जिसमें सदस्यों का अपनी अपनी भूमि पर अधिकार बना रहता है। भूमि के प्रबन्ध के लिए एक समिति होती है जिसके द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार कार्य करने हैं। उनके द्वारा किये गये अम वे लिए उन्हें मजदूरी दी जाती है, साथ ही उनकी भूमि में मूल्य के अनुपात में लाभाश भी प्राप्त होता है।

(२) सहकारी उन्नत कृषि (Co-operative Better Farming)—प्रकार की प्रणाली में व्यक्तिगत एवं मिल जुलकर दोनों प्रकार से काम किया जाता है। सदस्यों में इस बात की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है कि वह किन बातों में अन्य सदस्यों के साथ मिल जुलकर कार्य करें और किस ग्रामीं को व्यक्तिगत आधार पर करें। जहाँ तक भूमि के स्वार्मान्त्व तथा प्रबन्ध का प्रश्न है उसके लिए भूमगमी पूर्ण स्वतन्त्र है, परन्तु यदि वह कृषि में उत्तराधिकार करना चाहता है तो इसके लिए कृषक एक सहकारी उन्नत ग्रामीं समिति का निर्माण कर लेने हैं जिसके द्वारा चंडिया गोज, अच्छी खाद, उन्नत कृषि यन्त्र तथा कृषि सम्बन्धी विभिन्न वित्ताओं ने लिए मरणीन आदि के खरीदने तथा खेती की उत्तराधिकार का कार्य किया जाता है। बेनमार्फ जैसे देशों में इस प्रकार की समितियों ने महत्वपूर्ण कार्य किये हैं।

(३) सहकारी काश्तकार खेती (Co-operative Tenant Farming)—सहकारी काश्तकार ग्रामीं के अन्तर्गत समस्त कृषि भूमि सहकारी समितियों के अधिकार में होती है जिसे छोटे छोटे चक्कों में विभक्त कर दिया जाता है। समिति खेती करने के लिए उद्युक्त किसानों को लगान पर एक एक चक्क दे देती है जिन पर खेती समिति द्वारा चमाई गई योजना के अनुसार ही करना होता है। कृषि सम्बन्धी विविध मुद्रिधार्यों, जैसे खाद, गोज, श्रीजार आदि प्रदान करना समिति का ही उत्तरदायित्व होता है। उत्तर प्रदेश में गगा खादर योजना पर सहकारी आषामी कृषि अगस्त्या अथवा सहकारी काश्तकार कृषि का महत्वपूर्ण प्रयोग हो रहा है।

(४) सहकारी सामूहिक कृषि (Co-operative Collective Farming)—इस प्रकार की कृषि में भी भूमि सहकारी ट्रॉपि के अधिकार में होती है, परन्तु

इसमें खेती का कार्य भी समिति के सदस्यों द्वारा ही सम्पन्न होता है। ऐसी प्रणाली में समिति के सदस्य के पास भूमि का व्यक्तिगत स्थामित्व नहीं रहता है। वे तो बैठने के बदले केवल एक श्रमिक के रूप में ही काम करते हैं। उदस्य समिति द्वारा अर्जित लाभ का कुछ भाग पाने के अधिकारी होते हैं।

भारतवर्ष में सहकारी कृषि (Co-operative Farming in India)—वैसे तो सहकारी कृषि के सिद्धान्त भारत के लिए कुछ नये नहीं हैं किंतु भी कांग्रेस के नागपुर अधिबोधन में पास किये गये प्रस्तावों में, बिशेषकर कृषि संगठन समझौते, वे पास होने के उपरान्त रुहकारी कृषि पर कानूनी विवाद उठ खड़ा हुआ है। नागपुर अधिवेशन वे पश्चात् कांग्रेस ने सहकारी कृषि प्रणाली अपनाने का जो महत्वपूर्ण निश्चय किया उसे देश के अन्य राजनीतिक दलों तथा आलोचकों द्वारा सहकारी कृषि की तीव्र आलोचना की जाने लगी। कुछ लोगों के विचार से देश की वर्तमान कृषि अर्थ व्यवस्था को सुधारने, कृषि में उन्नति करने, तथा कृषि उत्पादन में पर्याप्त उद्धित तथा खाद्य समस्या को हल करने का एक मात्र साधन सहकारी कृषि है, परन्तु दूसरी ओर स्वतंत्रता, जनतन तथा अन्य उच्च आदर्शों एवं सिद्धान्तों के नाम पर सहकारी कृषि की की जाने वाली कड़ आलोचना भी सर्वे विदित है। यदि एक और भारत के प्रधान मंत्री जगहरलाल नेहरू, श्री सजीव रेडी, श्री निजिलिङम्या जैसे नेताओं ने रुहकारी कृषि द्वारा देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सुधारने को बड़ा आशा प्रकट की है, तो दूसरी ओर राज्योपालाचार्या, क० एम० मुन्ही, प्रो० रगा, मिस्टर एम० आर० मसानो जैसे विचारकों एवं विद्वानों ने सहकारी कृषि की सफलता पर कानूनी संदेह प्रगट किया है। इस कारण हम सहकारी कृषि के पक्ष एवं विपक्ष में कहे गये कुछ महत्वपूर्ण तकों का परीक्षण कर रहे हैं।

सहकारी कृषि का आलोचनात्मक प्रिलेपण पक्ष में

(१) सहकारी कृषि से कृषि जोतों के आकार में पर्याप्त उद्धि हो जाती है। यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा खेतों के छोटे छोटे ढुकड़ों में विभक्त होने तथा उनके छिटके होने के कारण कृषि को होने वाली हानियाँ दूर करके भारतीय कृषि में कानून उन्नति की जा सकती है।

(२) सहकारी कृषि भारतीय दृगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। मिल जुलकर की जाने वाली जैती में फसल खराब होने तथा ग्रन्थ प्रकार के जीवितों का भार एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता।

(३) सहकारी कृषि द्वारा देश में कृषि उत्पादन में भारी उद्धि करके वर्तमान समय में खाद्यानन की कमी जैसी गम्भीर समस्या बड़ी सुगमता से हल की जा सकती है।

(४) अनेक प्रकार से कृषि में उन्नति करने के लिए सहकारी कृषि यही उत्तरोगी

सिद्ध हो सकती है। सहकारी कृषि समितियों द्वारा किसान को बाजार की प्रगति तथा अपने साधनों के समुचित प्रयोग के सम्बन्ध में आवश्यक ज्ञानकारी प्रदान की जा सकती है जिससे उसको अपने कृषि उत्पादन के स्तर को बढ़ाने में भी उद्ययता मिलेगी।

(५) सहकारी कृषि द्वारा नड़े पैमाने पर सेती की जाने की सम्भावना की जो सकती है। अनेक बचतों के प्राप्त होने तथा योक्ता भाव पर कृषि के लिए आवश्यक सामग्री गीज, यन्त्र, आदि खरीदने से उत्पादन लागत नहुन कम हो जानी है और साथ ही उत्पादन में भी वृद्धि होती है।

(६) सहकारी सेती द्वारा द्वौने वाले सामाजिक लाभ दे कारण भी सहकारी कृषि पद्धति भारत के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण व उपयोगी है। ग्रामीण जीवन में मिल जुल कर रहने, पारस्परिक सहयोग तथा भाईचारे की माननाओं का प्रिकास कर सहकारी ग्रामीण जीवन में शान्ति एवं सुरक्षा का सचार करने का एक उपयोगी साधन है।

सहकारी कृषि से होने वाले लाभों को नड़े ही मुन्द्र दफ्तर से निम्न शब्दों में साट किया गया है —

“Co operative farming is held to be the best means of rationalising agriculture and attaining a higher order of social and economic life in keeping with the principles of democracy and self-government”¹

विपक्ष में

विभिन्न लेपकों तथा विशेषज्ञों द्वारा सहकारी कृषि की तीव्र आलोचना की गई है। मिस्टर एच० के वीरना गोड्ड (Mr H K Veeranna Gowdh) ने शब्दों में —

“Co operative farming had nothing sinful or destructive about it any more than promoting joint stock companies or industrial combines”²

सहकारी कृषि के विपक्ष में दिये जाने वाले मुख्य तर्क निम्न हैं —

(१) सहकारी कृषि भारत की सामाजिक परिस्थितियों के सवर्धा प्रतिकूल है।

(२) भूमि के प्रति अधिक लगाव होने के कारण कृषकों से भूमि प्राप्त करने में भी कठिनाई होगी। सहकारी कृषि का सबसे बड़ा दोष यह है कि इससे किसान केवल एक अभिक के रूप में परिणत हो जाता है। इससे फलस्वरूप उसकी ऊनि एवं उत्पाद में कमी आ जाने से कृषि उत्पादन में नुस्खा पड़ सकता है।

(३) कुछ लोगों के विचार से सहकारी कृषि प्रणाली के अपनाये जाने से देश में वेकारी की समस्या और बढ़ जायेगी।

¹ K R Kulkarni, *Theory and Practice of Co-operation*, p 578.

² National Herald, dated Jan 17, 1960

(४) पर्याप्त कुशल कर्मचारियों वथा प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव सहकारी कृषि पद्धति को सफल बनाने तथा उसे वाक्तविक लाभ प्राप्त करने में बहुत बड़ा बाधा है।

[†] (५) मिस्टर रेल्फ ओस्लेन (Mr. Ralph Oslen), जिन्होंने भारत में अमीरी कुछ समय पूर्व आये हुए अमरीकी कृपकों के एक दल का नेतृत्व किया, सहकारी कृषि के सम्बन्ध में अपने विचार समझ करते हुए कहा है —

"Co-operative farming was not too practical and I do not think it will be successful in India. It took away incentive from the farmer and made him lose his identity and individual interests as an entrepreneur in the land." ²

सहकारी सेवा समितियाँ (Service Co-operatives) — भारत में कृषि की उन्नति के लिए सहकारी सेवा समितियों द्वारा बड़ा उद्योगी कार्य किया जा सकता है। वर्तमान स्थिति में जबकि विभिन्न विचारकों तथा लेखकों द्वारा सहकारी कृषि की तीव्र आलोचना की जा रही है शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसे सहकारी सेवा समितियों के उपयोग तथा महत्व म तनिक भी स देह हो। प्रसिद्ध अमेरिकन कृषि नेता मिस्टर ओस्लेन द्वारा भी सहकारी सेवा समितियों की बड़ी प्रशंसा की गई है। उनके शब्दों में —

'Service Co-operatives were very practical and will be of tremendous advantage to India.'

इन सहकारी सेवा समितियों द्वारा किसान को उसने लिए आवश्यक खाद, धीज, उर्जरक, सुधरे कृषि यात्र, साथ, विपणन तथा प्रार्थिक उपयोगा सुविधाएँ सुगमता से प्राप्त हो सकती हैं जिससे वह अपनी कृषि में पर्याप्त उन्नति कर सकता है। इन ग्रकार सहकारी सेवा समितियाँ कृषि सुधार के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं।

भारत में सहकारी कृषि अमीरी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है परन्तु कृषि क्षेत्र में इसका अत्यधिक महत्व होने के कारण सहकारी कृषि के विकास का इह निश्चय कर लिया गया है। दिसम्बर १९५८ तक भारत में सहकारी कृषि समितियाँ की संख्या लगभग २०२० थी परन्तु भारत जैसे विशाल देश के लिए यह संख्या इस दान का सम्पूर्ण प्रमाण है कि अमीरी सहकारी कृषि ने देश में यापक प्रगति नहीं की है जिसके लिए आवश्यक है कि इसके विकास एवं प्रचार के लिए आवश्यक प्रयत्न किये जायें तभी देश सहकारी कृषि द्वारा समुचित लाभ प्राप्त कर सकेगा। सहकारी कृषि के विकास के लिए हमें निम्न प्रयत्न करने चाहिए —

(१) सहकारी कृषि द्वारा होने वाले लाभ तथा उसके महत्व से किसान को अनुगत करने के लिए इसका व्यापक प्रचार हो।

(२) इसके लिए आवश्यक प्रावैधिक सलाह तथा परामर्श की सुविधायें प्रदान करनी चाहिए जिससे इसके मार्ग में आनेवाली प्रावैधिक कठिनाइयाँ इसके विकास में वापक न हों।

(३) सहकारी कृषि समितियों को अपना कार्य सुगमतापूर्वक चलाने के लिए उन्हें आवश्यक प्रोत्ताहन देना भी अत्यन्त आवश्यक है। उन्हें अपने कृषि उत्पादन के लिए उचित अपना रियायती मूल्य पर आवश्यक कृषि सामग्री जैसे साद, बीज, कृषि-न्यन्त उत्तरता वर्धक इत्यादि दिलाकर सहकारी कृषि में बड़ी प्रगति की जा सकती है।

मारत सरकार ने देश में सहकारी कृषि के निकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। प्रथम तथा द्वितीय पञ्चवर्षीय योजनाओं में कृषि के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण प्रयत्न किये गये हैं। द्वितीय पञ्चवर्षीय योजनाकाल में देश में कार्य करने वाली अपना मन्त्रिय समितियों को सुधारने अथवा पुन जीवित करने की ओर ध्यान दिया जायेगा। दश में आगामी वर्षों के लिए बनने वाली तृतीय पञ्चवर्षीय योजना में भी सहकारी कृषि तथा सहकारी सेवा समितियों की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाने का निश्चय किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग २,५०,००० सहकारी समितियों की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया है जिसकी सदस्य सख्ता लगभग ४ करोड़ होगी।

प्रश्न

1. What are the causes and effects of subdivision and fragmentation of agricultural holdings? What remedial measures have been adopted to check and eradicate the evil?

(Agra, 1957, 1959, Delhi, 1953, Rajasthan, 1952, Allahabad, 1953, Patna, 1953)

2. Write a short note on 'Agricultural Holdings in India'.

(Agra, 1956, 1948, [Rajasthan, 1948])

3. Define an 'Economic Holding'. What measures would you suggest for creation and stabilisation of economic holdings in India?

(Rajasthan, 1953)

4. What are the various types of farming at present practised in India? How far would 'Co-operative Farming' prove beneficial for our country under the present circumstances?

(Agra 1950)

5. Write a short note on —

Consolidation of Holdings'

Service Co-operatives

(Punjab, 1958)

(Agra, 1960)

लिए निश्चित की जाती है। यह काल ३० या ४० वर्षों का होता है। इस काल के पूर्ण हो जाने पर लगान की घनगण्य पुनः निश्चित की जाती है।

जमीदारी प्रथा बगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तर मद्रास, मध्य प्रदेश तथा बंगाल के कुछ भागों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य प्रदेशों में जमीदारी प्रथा का उन्मूलन अभी हाल में ही किया गया है। जमीदारी प्रथा का विस्तार में अध्ययन अगले शृंखों में किया गया है।

✓महालवारी प्रथा—इस पद्धति का श्रीगणेश सन् १८३३ई० के 'रेग्लेयन एक्ट' के अनुसार सर्व प्रथम आगरा व अब्दिय महुआ था। कालान्तर में इसे पञ्चाव के कुछ भागों में लागू कर दिया गया। 'महाल' शब्द का अर्थ गाँव से होता है। गाँव के कुछ समृद्धिशाली लोग मिलकर सरकार से भूमि का स्वामित्र प्राप्त कर लेते हैं और समिलित रूप से गाँव भर के लगान वो तुशने का उत्तरदायित अपने ऊपर ले लेते हैं। अतः इस प्रथा को 'संयुक्त ग्राम स्वामित्र' (Joint Village Tenure) प्रणाली भी कहते हैं।

विशेषताएँ

(१) इस प्रथा के अन्तर्गत मालगुजारी अस्थायी होती है।

(२) मालगुजारी के लिए केवल कोई विशेष भू स्थाप्ति ही सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं होता बल्कि सभूर्ण गाँववाले मिलकर मालगुजारी के लिए सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

(३) किसान को अपनी भूमि का किली भी रूप में प्रयोग करने का पूरा पूरा अधिकार होता है।

(४) इस प्रथा के अन्तर्गत भूमि के हिस्तेदारों में विभाजन की तीन मुख्य प्रणालियाँ होती हैं :

(अ) पैतृक सिद्धान्त के अनुसार,

(ब) अपैतृक सिद्धान्त के अनुसार, तथा

(स) साधारण विभाजन।

पैतृक सिद्धान्त के अनुसार भूमि का हिस्तेदार परम्परागत भूमि का स्वामी होता है। पैतृक प्रणाली वाले गाँव तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम ऐ गाँव जो एक संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली की भाँति होते हैं अर्थात् जिन पर कुछ व्यक्तियों का सामूहिक अधिकार होता है। द्वितीय वे ग्राम होते हैं जो अपैतृक प्रणाली पर आधारित हैं। इसमें भूमि का विभाजन 'तच्चे भाईचारे' के सिद्धान्त के अनुसार होता है। यह तीन स्पष्ट घारणा कर सकता है—(क) भूमि को चरांचर व्यापक हिस्तों में बांटकर, (ख) हल्की सख्ताओं के स्वामित्र के अनुसार, (ग) पानी अथवा कुओं के हिस्तों के अनुसार। तृतीय वे गाँव

होते हैं जहाँ भूमि के विभाजन के लिए कोई विशेष नियम प्रचलित नहीं। जिस व्यक्ति के अधिकार में जो भूमि होती है वही व्यक्ति उस भूमि का स्वामी माना जाता है।

वह प्रथा पजाच, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के उच्च भागों में प्रचलित है। सैद्धान्तिक लाए से यह प्रथा भली अवश्य मालूम होती है, परन्तु व्यापकारिक रूप में इसमें कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अतः पजाच आदि राज्यों में इसका स्वस्य व्यापकारिक दृष्टिकोण से बदला हुआ है। पजाच में सम्पूर्ण गाँव के स्थान पर कियान ही व्यक्तिगत रूप में भूमि का स्वामी समझा जाता है।

रैयतवारी प्रथा (Ryotwari System)—उर्बप्रथम् इस पंडति को कैलेन रीड तथा मद्रास के गवर्नर यामर मनरो ने सन् १९६२ में मद्रास के बारामहल नामक बिले में चालू किया था। शनैः-शनैः यह पंडति राज्य के अन्य भागों तथा बंगाल में उ हो गई। इस समय यह प्रथा बंगाल, मद्रास, बिहार, कुर्ग, मध्य प्रदेश तथा न भूमि में प्रचलित है। प्रारम्भ में रैयत ही स्वयं काश्तकार होता था परन्तु आजकल बहुत से रैयत खुद काश्तकार नहीं होते।

विशेषपादार्थ

(१) इस प्रथा के अन्तर्गत किसान और सरकार के बीच एक सीधा सम्झौता होता है और किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती।

(२) किसानों को व्यक्तिगत रूप से अपने खेतों के लगान को सरकारी सजाने में बमा करना पड़ता है।

(३) मालगुजारी लघमग प्रत्येक ३०-४० वर्ष बाद निश्चित होती है। मालगुजारी के निश्चित करते समय भूमि के चेतकन तथा उसकी उर्वरा शक्ति की घाव में रखा जाता है।

(४) सम्पूर्ण भूमि पर राज्य का ही स्वामित्व रहता है। यद्यपि वैधानिक रूप से किसान भूमि का पूरा स्वामी नहीं होता, व्यापकारिकता में वह स्वामी ही रहता है।

(५) किसान को अपनी भूमि को प्रयोग में लाने, बदलने अथवा छोड़ देने का पूरा अधिकार होता है।

(६) किसान भूमि का स्वामी उसी समय तक रहता है जब तक वह सरकार को लगान देता रहता है।

उपरोक्त तीनों प्रकार की भूमि व्यवस्थाओं के अन्तर्गत भूमि का विभाजन सन् १९३७ ३८ में इस प्रकार गया—

¹ Ministry of Information and Broadcasting, Agricultural in India 1950, p. 52,

भूमि व्यवस्था की प्रथा	चेत्रफल(करोड़ म)	कुल का % चेत्रफल	राज्य जहाँ प्रचलित है
(१) रैयबारी	१८ ३	३६	मद्रास, बंगाल, आवाम तथा सिन्धु (पाकिस्तान)
(२) जमीदारी (स्थायी बन्दो वस्त)	१२ ६७	२५	बंगाल, उडीसा, बिहार, और मद्रास
(३) जमीदारी तथा महाल धारी (अस्थायी बन्दोवस्त)	१६ ७२	३६	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब।
.			

जमीदारी उन्मूलन

सरकार तथा किसानों के बीच में उपस्थित मध्यस्थों ने कृषि के विकास को ठेस पहुंचाई है। अतः राज्य सरकारों ने जमीदारी प्रथा तथा मध्यस्थों का अन्त करने का निश्चय कर लिया और अपने अपने राज्यों में तत्त्वमन्त्री जमीदारी उन्मूलन अधिकारियम भी पास कर दिये हैं। इस प्रकार के अधिकारियम देश के भाग 'अ' के लगभग सभी राज्यों में तथा हैदराबाद, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दौराप्त्र, पैज़, नथा जम्मू एवं कश्मीर में बनाये गये हैं। इसी प्रकार के कार्यक्रम अन्य बहुत से राज्यों में भी बनाये जा रहे हैं।-

मध्यस्थों के उन्मूलन सम्बन्धी अधिकारियम कुछ राज्यों में पूर्णतया, कुछ राज्यों में अधिकारियत, तथा कुछ राज्यों में आशिक रूप में लागू किये जा चुके हैं। राज्यानुसार इनका विवरण इस प्रकार है :—

(१) पूर्णतया क्रियान्वित (Fully implemented)

मध्य प्रदेश, पंजाब, हैदराबाद, पैज़, तथा नूसाल।

(२) अधिकारियतः क्रियान्वित (Substantially implemented)

आध्र प्रदेश, बंगाल, मद्रास, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत तथा सौराष्ट्र।

(३) आशिक रूप में क्रियान्वित (Partially implemented)

बिहार, उडीसा, राजस्थान तथा बिहार प्रदेश।

जमीदारी प्रथा अथवा मध्यस्थों ने उन्मूलन के सम्बन्ध में लोगों का एक मत नहीं है। कुछ लोग उन्मूलन के पक्ष में हैं और कुछ इसके विपक्ष में।

(उन्मूलन के पक्ष में तर्क)

जमीदारी उन्मूलन के समर्थकों ने अपने प्रभावपूर्ण तर्क इस प्रकार दिये हैं—

(१) जमीदार किसानों का शोषक होता है—जमीदारी प्रथा के इतिहास का सिंहासन करने से शर्त होता है कि अधिकार जमीदार लोग निर्धन, जर्बर

और पीड़ित किसानों का सदैर से शोषण करते रहे हैं और अपने कर्तव्यों की पूर्ति जैसे भूमि मुधार आदि की ग्रवेहलना करते रहे हैं। उन्मूलन के समर्थकों का कहना है कि यदि मध्यस्थी को हटा दिया जाय तो किसानों की दणा भी मुधरेगी और भूमि मुधार भी हो सकेगा।

(२) राजकीय आय में वृद्धि—जमीदारी प्रथा के अन्तर्गत किसानों से लगान बमूल करने का उत्तरदायित्व जमीदारों प्रबन्ध मध्यस्थी का होता है। ये मध्यस्थ लगान का एक बहुत बड़ा भाग स्वयं ले लेते हैं। यदि इन मध्यस्थी का उन्मूलन कर दिया जाय तो सरकार और किसान का भीशा समर्क रखाप्रित हो जायगा और मध्यस्थी की जेब में जाने वाला भाग सरकारी रजाने में जाने लगेगा।

(३) राजनीतिक सुधार—भारतीय जनता का ग्राहिताया भाग (लगभग ७०%) न्यौ पर आधारित है। जमीदारों द्वारा शोषित तथा उत्तराधित किये जाने के कारण नों में एक राजनीतिक असन्तान की भागता आ गई है। यदि इस प्रथा का उल्लंघन कर दिया जाय तो किसानों ने असन्तान की भागता का भी अन्त हो जायगा अप्रैल मध्याह्न हफ्ते के दूसरे दिन लगान के उल्लंघन अवृद्ध हो जायेगे और आगामी निर्माचन में साकरी की लोकप्रियता फंसी रहेगा।

(४) देश का आर्थिक विकास—लोगों का यह भा कहना है कि यदि मध्यस्थी का उन्मूलन कर दिया जाता है तो वृप्ति में मुधार होगा, जिसे उपायदान में वृद्धि होगी, जनता की क्रप याकि बढ़गी और अनन्त देश का आर्थिक विकास होगा।

उन्मूलन के विषय में तर्क

जमीदारी उन्मूलन के विरोधिता ने अपने तर्क विभ व्रकार प्रस्तुत किये हैं—

(१) देश में देराजगारी की वृद्धि—यदि जमीदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाता है तो वृप्ति में जमीदार तथा मध्यस्थ और जनता कमीजारी एक बहुत बड़ी सख्ती में देराजगार हो जायेगे। ग्राहितायत प्रथा ग्राहितायत होने के कारण इनका बाइ राजगार भी नहीं मिल यायगा। ऐसे हमें म जन कि देश म वरोजगारी का दाना आतक मचाये हुए हैं, इन लोगों की अतिरिक्त बेकामी देश म प्रगति कीला देर्गी और नवादिव स्वतन्त्र राष्ट्र के युत्र भाल पर कार्रक का दीक्षा लगा देगी।

(२) किसानों की कठिनाइयाँ—महादेव कलाउस्टन के शब्द, “भारतीय कृषि का जमीन आण म होता है, ज्ञान म जानन व्यतीन करता है और इसी ज्ञान ने उठकी मृत्यु मा हा जाती है” आज भी व्यक्ति खत्य है। जमीदार लाग अपने किसानों को अरनी प्रवा समझ कर उनकी आर्थिक आपरावताओं का पूर्ति समय समय पर किया करते हैं। यही कारण है कि जमीदारों में अनेक दाप हाते हुए भी किसान

उनकी क्षत्रियाया ऐ अलग नहीं होना चाहते। जमीदारी के समाप्त हो जाने पर किसान लोग निराधार हो जाएंगे और सामाजिक अराजकता फैल जावेगी।

(३) ग्रामीण रिकार्डों का अभाव—देहातों में भूमि सम्बन्धी संज्ञेखों (Records) की लिखापदी पटवारियों (लेखपालों) द्वाय की जाती है। इन लोगों को कोई उचित शिक्षा, उच्च अध्यवा प्रशोप नहीं दी जाती, अतः वे ठीक-ठीक हिसाब-किताब नहीं रख पाते। प्रायः ऐसे के लालच में वे अशुद्ध प्रविष्टियाँ कर देते हैं। जमीदारी उन्मूलन के समय में कठिनाइयाँ बाधक सिद्ध होगी।

(४) क्षतिपूर्ति (मुआवजे) की समस्या—जमीदारी प्रथा का उन्मूलन होते ही सरकार को जमीदारी की क्षतिपूर्ति देने की समस्या उत्पन्न होगी। अनुमान है कि जिन राज्यों में जमीदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया है वहाँ क्षतिपूर्ति के रूप में लगभग ४५० करोड़ रुपए देने होंगे। ऐसे समय में जब कि सरकार के पास धन का अभाव है क्षतिपूर्ति एक समस्या बन जावेगी। यदि इस धन का उपयोग कृपि सुधार में लगाया जाय तो अधिक उपयुक्त होगा।

(५) भूमिधर बनने की समस्या—काश्तकारा को भूमिधर बनने के लिए सरकार को दस गुना लगान देना होगा। भारतीय किसान इतने धनवान नहीं हैं कि वे इसे अपने सन्ति कोश से निकाल कर जमा कर दें। उनके पास ऐसी कोई चल अध्यवा अचल सम्पत्ति भी नहीं है जिसके विषद् वे भूत्या प्राप्त कर सकें।

जमीदारी उन्मूलन के मूल तत्व

जमीदारी उन्मूलन के तीन प्रमुख तत्व हैं :—

(१) मध्यस्थ अधिकारी का अम्त और जमीदार को क्षतिपूर्ति जो कि मध्यस्थ अधिकार से होने वाली शुद्ध आप की कई गुनी रटी गई। जिस जमीदार की आय अधिक थी उसकी घटती हुई दर से क्षतिपूर्ति की गई।

(२) जमीदार द्वारा अपनी व्यक्तिगत कृपि के लिए रखी जाने वाली भूमि की सीमा निश्चित की गई और जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई।

(३) सरकार और किसान में प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करना जिससे अब किसान लगान चुकाने के लिए सीधा सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है।

जमीदारों अध्यवा मध्यमीं लोगों वे उन्मूलन के लिए सरकार को कुल क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास अनुदान (न्याज सहित) ६२५.२५ करोड़ रुपए देना था। इसमें से रु. १६५७.५८ तक ६८.८३ करोड़ रुपए की बनराशि दी जा चुकी है। निम्न गलियाँ में राज्यानुदार सन् १९५७ के अन्त में देय क्षतिपूर्ति तथा दी जा चुकी राशियाँ दिखाई गई हैं :—

मध्यवर्ती लोगों के उन्मूलन के लिए देय तथा दी जा चुकी चतिपूति
(राज्यों से पुनरुत्थान के पूर्ण की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपयों में)

	कुल देय चतिपूति तथा पुनर्वास ग्रन्तिन (पाज सहित)	दी जा चुकी राशि
आखाम	५ १८	० ०२
आनन्द प्रदेश	६ ६०	४ ५८ ^१
उडीसा	१० ५०	० ४७
उत्तर प्रदेश	१७६ ००	५८ ७२
तिहाराकुर-कोचीन	० २०	—
श्रीम भगान	७० ००	१ ५६
चिहार	२४० ००	० १४
मद्रास	४ ८१	३ ७० ^२
मध्य प्रदेश ^३	२२ १०	३ १६
मैसूर	१ ८०	—
गजरथान (अजमेर सहित)	३५ ८८	६ ४०
सौराष्ट्र	१० २०	२ ६२
हैदराबाद	१५ १८	६ ६४
योग	६८५ २५	६८ ८३

मध्यवर्ती लोगों का उन्मूलन

कानून बनाने तथा मध्यवर्ती लोगों की भूमि हस्तगत कर लेने से सम्बन्धित अधिकाश कार्य तथा मध्यवर्ती लोगों के पूर्ण रूप से उन्मूलन का कार्य लगभग किया जा चुका है। भू स्वामित्री तथा राज्य के दीन सीधा सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया है। हृषि विहीन भूमि (मह भूमि बिहार पर हृषि नहीं की जाता) तथा वन आदि हस्तगत कर लिए गये हैं और उडीसी व्यवस्था का काम राज्य व्यवस्था ग्राम पञ्चायत जैसे स्थानीय संगठन प्रत्यक्ष रूप से करते हैं।

मध्यवर्ती लोगों ने उन्मूलन का कार्यक्रम विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न स्थिति में है।

^१ फरवरी, १९५८ तक^२ जुलाई, १९५८ तक^३ भूतांत्र भोगाल, मध्य भारत तथा विन्ध्य प्रदेश सहित

जमीदार अथवा मध्यवर्ती लोगों के अधिकार में कुल चेत्रफल का ४३% भाग जमीदारी उन्मूलन के पूर्ण था। उन्मूलन के पश्चात् कुल चेत्रफल का लगभग ५% भाग अब भी मध्यवर्ती लोगों के हाथ में है। सष्टु विवरण निम्न तालिका से ज्ञात होगा :—

मध्यवर्ती लोगों से सन्यन्धित चेत्रफल

कुल चेत्रफल का प्रतिशत

वह चेत्र जो मध्यवर्ती लोगों के अधिकार में था	४३
वह चेत्र जहाँ मध्यवर्ती लोगों के उन्मूलन के सम्बन्ध में कानून लागू किए जा सुके हैं	४०
वह चेत्र जहाँ मध्यवर्ती लोगों का उन्मूलन किया जा सुका है	३८
वह चेत्र जहाँ मध्यवर्ती लोग श्रमी भी हैं	५

भूमि सुधार (Land Reforms)—आर्थिक दण्डिकोण से भूमि नीति ऐसी होनी चाहिए कि दृष्टि की विविधता द्वारा तथा उसकी कार्यक्रमता के स्वर को लेंचा उठा कर दृष्टि उत्पादन में वृद्धि हो। योजना आयोग की रिपोर्ट में भूमि नीति के आर्थिक पहलू के अतिरिक्त सामाजिक पहलू पर भी चल दिया गया है। सामाजिक पहलू में निम्न बातें सम्मिलित हैं :—

- (१) धन और आय की असमानताओं को कम करना,
- (२) शोषण का अंत करना, तथा
- (३) किसान के लिए गृधारण की सुरक्षा और ग्रामीण जनसंख्या के विभिन्न रुद्धियों को समाज में स्थान और अवसर पाने की समानता।

प्रथम पचवर्षीय योजना में निर्धारित की गई राष्ट्रीय भूमि नीति में वह स्वीकार कर लिया गया कि राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रम में भूमि स्वामित्व तथा दृष्टि के रूप का बहुत अधिक महत्व है। उस भूमि व्यवस्था के स्थान पर, जिसमें किसानों का शोषण होता आ रहा था, इस भूमि नीति से एक ऐसी भूमि व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की गई जिसमें किसान को अपने अम का अधिकतम लाभ प्राप्त हो और उसे उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का पूरा पूरा प्रोत्साहन मिले। द्वितीय पचवर्षीय योजना में भी इसी बात पर ध्येय दिया गया। योजना में निहित भूमि-नीति के दो उद्देश्य हैं :—

- (१) गांव में वर्तमान भूमि व्यवस्था के कारण दृष्टि उत्पादन के मार्ग

बाली अहन्तों को दूर करना तथा देश में यथा गुप्त ऐसी प्रामीण अर्थ व्यवस्था लागू करना जिसका यक्षमता और उत्तादन चमता, दोनों में हुदि हो, और

(२) समाज के विद्वान् पर आधारित समाज की रचना करना तथा सामाजिक अव्याप्तियों का दूर करना।

तई कृषि नीति—नागपुर प्रस्ताव

काब्रस के नामगुर अविवशन में 'इषि सगटन उभय-वी दाचे' पर साकृत प्रस्ताव के द्वारा भूमि नीति का एह टाइ रूप दिया गया। यह प्रस्ताव अखिल भारतीय नदीय कमटी की इषि उत्तादन उभ्यन्धा उपसमिति का रिपोर्ट पर तैयार किया गया था। प्रस्ताव में दो महत्वपूर्ण आशार भूत निश्चय हैं—एक तो भूमि की अधिकतम खीमा रूप से दूसरा तथा उत्तुक सहकारी द्वापर उ सम्बन्धित है। इषि सगटन पर पाँच किये

प्रस्ताव की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(१) प्राम पचासन और प्राम सहकारिता—प्रामाण सगटन प्राम पचासन और प्राम सहकारिता पर आवारित हो जिनके पाँच पराम आधार और साधन हों। प्राम सहकारिता का सदस्यता सभा लागी रुलिए खुली होना चाहिए। चाह उनके पाँच भूमि हों जो न हो। उत्तुक समिति का वैज्ञानिक द्वापर और दुर्दीर उद्यागों का प्राप्तिशालन देकर अपने सदस्यों के क्षणण का व्यवस्था फरना चाहिए।

(२) सहकारी सनुमति कृषि—भारी इषि सगटन सहकारी सनुक इषि पर आवारित होगा, नियम उत्तुक इषि के लिए भूमि का एकर्तित कर लिया जायगा, कियाना का भूमि में स्वामित्व बना रहगा। त्रोर उह शुद्ध आय से अपनी भूमि के अनुग्रान में लाभाश (हिस्सा) मिलगा। सनुक सर उपर काम करने वालों का मजदूरी मिलेगा जांह उनके पाँच भूमि हों जो न हो। सनुक इषि प्रारम्भ करने के पूर्व किसानों को आवश्यक सराव जैसे अच्छे नज़र, राद, इषि उनकी पूर्ति, वैज्ञानिक सलाह, सिंचाइ की सुविधायें, सख्ती सार, नियम और संग्रह की सुविधायें प्रदान करने रुलिए उत्तुक उत्तुक समिति की स्थापना नी जायगा ताक कियान पैदानिक द्वापर कर सक। उह सर तीन उपर के आवश्यक पूर्य हो जाना चाहिए। इह उपर को जहाँ सनुक इषि सम्पत्ति हो सके जानू की जानी चाहिए। उत्तुक उत्तुक समिति को सनुक सहकारी समितियों की प्रगति करना कठिन होगा। वर्तीक पुराने नियार्य वाले प्राणान्त किसानों का उत्तुकित करने और उनके मानविक दाटकाण ना रिमूत करने के लिए आवश्यक मनोपैदानिक एवं शैक्षणिक योग्यता प्रदान करने तथा नव प्रयागों को उभ्यभूत में कठिनाई होगी। अत सहकारी सनुक इषि गीरे पारे द्वय उत्तुक की जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक सुग्रनामक एवं उक्कीकूल योग्यतायें प्राप्त कियाजाएं और मुलके हुए नेतृत्व की आवश्यकता होगी।

(३) जोत की अधिकतम सीमा—इसमें बर्तमान और भारी जोत की आविष्कातम सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए और विभिन्न राज्यों में १९५६ के अन्त तक कानून बना देना चाहिए। इस प्रकार जो भूमि शेष बचेगी वह पचासतों की होगी और भूमिहीन तथा जोत की अधिकतम सीमा से कम होने वाले किसानों की सहकारी समिति द्वारा उस पर खेती की जायगी।

(४) फसल के न्यूनतम मूल्य का निर्धारण—फसल बोने से काशी पहले फसल का निम्नतम मूल्य निश्चित कर देना। चाहिए ताकि किसान को अपनी उपज के बदले में उचित मूल्य का विश्वास हो जाये।

(५) बजर भूमि को कृषि योग्य बनाना—बजर भूमि को रेती के लिए उपयोगी बनाना चाहिए।

भूमि सुधार की प्रगति

भूमि सुधार के अन्तर्गत निम्न बातें उल्लेखनीय हैं :—

- (१) मध्यवर्ती लोगों का उन्मूलन;
- (२) काश्त सम्बन्धी सुधार,
- (३) जोतों का सीमा-निर्धारण,
- (४) जोतों की चक्रवर्ती,
- (५) सहकारी कृषि; तथा
- (६) भूदान।

मध्यवर्ती लोगों का उन्मूलन

कानून बनाने तथा मध्यवर्ती लोगों की भूमि हस्तगत कर लेने से सरनित अधिकारी कार्य तथा मध्यवर्ती लोगों के पूर्ण रूप से उन्मूलन का कार्य लगभग किया जा चुका है। भू स्वामियों तथा राज्य के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया है। कृषि भिन्न भूमि (वह भूमि जिस पर कृषि नहीं की जाती) तथा चन आदि हस्तगत कर लिए गये हैं और उसकी व्यवस्था का काम राज्य अथवा ग्राम पचासत जैसे स्थानीय संगठन प्रत्यक्ष रूप से करते हैं।

मध्यवर्ती लोगों के उन्मूलन का कार्यक्रम विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है।

काश्त सम्बन्धी सुधार

¹ योजना आयोग ने राज्यों से जो काश्त उम्मन्ही सुधार अपनाने की सिफारिश की, उसके मुख्य उद्देश्य हैं : (१) लगान में कमी करना, (२) पट्टे की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना, तथा (३) काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार देना। इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में काशी प्रगति हो चुकी है।

जोतों का सीमा-निर्धारण

प्रथम योजना में जोतों की सीमा निर्धारित करने का खिदान्त स्वीकार कर लिया गया था। इस कार्य के सम्बन्ध में आपश्यक ग्राउंडों का समष्ट करने के लिए जोतों तथा कृषि सम्बन्धी गणना करने का नुस्खा रखा गया। यह गणना अधिकाश राज्य में की गई। द्वितीय योजना में इस सिपारिश पर फिर से उल्लंघन दिया गया है कि जोतों की सीमा 'तीन पारिवारिक जोत' निर्धारित की जाय। इसके अतिरिक्त इसमें यह भी सिफारिश की गई है कि द्वितीय योजना काल म प्रत्येक राज्य म वर्तमान जोतों की सीमा निर्धारित कर दी जानी चाहिए।

सीमा निर्धारण दो प्रकार का होता है (क) भविष्य के लिए तथा (ख) वर्तमान जोतों का। निभ राज्य म भविष्य के लिए निर्धारित की गई जोतों की सीमा का घौरा दिया गया है।

	मैदानी ज़िले	
भूम प्रदेश	तेलगुना ज़ेन	५० एकड़
उत्तर प्रदेश		१२ से १८० एकड़
जम्मू तथा कश्मीर		१२२ एकड़
पञ्जाब		२२३ एकड़
पश्चिम बंगाल		३० स्टैएडर्ड एकड़
बंगल्लौ	बंगल्लौ ज़ेन (भूतपूर्व)	२५ एकड़
	मराठगांडा ज़ेन	१२ से ४८ एकड़
	विदर्भ तथा बंगल्लौ ज़ेन	१२ से १८० एकड़
		३ पारिवारिक जोत (ज़ेन का निश्चय न्यायादिकरण करेगा)
मध्य प्रदेश	सीरापुर ज़ेन	६० से १२० एकड़
	मध्य भारत ज़ेन	५० एकड़
	राजस्थान ज़ेन	३० से ६० एकड़ (भूमि की उपलब्धि अनुसार भिन्न भिन्न)
मैसूर	मैसूर ज़ेन	१२ से ४८ एकड़
	हैदराबाद ज़ेन	१२ से १८० एकड़
राजस्थान (अजमेर सहित)		३० तिचित एकड़ अथवा ६० त्र्यै एकड़
दिल्ली		३० स्टैएडर्ड एकड़

निम्न राज्यों में बर्तमान जोती पर कानून बनाये जा चुके हैं :

आडम	मैदानी जिले	५० एकड़
आध्र प्रदेश	तेलगाना ज़ेन	१८ से २३० एकड़
जम्मू तथा कश्मीर		२२३ एकड़
पंजाब	पेट्टू ज़ेन	३० रट्टेंडडॉ एकड़ (विस्थापित घन्कियाँ के समन्वय में ५० रट्टेंडडॉ एकड़)
पश्चिम बंगाल		२५ एकड़
बम्बई	मराठवाडा ज़ेन	१८ से २३० एकड़
मैसूर	विदर्भ तथा कच्छ, ज़ेन	६ पारिवारिक जोत
गुजरात	हैदराबाद ज़ेन	१८ से २३० एकड़
हिमाचल प्रदेश	अजमेर ज़ेन	५० एकड़ (मध्यवर्ती लोगों के समय में)
		चम्पा जिले में ३० एकड़
		तथा अन्य ज़ेनों में १२५ रुपये के मूल्य का ज़ेन

इसके अतिरिक्त आडम, आध्र प्रदेश, केरल, जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब के पेट्टू
ज़ेन, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा मैसूर में कई अन्य प्रकार की व्यवस्थाएँ भी की
गई हैं।

जोती की चकवन्दी

प्रथम तथा द्वितीय, दोनों योजनाओं में जोनों की चकवन्दी की आवश्यकता पर
काफी बल दिया गया है। योजना आयोग ने इसे बात की विभारिति की है कि जोनों
की चकवन्दी का कार्य सामुदायिक योजना कार्य-ज़ेनों में अवश्य किया जाना चाहिए।

प्रथम योजना काल में उत्तर प्रदेश में ४४ लाख एकड़ भूमि, पंजाब में ४८
लाख एकड़ भूमि, पेट्टू में १३ लाख एकड़ भूमि, मध्य प्रदेश में २६ लाख एकड़ भूमि
तथा बम्बई में २८ लाख एकड़ भूमि में चकवन्दी का कार्य किया गया। द्वितीय योजना
काल की तत्त्वजन्मी राज्यों योजनाओं के लिए ४५० करोड़ रुपये की व्यवस्था की
गई है। विभिन्न राज्यों में जोती की चकवन्दी के समन्वय में ३१ दिसम्बर, १९५७ तक
दूरी प्रयत्न अगले १५ तक तात्त्विक में दिया गई है।

जोतों की घटनवन्दी

राज्य, संघीय द्वेरा	१९५६-५७ के लिए अवस्था (लाइ रेट)	३१.१२.५७ तक हुआ कार्य (एकड़)	३१.१२.५७ को आधी करने • (एकड़)
ग्राम	१४.२५	—	—
आनंद प्रदेश	२०.५३	—	१,६२,३८९
उडीसा	५.००	७३	—
उत्तर प्रदेश	*	१३,६८,५६२	२७,३५,१२६
पंजाब	१७२.००	८२,८०,८७४	५६,१७,४३८
पश्चिम प्रगाल	१४.२५	—	—
बम्बई	७६.३६	१२,६५,२७२	११,३६,५४२
झिहार	१८.६७	—	२,५५,८८५
मद्रास	१९.५०	—	—
मध्य प्रदेश	५.८२५	२६,६५,४३५	२,१६,६४२
मिस्र	१४.५३	३,८८,३३८	६,५१,११०
राजस्थान	३२.५०	२१,०००	३,६२,११६
दिल्ली	२.८५	२,०१,८३६	—
पारिष्ठान्चेरी	०.२०	—	—
मणिपुर	०.८६	—	—
हिमाचल प्रदेश	६.५०	२१,७६२	१६,१०८

सेतों का बैटवारा तथा टुकड़े होना

भू सम्पत्ति के उत्तराधिकार सम्बन्धी कानूनों के फलस्वरूप गेतों के बैटवारे ऐसे उनके टुकड़े इतने अधिक होते गये कि आज हपि उत्तरादन बहुत ही गिरी अवस्था में है। भारत सरकार की नीति इस प्रवृत्ति को रोकने की है।

१५. राज्यों में सेतों का बैटवारे को तथा उनके टुकड़े होने से रोकने के लिए कानूनी कार्यालयी ही गई। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न राज्यों में इस सम्बन्ध में अन्य उपायों पर भी अमल किया गया।

जोत के आंकड़े

२२ राज्यों में हृषि-भूमि तथा ज्ञात सम्बन्धी गणना की जा चुकी है। गणना के सम्बन्धी परिणाम झिहार को द्योषकर अन्य सभी राज्यों के सम्बन्ध में उपलब्ध हैं।

बच्चन दी जा कार्यक्रम योजना में सम्मिलित नहीं था। अब इसे वार्षिक योजना नामों में सम्मिलित किया जा रहा है।

सहकारी कृषि

भूमि समस्या को केवल सहकारी माम व्यवस्था द्वारा ही हल किया जा सकता है क्योंकि प्रथम तथा द्वितीय योजनाओं में चलाया गया था। प्रथम योजना में यह कहा गया था कि छोटे तथा मध्यम श्रेणी के किसान सहकारी कृषि के माध्यम से ही ऐसे खर्ता की व्यवस्था कर सकते हैं और तभी भूमि की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, इसी में अधिक पूँजा लगाना तथा वैश्वानिक अनुस भानों का पूरा पूरा उपयोग करना सम्भव हो सकता है। इस ग्रंथिये में लगभग सभी राज्यों ने सहकारी कृषि समितियों की स्थापना के लिए सहायक कानून तथा उनकी सहायता के लिए नियम घोषिये।

द्वितीय योजनाकाल में सहकारी कृषि के विकास के लिए सुदृढ़ आधार भूमि तैयार करने के काम की प्रधानता दी गई है।

'राष्ट्रीय विकास परिषद्' का स्थायी समिति ने सितम्बर, १९५७ में सहकारी कृषि के कार्यक्रम पर विचार किया और शेष द्वितीय योजनाकाल में ३,००० खेती में सहकारी कृषि का परीक्षण करने का निर्णय किया।

दिसम्बर, १९५८ के अन्त में देश में २०२० सहकारी कृषि समितियां थीं।

भूदान

भूदान श्रथवा स्वैच्छिक भूमिदान आदोलन का प्रेरणा देने का अव आचार्य विनाना भाव कहते हैं। आदोलन के उद्देश्य के विषय में बतलान हुए आचार्य विनाना भाव कहते हैं "नाम और समानता के छिद्रात पर आधारित समाज में भूमि सभकी हानी चाहिए। इसलिए, हम भूमि की भिज्ञ नहीं मान रहे बल्कि उन गरीबों का हिस्ता मान रहे हैं जो भूमि प्राप्त करने के सच्चे अधिकारी हैं।" इस आदोलन का सुरक्षा उद्देश्य विना किसी तून दरावी के देश में सामाजिक और अधिक दुर्बलता का दूर बेरना है।

व्यापक रूप में भूदान आदोलन का अथ, लोगों से भूमिहान व्यक्तियों में बोटने के लिए उनकी अपनी भूमि के १/२ मांग का स्वच्छा ए दान करने का अनुरोध करना है। कृषि भिज्ञ ज्ञान में यह आदोलन सम्पत्तिदान, सुदिदान, जागनदान, साधन दान तथा गृहदान का रूप ले लेता है। इस आदोलन का लदन ५ करोड़ एकड़ भूमि प्राप्त करने का है जिसके प्रयोक्ता माम से परिवार को उपरि के लिए प्राप्त भूमि प्राप्त हो सके। इसने अब सामदान का व्यापक रूप प्रहरण कर लिया है।

नारत में कृषि भजदूर

(The Agricultural Labour in India)

कृषि प्रधान देश भारत अपना उत्तरी वा धेय कृषि का हा मानता है। भरा का शान्तीन वैभव दरने कृषि और उत्पादनित उत्पादन पर हा अवर्जना गत था।

क्योंने* के शब्दों में 'गरीब किशान, गरीब राजा, गरीब देश' आब भारत के लिए चर्चेणा उपयुक्त है। भारत में ग्राज़ किशान को न भरपेट रोटी का डिकाना है न तन ढकने के लिए रम्ना करदा। उसे यह भी पता नहीं था कि सामाजिक सुविधाएँ क्या होती हैं! उसके पास न निजी घर वे और न सेती करने के लिए साधन ही। हमारे देश की सामाजिक अर्थ व्यवस्था बिगड़ने का प्रयान करता था हमारे देश के किशानों का निधन एवं निरक्षर होता। जहाँ के किशानों की इस प्रकार की दयनीय दशा हो चहों पर सेतिहर मजदूरों की दशा इस होगी वह एक नियारथीय प्रियतम जाता है।

उच्च पूळा जाय तो भारत का सेतिहर मजदूर और किशान अपनी सौंदी को आहों के रूप में निकालता था और वह उसी के सुखान के लिए जीवित रहता था। उसे न तो अपने जीवन से प्रेम रद्द जाता था न मातृभूमि से ममता और अपने परिवार से खेल उसे कोई दूर रहता था। उसका जीवन सदैव निराशामय और चिंताप्रलृप थीता रहता था। उसके परिवार के सदस्य सदैव नगे और भूखे रह कर अपना जीवन व्याप्ति कर देते थे।

सन् १९५०-५१ की कृषि-मजदूर सम्बन्धी रिपोर्ट

यह रिपोर्ट वेन्ट्रीय थम उचिवालय ने प्रकाशित की थी। इसमें हमि मजदूरों के विषय में जाँच की, पर देश की समूर्ण जाँच न हो पाई ज्योंकि भारत एक विशाल देश है तथा यहाँ पर सेतिहर मजदूर भी पैले हुए हैं। न वे एक स्थान पर रहते हैं और न उनका कोई संगठन ही है जिससे सही आँकड़े बाने जा सकें अद्यएन वही और पूर्ण जाँच होना असम्भव हो जाता है। अतएव नमूने के रूप में समूर्ण देश के ८१२ गांव लिए गये थे जिसम १,०३,५८८ व्यक्ति रहते थे जिसमें ७६.८% परिवार सेती पर ही निर्भर थे। ३०.४% इनमें सेतिहर मजदूर हैं। इनके आवे अर्थात् १५.२% अकिलों के पास अपनी निजी दुक्छ भूमि है और सेप १५.२% लोगों के पास अपनी निजी कोई भूमि नहीं है।

विलृत जाँच के अनुसार यह कहा जा सकता है कि भारत में ५.८० लाख परिवार हैं जिसमें ऐ १७६ लाख परिवार सेतिहर मजदूर हैं और इनके आवे अर्थात् ८८ लाख परिवारों के पास दुक्छ निजी भूमि है और उच्चर्याप ८८ लाख परिवारों के पास निजी भूमि के नाम पर रहता है।

उत्तरोक उम्मा वो ३०% नवलाई गई है उसका नियतेष्य करने से शर्त होता है कि १५.४% अस्थायी एवं आक्षिक हमि मजदूर हैं और ४.६% स्थायी

*Quesnay, The Physiocratic Leader.

मजदूर हैं। इनके परिवारों में लगभग ४७ व्यक्ति प्रति परिवार पाये जाते हैं। इनमें से प्रत्येक परिवार में २४ व्यक्ति काम घन्धों में लगे हुए हैं तथा अन्य आवृत्ति हैं। २१% मजदूर ऐसे भी हैं जो सहायक उद्योग घन्धों से भी कुछ शाय प्राप्त कर लेते हैं। इन अभिकों ने पास औरतन निजी भूमि २६ एकड़ है, जो बहुत ही कम है।

वृषि-मजदूरों की प्रति परिवार और सर्व व्यार्थिक शाय ४४७ रुपए और प्रति व्यक्ति और सर्व शाय १०४ रुपए थी। वय में औरतन केवल २१८ दिन काम के होते थे १६६ दिन इसी सम्बन्धों कार्य म और शेष २६ दिन और कार्यों में। इस प्रकार वय में ७ महीने मजदूरी देकर वृषि होती थी। लगभग १५३ प्रतिशत वृषि मजदूर भू स्वामियों के साथ सम्बद्ध थे और वे उनके लिए औरतन ३२६ दिन काम करते थे, जब कि शूक्रियिक रूप से कार्य करने वाले वृषि मजदूरों को वय के २०० दिनों में ही काम रहता था। वृषि मजदूरों की स्थिति में सुधार करने की समस्या दरिद्रता उन्नीलन की एक मूलभूत समस्या है।

१ इन वृषि अभिकों के चूल्हे को गरम रखने के लिए यह आवश्यक है कि बेरोज़-गारी एवं अर्थरोज़गारी को दूर कर अमूल्य समय का सुदृश्योग किया जाय। इस समय के सुदृश्योग के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं :—

(१) लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाय, और ऐसी योजना बनाना चाहिए जिससे प्रत्येक अभिक लाभ उठा सके।

(२) शिश्व सम्बन्धी व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए जिससे बच्चे, वयस्क एवं वृद्धि सभी लाभान्वित हों।

(३) कृषि मजदूरों को अपना नेतृत्व दूसरे व्यक्तियों के हाथ में न सौंप कर उच्च उत्तराधिकारी समितियों को निर्माण किया जाय जिससे अभिक आर्थिक एवं सामाजिक सहायता पा सके तथा उसमें भाईचारे की भावना की जायति हो।

(४) अम सहकारी समितियों का निर्माण किया जाय जिससे अभिक आर्थिक एवं सामाजिक सहायता पा सके तथा उपर्युक्त उत्तराधिकारी समितियों की जायति हो।

(५) तानिक प्रशिक्षण के लिए वेन्ड्रों की स्थापना की जाय और उनको (अभिकों को) इन वेन्ड्रों से समय समय पर सहायता मिलती रहनी चाहिए।

अभिकों की दशा सुधारने के लिए किये गये उपाय—ऐसी स्थिति में जब कि भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग दास बना हुआ है सरकार इनकी रिप्रेटेशन को खम्भाले दिना देश की आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था समाजशादी टग पर नहीं बना सकती है। अर्थात् इस प्रकार के सभी कार्य सरकार के उत्तरदायित्वे समिलित हो गये हैं और जनप्रिय सरकार इनको जनता की भलाई के लिए करना अपना धर्म समझती है। अभिक भी अब न तो मौन है और न उत्तरा अज्ञानी ही है कि वह अपना सर मुकाबे सब कुछ मुनता रहे। अब यदि उसका शोषण किया गया

तो देश म आपसी कलह उत्पन्न हो जायगी और विद्रोह की भावना जागत हो जायगी। इन शामिकों का अन्युदय विटिंग शासन काल से हुआ था और वह दायरा ग्रेडों के साथ साथ चली भी गई। अब कानून के द्वारा शमिकों की सुरक्षा के लिए काय विक्रम पर प्रतिरक्ष लगा दिया गया है। उनको न तो कोई परीद ही सकता है और न केवल ही सकता है। किंतु भी वर्ग प्रथा के पूर्णत समाप्त न होने व कारण से जमादार का उच्छ्र काम जैसे मुनि या पालना, तथा अब पालने जानपरी की सेवा मुफ्त म ही करनी पड़ती है। पर उन्होंने पर जमादारी समाप्त हो चुकी है जैसे उत्तर प्रदेश वहाँ मीठा ऐसी स्थिति नहीं रही है। वहाँ अब इन मजदूरों को इस काय के लिए भी पेसा दिया जाने लगा है। अब शास्त्री म अर्ध सामन्त प्रथा जो सदियों से चला आ रही थी उसका अन्त हो गया है। शमिकों की दशा मुख्याने के लिए जो अब उपाय किये जा रहे हैं उनका विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है—

(१) श्रमिक महाराखिता—मजदूरों व हित के लिए योजना आयाग ने मुभाव प्रखुत किया है कि सिवाई सहकारिता, इषि एवं घन विभाग तथा राज्य के अन्य विभागों से इषि शमिकों के लिए सहकारी समितियों का संगठन किया जाय। इस संगठन के द्वारा सामाजिक कल्याण होने की सम्भावना पाइ जाती है।

(२) भूदान यज्ञ—विनाग्रा भाव द्वारा प्रसारित भूदान यज्ञ न इबल भारत व लिए वरन् विश्व के लिए एक ग्रादर्श है। इसमें भूमिपतियों से जिनक पास ग्रावरेक्ता से अधिक भूमि है उनसे प्राप्तना करके उच्छ्र भूमि मार्गी गई है और जो भूमि प्राप्त हो जाती है उसको उन वक्तियों में बाट दिया जाता है जिनक पास भूमि नहीं होती है पर भूमि पर व बठिन परिमाण कर उठत हैं। विहार व राज्यों के यज्ञों को इस द्वारा में धेय प्राप्त है कि उन्होंने १,०२,००१ एकड़ भूमिदान मदे दी। यह आदीनन सन् १९५३ में हैदराबाद के तेलगुना नामक जिले से प्रारम्भ हुआ था तथा इसका लद्दन १९५७ तक ५ एकड़ एकड़ भूमि दान म प्राप्त कर सेने का लद्दर था। अनुमान ये द्वारा यह कहा जा सकता है कि १९५६ तक इबल ४० लाख एकड़ भूमि हा एकन हा पार है। इससे सामाजिक तथा राजनीतिक दोनों ही क्षेत्र की समितियों प्रभास्त हुइ है। इससे मुख्य मुख्य निम्नलिखित लाभ है—

(१) इससे द्वारा आपस म सद्भागना पर सहकारिता का विकास होगा है।

(२) इससे व्याग की मामना चढ़ती है जैसे इससे द्वारा भूमिदान, ग्रामदान, सम्पत्तिदान, अमदान, बुद्धिदान आदि सभी एकन किय जाते हैं।

(३) इससे द्वारा यह विद्रोह की मामना नहीं बढ़गी तथा सद्व मैत्र की भावना बनाये रखने का प्रयास किया जा रहा है।

(४) इससे बकारों की समस्या दूर की जा सकती है।

(अ) भूमिहीन किसानों को भूमि मिल जाती है।

(ब) खेती के अयोग्य भूमि पर ट्रैकटरों द्वाया तथा अन्य औजारों की सहायता से उसे खेती योग्य बनाया जाता है।

(स) इष्टि से सम्बन्ध रखने वाले उद्योगों को गाँवों में ही खोलने का प्रयास किया जा रहा है।

(द) उचित में विकास करने के लिए नई योजनाएँ तैयार की जा रही हैं जिसमें श्रमिकों को कार्य मिल जायगा।

(य) इष्टि एवं इष्टि सम्बन्धित उद्योगों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र भी खोले गये हैं।

(र) इसमें उद्योग प्रादेशिक स्वायत्तंत्र के आधार पर खोले गये हैं जिसमें श्रमिकों का बेकार समय इन उद्योगों में जा सके।

(३) इन (इष्टि श्रमिकों) का आपना जीवन स्तर उठाने के लिए कहीं कहीं प्रौढ़ पृथग्याला खोले गये हैं तथा इनके बच्चों को स्कूल में बिना किसी भेदभाव के मुफ्त शिक्षा देने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। सहायता के रूप में उनको नि.गुल्क शिक्षा, विद्यार्थी हितकारी कोष से निश्चित धन तथा पुस्तकें मुफ्त में प्राप्त होती हैं जिसमें इनको शिक्षा के द्वेष में कुछ भी ध्यय नहीं करना पड़ता है। इससे श्रमिकों की दृष्टि द्रष्टा, उनका पिछड़ापन तथा उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार किया जा रहा है।

(३) सामुदायिक विकास योजनाएँ—हरिजनों एवं इष्टि मजदूरों की दशा संभालने के लिए २ अक्टूबर १९५२ से ५५५ सामुदायिक विकास योजनाओं ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था तथा २ अक्टूबर १९५३ से राष्ट्रीय वित्तार सेवाएँ भी प्रदान की जाने लगी। इनकी स्थापना श्रमिकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया है। इनके द्वारा वे सभी काम किये जाते हैं जिनसे श्रमिकों का कल्याण हो सके। प्रथम पौनवर्षीय योजना में ७ करोड़ जनसख्त्य की भलाई के लिए १२०० विकास योजनाएँ कार्य प्रारम्भ किया था जिनके कार्य करने का द्वेष १,२०,००० गाँव थे।

द्वितीय पौनवर्षीय योजना में यह सम्पूर्ण गाँवों पर लागू करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा इय योजना में ५१० करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। इन विकास योजनों के द्वारा जनता की सर्वाङ्गीण उन्नति की जायगी।

(४) इष्टि में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण—इष्टि मजदूरों की दशा सुधारने तथा उनके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने ‘न्यूनतम मजदूरी अधिनियम १९४८’ पार किया है। इस अधिनियम वे अन्तर्गत भारत के विभिन्न राज्यों में इष्टि मजदूरों के पारिश्रमिक की न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई है। ये राज्य हैं—वेरल, उडीसा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और त्रिपुरा। इसके अतिरिक्त, असम, आनंद प्रदेश, बंगाल, हिमा-

चल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मैसूर एवं पश्चिमी बगाल के कुछ छेत्रों में भी न्यूनतम समरूपी अधिनियम लागू किया गया है।

सन् १९५६-५७ में लागभग ३,६०० ग्रामों में सन् १९५१ की जांच के आधार पर ही 'द्वितीय अखिल भारतीय हिपि अमिक जांच' (Second All India Agricultural Labour Enquiry) पथम व्यवस्थीय योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये कार्यक्रमों के विकास के प्रभाव को अधिकतर लिए की गई थी। अमी तक इस जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रशायित नहीं की है।*

प्रश्न

1. Describe the different forms of land tenures in India. What are their defects? Briefly examine the effects of the abolition of Zamindari on the economic status of the peasantry

(Agra, 1947, 1949)

2. Which system of land tenure will in your opinion, bring about greater social justice and higher efficiency of agriculture in India? Give reasons in support of your answer (Rajasthan, 1954)

3. Argue the case for and against the fixation of a ceiling on agricultural holdings in India (Delhi, 1954)

4. Distinguish between Zamindari and Ryotwari systems. Point out the defects of each. Examine the effects of abolition of permanent settlement on the state revenues and the economic status of the peasantry (Agra, 1948, Rajasthan 1948)

5. Discuss the land policy of the Government of India since Independence

अध्याय १०

भारत में सिंचाई

(Irrigation in India)

हमि प्रधान देश में सिंचाई का महत्व रखती है इस पर अधिक बल देने की आवश्यकता नहीं है। भारत के आर्थिक दाँचे की दुर्बलताएँ कभी भी इतनी स्पष्ट नहीं हुई थीं जितनी द्वितीय विश्वयुद्ध के तुरन्त पश्चात् दिखाई पड़ीं। देश के विभाजन से स्थिति और भी गम्भीर हो गई। राष्ट्रीय सरकार के सामने उस समय अनेक समस्याएँ थीं जिनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण अन्न उत्पादन की समस्या थी। इसके पश्चात् विद्युत शक्ति के उत्पादन का प्रश्न या जो उद्योग बन्धों के विकास के लिए अनिवार्य थी। भारत के पास विशाल जल साधन हैं, जो परिमाण में १३ हजार लाख एकड़ कुट छेत्र के बराबर हैं, परन्तु उसमें से तु ही प्रयुक्त हो रहा है। भारत में सिंचाई तो बहुत ग्रामीण काल से हो रही है परन्तु जल और विद्युत साधनों का योजनाबद्ध निकास स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ही आरम्भ हुआ। यदि हमारी राष्ट्रीय सरकार की प्रथम पचवर्षीय योजना देश की जल शक्ति पे योजनाबद्ध विकास का प्रतिनिधित्व करती है तो द्वितीय योजना ने उस कार्य को आगे बढ़ाया है।

सिंचाई का अर्थ

साधारण रूप से हमि के लिए जल सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति वर्षा से होती है परन्तु यदि वर्षा के अभाव में इत्रिम साधनों जैसे नदी, तालाब कुओं और नहरों से पानी पहुँचाने की व्यवस्था की जाती है तो इसको सिंचाई कहते हैं। दूसरे शब्दों में मूलि में नमी कम हो जाने पर फसल को सूखने से बचाने के लिए जो पानी धारी साधनों द्वारा पाठों को दिया जाता है, उसे सिंचाई कहते हैं। भारत जैसे विशाल और हमि प्रधान देश में जहाँ बहुत से क्षेत्रों में वर्षा का नियान्त्रण अभाव है अथवा जहाँ वर्षा अनियमित ग्रीष्म अनिश्चित होती है, वहाँ सिंचाई के इत्रिम साधनों का अवलम्बन लेना ही आवश्यक होता है।

सिंचाई का महत्व

प्रत्येक किसान सिंचाई का महत्व मली भाँति जानता है और बहुत सी कठिनाइयों का सामना करके भी किसान पाला पढ़ने वाले मीरुम में भी रात भर ठढ़ खाकर और परिश्रम करके अपनी फसलों को सूखने से बचाता है। सिंचाई की आवश्यकता किन्हीं

किन्हीं फसलों में अधिक तथा किन्हीं किन्हीं में कम पड़ती है और मौसम के आधार पर भी फसलों में कम या अधिक पानी देना पड़ता है। अतएव हरि में सिंचाई का एक नहुन बड़ा स्थान है।

भारतवर्ष में वर्षा के मानचित्र को देखने से शात होता है कि देश के दुष्क्रम मास जैसे अरटम और हिमा तथा की तराई में कहुत अधिक वर्षा—१००" से ३००" तक—होती है और दुष्क्रम मासों जैसे यज्ञपूर्णाना और पजाव में नाम मात्र को ही वर्षा होती है। देश के अन्य भागों में वार्षिक वर्षा ३०" से ४०" के ग्रीन में होती है।

मौसम के आधार पर तथा फसलों के अपने गुणों के अनुसार भिन्न भिन्न फसलों के लिए भिन्न भिन्न मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, परन्तु यह मात्रा किसी एक फसल के लिए कभी एक नहीं रहती। जलवायु और भूमि की बनावट के अनुसार पानी की आवश्यकता पटती अथवा चढ़ती रहती है और हरि सम्बन्धी कार्यों के लिए फसल भर तक (Crop season) पानी की आवश्यकता होती है, जब कि अभाववश मारुदर्बर्ष में वर्षा बेबल सामयिक (seasonal) होती है।


वैज्ञानिकों का कहना है कि फसल के मौसम में हरि सम्बन्धी कार्यों के लिए और उत्तर ४०° जल की आवश्यकता होती है।

स्पष्टीकरण के विचार से निम्नलिखित तालिका में हम दुष्क्रम फसलों के लिए पानी की आवश्यकता की मात्रा देते हैं जिससे किस फसल को कितना पानी आवश्यक है इसका अनुमान लग सकेगा —

फसल का नाम	पानी की मात्रा (वर्षा के अतिरिक्त एकड़ हजारों में)
------------	--

घान	३७
ज्वार	१०
मक्का	१५
गहू	८
जी	६
बड़	८
मटर	६
चना (यदि आवश्यक हो)	३
गन्ना	५०
आलू	३०

अतः उन सर द्वेषों में जहाँ वर्षा का उपलब्धि पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है वहाँ सिंचाई अपरिद्वार्य हो जाती है।



चित्र ५

भारतीय वर्षा की चार मुख्य विशेषताएँ हैं :—

- (१) वर्षा का असमान वितरण;
- (२) वर्षा का अनियमित वितरण;
- (३) वर्षा का अमाव अथवा अनावृष्टि; तथा
- (४) सूर्य की अधिकता अथवा अतिवृष्टि।

अंग्रेज विशेषाग्रों के कारण सर चालस ट्रैवीलियन ने कहा है कि “भारत-वर्ष में सिंचाई ही सब कुछ है। पानी भूमि से मूल्यवान है, क्योंकि जब भूमि पर जल पड़ता है तो उपज शक्ति में कम से कम छः गुनी वृद्धि होती है और वह भूमि भी उपजाऊ हो जाती है, जो बजर थी, अतः भारत में सिंचाई सब कुछ है।” श्री नेविल्स ने तो यहाँ तक कहा है कि “सिंचाई के कार्यों ने जीवन की रक्षा का प्रबन्ध किया है, क्योंकि भूमि की उपज, उसके मूल्य तथा उससे प्राप्त आय में वृद्धि हुई है। अतः दुर्भिक्ष के समय में इस सहायता की अति आवश्यकता पड़ती है और यह समूर्ख देशों को संभव बनाने में सहायता हुए है।”

सिंचाई का महत्व केवल कृषि और कृषक तक ही केन्द्रित नहीं है चलिक देश की समूर्ख अर्थ-व्यवस्था के विकास, व्यापार में उन्नति, उत्पादन में वृद्धि, उद्योगों का विस्तार, सरकारी आय में वृद्धि तथा सर्व राष्ट्राण्य के द्वान सहन को प्रभावित करता है।

जल की पूर्ति (Availability of Water)—सिंचाई के लिए जल की

पूर्वि तीन साधनों से होती है :—(१) प्राहृतिक नदियों और स्रोतों से प्रायद्व रूप में, (२) बाढ़ अथवा वर्षा के पानी को एकत्रित करके तथा (३) भूमि के नीचे संचित बल से। भारतवर्ष में ये तीनों ही साधन उपलब्ध हैं।

भारतवर्ष में प्रति वर्ष ७ करोड़ एकड़ भूमि से अधिक की सिंचाई की जाती है। इष्टि-प्रधान देश होने के कारण यहाँ पर साधार का सबसे अधिक गिरिल नू-भाग है। यह नू-भाग सयुक्त राज्य अमेरिका के सिंचित भाग का दुगना है। भारतवर्ष में सिंचाई अति प्राचीन काल से की जाती रही है। प्रारम्भिक सिंचाई कुआँ, तालाबों, नहरों तथा स्रोतों को काटकर की जाती थी।

सिंचाई के साधनों का विभाजन

१. सिंचाई के साधनों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है : (१) उत्पादक और (२) अनुत्पादक अथवा रखात्मक। उत्पादक साधनों से उत्पर्य वह है कि उनके द्वारा इतनी आय प्राप्त हो जाती है कि जिससे पैंजीगत व्यय पर न्याज, कर्म शील खर्च तथा कर वद्ध करने के उच्चे आवासी से प्राप्त हो जाते हैं। इस वर्ग में आने वाली योजनाओं की अर्थ-व्यवस्था सार्वजनिक मूर्शों के द्वारा की जा सकती है क्योंकि इससे सार्वजनिक अर्थ व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। द्वितीय वर्ग के अन्तर्गत वे योजनाएँ आती हैं जिनसे देवल इतनी आम प्राप्त होती है जिससे लगाई गई पैंजी का न्याज निकल आये।

सिंचाई के लाभ

(१) अकाल के विरुद्ध सुरक्षा—अनागृहि अथवा अपर्याप्त वर्षा होने की दशा में सिंचाई का मुख्य कार्य उठ क्षेत्र की अकाल के विरुद्ध रक्षा करना होता है। सिंचाई की योजनाओं के निम्नोंग के समय अभ्यर्थ लोगों को कार्य मिलता है जिससे उनकी क्रय यक्ति घटती है। योजनाओं ये समाप्त हो जाने पर सिंचाई कार्यों की छह यता से लोगों को साधारण और चारे की फलते प्राप्त होती है।

(२) भूमि के मूल्य में वृद्धि—सिंचाई की योजनाओं का ग्रास वाले क्षेत्रों का बाबार मूल्य पहले की अप्रेक्षा अधिक गढ़ जाता है क्योंकि अब उस स्थान को उपर राम्बन्धी अधिक सुविधाएँ उपलब्ध हो जाती हैं।

(३) सिंचाई वाले स्थान का स्तर (level) पहले की अप्रेक्षा ऊँचा हो जाता है।

(४) मनुष्यों और जानवरों को नहाने और पीने के लिए पानी की मुदियों उपलब्ध हो जाती है।

(५) सिंचाई की सहायता से बागान समल जाते हैं और भूमि की नमी न जाती है।

(६) यज्ञों की आगमनों में वृद्धि हो जाती है।

(७) शाढ़ नियन्त्रण तथा शक्ति उत्पादन में सहायता मिलती है।

(८) यदि सिचाई की योजनाएँ व्युत्तरोपयोगी होती हैं तो उससे अनेक लाभ प्राप्त होते हैं।

उपरोक्त लाभों से प्रभावित होकर हमारी सरकार ने सिचाई विकास की ओर विशेष ध्यान दिया है जैसा कि निम्न तालिका से ज्ञात होगा—

(मिलियन में)


वर्ष	जनसंख्या	बोर्ड गार्ड भूमि (एकड़)	सिंचित चेत्र (एकड़)	कुल पार्श्व चेत्र (एकड़)
१९००	२३६	२०२	२६	१५०
१९५१	३६२	३००	५१	२४०
१९७१ (अनुमानित)	४००	३१५	१५०	पूर्ण विकास

भारत में सिचाई के विभिन्न साधन

भारतवर्ष में सिचाई के ग्रहन से साधन हैं, जिनसे सिचाई के लिए किसानों को पानी मिलता है, जैसे—

- (१) कुआँ,
- (२) नल कूप (Tube well),
- (३) नदर,
- (४) नदी,
- (५) वालाय अथवा भील, तथा
- (६) भरना।

ऐसा अनुमान है कि उपरोक्त विभिन्न साधनों द्वारा भारत के कुल इष्ट योग्य चेत्रफल का केवल २०% चेत्रफल ही लाभान्वित होता है और शेष ८०% चेत्रफल के लिए सिचाई का कोई साधन नहीं है। उन् १९५८-५९ में विभिन्न सिचाई के साधनों द्वारा सिंचित भूमि का चेत्रफल और उनका तुलनात्मक प्रतिशत अगले छठे पर दी गई तालिका में दर्शाया गया है—



विच ६— सिंचाई

सिंचाई के साधन	विचित्र चेत्रफल (हजार एकड़ में)
नदीरें :	
सरवारी	१६,८३८
निवी	३,३६०
तालोवा	१०,८८४
कुरु	१६,६४३
अन्य साधन	५,४४४
योग	५६,१६३

आगे हम सिंचाई के मधुल साधनों का विविध वर्णन करेंगे।

कुश्रो द्वारा सिंचाई

सिंचाई के व्यक्तिगत साधनों में कुश्रो का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतवर्ष में यह अति प्राचीन काल से अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं श्रद्धि प्रचलित साधन रहा है। देश में जहाँ कहीं भी अनुबूल भौगोलिक दशाएँ विद्यमान हैं वहाँ कुएँ पाये जाते हैं। भारत वर्ष में कुल सिंचित ज्वेनस्ल का लगभग २६% भाग कुश्रो द्वारा ही सिंचा जाता है। ऐसे तो यह देश के लगभग प्रत्येक भाग में पाये जाते हैं परन्तु यह विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास, और बंगलुरु राज्य में पाये जाते हैं। उत्तर प्रदेश में ११ लाख से अधिक कुएँ काम में लाये जाते हैं। इसके बाद मद्रास का नम्बर आता है जहाँ ६२ लाख कुएँ पाये जाते हैं। पंजाब, बंगलुरु, मध्य प्रदेश और राजपूताना क्षमता इसके बाद आते हैं। कुश्रो को दो भागों में विभा जत किया जा सकता है—साधारण कुएँ और नल कूप।

साधारण तुप—साधारण तुप एवं कन्दे और पकड़ दोनों ही प्रकार क होते हैं। इन कुश्रों की बनावट, गहराइ और पानी की मात्रा भौगोलिक परिस्थितियों पर निभर होती है। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के कुश्रों की सख्त्य अपेक्षा सभी राज्यों की अपक्षा सबसे अधिक है। दक्षिणी भारत में पथरीली भूमि होने के कारण कुश्रों की सख्त्या महत्व कम है। १९४५ के अकाल जॉन श्रूयोग ने कुश्रों की महत्ता को स्वीकार करते हुए लिखा है कि “कुएँ सिंचाई उ सर्वांतम महत्व के साधन हैं और यदि सिंचित ज्वेन्स्ल में अधिकतम वृद्धि करनी है, तो व्यक्तिगत कुश्रों की सरका में प्रयोग्यता उसका अनिवार्य है।”

नल कूप—नल कूप के निर्माण ने सिंचाई पद्धति उ इतिहास में एक महत्व पूर्ण अध्याय जाह दिया है। एक नल कूप ६० फुट से लेकर ५०० फुट तक गहरा होता है। इसकी क्षमता ३३००० गीलन पानी प्रति घण्टा दानने की होती है। इसके लगभग ५०० एकड़ भूमि की उत्ताइ हा सकती है।

सर्व प्रथम सन् १९४८ में भारत सरकार ने नल कूपों के विषय में दो अमरका विशेषज्ञों को सलाह उ लिए बुलाया था। उत्तर प्रदेश तथा बिहार में ऐसे कुश्रों का निर्माण सन् १९३० से प्रारम्भ तो गया था और १९५० तक लगभग २५०० कुएँ बन चुके थे। अमरीकी विशेषज्ञों ने उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पंजाब में नल कूपों के विकास की भारी योजनाएँ बनाई। प्रथम एक्वरीय योजना में ४८८० नल कूप तथा द्वितीय एक्वरीय योजना में ३५८१ नल कूप बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इस समय यह नल कूप पंजाब, बंगलुरु, बिहार, मद्रास, उत्तर प्रदेश, द्रावनकोर कोचीन तथा मध्य प्रदेश में काफी सरका में पाये जाते हैं।

कुश्रो से लाभ

(१) पानी के व्यय में मित्र्ययता—विभिन्न गहराइयों से पानी निकालने

में होने वाले परिश्रम से बचने के लिए किसान स्वभावतः पानी व्यर्थ नष्ट करने में सकोन करता है। पानी निकालने में लागत भी अधिक लगती है, अतः इस पानी का उपयोग नेहरु लाभदायक फलों में ही किया जाता है। इस प्रकार पानी के व्यय की लागत कम हो जाती है और परिश्रम की बचत होती है।

(२) कुएँ का पानी धात्विक दण्डिकोण से अधिक गुणकारी होता है क्योंकि इसमें सोडा, नाइट्रोट, क्लोरोइंह तथा सल्फेट मिले होते हैं जो कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं।

(३) आवश्यकतानुसार पानी का उपयोग होने के कारण पानी के बढ़ने (water-logging) का भी मरण नहीं रहता जैसा कि नहरों, तालाबों और भीलों से सम्भव है।

(४) कुआँ के निर्माण में न तो अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है और न तो तापिक योग्यता की।

(५) भारतवर्ष की भौगोलिक परिस्थितियाँ के अनुसार भी कुआँ का निर्माण ही अधिक हितकर है। ग्रामिण भूमि तराई की एवं रोपी है जिसमें कि ब्रह्मांड, पानी सुविधापूर्वक सञ्चित हो जाता है।

(६) नल इय आवश्यक कुआँ की अपेक्षा मितव्ययी, दीर्घजीवी होते हैं। इनका संरक्षण लाभ यह है कि ये मानवीय और पाशांकिक परिवेश को चिलकुल नुकसार दे देते हैं।

कुआँ से सिंचाई करने में कठिनाईयाँ

(१) कुआँ द्वारा सिंचाई करने में धन और परिश्रम दोनों ही अधिक लगते हैं। यद्यपि प्राथम में धन और परिश्रम का विनियोग कम मात्रा में होता है परन्तु कालान्तर में उन्होंने भी भरपूर, सकाई और जुनिर्माण पर जो व्यय और परिश्रम होता है वह अनाधिक होता है।

(२) अनावृट अर्थात् वर्ष के अभाव वाले वर्ष जब कि पानी की अधिक आवश्यकता होती है तुर्हे प्रायः गूँज जाता करते हैं। यही नहीं तिसन्तर पानी के सिंचाई से भी कुएँ प्रायः गूँज जाते हैं।

(३) कुएँ का पानी अक्षर जारा होता है जो कि पौधों के लिए हानिकारक होता है।

(४) नदियों एवं झरनों की अपेक्षा कुएँ के पानी में धात्विक मिथखों की कमी होती है क्योंकि ये एक ही स्थान पर बेनित होते हैं।

(५) कुआँ के द्वारा नियन्त्रित चैनों पर ही सिंचाई हो सकती है। इसके नियन्त्रित नदियों, नहरों और झरनों से भी अपेक्षाकृत अधिक चिलकुल चुंबों में सिंचाई हो सकती है।

(६) भारत के कुछ भू-खण्डों में पानी की सतह बहुत नीची है जहाँ पर कुएँ खोदना अनाधिक एवं कष्टप्रद है।

नहरों द्वारा सिंचाई

सिंचाई की टटियाँ से प्राइवेट साधन (बर्पा) के बाद नहरों का ही स्थान आता है। भारत में तो नहरें ही सबसे अधिक सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन है। इनकी कुल लम्बाई ६७ हजार मील है। ये भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से प्रचलित रही हैं, यद्यपि इनका आवृत्तिक विकास १६ वीं शताब्दी से ही प्रारम्भ होवा है। इस प्रकार से इनके निर्माण का श्रेय ब्रिटिश सरकार को प्राप्त नहीं हो सकता। अनुमान है कि हमारी नहरों में ८० करोड़ अधिक रुपया लगा हुआ है। नहरें अधिकतर पश्चिम, उत्तर प्रदेश, गोपाल, निहार, मद्रास, मैगूर, हैदराबाद, बंगलौर, मध्य प्रदेश और उड़ासा में पाई जाती हैं जहाँ इनका एक प्रकार से जाल सा विद्युत हुआ है। १६२१ ई० के पूर्व नहरों का वर्गीकरण इस प्रकार या —

१ (१) उत्पादक नहरें (Productive Canals),

(२) रक्षात्मक नहरें (Protective Canals) तथा

(३) छोटे कार्य भ आने वाली नहरें (Minor Canals)।

प्रथम वर्ग की नहरें उत्पादन को बढ़ाने की उपेक्षिकोण से बनाई जाती थीं। द्वितीय वर्ग की नहरों से उत्पादन कार्य तो कम लिया जाता था परन्तु याद नियन्त्रण प्रमुख उद्देश्य होता था। इनसे आय नाम मान को तथा अनिश्चित होती थी। तृतीय वर्ग की नहरों को आपत्ति काल में ननवाया जाता था। इनके निर्माण के लिए किसी विशेष कोष (fund) आदि का प्रावधान नहीं था। इनकी अर्थव्यवस्था चालू वर्ष के बज्रट से ही की जाती थी।

आवृत्तिक काल में नहरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जाता है —

(१) वारहमासी ग्रथम स्थायी नहरें (Perennial Canals),

(२) मौसमी अथवा अस्थायी नहरें (Inundation Canals) तथा

(३) बांध की नहरें (Storage Work Canals)।

(१) स्थायी नहरें

बारहमासी, धारावाहिक अथवा स्थायी नहरें वे नहरें हैं जो सदैव सिंचाई के लिए पानी ननाये रखती हैं और आवश्यकता के समय हानि से बचाती हैं। इनका निर्माण नदियों के दोनों ओर एक मजब्बूत बांध बनाकर पानी को रोक कर किया जाता है। इनके द्वारा सिंचाई अधिक निश्चित, नियमित तथा समयानुकूल होती है। इस प्रकार की नहरें उत्तर प्रदेश में अधिक पाई जाती हैं। राष्ट्रीय सरकार आजकल इसी प्रकार की नहरों के निर्माण पर अधिक चल दे रही है।

(२) मौसमी नदरें

मौसमी, अनित्य वाहिनी, अस्थायी अथवा बाढ़ की वे नदरें होती हैं जिनमें वेवल वर्षा शून्य में पानी आता है। बरसात के दिनों में अथवा बाढ़ से उमड़ती हुई नदियों का अतिरेक जल इन नदरों में आ जाता है। ये नदरें वेवल वर्षां काल में ही क्षम में लाई जा सकती हैं। इस प्रकार इन नदरों की आर्थिक महत्त्व नहीं है क्योंकि वर्षा शून्य में जब कि जल की बहुतायत होती है ये जल को प्रदान करती हैं परन्तु हाँ पैसे स्थानों में जहाँ वर्षा शून्य में भी पसलों को पर्याप्त जल नहीं मिलता इनकी महत्त्व अवश्य बढ़ जाती है।

(३) बांध की नदरें

बांध की नदर वे नहर हैं जिनम धाटिया के दोनों किनारों पर बांध लगाकर पानी एकत्र किया जाता है और ऐसे मौसम में उनका सदुपयोग किया जाता है।

८ से लाभ

(१) कृषि उद्योग में स्थायित्व—चाल भर तक नदरों द्वारा पानी मिलने के कारण कृषि उद्योग में एक प्रकार का स्थायित्व (stability) आ जाती है और उपज की मात्रा तथा गुण में भी गृद्धि हो जाती है।

(२) धारा नियन्त्रण—नदियों के आपावर बांध बना कर जल सचित करने वालाएँ नाड़ व प्रकार का भय जाता रहता है। अनेक देशों में नदरों का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया है।

(३) नदरों द्वारा सिचाई के कारण बहुत से महस्यल तथा बजर भूमि लहलहाते हुए खेतों म परिणत हो जाती है। रोंगस्तानी इलाकों में सिचाई का एक मात्र उपायन यह है रह जाता है।

(४) अनाल के भूत से हुटकारा मिल जाता है।

(५) नदरों न निर्माण से देश की जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को रोजगार मिल जाता है।

(६) बड़ी बड़ी महरों को यातायात न साधन न स्पष्ट म भी प्रयुक्त किया जाता है।

नदरों के दोष

(१) पानी का अपन्यय—भारताय नियान लोग अपनी अशानता एवं मूर्खता के कारण नदरों से आवश्यकता से अधिक पानी ले लते हैं जिससे अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। नदरों द्वारा सिचित भूमि में एक ही स्थान पर पानी मरा रहता है जो दलदल का स्पष्ट धारण कर लेता है। इससे मन्दूर आदि उत्पन्न हो जाते हैं जो मलेरिया, कायलेरिया आदि अनेक भीषण बीमारियां को जन्म देते हैं।

(२) भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास—खेतों में आवश्यकता से अधिक पानी के इन्द्रिय हो जाने से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है और उसमें लबण अथवा रेत उत्पन्न हो जाता है जो खेती को क्रमशः नष्ट कर देता है। बम्बई तथा पैजाब के क्षेत्रों में रेत के कारण हजारों एकड़ भूमि व्यर्थ नष्ट हो गई है।

(३) फसल का नष्ट होना—आवश्यकता से अधिक पानी हो जाने पर भी फसलें या तो गल जाती हैं अथवा देर में छुटी हैं।

(४) प्राकृतिक वर्षा के बहाव में रुकावट—कभी-कभी नहरों के कारण वर्षा के पानी का स्वामावक प्रवाह रुक जाता है जो अनेक अच्युत समस्याओं को जन्म देता है।

(५) ऊँची सिंचाई दर—सिंचाई की दरें प्रायः ऊँची और विभिन्न स्थानों में अलग अलग होती हैं। पानी की नाप तौल न होने के कारण किसानों को मितव्ययता करने का प्रोत्याहन नहीं मिलता।

उपरोक्त दोषों के होते हुए भी यह निर्भकता से कहा जा सकता है कि नहर भारतवर्ष के लिए बरदान है और इनकी उपयोगिता को किसी भी प्रकार सुनौती नहीं दी जा सकती है।

तालाबों द्वारा सिंचाई

तालाबों द्वारा सिंचाई की प्रथा हमारे देश में अति प्राचीन काल से चली आई है। बरदान के दिनों में वर्षा के पानी को अनेक स्थानों पर तालाबों में एकत्रित कर लिया जाता है और फिर सूखे मौसम में इसका उपयोग खेती के लिए किया जाता है। यद्यपि देश के प्रत्येक राज्य में तालाबों द्वारा सिंचाई का साधन किसी न किसी रूप में अपनाया जाता है परन्तु मध्य और दक्षिणी भारत में यह प्रथा अधिक प्रचलित है। दक्षिण भारत में, इतिहास के पन्ने पलटने से हात होता है, कि यहां पर कई शताब्दियों सूखे विशाल तालाब पाये जाते थे। उनमें से कुछ तालाब तो आज भी दृष्टिगोचर होते हैं। दक्षिण भारत में तालाबों के द्वारा सिंचाई होने के कुछ विशेष कारण हैं, जैसे —

(१) दक्षिण भारत की नदियाँ बेवल वर्षा के पानी पर ही निर्भर होकर रहती हैं।

(२) वहां चट्टानों और पथरीली भूमि होने के कारण नहरों और कुँओं को खोदने में भी बड़ी कठिनाई होती है।

(३) चट्टानों में घरसाती पाने के सोखने की भी खामर्थ नहीं होती।

(४) दक्षिण भारत की जनसंरक्षण चिकित्सा हुई होने के कारण तालाब की सिंचाई प्रथा को ही अधिक उपयुक्त समझती है।

(५) पहाड़ी और ढाई फूटी भूमि में तालाबों का निर्माण आसानी से किया जा सकता है और यह अपेक्षाकृत अधिक स्थायी तथा उपयोगी सिद्ध होते हैं।

तालाब विभिन्न आकार के होते हैं। यह खाधारण पोखरों से लेकर बड़ी बड़ी

भूमि के रूप में पाये जाते हैं। मद्रास में लगभग ३५०० तालाबों से लगभग ३० लाख घड़क भूमि की सिचाई होती है।

तालाबों का भारतीय इष्टि व्यवस्था में उहा महत्वपूर्ण स्थान है। इनके निर्माण में नहरों तथा कुँओं की अपेक्षा कम पैंची लगती है और इनका उपयोग भी तुरन्त होने लगता है। इसी कारण सरकार ने तालाबों को सरकारी मुदान किया है। यद्युपर्याप्त यह मद्रास के तालाब अधिकतर सरकारी नियोजित में ही है। बहुत से पुराने तालाबों, जो कि प्रयोग मन आने के कारण दूटे दूटे पड़े हैं, का पुनर्बद्धार किया जा रहा है। १८८८ वर्ष के दौरान शाहनाथी के प्रनत्यंत्र में तालाबों का नियोजन और रक्षा का कार्य जोरों द्वारा आरंभ किया गया था।

भारत सरकार की सिचाई नीति

अध्ययन की सुविधा के लिए हम भारत सरकार की सिचाई नीति को पांच सरणी में विभाजित कर सकते हैं —

- (१) अति प्राचीन काल,
- (२) मध्य काल,
- (३) ईस्ट इंडिया कम्पनी का काल,
- (४) ब्रिटिश शासन काल, तथा
- (५) स्वतन्त्रता के पश्चात्।

अति प्राचीन काल

भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से सिचाई का कार्य होना आया है। ऐसा उहा जा सकता है कि सिचाई का कार्य इष्टि के साधन-साधन ही प्रारम्भ हुआ। अधिक घारिक एवं पौराणिक कथाओं में ऐसे सर्वभूमिके जिससे उक्त कथन की पुष्टि होती है, इस काल में सिचाई के कार्य का उत्तरदायित्व राज्य के ऊपर नहीं होता था। सिचाई के साधनों के निर्माण का कार्य शासकों द्वारा, दशलुका तथा घारिक भागनाथी पर निर्भर करता था। शासक लोग पुरेण कार्य के रूप में यदा कदा कुँओं और तालाबों वो बनाया दिया करते थे। अधिकतर यह कार्य वैयक्तिक हुआ करता था। फलत ऐसी सिचाई सिभाग अमरा तत्सम्बन्धी प्रयासन विभाग नहीं हुआ करता था।

मध्य काल

मध्य काल में भा सिचाई कार्य की महत्ता का गब्रीन स्तर पर स्त्रीकार नहीं किया गया। व्यापक प्राचीन काल की अपेक्षा इस काल में सिचाई कार्य को अकाल नियांरणार्थ अधिक महत्वपूर्ण समझा जाने लगा। मुख्यतावान शासकों जैसे भीरोज़ तुग लक, रौरशाह लकी, अकबर तथा शाहजहाँ इत्यादि ने तुद्ध सिचाई के साधनों का निर्माण करवाया। उदाहरणार्थ १८वीं शताब्दी में पश्चिमी यूनान नहर तथा पूर्वी यूना-

नहर मुगल सम्बाटों ने बनवाई थी। परन्तु यह सब कार्य अधिकाश में पुण्य एवं धर्म भावना से प्रेरित होकर किये गये थे, अतः इस काल में भी राष्ट्रीय आधार पर कोई सिंचाई नीति नहीं बनाई गई।

ईस्ट इंडिया कम्पनी का काल

सिंचाई कार्यव्यवस्था की ओर सच्चे अधों में ज्ञान सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कम्पनी का ही गया। यहाँ यह कह देना अनुचित न होगा कि यह सब ज्ञान स्वप्रेरित न होकर परिस्थिति प्रेरित था। १८ वीं और उच्चीसवीं शताब्दी में घटित अकालों ने विदेशी सरकार को सिंचाई सम्बन्धी एक सुधारित ग्रौं तथा नीति बनाने के लिए विवरण कर दिया। प्रारम्भ में कम्पनी ने केवल उत्पादक कार्यों की ओर ही ज्ञान दिया परन्तु कालान्तर में रक्षात्मक कार्यों की ओर भी ज्ञान देना पड़ा।

उत्पादक कार्यों के अन्तर्गत प्रारम्भ में पुराने कार्यों की मरम्मत कराई गई, तत्पश्चात् कुछ नये कार्यों का भी निर्माण किया गया। इन सब का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:—

(अ) पुरानी नहरों का सुधार

(१) सन् १८२० में पश्चिमी यमुना नहर का सुधार किया गया, और सन् १८३८ में पश्चिमी यमुना नहर का पुनर्निर्माण किया गया।

(२) सन् १८३० में पूर्वी यमुना नहर का सुधार किया गया।

(३) छर आर्थर कॉटन ने छर् १८३६ में कावेरी ग्राड एनीकट बॉय बनाने के कार्य को अपने हाथ में लिया। सन् १८४३-४४ में इसका विस्तार तथा सन् १८४६-१८०२ में इसका पुनर्निर्माण किया गया।

(घ) नई नहरों का निर्माण

(१) सन् १८४०-५० में 'अपर गगा कैनाल' का निर्माण किया गया।

(२) सन् १८४७-५४ में अपर बारी दो आव नहर का निर्माण किया गया।

(३) सन् १८४६ में गोदावरी नहर का निर्माण किया गया।

(४) सन् १८५२-५४ में कृष्णा नदी बाँध का निर्माण किया गया।

उपरोक्त महत्वपूर्ण कार्यों के अतिरिक्त कम्पनी ने रेलों के प्रादुर्भाव से पूर्व अनेक छोटी मोटी नहरों का निर्माण किया। यह सब अकाल सकट के निवारण वे लिए था।

निटिश शासन काल

सन् १८१२ के बाद से सिंचाई व्यवस्था का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों को सौंप दिया गया। प्रत्येक राज्य सरकार ने अपने-अपने राज्यों में सिंचाई विभाग की स्थापना की है। अन्तर-राज्य सिंचाई व्यवस्था (Inter State Irrigation) का सचालन करने के लिए दो वैद्वतीय संस्थाएँ हैं—

(१) केन्द्रीय जलशक्ति, सिंचाई तथा जलयान आयोग (Central Water Power Irrigation and Navigation Commission), तथा

(२) केन्द्रीय सिंचाई परिषद (Central Board of Irrigation)।

इन दोनों संस्थाओं की स्थापना कम्युन १९४५ और १९३१ में हुई थी। और इक उपर्याके अधिकारिक Central Ground Water Organisation (1946-47) तथा Tube Well Development Organisation (1954) नामक दो और संस्थाएँ हैं जो जल स्रोतों और नल कूपों के विकास पर काम कर रही हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात्

स्वतन्त्रता मात्र करने के पश्चात् हमारी राष्ट्रीय सरकार ने सिंचाई के महत्व को भली भांति समझा है। मिशनरी का मत है कि जल्य समस्या का पूर्ण हल करने के लिए देश के सिविल चुनाव का दुगना करना हाजा। इस कार्य के पूर्ण होने में १५ या २० वर्ष का समय लग सकता है। राष्ट्रीय सरकार ने सिंचाई विकास की ओर नागर्कों के पर्वतीय योजनाओं के अन्तर्गत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। प्रबंध पचवर्षीय योजना (१९५१-५६)

योजना के प्रारम्भ में (१९५१) ५१ प्र० एकड़ नूमि पर सिंचाई होता थी जो कुल संतुली याग्न भूमि का १७.५% था। इस योजना के अन्तर्गत यह लद्दन रखा गया कि सांचे जाने वाले चेनफ्ल में ८०% की वृद्धि हो जाय। इस लद्दन को पूरा करने के लिए नदियाँ, नहरों, नालायाँ और कुओं पर ३० करोड़ रुपये खर्च करने का आयोजन किया गया। इस योजना ने अन्तर्गत १७३ योजनाएँ थीं। सिंचाई के नवीन निमाण कार्यों का तीन भागों में बंटा गया—

(१) बहुउद्देशीय योजनाएँ (Multi purpose projects),

(२) सिंचाई के बहु निमाण कार्य, तथा

(३) सिंचाई न छोटे छोटे निमाण कार्य।

उत्तरीक कार्यों पर व्यय किये जाने वाली धन की रकम तथा उद्दनुसार सिविल चुनाव के चेनफ्ल में होने वाली वृद्धि निम्न तालिका में दिखाई गई है—

निमाण कार्य	धन राशि (करोड़ रुपये)	योजना के अन्त में सिविल चेनफ्ल में वृद्धि (लाख एकड़)
(१) बहुउद्देशीय योजनाएँ	२६६	२३
(२) सिंचाई के बहु निमाण कार्य	६७	६७
(३) सिंचाई के छोटे निमाण कार्य } अधिकारिक प्रावधान—	१६८	११०
(१) सिंचाई के छोटे निमाण ने लिए	३०	—
(२) नल कूपों के लिए योग	६	—
	४३०	२००

द्वितीय पचवर्षीय योजना (१९५५-६१)

प्रथम योजना के प्रारम्भ में जैसा कि पहले कहा जा चुका है ५१.५ मिल. एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी, और प्रथम योजना की सफलता के फलस्वरूप यह चेत्रफल ६७.० मिल. एकड़ हो गया। यह प्रगति वास्तव में सराहनीय है। द्वितीय पचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य रखा गया है कि इस दिशा में ३१% की वृद्धि और की जाय जिससे यन् १९६०-६१ में साचे जाने वाला चेत्रफल बढ़ कर ८८.० लाख एकड़ हो जाय। इस कार्य के लिए द्वितीय योजना में ३८१ करोड़ रुपये नियत किये गये हैं जिसमें से, अनुमान है कि ३७२ करोड़ रुपये द्वितीय योजना काल में और शेष तृतीय एवं चतुर्थ योजना काल में व्यय किये जायेंगे।

द्वितीय योजना काल में १९५५ नवे निर्माण कार्य किये जायेंगे। इन निर्माण कार्यों पर होने वाले व्यय तथा पूर्ण होने पर सिंचित चेत्र में होने वाली वृद्धि का व्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है—

अनुमानित लागत	योजनाओं की सख्ता	कुल अनुमानित लागत	पूर्ण होने पर सिंचित चेत्र में वृद्धि
१० और ३० करोड़ रुपये के अन्तर्गत	१०	१६१	८४
५ और १० करोड़ रुपये के अन्तर्गत	७	५४	१५
१ और ५ करोड़ रुपये के अन्तर्गत	३५	८५	३४
१ करोड़ से ५८ रुपये राशि	१४३	४६	१५
योग	१६५	३७६	१४८


तृतीय पचवर्षीय योजना

इस योजना के अन्तर्गत सिंचाई की बड़ी और पथ्यम योजनाओं के लिए ६५० करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त निजी और से भी कुछ धन और व्यय किया जावेगा। योजना के अन्त तक सिंचाई का चेत्रफल ८ करोड़ एकड़ हो जायगा, जबकि दूसरी योजना के अन्त में यह ७ करोड़ एकड़ होगा। लगभग ४ करोड़ एकड़ में बरानी खेती की जायगी। १ करोड़ ३० लाख एकड़ अधिक भूमि को कटाव आदि से बचाने का काम किया जायगा। यन् १९६०-६१ तक लगभग ३ लाख ६० हजार टन नम्रबन युक्त साद का प्रयोग होने का अनुमान है, १९६५-६६ में यह १० लाख टन हो जायगा। ७५ करोड़ एकड़ भूमि में पौधों को बचाने की घटस्पा की जायगी।

प्रमुख बड़ो सिंचाई-परियोजनाएं

भाकरा नागल योजना—इस योजना का शुभारम्भ १९५६ में हुआ था जो

१९५८ में पूर्ण हो रही। इसकी अनुमानित लागत १७० करोड़ ३ लाख रुपये है। इसके द्वारा वर्तमान समय में ६४,००० किलोवाट विद्युती उत्पयोग में लाई जा सकती है तथा यदि आवश्यकता पढ़े तो ३६००० किलोवाट तक और बढ़ाया जा सकता है यह विद्युतशक्ति ५ केन्द्रों में विभाजित कर दी जायगी।



चित्र ७—भारतीय नागरिक योजना

भारतीय बांध की ऊँचाई ७०० फीट और लम्बाई १७०० फीट है। इस बांध म ७४ मिलियन एकड़ फीट पानी संग्रहीत हो सकता है जिसका ज्ञेयफल ५८४ वर्ग मील है। इससे निकली हुई प्रमुख नहर की लम्बाई ६५२ मील है तथा सहायक नहरों की लम्बाई २,२०० मील है।

दामोदर धाटी योजना—चार बांधों वाली इस योजना की लागत ७५ करोड़ रुपये है। इसमें से तीन पर १,५०,००० किलोवाट के जल विद्युत पर, बोकारो तथा दुर्गापुर में ३,७५,००० किलोवाट के दो भर्मल पावर स्टेशन, नहरें तथा उनकी सहा यक नहरें होंगी। इसके तीन बांध पूर्ण हो जुने हैं। इसका प्रबन्ध 'दामोदर चैली-कारपोरेशन' को सौंप दिया गया है। यह योजना तिलैया, कोनार, मेटी तथा पचेट पहाड़ियों पर बांध बना कर दामोदर तथा उसकी अन्य सहायक नदियों पर काढ़ा पाने के लिए कार्यान्वित भी रही है।

महानुदी धाटी योजना—यह योजना सम्बलपुर तथा बोलनगिर के जिलों को हरा भरा करने के लिए बनाई गई है। इससे ६७ लाख एकड़ मूनि की सिंचाई होगी। इसके अन्तर्गत तीन बांध—हीरापुड़, टिकरपारा, तथा नारज—में बनेंगे। हीरापुड़ बांध की लम्बाई (१५,७४८ फीट) सुधार के सभी बांधों से अधिक है तथा इसकी ऊँचाई १५० फीट है। इसमें ६६ लाख एकड़ फीट पानी एकत्रित हो सकेगा जिसे हम दूसरे यन्दा म २८८ वर्ग मील की भौमि कह सकते हैं। इसकी अनुमानित लागत ८२ करोड़ रुपये है।

तुङ्गभद्रा योजना—दक्षिण भारत की सबसे नहीं योजना आनंद और भैरव

राष्ट्र द्वारा प्रारम्भ की गई है। तुङ्गमदा नदी पर ७६४२ फीट लम्बा तथा १६२ फीट




चित्र ७ — प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं
चौड़ा बाध बनेगा। इसके दोनों किनारा पर जल विचुट बेन्द्र बनाये जायेंगे। इसकी
चमत्का ३० लाख एकड़ फीट दानी की है। इसके दोनों ओर से नहरें निकाली जायेंगी जो

१०३ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करेगी। इस योजना की कुल लागत ६० करोड़ रुपये है। इसमें तीन विशुद्धनगृह कार्ये ज्ञानेगे बिनका उत्पादन क्षमता ६८,००० किलोग्राम होगी।

कोसी योजना—१३ ६५ लाख एकड़ भूमि को लहलहा देने वाली योजना म कोसी नदी के दोनों तटों पर १५० मील लम्बी दीवारें बनाई जायेंगी, इनमान नगर (नेपाल) से तीन मील दूर पर एक नराच बनेगा तथा नराच से पूर्वों कोसी नदी का निर्माण होगा। इस नहर की—सुशल, प्रवापगज, पूर्णिया तथा अर्द्धरिया—शाखाएँ हैं। इस योजना में लगभग ४४ ६ करोड़ रुपया व्यय किया जायगा।

हीराकुड योजना—यह बांध सम्मलपुर रेलवे टेंटेन से ५ मील दूरी पर

उसकी लम्बाई १५,७४८ फीट तथा ऊँचाई २०० फीट होगा। इससे निकलने



चित्र ६—हीराकुड योजना

वाली नहर तथा उसकी शास्ती ६१ ५ मील और सहायक नहरों की लम्बाई ४६० मील होगी एवं जल मार्ग की लम्बाई ८,५०० मील होगी। इस योजना का लागत व्यय लगभग ७० ७८ करोड़ रुपये है।

बड़ी और मैंझली सिंचाई योजनाओं का उपयोग

सन् १९५८-५९ में चार नदियों की नदी धारी योजनाओं—भारत नागर, दामोदर पाटी निगम, तुङ्गभद्रा और हीराकुड से २५ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हुई। इसमें वे मालवा नागर योजना द्वारा प्रभाव और राजस्थान में १६ लाख ५० हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हुई। दामोदर धारी निगम से परिमी रगाल में २३५ हजार एकड़ जमीन की और हीराकुड से उडीला में २८५ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हुई। तुङ्गभद्रा योजना से मैतूर और आम प्रदेश में १ लाख ८५ हजार एकड़ जमीन

की सिंचाई हुई। वैसे, हन चारों योजनाओं से कुल ३७ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती थी।

देश में सभी बड़ी और मॉफ्ली योजनाओं की कुल जितनी सिंचाई-क्षमता थी, उसका ८२% उपयोग हुआ। आशा है १९५६-६१ के दो वर्षों में भी कुल सिंचाई क्षमता और वास्तविक उपयोग का यह अनुपात जारी रहेगा।

यन् १९५०-५१ में सब प्रकार के साथों से कुल ५१५ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हुई थी। इसमें से २२० लाख एकड़ जमीन की सिंचाई बड़ी और मॉफ्ली सिंचाई योजनाओं द्वाया हुई। इसके अलावा दूसरी पञ्चवर्षीय योजना के अन्त तक बड़ी और मॉफ्ली योजनाओं से ३३५ लाख एकड़ और जमीन की सिंचाई होने लगेगी।

पाँचवीं पञ्चवर्षीय योजना के अन्त तक, अर्थात् १९५५-५६ तक लगभग १८ से १९ करोड़ एकड़ जमीन के लिए सिंचाई की सुविधाएँ कर देने का विचार है। आशा है इसमें से लगभग ६ करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई बड़ी और मॉफ्ली योजनाओं द्वाया होने लगेगी।

पहली और दूसरी योजना में जो बड़ी और मॉफ्ली सिंचाई योजनाएँ शामिल की गई हैं, उन पर लगभग १,४०० करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है।

प्रश्न

1. State the different forms of irrigation in India. What is meant by Productive and Protective works? Point out the relative importance of irrigation works in different provinces in India.

(Agra, 1949)

2. Describe the various methods of irrigation used in India and discuss their relative merits from the point of view of agriculture.

(Punjab, 1954)

3. Mention the principal features of the multi-purpose projects undertaken by the government, and envisage their prospects.

(Agra, 1952)

अध्याय ११

कृषि-विपणन

(Agricultural Marketing)

कृषि विपणन का महत्व

किसी भी वस्तु का विपणन श्रमवा विक्रय किसी देश की अर्थ व्यवस्था में एक "महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कृषि उत्पादन भी अन्य वस्तुओं की भाँति उस समय तक नहीं होता जब तक कि उसका विक्रय न हो जाय। यदि विपणन की उचित

"है तो अति उत्तम विक्रि से किया गया कृषि उत्पादन भी आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होता। आज इस तथ्य का उदाहरण यहि भी स्वीकार करता है और विपणन की महत्ता दिन प्रति दिन बढ़ता जा रही है। एक समय या जब कहा जावा था कि "अच्छे किसान की एक आँख हूल पर और दूसरी आँख बाजार पर रहती है।" परन्तु आज यह कहा जाता है कि "एक अच्छा किसान अपने दोनों हाथ हल पर तथा अपनी दोनों आँखें बाजार पर रखता है।" अर्थात् आज एक किसान जितनी लगन से कृषि-उत्पादन करता है उतनी ही लगन से उसके विपणन की भी व्यवस्था करता है। वह भी एक अर्थशास्त्री की भाँति कृषि उत्पादन की माँग और पूर्ति भ संतुलन नाये रखने की चेष्टा करता है किन्तु कुछ विवरणों के कारण वह कृषि उत्पादन की माँग अथवा उसके सफल विपणन पर नियंत्रण नहीं कर पाता। उसकी अशिक्षा एवं अशानता उसको उचित मूल्य डिलाने में बाधक सिद्ध होती है।

भारतीय किसान के साथ कुछ प्रारंभिक तथा कुछ उचित ऐसा अलमर्थताएँ होता है जो कृषि विपणन को सफल बनाने में बाधक होती है। कृषि उत्पादन ही स्वयं बहुत कुछ दैवी अनुकूला पर निर्भर होता है। यदि कृषि विपणन की व्यवस्था समुचित कर दी जाय तो निस्तदेह कृषि उत्पादन पर दैवी प्रकाप कम किया जा सकता है। इस प्रकार यदि कृषि तथा कृषक, दोनों की दया मुधारनी है, अच्छी प्रस्तुति उत्पन्न करने के स्वन्न को पूरा करना है तो फसलों के उचित मूल्य की व्यवस्था करनी ही होगी।

कृषि विपणन का अर्थ

कृषि विपणन से इमारा तात्पर्य कृषक वस्तुओं की माँग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करने से है। सरल शब्दों में कृषि वस्तुओं को कृषि उत्पादकों से लेकर उन

भोक्ताओं तक पहुँचाने में मध्यस्थों द्वारा की गई सेवाओं को विपर्यनकार्य कहते हैं। इण्डियन विपणन में निम्नलिखित बार्य कल्पे पढ़ते हैं :—

- (१) इण्डियन वस्तुओं का एकत्रीकरण (Assembling)
- (२) इण्डियन वस्तुओं का श्रेणीकरण (Grading)
- (३) इण्डियन वस्तुओं का प्रविधिकरण (Processing)
- (४) इण्डियन वस्तुओं का परिवहन (Transportation)
- (५) इण्डियन वस्तुओं को सुरक्षित रखना (Storing)
- (६) इण्डियन वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुँचाना (Retailing)
- (७) इण्डियन वस्तुओं की समस्त क्रियाओं के लिए वित्त प्रदान करना (Financing)
- (८) उपरोक्त क्रियाओं में निहित जोखिम उठाना (Risk Bearing)

भारतवर्ष में कृषि विपणन

भारतवर्ष में प्राय कृषि वस्तुओं का विपणन किसानों के द्वारा न किया जाकर मध्यस्थों द्वारा किया जाता है। मध्यस्थों की शृंखला इतनी बड़ी है कि कृषि उपज के लागत का ५०% से अधिक भाग इन लोगों की जेब में चला जाता है। भारतीय गोर्ह विपणन समिति की रिपोर्ट के अनुसार निम्न प्रकार के मध्यस्थ पाये जाते हैं —

- (१) ऐसे किसान जो दूसरे किसानों से अनाज एकत्र करते हैं,
- (२) जमीदार जो किसानों की ओर से गलता एकत्र करके बेचते हैं,
- (३) महाजन अथवा गाव का बर्नियाँ,
- (४) ऐसे व्यापारी जो गाँव गाँव घूम कर अनाज इकट्ठा करते हैं,
- (५) कच्चा अदृतिया,
- (६) पक्का अदृतिया, तथा
- (७) रहकारी समितियाँ।

बाजारों के प्रकार (Types of Markets) — भारत में इण्डियन विपणन के लिए विभिन्न प्रकार के बाजार पाये जाते हैं। श्रीयुत कुलशर्मा के अनुसार निम्न लिखित बाजार पाये जाते हैं —

- (१) पैठ अथवा हाट अथवा मडियाँ,
- (२) मडिया,
- (३) फुटकर चाजार (Retail markets)
- (४) मेले तथा प्रदर्शनियाँ,
- (५) उपज विपणन (Produce Exchange)
- (६) पैठ अथवा हाट — ग्रामों में छोटे सोटे बाजार नीचन की आवश्यक

बलुओं जैसे अनाज, कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, चूड़ियाँ, फल तथा उत्कारियाँ आदि के क्रम विक्रय के लिए लगा करते हैं। कुछ प्रदेशों जैसे उत्तर प्रदेश, गिराव तथा उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में इन बाजारों को पैठ अथवा हाट कहते हैं तथा दक्षिणी भारत में शंडी (shandis) कहते हैं। ये सप्ताह में एक बार या दो बार लगती हैं। इनके लगाने के दिन तथा स्थान व्यापारियों अथवा जर्मादारों द्वारा निश्चित किये जाते हैं। ५-१० मील की दूरी पर एक हाट या बाजार होती है। भारतवर्ष में इस प्रकार के बाजार लगभग २२००० से अधिक हैं।

(२) मढ़ियाँ—मढ़ियाँ बखुत योंक बाजार होती हैं। ये किसी निश्चित स्थान पर स्थायी रूप से लगाई जाती हैं और यहाँ पर प्रति दिन थोक में सौदे किये जाते हैं। यहाँ नित्य रहने वाली मात्रा में उपज का क्रय विक्रय होता है और कुछ विशिष्ट छियाएँ विशिष्ट लोग कुछ विशिष्ट नामों से पुकारे जाते हैं, जैसे तोले (weighmen), अदर्तिये तथा दलाल। ये मढ़ियाँ प्रायः निकी व्यक्तियाँ, स्थानीय स्थायियाँ जैसे भूनिसर्पनियी, भारपोरेश्वन तथा बिला चोई आदि के द्वारा नियन्त्रित होती हैं और इनका स्वामित्व भी हन्दी स्थायियाँ के हाथ में होता है। ये मढ़ियाँ प्रायः १० से ५० मील की दूरी पर होती हैं और ऐसे स्थानों पर होती हैं जहाँ कि संग्रह सम्बन्धी, वैक सम्बन्धी, यातायात सम्बन्धी मुविद्याएँ उत्पन्न होती हैं।

भारतवर्ष में इन मढ़ियाँ की संख्या लगभग १७०० है। ये मढ़ियाँ नियन्त्रित तथा अनियन्त्रित दोनों ही प्रकार की होती हैं।

फुटकर बाजार

ये फुटकर बाजार यहाँ अथवा टेहात के विभिन्न भागों में पाये जाते हैं। इन बाजारों में फुटकर विनेता और उपमोरा में सीधा सम्बन्ध होता है। इनका स्वामित्व फुटकर व्यापारियों ने हाथ में होता है और इनका नियमन स्थानीय सरकारों जैसे जमींदारों और पञ्चायती डार द्वारा होता है। इन बाजारों में लगभग सभी प्रकार की बलुओं का क्रय विनय होता है और आसास वे गईं की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से इनका कोई विशेष महत्व नहीं है।

मेले तथा प्रदर्शनियाँ

अनादिकाल से भारतवर्ष में मेले तथा प्रदर्शनियाँ देश के विभिन्न भागों में लगते रहे हैं। प्रायः मेले धार्मिक त्योहारों के उत्सव में तीर्थ-स्थानों पर लगते हैं। जैसे प्रयाग में माघ मेला, गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिकी स्नान मेला, भृगु जी का मेला (बलिया), बटेश्वर का मेला (आगरा) आदि। अन्य मेले आर्थिक एवं व्यापारिक दृष्टिकोण से लगाये जाते हैं। भारत में १७०० से अधिक पश्चिमी तथा झप्पी-उपच के मेले

लगते हैं। इनमें से ५०% के लगभग पशु-सम्बन्धी, ४०% कृपि उपज सम्बन्धी तथा शेष १०% पशु तथा उपज सम्बन्धी होते हैं। इन मेलों तथा प्रदर्शनियों का उगटन जिला अधिकारियों, स्थानीय सुस्थानी अथवा निवी संस्थाओं द्वारा होता है।

(५) उपज विपणन

ये बाजार कृपि उपज के सबसे बड़े बाजार होते हैं यहाँ पर थोक में कृपि उपज का क्रय विक्रय होता है। ये देश के प्रमुख बैंडों में स्थापित हैं। इनका नियमन वा पारिक संस्थाओं द्वारा होता है। इनका विस्तार में अध्ययन अगले पृष्ठों में किया गया है।

कृपि उपज के विपणन की विधि

भारतवर्ष में कृपि वस्तुओं की विक्री तीन प्रकार से होती है —

(१) गुत विधि द्वारा (By Under Cover),

(२) नीलाम के द्वारा (By Auction), तथा

(३) निजी समझौतों द्वारा (By Private Agreement)

१ ये उपरोक्त क्रियाएँ भारतीय कृपि विपणन में प्राय अपनाई जाती हैं चाहे कृपि विपणन की पद्धति किसी भी प्रकार की हो। चट्टान, कृपि विपणन की निम्नलिखित पद्धतियाँ भारतीय प्रामों में अपनाई जाती हैं —

(१) गाँव में विक्री

(२) किसान के द्वारा माल स्वयं गाँव से बाजार को ले जाना

(३) मण्डियों में विक्री।

गाँव में विक्री

नवोदित स्वतंत्र भारत का कृपक आज भी दरिद्रता की गोद में शयन कर रहा है। उसके पैतृक शृण, सामाजिक रीति विवाह, जैसे विवाह, मुठन, वशोपवैत आदि तथा सरकारी भूमिकर जिनमें लगान, रिचाई आदि आते हैं, उसको अपनी फूल बेचने के लिए विवश कर देते हैं। इस विवशता का पूरा पूरा लाभ साहूकारों और जर्मीदारों को प्राप्त है। सच तो यह है कि शृणी किसान अपनी उपज को बेचल खेत से खलिहान तक ही लाता है और खलिहान से ही शृण की अदायगी में उसका अधिकार छिन जाता है। गाँव में कृपि उत्पादन का क्रय करने वाले—जर्मीदार, साहूकार, बनियाँ, फेरी वाले तथा अन्य महाजन हैं। कभी कभी धार्मिक त्योहारों पर लगने वाले मेलों में भी कृपि उत्पादन का क्रय विक्रय किया जाता है। अथवा वे छोटी छोटी हाँड़ें जो सातवें या पद्धतवें दिन लगा करती हैं, उनमें कृपि उत्पादन का अधिकार भाग बैच दिया जाता है। इस प्रकार से गाँव में विक्री प्रतिकूल समय, प्रतिकूल परिस्थिति और प्रतिकूल वातावरण का ज्वलत उदाहरण है।

(२) किसान के द्वारा माल स्वयं गाँव से बाजार को ले जाना—उन किसानों की सख्त्या अल्प होती है जो अपने कृषि उत्पादन को गाँव से ले जाकर बाजार में बचते हैं। ये किसान या तो जमीदार होते हैं या उनके पैमाने के कृषक होते हैं जिनके पास यातायात के साधन के रूप में घर की बैलगाड़ी होती है अथवा किसाय पर गधे, लन्चर, ऊँट, घड़े आदि से माल बाजार तक पहुँचाने की सामर्थ्य होती है। फिर भी सबको के अभाव में यातायात का व्यय इतना अधिक हो जाता है कि उत्पादन के मूल्य का २०% भाग किराये के रूप में व्यय हो जाता है। माल को इन बाजारों तक लाने में अनावश्यक मध्यस्थों का व्यय भी बढ़ जाता है।

(३) सदिया म विनी महियों दो प्रकार की होती है—नियमित (Regulated) तथा (२) अनियमित (Unregulated)।

नियमित महिया अनियमित महियों से कहीं अधिक होती है। इनमें प्रमाणित गाँट हानि है तौलनेवाले, उपाइ करने वाले, तथा अचार्य नार्व व्यवस्था को मुद्रावर्ष रूप से धनाये रखने वाले लाइसेंस प्राप्त होते हैं। फिर भी दलाल, कन्चा अदतिया, पस्ता अदतिया आदि जैसे मध्यस्थ उरज का एक बड़ा शरण यसकी जेब में रख लेते हैं।

वही नहीं अनियमित महियों में नाप तौल के न तो गाँट ही शुद्ध होता है और न उनके समय का ही निश्चय होता है। इस प्रकार की महियों के नार्वकर्ताओं को किसी प्रकार का लाइसेंस भी नहीं दिया जाता है तथा जो रकम कमीशन, दलाली, तौलाइ और धर्मांदा के रूप में काटी जाती है, वह भी नियमित नहीं होती है। यहाँ पर उत्पादन का मूल्य गुप्त व्यवधि द्वारा होता है किसका प्रमुख गुण क्रेता और विक्रेता की आड़ी में धूल भरकरा होता है।

कृषि विपणन के दोष

भारतीय इपि विपणन की जो पद्धतियाँ इस समय अपनाई जाती हैं वे गहुत ही दायर्शूर्य एवं असतापनक हैं। इन दोषों का निपासन इपि विकास न लिए गत्यन्त आवश्यक है। इपि विपणन के दायर निम्नलिखित हैं—

- (१) संगठन का अभाव (Lack of Organisation)
- (२) बलात् क्रियी (Forced Sales)
- (३) निरर्थक मध्यस्थ (Superfluous Middlemen)
- (४) विविध व्यय (Multiplicity of Charges)
- (५) बाजार में धोखाधड़ी (Malpractices in the Market)
- (६) नाप तौल के प्रमाणित पैमानों का अभाव,
- (७) श्रेणीयन तथा प्रमाणीकरण का अभाव,
- (८) निम्नकोटि की उम्म तथा मिलारट,

- (८) मूल्य सम्बन्धी सूचनाओं का अभाव
- (९) सप्रहालय सुविधाओं का अभाव
- (१०) यातायात के साधनों का अभाव
- (११) वित्तीय सुविधाओं की दुर्भावता

(१) संगठन का अभाव—कृषि विपणन का सबसे महत्वपूर्ण दोष यह है कि कृषि उत्पादकों में किसी भी प्रकार का संगठन नहीं पाया जाता। कृषि उपज, विशेषतः व्यापारिक उपज जैसे जट, कपास, तिलहन आदि के खरीदार वहैं पैमाने पर इन वस्तुओं को खरीदते हैं और भली प्रकार से समझते हैं। इसके विपरीत इन फसलों के उत्पादक छोटे पैमाने पर उत्पादन करते हैं और दूर-दूर तक छिटरे-चिटरे होते हैं। अतः इन लोगों में ऐसा कोई संगठन नहीं होता जिससे वे अपने हितों की रक्षा सम्यक कर सकें। फलतः व्यापारिक लोग इन बेचारे उत्पादकों का शोषण मनमाने दग से करते हैं।

(२) बलात विक्री—आर्थिक परिस्थिति शोचनीय होने के कारण किसान को अपनी उपज को प्रतिकूल स्थान पर, प्रतिकूल मूल्य पर तथा प्रतिकूल समय पर बेचना पड़ता है। इस दबनीय परिस्थिति के कारण है—(१) कि अखण्डप्रस्त होने के कारण फसल कंटटे ही झूलाताओं को कम मूल्य पर बेचे जाने के लिए विवश करना, (२) सतोषजनक यातायात एवं सबादवाहन के साधनों का अभाव; (३) लगान तथा अन्य व्ययों को चुकाने की शीघ्रता; तथा (४) देहांतों में संग्रहालयों का अभाव होना।

(३) निरर्थक मध्यस्थों की शृंखला—अधिकाश किसान अपनी फसल गाँव में ही बेच देते हैं। अतः उस फसल को गाँव से उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए अनेक मध्यस्थों की आवश्यकता होती है और अतः मध्यस्थों की सख्त्या इतनी अधिक होती है कि उपज का अधिकाश भाग मध्यस्थों की जेव में चला जाता है। उदाहरणार्थ एक अनुमान के अनुसार चावल के गूलब के रूप में उपभोक्ता डारा दिये गये प्रत्येक रुपये में से केवल द१ आने और गेरू के मूल्य के प्रत्येक रुपये में से केवल द१ आने ही उत्पादक को मिल पाते हैं।

(४) विविध व्यय—मझे में उपज को बेचने के लिए किसान को अनेक प्रकार के व्यक्तियों के समर्क में आना पड़ता है और विविध निरर्थक व्ययों को भी चुकाना पड़ता है। सबसे पहले किसान को एक दलाल के समर्क में आना पड़ता है जो उसका परिचय कर्त्त्व अद्वितीय है। दलाल की दलाली और अद्वितीय की अद्वितीय के पश्चात् किसान को अनेक अन्य व्यय भी चुकाने पड़ते हैं जैसे, तुलाई, पल्लेदारी, गर्दा, घर्मादा, घाता तथा दाना आदि।

यू० पी० वैंकिंग बैंच रमिटि के अनुमान के अनुसार यी रुपये की मूल्य की उपज में से उत्तर प्रदेश के प्रमुख बाजारों जैसे हायुड में २८० ए आने, गाजियाबाद

में ४ रु० ३ आने, हाथरस में ४ रु० १३ आने, आगरा में ५ रु० १ आना ह पाइ तथा प्रतापगढ़ में २ रु० १३ आने चय्य के रूप में चुकाने पड़ते हैं।

(५) बाजार म धोलाघड़ी—वर्तमान कृषि उपज विषयन का एक और महान् दोष बाजार में धोलाघड़ी की कियाएँ हैं। यह धोलाघड़ी तीन प्रकार से की जाती है। प्रथम अद्वितीये तथा दलाल क्रेता और विक्रेता दोनों का कार्य करते हैं। द्वितीय परदे प आदर मेता और विक्रेताओं से छिपाकर बस्तुओं के मूल्य तय करते हैं। इस पदवि का एक मात्र गुण केता और विक्रेताओं को धोला देना है। कृतीय बेचारे किसान विक्रेता से अनेक प्रकार से गुरुक और सब्जे जैसे कमीशन, पल्लोदारी, तुलादार, पमादा, गदा, दाना आदि अनिवार्य रूप से बस्तु किये जाने हैं और यह पूरी धन राशि उत्तुकी रकम से पहले ही काट ली जाती है।

(६) नाप तौल के प्रमाणित पैमाने का अभाव—भारतवर्ष में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरा से लेकर पश्चिम तक वहाँ पर भी नाप-तौल के पैमानों में चाहतीयता नहीं पाइ जाती है। कृषि पर शाही आयोग ने बमर्ह प्रदेश के पूर्वी यानदेश के १६ पूर्वी बाजारों ना पयवक्त्त्व करके पता लगाया कि वहाँ पर मन (maund) १३ प्रकार का पापा जाता था जो कि २१३ ऐर से लेकर ८० ऐर तक के प्रचलित थे। मध्य प्रदेश में नाप तौल के पैमाने 'मणि' 'किला' तथा 'खाण्डी' के नाम से प्रचलित हैं जिनका वजन विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न होता है। असम में चाबल की न प तौल विभिन्न प्रकार की टोकरियां द्वारा हाती हैं।

नाप तौल के विभिन्न पैमानों का प्रभाव विभिन्न प्रकार से पड़ता है। प्रथम इसके द्वारा मोले भाले किसानों को आसानी से टगा जा सकता है, द्वितीय इसके द्वारा एक बाजार से दूसरे बाजार क मध्य बहुत सी निरवक जटिलताएँ आ जाती हैं जो कि व्यवसाय एवं वाणिज्य ने हित में नहीं होती। तृतीय कृषि उत्पादन के मूल्य सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित करने भ कठिनाइ होती है।

(७) कृषि उपज के ब्रेणायन एवं प्रमापाकरण का अभाव—कृषि उपज के ब्रेणायन तथा प्रमापाकरण के अभाव में भारतीय बस्तुओं का मान अन्य देशों की तुलना में बहुत गिरा हुआ है। नियांत्र सम्बन्धन समिति १९५६ ने भी सरकार का ज्ञान निम्न कोटि (quality) के भारतीय नियांत्रों की ओर आकर्षित किया था। समय-समय पर अनेक समितियाँ इस दोष की ओर इंगित करती रही हैं। पिछले कुछ वर्षों से सरकार ने इस ओर ज्ञान अवश्य दिया है।

(८) निम्न कोटि की उपज तथा मिलावट—भारतवर्ष में बस्तुओं की बनाते समय अनेक प्रकार की मिलावटें (adulterations) कर दिये जाते हैं।

जैसे—अनाज में पानी ढाल देना, मिट्टी-बूँदा ढाल देना आदि जिससे बचन बढ़ जावे। वही नहीं बसुओं को उत्तम करते समय उसकी किञ्च नुधारने की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

(६) मूल्य सम्बन्धी सूचनाओं का अभाव—भारतीय कृषि विपणन का एक अन्य दोष यह भी है कि कृषि उत्पादकों को बसुआ के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों के सम्बन्ध में शीघ्र सूचना नहीं मिल पाती। गाँव का चनिया ही अधिकाश्रतः सूचना का केन्द्र होता है जो कि सर्वेष अपने हित में ही मूल्य बताता है।

(७) सप्रहालय सुविधाओं का अभाव—भारतीय कृषि-उत्पादकों के पास अपनी उपज को सुरक्षित रखने के लिए सप्रहालय सुविधाओं का अभाव होता है। ये प्रायः अपनी उपज को गड्ढा, खत्तियों तथा कोठियां आदि में रखते हैं। ये अवैज्ञानिक रीति से रने होने के कारण चूहे, मुन, पाँद, दीमक आदि हानिकारक जन्तुओं से अनाज की रक्षा नहीं कर पाते और देश को करोड़ा रुपये का प्रति वर्ष नुकसान उठाना पड़ता है।

(८) यातायात के साधनों का अभाव—देश में अब भी यातायात के साधनों का बहुत अभाव है। अधिकाश ऐसे ग्राम हैं जिनके किसान असपार न हो कोई रेल की ही व्यवस्था है और न मोटर यातायात की ही। फलतः किसान अपनी उपज को गाँव से मट्ठियों तक ले जाने में असमर्थ रहता है और उसे विवश होकर गाँव के लोगों को कम मूल्य पर ही उपज बेच देनी पड़ती है।

(९) वित्तीय सुविधाओं की दुर्लभता—हृषि-उत्पादकों को वित्तीय सहायता पहुँचाने वाली संस्थाएँ अधिकाश्रतः देशीय बैंकर अथवा महाजन होते हैं। ये लोग अत्यधिक ऊँची दर पर अभिम अथवा नुश देते हैं जिससे हृषि उपज की लागत बढ़ जाती है और अत्तरः हृषि उत्पादकों की हानि उठानी पड़ती है।

कृषि-विपणन का सुधार

भारतीय कृषि-विपणन में अनेक दोष आमे के कारण उनमें सुधार करने की अत्यन्त आवश्यकता है। जब अन्न से भरी गाड़ी लेकर किसान गाँव से जल्द है तो वह खुशी से भूम उठता है परन्तु मर्डी में पहुँच कर जब सरीदार उसे मूल्य देता है तो उसकी सभी आशाओं पर तुपारापात हो जाता है। इसका कारण यह है कि अधिकाश मट्ठियों में अनेक प्रभार की अनुचित कियाएँ होती हैं जिनका वर्णन विस्तार से पिछले पृष्ठों में किया जा सुका है। अतः देश के अन्नदाता किसान की सहायता करने की आवश्यकता अनुभव की जाती रही है और पिछले कुछ वर्षों से इस और सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रयास भी किये गये हैं।

भारतर्प में हृषि विपणन का विकास करने के लिए सर्व प्रथम उन् १६३५ में

सरकार ने केन्द्रीय खाद्य एवं दृष्टि मन्त्रालय के अन्तर्गत विपणन एवं निरीक्षण निदेशा
काय (Directorate of Marketing Inspection) की स्थापना की। यह
निदेशालय निमित्त यज्ञों में इसके प्रतिलिपि (counterparts) ने मान्यम से कार्य
सञ्चालन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि उपमोक्ता द्वारा उत्पादे गये
मूल्य का अधिकार्य भाग किसान को मिले। इस प्रयोग को पूरा करने के लिए मटियां
की नियन्त्रित करने की आवश्यक कार्यवाही की जाती है और किसानों को बलुओं के
संग्रहण (Pooling), विधायन (Processing) और वर्गीकरण (Grading)
के उन्नत तरीकों के बारे में समझदार जाता है।

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के कार्य (Functions of Directorate of Marketing and Inspection)

(१) यह निदेशालय अखिल मार्गीत आधार पर दृष्टि उत्पादनों का वितरण
सम्बन्धी सर्वेक्षण करता है। इन सर्वेक्षणों के आधार पर वे सूचनाएँ तैयार की जाती हैं
जिनसे विकास कार्यों की आप्रश्यकता की पूर्ति होती है।

(२) दृष्टि उत्पादन (वर्गीकरण और विन्दाइन) अधिनियम, १९३७ के अन्तर्गत
वर्गीकरण प्रतिमान (Grade Standards) नियन्त्रित करके वर्गीकरण कन्डी व
संगठन द्वारा यह निदेशालय वर्गीकरण को प्रोत्साहन देता है।

(३) यह निदेशालय राज्य सरकारों को नियन्त्रित मटियों की स्थापना के सम्बन्ध
में परामर्श देता है और निमित्त यज्ञों में दृष्टि उत्पादन विपणन अधिनियमों के परि
पालन में समन्वय रखता है।

(४) यह व्यवसाय द्वारा अपनाये जाने व लिए प्रमाणी (स्टैण्डर्ड) शर्तें विव
करता है।

(५) यह फल उत्पादन आदेश १९५५ के अन्तर्गत फलों से बनी बलुओं के
गुण (गालिटी) नियन्त्रण का काय करता है और फल परिवर्तन उपयोग के विकास में
सहायता करता है।

(६) यह दृष्टि विपणन में प्रविक्षण प्रदान करता है।

(७) यह भारत सरकार व निमित्त मन्त्रालयों, राज्य सरकारों, भारतीय दृष्टि
अनुबंधान परिषद और यात्रा और दृष्टि मन्त्रालय की बलु समितियों के लिए विपणन
प्रिपक सभी परामर्श देता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन जैसे कि एफ०ए०
ओ० (F A O) और इकाफ (ECAFE) व समर्क रखता है।

सर्वेक्षण (Surveys)

सन् १९३५ म विपणन और निरीक्षण निदेशालय का स्थापना व तुरन्त धर्द
बाजार की अप्रस्थानी का सर्वेक्षण करने व लिए कदम उठाये गये क्योंकि यह अनुमति

किया गया था कि विपणन विकास का कोई भी कार्यक्रम देश के विभिन्न बाजारों में प्रचलित व्यवहार सम्बन्धी पूर्ण और व्यापक सूचनाओं के अभाव में न तो बनाया ही जा सकता है और न कार्यान्वित ही किया जा सकता है।

अब तक ४१ कृषि-उत्पादनों सम्बन्धी रिपोर्टें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें अन्न व दालें (५) पशु-धन और पशु जन्य वस्तुएँ (१२) और विशेष उपज (२४) सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त १० मुख्य वस्तुओं का पुनः सर्वेक्षण हो चुका है और उन पर सशोधित रिपोर्टें जारी हो चुकी हैं। साथ ही कुछ विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन अथवा विपणन सम्बन्धी महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश ढालने वाले १३ विशेष बुलेटिन और ब्रोशर प्रकाशित किये गये हैं।

इन रिपोर्टों में प्रत्येक वस्तु के निम्न पहलुओं पर जानकारी दी गई है :—

(१) उत्पादन;

(२) देश की आनुतंत्रिक खपतें और नियांत्र के लिए गुणात्मक एवं परिमाणात्मक मार्गों;

(३) कीमतें और कीमतों का फैलाव;

(४) प्रतिमानीकरण;

(५) मडियाँ, मडीशुल्क और मटियों में विपणन की विभिन्न अवस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारी;

(६) खनों के अनुसार वितरण व्यवस्था;

(७) बाजार व्यवहार में सुधार की सिफारिश।

ये रिपोर्टें समस्त देश में हो रहे विकास कार्यों का आधार बनाती हैं। विपणन सर्वेक्षणों से जिन अनुचित व्यवहारों का भेद खुला है, उनके निवारणार्थ निम्न कानून बनाये गये हैं :—

(१) फॉर्मर्ड ट्रेडिंग का नियन्त्रण;

(२) प्रमाणिक नाप-तोल लागू करना;

(३) लाइसेंस प्राप्त गोदामों की स्थापना और

(४) मटियों का नियन्त्रण।

वर्गीकरण और प्रतिमानीकरण -

+ वर्गीकरण से परीक्षार और बिक्रेता दोनों के बीच आपसी विश्वास बढ़ाने में सहायता प्रिलंगी है। उपसोन्हा को हजारपुंजार श्रेष्ठ कोड़ी स्टक्कर्ट मिले जाती हैं और उत्पादक को उसकी उपज का उचित मूल्य। दोनों को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से भारत सरकार ने कृषि उत्पादक (वर्गीकरण एवं विपणन) अधिनियम १६३७ पास किया जिसके अनुसार कृषि विपणन सलाहकार को अधिकार दिया गया है कि वह कृषि उत्पादों

की विभिन्न किसी और प्रकारों का प्रतिमान निष्ठारित करे और गुण (quality) सूखक वर्गानुकूल चिन्ह निश्चित करे।

इसके प्रत्युत्तर ऐसी भी व्यवस्था है कि निरीक्षण और विपणन निदेशालय उपयुक्त व्यक्तियों और सगटित सम्पादकों को निर्धारित प्रतिमान के आधार पर वर्गीकृत और चिन्हांकन करने का अधिकार—प्रमाण-पत्र जारी कर सके। इस प्रकार वर्गीकृत वस्तुओं पर एकमार्क लगाया जाता है।

एकत्र करने वाले, उपभोग करने वाले और विवरण करने वाले बाजारों से प्रमुख व्यापकायिक विद्यमान प्रतिनिधि नमूने लिये जाते हैं और उनके विश्लेषक परिणामों के आधार पर प्रारूप विशिष्टियाँ तैयार की जाती हैं। भारत और विदेशों के बाजार हित रक्षकों, राज्य सरकारों और सम्बद्ध पक्षों से राय कर इन प्रारूप विशिष्टियों को आविम रूप दिया जाता है। इस निदेशालय ने १९५३ काश उत्पादनों व प्रतिमान तैयार कर लिये हैं। आवश्यकता पड़ने पर इन विशिष्टियों में आवश्यकतानुसार संशोधन कर लिया जाता है ताकि उनको व्यापार की नवीनकर्म प्रवृत्तियाँ के अनुकूल रखा जा सके।

देश के आनंदिक उपभोग के लिए निम्न प्रमुख वस्तुओं का एकमार्क के अन्त मत वगाकरण किया गया है—धी, बनस्तति तेल, काखानों का जना मक्कलन, अडे, चारल, आटा, कम्प, गुड़, देशी शक्कर, फल (आम, नारगी, चीड़, अगूर, ढेव आदि)।

मुख्यतया नियात के लिए वर्गीकृत की हुई वस्तुएँ ये हैं—तमबाकू, सन, आवश्यक तेल (चन्दन, लैमनप्राय, तल) उन और मुश्तर के गत।

देश के आनंदिक उपभोग थे लिए काम आने वाली वस्तुओं का वर्गीकरण ऐच्छिक होता है। लेकिन नियात के लिए जिन विशिष्ट वस्तुओं की आवश्यकता है, ‘सी वस्टमूस एस्ट १८०८’ के उत्तरण १८ के अन्तर्गत उनका वर्गीकरण आवश्यक बनाया जा सकता है।

द्वितीय पचवर्षीय आयोजना में व्यवस्था की गद है कि काली मिर्च, सोड इला बची, बनस्तति तेल, हाथ से तोड़ी जाने वाली मैंगफलियाँ, हृदियाँ और चमड़ा, रंग हुआ चमड़ा, खेमर की छेद और आँखिला जो कि विदेश भवने के लिए हो, का आवश्यक रूप से वर्गीकरण किया जायगा।

वर्गीकरण कार्य के विस्तार और गुण नियवण की प्रभावगती ज्यवस्था नन्हीने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि पृथक् प्रयोगशालाएँ स्थापित की जायें। दूसरे पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नागपुर में एक चन्द्रीय नियवण प्रयोगशाला और वानपुर, शक्कोट, कोचान, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, मैंपुर और अमृगढ़र में प्रत्यक्ष स्थान पर एक यानी कुल आठ चेन्नय प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा रही हैं।

वर्गाक्षरण का परिणाम कासी सतोपञ्जनक रहा है। उदाहरण के लिए १९५४-५५ में बर्गीकृत कासी र गाड़ी ना सख्ता पाँच हजार था, जिनका मूल्य लगभग २ करोड़ रुपये था। यह सख्ता १९५५-५६ म घट कर २.५३ लाख गाँड़े हो गई, जिनका मूल्य १२ करोड़ रुपये था। इसी प्रकार बर्गाकृत धी का परिमाण १९५२ म ६२००० मन से बढ़ कर १९५६ में १.५ लाख मन हो गया। देश र अंतर ग्रन उत्पादन एगमार्क को शुद्धता और गुण का प्रतीक मानते हैं। बस्तुआ के बर्गाक्षरण के नमूने देने और परीक्षण करने म तुल्य लचा होता ही है। यह ग्रतिरित सर्वां एगमार्क लेपिल लगाने से और गुद्धता और गुण की विश्वसनीयता प्रदान करने से पूरा हो जाता है।

गुण (Quality) नियन्त्रण

रिदेशों को नियात करने के लिए जो भी या अन्य सामग्री तैयार होती है, उसके वर्गाक्षरण के समय और वर्गाक्षरण के बाद भी गुण नियन्त्रण का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि सामग्री नियातिरित विधिविद्वा र अनुरूप ही हो रहा लिए निम्न लिखित कदम उठाये जाते हैं —

(१) कच्चे माल को ढूँक कर रखा जाता है ताकि उसमें धूल, दूधा या अन्य चाहरी तत्व न मिल पाये।

धी और बनस्तति तेलों का अनिवार्य रूप से सूंघ कर या रसायनिक परीक्षण भी किया जाता है।

(२) प्रोसेस करने, पक्किंग करने, लेपिल लगाने ते समय कड़ी निगरानी रखी जाती है।

अब, सन, उन और सुग्रर क गलों के सम्बन्ध में स्वच्छता का अधिक ध्यान रखा जाना है। धी, बनस्तति तेल, मध्यम तैयार करते समय माल को इकट्ठा कर उसे समरप नना देते हैं। यह समरपता की प्रक्रिया याम रसायनहों की देख रेख में होती है।

(३) नियन्त्रण प्रयोगशालाओं में विस्तृपक परीक्षण—वर्गाक्षरण बेन्द्रों से आये प्रतिनिधि नमूनों के प्रतिरूपों का इन प्रयोगशालाओं म परीक्षण किया जाता है।

(४) नमूनों का परीक्षण—विषयान कर्मचारी जाबार से नमूने एकत्र कर लेते हैं और उन नमूनों के गुण नम्भर नियत कर देते हैं। ये नमूने किस विभिन्न प्रयोगशालाओं में रिपोर्ट के लिए भेज दिये जाते हैं। उपयुक्त तीन म वर्णित रिपोर्टों से उनकी किस जान की जाती है।

नियन्त्रित मडियाँ

किसानों की मध्यस्थी की चालबाजी से बचाने के लिए वह अनुभव किया गया कि देश म नियन्त्रित मडियों की स्थापना की जाय जहाँ वे अन्नी पैदावार का ईमानदारी पूरक और उचित तरह से मोलभाष कर सकें, वहाँ स्वत्थ प्रतियोगिता की मापना हो,

उसके साथ न्यायपूर्ण भर्ती किया जाय और वहाँ वक्रता के रूप में उनकी आवाज़ की मान्यता हो।

इस प्रकार की व्यवस्था करने की घटिये ऐसे घटनाएँ, मध्य प्रदेश, पंजाब, ग्राम प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूरु, चेरल और उड़ीसा राज्यों में 'राज्य दृप पैदापार विक्री अधिनियम' लागू किये गये हैं। अन्य राज्यों में भी शाम प्रदेशी व्यवस्था की जाने की आशा है। जो महियाँ इन नियमों के अधिनियमों के अन्तर्गत आती हैं उन्हें नियन्त्रित महियाँ कहा जाता है।

सार देश में पैली हुई १,८०० मुख्य महियों में से उपरोक्त राज्यों म (चेरल को छोड़कर) ५२३ महियाँ नियन्त्रित की जा रही हैं। आशा है द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना की समाप्ति तक ५०० महियाँ और नियन्त्रित की जा सकेंगी।

नियन्त्रित महियों में मजाकानिक सिद्धा त पर कार्य होता है। प्रबन्ध के लिए 'मेति' बनाइ जाती है जिसमें उत्पादकों, व्यापारियों, स्थानीय निवासी (Local Bodies) के प्रतिनिधि और राज्य सरकारी द्वाया मनोनीत सदस्य होते हैं। अधिकाराथतया उत्पादकों को इन समितियों में घुम्फत प्राप्त है। कई स्थानों पर उत्पादकों का प्रतिनिधि अप्पन्ह भी निर्वाचित हो गया है।

इन नियन्त्रित महियों से प्रत्यक्ष लाभ यह हुआ है कि नडी गुलह, जिसमें २८ प्रतिशत से लेकर ६६% तक मिलता है, में कमी हो गई है। इसके अलावा खुली नीलामी में अपनी पैदापार बेचने से किसान को मूल्य अधिक प्राप्त होता है। देखा गया है कि इन महियों में बेचने से किसान को १०० दरवे के माल पर २ से ५ दरवे तक की अविरिक आमदनी हो जाती है।


✓ प्रशिक्षण (Training)

विभिन्न विषयों योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कृपि नियमन कर्मचारियों की अव्यापश्यता है। यह इसलिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी विश्वायिकाजल्य अथवा सरकार में इस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा नहीं है।

१९५५ में इस दिशा में आरम्भिक प्रयत्न किया गया था जब कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पशुपालन टाइगर और तत्वावधान म निर्दायालय में पशुपन नियमन का रिशेप कार्स शुरू किया गया। गाद म भारत सरकार ने बिस्तृत प्रशिक्षण योजना की स्वर्कृति दे दी थी, जिसमें पशु जन्य यस्तुओं के अविभित्ति कृपि उत्पादनों के विषयों में प्रशिक्षण देना समिलित कर लिया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम ३० उम्मोदगरों को प्रति वर्ष प्रशिक्षण

भारत
**नियंत्रित मंडियों
 का
 वितरण**



देने की व्यवस्था है। राज्य सरकारों द्वारा समर्थित उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जानी है।

अनुग्रन्थों का प्रमाणीकरण

बैन्द्रीय कृषि-विपणन विभाग द्वारा गई, तिलहन, मूँगफली, बनसपति धी के लिए प्रमाणित अनुचन्ध शर्तों निर्धारित कर दी गई हैं।

बाजार सूचना सेवा

बलुओं की मूल्य स्कन्ध तथा परिवर्तनों सम्बन्धी विपणन सूचनाओं को आल इडिया रेडियो (A. I. R.) द्वारा प्रसारित किये जाते हैं। ग्रामीण कार्यक्रम में बाजार मूद होने के समय के मूल्य प्रसारित किये जाते हैं।

बैन्द्रीय स्तर पर सूचना सेवा के अन्तर्गत निम्न सूचनाएँ दी जाती हैं—

(अ) A. I. R. से नित्य हापुड़ मार्केट मूल्यों का प्रसारित करना,

(ब) A. I. R. द्वारा साप्ताहिक मार्केट रिपोर्ट को प्रसारित करना;

(स) मासिक पत्रिका 'भारत में कृषि स्थिति' (Agricultural Situation in India) तथा साप्ताहिक एव सामयिक मूल्य सम्बन्धी सूचनाओं को सरकारी उम्मीदों के लिए प्रकाशित करना।

समितियों की नियुक्ति

कृषि बस्तुओं के उत्पादन तथा विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत दी ऐनीय समितियों नियुक्त की गई हैं, जैसे—

(१) इंडियन चेन्ट्रल कॉटेन कमेटी, बम्बई;

(२) इंडियन चेन्ट्रल जूट कमेटी, कलकत्ता,

(३) इंडियन चेन्ट्रल टोबैको कमेटी, मद्रास;

(४) इंडियन चेन्ट्रल आयल सीड्रूज कमेटी, नई दिल्ली;

(५) इंडियन चेन्ट्रल कोकोनट कमेटी, इन्दौरुलाम,

(६) इंडियन चेन्ट्रल शुगरकेन कमेटी, नई दिल्ली;

(७) इंडियन चेन्ट्रल लेक (Lac) सेस कमेटी, रांची;

(८) इंडियन चेन्ट्रल ऐरेकोनोट कमेटी, कोजीकौड़े;

(९) आल इंडिया कैटिल शो कमेटी, करनाल, पंजाब।

सप्रहालयों (Warehousing) की व्यवस्था—कृषि विपणन में सुगर लाने के उद्देश्य से कनाडा और यू.एस.ए. के ग्राहार पर भारतवर्ष में भी सप्रहालयों की व्यवस्था की गई है। जून १९५६ में सहद द्वारा एक अधिनियम Agricultural Produce Development and Warehousing Corporation Act पाल किया गया। इस अधिनियम के अनुसार Central Ware-

दूध प्राप्त होता है और दूनके द्वारा अधिकारी मन्त्रियन नियंत्रित किया जाता है। नावें म ८० से ६० प्रतिशत तक दुध विकेता सहकारी दुग्धशालाओं के सदस्य थे। सुनुक राज्य अमेरिका में लगभग २० हजार 'कृषक विपणन तथा क्रय परिषद' वे जिनकी सदस्यता ५० लाख थी। कनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका तथा न्यूजीलैंड म भी सहकारी विपणन का महत्वपूर्ण स्थान है।

भारत में सहकारी विपणन समितियाँ

सर्वप्रथम भारतवर्ष में सन् १९१२ में सहकारी समिति अधिनियम पास किया गया जिसके अन्तर्गत सहकारी विपणन समितियों को स्थापित करने की व्यवस्था की गई थी। ये समितियाँ भमई, मद्रास और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से बाईं जाती हैं। उत्तरप्रदेश के अनुसार इन समितियों को ४ भागों में विभाजित किया जा सकता है—

- (१) कृषि उपज का क्रय विक्रय करने वाली समितियाँ,
- (२) कृषि उत्पादन और विक्रय समितियाँ,
- (३) कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रकार के उत्पादन और विक्रय की समितियाँ
- (४) कृषि के अतिरिक्त अन्य उत्पादन का क्रय विक्रय करने वाली समितियाँ।

यद्यपि भारतवर्ष में सहकारी विपणन समितियाँ का जम काफी देर से हुआ फिर भी आज भारत के विभिन्न राज्यों में सहकारी विपणन समितियाँ में काफी उन्नति हुई है। बिहार में सहकारी विपणन समितियाँ की संख्या सबसे अधिक है। ये समितियाँ अधिकतर गने की विक्री से सम्बन्धित हैं। उत्तर प्रदेश का स्थान बिहार के पश्चात् आता है। यहां गने की घी की सहकारी विपणन समितियाँ सबसे अधिक हैं। सदस्यों की संख्या की दृष्टिकोण से ये माल की विक्री के आधार पर उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है और इस चेत्र में इसके पश्चात् भमई का स्थान है।

उत्तर प्रदेश में सहकारी विपणन समितियाँ

कृषि के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश एक सम्पन्न राज्य है। व्यापारिक फृलों में गने का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि के साथ साथ गाँव में पशुसालन प्रायः सहायक व्यवसाय के रूप अपनाया जाता है, जिससे घो और दूध की विक्री के द्वारा हमारे राज्य के किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है।

उत्तर प्रदेश में सहकारी विपणन समितियों को महत्वपूर्ण उफलवा प्राप्त हुआ है, जिनमें से तीन प्रकार की समितियों को विशेष रूप से। ये समितियाँ हैं— साधारण विपणन समितियाँ, घी समितियाँ तथा गना समितियाँ। गना सहकारी विपणन समितियों को सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई है। शक्ति कारखाना की गने सम्बन्धी कुल आवश्यकताओं का लगभग ८५% से ६६% तक गने की पूर्ति इन समितियाँ द्वारा की जाती है। प्रत्येक कारखाने के फाटक पर एक गना सप्त होता है। सन् १९५७-५८

में शक्ति कारणाना ने दुन्ह २५८१ कोड मन गजा पर, नियम का ६६ ६% अर्थात् २५.०१ कराइ मन गजा सहकारी सर्वा ने पटुनाथा। सहकारी सर्वा की निजी और कानूनी पूँजी सन् १९५७ ईस्ट में कमया ३३२७६ लाख रुपये ४३६७२ लाख रुपये थी।

उत्तर प्रदेश में सात सहकारी दुग्ध संघ हैं जो ललितऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, हल्दिगारी और ग्लमाडा में स्थित हैं। सन् १९५७ ईस्ट में दुग्ध सर्वो में २५६ लाख मन दुग्ध इकट्ठा किया। ललितऊ, इलाहाबाद, हल्दिगारी और ग्लमाडा के संघ प्रमाणील हैं जब कि कानपुर, वाराणसी, मेरठ को याने काम में हानि हुई है।

उत्तर प्रदेश में सहकारी पी समितियां भी कम महत्व की तर्ही हैं। इन समितियों का उगमन 'एक गांव में एक रामति' के सिद्धान्त के आगार पर हुआ है। कांड भी जैकि जा गाप रसना है अथवा रसने का इच्छा रसना है इन समितियों का सदस्य ही कठिन है। ये समितियां ग्राम संस्थाएँ से या, यनुप्रवर्त्त आशर पर चर्चित हैं। इन समितियों की स्थापना ऐसे ज्ञेयों में की गई है जहाँ भी का उग्राहन अधिक होता है। उहाँसे १८ पाँच एक यनुयात्रन ग्रामों का दूर कर दिया है। सहकारी ग्रामों का उग्राहन अधिक होता है।

इच्छी प्रकार दश का अनुराग में मां सहकारी नियमन समितियों की दसना का गढ़ है जिन्होंने हमारे हाथ परिषेन की व्यापका न ग्रामों का दूर कर दिया है। सहकारी नियमन समितियों द्वारा प्राप्त लाभ सद्वर में निम्नलिखित हैं —

- (१) नियमन का लागत में मितव्ययता,
- (२) उचित शूल्य शाश्वत किया जा सकता है,
- (३) वस्तुओं का वित्त में नुधार,
- (४) सामूहिक योद्धा करने का शक्ति के लाभ,
- (५) स्थाइ पूर्ति और मूल राशि का स्विचरण,
- (६) सक्ति अथ व्यापका।

(७) नियमन का व्यवसाय सम्बन्धी जन श्रीरुद्रलग्ना की शिक्षा प्राप्त होती है।

सहकारी विपणन स्थाना की सफलता के लिए आवश्यक तत्व

Richard Murphy महादत ने सहकारी नियमन स्थानों की सफलता के लिए अनेक महत्वपूर्ण नावों का प्रयोग किया है उनमें भूमका लपराया इस प्रकार है —

- (१) नियमित उद्देश्य का होना।
- (२) उहाँसी नियमन स्थानों के स्थानित रखने वा उचित कारण और सुनित आनंदनका हमा चार्दिए।

(३) सहकारी विपणन समितियों के द्वारा बेक्षी जानेवाली वस्तुएँ सीमित होना चाहिए।

(४) सदस्यों की सद्भावना एवं इमामिमक्ति होनी चाहिए।

(५) सहकारी विपणन समितियों के द्वारा किया जाने वाला व्यारसाधिक कार्य पर्याप्त होना चाहिए जिससे प्रति इकाई लागत निम्नतम् हो।

(६) ऐसी वस्तुओं का विपणन करना चाहिए जिनका बाजार देशी तथा विदेशी दोनों हो।

(७) कुशल प्रबन्ध की व्यवस्था होनी चाहिए।

(८) आदर्श पड़ मुश्लिम कार्यक्रम का नेतृत्व (leadership) होना चाहिए।

सहकारी विपणन समितियों की धीमी प्रगति के कारण

उपरोक्त लाभों के होते हुए भी इन समितियों को कुछ वाधाओं का सामना करना पड़ता है जिसके कारण देश में सहकारी विपणन समितियों का विकास पूर्णतया नहीं हो पाया है। इसके लिए उचित व्यवस्था प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं —

(१) पर्याप्त तथा कुशल तात्काल कार्रवाई,

(२) विपणन वित्त प्रदान करने में असुविधाएँ,

(३) सहकारी ग्रंथिकारियों में व्यापारिक योग्यता का अभाव,

(४) पर्याप्त संग्रह सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव,

(५) नियत प्रति के बाजार भावों की सूचना का अभाव,

(६) अपर्याप्त यातायात सुविधाएँ,

(७) नियक्ति बाजार का अभाव,

(८) व्यापारियों द्वारा प्रतियोगिता,

(९) सदस्यों में समिमिक्ति का अभाव, तथा

(१०) देश में सहकारिता के सिद्धान्त की उपक्षा।

द्वितीय पर्याप्त योजना में लद्द

योजना काल में १० हजार से अधिक^१ घड़े पैदाने को गाँव समितियों तथा १६०० विपणन समितियों की स्थापना का लद्दर रागा गया है। सहकारिता की तृतीय योजना (१९५६) में समितियों की स्थापना उम्मन्यी वर्षानुषर निम्न लद्दर निर्धारित किये गये हैं —

वर्ष -	साल समितियाँ	विवरण समितियाँ
१९५६-५७	१,७१४	३१८
१९५७-५८	२६८४	७७१
१९५८-५९	३,६००	६००
१९५९-६०	..	४११
१९६०-६१	२,४०१	...

प्रश्न

1. Mention briefly the difficulties of the Indian cultivator under which he sells his produce. What remedial measures have been adopted to remove these difficulties? (Agra, 1961)
2. Discuss the main problems of agricultural marketing in India. Suggest suitable remedies (Agra, 1959)
3. What is the importance of co-operative marketing in the rural economy of India? What are the difficulties in making it more widespread and successful? Suggest remedies (Agra, 1957)

अध्याय १२

भारत में अकाल

(Famines in India)

अकाल का अर्थ—अकाल ना ग्रथ समय की गति व अनुसार परिवर्तित होता रहा है। प्राचीन बाल म अकाल का अर्थ अन्न के अभाव और तदनुसार कट और मृत्यु से लगाया जाता था। सन १८६७ म स्वापित अकाल आयोग(Famine Commission) ने भी अकाल शब्द की व्याख्या इन्हीं व्याया से प्रभावित होकर की थी। “अकाल का अर्थ साधारणों के अभाव म गहू नड़ी जनसंरक्षण का भूप से पालित होना है।”* सामाजिक विज्ञान के विश्वविद्यालय के अनुसार भी, “अकाल एसी स्थिति रों कहते हैं जिसे साधारण रूप से उत्तराधि साधारण पृथि के अभाव के फल स्वरूप किसी ज़ेर री जनता को ताव जुधानल का अनुभव होता है।”** इसके विपरीत आयुर्विज्ञानिक काल में अकाल का अर्थ, बख्ताओं की मौहगाड़, वैकारी, धनाभाव तथा यातायात के साधनों की अपर्याप्ति से लगाया जाता है। अधिक साट शब्दों भ क्य शक्ति का अभाव ही अकाल का घोलक है। आयुर्विज्ञानिक अकाल भुजा रे अभाव का सूचक है न कि साधारण के अभाव का, क्याकि साधारण की कमी अब न आयत र द्वारा दूर की जा सकती है। आयुर्विज्ञानिक काल म किसी द्वेष विशेष म यदि अकाल पड़ जाता है तो उसका अभाव उसी द्वेष तक सीमित न रहकर सारे देश म धनि तरयों का भावि प्रसारित हो जाता है।

अकाल के कारण—अकाल के कारणों को ग्रथयन की मुख्या की दृष्टि से दो भागों म विभाजित किया जा सकता है—प्रत्यक्ष तथा परोक्ष।

✓ **प्रत्यक्ष कारण—**इनके कारणों को तात्कालिक, आरम्भिक, प्राहृतिक तथा मूल भूत यारण भी कहते हैं। सर्वेष म इनका विवरण इस प्रकार है—

(१) **अनाधृष्टि (Drought)—**साधारण रूप से इसि इन्ह भगवान की

* As suffering from hunger on the part of large classes of population —Famine Commission 1867

** The state of extreme hunger on the part of large classes of population (Encyclopaedia of Social Sciences) Vo V, p 83

अनुकम्मा पर आधारित होती है। भारतवर्ष में कह तभ्य एक बड़ा सत्य है कि 'जिस वर्ष
भी वर्षा रा अमावस्या हो जाता है, उसी उद्योग में बाला पढ़ जाता है।' यही गारण है कि
भारतीय इष्टि वी 'मानव्य का खेल' (gamble in rains) री सड़ा दी गई है।
ग्रौसत रूप में प्रत्येक वर्ष में एक वर्ष में यूरा तथा प्रत्येक दस वर्ष में एक वर्ष
ग्रवाल का वर्ष होता है।

(१) अतिशृंखला (Excessive Rains)—ग्रामाल पड़ने रा दूसरा भवति
पूर्ण वाराण्य अतिशृंखला है। दिस यम आपरपत्ता ऐ ग्रधिक वर्षों हो जाती है उस वर्ष
सेवी का उत्तेनाश ही जाता है। अति शृंखला से येता म यानी भर जाता है जो यही
फसलों को गवा देता है। भारतवर्ष म यह दृश्य साधारण रूप से हृष्टिमोचन होता
ही रहता है। इस प्रकार अतिशृंखला और अतिशृंखला दोनों ही इष्टि उद्योग की सम्भावित
लिए हानिमारक हैं।

(२) गढ़ यम भूमि का कटाव—अति शृंखला र कलसरलप नदियों और जलों
में भ गढ़ आ जाती है जो दूर दूर तब फसलों रो नाड़ कर छालती है। इसके
एक लाभरिशाम यह भी होता है कि भूमि का कटाव तथा भूमि लवण्य ग्राम्य हो
जाता है।

(३) प्राकृतिक प्रकोप—वैज्ञानिक तथा आर्थिक ज्ञेय म पिछड़ द्वारा होने के पास्थ
इष्टि के दुर्घटन जैसे टिक्टी, दीमक, चूहे, बुन तथा अन्य ऐसे भूमि भूमि अपना दौर्बल
दियाये मिना नहीं रहते। ग्रोता, पाला तथा चक्रवात (cyclone) भी अपना परिचय
जमी रमी दे जाते हैं। इच्छी वाराण्य ऐ भारतीय विद्यान अति प्राचीन काल से भाष्यवादी
(fatalistic) रूप हुआ है।

अप्रत्यक्ष वाराण्य—इन वाराण्यों को आर्थिक, अनिम, तथा सर्वकालिक वाराण्य
कहते हैं। सदैर म इनका विवेचन निम्न प्रकार है—

(१) ज़हला की सफाई—वैज्ञानिकों ने यह लिख कर दिया है कि जिन स्थानों
पर ज़हला अधिक हात हैं वहाँ वर्षों भी ग्रधिक होती है। यही नहीं पने ज़हला गढ़,
भूमि का कटाव तथा भूमि लवण्य को भी रोकने म सहायता होता है। भूमि के ग्राम्य
तथा ग्राम्यरद्धिता र के पाराण ज़हला का नक्का निर्देशका से मिनाथ तिका जा रहा है।
परिणामस्वरूप भूमि सूख कर भस्तुभूमि का स्वधारण परती जा रही है और गढ़ तथा
भूमि कटाव ग्राम्य तारांव वृक्ष दिग्गजाने जा रहे हैं। ज़हला की उत्तेजिता रो
समझने हुए उत्तर प्रदेश र भूतपूर्व राज्यगाल श्री वे० एम० मुख्यो ने बन महोत्तम
ग्राम्य तिका भा और अप वह एस पर ने रूप म भाना जाने लगा है।

(२) भूमि की उत्तरा शक्ति का कमिक द्वास—वैज्ञानिक उत्तरार्द्ध वा प्रति
पालन न होने के पाराण भारतीय भूमि की उत्तरा शक्ति का कमिक द्वास द्वेषा वा खा

अबाल री हिपोटि उम्र हो जाया करता थी। लाप्तान प्रवार तथा घन के प्रक्रोधन से प्रेरित होकर राजा महाराजा लोग ग्रन्थ राज्य पर अक्रमण स्थित करते थे और विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से देती थी नष्ट कर देते थे तथा लूट खोड़ करके वहाँ के आर्थिक जीवन को ग्रस्त अस्त्र बनाये, फलत लोग भूमि से मरते लगते थे।

अबाल के प्रभाव—अमाल जन्म ग्रामादा को लेहनी नदी नरसा मिनाशा की मृति को साधार बरता है। इसके दुर्परिणाम आर्थिक, नैतिक और सामाजिक तीनों ही रूपों में दृष्टियोंचर होता है। इनका सहित विषयत इस प्रवार है—

(१) अम शक्ति का विताश—अमाल इ परिणामस्तरहरू असरख्य लोग बाल के गर्व ऐ चले जाते हैं। ऐ जाता है कि १८७५-१८७० के बीच में लगभग ३ परोड ६० लाख व्यक्तियाँ ये मृत्यु हुईं। १८७१ म अमाल आदोग ने तत्कालीन अराल के परिणामस्तरहरू बालशरणित व्यक्तियाँ ये सुखा ५० लाख आयी थीं। वर्षपि यापुनियतम आकड़े उत्तराध्य महा हैं तथापि भागी मृत्यु दर या अनुमान भली भावि लगाया बा सकता है।

(२) सामाजिक विपटन (Social Disintegration)—जूनात या दुपरिणाम प्रति आर्थिक ही नहा होता नहिं सामाजिक भी होता है। इसके पूर्ण स्तर से अनेक सामाजिक दार उत्पन्न हो जाते हैं। वज्रकृता विभवित्यालय के पुरातत्व विभाग द्वारा १८४३ म बा गई प्रोजेक्ट अनुसार नगाल के २४७% परिवार या सामाजिक विपटन तत्कालीन अबाल के बारण हुआ। इस विभाग की रिपोर्ट पढ़ने के बात होता है कि इस अमाल में असरख्य विधार्दै, लड़किया और अनाध लानार के घूम रहे थे। आर्थिक एवं भाज्य विधि ने युगा, कृद स्त्रिया को झापना शील मिल्क के लिए यात्रा कर दिया था। युगा ने अपनी रिया को भगा दिया था, स्त्रिया ने अपने भैनार पतिया को छोड़ दिया था, भेज्या ने अपने वृद्ध एवं अरुहाय मां चाचा को त्याग दिया था तथा मां जाय अस्ते पर-गार को छोड़ कर लाचाये म घूम रहे थे।*

(३) वेशारी की समस्या—अमाल इ पनस्तरहरू मजबूरा को एक गहर नहीं खला म वेशार हो जाना पड़ता है और उनसे नार्यता भी कम हो जाती है।

* Husbands have driven away wives, and wives have deserted ailing husbands; children have forsaken aged and disabled parents and parents have also left home in despair; brothers have turned deaf ears to the entreaties of the hungry sisters and widowed sisters maintained for years together by the brothers have departed at the time of direst need. Tales of such woes blacken the face of our records and show where civilisation stands when faced with the periodical needs of man"—Report of the Deptt. of Anthropology of Calcutta University.

अकाल में ग्रपर्याक तथा ग्रपौष्टिक भोजन मिलने के बारण ग्रनेन भयानक होग पलत है जिससे जन सम्पत्ति वीं ग्रत्यधिक हानि होती है।

(४) आधिक विकास में वाधा—अकाल के फलस्वरूप इष्ट उद्योग में आनिश्चितता आ जाती है। इष्ट सम्बन्धी किसाएँ लगभग समात हो जाती हैं। विशान नी कम शुक्रि कम हो जाती है और ग्रन्ततामत्वा देश के ग्राथिक विकास में गांग पड़ जाती है।

(५) पशु सम्पत्ति की हानि—अकाल भने न पल राधान वा ही ग्रभाव हो जाता है तर्किक भूमि और चार वीं भी रुमी हो जाती है। जिसके फलस्वरूप हमारी दृष्टि के आधार पशुगण भी काल रवलित हो जाते हैं। कहना न होगा कि पशु सम्पत्ति की हानि आधिक हानि होती है।

(६) राज्य की हानि—अकाल के दुष्परिणाम रुपल जनता जनादन वीं ही प्रभावित नहीं बरत नालिक सरसार वो भी प्रभावित रखते हैं। अकाल निरारणार्थ बहुता हुआ खर्च तथा घटती हुई आप मिल बरकर राज्य वीं ग्रर्व व्यवस्था वो अस्त वर देते हैं। इसके फलस्वरूप साधारण सामाजिक विसर्जन भी रुक जाता है।

ऐ तटामिक भीमासा।

आन्ध्रन वीं सुरिया के चित्तर से हम अकाल के इतिहास वीं पाच भिभागों में विभाजित कर सकते हैं—

- (१) हिन्दू शासन काल,
- (२) मुस्लिम शासन काल,
- (३) ईस्ट इंडिया कम्पनी का शासन काल,
- (४) ब्रिटिश शासन काल, तथा
- (५) स्वतन्त्रता के पश्चात्।

हिन्दू शासन काल—भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से अकाल अपना रख देता रहा है। कोई भी ऐसी पढ़ी नहीं होगी जिसने इन प्राचीनिक ग्रनोपायी की लीला न देखी हो। अत भारतवर्ष वो लोग कहावत के रूप में ‘अकाल का देश’ भी कहते हैं। हिन्दू काल में भारत में ऐसा नहीं भी अकाल नहीं पड़ा जिसको देश व्यापी अकाल वहा जा सक। इस काल में सबसे पहला अकाल सन् ६५० ई० में, पड़ा। इसके पश्चात् कमशु सन् ६४१,१०२२, तथा १०३३ में ग्रनेन अकाल पड़े जिससे बहुत से राज्य (ग्रान्त) सुनामान हों गये और मानव दानन वे रूप में पारख्यत हो गया। दसरी शताब्दी में कश्मार में सन् ६१७ ई० में एहु बहुत ही भयकर अकाल पड़ा जिससे भयकरता का ग्रनुमान कल्हण वीं राजतरणणी के रणन से होता है। “केलम में पानी बहा नहीं दिखाइ देता था, वह रिलकुल पटी हुई थी क्यार्कि लाश

जो दीपंशुल से उत्तम पक्षी हुई थी सङ् प्रौर फूल रही थी। नूमि हट्टिरा ने उनी स्त्र म पूर्णताव ढंगी हुड़ थी और उह एवं इमणान करु भ परिशेष हो गह थी, जिसने देत बर ग्रामा सिहर उत्ती थी। राजा, मत्री और रक्षक धनगान नन गये ये बरामि थे चापल रो झंगी मूल्ला पर बहन थे। राजा ऐस दरकिनी रो मत्री मनावा था जो प्रजा रो बेच न उस अभक्त आधिक धन प्रदान कर सके ॥”

जब रम्भी देश म असाल पड़ना या हिन्दू राजा लोग उनके निवारणार्थ अनेक साधनों को अप्राप्ति दे। अर्थशास्त्री चार्यक्रम ने अपने अर्थशास्त्र म असाल निवारण न लिए अनेक उपाय उत्तलाये हैं जिनम से प्रमुख निम्न हैं —

- (१) ऊर माफ करना,
- (२) देश निपाहन,
- (३) साज रोपा य बन तथा अनाज ना पितारण,
- (४) इतिम भीड़ी, तालांग तथा तुम्हा ना निर्माण,
- (५) अनाज ना आगत इत्यादि ।

मुहम्मद शासन काल में असाल—मुस्लिम शासन काल म अनेक भवकर असाल पड़। इतिहासारां ने अनेक असालों न घारे म दयनीर बथाएँ लिए हैं /जिसम ने चार असाल नहुत ही मार्किं है। मुहम्मद गुग्लम क समय म उन् १३४५३७ म यहुत ही भवकर असाल पड़ा जा दशव्यापी था। इस असाल क नियारण के लिए मुहम्मद तुगलक ने “दिल्ली री सम्पूर्ण जनता न लिए छु महीने तक मुस्त अनाज नाटने के लिए, रेनी खरने तथा तुएँ खोदने न लिए अविम राशि देने भी आगा दा ॥” इस असाल म शहर और जिले मनुष्यों से गाली हो गय और मनुष्यों ने ग्रामासुतिन भानन जैसे प्राते, यादमियों ना माथ तथा जानवरों का गूत पाने रु लिए गये होना पड़ा ।

सुग्राट् अस्वर न शासन म भी इसी प्रसार ना भवकर असाल पड़ा। सुग्राट् ने पूर हिन्दुमान म दान बाटने रो आज्ञा दा। इसक परचात् शाहजहा ने शासन काल म उन् १६४० इ० म उपर भवकर असाल पड़ा। उआट् द्वारा अवरिक्त उदारता पूर्ण नीति असालने ने परचात् भी दीरी प्रतोप वा कम न किया जा सरा। चौथा असाल औरगढ़ने के शासन काल म उन् १६८६ म पड़ा। औरगढ़न ने भी यहुत ही उदारता भा परिचय दिया परन्तु असाल पाइत अभाग मनुष्यों ना बाह मिशेप लाभ न हुआ। इन चार नामत्य असालों के अविरिक्त अनेक और भी असाल पड़ जो दूर नो कमिन रह दत है ।

इंट इडिया अम्पनी के काल में—असाल आगम १६१० की रिपोर्ट के

अनुष्ठार ईस्ट इंडिया कम्पनी के द्वाल म् १३ असाल और चार ताज़े स्कैर्सिटीज़ (scarcities) पढ़े। इस ताल म सर्वप्रथम १८३० म असाल पड़ा नियम गुजरात की तु जेनता समाप्त हो गइ और अनेक स्थान मानवरिक्त हो गय। इस ताल म सर्वसे पड़ा असाल १८७७० म पड़ा। इस असाल म लगभग एक फरोह व्याकृत भर। १८३३ म मद्रास म एक बहुत पड़ा अकाल पड़ा जिसने गुन्नूर अकाल (Guntur famine) रहते है। ऐसा अनुमान है कि गुन्नूर मी ५ लाख तक आगामी म उ २ लाख आदमी मर गय। सन् १८३७ म ग्रानाहुटि क कारण उत्तर भारत म एक भीषण असाल पड़ा नियम द० लाख से अधिक बहिर्भूत मर गय। इस अकाल के सम्बन्ध म लाड लारेंस ने लिखा है कि “मने अपने जीरन फाल म इतना पिनाशकारी पिष्ठु नहीं देखा है जैसा १८३७ म पला हे।”

निश्चिंश शासन काल—ठन् १८४८-म् भारत का शासन पूर्णवया इगलैंड के आधिकार्य म आ गया। इस काल म दस बड़े बड़े अकाल और अनेक छोटे माटे असाल पढ़े। पहला असाल सन् १८६० ६१ म पड़ा जिससे दिल्ली व आगरा के ज्ञात प्रभावित हुए। १८६६ ६७ म बहुत पड़ा अकाल पड़ा जिससे देश का लगभग प्रत्येक ग्रान्त प्रभावित हुआ। उन् १८६८ म असाल के कारण लगभग ६ करोड़ लोग भूर्षा मर गये। ग्रीष्मी शतान्दी म अकाली की तुङ्ग सरवा कम रही। सरसे भव्यकर अकाल विदिशा याल म सन् १८४३ म उगाल म पड़ा नियम लगभग ३५ लाख व्यक्ति मरे।

उगाल का अकाल सन् १८४३—यह असाल ग्रीष्मी शतान्दी का सरसे भाष्य असाल कहलाता है। लाड एमरी के अनुष्ठार इस असाल म लगभग १० लाख व्यक्तियाँ की मृत्यु हुई परन्तु यह सख्ता गलत नालूम होता है। ग्रीष्मन रूप म उगाल भे लगभग ५० हजार व्यक्ति प्रति उप्ताह रात्रि उगालत हो जात थ। नियालय के पुरातत्व सिभाग की सेवा के अनुष्ठार इस असाल म लगभग ३५ लाख ८५ हजार व्यक्तियाँ की मृत्यु हुई। इस असाल ने उगाल के आविर्कु, सामाजिक तथा नौकर जारन व। एकदम नाट बर दिया था। निधनवा के कारण लोग स्वगतासी व्यक्ति वा की प्रत्येकि किया भी नहीं बर पात म ग्रीष्मी लाशों रा नदी-नालों म पर दिया जाता था। पुराय, बौ, बच्चों वा गुले आम कर पकड़ दुश्या। छाटा-न्द्योटी नालसाया वो घरमारुति का परा अपनाना पड़ा। बरसालया म व री जाने गाली लडान्या री दूर परल १२० रुपया था। उगाल नशनल चेम्बर आफ कामर्स व ग्रधन्त्र आ ज० ५० मित्र न पहा था कि, ‘विदिशा साप्राप्त जा सरख वडा दूसरा नगर नियन्त्रा आज भूरे और नन्हे लोगों जा यिगरगाह जन रहा है।’

इस अकाल के नियालय उगाल उरसार ने लगभग ११३ करोड़ रुपये बर चिये। उरसार ने ५,१८२ रुहापतार्थ भाजनालय साल। परन्तु व भाजनालय भी

अपर्याप्ति थे। यही नहीं इन मोजनालयों में दिया जाने वाला भोजन भी अमानवीय था। यास्ते कॉन्ट्रिल के अधुसार, “सहायतार्थ मोजनालय ऐसी स्थिति नहीं थी जो मनुष्यों को चाहता है। यह केवल स्माशान की ओर पहला कदम था।”

वगाल के भीमण्ड अकाल के कुछ विशेष कारण ये जिनकी सक्षिप्त विवरणों
इस प्रकार हैं :—

- (१) सन् १९५२ में बला द्वारा जागान के आलग-समारण;
- (२) मुहूर्मन्त्र मुदा-मृश्ति के कारण मृश्ति में वृद्धि,
- (३) सामाजिक हृषिकोष से राशानन का गम्भीर वगाल से हटाना;
- (४) वगाल के बड़ुन से जिलों की फसलों वा नष्ट होना;
- (५) केन्द्रीय सरकार द्वारा लक्ष को चावल नियंत्रित किया जाना,
- (६) व्यापारियों वर्ग व्यार्थपूर्ण उप्रह नीति तथा चोर घाजारी;
- (७) याताकाल के साथों की दुर्लभता, तथा
- (८) दोषर्णी सरकार की विषयन भीति।

सन् १९५४ में वगाल के अकाल के कारणों की जांच करने के लिए बुद्धेश्वर आयोग वी नियुक्ति की गई। इस आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये। जैसे—

(अ) २५,००० वा इससे अधिक जनसख्त्य वाले नगरों में तुरन्त राशनिग प्रथा लागू कर दी जावे,

(ब) आनाज के व्यापारियों को लाइसेंस देते समय सरकार को कही नीति अपनानी चाहिए;

(स) ‘आधिक अन्न उभवाओं’ आन्दोलन को मुद्दा बनाया जाए;

(द) निश्चित सीमा से आधिक भूमि रखने वाले किलानों को सरकारी नियन्त्रण में लाया जाव और २५ एकड़ भूमि आधिकतम सीमा निश्चित की जाव; तथा

(ए) आतिरिक आनाज वाले स्थानों पर वडा नियन्त्रण किया जाव।

स्वरंगता के पश्चान्—स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में कोई भयकर अकाल नहीं पड़ा। हाँ लाशान का अभाव अवश्य प्रीत होता रहा है। सरकार वी सामयिक सहायता, सतर्कता तथा बुद्धिमत्ता के कारण जनता को नह भी आधिक खला नहीं है। पिगत कुछ वर्षों से भास्त में लाय चर रुद्र अवश्य भना रहा है जिसके लिए प्राष्टविक और अप्राष्टविक दोनों ही कारण खमान रुद्र चर उत्तरदायी है। इन परामर्शों पर विश्वार में अप्रयत्न खाद्य-समस्या के अतिरिक्त अज्ञान १३ में चिया गया है।

अकाल नियारणीय प्रबन्ध (Famine Relief Measures)—अकाल नियारणीय के प्रबन्ध प्रयानत: सेती का उत्पादन बढ़ाने और सर्व लाशान की कल शुक्रि

यो बद्दान से सम्बन्धित होना चाहिए। संती रा सर्वांगीण मिसाल ही भारतीय असल की उमस्मा का एकान उमर हो सकता है। जनता ने असल की आपचिया से सुर्दृश उचित राजने के लिए कुछ स्थानी नुधारा भी आपरस्मा होगी जैसे भारतीय संती का पुर्णगठन, छिनाड़ के साधनों का मिसाल, यात्रान के मिसाल पर नियमण, गतासाव के साधनों का मिसाल, गंवी के प्राकृतिक यजुआ से न्याय तथा असल नियाय नीति की स्थापना आदि।

भारतगत म ग्रानीत गल म (हिन्दू और मुस्लिम शासन गल म) अक्षय नियमण से बोहं समुचित एव स्थानी नीति नहीं। असल गद। जब कभी असल रा प्रतीत होता था तत्त्वालीन खाद्यभाग अपने राज्यों में अस्थायी नियमण कार्य प्रारम्भ कर देते थे उदाहरणार्थ वे नहरं और तालाब खुदगते थे, सड़क और इमारतों का नियमण गताने थे, सरकारी पताने से बन और अन्य रा मिसाल यही उदाहरण का नाय किया जाता था। यह नहीं वे लोग असल प्रभुत्व जनता भी मुझ भाँजन, लगान सु कूट तथा तमारी झूण आदि भी दिया गले थे। इस्ट इंडिया कम्पनी ने भी इन्ही शासन की नीति रा अनुसरण किया। मुझ भाँजन, अनाज व रामड़ा दिया जाता था यात्रान के नियमण पर प्रविक्षण लगा दिया था परन्तु फिर भी गतासाव के साधनों की टुलनेता ने राग्य असुखिय व्यक्तियों ने अपने प्राण की नीति दी फूँ।

आधुनिक सहायता कार्य—आपुनिर सहायता कार्य रा संगठन सर्वप्रथम १८६० वें किया गया। इस उमय तक असला म स्कूल बड़ल चुका था। अब असल यात्रान र अमाव र नारण नहीं गल्क मत्याकि एव रोडगार र अमाव र नारण होने लगे। उन् १८६० म आपुनिर असल सहिता (Modern Famine Codes) रा नियमण किया गया। इस सहिता क अनुसार जनसंख्या का प्रभाजन तान नेपिया म १८८ गया। प्रथम वे लोग जो शारीरिक परिस्थि करने वाले थे, द्वितीय वे लोग जो निर्धन और असहाय थे परन्तु कुछ नर सकत थ और तृतीय वे लोग जो पिलबुल असहाय थे। उन् १८६५-६७ म उद्दीप्त क असल ने उपरोक्त नियमों दी अपकल्प र दिया।

फलस्वरूप उन् १८६७ म सर जॉन रैम्बेल भी अध्यक्षता म सरसार ने असल जात्र आरोग भी नियुक्त की। वह प्रथम असल आयोग था। इस आरोग की सिफारिया र अनुसार सरसार ने धोका किया कि उसकी मुख्य नीति जनता र जीवन की स्त्रा करना है। उन् १८६० म सर रिचर्ड लैंची की अध्यक्षता म सरसार ने एक और असल आयोग की स्थापना की। इस आयोग ने सरसार की भाँति असल नियमण नीति रे सिद्धान्तों की नीति ढाली। इस आयोग की सिफारियों के अनुसार उन् १८६३ मे प्रान्तीय असल कानूनों का नियमण किया गया। इन रानुनों का परीक्षण उन्

१८६६-६७ तथा सन् १८६८ १६०० के ग्रामाली द्वाय किया गया। ये कानून पूर्णतया सफल निकले।

वर्तमान अकाल नीति—वर्तमान ग्रामाल नीति के दो प्रधान अग हैं—प्रथम ग्रामाल पीदितों को तत्कालीन सहायता पहुँचाना तथा द्वितीय ग्रामाल वी पुनरावृत्ति वी रोकने के लिए दीर्घकालीन प्रयत्न वरना। तत्कालीन सहायता कार्य को तीन भागों में बटाया गया है—(१) चेतावनी कार्य, (२) सुविधानुसार सहायता कार्य, तथा (३) जीमन रक्षा कार्य। सन् १८४५ म ग्रामाल व भीषण ग्रामाल ने उपरोक्त सिद्धान्तों वी ग्रामाल वर दिया। परिखामस्तरूप सन् १८४५ म सर जान बुइंड की अध्यक्षता म एक ग्रामाल जान आयोग भी नियुक्त की गई। इस आयोग ने सरनार क सम्मुख दो रिपोर्ट प्रस्तुत की। पहली रिपोर्ट म तो ग्रामाल के ग्रामाल व वासियों का विवेचन था और दूसरी रिपोर्ट म आयोग ने भागी ग्रामाली की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण सुझावों को दिया था। इन सुझावों व सम्बन्ध म उपर उक्त किया जा सकता है।

स्वतन्त्रा प्राप्ति के पश्चात् हमारी लोकप्रिय सरकार ने ग्रामाल सकट से दूर करने के लिए दो वर्षोंकी नियत परिवारी जार दिया। दो वर्षों का नियत योनात्मक इन पर किया जा रहा है और कुपि सम्बन्धी ठोक नीति दो ग्रामालाया गया है। प्रभाव, द्वितीय और तृतीय योजनाओं पर क्रमशः १०१८ लाख रुपये, १४८१ लाख रुपये तथा १५०० करोड़ रुपये कुपि एवं सिनाइ रुपये पर व्यवस्था जाने के लिए नियत किये गये हैं। ये धनराशि योजनाओं व इन्हें जाने वाले कुल व्याप की क्रमशः ४५% २%, ३०% तथा १५% है। आशा की जाता है कि इन योजनाओं व सफल हो जाने पर हमारे देश म ग्रामाल वा सकट संदेह व लिए समाप्त हो जायेगा।

प्रश्न

१. Write a short note on 'Early Famines in India' (Agra, 1955)

२. What were the causes responsible for the frequent outbreak of famines in this country? What measures would you suggest for preventing their recurrence in future? (Agra, 1954)

अध्याय १३

खाद्य-समस्या

(Food Problem)

भारतवर्ष ये अनेक गम्भीर समस्याओं में से सादे समस्या का स्थान रखा रहा है। देश के राजनीतिशासी और अर्थशास्त्रियों के मस्तिष्क में इस समस्या ने एक दर्द उत्पन्न कर दिया है। अनेक प्रश्नों के पश्चात् भी वे लोग इस समस्या को सुलभाने में असफल रहे हैं। आज हम आयात सिये गय अन्नों पर आधिकारिक रहने लगे हैं। यह कहत हुए हम लोगों और शोक का अनुभव होता है। भारत अनादि पाल से एक ऐसी प्रधान देश रहा है और वहाँ पर दूध और धी की नदियों महती रही हैं। आज भी अधिग्राश जनसख्त्या इसी पर ही निर्भर है। सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार ८९.७% जनसख्त्या ग्रामीण है और कुल जनसख्त्या का ६६.४% व्यक्ति अथात् २४.६ करोड़ व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से रोती म ही लगे हुए हैं। इसी प्रधान देश होने के कारण भारत के लिए यह वास्तव म शोक, लज्जा व आख्यायी की चात है कि वह अपनी सादे सम्बन्धी आपरेशनलाइटों की पूर्ति के लिए विदेशी पर निर्भर रहे।

खाद्य समस्या के पक्ष (Aspects of Food Problem)—हमारी खाद्य-समस्या बबल व्यवाहार भी ही नहीं है बरन् गुण विषयक (Qualitative) तथा प्रशासन (Administrative) सम्बन्धी भी है। इस प्रवार सादे समस्या के तीन पक्ष हैं—

- (१) मात्रा सम्बन्धी (Quantitative),
- (२) गुण सम्बन्धी (Qualitative), तथा
- (३) प्रशासन सम्बन्धी (Administrative)।

१—परिमाणात्मक अथवा मात्रा सम्बन्धी पक्ष (Quantitative Aspect)

आज हमारी खाद्य उपज इतनी कम हो गई है कि जनता के उदार पोषण के लिए हम प्रति वर्ष लाया टन अनाज विदेशों से आयात करना पड़ता है। बन् १९५७ और १९५८ म भ्रमण ३६ और ३२ लाय टन अनाज विदेशों से आयात निकाला गया। खाद्य समस्या के ग्रात्यन्त उम्म रूप धारण कर लेने का एक कारण यह भी है कि हमारे देश वीज जनसख्त्या दिन द्वानी और गत जीवनी अद्वीतीय रही है। जन-

सख्ता की समस्या और साव समस्या एक दूसरे से बनिट स्पॉट से सम्बन्धित है। इसीलिए ग्राफ टेक्नोलॉजी, ऐलीकोनिक्स व प्रावापर जूँ हेरोइन ग्रेडन ने जनरल १६५८ में यहाँ है कि “यह सुधार की जनसभ्या इसी प्राप्ति उच्चतम दर से गढ़ती गई तो एक दिन इस धरती पर इतने ग्राहित भवन्न्य हो जायेंगे कि उनसे ग्राहने से पहले अनाज उगाना सापेना पद्धति”

यदि वह साच लिया जाय कि भारतीय म सदृश उ अन्न का खट्ट नहा रहा है तो एक अहम नुल हाथी। अन् १८८० क अराल आयास (Famine Committee १८८०) ने इसी रिपोर्ट के बाबत म ५० लाख टन साधारणा का आपेक्षित रहता है। कुछ समय तर वदाचित रिपोर्ट की उमति ने जनसभ्या की बुद्धि और उपलब्ध साव पृष्ठि के जन्म एक व्यापर का साम्बन्ध रखा किन्तु मालूम होता है कि जन सख्ता की बुद्धि ने साव पृष्ठि को पद्धार दिया। ३४ रप के पश्चात् ग्रथात अन् १६१६ मल्य जाच समिति (Prices Enquiry Committee) ने ग्रानी रिपोर्ट म लिया था कि देश म जनसभ्या निषेध गति से गढ़ रहा है, साधारणा के अन्तर्गत वृषि भूमि न चब उसी तरीके न नहीं गढ़ रहा है जिसके कलम्बन्य ननसख्या और साधारण के पृष्ठि के मीठे न सकुलन रुमान्त हो रहा है।

अन् १६२१ से भारतीय एक शुद्ध आपत्तिका देश बन गया। इसके पृष्ठि वह एक नियावक्ता देया था। इस वर्ष उ भारी बायाव र इतिहास म एवं नव व्यापर का नामांकण होता है। अन् १६२१ ई० म जनसख्या घट्टर अन् १६७ (प्राप्ति वर्ष १६०१) का, जब ये रोटी काय गव चेपल रा गूलक गढ़ ११६ था। इस प्रसार जनसख्या ने साव समस्या को दीड़ म पीछे पछाड़ दिया और माल्यस के सिद्धान्त का संस्कार का प्रमाण दिया। भारत सरगर ने अन् १६३३ म सर जान मीग (Sir John Megaw) का ग्रावश्वर जाच करने के लिए नियुक्त किया। उनके अनुसार, “उष्ट समय लगभग ४०% गाया की जनसख्या अत्र उत्तराधिकारी द्वारा दीटि से ग्राहित थी। उस समय ३६% जनसख्या को पूरा भोजन, ४१% का सहयोग की अपूर्ण भानन, तथा रोप २०% जनसख्या के लिए भानन मिलना या न मिलना गया था।” अन् १६३४ म द्वा० रात्यारुमल मुकर्ना ने अनुमान लगाया था कि एक ग्रामांक वर्ष म भारत की साव उत्तरी उम्मील ८०% जनसख्या के लिए ही पकान रहती है।

अन् १६३७ म यहाँ र देश स अलग हो जाने के रायण याद्यान का और भा० अभान हो गया। यहाँ से भारत को पकाती भावा म चामल ग्राव रहता था। कलम्बन्य चामल र अभान के भावा, जानन नया अन्य देशों के आवात से पूरा किया जाने लगा। सितम्बर १६३८ म दिग्गज महानुद्दिष्ट जाने के कारण साव-उम्मील का लप और भी भवान हो गया। देश की आगश्वसानां र अविवित भारत पर निवारण।

की खेनाओं को अन देने सा उत्तरदायिल दिग्गज। इस प्रभार एक और तो अन का जाँग नहु रही भी और दूसरी और अन सा उत्तरादन पट रहा था। सन् १६४३ म ब्रह्माल क भीपथ्य अकाल ने, जिसमें इलगभग ३५४ लाख व्यक्ति काल रखलित हो गये, खात्र-समस्या को और भी गम्भीर रूप दिया। इस समय तर निदेशों से खात्रानों के आयात भी लगभग न्यू हो गये ज्याहि चीन, थाईलंगड, जापा तथा इंडोनेशिया जैसे देश, जिन पर इन भारतरर्ष अपने आयात ने लिए, निर्भर रखता था, दुर्सन रान्डा द्वारा अधिकार म ले लिये गये।

द्वितीय महायुद्ध के समाप्त होने ही १५ अगस्त १६४७ को देश के विभाजन ने भारत के भाग को एक नया मोड़ दिया। देश के न्यूत से उत्तराऊ भाग जैसे 'पश्चात का नहरी वाला ज़ेब, नृठ तथा यह उगाने वाला अधिकार भाग पासिन्ताम चैन म चला गया। फलत देश में लगभग ८ लाख टन ग्रनाज भी और उमी हो गई। विभाजन के फलस्वरूप भारत को हुँड़ ज़ति सा साट और निम्न तालिका से शान होगा। —

(आँखड़े लार्डाम)

	भारत	पासिन्ताम	भारतीय ज़ति
चतुरकल (गर्गमील)	१२	३५	२२%
जनसंख्या	३,३२७	६६९	१७%
जगल (एकड़)	६२५	५२	८%
हुपि रोप्य भूमि (एकड़)	२,०६८	५५२	२१%
सिन्चित भूमि (एकड़)	१६०	१६५	३३%
ग्रन (टन)	१०७	१३५	२५%
ग्रन (टन)	४५	८	१५%
निलहन (टन)	५०	२	४%
स्ट्रैं (गाढ़)	२१	१४	६०%
नृठ (गाढ़)	१४	६३	५२%
जम्बारू (टन)	३	१	२५%
धान (टन)	१२०	८५	४२%
गहू (टन)	५६	३१	३४%

स्वतन्त्र प्राप्ति के पश्चात् खात्रान सा उत्तरादन और भी घट गया। सन् १६५०-५१ म खात्रान सा उत्तरादन ४१७४ मिं टन था जब रि १६४६-५०, १६४८-४९ तथा १६४७ छद्म में वह उत्तरादन क्रमशः ४६०२, ४३३, तथा ४३७४

मिलियन टन था। अधिक अन्न उत्पादनों आन्दोलन द्वारा किये प्रयत्नों के बावजूद मी खाद्यानु उत्पादन घटता ही चला गया स्थानिः—

(१) नई ऊसर भूमि को उपजाऊ जनाने पर अधिक जार दिया गया और पहले से उपयोग में लाई जाने वाली भूमि का उत्पादन नहीं बढ़ाया गया।

(२) आन्दोलन ने अधिगतिरिया तथा भावन्तरीया की अनुशृणता तथा बढ़ायी।

(३) आन्दोलन के साथ कियाना वा अपूर्ण उत्पादन।

(४) साधानां की अपेक्षा व्यापारिक फलता पर जोर।

सन् १९४७ से सन् १९५१ तक वी यात्र स्थिति वा प्रिवेन्टन करना लम्ह ही है, क्योंकि उस समय देश में राजनीतिक उत्पल पुरुषों ने समय वा, जिससे भूमि मुश्वर करने वथा ही उत्पादन में सुधार लाने में सरकार कोई स्थिर तथा ठोक नीति नहीं। सभी।

प्रथम पचासीवर रोजना (१९५१ अ६) भाल में लिनिन भूमि के चौपल में उपरोक्त वृद्धि होती रही। इस वृद्धि के मूल वारण साधानां पर से मूल्य नियन्त्रण का हटाया जाना और अन्न संग्रह पर से प्रतिमन्त्रा का अन्न किया जाना था। इस प्रकार सभी प्रतिमन्त्रा वा अन्न किये जाने से उत्पादकों में नड़ आशा का उचार हुआ। उन्हें अब प्रसन्नता वी कि वे साधानां में मूल्य वृद्धि करके सून लाभ कमा सकेंग। किन्तु १९५३ और १९५४ में दो लाभमारी मानव्यों ने देश की साधान वी रियली की निलूल नदल दिया। उत्पादन इतना बढ़ा कि साधानां वा मूल्य गहुव निम्न सर तर निर गया। सरकार इस स्थिति से भयभीत हो गई और उसने मूल्यों में स्थिरता नवाये रखने के लिए नाबार ये अन्न ती यहेद प्रत्यक्ष रूप से शुरू कर दी।

सन् १९५१ से १९५६ तक सरकार ने अन्न उत्पादन वी ओर सून ध्यान दिया। उत्पादन वृद्धि के सभी साधन जुटाये गए तथा अनेक उपाय प्रयोग में लाने गये लिनिन सन् १९५६, ५७, ५८ और ५९ में उत्पादन स्थिति निरन्तर विगड़ती गई। देशवासियों की उत्परपूर्ति रे लिए विदेशी से अन्न ना आशात करना आवश्यक हो गया, और 'साधनिग' प्रथा वी पुनः लागू करना पड़ा।

इस प्रकार स्वतन्त्रा प्राप्ति के नाह वर्ष परचात् भी अनेक उपाय करने पर भी साधान वी कमी दूर नहीं किया जा सका और आज भी देश की यह दशा है कि उठे परिस्थितियों से नाप्त होकर अनाज का भारी मात्रा में लाजमी तौर पर आयात करना पड़ रहा है।

साधानों के आभास के परिणाम

(१) अधिक आयात—साधानों के आभास को पूर्ति के लिए विदेशी से

असख्य मात्रा में आयात करने पड़े। समय-समय पर किये गये आयातों का अनुमान इस तालिका से होवा है :—

वर्ष	आयात (लाख टनों में)
१९४४	६४
१९४५	२३०३
१९४०	२१०३
१९४२	२०००
१९४४	८०
१९४५	७०
१९४६	१४०
१९४७	३६०
१९४८	३१०७३
१९४९ (१५ मई तक)	२७०२२

भारत और अमरीका की सरकारों के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके अनुसार अमरीका भारत को चार वर्ष की अवधि में ६० लाख टन गोहू और १० लाख टन चावल देगा। इस अमेरिकी के भूल्य और समुद्री यातायात के व्यय के रूप में भारत अमेरिका को ६०७ करोड़ रुपया देगा।

(२) विदेशी मुद्रा का सकट—विदेशों से असख्य मात्रा में दिये गये आयातों का प्रभार हमारे आर्थिक स्थिरता पर भी पड़ा। आयातों के फलस्वरूप हमारा भुगतान का संतुलन (Balance of Payment) प्रतिकूल हो गया और यह अब भी प्रतिकूल बना हुआ है। अब सकट को दूर करने के लिए सरकार को समय समय पर तथाकियों अथवा अनुदान (subsidies) भी देने पड़े हैं जिन्हाने हमारे देश के वित्त व्यवस्था की रीढ़ को तोड़ दिया है।

(३) राशनिग प्रथा का अपनाया जाना—जानान के अभाव के कारण सादात्मन की पूर्ति पर नियन्त्रण करना पड़ा जो कि राशनिग प्रथा के नाम से अधिक प्रचलित है। १९४४ के प्रारम्भ में २४० लाख व्यक्तियों को राशनिग के अन्तर्गत अनाज मिल रहा था। वह सख्त शाने: शनै-थड़नी चली गई। मार्च १९४६ में ५०० लाख व्यक्तियों द्वारा तथा दिसंबर १९४७ तक १४५० लाख व्यक्तियों को इस योजना के अन्तर्गत अनाज प्राप्त हुआ। दिसंबर १९४८ में यह सख्त घट वर ८०४ लाख हो गई। तदुपरान्त यह सख्त घटवी-थड़नी रही और अभी तक राशनिग प्रथा चालू है।

(४) आन्तरिक उपभोग में कमी—अस्त्रज्य माना म आयात होने के गवर्नर भा देश म साधारण से कमी रही। फलत प्रति व्यक्ति साधारण वा उपभोग घटता चला गया। उदाहरणाय १९२० म प्रति व्यक्ति साधारण भी पृति ४७० पौरुष ३६० ३३०, १९४० ४१, १९५० ५१, तथा १९५० ५१ म कमशा ४०० पौरुष, ३२८ पौरुष तथा, ३१२ पौरुष रह गइ। १९५१ से साधारण भी स्थिति म ऊँचे सुधार ग्रनश्य हुआ है।

साध समस्या के कारण

(१) जनसंख्या में वृद्धि—ननसंख्या का गमन्या की मूल भाव यह है कि उसने साध पृति की काफी पीछे टूट दिया है। पिछले ऊँचे वर्षों म हमारे देश म जनसंख्या म ग्राम्यधिक वृद्धि हुई है। पिछले ६० वर्षों म जनसंख्या भी बढ़ इस प्रारंभ हुई है—

वर्ष	जनसंख्या	प्रतिशत वृद्धि
१९०१	२३६	—
१९११	२४६	+५.८
१९२१	२४८	-०.८
१९३१	२५६	+११.०
१९४१	२६३	+१४.३
१९५१	२७७	+१३.४
१९६१ } अनुमानित	२९०	+१४.८
१९७१ }	३१०	+३६.७

शायोर महवा समिति क अनुयार जनसंख्या भी जनमान वृद्धि से हमारे माझे अन् १९६० ६० म ७६० लाख टन हो जावगी। इस प्रवार महत्वी हुए जनसंख्या साध समस्या को जाटल जायें हुए हैं क्याक अन टन हुए दाता क लिए पवान जाने नहीं हैं।

(२) मुद्रा स्फीति (Inflation)—इतीप महायुद्ध से मूल्या क लर म नरस्तर वृद्धि होती रही है। स्वतंत्रता गान्धी परिचार भी इसम बोइ मुवार नहीं हुआ है। मौद्रिक आय अवश्य बढ़ी है परन्तु उत्तर साध साध मूल्या म भी वृद्धि हुई है। मात्रक आय की अपक्षा मूल्या म हुई आधर हुई है, अब मूल्यान्वेशान भी बढ़ता गया है—

(आगर १६५२ अ० = १००)

रुप्ति

मूल्य निरदार

१६५४ ५६	६२५
१६५६ ५७	१०५ ३
१६५७ ५८	१०८ ४
१६५८ ५९	१११ ८
१६५९ ६०	११३ ९

अनुमान था कि मूल्यों न वृद्धि से प्राचीन उत्पादन घटेगा परन्तु ऐसा नहा हुआ। यही ही आय संक्षिप्ताना ने आगे पुराने सूचा से चुनावा और शेष मन न आगे उत्पोदन स्तर म बढ़ावा दिया। इस प्रभाव हीपि उत्पादन विधि म नई नुधार न हो सकी और अब उत्पादन करना बनाव रहा।

(३) कृषि उत्पादन म वर्षी—एक आर तो जनसम्मा गुनगति से नहीं तो रहा है और दूसरी आर प्रति व्यक्ति कृषिक्षेत्रफल प्रत्यक्ष जा रहा है। याक्राना ग्रामीण (प्रथम रोजना) न अनुसार नेत्रे जाने गला प्रति याक ज्ञानफल १६११ १८ म ० एकड़ था, जो सन् १६२१, १६३१, और १६५१ म घट नर जमश ० एकड़ एकड़, ० ७२ एकड़ और ० ६५ एकड़ रह गया। ज्ञानफल याकड़ा इ अनुसार यहा पालैंड, चरोल्सोनो करा, हगरी, रुमानिया, यूआर्नारिया और इगलैंड म २०० एकड़ भूमि जमश २९, २४, २०, १०, ६२ और ६ ग्रामीणमया नी ग्रामीण देती है, यहा भारत म उभे १४८ ग्रामीणी नी भार बहन उत्पादन पड़ा है। इसीलिए यहाँ प्रति एकड़ उत्पादन भारतीय की तुलना म नहुत बम है।

(४) अपाची अथवा व्यापारिक फसलों के क्षेत्रफल मे वृद्धि—पिछले उछ नयों से प्राचीन फसलों म स्थान पर व्यापारिक फसल (cash crops) नी पैदा नहीं नियमित नहीं चर रही है। यह १६१३ १८ ल लन १६५० ४१ न लगभग १० नयों म प्राचीन फसलों म ४% तक ही नय कि व्यापारिक फसलों म ५३% नी बढ़ हुइ है। इसना प्रमुख भारत नी उपेक्षापूर्ण हीपि नाहि है।

* (५) देश से वर्मा का अलग होना—उन १६१७ म देश से वर्मा क अलग हो जाने क बारम्य हमारे देश म लालान विशेषकर चावल की कमी हो गई। वर्मा से लगभग १३ लाख टन चावल हमारे देश को प्राप्त होता था। इस अभाव को दूर करने के लिए वर्मा, जापान तथा आय पूर्वी देशों से ग्रामीण बनने पड़े।

(६) देश का विभाजन—१५ अगस्त १९४७ से भारत का विभाजन हो जाने के बारण सायद-समस्या ने और भी उपर धारण कर लिगा। नर्मा के ग्रलग हो जाने से तो हम करल चापल से ही वचित हो गय, परन्तु देश के विभाजन ने हमें चापल और गेहूँ दोनों ही छीन लिये। पजाप और सिंध भू अत्यधिक उभजाऊ और चिन्हित क्षेत्र, जो कि गेहूँ भी सत्ती रहलाने व, पाकिस्तान में चले गये। चापल के ज्ञानकूल का करल ५८ ६% और गेहूँ के ज्ञानकूल का ६६% हम प्राप्त हुआ। इसके विपरीत ग्रन्तिभानित भारत की ८० ५% जनसख्त्या हमारे हिस्से में रही और रोप १६ ५% जनसख्त्या पाकिस्तान के हिस्से में। इस प्रमाण हमारे पायद उत्पादन और जनसख्त्या का अनुपात निर्गढ़ गया।

(७) शरणार्थियों का आगमन—विभाजन के साथ-साथ पाकिस्तानी चर्चा उ शरणार्थियों के आगमन के समस्या और गम्भीर हो गड़। अनुमान है कि लगभग ६० लाख शरणार्थी पाकिस्तानी क्षेत्र से भारत में आ चुके हैं।

(८) प्राचीन व दोषपूर्ण कृषि पद्धति—आन नर विभाजन ने लगभग सभी प्राचीन कृषि पर विभव प्राप्त कर ली है और विभान का प्रोग उत्पादन के लिये चर्चा में आ गया है। भारतर्प्य और भी इस अवधिर वा लाभ नहीं उठा सका है। भारतीय कृषि उत्पादन के सामने बहुत ही प्राचीन तरीके अवैज्ञानिक हैं। राष्ट्रीय उत्पादन के प्रबन्ध के नामन्तर में इष्ट पठनि म जुगार वाढ़ताप रहेगा।

(९) वर्षा पर निर्भरता—आन भी भारताप इष्ट भगवान की अनुसन्धान पर आवारित है। अब कहा जाता है कि “भारताप इष्टि वरा का उत्तरा है।” वरा का विवरण दोषपूर्ण, अधमान तथा अनिश्चित है। जब कसी अनावृष्टि हो जाती है, कृषि उत्पादन में ताला पड़ जाता है। ३० ललन्ति विह के अनुसार उत्तर प्रदेश में १५ वरा में लगभग १६ पर्यं वरा कम हुइ है और ६ वरा में सूखा रहा है। इसी प्रकार उगाल में १० वर्षों में करल एक वर्ष ही एता होता है जब सतापननक वरा होती है और वर्षीय वर्ष राज्य के विभिन्न जून म अनावृष्टि अवसरा नहीं का प्रवाप रहता है।

अब इष्टि उत्पादन साधन उत्तरने और खेती करने के अनेक वैज्ञानिक तरीके अपनाने पर भा पानी (उचाड़) की समस्या हल किये जिन सब कुछ वर्त्य हैं।

(१०) दोषपूर्ण सगठन—भारतीय विभान जमें उ ही निम्न होता है और आजीवन निर्भनता सी गोद म रहता है। निर्भनता के कारण वह व्यक्तिगत रूपमें अपनी कृषि व्यवस्था का सगठन नहीं कर पाता। निरय हाकर उस मध्यस्थी का सहाय लना पड़ता है जो राजसद्वा (T. B.) की कीटागुर्या भी भाति उसक आर्थिक जागी का चुन डालत है।

(१) अलाभकारी उद्यम—दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण तथा अवैशानिक हृषि पद्धति के कारण ही उद्योग एक अलाभकारी उद्यम मान रहा गया है फलस्वरूप हृषि पूर्ण परिवर्तन तथा प्रेरणा से कार्य नहीं करता है।

२ (२) विरिधि—साध्य समस्या के उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त अनेक अन्य कारण भी हैं, जैसे यातायात के साधनों का अभाव, ही पियण की समुचित व्यवस्था का अभाव, उत्तम याद व सिन्चाइ का अभाव, पशु शक्ति की दयनीय दशा, फसलों के रोग तथा बीटाणु, देवी प्रयोग तथा सापारि व्यापारिक नेतृत्व पतन आदि।

मेहता जाँच समिति (Mehta Inquiry Committee)

साध्य समस्या के विभिन्न दबावों का दिसार म अध्ययन करने के लिए कन्द्रीय सरकार ने दूसरे १९५७ म श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता म एक साध्य जाँच समिति नियुक्त की। समिति दो निम्न घटाओं की जाँच करनी थी—

(१) नर्तमान साध्य स्थिति का पर्यवेक्षण करना तथा १९५५ के मध्य से साधान के मूल्यों म निरतर हृदि के कारणों की जाँच करना।

(२) अगले कुछ वर्षों म माग और पूर्ति की प्रवृत्तियां म होने वाले परिस्तंभों की निम्न घटाओं को ध्यान म रखते हुए इग्निट करना—

(अ) साध्य उत्पादन को नहाने के लिए निये गये अथवा निये जाने वाले उपाय

(ब) विक्री योग्य अतिरिक्त साधानों की माग पर नहाने हुए विकास व्यव्य, जन सख्त्या म हृदि तथा शहरीकरण (urbanisation) का प्रभाव

(स) आपश्यकना के दृष्टिकोण से निदेशी मुद्रा रोपण म रखते हुए साधान प्राप्त होने की सम्भावना।

समिति के सुझाव

सन् १९५० खं १ से सन् १९५७ तक की साध्य स्थिति की जाँच करने के पश्चात् समिति ने नवम्बर १९५७ म निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव दिये—

(१) सरकार द्वारा साधान का क्रय विक्रय (Buffer stock Operations) करने साधान के मूल्यों म स्थिरता रखना,

(२) अनाज ऐ थोक व्यापार का शने शने समानीकरण,

(३) परियार नियोजन के लिए देश भारी आदोलन,

(४) सहायक (subsidiary) साधानों का उपभोग, तथा

(५) एक पृथक् साधान स्थिरीकरण संगठन (Foodgrains Stabilisation Organisation), मूल्य स्थिरीकरण थोर्ड (Price Stabilisation Board), कन्द्रीय साध्य परामर्शदात्री समिति (Central Food Advisory Council) तथा मूल्य जाँच विभाग (Price Intelligence Division) की स्थापना करना।

तृतीय पचवर्षीय योजना—इसमें लगातार यह कहना है कि “गांव-उद्यादन स्थिर रहने का प्रमुख कारण यह है कि ग्रामीण वर्ष भूमि से उत्पादन मढ़ाने के लिए नई गहन प्रयत्न नहीं किया गया है। भारतमर्प में प्रति एकड़ उपज सहार में सर्वथे रहा है। जागरान में प्रति एकड़ उपज ३,७५० पीएड है, चीन में २,३८७ पीएड है तथा सुधूक राज्य अमेरिका में ३,००० पीएड है जबकि भारतमर्प में उपज ७०० पीएड ही है। गहुं भी प्रति एकड़ उपज ६०० पीएड ही है जबकि जागरान में १८०० पीएड। अतः ग्रामारणीक उत्पादन भूमि से उत्पादन शुक्ति मढ़ाने की है।”

भूमि से उत्पादन शुक्ति से मढ़ाने के लिए योजना में निम्न चार सुझाव रखे गये हैं—

- (१) छिनाई वथा जल भी भुविगाया भी व्यवस्था,
- (२) उत्तरता भी पानी पूर्ति वथा उत्तरा विभिन्न प्रकार का भूमि में उत्तरोंग,
- (३) खत्ती वा यत्त्राकरण वथा ट्रैक्टरों का उपयोग, वथा
- (४) विसाना को उत्तम रीत प्रदान करने का व्यवस्था।

अन्तर्दृष्टीय पैकड़ एवं ग्राम्यता भी व्यूनिव जैंडर के परामर्श से तान अर्थ मिहर्डी वथा एक मठल भारत और पानिलाल आता। उसने भारत में घूम घूम कर नमृण स्थिति का ग्राम्यन किया और हाल ही में उसने भाल भी विवास गोनाओं न गारे में अमना रिपोर्ट दे रहा है।

इस रिपोर्ट में निम्नलिखित जाता पर प्रमाणपत्र लिया गया है—

- (१) इसी उत्पादन में बढ़ि की ग्राम्यकरता
- (२) विवास व्यापार का विविध द्वारा भी प्रगति
- (३) गानना में लाच ज्ञाये सम्मेलने की ग्राम्यकरता वथा
- (४) इस उत्पादन के साड़े राजनीति करने वथा इसी द्वारा भी सुचारू हृद से विश्वासनीय रूपों की ग्राम्यकरता।

२—खाद्य-समस्या का गुणात्मक पक्ष

(Qualitative Aspect of Food Problem)

इस समस्या का गुणात्मक स्वरूप और भा भव्यकूर है यह ग्राम्यिक सत्य है कि भूमि को बचाने परावध भाजन ही नहीं मिलना चाहिये, गल्कि उस भाजन में पर्याप्त प्राग्न, मिनगल सालट और विभिन्न भा होने नाहिए। भारतमर्प में जनवा द्वा उपज राने भी ही प्रणट नहीं मिलता। गल्कि उस भाजन में पोषक जल्दी भी नहुन अभाव होता है। हमारे जाता में ग्रनेव पौष्टिक पदार्थों जैव दूध, गा, मक्कन, दही, मास मछुनी, ग्रादा, दालें, उनियाँ वथा कल आदि की गहुँ बनी है। अतः हमारे सुरास ग्राम्युलित रहती है जिसने कल्पना रूप हमारी कार्य कमता कम हो जाती है।

और लोग यह कहने के लिए रिश्ता हो जाते हैं, 'भूखर्वार्स के नियुक्ति रहन नहीं, गतिक रह लेने हैं।'

सन् १९३३ म इसी एवं साथ पड़ित सर जान मैगाव (Sir John Megaw) ने भारत का सर्वेक्षण करके लिया था कि भारत म बजल ३८% वर्चिया रा पदाप्त रूप म पोपर तत्व मिलत है, ४१% से अल्प मात्रा म पोपर तत्व मिलत है, और २०% को नहुत वर्म पोपर तत्व मिलत है। सबुक एन्ड एव्व (U N O) व सायं तथा कूरियर (F A O) ने इस प्रशासन के अनुसार सन् १९४८ ई म भारत म प्रति वर्षि याति दिन और उत्तर १६२१ कैलोरीज का उत्तमोग किया जाता है जब तो सबुक राज्य अमरिता म ३२२८ कैलोरीज और कलाजा म ३०६२ कैलोरीज का उत्तमोग किया जाता था। देश की प्रमुख एव्विका 'इस्टर्न इक्नामिस्ट' म विभिन्न देशों के सम्बन्ध म दिये हुए ग्रामज्ञां से भा उक्त कथन की पुष्टि होती है।

कैलोरीज और प्रोटीन का उपभोग

(प्रति वर्षि, प्रति दिन)

देश	कैलोरीज ने सख्ता		प्रोटीन (ग्रामा म)	
	युद्ध के पूर्व	५४५५	युद्ध के पूर्व	५४५५
अमरीका	२,१५०	३,०६०	८८	६२
इंग्लैण्ड	२,११०	३,२३०	८०	८८
आस्ट्रेलिया	२,३०५	३,०४०	१०३	८१
जापान	२,१८०	२,१९५	९४	५८
भारत	१,६७०	१,८४०	५६	५०

पोपरहीन भोजन अथवा अपर्याप्त पोपर वाले भोजन ना स्वामानक दुखार खाना यह होता है कि देश म अनेक प्रकार की नीमारिया जैसे खजा, वेर्जियरी, खजन की कमी तथा रिकेंट (पन्चा की चामारा) आदि फैलती हैं। जिसके फलस्वरूप जनता की कौर्यहमता कम हो जाती है। यही नहा मृत्यु दर और जन्म दर दोना ही नह जाती है। काग्रस द्वारा प्रकाशित 'आर्थिक समीक्षा' म यह जताना गया है कि जिन देशों के भोजन म प्राणीय प्रोटीन अधिक मात्रा म होते हैं, वहा जनसख्ता भी वृद्धि का परिणाम धीमा होता है इसके विपरीत जिन देशों म प्राणीय प्रोटीन का उत्तमोग कुछ कम होता

है महां जनसम्मा कुछ तेजी से नढ़ती है। निम्न याँस्टे उक्त नथन की पुष्टि करते हैं—

देश	जन्म दर	प्राणीय प्रोटीन का दैनिक पोषण में परिमाण (ग्रामों में)
पारमोंडा	४५.६	४.७
मलिन राष्ट्र	३६.७	८.५
भारत	३३.८	८.७
जागान	२७.०	८.७
चूनान	२३.५	१५.२
इटली	२३.४	१५.२
जप्तनी	२०.०	२७.३
आपराह्न	१८.९	४६.३
पास्ट्रेलिया	१८.०	५८.८
युक्त राष्ट्र अमेरिका	१७.६	६१.४
नीडन	१५.०	६२.६

भारतमें अपर्याज पोषण के तीन प्रमुख वारण हैं। प्रथम देश में पोषण यादों की बहुत कम उत्पत्ति होती है, द्वितीय देश यादिया ने रुद्ध-चहन का स्तर निम्न होने से वारण वे पोषण यदाधों का उपयोग भी नहीं कर पाते हैं, तथा तृतीय अधिकार्य जनता अतिक्रित होने से नारण विनिमय याद यदाधों में पोषक वस्त्रों के गारे में अनुभित है।

३—प्रशासकीय पक्ष (Administrative Aspect)

जब देश में यादान का अभाव होता है, तब याद रामस्या का प्रशासकीय पक्ष भी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रशासकीय पिंडिलना से यादान की रामस्या और भी गम्भीर हो जाती है। ऐसे समय में देश में उत्पन्न दिये गये यादानों के विनीयोग व्याधिकर्य (marketable surplus) को कियान और व्यापारी बाजार में नहीं छालते। वे यादान का अतुक्ति रामस्य करके अवधार का पायदा उठाना चाहते हैं। फलस्वरूप याद रामस्या और भी गम्भीर हो जाती है और नूल्य दिन प्रति दिन उत्पन्न चले जाते हैं यहाँ तक कि वे गमनचुम्बी हो जाते हैं। इस प्रकार सरकार के सामने तान समझाएँ उत्पन्न हाती हैं—

(१) मूल्य नियन्त्रण (control) द्वारा मूल्यों का रिधर रखना,

इस्टर्न इकनोमिस्ट वार्सिंगर १९५६—पृष्ठ ६८३

(२) राशनिंग पद्धति के द्वारा खाद्यान्न वा समान वितरण, तथा

(३) उपरोक्त दायित्वां को पूर्ण बख्ले के लिए पर्याप्त खाद्य मद्दार को भ्राष्ट

रक्षना।

सरकार द्वारा किये गये प्रयत्न

स्वतंत्रता के पूर्व उरकार ने साद्य समस्या को हल करने के लिए दीर्घकालीन और ग्रन्थकालीन दोनों ही प्रकार के प्रयत्न किये।

दीर्घकालीन हल—सन् १९४७ म श्रीमुत इन्द्रमानारी की अध्यक्षता में एक साद्य जॉन्स समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने साद्य पदार्थों के नियांत्रण को रोकने, वह शहरों म राशनिंग लागू करने तथा 'अधिक ग्रन्त उपजायो' आनंदोलन को चालू करने वी सिपारिश की, बिसर्व अन्तर्गत नियुक्त तथा गहन खेती की जाय, अपाय पदार्थों के प्रबाहर साद्य पदार्थों को उत्पन्न करने के लिए भूमि का उपयोग किया जाय, चिचाईं की सुविधाएँ तथा उन्नत राह और उन्नत ग्रीज दिए जायें। अभावग्रन्थ अचूक संगठन के अभाव न दारण यह आनंदोलन सफल न हो सका।

अत्यक्षकालीन हल—साद्य समस्या को तुरन्त हल करने के लिए प्रिंटिंग उरकार ने साद्य नियन्त्रण लगायें, अनान नग्न कर इकट्ठा किया तथा राशनिंग और अनाज के मूल्या पर आवागमन पर नियन्त्रण किया। उस समय ग्रामान्चार तथा चोर नजारी का खोलगला था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी साद्य समस्या उरकार ने लिए एक चिन्ता का निपय भी हुई है। राष्ट्रीय सरकार इस समस्या को क्षेत्र आत्मनिर्भरता के स्तर पर ही हल नहीं करना चाहती, बल्कि इवी हुई जनसख्या और उन्नत जीवन स्तर को व्याप्ति म रखते हुए आपश्यकता से अधिक उत्पादन करके हल करना चाहती है। हम जीवन-स्तर को उन्नत करना है, लेकिन साथ ही साथ परिवार नियोजन द्वारा बढ़ती हुई जनसख्या को भी रोकना है। यह गही विचित्र स्थिति है कि अधिक उत्पादन के प्रयत्न के साथ साथ खाद्यान्न का अभाव होता जा रहा है और उनके मूल्या म हृदि हो रही है। यह स्थिति अत्यन्त चिन्ता का कारण है। इसी स्थिति के कारण अब के राजकीय व्यापार का निश्चय किया गया है।

खाद्यान्न का राजकीय बाजार

८ और ९ नवम्बर, १९४८ को राष्ट्रीय विकास परिषद की एक बैठक हुई थी उसम यह निर्णय किया गया कि सरकार अन्न वा थोक बाजार अपने हाथ म ले ले। इस योनना के अनुसार मिलाना से फालनू अन्न सेवा सहरारी समितिया, ग्राम स्तर पर इकट्ठा करेंगी और वह क्रय किये रहकारी समितिनाँ, उच्च नय नियम सहरारी

टन अब उत्तराद हो जाना ही इस तथ्य की पुष्टि रखता है कि हमारे देश म अब तथा वृपि उत्पादन की सुरक्षित रखने के लिए पैदानिक लिंगान्ता पर निर्मित भड़ार-गहा भी नितनी आवश्यकता है।

भारत म भड़ार-गहा की आवश्यकता की ओर सम्बन्धित रिक्त आफ दरित्या डारा दृष्टा तथा ग्रामीणों को उधार देने की सुविधाओं के विसाम पर अन्वयन करने के लिए १९५१ म नियुक्त 'सैमुल सर्वे क्रेडिट फंडटी' ना ज्ञान आकृष्ट हुआ। इस कमेटी ने राज्यीय स्तर पर देश भर म भड़ार-गहा की किया प्रशाली म सुधार घरने का प्रस्ताव रखा जिसक परिणामस्वरूप १९५६ म भारतीय सरकार म वृपि उत्पादन (विसाम एव भड़ार गहा) निगम शान्त 'एजीस्लन्चल प्रोड्यूस' (डेवलपमट एण्ड वेयर हाउजिंग) वारपोरेशन एक्ट पास हुआ, जिनक अन्तर्गत राज्यीय सहनायी विसाम और भड़ार-गहा मटल (नेशनल रोड्योपोरेटिव डेवलपमट एण्ड वेयरहाउजिंग नोड), राज्यीय भड़ार गहा निगम (सटल वेयरहाउजिंग वारपोरेशन) तथा शान्तीय स्तर पर विभिन्न राज्यों म ग्रामीण भड़ार गहा निगम (स्टट वेयरहाउजिंग करपोरेशन) भी स्थापना हुर।

†

प्रश्न

- 1 Write a short note on The Food Problem (Agra 1917)
- 2 Describe briefly the present food crisis in India. Examine some of the main recommendations made by the Ashok Mehta Committee (Agra 1919)
- 3 What are the main factors which are impeding the solution of the food problem in India? What measures would you recommend for these impediments? (Punjab 1919)

अध्याय १४

भारत में ग्राम्य वित्त-व्यवस्था

(Rural Finance in India)

मांशाचा लोकोक्ति है “साल किसान को उसी प्रकार सहायक होती है जैसे काँडने वाले की ढोर किसी वस्तु को काँडने में सहायक होती है।” श्री निकल्सन का कथन है कि “रोम के स्काटलैंड तक हृषि का इतिहास, यह पाठ खिलाता है कि साल हृषि के अनिवार्य है।” मारतीय लोग भी उसी ग्राम को रहने योग्य समझते हैं जिसमें “एक महाजन हो” जिससे आवश्यकता के समय धन उधार लिया जा सके, एक वैद्य है, जो शीमारी में इलाज कर सके, एक ग्राम्यण पुजारी हो, जो भूमि की व्यवस्था कर सक तथा एक ऐसा जल स्रोत हो, जो ग्रीष्म ऋतु में भी न गूँजे।” ये शब्द महाजन (साल) की महत्ता को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।

परन्तु हृषि साल जब प्राप्त होती है तब भी एक समस्या है और यदि ग्राम नहीं होती तब भी एक समस्या है क्योंकि “साल एक अच्छा सेवक है पर एक बुरा स्त्रामी।” एक बार जब भोलाभाला किसान निर्दृष्टि महाजन के चगुल में कँस बाता है तो उसकी महाजन से जीवनप्रयत्न छुटकारा पाना असम्भव हो जाता है और उसके द्वारा लिया हुआ ग्रृहण एक पैतृक ग्रृहण बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ‘मास-ताप हृपक का जास ग्रृहण में होता है, ग्रृहण में जीवन व्यतीत करता है और इसी ग्रृहण में उसकी मृत्यु भी हो जाती है।’ अत भारतीय हृषि व्यवस्था में साल का एक महत्व पूर्ण स्थान है और इसके विरोध अध्ययन की आवश्यकता है।

ग्रृहण का परिमाण

(Magnitude of Indebtedness)

भारतीय शाये ग्रृहण का परिमाण ने सभव्य में समय समय पर अनुमान निकलते रहे हैं। प्रमुख आँकड़ों की यूनी अग्रलिखित है —

*Credit supports the farmer as the hangman's rope supports the hanged — French proverb

क्रम	मृदु लोधि रुपयों में	लेखक
१६११	३००	सर एडवर्ड भैकलागान
१६२४	६००	सर माल्कम डालिङ्ग
१६३०	६००	जे० सी० श्री० ई० समिति
१६३५	१,२००	डा० राधाकमल मुकर्जी
१६३८	१,८००	ई० बी० यस मैनियम

बिंगत कुछ वर्षों से खाद्यान्नों के कारण, जर्मांदारी प्रथा के अन्त हो जाने के कारण तथा सामाजिक विकास के कारण, ग्रामीण मृदु में अब कुछ कमी हो गई है। निश्चित आँकड़े उपलब्ध न होने के कारण कुछ कहा जो नहीं जा सकता है परन्तु वर्तमान परिस्थितियों को देखने से इस सम्बन्ध में अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है। पहले की अपेक्षा किसानों की अवस्था कहीं अच्छी है। किसान लोग खेती के साथ-साथ मजदूरी का कार्य भी करने लगे हैं और मजदूरी में घृद्धि होने के साथ साथ उनकी आर्थिक अवस्था में सुधार हो रहा है।

कृपक की साख सम्बन्धी आवश्यकताएँ

भारतीय किसान को तीन प्रकार के मृदुओं की आवश्यकता होती है —

(१) अल्प कालीन मृदु (Short term Credit)

(२) मध्य कालीन मृदु (Middle term Credit)

(३) दीर्घ कालीन मृदु (Long term Credit)

अल्प कालीन मृदु

अल्प कालीन मृदु अथवा साख की आवश्यकता अल्प ताल (१२ माह से १५ माह तक) के लिए होती है जिसका भुगतान अगली फसल में कर दिया जाता है। यह आमतौर पर बीज, खाद, फसल काटने, फसल बेचने, लगान चुकाने तथा देनिक वय के सम्बन्ध में होती है।

मध्य कालीन मृदु

यह मृदु अथवा साख १५ माह से ५ वर्षों तक की अवधि के लिए ली जाती है। इसका उपयोग सामान्यत इष्टि यन्त्रों के खरीदने, पशुआँ को खरीदने, खेत पर ढोटे मोटे सुधार करने, तथा सिंचाई की व्यवस्था करने आदि के लिए होता है।

दीर्घ कालीन मृदु

यह मृदु ५ वर्ष से ३० वर्ष की अवधि तक के लिए लिये जाते हैं। इनका उपयोग भूमि में स्थायी सुधार करने के लिए होता है। जैसे भूमि खरीदने, इष्टि सम्बन्धी औजार खरीदने, पुराने मृदुओं को चुकाने, कुँआं तथा मकान आदि बनवाने में किया जाता है।

ग्राम्य वित्त प्राप्ति के साधन (Sources of Rural Finance)

अधिल भारतीय ग्रामीण साल सर्वेक्षण समिति (१९५१-५२) के अनुसार भारत में ग्रामीण साल प्रदान करने वाली संस्थाएँ तथा उनसे प्राप्त होने वाले ऋण की तुलनात्मक प्रतिशत निम्न प्रकार है —

साल संस्थाएँ	प्रणय का प्रतिशत अनुपात
सम्पादित स्रोत	
सरकार	३ ३
सहकारी संस्थाएँ	२ ८
व्यापारिक बैंक	० ८
	<u>योग ७ ३</u>
निवास संस्थाएँ	
सम्बंधी	१४ २
जमीदार	१ ५
दृष्टक ऋणदाता	८४ ८
पेशेवर ऋणदाता	४४ ८
व्यापार तथा कमीशन एंजेन	५ ५
अन्य	१ ८
	<u>योग १०० ०</u>

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल साल अथवा ऋणों का लगभग ६३% भाग निजी संस्थाओं से प्राप्त होता है और लगभग ७% सरकारी अथवा रार्मेजनिक संस्थाओं से। चिभिन्न साल प्रदान करने वाली संस्थाओं का वर्गांकरण उनकी तुलनात्मक महत्ता के अनुसार इस प्रकार दिया जा सकता है —

- (१) महाजन,
- (२) सहकारी संस्थाएँ,
- (३) सरकार,
- (४) रिजिव बैंक आर्क इंडिया,
- (५) अन्य स्रोत—
 - (अ) देशी बैंक,
 - (ब) व्यापारिक बैंक,
 - (स) ऋण कायालय,
 - (द) निवियां व चिट काप आद।

महाजन (Moneylenders)

ग्रामीण साल प्रदान करने वाले खोतों में सबसे महत्वपूर्ण खोत ग्रामीण महाजन है। अनादि काल से यह हमारे ग्रामीण भाइयों की साल सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करते आये हैं। आज भी इनकी महत्त्व कम नहीं है। अपिल मारतीय ग्रामीण साल सर्वेक्षण समिति की खोज के अनुसार ये अब भी हमारी दृष्टि सम्बन्धी साल आवश्यकताओं की लगभग ७०% पूर्ति करते हैं।

महाजन दो प्रकार के होते हैं—(अ) पेशेवर (Professional) तथा (ब) गैर पेशेवर (Non Professional)।

पेशेवर महाजन वे होने हें जो इपये में लेन देन करने के साथ साथ व्यापार भी करते हैं। ग्रामीण साल को दृष्टि से यह अधिक महत्वपूर्ण हैं।

गैर पेशेवर ग्रामीण: जर्मीदार, तालुकेदार, समृद्ध किसान, अवकाश प्राप्त (रियायर्ड) धनवान व्यक्ति तथा सम्पन्न परिवार की विधया लियाँ होती हैं। इनका दृख्य घोड़ इपये का लेन देन करना तो नहीं है परन्तु अच्छी घरेहर की प्रतिभूति पर परिचित व्यक्तियों को बहुधा घबबा उधार दे देते हैं।

उपरोक्त प्रणाली में शानैः शनैः अनेक दोष आ गये हैं जिनके द्वारा हमारे ग्रामीण समाज का शोषण होने लगा है। अत्यधिक शोषण की अपरस्था में भारतीय मृतप्राय किसान को चाचाने के लिए हमारी सरकार ने महाजनों के ऊपर अनेक वैधानिक प्रतिशत लगाये हैं। प्रत्युत दोषों का निराकरण पूर्णतया नहीं हो पाया। महाजन आज भी देश के लिए एक समस्या बने हुए हैं।

महाजनों के दोष

भारतीय केन्द्रीय बैंकिंग बौच समिति (१९३१) ने अपनी रिपोर्ट में महाजनों के निम्न दोषों को दर्शाया है :—

(१) महाजन लोग न्यूण देते समय ही न्यूण दिये जाने वाले धन में से आगामी वर्षे तक का ब्याज काट लेते हैं और किसान से पूरा धन प्राप्त करने की रसीद ले लेते हैं। महाजन द्वारा ब्याज प्राप्त होने की किसान को कोई रसीद न दिये जाने के कारण ब्याज को साल के अन्त में पुनः मांगा जा सकता है।

(२) महाजन किसान (न्यूणी) से न्यूण देते समय कोरे (bank) कागज पर दस्तखत अर्थात् अँगूठे का निशान लगवा लेते हैं और नाद में नियमित रूप से ब्याज के प्राप्त न होने पर मनमाने धन की राशि को लिपट लेते हैं।

(३) महाजन ब्याज अपने बही खाले अथवा रजिस्टर में वालव में दी हुरे धन राशि से कहीं अधिक लिखते हैं।

(४) ब्याज प्राप्त होने अथवा किस्त के प्राप्त होने पर महाजन द्वारा किसान को

कोई रसीद नहीं दी जाती। फलतः दी गई धन की राशि यूंचत बनी रहती है। बेचारे किसान को शृणु देते समय न्याज के अतिरिक्त ग्रनेक अनुचित रन्हें भी जुराने पड़ते हैं जैसे गिरह खुलाई, गदी खची, उलामी, कटौती, नद्वागान आदि।

(५) कमी-कमी मूल्य किसान ये यह शर्त भी कर ली जाती है कि वह अपना उपज महाजन को ही बेचेगा। महाजन उपज को सदैव गाजार मूल्य से कम मूल्य पर रखेंदते हैं इस प्रकार उनको दुहरा लाभ होता है।

गाडगिल समिति के सुमार

कृषि उपसमिति, जो गाडगिल समिति ने नाम से प्रसिद्ध है, ने महाजनों दोपों दूर करने के लिए अपनी स्पोर्ट में ग्रनेक महत्वपूर्ण मुकाबला दिये हैं जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं —

(१) महाजनों का अनियार्य पजायन (रजिस्ट्रेशन),

(२) महाजनों को लाइसेंस देना,

(३) निशारित विविध के अनुसार लेंदे तैयार करना,

(४) लेंदा का खुला प्रदर्शन,

(५) शृणु लेने वालों को सामग्रिक बीचा देना,

(६) शृणु लेने वालों से प्रत्येक प्राप्त किये गये वन का रसीद देना,

(७) न्याज की दूर सीमित करना,

(८) अनुचित धन लेने के विरुद्ध प्रतिबन्ध,

(९) शृणु लेने वालों को महाजनों द्वारा दिये जाने वाले कठोर अध्यवा हानियाँ के प्रिष्ठ वैधानिक मुरक्का,

(१०) प्रत्येक राज्य म महाजनों की कर्य विधियों की जांच करने के लिए नियीक्षण करने वाली संस्थाओं को स्थापित करना।

उपरोक्त सिफारिशों का ध्यानित न हो सका क्योंकि ये व्यापहारिक नहीं हैं। इनके दोपों को दूर करने का एक मात्र उपाय यही है कि सारे मुनिधा प्रदान करने वाली अन्य संस्थाओं को बढ़ावा दिया जाय।

(२) सहकारी संस्थाएँ^५

सहकारी समितियों के अन्तर्गत सहकारी साप संस्थाओं, जिनमें मूर्म ब्रह्मक वैक भी सम्मिलित हैं, को प्रामीण रैकिंग के लिए तथा महाजनों को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। परन्तु इनकी सफलता एवं प्रगति के आंकड़ों को देखने के पश्चात् यही जात होता है कि यह आनंदोलन हमारे अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति

^५ विस्तृत अध्ययन के लिए पुस्तक का अध्यार “सहकारी अन्दोलन” देखिये।

करने में सफल नहीं हुआ है। इन संस्थाओं ने बैंकिंग के खिदानों को पूर्णतया नहीं अपनाया है यद्यपि ये ग्रामीण बैंकिंग का कार्य करती है। ये व्यवसाय के लिए अल्प पर मध्यकालीन निहोर्स (deposits) तथा गुणों को प्राप्त करते हैं परन्तु इनके द्वारा दिये गये मूल्य साधनों के अनुकूल नहीं होते हैं। मूल्य वापस लेने में शिथिलता, अनुत्पादक उत्पादन तथा कमता से अधिक मूल्य देने के कारण अल्पकालीन मूल्यों की वापसी भी निश्चित समय में नहीं हो पाती और वे स्वतं दीर्घकालीन मूल्य बन जाते हैं। दिये गये मूल्यों की अधिकांशत वापसी नहीं हुई है।

डॉक्टर इ० हाउ (Dr E Hough) ने सहकारी आन्दोलन के सफल न होने के कारणों को अपनी पुस्तक 'भारत में सहकारी आन्दोलन' में इस प्रकार दिया है, "निर्धनता तथा अपीटिक भोजन, (malnutrition), पिलूर मूल्य-प्रस्तुति, निरवरता का अत्यधिक ऊँचा प्रतिशत, व्यापारिक शान का अभाव, अनार्थिक बृूपि का इकाई तथा ग्रामीन बृूपि प्रणाली, अप्यांत यातायात तथा समृद्ध सुविधा, प्रमाणित ग्राम-नील के पैमाने का अभाव, अत्यधिक मूल्यों पर उतार चढ़ाउ, नियमित बाजारों का अभाव तथा महाजनों एवं मध्यस्थी के द्वारा शोषण।"*

सहकारी योजना समिति (C L C) ने सहकारी आन्दोलन की मंदगति के मुख्य कारणों को इन शब्दों में व्यक्त किया है, "सरकार की मुक्त व्यापार (Laissez faire) नीति, लोगों की अशानता, जनता का असहयोग, प्रारम्भिक इकाई का छोटा अकार होना तथा नि शुल्क सेवाओं पर अत्यधिक विरोध हो आन्दोलन के प्रवर्ष की अनुशासना के कारण है।"

उपरोक्त व्यक्त की गई कठिनाइ को यदि दूर कर भी दिया जाय, फिर भी हमारी साख समितियाँ दीर्घ कालीन मूल्य नहीं ते सकती क्योंकि —

(१) इन समितियों के आर्थिक साधन सीमित हैं।

(२) दीर्घ कालीन मूल्य के बल भूमि की जमानत पर ही दिना जा सकता है। और यदि इहके स्थान पर वैयक्तिक जमानत ली जाय तो सहकारिता के खिदानों की अवहेलना होने लगेगी।

(३) भूमि सम्बन्धी जमानतों का मूल्यांकन तथा तत्त्वज्ञानी अधिकारों की जाँच करने के लिए विशेष वात्रिक शान की आवश्यकता होती है जिसका कि साधारण सहकारी समितियों के पास अभाव होता है।

(४) निश्चित तिथि पर दीर्घकालीन मूल्यों की अदायगी न होने पर इन समितियों की सम्पत्ति समाप्त हो जाती है।

*Dr E Hough, *The Co-operative Movement of India*, 1953 p p 284 85

(५) प्रबंधक लोगों की स्वार्थपत्रा अथवा अकुशलता के कारण सहकारी वित्त अलोच, लाल पीता तथा अपर्याप्तता जैसे दुर्घटों से ग्राहित रहती है।

बव तक उपरोक्त दोषों को दूर नहीं किया जायगा सहकारी समितियाँ प्राम पित्त को प्रदान करने में सहायक नहीं हो सकतीं।

सरकार (The Government)

सरकार भी कइ प्रकार से ग्रामीण वित्त को प्रदान करती है। १६वीं शताब्दी में किसानों को साल मुश्तियाँ पहुँचाने वे लिए सरकार ने दो महत्वपूर्ण अधिनियम पाल किये—

(१) भूमि मुश्तार अधिनियम १८८३ (Land Improvement Act 1883), तथा

(२) कृषक मृद्या अधिनियम १८८४ (Agriculturists Loans Act, 1884)।

प्रथम आधिनियम वे अन्तर्गत किसान को शूण केवल भूमि में स्थायी मुद्दों करने वे लिए दिया जाता है और यह दीर्घ कालीन शूण होता है। इस शूण की अवधि अधिनियम वे अनुसार अधिक से अधिक इधर वह की होती है परंतु व्यवहार में प्रायः प्रायः २० वर्ष से अधिक अवधि वे लिए नहीं दिये जाते हैं। शूण का भुगतान वार्षिक किस्तों में व्याज सहित होता है।

द्वितीय अधिनियम वे अन्तर्गत किसान की चालू आवश्यकताओं जैसे बीज सरीदाना, खाद व पशु सरीदाना, ग्रोजार खरीदना आदि वे लिए अस्त तथा मालामक काल के लिए शूण दिये जाते हैं। इन शूणों की अदायग्रा परस्त कटने के बाद की जाती है।

उपरोक्त दोनों शूणों को तकावी शूण वहा जाता है। इस समय सरकार प्रति वर्ष लगभग ६५ करोड़ रुपये रुपये तकावी शूण देती है। इनमें से ३५ करोड़ रुपये प्रथम अधिनियम वे अन्तर्गत और ६० करोड़ रुपये द्वितीय अधिनियम के अन्तर्गत दिये जाते हैं।

तकावी शूण के दोष

(१) तकावी शूणों पर व्याज की दर अपक्षाकृत आधक होता है। यह प्रायः ६२% वार्षिक होती है जब कि सहकारी संस्थाएँ केवल ६%, व्याज लेती हैं। आलों चक्री का कहना है कि सरकार को सहकारी संस्थाओं से कम व्याज की दर पर शूण देने चाहिए।

(२) शूणों को प्राप्त करने में अनेक वैधानिक उपचार करने पड़ते हैं।

(३) ऋण भिलने में समर भी बहुत लगता है। प्रायः ऋण ऐसे समय पर भिलता है जब ऋण की आवश्यकता नहीं रहती।

(४) ऋण बखल करने में सरकारी कर्मचारियों द्वारा कठोरता का व्यवहार किया जाता है।

उपरोक्त दोषों के कारण किसान को अपनी कृषि साल सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महाबन की शरण में ही जाना पड़ता है जो उनका शोषण करने में नहीं चूकता।

तकाबी ऋणों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए दो सुझाव दिये जा सकते हैं:—

(१) तकाबी-ऋणों के प्रशासन की कठोरता को कम करना चाहिए तथा ऋण देने में विलम्ब एवं ऋण बापूर लेते समय की जाने वाली कठोरता को दूर करना चाहिए।

(२) सरकार द्वारा दी जाने वाली ऋण सम्बन्धी शर्तों एवं सुविधाओं को अधिक से अधिक जनता में प्रसारित करना चाहिए जिससे वे अधिकतम उपयोग कर सकें।

रिजर्व बैंक आफ इन्डिया

(Reserve Bank of India).

हमारी हृषि अर्थव्यवस्था में रिजर्व बैंक आफ इन्डिया का प्रारम्भ से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है और जब से बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है तब से उसका महत्व और भी बढ़ गया है। यद्यपि बैंक ग्रामीण साल-सुविधाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रदान नहीं करता है परन्तु इसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से दी जाने वाली सहायता कम महत्व पूर्ण नहीं है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य उसके द्वारा विभिन्न सहकारी संस्थाओं को उनकी ऋण नीति एवं संगठन के सम्बन्ध में सलाह देना है।

प्रारम्भ से लेकर आज तक बैंक ने ग्रामीण वित्त प्रदान करने में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जो कार्य एवं सेवाएँ की हैं उनका सक्षिप्त व्यौरा इस प्रकार है—

(१) कृषि साल विभाग की स्थापना—बैंक की स्थापना के समय ही रिजर्व बैंक आफ इन्डिया, अधिनियम, १९३४ के अन्तर्गत यह ग्रामोधन किया गया था कि वह ग्रामीण एवं कृषि साल प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थाओं के कायों का समुचित संगठन एवं एकीकरण करे। इसी उद्देश्य से एक विशेष विभाग—इषि साल विभाग ('जोड़ा' गया, जिसके हो) उद्देश्य है:—

(२) इषि साल सम्बन्धी उमस्थाओं के अध्ययन के लिए विशेष रूपना तथा समय-समय पर केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों को राष्ट्र सहकारी बैंकों अर्थवा ग्रन्ति बैंकिंग संस्थाओं को सलाह देना। तथा उनका उचित मार्ग प्रदर्शन करना।

(२) अपनी कियाओं को दृष्टि साल से सम्बन्धित रखना तथा दृष्टि साल से सम्बन्धित राज्य सहकारी बैंकों तथा अन्य बैंकिंग संस्थाओं को सम्बन्धित करना।

(३) रिजर्व बैंक और सहकारी सामग्री—रिजर्व बैंक आफ इन्डिया एस्ट, १९३४ के अन्तर्गत दृष्टि को सहकारी आन्दोलन के द्वारा साल प्रदान करने का कार्य भी रिजर्व बैंक आफ इन्डिया को हो चौपा गया था। इसके अनुसार यह बैंक गवर्नर (ग्रान्टरी) सहकारी बैंकों को दो प्रकार से अल्पकालीन साल प्रदान करता है :

(अ) यद्य सहकारी बैंकों या अनुमूचित बैंकों की प्रतिभूति पर अल्पकालीन अग्रिम (advances) देकर, तथा

(ब) स.प सहकारी बैंकों या अनुमूचित बैंकों की विनियम विषय (B/E) ग्रथम वचन परा (P/N) को पुन भुना कर अग्रवा उनकी प्रतिभूति पर अग्रिम (advances) देकर, यदि ये प्रतिभूतियाँ (securities) १५ माह के अन्दर परिपक्व (mature) हो जायें और यदि ये मौसमी (seasonal) दृष्टि कियाओं या , के विषयक दो घर प्रदान करने के लिए लियी गई हो।

सन् १९५१ के पश्चात्

सन् १९५१ के पूरे उत्तरोक प्रावधाना का राज्य सहकारी बैंकों द्वारा शुरू करने प्रयोग किया जाता था। इसका एकमात्र कारण यह था कि रिजर्व बैंक की मूल्य देने का रातं बहुत कठोर थी। स्वतन्त्रता के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रगतिशील दृष्टि नीति अपनाने और सन् १९४८ में रिजर्व बैंक का गुप्तीयकरण हो जाने से तथा विशेष रूप से सन् १९५१ में हुए संशोधन के पश्चात् शामील साल पहुँचाने में रिजर्व बैंक का पारं अधिक महत्वपूर्ण रहा है।

सन् १९५१ में रिजर्व बैंक एस्ट में किये गय संशोधन के अनुसार —

(१) रिजर्व बैंक द्वारा मौसमी दृष्टि कियाओं और वसलों की विकी के लिए दो जाने वाली अल्पकालीन साल की अवधि ६ माह की बगद १५ माह कर दी गई है।

(२) अनुमूचित बैंकों को विनियम विषय (B/E) और वचन-परा (P/N) को लारीदाने, वेचने और पुन भुनाने की जो सुविधाएँ रिजर्व बैंक द्वारा ही जारी थीं वे अब राज्य सहकारी बैंकों को भी दी जाने लागी हैं।

(३) रिजर्व बैंक को मिश्रित खेती (mixed farming) तथा फसलों के विशायन (processing) के लिए अल्पकालीन साल देने का अधिकार प्राप्त हो, गया है।

(४) रिजर्व बैंक ने राज्य सहकारी बैंकों को साल देने की दिवि में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये हैं।

(५) यद्यपि नवम्बर, १९५१ में बैंक दर को ३% से बढ़ाकर ३½% और फिर

मई १९५७ में ३१% से बढ़ाकर ४% कर दिया गया था तब भी सहकारी संस्थाओं को वृद्धि के लिए पूर्ववत् ११% की दर पर ही ऋण दिये जारहे हैं।

(६) ग्रामीण बैंकिंग जन्म समिति के सुभाव के अनुसार १ सितम्बर, १९५१ से कोपों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने की दर घटा दी गई है।

(७) देश के सभी राज्यों (जम्मू और कश्मीर छोड़कर) में सहकारी सावधान दोलन के पुर्णसंगठन की योजना बनाने में रिजर्व बैंक द्वारा सहायता दी गई है।

अखिल भारतीय ग्रामीण साल वर्षवेक्षण समिति, १९५१

(All India Rural Survey Committee, 1951)

अगस्त सन् १९५१ में श्री ए० डॉ० गोरेवाला की अध्यक्षता में ग्रामीण सावधान का पर्यवेक्षण करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने समूर्य भारत की ग्रामीण साल का पर्यवेक्षण (Random Sampling) के आधार पर किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट सन् १९५४ में प्रेसित की। प्रमुख चिफारिशें निम्नलिखित हैं—

(१) रिजर्व बैंक का अधिक से अधिक सहयोग—ग्रामीण ज़ेरों में सहकारी साल का विकास करने के लिए सरकार का रिजर्व का अधिक से अधिक सहयोग आवश्यक है। ग्रामीण साल को समर्गित करने के लिए एक 'ग्रामीण साल समर्गित करण योजना' (Integrated Rural Credit Scheme) होनी चाहिए। समिति के अनुसार योजना का उद्देश्य यह है कि देशी स्थिति उत्तम की जाय जिसमें सहकारी संस्थाएँ तथा ग्रामीण ज़ेरों ने कार्य करने वाली संस्थाएँ अपने व्यक्तिगत समुचित दृष्टिकोण एवं लाभ को छोड़ कर किसान की आर्थिक स्थिति को सुटूट बनाने में सहायता हो। सरकार को इस योजना को सफल बनाने के लिए विभिन्न संस्थाओं के साथे कार्य करना चाहिए। यह साभा इन ज़ेरों में होगा—

(अ) सहकारी साल के ज़ेर में,

(ब) खेती सम्बन्धी समग्र, सतुलन तथा विवरण के कार्यों में,

(स) संग्रहालयों (Warehouses) तथा गोदामों की सुविधाएँ देने में, तथा

(द) व्यापारिक बैंकों के कार्य ज़ेर में सहयोग देना।

(२) बैंकों का सुधार—बैंकों को सुधारने तथा उनके समुचित विकास के लिए समिति ने निम्न सुझाव दिये हैं—

(अ) बैन्द्रीय ज़ेर में आर्थिक, प्रशासन तथा तात्त्विक सहायता को सुधारित करना,

(ब) विभिन्न ज़ेरों की आर्थिक प्रगति के अनुसार उक्त संगठन की जिलों में व्यवस्था करना,

(स) ग्रामीण चेनो में खोली गई बैंकों की शाखाओं को प्रत्येक स्तर पर भूमि वधक बैंकों द्वारा पूर्ण सहयोग माप्त होना चाहिए।

(द) नवीन भूमि वधक बैंक तथा ग्राम सहकारी समितियां का इडे पैदाने पर पुर्णयोगठन।

(३) विभिन्न कोपों का निर्माण—योजना को सफल बनाने के लिए तथा पूर्ण रूप से कार्योन्नित करने के लिए समिति ने निम्न कोपों के निर्माण की चिकारिश की है,

(अ) रिजर्व बैंक के अधीन

(क) राष्ट्रीय वृषि साल (दीर्घ कालीन) काप,

(ख) राष्ट्रीय वृषि साल (स्थिरीकरण) कोप,

(घ) केन्द्रीय द्वाय एवं कृषि मजालय के अधीन

(क) राष्ट्रीय वृषि साल (सहायतार्थ तथा गारन्टी) कोप

(स) राष्ट्रीय सहकारिता एवं समझालय विकास परिषद् (Board) के अधीन

(क) राष्ट्रीय उहकारिता विकास कोप

(ख) राष्ट्रीय समझालय विकास कोप

(द) स्टेट बैंक के अधीन

(अ) समग्रीकरण तथा विकास कोप

(घ) राज्य सरकार के अधीन

(क) राज्य द्वाय साल (सहायतार्थ तथा गारन्टी) कोप, तथा

(ख) राज्य उहकारिता विकास कोप।

(र) राज्य सहकारी बैंकों तथा केन्द्रीय बैंक के अधीन

(क) इषि साल रिधरीकरण कोप

(ख) इम्पीरियल बैंक तथा अन्य राज्य बैंकों को मिलित करन एक 'स्टट बैंक आफ इरिडा' नामक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की जाय।

(५) प्रत्येक स्तर पर तथा विभिन्न राज्यों म एक केन्द्रीय समिति द्वाय उहकारी प्रशिक्षण की अवस्था बरना जो सहकारी विभाग तथा सहकारी संस्थाओं ने कमचारियों को अचित शिक्षा प्रदान करे।

समिति की सिफारिशा पर सरकार द्वाया की गई कार्यगाही

(१) इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण—१६ अप्रैल सन् १९५५ का स्टेट बैंक आफ इरिडा निलोक सभा में प्रस्तुत किया गया। यह दोनों सदनों (Houses) द्वाय पास कर दिया गया। उद्घोषित ने भी इस पर अपनी अनुमति दूसरे सन् १९५५ को दे दी। पलत्वरूप १ जुलाई १९५५ से स्टेट बैंक आफ इरिडा कार्य करने लगा। इस बैंक को ५ कर्पे ने आदर ४०० शालापै ग्रामीण चेनों में खोलने का उत्तरदायित्व सौंपा गया।

(२) रिजिस्ट्रेशन कोपों की स्थापना—सन् १९५५ में रिजर्व बैंक एकट में सशोधन करके दो कोपों की स्थापना की गई—

(अ) राष्ट्रीय इक्विलिब्रियम (दीर्घ कालीन) कोप, तथा

(ब) राष्ट्रीय इक्विलिब्रियम (स्थिरीकरण) कोप।

प्रथम कोप की स्थापना १० करोड़ रुपये से की गई है। यह धनराशि राज्य सरकारों तथा भूमि वधक बैंकों को दीर्घ कालीन मृण्ण और अग्रिम (advances) देने के काम में लाई जा रही है।

द्वितीय कोप की स्थापना १ जुलाई १९५६ को एक करोड़ रुपये से की गई है, जिसमें ३० जून १९६१ तक वार्षिक एक करोड़ रुपये जमा होते जायेंगे। इसका उद्देश्य राज्य सहकारी बैंकों को मध्यकालीन मृण्ण को सुविधाएँ देना है।

(३) सहकारी प्रशिक्षण—सहकारिता की शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिए रिजर्व बैंक तथा सरकार के सुयुक प्रयत्नों से एक वेन्ड्रीय सहकारिता प्रशिक्षण की स्थापना हुई है जिसमें सभी प्रेषणी व कर्मचारियों के लिए एक विस्तृत योजना बनाई जायगी।

इस योजना के अन्तर्गत उच्च पदाधिकारियों की शिक्षा के लिए पूना में एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है। मध्य प्रेषणी के कर्मचारियों के लिए ५ प्रशिक्षण केन्द्र पूना, मद्रास, पूसा, हन्दीर तथा मेरठ में खोले गये हैं।

(४) पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक में खातों की सुविधा—नये नये डाकखानों की स्थापना की जा रही है और उनमें सेविंग्स बैंक में खाते खोलने की सुविधा भी अधिक से अधिक दी जा रही है। इसके अतिरिक्त कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और नई दिल्ली के प्रधान कार्यालयों में सेविंग्स बैंक के खातों में से प्रति सप्ताह दो बार रुपये निकालने और अधिकतम रकम १ सप्ताह में १००० रुपये तक निकालने की योजना चालू की गई है।

(५) मृण्ण पत्रों की मान्यता—रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने यह निश्चित कर लिया है कि अखिल भारतीय औद्योगिक अर्थ प्रबन्धन कारपोरेशन (I F C) तथा राज्य अर्थ प्रबन्धन कारपोरेशनों (S F C) तथा भूमि वधक बैंकों के मृण्ण-व्यवस्था सरकारी प्रतिभतियों के समान, उचार लेने के सम्बन्ध में, प्रतिभूति समझी जायगी।

(६) बैंक के कर्मचारियों का प्रशिक्षण—देश में बैंकिंग कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा योग्य एवं कुशल व्यक्तियों की पूर्ति के लिए सन् १९५४ में बगदाह में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने एक बैंकर्स ट्रेनिंग कालेज स्थापित किया है।

देशी बैंकर

ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में देशी बैंकों का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। वही बड़ी

सरथाओं के होते हुए भी हमारे किलान अपनी धन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देशी चैकों की सहायता लेते हैं। ये देशी चैक लगभग प्रत्येक गाँव, कस्ते तथा नगर में होते हैं। इनके द्वारा शृणु दिये जाने की शर्तें बहुत ही सरल एवं आकर्षक होती हैं। अनेक गुणों के साथ साथ इनकी पद्धति में बहुत ही भयानक दोष भी आ गये हैं। इन दोषों का अध्ययन हम विस्तार में 'महाजनों' के अन्तर्गत कर सकते हैं। सरकार ने भी इनकी पद्धति को सुधारने के लिए निष्फल प्रयत्न किये हैं। यदि इनके दोषों का नियन्त्रण हो जाता है तो निस्सन्देह ये हमारी आमीण वित्त व्यवस्था में एक प्रतिक्रिया स्थान प्राप्त कर सकते हैं।

व्यापारिक चैक

देश में व्यापारिक चैक, स्टेट चैक आफ इचिड्या तथा विनिमय बैड़ी सहित प्रत्यक्ष रूप से आमीण साल प्रदान करने में बहुत कम महत्व रखते हैं। अनुमान है कि कुल आमीण साप की आवश्यकता का एक प्रतिशत भाग इनके द्वारा प्रदान किया जाता है। ये चैक आमीण वित्त प्रदान करना अपने व्यापारिक चेत्र का अज्ञ नहीं समझते हैं। क्योंकि इनका सरगठन आमीण दीर्घ एवं अल्पकालीन साल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं होता है। हाँ ये अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारियों द्वारा आमीण वित्त में सुधार करते हैं। परन्तु मध्यस्थी द्वारा यह प्रत्यक्ष वित्त-व्यवस्था बहुत महंगी पद्धति है। कभी-कभी इनकी शर्तें इतनी कड़ी तथा न्याज की दर इतनी ऊँची होती है कि भारतीय किलान इनकी अपेक्षा महाजनों अपवा देशी चैकों से शृणु लेना अधिक हितकर समझता है।

ऋण कार्यालय

इस शक्तार के कार्यालय नगाल में बहुत प्रसिद्ध है। ये प्रारम्भ में भूमि चक्र चैकों के आधार पर संगठित किये जाते थे। इनकी उस्ता लगभग १ हजार तथा पूँछी करीब १० करोड़ रुपये है। ये कार्यालय अपना कार्य जनता से प्राप्त राशि में ही करते हैं, तथा इस प्रकार की जमा पर ४% से ८% तक न्याज देते हैं। ये कार्यालय भूमि, जैवर तथा कभी-कभी व्यक्तिगत साल पर मी बर्नादारी तथा किलानों को शृणु दिया करते हैं।

निधियाँ तथा चिट कोप

इस प्रकार की संस्थाएँ मुख्यतः मध्यास राज्य म पाइ जाती हैं। प्रारम्भ में ये संस्थाएँ परस्परिक शृणु सामतिर्णी की भाँति थीं। परन्तु अब वे शनैः-शनैः अपेक्षित ग्रन्थालय के रूप म विकसित हो गई हैं। इन संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन मारतीन कम्पनी कानून के अन्तर्गत होता है। इनका मुख्य उद्देश्य अपने यदस्तों म बचत की मारता को जात्त करना, पुराने कों से नुटकाय दिलाना तथा सदस्यों की दैनिक शृणु

सम्बन्धी आवश्यकताओं की अनुष्ठ पूर्ति के लिए एक कोष की रखायना करना है। इन संस्थाओं में भी कुछ दोष हैं यदि ये दोष दूर हो जाते हैं तो निस्चयदेह ये संस्थाएँ भी मार्तीय ग्राम्य अनुष्ठ प्रदान करने में सहायक चिन्ह हो सकेंगी।

पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण ऋण

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सहकारी तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा ग्राम्य वित्त व्यवस्था में प्रति वर्ष १ अरब रुपये के वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। योजना के अन्तिम तीन वर्षों में योजना आयोग द्वारा ग्रामीण वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं को ५ करोड़ रुपये और अधिक देने की व्यवस्था की गई थी।

द्वितीय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण अनुष्ठ प्रदान करने के लक्ष्य पहली योजना की अपेक्षा में कहीं अधिक निर्धारित किये गये। इस योजना काल में सहकारी संस्थाओं द्वारा अन्यकालीन अनुष्ठों की मात्रा पहली योजना में नियत ३० करोड़ रुपये से बढ़ा कर १५० करोड़ रुपये, पञ्चकालीन अनुष्ठ की मात्रा १० करोड़ रुपये से बढ़ा कर ५० करोड़ रुपये और दीर्घकालीन अनुष्ठों की मात्रा ३ करोड़ रुपये से बढ़ा कर २५ करोड़ रुपये कर दी गई है। इस कार्य के लिए रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता के अतिरिक्त सरकार भी ४८ करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करेगी।

सहकारिता आन्दोलन का विभिन्न राज्यों में विकास*

उन १६५७ रुपये में रिजर्व बैंक आफ इन्डिया द्वारा देश के दस राज्यों में से ११ जिलों में आयोजित (First Rural Credit Follow Up Survey) की जांच के अनुसार बम्बई, मैसूर, मद्रास, आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी उगाल में ५०% से अधिक ग्राम प्रारम्भिक साख समितियों (Primary Credit Societies) के अन्तर्गत आ गये थे। राजस्थान, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में यह अनुपात क्रमशः १३% २७% तथा ३६% था। ग्रामीण साख समिति में औसत न्यूनतम कार्यशील पूँजी प्रति सदस्य ३८ रु० बिहार में थी और अधिकतम कार्यशील पूँजी २२१ रु० बम्बई में थी। मध्य प्रदेश, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश तथा मद्रास में यह १२० रु० और १६० रु० के बीच तथा उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उज्जाल, मैसूर तथा राजस्थान में यह ५० रु० और १०० रु० के बीच थी।

दस राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा सहकारी संस्थाओं को अनुष्ठ तथा अग्रिम देने में महत्वपूर्ण स्थान क्रमशः मद्रास (६ रु० प्रति व्यक्ति), बम्बई (७ रु० प्रति व्यक्ति) आन्ध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश (६ रु० प्रति व्यक्ति) आदि का था। साख न देने वाली

*रिजर्व बैंक आफ इन्डिया, 'बुलेटिन' पाँ १९६०, पृष्ठ ६८३-८४

समितियों (Non Credit Societies) को राज्य सरकारें द्वारा अधिकतम मुद्रण दिये गये। राज्य तथा केन्द्रीय बैंकों का स्थान इसके पश्चात् आता है।

प्रश्न

1. What are the main agencies at work in the provision of agricultural finance in India ? Examine their adequacy, along with your suggestions, if any (Rajputana, 1952, 1955)

2. Examine the existing agencies for financing agriculture in India. What have been their limitations ? What steps have been taken in recent years to remove them ? (Painia, 1956)

3. What are your suggestions for the reorganisation of rural credit in this country ? Has the role of the Reserve Bank of India in the provision of agricultural credit been satisfactory ?

अध्याय १५

भारतीय कृषि नीति का विकास

(Evolution of Indian Agricultural Policy)

इसी ही भारतवर्ष की आधार शिला है। यही उसकी विशाल जनसंख्या के लगभग ७०% भाग की रोटी रोज़ी की समस्या को हल करती है। दूसरे शब्दों में, भारत के राज्यीय ढाँचे में कृषि का स्थान सर्वोपरि है और हमारी आर्थिक उन्नति उसके विकास पर ही निर्भर है। परन्तु यह सब होते हुए भी भारतीय कृषि पिछड़ी हुई अवस्था है। डॉ. क्लाउडन के शब्द “भारत में दलित जातियाँ हैं, दलित उद्योग भी हैं, और दुर्भाग्य से कृषि उनमें से एक है” अक्षरशः सत्य है। भारतीय कृषि के विकास के प्रति विदेशी सरकार की नीति भी बहुत सराहनीय नहीं रही है। समय-समय पर जो कदम उठाये गये, वे केवल भारतीय कृषकों के आँख पोछने के तुल्य रहे हैं। विदेशी सरकार अपने शासनकाल में ऐसी कृषि नीति को अपनाती रही है जो उसके हित में थी।

प्लासी के युद्ध के ठीक ३० वर्ष पश्चात् सन् १८८५ ई० में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने Dr. Hove को भारतीय कपास व्यापार तथा कपास के दौधों का अध्ययन करने के लिए भेजा क्योंकि कम्पनी भारत में उत्पन्न की जाने वाली कपास के गुण (quality) भंग (Interest) रखती थी। कपास के गुण के अनुसार ही उसके द्वारा बनाये जाने वाले कम्फ़े के गुण का भी निर्धारण होता था। कम्पनी तथा तत्पश्चात् ब्रिटिश सरकार का यह इन्विक्टोए रूपत्रता के पूर्व तक चलता रहा। यद्यपि ब्रिटिश शासकों द्वारा निर्मित कृषि नीति में अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य भी समय समय पर सम्मिलित होते गये। यह कहना गलत होगा कि ईस्ट इंडिया कम्पनी ने ब्रिटिश उद्योगपतियों के हित में भारतीय हितों को हानि पहुँचाई। कम्पनी का दैश्य केवल लाभ कमाना था। अतः कम्पनी ने ब्रिटिश उद्योगपतियों के विरोध के बावजूद भी भारतीय उद्योगों को बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश की। बब ब्रिटेन में यूनी बब उद्योग का पूर्णतया विकास हो गया और भारतीय बब उनका मुकाबला न कर सके, स्यमावतः कम्पनी को अपना इस बदलना पड़ा।

सन् १८०५ में तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड वेलेजली (Lord Wellesley)

भारतीय सरकार के उपर पाद्यान की पूर्ति का दोहरा दायित्व आ गया। एक ओर वो देश के नागरिकों की और दूसरी ओर युद्ध में लगे हुए व्यक्तिगती की आपश्यकताओं की पूर्ति करनी थी। खाद्यान की पूर्ति के अमावस्या में भारतीय सरकार को परम्परा सन् १९४२ में प्रथम पाद्य उत्पादन परिषद की उलाने र लिए नियम किए। इस परिषद की सिफारिशों ने आधार पर ही 'ग्राहिक अनु उपजाऊ आन्दोलन (Grow More Food Campaign) १९४३-४४ का निर्माण हुआ। सन् १९४३ में केन्द्रीय सरकार ने कृषि नीति तथा योजनाओं को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को आर्थिक अनुदान (Financial Grants) देना प्रारम्भ कर दिया।

खाद्यान नीति समिति १९४४—पाद्यान नीति उमिति जो कि Gregory Committee के नाम से प्रसिद्ध है, ने अपनी रिपोर्ट मतल्लाल पाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक अनु उपजाऊ योजना की सिफारिश के परिचालन पर जोर दिया। उमिति ने तरकारियों तथा पलों के उत्पादन को बढ़ाने की भी सिफारिश की। नेतृत्व में सुधार करने के तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक नाइक सुभाव दिये। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की कृषि सम्बन्धी योजनाओं में समन्वय स्थापित करने का सुभाव दिया जिससे पाद्यानों पर नियन्त्रण आसानी से रखा जा सके।

खरेगाट रिपोर्ट (The Kharegat Report 1944)—Imperial Council of Agricultural Research की एक विशेष समिति बिशेष के अध्यक्ष Sir Pheroze Kharegat थे, ने भारतीय कृषि विकास के सम्बन्ध में १९४४ में एक रिपोर्ट प्रसिद्ध की। इस उमिति ने कृषि नीति के अतिरिक्त भूमि संरचना, उत्तर मूमि की उपजाऊ बनाने तथा जल शक्ति र प्रयोग में भी महत्वपूर्ण सुझाव दिये। सिंचाइ तथा बहुउद्देशीय नींवों के निर्माण पर ग्रत्याधक चोर दिया।

बगाल अकाल जाँच आयोग १९४५—बगाल अकाल जाँच आयोग १९४५ ने अपनी रिपोर्ट म सरकार को अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये। सिपारिशों पर पूर्णतया विचार करने के पश्चात् सरकार ने जनवरी १९४६ म अपनी साव एक कृषि नीति को घोषित किया। नीति का प्रनुदार सरकार का उद्देश खेत ग्राम के प्रकारों को दूर करना हा न होगा यह वर्तन की रक्षा को बढ़ाव देने वाला था।

पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास समिति रिपोर्ट १९४७ व ४८

सितम्बर १९४७ में सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास की अध्यक्षता भ खाद्यान नीति समिति नियुन की गई थी। इस समिति ने अपना अन्तिम रिपोर्ट नवम्बर १९४७ में तथा अंतिम (final) रिपोर्ट मई १९४८ में घोषित की। इस समिति का उद्देश्य देश के विभाजन द्वारा उत्पन्न कृषि एवं पाद्य सहाय का अव्यवहार बनाना था। अंतिम

- (३) बीज पाद व उर्वरकों की पूर्ति की योजनाएँ, और
- (४) विविध योजनाएँ।

(१) ब्रोडे सिंचाई के कार्य (Minor Irrigation Works) — इसके अन्तर्गत कुंआ की मरम्मत करना, नवे कुट खुदवाना, ताजार मरम्मत, पुराने तालाबों की सफाई व मरम्मत करणा तथा घृन खेल लगायाना आदि है।

(२) भूमि सुधार के कार्य (Land Reclamation Work) — इसके अन्तर्गत ऊपर भूमि को खेती योग्य बनाना, भूमि स्थग्य के लिए मेह नमवाना तथा यात्रिक खेती करणा आदि है।

(३) बीज खाद व उर्वरकों की पूर्ति की योजनाएँ — इसके अन्तर्गत उच्च बीजों, खाद, उर्वरक आदि को लोकप्रिय बनाने के लिए आर्थिक उपोक्तव्य (subsidiaries) देते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रल कालीन सूख दिये जाते हैं।

(४) विविध योजनाएँ (Miscellaneous Schemes) — इसके अन्तर्गत सरकार सहायक खाद्य पदाया जैसे तुकुन्दर, कला, प्रालू तथा अन्य सम्बिधानों की उत्पत्ति को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देती है। फसलों को शीमारिया से बचाने, बगली जानवरों से बचत करने आदि की योजनाएँ समिलित हैं। ऐसी योजनाएँ भी अपनाई गई हैं जिससे किसानों को अपने खेतों पर उपज बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिले।

‘अधिक अन्न उपजाओ’ का सशोधित पचवर्षीय कार्यक्रम — इस प्रकार ‘अधिक अन्न उपजाओ’ का सशोधित नया पचवर्षीय कार्यक्रम लागू हुआ। अगस्त १९४८ में भारतीय सरकार के साथ आयुक्त ने कार्यक्रम की व्याख्या विस्तार में की। आयुक्त ने नवीन अधिक अन्न उपजाओ योजना को सरकार द्वाय निश्चित युद्ध स्तर पर चलाने पर जोर दिया और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यक्रम व योजनाएँ बनाई। प्रत्येक राज्य (State) में खाद्य आयुक्त (Food Commissioner) के साथ कैनिनेट की एक समिति होगी और इस समिति का मन्त्री साथ आयुक्त होगा। इस समिति का उचरदायत्व नवीन अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम को चलाने का होगा। प्रत्येक जिले में एक निला अधिकारी (District Officer) होगा जिसका कर्तव्य विभिन्न विभागों की किसानी का समन्वय करना होगा। गैर सरकारी समझौते भी होगा जो कि किसानों से व्यक्तिगत रूप में सम्बन्ध स्थापित करेंगे और उनके उत्तरदायित्व को निभाने की सलाह देंगे।

कृषि नीति की घोषणा में राज्यों (States) को ‘अधिक अन्न उपजाओ’ कार्यक्रम के अन्तर्गत उदार अनुदान (grants in aid) देने की शर्तें भी बताई गईं। बेकार अथवा ऊपर भूमि को पुन खेती योग्य बनाने के लिए ऋण देने की व्यवस्था भी की गई। केन्द्रीय सरकार ने स्वयं अपना ‘केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन’

(Central Tractor Organisation) स्थापित कर लिया है और इसके परिणाम भी बहुत सनोपजनक रहे हैं।

'नवीन ग्राहिक यन उपजाग्रो' कार्यक्रम लोचपूर्ण या और इसमें आमरक्षक गति नुसार समय समय पर उद्देश्य तथा विधिया में अधोगत कर दिया जाता था। १९५४ में घटे एक अध्यमूल्यन (devaluation) तथा अन्य समस्याओं के कारण जूह दौड़ क्षमता का बढ़ उन्नत हो गया। प्राक्षिकान से आरान जगमग बन्द हो गये। अब जूह १९५५ में खाल उत्पादन के साथ खाल जूह तथा बयास के उत्पादन को बढ़ाने की भी पोषण थी गई। बालान्वर म नवीन ग्राहिक प्रबन्ध उपजाग्रो' कार्यक्रम के अन्तर्गत समुदीर्ष आन्तरिक भवित्व उद्योग (fishery) तथा सहायक खाल पदार्थों व उत्पादन बढ़ाने की योजनाएँ भी उमिलित कर ली गईं। खाल पदार्थों के स्थानान्वयन (transportation) को गुणम बनाने के लिए एक विधिव्व 'पूर्वि तथा गवि बगान' (Supply and Movements Organisation) (जैसा कि लाइंग चायड ग्रोर न मुनाफ़ दिया था) स्थापित किया गया। लाईंग चायड और ने एक भी विस्तृति को भी कि व्यक्तिगत रूप से इसान का खाल उत्पादन बढ़ाने के उत्तर दायित्व का उपभोगा चाहिए। अनुग्राह इस उद्देश्य की पूर्वि के लिए बहुल उत्पादन प्रतियोगिता तथा पुरकार का ग्राहकित किया गया है। इस योजना ने आगे बढ़ाए 'राष्ट्रीय वित्तावलय' (N. E. S) तथा अन्य सहायक योजनाओं का रूप धारण कर लिया।

'ग्राहिक यन उपजाग्रो' कार्यक्रम के परिणाम तथा विवेचना

१९५०-५१ में अन्य म ऐन्ड्रीय खाल एवं इसपि भवित्व ने 'ग्राहिक अन उपजाग्रो' योजना के परिणामों की विवेचना (review) करवाई। Indian Council of Agricultural Research ने भी इस सम्बन्ध में जांच की। ऐन्ड्रीय सरकार ने उक्त समस्याओं द्वारा की गई विवेचना के अनुसार 'ग्राहिक अन उपजाग्रो' नाति में में निम्न संयोजन किये —

(१) नुनिधित्व वर्षा तथा चिंचाहे वाले छोंत्रों में दीज तथा जाद की योजनाओं का ऐन्ड्रीयकरण।

(२) इंगाई की छोटी योजनाओं तथा मूर्मि सुधारों के लिए समिक्षा (compact) छोंत्रों का चुनाव।

(३) कन्दार सरकार द्वारा चलित तथा अर्थप्रबन्धित (financed) नल कूरा (tub-wells) के नियाय का विशेष कार्यक्रम।

(४) स्थायी परिणाम देने वाली योजनाओं पर जोर देना।

(५) राज्य अनुदान (subsidies) की ओरेहा औरों के द्वारा भूमि सुधार-योजनाओं को बढ़ावा देना।

(६) 'अधिक अन उत्पादो' कार्यक्रम के अन्तर्गत पशु तथा मछली उत्पाद की योजनाओं को समिलित करना।

पचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कृषि नीति

प्रथम पचवर्षीय योजना ने सरकार देश की सायं तथा इसी नीति में, जो कि अप्रैल १९४८ में सिंचाई जा रही थी, और निकाल कर दिया। नीति का उद्देश्य सभूर्य देश के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उत्पन्न करना था जो कि न नेपाल मात्र मही अधिक हो, बल्कि गुण (quality) में भी। योजना के प्रारम्भ होने से पूर्व देश में सायं तथा खाद्य फसलों का उत्पादन आमतौर पर ऊम होता था। प्रथम योजना का मुख्य उद्देश्य देश के ग्राम और उभयां के स्तर को द्वितीय महायुद्ध के समय प्रचलित स्तर पर लाना था। खाद्यान्न की समर्पण के अंतर्गत देश में सुदूर तथा निभाजन के कारण आधारभूत कृषि क्षेत्रों माल का समस्या भी थी। अतः नीति के प्रियुत टॉन्स के अन्तर्गत योजना को देश के खाद्यान्न के तथा कुक्कु सुख्त अखाद्य फसलों की काश, जूड़, गन्ना तथा तिजहन के उत्पादन की ओर भी विशेष ध्यान देना पड़ा।

योजना ने प्रारम्भ में देश में तीस साल २८ लायर ददार्यों की कमी थी। उष्ण कमी को दूर करने के लिए प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये—

वस्तु	उत्पादन में वृद्धि के लक्ष्य	प्रतिशत वृद्धि
खाद्यान्न	७.६ मिलियन	१४
तिलहन	०.४ मिलियन	८
गन्ना	०.७ मिलियन	१३
काश	१.३ मिलियन	४५
पटसन	२.१ मिलियन	६४

प्रथम योजना में कृषि और सामुदायिक विकास पर ३५.७ करोड़ रुपये तथा सिंचाई, और शक्ति पर ६६.१ करोड़ रुपये व्यय किये जाने थे, जो कुल व्यय के क्रमांक १५.१% और २८.१% थे। ये दोनों मिल कर प्रथम योजना के लगभग आधी व्यय के बराबर हो जाते हैं। इस प्रकार कहा जाता है कि प्रथम योजना एक कृषि प्रगति योजना थी। इस योजना में सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन के साथ-साथ वृष्टि के विकास को एक से अधिक प्राथमिकता दी गई।

योजना की प्रगति—योजना के अन्तर्गत निर्यारित लद्द योजना काल के पूरे ही ग्रान हा गये। निम्न तालिका में हृषि उत्पादन से हुई दृष्टि का सम्पूर्ण दिया गया है :—

वस्तु	इकाई	१९५१-५२	प्रति %	१९५३-५४	प्रति %	१९५५-५६	प्रति %
लाघान	मिल टन	५३२	५.८८	६८७	६.८५	६५०	६.५५
तिलहन	मिल टन	०८८	०.८७	०८३	०.८८	०८८	०.८८
गन्ना (गुड़)	मिल टन	०९१	०९०	०८८	०८५	०८८	०८८
करास	लाइट गांड	०११	०११	०१०	०१०	०१०	०१०
जड़	मिल्डर्ड	०४३	०४६	०३१	०३८	०४०	०४०

द्वितीय पचथर्पीय योजना—अनुमान है कि वर्तमान उम्मीद की मात्रा के बार पर द्वितीय योजना के अन्त में देश की लगभग ७०५५ लाख टन यात्रा की आवश्यकता होगी। इसके आर्थिक प्रतिशतील ग्रीनोगीरण के कारण अधिक हृषि उम्मीदी क्षेत्र माल की भा आन्स्पत्ता हुई। योजना काल में हृषि उत्पादन के प्रमुख लक्ष्य निम्न प्राप्ति निर्धारित किये गये—

वस्तु (Commodities)	इकाई (Units)	१९५१-५२ में अनुमानित उत्पादन	१९५३-५४ में अनुमानित उत्पादन	प्रतिशत वृद्धि
सालाना	लाख टन	६५०	७५०	१५
तिलहन	"	५५	७०	२७
गन्ना (गुड़)	"	५८	७१	२२
करास	लाख गांड	४२	५५	३१
पटेल	"	४०	५०	२५

उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए द्वितीय योजना काल में हृषि तंत्रज्ञान-आर्थिक विकास पर ५६८ करोड़ रुपये खिये जायेंगे, जो कि तुल व्यव के ११.८% है। इन ५६८ करोड़ रुपये में से ३४१ करोड़ रुपये हृषि कार्यक्रमों पर और रोप ११७ करोड़ रुपये सामुदायिक विकास योजनाओं पर आदि पर व्यव खिये जायेंगे। योजना के प्रकाशित हने ही देश के कुछ अर्थशास्त्रियों ने योजना की आलोचना करते हुए कहा कि देश में हृषि की अपेक्षा उत्पादों पर आर्थिक जोर दिया गया। उत्पादों पर व्यव की बाने वाली वन-राजि ८८० करोड़ रुपये जो कुल व्यव की १८.५% थी। कल सरकार

राष्ट्र परिषद् ने इण्डियन उत्पादन पर अधिक जोर दिया। जब योजना की उपसुक्ता के सम्बन्ध में बादलिनाम अधिक गढ़ने लगा तो नेहरू जी ने स्थाट शब्द म इह कि “वस्तु स्थिति हमारे सम्मुख है, हमें दो भासे एक को चुनना है—इण्डियन उत्पादन बढ़ावा योजना को सफल बनाना या योजना को ही छोड़ देना। इसके अलावा कोई तीरंगा रास्ता नहीं है।”

पञ्चस्तरीय योजना के इण्डियन सम्बन्धी लक्ष्यों को पहले से इन प्रतिशत नदाएँ दिया गया है। इसमें से सातांश वा लक्ष्य इहले से २५% अधिक है और यसांच अथवा व्यापारिक (cash) परलाका लक्ष्य ३६% अधिक है। संशोधित लक्ष्य प्रारंभिक लक्ष्यों के साथ याव निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं—

वस्तु (Commodities)	इकाई Units	वस्तु का प्रतिशत				योजना के अनुसार	संशोधित
		अ	भ	स	प्र		
प्रौद्योगिक	लाख डन	६५०	७५०	८०६	१६	२४६	
तिलहन	“	५५५	७००	७६	२७	३७०	
गता (जूँड़)	“	५८	७१	७८	२२	३३८	
कृषि	लाख गाढ़	४२	५५	६५	३१	५५६	
पटसुन	“	४०	५०	५५	१३	५८१	

योजनाओं पर भेद

प्रथम और द्वितीय योजनाओं के अन्तर्गत कमशु २४० करोड़ और ३४१ करोड़ रुपय इण्डियन विभिन्न कार्यक्रमों पर व्यय बरने की व्यवस्था की गई थी। इस भन राशि म सामुदायिक विकास योजना तथा राष्ट्रीय प्रसार देना के व्यय उम्मिलित नहीं है। प्रथम और द्वितीय योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न मदों पर व्यय की जाने वाली धन राशि तथा उसका प्रतिशत निम्न तालिका से ज्ञात होगा—

विकास के मद	प्रथम योजना		द्वितीय योजना	
	करोड़ रुपये	योग का प्रतिशत	करोड़ रुपये	योग का प्रतिशत
इण्डियन	१६६	८१.७	१७०	४६.६
पैशु पालने	२२	६.२	५६	१६.४
वन और भूमि संरक्षण	१०	४.२	४७	१३.८
मछली	४	१.६	१२	३.५
गोदाम एवं रिपारें तथा				
सहकारिता	७	२.८	४७	१३.८
आन्य	१	०.४	६	२.६
योग	२४०	१००.०	३४१	१००.०

द्वितीय योनना में कृपि विभास के अद्दय—प्रथम योजना का सुख्ख उद्दर खात्याच उत्तरादन में छाद तथा ग्रामात्यान करना था। द्वितीय योनना में खात्याच के साप्त व्यापारिक (cash) फलां में बृद्धि तथा रहायक साथ ग्रामात्यां की बृद्धि परभा जोर दिया गया है। योनना में हृषि विभास यम वी प्रमुख उद्दर निम्न है—

(१) कृपि उत्तरादन में १८% बृद्धि का सेव रखा गया है, जब कि प्रथम योजना में १५% था।

(२) कृपि उत्तरादन में विभिन्नता।

(३) उठ तैस नामन-स्तर में उत्तरादन के लिए विविध विविध विविध होगा बहु बहु नामांकित फलां और रहायक साथ ग्रामात्यां तथा वरकारी, पल, दूष के पदाय, मद्दना ग रा और ग्राम न नामान का ग्राम अधिक व्यान देना होगा।

(४) ग्रामक बुद्धिमत्ता से भाव का उपयाग एवं प्रयोग करने न लिए सरकारके

(Institutional arrangement) इनिमाण से ओर अधिक उत्तरादन निया जाएगा, नियम नूम पर नियम उत्तरादन के साथ अविक्षिदम बापानिक की हो यह।

द्वितीय योनना में कृपि उत्तरादन का विशेषताएँ प्रमुख विधायक विभास लिपित हैं—

(१) नूम न प्रयोग करने की योनना ननाना।

(२) हृषि उत्तरादन के दीपकातीन व अरमालीन लद्दां को निर्धारित करना।

(३) उत्तरादन लद्दां में रहकाय रहायता, विकास कावरम तथा भूमि प्रयोग योजनात्यां को एक दूसरे से सम्बद्ध करना।

(४) टरकुन मूल्य नाति का नियाय करना।


योनना—कामान्वन म जो जाराए आइ है उनमु योजना का पुनर्गृह्याकरण दो बार किया जा चुका है। उन् १८५५ न जाय सहट के पुनर्मूल्याक्षण के समय खात्याच उत्तरादन के लद्दा में सहायत किया गया है, नियम अनुदार १०० लाख टन की जगह अब ११५ लाख टन का बृद्धि की जायगी।

योननात्यां की सफलता

योजना न प्रथम दस वर्षों म हृषि उत्तरादन में आगातीव प्रगति रही है जो कि हम नियुक्ते पूर्ण न देख चुका है। इस उत्तरादन का ग्रामात्यां भी नय प्रवृत्त वय लद्दा ही चला गया है। अप्रतालिमा न १८५० ५१ स १८६० ६१ तक का कृपि उत्तरादन की बृद्धि दियाह गई है—

कृषि उपज का सूचनाक (१९४६-५० = १००)

	१९५०-५१	१९५५-५६	१९५८-५९	१९६०-६१
सभी जिल्हे	८५.६	११६.८	१३२.०	१३५.०
फसलें	८०.५	११५.३	१३०.०	१३१.०
अन्य फसलें	१०५.६	१२०.१	१३६.०	१४३.०



चित्र १०—प्रथम व द्वितीय योजना में पाया उत्पादन

तृतीय पञ्चवर्षीय योजना में कृषि नीति

• ५. छुलाई १९६० को योजना आयोग ने तृतीय पञ्चवर्षीय योजना की रूपरेखा प्रकाशित की है, जिसके अनुधार देरा के विकास में १०,२०० करोड़ रुपये खय किये जायेंगे। इनमें से ६२०० करोड़ रुपये सार्वजनिक चौप ने तथा ४०० करोड़ रुपये निजी चौप में लगेंगे। योजना में हुपि को प्रथम स्थान दिया गया है। पायान में आहम-निर्भरता और उत्पोदन तथा निर्यात के लिए कच्चे माल की पैदावार बढ़ाना तृतीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। अतः हुपि और सामुदायिक विकास योजनाओं के लिए सार्वजनिक चौप में १०३५ करोड़ रुपये तथा सिन्चाई की बड़ी और मध्यम योजनाओं के लिए ६५० करोड़ रुपये रखे गये हैं। इसके अतिरिक्त अनुमान है कि जनता अपनी ओर से भी इन कार्यों पर ८०० करोड़ रुपये लगायेगी। खेती की पैदावार में ३० से ३५ प्रतिशत हुद्दि की जायगी अर्थात् साधान का उत्पादन ७५ करोड़ टन से बढ़ेगा।

कर १० करोड़ ५० लाख टन हो जायगा। प्रमुख कृषि के उत्पादन के लक्ष्य इस प्रकार हैं—

धरेलू व्यवहार की वस्तुएँ	वार्षिक उत्पादन	
	१६६०-६१ (अनुमानित)	१६६५-६६ (लक्ष्य)
खाद्यान (लाख टन में)	७५०	१०००-१०५०
बिलहत (३ " ")	७२	८२-८५
गन्ना (गुड़ के रूप में) (लाख २० में)	७२	८०-८२
कपास	५४	८२
पटधन (लाख गांडी में) "	५५	६५

खाद्यान का पेदावार बढ़ाने का लक्ष्य इस हिसाब से रखा गया है कि प्रति-

— प्रति दिन ग्रीसित १५० ग्रीसित अनान और ३ ग्रीसित दाल, खाने को मिल सके और १८८८ के समय के लिये भी कुछ अनान चच जाय। कपास की पेदावार का जो लक्ष्य है उसके प्रति वर्ष ग्रीसित १७२२ गज के हिसाब से कारबा मिल सका और निर्धारित की लिए भी कुछ बचेगा।

इसके अतिरिक्त फल, गाढ़, दूध, मधुमी, मास, अदा, नारियल, सुगाही, काजू, कालीमिठ्ठा, तमराज़, चमड़ा और लकड़ी आदि की भी पेदावार बढ़ाने की पूरी कोशिश की जायगी।

तृनीय योजना के अन्त तक सिंचाई का चेत्रफल ६ करोड़ एकड़ हो जायगा, जब कि दूसरी योजना के अन्त में यह ७ करोड़ एकड़ होगा।

प्र४

1. Write a short note on the 'State and Agriculture'

(Agra, 1957)

2. State the role which the State should play in the agricultural development of India

(Agra, 1955)

3. Describe the attempts made so far to meet the long term needs of agriculture. To what extent have these been successful in achieving their objective?

(Punjab, 1958)

अध्याय १६

सामुदायिक विकास योजनाएँ तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा

(Community Development Projects and National Extension Service)

भारत ग्रामों का एक देश है। कुल जनसंख्या का ८२ ७% भाग ५,५८,०८८ ग्रामों में रहता है और ये १७ ३% नगरों में। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि 'भारत ग्रामों में रहा है।' ग्रामों वा बहुमुल्ती विकास देश की सुरक्षाद्वारा के लिए उचित ही नहीं बरन् अनिवार्य है। ग्रामोत्थान की व्यवस्था से विहीन सांस्कृतिक विकास की किसी भी योजना या चिंता अधूरा ही रहेगा। भारत का शाम्य जीवन आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सभी दृष्टिकोणों से अत्यन्त विद्युता हुआ तथा नेराश्यपूर्ण है। निर्धनता, पूर्ण व आशिक वेकारी, निरक्षणी, अन्य प्रिश्नात तथा रुदिवादिता आदि भारतीय ग्राम्य-जीवन की प्रमुख विशेषताएँ हैं। एक प्रगतिशील मङ्गलवारी राज्य में इन दोषों को दूर कर सुली तथा सम्पन्न समाज की स्थापना करना अत्यन्त आवश्यक है। आज यह लक्ष्यमान्य है कि भारत की समृद्धि ग्राम्य जीवने की उन्नति में है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार ने ग्रामोत्थान वा श्रीदाता उद्योग और प्रथम पञ्चमीय योजना के अन्तर्गत उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामुदायिक विकास योजनाएँ तथा राष्ट्रीयभूत सार योजनाएँ प्रारम्भ की। नि सुदेह ये योजनाएँ साधारण भारतीय कृषक के सर्वाङ्गीण विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रयास हैं।

सामुदायिक विकास योजनाओं तथा राष्ट्रीय प्राचार सेवाओं पा उद्देश्य है कि "जनता के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो और उसे जीवन के उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के लिए प्रेरणा दिले तथा भारतीय ग्रामों के सात करोड़ परिवारों में उच्च जीवन स्तर बनाने की इच्छा उत्पन्न हो।"

परिभाषा एवं अर्थ

सामुदायिक योजनाओं को शन्दा की परिधि क अन्तर्गत वाँचना एक दुरुह

वायं है यद्यपि आमतौर पर इसका दर्थ सभी रमबते हैं। विभिन्न देशों में इसका अर्थ विभिन्न ग्रन्थ से होता जाता है। बृहु लोग इसे 'भौतिक प्रगति का दृष्टक' बहते हैं जब तिन्हीं लोग इसका अर्थ 'आदोलन' तथा 'प्रशासन के पक्ष' (aspect of admin. in stration) से लगाते हैं। सामुदायिक निकाय शब्द भी उत्तरी सम्भवतः सामूहिक शिक्षा (mass education) का प्रयोग सर्व प्रथम रन् १९४४ म अमेरिका म हुआ था, जब कि वहाँ 'Mass Education in African Society' नामक रिपोर्ट खलाहकार शिक्षा रमात द्वारा प्रयोग शत वी गई थी। सामूहिक शिक्षा भा तात्पर्य के बत शिक्षालय के बच्चे के अर्थात् दी जाने वाली। इदा जे नहीं १९५१ वार्ष राज्यरता योजनाओं (mass Ict:acy c mpt ५१), प्रस्ता, पोस्टरा, इदरना, गर्ती पर्सो, समाचार पत्रों तथा रद्दियों वार्तालाय के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के था।

समृद्धपूर्ण परिभाषा

(१) "सामुदायिक विकास विही सम्भाय के लोगों के सक्रिय सहयोग के पहल (initiative) पर आधारित एवं मूल आनंदोलन है जिसका उद्देश्य समृद्ध अमुदाय के लोगों के रहन रहन को ऊँचा उठाना है।"⁴

(२) "सामुदायिक विकास शब्द अत्तरीदीय प्रयोग म आ गया है और ऐसी विधियों वी द्वारा सकृद वन्ना है जिसका अनुसार उन समुदाय के प्रयत्न स्वत राजनीति अविकारियों के प्रयत्नों से मिथित होने समुदाया वी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दशाओं वी सुधारत हैं तथा इन समुदायों को गांधीय जीवन से सम्बन्धित करते हैं, जिसे वे पूर्णता राष्ट्रीय रहायक हो सन।"⁴⁴

योजना आयोग (पथम पक्षदीय योजना) क ग्रन्थार, "सामुदायिक योजनाएँ आगों के आर्थिक एवं रामाजिक जीवन म वाया पलट करने वी योजनाएँ हैं और भ्रातृप्रिया सेवा इस उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन है।"

* "Community development is a movement and designed to promote better living for the whole community as in the active participation and on the initiative of the community."

(The Ashridge Conference of Social Development 1954)

**The term community development has come into international usage to denote the processes by which the efforts of the people themselves are united with those of governmental authorities to improve the economic social and cultural condition of the communities to integrate the communities into the life of the nation and to involve them to contribute fully to national progress.

The 20th REPORT TO ECOSOC of the United Nations Administrative Committee on Coordination, 1956

सामुदायिक विकास योजनाओं का महत्व

सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक उच्ची ग्रान्डोलन है। इस कार्यक्रम के द्वारा राष्ट्रीय धन के असमान वितरण पर शाल स्पष्ट के ग्रामसभा दिना जा रहा है और ग्रामीण और गरीब के नीचे दी याद को पाठा जा रहा है। सुनुज राष्ट्र सभा के ट्रेफिनवल को-शापरेशन एटमिनिस्ट्रेशन (T C A) ने उत्तरचालक श्री लाशर्व (Loebhough) के शब्दों में ‘‘वह एक नहन विकास की समस्या के लिए सरगित तथा नियोजित पहुंच है।’’ इस कार्यक्रम का उद्देश्य विशाल शामीण समुदाय को वास्तविक स्वतंत्रता वा आभास कराने का सदेश है। हमारे देश की शामीण जनता को नवीन योग्यता तथा नवीन जीवन की याद होंगी और पूर्ण एवं समृद्धिशाली जीवन को प्राप्त करने की प्रेरणा गिरेगी। वास्तव में इस कार्यक्रम का उद्देश्य अत तक ऐसी व्यवस्था की बनाना है जिससे संविधान में निहित लक्ष्य ‘‘वल्लाणगारी राज्य’’ को प्राप्त करना है। नवा उद्देश्य शामीण क्षेत्रों में ऐसी क्रान्ति को प्राप्त करना है जिससे लोगों के दृष्टि नई तथा विधियों में शान्तमय परिवर्तन हो जाय। श्री नेहरू ने यीक ही कहा है कि ‘‘सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक ऐसी क्रान्ति को लावेगा जिसके अन्तर्गत कोई उथल नुस्खा, कोई रक्षपात ग्रथना अरजकता न होगी। यह क्रान्ति सहवारिता के द्वारा होगी।’’

सामुदायिक विकास मन्त्री श्री एस० के० डे ने इनका महत्व इताते हुए कहा था कि “‘सामुदायिक योजना एक ऐसा उद्यान है जिसका परिपालन एक चतुर भाली अख्यन्त साधानी से करता है। यह योजना एवं ऐसे जगत के समान नहा है जिसमें मुक्त व्यापार की तरह हृक्ष तथा वनस्पतियों भी ही है।’’ प्रधान मन्त्री पडित नेहरू ने इसके महत्वा वी व्यापार करते हुए बहा है कि “‘समस्त भारत में मानव क्रियाश्रा के ये केन्द्र ऐसे प्रकाश स्तम्भ हैं जो गहन अन्धकार में प्रशारा पैला रह है। यह प्रकाश उस समय तक पैलता रहेगा, जब तक समस्त भारत भूमि ग्रामोक्ति न हो उठे।’’ राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने भी आशा प्रस्तुत करते हुए बहा है कि “‘ये योजनाएँ ऐसे छोटे नीज की तरह हैं जो एक दिन विशाल हृक्ष में परिणय हो जायगा।’’

ऐतिहासिक विकास

सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का प्रारम्भ सन् १९४४ से होता है जब कि मध्य प्रदेश में उचाभास नामक स्थान पर, नम्ह में सर्वोदय केन्द्री तथा मद्रासा में सिरका

*Community development programme would usher in a revolution that would not see any upheaval or bloodshed or chaos. It would be a revolution through co-operation —Sri Nehru

विकास योजना (Fiscal Development Scheme) के अंतर्गत तथा उत्तर प्रदेश में इटावा, पैजानाद तथा गोरखपुर के Pilot Projects में गहन आमीण विकास सम्बंधी प्रयोग (experiments) किये गये। इन प्रयोगों के पश्चात् ही प्रेरणालक्ष्य थे। फलतः राष्ट्रीय सरकार ने प्रथम पञ्चार्थीय योजना के अंतर्गत सामुदायिक क्षेत्र योजना तथा राष्ट्रीय प्रसार योजनाओं को महत्वपूर्ण रूपान्वयन दिया।

स्वतंत्रता के पश्चात्

सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसका उद्देश्य भारत की विशाल आमीण जन सम्प्रदाय का व्यक्तिगत तथा सामूहिक वल्याण्य प्रसन्ना है, महात्मा गांधी ने जन दिन २ अक्टूबर, सन् १९५२ को जुने हुए ५५ योजना वार्ष नेत्रा म आरम्भ किया गया था। प्रत्येक योजना वार्ष म ५०० मर्ग गाँव के ज्ञेयपल म पैले हुए लगभग २ लाख वी जनसंख्या वे लगभग ३०० मार्ग आने हैं। यह कार्यक्रम 'ग्रामीण रक्षायता सर्व करने' का कार्यक्रम है जिसका ग्रामावन तथा ग्रामीण वन रखने कार्य ग्रामीणों के करना है। सरकार की ओर से काल प्राप्तिविधि मार्गदर्शन तथा वित्तीय सहायी मिलेगी। पचासता, सहकारी समितियाँ, और नियाय मण्डलों जैसे लोक समझना ही सामूहिक चितन तथा सामृद्धिक वार्ष को प्रोत्साहन दिया जाता है।

इस कार्यक्रम में कृषि को सर्वाधिक प्राप्तमयना दी गई है। इहकी सतिविधियों में उत्तम उचार साधनों की व्यवस्था करना, स्पास्थ तथा सफाई की सुविधाओं म गुणार्थ करना, उत्तम आवास की व्यवस्था करना, शिक्षा का प्रसार करना, नारी तथा बाल वल्याण्य-नार्थ करना और युवीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों ना विकास करना सम्मिलित है।

यह कार्यक्रम राष्ट्रों के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। प्रत्येक राष्ट्र-समान्यत १५० वर्गमील म पैले तथा ६०७० हजार की जनसंख्या के सुक १०० मर्ग आने हैं। उद्य ही समय पूर्व तक वह कार्यक्रम तीन अन्य ग्राम वर्षों में किया जाना रहा।

अग्रील, १९५८ म इस पद्धति के स्थान पर दो चरणों म कार्य करना आरम्भ किया गया। पीछे वर्ष भागपूर पिंडास किये जाने के बाद प्रत्यक्ष दरण भ दूररे चरण का कार्यकाल आरम्भ होता है। दूररे चरण का विकास कार्य अगले पांच वर्षों वर्ष कुछ समय के साथ किया जाता है।

३१ दिसम्बर, १९५८ तक इस कार्यक्रम के ग्रन्तमर्गत लगभग १६५० रुपौंड की जनसंख्या के ३,०२,६४७ मार्गों से युक्त २,४०५ एकड़ आ चुकी है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम यो कार्यान्वित करने की इस परिसर्वित पद्धति का प्रयोग किये जाने के पश्चात्स्वरूप अक्टूबर, १९६३ तक सम्मूर्य देखा इस कार्यक्रम के ग्रन्तमर्गत आ जायगा।

सामुदायिक विकास योजनाओं के शुभारम्भ के टीक एक वर्ष पश्चात् २ अक्टूबर १९५३ को 'राष्ट्रीय प्रसार सेवा' (National Extension Service) का संचालन हुआ। राष्ट्रीय प्रसार सेवा के भी उद्देश्य सामुदायिक योजनाओं की भाँति ही है, अन्तर नेवल कार्यक्रमों के पैमाने पां है।

सामुदायिक विकास योजनाओं तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवाओं में अन्तर— जैसे कि दोनों योजनाएँ एक दूसरे की पूर्व, सहसम्बन्धित तथा सहभागी हैं अतः ये केन्द्रीय तथा राज्यीय दोना ही स्तरों पर एक ही स्थान के अन्तर्गत हैं। योजना आयोग के लिए चेवरमैन श्री वी० टी० वृष्णामाचारी ने दोनों योजनाओं का सम्बन्ध इस प्रवार व्यक्त किया है :—

“राष्ट्रीय प्रसार सेवा एक स्थायी संगठन है और समूर्यदेश को ग्राम्यादित कर लेगा। इसके अन्तर्गत आधारभूत संगठन सरकारी तथा गैर सरकारी तथा विकासार्थी न्यूनतम अर्थ व्यवस्था का प्रावधान है। अधिक धन की पूर्ति केन्द्रीय सरकार तथा लोक सरकारों के निजी साधनों के द्वारा की जायगी। राष्ट्रीय प्रसार सेवा यड जिनम सतोग्रजनक परिणाम रहे हैं और जिनमें अधिकतम धन सहयोग प्राप्त हुआ है, गहन विकास के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। इनको सामुदायिक योजनाएँ (Community Projects) कहते हैं। इन योजनाओं में विकास कार्यक्रम अधिक व्यापक होता है।”

योजना आयोग के शब्दों में “सामुदायिक विकास एक प्रणाली है और राष्ट्रीय विकास एक प्रविधि (process) है, जिससे ग्रामीण निर्माण के लिए सफल और सर्वाङ्गीण प्रयत्न किया जा रहा है। यह ‘सेवा योजना’ ग्रामीण निर्माण की सभी चालू योजनाओं की अपेक्षा अधिक व्यापक और व्युत्पादी है। निम्न स्तर से देहान्त के उत्थान के लिए यह एक महत्वपूर्ण दुनियादी योजना है।”

अब राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा सामुदायिक विकास योजनाओं की क्रियाश्रौं की इकाई एक समान (uniform) है, जिसको ‘विकास यड’ (Development Block) कहते हैं। इस यड के अन्तर्गत औसतन १०० ग्राम आते हैं, जिनका क्षेत्रफल १२५ से १७० वर्ग मील तथा ६०,००० से ७०,००० तक भी जनसंख्या आती है। परन्तु राष्ट्रीय प्रसार यड उतनी गहनता से विकसित नहीं किये जाते जितना कि सामुदायिक विकास योजना के क्षेत्रों को किया जाता है। समय समय पर राष्ट्रीय विकास सेवा पड़ों ना पर्यावरण किया जाता है और इनमें से सज्जे अधिक विकसित यडों को चुन लिया जाता है। इन चुने हुए यडों को ही सामुदायिक विकास यड (C D Blocks) कहते हैं।

कार्यान्वयन का समय (Timing of Operations)

एक सामदानिक विकास योजना के पूर्व होने के समय की अवधि ३ वर्ष है। इस अवधि का ५ अवसरगत (stages) में विभाजित किया गया है—

(१) विचार निर्माण (Conception)—इस अवस्था की अवधि ताजे माह होती है। इस अवधि के अन्तर्गत प्रावर्त विकास योजना (D P) की स्थानीय परिस्थि नियों का अध्ययन करने व पश्चात् सभी प्रावर्त विकास स्परणों का नाइ जाती है।

(२) कार्याभ्यास (Initiation)—इस अवस्था की अवधि ६ माह होती है। इस अवधि के अन्तर्गत प्रयोक्त विकास योजना (D P) में कार्य प्रारम्भ होता है।

(३) कार्यान्वयन (Operation)—इस अवस्था के लिए ८ माह का समय है। इस अवधि में सहूल जार शार ए ताजे मास का नाइ होता है।

(४) सघनन (Consolidation)—इस अवस्था की अवधि ६ माह होती है। इस अवधि के अन्तर्गत समाजाभियों तम अभिभाविता द्वारा किए गए कार्यों का चयनित कर्या जाता है तथा उन्हें छोड़ देया जाना व सामाजिक स्थानावलम्बन का नाइ जाता है।

(५) परिक्षण (Finalisation)—इस अवस्था की अवधि ३ माह है। यह छेत्र के प्रशासन मन्त्रालय आ जाता है तब लक्ष्याय और राज्य सरकार के निर्देशक द्वारा अभिभावित करने व प्रशासन का स्थानाव अभिभाविता को सौंप कर दूरे छेत्र में चले जाते हैं।

सामाजिक विकास योजना का एवं कार्यक्रम। ताजे योजना (phases) में विभाजित किया गया है—

(१) विकृत विकास अवस्था (Emissive development stage), —

(२) गहन विकास अवस्था (Inten- tive development stage), तथा

(३) गहन चर विकास अवस्था (Post intensive development stage).

री बलरात मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट, जो कि नवम्बर १९५७ को प्रकाशित हुई, में सराक विभाजन का लक्ष्याय शहदा में प्रयोग किया है। समिति ने विकास योजना का छुट्ठे तथा नाइ अवसरगत (stages) में प्रभावात्मक तरने की विभाजित की है। समिति न रह भा इताव विकास योजनाओं का द्वितीय वर्षावार्षिक योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण दृश्य में प्रयोगित करना अभिनष्टुत है।

इन विभाजितों का लक्ष्याय सामने ताजे गतिविधि विकास (N D C) द्वारा क्रमशः अप्रैल और मई १९५८ में कुछ उद्घान एवं नवीनीकरण विकास योजना के अन्तर्गत योजना, ताजे २ अप्रैल, १९५८ में लागू हो रही है, के अनुरूप शहदा

प्रसार सेवा (N E S) खड़ी और सामुदायिक विकास योजना (C D P) खड़ो में कोई अन्तर नहीं है और न अग्रहन-उत्तर विकास अवस्था (post intensive development stage) ही है। कार्यक्रम को पाच पाँच वर्ष की दो अवस्थाओं में क्रियान्वित किया जायगा और उन पर क्रमशः १२ लाप्त स्पर्ये और ५ लाप्त स्पर्ये व्यवहार किए जायेंगे। पूर्ण विस्तार (coverage) अनन्द्रबर १९६३ तक ही जायेगा।

विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ (Main Features of the Programme)

विशेषताएँ

- (१) ग्रामीण कार्यक्रम का सर्वाङ्गीण विकास,
- (२) कृषि की उन्नति,
- (३) जन सहयोग, श्रमदान, द्रव्यदान और स्वयं सेवा, तथा
- (४) ग्राम सेवक।

कार्यक्रम

कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न क्रियाएँ ग्राही हैं —

(१) कृषि तथा कृषि सम्बन्धी क्षेत्र में

- (अ) उपलब्ध ऊसर एवं बेकार भूमि को उपजाऊ बनाना
- (न) छिचाइ के लिए नहरें, नलकृपा, झुम्रों, तालाबों तथा भील आदि के द्वारा पानी को व्यवस्था करना
- (स) उन्नतिशील, दृष्टि सम्बन्धी प्रणिधियां, ग्रीनां, औजारों, विपणन तथा साल सुखाधी सुरिधार्या, भूमि अनुसधान, यात्, तथा पशु चिकित्सा एवं गर्भाधान केन्द्रों आदि भी व्यवस्था करना
- (द) ग्रान्तरिन गढ़वाली उद्योग, फल तथा तरकारी की खेती तथा शृङ्खलारोपण आदि का निवाय फत्तना तथा
- (इ) प्रमुख ग्रामीण योजनाओं पर चलाना।

(२) सहकारी समितियाँ

नवीन सहकारी समितियाँ को स्थापित करना तथा नवमान समितियों को सुदृढ़ भूताना, जिससे क्षेत्र का प्रत्येक उद्दर्श्य इसके अन्तर्गत आ जाए।

(३) रोनगार

- (अ) सहकारिता के ग्रामीण पर नियोजित गिररण, व्यापार, सहायक तथा मगल कारी सेवाओं के द्वारा रोनगार को बढ़ावा देना
- (इ) कुटीर, माघम तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्त्वाहन देना।

(४) सचादवाहन एवं यातायात

- (अ) कल्पी तथा पक्षी उड़नों सी व्यवस्था करना,
- (ब) नोटर यातायात को नहाना देना,
- (ग) पशु यातायात का विश्वास करना।

(५) शिक्षा

- (अ) प्रारम्भिक, माध्यमिक एवं सामाजिक शिक्षा की ग्रनिरार्थ तथा निःशुल्क व्यवस्था बनाना,
- (ब) पुनर्ज्ञानों की व्यवस्था करना,
- (ग) व्यवसाय सम्बन्धी तथा प्रौद्योगिक शिक्षा (technical) पर विशेष जोर देना।

३) स्वास्थ्य

- (अ) स्वच्छता तथा साविजनिक स्वास्थ्य की व्यवस्था करना;
- (ब) रोगार्थी, प्रसूतिका तथा डाइर्जों की सेवाओं की व्यवस्था करना।

(६) प्रशिक्षण

- (अ) वर्तमान वार्तालों के लिए रिफ्रीशर्स' कोर्स (Refresher' Courses) यी व्यवस्था करना, तथा
- (ब) टिक्स योजनाओं (D P) के लिए ग्रामस्थक प्रशिक्षित व्यक्तियों को तैयार करना।

(७) आवाम व्यवस्था

- आमोंग तथा शहरी सेतों में मरन निर्माण के लिए उन्नति प्रशिक्षियों (techniques) तथा डिवाइलों की व्यवस्था करना।

(८) सामाजिक कल्याण

- (अ) व्यक्तियों की रोगता तथा सत्त्वनि (culture) का प्रबोग करके तथा इस एवं अपर्याप्त प्रणाली (Audio-Visual aids) की सहायता से सामुदायिक मनोरोग की व्यवस्था करना, तथा

- (ब) स्थानीय सेलों, बैलों, तनाशुरी तथा प्रदर्शनियों का सहायता के ज्ञापार पर संगठन करना।

दृष्टिशील

- योजना आमोंग के हिस्टी चेपर्मेन थी० यी० टी० कृष्णमान्त्रार्थी ने सामुदायिक विज्ञान योजनाओं तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवाओं के निम्न चार उद्देश्य दर्शायें हैं—

(१) आमोंग जनता की अर्थ चेपार्थी से दिए नुसाकर पूर्ण रोगबार दिखाना।

- (२) वैज्ञानिक बोगदता का प्रबोग करके आमोंग जनता को झूमि के निम्न इत्यादि से बचाना और उन्नादन की ओर ले जाना।

(३) ग्रामीण परिवार को साव योग्य (creditworthy) जना के सहकारिता के सिद्धान्तों को अधिकान प्रदानित करना।

(४) सांवेदनिक हितवारी कल्पना जैसे ग्रामीण सड़कों, तालाना, कुँआ, स्कूलों, मनोरजन केन्द्रों आदि के लिए सामूहिक प्रबलना नो बढ़ावा देना।

उसमें म इन योजनाओं का उद्देश्य हमारे ग्रामीण भाइया को तीन प्रकार के अधिकार देना है —

(अ) जीवित रहने का अविकार,

(ब) जीवित करने का अधिकार, तथा


(स) अर्थित धन का पाने का अधिकार।

स्मरण रहे कि सामुदायिक विकास योजनाओं तथा राष्ट्रीय प्रधार सेवाओं का उद्देश्य केवल यही नहा है कि हमारे ग्रामीण भाइया का अधिक भोजन, वस्त्र, आराध, न्यास्थ तथा स्वच्छता सम्बन्धी अनिक सुरिधाएँ प्राप्त हो। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उनकी विचारधारा म परिवर्तन हो, उनमें भेदभाव जीवन विताने वी भावना का विकास हो तथा उनकी दृष्टिकोण को इस प्रभार प्रक्षिप्त किया जाए जिससे वे चीजों को स्वयं अपने हित में अपना सकें। उक्त योजनाओं वी लोक योजना (People's programme) कहते हैं। यह योजना जनता की, जनता ने द्वारा तथा जनता के लिए है। हाँ! इसमें समर्पण भाग अमर्शय लेवा है परन्तु यह बेवल पहल तथा प्रेरणा यद्दन करने के उद्देश्य द्वारा है।

योजनाओं का प्रशासन

सामुदायिक विकास योजनाओं का प्रशासन केन्द्रीय स्तर ऐ लेफ्टर प्राम स्तर तक विभिन्न स्थायों एवं समितियों के द्वारा होता है। इसका सबीत चिन्ह निम्न चार म दर्शाया गया है —





केन्द्रीय स्तर पर—शीरे पर योजनाओं के प्रशासन के लिए एक केन्द्रीय समिति होती है जिसके सदस्य योजना आयोग के सदस्य यात्रा एवं कृषि मन्त्रालय तथा सामुदायिक विभाग मन्त्रालय के मंत्रीगण होते हैं। इस समिति का चेयरमैन प्रधान मंत्री होता है। केन्द्रीय समिति ने नार्य सुख्य नीनिश को नज़ारा तथा यापारण निरीक्षण करना होता है। २० अक्टूबर १९५६ तक केन्द्रीय समिति के ग्रन्तर्गत 'सामुदायिक योजना प्रशासन' (Community Projects Administration) होता था। २० अक्टूबर १९५६ से सामुदायिक योजनाओं के लिए एक पृथक् मन्त्रालय (सामुदायिक विकास मन्त्रालय) खाला दिया गया है। इसके मंत्री भी० एस० डे० है। पृथक् मन्त्रालय हो जाने पर भी 'सामुदायिक योजना प्रशासन' नामे रखा गया है जिससे प्रशासन में कोई भ्रम न पड़।

राज्य स्तर पर—प्रियांक नाथ बाबू म चलाने का दायित्व राज्य सरकार पर है। राज्य स्तर पर एक राज्य विकास समिति होती है। इस समिति का चेयरमैन मुख्य मन्त्री य इसके सदस्य प्रियांक नाथ के मंत्रीगण होते हैं। विज्ञात आयुक्त हेठले समिति का सचिव होता है। वह आयुक्त (commissioner) राज्य के उभी विभाग विभागों द्वारा क्रियाओं का समन्वय करता है।

ज़िला स्तर पर—ज़िले के स्तर पर एक ज़िला नियोजन अधिकारी विकास समिति होती है। इसका चेयरमैन कलेस्टर होता है। उम्हे राज्य म ज़िला नियोजन अधिकारी होते हैं। कलेस्टर या ज़िला नियोजन अधिकारी ही मुख्य प्रशासक होते हैं। कलेस्टर की सहायता के लिए यड़ प्रियांक अधिकारी (Block Development Officers) होते हैं।

सरपंड स्तर पर—परपंड लार पर एक यड़ प्रियांक अधिकारी (B D O) होता है जो अपने यड़ के सभूत्यं प्रियांक वार्षे क्रम को उन्नालित करता है। इसकी सहायता के लिए कृषि, उद्योगरिता, पशुपालन, कुटीर उद्योग आदि के प्रियोप्त होते हैं।

प्राम स्तर पर—अन्त म प्राम स्तर पर प्राम लार वार्षकर्ता (Village level Worker) अवग ग्राम चेयरमैन होता है जो कि बड़ुड़ेश्वीय मनुष्य की भाँति वार्षे करता है। इसके अधिकार में सामुदायिक प्रियांक यड़ों के ७ ग्राम तथा राष्ट्रीय प्रधार देवाओं के लगभग १० ग्राम होते हैं। प्रियत्र लारिक प्रियोप्त उठना निर्देशन तथा सहायता परते हैं। वह व्यक्ति राष्ट्रमारी प्राम-विनाय के प्रशासन की कड़ी का औन्तिम प्रशासक अधिकारी होता है।

उपरोक्त संगठन के अनुसार यद्यपि सामान्य प्रशासन होता है परन्तु यद्या म स्थानीय देशाओं तथा आमरक्षताओं के अनुसार इस संगठन म दुश्लता तथा स्थिरता लाने के लिए उपयुक्त परिवर्तन कर दिया जाता है। यही नहीं इस वार्षकर्ता के परिवालन में गैर सरकारी यद्योग का भी स्वागत किया जाता है।

योजना की अर्थ-ग्रन्थस्या

सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चलाने के लिए आवश्यक आर्थिक साधनों की पूर्ति करने का उत्तरदायित्व केंद्रीय तथा संघ सरकार पर है। सरकार के ग्रान्ति जनता से भी आर्थिक योजना प्राप्ति किये जाते हैं। प्रत्यक्ष योजना द्वेष के लिए कार्यक्रम यह निश्चित बताता है कि वहाँ न लोर्मा से एक निश्चित मात्रा में एक्स्ट्रिक रूप से धन, वर्म और वस्तुओं को मिलना चाहिए। जनता का ग्रान्ति एक राज्य के दूसरे राज्य तथा एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग से दृढ़ मिल जाता है।

इन विकास योजनाओं के लिए बहा राज्य आर्थिक उद्दायता प्रदान करता है वहा अनारंभी (non recurring) तर्ज़ों का ७५% केंद्रीय सरकार और २५% राज्य सरकार देती है तथा अनारंभी (recurring) रूपों का ५०% केंद्रीय सरकार और ५०% राज्य सरकार देती है। मृण्णु पूर्णतया केंद्रीय सरकार का देना होता है।

विदेशी सहायता

इस कार्यक्रम को चलाने के लिए भारतीय सरकार को, सबुत राज्य अमेरिका द्वारा प्रार्थित सहायता समझौते न ग्रन्ति न देता। तीसरी Foundation से आर्थिक सहायता मिलती है। सन् १९५७ ईस्वी तक सबुत राज्य अमेरिका से इस सम्बन्ध में १४-२७ लाख डॉलर की सहायता प्राप्त हो चुकी है।

योजनाओं के लक्ष्य एवं प्रगति

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना—जैसा कि अन्यत्र कहा जा चुका है कि सामुदायिक विकास योजनाओं का उद्घाटन महात्मा गांधी के जन्म दिवस २ अक्टूबर १९५२ को राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रधान के कर कमला द्वारा सम्पन्न हुआ। इस तिथि को ५५ विकास द्वेष में एक साध्य प्रियतरं तरंग भी भाति वार्य प्रारम्भ किया गया। सन् १९५३-५४ में अतिरिक्त विकास खड़ी की जुना गया औ शने शने प्रति वर्ष इनकी सख्ती में वृद्धि होती गई। प्रारम्भ से लेकर योजना के अन्त तक प्रत्येक ग्रन्थस्या पर लिये गये नियम तभी वा अन्य ग्रान्ति पुष्ट रीति लिया जाता होगा।

वर्ष	निर्धारित खड़ों की संख्या	खड़ों की संख्या जिन पर वार्षिक प्रारम्भ किया गया	खड़ों के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की संख्या	जनसंख्या (मिलियन)
सामुदायिक विकास				
१९५२-५३	१६७ ¹	१६७	२७,३८८	१६.४
१९५३-५४	५३	५३	८,६८२	४.४
१९५४-५५	१५२	१५२	२०,८९७	१३.३
राष्ट्रीय प्रसार योग				
१९५३-५४	११२ ²	११२	१५,३३६	८.८
१९५४-५५	२४५	२४५	३४,७०४	१७.४
१९५५-५६	२५६	२५६	३३,२२०	१८.५
	१७२		१७,२००	११.३
पूरा योग	११६०	६८८	१,५७,३४७	८८.८

विकास वार्षिकमें के लिए प्रथम एन्टर्प्राइज योजना में ६० करोड़ रुपये का प्रावधान दिया गया था। लगभग १० करोड़ रुपये राज्य उरमारों द्वारा ग्रामीण विकास के लिए व्यय किये जाने थे। प्रथम योजना के अन्तर्गत सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय प्रसार योगार्थी पर कुल ४६.०२ करोड़ रुपये व्यय किये गये। निमित्त मंदों के अन्तर्गत प्रथम योजना काल में रिहे गये व्यय वा अवैरा इस प्रकार है:—

	करोड़ रुपये
१. कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्र	४.२६
२. शिक्षाई	७.३४
३. स्वास्थ्य एवं ग्रामीण स्वच्छता	४.५२
४. शिक्षा एवं उमानिक शिक्षा	४.६०
५. सचादाचाहन	६.६४
६. ग्रामीण कला, दस्तकारी तथा उद्योग	१.७८
७. राज्य तथा प्रोजेक्ट हैटक्याटर्स	८.६२
८. ग्रामीण (प्रोजेक्ट कर्मचारी एवं ग्रामीण)	१.३६
९. आयात किये गये सामान की लागत	४.३०
१०. विविध	२.६०
	पूरा ४६.०२

¹ Considered equivalent to 247 Blocks

² 88 Blocks of 1953-54 and 98 and Blocks of 1954-55 etc converted.

द्वितीय पचवर्षीय योजना—सितम्बर १९५६ में ‘राष्ट्रीय विकास परिदृष्टि’ ने निश्चय किया कि द्वितीय योजना काल म सम्पूर्ण देश म राष्ट्रीय मिलार सेवाओं का काल बिछु जाना चाहिए और राष्ट्रीय मिलार सेवाएँ-सड़ा का पम से कम ४०% भाग लानु दाविक विकास सड़ा म परिणाम हो जाना चाहिए। द्वितीय योजना फाल में राष्ट्रीय मिलार सेवाओं के अन्तर्गत २,८०० ग्रन्तिरक्षित सड़ा सेवा जाना था और इनम से १,२०० सड़ा की सामुदायक विकास सड़ा म परिणाम किया जाना था। विस्तृत व्यौरा इस प्रकार है —

वर्ष	रा० प्र० सेवा सड़ा	रा० वि० सड़ों म परिवर्तन
१९५६ ५३	५००	
१९५७ ५८	६५०	२००
१९५८ ५९	७५०	२६०
१९५९ ६०	६००	३००
१९६० ६१	१०००	३६०
योग	३,८००	१,१२०

उपरोक्त वार्षिक योजना को क्रियान्वित करने के लिए योजना में २०० करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस घनराति म से १२ करोड़ रुपये केन्द्रीय स्तर पर तथा १८८ करोड़ रुपये राज्य स्तर पर व्यवस्थिते जायेंगे।

योजना की प्रगति

३० सितम्बर, १९५८ तक २२७३ सराउ सड़ों की प्रगति सम्बन्धी प्रस्तुत आंकड़ योजना की सम्पूर्णता को दर्शाते हैं —

कृपि

(अ) उत्तम बीजों का वितरण	१,५७,६८,००० मन
(ब) राज्यायनिक उत्कर्षों का वितरण	३,००,३८,००० मन
(स) उत्तम ध्रौजारों का वितरण	११,५४,०००
(द) कृषि सम्बन्धी किये गये प्रदर्शन	४८,५८,०००
(व) कम्पोस्ट गढ़े दोहे गये	५०,१४,०००
(र) हरी राद के अवर्गत ज्ञेन	४०,१५,००० एकड़

पशुपालन

(अ) दिये गये उत्तम पशु	४५,६००
(ब) दी गई उत्तम चिकित्सा	६२७
(स) जानवर उधिया किये गये (Animals castrated)	४,२८१
(द) जानवर प्रयुक्त किये गये (Animals treated)	३०,०४२

सामाजिक सेवा

(अ) प्रीड सांचरता नन्द	८७
(ब) यात्रा बनाये गये प्रीड	२,८६८
(स) बाचनालय खोले गये	४५१
(द) सामुदायिक केन्द्र प्रारम्भ किये गये	१०३
(घ) युवक एवं कृषक स्कूल	८४७

भृहिला समितियाँ

(अ) सख्ता	१६,१००
(ब) ग्राम शिविर	२०,५६२
(स) श्रद्धिकृत ग्रामदारी	१०,१४,०००

प्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता

(अ) प्रामीण शौचालय	५,०७,०००
(ब) नालियाँ बनाई गई	१,८६,१५,००० गज
(स) कुँए बनाये गये	१,२६,०००
(द) युनर्निर्मित कुँए	१,६५,०००

यातायात

(अ) कन्वी सड़के बनाई गई	७८,६००
(ब) वर्तमान कन्वी सड़के सुधारी गई	८१,४००
(स) सुलियाँ बनाई गई	५१,१००

सदूकारिता

(अ) सदूकारी यमितियाँ	३,२७,०००
(ब) यातायाती यमितियाँ में सदूक्य	८७,८८,०००

सामान्य

(अ) सरकारी भव

(२) जनता का अशोदान

६,५८८ लाख रु.

(३) जनता का प्रतिशत

६४

प्रथम पचमांश रोजना में सभी महत्वपूर्ण जनता यह हुई तिंह सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत देश भर में प्रिलार उपाय शुरू करने का नियम लिया गया।}

दूसरी योजना के अन्त तक प्रिलार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रिलार वर्ती वर्षा गांवों में लगभग ३१ हजार ग्राम सरकार और लगभग ८८ हजार नियमित अधिकारी हैं, पशुपालन विधि ग्राम चौका में नियमित लिए काम रह रह होंगे। लेकिन सामुदायिक विकास योजनाओं के नये मूल्यांकन से स्पष्ट है कि हम सनोग्रनक प्रगति नहीं घट सकती और जनता का वृद्धि कम सहजोग प्राप्त कर सकते हैं।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम से ग्रामीणों को लाभ

सामुदायिक विकास विधि सहरायी मनोलय (सामुदायिक विकास नियम) के १० रिपोर्ट, १९५८, ६० में कहा गया है कि इस विधि का गांव के लगभग १७ करोड़ ६० लाख व्यक्ति वाली ६१% जनता सामुदायिक विकास कार्यक्रम से लाभान्वित होने लगी।

१९५२ में इस कार्यक्रम के प्रारम्भ होने के बाद ग ३० सितम्बर, १९५८ तक जनता ने अम, धन तंत्र सामग्री के लिए ७८८८ लाख रुपये दिये। सरकार ने इस कार्यक्रम पर १ अरब ५० लाख रुपये सर्वानुदायित किये। इसमें से १०,००० लाख रुपये दूसरा पचमांश योजना के पहले इकाई खाला में व्यवहार किये गये। इस विधि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सभी स्मरण्य घटनाएँ एकत्र रखा योजना का लाभ होना है। सदा में पचास तिनी ग्रामों में नियमित विकास की स्थापना के धार धार सामुदायिक विकास विधि की योजना और अग्रल विधि का साध निम्नोंदायी ग्रामों जनता के हाथ में संरक्षित जा रही है। यन्त्रस्थान में पचास तिनी ग्रामों पर आवास नियमित रूप से लगभग २० हजार विचान विश्व-इंडिप्रदर्शनी द्वारा लाये गये हैं और अन्य राज्यों में इस प्रकार के जनन शायद ही बन जायेंगे।

इस विधि का गांव में १ लाख २ हजार मील लम्बी कम्बी सड़क जनाई गई है। ग्राम सहायकों की शिक्षा को आमतौर पर बढ़ाने के लिए लगभग ५,८०० ग्राम-सहायकों को भारत-दूरसंचय सुविधा दी गई है। इसी प्रकार देश के भिन्न-भिन्न राज्यों के विकास दरण्डी के लगभग २० हजार विचान विश्व-इंडिप्रदर्शनी द्वारा लाये गये हैं। इसके अलावा अनुमान है कि निजी व्येत्र की ओर वे इन वार्षों पर ८०० करोड़ रुपये लगाये जायेंगे।

तृतीय पचमांशीय योजना

तृतीय योजना में सेती का पहला स्थान दिया गया है। इसलिए सेती और सामुदायिक विकास के लिए सामननिर देशों में १,००५ करोड़ रुपये विधि की बड़ी और मध्यम योजनाओं के लिए ६५० करोड़ रुपये रखे गये हैं। इसके अलावा अनुमान है कि निजी व्येत्र की ओर वे इन वार्षों पर ८०० करोड़ रुपये लगाये जायेंगे।

सन् १९६३ तक ये योजनाएँ सम्पूर्ण देश में इस प्रभार पैल जायेंगी—

	विकास खड़ (Development Blocks)	प्रभार पूर्वी खड़ (Pre Extension Blocks)
१६ १९५६ तक ग्रामित खड़	२५५२	३४७
अक्टूबर १९५६	१४५	१६८
अप्रैल १९६०	२०२	२५१
अक्टूबर १९६०	१६८	२५२
सुतीय योजना में	१६००	—

प्रश्न

1. What are the main features of Community Development Projects launched in the country? Examine their usefulness as an instrument of rural reconstruction. (Bombay, 1955)

2. What are community projects? How far have they succeeded in your state? (Punjab, 1955)

3. Write short notes on —

Community Development Projects

National Extension Service (Punjab, 1958 Delhi, 1955)

अध्याय १७

भूदान-यज्ञ की महिमा

(The Miracle of Bhoodan Yajna)

भूदान देश की सामाजिक, आर्थिक तथा नेतृत्व क्रान्ति का एक शान्तिपूर्ण तथा अनूठा प्रवास है। इससे न केवल भारत के नृगिरीन विशानों की समस्या हल हो जाती है बल्कि भारतवाहियों के जीवन में एक नये प्रवाश का उदय होगा। इस नवीन योजना ने न केवल भारत के लोगों को बल्कि सशार के लोगों को आश्चर्यचित् दिया है। भारत में चलाये गये इस अद्वितीय आदोलन की प्रशंसा आज समस्त देश में हो रही है। यह एक ऐसी प्रान्ति है जो भारत जैसे महान् एवं गौरवपूर्ण देश की प्राचीन सभ्यता एवं परम्परा की पुणि करती है। भूदान एक ऐसा हृदयस्थली तथा शान्तिपूर्ण धार्यक्रम है जिसने देशवासियों को मानवता का एक नया सन्देश दिया है। आज यिनोंना जो का यह महान् यायक्रम भारत में अति लोकप्रिय हो रहा है। उनके शब्दों में “यह बाम साधारण दान वा बाम नहीं भूदान का है। अग्र हम किसी को प्रश्न रोज़ मी पाना खिलाति है तो वहाँ पुराम मिलता है। अगर एक रोज के अनदान वा इतना मूल्य है तो एक एकड़ जीवन का जिससे कि एक आदमी अपनी सभी जिदियों नसर हो सकती है, विदाना मूल्य होगा—इसलिए दोष-नायखल के बास्ते सभी से बुद्धि न बुद्धि मिलता ही जारीहर है।”

भूदान एक नई क्रान्ति—जैसे तो सशार क अन्य देशों म भी समय-समय पर क्रान्ति होती आई है परन्तु भारत में भूदान द्वाग होने वाली क्रान्ति सबसे मिल है। इस, चीन तथा आय देशों म हिंडा य भल पर होने वाली क्रान्ति द्वारा देश म सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन लाये जा सके परन्तु जो क्रान्ति इस समय भारत म हो रही है उसका आधार प्रेम तथा आर्हता है। भारत म वर्तमान एवं भवित्व म जो सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएँ हैं, उनका नियारण ऐसा भाग अपनानर भी हो सकता है जिन्हें सशार के अन्य देशों ने अपनाया है। परन्तु क्या यह मार्ग भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त होगा? यदि हम भारत म सामाजिक एवं आर्थिक समानता लानी है, और यदि भनी एवं निर्वना क अन्तर दो मिटाना है तो उसके लिए एक नये रास्ते बो अपनाना होगा। यह रास्ता बीन-सा है। यह रास्ता प्रेम का है। यह प्रगति का मार्ग

वही है जिसे हमारे राष्ट्रपिता श्री नेहरू ने ग्रन्थनाथा था। अनेकों जीके शब्दों में “भगवान् सबको समान उमाना चाहते हैं यह उनका प्रेम है—द्रेप नहीं। मेरे जो वाम दरता हूँ वह भगवान् का काम है।” मैं उनको का अवहङ्कार दूर करना चाहता हूँ और छोटों को उन्होंना उमाना चाहता हूँ। उड़ा से जमीन लेकर भूमिहीन गरीबा की आजीविका व लिए देना चाहता हूँ। इसका मतलब यह नहीं लागता जाना चाहिये कि उनके साथ मरी शत्रुता है मैं तो उनकी समान-उद्दि करना चाहता हूँ, उनके पास से जमीन लेकर उह गरीबों का परिव्राम दिलाना चाहता हूँ।

भूदान यज्ञ का अर्थ—भारत में प्राचीन काल से यज्ञ का महत्व चला आ रहा है। बदाचित ही ऐसा कोई व्याप्त हो जो इसके अर्थ व महत्व से पारचित न हो। यह, पूजा अथवा दूष्वर सुति वा एक रूप है। भारत में समय समय पर मिथ्या भिन्न प्रकार के यज्ञ होते आये हैं—अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ। इसी प्रकार हम भीता में भी विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेप प्राप्त होता है, जैसे द्रव्य-यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ जन-यज्ञ, इत्यादि। परन्तु भूदान यज्ञ भी ऐसा ही एक यज्ञ है, यद्यपि इसका उल्लेप हर्म प्राचीन ग्रन्थों में प्राप्त नहीं होता। वरन् पिर भी वर्तमान समय में एक महान् आदोलन होने के बारण हम सभी इसके नाम से भली भांति परिचित हैं। आज हमारे देश में भूमिहीन निःारों की एक भारी संरक्षा है। नो खेती करना जानते हैं और उनकी खेती करने की इच्छा होते हुए भी इन भूमिहीन दरिद्रा के पास भूमि नहीं है और जिहे अपनी जीविता के लिए दूसरों के देते जोतने पड़ते हैं निःराख प्राप्त होने वाली मजदूरी उनकी जीविता का साधन है। भूमिदान ऐसे ही लोगों के लिए एक अत्यार भुज एवं ग्रानन्द का सदैश लाता है और भूदान यज्ञ में प्राप्त भूमि इन निर्धनों में गठ दी जायेगी। रिनोग जी ने भूदान का प्रयाग अन्त उद्दि के लिए किंग है५ उनके ग्रनुसार जन कमा कोई सावधनित रूप प्रारम्भ किया जाता है तो उसमें हर एक को भाग लेना पड़ता है। इस भूदान यज्ञ में भी हर एक का हिस्सा होना चाहिए। बारण इसका उद्देश्य यह है कि सभी अन्त उद्दि हो जायें। इसलिए जिनके पास थोड़ी ही जमीन हो थोड़ी ही द।

रिनोग जी द्वारा यह के नीन भहान स्वरूप एवं उद्देश्य खाये गये हैं। जो है—क्षयपृति, शुद्धि करण एवं समर्पण। भूदान द्वारा यज्ञ के इन तीनों महान् उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। इसलिए सज्जाप महान्, रानिपृणा प्रान्तितारी आदोलन जा नाम भूदान यज्ञ सता गया है। भूदान से दृश्य म वेसारी, गरामी, भूमि की समस्तराग्री एवं प्रांचीन हृतीर उत्तेजा के बिनाश तथा ऐसे लागा के हाथों में भूमि चले जाने से नो स्वयं रेती नहीं जानते, इन बारणों से जो कृति हुड़ है भूदान इस क्षात्र को पूरा करने या एक सफल सामन है। त्याग, प्रेम एवं समान उमा भी परिव्रामनाश्रा रा जम देकर भूदान पह दान देने वाले व्यक्ति का नित शुद्ध करने ता एवं प्रशस्त है। भूदान

एक ऐसा महानतम् संगठन का प्रयाप है जिसके द्वारा समाज में समानता एवं लाग वीं मामना लाइ जा सकेगी।

भूदान का उद्देश्य—नीता कि निर्दित है भूदान ना उद्देश्य रेखा यही नहीं है कि ऐसे लोगों के विनांक पाच भूमि आधिक भावा में है उन्हें भूमि लेकर भूमिहीन विदानों में वितरित कर दी जाने वरन् भूदान यज्ञ एवं महान् प्रयोग है जिएका उद्देश्य भारत में एक र्गम-रहित, शोपण्यर्हान सर्वादिव समाज की स्थापना करना है। अब भूमि हीन विदानों की आधिक स्थिति सुधारना ही इस यज्ञ ना उद्देश्य नहीं है। भूदान यज्ञ सम्पूर्ण देश में शार्दूल/^१ राजनीतिक/^२ सामाजिक, एवं नीतिक परिवर्तनों का एक शान्तिपूर्ण परम्पुरा शान्तिगमी ग्रान्डेलन है। मिनेंद्रा जी ने भूदान-यज्ञ न उद्देश्यों की विवेचना करते समव उच्च उच्चयोगी उद्देश्या की ओर ध्यान आवर्तित किया है।

(१) गरीबों का नाश।

(२) भूमि के मालिनों के हृदय में प्रेम भाव का प्रियाप करना और उद्देश्य कल्पनरूप देश का नीतिक वावापरण्य उन्नत करना।

(३) एक और भूमि सामिर्ना और दूसरे और सर्वहारा भूमिहीन गरीबों—इन दोनों के प्रेत जो ब्रेत्योगत विद्युप विग्राह एवं पड़ना है वह भूदान-यज्ञ के द्वारा दूर होगा, परस्पर प्रेम और सद्मामना का नन्धन हह होगा। परिषामस्वरूप समाज शक्ति-शाली करेगा।

(४) वज्ञ, दान, और तर—इन तीनों के अपूर्व दर्शन के आधार पर को भारतीय सहृदयि तैनार हुइ थी उसका पुनर्व्यापान और उन्नति होगी। मनुष्य का धर्म एवं निश्चाय छढ़ होगा।

(५) देश में शान्ति स्थापित होगी।

(६) देश य शान्ति स्थापित होने से विश्व शान्ति स्थापना में बहुत सहाय्या मिलेगी।

(७) भूदान-यज्ञ के द्वारा विभिन्न साजनीतिक दल परस्पर निपट आयेंगे। और एक साथ मिलन एवं मिलभर जाम करने का मुख्यमार्ग पायेंगे। इसके फलस्वरूप देश सभी ओर से शक्ति प्राप्त करेगा।

भूदान-यज्ञ का मूल तत्व (Essence of Bhoodan)

समाज में एक शान्तिपूर्ण नवनिवासी लाने के लिए यह आवश्यक है कि हम उसके अनुहृत विचार प्रवासित करें। विचार परिवर्तन हीं शान्ति का छह्न है। भूदान समाज में एक ऐसी विचारनारा जात्य नहीं है जिसके द्वारा समाज में शोषण व पथा आर्थिक

* C C Bhoodan, Bhoodan Yajna-Kya aur Kyos, p. 29

और सामाजिक विप्रमता के अन्त करने में सहायता मिलेगी जो वर्कि भूमि का दान बरता है उसके हृदय में परिवर्तन आजा है। लक्ष्मण परिवर्तन के पश्चात् उसके चोबन में परिवर्तन आ जाता है इस प्रभार अब लोग जब भूमि दान के लक्ष्य तथा उसकी महिमा से प्रभावित होमर इस दान में भाग लेंगे तो जब समुदाय के जीवन में और अन्त में सरपर्ण रुमाज में यह विचारधारा प्रतिष्ठित हो जाती है। जिस प्रभार चोरी की समाज में धृष्टा भी दृष्टि से देखा जाता है ऐसे ही रदि अधिक समझ रखने को भी हम एक ग्रामाज्ञिक तथा ग्रनेशियन वार्य समझलौं तो ऐसा करने वाला के प्रति समाज में वही भावना जारी हो जायेगी जैसा कि इस समय इसी ओर के लिए। वास्तव में अधिक धन समझ रखना चोरी जैसा ही पाप है यह धर्म विचार हमें ग्रहण करना पड़ेगा।” प्रत्येक व्यक्ति ने चाहिए कि वह अपने मन में वह विचार रखे कि सुखार में सब तुलु ईश्वर का है और सुखार वी प्रत्येक वस्तु का ईश्वर ही एक मात्र स्वामी है। जब हमारे मन में ऐसा विचार आ जायेगा तब हम सब तुलु परमात्मा को अर्पित कर देंगे और जो तुलु ईश्वर की हृषा से हमें प्राप्त होगा उसे हम ईश्वर का प्रदाद समझ कर सन्तोशरूप ग्रहण करेंगे। इस प्रभार ने विचार रखने गला नकि समाज का शोषण नहीं कर सकता। उसे इसी के धन ने तनिक भी अभिलाश न होगी पर वह क्यों और विसरे हिए धन समझ करेगा। विनोम जी के शब्दों में “ग्रसम्रह और ग्रसरिह निल ऊपियो और साधे के लिए ग्राज्यायीय है ऐसा ही अब तक माना गया है किन्तु यह साधारण लोगों साथी, अहम्या का भी जीवन का मूल ग्राधार होना चाहिए ऐसा ज्ञाने से शोषण यह ज्ञान नहीं होगा। इस धर्म विचार की सामाजिक निष्ठा के रूप में प्रतिष्ठित करना होगा।

“म व्याप और प्रेम दोनों के जन्म करना चाहता हूँ इसे सुन्नन्द कह लेंगिए दोनों ही ईश्वर के दो नेत्र हैं। दोनों ब्रह्मांड के एक साथ मिलने से ही सम्पूर्ण तेज प्रदद होगा।” विनोम जी के इन शब्दों से भूदान यज्ञ का नल तत्त्व स्पष्ट है।

भूदान आनंदोलन का क्षेत्र (Scope of Bhoodan Movement)

भूदान आनंदोलन मा नवल गही लक्ष्य नहा है जिसे तुलु लोगों से नमीन लेकर निर्धन भूमिहीन रियानों में वितरित कर दी जाये। यह भूदान एक शान्तिपूर्वक दृष्टि से सद्भासना द्वारा सामाजिक, ग्राम्यिक तथा नेतृत्व नालिनि भी एक साधन भी है। अत इसका क्षेत्र यह ज्ञान है। इसके प्रत्यार्थ ग्रामदान, समस्ति दान जीवन्दान, ज्ञान दान जैनी प्रनेक नेतृत्व सम्मिलित है। जैसा कि साइड है यह भूमि दान, दाग ही देश नी स्वा स्वर भूमिहीन रियानों के जीवन भी भूमन समस्याएँ हल नहा भी जा सकती। भूमि दाग यह प्रमाने लिए एक जीवनोंसामने द्वारा साजन तो बहुरा प्राप्त कर लेता है परन्तु इसी वर्ति अन्त यह सजन तरनुपर्यं एव सर्वानीष्ट

विकास के लिए बेघल भूमि दान का मत्र ही पर्याप्त नहीं। ग्राम दान द्वारा समस्त ग्रामीण भूमि वो गाव के निवासियों में प्रितरित पर दी जायेगी। सर्वोदय के सिद्धान्त पर श्रमदान द्वारा ग्रामीण जीवन का रूप ही प्रदल जायेगा।

सम्पत्ति दान द्वारा धनी यक्षि ग्रपनी सम्पत्ति का उछु भाग निर्धनों में नहीं देंगे। इससे भूमि हीन बृप्तमा व पास भूमि प्राप्त करने के पश्चात् सेती के लिए आवश्यक यात्र तथा मुनिधाया दो एक्स्ट्र दरने की क्षमता वो आयेगी ही साथ में सम्पत्ति के उचित वितरण तथा गरीब और ग्रामीर के बीच खने वाली दूरी को सम करने का महत्व भी नमम्ब म आ जायेगा।

निम्न तालिका म हम दिसम्बर सन् १९५७ तक हुई सम्पत्ति दान वी प्रगति प्रदर्शित वर रहे हैं।

	प्रान्त	सम्पत्ति दान (रुपये)	सम्पत्ति दान (रुपये)
१	ग्राम	३५१७	१२४
२	ग्रा ए प्रदेश	५७१७३	६६८
३	उत्तर	४१२०६	२६८१
४	उत्तर प्रदेश	६६१३६	२४१८
५	बरल	६५६८	५०८
६	दिल्ली	१८८६६	३८
७	पंजाब हिमाचल	६२०८०	१६०५
८	नगाल	२८७४८	१७४८
९	नम्बद	१४६०३५	१०११
१०	गुजरात	७५६१६	१०३८
११	महाराष्ट्र	८२१८२	८५४५
१२	विहार	१७०११०	३४००४
१३	नद्राम	३४५३८७	—
१४	मध्य प्रदेश	९६६५२	१२८७
१५	मग्नू	१६७८१	३७६
१६	राजस्थान	८१५०८	३७१५
उल योग		१९७३८६५	६००८६

सम्पत्तिदान के पश्चात् श्रमदान का उद्दय हाता है जिसका महत्व आधक हिन्दौ के साथ-साथ उत्तराय भी हा ग्रामीर है। तब यो व्यक्ति इतना मन्त्र ल हाता है कि यह इस यात्र नहीं कि दूरा को उछु दे सक, ग्रपनी सम्पत्ति का उछु भाग

से प्रत्येक को मिलने वाली भूमि के टुकड़े हुकड़े हो जायेंगे। अब ऐसी स्थिति में उनका उत्पादन कम हो जायेगा। विनोद जी ने इस सम्बन्ध में उठने वाली आशंका को दूर करते हुए कहा है, “रिन्टु भारतीयों आरहदर ने हुकड़े हुकड़े हो गये हैं यह क्या आपको अच्छा लग रहा है? आप सब क हटव ग्रेड दरट हो रख हैं। यदि हटव के दूसरे हुकड़े जायेंगे तो जमीन के टुकड़े भी सहज ही हुकड़े जायेंगे। गरीबों को जब जमीन दी जा चुकी तब उन्हें रुहनासिना नी शिक्षा देना पिंडेय उदासाध नहा होगा... यदि हटव हुकड़े जायें तो क्या जमीन वो जोड़ सकता बनिन होगा? जिसे पहले जोड़ना होगा यह तो बुद्धि वी नाल है।”

भूदान का आलोचना मक्का अध्ययन—भूदान यह के सम्बन्ध में अधिक जानकारी न होने के कारण कुछ व्यक्तियाँ ने आलोचना वास्तविक प्रगति पर सन्देह प्रगट किया है। इन आलोचनाओं का कहना है कि प्राय भूदान भलोग ऐसी जमीन दान क सम में दें देते हैं जो नजर अथवा खेती के लिए अरोप्य होने के कारण उनके लिए अनुपयोगी है। कभी कभी भरड़े की जमीन को भी दान में दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जमीन पाने वाले को भूमि से क्षा लाभ होगा? कुछ व्यक्तियाँ ने भूदान यह वी इसलिये भी आलोचना वी है कि इससे भूमि का ग्रनावश्यक खट्टीकरण होता है तथा देनी मुधार पर उत्तर विधियाँ के प्रयोग न लिये प्रोत्साहन देने के बजाय खेती के पिछों हुए अथवा हानिकारक तरीकों को द्वारा मिलता है। इसके ग्राहिक अन्य आलोचनाओं ने भूदान वी प्रगति पर भी सन्देह प्रगट किया है। उनके विचार से भारत एक विशाल देश है जिसकी भूमि समस्या अत्यन्त जटिल है जिसे सुलभाना भूदान का बाम नहीं है। भूदान द्वारा हम इतनी भूमि कदापि नहीं प्राप्त कर सकते जो कि देश वी सम्पूर्ण भूमिहीन निर्धन किसानों की समस्या को मुलभाने के लिए पर्कार हो। इतनी नटिल एवं विशाल समस्या करने गान्धार के लोगों से भीत के द्वारा माँगी हुई भूमि से यह समस्या कदापि हल नहा हो सकती। यदि इस तरह भारत वी भूमि समस्या का हल किया गया तो आनंदियाँ लग जायगी। परन्तु यदि हम आलोचकों वी इन नार्ता वा एवं उनक मन में उठे इन सन्देहों वो भली भाति सोच तो स्वय हम इस गत का अनुभव होगा कि य आलोचनाएँ क्रियात्मक हैं अथवा उनकी शकार्दे निराधार हैं।

वह वहना कदापि गल नहीं है कि भूदान में जो भी भूमि प्राप्त हुइ है वह नजर होने वा अन्य किसी कारण से उत्तीर्ण लिए अद्युत्युक्त है। रिनाम जी ने अपने अथवा परिभ्रम द्वारा अब तक लगभग ४४ लाख एकड़ भूमि का दान प्राप्त किया है जिसकी अधिकारा भूमि ऐसी है जिस पर रेती करने भूमिहीन निर्धनों न जीन में नये सुन पर ग्रानांद वा यचार हुआ है। टुकड़ भूमि यदि ज्ञान भी है तो इन कारण हम भूदान आन्दोलन के प्रति संदेह नहीं करता चाहिये। तदा तन भूमि र यज्ञकरण भी समझा

वा हल है यह स देह भी पूर्णतया निराधार है जैसा कि निमोना जी ने बहा है कि "बत्ते हृदय मिल जानेगे तो भूमि के दुष्टने में भी योई बटिनाई न होगी। इस वारण्य यदि भूमि का थोड़ा बहुत उपराष्टन भी हुआ है तो भूमि नितरण के पश्चात् लोगों में ऐह जाखिता की भावना वो जाग्रत नर सहनारी दृष्टि द्वारा इस समस्या को हल करने में दृढ़ बटिनाई न होगी। और फिर नथासुभय गठित भूमि वो एक यह जोत में परिवर्तन करने के लिये आपशेष सुविधाओं प्रदान करने से यह समस्या हल होने मुश्किल नहीं दीखती। जिन लोगों ने भूदान की प्रगति पर राष्ट्रेह किया है उनमें हमारा नम्र निषेद्धन है कि वे निगशा न हों। भागत में इस दम्य जिस नंजी के साथ भूदान आन्दोलन की प्रगति है रही है उससे समस्या के अफल नितरण में मिल्कुल सन्देह नहीं रखनी चाहिये।

आज भारत के समक्ष केवल भूमि हीन विद्यार्थी भी ही समस्या नहीं है गर्तु सम्पूर्ण देश में नीतिकाना एवं चरित्र निर्माण की समस्या है। भूदान नहीं तो सभ्यते भव पल यही नहीं कि देश की भूमिहीन एवं निर्धन जनता को एक नये सुखी जीवन का संदेश मिल गहा है और धीरे धीरे जनी आर्थिक स्थिति मुथस्ती जा रही है। आन्दोलन की सर्वसे बड़ी टेन यह है कि आज भूमिहीन देश में द्रेष, सूदभाना एवं शान्तिपूर्ण शान्ति का एक सम्पूर्ण वातावरण उत्पन्न हो गया है ऐसे वातावरण में भूमिहीनों की एक समस्या क्या भारत की अनेक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विधि वित्तिक समस्याओं का हल नहीं आसानी से हा जायेगा। आवश्यकता भी पृष्ठभूमि की, वातावरण की और दिनचर परिवर्तन की, तो यह काम भूदान यह ने नर दिया लाया। आज पृष्ठ गाढ़ी की द्वारा निर्दाशत संविधिन ने चिढ़ालत का जितना महत्व लोगों की समझ में आ रहा है उनमें शायद इससे पहले कभी नहीं समझा गया था। आज देश में एक अनूठी शान्तिपूर्ण शान्ति सजग हो उठी है।

भूदान आन्दोलन की प्रगति—उन १९५१ में ग्रामार्थ विनोदा जी द्वारा चलाये गये भूदान में निरन्तर प्रगति हो रही है। इस प्रगति ने देश को क्या छोरे सहार को चकित नर दिया है हमारे देश में जन १९५८ तक दान में ग्राम होने वाली कुन्त भूमि लगभग ४४ लाख एकड़ थी तथा आम दान में ग्राम होने वाली सम्पूर्ण ग्रामों की सख्ता ४५७० थी। साथे आर्थिक भवि लगभग २१ लाख १४ हजार केवल दिहर राज्य में ही ग्राम हुई। इसके पश्चात् चर प्रदेश वा नम्र आता है। जिसमें ५८ लाख एकड़ भूमि तो दान ग्राम हुआ है। इसके पश्चात् राजस्थान और उड़ीसा का नाम उल्लेखनीय है जहाँ ४१५ लाख एकड़ भूमि तो दान ग्राम हुआ है। भूमि प्रतिशत का शार्प ग्रामी लोरा से नहीं चा जा है। अब अब तक दुल भूमि का केवल १८ प्रतिशत भाग अथात ७ लाख ८३ हजार एकड़ भूमि ही हो भूमिहीन विद्यार्थी न वितरित किया जा सका है। भूदान ग्रान्टोलन एवं विद्यार्थी ग्रामोजन है इसके द्वारा लगभग एक करोड़ भूमिहीन कियाना के लिए ५ करोड़ एकड़ भूमि दान ग्राम करने

का लक्ष्य रखा गया है। उद्देश्य यह है कि प्रत्येक भूमिहीन किसानों को उसके तथा उसके परिवार के जीवन रिहाइ न लिए औ एवढ़ भूमि घररक्षण प्राप्त हो। जिस तालिका में हम नूतन १६५८ वर्ष का भारत का विभिन्न प्रान्तों में भूदान आदोलन की प्रगति तथा विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं —

भूदान में प्राप्त भूमि तथा उसका मितरण

राज्य अथवा प्रदेश	दान में प्राप्त भूमि (एकड़)	रितरित की गई भूमि (एकड़)
ग्राम	२३,१६६	२२५
ग्राम प्रदेश	२,४१,६५०	८३,०६०
उड़ीसा	४,२४,६३५	१,११,७८५
उत्तर प्रदेश	५,८३,६३०	७७,७५८
बेरल	२६,०२९	२,१२६
दिल्ली	३८६	१५७
पश्चिम	११,६२९	५,६५३
पश्चिमी राजाल	१२,६८१	३४६३
जम्बूद्वी		
(१) गुजरात	४७,४८६	११,५२७
(२) महाराष्ट्र	६४,३६०	१०,५६१
(३) रिंदर्म	८६,७७८	४५,०००
(४) चीराग्द	३१,२३७	८,१८५
गिर	२१,१३,६३८	२,८९,२८६
मद्रास	७०,८२३	२,३४६
मध्य प्रदेश	१,३८,८१६	६२,४५०
मैसूर	१६,६७३	२,५२७
शुजास्थान	४,२६,४८८	६८,३६२
हिमाचल प्रदेश	१,५६८	२१
योग	४४,००,६०५	७,८२,५२५

भूदान आदोलन की देन

(Contribution of Bhoodan Movement)

भारत में आचार्य मिनोग जा द्वारा चलाये गये भूदान यह से देश को अनेक आर्थिक, सामाजिक एवं नेतृत्व लाभ हुए हैं। बालूर में यह ध्यानितपूर्ण ध्यानिकारी आदोलन सर्वथा भारत की सासृति सम्बन्धी नया परम्परा एवं सर्वर्वा अनुदूल है। जिस प्रकार प्रानीन समय से हमारे देश आन्ध्रामिक तथा नेतृत्व चाला गया था ताकि नेतृत्व

परता चला आ रहा है उसी प्रकार आज जिनोंमा जी के निर्देशन में भारत को आपने अहीत उ गोरख को प्राप्त करने वा अप्राप्त मिल रहा है। भूदान यह ने जिस प्रकार भारत के आर्थिक, सामाजिक एवं नेतृत्व परिवर्तन का ग्रीष्म उत्तापा है, सुसार के निचारी एवं नेताओं को इससे आशक्त होना समाप्ति ही है। अब ऐसे भूदान द्वारा प्रदूषित, सामाजिक, सास्कृतिक एवं नैतिक लाभों की विधेयना हो रही है।

आर्थिक लाभ—भूदान का सास पहला लाभ वह हुआ है कि उसने इस और जनता का ज्ञान आर्थिक रूपात् है कि भूमि भी प्रहृति की अन्य स्वतंत्र देशों (free gifts of nature) से एक है। अत जिस प्रकार यातु, प्राणात् तथा जल पर अपनी का आपनार नहा है उसी प्रकार उभी जमीन भी उन्हीं होनी चाहिये। भूमि व्यक्तिगत अधिकार की वस्तु (private property) नहा है। भूदान ने आर्थिक ज्ञान में आर्थिक शक्ति के एक्स्ट्रीमरसण (concentration of economic power)

किस्त आवान उत्तर धन के समान वितरण तथा आर्थिक विषमता की ओर आपसमें प्रस्तुत बरने का महत्व दर्शाया है। देश की भूमि तथा भूमिहीनों की जटिल समस्या की ओर व्यान आर्थिक काग के भूदान ने सहायते कृपि तथा कृपि के मुशारों महत्वपूर्ण योग दिया है। आम ग ज्ञानों में इस निर्वात तथा भूमिहीनों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति से मुशरों की आपसमें वार न देने वाले भूदान ने पिर इस और व्यान आर्थिक किया है कि भारत ने कृपि का न देश में उसकी कृपि की उत्तरी इसिनों की आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि पर ही निमर वरती है (The prosperity of agriculture depends upon the prosperity of the agriculturist.)

सामाजिक लाभ—सामाजिक ज्ञान में भी भूदान आदोलन का महत्वपूर्ण योग है। इसक द्वारा आपसमाजियों में समूहानना, प्रेम, सदृश्यतावात तथा भाई-चारों की भावना जाएत हुई है, प्रत्यक्ष अपनी ही जनति में सत्तुर न रहने वाले उत्तरी में भी सहायता ही, इसका पार किर ते भूदान न द्वारा याता है। समूर्ण आम ग प्रेम की दृढ़ भावना वा जम देने वाले आपसमाजियों नो एक पार गर उ न्द्र म रहने की प्रेरणा दी। आमदान जा उद्देश्य ही खारे गान दो एवं परिवार म परिणाम कर देना है।

सास्कृतिक लाभ—उत्तराधिकारी द्वारा भी भूदान आन्वलन का महत्व कम नहा है। आपसमाजियों म प्रेमपूर्वक सामृद्धि जीवन की प्रेरणा देवर भूदान ने भारत के आमों को सर्व जैना दिया है। उनमें उनमें पर गान म आपसमाजित होने वाले जैल-इद, संगीत, प्रार्थना तथा प्रसंगना के आगान द्वारा स देशमाजियों के हृदयों म भारत के प्राचीन सहस्रित क अक्षर पुन फृट उठे हैं। भूमि आवित उ पश्चात् भारत क आमों म चारों तरफ मुख शानि की गत द्वारे लगी है जिष्यु उनका सास्कृतिक जीवन राहलही उद्य है।

नैतिक लाभ—भूदान आनंदोलन से भारत के नैतिक जीवन में क्रान्ति आ गई है। शान्तिपूर्ण तथा अधिसा द्वारा भूदान यज्ञ ने भारतवासियों ने हृदय में नैतिकता की सुन्ति कर दी है। ब्रेम, त्याग एव समाज सेवा की भाषणा जगाकर भूदान ने देश नैतिक लक्ष को ऊँचा उठाने में बड़ा योग दिया है। धन सप्रह के विषद् तथा अपनी आधिकारिकता से अधिक किसी वस्तु को न रखने का पाठ हमें भूदान ही ने दिया है। चोरी, डब्बेंटी, मारपीट तथा हिंसात्मक कार्यों से दूर रहने से प्रेरणा भूदान का प्रमुख नैतिक परिणाम है।

उपसंदार—भूदान सम्बन्धी उपरोक्त अध्ययन से वह पूर्णतया स्वाट हो जाता है कि यदि आधुनिक भारत में कोई सभ्यत्व महत्वपूर्ण एव सततात्मक कार्य हो रहा है तो वह है भूदान आनंदोलन विस्तार उद्देश्य भारत की विशाल भूमिहीन, निधन जन सख्त्या के जीवन में आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति लाना है। इस क्षेत्र में वास्त्री प्रगति भी हुई है जैसा कि इस अव्याय में स्थान-स्थान पर दिये गये आँकड़ों से स्पष्ट है। परन्तु हमारे मन में यह प्रश्न उठाना स्वाभाविक ही है कि क्या भूदान यज्ञ द्वारा हम भारत की वृत्ति तथा भूमिहीनों की समस्या हल कर सकेंगे? देश में जनसख्त्या की निरन्तर वृद्धि होती जा रही है जिससे भूमि पर भार नहीं जा रहा है जिसके बारण एक ओर तो भूमिहीन विसाना भी सख्त्या नहीं जा रही है दूसरी ओर इसी वी अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती जा रही हैं। इस स्थिति में भारत की समस्त आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं के लिये हमें भूदान पर पूर्णतया निर्भर नहीं रहना चाहिये। इस समय भारत में लगभग एव वरी़क भूमिहीन निधन विचान हैं। तो क्या भविष्य में दूनकी सम्भवा नहीं न जायेगी? इसलिये इस बारण जहाँ एक ओर इस समस्या के हल के लिये हमें भूदान आनंदोलन की ओर निहार सकते हैं तरहाँ दूसरी ओर हमें अन्य दूसरा का भी रहारा लेना होगा। भूदान वा महत्व केरल देश की आर्थिक समुद्दितथा भूमिहीन विसानों तक ही सीमित नहीं है बरन् हमें तो भूदान द्वारा उत्पन्न ऐसे वातावरण की सहायता प्राप्त है जिसमें यामोत्थान तथा आर्थिक जनता की सामाजिक, आर्थिक, नैतिक यत्र सततिक उन्नति की अनेक योजनाएँ सफलतापूर्वक वार्तान्वित भी जा सकती हैं। प्रधान मन्त्री श्री नेहरू के शब्दों में—“इस आनंदोलन के द्वारा एक ऐसा अनुकूल मनविद्यानक वातावरण समाज में होता जा रहा है जिसने हमारी मात्री समस्याओं को बहुत कुछ सरल जना दिया है।”

प्रश्न

1. Assess the economic significance of the 'Bhoodan Movement' and indicate how it is going to help the landless labourers of the country.
 (Patna, 1944)

2. "The Bhoodan approach is unsuitable in the context of land policy appropriate to a plan of economic development" Comment
 (Bombay, 1955)

खण्ड ५

सहकारिता

१. भारत में सहकारिता आन्दोलन

अध्याय १८

सहकारिता आनंदोलन

(Co operative Movement)

चासर का प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थ पूर्ण म लगा हुआ है। परन्तु क्या वह अपनी समस्त आवश्यकताओं तथा तब्दीं को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है? उसक स्वार्थ पूर्ण इस जीवन म दो कठिनाइया आती हैं। पहला कठिनाइ स्वयं उसकी शक्ति, समस्त तथा साधनों क समित होने से उत्पन्न होती है। दूसरी कठिनाइ तब आती है जब उसके समने पारस्परिक विराची लक्ष्य उत्पन्न होता है। परन्तु वास्तविकता यह है कि सह कारिता ही एक ऐसा साधन है जिसक द्वारा वह अपने सीमित साधनों एवं सामर्थ्य के बारण उत्पन्न होने वाली ग्रन्ति कठिनाइ पर विजय प्राप्त कर लेता है। अत यह वासिता व्यक्तिगत तुर्पलताओं पर विनाशी होने और सम्बान्ध र निर्भल, शक्तिहीन एवं असहाय व्यक्तियों के लिए शक्ति का एक अपार स्रोत है। सहकारिता पूर्ण मानव जीवन और सम्बन्ध के उच्चनम विनास के लिए अवश्यम्भावी है। अत पारस्परिक सहयोग एवं साहचर्य क मार्ग म आने वाली समस्त गोष्ठियां को दूर करना अनिवार्य है। प्रसिद्ध विद्वान् एल्टन मेयो (Elton Mayo) क शब्दों म “Civilized society can destroy itself if fails to understand intelligently and to control the aids and deterrents to co operation.”*

सहकारिता का अर्थ

(Meaning of Co-operation)

सहकारिता का अर्थ गिलकर काम करना है। अत जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सामान्य उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करते हैं तो सहकारिता के अर्थ का

* Hence co operation is a method of conquering individual weaknesses and a source of profound strength to weaker strengthless and helpless members of society —Dr J N Ngam, Economics Bulletin 1954

कुछ निम्न परिभाषाओं के सहकारिता का ग्रथं सह हो जावेगा। उदाहरण के लिए प्र०० सेलिगमेन (Prof Seligman) ने सहकारिता की परिभाषा करते हुए यहां ही नि-
“सहकारिता का परिसरिति ग्रथं निरस और उत्पादन में प्रतियोगिता का परिव्याप्त कर रामस्त प्रभार न मवस्था ने दूर करना है।”

सर हारेस प्लैट न अनुसार “सगठन द्वारा प्रभावशील बनाया गया स्वाव लम्बन” ही सहकारिता रहलानी है।^१ सर पी एल० एस० गार्डन (L. S. Garden) और सी० ओ० ब्रियन (C. O. Bien) ने सहकारिता की परिभाषा बताने हुए कहा है कि “यह आपिर सगठन एक विशिष्ट रूप है जिसे अन्तर्गत लोग सुनिश्चित व्याव रायिक नियमों के अनुसार निश्चित व्यापारिक उद्देशों के लिए मिलकर वार्य करते हैं। सहकारिता का आधार व्यापार और नीतिशास्त्र ना वह सम्बन्ध है जो हमारी वर्तमान वौद्योगिक प्रणाली की आपश्यर व्यापारिक इमानदारी से अधिक्षतर है।”^२

सहकारिता के मूल लक्षण

स्ट्रिक्लैण्ड (Strickland) न अनुसार किसी सहकारी सगठन वी दो प्रमुख विशेषताएँ होती हैं—व्येच्छापूर्ण सदस्यता एव जनतानिक सगठन। परन्तु विभिन्न विद्वानों तथा ग्रथंशाखियों द्वारा दी गई सहकारिता की उपरोक्त परिभाषाओं के व्यव्ययन से सहकारिता न कुछ मूल लक्षण का शान होता है जो इस प्रभार है—

^१ “Co operation in its technical sense means abandonment of competition in distribution and production and elimination of middlemen of all kinds”—Seligman.

^२ “Self help made effective by organisation”—Sir Horace Plunkett

^३ It is a special form of economic organisation in which the people work together for definite business purposes under certain definite rules. The root of the co operative idea is a relation between business and ethics which is greater than the necessary commercial honesty of our present industrial system.

सहकारिता की कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाएँ —

Co operation is a form of organisation wherein persons voluntarily associate together as human beings on a basis of equality for the promotion of the economic interests of themselves”—H. Calvert

‘Co operation brings in mutual help with a view to end in a common competence’—Mirisch

“Co operation is a resultant system of economy. It is a synthesis combining the desirable qualities of the laissez faire economy and the planned economy. In so far as it is possible, the undesirable features inherent in the two older systems are not transmitted to the new system of co operation”—H. H. Bikken and M. A. Schaeff

- (१) सहकारिता सामान्य आर्थिक हित की प्राप्ति रा अमूल्य साधन है।
- (२) स्वेच्छापूर्ण सदस्यता।
- (३) प्रत्येक सदस्य वो समान अधिकार प्राप्त होते हैं।
- (४) लोकान्नात्मक प्रक्रम एवं व्यवस्था।
- (५) इसम प्रतिस्पर्धा (competition) का ऐड स्थान नहीं होता है। पारस्तिक सहयोग इसका आदर्श है।
- (६) नैतिक पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इसका आर्थिक पक्ष।
- (७) सहकारिता वा शिक्षात्मक प्रभाव (educative effect) इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है।

सहकारिता का महत्व (Importance of Co operation)

सहकारिता हमारे जीवन र लिए एवं महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय जीवन वो सुखी एवं समृद्धिशील जनाने का सहकारिता एवं सफल उगाय है। सहकारिता एक ऐर्हा प्रणाली है जिसक अन्तर्गत स्वाध तथा निजी समति की भावना वो त्याग वर व्यक्ति पारस्तरिक सहकार एवं सदूचारना द्वारा प्रत्य लागा र साथ मिल जुल वर वाय वरन अपनी तथा समान वो उन्नति करता है। सहकारिता के लिङावों से सहमत होने वाल प्रत्यक व्यान कालए इच्छ द्वार सुखे रहते हैं। स्वेच्छा एवं समानता के सिद्धान्त पर आधारित मानव रा यह सहकारी समठन आर्थिक लोकन (economic democracy) का एवं सुदर उदाहरण है। सहकारिता पूँजागार की नियमताओं से मुक्त है। इसक द्वारा समाज र नवल एवं निर्धन व्यक्तियों का मध्यस्था एवं पूँजापतियों द्वारा किय जाने वाल शाश्वत स रक्षा होता है। सहकारिता गरीय, शक्तिहीन तथा साधनहीन व्यक्तियों म भा आमविश्वास तथा स्वावलम्बन जैसी महान् भावनाओं को जागृत कर, उन्ह अपने परा पर यह हाकर अपनी रक्षा अपने आप करने की प्रेरणा देती है। छोटे छाटे तथा यामित साधन वाले उत्पादकों एवं व्यवसायियों के लिए जैसे सहकारिता देती देन तुल्य है। पारस्तरिक सहयोग एवं मिल-जुल कर वार्त करने से इनम सहयोग की भावना जागृत होती है जो विभिन्न उत्पादकों के द्वारा वो जाने वाली प्रतियोगिता को चुनौती देती है।

भारत में सहकारिता को आवश्यकता (Need of Co operation in India)

भारत म सहकारिता का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। एक निर्धन एवं विद्याल जनतरख्या वाले देश म उसकी आर्थिक सामाजिक एवं नैतिक प्रगति के लिए सहकारी आन्दोलन अनेक प्रवार से उम्योगी सिद्ध हो सकता है। भारत जैसे शान्तिप्रिय,

अर्थसामादी तथा सहश्रस्तिय न सिद्धान्त पर चलने वाले राष्ट्र के लिए देश की शातिपूर्ण सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक क्रान्ति लाने के लिए सहकारिता से उत्तम और कोई मात्रम ही नहीं हो सकता। देश की जनसुख्या म निरन्तर प्रगति के कारण उत्पन्न होने वाली हृषि की अनेक समस्याएँ जैसे—सेती योग्य भूमि का विभाजन तथा भूमिहीन कृषिकों की समस्याएँ इत्यादि जैसी समस्याओं को सुलभाने के लिए हम सहकारिता की ही शरण लेनी होगी।

एक अर्धविकसित राष्ट्र के लिए देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, देशवासियों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने तथा हृषि व्यवसाय म लगी हुई जनशक्ति की आर्थिक स्थिति मुधारने के लिए सहकारिता प्रणाली गपनाई जाती है। इसी कारण भारत म सहकारिता का एक निरोप महत्व है। जारण यह है कि हमारे देश म अधिकाश जनता खेती म लगी हुई है। हृषि व्यवसाय म लगी इस जनसुख्या का अधिकाश भाग छोटे छोटे निवाना का तथा ऐसे खेतिहर मजदूरा का है जो सेती कृज्ञा जानते हैं परतु भूमि न होने के कारण दूसरा करोता पर महनत मजदूरी करके आपनी जापिका कर्यान्वयने हैं। सहकारिता के ग्राधार पर इन्ह भूमि प्रदान कर तथा अब शिष्ट भूमिहीन पराइन्डेंक घरलू उपयोग एवं अपवाया म लगाकर उनकी बहुत सी समस्याओं का हल लक्ष्य जा सकता है। ग्रामीण चूर म किसानों को समय समय पर आवश्यक प्रूण दिलाने का नाम सहकारी समितिना द्वारा किये जाने से ग्राहूकार द्वारा लिये गये अनुचित व्याज की दर पर प्रूण की समस्या दूर का जा सकती है। हमारे देश म ग्रामीण प्रूणप्रस्तता, चरकन्दी तथा हृषि निपणन जैसे अनेक चेता म सह कारिता ने महत्वपूर्ण योग प्रदान किया है। इसी प्रवार छाट हॉट उपादकों एवं वर्गी गरा को अच्छे रिस्म का कृच्छा माल दिलाकर, उन्ह समय समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करके तथा उनक द्वारा निर्भित वस्तुओं का उचित मूल्य दिलाकर सहकारी आन्दोलन ने उनकी आर्थिक स्थिति मुधारने म बड़ा सक्रिय भाग लिया है। सहकारिता हमारे देश के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं उपयोगी प्रणाली है जिसके द्वारा भारत की अनेक आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक समस्याएँ सुलभता से हल की जा सकती हैं।

सहकारिता आन्दोलन का उदय (Rise of Co-operative Movement)

पहले सहकारिता आन्दोलन का उदय जर्मनी म हुआ था। इगलैंड के श्रीदोगिक क्रान्ति का प्रभाव उसार के विभिन्न राष्ट्रों पर पड़ा। जर्मनी म श्रमिकों एवं छोटे छोटे कारीगरों की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाने से उनकी अपवाया वडी शोचनीय हो गयी थी। कम वेतन, काम की लम्बी अवधि, एवं प्रतिवूल कार्य की दशाओं के पारण मजदूरों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर बड़ा हानिकर प्रभाव पड़ा। इन समस्याओं को हल खोने के लिए जर्मनी में सहकारिता आन्दोलन का भीगणेश हुआ था।

देनमार्क के विद्याना की ग्रन्थस्था उक्त रमणराम न था, उह अपने लेनी समर्पी अनेक राशों के लिए उमन उभय पर मृण की आवश्यकता होती भी विधिक नियम वे साहूतार एवं महानना गी शरण में जात थे। भारी ब्लान के भारण चतुर गहराने खाथ सादे रिसाना का अपने चगुल में पास लेत थे। मजदूर एवं विद्यानों अधिकारी प्राप्त एवं शोषण विषय जाने उ ही सहकारिता आनंदालन के जम के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तंगर हुई थी। अब जमनी के शुक्रे डेलित्स (Schulze Delitzsch) तथा रैफिसन (Raiffeszen) नामक व्यक्तियों ने अपने देश में सहकारिता आनंदालन का नाम रखा है। सहकारिता के इन अग्रगृहों (pioneers) ने—इच्छने ने आमाण जाता था तथा शुल्कालित ने शुहरा जाता था—सहकारी साध उभितियों की स्थापना गी नितरी अपने सहकार ने सहकारिता आनंदालन को नड़ा लाभित्य की दिया है। खेतर एवं विभिन्न देशों में सहकारिता का जम तथा निवास सम्बन्धी आवश्यक नड़ा ही राचक है। अब हम नाच दुख प्रमुख देशों में सहकारिता आनंदालन के सम्बन्ध में आवश्यक प्रस्तुत करने जो इस प्रारंभ है—

इगलैंड—इगलैंड में सहकारिता आनंदालन के प्रारंभ हुए ऐव सर रोबर्ट ऑवेन (Sir Robert Owen) का है जहाने देश में सहकारी के सिद्धान्तों के विसास में महत्वपूर्ण नाम दिया। सहकारी आनंदालन के चून में इगलैंड की शुरुआत देन उसके उमोका भरणार (consumers' stores) है। सन् १८५८ में चार्ल्स हाउथ (Charles Howarth) के नेतृत्व में 'रोचडेल पायनियर' (Rochdale Pioneers) ने उमोका भरणार (consumer's stores) की स्थापना की थी जिनका उद्देश्य अपने सदस्यों को उचित मूल्य पर उपभोग की विभिन्न आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना था।

प्रान्स—सहकारिता के चून में जो कावे इगलैंड में राबर्ट औंडेन द्वारा किए गया था कावे में सम्भवत वही नाथ चार्ल्स फौटियर (Charles Foutier) ने किया था। प्रान्स में होने वाली क्लान एवं फलस्तर उत्तम आर्थिक एवं सामाजिक जीवन का फौटियर दीव आलोचन था। उहरों व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अतिं प्रिय थी। उहने एक ऐसी आदर्श बस्ती की रूपरेता बैशार की थी जिसमें लोग सहकारिता के सिद्धान्तों पर अपना जीवन व्यक्ति करें तथा उप उत्तम में इने बाल परिवारों के नुस एवं शान्ति के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हाती। पारंपरिक प्रतिवेदिता न होने एवं वारण लागी में आपसी मतभद तथा दृष्टि की भावना न होगी। सहकारिता के चून के चार्ल्स फौटियर की समय प्रमुख देन सम्बद्ध सहकारिता (Integral Co-operation) थी।

इटली (Italy)—अमीरामानरण ऐ पूर्व इटली की अर्थ व्यवस्था पूर्णत इमी पर आवश्यित थी। प्रामीण सेवों में इटली की आर्थिक देश नहीं मार्किक थी। उनका

जीवन कठिनाई एव संशय का एक दायगत था। कृषि वी इडति पिछड़ी एव दोषपूर्ण होने के कारण विसानों की दशा बिगड़ती जा रही थी। निर्धन विसानों को अपनी - आवश्यकता के लिये भारी ब्याज पर मृग्य लेना पड़ता था। ब्याज की यह दर ५० से लेकर ६० प्रतिशत तक थी। ऐसी अपर्याप्त म इटली म लुज्जाटी (Luzzatii) तथा डा० वोल्लेर्बर्ग (Dr.Wollerborg) ने देशवासियों को निभिन आवश्यकताओं के लिए मूल्य देने की मुमिन्दा प्रदान वरने के लिए सहकारी साल समितियों तथा ग्रामीण बैंकों की स्थापना की परन्तु फासिज्म (Fascism) के आगमन के पश्चात् देश का सहकारी आन्दोलन फासिज्म के नवीन सिद्धान्तों पर संगठित किया गया।

रूस (Russia)—रूस के सहकारिता आन्दोलन का अध्यन सिरोप महत्व का है। देशवासी कान्ति मे सहकारिता आन्दोलन देश वाहिया के जीवन म अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस म सहकारिता के सिद्धान्त पर चलाई जाने वाली ग्रामीण मृग्य समिति, (Rural Loan Society) १८६५ म स्थापित की गई थी। ग्रामीण रहकारी समितियों म सजदूरा एव कार्यगर सघ (Labour Cartels), इसी समितियों, उपभोक्ता समितियों, साथ एव मूल्य समितियों एव सहकारी सघ (Co-operative Unions) सिरोप उल्लेखनीय हैं। सन् १९१७ म होने वाली कान्ति के पश्चात् सहकारिता आन्दोलन का पुर्णसंगठन हुआ और सहकारी उपभोक्ता समितियों पर विशेष महत्व दिया गया जिनके द्वारा देशवासियों मे उपभोग की निभिन आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने का कार्य निया जाता था। यर्तमान समय म इस के ग्रामीण एव शहरी ज़ोनों म सहकारिता आन्दोलन द्वारा महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं।

रेफिसन तथा शुल्जेडेलिज प्रणाली—रेफिसन तथा (Raffelsen and Schulze Delitzsch System) शुलजे डेलिज नामक दो व्यक्तियों ने जर्मनी मे सहकारी समितियों की स्थापना की थी। रेफिसन ने अपने देश क ग्रामीण ज़ोनों मे तथा शुल्जेडेलिज ने अपने देश के शहरी ज़ोनों मे सहकारी समितियों की स्थापना करके सहार के समझ दो प्रभार की सहकारी समितियों के प्रनिस्थापन उन्नत्यों सिद्धान्त सखे। इन्ही सिद्धान्तों पर अब देशों मे सहकारी समितियों की स्थापना की जाती है। यह: सहकारी समितियों के यही दो प्रमुख प्रभार जाने जाते हैं। रेफिसन तथा शुल्जेडेलिज पद्धति पर स्थापित की जाने वाली सहकारी समितियों मे वर्तमान घटर है। अगले गृष्ठ पर हम इन दोनों प्रणालियों का तुलनात्मक व्यव्यवन करेंगे —

रेफिसन तथा शुल्के डेलिज समितियों की तुलना

रेफिसन

शुल्के डेलिज

<p>(क्षेत्र / Area)</p> <p>कार्य क्षेत्र (Area of operation)</p> <p>दायित्व (Liability)</p> <p>अश पैंजी (Share capital)</p> <p>स्थग का उद्देश्य (Object of loan)</p> <p>रक्षित कोष (Reserve fund)</p> <p>पदाधिकारी (Office bearers)</p> <p>उद्देश्य (Object)</p>	<p>(१) इस प्रकार की समितियां आमीण जूँग में स्थापित की जाती हैं।</p> <p>(२) समिति का कार्य क्षेत्र समिति होता है।</p> <p>(३) समिति के सदस्यों का दाय उत्तीर्ण (United Liability) होता है। इस प्रकार रमिति का हानि होने पर उसी में सदस्य से पूरी रक्षा बगूल भी ना सकती है।</p> <p>(४) इस समितिया में अश पैंजी का अधिक महत्व नहीं होता है। अश छोटे मूल्य के होते हैं।</p> <p>(५) यह सामान्यतया बचल अपने सदस्यों का हानि बचाना है। और उन दीपताली का स्थग उपराज का पादप कार्य के लिए ही देती है।</p> <p>(६) समितिया के सदस्यों के बीच वित्तीय व्यवस्था को भी उत्पादक अवगत अनुत्पादक किती भी कार्य के लिये अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है।</p> <p>(७) ऐसी समितिया में अपने सदस्यों में लाभ याट देती है और लाभ ना वहन छोटा भाग ही रक्षित कोष में जमा कर दिया जाता है।</p> <p>(८) ऐसी समितिया में पदाधिकारी को वान मिलता है।</p> <p>(९) ऐसी समितिया सदस्यों के आधिकारिक एवं नेतृत्व दाना प्रभार की उत्तित उन्हें उद्देश्य संबंधी करती है। इस प्रकार समितियों उनके आधिकारिक एवं नेतृत्व सुधार होता है, जैसे शिक्षा प्रसार आदि।</p>	<p>(१) यह समितिया शहरी क्षेत्र में स्थापित होती है।</p> <p>(२) समिति का कार्य क्षेत्र व्यापक होता है।</p> <p>(३) इनका दायित्व सीमित (Limited Liability) होता है। अतः हानि होने पर सदस्य अपने हिस्ते तक वा ही देनदार होता है।</p> <p>(४) अश पैंजी का अधिक महत्व होता है और अशों का मूल्य अधिक होता है।</p> <p>(५) ऐसी समितिया सदस्यों के आविर्त्त अन्य व्यक्तियों को भी उत्पादक अवगत अनुत्पादक किती भी कार्य के लिये अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है।</p> <p>(६) यह समितिया प्रति वर्ष अपने सदस्यों में लाभ याट देती है और लाभ ना वहन छोटा भाग ही रक्षित कोष में जमा किया जाता है।</p> <p>(७) इन समितियों में पदाधिकारी को वान मिलता है।</p> <p>(८) यह समितिया व्यापारिक दृष्टि कार्य से चलाइ जाती है। इनका मूल्य उद्देश्य सदस्यों की आधिकारिक उत्तित ही करना है, अतः वे नेतृत्व निपुणी की ओर अधिक ध्यान नहीं देती हैं।</p>
---	--	--

सहकारी समितियों का वर्गीकरण

जर्मनी में सहवारिता आनंदोलन के ज०८ के पश्चात् सउर के अन्य देशों में सहकारिता का विकास बड़ी तेजी से हुआ। और मानव के आर्थिक जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों में वृपि, उत्पादन एवं उपभोग, यही नहीं, देश के विभिन्न क्षेत्रों जैसे ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में इसे हुए व्यक्तियों वी समस्याओं को हल करने के लिए सहवारिता के लिदान्तों वा उपलतापूर्वक उपयोग विद्या जाने लगा और इसके समय पर विभिन्न देशों में अनेक प्रवार वी रहवारी समितियों स्थापित वी जाने लगी। इस कारण सहवारी समितियों के वर्गीकरण का धार्य बड़ा जटिल हो गया। विभिन्न देशों में विद्वानों ने विभिन्न प्रवार से सहवारी समितियों का वर्गीकरण निया है। इगलैंड भें वेल सहवारी उपभोक्ता समितियों वी ही प्रधानता थी और इसी कारण इगलैंड उपभोक्ता समितियों (Consumers' Co-operatives) के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी और रुर में अनेक प्रवार वी सहवारी समितियों धार्य वर रही है। जैसे सहवारी उपभोक्ता समितियों, सहवारी यहनिर्माण समितियों, उत्पादकों वी सहवारिता, इत्यादि। अतः सहवारी समितियों के धर्यकरण के समन्वय में अध्ययन करने से सहवारी समितियों के उद्देश्य एवं कार्य वा रुही ग्रनुमान लग जाता है। नीचे हम विभिन्न प्रवार से किये गये वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे।

रोम की अन्तर्राष्ट्रीय कृषि संस्था (International Institute of Agriculture at Rome) द्वारा सहवारी समितियों का वर्गीकरण :—

साख समिति, उत्पादन समिति, कृषि समिति, विक्रय समिति, धीमा समिति तथा अन्य समितियों।

प्रो० सी० आर० फे (Prof. C. R. Fay) के अनुसार वर्गीकरण :—

- (१) सहवारी बैंक (Co-operative Banks)
- (२) सहवारी इन्डस्ट्रियल समिति (Co-operative Agricultural Society)
- (३) सहवारी वारीगर समिति (Co-operative Workers' Society)
- (४) सहवारी भडार (Co-operative Stores)

प्रो० नाश (Prof Nash) का वर्गीकरण :—

- (१) साधन समितियों (Resources societies)
- (२) उत्पादन समितियों (Producers' societies),
- (३) उपभोक्ता समितियों (Consumers' societies)
- (४) घर रमितियों (Housing societies)
- (५) वापारण समितियों (General societies)

भारत में सहकारिता (Co-operative Movement in India)

भारत में सहकारिता का विकास—नगरि सहसरार अन्य देशों में इसे विवरित के लिए कोइ नहीं जाना है, क्योंकि प्राचीन भारत के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में सबुक उद्यम प्रणाली, पचासत, जाति प्रवा जैसी अनेक ऐसी संस्थाएँ का गहरा पूर्ण रूप वा जिनमें पारस्परिक सहयोग एवं सहकारिता की भावना विद्यमान है तथा प्राचीन अद्वितीय रूप में हमारे देश में इनका ज्ञान ~~प्राचीन~~ ही हुआ जब “सहकारी यात्रा सामति ग्राम नियम” रास द्या । वैसे तो एक दृष्टि प्रधान देश होने के कारण मात्र के इनका के रूपता अनेक दृष्टि सम्बद्धी समस्याएँ ग्रामीण क्षेत्र किन्तु १९ वां शताब्दी के अवधि भाग में हमारा आम नियमित्या और विकासी आर्थिक एवं सामाजिक देश की दृष्टीय हो गई । । वर्तमान को खती रूपता क्षेत्र आवश्यक पार्यों के लिए मूलग वा आ नवता पड़ती है । अब वोइ साधन न होने के फलस्वरूप गाव के सहकार और महाजन ही उनके लिए मूलग वा एषमान कीभी ये जिनसे भारी व्यापक पर विसाना को मूलग मिलता था ।

इसका परिणाम वर्त द्या । के हमारे देश के नियम एवं आमीण प्रशंसन्न हो गये । उनकी ज्ञान दस्तावेज ने जानमनि रानाडे (Justice Ranade) तथा सर विलिम वेडर्हम (Sir W Wedderburn) जैसे महानुभावी व्यापक अपनी आर आमति नियम निहाने भारती ग्रामीण मूलग की समस्या हल करने के लिए इन समाज के समय उचित ब्लाउ पर शुरू की मुमिला प्राप्त हो सकती है । परन्तु मारने नहरार इस मुमान का वायानित करने में ग्रसमय रहती है । फलस्वरूप देश के दृष्टि नियम तथा आमीण नियमित्या की समस्या वैधानी बनी रहती है । तो इन नियमों की विवरण विवरण के समय प्रमुख सक्षम आम नियमित्या की विवरण नियमित्या है जिसके द्वारा आमीण अवधि समस्या का समय प्रमुख सक्षम आम नियमित्या की विवरण नियमित्या है जिसके द्वारा आमीण अवधि समस्या का समय प्रमुख सक्षम आम नियमित्या की विवरण नियमित्या है । दूसरी ओर यह है इन दृष्टि समस्या सदैर ज्यादक वार्यों तथा राजा मुमान की विवरण नहीं की लिए जाते वरन् अनेक जार नवन नियमित्या को धार्यों एवं सामाजिक यात्रा रियानी का पूरा करने के लिए भी अनुत्पादक मूलग लेने का प्राप्त रूपता पड़ती है । सन् १८७८ में पूरा म होने वाले दिन द्या वा राजा भी भागीदार नियमित्या की सूचनाक्षेत्रों के फलस्वरूप उसकी विवरण दृष्टि ग्रामीण एवं सामाजिक देश ही था जिसके द्वारा समस्या की ओर आन आपसित करने में गहरपूर्ण राग दिया । परिणामस्वरूप १८८३ में भूमि

मुंबार मूर्ख अधिनियम (Land Improvements Loans Act 1883) पास किया गया। सन् १८८२ म सर मेरेटिक निकलसन (Sir Frederick Nicholson) ने भूमि तथा बृप्ति बैंक (Land and Agricultural Banks) द्वारा ग्रामीण मूर्ख की समस्या क हल करने की समाजनायी के सम्बंध म ग्रामीण सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत थी। उनमें रिपोर्ट का लाराण था “रेफिनेन का ढुँढ़ा” (Find Raiffeisen) जिसका ग्रंथ है कि ग्रामीण मूर्ख की समस्या के लिए रेफिनेन पद्धति व आधार पर ग्रामीण साप सहकारी समितियाँ की स्थापना की जाय। परन्तु निकलसन की रिपोर्ट म निहित सुभव ग्रामीण सरकार का प्रभावित न कर सक। उत्तर प्रदेश म समस्या के ग्रन्थयन के लिए सरकार ने मिस्टर ड्यूपर्नेक्स (Mr Dupernex) नामक अधिकारी को नियुक्त किया था जिन्हने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘Peoples’ Banks for Northern India’ लिपकर पुन इस साप समितियाँ की स्थापना द्वारा ग्रामीण मूर्ख की समस्या हल करने का मुभाव दिया। इसी समय एडवर्ड मेक्लेगन (Edward Meeklagan) ने भी सहकारी साप समितियाँ की आग्रह्य रक्षा पर जोर दिया। इन मिठाना एवं मिशेप्हां के ग्रन्थयन तथा मुभाव के द्वारा देश म सहकारिता आन्दोलन व लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार हो गई। १९०१ म भारत सरकार ने बृप्ति बैंक के समक्ष सम्बंधी समस्याओं के ग्रन्थयन के लिए एक समिति नियुक्त की। सन् १९०४ का सहकारी साप समिति अधिनियम (Co-operative Credit Societies Act of 1904) इसी समिति की रिपोर्ट रा परिणाम है। अत इसारे देश म सहकारिता आन्दोलन का शुभारम्भ १९०४ को होता है।

उपरोक्त अधिनियम के ग्रन्तीगत समस्त देश म ग्रामीण साप समितियों की स्थापना का बारं तेजा से आरम्भ हुआ। इस ऐकट का मुख्य उद्देश्य वित्तनों एवं सीमित साधन वाले व्यक्तियों तथा बारीगरा म भित्तचयता, स्वावलम्बन तथा सहकारिता की मावना जागृत करना था। अत देश के ग्रामीण क्षेत्रों म छोटी छोटी साप समितियों की स्थापना की गई। इस ऐकट द्वारा जर्मनी का रेफिनेन पद्धति व आधार पर अधीनित दायित्व बाली ग्रामीण समितियों तथा शुन्दलिज पद्धति पर शहरी समाजियों का समर्पन किया गया। १९११ १२ तक भारत म लगभग ८ हजार समितियाँ स्थापित हो गई थीं जिनकी जारीशाल पूजी तथा सदस्यों की सख्ता क्रमशः ३ ३६ चरांड तथा ४ लास थी। आन्दोलन के समर्पन और १९०४ के अधिनियम के ग्रन्तीगत स्थापित की जाने वाली सहकारी समाजना के नियवण एवं बारं लचालन की दृष्टि से प्रान्तीय सरकारों को विशेष अधिकारी की नियुक्ति की अनुमति प्रदान की गई थी। यह अधिकारी रजिस्ट्रार (Registrar of Co-operative Societies) कहलाता था। परन्तु १९०४ के सहकारी समिति अधिनियम म ग्रनेव दोप होने के कारण सहकारिता आन्दोलन की प्रगति न हो सकी। दोप इस प्रकार थे—

(१) अधिनियम के अन्तर्गत कपल सात समितियां या स्थाना वी ही बनस्था हैं अत अन्य दाया जैसे नितरण पूर्ण आदि के बायों के उद्देश्य के स्थापित वी जाने वालों उहराय सामातशों को जानूसा मान्यता प्राप्त न था।

(२) इन प्राविभिर सात समितियां का देष भाल एवं निरीक्षण के लिये १६०५ के अधिनियम न अन्तर्गत थोड़े ऐसी रन्द्राय स्थापित नहा वी गई थी जो इस कार्य को कर सकता।

(३) समितियां का वगास्तरण इडा अवैशानिक एवं अमुचिदाजनक था। समितियां को “शामाण” और “शहरी” समितियां में विभाजित करने से भी बहिराई उन्नत होना थी।

(४) शामाण समितियां इलाम वो उदस्ता में जाटे जाने पर प्रतिनिधि लगा देने से १६०४ के अधिनियम ने उहरालिंग आदोलन की प्रगति म नापा परिषित का।

उत्तरोक्त दोगों के कारण एक नये अधिनियम वी आमरस्थाना प्रतीत हुए उसमें सहराय आन्दोलन में आने वाली बहिराई का दूर किया जा सके और लाभ हा उसकी प्रगति के लिये उत्तुक वातावरण उत्तम हो सक। इसी तारण १६१२ म दूसरा “उहरायी समिति अधिनियम” पास किया गया। इस अधिनियम वी मुख्य बाबौ निम्न था —

(१) सात समितियां न अतिरिक्त अन्य बायों, जैसे क्राय, निक्राय, उत्तरादन, बामा, आदि के लिए स्थापित होने वाली समितियां को भा वैषानिक मापता दी गई।

(२) इस अधिनियम के अन्तर्गत सहरायी समितियां वी देसभाल निरक्षण एवं पिस्तीर उहराता के लिए निम्न तान प्रसार कर रन्द्राय स्थापायी की बनस्था वी गई —

(१) प्राविभिर समिति न रथ (Uttāra)

(२) रन्द्राय रैन (Central Bank)

(३) प्रान्ताय रैन (Provincial Bank)

(४) समितिया जा कर्मस्तरण अपन नय प्रसार से किया गया। शामाण तथा शहरी समितियों के स्थान पर परिषित एक अपरिषित दायित वाला समितियों स्थापित कर जाने लगा।

(५) इस अधिनियम के एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसक द्वारा अलाभित दायित्व वाला समितिया लाम के ४५ प्रतिशत भाग को रक्षित कोर म जमा कर दीय भाग को उदस्ता उ लाभाय के रूप म नॉट खक्का वी और शिक्षात्मक बायों के लिए भी समितियां अपने लाम के दर प्रतिशत भाग दो अलग रख सकती थीं।

सहकारी आन्दोलन के प्रारंभिक काल में आने वाली अनेक बिट्ठाइयाँ तथा वाधाग्राही को १९१२ ने अधिनियम द्वारा दूर करने का भरखर प्रयत्न किया गया। उपरोक्त परिवर्तनों के फलस्वरूप भारत में सहकारी आन्दोलन में विवाद प्रगति हुई। परन्तु अब भी देश में आन्दोलन के मार्ग में अनेक वाधाग्राही के वारण हाने वाली प्रगति अत्यन्त खोलायनक नहीं वही ना समती। सरमार ने आन्दोलन के विस्तार सम्बन्धी समस्याग्राही के अध्ययन के लिए सर एड्वर्ड मेलेगेन (Sir Edward Meclegan) ने अध्यक्षम एवं समिति नियुक्त वीजिसने आन्दोलन की प्रगति के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये। जैसे—

(१) आन्दोलन को मुद्दे सर पर लाने के पश्चात् ही नई-नई समितियाँ को खोलने का प्रयत्न किया जाय।

(२) सहकारी आन्दोलन में सरकारी हस्तक्षेप कम हो और जनता स्वयं आन्दोलन की प्रगति में सक्रिय भाग ले। इसके लिए यह आवश्यक है कि सहकारियों के खिदान्तों का यह विकास हो।

(३) समिति द्वारा दिये गये ऋण का दुरुपयोग न हो। इस वारण ऋण देने से पूर्व प्रार्थी की आर्थिक स्थिति वीजाच पहलाल कर लेनी चाहिए।

(४) सद्गु सम्बन्धी वायों ने लिए समिति द्वारा ऋण न दिया जाय।

(५) समिति के कुशलतापूर्वक वार्ष के लिए समय समय पर उसकी जाच पहलाल होते रहना आवश्यक है।

(६) जहाँ तक समव हो ऋण ऊँटे समय के लिए ही दिये जायें।

Meclegan Committee के उपरोक्त सुझाओं पर अभी सरकार पूर्णरूप से विचार भी न कर पाइ थी कि प्रथम महायुद्ध हिंड गया और सरकार वा ज्ञान कुरु सम्बन्धी वायों में निर्दित हो गया। १९१६ ने मार्टेन्यू चेल्सफोर्ड रिफर्म (Mortague Chelmsford Reforms) ने जारण सहकारी एवं प्रान्तीय विधय नना दिया गया। प्रान्तीय सरकार ने सहकारी आन्दोलन में जापी दशि ली जिसके पारण सहकारी आन्दोलन में काफी प्रगति हुई। १९२६ ३० में समितियाँ भी सरकार द्वारा लगभग ₹४,००० भी जिनमें ३९८ लाख सदस्य ये और निनंवी वार्ष शीत पैंची लगभग ₹५५,००० रुपये थी।

परन्तु सहकारी आन्दोलन में निरन्तर होने वाली प्रगति में एक बहुत बड़ी वाधा आ गई। देश में सन् १९२६ से १९३३ तक जैसी आर्थिक स्थिति रही उससे सहकारी आन्दोलन भी प्रगति में वाधा आ गई। विश्वव्यापी आर्थिक भव्यी के वारण कृपि पदायों के मूल्य में भारी कमी हो गई। विवानों ने आय कम हो जाने के वारण वे अपने पुराने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो गये। अतः सहकारी समितियों के वार्ष में वही बिट्ठाइ उपस्थित होने लगी। इस वारण यह आवश्यक समझा जाने

लगा कि आनंदोलन का पुनर्संगठन किया जाये जिससे सहमारिता के प्रिकास में उपस्थित बटिनाइर्या को दूर कर उसकी प्रगति में प्रोत्पादन मिल सके।

१९३५ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) द्वारा स्थापना हो गई जिसमें इसी सार विभाग (Rural Credit department) को खोले जाने से सहमारिता आनंदोलन को अब तक प्रबाल से सहायता मिली। १९३७ ई० में प्रान्तीय स्वामत शासन (Provincial Autonomy) ने स्थापित होने से प्रान्तीय सरकार ने सहमारिता आनंदोलन के विकास के लिये भारी प्रयत्न किए और आनंदोलन की विगड़ी अब अब व्यक्ति स्थिरा मुख्यमने लगा।

१९३६ में द्वितीय महायुद्ध के बासण आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में निरन्तर वृद्धि होने लगी। इसी पदार्थों के मूल्य भी जहाँ गये बढ़सना परिणाम यह हुआ कि नियानी की आर्थिक स्थिति में सुधार होने से उनमें अपने पुराने गृह्यर्या की उचितता की प्रिय ऐसे सामर्थ्य आ गई। परिणामस्वरूप आनंदोलन का नवीन युक्ति एवं नियानी होने से निरन्तर सहमारिता का विकास होता गया। महायुद्ध ने सभी क्षेत्रों के उत्पादन में सबसे बड़ी कम्पनी लोगों को अपने दैनिक उपयोग की वस्तुओं का प्राप्त करने में हाती थी। इस बासण इस ताल में रहमारी आनंदोलन के जिस द्वेष ने विशेष प्रगति की, वह थी उपभोक्ताओं की सहमारिता (Consumers Co-operation)। इसी कारण उपभोक्ता सहमारिता समितियाँ ना बहुत विलार हुए।

सरकार ने १२ अगस्त १९४८ को प्रो० डी० आर० गेडगिल (Prof D R Gadgil) द्वारा अध्यक्षता में एक बृहि वित्त उपसमिति (Agricultural Finance Sub committee) का स्थापना की जिसका मुख्य कार्य गृह्यर्या सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन रर सुभार्या को प्रस्तुत करना था। १८ जनवरी १९४५ का रजिस्ट्रारी द्वारा सम्मलन बुलाया गया जिसने देश के सहमारिता आनंदोलन की समाझेत करने की दृष्टि से रहमार के एक सामति नियुक्त करने की जारी दिलाई थी। फलस्वरूप आरा० जी० सरेगा (Shri R G Sarava) का अध्यक्षता में एक सहमारी ग्राही जना समिति (Co-operative Planning Committee) की नियुक्ति की गई जिसने देश में महारारी आनंदोलन की प्रगति एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत की। इस समिति ने प्राथमिक समितियाँ को नगल गृह्य प्रदान करने के बारे के नाम प्रहुडेशाप कार्यों का सम्बन्ध करने का सुभार दिया। सामति के विचार में भारत ने लिये प्रहुडेशाप समितियों अधिक उपयोगी हार्यी। सरेगा कमटी तथा गेंदागल कमटी की सिफारिशों पर विचार करने के लिए रजिस्ट्रारी ने १५ नवं सम्मलन बुलाया गया जिसमें इन समितियाँ के सुभार्या के अतिरिक्त देश के सहमारी आनंदोलन संबंधी अन्य विषयों पर भी विचार किया गया।

१५ अगस्त १९४७ को देश स्वतन्त्र हुआ। देश के विभाजन से आनंदोलन के क्षेत्र में अनेक नई समस्याएँ प्रस्तुत हुईं। भारी सख्ता में शरणार्थियों को बसाने के लिये भी सहकारी आनंदोलन को शरण लेनी पड़ी। राष्ट्रीय सरकार ने स्वतन्त्रता के पश्चात् सहकारी आनंदोलन की प्रगति के लिये अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। उपरिता गांधी ने भासोद्धाम-एवं-इषि समन्वयी समस्याओं के हल के लिये सहकारियों के महत्व पर जोर दिया।

निम्न तालिका में हम १९४७ से प्रथम पचवर्षीय योजना के पूर्व तक होने वाली सहकारी आनंदोलन की प्रगति को समझ कर रहे हैं—

वर्ष	समितियों की सख्ता(हजारों में)	प्राप्तिक समितियों की सदस्य संख्या (लाखों में)	समस्त प्रकार की समितियों की कार्यशील पूँजी (करोड़ रुपयों में)
१९४७-४८	१४६६७७	१०४७	१७१०६
१९४८-४९	१६३८८८	१२७०७	२१६४६
१९४९-५०	१७८०८८	११२६६१	२३८०१०

नियोजित अर्थ-व्यवस्था में सहकारी आनंदोलन

(Cooperation in Planned Economy)

एक नियोजित अर्थ-व्यवस्था में सहकारिया आनंदोलन का क्या स्थान है? यह एक बड़ा रोचक प्रश्न है। जैसा कि समझ है कि सहकारिया आनंदोलन की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि देश में जिम्मेदार लोकवन्त्रीय सरकार की स्थापना हो। एक स्वतन्त्र देश के निवासियों में ही व्यक्तिगत प्रयास एवं उत्तरदायित्व की भावना पाई जा सकती है जिसका होना सहकारी आनंदोलन की सफलता के लिए अत्यन्त आवश्यक है। भारत में भी स्वतन्त्रता के पूर्व देश के सहकारी आनंदोलन की स्थिति अत्यन्त सन्तोषजनक नहीं बही जा सकती। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार के अधक् प्रबलों से सहकारिया के चौरां में जो प्रगति हुई वास्तव में वह बड़ी सराहनीय है। देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक नियोजित अर्थ व्यवस्था की आवश्यकता प्रतीत हुई। अतः पचवर्षीय योजनाओं द्वारा देश की अर्थ व्यवस्था को सुधारने के प्रयत्न होने लगे। आर्थिक नियोजन में सहकारिया का क्या स्थान है? यह जानना अत्यन्त आवश्यक है। वैसे तो हमारे देश की पचवर्षीय योजनाओं का मुख्य आधार ही सहकारिया है जिसके लिए भी एक नियोजित अर्थ व्यवस्था तथा सहकारिया में वारस्तरिक मतभेद आने रखने चाहिए है। सहकारिया में किसी प्रकार का दबाव नहीं होता। यह एक स्वेच्छापूर्ण सदस्यता के आधार पर कार्य करने की प्रणाली है। उन-

सभी व्यक्तियों के लिए सहजारिता द्वारा खुल रहत है जो सहजारिता के लिए उपलब्ध है। यह ऐसा नियम एवं शान्तिहीनों का उपलब्ध है जिसके द्वारा वह ग्रन्ति सामाजिक हितों का प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रत्यक्ष का सामाजिक हित का इष्टि में सभी हुए सायं करने का पूण्य स्वतंत्रता होनी है। सहजारिता व्यक्तियों में ग्रन्ति नामक एवं सामाजिक गुण जग्य—चम्चाइ, स्वामिलभवन, इमानदारी, उन्मादना, खास एवं पारस्परिक उत्त्योग के लिए में सहायता देती है। परन्तु आधिक नियमानुसार असमय एवं कलाव उत्तरा देश के आधिक जाति में सहजारिता होना अनियमित है। मिना कलाव नियमण एवं नियोजन के नाइ यातना समलै नहीं हो सकता। इस कारण एवं नियमित प्रत्यक्ष व्यक्ति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं उन्मादन आधिक सायं करने के लिए प्रत्यक्ष व्यक्ति का प्रयोग तूट नहीं रहता।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में सहजारिता की प्रगति—प्रथम पञ्चवर्षीय

योजना का नाम उन १९५१ में प्रारम्भ हुआ। १९५६ में गह यातना समाप्त हो गई। इस अवधि में देश के सहजारी आन्दोलन में काफ़ी प्रगति हुई। प्रथम योजना में इस दौर में होने गाला गये प्रमुख प्रयोग सायं का रिजिस्ट्रेशन द्वारा नियुक्त “आधिक भागीदारी सायं सायं उन्मादन समिति” (All India Rural Credit Survey Comm.) द्वारा किया गया था तथा उसके सहजारी आन्दोलन की प्रगति वाले समेत उनके नामों का सूचित किया गया था। इस समिति ने अपना रिपोर्ट उन १९५८ में प्रवाहित की। उन १९५६-५७-५८ के अन्त में भारत में सब प्रमाण की रकम २,४४,७६६ सहजारी समितियों की निम्न लगभग १,५०,००,००० सुन्दर था। १९५१-५२ में सहजारी समितियों का संख्या उत्तर २,४४,६५० था। इससे स्पष्ट है कि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना काल में देश में उन्मादन आन्दोलन ने काफ़ी प्रगति की। प्रथम योजना काल में स्थानिक होने गाली समितियों में आधिकारी समितियों प्राथमिक समितियां (primary societies) थीं जो कियानी का उत्तर छाया रखते थे तथा उन्होंने उन्होंने आन्दोलन के उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त भाग हो दिया। इस आधिकारी द्वारा प्राप्त होता था और अन्त आन्दोलन के ७० प्रतिशत भाग के लिए यह भा जड़ाना जो प्राप्त होना दिया गया था उसके लिए पड़ता है।

ग्रामीण सायं सवकलन समिति के मुख्य सुझाव

(Main Recommendations of the All India Rural Survey Committee)

समिति ने आपाएं सायं की समस्त व अन्दरुन ये जो नियार्थी निवाला उनका उत्तराधिकार है कि देश में सहजारी आन्दोलन की गति प्रगति का मुख्य उत्तराधिकार

*Under the Chairmanship of Mr A. D. Gopalkar I.C.S.

वा सहकारी समितियाँ के साथ पर्याप्त सहयोग न करना है। अतः सहवारिता ग्रान्डो के क्षेत्र में सरकार ने सक्रिय भाग लेना चाहिये। इस सम्बन्ध में गुरुत्व मुभान यह है —

(१) निभिन्न स्तर पर संगति सहकारी समितियाँ में सरकार ने एन प्रमुख साफेदार के रूप में कार्य करना चाहिये।

(२) साथ, निष्पत्ति एवं अन्य समितियाँ में पूर्ण सहयोग होना चाहिये।

(३) प्राथमिक समितियाँ ना दायित रीमित हो और उनमा आवार नापी नज़ा हो।

(४) राष्ट्रीय एवं प्रदेशीय गांवाम निगमों नी सहायता में जटून में गोदामों का निर्माण करा लेना चाहिये।

(५) सहवारिता ने ज़ज़र में कार्य करने वालों के प्रशिक्षण के लिये पर्याप्त सुविधाएँ ही।

(६) इम्पीरियल बङ्क ग्रांक इंडिया (Imperial bank of India) ने स्टेट बङ्क ग्रांक इंडिया (State bank of India) में परिवर्तित कर दिया जाये।

भारत सरकार ने समिति के अधिकारी सुभारा को मान लिया तथा उहाँ कार्यान्वयित करने के लिये अनेक महत्वपूर्ण उद्दम उपाये। सहकारी समितियाँ ने निचीय रहायता प्रदान करने के लिए रिजर्व बङ्क ग्रांक इंडिया ऐक्ट भी आपरेशन संशोधन विधा गया। फरवरी १९५६ में एन राष्ट्रीय कृषि खात फंड (National Agricultural Credit Fund) की स्थापना भी गई। १ अक्टूबर १९५५ को इस्पीटिल फंड का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा उसके स्थान पर 'स्टेट बङ्क ग्रांक इंडिया' ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया जिसकी ६०० नई शासकाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में खालने का लक्ष्य रखता गया। यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सका है।

द्वितीय पचार्पीय योजना में प्रगति—द्वितीय पचार्पीय योजना में देश भर में १०,१०० बड़े आवार गाली सहकारी समितियाँ तथा १८०० प्राथमिक विषय समितियाँ (primary marketing societies) के सोलने का लक्ष्य रखा गया। १९५७ अप्रैल तक ८६८५ बड़ी समितियाँ तथा ४७६ विषय समितियाँ कार्य कर रही थीं। इसके अतिरिक्त १५० गोदामों का निर्माण भी हो चुका था। जैसा कि आप हीं ने द्वितीय पचार्पीय योजना का लक्ष्य भारत में एन समाजवादी तरीके समाज (socialist pattern of society) की रचना करना है जिसमें सहवारिता का महत्वपूर्ण स्थान होना अनिवार्य है। वही वारण है मानोव्यापार सम्बंधी समस्या योजनाओं का लक्ष्य वही है जिसमें सहवारी प्राम एवं (co-operative village management) का स्थन साकार हो।

निम्न तालिका म दूसरे पञ्चवर्षीय योजना काल म सहकारिता के विकास का पार्यकम राष्ट्र दिया गया है।

		लक्ष्य
साप सम्बन्धी (Credit)	नडे आवार गाली समितियाँ (Large sized societies) अस्थालीन साप (Short term credit) मध्यस्थालीन साप (Medium term credit) दीर्घ वालीन साप (Long term credit)	१०४०० १५० करोड़ ५० करोड़ २५ करोड़
प्रिक्य एवं परि निर्माण सम्बन्धी (Marketing and Processing)	प्राथमिक विक्री समितियाँ Primary marketing societies सहकारी चीनी पैकिट्रा (Co operative sugar factories) सहकारी झारख जिनिंग फैक्ट्री (Co operative cotton gins)	१८०० ३५ ४८ १९८,
माल गोदाम एवं भवान सम्बन्धी (Ware houses and Storage)	केंद्रीय तथा राज्य निगमों के माल गोदाम (Warehouses of Central and State Corporations) विक्री समितियाँ न गोदाम (Godowns of marketing societies) नडे आवार गाली समितियाँ न गोदाम (Godowns of larger sized societies)	३१० १५०० ६०००

शुलाइ १९५६ म मध्ये म होने वाले राज्य भवित्वी क द्वितीय सम्मेलन में प्रिक्य तथा परिनिर्माण समितियाँ क छेत्र म और विलाल किया गया। फलस्वरूप प्रिक्य समितियाँ की संख्या बढ़ावर १६०८, चीनी मिला की ६० तथा चाटन जिनिंग पैकिट्रा की संख्या १०० तर दी गई। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि १६६० ६१ तक १०,४०० नडे आवार गाली समितियाँ की स्थापना वा कार्य पूरा हो जायगा।

भारत मे सहकारी आन्दोलन का सगठन

भारत म सहकारी आन्दोलन क उग्रता को समझने के लिए देश म सहकारी समितियाँ क उग्रता वा अव्यय अत्यन्त आवश्यक है। अग्र शुष्ठ पर दिये गये तेजा चित्र म हम सहकारी समितियाँ का उग्रता प्रस्तुत तर रहे हैं—

सहकारी समितियाँ (Co-operative societies)

ग्राथमिक समितियाँ (Primary societies)		माध्यमिक या द्वितीय प्रकार की समितियाँ (Secondary societies)		
साप समितियाँ (Credit societies)	गैर साप समितियाँ (Non credit societies)	सघ (Union)	केन्द्रीय बैंक (Central bank)	राज्य बैंक (Provincial bank)
इपि गैर इपि	इपि गैर इपि			
(Agri cultural) Agri cultural)	(Non Agri cultural) cultural)			
जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है भारत म सहकारी समितियों का वर्गीकरण उनके द्वारा निये गये कार्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रवार भारत म सहकारी आन्दोलन के दो पक्ष (aspects) हैं। पहला ही साप सम्बन्धी सहकारिता, जिसके अन्तर्गत साप अथवा फूण देने का कार्य सम्पन्न होता है। दूसरे, गैर साप सम्बन्धी सहकारिता, जिसके अन्तर्गत साप अथवा फूण प्रदान करने के अतिरिक्त अन्य आर्थिक एवं सामाजिक कार्य किये जाते हैं। इस उद्देश्य से विभिन्न समितियों की स्थापना ही जाती है। इन समितियों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पहले तो वह सहकारी समितियाँ जिनके सदस्य मुख्यतया खेती सम्बन्धी व्यवसाय म सलग होते हैं। ऐसी समितियों को हम 'इपि समिति' (Agricultural societies) कहते हैं। दूसरे प्रवार वी समितियों के सदस्य अन्य आर्थिक कार्यों द्वारा अपनी जीविका प्राप्त करते हैं। ऐसी समितियों को गैर इपि समितियाँ (Non agricultural societies) कहते हैं। इस प्रकार समस्त सहकारी समितियाँ निम्न प्रवार की होती हैं—				

- (१) इपि साप समितियाँ (Agricultural credit societies)
- (२) इपि गैर साप समितियाँ (Agricultural non credit societies)
- (३) गैर इपि साप समितियाँ (Non agricultural credit societies)
- (४) गैर इपि गैर साप समितियाँ (Non agricultural non credit societies)

प्राथमिक समितियाँ

(Primary societies)

कृषि समितियाँ (Agricultural Societies)—इनि समितियाँ दो प्रकार की होती हैं—(अ) कृषि सामर समितिया, (ब) कृषि गेंह सामर समितिया।

कृषि सामर समिति—हमारे देश में सहस्रलिखा आनंदोलन का जल निकली को ग्रामस्थलों ने उम्मीद दिलायी और इन्होंने इसी दिलायी गयी उम्मीद को बढ़ावा दिया था। इसी ग्राम्य प्रारम्भिक रास्ते से ही मारत में सहस्रलिखा का जान सुखलत उग्र सम्पर्क कार्यों में ही कन्दित रहा। इसने गत तुम्हें वयों में आनंदोलन ने ग्रन्थ सम्बन्धित रहा रहने का भी प्रभाव दिया। इसके बाद मारत का उद्घाटी आनंदोलन एवं उन्हें प्रमाण आनंदोलन पहा जा सकता है।

निर्माणी—प्राथमिक समिति ना स्थापना (constitution) के लिये उम्मीद दिलाये कम १० और अधिक दिलाये ग्रन्थिक १०० हजारों की आवश्यकता होती है। ऐसी समिति ग्रन्थना भारी प्राप्त एवं भारत ने महीनी भीमित रखती है। इसका नाम पारत्य यह है एवं एक गोप्ता में रहने वाले व्यक्तियों में परम्परा सम्हर्के ने यात्रा सामर्थ्य समिति ने यारों ने नियन्त्रण में भी सम्मता दीती है। समिति वी स्थापना के पश्चात् सहस्रार्थी समितियों ने रजिस्ट्रार (Registrar of Co-operative Societies) द्वारा समिति ना पंजालन (registration) करना लाना चाहिये। ऐसी समितियों का वापिस्य अवधिमित होता है। इसमा सुधार नाम यह होता है कि प्रत्येक सदस्य समिति के यारों में दूसरी लेता है। इस पारस्परिक नियन्त्रण के प्रत्यस्पृष्ट उभयंति न यारों में सुशलता या जाती है।

पूँजी—समिति वार्षिक पूँजी (working capital) की साफ्ती करती है—आनंदोलिक व्यापार, लिंगम समिति ने सहस्रों डार्स दिलाया गया प्रवेश शुल्क (entrance fee), हिस्ता पूँजी (share capital) वग जनके डार्स जमा भी महं एवं ग्राम्य अवात् जमा पूँजी, (deposits) सम्मिलित होते हैं। समिति वी पूँजी का दूसरा द्वांत गदा सामन है—जिसमा सहस्रार—कल्पीय, प्रान्तीय अवगत लिंगी एवं डार्स यात् पूँजी सम्मिलित है। जबकि वर्ष दिल्ला पूँजी का सम्बन्ध है, इनमा महत्व वस्तु मवार, वजाद और उच्चरप्रदेश जैव श्रान्ति म अधिक है जहाँ सहस्रारी समितियों के लिये हिस्ता पूँजी एवं यमुन द्वांत है। अन्य प्रान्तों म हिस्ता पूँजी पर इसलिये अधिक है और नहीं दिल्ला जाता जिसमें निर्धन एवं सीमित साधन गाले अक्ति भी सहस्रारी समितियों की उद्दस्तिया से वचित न रह जाते। जो यि सहस्रलिखा भी भावना के सुरक्षा प्रतिकूल होगा।

ऐसी समितियों में रजिस्ट्रेशन कोण का महत्व अधिक होता है। सहस्रारी ग्रन्थिनाम-

के ग्रन्तीर्गत प्रत्येक सहकारी समिति एक रक्षित कोष बनाती है जिसमें अपने लाभ वा कम से कम २५ प्रतिशत मात्र जमा करना पड़ता है।

ऋण तथा व्याज (Loan and interest)—प्राथमिक साम समितियाँ जिन छुदेश्वरों द्वारा पूर्ति के लिये ग्राफने सदत्या दो ऋण दे सकती हैं वे हैं—

- (१) उत्पादक वारों के लिए।
- (२) अनुपादक वारों के लिए।
- (३) पुराने ऋण को चुन्ना करने के लिए।

सदस्य खेती तथा इसी भूमि में भुगतान करने, अनेक सहकारी नकदों के सुगतान इत्यादि वारों के लिए उत्पादक ऋण लेने की आवश्यकता का अनुभव करता है। अनुदादक वारों के लिए, लिये जाने वाले ऋण अनेक सामाजिक रीति रियाज, शादी, दिवाह, आदि के लिए लिये जाते हैं। पुराने ऋण के भुगतान के लिये प्राप्त ऋण सुन्दरतया भूमिक्यक बैंकों ही से प्राप्त होने हैं परन्तु प्राथमिक सहकारी समितियाँ भी इस प्रकार के ऋण देने का कार्य करती हैं। उदस्तों द्वारा लिये गये ऋण तीन प्रकार की आवधि के होते हैं—

- (१) अल्पसालीन,
- (२) भव्यसालीन,
- (३) दीर्घसालीन।

जहाँ तक सम्भव हो समितियों द्वारा ऋण केवल उत्पादक वारों के लिए तथा अल्प समय के लिए ही दिये जाने चाहिए। परन्तु आमीर जनता से साहूनार एवं कटोर पब्लों में मुक्त कराने के लिए समर-समर पर उत्तरों अनेक सामाजिक एवं धार्मिक वारों के लिए भी ऋण देना अनिवार्य हो जाता है। ऐसा रखने पर ही उनके आर्थिक, सामाजिक एवं नेतृत्वीक जीवन में वास्तविक मुशार की आशा वीजा सर्वांहे है। समिति द्वारा दिये गये ऋण की किसी भावा हो। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में प्राथमिक सहकारी खाते उपचारित वी वार्षिक फसलों वा उत्तरों द्वारा दीप रह है कि उनकी कार्यगाहक पैंडी कम होने के कारण वह सदस्तों को वड़ी थोड़ी भावा में ही ऋण दे सकते वी जनता रुकती है। सहकारिता के उद्देश्य को पूरा करने तथा साम से वास्तविक लाभ पहुंचाने के लिए वह अत्यन्त आवश्यक है कि समिति द्वारा दिये गये ऋण की भावा इनी आम न हो जिनमें रियाज वी ग्राफनी आपशक्का के लिए साहूनार घा मुहौन लाना पड़े। सदस्तों को ऋण देने समय उसकी साम प्राप्त करने की योग्यता (credit-worthiness) वी भली भावि जानकारी कर लेना चाहिए और जहाँ तक हो सके व्यक्तिगत जमानत के आधार पर ही ऋण देना चाहिए।

ऋण लौटाने के सम्बन्ध में समितियों को सख्ती से वार्षिकाही रखनी चाहिए।

कारण, समिति के सफलतापूर्वक काय सचालन न लिए भूम्य का टाक समुद्र पर तु तान करना अत्यन्त आवश्यक है। इसी साप समितियों का प्रबन्ध लौकिकनीय दर्शन किया जाता है। प्रत्येक सदस्य ना एक गाड़ देने से अधिकार होता है। समिति के कावरका तथा अधिकारियों को बतन नहीं किया जाता। प्रत्येक समिति में एक यात्रा समिति होती है, जिसमें सब सदस्य सम्मिलित होते हैं। इस समिति से मुख्य कार्य होता है समिति की काय सम्बन्धी नाति निर्धारित करना। एक वैतनिक भट्टी की भी निषुद्ध की जाती है, जो समिति द्वारा अनेक दिनान कार्यों को करता है। साधारण समिति के ग्राहिक एक प्रबन्ध समिति अथवा कावकारियों समिति भी होती है जिसकी सदस्य उत्तम ५ तक होती है। साधारण समिति की वार्षिक समा म जावकारियों समिति के निर्गमन होता है। यही समिति साप समिति के प्रबन्ध से काय करती है।

लाभ का वितरण— यह तो लाभ के वैटगरे न सम्भव म प्रत्येक यात्रा में एक यात्रा नियमी की व्यवस्था नहीं है। फिर भी १६१२ ई सहनारी समिति अधिनियम न अनुसार प्रत्येक सहनारी समिति ने प्रत्येक यात्रा में अपने निशुद्ध लाभ का कम से कम एक चौथाई भाग रक्षित कोण म जमा भर देना पड़ता है। यदि रजिस्ट्रार भी अनुमति ग्राह हो जाय तो शाप भा १० प्रतिशत भाग घमार्थ एवं शिर्हा सम्बन्धी कार्यों म व्यव किए जा सकता है। लाभ भा शाप भाग का समिति अपने सदस्यों में लाभाश व रुप मितरिक कर सकती है।

सहनारी समितियों का सहनारी पर चलाने तथा टीक से करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है, कि समय-घमार्थ पर सहनारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा उनका निरीक्षण एवं लेखा पराक्षण (audit) होता रह जिससे उनका काय प्रणाली म आय हुए दोषों एवं नुटियों की ओर समिति का ध्यान आकर्षित किया जा सके।

प्रगति— निम्न तालिका में प्राथमिक सहनारी साप समितियों की प्रगति के विवरण दिया जाता है—

	१८५१-५२	१८५२-५३
प्राथमिक हुए सहनारी साप समितिया इन समितियों की सदस्यता	१,०७,६८५ ४७,७६,८१६	१,६१,५१० ६९,१६,८१६

कार्य प्रणाली में दोष— भाग के आमीण जागत में प्राथमिक इसी सहनारी समितियों से अत्यन्त महत्वपूर्ण द्व्यान है। इन समितियों द्वारा ही विश्वान रा अन्नी

ब्रिटिश भारतीय ग्राम्य साल समेत हर कोई समिति की रिपोर्ट के अनुसार किया जाने के तुलने में इनका काफ़िर तीन प्रधिकार भाग ही हो समितियाँ द्वारा प्राप्त हो रहा है जिससे भी इनकी पाव ग्रणाती के पुनर्उद्धरण की महान् आवश्यकता साट होती है अत उपरोक्त समिति (Sri A. D. Gorwala Committee) ने भी उस समितियाँ के पुरुषोंगठन के लिए उच्च सुभाष दिया है।

इस सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण गत यह है कि वर्तमान समितियाँ के लिए पर घड़े आकार वाली समितियाँ बनाइ जायें जो उह गाव को ग्रामीण समाज का दृष्टिकोण साथ सापे और गैर सापे समितियाँ को एक दूसरे से सम्बद्ध कर दिया जाए। उत्तरार्द्ध न समिति के सुभाष को भानपर द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में वह आकार वाली १०,४०० समितियाँ को समर्पित करने का लक्ष्य रखा है। आशा है ग्राम्य साल सर्वे १०,४०० समितियाँ को समर्पित करने का लक्ष्य रखा है।

उमित द्वारा दिये गये सुभाषी के आगार पर समर्पित यह वह आकार वाली १०,४०० समितियाँ भास्त के प्रानाण जारीन में यत्यन्त उपयोगी हिंदू हांगी तथा किं उद्देश्यों के लिए उनका समर्पित करने का लक्ष्य रखा है। आशा है ग्राम्य साल सर्वे १०,४०० समितियाँ को समर्पित करने का लक्ष्य रखा है।

कृषि गैर-साल समिति

(Agricultural Non credit Society)

जैसा कि नियाया ना कुम है भारत में सहकारिता का जन्म मुख्यतया कियानों को सापे सम्बद्धी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य ऐहे ही किया गया। इस कारण हमाप देश बृहि गैर-साल समितियाँ के द्वारा में कापी पाल्ह है। सचार के अन्य देशों में गैर-साल समितियाँ की स्थापना पर ग्राहित जीर दिया जाता रहा है। इंग्लैण्ड, रूस, अमेरिका जैसे देशों में सामाजिक समाजी भूमिका प्रगति के गैर-साल-समितियाँ काफ़ी रखता है। एक कृषि प्रधान देश का आर्थिक समझता तथा "निति कृषि के समर्पण पर निर्भर करती है। ग्रन्त कियानों का काफ़िर साल सम्बद्धी सुनिधारे पहुँचाना रही उनमें देशों को सुनारा सम्भव नहीं है। हम तो उनके समर्पण नामन में सहकारिता के प्रशास्त्र लाना है। इस कारण वह अपेक्षा आवश्यक है कि उनके समस्त भागों की सहकारिता के लियानों पर समर्पित किया गया। अनेक प्रशार के मध्यस्थी उपयोग लूप्सारा से उह सुरक्षा कर हो उनमें आर्थिक स्थिति में ग्रासमिक सुरक्षा ही सम्भव है। उन्हाँके बृहस्पति का सापे जीन सहकारिता के आकार पर समर्पित है। इंग्लैण्ड के भी कियानों को सापे के आर्थिक ग्राम्य प्रगति की उहमारी समितियाँ के लिए लाभ पहुँचता है जिनके द्वारा कियानों का ग्रन्ती प्रिभित आवश्यकताओं के लिए बहुरूप प्राप्त होती है तथा अपने उत्तरादेश भा उचित मूल्य भी मिलता है।

भारत में कृषि गैर-साल समितियाँ की मन्द प्रगति का मुख्य कारण यही रहा है

कि हमारे ग्रधिकाश देशवासी निरस्त्रता के कारण उनका महत्व नहीं समझते। परन्तु विगत मुच्छ वर्षों से सहकारिता के इस क्षेत्र की ओर भी उन्नति होना प्रारम्भ हो गई है। और अब ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रनेक प्रबार की दृष्टि और सहकारी सास-समितियों की स्थापना करके निसानों को दृष्टि सम्बन्धी ग्रनेक सुविधाएँ जैसे अच्छे प्रबार के बीच चढ़िए जाएं प्रात हो जाते हैं, और अपनी फसल के लिये उचित मूल्य भी मिल जाता है। आजकल हमारे देश म ग्रामीण क्षेत्रों म ग्रनेक प्रबार की गैर सात समितियाँ की स्थापना हो गई हैं। जैसे सिंचाई समिति, चक्रबन्दी समिति, प्राम सुधार समिति, दृष्टि-पूर्ति समिति, पशुपालन समिति, इन्डिय समिति, उचम इपि समिति इत्यादि। इसके अतिरिक्त ग्रामों म सहकारी बीमा समितियों की भी स्थापना हो गई है जिनके अन्त गैर पशु तथा फसल का बीमा कराया जाता है। ससार के ग्रनेक क्षेत्रों म सहकारी फसल बीमा समितियाँ ने उल्लंघनीय प्रगति की है परन्तु हमारा देश अभी इस क्षेत्र में खासी पिछड़ा है। सहकारी बीमा विशेषतया पशुओं का ही होता है। फसलों आदि का बीमा अभी ग्रधिक लोगों की नहीं हुआ है। अब हम इन समितियों की समितियों का विवरण नीचे दे रहे हैं।

सिंचाई समिति

(Irrigation Society)

दृष्टि के लिये सिंचाई ग्राम्यता ग्राम्यक है। भारत में खेती मुख्यतया वर्षा या मानसून पर निर्भर करती है परन्तु अनिश्चित तथा अपवाह्य एवं वर्षा के समय पर न होने के कारण सिंचाई की आवश्यकता नहुत नहुत जाती है। सहकारी सिंचाई समितियों द्वारा निसानों को सिंचाई सम्बन्धी सुविधा प्रदान की जाती है जिसके लिए ये समितियों सदस्यों के लिए कुनै सोदने, नलकूप लगाने तथा नाध नमाने म सहायता देती है। गांव का प्रत्येक विसान सिंचाई की सुविधाएँ प्राप्त करने के उद्देश्य से इन समितियों का सदस्य भन सकता है। इस प्रबार की समितियाँ ग्रधिकार प्रबार, बगाल, चन्द्रई, मद्रास तथा उत्तर प्रदेश म भवत्वपूर्ण वार्ष नर रही हैं। उन् १९५३ से ५४ के अन्त तक भारत में युल ६३७ सिंचाई समितियाँ भी जिनमें से उत्तर प्रदेश म ४३४, अस्सी में २८७ तथा पंजाब म १५६ सहकारी सिंचाई समितियाँ थीं।

सहकारी चक्रबन्दी समिति

(Co-operative Consolidation of Holdings Society)

भारत में खेतों के छोटे छोटे दुकानों में बड़े तथा निपुण होने के अपरण खेती की उपज बढ़ाव कर होती है। सहकारिता के आधार पर चक्रबन्दी का अर्थ किया जा रहा है परन्तु सहकारी चक्रबन्दी समितियाँ ने देश में बोई विशेष

प्रगति नहीं थी। किंतु उनीं द्वारा अत्यधिक लगात होने से यह सहजरे समितियों द्वारा चक्रवर्ती के कार्य के लिए भी अपनी भूमि को देने के लिये तब नहीं होता। इस कारण चक्रवर्ती समितियों के कार्य में बड़ी अड़चन होता है। कुछ प्राचीनों में चक्रवर्ती सम्बन्धी कानून के पास हो जाने से चक्रवर्ती के कार्यों में कई प्रगति हुई है। संग्रहयम् १६२० में पजाप में सहस्रिता द्वारा चक्रवर्ती के कार्य प्रारम्भ किया गया था। परन्तु कुछ वारदाँ से सहस्रिता द्वारा चक्रवर्ती के कार्य में अप्रदूत होने के कारण भी वहाँ इसमें कोई प्रगति न हो सकी। १६४५-४६ में वही लगभग २००० रुहसारी चक्रवर्ती समितियाँ थीं। देश के विभाजन के बाद इन्हीं सख्ता रेग्ल १५७३ रुह हो गई। उत्तर प्रदेश में १६४७-४८ में लगभग ३५६ समितियाँ थीं जबकि मद्रास भ उस समय इनसी सख्ता के बजल २२ थीं।

ग्राम सुधार समिति

(Better Living Society)

नारा के किंतु नीं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में तभी कोई बास्तुर्भुमि सुधार हो सकता है और सहस्रिता यान्दोलन में सफलता भी तभी मिल सकती है जब उसका समर्थन वीर सहस्रिता के सिद्धान्तों पर निर्धारित हो। इस कारण सहस्रारी समितियों को ऊपर साथ एवं कृषि सम्बन्धी अनेक मुनिधार्मों द्वारा प्रशान्त करने तक ही अपने कार्य को समिति नहीं रखना चाहिये। इन उत्तर जीवन की रूपरूप समस्याओं द्वारा करने के लिये निमिन्ल उद्देश्यों को पूरा करने वाली सहस्रारी समितियों की स्वापना कर लेनी चाहिये। हमारा किंतु रेग्ल ग्रार्थिक समर्टों में ही इन्हीं हैं यसका अनेक ऐसी सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों में पौरु होने के कारण उससे दशा मिलती जा रही है। विग्रह, जनेतृ, गीता, मृत्यु आदि ऐसे ग्रन्थरूप पर किंतु नीं के लिये अपनी हैसियत से अर्थिक रूप से कर देना तो निलम्बुल साधारण सी गति है। जिसके लिये याद में बहुत कपों तक उन्हें अपना क्षूण्य चुकाना पड़ता है। अर्थित्वा एवं नियन्त्रण परिक्षम के परचात् मनोरजनन जो कोई याम न होने के कारण प्राप्त उन्हें अनेक नशीली वस्तुओं, गाड़ा, शराब, अर्पण आदि के प्रयोग से आदर पड़ जाती है जिस पर प्रधिक इन गत्वे होने के साथ-साथ उनका न्यायी विहङ्ग जाता है। इस कारण ग्रामसेष जीवन में मुधार करने वाला किंतु नीं के खन-खहन की अन्धा झान के लिये याम मुधार समितियों की आमस्वकृता उत्तम होती है जो किंतु नीं म उत्तरोक धार्मिक एवं जानाजिक ग्रन्थरूप पर नित्यतापूर्वक उच्च करने की आमरकृता का भवन्त भनाती है। इस प्रमाण से समितियाँ बम्बै, बगल, पट्टै, उत्तर प्रदेश में राय नह रही हैं। उड़ीसा, निहार और दिल्ली में भी ऐसे समितियों पार्द जाती हैं।

कृषि पूर्ति समिति

(Agricultural Supply Society)

+ मार्गीय कृषि के पिछड़े होने का एक बारण यह है कि हमारे किसान अच्छे बीज, बढ़िया पाद तथा सुधरे हुए खेती के ग्रौजारों का प्रयोग नहीं करते। बारण यह है कि या तो उनकी उस सम्बाध में जानवारी नहीं होती या ऐसी संस्थाओं ना अभाव होता है जिनसे वे इन वस्तुओं को प्राप्त कर सकें। इस बारण उन्हें उनके बीज, कृषि औजार तथा खाद दिलाने का कार्य रिभिन्न प्रबार की सहकारी समितियाँ द्वारा किया जाता है। जैसे बहुदेशीय समितियाँ विषयन तथा साम समितियाँ इत्यादि कपल दूरि सम्बाधी आवश्यक सामग्री पूर्ति के उद्देश्य से स्थापित सहकारी समितियाँ नम्बर प्रदेश में ही पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में अच्छे बीजों की पूनि के लिए बीज भण्डार (Seed Stores) की स्थापना की गई है। १९५३-५४ म उत्तर प्रदेश में लगभग ऐसे १००० बीज भण्डार थे।

पशुपालन समिति

(Cattle breeding Society)

खेती की प्रगति के लिए स्वस्थ एवं अच्छी नस्ल के पशुओं का होना अनिवार्य है। वे तो मारु म पशु सम्पत्ति (Cattle Wealth) अपार है। परन्तु उनके कम जोर एवं अस्वस्थ होने के बारण उनकी वास्तविक आर्थिक उपयोगिता नहुत कम है। इस बारण उनकी नस्ल म सुधार करना और इह स्वस्थ दशा म रखना एक राष्ट्रीय महत्व की चात है। भिन्नेशां की भाति भारत म भी पशुओं की नस्ल म सुधार करने का व्यार्थ सहकारिता के आधार पर किया जा रहा है जिसके लिये भारत के रिभिन्न प्रदेशों म सहकारी पशुपालन समितियाँ भी स्थापना की गई हैं। इन समितियाँ का मुख्य कार्य अच्छे प्रबार की नस्ल के पशुओं की सख्ता म बढ़ि करना है। यह समितियाँ पशुओं के लिये भारे का प्रत्यक्ष करती हैं और नस्ल सुधारने के कार्य के अनिवार्य सदस्यों की पशुपालन सम्बाधी उपयोगी गति रखा कर पशुओं को स्वस्थ रखने की दशा म उनका मार्ग प्रदर्शन करती है। इस प्रबार की समितियाँ भी भारी सख्ता पञ्जाब में हैं जहाँ पर पशु अभिनन्दन समितियाँ द्वारा नस्ल सुधार का कार्य सम्पन्न होता है।

दुग्ध समिति

(Co operative Dairy and Milk Society)

प्राचीन काल से ही दुग्ध भारतगणिता का सर्वाधिक प्रिय भोजन रहा है। हमारे शूष्पि, मुनि फल और रूप पर ही अमना समृद्ध जीवन व्यवीत कर दिया रखते

थे। परन्तु दुसरी बात है कि इस समय भारत में दूध वा उत्पादन बहुत बगड़ चुका है। पफलस्वरूप भारत में प्रति वर्षीय दूध का उपभोग चरुचार क ग्रन्थ देशों की तुलना में बहुत कम है जबकि एक सन्तुलित खुराक (Balanced diet) के लिए १० और दूसरी बी आवश्यकता होती है। भारत में बतमान प्रति वर्षीय का उपभोग इबल ५० और है है। इसका सूत्र बारण देश में दूध का उत्पादन बगड़ होना है। सहवारी दुग्ध समितियों द्वारा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वाय हो रहा है। यह रसितिया निकटवर्ती गाँव के दूध एकत्र बरस उसे उपभोक्ता तक पहुँचाने का कार्य करती है। ऐसी समितियाँ बहुई, उत्तर प्रदेश, मद्रास तथा पश्चिमी बड़ाल में बड़ा उपयोगी कार्य कर रही हैं। यहाँ भारी जनसख्त्या होने के कारण नागरिक जनसंख्या को दूध रसाधी करनाह के मुल बरसे का भ्रेय इन्हीं समितियों द्वारा हो रहा है। सन् १९५३-५४ में भारत में ऐसी बुल १४७३ सन्नितियाँ थीं जिन्हाँने उस वर्ष लगभग २ करोड़ रुपये के ऋणिक मूल्य का दूध बेचा।

उत्तम कृषि समितियाँ

(Better Farming Societies)

ऐसी समितियों का मुख्य नार्य सती सम्बंधी उन्नतशील तरीकों का प्रचार भरना है। यह समितिया आमीण क्षेत्रों में ग्रामों रस्तों को बढ़ावा दीन, उन्नत वृक्षीय औजार और ग्रन्थी पाद ने प्रयाग की प्रगति दत्त है। इस कारण ये समितियाँ इन उत्पादन में वृद्धि तथा निकाना की स्थिति मुनाफ़ाने के लिये उत्तीर्ण के उन्नतशील तरीकों के सम्बन्ध में जानवारी कराने का कार्य रखती हैं। ऐसी समितियों का वास्तव में देश की आर्थिक स्थिति मुनाफ़ाने के लिए बड़ा महत्व है। वही तो इन समितियों की अधिकारी सख्त्या सख्त्या पक्कान भारी है परन्तु मद्रास बम्बई तथा मध्य प्रदेश में भी ये समितियाँ बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं।

सहकारी विपणन समिति

(Co-operative Marketing Society)

यदि कृषकों को अपनी परुल का उचित मूल्य मिल जाव तो उसकी आर्थिक स्थिति में बहुत हृद तर्फ मुश्वार हो सकता है। कारण यह है कि कृषकों की अपनी परुल बेचने के लिये अनेक प्रकार ने मध्यस्थी का सामना करना पड़ता है जो उसकी आप का एक बड़ा भाग हड्डप न लेता है। इन मध्यस्थी से मुक्ति दिलाने तथा ग्रामों उत्तर दन को उचित मूल्य पर बचने के लिये उसे सहभागिता की सहायता लेनी पड़ती है। इन समितियों ने बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश में निकाना के लिये बड़ा उत्थानी कार्य किया है। सन् १९५४ में भारत में लगभग ६२४० प्रारम्भिक विपणन मालियाँ थीं, जिनके द्वारा

५० वरोड से अधिक का ब्रय विन्य विशा गया। हिंतीय पचवर्षीय योजना म लगभग १८०० सहकारी प्रारंभिक उद्देश्य समितियों वी स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

सहकारी बीमा समितियाँ (Co-operative Insurance Society)

सहकारिता के जैव म बीमा का वार्षिक विसाना के लिए दो प्रबार से अधिको ही रुकता है। पहला तो अपने पशुओं का बीमा कराकर दूसरे अपनी पसल का बीमा कराकर। दैवे तो बीमा का इसलिये बड़ा महत्व है कि याद प्रत्येक खराब होने के कारण कुछ विसानों को हानि पहुंचती है तो यह हानि समाज के अन्य व्यक्तियों द्वारा बढ़ जाय जिससे केवल कुछ ही लोगों को आर्थिक परिनाई का सामना करना पड़े। परन्तु सहकारिता के आधार पर बीमा वी योजना का महत्व और भी ऐ बढ़ जाता है। मारण यह कि सहकारिता के सिद्धान्तों पर आधारित योजनाओं म प्रत्येक सदस्य को पूर्ण अधिकार होगा तथा योजना का सचालन लोकत व्रीय ढङ्ग पर विवा जायगा। सहकारिता द्वारा पशु बीमा वी योजना को वार्षांचत बनने म अनेक बटिनाइयों आती हैं। इस कारण भारत म क्या सुधार क अन्य देशों म भी सहकारी पशु बीमा की योजना को आधिक रूपलता नहा मिली। जर्मनी, प्राच, इटली आदि जन दशों म यह योजना प्रारम्भ वी गई, अनेक बटिनाइया उ कारण इतना वार्षिक दोपजनक न हो सका। परन्तु भारत जैसे कृषि प्रधान दश म जहा कृषको की दशा ऐसी नहा है कि व बार बार खती रु लिए आवश्यक पशुओं को राहद सं, आवस्मिक दूति वो पूरा करने का वार्षिक सहकारी पशु बीमा समिति द्वारा दिये जाने से उ ह बड़ी सहायता मिल सकेगी।

उपज बीमा (Crop Insurance) का भी हमारे देश म कुछ कम महत्व नहीं है। जहा विसाना को अनेक प्राकृतिक घटनाओं जैसे बाढ़, टिक्किया का आना, कर्षन होना इत्यादि के कारण भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है वहा उनकी आधिक स्थिति कुधारने के लिए तथा अनेक प्राकृतिक प्रक्रियों से उत्तरी रक्षा करने क उद्देश्य से उपज बीमा का वार्षिक नडा महत्व रखता है। इन रहस्यी उरज योजनाओं का मुख्य वार्षिक रह होगा कि यह विसान क समक्ष आने वाले अनेक जोखमों को सुन वर प्राकृतिक प्रक्रिया उ कारण होने वाली दूति वो पूरा कर। अत बीमा नदा (Prevention) का एक प्रत्येक राजन है परन्तु भारत म रहस्यी उरज योजना का अभी सन्तोषजनक निकास नहा हुआ है। अधिक्षित होने रु कारण अधिकार आमीण जनता अनी पसल क बीमा करने का महत्व नहा समझती।

गैर-कृषि समितियाँ

(Nor-Agricultural Societies)

कृषि समितियों की भाँति गैर-कृषि समितियाँ भी दो प्रकार की होती हैं—(१) गैर-कृषि साख समितियाँ, (२) गैर-कृषि गैर साख समितियाँ।

गैर-कृषि साख समितियाँ

(Nor-Agricultural Credit society)

अब तरह हमने कृषि सम्बन्धी ग्रनेन प्रकार की समितियों का अध्ययन किया है। अब हम नगरस्थासियों तथा शहरी मरहने जाला री निमिन्न आमरक्षकान्त्रों को पूरा करने की हाटि से स्थापित री जाने गली रहनारी समितियों का अध्ययन करेंगे। जिंस प्रकार ग्रामीण जनता को ग्राफनी निमिन्न आमरक्षकान्त्रों के लिए राहूनार एवं महाजनों से उच्चे व्याज की दर पर झरण लेना पड़ता है और जिनकी रहायता के लिए कृषि साख समितियों की स्थापना की गई है, उसी प्रकार शहरी में भी ऐसी ही समितियों के स्थापना की आमरक्षकता है। नगरों में यह समितियाँ 'शुल्जेडलीज़' के लिदानों पर उपर्युक्त की जाती हैं। इस कारण इन समितियों री सदस्य सख्ता बड़ी होती है। इन समितियों का दायित्व सीमित होता है और कर्मजारियों को उनके कार्य के लिए वेतन दिया जाता है। भारत में यह समितियाँ बहुतई, मद्रास तथा नगर में अधिक पाई जाती हैं। इन समितियों के मुख्य कार्य होते हैं—(१) सदस्यों को उमय पड़ने पर साख सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करना। (२) सदस्यों में उच्चत तथा मितव्यविता (Economy and thrift) की मादना को जागृत करना।

इस प्रकार की समितियों सहारे ते अन्य देशों में भी सफलतापूर्वक वार्ष रही हैं। मारत में यह समितिया मुख्यतया नड़े-वड़े शहरों एवं ग्रीष्मोगिक केन्द्रों में ही स्थापित की गई हैं जहाँ उनके द्वारा कम व्याज पर निचीर रहायता प्राप्त होने से सदस्यों को नहीं सुरिधा होती है। इन समितियों में नगर बैंक (Urban Bank) तथा बम्बई व मद्रास के जनता बैंक (People's Banks) विशेष उल्लेखनीय हैं। जो बैंक सम्बन्धी ग्रनेक सुविधाओं देने के साथ-साथ ज़ोंदी खोने के आभूषणों की आद पर सदस्यों को शृण देने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त मिल मजदूरों तथा अन्य वार्षिकों की रहायता के लिए भी इस प्रकार की समितियों खोली गई हैं। सन् १९५५-५६ में भारत में गैर-कृषि साख समितियों की संख्या लगभग १० हजार थी जिनमें सदस्यता ३०-७३ लाख थी। अब तालिका में इस गैर-कृषि-साख-समिति की प्रगति दिखा रहे हैं :—

	१९५१ पर	१९५६-५७
गैर-कृषि साल समितियाँ हमें सदस्य संख्या	७,६६२ २३,३६,२४८	१०,१५० ३२,३८,७२७

गैर-कृषि गैर-साल समितियाँ

(Non-Agricultural Non Credit Societies)

यास्त्रवर्षी की गत है कि जब भारत के श्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतया कृषि साल समितियाँ न ही विशेष उपचार प्राप्त न होती हैं तो भारत के नगरों एवं शहरी क्षेत्रों में गैर साल की सहरासिया (Non-Credit Cooperation) ने भी सन्तोषजनक प्रगति की है। फलस्वरूप गैर साल समितियाँ वीथिक मात्रा में स्थापना हुई हैं। गैर कृषि गैर-साल समितियाँ में ३ प्रमुख प्रकार की समितियाँ अध्ययन योग्य हैं :—

(१) सहकारी यह निर्माण समितियाँ, —

(२) औद्योगिक सहकारी समितियाँ, तथा

(३) सहकारी उम्मोदा समितियाँ।

(१) सहकारी गृह-निर्माण समितियाँ (Co-operative Housing Societies) —भारत के ग्रामनुलित औद्योगिक संरचने के फलस्वरूप बड़े-बड़े शहरों एवं विशाल औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना हो गई है। जिनके अनियोजित रिहाइस का सम्बन्ध दुष्परिणाम यह हुआ कि यहां तथा नवीन-बड़े औद्योगिक केन्द्रों में आवास की जटिल समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसी तथा कारसानों में बास करके वाले अधिकारी अस्तिकार गन्दी नस्तियाँ (Slums) तथा चालू (Chawls) में रहकर अपना जीवन व्यवीत करते हैं। पर्याप्त आवास सम्बन्धी मुविधाएँ उत्पन्न न होने के कारण उनके परिवार के अन्य सदस्य गाँव में ही रहते हैं। इस समस्या ने जटिल रूप धारणा कर लिया है और अभी समस्या पूरी तरह हल भी न होना पाई थी कि एक और घटना ने उसे और भी जटिल बना दिया। यह घटना भी भारत-विनाशन के परिणामस्वरूप भारी सल्ला में आने वाले शरणार्थी। आवास सम्बन्धी इस कठिन समस्या को हल करने के लिए बड़े-बड़े शहरों में सहकारी यह निर्माण समितियाँ वीथिक मात्रा वी गई जिनका मुख्य कार्य था अपने सदस्यों के आवास सम्बन्धी मुविधाएँ प्रदान करना तथा यह-निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री वी प्राप्ति म सहायता प्राप्त करना। हमारे देश में दो प्रकार की सहकारी समितियाँ पाई जाती हैं :—

- (१) यह निमाण समितियाँ, तथा
 (२) किरायेदार शहरारी समितियाँ।

यह निर्माण समितियाँ भा सम्बन्धीय उद्योग व भवर म थी जहा उत्तराखण्डम १६१५ म पहली यह निमाण समिति की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश म १६१६ म जो पहली यह निमाण समिति स्थापित हुई थी वह प्रदेश के सम्प्रभुत्व ग्राहिक इन्ड कानपुर म ही हुई थी। इस प्रसार की समितियाँ की सख्ता दूसरे प्रसार की समितियाँ की सख्ता स अधिक है। इनका मुख्य कार्य यह निमाण के इन्टर्न उद्योगों के प्रदान करना है। इसके अनिवार्य यह सामतिगा भूमि सहीदने तथा निमाण सामग्री के सहीदने के लिए विचार सहायता प्रदान करती है। किरायेदार सहरारी समितियाँ भा मुख्य उद्देश्य अपने उद्योगों के लिए घर का निमाण करना अथवा उनके लिए ज्ञावा भर रखना है। यह प्रसार की समितियाँ की कार्य प्रणाली यह है कि मकान पर सहकारी वा अधिकार उनके उद्योगों का आमूल्यक रूप उनके अधिकार होता है। उद्योग उद्योग १९१५ की हेतु उद्योग सहायता है और इसका देन देन उन सहीद अधिकार उद्योग उद्योगों के पूरे मूल्य या भुगतान हो जाता है तो मकान पर उद्योग का पूरा अधिकार हो जाता है। इस प्रसार की समितियाँ हमारे देश म अधिकतर मद्रास म पाइ जाती हैं। सहस्रिता के उद्दान्त पर हा आगस सम्बन्धी नदिल उमस्ता का हल सभव हो सकता है। अधिक वाननाह इस युग म प्रथम व्यापक अपने लिए मकान उनवाने के स्वप्न को साकार रूप देने म उफल नहीं हो सकता। अतः सहरारी समितियाँ की स्थापना द्वारा सीमित साधन तथा कम आव गाले व्यक्तियाँ को भी यह निमाण सम्बन्धी सुविधाएँ प्राप्त हो सकती हैं।

भारत म १६५५-५६ म सहमार्य यह निमाण समितियाँ की तुल सख्ता लग भग ३००० थी जिनम उ ८८८ ब्रामीण चना म तथा शप शहरों म कार्य कर रही थी। उत्तर प्रदेश म तुल ३३० समितियाँ थीं।

(२) आद्यार्गिक सहमार्य समितियाँ (Industrial Co-operative Societies)—एक अर्ह विनियित देश की आर्थिक प्रगति के लिए उसका ग्राहिक विकास उन आपश्यक है। येथे तो ग्राहक के आव देशी म नियाल स्तरीय उद्योगों का आर्थिक महत्व है। परन्तु भारत नहीं निर्भव एवं जामिव पूजी गाल देश के ग्राहिक विकास के लिए हम नहीं उड़ायों इ अनिवार्य कुटीर एवं लतु स्तरीय उद्योगों की आव अधिक व्यापक देना चाहिए। हमारे देश म आवार नम शक्ति इ वारण प्रत्येक व्यक्ति का रानगार की सुविधा प्रदान करने के लिए नियमित प्रसार के कुटीर उद्योगों का नियाल करना चाहिए। छाटे छाटे उद्योगों एवं कारीगरों की सहायता के लिए नगरी म सहमार्य समितियाँ का नाम ग्राहिक यहरारी समिति होता है। ऐसी समितियों का प्रयोग तो काफा गाल देग मे होता है वहा सहमार्य का उत्तरदायित परि

मित होता है। सभिति द्वारा अर्थात् लाभ को सदस्यों के लाभार के रूप में बॉट दिया जाता है। परन्तु लाभ का कुछ भाग सभिति अपने रक्षित कोष में भी रख लेती है। यह सभितियाँ दो प्रकार से अपना बार्य करती हैं।

(१) सभिति के बार्य की एक प्रकारती यह होती है कि समस्त उत्पादन सह कारिता के आधार पर किया जाता है। सभिति के सभ सदस्य उत्पादन ना बार्य करते हैं। वे ही कल्चे माल (law material) तथा आवश्यक औबार सरीदतें हैं तथा विभिन्न बस्तुओं की निक्षी का बार्य भी करते हैं।

(२) दूसरी प्रकार की सभितियाँ अपने सदस्यों को आमश्यकता के समन्वय उचित ज्ञान पर उधार देकर अधिक उनक द्वारा उत्पादित वस्तु के उचित मूल्य प्राप्त कर उनकी सहायता करती हैं। इन सभितियों द्वारा छोटे छोटे उत्पादकों को कल्चे माल तथा आवश्यक वस्तु को सरीदते में भी सहायता प्रदान की जाती है।

इन सभितियों की संरक्षण नियमों पर विशेषता यह है कि यह कल्चे कुटीर उत्पोग अधिकार के द्वारा प्रेमाने पर चलाये जाने वाले उत्पोग के क्षेत्र में ही समन्वयपूर्वक अपना बार्य कर सकती हैं। अपने सभिति साधना तथा विशेष औद्योगिक कुशलता के अधार पर कारण विशाल स्थानीय उत्पोग के क्षेत्र में इन सभितियों के समर्थन से कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता है। सहसाइंग वालर में सभिति साधना वाले व्यक्तियों का शास्त्र है।

२। उपभोक्ता सभितियाँ

(Co-operative Consumers Societies)

सहसाइंग उपभोक्ता सभितियों के समर्थन सकूल प्रभास राकडेल पाथ नियर्स द्वारा किया गया था। इगलैंड, जहा उपभोक्ता सभितियों का जम दुआ था सहार में उपभोक्ता आग्री सहसाइंग के लिय प्रसिद्ध है। सबप्रथम १८४४ में सहसाइंग उपभोक्ता भडारी की स्थापना की गई। इन सहसाइंग भडारी की प्रगति के फलस्वरूप खास के अन्य देशों में भी सहसाइंग उपभोक्ता भडारी की स्थापना की जाने लगी। इन भडारी आ मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को उत्पोग की विभिन्न आवश्यक वस्तुएँ उचित मूल्य पर प्रदान करना है। एक तो इनक द्वारा प्राप्त वस्तुओं की प्रहृति बढ़िया होती है, दूसरे ओर भार पर सभिति द्वारा प्राप्ति जाने के कारण उपभोक्ता आग्री यह बन्तुएँ कुछ अम मूल्य पर भी जिल जाती है। हमारे देश में भी सहसाइंग भडारी ने आम प्रगति मी है। सहसाइंग उपभोक्ता सभिति अधिक भडारी का सचालन भी जनतान्विक प्रयातो द्वारा होता है तथा सभिति द्वारा ग्रन्ति लाभ सदस्यों में बाट दिया जाता है। हमारे देश में इन भडारी की प्रगति विशेषतावालीय महायुद्ध के तान में हुई, जब लड़ाई रे बारण आमश्यक वस्तुओं की पूर्ति

सीमित होने के कारण वस्तुआ और दिल्ली में चोराजारी तथा मुनाफेदोषी ना बोल थाला हो गया था। जब साधारण दो ग्रन्थे उपयोग की वस्तुएँ प्राप्त होने पर अत्यधिक कठिनाई का सामना रखा पड़ता था। इस पारण इन समितिशास्त्र में वास्ते प्रगति हुई और उनकी सदृश्यता में ग्राम्यवेनक बृद्धि हो गई। परन्तु महायुद्ध के काल में जो नाद ही उनकी सदृश्यता परि वस्तु होने लगी—इस प्रकार उपभोक्ता समितियां की प्रगति सुख्यतया उत्तर प्रदेश, मद्रास, बंगाल, ओसम तथा मैसूर प्रदेशों में ही हुई है।

ये तो इन उपभोक्ता समितियों ने प्राय सभी ग्राम्यों में योजी गठित प्रगति की है परन्तु मद्रास में वहनारिया भट्टारा ने गहत्यपूर्ण कार्य किया है। मद्रास के ट्रिप्लिकेन स्टोर (TripliCane Store) ने इस क्षेत्र में सरेह नदिया कार्य किया है। भारत में समस्त ग्राम्यों में उपभोक्ता भट्टारा में इस स्टोर ने उपर्युक्त लोक विकास ग्रन्थे चैत्र में प्राप्त थी है जिसके कारण इसकी सदृश्यता तथा जिसी प्राय देश के सभी भट्टारा से ग्राम्यक रही है। इस स्टोर की स्थापना खर. १६०५ में हुई थी तब से इसके कार्य में निरन्तर प्रगति होती जा रही है। इस समय इसकी १० से अधिक शासार्द कार्य कर रहा है जिसमें सदृश्यता को उनकी ग्राम्यवक्ता की प्राय प्रत्येक वस्तु प्राप्त होती है। जैसे—द्वानाड़, मसाले, तेल, धी, मक्कन और साउन आदि।

भारत में सहकारी उपभोक्ता भट्टारा की प्रगति अतिरिक्त नहीं हो पाई। इनकी असन्तोषनक प्रगति के कारण वहनाये जा सकत है—जैसे भट्टारा द्वारा अन्य आवश्यकताओं के लिये दूसर दूकानदारों से वस्तुएँ उपलेना पड़ती थीं। इसके अतिरिक्त इन समितियों का सदृश्यता वर्ग में वस्तु व्यवसाय तथा नियन्त्रण तक ही सीमित रही जो सीमित भागना के कारण सहकारी उपभोक्ता समिति का एक भी हिस्सा नहीं बन सकते। इसके अतिरिक्त इन भट्टारा का कुशलतापूर्वक चलाने के लिए ऐसे प्रबन्धकों की आवश्यकता होती है जिनमें प्रधान व्यवसायिक कुशलता हो। जिसकी हमारे देश में बहुत कमी है। अनेक वाराण्सी से भारतवर्ष में इन उपभोक्ता भट्टारों की सदृश्यता होती जा रही है। द्वितीय पचवार्षीय योजना में सहकारी उपभोक्ता भट्टारों के विवरण के लिये विस्तृत योजना रखी गई है।

उपभोक्ता भट्टारों की प्रगति के लिए हम उनके दोषों को दूर करना होगा तथा उनके विकास के लिए एक योजना ज्ञानी होगी। उपभोक्ता भट्टारों की उपलेनी बहुत दुष्क सदृश्यता की कुशलता एवं उनके पारम्परिक सहयोग एवं नियंत्रण करती है। सरकार द्वारा इन उपभोक्ता भट्टारों के कुशल सचालन एवं प्रबन्ध के लिए कमेंटारियों परे प्रधिकृत व्यवसायी की मिलना भी जिलना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त

केन्द्रीय बैंको से समय समय पर ग्रावश्यक शूल प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त होनी चाहिये। इन भड़ासें वो प्रोत्साहन देने के लिए सरकार इनके द्वारा बैचे गये माल पर विक्री कर की छूट प्रदान कर सकती है।

†

माध्यमिक समितियाँ

(Secondary Societies)

जैसा कि बिदित है सन् १९०४ के सहकारी अधिनियम का मुख्य दोष वह था कि इसके अन्तर्गत ऐसी केन्द्रीय संस्थाओं जैसे सर, केन्द्रीय बैंक आदि के संगठन की कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे प्राथमिक सहकारी समितियाँ वी देवभाल की जा सकती तथा उन्ह ग्रावश्यकता के समय वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा सकती। इस बारण १९१२ के वहनारी अधिनियम के द्वारा इस दोष को दूर करने का प्रयत्न किया गया। भारत म इस समय ३ प्रकार की माध्यमिक सहकारी समितियाँ रार्य कर रही हैं। जिनका मुख्य वार्य है प्राथमिक सहकारी समितियाँ वो वित्तीय सहायता देना और उनके वार्य पर नियन्त्रण रखना। इनके द्वारा प्रारम्भिक समितियाँ वा पथ प्रदर्शन होता है जिसके कलस्टर्स वार्य कुशलतापूर्वक चलता रहता है। यह समितिया निम्न-लिखित हैं :—

(१) सघ (Union)

(२) केन्द्रीय बैंक (Central Bank)

(३) प्रादेशिक अथवा राज्य सहकारी बैंक (Provincial Bank)

सघ (Union)—सहकारी प्राथमिक समितियाँ ही केवल इन संघों की सदस्य बन सकती हैं। अतः नहुन-सी प्राथमिक समितियाँ कु मिल जाने से उपर भन जाता है। इनका वार्य देने रहने सीमित होता है। प्रायः ३० से ५० तक प्राथमिक समितियाँ एक सघ बनाने के लिये पर्याप्त हैं। अतः जिले के एक छोटे से क्षेत्र म ही अपना वार्य करती है। इनके प्रभव वा भार प्राथमिक समितियाँ के प्रतिनिधिया पर भी होता है। इन्हीं वर्षों द्वारा प्राथमिक समितियाँ और केन्द्रीय बैंकों मे सम्बन्ध स्थापित होता है। इसके तीन प्रमुख प्रकार हैं—

(१) गारन्टी अथवा उमानन्दी सघ (Guarantee Union)—इन संघों का मुख्य वार्य प्रारम्भिक सदस्य राजितिया की केन्द्रीय बैंक से समय समय पर शूल दिलाना है तथा उनक लौटाने के लिये उचितदायी होना है। भारत म ऐसे सघ चमड़े प्राप्त म वार्य कर रहे हैं।

(२) साहूकारी सघ (Banking union)—य एउ अधिकतर पश्चिम म है। इन संघों तथा केन्द्रीय बैंक क वार्य रहन तुद एक छे हाने के बारण उनम समानता है। परन्तु केन्द्रीय बैंकों की अपेक्षा इनका वार्यक्षेत्र वास्तविक होता है।

(३) नियंत्रक संघ (Supervising Union)—भारत में इह प्रकार के उप अधिकार मद्दात सम्बंध में ही देखने में आते हैं। इनका मुख्य कार्य अन्ती चक्र तथा समितियों का नियंत्रण एवं पर्यावरण करना होता है। अतः ये सब प्राथमिक समितियों के सलाहकार, नियंत्रक एवं धर्म प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं और आगश्यात् पहने पर उनकी समय समय पर वित्तीय सहायता तथा अन्य प्रशार की सुविधाएँ पहुँच कर उनके कार्य में सहायता प्रदान करते हैं।

केन्द्रीय सहकारी बैंक

(Central Cooperative Bank)

महत्व (Importance)—इन बैंकों का समाज १८९२ के लहराये समिति अधिनियम के अनुगार हुआ है। भारत के सहनायी साधा आन्दोलन में इन बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राथमिक सहनायी साधा समितियाँ भी कार्य कुशलता नहुँ इन्हें केन्द्रीय बैंकों पर निर्भर करती हैं। अस्ती आवश्यकता के लिये ये समितियाँ ही से धन प्राप्त करती हैं। इनका उपर्युक्त प्रबित्र महत्व इस प्रारूप है कि ये समितियाँ के बीच साधा के प्रशार में संनुलन स्थापित करती हैं।

प्रकार (Kinds)—केन्द्रीय बैंक के मुख्य दो प्रकार हैं—

(१) शुद्ध केन्द्रीय बैंक

(२) मिश्रित केन्द्रीय बैंक

(१) शुद्ध केन्द्रीय बैंक (Pure Central Bank)—इस प्रकार के बैंक अधिकार उत्तर प्रदेश और पञ्चायत मिशन हैं। इन्हें बैंकिंग युनियन (Banking Union) भी कहते हैं। सहनायिता के चेत्र में केन्द्रीय बैंक की ग्रादर्य बैंक माना जाता है। इनके सदस्य नेपल शाखामिक खेड़ायी समितियाँ ही जन सक्ती हैं अर्थात् रोहिं व्यक्ति इनका सदस्य नहीं बन सकता। इनका एक नज़ारा दोष यह है कि अधिक नाश में जमा (Deposits) नहीं कर पाते।

मिश्रित केन्द्रीय बैंक—Mixed Central Bank) प्राथमिक समितियों के अतिरिक्त इन बैंकों की सदस्यता द्वारा व्यक्तियों के लिये भी सुलग रहते हैं। ऐसे कारण इन बैंकों में प्रभावशाली एवं अन्य यनुभवी व्यक्ति सदस्य बनकर बैंक के चर्चे सचालन में महत्वपूर्ण योग देते हैं। इन बैंकों में पूँजी अधिक जमा होती है, जिससे बैंक का काम अधिक दुश्यमता से चलाया जा सकता है।

कार्यवेत्र (Area of Operation)—ऐसे तो इन बैंकों का कार्यवेत्र एक जिते चढ़क ही धीमित हाना चाहिये। परन्तु भारत में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनमें बैंकों का कार्यवेत्र नहुँ लीमित है तितके कारण एक जिले में प्राप्त एक से अधिक भी बैंक करने

करते हैं, अतएव आर्थिक दौड़ से उनमा जारी सदृशजनक नहीं हो पाता। जहाँ तक सम्भव हो, एक सिलं में एक ही कन्द्रीय बैंक सुगठित किया जात।

इनके वार्ष (Funds) — कन्द्रीय बैंक अनेक महत्वपूर्ण वार्ष करते हैं जैसे—

(१) सदस्य समितिया वा निर्देशन एवं निर्यातण ।

(२) सदस्य समिलिया वा रित प्रदान करना ।

(३) अनेक प्रभार के बैंक समन्वयी वार्ष जैसे चेम, विनियोग पत्र, हुएडो आदि जमा करना । सदस्य एवं ब्रन्च लोगों का पर्सनल जमानत पर मुख्य देना आदि ।

कार्यवाहक पूँजी (Working capital)—कन्द्रीय बैंक अपने लिये आवश्यक वार्षशील पूँजी चार प्रमुख साधनों से प्राप्त रहते हैं जिन्हे निम्न दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—

(१) निजी कोष—इसमें सदस्यों के व्यक्त तथा रहित भाग सम्मिलित होते हैं ।

(२) ऋण द्वारा प्रकटित कोष—इनमें सदस्यों का जमा किया हुआ धन तथा कन्द्रीय बैंक द्वारा लिया गया सुख प्रमुख है। इनमें से प्रमुख सांत सदस्यों द्वारा की गई जमा (Deposits) है। जिसमें मुख्य कारण है बैंक की सदस्यता व्यक्तियों के लिये खुली होना। इसके फलस्वरूप नगर के व्यक्ति तथा वडे व्यवसायी इन बैंकों में स्वयं जमा करते हैं ।

प्रबन्ध (Management) कन्द्रीय बैंक के प्रबन्ध के लिये दो समितियाँ होती हैं—१—साधारण समिति

२—वार्षिकारिणी समिति

बैंक का प्रत्येक सदस्य साधारण समा का सदस्य होता है और प्रत्येक को एक वोट देने वा व्यवितार होता है। ऐसे कर वार्ष वार्षिक जमानते हैं। जिसमें सभा एक प्रबन्ध समिति का नियाय वसती है। इसके सचालक व्यवसितिक होते हैं ।

ऋण देने की विधि व लाभ का वेचारा (Distribution of Profits and Losses)—कन्द्रीय बैंक मुख्यतः अपनी सदस्य समितियों को ही शुण देता है। यह शुण दो प्रभार के होते हैं—१. अलगालीन और २. मध्यालीन। परन्तु कभी सभी व्यक्तियों वा भी उनसे उत्तर मिल सकता है। जिसने लिए बैंक का सदस्य होना आवश्यक है। कन्द्रीय बैंक अपने लाभ दा २५ प्रतिशत भाग रद्दित कोष में जमा रखते हैं और शेष वार्ष सदस्यों में लाभाशुद्ध के रूप में बांट देते हैं। इनके द्वारा लिये गये धाव वार्ष द्वारा प्रत्यक्ष में भिन्न है। जिसे निहार म ५३ से ७ प्रतिशत तक, उत्तर प्रदेश म ५ प्रतिशत और मध्य प्रदेश में ४ से १२ प्रतिशत ।

इनके कोष (Defects)—यद्यपि अपने कारों वार्ष कन्द्रीय बैंकों का

महत्वपूर्ण स्थान है। किंतु भी इनके कार्य में कुछ दोष आ गये हैं जिन्हें दूर करना अत्यन्त आवश्यक है। ये दोष निम्नलिखित हैं :—

(१) भारत में केन्द्रीय बैंकों के पास प्राप्त पूँजी के अभाव की समस्या की रहती है।

(२) इन बैंकों के पास आने वाली जमा का अधिकारी भाग इहकारी समिति से नहीं वरन् व्यक्तियों से प्राप्त होता है।

(३) इन बैंकों के लिये कुशल कर्मचारियों का अत्यधिक अभाव है।

सन् १९५१-५२ में भारत में केन्द्रीय बैंकों तथा साहूलार्य संघों की सख्ता कुल ५२८ थी। वह १९५६-५७ में घटकर केवल ४५१ ही रह गई। इनके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किये जाने के कारण यह आवश्यक है कि हम उनके अनेक दोषों से दूर कर पुनर्संगठन करें।

प्रान्तीय बैंक

(Provincial Bank ,)

महाराष्ट्र—यह प्रान्त के सहकारी बैंकों के सिलसर पर होता है। इस कारण ऐसे सर्वोत्तम वा शीर्ष बैंक (Appex Bank) भी बहने हैं। प्रान्तीय बैंकों में सबसे उच्च स्थान होने के कारण प्राप्त के सहकारी आन्दोलन में इन बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पलस्त्रूप राज्य में स्थापित विभिन्न प्रकार की साल समितियाँ तथा बैंकों के कार्य का नियन्त्रण तथा पथ-प्रदर्शन करना इसका मुख्य उत्तराधिकार है। इसके द्वारा ही केन्द्रीय बैंकों को वित्त प्राप्त होता है।

यूरोपीय स्थान—भारत में सन् १९५१-५२ में प्रान्तीय सहकारी बैंकों की सख्ता कुल १६ थी। १९५६-५७ में यह सख्ता अद्वितीय २३ हो गई जिनकी शीर्ष शाल पूँजी लगभग ६३॥ करोड़ रुपये थी। ३० जून, १९५६ में इनके कुल उद्दरों की सख्ता ३६३६४ थी।

रचना एवं कार्य—भारत में ऐसे प्रान्तीय बैंक बहुत कम हैं जिनमें केवल सहकारी संस्थाएँ ही सदस्य हैं और व्यक्ति सदस्य न हों। अधिकारी बैंकों की प्रकृति मिश्रित है अर्थात् जिनमें विभिन्न सहकारी संस्थाओं जैसे केन्द्रीय बैंक तथा प्रायदिक सहकारी समितियों के अतिरिक्त अविकाश सख्ता में व्यक्ति भी सदस्य हैं। इन बैंकों को रिजर्व बैंक की मान्यता प्राप्त होती है और अन्य अनुशृण्ठित बैंकों में प्रान्तीय बैंकों की भी गणना की जाती है। भारत के विभिन्न प्रान्तों में यह बैंक वहे उपयोगी कार्य करने के कारण अत्यन्त लोकप्रिय हो गये हैं।

इन बैंकों के द्वारा भी अनेक प्रकार के कार्य समझ होते हैं। इनमें से मुख्य कार्य अप्रलिखित है :—

(१) सर्वोपरि बैड़ होने के बारण प्रान्तीय सहकारी बैड़ राज्य के सहकारी आन्दोलन का निर्देशन एवं संगठन करते हैं।

(२) ये बैड़ केन्द्रीय बैड़ों के बायों में समन्वय स्थापित करते हैं तथा उन्हें आवश्यकता के समय भूषण प्रदान करते हैं।

(३) ये बैड़ पूँजी से प्रबाह तथा गतिशीलता लाने का अल्पन्त महत्वपूर्ण कार्य करते हैं अर्थात् केन्द्रीय बैड़ों की पूँजी इनके पास जमा रहने के बारण उसमें से युख्म भाग वे उन केन्द्रीय बैड़ों को दे देते हैं जिनके पास पूँजी का अभाव होता है।

(४) प्रान्तीय बैड़ अपने पास धन का पर्याप्त बोध एकत्र रखता है। सामान्य द्रव्य बाजार में अनुकूल परिस्थितियों तथा ब्याज की कम दर होने के समय यह आवश्यक कोष बुदा लेता है जिसे यह केन्द्रीय बैड़ों तक पहुँचा देता है और प्राथमिक समितियों जिसे केन्द्रीय बैड़ से प्राप्त वर लेती है। प्रान्तीय बैड़ राज्य की अनेक प्रकार की सहकारी कियाओं को संगठित करके प्रदेश के सहकारी आन्दोलन के विवास एवं प्रगति में झटका पहुँचाता है।

कार्यवाहक पूँजी तथा भूषण (Working Capital and Loans)—
केन्द्रीय बैड़ों की मौति प्रातीय सहकारी बैड़ों की वार्षिकील पूँजी भी चार मुख्य साधनों द्वारा प्राप्त वी जाती है। ये चार होते हैं :—

- (१) अरण पूँजी
- (२) रचित कोष
- (३) जमा पूँजी
- (४) बैड़ द्वारा लिये गये भूषण।

जैसा कि ऊपर बताया जा चुना है, ३० जून, १९५६ तक देश के समस्त प्रातीय बैड़ों की कुल वार्षिकाहक पूँजी ६३०४४ करोड़ रुपया थी। इस पूँजी का अधिकांश भाग (५७०६ प्रतिशत अर्थात् ३६६७ करोड़ रुपया) सदस्यों तथा गैर सदस्यों द्वारा की गई जमा से प्राप्त होता है।

प्रान्तीय सहकारी बैड़ मुख्यतया दो प्रकार के भूषण प्रदान करता है :—१. अल्पसालीन २. मध्यसालीन। प्राथमिक सहकारी समितियों, कन्डील सहकारी बैड़ तथा व्यक्तियों दो समय समय पर राज्य सरकारी बैड़ों द्वारा भूषण प्राप्त होता है।

प्रान्तीय सहकारी बैड़ों द्वारा प्रदेश के सहकारिता आन्दोलन को शोतुलाहन एवं बत्त मिलने के लिये यह अल्पन्त आमूर्त है कि यथासम्भव ये बैड़ विभिन्न प्रकार की दर्दिकाग कियाओं की ओर अधिक ध्यान न देकर अपना पूरा ध्यान सहकारी संस्थाओं के संगठन, निर्देशन, नार्ग प्रदर्शन तथा उन्ह वित्तीय सहायता देने पर बेनित करें। अतः इन बैड़ों दो अपने उद्देश्यों पर पूर्ण करने तथा अपने बायों में उपलब्धता प्राप्त

करने के उद्देश्य से अपिल भारतीय सात्र समेत इस समिति (गांधारा समिति) तथा रिजर्व बैंक आफ इन्डिया र बृज साइट विभाग (Rural Credit Department) ने महल्यपूर्ण सुभान दिये हैं जिनके द्वारा याय प्रणाली म प्राप्त सुधार होने की सभा बनायी गई है।

दीघकालीन सात्र तथा भूमिक-धक बैंक (Long Term Credit and Land Mortgage Bank)

महत्व—भारतीय उपर नी आर्थिक दशा सुधारने के लिए उचित सूखप्रदली का दूर करना अत्यन्त आपरेशन है। हमारे निरानी की अनेक आवश्यकताओं के लिए वह प्रत्यार के अनुरूप लेने पड़ता है। इस कारण वर्तल प्राथमिक रहनारी समितियां याय उह मुख्यतया अत्यकालीन सूख दिलाकर यह रमन्या होता नहीं तो तो सकती। इस तो उसे सूख से स्थायी एवं रासायिक भूमि दिलाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए उचित दायकालीन अनुरूप वा उमस्या वा उलभाया जाना अविवादी है। अत ऐसी विरी सत्या वा उगठन होना आवश्यक है, जो उह आवश्यकता के समय दीर्घकालीन अनुरूप देने का वार्ता रपत्ताएँ कर सके। वैसे तो निरानी की प्रकार न झूला लेने पड़ता है एवं अत्यकालीन अनुरूप यायकालीन अनुरूप, तथा दीप्ति कालीन अनुरूप। अत्यकालीन अनुरूप प्राय प्रत्येक १५ एकड़ी आवश्यक छूप ग्रीजार, जैसे आदि के लिए मयकालीन अनुरूप तो आवश्यकता होता है। परन्तु दीप्तकालीन अनुरूप इन सबसे अधिक आवश्यक होता है। याका के उस दीप्तकालीन अनुरूप भूमि के लिए दीप्ति देने, पेट्रोल खुदाना को उत्पाने तथा ग्रामने सतीर वी स्थायी सुधार वर्तने और तुर्मी खुदाना, नकर भूमि की रक्ता योग्य नाना दीप्तादि के लिए लेने पड़ते हैं जिनके द्वारा ही कृषि उत्पादन सम्पर हो सकता है। इस यारण देश की कृषि व्यवस्था वर्तमान भारतीय कृषकों की आर्थिक उचिति अनुरूप है तक नीपकालीन अनुरूप तो सुरिधारी के निर्भर करती है।

आवश्यकता (Necessity)—कृषि म विभिन्न प्रकार के स्थायी सुधार करने तथा उपरोक्त ताम हुए विभिन्न उद्देश्यों के लिए उचित ब्याज की दर पर दीघकालीन अनुरूप तो आवश्यकता होती है। इस कारण तो न हो सकता ही उभितियों ही कर लकड़ी हैं और न व्यापारिक न द्वारा ही इसे पूरा किया जा सकता है। सामर्त चालन होने के बारण इनके द्वारा अग्रिम से अग्रिम अत्यकालीन नामयकालीन अनुरूप ही प्राप्त हो सकता है और दूसरे इन स्थायी का आवश्यक रागदाहर पूरी रुद्धीया का नाम से ही प्राप्त होने के बारण दीपकालीन अनुरूप के लिए उपकरण ग्रनी। नहीं क्या तो सकता। मात्रीन सियान का लम्बी अवधि के लिए मलता वाला अनुरूप ऐसा होना चाहिए।

जिसके व्याज की दर कम हो। और जिसे विश्वान अपनी सुविधा के अनुसार छोटी छोटी किश्तों में लौटा सके। इस दृष्टि से ऋण देने वाली व्यापक सहकारी तथा साहूकार संस्थाएं सर्वथा अनुपुक्त हैं। प्रार्थनिक सारन समितियों तथा ग्रामीण महाजन एवं साहूकार अपने सीमित वित्तीय साधनों वो लम्बी अवधि के लिए उधार देने के असम्भव हैं। लाभ की दृष्टि से चलाये जाने वाले व्यापारिक दैनंदी व्याज की दर पर ही लम्बी अवधि के ऋण देने के लिए तत्पर होते हैं। उनका उद्देश्य ही अधिक से अधिक लाभ कमाना है। इसके पलत्वरूप विद्वानों वा नीची व्याज की दर पर ऋण देने वा उद्देश्य परा नहीं हो सकता। इस वारण दीर्घवालीन ऋण देने वा वार्षिक विसी ऐसी संस्था द्वारा ही किया जाना चाहिए जो उसके लिए उपुक्त हो अर्थात् ऐसी संस्थाओं में जिन विशेषताएं होनी चाहिए:—

- (१) उनका सचालन सहकारिता के सिद्धान्तों पर होना चाहिए।
- (२) इनके प्रबन्ध में ऋण लेनदारों को मास लेने वा अवसर मिलना चाहिए।
- (३) इनके चलाने पर किये गये व्यय में मिव्वयिता होनी चाहिये।
- (४) उनका सचालन लाभ के लिए न होकर इन्होंने वीरुद्धीय रुक्षायता के लिए होना चाहिये।

ये समस्त विशेषताएं भूमिक-धक बैंक में पाई जाती हैं। इन बैंकों वा सगठन विद्वानों वो लम्बी अवधि के लिए ऋण देने के लिए होता है। इन्हें सहकारिता के सिद्धान्तों पर भी चलाया जा सकता है। ऋण लेने वाले इनके प्रबन्ध में रुक्षयोग देते हैं। उपरोक्त विशेषताओं वो ज्ञान में रुक्षते हुए भूमि बन्धक बैंक की परिभाषा इस प्रसार दी जा सकती है।

परिभाषा (Definition)——किसान तथा भू-स्थानी अपनी भूमि को रेहन रखकर जिस संस्था से उन्नित व्याज पर लम्बी अवधि के लिये ऋण प्राप्त कर रुक्षते हैं उसे भूमिकन्धक बैंक बहते हैं।

ऐतिहासिक अध्ययन (Historical Study)

भारत में सर्वप्रथम १९२० में ज़ंबाब के भग (Jhang) नामक स्थान में भूमिकन्धक बैंक की स्थापना हुई। इसके बाद उन १९२५ में मद्रास में दो भूमि-बन्धक बैंक खोले गये। तत्पश्चात् उन्हीं में भी १९२६ में ३ भूमिकन्धक बैंक वा सगठन किया गया। परन्तु भारत में भूमिकन्धक बैंक की प्रगति तो हनिहास १९२८ में प्रारम्भ हुआ, जब मद्रास में एक फैलीय भूमिकन्धक बैंक स्थापित हुआ था। ये से तो १९२५ में ही यही प्राप्तिक भूमिकन्धक बैंकों ने ग्रनना वार्षिक प्रारम्भ किया था। भारत में भूमिकन्धक बैंकों ने वार्षिक उपलग्नपूर्वक मद्रास, ग्राम प्रदेश,

मैसूरु, उडीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उक्त प्रदेश तथा राजस्थान में चल रहे हैं। भारत के तुळ प्रदेश ऐसे हैं, जहाँ ग्रामी भूमिकन्धक बैंकों की स्थापना नहीं हो पाई है जिनके अधार के फलस्वरूप किसानों को आपने दीर्घकालीन ऋण के लिये बड़ी उठिनाई का सामना करना पड़ता है।

धर्तीमान स्थिति (Present Position)

यहाँ सन् १९५१-५२ तथा १९५६-५७ में ग्रामीक तथा केन्द्रीय भूमिकन्धक बैंकों की स्थिति दिया गई है—

	१९५१-५२	१९५६-५७
केन्द्रीय भूमिकन्धक बैंक ग्रामीक भूमिकन्धक बैंक	६ ३४५७	१२ ११६५६१
		१

प्रकार (Kinds)—मुख्यतया तीन प्रकार के भूमिकन्धक बैंक होते हैं जो निम्नान्ति हैं—

(१) सहकारी भूमिकन्धक बैंक (Cooperative Land Mortgage Bank) —इस प्रकार के भूमि बन्धक बैंक सहकारिता के सिद्धान्तों के आधार पर चलाये जाते हैं। इस वारण पह रीमिट साधनों वाले किसानों के लिये अत्यन्त अचौक्षी होते हैं। इन बैंकों वा मुख्य आधार पारस्परिक सहयोग एवं सहगठन और श्रम लेने के लिये सदस्यों द्वारा रेहन रटी दुर्द भूमि अथवा सम्पत्ति की गारंटी है।

(२) अर्द्ध सहकारी भूमिकन्धक बैंक (Quasi Cooperative Land Mortgage Bank) —भारत में इसी प्रकार के भूमिकन्धक बैंक अधिक प्रचलित हैं। इन बैंकों वा प्रमुख सहकारिता तथा व्यापार के सिद्धान्तों पर किया जाता है जिनके भारण इनमें दो प्रकार के लच्छा देयने में आते हैं। इनका संगठन संस्थित दायित्व के सिद्धान्त पर किया जाता है। इनकी संस्थे वही विशेषता वह है कि उनकी सदस्यता नेवल बैंक द्वे उधार लेने वालों तक ही रीमिट नहीं होती परन्तु अधिक सदस्यों ने उधार लेने वाले व्यक्ति भी इनके सदस्य होते हैं जिनके फलस्वरूप बैंकों वो अधिक मात्रा में पूँजी प्राप्त हो जाती है। पूँजी के सावधान पूँजीपत्रों एवं व्यवहारिक साधिकों वी सदस्यता के बारण इन बैंकों वो व्यापारिक कुशलता तथा व्यापारिक संगठन जैसी अमृत्यु गुणों की प्राप्ति होती है। इन बैंकों को सरकार भूमि के मुख्याकान सम्बन्धी कार्य के लिये विशेष अधिकारियों की ओर प्रदान करती है।

बैंक सदस्यों को शूण्य देने के पहले रजिस्ट्रार की अनुमति प्राप्त कर लेता है। उह वारिता के सिद्धान्तों पर चलने तथा बैंकल लाभाश बमाने की प्रवृत्ति वो प्रोत्साहन न देने के लिये वह बैंक दो कार्य करता है—

* (१) इसमें हर सदस्य को एक ही बोट देने का अधिकार होता है।

(२) इसमें लाभाश की दर अधिकतर नीची रखी जाती है।

(३) गैर सहकारी भूमिक्षक बैंक (Non-Co-operative Land Mortgage Bank)—जैसा कि नाम से विद्यि है वह बैंक सहवारिता के सिद्धान्तों पर नहीं चलाये जाने। व्यापारिक सिद्धान्तों पर चलाये जाने वाले इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य लाभ बमाना है। भारत में कृषि सहकारी आन्दोलन वा मुख्य आधार सहवारिता ही है। इस कारण इन व्यापारिक भूमिक्षक बैंकों की देश में अधिक प्रगति नहीं हुई है। परन्तु सदार के अन्य देशों में इस प्रकार के बैंक सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं।

* भूमि बन्धक बैंकों के कार्य (Functions)—वैसे तो भारत में भूमि बन्धक बैंकों का उगठन तीन विभिन्न प्रकार से हुआ है। जैसे (१) कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ बैंकल बैन्ड्रीय भूमि बन्धक बैंक ही कार्य कर रहे हैं और विसानों को इनसे ही शूण्य प्राप्त होता है। जैसे ब्रायनथोर बोचीन तथा उडीचा। (२) कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ बैन्ड्रीय भूमि बन्धक बैंक की स्थापना नहीं हुई है जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा आसाम। (३) कुछ प्रान्तों में जैसे बंगाल, मद्रास, मैगूर इत्यादि में प्राधिक एवं बैन्ड्रीय दोनों प्रकार के भूमि बन्धक बैंक उगठित विये गये हैं। परन्तु जहाँ तक इनके कार्यों का सम्बन्ध है इनमें बहुत कुछ उभानता देखने में ग्राती है। भारत में भूमि बन्धक बैंक मुख्यतया निम्न कार्य करते हैं—

(१) किसानों को कृषि भूमि परीदने के लिये शूण्य देना।

(२) अपने पंक्तक तथा पुराने शूश्रों के भुगतान के लिये रुपया देना।

(३) खेतों की बउबन्दी स्थाने में किसानों की मदद करना।

(४) नियंत्री रखी हुई कृषि भूमि को रेहन से हुड़ाने तथा खेती में सुधार परने के उद्देश्य के लिये शूण्य देना।

कार्य विधि—नूमि दन्तक दैव उपर्यने कार्यों को पूर्ण परने के लिये आवश्यक पूँजी ४ प्रदूख सोनों से प्राप्त करते हैं—हिस्ता पूँजी, रहित बोग, छलपत्र तथा इनके द्वारा लिये गये शूण्य। सदस्यों दो बेचे गये हिस्ता से अधिक भाना में पूँजी प्राप्त नहीं होती। इस कारण नूमि बन्धक बैंक वो आमनी सारंरीत पूँजी प्राप्त करने के लिये शूण्य पत्रों पर ही निभंर रहना पड़ता है। बैंक द्वारा नियंत्रने गये शूण्य पत्रों को सामान्य बनवा लगाती है। इसके नदल में उन्हें न्याय निलंबा है। जनवा के अति-

रिंग शृणुपनों को सिध्ये ऐवं मी परीटता है। उत्तरार इन शृणुपनों के मूल्य तथा उन पर दिये गये बाज की गारटी लेती है। इन वैद्वा म उदस्यो द्वाय जमा की गई पूँजी की मात्रा बहुत ऊम होती है।

इन बैडों द्वारा दिया गया शृणुप्राप्त २० साल की अवधि के लिये होता है परनु विशेष परिस्थितियां म इच्छे अधिक समय न लिये भी दिया जा सकता है। सुब देने के पृथ भूमि प्राप्त बैड निम्न दो जातों की जानकारी प्राप्त करने हैं—

(१) गिरवी रखी भूमि का मूल्याकन—किसान इन वैद्वा द्वारा दर्शकालान शृणुप्राप्त ऊम करने के लिये अपनी भूमि रेहन कर देता है। परनु इस भूमि का मूल्याकन करना बड़ा जटिल नाग है। मूल्याकन अधिकारी (Appraising officer) भूमि का मूल्य आमने के पृथ पूरी तरह से उठाना निरीक्षण कर लेता है।

(२) शृणु भुगतान की ज्ञमता का अनुमान—शृणु देने के पहले वैक शृणु लेनदार न शृणु भुगतान करने की ज्ञमता का पृथ अनुमान लगा लेता है। साधारणतया ऐडी भूमि जा ग्राह पर कोइ शृणु नहीं दिया जाता जिसकी उपज का मूल्य शृणु व्यक्ति के सृणु भुगतान करने की जागता न नापन निगाह के लिए प्रयत्न न हो। इस बाब व्यक्ति के सृणु भुगतान करने की जागता न अनुमान लगाना भी एक कठिन चार्न मालूम होता है।

इनकी सफलता की आवश्यक बातें—जिसा कि हम देख चुके हैं भूमि बध बैड भारताय किसानों के लिए एक अवन्त उपयोगी सम्पद है निन द्वारा उह उचित ब्याज पर दार्पतालीन शृणु प्राप्त होता है। अत इन बैडों की सफलता पर रेती थी सफलता निर्भर करती है। भूमि-बधक वैद्वा म सफलतापृथक अपने कार्य करने के लिए दो प्रमुख बातों पर आवश्यकता होती है। (१) इन वैद्वा के पास प्राप्त मात्रा में पूँजी का कोष हो जिह वे कम ब्याज पर किसानों का दे सकें। इनकी उपयोगिता के कारण इन वैद्वा द्वारा उधार दी गई पूँजी वर्ष मात्रा जड़ना स्वभावित ही है। और अपने दार्पतालान शृणु के लिए किसान न पास भूमि-बधक वैक ही एकमान साधन है।

(२) अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तथा अपने उद्देश्य म सफल होने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि इन बैडों को इमानदार बुशल एवं अचाही कार्यकर्ताओं की सेवाएँ उपलब्ध हों। भूमि न मूल्याकन तथा किसान के शृणु उक्ता करने की जागता जैसे जटिल कार्य करने के लिए एक बुशल प्रशिक्षित और साथ ही ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता है।

इनके कार्य में जाधाएँ—वैद्व तो भूमि बधक वैद्व भारतीय किसानों के लिए अनेक प्रयार स उपयोगी कार्य कर रह है। इह लम्बा अवधि के लिए उचित बाज दर पर शृणु देकर इन वैद्वों म भारतीय किसान का नहीं य १०% का है। परनु अनेक

कठिनाइयों एवं चालांगों के कारण भूमि बन्धक वैङ्क अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफलता नहीं प्राप्त कर सके हैं। इनमें से कुछ चालांगों निम्न हैं —

१. इन वैङ्कों के पास सीमित भाग में दैँजी होने के कारण विदानों दो जितने अधिक दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होती है। उसके बेबत एक छोटे भाग को ही पूरा करने में यह सफल हो सकते हैं।

२. इनमें द्वारा कृषि में स्थाई सुधार करने के लिए बहुत बड़ा भूमि दिया जाता है। ऐसों का अधिकांश भूमि विदानों द्वारा पुराने ऋण को चुकाने तथा रेहन से अपनी भूमि हुड़ाने के लिए ही दिया जाता है।

३. विदानों को इन वैङ्कों द्वारा ऋण प्राप्त करने में दृढ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और ऋण मिलने में अधिक समय लग जाता है।

४. भारत के विभिन्न प्रदेशों के भूमि बन्धक वैङ्कों की कार्य विधि में एकरूपता नहीं है।

५. ५. कुछ प्रदेशों में पन्द्रीय भूमिक्षक वैङ्क नहीं स्थापित हुए हैं। इनके सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि देश के प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय वैङ्क होना चाहिए।

सुधार के लिए सुझाव

(Suggestions)

भारत की कृषि व्यवस्था में इन वैङ्कों का अस्तित्व महत्वपूर्ण स्थान होने के पारण इनके सुधार के लिये प्रयत्न करना आवश्यक है। असिल भारतीय साक्षर एवं कृषि राजिवि ने कुछ सुभाव दिये हैं। प्राथमिक भूमि बन्धक वैङ्कों के विदाइ के लिए यह आवश्यक है कि उनका कार्य क्षेत्र ऐसा हो जिससे यह वैङ्क एक आर्थिक इकाई के रूप में अपना कार्य कर सके वर्थात् इनका कार्यक्षेत्र न तो बहुत सीमित हो और न विस्तृत। यदि कार्य क्षेत्र सीमित होगा तो वैङ्क के लिए पर्याप्त कार्य नहीं प्राप्त हो सकेगा और यदि इनका क्षेत्र बहुत विस्तृत होगा तो वैङ्क अपने कर्जदारों से पर्याप्त समर्क स्थापित नहीं पर सकेंगे जो इन वैङ्कों की सफलता के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

जहाँ तक केन्द्रीय भूमिक्षक वैङ्कों द्वारा सम्बन्ध है असिल भारतीय प्राम्य साक्षर सर्वदाण सनिति (गोरक्षाला सनिति) के सुभाव हैं कि भारत ये प्रत्येक राज्य में एक-एक केन्द्रीय भूमिक्षक वैङ्क की स्थापना की जाये। केन्द्रीय भूमिक्षक वैङ्क दो अंश दैँजी का कम से कम ५२ प्रतिशत भाग राज्य सरकार दो देना चाहिए। इन वैङ्कों द्वारा भूमि सुधार वथा इसे विनाश के लिए पर्याप्त धन देना चाहिए। ऋण देने में कम से कम विलम्ब लगाना चाहिए।

बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ (Multi Purpose Co-operative Societies)

भारत में सहकारिता आनंदोलन का जन्म मुख्यतया भारतीय कृषकों द्वारा गत समझदारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हुआ था। इस बारण १९०४ के यहूदी समिति आधिनियम से अन्वर्गित बैंगल ऐडी समितियाँ की स्थापना की गयी थी जिनके द्वारा विकास वो दम व्याज पर आपने लिए ग्रृहण मिल सके। इसके पहले ही उद्योगों में ग्रामीण साहूकार द्वारा आवश्यक व्याज देने के लिये ग्रामीण न होना पड़े। परन्तु ऐवल नाय समझदारी सुविधाओं को पढ़नेवाले भारतीय आनंदोलन दृष्टियों के जीवन में महान तथा साहूकार वंश प्रभाव पो समाप्त न कर सका। भारतीय विकास के सबसे ऐवल एक समस्या ही नहीं है। हाँ यह अपश्य है कि उसकी सभी समयों महत्वपूर्ण आवश्यकता सारांश द्वारा ही है। परन्तु आपने उत्तादित ने लिये आवश्यक पूर्वी, भूमि वंश चक्रदंडी आदि विभिन्न समस्याओं की विक्री जैसी अनेक समस्याओं के लिए भी सहकारिता की इन विभिन्न समस्याओं का हल आसान है। सहकारिता ही भारतीय कृषक के मुख्य समृद्धि का सन्देश ला सकता है। हमारे देश में सहकारी आनंदोलन के आधिक फलों न होने का मुख्य कारण यह है कि प्रारम्भ ही से इसका ज्ञान ग्रृहण समझदारी वालों में ही वेदित रहा है। १९१६ से भारत के महवारी आनंदोलन में कुछ परिवर्तन आया है और सहकारिता के प्राधार पर सारांश अंतरिक्ष ग्रामीण भी अनेक वार्षीय सम्पन्न होने लगे हैं, जैसे विकास के लिए आवश्यक धीज, खाद, यत्रा की पूर्ति करने के कार्य, उठके द्वारा उत्तादित वस्तुओं की विक्री का कार्य, भूमि वंश चक्रदंडी का कार्य इत्यादि। परन्तु इन समस्ल कार्यों के लिये विभिन्न प्रकार वंश सहवारी समितियाँ स्थापित की जाने लगी थीं। इन समस्याओं की सख्ती इतनी नहीं गई कि विकास के लिए उनसे सम्बन्ध बनाये रखना एक अत्यन्त जटिल समस्या बन गई। विक्रेता वारण्डा सहकारिता के आधार पर भी उसकी विभिन्न आर्थिक किसाओं को उत्तराधिकार समिति के परिणामस्वरूप भी विकास वंश आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में दोहरे वालाविक लाभ न हो सका।

आवश्यकता (Necessity)—सहकारिता द्वारा विकास को वास्तविक लाभ पहुँचाने के लिए हमें उसकी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लदेश्य से अलग अलग सहवारी समितियाँ स्थापित न कर ऐवल एक ही ऐसी सहवारी समिति हो जो उसकी समस्त आवश्यकताओं को पूरा कर सक। इस कारण यहूदीशीय समितियों द्वारा उत्तराधिकार समस्ल की समस्याओं को पूर्य बरने वा प्रयत्न किया जाता है। इन समितियों द्वारा विकास को समय-समय पर ग्रृहण वो ग्रामीण होता ही है साथ साथ उसे अपनी अनेक आवश्यक वस्तुएँ भी इन्हीं समितियों से प्राप्त होती हैं। यहूदीशीय सहवारी समितियाँ की स्थापना करने की आवश्यकता दो कारणों से है—आर्थिक नारण उथा मनोरूपानिक नारण।

आर्थिक कारण—बहुउद्देशीय समितियों के स्थापित करने का सबसे प्रमुख कारण आर्थिक है। विधान की असर्वा विभिन्न आपश्यकताओं के लिए जैव सेवा के लिए उत्तम बीज, खाद, उद्धर औजार की आवश्यकता होती है, जबकि फसल तैयार हो जाती है तभी उसके सामने अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त करने की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है, अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए विभिन्न वस्तुओं से जुटाना तथा सेवा में आवश्यक मुश्किल वर्षों अनुभव करना है। यह समितियाँ उसे सापड़ देती हैं उसकी फसल की बिंदी या वार्षिक घरती हैं तथा अन्य वस्तुओं की पूर्णि में सहायता करती हैं।

मनोवैज्ञानिक कारण—विधानों के लिए बहुउद्देशीय समितियों वी स्थापना करना केवल आर्थिक कारणों से ही नहीं बरन् मनोवैज्ञानिक कारणों से भी अत्यन्त आवश्यक है। विभिन्न उद्देशों के लिए ग्रलग-ग्रलग रहनारी समितियों वी स्थापना करने से उसे एक मानसिक बलेश होता है। प्रत्येक से सम्बन्ध रखना उसके लिए ग्रेसमव है। प्राचीन वाल से ही भारतीय विधान अपनी समस्त आपश्यकताओं के लिए केवल एक ही सरस्वा से समर्हन कराये चला आ रहा है। और वह है गाँधी का महाजन एवं चाहू़नार। ऐसी स्थिति में यदि बोई ऐसी समिति हो जो उसकी दाव आपश्यकताओं दो प्रयावर सकती है तो उसे ऐसी समिति से सम्बन्ध जोड़ने में बोई भी आसति नहीं होगी। यह काम बहुउद्देशीय समितियों का स्थापना न एक मनोवैज्ञानिक महत्व है।

बहुउद्देशीय समितियों के कार्य—रिंजर्स वैक आफ इरिट्रा ने बहुउद्देशीय समितियों वी स्थापना पर बहुत बल दिया है। वास्तव में यदि सहजारिता वी भारतीय इष्टक वी आर्थिक, चामाजिक एवं नैतिक प्रगति द्वारा उसके जीमन का सर्वान्नीष विकास करना है तो यह अनिवार्य है कि हमारे देश में बहुउद्देशीय सहजारी समितियों वी भारतीय या वार्षिक बहुत रंगी सेवा जाये। बहुउद्देशीय समितियों द्वारा अनेक वार्षिक क्रिये जा सकते हैं। इन्हीं कार्यों के पूरा करने से ही भारतीय सहजारिता में नवीन सूर्ति तथा शक्ति का सज्जार समव हो सकेगा। बहुउद्देशीय समितियों के प्रमुख कार्य निम्नालिखित हैं:—

(१) विधानों दो सापड़ समर्थी रहनारा देना।

(२) यह समितियों विधानों वी इसे विनाश समर्थी उप्रतियोगी वर्यों दो असाने वी प्रेरणा दे सकती है।

(३) सदस्यों द्वारा उत्पादित बदुग्रा वी निरी द्वारा यह समितियों सदस्यों वी आप में शुद्धि कर उसकी है।

(४) बहुउद्देशीय सहजारी विनियोग द्वारा विधानों दो उनके दिनिक आवश्यकताओं की अनेक वस्तुएँ उचित नून पर प्राप्त हो सकती हैं।

(५) इनके द्वारा वदस्यों के दिनिक भलाङ्गों का नवायता (arbitration)

द्वारा निष्ठारा किया जा सकता है जिसे उनके मुकदमेजाजी (litigation) नहोने वाले व्यय म कमी हो जायगी ।

(६) इनके द्वारा चपड़ी का कार्य भी किया जा सकता है ।

(७) वित्तानों द्वारा विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक ग्रन्तसंघ पर लिये गये श्रेष्ठ व्यय को रोकने के लिए यह समितिया सभी सम्मति द्वारा ऐसे नियम ग्रन्त कर उन्हें कार्यान्वयित बना सकती हैं जिसे उनका आर्थिक एवं सामाजिक जीवन मुख्य सहस्रा है ।

बहुउद्देशीय समितियों के गुण—भारतीय विद्यान की नीति नीति आर्थिक एवं सामाजिक दशा सुधारने के लिए ही उनका सर्वोच्च साध ही उनका करना पवान नहीं है । यदि उसकी नीति म विभिन्न सामाजिक एवं नियम गुणों का विकास न किया जायगा तो कम व्याज पर निलगे वाले खुए ये उसम विज्ञल-सच् तथा अपव्यय वीर्य माना नहीं जायगी । इस पारण विभिन्न आवश्यकताओं की पृष्ठि के साथ साथ उनम सामाजिक गुणों (Social virtues) के विकास के लिए बहुउद्देशीय सहकारी समितियों द्वारा उन उपयोगी कार्य किया जा सकता है । बहुउद्देशीय सहस्राहे समितियों के मुख्य लाभ नीचे दिये जाते हैं —

(१) बहुउद्देशीय समितियों वाला सदस्यों म अधिक धनिष्ठ संभव होने के आरण यह समितिया ग्रन्तना जारी अधिक सफलतापूर्वक कर सकती है ।

(२) विभिन्न कार्यों के करने के फलस्वरूप ग्रन्त के लगभग सभी विद्यार्थी की कोई न कोई आवश्यकता इन समितियों द्वारा अवश्य पूरी होगी जिसके द्वारण सदस्य समितियों म अधिक रचि एवं विकास रखने लगेंगे ।

(३) बहुउद्देशीय समितियों ने सदस्यों म नियन्त्रण वृद्धि होने से सहकारिता आन्दोलन के विकास एवं प्रगति म सहायता होगी ।

(४) इन समितियों द्वारा भारतीय विद्यार्थी के जीवन म ग्रामीण साहूकार तथा भाजन का प्रभाव पूर्णतया समाप्त हो सकता है । अपनी समस्त आवश्यकताओं को बहुउद्देशीय समितियों द्वारा ही पूरा कर लेने के पश्चात् उसके समझ भाजन की सहायता लेने की समस्या न होगी ।

(५) बहुउद्देशीय उनितियों की स्थापना परिमित दायित्व के आधार पर की जायगी जिससे ग्रामीण ज़ज़ व सभी दोगों को इसके सदस्य बनने का अधिकार मिल सकेगा । इससे भी सहकारिता आन्दोलन विकास म सहायता मिलेगी ।

(६) बहुउद्देशीय समितियों भारतीय वृद्धक के आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक जीवन की प्रगति करके ग्रामीण जीवन के सवालों का विकास के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं ।

(७) समितिया द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों के सञ्चालन एवं नियन्त्रण मित्रव्यविवाह होती है ।

पो हल करके उसना एक अभिन अग भन रखती है। वह श्रमोदयान वा एक अत्यन्त सुखल एवं उपयोगी साक्षण है।

रिजर्व बैंक और सहकारी आन्दोलन

(Reserve Bank and Co-operative Movement)

रिजर्व बैंक ने भारत के सहकारिता आन्दोलन के दिनांक में प्राप्त प्रशंसन अन्यतम सहजरूप देखा दिया है। इसना मुख्य नार्य ग्रामीण साल वाले सुविधाएँ पहुँचाकर जिलानां वाले एक नवी आवश्यकता को पूरा करता है। इस नियम पर्यावरण के लिए रिजर्व बैंक ने कृषि साल विभाग (Agricultural Credit Department) की स्थापना भर दी है जिहाना तुरंत वार्ष वृत्ति साल सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करना तथा उससे सम्बन्धित वाचा को पूरा करना है। कन्दीर वश यज्ञ सहशारी वैदिकों समय उम्मत पर रिजर्व बैंक द्वारा उपयोगी परामर्श करने की भी सुविधाएँ प्राप्त हैं। ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन एवं उनक साल सम्बन्धी ग्रामसंकलनाओं को भली प्रकार समझने के लिए रिजर्व बैंक आक इंडिया ने श्री ए० टी० गोस्वामी (Sri D. Gorwala I.C.S.) वाले प्रभकारा ने एक अधिल भारतीय प्राप्त साल सम्बन्धी समिति भी स्वामना वाले जिमवी विस्तृत लिए १९५४ में प्रमाणित हुए। इस रिपोर्ट में समिति व सहरायी समितियों भी साल सम्बन्धी पायों भ होने वाले दोनों वी और धान ग्रामीण विभाग गया है तथा कृषि साल सम्बन्धी के पुनर्जीवन के लिये अत्यन्त उपयोगी सुझाव भी दिये गये हैं।

भारत वै सहकारी आन्दोलन की मन्द प्रगति का उचारदागिल यहुत बहुत दूरी दूरी प्रशिक्षित सहरायी कमीबारियों पर अनाव पर है। इसका मुख्य कारण उनक लिए प्रार्थी वश सम्बन्धी सुविधाओं का न होना हो सकता है। इस कारण इस आवश्यकता पूरा करने के लिये १९५२ में रिजर्व बैंक ने स्वर्व प्रदेश सहकारी संस्थान (Bombay Provincial Co-operative Institute) वी सहायता देने असित भाली शिक्षण वीक्षा (All India Training Scheme) जाइ। इस तुरंत उद्देश्य सहरायी सम्यांत्री म वार्ष करने वाले कमीबारियों एवं आर्थिकारियों वी डिविड प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसक व्याविधिक रिजर्व बैंक ने समय समय पर सहकारिता सम्बन्धी उपयोगी प्रवायनों द्वारा आदोलन के दिनांक में शेष दिया है।

सहकारी आन्दोलन में सफलताएँ—सहकारिता मानव प्रगति का सबैभेद यार्थ है। उसारे वै विभिन्न देशों ने सहकारिता द्वारा अपने देश का आर्थिक एवं राजनीतिक कल्याण नहीं करता रखता देखा है। इसक द्वारा व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता वै कल्याण के लिए सहायक हो सकता है। सहकारिता द्वारा उसमें सहयोग वश स्वावलम्बन भी मानवांशों वा विभाव कर सकता जीवन मैत्रीरूप तथा सुखनय कर

जाता है। आज वह उत्तर में शक्तिशाली पांडितांशु का बोलबाला है। यहसारिता एवं वक्त वो सहरोग एवं धान्यहरू पर्यं रखने पर मेरणा देता है। एवं अद्वितीयिता एवं इति प्रधान देख पर्यं यही समस्ती अनेक उमस्ताओं पोहल चरने के लिए उद्देश्यिता थे उत्तम और वार्षिक नाम नहीं है। भारत में उहसारी आनंदोलन द्वाय प्रामाणियों के जीवन में एक नये प्रवाह पा उदय हुआ। ऐसा भद्रता केवल आर्थिक दृष्टि ही नहीं है। वरन् अनेक शिक्षात्मक, नीतिक एवं धाराविक प्रभावों के पारण भारत में यहसारिता एक अद्वितीय उत्तरानन्द आनंदोलन हा है। इसके इन गिरिज लाभों वीच दी जाती है।

आर्थिक प्रभाव—आर्थिक देश में उहसारिता यह प्रदुष पोग छा है विस्तार। वो समाज उमा पर अपनी गिरिज आस्तरमताओं के लिए उचित व्याज पर प्रदूष दिला फर उहसारिता ने ही उनकी शूण्य-प्रस्तुता पोहल पर उन्हें ग्रामीण महाजन एवं धार्मकार के निर्देशी प्रवाह से मुक्ति दिलासर उनका आर्थिक जीवन मुगमय क्वाया है। बहुउद्देशीय उहसारी उन्नतियों वी स्थाना द्वारा भारतीय रियाल के जीवन वी उमस्त उमस्ताओं पोहल चरने पा प्रवाह दिया जा रहा है। यही के लिए आपराधिक उत्तम वीज, बटिया राद तथा उत्तम यथी तथा अन्य प्रशार पर्यं मुद्रिताओं पोहल प्रदान फर उहसारिता आनंदोलन ने देश में हाये उत्पादन तथा पाय समस्या पोहल चरने में महत्वपूर्ण योग प्रदान किया है।

शिक्षात्मक प्रभाव—उहसारिता के अनेक शिक्षात्मक प्रभाव के वारण देश वो उहसारी आनंदोलन थे बहुत लाभ हुआ है। उहसारी उमितिया के प्रमाण में भाग लेने वा आवहर प्रदान फर उहसारी आनंदोलन ने ग्रामगाँधियों में सोसातन्त्रीय दृष्टि से वार्य करने वी शिक्षा दी है। उनके उद्देश्यों वो समय-उमय पर अपने भत प्रकट फरने वी आवहर मिलता है। उमिति के वायों में भाग लेने के लिए तथा उन पर उनके उपलब्धापूर्वक स्थान पा भार होने के वारण ग्रामगाँधियों में शिक्षा तथा शान युद्धि वी आवश्यकता अनुभव वी जाने लगी है। इससा सुखन यह हुआ कि ग्रामीण द्वेषों में खाद्यता में प्रगति होने लगी। उनमें अनेक ग्रामाविक एवं राजनीतिक कर्तव्यों तथा अपिवारा वा उमुचित शान करार उहसारिता ने नागरिक एवं राजनीतिक चेतना उत्पन्न कर दी। मुख्य उहसारी उमितिया ने ग्रामीण द्वेषों में सूक्ष्मी, पाठ्यालालाओं तथा वाचनालयों वी स्थापित वर्कं जनवा में शिक्षा का प्रयार वर उनके दृष्टिकोण को निलूप्त, वर्कं में उहसारी दी है।

नीतिक प्रभाव—उहसारिता द्वारा देश में नीतिक गुणों के विकास में वही उहसारी मिलो है। पारस्परिक नियन्त्रण द्वारा ग्रामगाँधियों के जीवन के अनेक दोष एवं तुराहयों वो वही उत्तराधीन दूर किया जा रहा है जैसे मत्तवान, तुश्चा खेलना आदि। ग्रामगाँधियों के जीवन सो मुक्ति एवं उनतियों भाने के लिए सबसे वही

आमर्श्यस्त्रो इस बात भी है कि इनमें सहयोग, आमंत्रित गठन तथा स्वानुलम्बन वा भाषणाद्वारा वा विकार हो। सहभागिता द्वारा किसानों में प्रगति के लिए आवश्यक इन गुणों का विकास हो गया है जिसके फलस्वरूप किसान मिना किसी भी सहायता के स्वयं अपने प्रयत्न एवं पारस्परिक सहयोग द्वारा अपनी समस्याओं को हल करने की सक्षमता है।

सामाजिक लाभ—ग्रामीण चूर्ण में सहभागिता द्वारा मैनीपूर्ण तथा पारस्परिक सहयोग का वातावरण उत्पन्न हो गया है। समिति के सदस्यों में आपसी मेल-जोड़ तथा सहयोग होने के साथ आपसी भगवान् मार्गी कमी आ गई है। ग्रुप्पेशीष समितियों द्वारा उनके भगवान् में मन्त्रस्थिता (arbitration) वरने के फलस्वरूप प्राप्त वाहिनी में मुकदमगाजी (litigation) तक उत्तर पर होने वाले ग्रन्तव्य की मात्रा में भी काफी घटी हो गई है। यिसके अद्वारा जैव अनेक धार्मिक एवं सामाजिक अधिकारों होने वाले किन्डल राज्यों में कमी टोकर उत्पन्न सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में सुधार हो सका है। मिलव्यविता का यह गुण इह सहभागिता द्वारा ही प्राप्त है। अतः भारत में सहभागिता आदोलन से ग्रामीण जीवन वो अनेक सामाजिक, नैतिक एवं शैक्षिक लाभ प्राप्त हुए हैं।

सहभागिता आन्दोलन के दोष

सहभागी समस्याएँ भारत के लिए वास्तव में नहीं ही उत्पोदी कार्य कर सकी हैं परन्तु अनेक कारणों से देश में सहभागिता आदोलन ने पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त की है। आन्दोलन के कुछ प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं —

(१) भारत में सहभागी आन्दोलन का उद्देश यह है कि इसने ग्रामीण जीवन की समस्याओं के काल एवं ही पक्ष की ओर अपना ज्ञान प्रदिक्षित किया है। भारत में सहभागिता का जाम मुरायतया किसानों वो उचित ज्ञान पर शूल दिलाने का कार्य करने के लिए हुआ जा गया इसी पर सदैव आविक नल मी दिया जाता रहा है।

(२) किसानों का इसी साथ समितियों तथा शूलिङ्गकर पैकी इत्यादि से शूल प्राप्त होने में अनेक अनियोद्यान का सामना करना पड़ता है। इनकी चक्रवालार गतिविधि प्राप्त सरल स्वभावी तथा अण्डित वृत्तरासों के समक्ष में नहीं आती।

(३) शूल प्राप्त होने से अत्यविकर प्रिलम्ब होने के कारण बास्कवार की आवश्यक पिचाय उत्पाता के लिए महानना उनका साहूनारी की शुरण लेनी पड़ती है।

(४) सहभागी समितियों द्वारा अविक ज्ञान लेने के कारण किसानों को उह नाहीं सारा समितियों से वास्तविक लाभ नहीं प्राप्त होता।

(५) सहभागी समितियों के प्रयत्न के लिए कुराल अनुभवी तथा प्रशिक्षित

सकती है। समय समय पर नियुक्त किये गये निभिन्न कमीशनों वा उपर्युक्त चरण रहा है तथा भारत का आर्थिक एवं खागोजिक प्रगति के लिए सहायिता आन्दोलन को सफल करना अत्यन्त आवश्यक है। सहायिता में उस निभिन्न दोषों से बच करके ही हम भारतीय इतिहास की दृश्य का मुख्य रूप श्रमीशुद्धीन भएक नक्षत्र खेतना एवं शान्तिपूर्ण सामाजिक क्रांति लाने में सफल हो सकत है। इस उद्देश्य के लिए निम्न मुकाबल प्रयोग जात है —

(१) सम्प्रब्रह्म हम सहायिता के प्रवास एवं प्रगति के लिए उत्तमोगी वाला वरण हेतु परना है। यह तभी सम्भव होगा तभी देशवासियों में सहायिता के विद्वानों एवं प्रचार द्वारा उनमें सहायिता तथा प्रति धनि उन्नत का जाये तथा सहायिता की मानना वा प्रवास हो।

(२) सहायिता वा सहनाय के लिए सहनाय आदानन वा एक जन आन्दोलन के रूप में निर्मित परना होगा। इसमें भी देशवासी आन्दोलन एवं व्यापक शान्तिपूर्ण क्रांति के लिए आवश्यक है तिलार्गा एवं दृढ़त्व में स्वतं उस आदेश के अनुरूप स्फुटत ही है। भारत में अवाधि सरसायी हस्तक्षेत्र वा दूर करने ही हम आदानन तथा प्रात ननर धारण की सहानुभूत एवं धनि आर्थित कर सकते हैं।

(३) सहनायी खाता समितियों वा प्रपत्ने कावों को मुकाद रूप से चलाने वाला आमाण उनको क साथ सम्भव वा आवश्यकनामा वा अधिक स अधिक पूर्ण करने के लिए इन समितियों के पास प्रयत्न निर्माण साबन हो। उनके इस वार्ष के लिये रिजर्व वैन द्वारा समय समय पर धन मिलाना है।

(४) अरने सहर व उसमें भी समिति द्वारा सफलतापूर्वक भार्य विव जावे रहने के लिये तथा उनमें आर्थिक दृढ़ता के लिए प्रत्येक सहनायी समिति के पास प्रात रक्षित वाप (reserve fund) होना चाहह।

(५) सहनायी सहसाया द्वारा सूख मिलने में अनावश्यक विलम्ब नहीं होना चाहह। इसके लिये उनकी कारप्रणाली में प्रयाप्त सुगर होना आवश्यक है। दिलान के लिये सूख प्राप्त करने में समर्पण का प्रियाप महत्व है। इस कारण यदि आवश्यक एवं समय सहनायी समितियों से सूख प्राप्त होने में मिलना होगा तो मजबूर होकर उन्हें महान्नर्ता तथा चाहूरारी वी शुरण लेना पड़ेगी।

(६) सहनाय आन्दोलन को सकल ननाने के लिए निभिन्न संस्थाओं व सहर यमन्त्रार्दियों एवं अविभादियों वा सहायिता यमन्त्री प्राप्तक्षेत्र देश उन्हें इस वार्ष के लिये उत्तुक ननाना आवश्यक है। प्रणिति, सुगम्य एवं अनुभवी कायक्तायों द्वारा ही सहायिता के ज्ञन में वान्निक प्रगति जा आशा जी जा सकता है।

(७) प्राम निवासियों तथा कृषी एवं नानन का सुगम्य विकास करने के लिये तथा सहायिता के आगर पर उनकी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उन्हें

उरेशीय समितियों पो अधिक से अधिक उत्तमा में स्थापना की जानी चाहिये। ऐसल भारत-समितियों पो प्रेस्टाइल देशर ही हम भारतीय इकूल पी दशा मुख्यालय में असमर्थ रहेगे।

(५) छाता समितियों द्वाये क्षुग बैंडल उत्तरादक वायों के ही लिये प्रदान किया

जानेगा चाहिये। अनुत्तरादक वायों के लिये भी क्षुग दिया जा सकता है परन्तु इसके लिये पर्सिया और गोपी पी आवश्यकता है।

(६) भारत में सहकारिता के विवाह भी गोला होना चाहिये कि प्राम्य जीवन तथा प्रामीण अर्थव्यवस्था गो आधार ही रहवासिता हो। कभी उत्तरे 'सहकारी प्राम प्रबन्ध' वा भाग सामार हो चाहता है।

(७) सहकारी साप समितियों द्वाये इन्होंने पी छोटी आधि के लिये ही क्षुग देने चाहिये। दोर्मियालीन गूग वी आवश्यकताओं पो पुण करने के लिये भारत में अधिक से अधिक भूमि बेंको वी स्थापना वी जायें। जहाँ रेलवे नूमिक्षक बेंक नहीं है वहाँ उत्तरी स्थापना वी जाय तथा इन देशों के विचीय लाखों में शूदि वी जाय विसये अधिक से अधिक लोगों पो क्षुग वी मुख्या निल एके।

आन्दोलन की वर्तमान प्रवृत्तियाँ

(Recent Trends in the Movement)

देश में सहकारिता वा एक निश्चित स्थान समझा जाने लगा है। अतः सहकारी आन्दोलन के अनेक दोगों वो दूर करके देश में सहकारिता आन्दोलन के प्रियाल के लिये महत्वपूर्ण प्रयत्न किये जा रहे हैं। प्रथम वधा द्वितीय पचवारीय योजनाओं में सहकारिता वो जो तथान प्रदान किया गया है। उससे यह स्पष्ट है कि देश के आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक प्रगति वा क्षुग आधार सहकारिता ही होना चाहिये। सहकारिता लिदानों द्वाये ही हम अपनी कृषि सम्बन्धी अनेक समस्याओं को हले करके देश में इरि-उत्तरादन में शूदि वर सरने हैं। इससे दाय तथा विदेशी मुद्रा जीसी वर्तमान जटिल समस्याओं वो इस नरने भ सहकारिता मिलेगी और देश में श्रीयोगीकरण में आने वाली बाधाओं वो दूर किया जा सकगा। भारत में सहकारी आन्दोलन भी एक नई प्रकृति यह है कि सहकारिता वे देशों में वर्म से वर्म सरकारी हस्तक्षेप वी महान् आवश्यकता समझी जाने ल गी है अतः सरकार ने आन्दोलन में अपने लिये चेवल एक सहयोगी रलाहकार तथा प्रधारदर्शक का वार्य कैवर आन्दोलन वी प्रगति सम्बन्धी शेष वार्य वो जनसाधारण के वधों पर ही छोड़ जाने भा निश्चय किया है। इस वार्य में रिजर्व बैंक के सहयोग में निर्नतर शूदि होती जा रही है। श्रामीण जीवन के एवं तोमुद्री विवाह के लिये बहुउद्दीग समितियों वी स्थापना पर चल दिया जा रहा है। कुछ प्रान्तों म सीमित दायित्व के आधार पर सहकारी समितियों वी स्थापना वी नवीन प्रकृति देखने म आ रही है। श्रामीण देशों के अतिरिक्त देश के नागरिक ज्ञेयों म भी जनसाधारण वी विभिन्न समस्याओं के लिये सहकारिता के

सिद्धान्तों पर समितियों की स्थापना की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में आधार सम्बन्धी जटिल समस्या को हल करने के लिये भारत के विशाल नगरों तथा औद्योगिक केन्द्रों में आर्थिक सरकारी गृह निर्माण समितियों की स्थापना सहकारिता के विकास का शुभ प्रतीक है। अतः देश में सहकारी आनंदोलन की आधुनिक प्रवृत्ति को सहकारिता का भवित्व उज्ज्वल प्रतीत होता है।

भावी संभावनायें (Future possibilities)—भारत में सहकारी आनंदोलन की महान भावी संभावनायें हैं। भवित्व में सहकारिता के क्षेत्र में पर्याप्त विवर होगा। आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन तथा वितरणों वा वार्षिक सहकारिता के आधार न किये जाने की संभावना है। देश में उत्पादनी आनंदोलन अब एक पक्षीय नहीं है सकता। देशवालियों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सहकारिता वा प्रभुत्व तथा महत्व बढ़ने की आशा है। देश के आर्थिक विकास सम्बन्धी योजनाओं में सहकारिता के सिद्धान्तों के उपयोग द्वारा आनंदोलन की प्रगति की निःन्देह आशा की जा सकती है। देश के औद्योगिक रस्ते भी विशाल उद्योगों की स्थापना के साथ-साथ कुटुंबरक लघु स्तरीय उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में अपार जनशक्ति को उपलब्धी आर्थिक कार्य दिलाने तथा देश में वैली हुड़े वेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये सहकारिता के सिद्धान्तों के आधार पर हन उद्योगों की स्थापना विद्या बना अत्यन्त आवश्यक है। लोकतन्त्रीय पद्धति एवं जनतन्त्रात्मक भावनाओं पर आधारित सहकारिता आनंदोलन द्वारा ही देशवालियों में सामाजिक एवं राजनीतिक जैलना आने की आशा की जा सकती है। भारत में समाजवादी ट्रांग वे समाज की स्थापना होने जा रही हैं। यही हमारी भावी आर्थिक योजनाओं का भी लक्ष्य रहेगा परन्तु यह तभी समझ हो सकेगा जब विभिन्न आर्थिक कार्यों वा सम्बन्ध सहकारिता के आधार पर ही किया जाये।

प्रश्न

- 1 Explain the organisation and structure of the co-operative movement in India
(Rajasthan, 1953, 1956)
- 2 Attempt a lucid essay on the progress of the co-operative movement in India
(Agra, 1956)
- 3 Distinguish between 'single purpose' and multi-purpose co-operative societies. Discuss the importance of multi-purpose co-operative societies in our economy
(Allahabad, 1956)
- 4 "Co operation is an indispensable instrument of planned economic action in a democracy" (Planning Commission) Discuss the above, bringing out clearly the part which co-operative movement is expected to play in the economic development of India
(Delhi, 1955)
- 5 Account for the slow progress of the co-operative movement in India. Prescribe a plan for its improvement in Indian villages.
(Agra, 1952, (Punjab, 1952)

खण्ड ६

थ्रमिक समस्याएँ, कल्याण एवं सुरक्षा

- १. भारत में अधिगिक धर्म
- २. धर्म कल्याण
- ३. सामाजिक सुरक्षा
- ४. धर्म संगठन आनंदोलन
- ५. धर्म सञ्जयम

अध्याय १६

भारतवर्ष में श्रोद्योगिक धम

(Industrial Labour in India)

किसी भी उमान के सदस्यों के स्वारप्य, समन्वय और समृद्धि का आधार उसका धम है। वही मानव जीवन की आर्थिक निपात्रों का मूल, प्रारम्भिक तत्व और पूँजी का जन्मदाता है। इसीलिए अनेक चार पैंजी को पैंडीभूत या सचित धम कहा गया है। निष्ठान्देह उत्पादन में भूमि के अनिवार्य, धम का पैंडीय स्थान है। उत्पादन के अन्य गाधनों—भूमि और पैंजी—की गुलामी में, धम और उनमें दुख मौलिक अन्तर है। धम उत्पादन का एक सर्वीर गाधन है। उसका उन्नयन मानव से है, अतः उसमें मानवीय मुक्त-दुख और नैतिक तत्वों का समावेश स्वाभाविक है। मानव जाति आज जितनी भी प्रगति कर सकी है उसका रहस्य उसके यीँछे अन्तर्निहित अध्यवसाय और धम में दिया दुआ है।

आज भारतवर्ष शतान्दियों तक की शृङ्खलाएँ तोड़ कर प्रगति-पथ पर अग्रसर हो रहा है। देश की आर्थिक प्रगति की गति, जो कि राजनीतिक परतन्त्रता य उत्तीर्णन के कारण मन्द रह गई थी, आज दाउर्हा के बन्धन कट जाने पर पुनः समय की गति के साथ नमानित होने लगी है। तीव्र गति से बढ़ती हुई ऐसा भारतीय अर्थ अध्यवस्था में श्रोद्योगिक धम का महत्व भी निरन्तर बढ़ता जा रहा है। यह बिल्कुल सत्य है कि किसी भी देश के आर्थिक जीवन की आधार शिला उसका श्रोद्योगिक धम है। यह तथा भारतवर्ष के लिए श्रीर भी सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि समय के दुरुह ऐसे दीर्घतम मार्ग पर सुगा उंग चला आने वाला भारत आज अपने आर्थिक मोक्ष के द्वारा पर सभा हुआ भावी प्रकाश के दर्शन कर रहा है। दूसरे राज्यों में भारत इस समय अपने श्रोद्योगीकरण के लिए, पूर्ण साहस एवं जागरूकता से प्रयत्नशील है।

भारतवर्ष द्वितीय पञ्चवर्षाय योजना, जिसमें देश के श्रोद्योगिक प्रिकास को प्रमुख स्थान दिया गया है, की उफल ममत्वाके लिए पहले ऐ ही प्रयत्नशील है। परन्तु श्रोद्योगीकरण की कोई भी योजना चाह वह कितनी ही महत्वाकोही एवं सुनियोजित क्यों न हो, विना श्रोद्योगिक धम की सहायता एवं सहयोग के उसका सप्तस होगा—नहीं। इस कठु सत्य की महानता को स्तोकार करते हुए द्वितीय पर्यं का

योजनाओं में अनियों के लल्लाश एवं उनकी दराए में सुनित सुधार की ओर प्रयोग ध्यान दिया गया है। अम् एव अम् राज्यालय से सम्बन्धित पारियोदता पर द्वितीय योजना में ~~कर्म~~ कराइ रखने की राशि इस प्राप्त्यान किया गया है, जिसमें से केन्द्रीय सरकार इस कर्मों को रखने और राज्य सर (State level) पर ११ करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया गया है। इस सम्बन्ध म प्रमुख योजनाएँ निम्नलिखित हैं—

(१) बढ़ी दुर्दुष्ट लग्जरी (Efficient labour) की मांग की पूर्ति के लिए समुचित प्रशिक्षण सुविधाओं का प्रबन्ध करना,

(२) 'रोजगार ऐवा चेटलन' (Employment Service Organisation) की हिताओं का विस्तार करना तथा नवीन रोजगार के दफतरों की स्थापना करना,

(३) श्रीगोपिक अमियों के लिए आवास (Housing) की व्यवस्था करना, तथा

(४) श्रीगोपिक कांडों की गंदा बहियों का उ मूलन करना।

भारत में श्रीगोपिक अमियों की घरेमान स्थिति

समर्पित तथा यह निहान एवं मजदूरी पर ही विभर रहने वाले एक विशेष अमियों या मजदूर वर्ग का जागरण भारतेपर्य म १९५१ शताब्दी के मध्य में हुआ जब सरकार ने अकाल निवारण के लिए जड़ी बड़ी नहरों, रेलों तथा उड़ानों का सार्वजनिक कार्य विभाग (Public Works Department) द्वारा निर्माण करना प्रारम्भ किया। इसने बाद यानों, चाष, नील, कहवा, खर आद के जागानों तथा १९५१ सरी के उत्तरार्द्ध में जड़ तथा जड़ी बड़ी बहों (जो निहो) के खुलने पर गाँव के कारीगरों द्वारा निहानों की एक बड़ी सख्ता अपनी दरिद्रता, बकारी तथा शृणुप्रक्षता ऐ कारण नगरों का और रोजगार के लिए आकर्षित हुए और एक दृष्टकृ विशेष अमियों का मादुर्मान हुआ।

यह अविभित तथा नड़े पैमाने के उत्तरों के धीरे धीरे विभित होने पर श्रीगोपिक अमियों की सख्ता भा धीरे धीरे बढ़ने लगी और आज भारत म श्रीगोपिक अमियों की सख्ता दृष्ट लात से भी अधिक है जो अधिकतर मिला या कारबाना, यानी, बासानी, रेलों, बहाजी, बन्दरगाहों, ढाक एवं तार विभाग तथा ट्रामपेज में काम करते हैं। इसी स्थानीय निम्न तालिका से होता है—

कारबाने (Factories) (१९५७)	३४,५६,५६५
खाने (Mines) (१९५८)	६,४६,३६०
बागान (Plantations)	१२,२८,०००
रेलवेज (Railways) (१९५८-५९)	११,४३,६१६

ग्रौद्योगिक श्रम की मूल विशेषताएँ

(Basic Characteristics of Industrial Labour)

भारतीय ग्रौद्योगिक अभिक वर्ग के विचार की परिस्थितियों का अवलोकन ही पहले पृष्ठों में कर दुक्ह है। आइए, अब अभिक वर्ग की विशेषताओं के बारे में भी दुख जान लिया जाए। भारतीय अभिक की दुख अपनी ही विशेषताएँ हैं जो उसे जल्द देरी न अभिकी उपर्युक्त करती हैं। यावारण रूप से अभिक वर्ग की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(१) भ्रमणशील प्रकृति (Migratory Character)

भारतीय अभिक वर्ग की सबसे प्रमुख विशेषता उसी की भ्रमणशील प्रकृति है। उत्तरांग व वार्ष में काम करने वाले आमक अधिकृतर गावों से आते हैं। शहरों में रहने एवं भी व अपने गाव के स्वच्छ बातावरण, प्राकृतिक सौंदर्यमय दृश्य, उसे सम्पूर्णतया विनांकित करते हैं। अवसर प्राप्त होने ही व अपने गावों को वापस लौट जाने हैं। यहार का यस्ता, स्वार्थी एवं यतिरादा बातावरण, आमोद प्रमाद के बावजूद भी अमाव टनको ग्राहित करने से असफल रहता है। इस प्रकार वे भ्रमणशील दली की भागी गाव से शहर तथा शहर से गाव तथा खती से उन्नेंग और उद्योग से खेती में काम किया करते हैं। इस दायरे के ग्रौद्योगिक अभिकों का एक दृथक् वर्ग संगठित नहीं हो सका है।

(२) एकता का अभाव (Lack of Unity)

भारतीय अभिक उदायों में काम करने के लिए देश के विभिन्न स्थानों एवं दूर से आते हैं। ऐसा शायद ही कोइ उत्तरांग होगा जिसक अभिक शहर के पास के स्थानों (Suburbs) से ही आते हैं। अधिकृतर वे विभिन्न भिन्न लहरों से ही काम करने के लिए आते हैं। कल्पस्वरूप उनकी गाल-चाल, रहन उहन, रहने विवाह, सम्प्रदाय तथा अन्य इत्यादि विभिन्न होते हैं। उनमें किसी भी प्रकार की समानता नहीं होती और वे एक दूसरे के प्रति उदाहुरिति, आमायता तथा प्रस भी नहीं रखते। अतः उन सेहों में एकता (Unity) का नी अभाव रहता है।

(३) अभिक अनुपरिपत्ति भाव (Labour Abencocism)

जेता कि ऊपर जाना जा चुका है शानदारी का अपने विवाह स्थानों (प्रावो) के प्रति अत्याधिक प्रस द्याता है। व इन सीरियो (Agricultural Seasons) में जैसे कि फसल का काम अधिक होता है तथा विशेष उत्तरांग वर मिलों का काम क्षेत्र अपने गाँव को चले जाते हैं श्रीर जब फसल भी काम समाप्त हो जाता है अपना वन्न उनक उत्तरांग ल्योहार आदि समाप्त हो जाता है तर व शहरों को वापस लेने आते हैं।

इस प्रकार धर्मिक अनुरक्षितिवाद (Libout Absenteeism) अथवा अनियमित उपस्थिति (Irregular Attendance) भारतीय उदाहरणों में बहुत प्रचलित है, जिसका श्रीयोगिक उत्पादन एवं सार्वजनिक पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है।

५ भारतीय उदाहरणों में आंखें अनुरक्षिति १२ से १८ प्रतिशत तक होती है।

(४) भाग्यशादिता (Fatalistic Nature)

भारतीय धर्मिक जा अधिकार गतिरोध में काम करने के लिए आते हैं दृढ़ भाग्यशादी होते हैं। ये सोंग प्रत्येक जाति की धर्मता अथवा अनुरक्षिता भाग भी देने चाहते हैं। भाग पर इन लागतों का इतना विरगण होता है कि वे कर्म (Duty) करना भी छोड़ देते हैं। युरने कट्टा का निवारण करने के लिए वे सोई प्रबल नहीं करते। धर्मको के भाग्यशादी होने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि उनमें अथवा उनके परिवार के सदृशों का पैदृक उद्योग हृषि है जिसे 'पर्दा का उद्योग' (Gamble of Life) कहा जाता है। अतः उनमें प्राप्ति ग्रहण इसी प्रकार की चर्चा जाती है।

६) अज्ञानता तथा शिक्षा का अभाव (Ignorance & Illiteracy)

भारतर्थ में यित्ता का निवात अभाव है। अधिक से अधिक १६ या १८ प्रतिशत जनता यात्रा है। वारिह (Technical), यांकिक (Mechanical) शिक्षा का तो श्रीरंग में अभाव है। अतः व्याकिक अधिकार अशिक्षित एवं अशानी होते हैं श्रीरंग में आजुनक्षत्रम् मर्यादा का प्रयोग करने में असफल रहते हैं।

(५) अक्षमता (Inefficiency)

श्रीयोगिक मजदूर की संख्या महात्मपूर्ण विशेषता उसकी व्यक्तिमता अथवा अनुरक्षिता है। विदेशी श्रीयोगिक मजदूरों की तुलना में तो भारतीय श्रीयोगिक मजदूर अधूत ही पिछड़ा हुआ है। 'सर अलेक्जेंडर रोबर्ट' (Sir Alexander Mac Robert) न श्रीयोगिक कर्मीहन के सम्मुख अग्रणी साक्षी में कहा था कि एक अंग्रेज मजदूर भारतीय मजदूर से चौमुना दुश्यल होता है। इसी प्रकार उर क्लीनेट हिम्मठ के अनुसार लक्ष्मानपार के मूल मिल में काम करने वाले २६७ मजदूरों की योग्यता के बराबर है। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय धर्म कार्यालय (I. L. O.) के द्वाया की गई जांच से इस कथन की पुष्टि नहीं होती परन्तु फिर भी इसमें सत्त्वता का अधिक पुष्ट है। इसका पिस्तार में अध्ययन अपाले शृंदा में किया गया है।

(६) कुशल कारीगरों की कमी

भारतीय धर्मिकों की एक विशेषता यह भी है कि कुशल कारीगर कम पाये जाते हैं। धर्मिकों की बच्चे उत्तोर्गमिति कम होने के कारण तथा तानिक एवं यांकिक (Technical and Mechanical) शिक्षा का अभाव होने के कारण, कुशल कारीगरों का

अभाव होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देश के निभावित हो जाने के कारण भी अधिकारी मुख्लिम कारीगर पानिस्तान छोड़ गये। कुशल कारीगरों के अभाव से दूर करने रे लिए राष्ट्रीय सरकार भारतीयों को विदेश में तानिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेज रही है।

(८) निम्न जीवन स्तर (Low Standard of Living)

भारतीय अमिरी का जीवन स्तर, विदेशी अमिरी की तुलना में बहुत निम्न हुआ है। ऐसा अपना अनिवार्य आवश्यकताग्राही का पूरि भी भलीभांति नहीं कर पाते हैं। आमदारक वयस्ता विलाहितापूर्ण आवश्यकताग्राही की पूर्ति तो स्वन मान है। जीवन स्तर गिरा होने के कारण अमिरी व स्वास्थ्य एवं उनकी कार्यक्षमता पर रुक्खा तुरा ग्रस्त पड़ता है।

निम्न तालिका, जो देश के विभिन्न राज्यों (States) की वीसठ वार्षिक धन्दा को साझ करती है, ये जात होता है कि हावार अमिक दितनी कम मज़बूरी प्राप्त है।

२०० रुपये प्रति माह से कम वैतन पाने वाले अमिरों की आय¹
(रेलव कम्पनीओं के अतिरिक्त)

राज्य (States)	तुल आय	प्रति वार्षिक औसत आय
आन्ध्र	८४,४११	७८६४
आसाम	८७,०५०	१,५२५६
झिहार	१,६५,१४५	१,२३५६
गुजरात	१०,६६,५२१	१,४४४८
मध्य प्रदेश	३३,२४६	६८८४
मद्रास	२,२२,५७६	६५०१
उडीचा	१४,८२३	११८५
पश्चिम	४८,७८६	६६१०
उत्तर प्रदेश	२,३२,३६२	१,०१४१
पश्चिमी राजाल	४,४६,२८१	१,१४१७
दिल्ली	६७,७६८	१,४६६४
संग राज्य	२६,६५,०५५	१,२१२७

यदि हम भारतीय प्रति व्यक्ति आय की अन्य देशों की प्रति व्यक्ति आय से तुलना

करें तो शत होगा कि भारतीय लोगों का सार अन्न देशों की अवैद्या किसानों द्वारा गिरा हुआ है।

विभिन्न देशों की पार्श्वीय आपात

देश	पार्श्वीय प्राप	प्रति वर्षीय आपात
(१) उग्रुक राष्ट्र अमेरिका	१,१३,४५८	६,१३१
(२) कनाडा	१०,३८३	५,७४२
(३) उग्रुक राज्य (U.K.)	२१,६५३	१,२८७
(४) फ्रान्स	१७,६६०	८,०४६
(५) भारतवर्ष	११,०१०	२८४

भारतीय व्रमिकों की अनुशंसा

(In Efficiency of Indian Labour)

व्रमिकों की कुण्ठलता तथा उनके क्षत्रियतापूर्ण कार्यों का निश्ची भी देख उ अधिक प्राप्ति उ नक्ष एवं प्रतिष्ठित हमना है। अनुशूलन परिस्थितियों मिलने पर व्रमिक सामाजिक रूप ये सार्वजील रहता है। उचिती कार्य क्षमता का दृष्ट उचित उमर होता है जब उपर्युक्त उद्देश्यों के लिये उपर्युक्त उपकरणों का उपयोग करने की छोड़ दिया जाता है। दुर्बलता ये भारतीय व्रमिकों की परिस्थितियों की विस्तृता ने उपर्युक्त कार्य क्षमता का उपरिक्षय देने लगा है, तथा विश्वा के अन्य श्रीयोगिक देशों के व्रमिकों की व्रपेक्षा वह अधी भी जहुत पिछड़ा हुआ है।

सर अलेक्जेंडर बीकर रावर्ट ने श्रीयोगिक कमीशन के उम्मुक अपनी साक्षी (Evidence) देते हुए कहा था कि एक ग्रैम्पेज मजदूर भारतीय मजदूर ये नौकरी कुण्ठल होता है। इसी प्रकार सर क्लीमेट सिम्पसन के अनुसार लकाशायर की गृही मिल म काम करने जाता एक मजदूर भारतीय २६७ मजदूरी की योग्यता के बराबर है। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय अम कार्यालय (I.L.O.) के द्वारा की गई जांच से इस कथन की पुष्टि नहीं होती है परन्तु किर मी इसमें सत्यता का ग्राहिकारा पुष्ट है।

विभिन्न उद्योगों में व्रमिकों की कुण्ठलता इस प्रकार है—

सूती वरत्र उद्योग—१६२६ २७ में गृही मिल उद्योग के लिए निषुक्त रेटिक

बोर्ड के अनुसार सूती कपड़े की मिलों में काम करने वाला एक अमिक जापान में २४०, योरोप में ५४० से ६०० तक, अमेरिका में ११२० तथा भारत में देवल १८० ही तकुओ (Spindles) की देखभाल करता है। काटन याने एसोसियेशन लिंके अनुसार जापान की मिलों में १८ अमिक १००० तकुओ (Spindles) की देखभाल करते हैं, जबकि भारतवर्ष में उन्हें ही तकुओ की देखभाल ३० से लेकर ३१ अमिक करते हैं।

इस सम्बन्ध में श्रीमुन एन० एच० टाटा द्वारा दिये गये आँकड़ भी महत्वपूर्ण हैं। उनके अनुसार भारतवर्ष में ग्रौस्तन प्रति १००० तकुओ (Spindles) पर २२ अमिक कार्य करते हैं जबकि अमेरिका में ४५ अमिक और लकाशायर में ६७ अमिक कार्य करते हैं। यही हाल बिनता (Weaving) के सम्बन्ध में भी है। बिनता में एक जुलाहा, योरोप में ४ से ६ तथा अमेरिका में ६, पर भारत में देवल २ बरबो (Looms) की ही जलाता है।

उपरोक्त आँकड़ों एवं तथ्यों से हमें भारतीय अमिक की आपेक्षाहृत (Relative) अद्यमता की भलक मिलती है।

परन्तु इस सम्बन्ध में यह जात जानने याप्त है कि विद्युते कुछ वर्षों से दुख पूरी वर्ष मिलों में अमिकों की कुशलता में पर्याप्त वृद्धि हुई है। सूती वर्ष उद्योग के एक कार्यवाहक दल (Working party 1952) ने देखा कि दिल्ली की एक मिल में, तथा मद्रास की दो मिलों में एक बुजाहा (Weaver) क्रमशः ४, ६, ८ और ग्रहमदा चाद की एक मिल में १८ तथा गर्वै की एक मिल में ६ करबो (Looms) पर जारी करता है।

भारत की कुछ मिलों के अमिकों की कुशलता अथवा ज्ञान में यह वृद्धि उनमें स्वचालित एवं आधुनिक मरीनरी के कारण हुई है, जिसके प्रत्येक जुलाहा अधिक काम कर सकता है। इतनी उन्नति होने पर भी कदाचित् भारतीय अमिक सुनुक राज्य (U K), जापान और अमेरिका के अमिकों की तुलना में कम कुशल है।

नूट उद्योग—‘रायल कम्पानी’ के समक्ष याहा देते हुए कहा गया है कि नूट उद्योग में लगे हुए दो भारतीय अमिकों का काम छह या यूरोप के किसी अन्य देश का एक नमक कर सकता है।

लोहा एवं इस्पात उद्योग—इस उद्योग में भी अमिकों की ज्ञान में अथवा कुशलता की दशा असतोषजनक है। श्री जे० आर० डी० टाटा के अनुसार १६४१ में लोहा एवं इस्पात का प्रति अमिक उत्पादन प्रति मास देवल २५ टन ही था जबकि दमुक्त राज्य अमेरिका (U S A) के लोहा एवं इस्पात उद्योग में प्रति अमिक ग्रौस्तन उत्पादन ५ टन प्रति मास था।

कायला उनिज उद्योग—भारतीय 'जोलोबीकल माइनिंग एंड मैटालर्जीसल कॉम्पानी' की रद्दी कार्यिक समान समा में अध्यक्ष महोदय ने इस गत की ओर संकेत किया कि भारतवर्ष में प्रति वर्षित पाली (Sh ft) उत्पादन केवल २७ टन है, जबकि उत्कृष्ट राज्य (U.K.) में ६२८, जर्मनी में ८६६ तथा सुकृत राज्य अमेरिका (U.S.A.) में २१६८ टन है। नियोजन आयोग (Planning Commission) ने यहा लगाया है कि कायला उनिज उद्योग में १६४१ में लगे हुए २,१४,२४४ अमिन्डा का सख्ता बढ़कर १६५१ में ३,४०,००० हो गई जबकि उठी उम्मीद में कोरल के उत्पादन में तृदिंश ८५.८६ मिलियन टन से बढ़कर १४ मिलियन टन ही हुई। इन आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जब अमिन्डा की सख्ता में ५८% की तृदिंश हुई, उत्पादन में तृदिंश ३२% ही रही।

इसी प्रकार यदि हम देश न समझ लगे हुए अमिन्डा की कार्य क्षमता पर उत्पादन का निश्चय कर सकते तो अधिक लाभकारी होता, परन्तु इन उद्योगों ने सम्पन्नित विस्तृत एवं आवश्यक आविष्टे उपलब्ध न हानि के कारण यह सम्भव नहीं है। तथापि ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इन उद्योगों का 'प्रति घण्टा' (Per man hour) उत्पादन अभी पिछले दुछ वर्षों से काफी गिर गया है और तुल्य इसमें मता ३०% से ५०% तक उत्पादन न अपनाते हुए है। इसके विरोध विदेश और अमेरिकन अमिन्डा की क्षमता में निरन्तर बढ़ रही जा रही है।

भारतीय थमिकों की अकुशलता के कारण

(Causes for the Inefficiency of Indian Workers)

भारतीय थमिकों ने अकुशलता का उत्तरदायित्व पूर्णतया उपल थमिकों पर ही लगाया है। यथाख्यत इस चिन्ताजनक अवस्था एवं लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं जो कि सामाजिक, राजनीतिक, प्राज्ञिक तथा कार्यिक हैं। सरल अध्ययन के दृष्टिकोण से हम इन समस्त कारणों का तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं—

१—उद्योग से सम्बन्धित आन्तरिक वार्ते

- (१) काय एवं धरणे (Hours of Work)
- (२) काय की दशाएँ (Working Conditions)
- (३) कच्चा माल एवं शक्ति (Raw materials and Power)
- (४) विश्राम स्थल (Rest Houses)
- (५) मशीनों और उपकरणों की प्रकृति (Type of machines and equipment)
- (६) नियोजन एवं प्रबन्ध (Supervision and management)
- (७) मजदूरी देने की रीतियाँ (methods of wage payment)

- (८) अवकाश व छुटियाँ (Holidays)
- (९) भूखप्रस्तना (Indebtedness)
- (१०) रहन-सहन का निम्न स्तर (Low Standard of living)

२—उद्योग से सम्बन्धित वादों वाले

- (१) जलवायु की दशाएँ (Climatic Conditions)
- (२) कलालयकारी राजनीति (Welfare measures)
- (३) आवास एवं स्वच्छता (Housing and Sanitation)
- (४) शिक्षा एवं प्रशिक्षण (Education and Training)
- (५) कारखाने की स्थिति (Layout of Factories)
- (६) प्रमिल सम्बन्ध (Personnel management)
- (७) राजनीति (State Policy)

३—विविध वाले

- (१) ऐतृक मुद्रा (Racial qualities)
- (२) नमिका की मतानुसृति एवं मनोविद्या (Attitude and morale of Workers)
- (३) नमिका की अमुशलता सम्बन्धी उपरोक्त कारणों म से ऊँचे प्रदूषकों का विनाश म अवश्यक है।
- (४) कार्य करने के दीर्घ घंटे (Long Working Hours)

भारतीय कारखानों म नमिका को दिन में लगावार कई रेष्टों तक कार्य करना पड़ता है और उन्हें जाते म कोई अवकाश नहीं दिया जाता। दुर्मानस्थ भारतीय उद्योग नमिका का यह विरोध इह है कि नमिका से नितनी आधिक देर तक काम करा लिया जाय, उत्पादन बढ़ावा दायगा। भारतीय पूँजीविति न अन्दर अभी उस मानवीय उदारता अथवा आर्थिक वैशानिकता, जिसे महादेव एफ० इन्स्टू० इन्सैर ने “मानविक क्रान्ति” (Mental Revolution) की उठा दी है, का उद्देश नहीं हुआ है, जिसने अनुसार वह लोग सुके कि स्वस्थ एवं कार्य म चलि रखने थाला। अमिक ग्रन्तव, अधिक उत्पादन करता है। दीर्घ घटा तक कार्य करने गाहा अमिक स्थानाधिक रूप से यह जाता है और उसके शुरीर मे शृंखिला आ जाता है। इसके अतिरिक्त नमिका के लिए विनाम स्थानों (Rest houses) की भी काहं व्यवस्था नहीं होती है। कलखलूर अमिक जल्दी ही यह जाता है और यह ज्ञाना अथवा कुशलता से कार्य करने मे ग्रसमर्थ रहता है।

(२) कार्य करने की दशाएँ (Working Conditions)

अमिक जिन स्थानों मे कार्य करते हैं, उनकी ग्रास्था—उमार, रोशनी, ताप-

कम, खाक पानी, गौचालया एवं मूत्रालया की समुचित व्यवस्था, शिशुगद, स्नानरह, इत्यादि की सुविधाएँ—बहुत ग्रन्थमें अमिका न सार्वजनिक कार्यक्रमता को प्रभावित करती हैं। भारतीय कारबानों ने अन्तर्गत काय का चाकापरण तथा कार्य करने की दशाएँ अच्छी और स्वाध्यकर नहीं हार्दिया और वे जामनी की सायंदमता में किसी प्रकार भी उत्साहवर्द्धक नहीं होते। लाक प्रसिद्ध शास्त्राना न अन्तर्गत अस्त्र-दृता तथा चक्रित्या समझ्या सुविधाओं, नहाने घाने की सुविधाओं, टड पानी की व्यवस्था, शुद्ध गायु तथा प्रकाश इत्यादि के अभाव में अमिका की कार्य क्रमता कम हो जाना स्वाभाविक ही है।

पिछले द्व्यास दर्तों में इस दृष्टि से कारबानी, जाना, नामना, बन्दरगाही, जहाजों इत्यादि में कारं करने की दशाओं में पर्याप्त सुगर हुआ है। इसने लिए अनेक कानून लाये गये हैं। परन्तु प्रति भी उन्होंना आगे राहड़ी की तुलना में हमारे देश में कारं करने की दशाएँ नहुत ही बढ़ती हुई हैं। एक तो कानून व्यवल संगठित उद्योगों पर लागू होते हैं, दूसरे उनका शाय पृथग तरह पालन में नहीं होता।

(२) उच्चा माल एवं यान्त्रिक साजसज्जा (Raw materials and Mechanical equipment)

भारतीय कारबानों द्वारा प्रयुक्त कर्जे माल की विद्यम बहुत ही स्थग होती है। इसके अतिरिक्त यानिह साज सज्जा जिस पर अमिक कारं करता है, अत्यन्त उत्तमी, अप्रचलित एवं जीर्णशीर्ण होती है। अत्यावत भारतीय अमिक क्रमतापूर्वक काय नहीं कर पाता। अत इसका दोष अमिक पर में मदा जाकर मालिकों पर ही मदा जाना चाहिये।

(३) नियंत्रण एवं प्रबन्ध (Supervision & Management) *

श्रीयोगिक कार्य क्रमता बहुत कुछ उद्यागा ने नियंत्रण कर्मचारियों (Supervisor Staff) और वैज्ञानिक प्रबन्ध पर आधारित होती है, जिसका भारतपद में नियात अमाव है। अमिकों की कार्य क्रमता नियंत्रण ही वैज्ञानिक प्रबन्ध के लिदान्तों, जिनका प्रतिपदन अमेरिकन इंजीनियर डॉ० एफ० डब्लू० टेलर ने १९११ में किया था, के द्वारा बढ़ाई जा सकती है।

भारतवर्ष म अभी पिछले कुछ वर्षों से इस और ज्ञान दिया गया है और अमिका को समुचित प्रशिक्षण देने के लिए कुछ महत्पूर्ण संस्थाएँ भी लोली गई हैं। जैसे गढ़गुप्त म डा० सर ज० सी० वैप के नेतृत्व में 'इण्डियन इन्स्टीच्यूट आफ डेवना लॉज़', बलकरता यूनीवर्सिटी में प्रो० डी० के० सान्याल के नेतृत्व में 'स्कूल आफ सोशियल वर्क' एण्ड विजेनेस मैनेजमेंट' तथा बैंगलोर में प्रो० एम० एस० ठक्कर के नेतृत्व में 'इन्स्टीच्यूट आफ मैनेजमेंट' इत्यादि खोले गये हैं। परन्तु ये सब भारतीय आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत कम हैं।

(१) भ्रमिरों की निर्धनता, निम्न जीवन-स्तर एवं ऋणप्रस्तता (Poverty, Low Standard of Living and Indebtedness of Labourers)

भारतीय भ्रमिरों की वायिक आग बहुत कम होती है। अब देशों की अफ़द्दा में तो यह और भी कम है। उदाहरणार्थ मारतवर्ष में प्रति वर्षि आय बले २८५ लाख है, जबकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका (U.S.A.) में ६,७३१ लाख, कनाडा में ६,४४१ रुपये, संयुक्त राज्य (U.K.) ४,२८७ रुपये तथा फ्रान्स में ४२०६ रुपये हैं।

आर्थिक आय निम्न होने का कारण भारतीय भ्रमिरों का जीवन सर्व भवुत निम्न है। भ्रमिरों की आय का एक बहुत बड़ा भाग (कुल आय का ६० से ७० प्रति यत तक) खेल भोजन पर ही व्यय हो जाता है और दुर्भाग्यशरण उहै जो भाजन प्राप्त होता है, वह सामान्यतः उनकी शापरिक आवश्यकताओं के लिए सर्वथा अपर्याप्त होता है। कारस्यानों में इन्हें एवं दाव घटाएं तक निरन्तर कार्य करने के लिए पौष्टिक एवं सहुलित आहार की अवैधि आवश्यकता है जबकि उह प्राप्त नहीं हो पाता है। कलरस्स व अकार्नेलम एवं अनेक भवानक चेमारियों के शिकार रहने रहते हैं।

यही नहीं भारतीय निम्निक आर्थिक जीवन का एक अपरिवर्तनिक पहलू उठानी लृण प्रस्तुता है। अधिकारी उदाहरण में लगे दूर धर्मिक, श्राव कर्जदार वा जनन यापन करने हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि प्रधिकारी श्रीगोपिक दो दो में लगभग दो विहार मन्दिर व जन व नान्क क नाम देव दूर हैं, और उनके कर्म की ओर उनके प्राप्त प्राप्त उनके नाम होने के बजाए वर्तमान हैं।

इन सब दोषों की जड़ एक मात्र निम्न मजदूरी है। मजदूरी की समानता तथा न्यूनतम घरब की गारटा और सहकारी भूग्र व्यवस्था द्वारा मजदूरों की भूग्र प्रस्तुता के सुचानिला किया जा सकता है।

(२) जलगायु सम्बन्धी दशाएँ (Climateic Conditions)

भारतीय प्रविद्वन जलगायु भी भ्रमिरों की अवधिकामता के लिए उत्तरदायी है। गम जलगायु में निरन्तर अधिक रुपय वह करार कार्य करना रुपय नहीं। हमसे देश की जलगायु तो भूत ही गम है। गमाल तथा तराई के प्रदेशों की जलगायु और भी रुपय है। विदेशों की जलगायु दर्ती होने के कारण वहाँ के अमिन आर्थिक कुशल हैं।

(३) कल्याणकारी तथा सुरक्षा सुविधाएँ (Welfare and Security Measures)

भ्रमिरों ने कल्याण कारों में छुटि और विस्तार करने उनकी नार्वेक्षण और अपरस्था में प्रयास उद्देशी की जा सकती है। पर तु अपार्थित भारतवर्ष में भ्रमिरों के

प्रदान की जाने वाली कल्पाणकारी सुविधाएँ भी अपर्याप्त हैं, जिनका कुप्रभाव अभिकों की कुशलता अपना हृसंता पर भी पड़ता है। कल्पाणकारी कारों पर अभिकों का स्वास्थ्य एवं शुरीर उच्चत होगा और भारतीय विवित प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण होने वाली घटनां तथा नीरखता दूर होगी और अभिकों की कार्यक्षमता बढ़ेगी।

कल्पाणकारी-कारों ने अतिरिक्त, यिमिन प्रकार के जोटिमों के विषद् सुरक्षा भी अभिकों की अवस्था सुधारने के लिए आवश्यक है। मारने में धाराजिक सुरक्षा का जैव और रिसार भी अभी तक अत्यन्त संभित है।

(न) आवास की दशाएँ (Housing Conditions)

अभिन्ह किस प्रकार के घरों में रहते हैं, इसका उनकी कार्यक्षमता, स्वास्थ्य और सदाचार से सीधा सम्बन्ध है। जिन स्थानों में घरों की रसी होती है अथवा जहाँ गन्दा वातापरण होता है, वहाँ ऊँची मूल्य दर तथा अभिन्ह का बाहुल्य होता है। निवास स्थान अथवा आवास की दृष्टि से भारतीय मजदूरी की दशा बहुत ही दबनीय है। अधिकतर अभिक ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ पर पशुओं का रखना भी उचित न होगा। कानपुर के अहाने, हगली की चस्तियाँ, दिल्ली की चेरियाँ, कोयले की यानों के पांखरे, पथर की खाना के पत्तों के भोपड़े, बम्बई के चाल (Chawls), बागानों की चस्तियाँ और बेरके, अभिकों के रहने योग्य नहीं कही जा सकती।

अतः अभिकों के बल्दाणी की किसी भी योजना में गन्दी मजदूर चस्तियों और उनके स्थान पर, स्वच्छ, स्वास्थ्यकर निवास स्थानों के निर्माण को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए। हमारी राष्ट्रीय सरकार काफी प्रयत्नशील होते हुए भी इस समस्या को पूर्णतया सुलभा नहीं सकी है।

(१) शिक्षा एवं प्रशिक्षण (Education & Training)

साधारण एवं प्राविधिक (Technical) दोनों ही प्रकार की शिक्षा का एमाव अभिकों की कार्यक्षमता पर पड़ता है। मारवर्ष में अभी तक दोनों ही प्रकार की शिक्षा आ का निवात अमाव है, यद्यपि राष्ट्रीय सरकार इस और काशी प्रयत्नशील है। अधिकारा अशिक्षित होने के कारण भारतीय अभिक स्वभावत् प्राथ्यवादी होता है। अपने कार्य को उचित ढंग से, कम से कम समय में तथा कुशलता से बढ़ने के लिए प्राविधिक (Technical) प्रशिक्षण की अनि आवश्यकता है। अमेरिका के सुप्रसिद्ध इडीनियरों द्वा० एफ० डब्लू० टेलर तथा एफ० बी० गिलब्रेथ ने अभिकों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए, प्राविधिक प्रशिक्षण की ओर बहुत जोर दिया है।

(२) अन्य कारण (Other Causes)

अभिकों का उपेत्तित व्यवहार (Indifference), मनोवृत्त, मनोधैर्य (Morale), नैराश्य एवं आशाहीन इटिकैण जो उपरोक्त कारण के फलस्वरूप उत्पन्न होता है,

उनकी अर्थशाला अर्थसे अद्युत्तरता के लिए उत्तरदायी हैं। ऐसा धमिक जो अनेक चिनाओं से प्रसिद्ध हो, जो वन से हताश हो जुगा हो, उससे दुश्यता की आशा किंवा प्रकार की जा सकती है।

यही वे परिस्थितियाँ हैं जिनक ग्रन्तीत बेचारा अर्डेनम एवं अर्डे उद्दाहृत मार्टीप श्रीचोगिक धमिक निर्धनता की जटिल शृङ्खलाओं में जबड़े हुए, अस्वच्छ एवं अमानवीय दशाओं में रहते हुए तथा प्रतिकूल अवस्थाओं में जाय करते करते असा नीरन समाप्त कर देता है। यही सब बारण उसकी अद्यता के लिए भी मूल रूप से उत्तरदाया है।

क्या भारतीय धमिक वास्तव में अकुशल हैं?

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारतीय धमिक की अद्युत्तरता बुद्ध विशेष परिस्थितियों के कारण है। यदि इन प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बना दिया जावे तो ये ही धमिक किसी भी देश के धमिक से मुकाबला कर सकते हैं। यह कहना कि भारतीय धमिकों की कायदामता उनके राष्ट्रीय, जातीय एवं पेतृक गुणों के कारण कम हुद्ध असुल्य सा प्रतीत होता है। यदि प्राचीन काल से भारतीय सैनिक अपनी गहानी व यश के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, तो समझ में नहीं आता कि इस प्रवार उन्हीं गहानों की सतान निर्जार मशीनों व सामने नत मस्तक हो गई। बास्तव में देला जाय दो भारतीय धमिक अन्य किसी भी देश के धमिक से कम दक्ष नहीं हैं। उसकी अद्यता के लिए अब य जल ही जिम्मदार है।

इस कथन की पुष्टि 'धम जांच यमिति' (Labour Investigation Committee, 1946) जो 'ऐगे' समिति का नाम से प्रसिद्ध है, वे शब्दों से होती है। समिति का अनुसार भारतीय धमिक, किसी भी देश के धमिक से कम कुशल नहीं है। यदि उनको वे सब साधन व सुविधाएँ प्राप्त हो जायें जो अन्य देश के धमिकों को उपलब्ध हैं तो भारतीय धमिक, अप्य दशा के अनियों से भी अधिक कुशल हो सकता है। अमेरिकन प्रेडी मिशन जो भारतवर्ष में १९४२ में बुद्ध उत्पादन का निरीक्षण करने के लिए आया था, भारतीय धमिकों की कार्यक्षमता से काफी प्रभावित था। प्रेडी मिशन के अध्यक्ष सर टाम्प हार्लैंड ने स्वीकार किया है कि भारतीय धमिक भी उतने ही कुशल

*We have come to the conclusion that the alleged inefficiency of Indian labour is largely a myth. Granting more or less identical conditions of work, wages, efficiency of management and of the mechanical equipment of the factory, the efficiency of Indian labour generally is no less, than that of workers in most other countries. Not only this but whether mechanical equipment or efficiency of management are factors of any importance the skill of the Indian labourer has been demonstrated to be even superior in some cases to that of his prototypes in foreign countries. *Report Committee*

हैं, जिनने कि योरोपियन अमिक । अभी हाल में जिन उन्होंगों में ये सुविधाएँ अमिकों को प्रदान की गई हैं, उनकी कार्यक्रमता भी बढ़ गई है । सरकार द्वारा भारतीय श्रमिकों की उत्पादन-क्षमता के सम्बन्ध में इस कथन की पुष्टि १९५५ के आँकड़ों से होती है—*

(१) कोयला खनन उद्योग—१९५१-१९५५ तक के बारों में उनिकों तथा लदाई करनेवालों की उत्पादन-क्षमता में सामान्यतः ०.०७६ प्रतिमास की वृद्धि हुई ।

(२) कागज उद्योग—१९५२-१९५३ में मजदूर की श्रीसत आय में तो वृद्धि हुई, किन्तु उत्पादन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई ।

(३) पटसन यस्त उद्योग—१९५२-१९५३ तक के बारों में उत्पादन-क्षमता में २.६% प्रति वर्ष तथा आय में ३.७% प्रतिवर्ष नी वृद्धि हुई ।

(४) सूता यस्त उद्योग—१९५२-५३ तक के बारों में उत्पादन-क्षमता तथा आय में प्रतिवर्ष क्रमशः २.२% प्रतिशत तथा १.१४ प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

श्रमिकों की क्षमता बढ़ाने के लिए सुझाव

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय श्रमिकों की कार्यक्रमता विशेष परिस्थितियों के कारण है । कुछ भारतीय उद्योगों जैसे 'दाटा आइन एण्ड स्टील कम्पनी', 'देहली क्लाय मिल्स', 'बाटा एस. कम्पनी' इत्यादि में श्रमिकों को पर्याप्त सुविधाएँ दी जाती हैं, और पलस्वल्प वहाँ के श्रमिकों की कार्यक्रमता किसी भी विदेशी श्रमिक से कम नहीं है ।

अतः भारतवर्ष में श्रमिकों की कार्यक्रमता बढ़ाने के लिए उनकी दशा व बाताचरण में सुधार होना चाहिए । जीवन की सुख-सुविधाओं के उचुचित प्रबन्ध, कार्य करने के बाटों में कमी तथा मालिकों के सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार ऐ श्रमिकों की कुशलता के स्तर में वृद्धि निरिचत है । श्रमिकों की कार्यक्रमता में वृद्धि निम्न उपायों द्वारा भी आगकरी है—

(१) श्रीयोगिक नगरों में स्थायी श्रमिक वर्ग

भारतीय श्रमिक की अकुशलता का प्रधान कारण श्रीयोगिक नगरों में स्थायी श्रमिक वर्ग समुदाय का अभाव है । स्थायी श्रमिक वर्ग समुदाय को श्रीयोगिक नगरों में बनाये रखने के लिए निम्न सुविधाओं को प्रदान करना होगा—

(अ) उचित किराये पर श्रमिक व उसके परिवार के लिए आवास (housing) की स्थवर्स्था करना ।

(ब) नगरों के जीवन की दशाओं में सुधार करना ।

(स) बेरोजगारी के विक्र प्रावधान ।

- (द) श्रमिकों की बीमारी व अखमर्थता के समय पर्याप्त विकित्ता का प्रवर्तन।
 (२) उचित पारितामक

श्रामिकों का यतन उनके कार्य व कार्य-द्वारा व अनुषार निश्चित कर देना चाहिए। उत्पादन के साथ मँहगाइ, भत्ता व बोनस इत्यादि सम्बद्ध कर देना चाहिए। एक निश्चित काय को, निश्चित समय में कर लेने पर श्रमिक को पूरा निर्वाचित दर से मजदूरी व भत्ता इत्यादि दे देना चाहिए, जिससे श्रमिकों में विश्वास नना रहे।
 (३) वीरे वारे कार्य करने का प्रवृत्ति के विरुद्ध प्राविधान (Provision against go slow Tactics)

यदि नामक जान युक्त कर गियिलता से काय करत है अथवा बाम से बी तुराव है तो इसका ग्रोवागिक सपर (trade dispute) करार देना चाहए और मालिक को इसका ऐसला कंसीलियशन मरीनरी से करवा लेना चाहिए।

(४) श्रमिकों के विरुद्ध कार्यवाही

यदि काइ श्रमिक अकुशलता से काय कर रहा है अथवा निश्चित मात्रा में उत्पादन न कर रहा है तो मालक वा यह आपकार होना चाहिए कि वह ऐसे श्रमिकों को निकाल सके।

(५) निरन्तर प्रचार

श्रमिकों की अकुशलता, उत्पादायत्वहानता व अनुशासनहीनता के विरुद्ध सरकार, मालिक तथा श्रमिकों के नेताग्रा को निरन्तर प्रचार (प्रापगेन्डा) करते रहना चाहिए।

(६) प्रशिक्षण एवं शिक्षण

श्रमिकों को प्रशिक्षण एवं शिक्षण—साधारण व तात्त्विक—अनिवार्य रूप से देना चाहिए। श्रमिकों का आतुनिकतम मरीनों के प्रयोग के सम्बंध में पर्याप्त प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे वह कुशलतापूर्वक काय कर सके।

(७) मुन्त्रयस्थित प्रमाण

प्रबंधकों का मनोवृत्त एवं कुशलता श्रमिकों की कार्यद्वारा पढ़ाने में उदारता हो सकती है। जहा तक हा सर 'प्रैक्टिकल प्रमाण' का अपनाया जाय जिससे प्रबंधकों का मनोवृत्त श्रमिकों की ओर सहानुभवित पूर्ण हो, और श्रमिकों की काय करने का दशाआवश्यक नियन्त्रण की ओर सहानुभवित पूर्ण हो। मालकों को श्रमिकों के साथ घानप्त सम्बन्ध एवं रखने का प्रयत्न करना चाहिए।

(८) श्रमिकों का मनोवृत्त में परिवर्तन

श्रमिकों की दशा में सुधार विवारणी (Legislations) वे द्वारा अधिक सम्बन्ध नहीं है, नहींकि एक ऐसे वातावरण व निर्माण की आपश्यकता है जिससे श्रमिक अपने का देश का समृद्ध में उह साम्बद्ध (Co partners) समझने लगें। एवं

होने पर वे देश की आर्थिक व सामाजिक समृद्धि के लिए तन, मन, धन से कार्य करने लगेंगे। सचेत में अभिकों की कार्यक्रमता बढ़ाने के लिए एक मनोवैज्ञानिक रहन्वत की आवश्यकता है।

यह तो सर्वमान्य है कि हमारे अभिक विभिन्न से उठिन परिस्थिति म भी कार्य कर सकते हैं और अपने को इसी भी वातावरण के अनुकूल भना सकते हैं। इस कथन की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि पिछले तुङ्ग वर्षों में जिन उद्योगों में सुधार कर दिया गया है वहाँ अभिकों की बुशलता अपेक्षाकृत काफी बढ़ गई है। बगड़ की बुख मिलों में जुलाई छ, छ वर्षों (100ms) की चलाने लगे हैं और प्रति व्यक्ति का औषत उत्पादन लकाशायर के श्रमिक का ८६% तक अनुकूल वावावरण न होने पर भी हो गया है।

अत अम जांच समिति ने भी कहा था कि “यह विचार करते हुए कि इस देश में कार्य करने के बड़े अधिक हैं, आगम स्थलों (rest houses) का अभाव है, कार्य सिखाने की विधि व प्रशिक्षण का अभाव है, अन्य देशों की तुलना में भोजन व चलाणकारी सुविधाओं तथा मजदूरी के रहर में प्रयोग कमी है, अत. अभिकों की कही जाने वाली अकुशलता का दोष उनके प्राकृतिक चाहुर्य ग्रथवा योग्यता पर नहीं मदा चा सकता।”^{१०}

* प्रश्न

1 State precisely what has been done in India in the direction of improving the conditions of life and work of the industrial labour (Punjab, 1954)

2 What are the chief characteristics of industrial labour in India? Discuss the causes responsible for its low efficiency

* Considering that in this country hours of work are longer, there are fewer facilities for apprenticeship and training, rare standards of nutrition and welfare amenities far poorer and the level of wages much lower than in other countries, the so called inefficiency cannot be attributed to any lack of native intelligence or apathy on the part of the workers" Labour Investigation Committee

अध्याय २०

श्रमिक कल्याण

(Labour Welfare)

श्रमिक कल्याण आधुनिक श्रीयोगिक प्रजातन्त्र (industrial democracy) की आधार रखता है, और इसकी सहायता के लिए एक मुन्द्र सामाजिक व्यवस्था का निर्माण भी चाहिए है। इसके द्वारा श्रमिकों ने जागन आनन्दमय और श्रीयोगिक मुन्द्र हो जाने हैं।

श्रमिक कल्याण का अर्थ विभिन्न व्यक्तिगत द्वारा विभिन्न ग्रथों में लगाया जाता है वहाँपि इसका अर्थ विभिन्न देशों में एक ही समान है। सायल कमीशन के शब्दों में “यह एक पेसा शब्द है जो नि ग्रहन ही लचीला है। इसका अर्थ एक देश में दूसरे देश परीक्षण में उत्तरी विभिन्न सामाजिक घटियाँ, श्रीयोगीकरण की स्थिति तथा श्रमिकों की शिक्षा सम्बन्धी प्रगति के अनुसार भिन्न भिन्न लगाया जाता है।”¹

इस प्रमाण श्रमिक कल्याण को एक निश्चित परिमाण के अन्दर नींवना अठमव नहीं दो बल्कि अग्रस्य बहु जा सकता है क्योंकि इसका अर्थ नहुत ही लचीला है। किंतु भी श्रमिक कल्याण का अर्थ यूनाइटेड स्टेट्स व्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के शब्दों में “कम्पनीज इग्राम तथा नीदिक पर शारीरिक प्रगति के लिए मजबूरी के अतिरिक्त पेसा कोई नी जावेकिया जाए, जो कि न दो उत्तरांग के लिए आवश्यक है और ज्ञानीय ही है।”²

वाल्फर समिति न अनुसार “प्रति निमृत रूप में इसके (श्रमिक कल्याण क) अन्वर्गत श्रमिकों के स्वास्थ, सुख्ता, आराम एवं सामान्य कल्याण को प्राप्ति

¹ It is a term which must necessarily be elastic bearing ^a somewhat different interpretation in one country from another according to the different social customs, the degree of industrialization and the educational development of the workers. Royal Commission

² “Anything for the comfort and improvement, intellectual and social, of the employees, over and above wages paid, which is not a necessity of the industry not required”

करने वाली सभी चारों वा समावेश होता है और शिक्षा, ननोरंजन, बचत योजनाओं वथा स्वास्थ्यपद एहों इत्यादि वा प्राविधान होता है।¹

— अम जांच समिति (१९४५) ने अपनी प्रमुख स्पोर्ट मध्ये अमिक कल्याण को इस प्रकार परिभासित किया है “अमिकों के नौदिक, शारीरिक, नेतृत्व तथा आर्थिक कल्याण के लिए किया गया कोई भी कार्य, जो वैभानिक कानून तथा मालिनी एवं अमिकों के मध्य दुए अनुपनित लाभों के अतिरिक्त हो, वह वह मालिनी, सरकार अथवा अन्य संस्थाओं के द्वारा किया गया हो, अमिक कल्याण कहलाता है।”²

उपरोक्त परिभासाओं से स्पष्ट है कि अपनी पैक्टरिनों के अन्दर वहा बाहर अम तथा रोजगार की सर्वात्मदशाओं की अवस्था करने के लिए मालिनी (employers), के स्वत मिये गये प्रयत्न अमिक कल्याण को निर्देशित करते हैं। इनम उन सभ प्रयासों का उमावेश होता है जिनका उद्देश्य अमिक के स्वास्थ्य एवं भल मुधार, उसकी मुरद्दा, उसकी भानसिक तथा नेतृत्व उन्नति, उसका साधारण कल्याण और उसकी औद्योगिक ज़मदान म वृद्धि होती है। इन कार्यों का उगटन मालिक द्वारा, अथवा सरकार द्वारा, अथवा स्वयं अमिकों द्वारा प्रारम्भ व सुनिति किया जा सकता है।

अमिक कल्याण के दो पक्ष या पहलू होते हैं—

(१) मानवीय (Humanitarian), तथा

(२) आर्थिक (Economic)।

मानवीय पक्ष—यदि अमिक कल्याणसारी कार्य मालिनी (employers) के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा किया जाता है तो इसम घेय मानवता तथा दयालुता से प्रेरित लोक सेवा होता है। ऐसे कार्य भारतवर म ‘शास्त्र सेवक समिति’ (Servants of India Society), ‘नमस्त्रक निखानी सदृश’ (Y M C A), ‘बनवाई सामाजिक सेवा सदृश’ (The Bon Lay Social Service League), ‘सेवा सदन’ इत्यादि सामाजिक संस्थाएं करती हैं।

आर्थिक पक्ष—यदि अमिक कल्याणसारी कार्य मालिनी ग्रा संघायोजना (Employers) द्वारा किया जाता है तो उसका घेय अधिकाशत आर्थिक तथा

1 “In its widest sense it comprises all matters affecting the health, safety comfort and general welfare of the workmen and includes provision for education, recreation, thrift schemes convalescent home.”

Balfour Committee

2 “Anything done for the intellectual physical moral and economic betterment of the workers, whether by employer, by Government or by other agencies over and above what is laid down by law or what is normally expected as part of the contractual benefits for which the workers may have bargained”

उपरोक्ता प्राचि होता है। यह 'दूसरा वार्ष' होता है जो अमिक की शाहीक यात्रा वथा दूसरा वो प्रताह रूप से प्रभावित करता है। अज्ञानी तथा अग्निशिव अमिकों वे इससे उत्तरदायित्व तथा प्राप्तिया की भावना उत्पन्न होती है और वे अचल नामांकन तो हैं।

अमिक कल्याण के अन्ग

जैसा कि उत्तर यहा जा सुझा है अमिक कल्याण कामों का दो बगौ में विभाजित रिता जा सकता है—

- (१) आन्तरिक या नाराना क अदर वार्ष (Intra mural)
- (२) बाह्य या नाराना क बाहर वार्ष (Extra mural)

आन्तरिक वार्ष (Intra mural)

इसक अन्तर्गत निम्न वार्ष आत है—

- (क) वैशालीक मर्सी पद्धति (Scientific method of recruitment)
- (ख) नवदूषा, प्रशाय एवं बातु (Sanitation light and ventilation)
- (ग) ग्रीष्मोगिक प्रशिक्षण (Industrial training)
- (घ) दुर्घटनाको की रोकथाम (Prevention of accident)

बाह्य वार्ष (Extra mural)

इसक अन्तर्गत निम्न आवाजन विद्ये जान हैं—

- (क) अमिको क लिए रामान्य शिक्षण,
- (ख) अमिको के लिए आधार व्यवस्था
- (ग) अमिको क लिए चिकित्सा,
- (घ) अमिको क लिए मोबान मन्दाधी व्यवस्था
- (ङ) अमिको क लिए भानसिक मनोबान की व्यवस्था तथा
- (च) अमिको क लिए पायिडेट कल्प की व्यवस्था।

अम कल्याण का उदय

ग्रीष्मोगिक क्रान्ति, नितरा जम संरक्षण अवान्दा खवान्दा म इमलैड म हुआ, ने समाज का दा बगौ—सेवा योजक और सेवायुक्त (Employer and Employed) म रिपक वर दिया। इन दाना के बीच वी पाइ दिन प्रति दन बढ़ती ही चली गई। सेवायोजक अपने स्वार्थ का सरोपर महत्व देते थे, परिवानलैड 'सेवायुक्त' अर्थात् अमिको य असुनाग की भावना पैल गई। अमिक अपनी दशा का अनि उदाधन थ ग्रीर उगाचानरा की नात अदूरदृष्टिवार्ष थी।

प्रथम महायुद्ध द्वारा उत्तरित प्रान्तिरामी परिविवरिया ने अमिको की उमसा की

और भी जटिल रहा दिया। प्रत्येक निवेशील व्यक्ति यह सोचने लगा कि अभिकों की दुर्दशा वो मुशारना समाज का कर्तव्य है। यही नहीं मुझ साहसी सामाजिक व्यक्तियों ने तो अभिकों की दशा मुशारने का नीति उठाया। और धीरे उमस्त जनता वी सहानुभूति अभिक वर्ग के साथ हो गई। फलस्वरूप 'सवासोजयो' को भी विषय होनेर अभिकों के लिए ऊँचे कल्याणकारी वार्ष रखे गए।

इस प्रसार 'अम कल्याण वार्ष' की भावना वी जागृति प्रथम महायुद्ध के पश्चात स होती है।

परन्तु यहां पर यह इंगित नह देना कि 'अभिक कल्याण' की भावना भारतप्र के लिए कोइ नवीन वस्तु नहीं है, अनुपयुक्त न होगा। प्राचीन भारत म राज्य (state) कल्याणकारी राज्य (welfare state) हाते थे और निर्धन, असहाय एव असहाय लाभी की सहायतार्थ आवश्यक कार्यों को करत थे। शुभेद म लिया हुआ है कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान बरना राज्य (state) का कर्तव्य होता था। निर्धन, असहाय, बृद्ध और निशपत्र से सेवियों एव अभिकों, जिनकी मृत्यु अपने वार्षस्थल पर काय मर्ति हुए हो गए हां, उ परियार्थी भी देखरेख रा उत्तरदायित्व राज्य पर होता था। महाभारत उ 'शात्रिपर्व' मे भी निर्धन, असहाय, बृद्ध एव पिघना लिया वी मुख्या एव चीज़न निवाह के सम्बन्ध म इंगित किया गया है।

अम कल्याणकारी कार्यों को महस्ता

ऐस सभव म जब अभिक स्वयं वारीगर, निरीक्षक (foreman), पूँजीपति, व्यापारी तथा दूकानदार सभी दुःख था, कल्याणकारी कार्यों की कोई महत्वा न थी। परन्तु आज जब कि अभिक रुपल भजदूरी बमाने वाले (page earner) के रूप मे रह गया है और उसना ऐवायानक उत्तरादन क औजारा, कच्चे माल तथा निर्मित वस्तुओं का स्वामी बन गया है, 'अम कल्याण' का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण एव आवश्यक हो गया है।

अम कल्याण की महत्वा उसके निम्न लाभों से और भी ज़द जाती है—

(१) अम और पूँजी के सम्बन्धों को सुन्दर बनाना

अम और पूँजी औद्योगिक मशीनरी के दो पहियों के समान हैं। उद्योग की सफलता के लिए दोनों म सामाजिक एव सरलता ('smoothness') होना आवश्यक है। अम कल्याणकारी वार्ष अभिकों को सदेव सकुष्ट रखेंगे और उनके अन्दर सह कारिता एव उत्तरदायित्व की भावना को जागृत करेंगे, जिसके फलस्वरूप औद्योगिक मशीनरी निर्बाध रूप से सरलतापूर्वक चलती रहेंगी।

(२) उचित सामाजिक व्यवस्था

ग्राजकल प्रत्येक प्रगतिशील राष्ट्र समाजवाद की ओर अप्रसर हो रहा है। भारतवर्ष ने भी समाजवादी दङ्ग की रचना करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। यह सब उसी समय सम्भव है जब कि राष्ट्र की आय का लगभग समान वितरण हो और जनसंख्या में सतोष और सतुष्ठि की भावना का सचार हो। अत उद्योगपतियों को अपना स्वार्य पूर्ण समुचित हान्दिकोण त्वागकर सार्वजनिक कल्याण का पिस्तृत हान्दिकोण अपनाना होगा। दूसरे शब्दों में उद्योगपतियों वो धर्म कल्याणकारी वायों को करना होगा जिससे देश वा सामाजिक और आर्थिक कल्याण हो सके।

(३) स्थायी सतुष्ठि तथा कुशल श्रमशक्ति

श्रीयोगक नगरी म स्थायी सतुष्ठि तथा कुशल नम यकि उन्नाए रखने के लिए श्रमिकों की दिनिक जीवन सम्बन्धी तथा कारबानी के भीतर वार्य करने की दशाओं में सुधार करना होगा। जिन इनम सुधार किये, जैसा कि अन्यत्र वहा जा सकता है, श्रमिकों की कार्यक्षमता नहीं नढ़ सकती। भारताय श्रीयोगिक श्रमिकों की क्षमता वै और भी कम है। अत धर्म कल्याणकारी वायों की व्यवस्था आति आवश्यक है।

(४) उत्पादकता म वृद्धि

देश की समझता एवं समृद्धि उसक उद्योग की उत्पादकता (productivity) पर निर्भर होती है। उद्योगों की उत्पादकता श्रमिकों व उद्योग एवं कार्य क्षमता पर आधित होती है। श्रमिक उसी समय पूर्ण सहयोग एवं सदूभावना से कार्य करेंगे जब व समझ लेंगे कि उद्योगमति और सरकार दोनों ही उसक दिनिक एवं भावी जीवन को उन्नत बनाने म क्रियाशील हैं।

(५) श्रमिकों की बौद्धिक एवं नीतिक अभिवृद्धि

यह श्रीयोगास्तरण उ होने वाली सामाजिक धुरद्यों का कम करन श्रमिकों की बौद्धिक एवं नीतिक स्वास्थ्य म अभिवृद्धि करता है।

(६) अमरकल्याण आद्योगिक प्रशासन के रूप म

प्रगतिशील देशों में धर्म कल्याण श्रीयोगिक प्रशासन न एक प्रसुत अग के रूप म स्वीकार कर लिया गया है। अब वह उद्योगपतियों की अनुस्था, सहदेवता एवं दयालुता वा प्रमाण नहीं रहा है, नहिं उनका उत्तरदायित्व भर गया है। इससे श्रमिकों क अन्दर एवं नवीन स्वाभिमान की भावना जागत होती है।

उत्तोक विवचन से स्पष्ट है कि भारतवर्ष म श्रमिकों क हेतु कल्याणकारी कार्य की अति आवश्यकता है। इन लाभों से प्रभागित होनेर 'टेक्स्टाइल लेपर इन्डस्ट्री' कमटी' ने कहा था कि "कार्यक्षमता का उत्ता सार उन्नत उसी समय हो सकता है जब कि श्रमिक शारीरिक हानि से स्वस्थ तथा मानसिक हानि से सन्तुष्ट हो। इसना वात्यर्थ

यह है कि ऐवल वही धर्मिक कुशल हो सकते हैं जिनके लिए शिक्षा, आवास, मोबाइल तथा बस्त्रादि का उचित प्रबन्ध हो।”

इस हार्टिंग से हमारे देश में उत्तराखण्ड एवं निजी साहस्र के द्वारा हुई स्थापनाएँ लोकों गढ़े हैं। उदाहरणार्थ—

उम्मई विश्वविद्यालय ने धर्म समस्या एवं कल्याण कार्यों के अध्ययन तथा शिक्षा के लिए विशेष प्रबन्ध किया है। श्री टाटा ने ‘इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज’ (Institute of Social Sciences) की स्थापना की है। अभी हाल में उत्तरप्रदेश में लखनऊ तथा आगरा में क्रमशः ‘जे० क० इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज’* तथा ‘इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज’ की स्थापना की गई है।

भारतवर्ष में आये जित धर्म कल्याण कार्य

भारतवर्ष में अभी तक जितना भी धर्म कल्याण कार्य किया गया है, वह तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है—

- १ (१) पैथानिक—कन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा,
- (२) स्वेच्छापूर्ण—उदाहरणतः या नियोत गणराज्य द्वारा, तथा
- (३) पारस्परिक—धर्मिक संघों द्वारा।

कन्द्रीय सरकार द्वारा कल्याण कार्य

प्रथम महायुद्ध तक, धर्मिकों की अशानता एवं निरक्षरता, स्थार्थी उद्दोगपतियों की अनिच्छा, तथा सरकार एवं जनता की उदासीनता के कारण वोई भी धर्म कल्याण कारी कार्य नहीं किया गया।

द्वितीय महायुद्ध में ग्रीष्मोगिक धर्मिकों की असन्तुष्टि एवं कलह के कारण धर्म कल्याणकारी कार्य और आधारकर्ता का अनुभव हुआ। अतः द्वितीय महायुद्ध से बेन्द्रीय सरकार इस ग्रोर भ्यान देने लगी। परन्तु स्वतन्त्रता के पूर्वी वक विदेशी सरकार ने वोई दोस वदम नहीं उठाया, ऐवल हितकारी परामर्शदाता परिषद्वा इत्यादि की नियुक्ति करती रही।

— सन् १९४२ में सरकार ने एक ‘धर्म हितकारी सलाहकार’ और उसकी सहायता के लिए ग्रन्थ धर्म हितकारी नियुक्त किये। सन् १९४४ में बोकला जानों के धर्मिकों के लिए एक हितकारी कोष पोला गया, जिसके द्वारा धर्मिकों का आमोद प्रमोद, चिकित्सा और शिक्षा का प्रबन्ध किया गया। सन् १९४६ में अधरू सान धर्मिक हितकारी कोष एकट पार किया गया। १९४७ में कोयला खान धर्मिक हितकारी कोष एकट पार किया गया।

इन एक्ट्स के अन्तर्गत चिकित्सा, शिक्षा वथा आवास सम्बन्धी सुविधाएँ अध्रक एवं कोन्ना सार्वत्रीय के प्रमिका को प्रदान दी जाती हैं।

खतन्त्रित प्राप्ति के पश्चात्

खतन्त्रित के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार ने तीन एक्ट्स पार किए—

- (१) केन्द्रीज एक्ट १६५८,
- (२) प्लाटशन लेनर एक्ट, १६५९, वथा
- (३) माइन एक्ट, १६५२

इन अधिनियमों (एक्ट्स) के अन्तर्गत प्रमिका के लिए केन्द्रीन, केन्द्रीज (creches), आराम स्थलों, नहाने खोने की सुविधाओं, चिकित्सा तथा प्रमहित बारिंग वा नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। सन् १६५४ में स्थायी अम समिति ने अम हितराह बोप की स्थापना पर नल दिया। सरकार ऐसे बोपों की स्थापना के लिए निर्दल व्यवस्थील है।

एक 'नेशनल स्यूजियम आफ इण्डस्ट्रियल हेल्प, सेन्ट्री एवं वेलफेयर'

इसके 'सेन्ट्रल लेनर इन्स्टीट्यूट' के भाग के रूप में स्थापित किया गया है। यह वार्डगाहर दशाओं (working conditions) के प्रमाण (standards) निर्धारित करता है। इन्स्ट्रियूट अन्तर्गत इण्डस्ट्रियल हाईजीन लगारेटरी, एक ट्रेनिंग सेंटर तथा एक लाइब्रेरी तथा इन्फारमेशन सेंटर सात ग्राम हैं।

विभिन्न अम कल्याणकारी अधिनियमों (Acts) के अन्तर्गत प्रगति कोयला सान अम कल्याण बोप (Coal Mines Labour Welfare Fund)

इस बोप के अन्तर्गत प्रमिकों के लिए वहतर चिकित्सा, शिक्षा और मनोरक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था भी गई है। इहका अनिवार्य महिला कल्याण और बाल केन्द्रों तथा प्रीढ़ शिक्षा केन्द्रों आदि की भी व्यवस्था है।

इसके अधीन हो कन्द्रीन अस्तवालों, ६ प्रादेशिक अस्तवाल तथा मातृ शिशु कल्याण केन्द्रों, २० दयालानों तथा २ टी० री० जिनिन की व्यवस्था है। मलेरिया विरोधी धार्यावाही तथा ग्री० सी० बी० टापा आदालन भी जारी है। इसी ओर से प्रीढ़ शिक्षा केन्द्रों तथा मारी कल्याण केन्द्रों की भी व्यवस्था की जाती है।

एक सहायता झूल योनना के अधीन १,७५६ मरान ज्ञाते गए तथा ३६५ मरानों वा निमाण हो रहा है। रोकला-सान मजदूरों का १०,००० मरान दिये गए तथा २,५६४ मरानों का निमाण आरम्भ किया गया। १६५८ में इस बोप में १,६४,८७,३५० रुपय प्राप्त हुए और इस निपि में से सामान्य कल्याण राशों पर ६०,५६,३५० रुपये तथा आवास पर १,५६,१०,६५० रुपय दिये गए अनुगमन लगाया गया है।

बागान मजदूर आवास योजना—१९५१ के 'बागान मजदूर अधिनियम' के अनुसार प्रत्येक बागान मालिक दे लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह अपने सभी मजदूरों के लिए आवास की व्यवस्था परे। द्वितीय योजना में ११,००० मकानों के निर्माण के लिए २ करोड़ रुपये की व्यवस्था परे। सिवम्बर १९५८ के अन्त तक राज सरदारों ने ३०० मकानों के निर्माण के लिए ५०३ लाख रुपये की स्थूलता प्रदान की थी। 'इंडियन प्लान्टर्स एसोसिएशन' के ६२ सदस्यों ने सन् १९५८ में ७,२२५ मकानों का निर्माण दिया, जिसमें से १०३५ असम में, १३८६ दोआर के चेत्र में तथा ८०४ पश्चिमी बगाल के तराइ के चेत्रों में निर्मित रिए गए।*

सरकार के उपक्रमों (Undertaking) से श्रम-हितनारी की प्रक्रिया

इन श्रम हितवारी कोणों का निर्माण १९४६ में ऐच्छिक आधार पर विया गया था। इन कोणों का डेशेय रेलवेज और मन्दिरगार्ड (dockyards) के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सरकारी उपक्रमों के कल्याण की सुनिधाएँ प्रदान बरना है। ग्रान्तरिक एवं
खेलों, बाजनालयों एवं पुस्तकालयों, रेडियो, शिल्प तथा मनोरजन इत्यादि को
नियन्त्रण भी विया जाता है।

रेलवेज तथा बन्दरगाहों ने श्रम कल्याणकारी कार्य

रेलवेज ग्रामे कर्मचारियों के लिए अस्तनाली व चिकित्सालयों की व्यवस्था बरते हैं। कर्मचारियों की शिक्षा न लिए भी उन्नित प्रक्रम निया गया है। बहुत-सी रेलवेज ने आन्तरिक व बाह्य गेजों के लिए उत्थायार्या व कचनों का निर्माण निया है। इन रेलवेज के द्वारा सस्ते गल्ले की दूरानें भी बढ़ाई जाती हैं।

बन्दरगाहों में भी आधुनिकतम चिकित्सालय हैं। बलकत्ता, विशालापट्टम तथा कलपत्ता के बन्दरगाहों में सहकारी समितियाँ भी हैं।

राज्य सरकार द्वारा श्रम कल्याणकारी कार्य

सन् १९३७ तक राज्य सरकारे श्रम कल्याण ने लिए केन्द्रीय सरकार पर आवित रहा बरती थी। सन् १९३७ में 'प्राविनिश्यल ऑटोनॉमी' प्राप्त हो जाने से प्राची (राज्यों) में काव्रेसी भविमउल स्थापित हुए। काव्रेसी मनिशा ने श्रम कल्याण के लिए योजनाएँ बनाईं। द्वितीय महायुद्ध काल म बुद्ध कल्याणकारी कार्य हुए। स्तरना प्राप्त होने पर इस दिशा में काफी प्रयत्न किए गये हैं।

राज्यानुसार इनका विवरण इस प्रकार है—

बम्बई राज्य

सर्व प्रथम बम्बई की सरकार ने १९३८ म बम्बई राज्य में आदर्श केन्द्रों की

स्थापना की। उसी वर्ष इस कार्य के लिए स्वीकृत भनाराशि १,२०,००० रु० थी जो बालान्तर में बढ़ती चली गई। यन् १९५३ में बम्बई थी सरकार ने इन किसानों को 'बम्बई लेपर हैल्पर बोर्ड' को स्थानानासित कर दिया। इस समय बोर्ड के अन्तर्गत ५३ अम कल्याणकारी केन्द्र हैं।

इन केन्द्रों में लिनेमा प्रदर्शन, इमा, शारीरिक व्यायाम की सुविधाएँ, शिक्षा, तथा प्रशिक्षण, शिशु पालन तथा नर्सरी सूल, नरीली यस्तुओं के विशद आदोलन, खिलाड़ यह व स्त्रियों के लिए कलाओं इत्यादि का प्रमाण है।

राज्य सरकार ने कुछ चुने हुए वर्मचारियों के लिए 'ट्रेड यूनियनिज्म' तथा नागरिकता वे प्रशिक्षण के लिए बम्बई, अहमदाबाद तथा शोलापुर में प्रशिक्षण विद्यालय खोले हैं।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश की सरकार ने सर्वप्रथम १९३७ में लेघर कमिशनर की अधिकता में अम विभाग की स्थापना की और रानपुर में चार अम कल्याणकारी केन्द्रों को औद्योगिक अभियों के लाभार्थ उगठित किया। इस समय तक ४७ स्थायी धर्मिक कल्याण केन्द्र और २ मौसमी धर्मिक कल्याण केन्द्र राज्य के विभिन्न प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों में स्थापित विए जा चुके हैं।

वह सब केन्द्र चार वर्गों—अ, ब, स तथा द में विभक्त किये गये हैं—

'अ' वर्ग के केन्द्रों के अन्तर्गत औप्रेजी हग के चिकित्सालय, बाचनालय तथा पुस्तकालय, छियों के लिए व्यापारिक प्रशिक्षण, घरेलू तथा गाहरी खेल, जिमनेजियम तथा असाइं, यगीत तथा रेडियो, प्रस्ता तथा शिशु कल्याण की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

'ब' वर्ग के केन्द्रों में भी उपरोक्त सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं, परन्तु इनमें होम्योपैथिक दग की चिकित्सा प्रदान की जाती है।

'स' वर्ग के केन्द्रों में पुस्तकालय एव बाचनालय, घरेलू तथा गाहरी खेल तथा रेडियो सेट प्रदान किये जाते हैं।

'द' वर्ग के केन्द्रों के अन्तर्गत केवल बाहरी (out-door) खेलों का प्रबन्ध किया जाता है।

सन् १९५७-५८ में सरकार ने इन कार्यों के लिए १२१६ लाख रुपये की व्यवस्था की थी, जिकि १९३७ इट में इस पास के लिए एकल १०,००० रुपये रखले गये थे। सरकार ने कानपुर में धर्मियों के लिए तपेदिक (T. B.) के एक अस्पताल की व्यवस्था भी की है।

अन्य राज्यों में अम पत्त्याण

शाय राज्य में भी अनेक अम उत्पादन का खनन संस्थान गये हैं। निम्न राज्यों में (पुनर्जनन के पृष्ठ) केन्द्रीय यो संघों इस प्रकार थीं—

आसम	१२
पिहार	३
मध्य प्रदेश	५
पंजाब	७
पश्चिमी बंगाल	२६
हैदराबाद	१
मध्य भारत	३
मैसूर	२
राजस्थान	१२
सौराष्ट्र	२१
द्राविड़नगर कोल्कता	३
दिल्ली	१
निपुरा	२

सेवा योनका (Employer) द्वारा कार्य

अभावपूर्ण सेवायात्रा व्यथा मिल मालियों ने शमिल उत्पादन कार्य की महत्ता का जहुर देर म समझा है। वे यहुत समय तक अभिक पत्त्याणकारी कार्य पर अनाधिक विनियोग उम्मेदन रहे। परन्तु पिछले २० वर्षों से वे समझते लगे हैं कि धार्मरा को प्रत्यन रखने पर हा उद्योग म उत्पादन मदाया जा सकता है। अतएव उन्होंने गत बुद्ध वर्षों से अम उत्पादन के लिए भनोरजन, रिक्षा 'कैचेज', भाजनलाई, चिकित्सा तथा गलते की सस्ती दुकानों का प्रयोग किया है।

उद्योगपतियों में ये बुद्ध प्रयोगशील उद्योगशतियाँ जैसे इण्डियन जूट मिल्स एसोसियेटी, इण्डियन टी एसोसियेशन, टाटा सस्थान, सिंधानियाँ सस्थान इत्यादि ने इस द्वार में बुद्ध महत्वपूर्ण कार्य नियंत्रित किया है।

उन्नीसवाँ अनुसार इनकी कियाओं का अंतरा इतन प्रशार है—

सूती यष्टि उद्योग

इस उद्योग के शमियों के उत्पादन के लिए 'इम्प्रेस ग्रूप ऑफ मिल्स, नागपुर', 'देहला कलाथ एण्ड ननरल मिल्स, देहला', 'गिरला वाटन मिल्स, देहली', 'जियानी राय वाटन मिल्स, ग्यालियर', 'रम्पिम एण्ड कर्नाटक मिल्स, मद्रास', 'प्रगल्लीर ऊन, वाटन एण्ड थिल्क मिल्स', तथा मद्रास मिल्स कर्नाटक, इत्यादि ने प्रशासनीय कार्य किये

हैं। इन निलों के द्वारा प्रतिरक्षण, शिशु गहरा, घरेलू तथा बाहरी सेलों, सरमारी समितियाँ, शिशुग नेन्डो, प्राविंट पर्सन की योजनाओं तथा सख्त आरामदाहरा की मुद्रूवस्था की गई है।

लगभग गभी भिला ने मुख्योन्य दाखरा सहित औपचालय का प्रबन्ध किया है।

जूट मिल उद्योग

इस उद्योग के द्वेष में 'जूट मिलस एसासियेशन' ने, जो दि सेवायोजका (employers) का एक समाजन है, अपने सदस्य उद्योग के अधिकारी ने लिए प्रत्यक्ष रूप से सुविधाएँ प्रदान की हैं। इस एसोसियेशन ने पाच अम वल्याणनारी कन्द्रा का समाजन किया है। इन कन्द्रों के द्वारा घरेलू तथा बाहरी सेलों, मनोरजन सम्बन्धी सुविधाओं तथा प्राइमरी सूलों ना प्रबन्ध किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ कन्द्रों में भी श्रम वल्याणनारी सुरक्षा तथा छोटी कलर्जी का समाजन भी किया जाता है।

व्यक्तिगत भिला ने भी इस सम्बन्ध में कुछ बार्प नियम किया है। लगभग तर्मी भिला मध्यमिकों की नियिता ने लिए औपचालय है। तुछ मिला ने प्रतिरक्षण, शिशुगहरा तथा जलपान गहरा की व्यवस्था भी गई है।

इक्षुनियरिंग उद्योग

इस द्वेष के उन उद्योगों में जहा एक हनार के अधिकर कर्मचारी कार्ड करते हैं, औपचालय का प्रबन्ध किया गया है। इन उद्योगों में अधिकारी तथा उनके कन्द्रों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है। लगभग सभी उद्योगों में जलपान गहरा भी है।

'टाटा लौह एवं स्तान समनी, जमशेदपुर', नए एक महुत नडा नियिता लिया है। इसमें ४१६ श्रमिकाओं (bcde) तथा ५१ अकर्डरों का प्रबन्ध है। इसके अतिरिक्त जम शेदपुर भृ २ हाई सूल, ११ मिडिल सूल, १६ प्राइमरी सूल तथा तुछ यात्रि पाठ शालाओं का भी प्रबन्ध है। यहाँ पर सेल के बड़े बड़े मदान तथा अय मनोरजन रखल भी हैं।

शब्दर उद्योग

लगभग गभी शब्दर भिला मध्यमिक उद्योगों की व्यवस्था का प्रबन्ध करता है। अधिक्षम भिला ने अधिकारी के मनोरजन के लिए कलर्जी के घरेलू नामा बाहरी सेलों का प्रबन्ध किया है परन्तु जलपान गहरा एवं यहरारी समितियों का प्रबन्ध केवल कुछ मिला के द्वारा ही किया गया है।

बागान उद्योग (Plantations)

असम तथा पश्चिमी नगाल के नाम पागानों मध्यमिक उद्योगों का प्रबन्ध है। बहुत से जड़े नागानों द्वारा अधिकारी के कन्द्रों की शिक्षा के लिए प्रारम्भिक सूल दोले गये हैं। इस उद्योग के अधिकारी के लिए 'सेन्ट्रल टी बोर्ड' सहायता देता है। काफी तथा इबड़े के बोर्डों ने भी अपने उद्योगों ने अधिकारी के लिए अनुदान देना स्वीकार कर लिया है।

इसके अतिरिक्त कोलार गोल्ड फील्ड की सोना निवालने वाली पम्पनियों ने तथा एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनियों ने भी श्रमिकों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण वार्षिक बिये हैं।

श्रमिक सधों द्वारा कल्याणकारी कार्य

भारतवर्ष में श्रमिक सधों द्वारा अम कल्याणकारी कार्य नहुत कुछ सीमित मात्रा में दिये गये हैं। इसके दो कारण हैं—एक तो श्रमिक सघ आनंदोलन अम्ब अपनी शैशव अवस्था में है और दूसरे इन सधों के पास आर्थिक साधन भी कहुत सीमित हैं।

परन्तु यिर भी कुछ श्रमिक सधों जैसे 'टिक्सटाइल लेनर एसोसिएटेशन, अहमदाबाद', 'मजदूर सभा, बानपुर' 'रेलवे मेन्स यूनियन' तथा कुछ अन्य सधों ने श्रमिकों के कल्याण के लिए नहुत कुछ प्रयत्न दिये हैं—ग्रहमदाबाद का 'टिक्सटाइल लेनर एसोसिएटेशन' अपनी कुल आय का ६०% से ७०% तक अम हितकारी वारों पर कम करता है। बानपुर की मजदूर सभा ने श्रमिकों की चिकित्सा के लिए औपचालक तथा वाचनालय एवं पुस्तकालय लोले हैं।

खलवे कमचारियों के सदों म से कुछ सधों ने सहनारी समितियाँ खोली हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कमचारियों की वैधानिक सुरक्षा, मृत्यु तथा अवकाश लाभ, वेरोनगारी तथा नीमारी लाभ तथा जावन फ्रीमा इत्यादि का सुप्रबन्ध दिया है।

उपरोक्त निवचन से स्पष्ट है कि समस्या की गम्भीरता एवं गुरुता को देखने हुए, श्रमिकों के कल्याणाप विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो कुछ भी किया गया है, अत्यधिक है। वास्तविक दृष्टिकोण से देखा जाय तो शात हीमा नि मिल मालिका ने इस क्षेत्र में बहुत धीमित वार्षिक दिया है। आशा की जाती है कि वे भवित्र में व्यापक दृष्टि कोण अर्थना धर, अधिक स अधिक प्रबन्ध करन श्रमिकों को अत्यधिक मुख्य मुद्रिधार्द प्रदान करेंगे।

प्रश्न

1. Write a note on the working conditions in factories in India. What has the government done to improve these in recent years?
(Rajputana, 1952-1956)

2. Write a short note on the importance of labour welfare activities for industrial workers in India. What has been done by different agencies in this connection in recent years?

3. State briefly the steps which have been taken in India since independence to improve the conditions of life and work of industrial labour.
(Agra, 1960)

अध्याय २१

सामाजिक सुरक्षा

(Social Security)

सामाजिक सुरक्षा कुछ वर्षों तक बैवल नाम (slogans) मात्र ही था, परन्तु आब सार के अधिकाश देशों में यह एक महत्वपूर्ण स्वचालनक वार्यकम हो गया है। पूँजीवादी और समाजवादी दोनों ही प्रणाल के गवर्न लोक हितकारी राज्य (welfare state) बनना चाहते हैं और लोक हितकारी वार्यों में सामाजिक सुरक्षा को प्रथम स्थान प्राप्त होता है। प्रारम्भ में सामाजिक सुरक्षा का आयोजन मूलत, आयोगिक भूमिकाओं के लिए किया जाता था, परन्तु आज प्रत्येक राष्ट्र अपने वो लोक हितकारी राज्य (welfare state) बनाने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा में बैवल अधिकों चों ही नहीं, बरन् समाज के सभी वर्गों को सम्मिलित फता है, जिससे समूर्ध समाज को लाभ हो सके।

मनुष्य का जीवन अनेक आवश्यक घटनाओं, लकड़े एवं जोतिमों से परिपूर्ण है जिससे जीवन अल्पन्त नीरस, कठप्रद एवं दुखर हो जाता है। सामाजिक सुरक्षा का व्यवहार ऐसे जोतिमों, लकड़ों एवं घटनाओं के विशद सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें अमिकों वी चृतिशूर्ति, बीमारी तथा स्वास्थ्य बीमा, बेकारी बीमा तथा वृद्धावस्था पेन्शन या समावेश होता है। बीमारी, बेकारी, वृद्धावस्था, विभवापन, परिवार के उत्तरांक सदस्य वी मृत्यु इत्यादि ऐसी घटनाएँ हैं जब मनुष्य वी आय वो लगभग मन्द हो जाती है परन्तु व्यवहार समान रहते हैं या बढ़ जाते हैं। ऐसी आवश्यक मृत्यु वी विविध मनुष्य पर पदापि नहीं है बल्कि समाज के लम्ब है। अतः समाज को ही किसी न विरोधी प्रकार से इन घटनाओं से बीचित मनुष्य वी रक्षा बरनी चाहिए। एक प्रगतिशील समाज भी यही है जो अपने सदस्यों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है।

सामाजिक सुरक्षा का अर्थ

सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत तीन योजनाएँ आती हैं-

- (१) सामाजिक सहायता (Social Assistance)
- (२) सामाजिक बीमा (Social Insurance)
- (३) उद्यायक कार्य (Ancillary Measures)

(१) सामाजिक सहायता वह है जिसमें लाभ पाने वाले व्यक्तियों को कुछ मौजूदा नहीं देना पड़ता। सारा सर्व सरकार स्वयं अपने पास रखती है, यदि सरकार पर ऐसा करने के लिए कोई उत्तरदायित्व (Obligation) नहीं होता है। इसके अन्तर्गत निम्न कार्यों का समावेश होता है—

- (१) बेरारी मुद्दा (Unemployment Relief)
- (२) डाक्टरी रहायता (Medical Assistance)
- (३) व्ययोग्य एवं बृद्ध व्यक्तियों की सहायता (Maintenance of Invalids and Aged)
- (४) सामान्य रहायता (General Assistance)

(२) सामाजिक वीमा वह है जिसमें लाभ पाने वाले व्यक्तियों को कुछ नुक्ख चढ़े करके उपर्युक्त में देना पड़ता है। हाँ यह अमरण्य है कि अधिकारी होने वाला व्यय सरकार और मालिक (employers) होना करते हैं। दूसरे शब्दों में 'सामाजिक वीमा' वे अन्तर्गत एक 'वीमा फंड' (Insurance Fund) होता है जिसमें निम्नाँव 'त्रिपलीय चन्दे' (Tripartite Contributions) से होता है। 'त्रिपलीय चन्दे' यर्मचारिया, मालिकाव सरकार क द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार सामाजिक वीमा वर्षचारी, मालिक और सरकार तीनों का सामूहिक प्रयत्न है।

- सामाजिक वीमा के अन्तर्गत निम्न कार्यों का समावेश होता है—
- (१) स्वास्थ्य वीमा (Health Insurance)
 - (२) श्रीयोगिक अठमर्थता के विरुद्ध वीमा (Insurance against Industrial Disability)

- (३) बेरारी वीमा (Unemployment Insurance)
- (४) प्रायूषि वीमा (Maternity Insurance)
- (५) कृदास्थ्य पेन्शन, प्राविहेन व वड तथा वीमा (Old Age Pensions, Provident Funds and Endowment Insurance)
- (६) विधा एवं अनाथों वी पेन्शन तथा उत्तर जीविया का वीमा (Widows' and Orphans' Pensions and Survivors' Insurance)

(३) सामाजिक क्रियाएँ (Social Measures)—'सामाजिक वीमा' और 'सामाजिक सहायता' की परियोजनाएँ उस समय तक सफल नहीं हो रहीं जब तक कि 'सहायक क्रियाओं' की सहायता न ली जाय। इन क्रियाओं का उद्देश्य गिरिन जोखिम एवं घटनाओं (Incidence) को कम से कम करना है। इन क्रियाओं में निम्नलिखित समन्वित हैं—

- (१) प्रशिक्षण एवं पुनर्स्थापन (Training and Rehabilitation)

(२) सार्वजनिक निर्माण कार्य एवं रोजगारी दफ्तर (Public Works and Employment Exchanges)

(३) पोषणार्थ आवास मुद्रार (Nutrition and Housing Reform)

→ (४) लोमारियों तथा महामारियों की रोकथाम (Prevention of Diseases and Epidemics)

(५) दुर्घटनाओं की रोकथाम (Prevention of Accidents)

(६) रोजगार तथा मजदूरी निर्धारण सम्बन्धी विधान (Legislation regarding Employment and Wage Fixation)

सामाजिक सुरक्षा की परिभाषाएँ

श्री जी० डी० एच० फौल ने अनुसार “सामाजिक सुरक्षा का विचार विस्तृत रूप में यह है कि राज्य (State) अपने सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम भौतिक कल्याण प्रदान करने का भार लेता है जिससे उनके जीवन वी सभी मुख्य आकस्मिक पर्यावारों सुरक्षित हो जायें।”¹

अन्तर्राष्ट्रीय शम सगठन ने सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा इस प्रकार दी है—“यह वह सुरक्षा है जो समाज किसी उत्तरुक सगठन द्वारा अपने सदस्यों की रक्षा उन जोखियों के विरुद्ध करता है जिससे वे प्रभावित हो सकते हैं। ये जोखियां आवश्यक रूप से वे हैं जिनके विरुद्ध अलग आय वाले लोग अपनी बुद्धिमत्ता या दूरदर्शिता से व्यवस्था नहीं कर पाने हैं।”²

सर विलियम बेवरिज ने अपनी सामाजिक सुरक्षा की रिपोर्ट में सामाजिक सुरक्षा के विस्तृत विस्तार पर प्रकाश ढालते हुए पहा है कि “पुनर्निर्माण के पात्र देशों में से अभाव (wart) एक देतर है और जो कुछ अर्थों में आसानी से दूर किया जा सकता है।”³

सामाजिक सुरक्षा की विशेषताएँ (Characteristics of Social Security)

सामाजिक सुरक्षा योजना की तीन प्रमुख विशेषताएँ होती हैं—

(१) इसके अन्तर्गत कुछ लाभ (benefits) जैसे विकित्सा लाभ, बीमारी लाभ इत्यादि तथा चलात बेरोजगारी (involuntary unemployment) के हो जाने पर आय की गारन्टी बनता।

¹ The idea of social security, put broadly, is that the state shall make itself responsible for ensuring a minimum standard of material welfare to all its citizens on a basis wide enough to cover all the contingencies of life.—G D H Cole

² ‘Want is only one of the five giants on the road of reconstruction and in some ways the easiest to attack’—Sir William Beveridge

(२) इसके अन्तर्गत वैधानिक सुरक्षा होनी चाहिए अर्थात् ऐसी पोजना को कार्यान्वित करने वाले उगठन वो मुद्र वैधानिक अधिकार तथा उत्तरदायित होने चाहिए।

(३) पोजना को चलाने के लिए समुचित प्रणाली मर्यादिती (administrative machinery) होनी चाहिए।

सामाजिक सुरक्षा का लेन (Scope of Social Security)

सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसके प्रत्यक्ष गर्भ से मरण तक वी पटनाओं के निष्ठ सुरक्षा प्रदान की जाती है। गर्भ म वच्चे को प्रसूत सम्बन्धी मुनिधार्ण और गर्भ के नाहर आने पर उसने पालन पोषण एवं भोजन की सुविधा होनी चाहिए, इसके नात शिक्षण की सुविधा, प्रिय वास आदि भी। इसमें उपर समय की सुरक्षा भी उम्मिलित होती है जबकि मनूष्य काम पर न लगा हो अथवा वह वेरोजगार गति प्रियांत्रित होने। इसके अतिरिक्त उचित काम करने वो प्रमाणित देशाओं की सुरक्षा, मैं आप की सुरक्षा, आपोद प्रोटोल की सुरक्षा, आपोजति की सुरक्षा, चिकित्सा सुरक्षा, पटना, ग्रसमर्घता एवं मृत्यु हो जाने परियार की सुरक्षा आदि भी इरुक्त ग्रन्तीनुसारित हैं।

भारतरप्त में सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता

भारतरप्त में सामाजिक सुरक्षा का सम्बन्ध म जितना बहु जाय कम है। भारतरप्त समूर्य देश के नागरिकों तथा विशेष रूप से श्रीयोगिन वर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा की महत्वा एवं डर्योगिता को अस्तीति कर ही नहीं सकता है। और न सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों को भारतरप्त की निर्धनता के आधार पर दुर्राता ही जा सकता है। लाई विलियम वेरेन्ज फ शब्दा म “एक व्हाइटोस ऐ जितने ही आप निर्झन हैं, उन्हाँ ही अविश्वासी उसी (सामाजिक सुरक्षा) आपशम्ला होती, और अप्पे स्वास्थ्य को टारु रखने आप अपनी चार्पक्षता को लड़ान हैं।”

भारतरप्त में रायुक्त परियार पढ़ने जाने व्यवस्था द्वाया सहायता तथा जाती अनुदान के समात ही जाने के सामाजिक सुरक्षा का भुल्ल और भी बहु जाता है। भारतीय अमिनो के दृष्टीय स्वास्थ्य, अशानता, मर्जा एवं मालाओं की ऊँची जम एवं मृत्यु दर, अपर्वात पोषाहार (mal nutrition) तथा जलेन बोनारिया एवं महामारी (epidemics) इत्यादि के बारण सामाजिक सुरक्षा एक अनिचार्प आपर्य का हो गया है।

† सामाजिक सुरक्षा का विकास

सामाजिक बीमा यों को बहुत प्राचीन इतिहास रखता है और वह प्रत्येक देश में किसी रूप में विद्यमान था। प्राचीन काल में राजा महाराजा लोग अपनी

जनता को अवलि, बढ़तथा अन्य देवी प्रबोरो के समय अनुदान, कूट तथा अन्य प्रधार की आर्थिक सहायता दिया जाता है। भारतवर्ष में ऋग्वेद तथा महाभारत में सामाजिक सुरक्षा का प्रमाण मिलता है, किन्तु इस प्रधार की सामाजिक सुरक्षा असमान, अव्यवस्थित, अनिश्चित एवं अप्रभान्जनक थी। दान पाने वाला लज्जा और सबोच का ग्रन्थभर जाता था। अतः सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में यह आश्वस्त्र समझा गया कि समाज के हारा प्रदान की गई सहायता सम्मानगूचक और विश्वसनीय हो। “भगीर दिये कुछ प्राप्त किया जा रहा है” ऐसा आनंदाती भाव सहायता पाने वाले के मन में नहीं आना चाहिए। परन्तु यह सब दान के रूप में किया जाता था जो कर्मचारियों के स्वाभिमान के विवर्द्धण। परन्तु वर्तमान रूप में इससे विभिन्न सर्वप्रथम जर्मनी में १९३१ शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुआ जिसमें अमीरों के लिए बीमारी, दुर्घटना, बुद्धापे तथा दुर्भलता इत्यादि के विवर्द्ध ग्रनिवार्य बीमा की व्यवस्था की गई। समाट् विलियम प्रथम ने १८८३ में चिल्सिया हितलाभ और १८८४ में अमिक चृतिपूर्ति बीमा का शीगरेश किया। जर्मनी के इस कार्य की सफलता देखकर अन्य देशों ने भी इस दिशा की ओर कदम उठाये। सन् १९२४ में कुछ कासीसी अर्थशास्त्रियों ने अत्यन्त जोरदार शब्दों में कहा कि ये योजनाएँ मनुष्य के व्यक्तित्व एवं उसकी दूरदर्शिता के लिए प्रातक हैं। अमेरिका में भी प्रेसीडेंट ट्रूमैन के समग्र सामाजिक सुरक्षा विरोधी प्रचार में ७० लाख पौएड ची रकम बहा दी गई। किन्तु इन विरोधों के चावजूद भी सामाजिक सुरक्षा को अन्तर्राष्ट्रीय गौरव प्राप्त हो चुका है। I. L. O. के प्रयत्न से अनेक ऐसे प्रस्ताव पास रिये जा चुके हैं जिनमें सदस्य देशों को अपने अपने चेतों में सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ कार्यान्वित करने के आदेश दिये गये हैं।

फलस्वरूप इस प्रधार की योजनाएँ बैनमार्क, ड्रेट ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया तथा रूस आदि देशों में इसी शताब्दी में विकसित हुईं। ड्रेट ब्रिटेन में १८८७ में कर्मचारी चृतिपूर्ति अधिनियम, १८०६ में बुद्धाना पेनशन अधिनियम, १८११ में स्वास्थ्य सेमा अधिनियम, १८२० में वेकारी बीमा अधिनियम, १८२५ में विधान-अनाथ सहायता इत्यादि सम्बन्धी अधिनियम गते गये। इसके अतिरिक्त यहाँ पर शिक्षा, अस्ताल, प्रशूति लाभ तथा बच्चों की समृद्धि के लिए भी सहायता दी जाती है। परन्तु सामाजिक सुरक्षा की ओर सबसे महत्वपूर्ण कदम ड्रेट-ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध के अन्त में उठाया गया जब ल्याटिपूर्ण सामाजिक योजना ‘बेवरिज योजना’ (Beveridge Plan) के नाम से चालू की गई जिसमें शिशु पालने से लेकर शब-स्वार तक (from cradle to grave) की आर्थिक सहायता का सम्पूर्ण जनता के लिए प्राप्त है।

सन् १९४५ में ड्रेट ब्रिटेन में लेबर पार्टी (Labour Party) के उत्ता में

आ जाने के बारण अनेक सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अधिनियम पास किये गये जैसे १९४५ में 'फिली एलाउन्य एकट', १९४६ में 'नेशनल इन्डोरेंस (इंडस्ट्रियल दब्लिंग), एकट', तथा 'नेशनल इन्डोरेंस एकट', 'नेशनल हेल्प सर्विस एकट', तथा १९४८ में 'नेशनल असिस्टेन्स एकट' तथा 'चिल्ड्रेन्स एकट' पास किये गये।

अमेरिका में यद्यपि सामाजिक सुरक्षा की ओर कदम दैर ऐ उठाये गये, परन्तु किर भी पिछले कुछ कालों में वहाँ वी सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण बार्य लिये हैं। ग्रन् १९३५ में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, १९४४ में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम (Public Health Service Act), १९४६ में रोजगार अधिनियम (Employment Act), १९५० में सामाजिक सुरक्षा यशोधन अधिनियम (Social Security Amendment Act) तथा १९५१ में अनेक सामाजिक सुरक्षा बानून बनाये गये।

इस प्रकार आख्टेनिपा, न्यूजीलैंड, स्वीडन, फ्रान्स, डेनमार्क, जापान, निम्न दक्षादि देशों में भी रामाजिक सुरक्षा की योजनाएँ चल रही हैं। पिभिन्न देशों की रामाजिक सुरक्षा योजनाओं का वर्तमान स्थिति न्यौरा इस प्रकार है।

✓ भारतवर्ष में सामाजिक सुरक्षा—विभिन्न देशों में सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति देखने हुए हमारे देश में बहुत कम प्रगति हुई है। इएका मुख्य वारण यही था कि भारतवर्ष श्रीयोगिक प्रगति में काफी पिछड़ा हुआ है। वास्तव में देशा जाय तो हमारे देश में श्रीयोगिक प्रगति प्रथम महायुद्ध के पश्चात् हुई। पलस्तव्य सामाजिक सुरक्षा की प्रगति प्रथम निश्चयुद्ध के पश्चात् ही सम्भव हो सकी। परन्तु किर मी समय-समय पर विभिन्न समितियाँ सरकार का ध्यान इस ओर आनंदित करती रहीं। अबै-हड्डाल

जॉन्च समिति (१९२८ २६), शाही आयोग (१९३१), कानपुर अम जॉन्च समिति (१९४०) इत्यादि ने सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन करने की दिशा में प्रयत्न किए, किन्तु विदेशी शासन की उदासीनता के कारण कोई विशेष प्रगति इस ओर नहीं हुई ।

[†] इस दिशा में सर्वप्रथम दृष्टि महत्वपूर्ण अधिनियम (Acts) 'श्रमिकों की क्षतिपूर्ति अधिनियम' (Workmen's Compensation Acts) १९२३ में तथा 'प्रथम लाभ अधिनियम' (Maternity Benefit Act) कुछ राज्यों में पास किये गये । 'प्रथम लाभ अधिनियम' रुद्धप्रथम अमेरिका में १९२६ में पास किया गया । थाद में यह अन्य राज्यों में पास किया गया जैसे १९३७ में उत्तर प्रदेश में, १९४४ में असम में, और १९४५ में बिहार में । इस प्रवार सामाजिक सुरक्षा की नींव १९२३ में रखी गई जबकि श्रमिकों की क्षतिपूर्ति का अधिनियम पास किया गया ।

द्वितीय महायुद्ध तक अमेरिका की क्षतिपृति, प्रथम लाभ तथा कुछ मालिकों की संघटा पर आधारित बीमारी लाभ योजनाओं में अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा का और कोई स्वतंत्र भारत में नहीं था । पर बाद में इन दोनों में से एक ने भी सामाजिक बीमा के सिडाना को चालू नहीं किया था । ये नेवल सामाजिक सहायता के उपाय ये जिनके अन्दर इस प्रवार के भुगतानों का उत्तरदायित्व एकमात्र मालिकों पर ही था । परन्तु हिंदू भी भारतराष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय अम संगठन (I. L. O.) के आनंदीलकों में सक्रिय भाग लेना रहा है । अन्तर्राष्ट्रीय अम संगठन की प्रथम बारा जू १९१९ में हुई थी, जू लेकर १९४७ तक द३० सभाएँ हुई और द३० प्रस्ताव भी पास हुए । इनमें से भारत ने १५ प्रस्तावों को मान लिया है ।

१९४४ में अन्तर्राष्ट्रीय अम संगठन की २६वीं समा फिलडेलफिला में हुई, इसमें अम संघ ने सामाजिक सुरक्षा का एक वार्षिक बनाश तथा सब देशों से उसे अपनाने के लिए सिफारिश की । इस योजना के अन्तर्गत निम्न जोखिमों के विकल्प प्रारिधान (provision) किया गया था—

- (१) बीमारी लाभ (Sickness Benefit)
- (२) प्रथम लाभ (Maternity Benefit)
- (३) अदोषता लाभ (Invalidity Benefit)
- (४) बुद्धावस्था लाभ (Old Age Benefit)
- (५) उत्तर्जक सदस्य की मृत्यु लाभ (Death of Bread-winner Benefit)
- (६) बेकारी लाभ (Unemployment Benefit)
- (७) आपस्मिक व्यय (Emergency Expenses)
- (८) रोजगार सम्बन्धी हानि (Employment Injuries)

भारतवर्ष में 'शाही श्रम योग' (Royal Commission on Labour)

१६४० ई१ तथा १६४०, १६४१ एवं १६४२ में श्रम मनियों के सम्मेलन ने कुछ उद्योगों में ग्रनिवार्य ग्रीमारी योजना का ग्रानोजन किया था।

मार्च सन् १६४३ में मारतीय श्रम विभाग ने श्रमिकों के हेतु एक अनिवार्य स्वास्थ्य ग्रीमा योजना जनाने के लिए प्रोफेसर ग्री०पी० अदारकर को नियुक्त किया। प्रो० अदारकर ने सरकार के ग्रादेश पर ग्रीवोगिक श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य ग्रीमा की व्यापक योजना तैयार की और १५ अगस्त १६४४ का अपनी रिपोर्ट में काङड़ा, इंजीनियरिंग, सनिक तथा धातुग्राम के स्थायी भारतानां में उसे ग्रनिवार्य रूप से लागू करने की सिफारिश की।

अदारकर योजना की बाँच अन्तर्राष्ट्रीय श्रम उघ (I L O) के दो रिपोर्टों— श्री गोपीराम और खुनापरान—ने १६४५ में भी और उसे स्वीकार किया तथा ऐसा रिपोर्ट की कि उसमें प्रश्नतिका मुद्रिता तथा वाम करने समय दृष्टिपूर्वी को भी सम्मिलित बर सभी स्थायी भारतानां पर लागू कर दिया जाय।

भारत सरकार के श्रम विभाग वी सामाजिक सुरक्षा शासा ने १६४५ में वीव योजनाएँ तयारी की—

(१) प्रो० अदारकर की स्वास्थ्य ग्रीमा योजना को स्थानापन करने के लिए फैक्ट्री श्रमिकों के लिए ग्रीमारी दुर्घटना योजना,

(२) शूलिती की सम्मिलित योजना, तथा

(३) मारतीय एवं विदेशी जहाना पर वाम करने वाले मारतीय नामिर्ण के लिए ग्रीमारी वृद्धावस्था के विद्वद वाम योजना।

६ नवम्बर, १६४६ को इन सुभागों के आधार पर एक विल पेश किया गया। अमूल्य १६४७ में ग्रनिवार्य श्रम उगमन की 'एशियन रीजनल कार्डेस' की अधिधेशन दिल्ली में हुआ। इसमें भी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए छिपारिश की गई। तब्बलात भारत के उद्योग मन्त्री डा० शामाप्रणाद मुकनी ने ३१ अक्टूबर १६४७ को कार्डेस में भाग्य देते हुए कहा था कि 'किलाइलिया चार्टर' अपश्य पूरा होना चाहिए। उन्हाने कहा था कि "हम उन (चार्टर का) अधिकार नहीं होने देंगे क्योंकि उसना अस्फलता से सामाजिक प्रगति के विकास सम्बन्धी रूपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय वालाविक प्रयत्न समाप्त हो जायगा।" उन्हाने यह भी कहा था कि "किली भी स्थान की निर्धनता कई पर मी समुद्रि नहीं होने देगी।"

फलस्वरूप विलून स्वास्थ्य ग्रीमा योजना को १६ अप्रैल १६४८ को कर्मचारी शृज्य ग्रीमा योजना अधिनियम के रूप में संषद् ने स्वीकृत किया तथा १६४९ में इसमें सशोधन किया गया। इसके पश्चात् सन् १६४८ में 'कोल भारत्य प्राविडेंट फट एक्ट' पास किया गया, जिसका सशोधन १६४९ में किया गया।

— इस प्रकार संक्षेप में प्रारम्भ से अब तक इस दिशा में निम्न अधिनियम पास किये गये हैं—

- (१) धर्मिक ज्ञातिपूर्ति अधिनियम, १९२३,
- (२) कोपला चान प्रावीडेंट फरड तथा चोनस स्क्रीम अधिनियम, १९४८,
- (३) प्रतुति लाभ अधिनियम (राज्यों में),
- (४) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८,
- (५) बागान धर्मिक अधिनियम, १९५१,
- (६) कर्मचारी प्रावीडेंट फरड एकट, १९५२, तथा
- (७) छुँटनी और नियानाउन ज्ञातिपूर्ति अधिनियम।

इन अधिनियमों का विस्तार में अध्ययन अगले पृष्ठों में किया गया है।

धर्मिकों की क्षतिपूर्ति अधिनियम

‘धर्मिक ज्ञातिपूर्ति अधिनियम, १९२३’ के अन्तर्गत बड़ी बड़ी मिला में काम खोने वाले धर्मिकों को बाम के समय म लाग्ने वाली चोट तथा बीमारी के फलस्वरूप होने वाली मृत्यु के समवध म ज्ञातिपूर्ति की अदायगी वी व्यवस्था वी गई है। इस अधिनियम के अन्तर्गत १००० रुपये तक वी आय वाले कर्मचारी आते हैं। यह अधिनियम आन जम्मू और काश्मीर को द्योषकर सारे भारतवर्ष म लागू होता है। परन्तु जहाँ पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना आरम्भ हो गई है, वहाँ यह अधिनियम लागू नहीं होता।

इस प्रशार के अधिनियम वी भाँग सर्वप्रथम सन् १९४४ में बन्वाई में हुई थी। पहलत कुछ प्रगतिशील नालिकों ने ज्ञातिपूर्ति वी योजनाओं को चालू भी किया था। ऐन् १९४५ वी धातक दुर्घटनाओं के अधिनियम के अनुसार ऐसी दुर्घटनाएँ हो जाने पर मालिकों पर मुकदमा चलाया जा सकता था। परन्तु यह कभी लागू न हो सका। मजदूरों वी अव्याहानता तथा अनुमतीनाता पर इन दुर्घटनाओं के उत्तरदायित्व को मह कर मालिक अबने दायित्व वी टालने वा उपाय कर लेता था। इस दोष को दूर करने के लिए सरकार ने १९२३ म एक प्रशस्त ज्ञातिपूर्ति अधिनियम बनाया, जो १ जुलाई १९२४ से लागू हुआ। इस अधिनियम वी और धर्मिक पश्चात बनाने के लिए सरकार ने इसमें १९५६ में पुन संशोधन किया है। संशोधित अधिनियम (१९५६) का विवेचन भी यहाँ पर किया गया है।

अपिकों वी ज्ञातिपूर्ति (संशोधन) अधिनियम, १९५६

वेन्द्रीय सरकार वी एक ग्राम्यसूचना वे अनुसार मजदूरों वा सुआवदा (संशोधन) अधिनियम, १९५६, १ जून से लागू कर दिया गया है।

पहले मुआमला देने के लिए वयस्तों और नागलिंगों में भी भेद रिया जाता था, वह इस अधिनियम में उमात कर दिया गया है। आजकल अस्पार्टी स्ट ऐ अशुक मजदूरों को ७ दिन के प्रतीक्षा समय में मुआमला नहीं दिया जाता। अब वह समय घटा कर ३ दिन कर दिया गया है।

अगर मुआमला देने में एक महीने से प्याटा की देर हो तो भजदूरी के मुआमला क्षमित्तर यह निर्देश दे सकते हैं कि नगरा मुआमले पर ६ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से व्याज सहित रकम चुकाया जाय। अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि भजदूर चाहे तो वे फिक्रिया व्यथा कारणाना ते इसपेटर को अपनी ओर से मुकदमा लड़ने के लिए वह सकते हैं। अगर मुआमला देने के सम्बन्ध में खोद मुकदमा चल रहा है, और इस बीच या मुआमला देने से पहले खोद मानिक अपनी पूँजी किसी और को दे देगा है तो मुआमला की राशि उस पूँजी में से ही काट ली जानगी।

मुआमला देने के लिए खोटो और नीमारिया की बो सूची बनी हुई है, उनमें भी इस अधिनियम में और बढ़ा दिया गया है।

वामार्थी एवं स्वास्थ्य बीमा

(Sickness & Health Insurance)

वीमार्थी एवं स्वास्थ्य बीमा के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय थम सम्मेलन ने रिपोर्ट रूप से दो क्लवशन और एक छिपारिश स्वीकार की है। इनमें से भारत में किसी भी क्लवशन पर हस्तान्तर नहीं किया है। यान्त्रर में 'वर्मचार्य राज्य बीमा अधिनियम १९८८' ही इस दिशा में यहाँ पहला प्रयत्न है।

१९८७ के प्रथम क्लवशन ने वीमार्थी की समस्या को पहली जार उद्देश्य में हमारे सम्मुख पेश किया था। तभी से लेकर अभी तर इस सम्बन्ध में हमारे देश में निरन्तर चर्चा होनी रही है, परन्तु दुर्मानग्रण इस ग्रो हमारी कोइ टोक प्रगति न हो सकी। अन्यदि, पूरा, भद्रात् इत्यादि में सरकार ने इस ग्रो कुछ प्रयास किये हैं, परन्तु उन्हें इसमें सफलता न मिल सकी। सन् १९८१ में शाही थम आगोंग में जोर दार शब्दों में छिपारिश की थी कि देश के प्रमुख श्रीयोगिक केन्द्रों में बीमार्थी बीमा के अभाव में श्रमिकों की वटिनाइयों की शीमातिरिक्त जांच होनी चाहिए तथा उन्हें लिए एक योजना निर्माण की जानी चाहिये, परन्तु प्रार्तीन (राज्यीय) सरकार की उदारीनता के कारण भारत सरकार इस ग्रो कुछ भी न कर सकी।

जैसा कि अन्यत्र कहा जा रुका है एन् १९४३ में भारत सरकार ने बी० पी० अदारकों को भारत के लिए स्वास्थ्य योजना तैयार करने का काम सौंगा। १९४४ में उन्होंने 'श्रीयोगिक श्रमिकों के स्वास्थ्य बीमा पर एक रिपोर्ट' प्रस्तुत की। १९४४ में नियन्त्रीय थम-सम्मेलन और १९४५ में स्थायी थम समिति द्वारा इस पर रिचार हुआ।

अन्त में १९२८ में 'वर्मीचारी राज्य बीमा योजना' में स्वीकृत योजना को अपनाया गया। इस 'योजना' में, वास्तव में देखा जाय तो, समूर्ख संगठित जोखिमों में से बीमारी ही प्रमुख है।

मातृत्व-लाभ-अधिनियम

हमारे देश में मातृत्व लाभ की अदायगी वे विषय में १९२४ तक कोई व्यवस्था न थी। यद्यपि देश में बच्चों तथा माताओं की मृत्यु दर कभी ऊँची थी। १९१६ में अन्तर्राष्ट्रीय-अमेरिकन कॉमिटी के ड्राफ्ट कल्वेशन के अपनाये जाने पर इच्छी महत्त्व समझी गई। सन् १९२४ में श्री एन० एस० जोशी ने विधान सभा में शिशु जन्म के कुछ समय पूर्व तथा बाद कारणानुसार या पानों में जियों के रोजगार को रोकने के लिए, मातृत्व लाभ की अदायगी दी व्यवस्था के लिए तथा शिशु जन्म से हृ सप्ताह पूर्व व बाद में उन्हें अवकाश देने के लिए एक विल प्रस्तुत किया। इस विल में यह सुझाया गया था कि प्रान्तीय (राज्य) सरकारों को चाहिए कि मालिका से चन्दा द्वारा मातृत्व लाभ देने के लिए एक मातृत्व लाभ फोंड (fund) का निर्माण करे। परन्तु अभागवश उन विल विधान सभा ने रद्द कर दिया।

बहुत बाल तक इस और कोई ध्यान न दिया गया। अन्त में व्यक्तिगत राज्य सरकारों ने ही इस दिशा में कुछ कदम उठाये। सर्वप्रथम १९२६ में वर्माई में मातृत्व लाभ अधिनियम पार हुआ तथा १९३४ में इसमें संशोधन हुआ। वर्माई का अनुकरण करके मध्य प्रदेश ने १९३० म, झारखण्ड ने १९३४ में, उत्तर प्रदेश ने १९३८ में, व बंगाल ने १९३८ में, पंजाब ने १९४३ में, आसाम ने १९४४ में और बिहार ने १९४५ में उक्त अधिनियम को अपनाया तथा पार किया।

इस अधिनियम के अन्तर्गत बारपाना में काम करने वाली जियों को उनके शिशु-जनन के कुछ सप्ताह पूर्व तथा कुछ सप्ताह पश्चात् तक अवकाश विल जाता है और इस अपकाश के समय उनको लगभग आधा बेतन भी मिलता है। साथ ही साथ चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा भी उनको प्रदान की जाती है। सन् १९४१ में केन्द्रीय सरकार ने पाना में काम करने वाली जियों के लिए भी इसी प्रकार का नियम बना दिया है। मातृत्व लाभ के भुगतान का नियमन ३ केन्द्रीय अधिनियमों के अनुसार होता है।

यू० पी० मातृत्व-लाभ अधिनियम १९३८—इसकी प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

(१) अधिनियम का लेन्ड्र—यह अधिनियम उन सब कारणानों में, जिनमें कि १० या उससे अधिक अभिक काम करते हैं, लागू होता है।

(२) योग्यता काल—मातृत्व हुई से छ दर्शने पहले इसका योग्यता काल है।

(३) काम से अनिवार्य मुक्ति—प्रसर वे चार सप्ताह पहले और चार सप्ताह बाद हुई लेना अनिवार्य है।

(४) गर्भवती स्त्री को प्राप्त नकद लाभ की दर—याड आने प्रतिदिन अथवा औसत दैनिक आय से जो भी राशि अधिक हो, वह गर्भवती स्त्री को अवकाश बाल में प्राप्त होती है।

(५) अतिरिक्त लाभ

(अ) प्रसर बाल में यदि माता डाकटरी सहायता वा उभोग परे तो ५ रुपये के बोनस देने की व्यवस्था,

(ब) शिशुगृह चालू करने पर वहाँ स्त्री परिचारिका वी नियुक्ति, वच्चे वाली के लिए अतिरिक्त आराम के लिए लतु अवसरा और सास्य निरीक्षणों की व्यवस्था,

(स) गर्भपात्र की दशा में गर्भपात्र के दिन से सवेतन तीन सप्ताह वी हुई, और

(द) मालिक द्वारा मातृत्व लाभ से बचने के लिए स्त्री मजदूर की निवाले जाने की दशा में १०० रुपये अथवा उससे और आय से १८० रुना रकम में हे, जो भी अधिक हो, देने की भी अतिरिक्त व्यवस्था है।

कमचारी राज्य वीमा योजना

(Employees State Insurance Scheme)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् वी दो महत्वपूर्ण घटनाओं ने सामाजिक सुरक्षा की राम्रता को सम्मुख लाने में विशेष योग दिया। प्रथम घटना १९४७ के अन्त में होने वाली प्रारम्भिक 'एशियन प्रादेशिक थ्रम सम्मेलन' द्वारा सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में एक विलूप्त प्रस्ताव का स्वीकार किया जाना तथा द्वितीय मातृत्व संदर्भ द्वारा 'कमचारी राज्य वीमा योजना' को अधिनियम के रूप में १९ द्वितीय १९४८ वी पाल किया जाना। यह योजना उम्मीद प्रशासन म सामाजिक सुरक्षा वी दिशा में प्रथम महत्वपूर्ण प्रयत्न है, जिसके अनुसार मातृत्व थ्रम कानून के सेवा में एक नये अध्याय का प्रारम्भ होता है। इ अनूदर १९४८ को 'कमचारी राज्य वीमा निगम' (E. S. I. Corporation) का उद्घाटन आदरणीय चक्रवर्ती राजगोपलाचारी के कर कमले द्वारा सम्पन्न हुआ।

प्रारम्भ में इस योजना को कुछ स्थायी पैकटरियों में लागू करने का विचार किया गया जिसके अन्तर्गत २५ लाख श्रमिक आते हे। परन्तु दुर्भावश मालिकों तथा

श्रमिकों के विरोध के बारण यह योजना अगले तीन वर्ष तक चुने हुए श्रीयोगिक केन्द्रों में भी लागू न की जा सकी। इतनी बड़ी योजना को सारे देश में एकदम चालू करना उचित न था, अतः इससे केवल श्रीयोगिक केन्द्र कानपुर तथा दिल्ली में ही प्रारम्भ किया गया और २४ फरवरी १९५२ को कानपुर में इसका उद्घाटन भारत के प्रधान मंत्री भी नेहरू के कर कमलों द्वारा सम्बन्ध हुआ।

बहु विधान सभा स्थायी सरकारी तथा गैर सरकारी फैब्रियों पर लागू होता है जिसमें प्रिवेट द्वारा उत्पादन कार्य होता है, तथा जिनमें २० या उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं और जो ४००० प्रति मास या इससे कम बेतन पाने वाले हैं चाहे वे कलर्क हों या श्रमिक। ठेकेपर काम बरने वाले श्रमिक भी यदि वे ठेकेदार वी दुकान पर या उसके निरीक्षण में कार्य करते हों, इसमें शामिल किये जा सकते हैं तथा सरकार इसे सामयिक उद्योगों और अन्य वर्ग के श्रमिकों पर लागू कर सकती है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रबन्ध

Y कर्मचारी राज्य बीमा योजना का शासन प्रबन्ध करने के लिए तीन संस्थाओं की स्थापना की गई है—

(१) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (E. S. I. Corporation)

(२) निगम की स्थायी समिति (Standing Committee of the Corporation)

(३) चिकित्सा लाप परिषद (Medical Benefit Council)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

इसके अन्तर्गत ३१ सदस्य होते हैं जो कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, मालिकों, श्रमिकों, डाक्टरों तथा सदसद (Parliament) के सदस्य होते हैं। इनका निर्वाचन इस प्रकार होता है—

(१) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि (इसमें चेयरमैन तथा वाइस चेयरमैन क्रमशः भग मन्त्री तथा स्वास्थ्य मंत्री होने हैं) ७

(२) 'अ' राज्यों के प्रतिनिधि ६

(३) 'स' राज्यों के प्रतिनिधि १

(४) कर्मचारियों के प्रतिनिधि ५

(५) मालिकों के प्रतिनिधि ५

(६) डाक्टरों के प्रतिनिधि २

(७) केन्द्रीय विधानसभा के प्रतिनिधि २

कार्पोरेशन की स्थायी समिति

यह कार्पोरेशन के गोपनीय प्रशासन तथा निदेशन का कार्यमार सम्भालती है। इसके अन्तर्गत १३ सदस्य होते हैं जिनमें निर्बाचित कार्पोरेशन के सदस्यों में से होता है। प्रशासन सम्बन्धी दायित्व वास्तव में कार्पोरेशन के प्रमुख सचालक (Director General) पर होता है। प्रमुख सचालक की सहायता के लिए मुख्य अधिकारी (Principal officer) होते हैं।

चिकित्सा लाभ परिषद्

इसमें २६ सदस्य होते हैं जो चिकित्सा सम्बन्धी नियमों पर कार्पोरेशन को सलाह देते हैं।

योजना को समुचित ढंग से चलाने के लिए पाच क्षेत्रीय कार्यालय (Regional Offices) कानपुर, दिल्ली, नवी दिल्ली, मद्रास तथा कलकत्ता—स्थापित किये गए हैं। इन कार्यालयों का दायित्व है कि वे अपने अपने क्षेत्र में योजना को सफलतापूर्वक चलायें। प्रत्येक स्थान पर सहायग प्रात घरने के लिए क्षेत्रीय बोर्ड (Regional Board) तथा स्थानीय समितियां (Local Committees) भी स्थापित की गई हैं जिनमें श्रमिकों, मालिकों, राज्य सरकारी तथा कार्पोरेशन के प्रतिनिधि होते हैं।

श्रमिकों व भगड़ों का फैसला बरने के लिए अधिनियम (Act) में राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्यों में कर्मचारी वीमा न्यायालयों की स्थापना बरने का अधिकार दिया है।

वित्तीय साधन (Financial Resources)

योजना की वार्तावित बरने के लिए आवश्यक धन का प्रबन्ध मालिकों व अधिकारियों द्वारा अशदाना, सरकार द्वारा अनुदानों तथा स्थानीय सुरक्षार्थी, व्यक्तियों व संस्थाओं से प्राप्त दाना, चन्दा या अन्य आर्थिक सहायताया ऐविला जाता है। बेवल उन्हीं क्षेत्रों के कर्मचारी जहां योजना चालू की गई है अत्र जिन्हाने वीमा बर्य लिया है, योजना के लिए वो भी अवश्यक देते हैं। कार्पोरेशन के शासनीय व्यय के दृढ़ भाग के बराबर धनराशि बेन्द्रीय सरकार प्रथम ५ वर्षों तक यार्मिन अनुदान के रूप में देगी। राज्य सरकारें भी श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए दबाइयों के रूप में तथा वीमार्थी की देखभाल की व्यवस्था के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता देगी जो लागत का ३ भाग होगा।

मालिकों तथा कर्मचारियों द्वारा अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका व अनुसार, साप्ताहिक अरादान देना होता है। मालिक कर्मचारियों का अशदान उनके बेवल से शाद लेते हैं।

क्रम संख्या	कर्मचारियों का वर्ग	कर्मचारियों का अशदान	मालिकों का अशदान	कुल अशदान
(१)	१) से कम आँखत दैनिक वेतन वाले कर्मचारी	५०-८० पै०	८०-८० पै०	५०-८० पै०
(२)	१) से १॥) के बीच दैनिक वेतन वाले कर्मचारी	०-१२	०-४४	०-४४
(३)	१॥) से २) के बीच दैनिक वेतन वाले कर्मचारी	०-२५	०-४०	०-७५
(४)	२) से ३) के बीच दैनिक वेतन वाले कर्मचारी	०-३७	०-७६	१-१३
(५)	३) तथा ४) के बीच दैनिक वेतन वाले कर्मचारी	०-५०	१-००	१-५०
(६)	४) तथा ६) के बीच दैनिक वेतन वाले कर्मचारी	०-६८	१-३७	२-०६
(७)	६) तथा ८) के बीच दैनिक वेतन वाले कर्मचारी	०-८४	१-८७	२-८१
(८)	८) तथा अधिक दैनिक वेतन वाले कर्मचारी	१-२५	२-५०	३-७५

सर्वप्रथम यह योजना प्रयोगात्मक रूप (experimental basis) में दिल्ली और कानपुर में चालू होने वाली थी। पर मालिकों (employers) से विरोध किया कि वेतन उन्हीं को अशदान देना होगा, जबकि अन्य क्षेत्रों के नियोक्तागण उससे मुक्त रहेंगे। इससे उनको हानि होगी। अतः १९५१ में इस विधान में सशोधन हुआ और देश भर के सभ मालिकों के अशदान लेना तय पाया। यह निश्चय हुआ कि कानपुर और दिल्ली के मालिकरण (employers) अपनी कुल मजदूरी त्रिल का १५% तथा अन्य स्थानों के मालिकरण ३% देंगे।

योजना के अन्तर्गत लाभ

इस योजना के अन्तर्गत जैसा कि अन्यत्र बताया जा चुका है, अमिकों-को पाँच मुनार के लाभ पाया है, और ये लाभ हैं—

- (१) निकिसा लाभ (Medical Benefit)
- (२) बीमारी लाभ (Sickness Benefit)
- (३) प्रसूति लाभ (Maternity Benefit)
- (४) अद्योग्यता लाभ (Disablement Benefit)
- (५) आश्रितों का लाभ (Dependents Benefit)

(१) चिकित्सा लाभ—जीमा कराए हुए कर्मचारी को ही चिकित्सा लाभ प्राप्त है, पर ऐसे व्यक्तियों के कुदम्हों के लिए भी, जब घारपोरेशन वथा राज्य सरकार इस योग्य हो इस लाभ की व्यवस्था की जा सकती है। इस चिकित्सा लाभ में औरधियों, अस्पताल में भरती, देखभाल वथा घर पर डाक्टर की सेवाओं की सहायता शीम्पर्क कर्मचारी या जन्वा को मुफ्त दी जाती है।

दिल्ली वथा कानपुर में पूरे समय के लिए डाक्टरों की सेवायें अस्पतालों में उपलब्ध हैं तथा ग्रावश्वकर्ता पहने पर घर भी वे जाते हैं। औरधियाँ भी मुफ्त दी जाती हैं। दूर स्थित स्थानों के लिए गतिशील चिकित्सालयों वा भी प्रयत्न है। इस लाभ को पाने के लिए कर्मचारी को न्यूनतम ६ मास तक अरुदान देना होता है। वभी अगले ६ मासों में उसे लाभ मिलता है। कर्मचारी के अरुदान की न्यूनतम सख्त १२ होनी चाहिये।

(२) जीमारी लाभ—जीमा कराए हुए कर्मचारी को जीमारी में लगातार ३६५ दो वीं ग्राधि में ग्राधितम द सप्ताह तक नगद जीमारी लाभ मिल सकता है। लाभ दर उचित औसत मजदूरी के $\frac{1}{3}$ भाग के लगभग होता है। ६ मास तक इसके लिए भी न्यूनतम अरुदान ग्रावश्वक है। दरअे मुधरने पर नास्पोरेशन वी लाभ की अवधि बढ़ाने का अधिकार है।

(३) प्रसूति लाभ—जी कर्मचारियों को १२ सप्ताह के लिए नवद प्रसूति लाभ १२ अवाने प्रतिदिन वी दर से या जीमारी लाभ की दर से, दोनों में जो भी अधिक हो, दिया जाता है। जन्वा होने के ६ सप्ताह से ग्राधित पहले यह चालू नहीं किया जा सकता है। इसके लिए भी न्यूनतम अरुदान जीमारी से सख्त १२ निश्चित दी गई है।

(४) अयोग्यता लाभ—दाम करने के समय में चोट लग जाने के कारण अयोग्यता के लिए जीमा कराए हुए कर्मचारियों को आर्थिक सहायता मिलती है। अस्थायी अयोग्यता न लिए अयोग्यता की अवधि तक एक वय पृष्ठ की औसत मजदूरी के लगभग ग्राधे तक नवद सहायता मिलती है।

इसे पूर्ण दर करते हैं। स्थायी अयोग्यता के लिए, 'कर्मचारी छविगूर्ति अधि नियम' (Workers Compensation Act) में दी जाने वाली एवं मुख्य (Lump sum) रकम के नकाय, कर्मचारी को जीवन भर पैदान मिलती है। जो उनके उत्तरांत शक्ति में हानि के अनुपात के अनुसार होती है।*

(५) आश्रिता का लाभ—जीमा कराये हुए कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों में निम्न प्रकार के लाभ की राशि वा मित्राण किया जाता है—

(अ) कर्मचारी की विषवा वो उसके जीवन भर, या दूसरी शादी के समय तक

*साप्ताहिक मजदूरी के $\frac{1}{3}$ की दर से।

पूर्ण दर के द्वे भाग के बराबर रकम दी जाती है। और यदि दो या उससे अधिक विधि बाएँ हों तो इस रकम को उनमें बराबर बराबर बाट दिया जाता है।

(ब) प्रत्येक असल (real) या दत्तक (adopted) पुत्र की पूर्ण दर के द्वे भाग के बराबर की रकम उसकी १५ वर्ष की आयु तक या उसकी शिक्षा जारी रहने पर १८ वर्ष की आयु तक दी जाती है।

(स) प्रत्येक असल अनिवाहित पुत्री की पूर्ण दर के द्वे भाग के बराबर रकम उसकी १५ वर्ष की आयु तक या उसकी शादी तक (दोनों में से जो पहले हो) या यदि उसकी शिक्षा जारी हो तो १८ वर्ष की आयु तक दी जाती है।

यदि निसी समय यह लाभ पूर्ण दर से अधिक होगा तो आभिन्नों में से प्रत्येक का भाग अनुपातिक ग्राह भ घटल दिया जायगा, जिससे देय उनकी पूरी रकम दर पर अद्योत्ता लाभ की रकम से अधिक न होगी। यदि इन आभिन्नों में से दिसी का पता न चले तो आभिन्नों का लाभ भाला पिता या पितामह पितामही को उनके जीवन मर, तथा व्याप्त आभिन्नों को सीमित काल तक दिया जा सकता है। पर भुगतान की दर कर्मचारी दायर वीमा न्यायालयों द्वारा निर्धारित होती। तत्त्वधी भगदों के निवार के लिए 'कर्मचारी राज्य वीमा न्यायालयों' तथा विशिष्ट द्रिव्यनलों (Special Tribunals) की स्थापना का भी विषय में आयोजन है। दिल्ली तथा कानपुर में ऐसे न्यायालयों की स्थापना हो चुनी है।

कर्मचारी राज्य वीमा योजना की क्रियाओं का विवरण

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि इस योजना की कार्यान्वयन करने के लिए सर्वप्रथम कानपुर व दिल्ली में लागू किया गया था। इसका उद्दृष्टान समारोह देश के प्रधान मन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पर बमला द्वारा २४ फरवरी १९५२ को कानपुर में सम्पन्न हुआ। उस समय इस योजना से लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों की संख्या कानपुर और दिल्ली में क्रमशः ८०,००० और ४०,००० थी। शने शने यह योजना देश के अनेक ज़ोरों में लागू बर दी गई है और ऐसा अनुमान है कि द्वितीय पदवीय योजना के अन्त तक यह योजना देश के उन सभ ज़ोरों में लागू हो जायगी ताहँ पर ग्रीष्मिक अभिन्नों की संख्या १५० से अधिक है। डाक्टरों को प्रति व्यक्ति के अनुसार पीले देने का समझौता हो जाने के बारण अहमदाबाद में भी योजना शुरू कर दी गई है। यहाँ योजना शुरू करने से देह लार कर्मचारियों तथा कृषिभूमि ५२ लाख परिवारों को लाभ पहुँचेगा।

आरम्भ के लेकर अब तक इस योजना की प्रगति इस प्रकार है—
कर्मचारी राज्य धीमा योजना की प्रगति

राज्य	चेत्र	चाल होने की तिथि
दिल्ली प्रजात्र	दिल्ली राज्य प्रजात्र चेत्र—अमृतसर, लुधियाना, अम्बाला, जालन्धर, अब्दुल्लापुर, जगाधरी तथा बटाला	२४ २ ५२
उत्तर प्रदेश	खानपुर आगरा, लपनऊ तथा लहारनपुर	१७ ५ ५२
मध्य प्रदेश	ग्यालियर, इंदौर, उज्जैन, रत्लाम तथा बरहनपुर	२४ २ ५२
महाराष्ट्र	जव़ापुर, जोधपुर, गोपनीर, लखणी पाली (मारवाड़) तथा मलिकारा	१५ १ ५६
महाराष्ट्र	विशाल बन्वर्ड (Greater Bombay) नागपुर	२३ १ ५५
पश्चिमी बड़ाल	अकोला तथा हिंगनघाट	२ १२ ५६
आनंद	कलकत्ता शहर तथा हायडा जिला	३ १० ५४
मद्रास	हैदराबाद, सिकन्दराबाद विजयनाड़ा, विशाखापट्टनम, निचीवल्ला, गुजरात नैलीपली, महलगिरी, तथा इलौ	१४-१५ ५६
मद्रास	कोयम्पट्टूर मद्रास शहर	१ ५ ५५
केरल	मदुराड़, अम्मासामुद्रम तथा दूताकोरीन	६ १० ५५
मैसूर	एलीपी, किल्यन, निचूर, इनीकुलम अलवायी बगलौर	२० ११-१२ ५५
		२७ १० ५६
		१६ ६ ५६
		२६ ७ ५६

कर्मचारी धीमा योजना की १६५८ ५६ की रिपोर्ट

कर्मचारी राज्य धीमा निगम द्वी १६५८ ५६ की रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाएँ इस वर्ष से उनके परिवारों को भी मिलनी शुरू हो गयी। सरसे पहले ये निर्णय मैसूर राज्य ने लिये। उसके बाद आनंद राज्यों ने भी उसना अनुसरण किया और इस तरह इस वर्ष आनंद प्रदेश, असम, पश्चिम प्रदेश, मैसूर, प्रजात्र और राजस्थान, इन सात राज्यों में २ लाख २६ हजार परिवारों को चिकित्सा सुविधाएँ दी जाने लगीं। इस निर्णय से कर्मचारियों के अतिरिक्त जिन लोगों को ज्ञाम पहुँचा, उनकी संख्या ६ लाख ३३ हजार है।

१६५८ ५६ में ७८,००० अनिरिक्त कर्मचारियों को योजना में शामिल

किया गया और इस तरह वर्षे के अंत तक योजना से लाभ उठाने वाले वर्मचारियों की सख्ती लगभग १४ लाख १४ हजार तक पहुँच गई। इस वर्षे १२ राज्यों तथा केन्द्र शासित ज़ोन दिल्ली के ७६ केन्द्रों में योजना चल रही थी, जिनकि पिछले वर्षे के अंत तक दिल्ली तथा १० राज्यों में योजना के कुल ६० केन्द्र थे। डाक्टरों को प्रति व्यक्ति के अनुसार फीस देने का समझौता हो जाने के कारण ग्रहमदाताद में भी योजना शुरू कर दी गई। यहाँ योजना शुरू करने से देह लाख वर्मचारियों तथा लगभग चार लाख परिवारों को लाभ पहुँचेगा।

१६५८-५९ में भालिकों से अशदान के रूप में २ करोड़ ६० लाख २४ हजार
८१ रुपये और वर्मचारियों से ३ करोड़ ८१ लाख ११ हजार ६५० रुपये प्राप्त हुए।
मिछुले वर्ष मालिकों से २ करोड़ ८३ लाख ४१ हजार ३२८ रुपये और वर्मचारियों से
३ करोड़ ५२ लाख ३५ हजार ६५४ रुपये प्राप्त हुए थे।

मार्च सन् १९५६ के अन्त तक इस योजना के अन्तर्गत १२ राज्यों के ७८ केन्द्रों में १४.१४ लाख मजदूर आ जुके थे।

भविष्य के लिए प्रावधान कोप

(Provident Fund Scheme)

कर्मचारियों को वृद्धावस्था में जग वे अवकाश प्रहरण वर लेते हैं सुख सविधा पहुँचाने के लिए सरकार वा ध्यान इस दिशा में कुछ प्रावधान करने के लिए ग्राहकीया बिया गया। सरकार ने इस चीज़ की आवश्यकता को अनुभव किया और सर्वप्रथम सन् १९४८ में 'कोल माइन्स प्रॉप्रिडेन्ट पराइज़ प्लॉट' पास किया। इस एकड़ के अनुसार रगाल और निहार के श्रमिकों दो मई १९४७ से तथा उडीसा और मध्यप्रदेश पूर्व श्रमिकों को अक्टूबर १९४७ से लाभ प्राप्त होने लगा। यही योजना बाद में असम, विष्णुप्रदेश, हैदराबाद तथा राजस्थान में लागू वर दी गई।

‘कोल माइन्स प्रावीडेन्ट फँड’ योजना की सफलता दो दैरेक्टर अन्य उद्योगों में शमिकों दो लाख पहुँचाने के उद्देश्य से मार्च १९५२ में ‘एम्प्लाईज प्रावीडेन्ट फँड एक्ट’ पास किया गया। इस एक्ट के अनुसार यह योजना १ नवम्बर १९५२ से छ उद्योगों—सीमेट, हिंगरेट, इलीनियरिंग, लौह एव स्पात, कारब तथा बख—में लागू की गई है। यह योजना उन दारखाना में लागू होगी, जहाँ ५० या ५० से अधिक शमिक कार्य वरते हों तथा इन दारखानों वा निर्माण हुए ३ वर्ष से अधिक हो गये हों। मई १९५४ तक इस एक्ट के अन्तर्गत वेल निजी संशोग ही काने थे।

श्रमिकों को प्रार्थीडेन्ट फ़ाड उनकी १ वर्ष की नौकरी पूरी होते ही बदले लगता है। इस योजना से लाभ के बहुत बहुत ही अधिक उद्य सनने हैं, जिनकी आधारभूत (basic) आप ३००० माह से अधिक न हो। नियोक्ता ग्रसना व श्रमिकों का चन्दा

जमा करते हैं। अमिक तथा नियोक्ता अमिकों द्वारा बेतन का पुथक् पुथर् ६५% देते हैं। यदि अमिक चाहे तो अपने बेतन का ८५% भी जमा कर सकते हैं। अमिक को मालिक द्वारा जमा किये गये भाग का आधा तथा २० वर्ष बाद पूरा भाग लेने का अधिकार है।

योजना का प्रबन्ध

इस योजना का प्रबन्ध कन्द्रीय प्रन्यासी मण्डल द्वारा होता है। इस मण्डल में कन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं। योजना को कार्यान्वयन करने के लिए २० क्षेत्रीय कार्यालय योग्य हैं। प्रत्येक क्षेत्र एक क्षेत्रीय विभिन्नर होता है। यह विभिन्नर कन्द्रीय प्रावीडन्ट विभिन्नर के अधीन होता है। क्षेत्रीय विभिन्नर की सहायता के लिए नियंत्रक तथा अन्य कमीचारी होते हैं।

प्रॉविडेन्ट क डूस (एमेडमेंट) एकट १६५८

प्रॉविडेन्ट परिणाम १६५८ प्रारम्भ में रेगल ६ अनुगृच्छित उद्योगों में ही होता था। मई १६५८ में इस एकट में संशोधन हो जाने के बारे यह एकट १६ मई १६५८ से सरकार के स्वामित्व वाले अधिकार विसी स्थानीय सरकार (Local authority) के स्वामित्व वाले अनुगृच्छित उद्योगों पर भी लागू हो गया है, किंतु इन उद्योगों में ५० या ५० से अधिक श्रमिक कार्य करते हों तथा इन उद्योगों की स्थापना हुए ३ वर्ष से अधिक हो गये हैं। इसके अनुरित यह एकट समाचार-पत्रिका संस्थानों (News Paper Etc. blli. १९०८) में भी, जहाँ कि २० या २० से अधिक लोग बाम करते हों पर भी लागू कर दिया गया है।

यह एकट १६५८ के आरम्भ में रेगल था, अनुगृच्छित उद्योगों पर ही लागू होता था परन्तु उपरोक्त संशोधन द्वारा अनुसार यह ३० जून १६५८ को ३८ नवं उद्योगों में लागू था, जिसके अन्तर्गत ६८१५ व्यावसायों के २४ दल श्रमिक लाभान्वयन हो रहे थे।

उशोधित योजना ने अनुसार श्रमिक अपने बेतन का ८५% तक जमा कर सकते हैं, यद्यपि मालिक का चन्दा ६५% ही रहेगा। यिसका काम नर जारी है। कालान्तर में इन प्रतिष्ठानों में भी इसको लागू किया जायगा। शीघ्र ही इसके अन्तर्गत व्यावसायिक संघ जैसे कार्यालय, नैंब, दीमा कम्पनी, स्टेनोग्राफर, होटल तथा बड़ी-बड़ी दूकानें सभी या जायेंगे।

बोयला यान मजदूरों को प्रॉविडेन्ट फण्ड लाभ

बोयला यान मजदूरों की प्रॉविडेन्ट फैन्ड योजना की रिपोर्ट में बताया गया है कि १६५७-५८ में असम, १० नगाल, निहार, मध्यप्रदेश, उडीसा, बंगाल, आनन्दप्रदेश और राजस्थान के ३ लाख ४२ हजार बोयला यान मजदूरों द्वारा इस योजना से लाभ पहुँचा है।

१९५७ पद में दोषला खान प्रावीडेन्ट पराण में इन बरोड़ ४० लाख रुपये से भी अधिक पन जमा हुआ।

१९५७ पद में अपवाश प्राप्त करने वाले मजदूरों को तथा मजदूरों के नामजदों को शहर में से २० लाख ४० हजार रुपया दिया गया।

उत्तर-प्रदेश में वृद्धावस्था पेन्शन

दिसंबर, १९५७ से उत्तर प्रदेश सरकार एक वृद्धावस्था पेन्शन योजना को आर्यान्वित कर रही है जिसके अन्तर्गत उन ७० वर्ष से ऊपर के वृद्धों को मासिक पेन्शन दी जाती है जिनकी आय का न तो कोई जरिया हो और न उनकी देखभाल करने वाले रितेदार ही हो।

अध्ययन मण्डल—वी० थ० मेनन बमेटी के नाम से प्रसिद्ध अध्ययन मण्डल ने निम्न विवारिशों की हैं।—

(i) वर्तमान अमिक प्रावीडेन्ट पराण योजनाओं को एक दैधानिक पेन्शन योजना में परिवर्त किया जाय।

(ii) अमिक राज्य वीमा योजना के अन्तर्गत मिलने वाले नवद लाभों में वृद्धि की जाय।

(iii) अमिक राज्य वीमा योजना तथा अमिक प्रावीडेन्ट पराण योजना को मिला कर दोनों का प्रशासनिक उच्चरादायित्व सम्बालने के लिए बेचल एक केन्द्रीय संस्था की स्थापना की जाय।

(iv) बेरोजगारी लाभ चालू किये जायें।

आलोचनात्मक अध्ययन—उपरोक्त सुविधाओं में निम्नलिखित दोष हैं।—

(i) चिकित्सा का बहुत ही अपर्याप्त प्रबन्ध है।

(ii) ये लाभ बेचल कुछ स्थानों वे विशेष प्रकार के अमिकों को ही मिलते हैं।

(iii) वृद्धावस्था पेन्शन तथा बेरोजगारी लाभ की ओरै व्यवस्था नहीं है। १५ बरोड मजदूरों में से बेचल १५ लाख ही अभी तक अमिक राज्य वीमा योजना के अन्तर्गत आ पाये हैं।

(iv) सभी योजनाओं के अन्तर्गत इसी मजदूरों को जाहर रखा गया है। उन्हें क्यों शामिल नहीं किया गया है?

उपसंहार

उपरोक्त विवेचन से शाठ है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार सामाजिक सुरक्षा को देश में शीघ्रतिशीघ लाने ना प्रयत्न कर रही है। सरनर का यह भगीरथ प्रयत्न वार्षिक में सराहनीय है क्योंकि पश्चिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ कि सर्वप्रथम इन्होंने

मृदू गतर ५८ शेष और वार्षिक विद्या गता है। अनुभवहीनता तथा असहकारिता के काल इस योजना को पूर्ण सफलता से वार्षिकित करने में अनेक असहनीयों का सामना करता पड़ रहा है और योजना में वास्तव में युद्ध दोष भी आ गये हैं। जिन्हे लाम प्रदान किये जाते हैं वे देश की आवश्यकताओं के अनुपात में बहुत कम हैं। परंतु इन्हें हम लोगों को अधीर एवं असहुण नहीं होना चाहिए। मर्लिं योजना को सफल जाने के लिए यथासम्भव योग-दान देना चाहिए। भूतपूर्व अम मट्री थी पन्डि मार्ड देसाई (मर्म) ने एक बार ७ अक्टूबर १९५४ को अपने भाषण में कहा था कि, “सामाजिक सुरक्षा का पथ लम्हा और दुर्लभ हो रहा है विं तु आधिक एवं सामाजिक संघर्षों को रोकने शाँ एक छतुआट एवं सम्पन्न राज्य की स्थापना के लिए यही एक पथ है।” वास्तव में यह वर्णन किन्हीं अशों में संय प्रतीत होता है।

प्रश्न

1. To what extent is social security guaranteed to industrial & agricultural workers in India? How would you proceed to expand its scope.
(Agra, 1951)

2. Write short notes on

1. Maternity Benefits
2. Health Insurance in India
3. Workmen's Compensation Act
4. Provident Fund Act



अध्याय २२

श्रमिक-संघ आन्दोलन

(Trade Union Movement)

आर्थिक उन्नति और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए विश्व का विशाल जन समुदाय जो संघर्ष कर रहा है यह मानव इतिहास में सभवतः सबसे आधिक फलदायक प्रयत्न सिद्ध होगा। इस संघर्ष का एक पहलू ऐसा भी है, जिसे अमी व्यापक रूप से मान यता नहीं दी गई है, और वह है—इसमें श्रमिक संघों का महत्वपूर्ण योग। समस्त एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में लोग अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अन्तर्ष्यां मुशारने के लिए श्रमिक संघों का अधिकाधिक मुँह ताक रहे हैं।

एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बहुत से देशों में जनता पर सबसे ज्यादा प्रभाव श्रमिक संघों का है। उदाहरणार्थे प्रेटीडेंट एनकूमा और उनकी 'कान्वेशन पीपुल्स पार्टी' ने सन् १९५४ में धाना में घरेलू राजनैतिक कारण तथा कम्युनिज़म के प्रभाव से उसकी रक्खा करने के लिए मजबूर आन्दोलन का सफलतापूर्वक सहयोग प्राप्त किया। जॉन टेटेगा का जीवन इस बात का साक्षी है कि विश्व के अनेक उदीयमान राष्ट्रों के मामलों में श्रमिक संघ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अनेक राज्यों में तो श्रमिक संघ राजनैतिक सत्ता को सँभाले हुए हैं।

* वर्तमान युग में उर्व साधारण 'मजबूर संघ' श्रमिक संघ से भली भाँति परिवर्तित है। एतिहासिक दृष्टिकोण से यद्यपि ये सम्भार्यां बहुत प्राचीन नहीं हैं परन्तु फिर भी इनका महत्व अपेक्षाकृत अधिक तीव्र गति से बढ़ गया है।

अम संगठन आन्दोलन के अध्ययन से जात होता है कि इनका विकास मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं में जटिलता (complexity) आ जाने के कारण हुआ है। थम संगठनों का निर्माण समाज के व्यक्तियों के समूहों द्वारा अपने सदस्यों के आर्थिक जीवन को विपरीत समूहों के विभिन्न हितों (opposing groups with diverse interest) के विवर, मुख्यमय बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। मशीन युग का प्रादुर्याप, बड़े-बड़े कारखानों, शीघ्र तथा उन्नत यातायात तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तृत हो जाने के कारण, कर्मचारी, नियोक्ता (employer) तथा व्यापारी के लिए व्यक्तिगत रूप में आर्थिक जीवन की समस्याओं का सामना करना बहुत कठिन हो

गया। इन समस्याओं का उचित हर ऐ मुकाबला करने तथा उन्हें सुलझाने के उद्देश्य से उसे ऐसे व्यक्तियों का समीक्षन करना पड़ा जिनमें तम्भुर इण्ठी प्रकार की समस्याएँ होती थीं। इस उद्देश्य से निर्मित 'सघोजन' को "अम संगठन" (trade union) कहते हैं।

अम संगठन का अर्थ साधारण रूप से श्रमिकों या कर्मचारियों के परिपदों (associations) से लगाया जाता है परन्तु यान्त्रिक में इस (trade union) के अन्तर्गत अन्य सभी वर्ग (classes) ने कर्मचारी, मालिकगण (employer) स्वतंत्र कारीगर तथा व्यापारी गण भी आते हैं।

अम संगठन की परिभाषा

सिद्धनी तथा वैज्ञ महोदय के अनुसार अम संगठन "एक अमज्जीवियों की स्थायी परिषद (association) है जो उनके श्रमिक जीवन की क्रियाओं को बनाये रखने तथा सुधारने का उद्देश्य रखता है।"^१* यह परिभाषा अपूर्ण एवं अनुषुरु पुरानी है क्योंकि अम संगठन के अवगत बबल 'मजदूर' (wage earners) 'बजापाने वाले' (salary earners) तथा 'शुल्क पाने वाले' (fee earners) ही नहीं आते बल्कि सभी वर्ग के कर्मचारागण आते हैं। इसके अविरिक्त इन संगठनों (Unions) का ध्येय बेबल कार्य करने की दशाओं को बनाये रखना या सुधारना ही नहीं बल्कि जीवन को सुधारने की अन्य क्रियाओं की ओर ध्यान देना भी है।

श्री 'शिवरनिक' (Shivernik) के शब्दों में "अम संगठन एक ऐसा समूह है जिसका मुख्य ध्येय कर्मचारियों तथा मालिकों के आपसी सम्बन्धों का नियमन करना है।"^२† यह परिभाषा यानि पहली परिभाषा से उत्तम है परन्तु भी पूर्ण रूप से अन्य संगठन के कार्यों का समावेश नहीं करती है। राज्य (states) तथा अम संगठन के सम्बन्ध भी आधुनिक द्वाग में महत्वर्ती होते जा रहे हैं।

तीसरी परिभाषा 'निटिश ट्रेड यूनियन्स एमट १६१३' में दी है। इसके अनुसार अम संगठन 'वे सघोजन हैं जिनका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों तथा मालिकों, या कर्मचारियों और कर्मचारियों या मालिकों तथा मालिकों के मध्य सम्बन्धों का नियमन (regulation) करना, किसी व्यापार या व्यवसाय पर नियन्त्रण सम्बन्धी शर्तें लगाना,

* "A continuous association of wage earners for the purpose of maintaining and improving the conditions of their working lives"—*Sidney and Webb's, History of Trade Unionism*

† "An organisation the chief aim of which is the regulation of mutual relations between the workers and the employers"—*Shivernik*

तथा सदस्यों के लाभों की व्यवस्था करना है।^{१५} यह परिमाण उपरोक्त दोनों परिभाषाओं से उत्तर होते हुए भी आधुनिक अम संगठनों के समूहों कार्यों को दर्शने में असफल है। अतः अम संगठन की आधुनिक परिमाणा इस प्रकार दी जा सकती है।

^{१६} “एक अम संगठन मजदूरों, वेतन तथा गुणवातकों का एक स्थायी स्वतः (voluntary) परिषद (association) है जिसने उद्देश्य (अ) अमिकों तथा मालिकों के समन्वय को मुद्दा रखना, उनको (आपको) नौकरी तथा अन्य लाभों को दिलाना, (ब) आपसी मामला में दोनों समूहों (group) तथा राज्य के मध्य सम्बन्धों को नियमित (Regulate) करना, तथा (स) कर्मचारियों को उत्पादकों के लाभ तथा प्रबन्ध में भाग दिलाना है।”

उपरोक्त परिमाणाश्वारों से स्पष्ट है कि अम संगठनों का मुख्य व्येष अमिकों का उड़ान कर सामूहिक रूप से सीदा करने तथा रहन सहन के स्तर को लेना उठाने के लिए प्रयत्न करना है, अमिकों और मिल मालिकों में मेल मिलाप का अन्धा सम्बन्ध बनाना और औत्रोगिक शांति स्थापित करना है, तथा अपने सदस्यों की सामाजिक तथा आर्थिक उन्नात करना, प्रचार करना उनक अधिकारों की रक्षा करना, अम समन्वयी समस्याओं का अध्ययन तथा मजदूरों के नैतिक सुधार करना है। अमिक सदृ मजदूरों का यित्तिव बनाते हैं। उनमें संगठन तथा अनुरागिक की भावना उत्पन्न करते हैं जिससे अम नियम बनाने में सुविधा हो जाती है।

अम संगठनों के कार्य तथा उद्देश्य

प्रारम्भ में अम संगठनों का निर्माण मुख्यात्मक (Defensive) आधार पर हुआ था। ये संगठन मालिकों द्वारा निर्धारित कठिन कार्य करने की दशाओं, कम मजदूरी, अधिक काम करने के घटों इत्यादि के पिछले अमिकों की रक्षा करते थे। परन्तु शनैः शनैः उनके कार्यों में विकास हुआ और आजकल वे राजनीतिक पार्टियों के रूप में आकर देश की बागड़ोर सुभालते हैं। उदाहरणार्थ इगलैंड में १९४५ में श्री क्लीमेंट एटली (Clement Attlee) के नेतृत्व में लेपर पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई थी।

अम संगठन के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं—

(१) अमिकों को नौकरी सुरक्षित बनी रहने का विश्वास दिलाना

अम संगठनों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य है कि वे अपने सदस्यों को उनकी

*Those combinations whose principal objectives are the regulation of relations between workmen and masters, or between workmen and workmen, or between masters and mas¹⁷, for the imposing of restrictive conditions on the conduct of any trade or business, and also the provision of benefits for members.”

नौकरी या उपचार (employment) मुख्यतः अपनी रहने का विश्वास दिलायें। सगड़ों का बीचन अस्तित्व (Existence) ही उनके इस उद्देश्य की सफलता पर निर्भर करता है। अपनी माँगों को पूरा करने के लिए ये हड्डियां (strike) बौखल करते हैं। यदि ये अपनी इस चाल में असफल हो जायें तो भविष्य में कोई भी मजदूर इसका सदैन नहीं बनेगा। क्रेट यूनियन्स, (Craft Unions), जनरल यूनियन्स (General Unions) तथा बाद में हड्डियां यूनियन्स सभी इस समस्या पर ध्यान देते हैं।

(२) सदस्यों को उचित वैन दिलाना तथा उसकी धूंढ़ि करना

अम उद्घटनों का द्वितीय प्रमुख उद्देश्य यह है कि वे अपने सदस्यों के बेतत को दिलायें, उसने तुङ्ग करें तथा उनको बलाये सकें। अम उद्घटन इस उद्देश्य की पूर्ति अकिञ्चित या सामूहिक रूप से करते हैं। अकिञ्चित रूप से तात्पर्य है जब अधिक और मालिक के बीच उनकी मजदूरी, कार्य करने की शर्तें तथा अन्य सम्बन्धित वारों के बारे में सीधा समझौता हो जाता है। इसके बिपरीत यदि यह छम्पार नहीं होता है तो उसी सदस्य अपने सम्बन्ध (union) की अध्यक्षता में सामूहिक रूप से समझौता करने के लिए अपने मालिक को विश्वास बर देते हैं। ऐसा अधिकार वे हड्डियां के साथम से करते हैं।

(३) सदस्यों की कार्यव्यवस्था को बढ़ाना

अम सगड़ों का तीसरा उद्देश्य अपने सदस्यों की काम करने की दशाओं में सुधार करके उनकी कार्यव्यवस्था में धूंढ़ि करना है। कार्य करने की दशाओं में सुधार से तात्पर्य कार्य करने के घण्टों (working hours) को कम करना, कारबाही के अन्दर सफाई इत्यादि करना, मशीनों से होने वाली दुर्घटनाओं के विस्तृत उरदात्मक कार्य करना तथा सबेतन धूंढियां दिलाने वा प्रयोग करना आदि से है।

(४) सदस्यों की वैधानिक कार्यव्याही करने के लिए आर्थिक सहायता देना।

(५) सदस्यों की सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शारीरिक उन्नति करना।

(६) सदस्यों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए उनके हेतु चिकित्सा सम्बन्धी, शिक्षा सम्बन्धी, वाचनालय तथा आमोद-प्रमोद की सुविधाओं का प्रबन्ध करना।

(७) सदस्यों में एकता की भावना का निर्माण करना।

(८) सदस्यों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना।

(९) सदस्यों एवं मालिकों (Employers) के मध्य मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनावे रखना जिससे आपसी कलह कम से कम हो।

(१०) ऐसे सदस्यों की सुहायता करना जो अपनी लीविंग को बीमारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था तथा अन्य किसी कारण से खो देते हैं।

अमिक सघ आन्दोलन का भारतपर्व मे इतिहास

वर्षमान 'अमिक सघो' का उद्गम भारतपर्व मे १६१८ मे 'मद्रास टेक्स्टाइल लेबर यूनियन' (Madras Textile Labour Union) के निर्माण से हुआ। परन्तु इससे पूर्व भी यह तब अमिकों को समर्थित करने के प्रयास किये गये थे। सन् १८७५ मे श्री सोरापत्ती शाहपुर जी बगाली ने सर्व प्रथम सरकार का ध्यान श्रीयोगिक अमिकों (जिसमे वस्त्रे व रितियाँ भी समिलित थीं) की सोचनीय दशा की ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया। सन् १८८४ म श्री नारायण मेघजी लोत्परडे ने कैटटी श्रावणोग को एक समृद्धि दत्त देने के लिए बम्बई मे अमिकों को समर्थित किया। सन् १८९० मे श्री लोत्परडे तथा उनके साथियों ने गवर्नर जनरल को एक पेटीशन प्रस्तुत किया जिसमे अमिकों को पर्याप्त सुखदा प्रदान करने के लिए प्रारंभना की गई। इसी वर्ष श्री लोत्परडे ने बम्बई ₹ १०००० मिल मजदूरों को समर्थित किया और उम्मूल्हिक रूप से 'बाम्बे मिल ओफिस एसोसियेशन' से सत्राह म एक दिन हुँडी टेने के लिए माँग की। यह माँग सफलतापूर्वक पूरी कर दी गई। इस विजय के पलस्त्रलय 'बाम्बे मिल हैएडस् एसोसियेशन' (Bombay Mill hands Association) का निर्माण श्री लोत्परडे के नेतृत्व मे हुआ। श्री लोत्परडे ने "देश बन्धु पत्रिका" (journal) का प्रकाशन भी प्रारम्भ कर दिया। यह सगठन देश का प्रथम समटन होते हुए भी सुट्ट नहीं था। इसका न तो कोई निश्चित संविधान (constitution) था और न चन्दा देने वाले सदस्यों की संख्या ही निश्चित थी।

तब १८८७ मे इण्डियन कम्बनीय एकट के आत्मर्गत रजिस्टर्ड "दी अमैलगमेटेड सोरापटी आौ रेलवे सर्वेन्ट्स" (रेल कर्मचारियों की समिलित समिति) का निर्माण हुआ। उसके बाद "दी कलकत्ता प्रिन्टर्स यूनियन" (१८०५), "दी बाम्बे पोस्टल यूनियन" १८०७ तथा बम्बई की "दी कामगर हितपूर्खक सभा" (१८१०) मे बनाई गयी। इसके अतिरिक्त बगाल मे "दी मोहम्मदन एसोसियेशन" तथा "इण्डियन लेपर यूनियन" बने थे। सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा अमिकों की दशाओं मे सुधार करने के लिए ही इन सब संस्थाओं का निर्माण हुआ था। ये अधिकांशतया भाइ-चारे की मावना से प्रेरित थीं तथा इनका संगठन ढीला था।

अम सघ आन्दोलन यास्तव मे हमारे देश मे महायुद के बाद ही शुरू हुआ। इस युद से अमिकों मे वर्गीय जागृति हुई। युद की तथा युद्धप्राप्त तेजी से मूल्यों तथा जीवन की लागत मे वृद्धि तथा उद्योगपात्रया को मारी मारी लाभ हुए, पर अमिकों की आय मे काफी वृद्धि नहीं हुई। इसक कारण १८१८ २२ मे मजदूरों घटाने के लिए कई हड्डाले हुए। ग्रत. विभिन्न श्रीयोगिक बंदों मे एक बड़ी खल्पा मे अम या व्या पार संघों का निर्माण हुआ। देश मे आम आर्थिक संकट, काव्रेस का आउट्योग तथा

श्रीयोगिक श्रम समठन के कारण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में मनोनीत प्रतिनिधियों को चुनकर भेजने के लिए एक ऐं द्रीय श्रम समठन की आवश्यकता से श्रम संघों ने निर्माण में प्रोत्साहन मिला। तथा युद्धोन्तरात् काल में १९२० के नाद से उनके संघीकरण (Federation) को प्रेरणा मिली। इससे श्रम संघ आन्दोलन को भारत में बल मिला।

उपनिवेशों में भारतीय श्रम के साथ भेद भाव तथा रूसी क्राति के फलस्वरूप समाजवादी तथा साम्यवादी विचारों के प्रचार द्वारा श्रम तथा राजनीतिक नेताओं ने श्रमिकों में एक नई जागरूति संथा नूनीती की भावना पैदा कर दी थी। पूरे संसार में श्रमिकों में नये विचारों, नये भावों तथा नई उमंगों व लहरों के कारण खलबली उत्पन्न हो गई थी। इस प्रकार की सामाजिक जागरूति, राजनीतिक हलचल तथा अन्तिकारी विचारधारा से श्रोत प्रोत वातावरण में श्रमिक वर्ग पुरानी सामाजिक शुराइयों एवं नई आर्थिक

‘ओं में और अधिक रहने के लिए प्रस्तुत नहीं था।

उपरोक्त तथ्यों के परिणामस्वरूप आन्दोलन द्रुत गति से देश में वर्तमान शाल में घटा। पहला श्रम संघ (श्रीयोगिक) मद्रास म जुलाई १९१८ म बस्त्र मिल ने श्रमिकों ने जनाया और १९१९ में इसका सख्त्या ४ हो गई, जिनके २०,००० सदस्य थे। मद्रास के नेतृत्व का बमाई ने अनुकरण किया, जहाँ १९१७ १९ में श्रीयोगिक असान्ति के कारण कई संघ बनाये गये। पर इनमें से अधिकारा ऐपल “हड्डताल समितियाँ” थी न कि व्यापार या श्रम संघ। इनके समठन म बल नहीं था, फलस्वरूप ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाते थे तथा आपस में एकता नहीं थी। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों में प्रतिनिधियों बो चुनकर भेजने की आवश्यकता से एकीकरण को प्रेरणा मिली और आन्दोलन गतिशील बना।

स्थानीय संघों का समठन कर उनका प्रसंघीकरण किया गया और उनके बाद प्रान्तीय प्रसंघों का निर्माण हुआ। एकीकरण के आन्दोलन के फलस्वरूप १९२० में एक अखिल भारतीय श्रम संघ कीमिस (A I T U C) का जन्म हुआ और उनके बाद से इसी वर्षिन बैठक होती रही है। इसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के साथ व्यापार संघों का जन्म उ ही सम्बन्ध स्थापित हो गया है। १९२० में ही मद्रास म गाड़ी द्वारा अहमदाबाद में सूत बाजाने वालों का संघ तथा बुनकरों के संघ बनाये गये और १९२१ तक लगभग २० व्यापार संघ हो गये थे।

इसी बीच १९२० में वर्किंगम मिलों में मजदूरी बढ़ाने के वास्ते श्रमिकों को हड्डताल करने के लिए बहकाने के कारण मद्रास श्रम संघ के विरुद्ध मद्रास के उच्चान्यायालय द्वारा विरोधाधा (junction) जारी हुई। इससे श्रम नेताओं को यह संकेत मिला कि श्रम संघों की रक्षा तथा रजिस्टरी के ज़िए सत्रियम स्वीकृत करना परमावश्यक था। श्री एन० एम० जोशी के ५ वर्षों के अन्वरत तथा अथक प्रयत्न के बाद १९२६ में व्यापार संघ विधान (Trade Union Act) स्वीकृत हुआ।

सन् १९२६ में इसरे नामपुर के अभियेत्वन में ट्रेड यूनियन कांग्रेस में पूँछ हो गई और तीन दला रा निर्माण हुआ—काशुनेस्ट, नरमदल (लिंगरल) तथा शेप। “अम पर शाही ग्रामांग का ग्रामशाठ नहीं किया जायगा” इसी प्रश्न पर मतभेद हो गया। असु श्री एन० एम० जोशी ने नेतृत्व में राष्ट्रांग ट्रेड यूनियन केंडरेशन तथा गरम दला के द्वारा अतिल मारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का निर्माण हुआ और योहे से सब दल दार्दा में संक्षिप्ति के साथ समझ नहीं हुए। गरमदल तथा वाम पक्षियों (विपरियों) का प्रभाव नहुता जा रहा था। इसके कारण १९३१ म चिर पूँट हुई जब देशपालडे तथा रानादिवे के नेतृत्व में गर्व तथा उत्तम पक्ष ने अलिल भारतीय लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (A I R. T U C) का निर्माण किया। कम्युनिस्टों तथा आग उगलने वाले विरायितों की कार्यालयों ने फलस्तर ३१ नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई तथा प्रसिद्ध मेरठ पड़वन सुकदमा चला। जांच की विवरसन अदालत ने गर्व म १९२६ का कपड़ा मिला म हड्डाल कराने तथा उसे जारी रखने का ‘गिरफ्तारी कामगर यूनियन’ पर आरोप लगाया गया। पारस्परिक पूँछ तथा इन प्रिव्वस कारी कार्यवाहियों के कारण अम सब एकता समिति १९३१ में बनी और ‘प्लेट पार्म एकता’ प्राप्त हुई।

सन् १९३५ में दो मुरत्र विरोधी दलों, अर्थात् कांग्रेस तथा केंडरेशन की एक सुयुक समिति गठाई गई जिसके प्रतासी के फलस्तर १९३६ म एकता प्राप्त हुई तथा १९४० में केंडरेशन कांग्रेस में सम्मिलित कर दिया गया। इस एकता प्राप्ति का श्रेय श्री बी० बी० गिरि को था। इस अस्थाया समझौते में १९४६ में संशोधन हुआ।

कि तु सितम्बर १९४० म गर्व का अधिवेशन म युद्ध प्रथन के साथ तटस्थना के प्रश्न पर एक बार चिर पूँछ हुई और श्री एम० एन० राप तथा जमुनादास मेहता के नेतृत्व में ट्रेड यूनियन केंडरेशन का निर्माण हुआ। इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में खुला। कलकत्ता के नायिकों के सभा (Seamen's Union) ने कांग्रेस से अपने को विलग कर दिया। इसके अतिरिक्त १९३७ में महात्मा गांधी की देवरेख में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बाहर हिन्दुस्तान मजदूर संग सभा अभिका को समर्पित कर रहा था। १९४२ से कलिय चोरी के यूनियन कांग्रेस नेताओं की देप रेप तथा पर्यवेक्षण में अतिल मारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (A I N T U C) अभिकों के दुसों के कारण का प्रतिकार बिना हड्डाला के, बातचीत, भेल मिलाप, प्रधानता तथा निपटाया के शान्ति पूर्ण ढगा से करना चाहती है।

उसके बाद दिसंबर १९४८ में कांग्रेस से विच्छेद होने पर चोरालिस्ट पार्टी या समाजवादी दल ने हिन्द मजदूर सभा का खटपात किया। इस पूँछ ने भारत

में अभिक सघनाद (trade unionism) को और भी निर्वल करा दिया है। अभी हाल में इन दोनों दलोंने असिल भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (A I N. T. U C) तथा एक दूसरे प्रतिनिधि संघरण पर संदेह प्रकट किया था। १९४६ में मुख्य अम विश्वनार की जाँच से यह प्रकट हुआ था कि अम की सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था असिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी, परन्तु हाल में सरकार ने असिल भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (A I N. T. U C) को भारत में अविभागी की समस्या अधिक प्रतिनिधि संस्था घोषित किया है। १९५१ के पहले समाह में श्री के० टी० शाह तथा वी० एम० के० चोपड़ के नेतृत्व में यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (U T U C) जनाई गई।

भारतरप्ते में अभिक संघों की वर्तमान स्थिति

निम्न तालिका देश के प्रमुख अम संघों से सम्बद्ध (affiliated) संघों व संस्थाओं की संख्या को निर्देशित करता है। (अगले छठे में देखिये)।

भारतरप्ते में कुल रजिस्टर्ड अम-संघों तथा उनके सदस्यों की संख्या उन्
१९५७ फ़र्द तक इस प्रकार थी:

	फ़ैन्ड्रीय अम संघ		राष्ट्रीय अम-संघ	
	१९५६-५७	१९५७ फ़र्द	१९५६-५७	१९५७-५८
(१) रजिस्टर्ड संघों की संख्या				
(२) रिटर्न मेज़ने वाले संघों की संख्या ...	१७३	२२३	८,१८	८,८२२
(३) रिटर्न मेज़ने वाले संघों के सदस्यों की संख्या	१०२	१३६	४,२६७	५,३८४
	१,८७,२६५	३,४३,१६८	२१,८८,५६७	२६,७२,८८३

पर इन संस्थाओं के फैसले तथा निर्णय दोनों दलों पर अनिवार्य रूप से लागू नहीं होते थे और इनके निर्णय की शैली के क्रम अनिवार्यमक्त है। अतः इस विधान में अम आयोग की लिफारियों को कार्यान्वित करने के लिए १९३५ में संघोधन किये गये; इसे १९३८ में स्थायी रूप दिया गया तथा १९३८ में पुनः संघोधन हुआ। नये विधान में अधैरेक हठताल की परिमाण में परिवर्तन हुआ, जिसके अपशिष्ट द्वारा संवादी की सूची में आमन्तरिक स्टीपर, द्वामगारी तथा शक्ति पूर्ण करनेवाली संस्थाओं को सम्मिलित किया गया तथा प्रान्तीय सरकारों द्वारा समझौता अमसरों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई।

* Source: India 1960, P 383.

प्रमुख अम संघों की संख्या एवं सदस्यता*

विभिन्न संगठन	उच्चांश संघों की संख्या			सदस्यता		
	१९५६	१९५७	१९५८	१९५६	१९५७	१९५८
(१) हिन्दू नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (I.N.T.U.C.)	६१७	६७२	७२७	६,७१,७४०	६,३४,३८५	६,१०,२२१
(२) हिन्दू मजदूर समा० (३) आल हिन्दू ट्रेड यूनियन कांग्रेस (A.I.T.U.C.)	११६	१३८	१५१	२०३७६८	२३३६६०	१८२६४२
(४) यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (U T U C)	५५८	—	८०७	४२२८५१	—	५३७५६७
२३७	—	१८२	१५६६१०	—	८२,००१	—
योग	१५३१	—	१८६७	१७५७४६८	—	१७२२७३१

अम संघ अधिनियम १९२६

अम संघ अधिनियम १९२६ में पास हुआ। इस अधिनियम के अतर्गत अम संघों के रजिस्ट्रेशन का प्राविधान किया गया, परन्तु वह अनिवार्य न था। अर्थात् रजिस्ट्री कराना अम-संघों की इच्छा पर है। यदि किसी अम संघ की प्रबन्धक समिति के ५०% सदस्य उसके आधीन इकाईयों में नियोजित (employed) हो, तो कोई उ या अधिक सदस्य रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

एक रजिस्टर्ड अम संघ को ग्राना नाम तथा उद्देश्य घोषित करना होता है, संघों की सूची रखनी होती है, अपने कोंचों का नियमित वार्षिक आविष्ट या अवेद्य कराना पंडता है। इस अवेद्य का विवरण, नियमों की एक प्रति, पदाधिकारियों तथा प्रबन्धक समिति के संघों की सूची इत्यादि अम संघों के रजिस्ट्रार को मेजना पड़ता है।

इस अधिनियम में १९२८ तथा १९४२ में कुछ परिवर्तन किये गये थे।

*India 1960, p. 383.

अम-सघ अधिनियम १९४७

अम सघ अधिनियम १९२६ में अम संघीयी को नियोजिता गयी (employers) द्वारा मान्यता के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं था। अत अम सघ अधिनियम में, १९४७ में विशेष संशोधन करके, अम संघीयी को नियोजिता गयी द्वारा मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में आयोजन किया गया है। इसके अनुसार किसी अम अदालत की आग पर एक रजिस्टर अधिनियम अम सघ का नियोजिता द्वारा मान्यता अनिवार्य कर दी गई है।

प्रारम्भ में अम संघीयी के अधिकारों के प्रति अनिवार्य उदाहीनता यी और वे वार्षिक विवरण अतिरिक्त दिखाने के सूची आदि देने से हिन्दिनाते थे। ऐसी मान्यता प्राप्त अम-सघ की प्रबन्धक समिति नियोजिता गयी के साथ नियोजन (employment) की शर्तों की विशिष्टता कर सकती है तथा वर्कशापों में गृहनार्थी दिखाएकरी है।

इस अधिनियम को वार्षिकता करने का भार ग.व. की सरकार पर ही है जिसके ८ में रजिस्ट्रर की नियुक्ति करती है।

इस अधिनियम के दोषों का दूर करने के लिए भारतीय उचिद में १९५० में एक विधेयक पेश किया गया था, जिनका दृढ़ेश्वर पूर्व के अधिनियमों को टीक, टोड व शुद्ध करना था। पर पुराना संसद में यह विधेयक स्वीकृत नहीं हो सका। १९५२ में भारतीय अम संघलेन म उचित विधान बनाने पर विचार किया गया था। इसके अनुसार संघीयी के अधिकारों की जांच के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति उदास्थों की रुली, चंदे की रकम व नियम, सदरशो के पृष्ठ, करने का दशाओं, उन पर अनुशासन, बाही लोगों की सरकार का नियमन व नियशय, पवनीयन को रद करने की अप्रस्थाओं, संघों की उद्यागपतियां द्वारा अनिवार्य मान्यता तथा अम न्यायालयों द्वारा उनकी मान्यता की गई, नियोजन का दशाओं पर मान्य संघ की प्रबन्ध समिति द्वारा उन्नोगपतियों से धौरा करने के अधिकार तथा उन्नोगपतियों पर दूसरा करने की दशाओं आदि की व्यवस्था की गई थी। मार्कीय राष्ट्रीय अम संघ के विधेयक व अतिरिक्त अन्य सभ अम दलों ने इसकी वीच आलोचना तथा धार निरोध किया था।

अम संघ तथा द्वितीय पचार्पीय योजना

अम संघीयी के दोषों को दूर करने के लिए अमिका के प्रतिनियिक प्रणय (सन् १९५५) ने कुछ सुझाव दिये हैं जो कि द्वितीय पचार्पीय योजना में कार्यान्वयित किये जायेंगे।—

(१) अम-संघीयी में जाहीर व्यक्तियों का सम्मिलित न होने देना।

(२) अम संघीयी का आप्रस्थक शर्तों के पृष्ठ करने पर वैधानिक मान्यता देना।

- (३) अम संघों के कार्यकर्ताओं की उत्पीड़न (victimization) से रक्षा करना, तथा
 (४) अम-संघों की व्यक्तिगत साधनों द्वारा उन्नति कराना।

प्रश्न

1. Survey briefly the development of trade union movement in India. What are the main obstacles to its healthy growth
 (Patna, 1951, Rajputana, 1953)
2. What are the basic functions of a trade union? Do you think our trade unions have discharged their functions satisfactorily?
 (Agra, 1954)

अध्याय २३

श्रम सन्ति यम

(Labour Legislation)

उत्तोग और उत्तमे काम करने की दशाओं पर पिछली सदी के लागतम जल्द एक राजनीय नियन्त्रण नहीं था और पैकेटरी विधान न अभाव में नियोजक या सिन मालिक मजदूरों का और निशात लियो और न्यूनों का रोकथ करने में सक्त थे। पैकेटरियों में बाम करने के घटे लघ्य हे मजदूरियाँ बहुत नम थीं, पैकेटरियों में बाम करने की दशाएँ आमानुषिक तथा अस्तोपनव थीं, बच्चों के रोजगार की उम्र का दौर नियम नहीं था, साप्ताहिक या यामयिक लुटियाँ नहीं थीं और जिन घरे हुए मरीजों की हुष्टना या ग्राम भग से पैकेटरी म श्रमिकों के रक्षार्थ कोइ प्रबन्ध नहीं था। वयसी और्योपीयरण की दीड़ म भारत ने देर म भाग लिया तो भी भारतीय उद्योगपतियों ने पैकेटरियों की बुराइयों को दूर करने के लिए पारन्वान देशों क अनुभव से कोई लाभ नहीं उठाया। अभागे मजदूर व स्वास्थ्य तथा शक्ति पर गढ़े ग्रहातों तथा धनी वस्तियों का उड़ा बुरा प्रभाव पहुँचा या।

आपनिक उत्तोग धर्मों की अखलनीय बुराइयों से जुँध भारतीय राजनीति कार्यकर्ताओं तथा मानववादियों का दृश्य मिथ्ये गया और पैकेटरियों के अभियों की दयनीय अपरक्षाओं म सुधार करने के लिए उन्होंने आदोक्षन प्रारम्भ किया। अनियुक्ति के प्रति उनकी उहानुभूति जागृत हुई। इसक बाद सती कपड़ी के मिलों के निवास पर लकाशायर के उद्योगपतियों म हीर्या उपन्न हुई। उनका विचार था कि दैक्षिणी विधान के अभाव में भागवीय बाजार म भारतीय उद्योगपतियों को उनक साथ प्रतिसंदृढ़ रहने में लाभ था। अत उन्होंने भारतीय सती मिलों पर पैकड़ी बालून [लागू] करने के लिए सरकार पर दानाप ढाला। अस्तु १८७५ म कम्बल सरकार ने एक पैकड़ी अत्योग की नियुक्ति की बित्ती कियारिया। के फलस्वरूप १८८१ में वहला पैकड़ी एकट क्वा। किं भी महायुद्ध तर नमिन संविधान का बाह महव नहीं था। उसने बाद देश के बड़ते हुए और्योगीकरण, अमिक वर्गों में वर्गाव जागृति की बुद्धि तथा उनकी अपनी शक्ति के महत्व पा शान, भारत सरकार ना अन्तर्राष्ट्रीय अम सघ तथा उसके प्रस्तावों पर प्रति उत्तरदायित्व और स्वीकृति तथा काग्रेस मद्रिमन्लों क आगमन के कारण अनी हाल में एक बड़ी सख्ता म धम संविधान देनावे गये।

फैक्टरी अधिनियम (Factory Acts)

१८८१ का अधिनियम

परवरी सन् १८८१ में प्रथम भारतीय फैक्टरी एकट पास हुआ, जिसकी मुख्य वार्ता इस प्रकार है—

(१) यह नियम उन फैक्टरियों पर लागू था जिनमें कम से कम १०० व्यक्ति नौकर ये तथा शक्ति का उत्तरोग किया जाता था।

(२) इसने अनुसार ७ वर्ष से कम आयु वाले वर्क्सों को नौकर नहीं रखा चाहा सकता था, तथा ७ और १२ वर्षों के वर्क्सों से १ घण्टे प्रति दिन विश्राम के साथ ६ घण्टे प्रतिदिन से अधिक काम नहीं लिया जा सकता था। माह में कुल ८ हजारियाँ दी जा सकती थीं।

अम्ल इसमें वर्क्सों की सीमित रक्षा की व्यवस्था थी पर बयस्क (adult) स्त्री, पुरुषों को बोई लाभ नहीं हुआ।

१८८१ का अधिनियम

द्वितीय अधिनियम के नियमन के अभाव और वर्क्से मजदूरों की रक्षा के लिए एकट के अर्थात् प्रारिधानों के कारण १८८१ के विधान में सशोधन की माँग हुई। उत्तर सदाशायर वे सूती मिल मालिकों ने और विभिन्न नियमन के लिए भारत सचिव पर दबाव डाला। अमर्वई फैक्टरी आयोग (१८८४) नथा फैक्टरी श्रम आयोग (१८८०) की सिभारिशों पर १८८१ में दूसरा फैक्टरी एकट पास हुआ जिसकी मुख्य विशेषताएँ यह थीं—

(१) यह एकट उन फैक्टरियों पर लागू किया गया जिसमें कम से कम ५० व्यक्ति काम करते थे तथा शक्ति का प्रयोग होता था।

(२) इसके अनुसार ६ साल ये कम आयु वाले वर्क्सों को नौकर नहीं रखा जा सकता था तथा ६ और १४ वर्ष वे जीव वाले वर्क्सों वे काम के घण्टे ७ घर दिये गये।

(३) जियों के लिए प्रति दिन १॥ घण्टे विश्राम के साथ काम के अधिकतम् घण्टे ११ निश्चिन रिये गये थे तबाद द दर्जे रात से लेकर ५ बजे सप्तरे तक उनको काम पर नहीं लगाया जा सकता था।

(४) पुरुष मजदूरों के लिए १ लाखाहिर लुटी एवं १५ घण्टे अप्रत्यक्ष की व्यवस्था पी गई।

इन मुख्य प्रारिधानों के अनिवार्य और अधिक हृषादार नथा राफ्स-सुथरी फैक्टरियों वी और उनमें भी रोकने की भी व्यवस्था करनी थी।

१९११ का अधिनियम

पैकटरिया में विजली के लग जाने तथा प्रयोग के बारण वाम के घटों में वार्षी शुद्धि हो गई थी और स्वदेशी आन्दोलन की तेज़ी ने पैकटरियों में वाम करने की परिस्थितियों को और भी मिगाह दिया। लालाशायरने फिर दग्मां ढाला, और उमानाराम पनीं तथा कुछ प्रगतिशील मिलमालिङों ने वाम के घटों में कमी तथा वाम की दशाओं में सुधार करने की माँग की। फलस्वरूप त्रिटिश सरनार मे १९०६ मे 'प्रिवेटसिप समिति' तथा १९०७ मे एवं पैकटरी श्रम आयोग को पैकटरियों मे वाम की दशाओं की जाँच करने के लिए नियुक्त किया। इन्होंने १९०८ मे अपनी रिपोर्ट मे पहले के पैकट्री नियमों को रद करने की मिपारिश की क्योंकि इनका उल्लंघन किया गया था।

इनकी सिपारिशों पर १९११ का पैकटरी विधान स्वीकृत हुआ जिसमें पहली बार वयस्त मुद्रण के वाम के घटों को निश्चित किया गया। इसकी मुख्य घाराएँ

—लिख हैं—

(१) पैकट्री श्रम आयोग ने मुद्रण के वाम के घटों में कमी तथा बियों के कांप के घटों को ११ से बढ़ाकर १२ कर देने की मिपारिश की थी, पर बियों के वाम के घटे ११ ही रहे, हालांकि अधिकतम स्वीकृत प्रता तर वाम करने वालों के लिए १॥ घटे के विश्वास में कमी कर दी गई थी।

(२) टेक्सटाइल (कमड़े बनाने वाली एंकिट्रियों) मे प्रति दिन वाम के घटे मुद्रणों के लिए १५ थे।

(३) नव्वा के लिए वाम के घटे ६ निश्चित किये गये।

(४) यह विधान ४ महीने से कम के लिए वाम करने वाली ग्रस्थायी (मौसमी) पैकटरियों पर भी लागू किया गया।

(५) स्नास्त्र तथा मुरक्का के लिए और व्यापक ग्राहियों की व्यवस्था की गई, तथा आयु प्रमाण रखना अनिवार्य कर दिया गया।

१९२२ का नियम

१९२० म नव्वे मिल मालिका के सब ने वायसराय को भारत मे सब दण्ड बनाने वाली पैकटरियों मे वाम के घटों को १२ की अपेक्षा १० पर ही विधिवत ठीकित कर देने के लिए एक 'स्मारक' पेश किया। अतः १९११ के विधान को संशोधित किया गया और १९२२ मे एक संगति पैकट्री एक्ट स्वीकृत हुआ। इसमें मुख्य बारे निम्नलिखित थी—

(१) यह एक्ट २० व्यक्तियों को नीकर रखने तथा शक्ति प्रयोग करने वाले सब सरकारी व्यक्तियों पर लागू किया गया।

(२) १२ बप क नाचे नी आयु याले उच्चों को, और एक दिन म दो फैक्टरिया में वाम लगाने से रोक लगा दी गई।

(३) १२ और १५ बप क बीच याले उच्चों न लिए ४ घण्टे क काम के बाद १ ॥ घण्टे के पिछाम क साथ काम क घएन् ६ निश्चित रिये गये।

(४) बपस्तों क लिए काम क घण्टे प्रतिदिन ११ तथा ६ दिनों क प्रत्येक सप्ताह क लिए ६० नियत रिये गये।

(५) बिया और बच्चों को ७ बों शाम से प्रात् ५ ह तक काम पर लगाने से मना कर दिया गया।

(६) प्रान्तीय मरमारा को १० व्यक्तियों को काम पर लगाने वाली संस्थाओं पर चाहे व शास्त्र का प्रयोग करती हा या नहा, इस नियम को लागू नरने, तथा खुली हया व कृतिम डारां द्वारा ठन्क करने क स्तरां या प्रमाणों क निश्चित करने का अधिकार भी उनसों दिया गया।

(७) प्रत्येक ६ घण्टे काम क नाद एक घण्टे का विनाश का ५ घण्ट लगातार चाहे वरने क बाद अभिका क अनुरोध पर दो आवेद्ये परने क विभाग की व्यवस्था की गई।

(८) नियत समर से अधिक काम (overtime work) के लिए साधारण मजदूरी की रम से कम १५ गुनी मजदूरी नियत की गई।

१६२३, १६२६ और १६३१ क संशोधन विधानों द्वारा कन्ल छोटे मुधार तथा शासन समर्थी पारितान रिये गय।

१६३४ का नियम

अब तक क फैक्टरी पिधानों की तुनिंदा तथा मन्त्रूर नेताओं और सामाजिक सुधारनों द्वारा भारत म शम सन्नियम को प्रगतिशील देश। र स्तर पर लाने क लिए आदोलन क कारण १६२६ म 'भारत म शम पर शाही आयाम (Royal Commission on Labour in India) की नियुक्ति हुई। ऐकटरिया म निरोक्तन (नौकरी) तथा काम की दशाओं म सुधार क निए इस आयाम ने उड़ी महापृथक खिलारियों भी जिनम से आधिकारा की भारत सरकार द्वारा स्वीकृति क कल्याण फैक्टरी विधान के विकुल नये दग उत्तेजाव कर एक संगठित ऐक्टरी एक्ट १६३४ म स्वीकृत हुआ तो १ जनवरी १६३५ से लागू हुआ। इसकी मुख्य बाबे इस प्रकार हैं —

१ (१) इस विधान ने स्थानी तथा सामयिक फैक्टरियों में रिमेड किया।

(२) १५ और १७ वर्षों के बीच की आयु के युवकों का एक तृतीय वर्ग बनाया गया।

(३) सामयिक फैक्टरियों में प्रति दिन काम के ११ घण्टे तथा प्रति सप्ताह ६०

(४) सुरक्षा—श्रमिकों वी मुरक्का र लिए मरीनों के घेर या गाड़, नह मरीनों पर बढ़त लगाने वाया भारी बजन व मराना क उद्दाने र लिए क्रेनों, जिस्टा, हायस्टो इल्यादि की समुचित व प्रचुर व्यवस्था होनी चाहिए। छी तथा तथा बच्चों को ततरनाक मरीनों से दूर रखना चाहिए। आग, भयानक घुआ, पिस्पोक या शीत उन्ने वाली धूल, गेस्ट इल्यादि र विद्ध श्रमिकों वी सना के लिए साव गानीपूर्ण उगावों सी व्यवस्था रखा भी आवश्यक है।

(५) श्रमहितसारी कार्य—श्रमिकों के हितार्थ स्वानग्हा, कपड़ा धोने वा सुतिखाए, ऐन क कमरा, प्रथम चिकित्सा क सामाना, विश्वाम आनंदा व पड़ रखने वथा भागे र पड़ सुखाने वी सुव गया, गल पोपगणालालाओ (Creches) या बच्चों की देख भान वी व्यवस्थाओं का समुचित ग्राहोनन होना चाहिए। ५०० या इरुसे अधिक श्रमिकों से राम रखने वानी प्रयोग फैस्टरी का श्रमहितसारा अधिकारिया को नियुक्त रखना आवश्यक है तथा ८५० ऐ अधिक श्रमिकों से राम रखने वानी फैक्टरिया म कैटीना या बोजन र समरा भी बरस ग रखना अनिवार्य है।

(६) शाम के घण्ट तथा छुट्टीया—शाम बरने क दैनिक घण्टे ६ तथा रातातिक ४८ तथा अधिकतम समय ना फैलाय (spread over) १०३ पट्ट नियन दिये गय हैं। ५ घण्ट र अनन्तरा या लगातार राम के गद प्रत्यक्ष श्रमिकों को कम स कम आधे घण्ट का नियाम अवश्य देना चाहिए। दिनक तथा नियाही नियन समय स अनिक राम की सीमाए नियारित कर दी गई है और उसक लिए भुगतान मनौरयों की ऊधारण दर्दी दुनुनी राशि पर नियन्त्रित किया गया है। क्रिया तथा बच्चों को ७ बजे शाम क गद और ६ बजे प्रात् ५ पूर्व बाम म भय लगाया जा सकता, पर राज्य सरकारों की नियम दशाओं म इन सामाजिक महेत फेर करने वा अधिकार प्राप्त है। उसाह में एक दिन वी छुट्टी भी अनिवार्य कर दा गई है। बच्चों के बाम ऐ घण्टे ४२ से अधिक नहीं हो सकत। प्रन्त्रेक प्रीड श्रमिकों को पूरे १२ मात्र अनन्तरा या लगातार एव फैक्टरी म बाम बरने पर आगामी १२ मार्सी की अरदि म मजदूरी तथा मैंहगाइ भत्ता के साथ न्यूनतम (कम से कम) १० दिन वी अवधि तक छुट्टी मिलेगी। इस छुट्टी की अवधि की गणना पहले क १२ महानों म उसक द्वारा प्रन्त्रेक २० दिनों ने बाम बरने पर १ दिन वी दर पर वी जायगी तथा बच्चों को बाम क प्रन्त्रेक १५ दिनों के लिए २ दिन वी दर पर बम से कम १४ दिनों की छुट्टी मिलेगी।

(७) आयु तथा योग्यता का प्रमाण—१४ बच्चों से कम आयु वाले बच्चों की जिगी फैक्टरी म नीमर नह रखा जा सकता। १४ बम पूरा बर लेने वाले बच्चों तथा १८ बम से कम आयु वाले बुररों को १८ बम पूरा बर लेने पर ग्राहनी आयु तथा योग्यता का एक प्रमाणवत लियिज सर्वन से लेकर फैक्टरी सचालक रो देने पर ही गम में लगाया जा सकता है। यह प्रमाणवत प्रति बम देना पड़ता है।

(c) वीमारी की सूचना—अधिनियम की अनुग्रहीया या परिशिष्ट में उल्लिखित रोगों में स्थिरी एक रोग से अभियान को प्रसिद्ध होने पर फैक्टरी सचालर वो एक विशेष प्रपत्र तथा सीमित समय में उपयुक्त अधिकारियों को सूचित करना पड़ता है तथा ऐसे अभियान के किसी डाक्टर द्वारा जाँच की लिखित रिपोर्ट फैक्टरियों द्वारा प्रमुख नियंत्रक द्वारा भेजना पड़ता है।

(d) जुर्माना—ऐकट व प्राविधानों का भग बरने पर जुर्माना की व्यवस्था की गई है। यदि अभियान जानकारी वर मरणीया को दरात्र बरता है तो याचायाल का दर्द दिया जा सकता है और यदि धूमदानों के अतिरिक्त वह अत्य स्थानों में भूकता है तो उसे जुर्माना देना पड़ता है।

घागान अम नियम (Plantation Labour Laws)

भारत में समिति उत्तराय का प्रथम स्वरूप जागान था। श्रम की समस्याओं की जागान मालिना और अभियान का पारस्परिक सम्बन्धों का नियमन के लिए १९०१ में अत्यम अम तथा प्रगास नियम पास किया गया था। इसके अनुसार अत्यम के बाय जागानों के लिए लाइसेन्सदार ठेक्कारा द्वारा मनदूरों की भरती होती थी। इन ठेक्कों में दासता निहित रहती थी अत व्याख्याना भारतीयों द्वारा इच्छी तीव्र आलोचना देया गिरेय हुआ। अस्तु १९०८ तथा १९०५ में इसम उच्चोषण हुआ और लाइसेन्सदार ठेक्कारा द्वारा भरती वा पढ़ात वो रद कर दिया गया।

१९०५ व नियमन ने बुलियारी की प्रथा को नक्क दिया पर यह तभी प्रभागपूर्ण हुआ जब १९२६ और १९२७ में बागवरा व ठेका भग विधान (Break of Contract Act) का रद कर दिया गया। ठेक्कारा द्वारा भरती के स्थान पर अत अम बोर्ड (Labour Board) के अधिकारियों द्वारा भरती होने लगी। कदीपत्रिका प्रान्तीय सरकारों ने जागाना व अभियानों की दशाओं की पूरी जाँच-पड़ताल १९२६-२८ म वी तथा १९२८ म अम पर शाही आयाग ने भी ऐसा ही नियम। इस आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने १९३२ म 'चान बिला प्रवासी अम नियम' पार दिया जो १ अक्टूबर १९३३ से लागू किया गया। इसकी प्रमुख बाबें निम्न प्रकार हैं—

(१) पहले व जागान विधान का उद्देश्य जागान मालिकों व द्वितीय वी द्वारा तथा कुलियों की भरती भरने म उह अधिकारिक सहायता देना था पर इस नये विधान व उद्देश्य असम जागान म प्रवास भरने वाले अभियानों की भरती पर नियन्त्रण वर्ता तथा जागानों तक अभियानों के पहुँचने की व्यवस्था में उचित सहायता देना था।

(२) कन्दीय सरकार व निष्पत्रण व अधीन प्रान्तीय सरकारों की प्रान्तीयों के भेजने में सहायता पर, या उनकी भरती तथा भरने दोनों पर नियन्त्रण वर्तने का अधिकार था। अनुचित रोक-धारों से प्रवास वो नकाने का भा उद्देश्य था। अधिकृत अभि

कतार्थी द्वारा ही निर्देशित मार्गों से असम रग्लटों को भेजना था तथा मार्ग में उनके भोजन, विश्राम, दूवा, डाक्टरों द्वारा देवा इत्यादि का पर्याप्त प्रबन्ध करना आवश्यक था।

(३) सोलह वर्ष से कम आयु के लड़कों को बिना उनके माता पिता या सरकार के साथ और नियाहित स्थिरों को बिना उनके परिवारों की आशा के असम प्रवास के लिए नहीं भेजा जा सकता था।

(४) प्रत्येक सहायता प्राप्त प्रभारी दो प्रथम तीन वर्ष की नीसरी के नाद मालिक के सचें पर अधिकार पहुँचने के एक वर्ष के अन्दर भी बीमारी के कारण, उससे शकि के अनुकूल काम की अनुमतिलाभ या अन्य पर्याप्त जारणी से नियन्त्रक द्वारा मालिक के पेंडों से वापस लौटने का अधिकार था।

सानों के सन्नियम

खानों में काम की दशाओं को नियमन करने के लिए भारतीय पानों का फहला विधान १६०१ में बनाया गया, जिसमें काम के घरटों का नियमन नहीं था, ऐप्रत सुख्ता तथा निरीक्षण दें लिए प्राप्तिवान 'था। वार्डिंगटन बान्केस की सिपारिशों के कारण १६२३ में इस विधान का संशोधन विचार गया और वह १ जुलाई १६२४ से लागू किया गया। इसमें प्रमुख बानों नियम प्रकार थी—

(१) इस विधान में पहले पहल काम के घरटों की सीमा निर्धारित बी गड़े, जो ६ दिन के प्रति सप्ताह में भूमि पर काम करने वालों दें लिए ६० धरें तथा भूमि के भीतर काम करने वालों के लिए ५४ धरें थी।

(२) १३ वर्ष से कम आयु वाले बच्चों दो भूमि के भीतर काम पर लगाने से भ्रोक दिया गया।

१६२३ के विधान में भूमि के भीतर ग्रीसों के रोज़गार पर कोई रोक याम नहीं लगायी गई थी। अतः भूमि के भीतर काम करने वाले श्रमिकों वी कुल सख्ता वी ४५% छियों थीं। लोक समिति के इराने विश्व देने तथा आन्दोलन र कारण यार-तीय सरसार ने १६२३ के ऐकट के अन्तर्गत १६२६ में कुछ नियमों को पाप कर भूमि के भीतर कुछ पानों में ग्रीसों को काम पर लगाने वी मना ही कर दी थी। पर बहाल, बिहार और उडीसा, मध्यप्रदेश वी कोयले वी पानों तथा दजाव वी नमक वी खानों में ग्रीसों का नियोजन प्रति वर्ष धीरे धीरे उनकी सुख्ता में कमी कर, १ जुलाई १६३६ से बन्द होने वी था। वे भूमि के ऊपर तथा खुले मैदान में पानों में काम कर सकती थीं।

शाही धर्म आदेश वी सिपारिशों तथा १६३१ वी अन्तर्ग्रन्थीय धर्म बान्केस द्वारा घोषित वी खानों में काम के घरटों पर मस्विदा कन्वेंशन (Draft Conven-

लेगर बैलफेयर फरड़ एकट^३ १६४६ न द्वारा एक अम हितमारी कोष की स्थापना की गई जिसे अध्रक के निर्यातीं पर मूल्यानुसार अधिकतम ६२% का निर्यात कर लगा फर निर्माण किया गया।

इन अधिनियमों का पिसारपूर्वक अध्ययन अम कल्याण वाले अध्याय में स्थित आगया है।

पारिश्रमिक (मजदूरी) का भुगतान नियम १६३६

मजदूरों की मजदूरी देने भ दैर तथा नहीं आनाकरनी की जाती थी जिसने चारण उन्हें ग्रनेन बड़ी-बड़ी कमिनाइयों भेलनी पड़ती थी तथा ग्रने एवं के लिए उन्हें पहरी लैंची व्याज दरों पर अमृण उधार लेना पड़ता था। मशीनों तथा सामान थी हृति के लिए तथा वाम में टूट या गैरहाजिरी और दुरो आचरण के लिए, तथा भस्ती करने वालों की दस्तूरी के लिए, बटोनी और आर्थिक दण्ड देना पड़ता था। प्रत्यार उत्प्रोग व ग्रीष्मोगिक रेन्ड्र में भुगतान भी अवधि भी भिन्न भिन्न थी। अत मजदूरी भुगतान को नियमित तथा नियन्त्रित करने के लिए भारत सरकार ने १६३६ भ इस विधान को पास किया जो २८ मार्च १६३७ ऐ लागू हुआ।

यह ऐक्टरिया तथा रका पर प्रारम्भ किया गया था पर प्रान्तीय सरकारों को अधिकृत किया गया था जि वे इसे ड्रामों, माटर रुपों, डाका, हार्डों तथा जेटिरों, स्टोमरों, रानों तथा पत्थर भी खाना, नेल क स्तोरों, जागानों, फारगानों तथा उत्तरादन, निर्माण, यातायात व निकी सम्पर्की ग्राम सरथाओं पर भी लागू कर सक। अधिकतम २० या उससे अधिक व्यक्तियों को वाम म लगाने वाले रेल के ठेकेदारों, दोगने वी खाना, जागानों, मोटर रसों आदि म वाम फराने वालों पर भी यह अधिनियम लागू किया गया है। भद्रास, कुर्ग, निहार, उडीसा, परिचमी पगाल, पबाप, असम, उचर प्रदेश, दिल्ली इत्यादि राज्यों म यह अधिनियम लागू है। -

२०० रुपया प्रति मास स कम बेतन वालों पर यह लागू होता है और पारिश्रमिक भुगतान की अधिकरतम अवधि एक मास नियित की गई है। सब बेतन (वोनस इत्यादि जो द्रव्य के रूप म आँते जाते हैं) नगद रूपयों या नोटों में ही दुराया जाना चाहिए। १००० ऐ कम मनदूरा राले कारखानों या सस्थाओं में बेतन अवधि के अन्तिम दिन के नाद ७२ दिन की समाप्ति से वहले तथा १००० से अधिक मजदूर वालों में १० दिन क अन्दर ही मजदूरी या भुगतान हो जाना चाहिए। नियाल दिये गये मजदूरों जो बेतन उभर वाम ऐ हटाये जाने के २ दिनों के भीतर ही हो जाना चाहिए। विधि ग्राम मुद्रा में दिये जाने वाले बेतन वा वितरण हुम्मी के दिन नहीं किया जा सकता है। भगान, निजली, पानी, औरधि की मुनिधार्दे, भजा, पेशन आरीडेन्ट फरड में यालिकों का अशदान बेतन में शामिल नहीं किया जायेगा।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम

श्रमिकों के जीमन सर को लैंचा उठाने तथा उनकी कार्यहमता में वृद्धि कर उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रगतिशील देशों में श्रमिकों के एक नियोग न्यूनतम जीवन स्तर के लिए न्यूनतम मजदूरियों के विधान ज्ञाये गये हैं। यद्यपि १९२८ में जेवेन के ड्राफ्ट कन्वेन्शन ने न्यूनतम मजदूरियों के स्तरों को विधान द्वारा निर्धारित करने की व्यवस्था के लिए एक साधन को ग्रापनाने का निश्चय किया था, तथा १९३१ में श्रम पर शाही आयोग ने भी हमारे देश में न्यूनतम मजदूरियों को निर्धारित करने के प्रयत्न के लिए छिपारिश की थी, फिर भी हमारे देश में श्रीबीगिर श्रमिकों के लिए एक विधिवत न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था प्रियावन तरन नहीं की गई थी।

अब १९४८ म भारत सरकार ने न्यूनतम मजदूरी विधान ज्ञानपर फलीय तथा प्रान्तीन सरकारों को इस विधान के दो बयां क अन्दर ही श्रमिकों की अति दयनीय दशा गते उद्योग में मनदूरिया के न्यूनतम दरों को नियन्त करने के लिए अधिकार दिया।

उद्योग ऐसे हैं जहाँ मनदूरों का योग्यता हाता है, तथा अधिक ज्ञान होता है, वेतन नहुत कम है तथा व्यावसायिक सुपर नहीं है। उदाहरणार्थ, उन, दरी तथा शाल की वारसाने, लाजल, आदा तथा दारा वी मिल, तम्चारु ज्ञाने तथा वीड़ी के वारसाने, तेल मिल, नागान, सहूक या भदन ज्ञान तथा कार्य, लाल तथा ग्रन्ति के वारसाने, नमझा रमाने तथा ज्ञान तथा जारसाने, कन्थर ताङने तथा पीछने का काम, नगरसालि कार्गी तथा जबता परिपदा तथा नीमारया तथा इष्टि। रेती म तीन बयां में न्यूनतम मजदूरी ज्ञानचन या जाने का थी।

१९५० म एक संशोधन द्वारा सभी उद्योग में न्यूनतम मजदूरी निर्दिष्ट करने की अवधि ३ बाय की दी गई था पर वृष्टि सम्बन्ध दश के विभिन्न प्रदेशों में यित्र यित्र दशग्राम के खारण यह उचित समझा गया कि वृष्टि मनदूरों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के पहले उनम गोवा के श्रमिकों की स्थिति वो पूरी तीर जाँच लिया जाय। १९५६ से १९५१ तर यह जाँच पूरी न हा पाइ। अब सरकार ने रेती की न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने की अवधि बार्च १९५२ तर बढ़ा दी थी। यदि किसी उद्योग में १००० से कम श्रमिक हैं तो राज्य सरकार उसमें न्यूनतम मजदूरी निश्चित नहीं कर सकती।

प्रश्न

1. Describe the landmarks in the history of factory legislation in India during the past forty years. Discuss their influence on the efficiency of labour. (Agra 1953)

2. Discuss the event to which minimum wages have been fixed in India. How are minimum wages determined? (Banaras, 1954)

खण्ड ७

राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक नियोजन

- १ भारत की राष्ट्रीय आय
- २ भारत में आर्थिक आयोजन

अध्याय २४

भारत की राष्ट्रीय आय

(National Income of India)

कोई देश के बल इकलिये एक भवी तथा सम्पन्न राष्ट्र नहीं कहला सकता कि उस देश में प्राकृतिक साधन तथा प्रदृशति की अन्य स्वतंत्र देने अपार मात्रा में उत्तम है। किसी देश का आर्थिक उत्तमि एवं समृद्धि प्राकृतिक साधनों के उचित एवं आर्थिक पोषण पर निर्भर करती है। यही कारण है कि हमारा देश जावना की हार्टि में धनी होते हुए भी निर्धन है। देश की इस अपार प्राकृतिक सम्पत्ति के भवार का यदि अम तथा पूँडी को लगाकर उपयोग किया जाये हो किसी निश्चित समय में उस देश में बहुत तथा उत्तम आय की एक उत्तम बड़ी मात्रा उत्पन्न हो सकती है। इसी को हम देश की 'राष्ट्रीय आय' (National Income) कहते हैं। राष्ट्रीय आय का आँकन प्राय एक वर्ष के लिए होता है। इस हार्टि से किसी देश में एक वर्ष के भीतर वसुआतथा तथा मेगाओं का जो कुछ भी उत्पादन होता है, वर्तमान मूल्य पर यदि उटका आँकन कर लिया जाये तो देश की राष्ट्रीय आय का शान ही जाता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी आपश्यकताओं की पृति के लिए किय जाने वाले आर्थिक कार्यों के प्रत्येक वर्ष के अन्त में जारी आय तथा देश के सभी उत्पादक कार्यों तथा उत्तम आय का मूल्य सम्मिलित होता है।

राष्ट्रीय आय का अर्थ एवं परिभाषा

(Meaning and Definition of National Income)

राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में विलूप्त अध्ययन करने से पूर्व उसके अर्थ से अपगत होना अत्यन्त आवश्यक है। साधारणतया राष्ट्रीय आय में हम किसी देश के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किये गये आर्थिक कार्यों तथा सभी देश में होने वाले उत्पादन कार्यों के परिणाम को ही सम्मिलित करते हैं परन्तु इस सम्बन्ध में उमित अर्थशास्त्रियों का मत पिछ है। प्रत्येक अर्थशास्त्री ने किसी विशेष हार्टि से ही राष्ट्रीय आय की परिभाषा दी है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आय समझनी तीन प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा देते समय भिन्न भिन्न हार्टिकों अन्तर्गत हैं जैसे मार्शल तथा र्सगृ.

ने राष्ट्रीय लाभाश की व्याख्या उत्पादन की दृष्टि से (Production approach) की है जिसके अनुसार राष्ट्रीय आय इसी देश में एक वर्ष के भीतर उत्पन्न की हुई वस्तुओं तथा ऐवाओं का एक प्रमाण है। इसके विरोधीत प्रो॰ इरविंग फिशर (Prof Irving Fisher) ने उपरोक्त की दृष्टि से राष्ट्रीय आय की व्याख्या की है। उनकी दृष्टि में राष्ट्रीय आय वेतन वर्ष भर में अन्तिम रूप से उपभोक्ताओं तक पहुँचने वाली सेवाओं तथा वस्तु के मद्दार को ही प्रदर्शित करती है।

परिभाषाएँ

प्रो॰ अल्फ्रेड मार्शल की परिभाषा—प्रो॰ मार्शल ने शब्दों में—“किंचि देश के अम और पूँजी उपर प्राकृतिक साधनों पर कार्य करते हुए वस्तुओं और सेवाओं (प्रौद्योगिक एवं आमीतिह) का एक शुद्ध योग प्रति वर्ष उत्पन्न करते हैं। यही देश का वास्तविक शुद्ध ‘वार्षिक आय’, ‘रेवन्यू’ अथवा ‘राष्ट्रीय लाभाश’ है।”^१

प्रो॰ ए॰ सी॰ पीगू (A C Pigou) की परिभाषा—प्रो॰ पीगू ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा इस प्रकार दी है जिस प्रकार आर्थिक कल्याण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा में नापा जा सकता है “उसी प्रकार राष्ट्रीय लाभाश समाज की आय का यह भाग है जो मुद्रा में नापा जा सकता है। हाँ इसमें विदेश से प्राप्त दुर्ग आय अवश्य सम्मिलित कर लनी चाहिये।”^२

विटेन के प्रमुख आधुनिक अर्थशास्त्री वाल्टन बलार्क के अनुसार—किंचि समय की राष्ट्रीय आय के अन्तर्गत माल तथा ऐवाओं का प्रत्यक्ष मूल्य शामिल है जो उस दोस्रा में उपभोग के लिये उपलब्ध है तथा जिसका विकल्प मूल्य चालू दर पर बोझ गया हो। इसके अन्तर्गत पूँजी पर हानि वाले वे आतरिक मूल्य भी हैं जो नये पूँजीयत माल के लिए वास्तविक कीमति के अनुसार लगाये गये हैं। इसमें से उपस्थित पूँजी का मूल्य हाथ आदि पटाना होता है तथा शुद्ध हाथ की जोड़ना इथका स्टाक में से शुद्ध निकलने वाले माल को घटाना होता है। (दोनों को चालू कीमत पर)। राष्य तथा स्थानीय प्राधिकार द्वारा लाम लक्ष्यरहित चेतावें (टाक)

¹ “The labour and capital of the country, acting on its natural resources produce annually a certain net aggregate of commodities material—immaterial including services of all kinds. This is the true net annual income or revenue of the country, or the national dividend.” Alfred Marshall—Principles of the Economics, P 323.

² “National Income is that part of objective income of the community, including of course, income derived from abroad, which can be measured in money.” Prof A C Pigou—Economics of Welfare

तथा नगरपालिका द्वाम सर्विस आर्ड) चार्ज (देयो) के अनुसार जोही जाती है। जहाँ विशेष वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर लगाया जाता है जैसे माल पर सीमा शुल्क तथा शुल्क एवं आमोद प्रमोद कर। ये सब मिही मूल्य में शामिल नहीं किये जाते।*

↑ डा० वी० के० आर० वी० राव का मत - उपरोक्त परिमाणात्रा व अतिरिक्त भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डा० वी० के० आर० वी० राव (Dr. V. K. R. V. Rao) जिन्हें राष्ट्रीय आय भृत्यधी अध्ययन के लिये ख्याति प्राप्त है, ने राष्ट्रीय आय की एक छड़ी उत्तरोगी परिभाषा दी है, “राष्ट्रीय आय में किसी निश्चित समय में वस्तुओं तथा सेवाओं का इन्यमूल्य सम्प्रिलित होता है जिसमें से उस समय होने वाले आयात का मूल्य घटा दिया जाता है तथा विनी योग्य वस्तु तथा सेवाओं का मूल्याकृत चालू मूल्य ने आधार पर होता है और निम्नलिखित मदों को घटा दिया जाता है :—

(१) उस समय से स्टॉक (stock) में होने वाली कमी का द्रव्य मूल्य ।

(२) उत्पादन कार्य में उत्पुत वस्तुओं तथा सेवाओं वा द्रव्य मूल्य ।

↑ (३) वर्तमान पूँजी को सुरक्षित (intact) रखने के लिए आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं का द्रव्य मूल्य ।

(४) सरकार को श्रमवद्ध करो (indirect taxes) द्वाय होने वाली आय ।

(५) व्यापार का अनुकूल संतुलन (favourable balance of trade) जिसमें मदार भी सम्प्रिलित है ।

(६) देश के विदेशी कर्जों (foreign indebtedness) में होने वाली वृद्धि तथा व्यक्तिगत अथवा सरकारी सम्पत्ति में होने वाली विशुद्ध हास (net decrease) की मात्रा ।”

▲ राष्ट्रीय आय की विभिन्न अर्थशास्त्रियों तथा विशेषज्ञों द्वारा दी गई उपरोक्त परिमाणाओं से कुछ प्रमुख लक्षणों का ज्ञान होता है जो अगले पृष्ठ पर अनित हैं ।

*“The National Income for any period consists of the money-value of the goods and services becoming available for consumption during that period reckoned at their current selling value, plus additions to capital reckoned at the prices actually paid for the new capital goods, minus depreciation, obsolescence of existing capital goods, and adding the net accretion of, or deducting the net drawings upon stocks also reckoned at current prices. Services provided at non profit making basis by the state and local authorities (e.g. postal services and municipal tramway services) are included on the basis of charges made. Where taxation is levied upon particular commodities or the entertainment tax, such taxes are not included in the selling value.” Mr. Colin Clark—

(१) राष्ट्रीय आय देश में हुए समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन की मात्रा प्रदर्शित करती है।

(२) इसमें वलु तथा सेवाएँ दोनों मिलित हैं।

(३) राष्ट्रीय आय का अनुमान प्राप्ति: एक वर्ष के लिए होता है।

(४) युल राष्ट्रीय आय निकालने के लिये उसके उत्पादन में किये गये वा तथा प्रिमावट (depreciation) को निकाल देना चाहिये।

(५) उस समय देश में होने वाले आयात (Imports) तथा विदेशी से किये गये खर्च की भी घटा देना चाहिये।

राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण— राष्ट्रीय आय के अध्ययन का बहुमहत्व होता है। किसी देश का राष्ट्रीय आय से उस देश की आर्थिक स्थिति का बहुम-प्रिक्षण रूप ज्ञात हो जाता है। यदि अन्य बांगे समान रहें तो देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से उस देश के निवासियों का आर्थिक जीवन मुरीदी एवं सम्पन्न हो जाता है। साधारण तौर पर राष्ट्रीय आय की वृद्धि के कलन्माल्य किसी देश के सम्बन्ध में हमें निष्कर्ष लगा सकते हैं कि उस देश की आर्थिक प्रगति हो रहा है। परन्तु इस साधारण तरफ का कमी दुश्योग भी हो सकता है। इस कारण हमें अन्य बांगों द्वारा इसी बांच कर लनी चाहिये। उत्पादन के लिए यदि देश की राष्ट्रीय आय की वृद्धि लोगों से वैगार (forced abdurt) करवा कर प्राप्त हुई है तो ऐसी दशा में राष्ट्रीय आय की वृद्धि ने साथ राष्ट्रीय कल्याण में वृद्धि होना असम्भव है। इसी प्रकार यदि देश में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होने से यदि राष्ट्रीय आय बढ़ रही हो, परन्तु इसका न्यायोचित वितरण न हो रहा हो, अर्थात् आय का अविकाश मात्र होने गिरे हाथी ही में चला जाता हो, और देश की अधिकांश जनता वंचित रहनी तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय की वृद्धि से देश के आर्थिक कल्याण में कोई वृद्धि नहीं हो सकती।

राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का महत्व

(Importance of National Income Statistics)

राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का निष्केपण अर्थशास्त्र में विशेष महत्व का है जिनका अध्ययन निम्न देशों में किया जाता है:—

(१) देश की आर्थिक स्थिति जानने के लिए—किसी देश की राष्ट्रीय आय उस देश की आर्थिक स्थिति का विस्तृत चिन प्रस्तुत करती है। इनके आधार पर हम उस देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति तथा भागी प्रवृत्तियों से भली मार्तिंश अगत हो जाने हैं। देश में होने वाले उत्पादन कार्य तथा आर्थिक विकास की योजनाओं की जानकारी

के अतिरिक्त उड़ देश की श्रुणमस्तना अथवा व्यापार की दशा का भी जान हो जाता है।

(२) जीवन स्तर की जानकारी के लिए—देशमालियों के जीवन स्तर के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें प्रति व्यक्ति आय (per capita income) का सहारा लेना पड़ता है।

(३) राष्ट्रों की आर्थिक दशा का तुलनात्मक अध्ययन—यदि हमें दो देशों की आर्थिक दशा का तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो उसके लिए भी हमें उन देशों की राष्ट्रीय आय के आँकड़ों की सहायता लेनी पड़ेगी। अन्य साधनों के अभाव में देश की वात्सविक आर्थिक रिपोर्ट की जानकारी के लिए राष्ट्रीय आय के आँकड़ों से बढ़ कर और कोई भावधार नहीं।

(४) देश के व्यवसायिक वितरण का पता लगाने के लिए—किसी देश की राष्ट्रीय आय के अनेक स्रोत होते हैं। अर्थात् देश में निभिन्न व्यवसायों में लगभग हुए घटनालयों के आर्थिक प्रयत्नों द्वारा राष्ट्रीय आय प्रमाणित होती है। इसी कारण राष्ट्रीय आय के आँकड़ों से हमें जनसंख्या के व्यवसायिक वितरण का ज्ञान होता है।

(५) देश के आर्थिक प्रयत्नों के पथ प्रदर्शन के लिए—देश की राष्ट्रीय आय के आँकड़ों से देश का कई प्रकार से पथ प्रदर्शन होता है। यदि कई गाल के राष्ट्रीय आँकड़े एकत्रित कर लिये जायें तो उनका अध्ययन से हमें इस शब्द का समुचित ज्ञान हो रहता है कि आर्थिक प्रगति के मार्ग पर हमारा देश किस अवस्था पर है अर्थात् देश की आर्थिक दशा पहले से मुघरी है अथवा उसमें पतन हुआ है। इसी प्रकार यदि किसी वर्ष देश की राष्ट्रीय आय में कमी हुई है तो हमें उस वर्ष देश की आर्थिक जल यात्रा (economic climate) का पता चलता है। जैसा कि चिदित है राष्ट्रीय आय पर प्रभाव ढालने वाले अनेक तथ्य हैं जिनमें परिणामस्तरहप्प किसी वर्ष देश की राष्ट्रीय आय बढ़ सकती है अथवा घट सकती है जैसे देश में आतंरिक शान्ति य सुरक्षा, जन साधारण के स्थान्य की दशा इत्यादि।

(६) आर्थिक वाधाओं का ज्ञान होता है—राष्ट्रीय आय के आँकड़ों से हमें देश के आर्थिक अभावों तथा विकास के मार्ग पर आने वाली जाधाओं का भी ज्ञान होता है जिनमें पलस्तरहप्प किसी वर्ष राष्ट्रीय आय में कमी हो जाती हो अथवा राष्ट्रीय आय की अनुनोदजनक प्रगति हो रही हो।

(७) आर्थिक नियोजन के लिए—एक आविक्षित राष्ट्र में उसकी आर्थिक योजनाओं के निर्माण के लिए उच्छी राष्ट्रीय आय के आँकड़ों का विशेष महत्व है। आर्थिक विकास के लिए निभिन्न विभिन्न योजनाओं में किस प्रकार प्राप्तिकर्ता का निर्धारण हो ? योजना का रूप आकार हो ? तथा देश के विकास के लिए राष्ट्र के पास

आर्थिक साधन क्या हैं ? इन सबका ज्ञान राष्ट्रीय योजना की सफलता के लिए अत्यन्त आवश्यक है जो राष्ट्रीय आय के आँकड़ों के समुचित ज्ञान पर निर्भर करता है।

राष्ट्रीय आय एवं श्रीदोगीकरण

(National Income and Industrialization)

राष्ट्रीय आय का देश के श्रीदोगीकरण से भी सम्बन्ध है। कुछ लोगों का विचार है कि देशवासियों के जीवन-स्तर को कॉचा उठाने के लिए राष्ट्र का श्रीदोगीकरण अनिवार्य है। अर्थात् ऐसा श्रीदोगीकरण के कोई देश अपने नीगरियों के रहन-सहन का दर्जा ऊपर नहीं उठा सकता। परन्तु यह कथन सदैव सत्य नहीं, यह अवश्य है कि श्रीदोगीकरण द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से देशवासियों के जीवन स्तर को कॉचा उठाने में सहायता मिलती है परन्तु आपुनिक काल में सासार में अनेक ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ श्रीदोगीकरण के बिना लोगों का रहन-सहन का दर्जा काफी कॉचा है जिनके कारण उन्होंने कथन पूर्णतया स्वीकार नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए अर्जेन्टाइना, यूरुग्ये (Uruguay), आयरलैंड तथा फिल्मैंड कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जिनका श्रीदोगीकरण न होने हुए भी उनकी प्रति व्यक्ति आय रुपां (U. S. S. R.), जापान, इटली जैसे श्रीदोगिक देशों से अधिक है। इस प्रकार यदि सीरिया (Syria) के निवासियों की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय ईरान या सऊदी अरबिया (Saudi Arabia) के लोगों से अधिक है तो इसका कारण यह नहीं कि इन देशों की अपेक्षा सीरिया का श्रीदोगीकरण अधिक हुआ है।¹ इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि देश का श्रीदोगीकरण ही देश के रहन-सहन के दर्जे को कॉचा करने का एकमात्र साधन नहीं है।

राष्ट्रीय आय की गणना करने की रीति

(Method of Calculation of National Income)

ऐसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिये कई रीतियाँ प्रयोग में आती हैं। जैसे :—

- (१) आय प्रणाली अथवा आय रीति (Income Method)
- (२) उत्पादन गणना रीति (Census of Production Method)
- (३) मिश्रित पद्धति (Combination of Both)

आय प्रणाली—देश की राष्ट्रीय आय को आँखने की आय पद्धति के अन्तर्गत उस देश में विभिन्न व्यवसायों में लगी कुल जनसंख्या द्वारा प्राप्त की हुई आय जानने

¹ D. Krishna—"Power, Planning and Welfare", p. 9.

भी आमरक्षता होती है। इस कारण इस रीति को अपनाने के लिए आय कर के आंकड़ों की सहायता लेनी पड़ती है और प्रत्येक व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों की श्रीसत आय निर्धारित कर ली जानी है परन्तु इस प्रणाली द्वारा देश की राष्ट्रीय आय के निर्धारण में अनक कठिनाइयाँ होती हैं जैसे—

(१) यदि रीति भारत उद्दीपनों में अपनाई जा सकती है जहाँ अधिकाश जनना आय कर देती है। भारत जैसे देश में जहाँ जनसंख्या का एक बहुत छोटा मामा आय कर देता हो यह रीति अपनाना उपयुक्त नहीं।

(२) इन रीति के अनुसार देश की एक मारी सख्ता की आय, जो आय कर की खीमा से कम है, अनुमान नहीं लग पाता। इस कारण भारत जैसे निर्धन राष्ट्र में यह पदनि अपनाना कठिन होगा।

(३) आय रीति को अपनाने में एक आर कठिनाई, देश की कृषि द्वारा होने वाली आय का समुचित अनुमान न होने के कारण, उत्पन्न होती है। इस कारण भारत जैसे कृषि प्रधान देश में इस पदति द्वारा देश की राष्ट्रीय आय का वास्तविक शान नहीं हो सकता।

उत्पादन गणना रीति—उत्पादन गणना रीति द्वारा भी राष्ट्रीय आय निर्धारित की जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले हमें देश की प्रत्येक उत्पादन की इकाई (Unit of Production) द्वारा वर्ष में किये गये कुल उत्पादन की जानकारी करनी होती है। फिर इस समस्त उत्पादन, तथा विभिन्न सेवाओं का प्रचलित दर के अधार पर मूल्यांकन कर लिया जाता है। इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि इन वस्तुओं तथा सेवाओं का दोहरा मूल्यांकन न हो जाये अर्थात् यदि किसी वस्तु का मूल्य राष्ट्रीय आय में सम्प्रतिकरण कर लिया गया है तो उस वस्तु के लिए की गई सेवाओं का मूल्य नहीं बोझना चाहिये। परन्तु इस रीति को अपनाने के लिए देश में होने वाले समस्त उत्पादन तथा की जाने वाली सेवाओं के सम्बन्ध में मिस्ट्रेन आंकड़े उपलब्ध हो। भारत जैसे देश में जहाँ आमरक्षक आंकड़े वर्तात मात्रा में प्राप्त नहीं हैं इस रीति को अपनाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना महेगा।

मिश्रित पदति—इस पदति में आय रीति तथा उत्पादन गणना रीति का मिश्रित प्रयोग होता है। देश की राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने के लिए उत्तरोक्त दो प्रमुख पदनियों में आने वाली कठिनाइयों के कारण एक नई रीति का प्रादुर्भाव हुआ। जिसके अधिकार का ये भाष्टुत के प्रमुख अर्थशास्त्री एवं राष्ट्रीय आय सम्बन्धी अध्ययन के विशेषज्ञ डा० वी० के० आर० वी० राम (Dr. V. K. R. V. R.) को है जिन्होंने देश की राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने के लिए प्रणालियों का बड़ी सकृदार्थक समिक्षण किया है। डा० राम

पद्धति को अपनाने के दो प्रमुख कारण ये : प्रथम भारत में आयकर देने वालों की संख्या नगण्य (एक प्रतिशत के भी कम) होने के कारण आय रीति का उपयोग असम्भवजनक था। द्वितीय उत्पादन सम्बन्धी पद्धति आँकड़ा के अभाव में देश की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उपयुक्त नहीं थी।

इस पद्धति के अन्तर्गत द्वा० राव ने सरकार द्वारा प्रकाशित आँकड़ों का तो प्रयोग किया ही है, साथ साथ स्थल जानक विधा सर्वेक्षण द्वारा भी ऐसे संघों के सम्बन्ध में आय का अनुमान लगाया है जिसके सम्बन्ध में आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

उत्तरोक्त रीतियों का तुलनात्मक वहाव—राष्ट्रीय आय का अनुमान के लिए इस रीति का प्रयोग किया जाय। यह यहुत कुछ देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रणाली तथा प्रशासनीय जमाना पर निर्भर करता है। विकसित तथा घटी देशों में जहाँ

प्रैकाश व्यक्ति आय कर देते हैं तथा जहाँ देश के विभिन्न संघों में उत्पादन सम्बन्धी आँकड़े नियमित रूप से प्रकाशित किये जाते हैं, उनमें आय रीति अधिक उत्पादन गणना रीति का प्रयोग ही उपयुक्त होगा। परन्तु भारत की स्थिति मिल होने के कारण प्राथमिक पद्धति का अपनाना अधिक उचित है। इसके द्वारा ही राष्ट्रीय आय की सही गणना की जा सकती है। अतः भारत के लिए सर्वोच्च अधिक उपयुक्त रीति यही होगी।

भारत में राष्ट्रीय आय के पूर्व अनुमान

(Earlier estimates of national income in India)

भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सम्बन्धी कार्य विभिन्न अधिकारियों द्वारा सामाजिक नियुक्तियों द्वारा किये गये हैं। अतः इस सेवा में अनेक सरकारी विधा गैर सरकारी अनुमान जानने योग्य हैं। राष्ट्रीय आय की गणना के सम्बन्ध में भारत के प्रतिद्वन्द्वी तथा समावेशीरक दादाखाई नीरोजी का कार्य विशेष महत्व का है। उद्दीपन संस्थायम् १८८८ में यह अनुमान लगाया कि उस समय भारत की भूति राष्ट्रीय आय २० लाख रुपये। इसके प्रत्याकृति सन् १९३२, १९३३ तथा इसके पश्चात् किये गये अनुमानों को हम अब लालिता में प्रदर्शित करते हैं—

नाम	वर्ग	प्रति व्यक्ति आय
दादा भाई नौरोजी	१८६८	२० आ० पाई
लाई फ्रीमर तथा चारचर	१८८२	२७ आ० प०
पिलियम डिप्पी	१८८८-९९	१७ आ० ५
लाई कर्जन	१८००	३० आ० प०
एफ० जी० एटकिन्सन	१८७५	३० आ० प०
एफ० जी० एटकिन्सन	१८८५	३८ आ० प०
वाडिया तथा जोशी	१८१३-१४	४४ आ० ६
शाह तथा समादा	१८००-१४	३६ आ० प०
किंडले सिराज	१८२१	१०७ आ० प०
" "	१८२२	११६ आ० प०
साइपन कमीशन रिपोर्ट	१८२३	११६ आ० प०
दा० वी० केंच्चार०वी०राव	१८२५-२६	७६ आ० प०
" "	१८३१-३२	६५ आ० प०
लाईमस्ट वार्गिकी	१८४२-४३	११४ आ० प०
		/१५

उत्तरोक्त तालिका में मारत की राष्ट्रीय आय सम्बन्धी जो अनुमान प्रदर्शित किये गये हैं उनमें काफी अन्तर है। एक ओर जब कि १८६८ में दादा भाई नौरोजी द्वारा भारत की प्रति व्यक्ति आय २० रु० आ० भी गई थी उसके बाद १८०१ में डिप्पी के अनुसार यह वेवल १८ रु० से दुब्ब अधिक ही थी जब कि इससे एक वर्ष पूर्व १८०० में लाई कर्जन ने भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय ३० रु० घनाई थी। इस प्रकार एक साल के अन्तर में दोनों अनुमानों में लगभग ११ रु० उ० आ० १० रु० का अन्तर है। राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों तथा अधिकारियों द्वारा जो अनुमान लगाये गये हैं उनमें पारस्परिक भिन्नता के अनेक कारण हैं जैसे वस्तुओं तथा ऐवाओं के मूल्य स्तर में निरन्तर परिवर्तन होना वथा राष्ट्रीय आय के अनुमान ज्ञात्रों के टक्कों में परिवर्तन होना।

राष्ट्रीय आय की गणना का सामाजिक महत्व

(Social Importance of National Income Estimates)

राष्ट्रीय आय की गणना का किसी देश के लिए बड़ा सामाजिक महत्व है। किसी देश में राष्ट्रीय आय तथा उसके वितरण के स्वरूप द्वारा उसकी सामाजिक निपत्ति का छान होता है। उदाहरण के लिए यदि सामाजिक आय का वितरण न्यायोचित न किया गया हो तो वह देश में निर्धनता एवं सानाथी का कारण बन जाती है। प्रथम महायुद्ध के पहले जैसा कि सर लियोवियोजा मनी (Sir Leochiozza Mo-

ने इगलैंड के सम्बन्ध में अनुमान लगाते समय कहा था कि इस देश की कुल राष्ट्रीय आय का आधा भाग १२ प्रतिशत जनता द्वारा उपभोग किया जाता है तथा राष्ट्रीय आय का एक तिहाई हिस्सा देश की जनसंख्या ने तीसरे भाग द्वारा हड्डप कर लिया जाता है।¹ परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि राष्ट्रीय आय का समान वितरण देश के लिए सदैव हितकर होता है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से राष्ट्रीय आय के न्यायोचित वितरण का वास्तविक महत्व है। परन्तु किसी समय पूँजी के सबव पर इसका हानिकारक प्रभाव पहने से देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ सकती है क्योंकि राष्ट्रीय आय के पुनर्वितरण के परिणामस्वरूप देशवासियों के उपभोग स्तर (level of consumption) में गिरावट हो जायेगा।

भारतगर्म में भी राष्ट्रीय आय सम्बन्धी अध्ययन का जन्म सामाजिक बाओं से हुआ। निदेशी शासन काल में भारतवासियों को अनेक सामाजिक, आर्थिक, राज कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देशवासियों का जीवन ग्रन्ति निम्न था। देश में खर्च निर्धारित एवं गरीबी के कारण तत्कालीन निवारकों तथा विद्वानों को इस बाब की आवश्यकता प्रतीत हुई कि देश की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाय जिससे शासन का ध्यान भारत की दयनीय आर्थिक अवस्था तथा राष्ट्रीय पतन तथा धन के असमान वितरण की ओर आकर्षित किया जा सके।

राष्ट्रीय आय समिति

(National Income Committee)

दा० बी० फ० आर० बी० राम द्वारा सन् १९४२ ४७ में किये गये राष्ट्रीय अनुमान के पश्चात् भारतवर्ष म राष्ट्रीय आय की गणना के सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया गया। परन्तु देश की स्वतन्त्रता के पश्चात् इस बाब की ओर राष्ट्रीय सरकार का ध्यान जाना सामान्यिक ही था। भारत सरकार ने देश की राष्ट्रीय आय की गणना करने तथा इसके सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से अगस्त १९४६ में 'राष्ट्रीय आय समिति' की स्थापना की जिसके सदस्य प्रो० दी० दी० महालनोबिस (Prof P. C Mahalanobis), प्रो० दी० आर० गौडगिल (Prof. D R Gadgil) तथा दा० राम थे। इस समिति ने कुछ विदेशी विशेषज्ञों जैसे प्रो० साइमन कुनेट्स (Prof Simon Kuznets) की सहायता से मारत की राष्ट्रीय आय का १९४८ ४६ के सम्बन्ध में पहला वैज्ञानिक आधार पर किया गया अनुमान प्रस्तुत किया। समिति ने ग्रामीण अन्तिम रिपोर्ट में जो सन् १९५४ में प्रकाशित हुई भारत की १९४८ ४६ की कुल राष्ट्रीय आय १९४८ ४६ के मूल्यों के आधार पर

¹ *Richest and Poverty* (1910) pp., 47-48

है। राष्ट्रीय आय सम्बन्धी इस मिस्रता का मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक विशेषज्ञ ने अलग-अलग रीति तथा दृष्टिकोण अपना कर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया है।

भारत में राष्ट्रीय आय का सही अनुमान लगाने में जो कठिनाइयाँ सम्भवी आती हैं वे निम्न हैं:—

(१) भारत की राष्ट्रीय आय आँकड़े में आने वाली उत्तरें बही कठिनाई है वह है कि देश में उत्पादन सम्बन्धी तथा अन्य आपश्यक आँकड़ों का अत्यधिक अमान है। जो कुछ भी सामग्री उत्पन्न है उससे देश की राष्ट्रीय आय का वास्तविक रूप प्रस्तुत नहीं होता।

(२) देश की राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग इसी द्वारा प्राप्त होता है परन्तु कृषि उत्पादन तथा कृषि में लगी हुई जनसंख्या की आय व्यवहार तथा उनके द्वारा की गई व्यवहार का सम्बन्ध ज्ञान न होने के कारण राष्ट्रीय आय की गणना करने में बही कठिनाई होती है।

(३) भारत का अधिकांश भाग ऐसा है जहाँ मुद्रा का चलन अनियन्त्रित मात्रा में होता है। पत्तापर्ण उत्पादन के अधिकांश भाग का मूलशक्ति नहीं हो सकता। उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा उत्पादक स्तर अपनी आपश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाता है जिसके कारण उसका मूल्य निर्धारित नहीं हो पाता और जिसके पत्तापर्ण राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना बड़ा बड़िल कार्य हो जाता है।

(४) राष्ट्रीय आय के अनुमान में देश का आकार भी कठिनाई का एक प्रमुख कारण है। एक विशाल तथा अत्यधिक जनसंख्या के कारण भारत जैसे देश की राष्ट्रीय आय ने अनुमान लगाने में बड़े परिश्रम तथा व्यवहार की आपश्यकता होती है। अन्य राष्ट्रीय आय का अनुमान एक कठिन समस्या है।

(५) हमारे देश के उत्पादन का अधिकांश भाग असंगति दशा में होने के कारण राष्ट्रीय आय गणना सम्बन्धी कार्य में अत्यधिक असुरिशा होती है। उत्पादन सम्बन्धी आँकड़ों को एकत्रित करने तथा उनके सम्बन्ध में आपश्यक नियंत्रण नियंत्रित करना कार्य हो जाना है।

(६) भारत एक ऐसा देश है जिसकी अधिकांश जनता अपनी अधिकांशित है। अत अपनी अध्यानता के कारण राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आँकड़ों को एकत्रित करने पर वह आपश्यक सहजे ग प्रदान करने में अवसर्प रहती है। अन्य देशों में जहाँ जनसंख्या गिरित है, वह राष्ट्रीय आय सम्बन्धी जीवन का महत्व उभयनी है तथा जिसके लिए हर प्रश्न की उत्तरायण देने को तन्त्र रहती है।

(७) भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला प्राचीन वाल से उत्पन्न अद्वितीय

एवं परेलू उन्नोग रहे हैं। विविध वाणियों से विभिन्न परेलू उन्नोग धरणों के विनाश हो जाने के पश्चात् भी भारत में हर समय अविक्ष रसख्या में लोग अपनी जीविता इच प्रकार के अनेक परेलू उन्नोगों से प्रात फरते हैं जिनमें लगे हुए व्याकरणों की ओर, उत्तरत व्यय, तथा आय वार्ता के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना चाहा कठिन कार्य है। इसके अतिरिक्त हमारे देश में भूमि पर अत्यधिक भार पड़ने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अब काहु के समय बहुत बढ़ी सख्या में लोग शहरी तथा नगरों में जीविका के लिए आवे हैं ऐसी अवस्था में एक व्यक्ति कई प्रकार के व्यवसायों से ग्रामीण आय प्राप्त करता है। इस प्रकार व्यवसाय के आपार पर एकत्रित किये गये आवेद्यों द्वारा आँखी गई राष्ट्रीय आय उत्तोषजनक नहीं कही जा सकती।

उत्तरुक्त कठिनाइयों से सह देखते हैं कि किसी देश की राष्ट्रीय आय का अनुभाव लगाना एक बड़ा ही कठिल तथा अपर्याप्ति कार्य है। इन कठिनाइयों के होते हुए भी राष्ट्रीय आय की गणना किसी देश के लिए यह महत्व का विषय है। राष्ट्रीय आय की गणना हो जाने के पश्चात् मनचाह (arbitrary) निष्कर्षों का स्थान नहीं रहता। किसी देश का अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में यह जानने के लिए कि उसमें मुद्रा बैंक (money sector) का कितना विसाल हुआ है तथा देशमालियों दे विभिन्न उमुदान क्षेत्रों में विभिन्न करों के भार का सहन करने की कितनी सामर्थ्य है। इसी जानकारी के लिए राष्ट्रीय आय की गणना अनेक कठिनाई तथा चापाओं के होने हुए भी एक उपयोगी तथा महत्वपूर्ण कार्य है।

**भारत की राष्ट्रीय आय की अन्य देशों की राष्ट्रीय आय से तुलना
(India's National Income compared with National
Income of other Countries)**

भारत की राष्ट्रीय आय का अन्य देशों की राष्ट्रीय आय से तुलनात्मक अन्यकरण के लिए अगले शृङ्खल पर एक लालिका प्रस्तुत की जा रही है जिसमें सहार के कुछ प्रमुख देशों की कुल राष्ट्रीय आय तथा ग्रामीण आय दिखाई गई है।

मुख्य प्रमुख देशों की राष्ट्रीय आय

देश	१९५०		१९५५	
	कुल आय (करोड़ रुपये)	प्रति व्यक्ति आय (रुपये)	कुल आय (करोड़ रुपये)	प्रति व्यक्ति आय (रुपये)
भारत	८५३००	२६५	८६५००	२७२
आस्ट्रेलिया	३२०५६	३६०६	४५२०५	५६५१
कनाडा	६०६३१	४३५२	८८१५४	६१६७
सीलोन	३८४०	५४८	५१७२	७४५
फ्रांस	८८२८५	२३०६	१६८२४३	३८३६
पश्चिम जर्मनी	८१०००	१६८८	१४३४००	२६८३
इटली	५२३००	१११३	८००००	१६८३
जारान	४८५००	५३६	८६६००	१०१०
उत्तर राज्य	१४१६८०	२८३३	२०३०१०३	३८८१
संयुक्त राज्य	११४२८८७	७५६८	१५४२८५७	८३५१
अमेरिका				

उपरोक्त तालिका में भारत की कुल राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का संसार के अन्य देशों की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के तुलनात्मक अध्ययन से भारत की आर्थिक प्रगति तथा अन्य देशों की अपेक्षा भारतवासियों की आर्थिक स्थिति का शान होता है। जैसा कि स्पष्ट है भारत की राष्ट्रीय आय उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित सभ देशों से कम है। तालिका से इस बात का भी शान होता है कि राष्ट्रीय आय की दृष्टि से संसार के राष्ट्रों में बड़ा अन्तर है। अमेरिका जैसे धनी देश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से लगभग ३७ गुना अधिक है। आस्ट्रेलिया की लगभग २२ गुना तथा सीलोन की लगभग ३ गुना अधिक है। इस कारण देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए हमें अपने देश के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए काफी प्रयास करना होगा। अधिक उत्पादन द्वारा ही देश की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है तथा कुल राष्ट्रीय आय तथा देशवासियों के जीवन स्तर में सुधार हो सकता है।

अतर्राष्ट्रीय तुलना में राष्ट्रीय आय की कठिनाइयाँ (Difficulties in the International Comparison of National Income)

यद्यपि राष्ट्रीय आय के तुलनात्मक अध्ययन का बड़ा महाव है परन्तु इसकी अतर्राष्ट्रीय तुलना में बड़ी कठिनाई होती है। इस सम्बन्ध में बड़े बड़ी कठिनाई

समस्त देशों की राष्ट्रीय मुद्रा (national currency) के एक सामान्य द्वारा (common currency) में परिवर्तन करने से उत्पन्न होती है। इसी प्रकार वह एक प्रिक्सित देश की राष्ट्रीय आय की तुलना एक अविक्सित देश की राष्ट्रीय आय से की जाती है तो समस्या और भी जटिल हो जाती है। एक धनी और निवेदिये के आर्थिक जीवन में मिनवा होने वे कारण ही मुरायतया ये कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। एक अविक्सित देश में परिवार का बड़ा विस्तृत अर्थ लगाया जाता है। इस कारण परिवार न सदस्यों द्वारा की गई सेवाओं तथा कुल उत्पादन में उनके द्वारा निये गये उपयोग की मात्रा विक्सित राष्ट्र की तुलना में अधिक होती है। धनी देशों के लोगों को अपनी आविक्सित आयशक्तियों की पूर्ति के लिए दूसरों की सेवाओं वा उपयोग करना पड़ता है। इस कारण इन देशों की राष्ट्रीय आय में ऐसाओं द्वारा उत्पन्न आय का अधिक महत्व है जब कि निर्धन देश वे सोनों को दूसरों की सेवाओं की आयशक्ति नहीं होती।

राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के स्रोत

(Sources of National Income)

किसी देश में राष्ट्रीय आय का अनेक स्रोत होने हैं जिनके द्वारा देश अपनी राष्ट्रीय आय की प्राप्ति करता है। वर्षे भर में उत्पादन के इन समस्त सेवों में होने वाले कुल उत्पादन का मूल्य चालू मूल्यों के आधार पर निकाल लिया जाता है। हमारे देश में भी वृषि, रान, निर्माण तथा व्यापार इत्यादि से राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। निम्न तालिका में हम देश में मुख्य प्रकार की उत्पादन क्रियाओं द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय का प्रदर्शन करते हैं जिससे इस बात का पता चलता है कि भारत में राष्ट्रीय आय के विभिन्न साधनों का तुचनात्मक महत्व क्या है।

भारत की राष्ट्रीय आय का अधिकारीगिक प्रतिशत

(प्रतिशत)

राष्ट्रीय आय के साधन	प्रतिशत			
	१९५३ ५४	१९५४ ५५	१९५५ ५६	१९५६ ५७
कृषि	४८.७	४८.६	४७.६	४७.८
खनिज, निर्माणात्मक तथा छोटे उत्पादन	१६.४	१६.५	१६.८	१६.७
व्यापार, यातायात इत्यादि	१८.२	१८.६	१८.८	१८.८
अन्य साधन	१५.७	१६.०	१६.५	१६.५

उपरोक्त तालिका में भारत की राष्ट्रीय आय के जो प्रमुख साधन प्रदर्शित किये गये हैं उसके अध्ययन से स्पष्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय के प्रमुख साधन कृषि तथा कृषि सम्बन्धी उद्योग ही हैं और इसी तुलना में अन्य साधनों द्वारा प्राप्त की गई राष्ट्रीय आय बहुत कम है। सन् १९५८-५९ की राष्ट्रीय आय का ४३% प्रतिशत भाग कृषि द्वारा प्राप्त हुआ है जब कि उद्योग तथा व्यापार द्वारा प्रमाणित १६.७, १८.८ प्रतिशत ही आय प्राप्त हुई है। यह सामान्यिक ही है कि भारत जैसे इन्डिप्रेन्डर देश में कृषि राष्ट्रीय आय का प्रमुख साधन हो। परन्तु देश की आर्थिक प्रगति एवं समृद्धि-शीलता श्रीलोगिक विकास पर निर्भर करती है। इस कारण हमें आगामी कुछ वर्षों में देश के श्रीलोगिक विकास पर आर्थिक चल देना होगा। यंत्रार के विशाल सभा विकसित राष्ट्रों की आर्थिक सम्भवता का रहस्य भी मुख्यतया यही है कि उन देशों में कुल जन-सख्ता का बहुत छोटा भाग कृषि पर आधित होने के कारण राष्ट्रीय आय का बहुत ही सीमित भाग कृषि द्वारा प्राप्त होता है जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है।

४ संसार के प्रमुख देशों में कृषि द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय—१९५८-५९
(कुल राष्ट्रीय आय का प्रतिशत) १९५८-५९

देश	कृषि तथा कृषि सम्बन्धी उद्योगों द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय
भारत	४३%
कनाडा	१००%
चापान	२१.८
सुकुक राज्य	४.६
संयुक्त राज्य अमेरिका	४.३

प्रति व्यक्ति वास्तविक आय

(Per Capita Real Income)

राष्ट्रीय आय समिति के अनुमानों से स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में निरन्तर वृद्धि हो रही है। उदाहरण के लिए सन् १९५८-५९ में उस वर्ष के मूल्यों के आधार पर भारत की प्रति व्यक्ति आय २४६.८ रु. ही बता कि १९५८-५९ की अनुमानित राष्ट्रीय आय १६४८.८ के मूल्यों के आधार पर २८४.८ हो गई। परन्तु वस्तुतः तथा उचितों के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होने के कारण राष्ट्रीय आय की वृद्धि के साथ साथ देशवासियों के आर्थिक जीवन में

कोई विशेष सुधार होता दियाई नहीं देता है। यदि एक और प्रति वर्ष के द्वारा आय (money income) बढ़ती जा रही है तो दूसरी ओर वास्तविक आय में होने वाली प्रगति बड़ी असत्तोप्रबन्ध है। इन् १९५०-५१ को आधार कर मान कर भारत ने प्रति वर्ष वास्तविक आय की प्रगति को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है:—

वर्ष	प्रति वर्ष वास्तविक आय (आधार वर्ष = १९५०-५१)
१९५०-५१	१००
१९५१-५२	१०१.४
१९५२-५३	१०४.२
१९५३-५४	१०६.२
१९५४-५५	१०८.२
१९५५-५६	१११.१
१९५६-५७	११४.६

भारत की पचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय आय

(National Income During India's Five Year Plans)

राष्ट्रीय आयोजना आयोग ने भारत की आगामी कुछ वर्षों में राष्ट्रीय आय में होने वाली प्रगति के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण अनुमान लगाये हैं। यदि देश में उत्पादन की वृद्धि के लिए वराचर प्रयत्न होता रहे तो देश की १९५०-५१ की राष्ट्रीय आय लगभग २१ वर्ष के भीतर अर्थात् १९७१-७२ तक दुगुनी हो जाने की सम्भावना है। प्रथम पचवर्षीय योजना काल में देश की राष्ट्रीय आय में ११ प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। परन्तु राष्ट्रीय आय के आँकड़ों से पता चलता है कि प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्त में देश की कुल राष्ट्रीय आय १०,८०० करोड़ हो गई थी जिससे ११ प्रतिशत के स्थान पर देश की राष्ट्रीय आय में १८ प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि हुई। इसी प्रकार द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्त देश की राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत वृद्धि हो जाने का अनुमान योजना आयोग द्वारा लगाया गया है। अम तालिका में हम भारत की आगामी वर्षों में होने वाली राष्ट्रीय आय की प्रगति का चित्र प्रदर्शित करते हैं।

देश की राष्ट्रीय आय की प्रगति (१९५१—१९७६)¹

वर्ष	पंचवर्षीय योजना	राष्ट्रीय आय (करोड़ रु.)	समस्या (करोड़)
१९५१-५६	प्रथम	१०८००	३८ ४
१९५६-६१	दूसरी	१३४८०	४० ८
१९६१-६६	तीसरी	१७२६०	४३ ४
१९६६-७१	चौथी	२१६८०	४६ ५
१९७१-७६	पाँचवी	२७२७०	५० ०

जनसंख्या सम्बन्धी उत्तरोत्तर विवेचन से इस बात का आमाद होता है कि अन्य राष्ट्रों की तुलना में भारत की आर्थिक स्थिति अभी सतोपन्नक नहीं है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि देश के उत्पादन में निरुत्तर प्रगति हो जाए रहे, तभी देशवासियों के लिए पर्याप्त वस्तुएँ तथा सेवाएँ उपलब्ध हो सकती हैं।

प्रश्न

1. Write a short note on 'National Income of India'
(Agra 1960, 1955)
2. What do you understand by National Income? What is the National Income of India?
(Agra, 1957)
3. Describe the methods of calculating National Dividend in India. Discuss the merits and demerits of each method' (Punjab, 1955)

अध्याय २५

आर्थिक आयोजन

(Economic Planning)

आर्थिक आयोजन का अर्थ

आयोजन का अर्थ है प्रतिस्पर्द्धी लद्दारों के साथ हुल्म साधनों का सजग सामर्ज्य स्थापित करना। इसके अन्तर्गत, सामाजिक और आर्थिक लद्द निर्धारित करने पड़ते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम बटन करके उहै विधिकम् वाच्छनीय दिशाओं में प्रवाहित करना पड़ता है। 'नेशनल प्लानिंग कमीशन' के अनुसार प्रजातान्त्रिक प्रणाली के अन्तर्गत आयोजन का अर्थ "स्टाटवाडी नियोजन द्वारा यात्रा का प्रतिनिधिक सम्पाद्याद्वारा निर्धारित उपयोग, उत्पादन, विनियोग, व्यापार एवं आय वितरण के प्राविधिक (technical) समन्वय को कहते हैं। इस प्रकार के आयोजन को न केवल आर्थिक एवं उच्चतर जीवन-स्तर के उद्दिष्टों से देखना है, बल्कि इसके अन्तर्गत जीवन के सासृतिक, आधात्मिक तथा मानवीय पक्ष का मासमानवश होना चाहिए।"¹

इस प्रकार आयोजन का अर्थ आर्थिक नियाओं का उद्देश्यपूर्ण निर्देशन है। उद्देश्य राष्ट्र होने चाहिए और निर्देश कुशल केन्द्रीय अधिकारी के द्वारा दिये जाने चाहिए।

सारांशे प्राय सभी विचारों के लोग आज इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि विशीभी देश की निर्धनता की समस्या और आर्थिक विकास की प्रगति को तीव्र करने के

¹ Planning under democratic system may be defined as the technical co-ordination by the disinterested experts of consumption, production, investment, trade and income distribution in accordance with social objectives set by bodies representative of the nation. Such planning is not only to be considered from the point of view of economics and the raising of standard of living but must include cultural and spiritual values and the human side of life—National Planning Commission.

लिए किसी न किसी रूप में आर्थिक आयोजन अपनाना अति आवश्यक है। क्योंकि आर्थिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध साधनों का तीव्र स्तर पर योजनाबद उपयोग है, जिससे देश के उत्पादन, राष्ट्रीय आय, रोजगार तथा जनता के सामाजिक कल्याण में इन्हि हो सके। आज से ५० वर्ष पूर्व 'आर्थिक आयोजन' बुलु आर्थिक विवेचकों द्वारा एक बाल्पनिक रूपन के अतिरिक्त और बुद्धि न था। यहाँ तक कि सन् १९२० तक अनेक अर्थशास्त्री आयोजित अर्थव्यवस्था को एक हास्यास्पद वस्तु ही समझते थे। किन्तु द्वितीय महायुद्ध तक आर्थिक आयोजन लगभग सभी राष्ट्रों की आर्थिक नीति का एक आवश्यक अंग बन गया।

सचार में सोशियल रूप ही ऐसा देश था जिसने अपने आर्थिक विकास के लिए सर्वप्रथम 'आर्थिक आयोजन' का सहारा लिया। अप्रैल सन् १९१८ में बोल्ड्रीविक रूप से प्रधान श्री लेनिन ने 'एकाडेमी ऑफ राइन्सेज' को रूप की सम्मूर्ख अर्थव्यवस्था तथा विशेषरूप से उद्योगों का पुनर्गठन करने के लिए एक योजना (plan) की रूपरेता तैयार करने का कार्य लौंगा। लेनिन ने इस प्रस्ताव के फलस्वरूप २१ फरवरी सन् १९२० में 'टेट एमेटी फॉर दी इलेक्ट्रीफिशेशन ऑफ रशा' (GOELRO) का निर्माण हुआ, जिसने दिव्यांग उन् १९२० में देश के २०० सर्वधेष्ठ वैशानिकों एवं विशेषज्ञों की सहायता से २६,५०० मिलियन रुपये (रुसी मुद्रा) की लागत से एक योजना तैयार की। इस योजना का नाम Plan for the Electrification of the U S S R था। इस योजना के अनुसार रूप का 'समाजवादी अर्थव्यवस्था' (Socialist Economy) की नीव पड़ी।

यह योजना पूर्णतया सफल रही। इसकी सफलता से प्रभावित होकर कॉम्मरेड स्टालिन ने देश (रुप) के अन्यसदृक देश में घोषित किया कि 'आयोजन के कार्य तथा महना को कम करना भूल होगा।' और उन्होंने देश के भावी विकास के लिए तीन प्रमुख योजनाएँ बनाईं। इन योजनाओं में कमश. ६४,६०० मिलियन १,३३,४०० मिलियन तथा १,६२,००० मिलियन रुपये क्षय करने का अनुमान लगाया गया था। सोमाजिक विकास के तीनों योजनाएँ पूर्णतया सफल रहीं और उनकी सफलता के फलस्वरूप रूप का सर्वाङ्गीण विकास हुआ, जैसा कि अग्र तालिका से स्पष्ट है—^१

¹ A. Kuczynski, *The Planning of the National Economy of the U.S.S.R.* — p. 80

	इकाई (Unit)	१९१३	१९४०	१९४० के उत्पादन का १९१३ से अनु० (१९१३ = १)
(१) राष्ट्रीय आप	ह० मि० रुपये	२१०	१२८३	६०
(२) सब उत्पादों का सकल (Gross) (उत्पादन	"	१६२	१३८५	८५
(३) उत्पादन के साधनों का उत्पादन	"	५४	८४८	१५४
(४) उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन	"	१०८	५३७	५०
(५) कच्चा लोहा (Pig Iron)	मिलि० टन	४२	१५०	३८
(६) इस्तात (Steel)	"	४२	१८३	४४
(७) कोला	"	२६०	१६६०	५७
(८) तेल	"	६०	३१०	३४
(९) विशुद्ध शक्ति	ह० मि० कि०	१८	४८३	२६०
(१०) मशीन निर्माण तथा धातु कार्य	ह० मि० रुपये	१५	५०२	३३०
(११) निकार्यार्थ अतिरेक (Surplus) अनाज	मिलियन टन	२१६	३८३	१८
(१२) रुद्ध (Raw cotton)	"	०७४	२७	३६

उपरोक्त तीनों पचवर्षीय योजनाओं का आधार लेनिन तथा स्टेलिन द्वारा अपनाया हुआ उत्पादन—देश का समाजवादी औद्योगीकरण—था।

प्रोफेसर मारिस डॉर ने टीक ही कहा—इसमें सदैह है कि पहले कमी भी, ससार के इतने विशाल भू-प्राण पर, इस प्रकार ने गहन परिवर्तन, इतने अल्प समय में हुए हो जितना कि लोवियत स्तर में हुआ।

रुस ने सिद्ध कर दिया कि (१) कोई भी देश विकास में इसलिए नहीं पिछड़ा कि वह गरीब या या वहाँ बचत और पैंजी निर्माण कम होता था। देश के पिछड़ने के कारण आर्थिक संगठन की कमज़ोरी और लापरवाही होती है। (२) इसी प्रधान देशों में औद्योगीकरण से खेती का उत्पादन अमेरिका के कारण कम नहीं होता क्योंकि इन देशों के ग्रामीण ज़ेन पर आवश्यकता से बहुत अधिक आवादी रहती है। (३) विदेशी पैंजी की अत्यधिक सहायता लिये जिना भी विकास हो सकता है (४) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का बेन्द्रीय निर्देशन तथा सचालन, कम से कम समय में आर्थिक प्रगति सम्भव बना देगा। (५) न्याज तथा छाप जिना भी विशाल पैंजी तथा विनियोग किया जा सकता है। (६) मूल्य निर्धारण पर लागत, मांग तथा पूर्ति का अभाव, हटाया जा सकता है। (७) औद्योगिक मंदी आवश्यक नहीं है।

अमेरिका की राष्ट्रीय प्रगति के जो आँखें हमें मुलभ हैं उनसे पता चलता है कि पिछले ७५ वर्षों में हर २० वर्ष बाद अमेरिका का राष्ट्रीय उत्पादन चढ़कर दुगुना

हो गया है। इस प्रकार सन् १९८० की तुलना में इस समय अमेरिका का राष्ट्रीय उत्पादन १३ गुना अधिक है। यह सब आर्थिक आयोजन की ही देन है।

प्रारम्भ में राष्ट्र आर्थिक आयोजन अपनाने में हिचकिचाते थे, क्योंकि इन योजनाओं से 'समाजवादी गध' (Socialist flavour) आती थी। परन्तु रुद्धि की योजनाओं की अरशन्वर्जनक सफलता एवं विश्वव्यापी आर्थिक मदी (economic depression) ने विभिन्न देशों को आर्थिक आयोजन अपनाने के लिए विश्व कर दिया। बादिया एवं जोशी ने शन्दो में, 'सोवियत रूम की पचवर्षीय योजनाओं की सफलताओं के उपरान्त आयोजन आर्थिक सरायियों के लिए रामबाण औपचारिक समझी जाने लगी है। यहाँ तक कि पूँजीपति और व्यापारी वर्ग जो आयोजन के शत्रु और स्वतन्त्र व्यापार के पुजारी माने जाते हैं, वे भी आयोजन के पक्के अनुयायी थन गये हैं।' इस प्रकार अनियन्त्रित पूँजीवाद की आर्थिक कमजोरियाँ, युद्ध में अपनाया गया आर्थिक आयोजन, वर्तमान सुदृढ़नित भीरण चर्चादी, प्रौद्योगिक आयोजन पर अर्थशास्त्रियों की स्त्रीहृति, समस्त बड़े शास्त्रों की आयोजन में घटती हुई दिलचस्पी, आयोजन की ओर बढ़ती हुई दिलचस्पी के लिए उत्तरदायी हैं।

आज सुसार के लगभग सभी राष्ट्र किसी न किसी प्रकार के आयोजन वे पक्के हैं। अविकसित राष्ट्रों वे लिए तो आर्थिक आयोजन 'जीवन सजीवनी' हो गया है।

भारतवर्ष में आर्थिक आयोजन

(Economic Planning in India)

यों तो भारतवर्ष में समय समय पर कुछ महान् विभूतियों ने अपनी दूरदर्शिता एवं उदारता के कारण जनता एवं सरकार का ध्यान तत्कालीन भारतीय दरिद्रता, पिछुड़ी हुई अवस्था एवं अन्य गम्भीर समस्याओं की ओर अपनी विदुषी लेखनी द्वारा आकृष्ट किया है। यत्रतन कुछ प्रयास भी किये गये। परन्तु स्वतन्त्रता की प्राप्ति तक ऐसे कोई टोक कदम नहीं उठाये गये जिनको हम 'आर्थिक नियोजन' की सजा दे सकें। इसके दो कारण रहे हैं—एक तो जनता की उदासीनता तथा दूसरे नियोजन से आने वाली 'समाजवादी गध' (Socialist flavour) जो कि तत्कालीन सरकार को चिल्मुल पसन्द न थी।

सर्वप्रथम देश के माननीय जस्टिस रानाडे ने सन् १९६२ में जनता से भारतीय राजनीतिक अर्थशास्त्र के ऐतिहासिक, वास्तविक एवं सापेक्षिक अध्ययन करने के लिए अनुरोध किया। इसके द्वारा देश के नेताओं एवं नागरिकों का ध्यान स्वतं भारत की तत्कालीन प्रमुख गम्भीर समस्याओं की ओर आकर्षित हुआ।

देश के बयोड्ड अद्देय डा० एम० विश्वेश्वरैया, जो कि सुप्रसिद्ध इज़्जीनियर, प्रशासक, राजनीतिज्ञ एवं उद्योगपति हैं, ने १९२० में 'भारत के लिए आयोजित अर्थ

‘विरस्था’ (Reconstructing India) नामक शुद्धक प्रकाशित की। उन्होंने आर्थिक पुस्तक में आर्थिक जीवन के कमज़दूर तथा योजनाबद्द विकास की आग्रहकता पर बल दिया और समस्त मारत वे आयोजित विकास के लिए एक वर्णीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

इस प्रकार आयोजन के स्रोत में आप्रगणी अधिगण अगुआ (pioneer) होने का ऐय श्री पिंडेश्वरैया को ही है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन् १९३८ में आदरणाय पहिले बजाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक ‘राष्ट्रीय आयोजन समिति’ (National Planning Committee) नियुक्त की थी। १९३८ से १९४५ तक मुद्रजनित परिस्थितियों के कारण उसका कार्य प्रगति न कर सका। युद्ध की समाप्ति पर समिति ने इस विषय पर एक पुस्तकमाला प्रकाशित की।

मुद्रोत्तर पुनर्निर्माण के लिए भारत सरकार ने १९४४ में एक ‘योजना तथा विकास विभाग स्थापित किया। उसी वर्ष प्रान्तीय सरकारों का भी मुद्रोत्तर विकास/योजनाएँ तैयार करने के लिए कहा गया।

द्वितीय महायुद्ध-काल में अनेक गैर सरकारी योजनाएँ भी तैयार की गईं, उनमें से प्रमुख ये थीं —

(१) बम्बई के अधिकारियों एवं उत्तमाभियां द्वारा तैयार का गढ़ ‘बम्बई योजना’ (Bombay Plan)

(२) थी एम० एन० एवं द्वारा प्रस्तुत ‘लोक योजना’ (People's Plan) तथा

(३) थी शामनारायण द्वारा तैयार की गढ़ ‘गांधीगांधी योजना’ (Gandhian Plan)।

परंतु दुमाण्यरण ये योजनाएँ सफल न हो सकी क्योंकि इनके पाछे कोड वैदा निक सत्ता नहीं थी।

सन् १९४७ म देश के स्वतंत्र हो जाने के पश्चात् पुन आर्थिक नियोजन की आर खान दिया गया। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने के पश्चात् आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना भा आग्रहक है। गया, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कोइ महत्व नहीं रखती है। फलस्वरूप इमारी राष्ट्रीय सरकार ने देश की आर्थिक दशा मुद्घारने और देशवासियों का जीवनस्तर ऊँचा उठाने का बीजा उठाया। श्री श्रीमद्भा, रायण, सदस्य, झानिंग कमीशन, के शब्दों में ‘भारत लोकतन्त्रीय व्यवस्था के भीतर आर्थिक आयोजन के महान् प्रयोग पर उत्तर पड़ा है। हमारे प्रयत्नों में तनिक भी निलाई होने से न रिक्त हमारी आर्थिक प्रगति धीमी होगी बल्कि स्वयं लोकतंत्र भी उत्तरे में पड़ जायगा। पहिले नेहरू ने भी इस सम्बन्ध में कहा है कि ‘इस समय अगर तनिक

भी देर की गयी तो उठका मतलब यह होगा कि बाद में चलकर और भी ज्यादा मार उठाने पड़ेंगे।

फलस्वरूप मार्च सन् १९५० में देश के प्रधान मंत्री पर्वित जगाहरलाल नेहरू वह अधिकारी में एक 'नेशनल सार्वजनिक कमीशन' की स्थापना। हुई, जिससे वह हमारे साधनों का लेता जोवा तैयार करे, और ऐसी योजना बनाये कि अधिक से अधिक असरदार तथा संतुलित ढंग से उनका उपयोग किया जा सके।

जुलाई १९५१ में योजना का मस्तिष्क 'अधिक से-अधिक सार्वजनिक आलोचना और विचार' के लिए प्रकाशित कर दिया गया। यह मस्तिष्क वेन्ट्रीय मत्रालयों, राज्यों तथा जनमत के प्रतिनिधियों की सलाह से तैयार किया गया था। 'कमीशन' को इसके फलस्वरूप जो मुख्य प्राप्त हुए, उनकी रोशनी में मस्तिष्क का मुधार किया गया। दिसम्बर १९५२ में भारतीय संसद के सामने प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अपने अतिम रूप में प्रस्तुत की गई, और उसे १६ दिसम्बर सन् १९५२ को संसद की स्वीकृति प्राप्त हुई। ३१ दिसम्बर सन् १९५२ को प्रधान मंत्री ने राष्ट्र के नाम पक्का सन्देश व्राद्धास्त किया। उन्होंने कहा कि 'जनता के विभिन्न हिस्सों में अधिक से अधिक मतैक्य का यह प्रतिनिधित्व करती है।' नवीन भारत के निर्माण के इस महान् प्रयास में हम सभा सामीदार बनें।'

उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में विकास कार्य आरम्भ करना था, जिससे लोगों के रहन सहन का स्तर ऊँचा उठाया जा सके और उन्हें उच्चत जीवन चित्ताने के लिए नये अवधार प्रदान किये जा सकें। योजना का उद्देश्य वेवल साधनों का हा विकास करना नहीं, बल्कि मानवीय गुणों का विकास करना और लोगों की आवश्यकता तथा मानवाओं के अनुरूप एक समाज की रचना करना भी था।

सन् १९७३ तक प्रति वर्षि आय को दुगुना करना एक दीर्घकालीन उद्देश्य रखा गया है। प्रथम योजना काल (१९५१-५६) में राष्ट्रीय आय को ६० आवश्यकता से बढ़ावर १ लरब रुपये करने का लक्ष्य रखा गया। बचत की दर में बढ़ि करके १९५५-५६ तक इसे दृढ़ प्रतिशत, १९६०-६१ तक ११ प्रतिशत तथा १९६७ दृढ़ तक २० प्रतिशत कर देने का विचार किया गया।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना

प्रथम योजना का उद्देश्य भविष्य से दूरतर विहार की जैवाती जल्दी जा। सार्वजनिक क्षेत्र के विकास-कार्यक्रम में प्रस्तावित ध्यय के लिये प्रारम्भ में २,०६६ करोड़ रुपये रखे गये थे जो बाद को बढ़ाकर २,३५६ करोड़ रुपये कर दिये गये।

प्रथम योजना काल में सिचाई तथा विशुद्ध उत्पादन के साथ साथ हृदि के

निकाट को सबसे आधिक प्राप्तमित्रता दी गई। परिवहन (transport) तथा संचार साधनों के विकास को भी प्रार्थनिका मिली। औप्रायिक विकास निजी उद्योगपतियों की पहल तथा निजी संसाधनों पर छोड़ दिया गया।

व्यय

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में मुख्य मद्दों पर हुआ वास्तविक व्यय निम्न तालिका में दिया गया है :

मुख्य मद्दों पर वास्तविक व्यय (प्रथम योजना)

वास्तविक व्यय (करोड़ रुपये)	कुल व्यय का प्रतिशत
कृषि तथा सामुदायिक विकास	२६६
सिंचाई तथा नियन्त्रण	५८८
उद्योग और संचार	१००
परिवहन तथा संचार साधन	५३२
जन सेवा	४२३
विनियोग	७८
योग	२०१३
	१०००

२०१३ करोड़ रुपये के आँकड़े जो उत्तर्युक्त तालिका में दिये गये हैं, पांचवें वर्ष के लिए संशोधित प्रक्रियना पर आधारित हैं। पुनर्निचार किये जाने के फलस्वरूप अब वास्तविक व्यय १६६० करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।

योजना के आर्थिक साधन

प्रथम योजना के अन्तर्गत व्यय किये गये १६६० करोड़ रुपये की व्यवस्था निम्न साधनों के द्वारा की गई थी :

(करोड़ रुपयों में)

साधन	घनराशि
(१) रेवेन्यू एकाउंट से प्राप्त किये गये साधन (रेलवे के अदान सहित)	७५२
(२) बनता दे प्राप्त मुख्य	२०५
(३) अल्प बचत तथा शायोल्य और (Unfunded Debt)	३०४
(४) पूँजीगत लेखों पर अन्य विविध प्राप्तियाँ	६१
(५) वाक्य सहायता	१८८
(६) घाटे की व्यवस्था से प्राप्त साधन	५२०
योग	१,६६०

योजना के लक्ष्य एवं प्रगति

प्रथम योजना का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी नीव तैयार करना था जिस पर एक प्रगतिशील तथा विविधतापूर्ण अर्थ-व्यवस्था का निर्माण किया जा सके। योजना के निर्माण के समय हमारे नवोदित स्वतन्त्रता प्राप्त राष्ट्र के मुमुक्षु अनेक महत्वपूर्ण समस्याएँ भी जैसे खाद्य और कच्चे माल की कमी तथा मुद्रा स्थिति का निरन्तर दबाव। ऐसी परिस्थितियों में स्वाभाविक था कि योजना का मूल उद्देश्य मविश में शीघ्र उन्नति के लिए भूमिका तैयार करना है। दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ यह भी ज्ञान रखा गया कि सतुरित और व्यापक आर्थिक विकास की प्रवृत्तियों का ग्राम्य हो।

हर्दि का विषय है कि प्रथम योजना को आशानोत्त सफलता प्राप्त हुई। प्रथम योजना के लघुकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों ही प्रकार के उद्देश्यों की भरपूर पूर्ति हुई। देश के उत्तादन में वासीवृद्धि हुई तथा अर्थव्यवस्था सुट्ट हुई। मुद्रा स्थिति वैश्वभाव लगभग समाप्त हो गये। योजना के अन्त में सामान्य मूल्य स्तर प्रारम्भ की अपेक्षा १५% कम था। राष्ट्रीय आय में १८%, इपि उत्तादन में ३०%, विद्युत-शक्ति में ८५%, पौँजीयत बलुओं के उत्तादन में ७०%, औद्योगिक तथा उभयोगीय पदार्थों में ३४% तथा औद्योगिक उत्तादन में कुल मिला कर ३०% वृद्धि हुई। अनेक महत्वपूर्ण एवं आशारभूत कारखाने खोले गये। इन्हि तथा औद्योगिक उत्तादन दोनों ही योजना के निर्धारित लक्ष्यों से कहीं आगे निकले गये। निनियोग की दर में भी प्रगति हुई। योजना के प्रारम्भ में निनियोग की दर राष्ट्रीय आय की ५% थी जो कि योजना के अन्त तक ७% हो गई। अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लक्ष्य उनकी प्राप्तियाँ द्वितीय योजना के साथ दी गई हैं।

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना

उद्देश्य

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना १५ मई, १९५६ को सदर में प्रक्षुत की गई। इसके मुख्य उद्देश्य हैं :—

- (१) राष्ट्रीय आय में २५% प्रतिशत वृद्धि;
- (२) विशेषकर मूलभूत (बुनियादी) तथा भारी उद्योगों के विकास के साथ हुलगति से औद्योगीकरण,
- (३) रोजगार के अधिक अवलोकीकरण;
- (४) आय और धन में पाई जाने वाली असमानता में कमी तथा धन का समान वितरण।

व्यय तथा आवंटन

द्वितीय योजनाकाल में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा विकास कार्यों पर ८८०० करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि प्रथम योजना में सदा २३६५ करोड़ रुपये के व्यय का रखा गया था और वास्तविक व्यय १६६० करोड़ रुपये का हुआ। इसमें स्थानीय विकास कार्यों को कार्यान्वित करने में जनता द्वारा दिया गया योगदान सम्प्रतिक्रिया मर्ही है। विकास के मुख्य मदों का व्यय-प्रिमाजन निम्न तालिका में दिखाया गया है :

योजना के अन्तर्गत मुख्य विकास शीर्षकों के अनुसार व्यय-प्रिमाजन -

	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	प्रथम योजना	
	पर द्वितीय	कुल व्यवस्था (करोड़ रुपये)	प्रतिशत (करोड़ रुपये)	योजना की प्रतिशत वृद्धि
उपर्युक्त विकास शीर्षक				
सचाई तथा विशुद्धि	३५७	१५१	५६८	११८
सचाई तथा विशुद्धि	६६१	२८१	८१३	३८३
उद्योग तथा उन्नयन	१७६	७६	८८०	१८७३
परिवहन तथा सचार साधन	५५७	२३६	१३८५	१४८७
समाज सेवाएँ	५३३	२२६	८५५	१६७
प्रिविध	६६	३०	६६	१०१
योग	२,३५६	१०००	४,८००	१०००

४,८०० करोड़ रुपये के कुल व्यय में से २,३५६ करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार तथा २,२४१ करोड़ रुपये राज्य सरकारें बहन छोड़ेगी। कुल व्यय में से ३,८०० करोड़ रुपये का उपयोग विनियोग के लिए तथा १,००० करोड़ रुपये का उपयोग चालू विकास व्यय के लिए किया जावगा।

निजी सेवा में विनियोग

द्वितीय योजनाकाल में निजी सेवा में २,४०० करोड़ रुपये का विनियोग इस प्रकार होने की समावेशना है :

	करोड़ रुपये
संगठित उद्योग तथा उन्नयन	५७५
शाश्वत, विशुद्धि तथा परिवहन (रेलों की छोड़कर)	१२५
निर्माण कार्य	१,०००
झापि और ग्राम तथा छोटे पैमाने के उद्योग	३००
स्टॉक	४००
	२,४००


द्वितीय योजना में उद्योगों का स्थान

निजी क्षेत्र में २,४०० करोड़ रुपये के विनियोग की आमदानी का अनुमान लगाया गया है। इनमें से ७२० करोड़ रुपये श्रीगोपिक विकास के लिए (खनन, विद्युत उत्पादन तथा वितरण, धारानी और छोटे पैमाने के उद्योगों को छोड़ कर), ५७० करोड़ रुपये नये विनियोगों के लिए तथा १५० करोड़ रुपये आमुनीकरण के लिए उद्योग में जारी जाने का विचार है। ६६५ करोड़ रुपये की शेष राशि विद्युत निजी क्षेत्र के विनायक साधन ६२० करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है जो निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है :

निजी क्षेत्र के लिए वित्तीय साधनों के स्रोत (द्वितीय योजना)

(करोड़ रुपये में)

	१९५१-५२	१९५२-५३
(१) श्रीगोपिक वित्त निगम (I. F. C.), राजकीय वित्त निगम (S. F. C.) और श्रीवोपिक भूगत तथा विनियोग निगम से भूगत	१८	४०
(२) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष भूगत	२६	२०
(३) विदेशी पैंजी	४२—४५	१००
(४) नये निर्गमन (New Issues)	४०	७०
(५) आन्विक स्रोत (नये विनियोग आदि)	१५०	३००
(६) अन्य स्रोत (Other Sources)	६१—६४	८०
योग	३४०	६२०



चित्र १२

सरकारी देव वित्तीय साधन

शोभना द्वे अन्तर्गत इस सार्वजनिक लेनों में ४,८०० करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे, उनकी पर्ति करने वाले वित्तीय साधन अगले पृष्ठ पर दिये गये हैं :—

द्वितीय योजना के वित्तीय साधन

(करोड़ रुपयों में)

वित्तीय साधन	धनराशि	घनराशि
चालू राजस्व की आय में से बचत १८५५-५६ के करों की दर पर नए करों से अतिरिक्त आय	... २५० ४५०	८००
जनसा से प्राप्त खुले बाजार से आय श्रम बचतें	७०० ५००	१,२००
बजट के अन्य सूची से आय रेलों से प्राप्त आय प्राविडेंट फड तथा अन्य जमा खातों से	१५० २५०	४००
विदेशी सहायता हीनार्थ अर्थ प्रबन्धन द्वारा कमी जो पूरी की जायगी	८०० १,२०० ४००	
योग		४,८००

योजना आयोग द्वारा पुनर्विचार (Reappraisal)

प्रथम तीन वर्षों में कुल महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वे कारण योजना आयोग को द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में आवश्यक संशोधन करने पढ़े हैं। योजना आयोग द्वे पुनर्विचार वे अनुसार बदलाव योजना पर सार्वजनिक क्षेत्र में ८८० करोड़ रुपये और निजी क्षेत्र में ४७५ करोड़ रुपये व्यय करने का अनुमान लगाया गया है। उनिज विकास के लिए ११० करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। सिनाई तथा शहिल के लिए ४२० करोड़ रुपये आवश्यित किये गये हैं। यदि इस व्यय का आवा अर्थात् २१० करोड़ रुपये अनुमानत शक्ति (power) के लिए मान लिया जाय तो द्वितीय योजना में उद्योग एवं शक्ति पर होने वाला कुल व्यय लगभग १,७७५ करोड़ रुपये (८८० + ४७५ + ११० + २१०) होगा।

जहाँ तक उद्योगों का समन्वय है, वहे उद्योगों पर होने वाला सार्वजनिक व्यव संज्ञित उद्योगों पर होने वाले निजी व्यय का अधिकार भारी उद्योग के लिए निर्धारित है। द्वितीय योजना में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में श्रोदोगिक विकास पर होने वाले मूल (original) सकल व्यय—१०६५ करोड़ रुपये—का ८०% भारी उद्योगों और शेष २०% उपभोक्ता वस्तु उद्योगों पर होना है। अतः लोगों का कथन है कि इस

योजना में उपभोक्ता वस्तु उत्पादों की अपेक्षा हृत उपेक्षा की गई है। परंतु वर्तमान स्थितिया को देखते हुए, यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सन्तुलित भुगतान की समस्या के निराकरण के लिए स्तपादक वस्तु (producer goods) उत्पादों पर चल देना उचित है। साथ ही साथ मुद्रारक्षितनन्य (Inflationary) भवानक प्रभावों को दूर करने के लिए, उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ती हुई मार्ग को पूरा करने के लिए भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

योजना के लद्य एवं प्रगति

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना एक वृपि प्रधान योजना थी जब कि द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना एक स्वयंप्रधान योजना है। यद्यपि द्वितीय योजना में श्रीशोगीकरण को अन्दर बिंदु माना गया है तब भी इपि एवं सामुदायिक विकास योजनाओं की उपका नहीं की गई है। प्रथम योजना का उद्देश्य देश एवं आर्थिक विकास के लिए नीति ढालना था और द्वितीय योजना का उद्देश्य देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना है। द्वितीय योजना काल में कपड़े का प्रति वर्षि उपभोग २२ गज तक बढ़ा दिया जायगा तथा नियंत्रण का उपभोग दुगना कर दिया जायगा। सिंचित चेत्र में ३१%, विद्युत शक्ति में १०३% तथा सादात में १५% वृद्धि हो जायगी। समाजवादी समाज की व्यवस्था करने निर्धन तथा धनवान के अन्तर को कम किया जायगा, प्रादेशिक असमानताओं को कम करने विभिन्न क्षेत्रों का सत्रुलित विकास किया जायगा तथा राष्ट्र का चुवाझीय विकास किया जायगा। उत्पादन तथा विकास के प्रमुख लद्य इस प्रकार निर्धारित हिस्से गये हैं-

मद	प्रथम योजना प्रतिशत (करोड़ ६० में)	द्वितीय योजना प्रतिशत (करोड़ ८० में)		
१ इपि और सामदायिक विकास वृपि	३५७ २४९	१५.१ १०.२	५६८ ३४७	११८ ७१
राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजनाएँ	८०	३८	२००	४१
श्रम कार्य (ग्राम पञ्चायत व स्थानीय विकास)	३६	११	८७	०६
२ सिंचाइ एवं विद्युत सिंचाइ	३६९	२८१	६१३	१६०
विद्युत	९८४	१६३	३८१	७६१
चाढ़ नियन्त्रण, श्रम योजनाएँ, जांच पड़ताल आदि	७६०	१११	४२७	८६
	१७	०७	१०५	२१

	योग	२३५६	१०००	४,८००	१०००
३ उद्योग और लाने	१७६	७६	८६०	१८५	
बड़े और मैंभले उद्योग	१४८	६३	६१३	१२८	
खनिज विकास	१	—	७३	१५	
+ ग्राम तथा छोटे उद्योग	३०	१३	२००	४९	
४ परिवहन एवं सचार	५५७	२३०६	२,३८५	२८८	
रेलवे	२६८	११४	६००	१८८	
सड़कें	१३०	५५५	२८६	५६	
सड़क परिवहन	१३	०५	९७	०४	
मन्दरगाड़ी	३४	२५	४५	०८	
जहाजरानी	२६	११	४८	१०	
अन्तर्राष्ट्रीय जल परिवहन	—	—	३	०४	
नागरिक वायु परिवहन	२४	१०	४३	०८	
+ अन्य परिवहन	३	०३	७	०२	
झाक तथा तार	५०	१०२	६३	१३	
अन्य सचार	५	०३	४	०९	
प्रसारण	५	०२	६	०९	
५ समाज सेवाएँ	५५३	१२६	६४५	१६३	
शिक्षा	१६४	७०	३०७	१४	
म्वास्थ	१४०	५०८	२७४	५७	
आवास	४६	२१	२२०	२५	
पिछङ्गी जातियाँ	३२	१३	६७	१८	
- समाज कल्याण	५	०२	२६	०६	
श्रम व श्रम कल्याण	७	०३	२६	०६	
युनिस्ट्रियल	७	०३	२६	०६	
शिक्षितों की बेकारी समग्री	—	—	१	—	
योगनाएँ	—	—	५	०९	
६ वित्ति	३६	१०	६६	२१	

उत्तरोत्तर लद्दयों को निर्धारित करने के कुछ समय पश्चात् तो यह अनुभव किया गया कि हृषि उत्पादन के लद्दय देश की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने में असफल रहेंगे। अतः हृषि उत्पादन के लद्दय का सशोधन किया गया यद्यपि आर्थिक साधनों

का आवटन पूर्ववत ही रहा। कृषि उत्पादन के सहोधित लद्य तथा उनकी मूल लद्यों पर प्रतिशत घृदि निम्न तालिका में दी गई है :

	उत्पादन का मूल लद्य	दोहराये गये लद्य	द्वितीय योजना में घृदि का प्रतिशत (मूल) (दोहराये गये)
खाद्यान्न (लाख टन)	७५०	८०५	१५
रही (लाख गांडे)	५५	६५	१८
जूट (लाख गांडे)	५०	५५	१०
गन्ना (गुड़) (लाख टन)	७१	७८	१०५
तिलहन (लाख टन)	७०	७६	१७
अन्य फसलें	—	—	८
सभी वस्तुएँ	—	—	१७

योजना की प्रगति

द्वितीय योजना के प्रथम चार वर्षों में कुल ३६६० करोड़ रुपये व्यय किये जाने का अनुमान है। विभिन्न प्रमुख विकास की मदों पर विभिन्न वर्षों में किये गये व्ययों का अनुमान निम्न तालिका से होगा :

	(दोहराया हुआ अनुमान)	प्रथम चार वर्षों का योग
१६५६ ५७	१६५७ ५८	१६५८ ५८
कृषि एवं सामुदायिक विकास	६७	६२३
सिंचाइ एवं विद्युत	१५५	१७१
लघु एवं मामीण उद्योग	२८	४१
उद्योग एवं खनिज पदार्थ	७५	२५७
यातायात एवं सुदेश बाहन	२१६	२६४
सामाजिक सेवाएँ	८६	१५८
अन्य	१३	२०
योग	६४१	८६३
		१,०६४
		३,६६०

तृतीय पचवर्षीय योजना

विकास की ओर हम काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रथम और द्वितीय पचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप जनसंख्या के एक विशाल समुदाय, लगभग ४० करोड़ व्यक्तियों के जीवन में जुपचाप धीरे-धीरे बढ़ा मारी परिवर्तन हो गया है। हमारे जीवन और विचार का क्रम भी बदल गया है। प्रथम पचवर्षीय योजना एक कृषि

प्रधान योजना थी, इसका उद्देश्य देश को कृषि डल्यादन में आत्मनिर्भर बनाना था। द्वितीय पचासीय योजना आगे आने वाली पूहत् योजनाओं का प्रारम्भ मात्र ही कही जा सकती है। और यास्तपिकता तो पह है कि मारतीय गणराज्य के प्रथम दस वर्ष आयोजन की भूमिका (picamble) बनाने से पैदा हुई है। इन वर्षों से यह शब्द हुआ कि भारत किस दूत गति से पूर्व औद्योगिक युग से निकल कर औद्योगिक युग में प्रवश कर रहा है। जब समग्र संचार की विचारधारा औद्योगीकरण से फलस्वरूप परिवर्तित होती जा रही है और जब कि पश्चिम आज अगु युग नहीं सुनिक युग की आए अप्रधार हो रहा है, तब भारत किस प्रकार पीछे रह सकता है। इस समय देश के श्रीचोटीकरण की अत्यधिक आवश्यकता है। तृतीय पचासीय योजना जिसमें सरकारी और जिजीक्षा म १०,२०० (६२०० + ४०००) करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे, के अन्तर्गत देश के श्रीचोटीकरण पर अत्यधिक ध्वनि दिया गया है।

तृतीय पचासीय योजना के उद्देश्य

(१) अगले ५ साल में राष्ट्रीय आय में वार्षिक ५ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करना और हिंसाप से देश के विकास में योग्यता लगाना जिससे आगे भी उद्दिष्ट का यदी प्रभाव जारी रहे।

(२) अनाज की विदार में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और बच्चे माल की उपज की इतना बढ़ाना कि उससे हमारे डब्बों की जरूरतें मी पूरी हो और निर्धारित भी हो।

(३) इथाव, विजली, तेल, इधन आदि बुनियादी उद्योगों को बढ़ाना और मर्यादा बनाने ने बारपाने स्थापित करना जिससे १० वर्ष बीच आनंदर देश के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक मर्यादा आपने देश में ही बनाई जा सके।

(४) देश के जन या जनशक्ति का पूरा उपयोग करना और लोगों को अधिक रोजगार देना, तथा

(५) धन और धाव की विप्रवाना को घटाना और समस्ति का अधिक व्यापो चिन प्रतिरक्षा करना।

योजना में प्रस्तावित व्यय

अपर चिन लद्दारा का उल्लेख किया गया है, उनको पूरा करने के लिए तीसरी योजना की अवधि में १०,२०० करोड़ रुपये की कुल पूँजी लगाने का विचार है। इसमें से ६२०० करोड़ ८० सरकारी चेत्र में और ४००० करोड़ रुपये निजी चेत्र में लगायें जायेंगे। सरकारी चेत्र में कुल व्यय ७२५० करोड़ रुपये होंगा। २०० करोड़ रुपये का राशि सरकारी चेत्र से निजी चेत्र म संतुलित करने की सम्भागना है, जिससे निजी चेत्र में पूँजी का निमणि हो सके। अवलिंगित सारिली म सोसाईटी योजना के कुल व्यय और पूँजी की दूसरी योजना से तुलना की गई है—

(करोड़ रुपये में)

योजना का व्यय	चालू व्यय	सरकारी चेत्र	निजी चेत्र	कुल पैद़ी
दूसरी योजना ४,६००	६५०	३,६५०	३१००	६७,५१
तीसरी योजना १५,८५०	१८५०	६२०	८०	१८,८०१

१—सरकारी चेत्र से जो ५०० करोड़ रुपये निजा चेत्र में दिये जायेंग, वे इसमें शामिल नहीं हैं।

हीमरी योजना में इन पैद़ी के लगात जायेगी, जिन पर दूसरी योजना में लगाई गई है, पर तु सरकारी चेत्र में इष्ट, उत्तरांग, रिजली और तुद्ध साम जिक सेवाओं पर आधिक और दिया जायगा। दूसरी और तीसरी योजना में सरकारी चेत्र में व्यय जित प्रकार बांटा गया यह निम्नसारिणी में दिया गया है—

(करोड़ रुपये में)

	व्यय		प्रतिशत	
	दूसरी योजना	तीसरी योजना	दूसरी योजना	तीसरी योजना
(१) वृषि और लोगी सिवाई योजनाएँ	३२०	६१५	६६	८६
(२) सामुदायक रिकास और सहकार्यता	८१०	४००	४६	५५
(३) बड़ी और मध्यम सिवाई योजनाएँ	४५०	६५०	६८	८६
(४)	योग (१ २ ३)	६८	१,६७५	२१३
(५)	रिजली	४१०	८२५	८६
(६)	ग्राम और लगु उद्योग	१८०	२५०	३६
(७)	उद्योग और सर्विज	८८०	१,५००	१६१
(८)	परिवहन और उचार	३,१६०	३,४५०	२८१
(९)	योग (५ ६ ७ ८)	२,८६०	४,१०५	६००
				५६६

(१०) सामाजिक सेवाएँ	८६०	१,२५०	१८७	
(११) उत्तादन में इकारण न आने देने के लिए जमा माल	—	२००	—	२८
(१२) कुल योग	४,६००	७,२५०	१०००	१०००

सरकारी हेतु वर्तमान में खर्च किये जाने वाले कुल ७,२५० करोड़ रुपये में से ३६०० करोड़ रुपये रेत्र और ३६५० करोड़ रुपये राज्य खर्च कहुँगे। केवल द्वारा राष्ट्रों को २५०० करोड़ रुपये की सहायता देने का अनुमति है।

धन जुटाने की योजना

सरकारी हेतु में तीव्री योजना में जा रख दी गई है। उसके लिए धन जुटाने की योजना निम्नलिखित सारिणी में दी गई है।

(करोड़ रुपये में)

	दूसरी योजना	तीव्री योजना
(१) वर्तमान करोड़ के आधार पर अन्तर राजस्व से बचने वाला धन	१००	३५०
(२) वर्तमान आधार पर रेत्रों से मिलने वाला धन	१५००	१५०
(३) वर्तमान आधार पर सरकारी उद्याग से मिलने वाला धन		४४०
(४) सर्वजनिक ग्रृहण	८००	८५०
(५) अल्प बचत	३८०	५५०
(६) भारिण निष्ठ आदि से मिलने वाला धन	२१३	५१०
(७) अतिरिक्त कर श्री८ सरकारी उद्याग के साथ में से मिलने वाला धन	१,०००	१,६५०
(८) रिटेलो सहायता वित्तकी बढ़त में व्यवस्था को गई है	८८२	२२००
(९) पाटे को अर्ध व्यवस्था	१,१७५	५००
योग	४,६००	७,२५०

।

शास्त्रियों के किए और माल माड़े में हुई बदली मिलाकर।

—तृतीय पचवर्षीय योजना के स्मरणीय तथ्य—

- *तीसरी योजना में देश के विकास में १०,२०० करोड़ रुपये जायेंगे।
- *६,२०० करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र में और ४००० करोड़ रुपये निजी क्षेत्र में।
- *सार्वजनिक क्षेत्र की योजना की लागत ७,८५० करोड़ रुपये होगी।
- *राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष ५% प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- *अनाज की पैदायार १०-१०॥ करोड़ टन कर दी जायगी।
- *१ करोड़ टन इसात के दोनों बनाने की कार्यक्रमता पैदा की जायगी।
- *निजली बनाने की क्रमता ४८ लाख किलोयाट से बढ़ा कर १ करोड़ १८ लाख किलोयाट कर दी जायगी।
- *१ करोड़ ३५ लाख आदमियों के लिए नये काम की व्यवस्था की जायगी।
- *देश के सभ गाँवों में सामुदायिक विकास योजना और सहकारिता का काम चालू कर दिया जायगा।
- *६ वर्ष से ११ वर्ष तक के उम्र के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जायगी।
- *सभ गाँवों में पीने के पानी, रेल और सूख्य मार्ग तक सहज़ और पाठशाला मूल बनाये जायेंगे, जो पचायत और मुख्तकालय का भी काम देंगे।

प्रश्न

1. Write a brief essay on Economic Planning in India, covering not more than four pages of your answer book. (Panjab, 1955)
2. Give in brief the main features of the Second Five Year Plan for India. (Agra, 1957)

खण्ड ८

यातायात-साधन एव समस्याण्

- १ रेल यातायात
- २ सड़क यातायात
- ३ जल यातायात
- ४ वायु यातायात

अध्याय २६

भारत में यातायात

(Transport in India)

महत्व

यातायात नगा समादर्याहन के साधन किसी भी देश की सभ्यता ने मार्गन्त्र (barometer) हाने है। यात्यर में देवा जाय तो यातायात के साधनों ने मानवीय विकास व इतिहास म इतना महत्वपूर्ण पाठ अदा किया है कि इनमे द्वारा हमारे सभौर्य जीवन ही एकदम बदल गया है। दीनक जीवन में इनका महत्व इतना अधक बड़ गया है कि आज हम यातायात यिहीन जीवन की कल्पना एक चूणे के लिए भी नहीं कर सकते हैं। व्यापार व उद्योग घंटे एकदम चौपट हो जायेंगे, दिनिक उत्तरयोग की वस्तुएँ दुर्लभ हो जायेंगी, उच्च जीवन स्तर एक स्थन मात्र बन जायगा। आधुनिक सभ्य समाज पाशिक इन जायगा और ग्रन्थरूपता, ब्रुशलता, बेरोजगारी तथा दुर्भवता का समाज सर्वत्र ढू जायगा। अत विप्लिंग ने टीक ही कहा है कि “यातायात ही सभ्यता है” । डॉ अल्फ्रेड मार्शल ने तो यहाँ तक कहा है कि “यदि हमि और उद्यग राष्ट्राय आकार मे शारीर एव अस्थियाँ हैं, तो उचार के साधन इनके साथ हैं।”

प्रो० सेलिगमैन के अनुसार वह देश समस्त सुख सुविधाओं से सम्बन्ध है जिसकी प्रिकात योजना में निम्न तीन यात समिक्षित होती है ।—

(१) मनुष्य और सामग्री यातायात,

(२) विनली का समस्त राष्य में पैलाना, तथा

(३) एक मनुष्य के विचार दूसरे मनुष्य तक पहुँचाना ।

उपरोक्त तीनो प्रकार के उद्देश्य उसी समय पूरे हो सकते हैं जब कि देश में सभी प्रकार के यातायात के साधनों का पर्याप्त विकास हो ।

मनुष्य सदैव से अपनी चतुर्दिक प्रगति के लिए प्रकृति के साथ जो संघर्ष करता रहा है उसी संघर्ष को हम मानव की आर्द्धिक उत्कृष्टि कहते हैं। इस उत्कृष्टि में यातायात साधनों का भाग अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इन साधनों के द्वारा ही मनुष्य दो प्राकृतिक स्थानों की दूरी कम करने में सफल हो सका है।

रिशाल समतल मैदान यातायात की उन्नति को प्रमाणित करते हैं और यह पात का प्रमाण मनुष्य के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा धार्मिक सभी पहुँचों पर पड़ता है। व्यापार एवं वाणिज्य पर यातायात का प्रमाण वो और भी महत्वां देखता है। डॉ मार्शल ने वो यहाँ तक कहा है कि "हमारे द्वय का प्रबन्ध लैख निर्माण उपायों की उन्नति नहीं बल्कि यातायात उपायों की उन्नति है।"

उद्गम

यातायात का उद्गम मनुष्य के विकास का भीति अस्तित्व है। इसका प्रारम्भिक इतिहास पौराणिक कथाओं (Legends) से आन्दोलित है। यातायात के प्रारम्भिक इतिहास कथा विकास का निर्देशन करने के लिए अमा तक कोइ अधिकारपूर्ण सच्च ग्रान्त नहीं हुआ। अतः इसके प्रारम्भिक विकास के सम्बन्ध में अनुमान हा लगता वा उत्तरा है। काल की गति के अनुसार यातायात के साधन ही समझते परिवर्तित होते रहे हैं। अति प्राचीन काल में मनुष्य ग्रान्त ही अपना यातायात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जान था। ग्रांटिक सरचना ने अनुसार मनुष्य और छी म भर यात्रा मी प्रियों वित था। ज्ञा अपने लिए पर यातायात लात कर चलता था और मनुष्य अपने हृषियार लेकर चलता था। आगमन स्थल मार्ग अथवा पगडाटरी पर ही होता था। यह शनि बोमा दान गान पशुओं का भा प्रणग म से ला गया और समझता एवं व्यापार का ग्रान्त की साथ साथ पर्हें जाता रहता का ग्रान्त भा किंवा नान लग। आपरपत्रिका आपिकार का इनना होता है। तदनुसार भाय और मन्त्रजूत पाठ्यदर गांडिया का चक्रान्त के लिए मन्त्रजूत और चीड़ा उड़का। इनमें से आपरपत्रिका पहा और गवाह सहक गनाइ जाने गये।

सम्भवा और जान के विकास ने यातायात के साधनों को और परिवर्तित किया। यात्रक यातायात में साधनों का प्रयोग किया जाने लगा। माटर और रह गांडिया दृष्टिगोचर होने लगा। लागत, दमप, दूष तथा प्रदूषित पर विषय प्राप्त करने के लिए बन और गायु यातायात का भा आपिकार किया गया।

यातायात के प्रकार

(Kinds of Transportation)

मनुष्य यातायात ये लेकर आधुनिक वायु यातायात के मध्य अनेक विभिन्न प्रकार वे यातायात के साधन दृष्टिगोचर होते हैं अप्राकृति ज्ञान में इनका इष्ट विनय किया गया है:—

(स) द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्

- (१०) सन् १९४५ से १९४७ तक (स्वतन्त्रता के पूर्व);
- (११) सन् १९४७ से १९५१ तक ('स्वतन्त्रता' के पश्चात्);
- (१२) सन् १९५१ से १९५६ तक (पथम पचार्हीय योजना);
- (१३) सन् १९५६ से १९६१ तक (द्वितीय पचार्हीय योजना);
- (१४) सन् १९६१ से १९६६ तक (तृतीय पचार्हीय योजना)।

विचार काल १९३२-१९४६ तक)

मारतमर्याद में रेल निर्माण करने का विचार सन् १९१२ में अमुरित हुआ जब कि कावेरीपट्टन से लेकर कहर तक लगभग ५० मील लम्बी रेलवे लाइन गिराने का विचार किया गया था। इसी वर्ष यह भी निश्चय किया गया कि एक रेलवे लाइन मंद्राच से लकर वैगलीर तक बनाई जाय। इन योजनाओं पर अतिरिक्त अन्य योजनाएँ रेल निर्माण के सम्बन्ध में बनाई गई परन्तु अभाग्यवश सन् १९४३ तक ये बनाएँ इनका सम्बन्ध रेल लाइन में विवरण करती रही। सन् १९३२-१९४३ वर्ष काल की हांडिय हारेस बल (Horace Bell) ने 'रेल निर्माण का विचार काल' की संक्षिप्त प्रदान की है।

पुरानी गारटी प्रथा (१९४६-१९६६ तक)

उम्मीद सन् १९४३ के तत्त्वालीन भारतीय गवर्नर जनरल लार्ड इलहौजी ने भारत में रेलों के निर्माण का आवश्यकता पर अपनी स्वीकृति प्रदान की। रेलों के निर्माण के लिए H. I. R. तथा G. I. P. रेलवे कम्पनियां से १७ अप्रैल १९४६ को प्रारम्भिक समझौते किये गये और गारटी प्रथा का स्वीकार किया गया। इस प्रथा की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थीं:—

(१) रेलवे लाइन तथा ट्रेनेशन बनाने के लिए आमरक भूमि सरकार द्वारा मुफ्त दी जायगी।

(२) उम्मीदों की अवधि ६६ वर्ष होगी।

(३) लगाइ गई पैंडी पर ब्याज की दर ४२ से ५०% तक होगी और इसकी गारटी सरकार द्वारा दी जायगी।

(४) रेलवे लाइन तथा तत्त्वमध्यी कारों पर सरकार का पूरा नियन्त्रण रहेगा।

(५) सरकार को यह अधिकार द्वारा कि २५ या ५० वर्ष के बाद उचित संपूर्ण देवर किसी रेलवे लाइन को यारीद सकती है।

(६) कम्पनी को यह अधिकार होगा कि यह किसी भी समय सरकार को रेलवे वापस दे सकती है और अपनी सम्पूर्ण पैंडी बगूल कर सकती है।

(३) अतिरेक लाभ का दू माग कर्मनी सरकार को देगी।

(४) विदेशी विनियम की दर १ शिलिंग १० पैस रहेगी।

गारटी-प्रथा के अन्तर्गत किये गये निर्माण कार्य की कड़ी आलोचना की गई।

इन का अत्यधिक अव्यवहार किया गया क्षेत्र के रेलवे कम्पनियों को ब्याज की गारटी मिल चुकी थी। त्वयायनः नित्ययना की ओर कोई ध्यान न दिया गया। भारत सरकार को इस काल ऐ अन्तर्गत रेलों से १२ करोड़ रुपये की आप हुई परन्तु व्याज आदि के रूप में २५२ करोड़ रुपये देने पड़े। इनमा अधिक ब्याज देने पर भी रेलवे कम्पनियों की कार्यक्रमता में बोर्ड तृदिंश नहीं हुई।

इस अर्थात् में कुल ४२५५ मील रेलवे लाइन का निर्माण किया गया।

(३) सरकार द्वारा रेलों का निर्माण (१८६६-१८८१)

गारटी प्रथा ने दोषपूर्ण साधन हो जाने पर यह सोचा गया कि रेलों के निर्माण तथा सञ्चालन का कार्य मारत सरकार अपने हाथ में ले ले गी। रेलों ने बनाने के लिए ४ करोड़ रुपये वार्षिक व्यय करना निश्चय किया गया। इस काल में सरकार द्वारा निजी कम्पनियों की तुलना में कहीं नीची लागत पर रेल मार्गों का निर्माण किया गया। छोटी लाइन का प्रचलन भी इसी काल में प्रारम्भ हुआ। देश में समय साथ पर पहने थाले और कालों को राखने के लिए तथा अपार्टमेंट्स से होने वालों लडाई में समर्थ होने वे विचार से रेलों के निर्माण की गति तेज करना आवश्यक समझा गया। अनः पुनः सरकार को निजी कम्पनियों का सहयोग प्राप्त करना पड़ा। सन् १८८१ दर में रेलों की कुल लम्बाई ६८७५ मील थी। इस काल में सरकार को रेल निर्माण में १५ करोड़ रुपये की हानि उठाना पड़ी।

(४) नई गारटी प्रथा (१८८१-१८००)

इस काल को 'मिशन साहस का काल' भी कहते हैं। सरकार ने एक योजना बनाई जिसने अन्तर्गत सरकार ने केवल अनुत्पादक रेलों का निर्माण अरने हाथ में रखा और उत्पादक अधिकार लाभदायक रेलों का निर्माण निजी कम्पनियों को सौंप दिया। नई गारटी प्रथा की शर्तें सरकार के पक्ष में अधिक अनुकूल थीं। सन् १८०० में रेलों की कुल लम्बाई २५,७५२ मील थी।

(५) प्रथम महायुद्ध के पूर्व (१८००-१८१४)

प्रारम्भ से १८०० तक रेल उपकरण सरकार के लिए एक घाटे का उपकरण था। सन् १८०१ में रेलों ने उचालन तथा प्रशालन की जांच करने के लिए महादय टाप्स सर्वटेसन की अधिकृता में एक जांच समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने अनेक मुफ्त दिये जिसमें से केवल एक माना गया। इसके अनुतार सन् १८०५ में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई जिसको कि रेलों का सम्पूर्ण प्रशासन सौंप दिया गया।

सन् १९०७ ई० में सर जेम्स मैरे की अध्यक्षता में एक और समिति नियुक्त की गई जिसे मुमार व अनुसार सन् १९०८ में रेलवे बोर्ड का पुनर्संदर्भित किया गया और उसे अधिकार पहले से अधिक विस्तृत कर दिये गये।

सन् १९१४ ई० में रेला की तुल लम्बाई ३४,६५६ मील हो गई और इसे लागत ४६५.०८ करोड़ रुपया तक पहुँच चुकी थी।

(६) प्रथम महायुद्ध काल (१९१४-१९२०)

सन् १९१४ में प्रथम विश्व युद्ध लिड जाने से रेलों के विस्तार को काफ़ी दबि पहुँची। एक और तो रेला का निमाण लगभग दफ़ गया और दूसरी ओर उन पर बहुत अधिक भार पड़ा। फलत उनका अत्याधिक हास दूआ और आगाम की अमुरिधार्प होने के कारण उनकी मरम्मत आदि भी टाक उन हो सका।

सन् १९२० तक रेला का लम्बाई २६,२३५ मील तक पहुँच गई थी और पैंचवी तीव्र व्यय ५६६०८८ करोड़ रुपया हो गया था।

(७) युद्धोत्तर काल (१९२०-१९२५)

सन् १९२० म सर विलियम एफ्रेथ की अध्यक्षता में एक जांच समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने हुड़मा रप्पण मुमान दिया, जो—

(१) मानन रेलों का प्रयोग गरजार छारा होना चाहिए।

(२) सम्पाद व सामान्य वत्त (General Finance) से रेल वित्त की अलग कर देना चाहिए।

(३) रेला के किसी का नीति पर विचार करने के लिए रेलवे रेट्स द्वारा उल्लंघन किया जाय।

(४) सलाहकार समितिशो में बनता है प्रतिनिधि भी होने चाहिए।

(५) निजी कम्पनियों के ठंड, उनका अधिक व समात होने ही, समात कर दिये जाएँ।

(६) रेलों कर्मचारियों में भारतीयों की सख्ता अधिक से अधिक होनी चाहिए।

(७) रालिंग स्टाक की मरम्मत और व्यवस्था के लिए चिकित्सा कोष और विधायक कोष स्थापित किये जाएँ।

उपरोक्त विकारिशी को सरकार ने मान लिया और लद्दुमार कार्य करना भी प्रारम्भ कर दिया। अधिकारी रेलों का प्रयोग सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और सन् १९२४ में रेल वित्त को सामाजिक वित्त से अलग कर दिया। सन् १९२५ में रेलों की लम्बाई ३८२७० मील और पैंचवीं लागत ७३३.३७ करोड़ रुपया थी।

(८) आर्थिक मन्दी का समय (१९२५ से १९३८ तक)

इस काल में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सन् १९२६ में दो उभितियों ग्रमश सर आर्थर डिकेन्सन तथा सर रेखेन की अध्यक्षता में नियुक्त की गई। इन धोना समितियों ने यह महत्वपूर्ण मुस्लिम प्रस्तुत किये जिनको सरकार ने अधिकार में स्वीकार कर लिया। सन् १९२८ ई० में रेलों की लम्बाई ४१,७२४ मील और पैदूँगत लम्बाई ८५६ अ० करोड़ रुपये थी। सन् १९३० से अवकाश अथवा मरी का प्रक्रिय इहां जिसने भारतीय रेलों पर ग्रहन द्या प्रभाव दाला। रेलवे की आय वर्ष प्रति वर्ष घटती रही गई। उनको स त्रुटिन करने के लिए उचित कोप और हात कोप से कामा मिलाया गया। रेलों ने सामान्य बनाट को अपना ग्राह देना चाह कर दिया। इस काल में हात कोप से तुल ३१ १४ करोड़ रुपये निकाल कर व्यय किये गये और सामान्य कोप को दिया जाने वाला ३० ७४ करोड़ रुपया रेलवे पर उधार हो गया।

इस काल में १९०० मील लम्बी रेलवे लाइन निर्माद गई सन् १९३५ में मारत के बर्मा से अलग हो जाने से लगभग २००० मील लम्बा रेल मार्ग बर्मा म चला गया। सन् १९३८ ई० म रेलों की लम्बाई ४१,५५६ मील और पैदूँगत लम्बाई ८५२ अ० करोड़ रुपये थी।

(९) द्वितीय महायुद्ध काल (१९३९ १९४५ तक)

द्वितीय विश्व युद्ध काल में भारतीय रेलों को अनेक प्रकार के सकटों का सामना करना पड़ा। परतु इस काल में विजेने विश्वयुद्ध की अपेक्षा भारत के रेलों ग्रावडी दशा में थी। युद्ध छिड़ जाने से कारण रेलों पर ट्रैफिक अधिक बढ़ गया क्योंकि सैनिक तथा अमीनिक दानों ही इकार न यानाशात में काफी बढ़ दुड़। ऐसे इतना अधिक ट्रैफिक का भार दगने में विरुद्ध असमर्थ थी। ट्रैफिक नह जाने से रेलों की आय म बढ़ दुड़, जिससे उन्होंने अपने तुराने जूँग चुड़ा दिये और सामाय विज्ञ में भी आनना ग्राह देना प्रारम्भ कर दिया। इस काल में रेलों की आय में १००% से भी अधिक बढ़ दुड़ और रेलों ने सामाय कोप को १५८ करोड़ रुपये की धनराशि दी।

(१०) स्वतन्त्रता के पूर्व (१९४५ १९४७ तक)

सन् १९४५ म युद्ध के समाप्त होने ही दिदेशी व्यापार की परिस्थिति में परिवर्तन हुआ और रेलों को अपना समर्त का नवीनीकरण करने का अवसर प्राप्त हुआ। सन् १९४६ म एक सुवासक कोप (Betlement Fund) की स्थापना की गई। अभी अधिक काल अनीन भी न हुआ था कि १५ अगस्त सन् १९४७ को भारत अस्तीन निर दामना की बैडिंग हो सुक हुआ। स्वतन्त्रता के साथ ही साथ देश का विभाजन भी हो गया जिसने रेलवे के सम्बन्ध एक गम्भीर समस्या प्रस्तुत कर दी। रिपावन का रेलों पर क्या प्रभाव पड़ा इसका अध्ययन आगे किया गया है।

(१०) स्वतन्त्रता के परगाना (१९४६-१९५२)

सन् १९४७ में देश का विभाजन हो जाने के कारण लालों का सरकार में पाकिस्तान क्षेत्र से दिल्ली भारत का आर और भारतीय क्षेत्र से लालों मुख्तमान पाकिस्तान चल गय। इस आपातकामन का प्रभाव भारतीय रेलों पर चढ़ते रहे, और रेलों ने इस बड़ी तुश्णीता में निपाया। देश के विभाजन के साथ ताय रेलों का भी विभाजन हुआ। इसके साथ-साथ भारिंग स्टेशन तथा बक्साओं का भी विभाजन हुआ। विभाजन के परिणामस्वरूप निम्न तिथि हुई —

देश	इनका	संख्या वर्ष	माल रेलिंग	रेलमाल (मात्र)
भारत	७,२४८	२०,१६७	२,१० ०६६	३०,०१७ ८%
पाकिस्तान	१,३२८	४ ८८०	४०,२०१	६६५७ ८८%

यहाँ नहीं कमचारी का भी आदाय प्राप्त हुआ। पाकिस्तान में कम रेलमाल १९६०० रेलवे कमचारी का भी आदाय का इच्छा प्रयोग का प्राप्त होने में से कमल १, ८ ०० कमचारी हो गया। भारतीय से ८३,००० रेलवे कमचारी पाकिस्तान ने उन्होंने गये।

प्रथम पर्याय योग्यता (१९४८-१९५२)

प्रथम पर्याय योग्यता वाले में रेलों के विभास ने लिए ४०० करोड़ रुपये अवधि करने का व्यवस्था के गढ़। इस तुलना में से ८५० करोड़ रुपये का अवधि राशि रेलमाल ने पुनर्व स्थिति और विभास पर अवधि का जान का व्यवस्था था और ८५० करोड़ रुपये रेलमाल प्राप्ति भाव तथा सान्स्कृता रेलवे अमूल्यने ने लिए अपने अवधि। युद्ध काल में उप हो गई रेलों का पुनर्व जनाया था। इसके आवेदन तृतीय अवधि के योग्यता के आवश्यकतर आवागम ने लिए १५ करोड़ रुपये अवधि रख दिया। नदियों का खालीने के लिए ५० करोड़ रुपये सुरक्षा किये गये।

योग्यता काल में रेलों के पुनर्व स्थिति तथा विभास पर ४२६ ७३ करोड़ रुपये अवधि किये गये।

द्वितीय पर्याय योग्यता (१९५०-१९५८)

द्वितीय योग्यता वाले में से प्रथमिक स्थिति में तुल अवधि किये जाने वाले ४८०० करोड़ रुपयों में से ६०० करोड़ रुपये रेलों के नियमित अप्पाटन किये गये हैं। १५० करोड़ रुपये रेलवे स्थिति प्राप्ति करेंगे। इसके अनियिक ८८५ करोड़ रुपये रेलवे हाथी काप में लिये जायेंगे। ३५ करोड़ रुपये विश्वापाराटतम् प्रादर्शगाह का स्थानान्वरित कर

दिये गये हैं। शेष ११२८८ करोड़ रुपये प्रमुख मदों पर इस प्रकार व्यय किये जायेंगे :—

द्वितीय योजना में रेलों पर व्यय

मदें (Terms)	करोड़ रुपये
रेलिंग स्टाक	३८०
मालगोदामों सहित लाइनों की चमता का विस्तार	१८६
लाइनों की संरचना	१००
विद्युतीकरण	८०
वाहनों निर्माण कार्य	६६
कारबाना, प्लाट तथा मशीनरी	६५४
कर्मनारी कल्याण तथा उनके लिए आवास	५०
पुल निर्माण (गगा युन सहित)	३३
सिंगलिंग तथा सुरक्षा कार्य	२५
यात्रा रोकों को सुरक्षा सुनियोजन	१५
रेलों का सड़क यातायात में भाग } अन्न कार्य, स्टोर डिपोज इत्यादि }	१२१५
योग	
	११२८८

योजना काल में ६ नये रेलवे वर्षशाप और एक छोटी लाइन के इन्हें बनाने 'बाली कैन्टरी स्थापित की जायगी। 'चित्रजन लोकोमोटिव वर्क्षशाप' का निर्माण किया जायगा। इन कार्यों के लिए ६५४ करोड़ रुपये पर्व कर्ये जायेंगे। चित्रजन लोको-मोटिव की उत्पादन शक्ति का लद्द ३०० इंजन प्रति वर्ष और कोच चिल्ड्रा पैक्टरी का लद्द ३५० डिव्हें रखा गया है। द्यादा इलेक्ट्रिक कम्पनी (TELCO) छोटी लाइन के १०० इंजन तैयार किया करेगी। योजना के अन्न तक सप्ताही गाड़ी के टिक्कों का उत्पादन १२६० से बढ़ कर १२०० प्रति वर्ष और मानसिकी के डिव्हों का उत्पादन १३५२६ से बढ़कर २५००० तक हो जाने की आशा है।

रेलों की वर्तमान अवस्था

भारतीय रेलवे वर्तमान समय में सबसे बड़ी राष्ट्रीय सम्पत्ति है। इस समय भारतीय रेलों की लम्बाई ३५०८१ मील है जो कि एशिया में सबसे अधिक है और सशार में इसका चौथा नम्बर है। अन् १६१६ में प्रति दिन 'भारतीय रेलों ने श्रीसत्तम

४० लाख यात्रियों को तथा ३७ लाख टन सामान को दोया। सन् १९४८-४९ के अंत में रेलों में लगी हुई कुल पैंजी १३६३ करोड़ रुपये थी तथा कुल आय ३८२ करोड़ रुपये थी। रेलों में लगे हुए कम्बन्चारियों की सख्त्या ११,४३,६१८ थी और मध्यदूरी तथा वेतन के रूप में बाँटी गई कुल धनराशि १८३ करोड़ रुपये थी। →

रेलों के प्रारम्भ (१६ अप्रैल १९४८) से लेकर इस समय तक इनकी आत्मालील प्रगति हुई है। भारतीय रेलों का जीवन अभी एक शताब्दी से तात्कालिक ही अधिक है। परन्तु समय की अपेक्षा में प्रगति कही अधिक हुई है। निम्न आँखें इस कथन की पुष्टि करते हैं — ।

भारतीय रेलों की प्रगति

लाख रुपयों में

वर्ष	मील लाइन	नगी हुई पैंजी	कुल आय	चालू व्यय	गुद आय
१९४८	२०	३८	०६०	०४१	०४६
१९४९	२५०७	५३००	२२०	१३३	८७
१९५०	५६८७	६१७३	७८३	३७८	३४५
१९५१	१०४४७	१४८३१	१६३८	७८७	८४२
१९५२	१८५६	२३११८	२४०८	११३५	१२७३
१९५३	२६६५६	३४१११	३६०१	१७११	१८८०
१९५४ १४	२४६५६	४८५०८	६३५८	३२८३	३०६६
१९५५ २४	३८०३६	७१०६३	१०७८०	६८४५	१६३५
१९५६ २४	४२२६५३	८८४४१	८८५८	६१५८	३००४
१९५७ २४	४०५१२	८८४४४	१६६३२	११४११	८५२१
१९५८ २४	३३८८५	७४२२०	१८६६८	१६३४	१८७५५
१९५९ २४	३४०७६	८३८१८	२६४६२	२१५३८	५०२३
१९६० २४	३४७३६	८७५५०	३१७५१	२६१०७	५७३४
१९६१ २४	३५०८१	१,३६,२८६	३८२३३	३२४४७	६७७६

रेलों का क्षेत्रिक सामूहीकरण

(Zonal Regrouping of Railways)

भारतरर्पण में रेलों के सामूहीकरण के हेतु समय समय पर रिप्रिवेट समितियों द्वारा सुझाव प्रस्तुत विये गये थे। सन् १९२० २१ में एक नई समिति ने यह सुझाव दिया था कि समूहों में भारतीय रेलों को तीन चौंबा—पूर्व, दक्षिणी और पश्चिमी—में

¹ India 1960, p. 349

² Burma Railways separated in 1937

³ Following Partition on August 15, 1947

संगठित कर दिया जाय। इस प्रश्न पर सन् १९३६ में बैजनुद समिति ने भी विचार किया था। इस समिति ने भी सुझाव दिया कि समस्त रेलों को ८ समूहों में संगठित कर दिया जाय। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् यह प्रश्न फिर उठाया गया और सन् १९४८ ४६ में कुँजल समिति द्वारा इस सम्बन्ध में अपने सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया। समिति ने 'अपनी रिपोर्ट' में सरकार को यह सलाह दी कि देश के सम्मुख अनेक गम्भीर समस्याएँ होने के कारण रेलों के सामूहीकरण को आगामी पाँच वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाय। परन्तु यह सुझाव स्थीकार नहीं किया गया और जून १९५० म रेलवे बोर्ड ने ३४,००० मील लम्बी रेलों को ६ समूहों में संगठित करने की योजना तैयार की। कालान्तर में इस योजना में सहोधन किया गया और दो समूह और बनाये गये।

सामूहीकरण के सिद्धान्त

रेलों के सामूहीकरण के सम्बन्ध में निम्न तीन सिद्धान्तों को अपनाया गया है —

(१) यथासम्बन्ध प्रत्येक रेलवे प्रशासन एक सम्पूर्ण और सम्बद्ध चेत्र को यातायात सेवाएँ प्रदान करे।

(२) प्रत्येक चेत्र इतना बड़ा हो कि उसमें मुख्यालय (H.Q.) स्थापित किया जा सके और वहाँ प्रशिक्षण, अनुसंधान और तात्काल मुदारों के लिए उच्चतम सुविधाएँ उपलब्ध हो।

(३) सामूहीकरण इस प्रकार से किया जाय जिससे रेलवे सेवा और व्यवस्था म कम से कम विस्थापन हो और रेलवे सेवाओं की कार्यक्षमता में बाधा न पड़े।


उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी भाव रखा गया है कि यथासम्बन्ध प्रत्येक चेत्र की आर्थिक एवं औद्योगिक आवश्यकता भी पूरी हो सके।

**भारतीय रेलों का वर्तमान सामूहीकरण
रेलवे क्षेत्र (Railway Zones)***

अम सख्त्य	क्षेत्र (Zone)	निर्माण की तिथि	जो रेले शामिल हैं	मुख्य कार्यालय	३१ दि न रेल पथ की लम्बाई (मीलमें)
१	दिल्ली	१४४ १६५१	मद्रास एण्ड सदर्न मध्यहाटा रेलवे, साठथ इण्डियन एण्ड मैनपुर रेलवे	मद्रास	६,१००
२	कन्द्राय	५११ १६५१	झी० आई० पी० रेलवे, निजाम स्टेट रेलवे, सिंदिया रेलवे और धीलपुर रेलवे	बम्बई	५,२६६
३	पश्चिमी	५११ १६५१	झी० धी० एण्ड सी० आई० रेलवे, सौराष्ट्र कच्छ रेलवे	बम्बई	६,०७३
पश्चिम रेलवे संघ					
४	उत्तरी	१४४ १६५२	इंस्टर्न पञ्चांग रेलवे, जोधपुर चैकनेर रेलवे, और द० आई० रेलवे क तीन अपर इंडीजन	दिल्ली	६,३३८
५	उत्तर पूर्वी	१४४ १६५२	अवध एण्ड तिरहूत रेलवे, गोरखपुर	गोरखपुर	३,९६०
६.	उत्तर पूर्व	१५१ १६५८	झी० एण्ड सी० आई० रेलवे का फतेहगढ़ जिला	पट्टू	१,७३८
सीमा (North East Frontier)					
७	पूर्वी	१८ १६५५	ईस्ट इण्डियन रेलवे कलकत्ता (तीन अपर इंडीजनों को छाड़ कर)	१,२११	
८	दक्षिण पूर्वी	१८ १६५५	बगाने नागपुर रेलवे	कलकत्ता	३,४९४

*Source — India 1960, p 350

रेलों के सामूहीकरण से निस्सदैह अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं जैसे सीधी गाड़ियों का चलना सख्त हो गया है, रेलों के प्रशासन में कार्यशमता आ गई है। इसके अति-



चित्र १३—रेलवे देश

रिक आर्थिक व्यवस्था, किंगया भावा, माल की लरीद, मजदूरी का लार आदि महत्वपूर्ण घटों में समान भीनि अद्यायी जाने लगी है और रेलों की कार्यशील पूँजी का मुन्दर उपयोग होने लगा है। परन्तु आलोचकों का कहना है कि रेलों के सामूहीकरण से कोई पिछीप प्रगति नहीं हुई है और रेलों के खंडों में भी वृद्धि हो गई है। रेलों का चेन इहना बढ़ा है कि उनकी देश-रेल करना कठिन हो गया है। आँकड़ों को देखने से स्पष्ट है कि सबसे बड़ा रेल समूह उत्तरीय रेलवे का है जिसके रेल मार्ग की लम्बाई ४३६८.५० मील है और सबसे छोटा चेन उत्तर पूर्वी सीमात रेलवे का है जिसके रेल मार्ग की लम्बाई १७३८ मील है। सामूहीकरण की योजना में बताया गया था कि प्रत्येक

केंद्र की सुमारी लगभग ५,००० मील होगी परन्तु कुछ केंद्र तो ६,००० मील से भी अधिक हो गये हैं। ऐसी दशा में शासन प्रबन्ध कैसे उत्तम हो सकता है। इस योजना में अत्यधिक केन्द्रीकरण टालमटोल तथा लाल पंचिशाही वे दोप भी दृष्टिगोचर हैं लगे हैं।

उपरोक्त दोपों के होते हुए भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि भारतीय रेलों के हित में समृद्धीकरण की योजना एक अचूक श्रीपथि सिद्ध हुई है।

रेलों का प्रशासन

(Administration of Railways)

श्री टामस राबर्टसन वे सुभार क अनुसार सन् १८०५ में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। यही रेलवे बोर्ड आज भी भारतीय रेलों के समर्पण नियन्त्रण तथा प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। इस बोर्ड में एक विषयमन जो कि केन्द्रीय रेलवे मन्त्रालय का मुख्य सचिव होता है, वित्तीय आयुक (Financial Commissioner) तथा ३ सदस्य होते हैं जो कि स्टाफ, यातायात तथा इजीनियरिंग के त्रैयों का गठन होते हैं। इन सदस्यों की स्थिति (status) केन्द्रीय रेल मन्त्रालय दे सचिवों के बाबत होती है।

जनता तथा रेलवे प्रशासन में नियन्त्रण तथा निकटतम सम्बन्ध स्थापित करने वाले निम्नलिखित समितियाँ स्थापित की गई हैं —

(१) प्रादेशिक रेलवे उपमोक्ता सलाहकार समितियाँ,

(२) द्वितीय रेलवे उपमोक्ता सलाहकार समितियाँ, (प्रत्येक रेलवे द्वेष व मुख्यालय में),

(३) राज्यीय रेलवे उपमोक्ता सलाहकार परिषद् केन्द्रीय स्तर पर।

एक जनवरी १८४८ से प्रत्येक रेलवे विभाग के लिए विमार्ग्य सलाहकार समितियाँ (D C C) स्थापित की गई हैं।

रेल वित्त व्यवस्था

(Railway Finances)

रेलों की वित्त व्यवस्था में मारम्भ से ही अनेक परिवर्तन होते रहे हैं। महल पूर्ण परिवर्तनों के सम्बन्ध में हम यहाँ पर संक्षिप्त अध्ययन करेंगे।

सन् १८२४-२५ के गूर्ज रेल वित्त व्यवस्था और सरकार की वित्त व्यवस्था एक में ही मिली हुई थी। इससे रेलों को काफी हानि उठानी पड़ी। रेलों में स्थानीय सुधार करने के लिए आवश्यक था कि सरकारी (सामान्य) वित्त और रेल वित्त को अलग अलग कर दिया जाय। एकवर्ष समिति (१८२०) के सुझाव पर सन् १८२४-२५ में एक समझौते (convention) के द्वारा रेल वित्त को सामान्य वित्त से अलग कर दिया गया। इस समझौते की मुख्य दार्त्तन निम्नांकित थी :—

(१) रेले प्रति वर्षे रेलवे बजट में से सामान्य बजट को व्यापारिक रेलों पर लगी हुई पूँजी पर १% तथा निश्चित रकम चुकाने के पश्चात् जो आधिक्य (superplus) बचेगा उसका दो भाग देशी।

+ (२) सामरिक रेलों (strategic lines) पर हानि होने की दशा में उनमें लगी हुई पूँजी पर व्याज और हानि सरकार को मिलने वाली निश्चित रकम में से काट ली जाया करेगी।

(३) सरकार को उपरोक्त निश्चित रकम चुकाने के पश्चात् यदि कुछ आधिकार शोष बचता है तो वह रक्षित कोष (reserve fund) में जमा कर दिया जायेगा। यदि वह रकम किसी वर्षे ३ करोड़ रुपये से अधिक हो तो अधिक भाग का दो भाग सरकार को दिया जायेगा और दो भाग रक्षित कोष में जमा होगा।

(४) प्रति वर्ष एक निश्चित रकम—रेलों में लगी हुई पूँजी के हूँ भाग के बराबर—हास कोष (depreciation fund) में जमा की जायगी।

रेलवे समझौता (Convention) १९४६—सन् १९४६ में उपरोक्त समझौते की व्यापक रूप से परीक्षा की गई और इसके स्थान पर दिसम्बर १९४६ में एक संशोधित समझौता किया गया। इस समझौते की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थीं :—

(१) रेल वित्त सामान्य वित्त से अलग ही रक्षा जाय और रेलों में लगी हुई पूँजी पर ४% लाप का विश्वाद दिलाया जायें।

(२) प्रतिवर्ष हास कोष (depreciation-fund) में इस से—इस १५ करोड़ रुपया जमा किया जाय।

(३) एक 'रेलवे विकास कोष' (Railway Development Fund) स्थापित किया जाय। 'पूर्व स्थापित रेलवे सुधार कोष' (Railway Betterment Fund) को इस कोष (Development Fund) में इस शर्त पर मिला दिया जाय कि आगामी पांच वर्षों में यति वर्षे ३ करोड़ रुपया यात्रियों को मुफ्त सुविधाओं पर अनश्व लेने किया जायगा।

(४) 'रेलवे रक्षित कोष' (Railway Reserve Fund) का नाम बदल कर 'राजस्व रक्षित कोष' (Revenue Reserve Fund) रखा जाय और इसकी रकम वा प्रयोग सरकार को वार्षिक निश्चित रकम चुकाने में तथा रेलवे बजट का घाटा पूर्य करने में किया जाय।

संशोधित प्रस्ताव १९५४—उपरोक्त प्रस्ताव ३० मार्च १९५४ को समाप्त हो गया। एक दूसरा प्रस्ताव (१ अप्रैल १९५५ से ३१ मार्च १९६० तक के लिए) पार किया गया। इसकी मुख्य शर्तें निम्नांकित थीं :—

(१) सामान्य वित्त को दिया जाने वाला अवार (लगी हुई पूँजी पर) ४% पूर्ववृद्धि दिया जाता रहेगा।

(२) हाप कोप में अन ४५ करोड़ रुपये वार्षिक जमा किये जायेंगे।

(३) अलामकर (unproductive) रेलों का निमाण पूँजीगत व्यवस्था में सम्मिलित किया जाय।

(४) रेलवे विकास कोण में से प्रति वर्ष कम से कम ३ करोड़ रुपये यारियों के सुविधाओं के हेतु व्यय किये जायें।

(५) नवनिर्मित रेलों की लागत पूँजी पर ५ वर्ष तक लाभाशा न लिया जाए। यह स्थगित थन राशि ५ वर्ष के पश्चात् प्रथम वर्ष से बोढ़ कर लुकाई जायगी।

निम्नलिखित ताजिका में छन् १९५५-५६ से रेलों की नितीय स्थिति को दर्शाया गया है—

वर्ष	(करोड़ रुपयां में)			
	कुल आय	कुल व्यय	बचत	सामान्य वित्त की आवश्यकता
१९५५-५६	३१६ २८	२४८ २२	५० ३४	३६ १२
१९५६-५७	३५० ००	२८५ ३६	२६ ६५	३७ ६६
१९५७-५८	३६८ ५०	३०३ २८	११ ४३	४३ ७८
१९५८-५९	३६० २९	३३० ८८	५८-३२	५० ३८
१९५९-६०	४२२ ०३	३५१ ७७	६६ २६	५४ ५१
१९६०-६१ (अंत)	४६४ ५०	३८८ ८०	७५ ७०	५७ २१

प्रश्न

1. Write a short note on Indian Railways since 1945

(Rajputana 1951)

2. Describe the importance and the present position of the Railways in India with reference to the need for rehabilitation and adequate equipment as stressed by the First Five Year Plan

(Patna, 1951)

3. Examine the necessity and importance of Rail road Co ordination in India. Discuss the working of State Transport in U.P. from the above point of view

(Agra, 1955 Punjab, 1955)

4. Road transport is becoming more popular and causing loss to railway revenues

Comment on the above statement and give suggestions for rail road co ordination

(Agra, 1960)

सड़क यातायात (Road Transport)

महत्व

एक अमरीकी सुप्रिंटर लेखक ने कहा है कि “यदि आप यह जानना चाहते हैं कि समाज की वया अवस्था है, आप विश्वविद्यालयों तथा पुस्तकालयों में जाकर जान सकते हैं और कुछ राष्ट्रिक स्थानों दफ्तर गिरजाघरों में जाकर भी जाना चाहकता है परन्तु इतना ही जान वहाँ की सड़कों को देखकर प्राप्त किया जा सकता है।”¹ इस प्रकार सड़कों को किसी देश की अर्थिक व साम्झूतिक प्रगति का मापदण्ड समझा जाता है। किसी देश की सड़कों की जुलानी साधारणतया मनुष्य के शरीर की घमनियों से की जाती है। जिस प्रकार घमनियाँ मनुष्य के शरीर को स्वस्थ एवं चैतन्य रखती हैं उसी प्रकार सड़कें भी मनुष्य एवं जन्मजीवों के यातायात के द्वारा देश की अर्थ अवस्था को स्वस्थ एवं चैतन्य रखती है। रस्किन ने तो यहाँ तक कहा है कि ‘रास्ते की समूर्य सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति अच्छी सड़कों के निर्माण में ही निहित है।’²

सड़क यातायात का महत्व यातायात के अन्य साधनों की अपेक्षा कही अधिक है। सड़क यातायात का महत्व सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक सभी दृष्टिकोणों से समझनीय है। यही कारण है कि आज सचार वे प्रत्येक देश में ‘सड़क और आर्थिक रास्ते’ (Roads & More Roads) का नाम लगाया जा रहा है।

भारत में सड़क यातायात का प्रादुर्भाव

भारत वर्ष में सड़कों का निर्माण ऐसे काल में भी होता था जो कि हमारी सारण शक्ति के परे है। मोहनबोद्धों और हड्डियों के उत्तरवान से शाय होता है कि

1. “If you wish to know whether society is stagnant, you may learn something by going into universities and libraries, something also by the work that is being done in cathedrals and churches, but quite as much by looking at the roads”—An American writer.

2. “All social progress resolves itself into the making of good roads”—Raskin.

भारतवर्ष में ईसा से ५००० वर्ष पूर्व भी सङ्को का निर्माण वही कुशलता से होता था। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी सौर्यकाल की विस्तृत सङ्को का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में भी सङ्को के सम्बन्ध में सन्दर्भ मिलता है। उस समय सङ्को को महारथ के नाम से पुकारा जाता था। विदेशी यात्रियों, जिनमें से मेगरथनीज और पाहियान उल्लेखनीय हैं, ने भी अपने सम्पर्कों में लिखा है कि उत्तर भ्रमण ने उमय में भारत वर्ष में बहुत ग्रन्थी सङ्को पाई जाती थी।

मुगल शासकों के समय में भी भारतवर्ष में वही वही सङ्को बनाई गई। इन शासकों में सुहम्मद तुगलक, शेरशाह सूरी, अकबर तथा श्रीरामेन प्रासाद हैं। निविश शासन काल में सङ्को को और विशेष भ्यान दिया गया, परन्तु उन्होंने भी मुस्लिम शासकों की भौति वेवल सामरिक एवं शासकीय महत्व की दृष्टि से ही सङ्को की ओर भ्यान दिया। इस काल में सङ्को के प्रारम्भिक निर्माण का श्रेय तत्कालीन गवर्नर बनरख लाई डलहौजी को प्राप्त है। अन् १६२३ में अवगाथ ढा० एम० ग्रार० जयकर की अध्यक्षता में एक 'सङ्क विकास समिति' स्थापित की गई। इस समिति ने अपना शोर्ट (१६२८) में सरकार को यह सुझाव दिया कि सङ्क विकास का भार प्रालीप और एवं स्थानीय सम्याचारों की आर्थिक राजित व परे है। बेन्द्रीव सरकार को इसमें अनन्य योग देना चाहिए। समिति ने और भी अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये। इन सुझावों के अनुसार सन् १६३० प केन्द्रीय मडक मण्ठन तथा 'सन् १६३५ में याता यात सलाहकार भाड़न्सिल की स्थापना हुई।

सन् १६३४ में सरकार ने सङ्को सम्बन्धी उपलब्ध तात्परिक ज्ञान तथा अनुभव एकत्रित करने के लिए 'भारतीय सङ्क कल्प' नामक एक अर्द्ध सरकारी संस्था की स्थापित किया। इस राजस्थान में वे वर्ष सङ्क सम्बन्धी इज्जीनियर तथा ऐसे व्यक्ति जो सङ्को के निर्माण कार्य में योग्य रहते हैं, सदस्य बन सकते हैं। इस समय इस संस्था के सदस्यों की तख्ता १२५० क लगभग है। इसने अनेक उपसमितियाँ नियुक्त की हैं जो सङ्को पर पुल बनाने, भिजी की शक्ति पर लाज करने और सङ्को की जांच करने में सहायता करती है।

द्वितीय महायुद्ध ने सङ्को के महत्व को और अधिक जड़ा दिया और फलत सङ्को का विकास भी अच्छा हुआ। राष्ट्रिक दृष्टिकोण से सरहदों पर पुरानी सङ्को की मरम्मत और नई सङ्को के निर्माण पर अधिक जोर दिया गया। नागपुर योजना

अन् १६४३ में देश के प्रमुख सङ्क इज्जीनियरों का अविवेशन नागपुर में हुआ गया। इस अधिवेशन का उद्देश्य मात्री सङ्क विस्तार एवं विकास ने यानों तथा पद्धति ने सम्बन्ध में योजना बनाना था। इस अधिवेशन में एक १० वर्षीय

व प्रामाण्य सहके स्थानीय सरकारों के अधीन है। ११ मार्च सद् १९५० तक योजना के अन्तर्गत सहक विकास पर २७११ करोड़ रुपये व्यय किये जा सके हैं।



चित्र १४—भारत की प्रमुख सहकें

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना

योजना के प्रारम्भ से सहक विकास के लिए ६७६ करोड़ रुपये की प्रवर्तन किया गया था। यह तब गंगा बांध में बढ़ा कर १३१३ करोड़ रुपये कर दी गई। इसमें से एवं करोड़ रुपये राष्ट्रीय सहकों वे विकास के लिए और शेष याजकीय सहकों पर व्यय किये जाने गए। योजना वे अन्त तक वैद्यनीय सहक कोर के अनुदान के मिला कर कुल व्यय लगभग १५५५ करोड़ रुपये हुआ है।

योजना के अन्तर्गत १०,००० मील पक्की और २०,००० मील कन्दी सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था जो योजना के अन्त तक लगभग पूरा हो गया है। इसके अतिरिक्त १०,००० मील पुरानी सड़कों की मरम्मत भी की जा सुधृष्ट है।

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना

इस योजना के अन्तर्गत सहक विकास के लिए वैद्यनीय और ग

स्तर पर २४६ करोड़ रुपये व्यय करने का आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त २५ करोड़ रुपये केन्द्रीय सड़क कोष से अनुदान के रूप में लेकर व्यय किये जायेंगे। केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यय की जाने वाली धन राशि ८७.५ करोड़ रुपये है। इसमें से योजना काल में ५५ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। राज्य सरकारों द्वारा सड़क योजना पर १६४ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

द्वितीय योजना के अंत तक राष्ट्रीय सड़कों १२,६०० मील से बढ़ कर १३,८०० मील हो जायगी और पक्की सड़कों १,०७,००० मील से बढ़ कर १,२५,००० मील हो जायगी। राष्ट्रीय सड़कों में वृद्धि ७% होगी जबकि पक्की सड़कों में १७%।

नागपुर योजना के काल से लेकर द्वितीय प्रस्तर्पीय योजना तक सड़कों का विकास इस प्रकार हुआ है—

	पक्की सड़कें	कच्ची सड़कें
नागपुर योजना के लद्य	१,२३,०००	२,०८,०००
अप्रैल १, १९५१	६८,०००	१,५१,०००
मार्च ३१, १९५६	१,२२,०००	१,६८,०००
मार्च ३१, १९५८	१,३३,६१०	१,२३,६६६
मार्च ३१, १९६१ (अनुमानित)	२,४४,०००	२,३५,०००

वीस्तर्पीय योजना

द्वितीय योजना के पश्चात् भारतीय सड़कों के और अधिक विकास के लिए 'सड़क कामेय' ने एक २० वर्षीय योजना बनाई है। इसके प्रमुख लद्य निम्न लिखित हैं—

(१) प्रक्षिप्त तथा इंगित द्वारा में कोई भी गाँव विकसित तथा पक्की सड़क से ५ मील की दूरी पर तथा कच्ची सड़क १३ मील की दूरी से अधिक दूर न हो।

(२) अधिक विकसित द्वे त्रिभुजों कोई भी गाँव पक्की सड़क से ८ मील की दूरी पर तथा किसी अन्य सड़क से ३ मील की दूरी से अधिक न हो।

(३) एक अविकसित तथा असेतिहास द्वे त्रिभुजों कोई भी गाँव पक्की सड़क से १२ मील की दूरी पर और किसी अन्य सड़क से ५ मील की दूरी से अधिक न हो।

इन लद्यों के प्राप्त हो जाने पर देश में प्रति १०० वर्ग मील में औसत ५२

मील सहक होगी जब कि वर्तमान समय में प्रति १०० रुपौ मील में २८ मील और सहक है।

मोटर यातायात

भारतीय सहक यातायात को दो भागों में विभाजित किया जाता है—एक तो शहरी यातायात और दूसरा प्रामाण्य यातायात। शहरी यातायात ने अनगत मोटर कार, ट्रक, बस, ट्राम, ट्रेसी, मोटर, रिक्षा, साइकिल इत्यादि आदि आदि है। इसके विपरीत प्रामाण्य यातायात में बैलगाड़ी, इक्का, ठेला, उंड गाड़ी तथा घोड़ा गाड़ा आदि आते हैं। मोटर यातायात आज शहरी यातायात का एक सर्वियर साधन बन गया है। अतः इसके विकास में एक विहगम हाँट ढानना भी अनुचित न होगा।

मोटर यातायात का इतिहास अपनाइन नहीं है। लगभग ५० वर्ष पूर्व (इ. १६१३ तक) भासनपर्य में देशमुख ४,००० मोटर गाड़ियाँ थीं। प्रथम महायुद्ध में देश मुरक्का के लिए विदेशी से एक बड़ा संघर्ष में मोटरगाड़ियाँ आयात की गईं। वे समाज के पश्चात् या गाड़ियाँ शहरी यातायात ने रूप में प्रयोग में लाई जाने लगीं। सन् १८४८ २० में विश्ववार्ष मन्दी के समय मासन में मोटर यातायात की वृद्धि नेत्रों से हुई। इक्का पर माल लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान तथा मोटरा द्वारा सुनायियों एक गहर से दूसरे शहर ले जाई जाने लगी। फलत सन् १८६० के पश्चात् से मोटर ग्रोपर गेल यातायात में तीव्र प्रगतिशील होने लगा। निम्ने तालीका का नदी ढान दुर्दशा है। इस प्रतिभ्यास का दूर करने के लिए देश में सन् १८६९ में 'मोटरगाड़ी अधिनियम' पास किया गया।

सन् १८३८ में दिनाय भासनुद भी प्रारम्भ हो गया। मोटर यातायात को विकास के लिए एक सुनहला आपसर मिला परन्तु आयात ने प्रत्यक्ष तथा पेट्रोल की कमी के कारण आयातीन प्रगति न हो सकी। युद्ध उमात्व हात ही आयात नियन्त्रण द्वारा हुए और मोटरगाड़ियों का सुरक्षा पुनर्जन लगी। सन् १८८८ में मोटर गाड़ियों की कुल संख्या ५,७५,७३३ थी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् मोटर यातायात को एक और खुला रास्ता मिला। सड़कों में सुरक्ष हो जाने के कारण तथा योजनाओं के प्रारम्भ हो जाने से मोटरों की संख्या दिन दूनी और रात चौमुनी बढ़ती चली गई। सन् १८८७ से सन् १८५८ तक मोटरगाड़ियों की संख्या में जो वृद्धि हुई उह अगले पृष्ठ पर दी गई है।¹⁶

वर्ष

मोटरगाड़ियों की सख्त्या

१९४३

२,११,६४६

१९४१

३,०६,३१३

१९४६

४,२२,०४१

१९४७

४,५७,७३७

१९५८

४,६६,२७३

रेल सङ्केत स्थार्थी एवं सामजिक्य

स्थल यातायात के दो प्रमुख साधनों—रेल और सड़क—में प्रतिस्थार्थी ने अपना घर कर लिया है जिससे कारण दोनों ही साधनों को हानि होती रही है। यह प्रतिस्थार्थी भारतवर्ष के लिए कोई अनुचित चीज़ नहीं है। सराई के अन्य सभी देशों जैसे इंग्लॅण्ड और अमेरिका में भी यह समस्या पाई जाती है।

भारतवर्ष में रेल और मोटर यातायात में प्रतिस्थार्थी का उदय प्रथम महायुद्ध से पश्चात् से होता है। सन् १९२० के पश्चात् से यह समस्या स्पष्ट रूप से दृष्टियोक्तर होती है। मोटर यातायात ने अपने किंग्यों को रेलों की अपेक्षा बहुत कम कर दिया है फलत, ट्रैफिक मोटरों की ओर आकर्षित हुआ, रेलों को हानि सहनी पड़ी। सन् १९२७ में ३० जयकर समिति ने सुभाव के अनुसार एक सङ्केत रिकास को प्रस्तुत किया गया जिसका उद्देश्य पेट्रोल पर प्रति गैलन दो आना टैक्स लागाकर सङ्केत विकास के लिए धन संचित करना था। इससे सङ्केत में सुधार हुआ।

सन् १९२८ ३० में विश्वव्यापी मद्दी के कारण मोटरों की सख्त्या में और भी अधिक वृद्धि हुई। मोटरों और ट्रॉलों की सख्त्या नहीं जाने के कारण बायारियों की ओर भी सुविधाएँ प्राप्त हुईं। फलत, स्थारियों और माल का ट्रैफिक इनकी ओर आकर्षित हुआ और रेलों को प्रति वर्ष २ करोड़ रुपये की हानि होने लगी। सन् १९३२ में रेल मोटर प्रतिस्थार्थी की अदृष्टी हुई समस्या का अध्ययन करने के लिए एक भित्तील कर्नेल समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में ग्रनेक सुझाव प्रस्तुत किये। जिनमें से केन्द्रीय सलाहकार सभाद्वाहन मडल (Central Advisory Board of Communications) का स्पष्टित किया जाना मुख्य था।

इस मडल का काम प्रतिस्थार्थी को दूर करने के लिए एक समन्वय की ओजना देना चाहिए करना था। अप्रैल सन् १९३३ में सरकार ने एक रेल सङ्केत यातायात सम्मेलन आयोजित किया जिसमें रेलवे, सड़क यातायात और राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन ने यातायात के सभी साधनों में समन्वय स्पष्टित करने का मुकाबला

दिया। सन् १९३६ में वेजडुल समिति ने भी इस समस्या पर विचार किया और सुभाष दिया कि निजी मोटर वालों को लाइसेंस दिये जाएँ, याकारी (रेलो दारा) वर्षे चलाई जाएँ। रेल यात्रियों को अधिक सुविधाएँ दी जाएँ, माल कम किया जाय तथा रेतने अधिकारियों को यातारियों से सीधा समर्क स्थापित करना चाहिए।

सन् १९३६ में सड़क यातायात पर नियमण रखने के लिए मोटरगाड़ी आधि नियम पास किया गया। भारत में मोटर यातायात को नियन्त्रित करने में यह अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। इस अधिनियम को और अधिक प्रशस्त बनाने के लिए सन् १९४६ और सन् १९५६ में संशोधन भी किये गये हैं। सन् १९४८ में इस दूषित प्रतिस्थर्थ को दूर करने के लिए सरकार ने अपना अतिम हाधियार—राष्ट्रीयकरण भी अपनाया। इसके अनुसार देश में प्रतिस्थर्थ बहुत कम रह गई है। प्रतिस्थर्थों को और कम करने के लिए सरकार ने सन् १९५० में 'सड़क यातायात नियम अधिनियम' भी पास किया। इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्यों में राज्य सरकार, रेलों और निजी

चालकों की समेदारी से वैधानिक सड़क यातायात नियम (कारपोरेशन) बनाये दे हैं। ये नियम इस प्रतिस्थर्थ को दूर कर सकेंगे ऐसी आशा की जाती है।

अप्रैल १९५४ को सड़क यातायात पुनर्गठन समिति जिसने अध्यक्ष थी एम॰ आर॰ मरानी थे, ने अपनी रिपोर्ट में यह घटक किया है कि भारत में सड़कों की अपेक्षा रेलों पर अब भी अधिक जोर दिया जाता है। समय समय पर सड़क यातायात पर प्रतिक्रिया ही प्रतिक्रिया लगाने का प्रयत्न किया गया है। परन्तु रेल और सड़क यातायात में वैज्ञानिक दग से समन्वय स्थापित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। समिति ने सुभाष दिया है कि सड़क निर्माण की प्राप्तिक्षता दी जाय, उसके लिए अधिक पर राशि स्वीकार की जाय, उन पर केवल एक ही टैक्स लगाया जाय तथा डीजल टेल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध किया जाय।

सड़क यातायात का राष्ट्रीयकरण

रेल और सड़क यातायात में बढ़ती हुई प्रतिस्थर्थ की रोकने के लिए तथा प्रतिस्थर्थ के दुप्परिणामों को रोकने के लिए सड़क यातायात का राष्ट्रीयकरण एक यापदाण औपचारिक समझा गया। विभिन्न राज्यों द्वारा समर्द्द, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा मद्रास आदि ने अपने राज्यों में सड़क यातायात का राष्ट्रीयकरण करके अन्य राज्यों के लिए पथ प्रदर्शक का नारंग किया। राष्ट्रीयकरण की जगता का एकमेव मत यात नहीं हुआ। राष्ट्रीयकरण वे विषय में भी लोगों ने बासी तर्क प्रस्तुत किये हैं। आर्य, राष्ट्रीयकरण के पक्ष वे विषय में दिये गये तर्कों को भी सहेज में देते लिया जाय। राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क

(१) राष्ट्रीयकरण वे द्वारा यात्रियों को मोटर यातायात की सस्ती और कावँदाम सेवाएँ प्राप्त हुआ करेंगी।

(२) मोटर के किरण की दर समान एवं निश्चित होगी।

(३) मोटर यातायात से होने वाली आय सरकारी खजाने में जमा होगी।

(४) राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप देश के उन भागों में भी यातायात की सेवाएँ उपलब्ध हो सकेंगी जहाँ कि ट्रैकिंग अपर्याप्त होता है।

(५) मोटर यातायात के निजी चालकों द्वारा की जाने वाली अनेक अवधित कियाएँ बन्द हो जायेंगी।

(६) सङ्क निर्माण तथा उसका उपयोग एक ही सत्ता (सरकार) के हाथ में आ जायगा।

(७) कर्मचारियों की सेवाएँ निश्चित तथा स्थायी हो जायेंगी।

राष्ट्रीयकरण के विषय में तर्क

(१) प्रतिस्पर्धा के समाप्त हो जाने के कारण सङ्क यातायात में उचित विकास न हो सकेगा।

(२) सरकार और कर्मचारियों के बीच सम्बन्ध बिगड़ जायेंगे।

(३) निजी चालकों द्वारा बनदा को दी जाने वाली अनेक मुश्यधार्ये जैसे बीच में मोटर रोक देना आदि समाप्त हो जायेंगी।

(४) राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप सरकार को मोटर मालिकों को एक मोटी रकम जुतिपूर्ति के रूप में देनी होगी।

(५) पूँजीगत व्यय बढ़ जायेंगे।

(६) सरकार की आय में कमी हो जायगी।

(७) राष्ट्रीयकरण मोटर मालिकों वे प्रति एक अन्याय होगा क्योंकि उनके खून दस्ती से सीची गई रोजी सरकार द्वारा छीन ली जायगी।

(८) राष्ट्रीयकरण की आपेक्षा सङ्क यातायात का नियमन अधिक अद्यत्तर है।

उपरोक्त विरोधाभास होते हुए भी सरकार ने राष्ट्रीयकरण की नीति को ही अपनाने का निश्चय किया। सन् १९४८ में 'सङ्क यातायात निगम अधिनियम' पास किया गया जिसके अनुसार सरकारी को सङ्क यातायात पर नियन्त्रण रखने तथा उसे स्वयं सचालित करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। यहाँ यह बनाना भी अनुचित न होगा कि प्रारम्भ में सङ्क यातायात को राष्ट्रीयकृत करने का विचार नहीं था परन्तु परिस्थितिवश होकर सरकार को ऐसा करना पड़ा।

सरकार ने एक त्रिपार्टीय (Tripartite) योजना बनाई जिसके अनुसार राष्ट्रीयकरण से प्रभावित होने वाले लोगों पहला अर्थात् केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा निजी मोटर मालिकों को समुक्त पूँजी कमनियाँ विभिन्न राज्यों में बनाने का विचार था। प्रस्तावित आण पूँजी का ३०% से ३३% भाग वेद्यीय सरकार द्वारा, ३०% से ३५% भाग राज्य सरकारों द्वारा तथा शेष भाग निजी मोटर मालिकों द्वारा दिया जाना था।

पहले तो इस योजना का सभी ने स्वागत किया परन्तु कालान्तर में भोटर मालिनी ने इस योजना में सम्मिलित होना उचित नहीं समझ। फलतः यह योजना असफल हो गई और केन्द्रीय सरकार ने १६४८ में 'सड़क याताशात नियम अधिनियम' पास करा पड़ा। इस समय भारत के अधिकारी राज्यों—असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य भारत, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, सैयराट, हैदराबाद, मुम्बई, केरल आदि—ने सड़क याताशात का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। यिन्हिन्होंने प्रबन्ध व्यवस्था भिन्न भिन्न है।

प्रश्न

- 1 How far can the State help in the development of road transport in India? (Agra, 1931)
- 2 Write a short note on 'Indian Road Transport'. (Agra, 1931)

अध्याय २८

जल यातायात

(Water Transport)

भारत एक प्राचीन देश है। इसके तीन ओर सागर हैं। उत्तर में इसका प्रहरी हिमालय है और हजारों जल धाराएँ तथा महान नदियाँ जिन्होंने यहाँ के सामाजिक विकास में विशेष योग दिया है, इस भूमि को सीखती हैं। इन जल मार्गों द्वारा ही देश के विभिन्न नगरों के बीच समर्क स्थापित होना सम्भव हो पाता था।

भारतीय जल यातायात के क्षेत्र में सदैव अग्रगण्य रहे हैं। भारत में जहाज निर्माण की कला उतनी ही पुरानी है जितनी उसकी संस्कृति। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष ने सामुद्रिक उद्योग के द्वारा उत्तरी की अन्य संस्कृतियों से सम्बन्ध स्थापित रखा और अन्य राष्ट्रों द्वारा जातियों को सम्बन्ध बनाया। निःसन्देह इस जल उद्योग के बारे हमारी संस्कृति मूल रूप से निर्धारण रहती।

भारतीय जहाज उद्योग की मनोरंजक कहानी दोहराने के लिए हमें पुरातत्व-विज्ञान, कला, साहित्य, तथा सुदूर-विज्ञान की ओर ध्यान देना होगा। जल तथा जहाज उद्योग के प्रथम प्रमाण चिह्न मोहनजोदहो के घंसायशेषों से मिलते हैं, जो ५००० वर्ष पुराने हैं। उत्तरेष्यम् साहस्री लोग इहों के खोलसे तनों में ही अपार जल राशियों पर अपनी साहस्रपूर्ण यात्रा की निंकल पड़े थे। आख उनके उत्तराधिकारियों ने संघार के एक कोने से दूधरे कोने तक जाने के लिए तैरने वाले नगरों का—‘जल उपा’ जैसे लकड़ी और इसात के विशाल जहाजों का निर्माण कर लिया है।

धैर्यिक साहित्य में हमारे जल यातायात उद्योग के सम्बन्ध में अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं। अर्थर्ववेद सहिता की एक शृंचा से यह ज्ञान होता है कि ये नौकाएँ जल पर भारी प्रकार से चलती थीं, “इनकी किंदियाँ चौड़ी होनी थीं, यह शारामदेह, लम्बी-चौड़ी तथा सुरचिपूर्ण टांग से मुरलिंगित होनी थीं, उनकी पताकाएँ मञ्चवृन् तथा चनावट त्रुटिहीन होती थीं।”

“राज्यपल्लियाँ” नामक पत्ती पुस्तक के अनुसार ब्रिटिश जहाज में विजय तथा उसके अनुगामी बंगाल से भेजे गये थे, उसमें ७०० यात्रियों के लिए स्थान था। ‘शुल्क’ जातक में एक ऐसे जहाज का उल्लेप है जो ८०० . कु १८) .

लम्बा, ६०० क्यूबिट चौड़ा तथा २० पैदम (१ पैदम = ६') गहरा या और उसके दोनों पाल थे। इससे यह सिद्ध होता है कि घोड़ा काल में जहाज निर्माण की कला का काफ़ी विकास हुआ था।

मौजे काल

यूनानी साहित्य में पाये गये कई उल्लेखों से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि ३२५ ई० पूर्व के आसपास भी जहाज निर्माण भारत में एक प्रमुख उद्याग था। एरित्रियन ने जहाज निर्माण केन्द्रों का, ३० पतवार बाले सुद पोतों का तथा यातायर नौकाओं का विवर किया है।

आपसे दूसरी तथा तीसरी शताब्दी ईसवी की जहाज अक्षित मुद्राएँ पाई गई हैं। इन जहाजों का मस्तक उनके दाहिने हाथ की होता था, उनके छाँसों पर एक गोलाकार हाती थी। इयके नीचे उनके पतवार बाहर को निकले हुए होते थे, जो सीधे शहरीरों के आकार के होते थे और जिनके तिरों की चम्मचनुमा आँखिं होती थी। जहाज का एक सीधा होता था और उन पर दो गोलाकार चीजें होती थीं, जिनमें से दो मल्लून निकले हुए होते थे—इनमें से प्रत्येक के ऊपरी भाग पर एक आँख उत्तीर लगा होता था।

इसके पश्चात् सौची के स्तर तथा अजन्ता की गुप्ताओं के बुग में हम पते हैं कि भारतीय जहाज और आधिक मञ्चवृत्त, यह तथा टिकाऊ हो गये थे।

'युक्ति इत्यत्स' प्राचीन भारत की जहाज निर्माण कला पर एक प्रामाणिक तथा सम्पूर्ण अनन्य ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ हमें विभिन्न प्रकार के जहाजों के आकार, स्वरूप तथा उनके उत्तरायणों के गारे में दिलचस्प बातें बताता है। आकार के विविकोण से दो प्रमुख प्रकार के जहाज हुआ करते थे—

- (१) 'सामान्य' जो देश के अद्वल्लीयातायात के काम में लाये जाते थे, तथा
- (२) 'मिशेप' जो विदेशी याताओं के लिए थे।

पन्द्रहीं शताब्दी में निकालों काँटी नामक इतालियन यात्री भारत में आया था। उनके कहा है कि भारतीय योरुप में बनने वाले तकालीन जहाजों से वहे जहाज बनाते थे। मुगलों के काल में भी, देश के विभिन्न भागों में जहाज उद्योग ने बहुत उत्पन्न की। तत्कालीन साहित्य में उस काल में बगाल में बनाये गये जहाजों का अत्यन्त मनोरवक वर्णन है। सागौन, गम्भारी, रियाल, काथल आदि की लकड़ियों के मञ्चवृत्त तख्तों को लोहे की मैलों से ओढ़ कर जहाज में माल रखने की जगह बनाई जाती थी। इसके बाद घातु की चादरें तथा चटाई की किशाँहे लगाई जाती थीं। इसके बाद लकड़ी के तख्तों का 'टेक' बनाया जाता था और फिर मुख्य 'वेबिन' एक अलौकिक प्रोटोट होता था जिसमें कीड़ियों की मालाओं तथा चन्दनवार की सजावट होती थी। मुख्य चित्रकला में भी कई प्रकार के जहाजों के अनेक उदाहरण चित्रित हैं।

भारतीय जल यातायात को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है :—

(१) आन्तरिक जल यातायात, और

(२) सामुद्रिक जल यातायात ।

आन्तरिक जल यातायात को पुनर्शब्द दो भागों में विभाजित किया जा सकता है :—

(अ) नदी यातायात, और

(ब) नहर यातायात ।

नदी यातायात

(River Transport)

मैग्नथनीज ने अपने भ्रमण समरण में लिखा है कि उसने भारतर्प में नाव के द्वारा भ्रमण किया था। १४वीं शताब्दी तक जल यातायात भारतर्प में अपनी चरम सूझा पर पहुँच चुका था। सर्वप्रथम सन् १८४२ में मारतर्प में स्टीमर चलाये गये जो कलकत्ता और आगरा के बीच नला करते थे। ऐतिहासिक प्रमाणों से जात होता है कि इसारे देश में नदी यातायात पूर्णरूप सन् १८५५ से शारीर हुआ।

भारतीय नदियों की दो विशेषताएँ हैं :—

(१) उत्तरी भारत की नदियाँ साल भर तक जलावृष्टि रहती हैं और अच्छे जल मार्ग के रूप में हैं।

(२) दक्षिण भारत की नदियाँ आच्छा जलमार्ग प्रदान नहीं करतीं, क्योंकि एक तो वे ऊँचा नीचा तथा पठारी भूमि पर बहती हैं, दूसरे बरसात के दिनों में उनमें बाढ़ आ जाती है और गर्भियों में सूख जाती है।

भारतर्प में वर्षा पर्यन्त जलावृष्टि जलमार्गों की कुल लम्बाई ४१,००० मील है जिसमें से नदियों का लम्बाई २६,००० मल और नहरों की लम्बाई २६,००० मील है। इसमें से जल यातायात के योग्य जलमार्ग की लम्बाई ५,००० मील है। इसमें से प्रमुख जलमार्ग गगा और ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियाँ, गोदावरी और वृग्णा तथा उनकी नहरें, गुरु राघव, मद्रास और आनंद राज्यों में वर्किशम नहर, उडीसा में पश्चिमी तटीय नदीरें तथा महानदी नहरें हैं। इस समय १,५५७ मील लम्बी नदियाँ मरुनी द्वारा चालिन जहाजों के द्वारा तथा ३५८७ मील लम्बी नदियाँ जहाजों द्वारा नावों द्वारा जलमार्ग वे रूप में प्रयुक्त की जा सकती हैं।*

उपरोक्त संक्षिप्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत में आन्तरिक जल यातायात बही पिछड़ी दशा में है। परन्तु यह समझना कि यह दशा सदैव से ऐसी ही रहा है, एक

**India*, 1960, p. 362.

चढ़ी मारी भूल होगी। सन् १९४६-४७ में बलकत्ता में १८०००, हुगली में १,२५००० और पट्टना में ६०,००० सामान ले जाने वाली नावें (cargo boats) थीं। परन्तु सन् १९४६ से रेल यातायात का श्रान्तमान्य हो जाने के कारण आन्तरिक जल यातायात को बड़ी ठेस पहुँची। शनि शनि जल यातायात का परन होता चला गया। परन्तु ही रेल तक प्रतियोगिता की भाँति रेल और जल यातायात में कभी प्रतियोगिता नहीं हुई। इन दोनों के कार्यक्रम अलग अलग रहे हैं।

जल यातायात की प्रगति में वाधक दो मुख्य कारण हैं—

(१) भारत में आन्तरिक जल यातायात भिन्न रूपों के अधीन रहा गया। अत जल यातायात और जलमार्ग के लिए कोई एकमूल्यीय तथा समन्वय योजना न बनाई जा सकी।

(२) विदेशी सरकार ने अपने ध्यान को रेल यातायात के विकास तक ही निर्दिष्ट रखा, वहाँकि इसमें उत्तरा दित था। रेल और जल यातायात के समन्वय की ओर इच्छित भी ध्यान नहीं दिया गया।

जल यातायात के लिए सिये गये प्रयत्न

जल यातायात के विकास की ओर प्रयत्न विदेशी सरकार द्वारा द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् ही किये गये। क्योंकि सुदूरकाल में यातायात (traffic) इतना अधिक बढ़ गया कि रेल यातायात और सड़क यातायात इसका बहन बनने में अवगम्य थे। फूटट सरकार का ध्यान जल यातायात की ओर आकृष्ट हुआ। सन् १९४५ में जल यातायात को आयोजित ट्रग पर नियंत्रित करने के लिए एक 'वेन्ट्रीय जलमार्ग, निवाई और नौचालन आयोग' (Central Waterways, Irrigation and Navigation Commission) नियुक्त किया। सन् १९५० में मार्तीय जलमार्गों के विशाल के सामन्वय में सुमाव देने के लिए, 'ईसोनामिक कमीशन और एशिया एण्ड दी पार ईस्ट' (E.C.A.F.E.) की ओर से जल यातायात के विशेषण थी और्टो पोपर (Otto Popper) भारत में गये। इन्होंने जल यातायात के विशाल के समन्वय में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

नदियों में नौचालन की समस्या का अध्ययन करने के लिए पूना में एक 'नदी अनुसन्धान संस्था' भी स्थापित की गई है। गगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में जल यातायात को संस्था बनाने के लिए इंग्लैण्ड में प्रयोगात्मक जांच जारी है।

अभी हाल ही में 'आन्तरिक जल यातायात समिति' (Inland Water Transport Committee 1959) ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है। इस रिपोर्ट में समिति ने सुझाव दिया है कि एक 'वेन्ट्रीय तारिक संगठन' एक 'प्रशिक्षण संस्था' नदी धारी योजनाओं में नौचालन की सुविधाएँ तथा देशी नाम सहारिगांवों को प्रोत्साहन दिया जाय।

योजनाओं के अन्तर्गत

आन्तरिक जलमार्गों के विकास के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 'गंगा ब्रह्मपुर्ण द्वीप' स्थापित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जलमार्गों के विकास के लिए ३ करोड़ रुपये का आयोजन किया गया है जिसमें से १ करोड़ १५ लाख रुपये चक्रिय पर्याप्त नहर और ४३ लाख रुपये पांचमी तटीय नहरों के विकास पर पर्याप्त किये जायेंगे।¹ तृतीय पंचवर्षीय योजना में ५ करोड़ रुपये का प्राप्तिशान किया गया है।

सामुद्रिक यातायात

(Marine Transport)

शास्त्रीय भारत में सामुद्रिक यातायात के गौरवदूर्घात इतिहास को हम रिष्टूले रुठों में देख सकते हैं। भारतीय लोग जहाज-निर्माण में इतने कुशल थे कि १८ वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मालीग चार्ड में जहाज बनाये जाते थे। उन् १७३६ और सन् १८६३ के बीच अमेरिज़ों ने बम्बई में लगभग ३०० ट्रॉटे-प्रहे जहाज बनाये। १८वीं शताब्दी के अन्त तक १७,००० टन के ३५,००० जहाज बनाये गये। इसके बाद २० लाख में २२७ जहाज बनाये गये जिनका कुल टनोज़ १,०५,६६३ था।²

भारतीय जहाजगानी उद्योग का पतन २०वीं शताब्दी से शुरू होता है। इसका प्रमुख कारण विदेशी सरकार भी उपेक्षापूर्ण नीति थी। महात्मा गांधी के शब्दों में 'अपेक्षी शिविंग को उन्नति देने के लिए भारतीय शिविंग को नुष्ट हो जाना पड़ा।'³ प्रथम महायुद्ध के अधिक जहाजों की आवश्यकता प्रतीत हुई। फलतः विदेशी सरकार को जहाजगानी उद्योग के विकास की ओर ध्यान देना पड़ा। इस प्रकार अमेरिज़ी सरकार ने लकड़ी के जहाजों के बनाने के लिए प्रेरणा दी।

द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४५) काल में प्रत्येक देश को और अधिक जहाजों की आवश्यकता प्रतीत हुई। अमेरिका ने नावें, फ्लान्ट और जीन को उदायता दी, इग्नैंड ने भी अपने लिए अमेरिका में जहाज बनाये। भारत के साथ एकदम उपेक्षा का अपहार किया गया। यही नहीं, सरकार ने रेल और यानुद्दी यातायात में समन्वय स्थापित करने का भी कोई प्रयात नहीं किया। परिणामस्वरूप रेल और सामुद्रिक यातायात के बीच प्रतिशर्पी बनी रही।

⁴ सामुद्रिक यातायात के विकास के लिए न तो भारतीय लोगों न ही कोई प्रयत्न किया और न विदेशी सरकार न ही कोई प्रोत्साहन दिया। इनके विपरीत जर कभी

1 Second Five Year Plan, p. 487.

2 R. K. Mukerjee, History of Indian Shipping.

भारतीय कम्पनियों ने अपने बहाज चलाने का प्रयत्न किया तो उन्हें विदेशी कम्पनियों द्वारा कठोर प्रतिवार्गिता का सामना करना पड़ा। विदेशी कम्पनियाँ मारतीय कम्पनियों के दो प्रकार से अनार्थिक प्रतिवार्गिता करती थीं। प्रथम, मारायुद्ध (Ratewar) करे और द्वितीय, वित्तगत इटीतो पथा (Deferred Rebate System) अस्थ कर। भारतीय कम्पनियाँ विदेशी कम्पनियों की घातक प्रतिस्पर्धा का सुझावना न कर सकी और शनैः-शनैः उनका पतन होता गया।

सुधार के लिए प्रयत्न

भारतीय बहाजरानी उन्नयन के विभास के लिए आराज सर्वप्रथम सन् १९२३ में स्वर्गीय सरललू भारत समलदाता ने उठाई थी। उन्होंने राज्यसभा में एक प्रस्ताव देंगा था कि भारतीय कम्पनियों की आमना भादा (Rate) तय करने का अधिकार मिलना चाहिये। परन्तु कुछ न किया गया। जब सरकार पर बहुत आवार ढाला गया तब सरकार ने फरमायी था कि सन् १९२३ में थी हेलम की अध्यक्षता में एक सामुद्रिक व्यापार समिति (Maritime Marine Committee) नियुक्त की। इस समिति अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये, परन्तु उन सुझावों में से बैठक एक सुझाव, मारतीय लोगों को सिद्धाने का, स्वीकार किया गया और इह कार्य (प्रशिद्धण) के लिए सन् १९२७ में 'फरसिन' नियत किया गया।

सन् १९२८ में तटीय व्यापार को भारतीय के लिए सुरक्षित करने के लिए यह थी एस० एन० हाबी ने केन्द्रीय सभा में एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में यह मांग का गई थी कि शिपिंग कम्पनियों के प्रबन्ध में अधिकार (७५%) प्रबन्ध भारतीय होने चाहिए। सरकार ने इस प्रस्ताव को एक 'सेलेक्ट कमेटी' को विचार करने के लिए दे दिया। सन् १९३७ में सर अन्दुल हलोम गजनदी ने केन्द्रीय सभा में एक और प्रस्ताव पेश किया, परन्तु उस पर भी कोई विचार नहीं किया गया।

सन् १९४१ में विश्वातापट्टनम में एक शिपयार्ड द्वाने वे लिए विधिया रटीम नेवीगेशन कमानी को ग्रोलाइन दिया गया। इसके पश्चात् सन् १९४५ में धो सी० पी० रामास्वामी अध्यक्ष की अध्यक्षता में Post-war Reconstruction Policy, Sub-Committee नियुक्त की गई। इह समिति ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव सन् १९४७ में प्रस्तुत किये। इन सुझावों की पूरा करने के लिए सरकार ने शिपिंग वारोरेशन स्थापित किये हैं। जबकी था सन् १९५१ में एक 'भारतीय तटीय सम्मेलन' हुआ, जिसमें यह निधय किया गया कि अब तटीय व्यापार शुरू प्रतिशत भारतीय लोगों के हाथ में रहेगा।

प्रथम अर्पणाल योजना

सन् १९५७ में 'शिपिंग पालिसी समिति' ने आगामी पौच वा चात पर्हों में २० लाख टन जी० आर० टी० का लक्ष प्राप्त करने का सुझाव दिया था। प्रथम

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राप्त सफलता तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को निम्न तालिका में दिया जाता है ।

शिपिंग की सफलता

(प्रौस रजिस्टर्ड टनों में)

जहाजों के प्रकार (Type of Vessels)	प्रथम योजना के पूर्ण	प्रथम योजना के अन्त में	द्वितीय योजना के अन्त में
तटीय तथा निकटवर्ती सामुद्रिक (Oceans)	२,१७,२०२ १,७३,५०५	३,१२,२०२ २,८३,५०५	४,१२,२०२ ४,०३,५२५
ट्रैम्प (Tramps)	—	—	६०,०००
टैंकर (Tankers)	—	५,०००	२३,०००
सालवेज टग (Salvage Tugs)	—	—	१०००
योग	३,८०,७०७	६,००,७०७	८,०४,७०७

दिसंबर १९५६ के अन्त में, ७ ३८ लाख ली० आर० टी० की क्षमता के १५७ जहाज ये विसमें से २ ७४ लाख ली० आर० टी० की क्षमता के ८८ तटीय व्यापार के जहाज तथा ४ ६५ लाख ली० आर० टी० की क्षमता के ६८ वैदेशिक व्यापार के जहाज थे ।*

शिपिंग उद्योग के विकास के लिए प्रथम और द्वितीय योजनाओं में अमरा २६ ३ करोड़ रुपये तथा ४५ करोड़ रुपये का आयोजन किया था । प्रथम योजना में १८ ७१ करोड़ रुपये ही व्यय किये गये ।

तृतीय योजना

८ अगस्त १९५८ को राष्ट्रीय शिपिंग मंडल ने सुझाव दिया कि तृतीय योजना के लिए १६,२८,००० टनेज का लक्ष्य निर्धारित किया जाय । शिपिंग मंडल ने यह भी प्रस्तावित किया है कि उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए १४२ करोड़ रुपये व्यय किए जायें ।

प्रश्न

1 Discuss the importance of water transport in India How can this type of port be further developed and made more beneficial for the country ? (Agra, 1957)

2 Explain the difficulties of Indian coastal shipping and show how they can be met ? (Agra, 1957)

3 Write a short note on the shortage of sea ports in India

(Agra, 1960)

*India 1960, p 360

अध्याय २६

वायु यातायात

(Air Transport)

प्रारम्भिक इतिहास—भारत में वायु यातायात दूसरे यातायात के साथनों वी अपेक्षा एक नव विचारित व्यवस्था है। यहाँ वायु यातायात का प्रारम्भ सर्वप्रथम गवर्नर और जार्ज लायड ने घर्मर्ड और कराची के बीच वायु यातायात किया थी शुरू आत करके किया था। इसी बारे सर्वप्रथम वायुयान द्वारा इलाहाबाद से नैनी बरुदन तक डाक भेजी गई थिन्हु वायु यातायात का वास्तविक विकास प्रथम महायुद्ध के बाद ही हो सका।

प्रथम महायुद्ध के पश्चात्—सन् १९२६ में एक वायु यातायात ट्रोई वी स्पा पना की गई, जिसने देश में वायु यातायात के विकास के लिए हावाई अड्डों के बनाने एवं नागरिक वायु उड़ान विभाग (Civil Aviation Department) की स्थापना करने के मुख्य दिये। फलस्वरूप सन् १९२७ में एक नागरिक वायु उड़ान विभाग गठा और सन् १९२८ में अनेक स्थानों पर वायुयान बालनों वी रिक्षा के लिए फ्लाइंग क्लबों व हवाई जहाज उतारने के लिए 'हवाई अड्डे' की स्थापना भी गई। ३० मार्च १९२८ को 'इंडीयन एअरवेज' के द्वारा लन्दन और कराची के बीच वायु-यातायात का प्रारम्भ हुआ। सन् १९३० में यह मार्ग दिल्ली तक बढ़ा दिया गया तथा कराची व देहली के बीच डाक से जाने के लिए एक समझौता किया गया जो १ बारे पश्चात् यमात हो गया। १९३१ में यह वार्ष देहली के फ्लाइंग क्लब के सुपुर्द किया गया जिसने १ बारे तक इसे नियमित रूप से किया।

प्रथम भारतीय प्रयत्न—सन् १९३२ में टाटा सन्य निमिट्ट ने 'टाटा एअरवेज बम्पनी' की स्थापना भी जिन्हे चत्ताह में एक गार कराची से मद्रास तक वायुयान द्वारा यात्रियों को लाने व ले जाने वा कार्य प्रारम्भ किया। यह वायुयान बम्पर्ड व ग्रहमदानाद में ठहरते थे। सन् १९३४ में टाटा के वायुयान हैदराबाद में भी स्वने लगे और सन् १९३५ में बम्पर्ड निवेद्रम व बम्पर्ड दिल्ली मार्ग पर भी वायुयान चलने लगे। सन् १९३६ में टाटा एअरवेज ने अपने मार्ग को कोलकाता तक बढ़ा किया। भारत सरकार ने अपनी टाक भेजने वा कार्य भी टाटा एअरवेज वो दिया

जिसकी आप से इसकी मिथ्यता काफी छढ़ हो गई और अपना कार्य सफलतापूर्वक करती रही।

सन् १९३३ में भारत सरकार, प्रिटेन की सरकार व लिमिटेड एश्वरेज ने मिन-कह-एक नई कम्पनी 'इंडिया ट्रान्स कान्ट्रीनेटल लिमिटेड' की स्थापना की जिसके इन्हीं द्वारा वे कराची तक आगे बाले जहाज रगत तक जा सके और वहाँ से 'केन्टाउन एस्प्रेस' द्वारा डिगापुर होने हुए आस्ट्रेलिया जा सके।

सन् १९३३ में एक दूसरी कम्पनी 'इंडियन नेशनल प्रेसेज' की भी स्थापना हुई। इसना प्रदान कार्यालय दिल्ली में था। इसने कराची और लाहौर के बीच बायु-यातायात योजा प्रदान करने का प्रस्तव किया।

सन् १९३६ में एक तीसरी कम्पनी 'एश्वर सुप्रिसेज आफ इंडिया' लिमिटेड वी स्थापना हुई। इसने गढ़वाल काठियावाड मार्ग पर अपनी बायु यातायात सेवाएँ प्रदान की और रायगढ़ी काफी उम्मि भर भारत के बायु यातायात का ७०% भाग इसने अधिकार में कर लिया। बिन्दु आर्थिक हानि व सरकार की सहायता के अभाव म सन् १९४० में इसे बन्द हो जाना पड़ा।

सामाज्य हवाई डाक योजना १९३८ (Empire Air Mail Scheme, 1938)—सन् १९३८ में सामाजिक हवाई डाक योजना प्रारम्भ की गई जिसके अन्तर्गत सामाजिक के सभी देशों की डाक गयुगाना द्वारा भेजने का नियन्त्रण किया गया। भारत की डाक इम्परियल एश्वरेज द्वारा कराची में भारत सरकार को देने और भारतीय बायुगानों द्वारा इसके बांटने का नियन्त्रण किया गया। इस कार्य के लिए दाया एश्वरेज लिमिटेड व इंडियन नेशनल एश्वरेज लिमिटेड के साथ १५ वर्ष के समझौते लिये गये जिनकी शुरू ये थे—

(१) दाया एश्वरेज कराची-बमर्द भार्ये पर डाक ले जाने का कार्य करे जिसके लिए सरकार द्वारा १५ लाख रुपये देने का समझौता हुआ। दाया कम्पनी ने इस घनराशि के बदले ५,००,००० लाख पौर्ण डाक ले जाने का आश्रासन दिया। इससे अधिक मात्रा में डाक ले जाने पर १ रुपये प्रति पौर्ण और देने को वहा गया।

(२) इंडियन नेशनल एश्वरेज को कराची से लाहौर तक डाक ले जाने का कार्य सौंपा गया। जिसके लिए सरकार द्वारा उसे १,३०,००० पौर्ण डाक ले जाने पर ३.२५ लाख रुपये देने का समझौता था। इसके अनियिक उक्त बादाद से अधिक डाक दोनों पर इसे मी १ प्रति पौर्ण अनियिक शुल्क मिलने का समझौता था।

उक्त योजना से मार्कीय बायु यातायात को भोचाहन मिला। इसके अन्तर्गत दाया एश्वर लाहौर ने ५२ लाख रुपया प्रतिपल कमाया व इंडियन नेशनल एश्वरेज ने ३५ लाख रुपये प्रति पर्यंत प्रतिपल कमाया।

द्वितीय युद्धकाल—युद्धकाल भारत में वायु यातायात विकास के लिए सहित अवसर रहा। १९४२ में चागान के युद्ध में प्रविष्ट होने के कारण भारतीय वायु यातायात को सामरिक महत्व मिल गया। फलत सरकार द्वारा यातायात कमनियों और अपने मार्ग विवरित करने के लिए प्रत्येक उपलब्ध व सम्भव सहायता दी गई। इस समय पश्चात् टाटा एवं एयरवेज व हिंडमन नेशनल एयरवेज को युद्ध यातायात आरेज (War Transport Command) के अन्तर्गत धार्य करने के लिए यात्र नियम गया। कमनी के शासी वायुगानों की पूरी धीरो का विनाश, जाहे वे भी ही यथा पाली, सरकार द्वारा दिया जाता था। इस प्रमाण युद्धकाल तक २ कमनियों के विनाश के लिए सहित अवसर रहा। इस काल तक इन कमनियों की आर्थिक दशा आर्थिक अच्छी हो गई थी, इहैं पहुँच पर प्राप्त स्थिति गये ग्रामिन वायुगानों के सचालन व आर्थिक प्राप्तिक ज्ञान हो चुका था एवं सरकारी ज्ञान में इहैं अच्छी व्यापारी प्राप्त हो चुकी थी। टाटा एयरवेज व हिंडमन नेशनल एयरवेज के जहाज १६ मार्गों पर चलते थे। १९४५ में यात्रियों की यात्रा १६३८ की तुलना में ८ गुनी हो गई थी तथा टोटे गये माल की मात्रा दुगनी।

युद्धोपरान्त वायु यातायात नीति (Post war Policy)—युद्धोपरान्त वायु यातायात विनाश योजना के रूप में सरकार ने वायु यातायात के विवाद नियन्त्रण पर सुभाव देने के लिए एक समिति Post war Reconstruction Policy Sub Committee on Post and Aviation नियुक्त की जिसे वायु यातायात के विवाद व लिए अपने सुझाव इस प्रकार प्रस्तुत किए—

(१) वायु यातायात उद्योगों के विवाद व सचालन वा खार्ड निजी व्यापारियों संस्थाओं द्वारा किया जाय।

(२) प्रत्येक कमनी यार्ड प्रारम्भ करने के पूर्थ अक्टूबर १९४६ में स्थापित हुई 'All Transport Licensing Board' नामक संस्था द्वारा दिए गए शर्तों के अनुसार वायु यातायात उद्योगों का सचालन घोषित चार पमनियों द्वारा किया जाय।

(३) भारत में सम्पूर्ण वायु मार्गों पर वायु यातायात उद्योगों वा सचालन घोषित चार पमनियों द्वारा किया जाय।

(४) पमनियां अपनी निजी पैदल लगावें और हानि लाग की स्वयं उच्च राशी हो।

(५) कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार वायु यातायात की कमनियों को आर्थिक सहायता प्रदान करे।

(६) विशेष परिस्थितियों में सरकार वायु यातायात के सचालन में भाग ले एवं इस उद्देश्य के लिए कमनी के बोर्ड में अपना एक सचालक (Director) नियुक्त करे।

युद्ध के पश्चात् वायु यातायात का एकदम भड़ी देजी से दिनास हुआ। युद्ध की परिस्थितियों ने व्यापारियों साहस (courageous) में एक और ऐसे विश्वास को पैदा किया कि 'वायु यातायात' की व्यवस्था भारी लाभ कमा सकती है और दूसरी ओर 'ड्कोटा' आदि वायुयानों को सहते मूल्य पर बिकी के लिए खुले बाजार में प्रस्तुत किया जिसके कारण अनेक नवीनी वायु यातायात व्यवस्थायों की स्थापना हुई। १९४६ के अंत तक वायु यातायात लाइसेंसिंग बोर्ड ११ व्यवस्थायों को आनंदित मार्गों पर अपनी सेवाओं का सचालन करने के लिए लाइसेंस दे चुका था।

भारत ने १९४८ में एशर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड की स्थापना के तीव्र अन्तर्राष्ट्रीय वायु यातायात में भाग लेना प्रारम्भ किया। इस व्यवस्थी के अन्तर्गत भारत सरकार व टाटा व्यवस्थी का समुद्र स्वामित्व था। इसके बोर्ड में सरकार ने एक विशेष सचालक की नियुक्ति वीथी जिसे यातायात नीति सम्बन्धी मामले में कुछ प्रिमिय अधिकार प्राप्त थे। व्यवस्थी को आर्थिक सहायता के रूप में, सरकार ने प्रथम पाँच वर्षों तक होने वाली प्रत्येक आर्थिक हानि को पूरा घरने का आश्वासन दिया था। पर हानि पूर्ण के लिए दी गई राशि का रूप जूरा ही था क्योंकि व्यवस्थी को अपने लाभ कमाने की स्थिति में ऐसी रुम्हर्दी राशि को लौटाने का दायित्व था। १० वर्षों तक प्रिमिय मार्गों पर व्यवस्थी को अपनी सेवाओं को सचालित करने का एकमात्र अधिकार था।

१९४८ से 'एशर इंडिया इंटरनेशनल' ने व्यवस्थी और लन्दन के बीच अपनी वायु सेवा को सप्ताह में ३ बार के ब्रम से प्रारम्भ किया। इस सेवा के लिए व्यवस्थी अपने ४ सीटों वाले आधुनिक 'लाउंजी बासटेलेशन' (Lounge Bed Constitution) वायुयान का प्रयोग करती थी। १९५० से इसी व्यवस्थी ने अपनी, पूर्वी अफ्रीना, बर्मद, अदन, नैरोबी वायु सेवाओं को भी महीने में २ बार के ब्रम से प्रारम्भ किया।

१९४८ ऐ, 'भारत एशरयेज लिमिटेड' ने अपने स्वार्डमास्टर जहाजों की सहायता से बलबत्ता, बैंगलोर, हागशाग, टोवियो के बीच वायुयान सेवा प्रारम्भ की। सफ्टमाय राजनीतिक वायावरण के कारण वापी समय तक इस व्यवस्थी की वायु यातायात सेवा बलबत्ता और बैंगलोर के बीच उप्पाह म एक बार तक ही चलती रही। फिर्तु बाद म यह सिंगापुर तक ढां दी गई।

इस प्रवार हम देखते हैं कि देश की स्वतंत्रता मिलने के बाद भी वायु यातायात की व्यवस्था बगाबर प्रगति करती रही और उन्होंने अधिक से अधिक लाभ कमाया। इसी समय कलबत्ता व अगरताला के बीच वायु यातायात के लिए 'कलिंग

एग्ररेज़' की तथा अन्न मार्ग पर 'डालमिया जैन एग्ररेज़', 'जूफिटर एग्ररेज़' तथा 'एग्रर सर्विसेज आफ इंडिया' की स्थापना हुई।

गत की वायु डाक योजना (Night Air Mail Service) — ना रिम उद्योग (Civil Aviation) के इनिहास में हम दूखा विभाग का चरण १६५८ में 'गत की वायु डाक योजना' के स्थानन के रूप में पाते हैं। इस योजना के अनुसार कलारत्ता, नम्बिं, दिल्ली और मद्रास से एवं एवं जहाज रान में डाक लेख नहिंते थे, और नागपुर में गिलने थे तथा यापन में डाक की अदला-बदली करते थे गुह तक अपने अपने स्थानों तक लौट आते थे। जनरी १६५६ में उत्तरार्द्ध ने 'यह की वायु डाक' दाने ना कार्य 'इंडियन ऑफरसीज एग्रर लाइन्स' को दी, जिन ५ महीने के अन्दर ही वह आर्थिक हानि के कारण विप्रतित हो गई। इस पर्वत 'डेफ़ून एग्ररेज़ व इंडियन नेशनल एग्ररेज़' को यह कार्य दिया गया, पर्वत कार्य क्षेत्र के प्रारम्भ होने से लू अन् १६५८ में यह योजना उमात्त कर दी गई। वर्ष शुरू के समान होने पर पुनर्यह यह कार्य प्रारम्भ किया गया और एवं ग्रंथिक (Non schedule Operator) कमनी 'हिमालयन एवीशन' को यह कार्य प्रारम्भ में अस्थाइ लाइसेंस के अन्तर्गत अक्टूबर ४६ तक के लिए सौंपा गया जिन बाद में लाइसेंस ना अपनी जनरी १६५९ तक नहीं दी गई। इसके बारें दूसरी यातातान वी कमनी को अपनी अधिकारी वा भागना ने जन्म लिया और उसी इहर मिरोग म अपने विचार (Air Transport Enquiry Committee) के समक्ष रखे। कमनी ने मिरोग वी चालानिकाओं पर विचार करते हुए 'हिमालयन एवीशन' के लाइसेंस को जनरी १६५९ में यत्नम कर देने की सिफारिश की।

१६५१ में यह कार्य पुनर्यह 'डेफ़ून एग्ररेज़ को' सौंपा गया जो सन् १६५२ के इस कार्य को सफलतापूर्वक बरती रही। लू १६५२ में वायु यातायात के राष्ट्रीयरह ऐ रानी-वायु-डाक ल जाने वा कार्य 'इंडियन एग्ररलाइन्स बारोरेशन' द्वाय किया जा रहा है नियम लार जहाज बम्बई, कलारत्ता, मद्रास और दिल्ली से बनकर नागपुर में गिलते हैं और नागपुर से यह जहाज यात्रियों और डाक को लेकर वापस हो जाने हैं।

अन् १६५६ की समान होने वाले वर्ष में इंडियन एग्ररलाइन्स बारोरेशन के वायुगानों ने रानी डाक-वायु योजना के अन्तर्गत ४३४२६ यात्रियों, ३२३५७११ पौएट यातान और ४२,१६०६ पौएट डाक को दोया। इस वर्ष औसतन दीनिक हिसाब ११६ यात्री, ८८६५ पौएट यातान और ११५५३ पौएट डाक रही। १६५८ में ५७६८८ यात्रियों ने यात्रा की थी, ३०,१२२२४ पौएट भाल तथा ४०७५८८८ पौएट डाक दोइ गई थी और इस प्रकार इस वर्ष औसतन दीनिक हिसाब १११ यात्री, ८३०७ पौएट यातान व १११६३ पौएट डाक रही थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि रानी डाक योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले वायुगानों के यात्रा बढ़ने जानी,

की सख्ता में बरामर कमी ही चलती रही है यद्यपि कारपोरेशन इसकी वृद्धि करने में संदेश प्रयत्नशील रहा है।*

वायु-यातायात जाँच समिति

स्थापना के पूर्व परिस्थितियाँ—सुदोगरान्त भारत में वायु यातायात का विकास बहुत ही अनियमित रहा। एक और तो दिन पर दिन नई नई कम्पनियों की स्थापना हो रही थी और दूसरी और सीमित कार्यक्रम में आपसी प्रतिष्पर्धा के बारण स्थापित कम्पनियाँ ऐ लिए भी श्रेष्ठता अन्तिम बनाये रखना कठिन हो रहा था। एव्वर ड्रान्चपोर्ट लाइंसिंग बोर्ड भी लाइंसेंस देने वा मामले में बोई मुनिशिक्त नीति वा पालन न कर रहा था, फलत नवम्बर १९४८ में सचार मन्त्रालय ने वायु यातायात की दशा मुझाने के मुभाव देने के लिए एक कमेटी जस्टिस राजाघटा की अधिकारता में नियुक्त की।

कमेटी ने श्रेष्ठी रिपोर्ट १५ सितम्बर १९५० को सरकार को प्रस्तुत करने हुए भारत में वायु यातायात के ऊपर इस प्रभार वक्तव्य रखा कि “देश में वायु यातायात उद्योग की आर्थिक दशा असन्तोषप्रद है और इसमा मुख्य बारण यातायात कम्पनियों का आवश्यकता से अधिक होना है।”

मुमाथ—कमेटी ने वायु यातायात के पुनर्संगठन व प्रिकार के लिए ग्राहने निम्नलिखित मुझाव प्रस्तुत किये —

कम्पनियों वा पुनर्संगठन व सख्ता में कमी—कमेटी के मतानुसार देश में उपलब्ध वायु यातायात वी दृष्टि से बेवल चार कम्पनियों की ही आवश्यकता थी जब कि उस समय १० सूचीबद्ध व ११ असूचीबद्ध कम्पनियाँ वार्य कर रही थीं। फलत इसने मुभाव दिया कि सबसे मिलाकर कबल चार कम्पनिया बनाइ जायें, पैरन्तु एयर बर्बियेज आक इंडिया व डेफेन्स एयरवेज को छोड़कर बोई कम्पनी स्पेश्ला से एकवेकरण नहीं चाहती थी। इसने अनिरिक् ६ कम्पनियों को १० वर्ष के लिए लाइसेन्स दिये थे और इसन पूर्व अपने वार्य समाप्त न रखना चाहनी थी। फलत पैरल एक यही उपाय है कि गैर गूचीबद्ध कम्पनियों वो समाप्त वर दिया जाय व उनके भाग ६ कम्पनियाँ वो दे दिये जायें।

(२) भाड़ा निर्धारण—इस कमेटी ने वायु यातायात के सचालन व्ययों वी भी जाँच की थी और यह मुभाव दिया कि यानिशा वे भाड़े इस प्रभार निर्धारित किये जायें कि कम्पनी वो श्रान्ति पूँजीगत स्थाई समति पर १०% लाभ प्राप्त हो सके। इस कमेटी न भाड़ वी भेजी इस प्रभार निर्धारित की।—

पहली थेली में मुरार मार्गो पर भाड़े की दर, ३२ आने से ४२ आने तक मीन, दूसरी थेली म वरानी व लाहौर तक ३२ आने से ४२ आने प्रति मीन तथा तीसरी

* “हिंदुनगर यात्रम् १६, मार्च १९६०।”

थेणी मेरुन्, टाका तथा स्टगाँव, देहली, श्रीनगर, जम्मू, गढ़वाल तथा काठियात के मार्गों पर ४२ आने से ५२ आने प्रति मील रहने का सुझाव दिया गया।

माल का माझा हर मार्ग पर यात्रियों का भाइ से सम्बन्धित होने का सुझाव रखा गया और ऐसा भी प्रस्ताव रखा गया कि अधिक से अधिक प्रति पौरुष मार्ड्डन सिताया यात्रियों के लिये का ३ प्रतिशत हो।

दाक से जाने का विश्वास या गारण माल के विश्वास से १२२% अधिक रखे का सुझाव रखा गया।

(३) सरकार महाता—समिति ने सुझाव दिया कि वायु यातायात उत्तरपि न लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देने का प्रबन्ध होना चाहिए। पढ़ते सालों “फिंच प्रया” बिसर्क अनार्गत पट्टोन पर ६ आने प्रति गीलन वी छूट में जानी थी, तो समिति ने आर्थिक सहायता का उचित रूप न समझा क्योंकि इसके अन्तर्गत एक तो हर एक पक्षनी था। चाह यह इसकी आमतज्ज्ञता में ही आशान हो, इसका लाभ मिलता था और दूसरे कम्पनियों को उनकी आमतज्ज्ञता के सहायता न मिल पाता थी और यह विचार रखा कि कम्पनी विशेष थी, उसके बाहर तथा यन्होंने जाच कर सहायता इस प्रवाह देना चाहिए कि पैकीगत समति ८० उठे ८ प्रतिशत लाभ हो सर जिलम से ३२% आमतज्ज्ञता व १२% प्रतिशत रिटर्न के लिए नियम लाभाश मिल सके।

वायु कम्पनियों को सहायता न रख में दी जाने वाली घनयात्रा, लाइसेंस गोई द्वारा जॉन कर लेने पर प्रयोग या प्रारम्भ म ही निश्चित न रह देना चाहिए जिससे प्रत्येक यमनी को यह शात हो सके कि उसको कितनी सहायता मिलेगी। इस सहायता की राहि तो किमी भी हालत म बटाया जाना जाय और यदि कम्पनी तो वोई बचत होती है तो उस पर कम्पनी जो अधिकार रहे और यदि बोइंहनि हो तो कम्पनी उसका लिए उत्तरदायी हो। समिति के विचार म ये सब उम्मात कम्पनी विशेष तो ग्रन्त यन्होंने में विनाशिता लाने के लिए प्रयत्नशील करने की दिशा म आमतज्ज्ञक बदल दे।


अन्य आर्थिक सहायता के समिति के विचार म वायु यातायात कम्पनियों को १ जनरी १९५३ तक आनंदित हो जाना चाहिए था और ऐसी दशा में इसके पश्चात् सरकारी सहायता को ग्रन्त करने का भी सुझाव था।

(४) लाभ का वितरण—कम्पनी न लाभों में से समिति के विचार म सर्वप्रथम कम्पनी की हानिपूर्ति की जाना था, फिर निश्चित प्रनिशत सचित कोप म हस्तान्तरित होना था और रोप म से लाभाश की व्यवस्था का किया जाना था, जो किंठी भी हालत म ३१% से अधिक न हो। यदि लाभाश की रकम देने के पश्चात् उक्त घनयात्रा बचती है तो उसे एक विशेष नियम हस्तान्तरित किया जाना चाहिए जो सिकात वर्षा नवीनीकरण के बाहर में आ सके।

समिति के सुझावों के अनुसार कम्पनी आपने लाभ कमाने की अवश्या में भी उस समय तक ५% से अधिक लाभाश छोपित न कर सकती थी जब तक कि उठने १ जनवरी १९५३ के बाद सरकार से प्राप्त सहायता के बराबर धनराशि आपने विशेष सन्ति कोष में हस्तान्तरित न कर दी हो।

वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण

सन् १९५३ में वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण हो गया। १ अगस्त १९५३ को वायु निगम अधिनियम (Air Corporations Act, 1953) पास हुआ। इसी महत्वपूर्ण विधि को परिवहन निगमों का उद्धारण रिया गया। पूर्व कम्पनियों को आमर्शक दतिष्ठीति दी गई।



चित्र १५. भारत में प्रमुख वायु मार्ग योजनाओं के अन्तर्गत वायु यातायात

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वायु यातायात २३ लक्ष करोड़ दरवा का प्राप्तधान किया गया था। इसमें से

७८ करोड़ रुपये ही व्यय किये जा सके। प्रत्यानित धनराशि वा आपटन इस प्रकार किया गया था कि कुल धन का ७०% निर्माण कार्य पर और रोप तानिर लाई सज्जा की विभिन्न भर्दां पर व्यय किया जाय। इस योजना में निर्माण कार्य पर ८८ अधिक व्यय किया गया था और ग्रनेक हवाई अड्डे, (मगलौर, लोमर्ह, पमलपुर, कलार्प, निलोनियाँ, शला, पांडीगाट, उत्तरी लायीमपुर, चट्टीगढ़, काशला और उदयगढ़) बनाये गये।

द्वितीय पचासवीं योजना में वायु यातायात के विषय के लिए १०% करोड़ रुपये वा आविधान किया गया था। इसमें से १६ परोड़ रुपये 'इटिम एक लाइन्स कारपोरेशन' के लिए तथा रोप 'एयर इन्डिया इन्टरनेशनल' के लिए आवधि किये गये। इस योजना के अन्तर्गत द नवीन हवाई अड्डे बनाने और बुख युगे हवाई अड्डे के नवीनीकरण की योजना है। वायु ही हवाई प्रणित्वण, अनुसृष्टि और यानिका वी सुल कुविधार्या की वृद्धि पर ध्विग्राम व्यान दिया जायगा।

वायु यातायात की वर्तमान स्थिति

सन् १९५८ म सूचित तथा अनुसृचित लाइन्स (Services) पर मारतीय यात्रा यानों ने द १४ लाइन यात्रिया तथा १,६७६ पौड़ लामान को ढोया। सन् १९४७ से सन् १९५८ तक सूचित तथा अनुसृचित लाइन्स पर वायु यातायात की निम्न प्रगति हुई—

वर्ष	मील उड़ान (हजार म)		दोपे गये यात्री (हजार में)		दोई गई वस्त्राएँ ^१ (हजार पौड़ में)	
	सूचित	अनुसृचित	सूचित	अनुसृचित	सूचित	अनुसृचित
१९४७	६,३६२	४०,५१	२५५	६२	५६,४८	२६,८४
१९५१	१,६४,६८	६६,१४	४८८	६६	८,५६,६५	१३,१६,२४
१९५६	२,२४,८१	५७,२३	४५६	११४	८,६२,३१	८,७०,८८
१९५७	२,३४,६६	५४,५८	६१५	१२६	८,५६,६१	८,८७,०३
१९५८	२,४४,८८	५६,६७	६६६	१४४	८,२६,४०	८,४२,०१
१९५९	२,४६,१३	५३,७६	७२२	१२२	७,३६,२०	७,६०,०५

प्रदन

- 1 Discuss the advantages and limitations of air transport Dept
Examine the present position of air transport in India (Allahabad 1956)
2 Write a short note on 'Air Transport' (Agra, 1956)

¹ India, 1960, p 366

² Estimated

खण्ड ६

भारतीय प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक वित्त

१. औद्योगिक अर्थ सम्बन्धन

२. कुटीर एवं लघु उद्योग

३. प्रमुख संगठित उद्योग

सूची वस्त्र उद्योग

जूट उद्योग

लौह एवं इस्पात उद्योग

बोयला उद्योग

चीनी उद्योग

सीमेट उद्योग

बाह्य साधन

- (१) व्यापारिक बैंक;
- (२) देशी बैंक;
- (३) सार्वजनिक निधेष (Public Deposits);
- (४) प्रबन्ध अभिकर्त्ता;
- (५) विशिष्ट संस्थाएँ; तथा
- (६) विदेशी पैंडी।

अगले सन् १९५८ में रिजर्व बैंक इण्डिया ने १००१ तुनी हुई परिमि
लिमिटेड कम्पनियों के पैंडी प्राप्त करने के साधनों के सम्बन्ध में विस्तृत आँकड़े प्रकाशित
किये हैं। रिजर्व बैंक इण्डिया की यह खोज सन् १९५७ के सम्बन्ध में है। इसने
पूर्व अक्टूबर सन् १९५८ में रिजर्व बैंक इण्डिया ने १९५५ और १९५६ के
सम्बन्ध में आँकड़े प्रकाशित किये थे। चर्चमान आँकड़ों का अध्ययन बरने से ज्ञान होता
है कि सन् १९५७ में मारतरपर में उद्योगों के अर्थ प्रबन्ध में आन्तरिक सूचनों की अनेक
बाह्य साधनों का अधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा। आलोच्य वर्ष में उद्योगों द्वारा प्राप्त
कुल पैंडी का ७२·४% नाय साधनों से तथा शेष २७·६% आन्तरिक साधनों से
प्राप्त हुआ।

सन् १९५७ में दुन्ह २३५·२ करोड़ रुपये की पैंडी प्राप्त हुई थी जिसमें से बाह्य
साधनों का अरु १७०·२ करोड़ रुपये था। बाह्य साधनों में भी बैंकों द्वारा प्राप्त प्रमुख
का अशु संपर्क अधिक था। यह अशु ४८·२ करोड़ रुपये अथवा कुल धन का २०५%
था। घन्तक (Mortgages) द्वारा प्राप्त धन का भी कम महत्व नहीं था। १९५६ के
दुन्हाना में यह लगभग दुगुना हो गया था। १९५७ में इस साधन द्वारा ४५·३ करोड़
रुपये प्राप्त हुए जो कुल धन के १६·२% के बराबर थे। इस साधन के अन्तर्गत ३३
करोड़ रुपये के विशेष बैंक से प्राप्त मुश्य भी सम्मिलित थे। व्यापारिक तथा अन्य देन
दारियों ३६·८ करोड़ रुपये की भी जो कुल धन के १७% के बराबर थी।

आन्तरिक साधनों के द्वारा ६४·६ करोड़ रुपये प्राप्त हुए जो कुल धन के बेवल
२७·६% के बराबर थे। इस साधन द्वारा प्राप्त धन की मात्रा इस वर्ष पिछले २ वर्षों
की अपेक्षा में काफी घट गई। १९५५ तथा ५६ में ७५·० कम्पनियों ने इस साधन द्वारा
कुल धन का अमरा: ६५% तथा ३७% धन प्राप्त किया था। आन्तरिक साधनों के
अन्तर्गत हाउ कोप (Depreciation Reserves) सुचाए प्रमुख साधन था। इच्छे
द्वारा ४६·२ करोड़ रुपये अथवा कुल धन का १६·६% भाग प्राप्त हुआ जब कि १९५६
में यह प्रतिशत बेवल १५ था। मुक्त-कोपों (Free Reserves) तथा अतिरेक
(Surplus) का अशु २० करोड़ रुपया अथवा कुल धन का ८·५% था जो कि १९५६
में १७·५% था। इस प्रकार इस वर्ष इस साधन द्वारा प्राप्त धन में कमी हुई।

१९५६ तथा १९५७ के दोनों वर्षों में कुल ४८२ करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था हुई जिसमें से यात्रा साधनों का अश ६७.५ प्रतिशत था। वैकों ऐ प्रातः नृणां का अर्थदान भी काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि वह कुल धन का लगभग २५% था। इसके पश्चात् व्यापारिक देनदारियों (Trade Dues) तथा वेचकों (Mortgages) का स्थान अतिरिक्त है जिनसे कमश्त: १६.६% तथा १३.८% पूँजी प्राप्त हुई। पूँजी बाजार कोरों का अश १०% था। १९५१-५२ में उद्योगों को कुल धन का ६०% आन्दरिक साधनों से तथा रोप ४०% यात्रा साधनों से प्राप्त हुआ। उपरोक्त विवेचन का साझीकरण निम्न तालिका से होता है—

चूनी हुई १००१ पञ्चिक लिमिटेड कम्पनियों के पूँजी प्राप्त करने
के साधन १९५६-५७^३

धन प्राप्त करने के साधन	१९५६	१९५७ (करोड़ रुपयों में)	कुल रोप
(१) चुकता पूँजी	२१.८७	२७.४६	४८.३६
(२) यात्रा	६४.७०	१०२.३२	१६७.०२
(a) वैकों से	६४.७५	४८.२२	११२.६७
(b) श्रीयोगिक वित्त निगमों से	२०.८२	३.३८	२३.११
(d) अन्य बन्धकों से	२२.६४	४५.२५	६७.८६
(e) यात्रा परों से	-१.२४	-०.८७	-१.११
(f) अन्य यात्रा	५.६३	६.३३	
(३) हाए कोप ^३	३८.३५	४६.१६	८४.५८
(४) कर कोप	११.६४	-१.२०	१०.४४
(५) पूँजी कोप	६.६८	१.८६	८.५४
(६) सामान्य तथा अन्य कोप	३८.१२	१७.६६	५६.७१
(७) व्यापारिक तथा अन्य चालू दायित्व	४३.१५	३८.८२	८२.९८
(८) विविध स्थायी दायित्व	१.६६	०.५८	२.२४
कुल योग	२५६.४७	३३५.१६	५९१.६३

५५० कम्पनियों के सम्बन्ध में।

R. B. of India Bulletin, August, 1959 p. 172.

³ कोप का अर्थ Reserve से है।

१९५७ में पूँजी प्राप्त करने न साधना का उत्तरागार अध्ययन करने पर जात होता है कि चीनी तथा कायला डायोग का छोड़कर शेष सभी उद्योगों में आर्थिकाश पूँजी बाह्य साधनों से प्राप्त की गई। गुण पञ्च उद्योग तथा चार उद्योगों में ऐसी प्राप्त करने के प्रमुख साधन बैंक द्वारा प्राप्त हैं। लौह एवं स्वाव उद्योग के लिए भी ऐसी कुण प्रदान किये गये और महत्वपूर्ण हैं। थीमेट और कायल उद्योगों को भी १९५६ की अपेक्षा इस वर्ष वक्त ये महत्व आर्थिक प्राप्त हुए। इसके निपटीत नूट उद्योग में एवं १९५७ में ऐसे द्वारा प्राप्त प्राप्त बहुत कम हैं।

लौह एवं इसात उद्योग में ये कोई द्वारा महत्वपूर्ण रहे। नवोन पूँजी का निर्गमन प्राप्त लौह एवं इसात, सामट, इआमर्यरिंग तथा रत्नामन उद्योगों में कापी अपनाया गया।

पूँजी प्राप्त करने के निमित्त साधनों का विस्तार में अध्ययन आगले शून्यों में किया गया है।

आनंदितिक साधन

४

(अ) अरपना तथा अरणपना द्वारा पूँजी प्राप्त करना

श्रीशंगिर पूँजी प्राप्त करने का सर्वोच्च साधन अरपना का निर्गमन है। अधिक से अधिक पूँजी प्राप्त करने र लैए तथा प्रयोक हवि के निमित्त करने का निर्गमन विभिन्न प्रकार र अरपनों का निर्गमन किया जाता है। उन १९५६ के पूर्ण भारतमें म प्रमहेन्ट प्राप्त तान प्रसार के अंशों (साधारण, पूर्वाधिकार तथा द्वितीय) का निर्गमन करते थे, पर तु नयान कामनी आधिनियम १९५६ के अनुसार क्षेत्र दो प्रकार र अश पर पूर्वाधिकार (Preferential) तथा सामान्य (Equity) ही निर्दित किये जा सकते हैं।

सम्पूर्ण अरपनों म साधारण अरपनों का ही प्रमुख स्थान होता है। यह साधारण अरपनों का श्रीनोगिक नित व्यवस्था की आधारितिला कहा जाय तो कोई अविद्योक्ति न होगा। साधारण प्रशों की प्रमुखता उनके ऊँचे लाभों के कारण है।

१९५७ में १००१ कमनियों द्वारा निर्दित किये गये अंश तथा अरणपन १९५६ की अपेक्षा में अधिक है। १९५६ में इनमें निर्गमन से २३ ल करोड़ ८० प्राप्त हुए थे परन्तु १९५७ में इनमें २८ ल करोड़ ८० प्राप्त हुए। १९५७ के कुल नये निर्गमनों (Issues) में साधारण अरपनों का सबसे अधिक भाग था। इस वर्ष (१९५७) साधारण अरपनों द्वारा कुल पूँजी का द४ ७% प्राप्त हुआ, जबकि निम्ने वर्ष (१९५६), मह प्रतिशत ७५.७ था यह दृढ़ पूर्वाधिकार अरपनों की लागत पर हुई है। १९५७ में पूर्वाधिकार अरपनों से कुल पूँजी का वैयक्त ११ ल% प्राप्त हुआ, जबकि १९५६ में यह प्रतिशत १८.७ था। अरणपन शेष पन ए लिए उत्तरदायी है, अपना ३५% १९५७ में और ५.७% १९५६ म।

भूत्याग्नों पर दी जाने वाली व्याज की दर ६ और ७ प्रतिशत के मध्य रही, जब कि पूर्वाधिकार अशपत्रों पर दिये जाने वाले लाभाश की दर ५ और ६ प्रतिशत (अधिकाश कर मुक) के मध्य रही।

(२) धारित लाभ अथवा आय का पृष्ठ विनियोग

कमनियाँ अधिकतर अपनी आय का एक अरण बचाकर संचय कोष में रखती हैं, जिसका प्रयोग वे कमनी की भाषी विकास-योजनाओं में करती हैं। कमनी की इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था को 'आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था' (Internal Financing) कहते हैं। इसी पद्धति को तात्त्विक रूप से 'आय का पृष्ठ विनियोग' (Ploughing Back of Earned Profits) कहते हैं।

आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था अथवा आय के पृष्ठ विनियोग का महत्व श्रीयोगिक अर्थ-प्रबन्धन में विशेष स्थान रखता है। यह पद्धति कमनी की आर्थिक सुदृढ़ता को दृष्टि से बहुत हितकर है, क्योंकि वाद्य भूमियों से विकास-योजना की पूर्ति करना प्रायः क्षेत्रिक होता है। भूमियों के व्याज से कमनी पर आर्थिक भार बढ़ता है और यदि उन भूमियों का भुगतान एकाएक माँगा गया तो कमनियों की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो जाती है। अतः जहाँ तक हो सके कमनियों को इसी पद्धति को अपनाना चाहिए।

इसी महत्व को योजना आयोग ने भी प्रथम पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत श्रीयोगिक विकास की योजना बनाते समय खोकार दिया था। प्रथम योजना के निची देश पर होने वाले सम्पूर्ण व्यव (६१३ करोड़ रुपये) में से २०० करोड़ ८० (लगभग १२·६%) कमनी की बचतों (Savings) से प्राप्त करने का अनुमान लगाया गया था। इस पद्धति का महत्व सरार के अन्य श्रीयोगिक देशों में भी कम नहीं है। इगलैंड में १६·४ तक अधिकतर श्रीयोगिक कमनियाँ अपनी पूँजी आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था से ही प्राप्त करती थीं। अमेरिका में इसका महत्व और भी अधिक है। उदाहरणार्थ अमेरिका में 'फोई मोटर कमनी' प्रारम्भ में १८ हजार डालर के विनियोग से स्थापित की गई थी, परन्तु इसकी पूँजी इस समय १ अरब डालर से भी अधिक है। यह सम्पूर्ण पूँजी आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था से द्वारा ही एकत्र की गई है।

रिजर्व बैंक अर्डिडिया की लोज के अनुदार पिछले तुङ्के वर्षों से आन्तरिक साधनों का महत्व कम हो गया है। १९५७ में आन्तरिक साधनों द्वारा ६४·८ करोड़ रुपये प्राप्त किये गये जो कुल प्राप्त धन के २७·६% थे। १९५६ तथा १९५५ में यह प्रतिशत कमशः ३७ तथा ५६ था।

(३) ढास कोष

श्रीयोगिक कमनियाँ आन्तरिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए हाथ कोष की व्यवस्था करती हैं। इस कोष में से मर्यादा एवं संयन्त्रों की मरम्मत तथा

पुनर्स्थापन की व्यवस्था की जाती है। हास कोष की व्यवस्था के अनुसार कम्पनी को किसी एक वर्ष में अत्यधिक आर्थिक साधन नहीं जुटाने पड़ते। दूसरे शब्दों में विकास एवं पुनरोद्धार का कार्य सामान्य गति से चलता रहता है।

'रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया' की सोजे के अनुसार पिछले कुछ वर्षों से हास की द्वारा अर्थ प्रबन्धन का महत्व बढ़ता जा रहा है। उदाहरणार्थ १९५७ में इस सोते के द्वारा ४६.२ करोड़ रुपये प्राप्त हुए जो कि कुल धन का १६.६% था। इसके विपरीत १९५६ में यह प्रतिशत, केवल १५% था। उद्योगवार अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि हास कोष द्वारा अर्थ प्रबन्धन खट्टी बढ़, लौह एवं इस्तात, इंजीनियरिंग (अलौह घाउंड) चीनी, सीमेंट, खनिज तेल, जहाज निर्माण, कागज तथा विद्युत उद्योग में अधिक मन्दिर या।

वाह्य साधन

जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि सन् १९५७ में भारतवार्ष में उद्योगों के अर्थनी में वाह्य साधनों का अधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा। आलोच्य वर्ष में कुल २३५.२ करोड़ रुपये की पूँजी प्राप्त हुई थी जिसमें वाह्य साधनों का अश १७०.२ करोड़ रुपये था। यह कुल प्राप्त धन का ७२.४% था। वाह्य साधनों के अन्तर्गत अनेक उपसाधन आते हैं जिनका संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है—

(४) व्यापारिक बैंक

भारतीय उद्योगों की अर्थ-व्यवस्था में व्यापारिक बैंकों का कोई विशेष महत्व नहीं है। व्यापारिक बैंक केवल व्यापारिक कानों के लिए अल्पकालीन ऋण सुविधाएँ देते हैं तथा दीर्घ कालीन औद्योगिक ऋण देना व्यापार की दृष्टि से अनुचित समझते हैं। ऑफ समिति (१९५२) ने भी अपनी रिपोर्ट में बतलाया है कि व्यापारिक बैंक उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण उचित मात्रा में नहीं देते हैं। जो कुछ भी अल्पकालीन ऋण इनके द्वारा प्राप्त किये जाते हैं वे भी कुछ विशेष शर्तों पर दिये जाते हैं। उदाहरणार्थ, एक तो ये जिना प्रतिभूति (Security) के ऋण नहीं देते हैं और दूसरे कम से कम ३०% अन्तर अपने पक्ष में रखते हैं।

रिजर्व बैंक की सोजे के अनुसार पिछले कुछ वर्षों से बैंकों द्वारा प्रदान किये गये ऋण का महत्व बढ़ने लगा है। सन् १९५७ में इस साधन के द्वारा ४८.२ करोड़ रुपये (कुल धन का २०.५%) प्राप्त हुए थे। १९५६ और १९५७ दोनों वर्षों में इछ साधन के द्वारा कुल प्राप्त पूँजी का २५% भाग प्राप्त हुआ।

उद्योगवार अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि पूँजी प्राप्त करने के साधनों में व्यापारिक बैंकों का स्थान कुछ विशिष्ट उद्योगों जैसे, खट्टी बल, चाय बागान, लौह एवं इस्तात, सीमेंट तथा कागज में उल्लेखनीय रहा।

(५) देशी बैंक

आधुनिक टग की बड़ी-बड़ी बैंकों के होते हुए भी हमारी प्राचीन बैंकिंग पद्धति अब भी काफ़ी प्रचलित है और श्रौद्धोगिक अर्थ प्रबन्ध में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। पिछले कुछ वर्षों में कोयले, तेल, चमड़े, तथा चावल की मिलों ने देशी बैंकों से बहुत अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त की है। सकट के समय में कुछ अन्य कम्पनियों ने भी जो कि अत्यन्त धन के अभाव में थीं, देशी बैंकों से मृश प्राप्त किये हैं। कभी कभी इन बैंकों से मृश इसलिए मालिए गये हैं जिससे वैधानिक उपचार, जोखिम, तथा विशापन इत्यादि करने का भर्फट न करना पड़े।

* द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् देशी बैंकों का महत्व बहुत बढ़ हो गया है, परन्तु छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए इनकी महत्ता लगभग यथावत् है। सहकारी समितियों तथा आधुनिक बैंकिंग के प्रवार के कारण इनका भविष्य अधिक उच्चल नहीं रहा है।

(६) सार्वजनिक निवेप (Public Deposits)

सार्वजनिक निवेपों का स्थान श्रौद्धोगिक अर्थ प्रबन्ध में कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह प्रथा बम्बई और अहमदाबाद की स्तरीय मिलों में काफ़ी प्रचलित है। अहमदाबाद में इसका महत्व और भी अधिक है। बम्बई और अहमदाबाद के नागरिकों की यह अदात है कि वे अपने धन को बैंकों में जमा करने की अपेक्षा मिल मालिकों के पास जमा करना अधिक पसंद करते हैं। इस प्रकार इन प्रदेशों के श्रौद्धोगिक सार्थ अपनी कार्यशील पूँजी का एक बहुत बड़ा भाग सार्वजनिक निवेपों से प्राप्त करते हैं।

* भारतीय बैंकिंग बौच समिति (१९३१) ने अपनी रिपोर्ट में कहताया है कि सार्वजनिक निवेप की प्रथा बम्बई की अपेक्षा अहमदाबाद में अधिक प्रचलित है। पिछले कुछ वर्षों से अहमदाबाद में दीर्घकालीन निवेप जो ५ वर्ष से ७ वर्ष के लिए प्राप्त किए जाते हैं, अधिक प्रचलित हो गये हैं और अधिक से अधिक मिलों का दीर्घकालीन अर्थ प्रबन्ध इन्हीं निवेपों के द्वारा होता है। विभिन्न मिलों में निवेप पर ब्याज की दर विभिन्न होती है। साधारणतया यह दर ५१% से ६१% होती है।

(८) प्रबन्ध-अभिकर्ता—श्रौद्धोगिक अर्थ प्रबन्धन में प्रबन्ध अभिकर्ताओं का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। मिस्कल-कमीशन (१९४८ ५०) ने प्रवित्रन्ध-अभिकर्ताओं का महत्व स्वीकार करते हुए लिखा है कि “श्रौद्धोगिकरण के प्रारम्भिक दिनों में जब कि न तो साहस और न पूँजी ही प्राप्त थे प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने दोनों ही को प्रदान किया।”

प्रबन्ध अभिकर्ता लोग नवीन व वर्तमान श्रीदेविक संस्थाओं को निम्न प्रकार में आर्थिक सहायता देने हैं—०

- (१) निजी संधारणा से,
- (२) जन निवेशों (Public-Deposits) को स्थीकार करने,
- (३) ग्रृह व अप्रिम की गारंटी देकर,
- (४) रिनियोला (Investing) कमनी का कार्य करने,
- (५) धन का अन्तर्विनियोग करने,
- (६) कमनिया में आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करने,
- (७) निदेशी पैकीजिंग से समझौते स्थापित करने।

(८) राज्य तथा अर्थ प्रबन्धन (The State and the Industrial Finance)

जर्मनी, जागन, अमेरिका तथा यूरोप में सरकार ने श्रीदेविक प्रित प्रदान करने में महत्वपूर्ण कार्य किया है। भारतर्प म सरकार ने श्रीदेविक इकाई की किसी प्रकार भी सहायता न की क्योंकि 'इतन्न व्यापारिक नीति' (Laissez faire) को भली मांति अपनाया जा रहा था। इसका मुख्य कारण इगलैंड की स्वार्थपूर्ण नीति थी। इगलैंड ने सदूँ से यही प्रत्यन लिया है कि मारत केवल कच्चे माल का निर्यात कर्त्ता तथा निर्मित माल का ग्रायानक्ता न रुक म रहे जिससे इगलैंड के कारखानों को कच्चा माल प्राप्त हता रहे और उसके द्वारा निर्मित माल की खरत होती रहे। भारत की श्रीदेविक नीति भा ऐसा बनाई गई थी जिससे अपेक्षी उद्योग धनों की ही उत्तरति हो। इस प्रकार अन्य देश अपने उद्योग-वन्धुओं की उत्तरति करते रहे श्री भारतीय सरकार सन् १९१४ तक काई कदम न उठा सकी।

१९१४ में विश्वयुद्ध आरम्भ हो जाने के कारण सरकार को अमनी नीति लेने कुछ परिवर्तन करना पड़ा। १९१६ के श्रीदेविक कमीशन ने मुफ्तान दिया कि सरकार को श्रीदेविक अर्थ प्रबन्धन म एक निश्चित माग लेना चाहिए। श्रीदेविक कमीशन के मुफ्तान का प्रान्तीय सरकार ने स्थीकार करते हुए कुछ अधिनियम बनाये। सर्वप्रथम १९२२ में मद्रास सरकार ने अधिनियम बनाया और तत्पश्चान् बम्बई, मिहार, उडीसा तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों ने भी अधिनियम बनाये। इन अधिनियमों के अनुसार श्रीदेविक व्यवसायों को प्रयास आर्थिक सहायता दी गई परन्तु फल सन्तोषजनक न रहे।

१९२६ में नियुक्त बैन्ड्रीय बैंकिंग बौन्च समिति ने प्रान्तीय श्रीदेविक निगम (Provincial Industrial Corporations) को उद्योगों को आर्थिक सहायता

प्रिस्तुत अध्ययन के लिए देखिये 'भारतीय उद्योगों का समाजन एवं प्रबन्ध'—प्रो॰ अष्टाना एवं डा॰ निगम।

देने के हेतु स्थापित करने की सिसारिश की। परन्तु अमानवश मारतीय सरकार ने द्वितीय महायुद्ध तक कोई कदम न उठाया।

द्वितीय महायुद्धोंपरात् औद्योगिक अर्थ प्रबन्धन की समस्या अधोलिखित काणों से—और अधिक महत्वपूर्ण एवं गम्भीर हो गई—

- (१) युद्धकालीन उद्योगों का शान्तिकालीन दशा में परिवर्तन,
- (२) उद्योगों में नियोजित सशीलनी तथा प्लान्ट का नयीनीकरण,
- (३) वर्तमान औद्योगिक इकाइयों का विस्तार एवं अभिनवीकरण, तथा
- (४) योजनात्मक ढग से नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार ने इस ओर काफ़ी ध्यान दिया और उस समय से अब तक उद्योग धन्वा का सहायता देने के लिए अधोलिखित संस्थाएँ स्थापित हो चुकी हैं—

- (१) औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation)
 - (२) राज्य वित्त निगम (State Financial Corporation)
 - (३) औद्योगिक साल तथा विनियोग निगम (Industrial Credit & Investment Corporation Private Ltd.)
 - (४) राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम (National Industrial Development Corporation Private Ltd.)
 - (५) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (National Small Industries Corporation Private Ltd.)
 - (६) अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation)
 - (७) पुनर अर्थ प्रबन्धन निगम (Refinance Corporation)
- इन सब निगमों का सविस्तार अध्ययन आगे पृष्ठों में किया गया है।

(१) औद्योगिक वित्त निगम

(Industrial Finance Corporation of India)

भारतीय श्रीद्योगिक सार्थों (Concerns) को पध्यकालीन तथा दीर्घकालीन साल सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना १ जुलाई १९४८ को ही गई। इसका उमारेश (Industrial Finance Corporation Act 1948 (I.F.C. 1948) में है।

निगम की स्थापना की पृष्ठभूमि

सन् १९४८ में मात्स्यीय सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति के लेल में यह इगम। किया था कि औद्योगिक विनियोग निगम (Industrial Investment

Corporation) की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। बाद में इस पर विचार विमर्श हेतु वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के परामर्श माँगा। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने एक विशेष नमाया जिसमें औद्योगिक इकाइयों को मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन साव सुविधाएँ प्रदान करने के लिए औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation) की स्थापना के लिए मुमाल दिया। यह विन सर्वप्रथम विवात समा में १९४६ के उच्च अधिवेशन में सर आर्चबल्ड रॉलैंड्स (Sir Archibald Rowlands) के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला था, परन्तु अन्य विधान समझदारी कांगों की अप्रिक्ता के कारण यह सम्बन्ध न हो सका। बाद में श्री आर० के० सन्मुखम् चंटी ने कुछ संशोधन करके इसकी प्रत्यक्षता की। परिणामतः ७ मार्च १९४८ को गवर्नर जनरल की समनी मी प्राप्त हो गई और यह अधिनियम (Act) के रूप में १ जुलाई सन् १९४८ से औद्योगिक सम्बन्ध के अन्दर चलने में आ गया।

निगम के आधिक साधन

(अ) पैंडी—औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना १० करोड़ रुपये की अधिकृत पैंडी रुपये की गई जा कि ५ हजार रुपये र २० हजार अरशा में विभाजित है। इस समय ५ करोड़ रुपये के मूल्य के बजल १० हजार अरशा का निर्गमन किया गया है और शेष अरशा का निर्गमन समय समय पर वेन्ट्रीय सरकार द्वारा किया जायगा। अरशों की मूल राशि तथा २५% लाभाश की गारंटी वेन्ट्रीय सरकार ने दी है।

निर्गमित अरशों का क्रय वेन्ट्रीय सरकार, रिजर्व बैंक, अनुसूचित बैंक, बीमा कमनियों, विनियोग करने वाले द्रष्टों तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं एवं उहकारी बैंकों द्वारा किया गया है। प्रारम्भ में इन संस्थाओं को एक निश्चित अनुपात में अरशों का आवृटन (Allotment) किया गया था, परन्तु आलान्तर में इस आवृटन संख्या में कुछ परिवर्तन हो गया है। इसका सष्टीकरण अप्रत्यक्षता के आधार पर किया जा सकता है—

३० जून १९५६ की स्थिति का व्यौहा

क्रमांक	संस्थाएँ	पूँजी निर्धारित अर्थों की संख्या	बय किये गई अर्थों की संख्या ¹	घन राशि (रुपये)
(१)	वेन्ट्रीय सरकार	२,०००	२,०००	१,००,००,०००
(२)	रिजर्व बैंक आफ इण्डिया	२,०००	२,०५५	१,०२,७०,०००
(३)	शत्रुघ्नित बैंक	२,५००	२,४०५	१,२०,८५,०००
(४)	बीमा इमनीज, विनियोग ट्रस्ट तथा अन्य वित्त संस्थाएँ	२,५००	२,५६८	१,२६,८०,०००
(५)	सहकारी संस्थाएँ	१,०००	९४३	४७,१५,०००
	योग	१०,०००	१०,०००	५,००,००,०००

निगम ने अर्थों के पुनर्मुग्धतान की तथा २५% वार्षिक लामाश की गारंटी वेन्ट्रीय सरकार के द्वारा दी गई है। अधिकतम लामाश देने की दर ५% निर्धारित की गई है, परन्तु इस दर से लामाश टसी अवस्था में दिया जा सकता है जबकि कारपोरेशन का सचित कोप (Reserve Fund) त्रुक्ता पूँजी के बराबर हो गया हो और वेन्ट्रीय सरकार द्वारा गारंटी के अन्तर्गत दी गई घन राशि त्रुक्ता दी गई हो। कालावर में जब कि सचित कोर त्रुक्ता पूँजी के बराबर हो जाय, और ५% लामाश देने के पश्चात् भी यदि कुछ अतिरिक्त बचता है तो वह द्विय सरकार को दे दिया जायगा।

(ब) शृण पत्र पूँजी (Debenture Capital)—कारपोरेशन शृणपत्रों का निर्गमन करने तथा बन्धों (Bonds) का विकल्प करने कार्यशील पूँजी प्राप्त कर सकता है। परन्तु शृण पत्रों, बन्धों (Bonds) तथा अन्य इसी प्रकार से प्राप्त की हुई पूँजी, कारपोरेशन की त्रुक्ता पूँजी तथा सचित कोप (Reserve Fund) के पांच गुने से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(स) रिजर्व बैंक से शृण—धारा २७ (३) (अ) के अन्तर्गत कारपोरेशन वेन्ट्रीय तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के विस्तर रिजर्व बैंक से ६० दिन की अवधि के लिए घन उधार ले सकती है। धारा २१ (३) (ब) के अन्तर्गत कारपोरेशन अपने शृणपत्रों की मनिभूति के आधार पर अधिक से अधिक ३ करोड़ रुपये का घन १८ माह की अवधि से लिए उधार ले सकता है।

(द) जमा (Deposits)—कारपोरेशन जमता से कम से कम ५ वर्ष के लिए तथा अधिक से अधिक १० करोड़ रुपये की घनराशि तक जमा (Deposits) स्थीकार कर सकता है।

(३) विदेशी मुद्रा में ऋण—१९५२ के संशोधित अधिनियम (Amendment Act) के अनुसार कारपोरेशन विश्व बैंक (I B R.D.) से विदेशी मुद्रा में ऋण ले सकता है, और भारतीय सरकार ऐसे ऋणों पर गारन्टी देगी। १९५२ में विश्व बैंक से ८ मि० डालर के ऋण लेने का प्रस्ताव रखा गया था, परन्तु इसे लोट में वापस ले लिया गया।

(४) केन्द्रीय सरकार से ऋण—१९५२ के संशोधित अधिनियम की घारा २१ (४) के अनुसार निगम एन्ड्राय सरकार से ऋण लेने का अधिकारी है। १९५६ तक कारपोरेशन ने इस प्रकार का कोई भी ऋण नहीं लिया है। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने द्वितीय योजना काल में निगम को १५ करोड़ रुपये का ऋण देने की व्यवस्था की है।

कारपोरेशन की आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए एक विशेष सचिव कोष स्थापित किया गया है। इस कोष में केन्द्रीय सरकार, तथा रिजर्व बैंक के अर्थों पर शास्त्र होने वाले सभ्यर्थ लामाशु उस रुपये तक जमा किये जावेंगे, जब तक कि इसकी राशि ५० लाख रुपये न हो जाय।

१ का प्रबन्ध (Administration of the Corporation)

ओद्योगिक अर्थ प्रबन्धन निगम संशोधित अधिनियम (I F.C. Amendment Act) १९५५ के अनुरूप १८ दिसम्बर १९५५ से निगम के प्रबन्ध में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। इस विधि से पूर्व अधिनियम की घारा १० के अनुसार निगम का प्रबन्ध एक सचालक समिति (Board of Directors) द्वारा होता था जिसकी सहायता के लिए एक शासकीय समिति (Executive Committee) भी थी। इसके अतिरिक्त एक प्रबन्ध सचालक भी होता था, जिसे निगम की ओर से प्रबन्ध सम्बन्धी पूर्ण अधिकार तथा शक्तियाँ दी जाती थीं।

अब ओद्योगिक अर्थ निगम (I F C) का प्रबन्ध एक पूर्णकालीन दृच्छा पाने वाले (Full Time Subsidiary), चेयरमैन के द्वारा होता है जिसकी सहायता के लिए एक 'बनरल मैनेजर' भी होता है। नयीन 'चेयरमैन' तथा 'बनरल मैनेजर' की नियुक्ति 'आनंदेरी चेयरमैन' तथा प्रबन्ध सचालक के रथान पर की गई है। नवीन दृच्छा पाने वाले चेयरमैन की नियुक्ति द्वितीय सरकार निगम की सचालक दमा की सलाह से तीन वर्ष के लिए करती है।

निगम के कार्य (Functions of the Corporation)

ओद्योगिक वित्त निगम अधिनियम १९४८ (I.F.C. Act 1948) की घारा २३ के अनुसार निगम अधोलिपित कार्य कर सकता है—

(१) ओद्योगिक संस्थाओं के ऋणों पर बिधे डाहने सार्वजनिक बाजार से लिया है और जिसके भुगतान की अवधि अधिक से अधिक २५ वर्ष है, गारन्टी दे सकता है।

(२) श्रीयोगिक संस्थाओं द्वारा निर्गमित स्टाक, अश पश (Shares), बन्ध (Bonds) या शृणु पत्रों का अभिगोपन करना, यदि इन प्रतिभूतियों (Securities) का विप्रवाय सात वर्ष के आदर जनता को कर दिया जाता है।

(३) श्रीयोगिक संस्थाओं को अधिक से अधिक २५ वर्ष की अवधि के लिए शृणु अथवा अग्रिम (Advance) देना तथा उनके द्वारा निर्गमित शृणुपत्रों, जिनकी अवधि २५ वर्ष से अधिक नहीं है, क्रय करना।

नियेथ कार्य

निगम निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकता है—

(१) अधिनियम की शर्तों के विस्तृत जमा (Deposits) स्वीकार करना।

(२) किसी भी सीमित दार्यात्व वाली कम्पनी के अशों अथवा स्टाक को प्रत्यक्ष रूप से क्रय करना।

(३) ७ वर्ष की अवधि से अधिक के पत्रों अथवा शृणु पत्रों का अभिगोपन करना।

(४) १ करोड़ रुपये से अधिक का शृणु देना।

निगम की कार्य-विधि

श्रीयोगिक वित्त निगम किसी भी उद्योग को शृणु देने से पहले, शृणु लेने वाली कम्पनी से निर्मित किये जाने वाले माल की प्रकृति, कारणाने की स्थिति का स्थापन (Location), भूमि पर अधिकार, भग्न, विद्युत शक्ति की उपलब्धता, टेक्नीकल स्टाक, बाजार की स्थिति, उत्पादन की अनुमति लागत, मर्शनों की किसी, दी जाने वाली प्रतिभूति का मूल्य, सहायता लेने का उद्देश्य तथा लाभ बमाने व शृणु चुकाने की चमता इत्यादि के बारे में विस्तृत ज्ञाना प्राप्त कर लेता है।

इसके बाद निगम के अधिकारियों द्वारा शृणु लेने वाली कम्पनी का निरीक्षण कराया जाता है। पदाधिकारी निगम को कम्पनी की लेहा पुस्तकों (Accounts Books), सम्पत्ति की वास्तविक स्थिति, प्रबन्ध की कार्यक्रमता, कच्चे माल की उपलब्धता तथा निर्मित माल के बाजार की स्थिति के गरे में गूचना देते हैं। श्रीयोगिक कम्पनियां अपने शुश्लेषिक पदाधिकारियों को इस सम्बन्ध में वार्तालाप करने के लिए मेज सज्जी हैं।

निगम शृणु लेने वाली कम्पनियों से साप्तिक (periodical) रिपोर्ट लेता है। इसके अतिरिक्त वह उन कम्पनियों का समय समय पर निरीक्षण भी इस उद्देश्य से करता रहता है जिससे यद शृण्या के उद्दरपोग करने, बस्तुओं के निर्माण की लागत को कम करने, तथा उनकी किसी में मुधार करने की चेता करते रहें। फिर विभिन्न मार्कीय सरकार के मन्त्रालयों (Ministries) तथा

चाइनिपिक एएड इण्डस्ट्रियल रिसर्च' के सहयोग, सलाह तथा सहायता से कार्य करेगा।

मूल देते समय निगम निम्न बातों (considerations) को ध्यान में रखता है—

- (१) उद्योग का राष्ट्रीय महत्व;
- (२) उसके द्वारा निर्मित वस्तुओं की देश में माँग,
- (३) तात्रिक व्यक्तियों एवं कच्चे माल की उपलब्धता;
- (४) प्रभाव की योग्यता;
- (५) दी गई प्रतिभूति की प्रदृष्टि,
- (६) निर्मित वस्तुओं के गुण (quality); तथा
- (७) प्रस्तावित योजना की सम्भावना तथा लागत।

निगम द्वारा की गई कियाओं का व्योरा

३० जून, १९५८ को निगम ने आमनी १०वीं वर्षगांठ पूरी की। इस बीच निगम ने विभिन्न साथों से ६२३ आवेदन पत्र प्राप्त किये जो कि १२४ करोड़ रुपये की घनतारी के लिए थे। इन आवेदन पत्रों में से २८१ आवेदन पत्र जो कि ६३ करोड़ रुपये की घन राशि के लिए थे, स्वीकृत कर लिये गये थे और २१६ आवेदन पत्र जो कि २४.५ करोड़ रुपये के लिए थे, स्वीकृत कर दिये गये।

३० जून १९५८ तक निगम में ६२६ करोड़ रुपये के कुल मूल मूल १८५.८८ नियों को स्वीकृत किये थे और जिनमें से कुल १४.८४ करोड़ रुपये वास्तव में वितरित कर दिये गये। इसका स्पष्टीकरण निम्न तालिका से होता है—

(करोड़ रुपयों में)

	मूल की मुल स्वीकृत घन राशि	वास्तव में दी गई घन राशि
३० जून	१६५६	३.४२
"	१६५०	७.१६
"	१६५१	६.७८
"	१६५२	१४.०३
"	१६५३	१५.४७
"	१६५४	२०.७४
"	१६५५	२८.०८
"	१६५६	४३.२१
"	१६५७	५५.१२
"	१६५८	६२.८

ब्याज की दर

निगम (J. F. C.) की स्थापना की तिथि से फरवरी १९५२ तक निगम द्वारा दिये जाने वाले शृण पर ब्याज की दर ५२% रही। मूलधन (Principal) की किस्त देखे ब्याज की राशि निश्चित तिथि (Due Date) पर प्राप्त हो जाने पर २% की छूट (Rebate) भी दी जाती है। इस प्रकार शुद्ध (Net) ब्याज की दर ५ प्रतिशत ही थी। शृणों द्वारा प्राप्त धन की लागत बढ़ जाने के कारण निगम को १९५२ और १९५३ में ब्याज की दर कमश. ६% तथा ६२% करनी पड़ी, परन्तु छूट की दर यथावत् अर्थात् २ प्रतिशत ही रही। धन एकनित करने की लागत में पुनर्द्वितीय हो जाने के कारण २३ अप्रैल १९५७ से ब्याज की दर ७% कर दी गई। छूट की दर पूर्ववत् ही रही। १९५७ से तक ब्याज की दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

लाभ

१९५७-५८ (३० जून १९५८) में निगम (Corporation) को १५५ करोड़ रुपये का कुल लाभ (Gross Profit) हुआ जब कि रिक्वेल वर्षे के बल ४३०६ लाख रुपये का ही कुल लाभ हुआ। १९५७-५८ में प्रशासन सम्बन्धी व्यय कुल लाभ का ६ प्रतिशत था। इस वर्षे शुद्ध लाभ (Net Profit) २८ २० लाख रुपये हुआ जो कि पिछले सब वर्षों से अधिक था।

१९५८-५९ में आर्योगिक अर्थ प्रबन्धन निगम (I F C) के द्वारा दिये गये शृण एवं अप्रिमों (Loans & Advances) में पिछले वर्ष की अपेक्षा में ४६१ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। जून १९५८ में अदत्त (Outstanding) धन राशि ३३ ३५ करोड़ रुपये थी। निगम ने पैंचवीं वस्तुओं (Capital Goods) वे अप्सात के लिए स्थगित भुगतानों (Deferred Payments) से समन्वित पाँच योजनाओं के लिए गारन्टी दी, और १६० करोड़ रुपये के परिपर्तनशील शृणपत्र निर्गमन का अभियोपन दो अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ किया। इसके अतिरिक्त एक ३७ ५ लाख २० सचयी भुगतान योग्य पूर्वाधिकारी अशपत्र निर्गमन का भी अभियोपन किया। निगम ने नवम्बर १९५८ में ४३८ करोड़ रुपये के '४२ प्रतिशत बांद्रस १६६८' का निर्गमन करके अपने वित्तीय साधनों में वृद्धि की। इस प्रकार जून १९५८ तक कुल अदत्त (Outstanding) बांद्रस १६७५ करोड़ रुपये के थे। इसी वर्षे भारत सरकार ने P L 480 Funds में से निगम को १० करोड़ रुपये शृण के रूप में दिये। आर्योगिक अर्थ प्रबन्धन निगम की आलोचनाएँ

बिस समय लोक समा में आर्योगिक अर्थ प्रबन्धन निगम (सशोधन) विवेयक १९५२ तथा आर्योगिक एवं यान्य अर्थ प्रबन्धन निगमों (सशोधन) विवेयक १९५५ पर वहस हो रही थी, उन निगम की कठोर आलोचना की गई। लोक समा के सदस्यों

तथा अन्य लोगों ने जो आलोचनाएँ की और दोष लगाये उनका सद्विष्ट न्यौता इह प्रकार है—

(१) निगम प्रमणहलों को भ्रष्ट देते समय पक्षपाल व मेद-माप की मावना रखता है, अर्थात् निगम केवल उन्हीं संस्थाओं को भ्रष्ट स्वीकृत करता या जिसमें उन्हें सचालक या अन्य पदाधिकारी हित रखते हों।

(२) निगम पूर्णतया सरकार वे स्वामिल एवं नियन्त्रण में न होने के कारण एक यह व्यवसाय के रैकेट (Big Business Racket) की माँति कार्य कर रहा है जिससे कुछ व्यापारिक महारथियों की चतुरता सभूर्ण देश की आर्थिक स्थिति को आत्म अधिकार में ले चुकी है।

(३) निगम उन प्रान्तों या ज़ोनों में, जो अपेक्षाकृत कम विकसित हैं, श्रीधोगिक उद्योग धन्ये स्थापित करने में असफल रहा है।

(४) निगम ने सुम्प्तिव वह ऐमाने के उद्योगों की और अधिक व्याप दिया है और लघु तथा मध्य स्तर के उद्योगों की उपेक्षा की है। इससे देश की आर्थिक उन्नीं बाधा पहुँची है।

(५) निगम ने ऐसी श्रीधोगिक इकाइयों को भ्रष्ट दिये हैं जो पन्चराष्ट्रीय योजना के कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आती हैं। निगम ने आषारभूत तथा पूँजीगत वस्तुओं के उद्योगों को गठुन कम सहायता दी है जब कि उपमोक्षा वस्तुओं के उद्योगों के पर्याप्त सहायता दी है।

(६) निगम भ्रष्ट लेने वाली कम्पनियों के द्वाय व्यय की जाने वाली राशि की देखरेख करने में असफल रहा है जिससे वस्तुओं के उत्पादन तथा उत्पादन शक्ति (Installed Capacity) में फोड़ बढ़ि नहीं हुई।

(७) निगम कम्पनियों को सामान्य पूँजी नहीं प्रदान करता और उनके अर्थ संस्थाओं का मुँह ताज़ा फ़हता है।

(८) निगम न ऐसी कम्पनियों को भी भ्रष्ट दिया है जो खूब लाप तक रही थीं तथा अपनी खातिवे कारण सुदूर बाजार से भ्रष्ट प्राप्त कर सकती थीं।

(९) यह भी कहा गया है कि निगम अपने स्थापन व्यय (Establishment Expenses) तथा अन्य व्ययों में मिन्यायिता नहीं कर सका है।

इन दोषों तथा आलोचनाओं के आधार पर निगम की क्रियाओं का परिवर्त्य करने के लिए मार्तीय सरकार ने दिल्लीपर, १९५२ में एक समिति श्रीमती सुचेत इपलानी, प्रमो पी० की अध्यक्षता में नियुक्त की। इस समिति के अन्य सदस्य थीं चौ० गार्डी, श्री श्रीनारायण मेहता, थी पा० नारियलपाला, श्री आर० दर्जनारायण राम, तथा थी जी० कामु थे। इस समिति को भिन्न जातों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट देनी थी—

(१) लोक सभा में श्रीद्योगिक अर्थ प्रबन्धन निगम (दशोधन) विधेयक पर चहस के समय निगम के द्वारा दिये गये श्रृणो पर लगाये गये दोप (पद्मपात) की छान-चीन करना।

(२) यह पता लगाना कि श्रृण देते समय साधारण रूप से उचित सायधानी रखी जाती है अथवा नहीं।

(३) निगम की श्रृण देने की नीति को इस विचार से देखना कि वह निगम के अधिनियम के उद्देश्यों तथा सरकार द्वारा निर्गमित आदेशों का पालन करती है अथवा नहीं।

(४) निगम की क्रियाओं में सुधार करने के लिए उचित सुझाव देना।

समिति के सुझाव

श्रीमती सुचेता वृपलानी समिति ने अपनी रिपोर्ट ७ मई, १९५३ को प्रस्तुत की। इस समिति ने बहुत से साधारण सुझाव दिये तथा 'सोदेपुर ग्लास वर्क्स' (Sodepur Glass Works) को दिये गये श्रृण के बारे में भी विस्तारपूर्वक रिपोर्ट दी।^५

जहाँ तक प्रथम दोप का सम्बन्ध है समिति की राय में यह आधार रहित है। समिति ने यह अवश्य स्वीकार किया है कि ऐसे उद्योगों, जिनमें निगम के सचालक या अध्यक्ष तनिक भी हित रखते थे, उनको श्रृण सुगमता वा शीघ्रता से मिल गया है। समिति ने यह भी स्वीकार किया है कि निगम श्रृण देते समय सुस्थापित य खातिप्राप्त उद्योगों को अन्य उद्योगों की अपेक्षा प्राथमिकता देता है। समिति ने किस आधार पर ऐसा निर्णय दिया, रिपोर्ट में नहीं बताया गया है कि भी भारतीय सरकार ने इस समिति की रिपोर्ट की विवेचना करते हुए कहा है कि "समिति ने जो कुछ भी रिपोर्ट दी है, सही तर्फ़ पर आधारित है।"

आँफ समिति के सुझाव

जिर्व बैंक आफ इरिडया द्वारा नियुक्त आफ कमेटी ने निजी चेत्र को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से श्रीद्योगिक अर्थ प्रबन्धन निगम की क्रियाओं का पर्यवेक्षण भी किया। समिति ने इस सम्बन्ध में निम्न दोप व सुझाव प्रेषित किये—

(१) श्रृणों की स्वीकृति में विलम्ब—समिति ने देखा कि १३० निगम द्वारा स्वीकृत भागों में से २६ एक महीने में, २६ दो महीने में और २४ दो महीने में स्वीकृत किये गये। विलम्ब का कारण आवेदन पत्रों में वैधानिक उपचारों की कमी थी।

^१ इस दोप को दूर करने के लिए समिति ने सुझाव दिया कि मुख्य शहरों में वैधानिक परामर्शदाताओं का दल रखा जाय।

^५ विलम्ब अव्ययन के लिए देलिए 'भारतीय उद्योगों का सम्बन्ध एवं प्रबन्ध —अष्टाना एवं निगम।'

(२) प्रहण देने की शर्त—निगम भी प्रहण देने की शर्ते बहुत ही अनावश्यक हैं। उदाहरणार्थ निगम ५०% का मार्जिन रखने के अतिरिक्त उस कमनी के प्रबन्ध अधिकारियों की प्रत्याभूति पर भी जोर देते हैं। समिति ने मुकाबल दिया कि निगम को प्रहण देने वाली कमनी की गुणवत्ता के आधार पर प्रहण देना। चाहिए, प्रबन्ध आमतौर पर प्रत्याभूति पर नहीं।

(३) अधिक व्याज दर—निगम प्रहण लेने वाली कमनियों से जो न्याज लेता है वह अपदाहृत बहुत अधिक है। यह व्याज की कँची दर नवनिर्मित श्रौद्धोगिक कमनियों के विकास में बाधा ढाल सकती है। समिति के विचार में निगम को नवन कमनियों के प्रारम्भिक काल में नीची दर से व्याज लगाना चाहिए और बाद में कमनी की लाभोपार्जन शक्ति बढ़ने पर व्याज की दर बढ़ाई जा सकती है।

(२) राज्य अर्थ-प्रबन्धन निगम

(State Financial Corporation)

श्रौद्धोगिक अर्थ प्रबन्धन निगम की स्थापना के समय केन्द्रीय सरकार ने यहाँ के लिए पृथक अर्थ प्रबन्धन निगम स्थापित करने का विचार किया था। श्रौद्धोगिक अर्थ प्रबन्धन निगम (I F C) पञ्चक लिमिटेड कमनियों और सहकारी समितियों की अर्थ सम्बन्धी आग्रहकाता ओं की पूर्ति करता है। होटे ऐमाने तथा मध्यम वर्ग के उद्योग उसके चेहरे के अन्तर्गत नहीं आते हैं। इसने अतिरिक्त देवल एक निगम होते ऐमाने तथा मध्य वर्ग के उद्योगों की विभिन्न प्रकार की आग्रहकाता ओं की पूर्ति भी नहीं कर सकता है। अतः केन्द्रीय लोक सभा ने २८ दिसंबर १९५३ को राज्य अर्थ प्रबन्ध की अधिनियम (State Financial Act) पार किया जिसके अनुसार एवं सरकारों को अपने अपने राज्य में अर्थ प्रबन्धन निगम स्थापित करने का अधिकार मिल गया। ‘मद्रास इन्डेस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड’ जिसकी स्थापना इस अधिनियम (S F C Act) के पास होने से पहले हुई थी, भी उसी अधिनियम के अन्तर्गत आ गया है।

राज्य अर्थ प्रबन्धकीय निगम (S F C) अधिनियम की बहुत सी बाँध श्रौद्धोगिक अर्थ प्रबन्धन निगम अधिनियम १९५८ के मिलती जुलती हैं। परन्तु यह अर्थ प्रबन्धकीय अधिनियम, श्रौद्धोगिक अर्थ प्रबन्धन निगम से बीते बातों में भिन्न है—

(१) श्रौद्धोगिक सार्थ (Industrial Concern) की परिभासा को पिछले कर दिया गया है और अप उसके अन्तर्गत प्राइवेट लिंग कमनियों, याकेदारियाँ वा स्थामित्वधारी सार्थ (Proprietary Concerns) भी आते हैं।

(२) राज्य अर्थ प्रबन्धन निगम के अशों को बनता तथा बैंक मी लरीद एकी है जो अनुमतित नहीं है।

(३) राज्य अर्थ प्रबन्धन निगम (S. F. C.) अधिक से अधिक २० वर्षों के लिए ही ऋण तथा अग्रिमों (Loans and Advances) को दे सकता है अथवा उनके लिए गारंटी दे सकता है जब कि श्रीदोगिक अर्थ प्रबन्धन निगम (I. F. C.) २५-वर्ष के लिए उपरोक्त कार्य कर सकता है।

निगम के आर्थिक साधन

(अ) पूँजी—राज्य अर्थ प्रबन्धन निगम की पूँजी समन्वित आवश्यकताएँ राज्य सरकार के द्वारा निश्चित की जायेगी। केन्द्रीय सरकार ने इन निगमों की पूँजी की न्यूनतम् तथा अधिकतम् सीमाएँ निर्धारित कर दी हैं। न्यूनतम् सीमा ५० लाख रुपया तथा अधिकतम् सीमा ५० करोड़ रुपया है। जनता भी निगम की अश पूँजी का २५% भाग क्रय कर सकती है, शेष पूँजी का क्रय राज्य सरकार, रिजर्व बैंक, अनुसूचित बैंकों, सहकारी बैंकों, शीमा कम्पनियों तथा अन्य आर्थिक संस्थाओं द्वारा किया जायगा। राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके निमित्र विनियोगा संस्थाओं के अनुपात को निर्धारण करती है।

— राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शतों पर मूलधन के पुनर्भुगतान तथा वार्षिक लाभाश की गारंटी देती है। लाभाश की दर राज्य सरकार द्वारा गारंटी दर से अधिक उस समय तक नहीं हो सकती जब तक कि निगम का सचित कोष, जुकाम पूँजी के बराबर न हो जाय श्रीर जब तक राज्य सरकार द्वारा दिये गये धन का पुनर्भुगतान न हो गया हो। परन्तु किसी भी दशा में लाभाश की दर ५% से अधिक नहीं हो सकती।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एकट १६३४ को ३० अप्रैल १९६० में सशोधन किया गया है। इस सशोधन के अनुसार रिजर्व बैंक, स्टेट फ़ाइनान्स कारपोरेशन को केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों की प्रतिभूति (Security) पर ऋण अथवा अग्रिम १८ मास तक की अवधि के लिए दे सकती है। स्वीकृत की गई ऋण अथवा अग्रिम की दृढ़ शर्त राशि किसी भी क्रमागत निगम की जुकाम पूँजी के ६०% से अधिक नहीं होगी।¹⁶

(ब) बन्ध तथा ऋणपत्र (Bonds & Debentures)—अपने आर्थिक साधनों के लिए नियम (S. F. C.) बन्ध एवं ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकता है। परन्तु इस प्रकार प्राप्त किये हुए ऋण की राशि तथा अन्य आकस्मिक दौषित्रों से प्राप्त धन राशि, जुकाम पूँजी तथा संचित कोष के ५ गुने से अधिक नहीं हो सकती है। इन निर्गमित बन्धों एवं ऋण-पत्रों के मूलधन तथा न्याज के मुगलान के सम्बन्ध में राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की अनुमति से गारंटी देगी।

* Source:—R. B. of India Bulletin, June 1960, p. 822.

(स) जमा की स्वीकृति (Acceptances of Deposits) — निगम बनता से जमा भी स्वीकार कर सकता है। जमा कम से कम ५ वर्ष की अवधि के होने चाहिए। ऐसी जमा की कुल राशि निगम की शुक्रता पूँजी से अधिक न होनी चाहिए।
निगम का प्रबन्ध

राज्य अर्थ प्रबन्धन निगम का प्रबन्ध एक सचालकों की समा, जिसमें १० सदस्य होते हैं, के द्वारा होता है। सचालकों का नुनाव निम्न प्रकार होता है —

(१) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत	३
(२) रिवर्व बैंक के बेन्ड्रीय बोर्ड द्वारा मनोनीत	१
(३) श्रीद्योगिक अर्थ प्रबन्धन निगम द्वारा मनोनीत	१
(४) राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित प्रबन्ध सचालक	१
(५) अनुसूचित बैंकों द्वारा निर्वाचित	१
(६) सहकारी बैंकों द्वारा निर्वाचित	१
(७) अन्य आर्थिक संस्थाओं द्वारा निर्वाचित	३
(८) अन्य अशास्त्रियों द्वारा निर्वाचित	१
कुल योग	१०

सचालक गणों को उत्तम व्यापार तथा जन हित को सामने रखते हुए राजारिक सिद्धान्तों का पालन करना चाहिए। निगम वे नीति सम्बन्धी मामलों में राज्य सरकार वे निर्णय मान्य होते हैं। राज्य सरकार सभा को भग कर सकती है, यदि सभा उनके ग्रान्देशों का पालन करने में असफल रहती है।

निगम के कार्य

राज्य अर्थ प्रबन्धन निगम निम्नलिखित कार्य कर सकता है —

(१) श्रीद्योगिक संस्थाओं के निर्गमित अशों व शूण पत्रों का अभियोपन करना। ऐसे शूण पत्रों का निर्गमन अधिक से अधिक २० वर्ष व लिए होना चाहिए।

(२) श्रीद्योगिक संस्थाओं को अधिक से अधिक २० वर्ष व लिए शूण देना अथवा उनके द्वारा निर्गमित शूण पत्रों का क्रय करना।

(३) श्रीद्योगिक संस्थाओं द्वारा स्वतन्त्र बाजार (Open Market) से अधिक से अधिक २० वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त शूणों का अभियोपन करना।

(४) श्रीद्योगिक संस्थाओं द्वारा स्टॉक (Stocks), अशों (Shares) बन्धों (Bonds) अथवा शूण पत्रों का अभियोपन करना, यदि विक्रय ७ वर्ष में बनता को कर देना है।

निगम के नियिन्द्र कार्य

(१) अधिक से अधिक उत्तेजों की रहायण करने के प्रिन्सिप से निगम लिये

एक श्रीदोगिक सार्थ को असनी चुकता पूँजी के १०% भाग अथवा १० लाख रु. (जो भी कम हो) से अधिक नहीं दे सकता।

(२) निगम किसी भी श्रीदोगिक सार्थ के अशो अथवा स्टॉक्स (Stocks) को प्रत्यक्ष रूप से क्रय नहीं कर सकता।

(३) निगम जमता से ५ वर्ष से कम अवधि की चमा (Deposits) स्वीकार नहीं कर सकता है।

(४) निगम अपने अशो की प्रतिभूति पर भूत्य नहीं दे सकता।

(५) निगम अपनी चुकता पूँजी से अधिक राशि की चमा (Deposits) स्वीकार कर नहीं कर सकता है।

निगम की क्रियाओं का विवरण

शब्द शर्थ प्रबन्धन निगम अधिनियम १९५१ के पास होने के समय से लेकर मार्च १९५८ तक विभिन्न राज्यों में तोड़ निगम स्थापित हो चुके हैं। मैसूरु सरकार ने भी इस प्रकार के निगम को स्थापित करने का निर्णय कर लिया है। इस समय तक स्थापित निगमों की निर्गमित पूँजी में रिजर्व बैंक का भाग १०% से लेकर २०% तक रहा है। केन्द्रीय सरकार ने तीन राज्य सरकारों—असम, सौराष्ट्र तथा केरल को कुछ आर्थिक सहायता भूत्यों के रूप में दी है जिससे वे राज्य सरकारें अपने निगमों के अशो को लारी रखें। केन्द्रीय सरकार ने इस उद्देश्य के लिए १९५४-५६ के बजट में १ करोड़ रुपये का प्राविधिक किया था।

अभी तक जितने भी निगम स्थापित किये गये हैं वे सब अपनी शैक्षावास्था में हैं और अनेक अमुविधाओं एवं बाधाओं का सामना कर रहे हैं। ये अभी इस अवस्था में नहीं हैं जिससे वे उद्योगों को सहायता समुचित रूप से पहुँचा सकें। इसके अतिरिक्त वे आवेदन-पत्रों को किसी न किसी कारण से अस्वीकृत कर देने हैं और जो भी आवेदन-पत्र स्वीकृत किये जाते हैं उन पर भूत्य स्वीकार करने में बहुत घिलम्ब होता है, इससे भूत्य लेने वाले उद्योगों को बहुत अमुविधा एवं कठिनाई होती है।

ऐसा कहा जाता है कि निगम अधिकार अपेक्षाकृत बड़ी श्रीदोगिक सार्थों को भूत्य देते हैं। इस प्रकार लालू उद्योगों, जिनको उद्यायता पहुँचाने के उद्देश्य से ही इन निगमों की सामना हुई है, जिन उद्यायता के रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ यद्यों में राज्य सरकारें निगमों की क्रियाओं में हस्तक्षेप करती हैं और कुछ उद्योगों को अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता भी देती हैं। उदाहरणार्थ राज्य अनुदान उद्योग अधिनियमों (State Aid To Industries Act) के अन्तर्गत राज्य सरकारें लालू उद्योगों को आर्थिक सहायता देती हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि लालू उद्योग कारपोरेशन से प्रश्न न लेकर राज्य सरकारी वे प्रत्यक्ष रूप से भूत्य लेते हैं। ‘हैदराबाद राज्य सरकार वित्तीय

निगम' इस कथन की पुष्टि करता है। इस निगम के पात्र १६५४-५६ में विछृते वर्ष की अपेक्षा बहुत कम आवेदन-यत्र आये और इसका मुख्य कारण यही था कि वहाँ का 'स्पॉल स्टेल इएडट्रीज थोड़े' लघु उद्योगों को आधिक सुविधाजनक शर्तों पर प्रशंसा देता था। आनंद निगम को भी इसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा।

१६५६-५७ में १० राज्य अर्थ प्रबन्धन निगमों को ३५.७ लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ जब कि १६५५-५६ में यह लाभ कुल २५ लाख रुपये ही था। आय एवं (Income Tax) के लिए प्राविधिक कर देने के पश्चात् निगमों के पात्र लाभाश बढ़ाने के लिए पर्याप्त शोप न रहा। परिणामस्वरूप इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी अपनी राज्य सरकारी से सहायता मांगी। १६५६-५७ में यह सहायता २०.३ लाख रुपये थी जब कि १६५५-५६ में इसकी राशि १६.६ लाख रुपये थी। मार्च १६५७ तक निगमों को दी गई कुल सहायता ५५.१ लाख रुपये थी।

१६५८-५९ में १६५७-५८ की अपेक्षा में राजकीय अर्थ प्रबन्धन निगमों व अग्रिमा (Advances) म २२९ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। मैसूर राज्य म भी १८८८-

म की स्थापना हो जाने से निगमों की कुल संख्या १३ हा गई है। तीन निगमों न का निर्गमन करने २.५० करोड़ रुपये की अतिरिक्त धन राशि को प्राप्त किया। ५६ में निगम (Corporations) द्वारा राज्य सरकारों की ओर से लघु उद्योगों को सरकारी रियापती आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अभिकर्ता (Agents) नियुक्त किये गये हैं। इस समय यह अभिकर्ता प्रशाली उच्चर प्रदेश, आनंद प्रदेश, बम्बई तथा पंजाब में प्रचलित है। बिहार सरकार भी इसी व्यवस्था को अपनाने जा रही है।

राजकीय अर्थ प्रबन्धन निगम अधिनियम १६५१ की धारा ३७ 'अ' के अनुसार रिजर्व बैंक ने अभी तक ६ निगमों का निरीक्षण कर लिया है।

विभिन्न राज्यों में अर्थ-प्रबन्धन निगम

पंजाब अर्थ प्रबन्धन निगम

पंजाब की सरकार ने १ फरवरी १६५३ को पंजाब अर्थ प्रबन्धन निगम की स्थापना की। इस निगम का प्रधान कार्यालय जालन्थर में है। इसकी अधिकृत पैंचांगी ३ करोड़ रुपये है और निर्गमित पैंची १ करोड़ रुपया है जिसका प्रय इस प्रकार है—

(१) पंजाब सरकार	३० लाख रुपये
(२) रिजर्व बैंक	२० " "
(३) अनुगृहित बैंक तथा बीमा कम्पनियाँ	३० " "
(४) घनता	२० " "

इस निगम का उद्देश्य लघु एवं माध्यमिक उद्योगों को दीर्घकालीन प्रशंसा देना है। पंजाब सरकार ने पैंची की बारी तथा ३% लामाश की गारन्टी दी है। इसके

प्रबन्धन एवं कार्यों के सम्बन्ध में राज्य श्रीयोगिक अर्थ प्रबन्धन निगम अधिनियम १९५१ लागू होगा। इस निगम के प्रबन्ध सचालक भी एन० बी० नामिया हैं।

निगम अर्थम् २ लाख रुपये पर ६% व्याज और २ लाख रुपये से अधिक पर ६½% व्याज लेता है। मूलधन तथा व्याज का निश्चित तिथियों पर भुगतान देने पर १½% की सूट दी जाती है।

पंजाब निगम ने अरना कार्यक्रम चढ़ा रखा है क्योंकि दिल्ली में कोई पुस्तक निगम नहीं है। इस प्रकार पंजाब अर्थ प्रबन्धन निगम पंजाब और दिल्ली दोनों में कार्य करता है। पेपर, राज्य के पंजाब में समिलित हो जाने से पंजाब राज्य अर्थ प्रबन्धन निगम का कार्यक्रम और भी बढ़ गया है।

बम्बई राज्य में अर्थ प्रबन्धन निगम

बम्बई राज्य में बम्बई के तित मंडी श्री जीवराम मेहता की घोपणानुसार राज्य अर्थ प्रबन्धन निगम की स्थापना ३० नवम्बर १९५३ को हो गई है। इसकी अधिकृत पैरों पर करोड़ रुपये है। इस टूंजी का काय राज्य सरकार, संयुक्त सभ्व बैंकों, बीमा कम्पनियाँ, सहकारी बैंकों, विनियोग प्रम्यास (Investment Trust) तथा अन्य आर्थिक संस्थाओं ने किया है।

बम्बई राज्य अर्थ प्रबन्धन निगम का प्रमुख कार्यालय बम्बई में है।

उद्देश्य

बम्बई राज्य अर्थ प्रबन्धन निगम का उद्देश्य भी अन्य राज्य निगमों की माने राज्य के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक सुविधाएँ प्रदान करना है।

कार्य

(१) श्रीयोगिक इकाइयों के भूषणपत्र संरीक्षा तथा उन्ह मूल्य देना।

(२) श्रीयोगिक इकाइयों द्वारा 'स्टाक एस्सचेंज' में लिये गये मूल्य की पारंपरी देना।

(३) श्रीयोगिक इकाइयों के भूषणपत्र, बन्ध एवं स्कॉल्स (Stocks) के निर्गमन का अभियोगन करना।

(४) श्रीयोगिक इकाइयों को कम से कम १०,००० तथा अधिकतम् ५ लाख रुपये का मूल्य देना।

क्रूण देने की शर्तें

(१) स्थापी समति के शुद्ध मूल्य के ५% राशि तक ऐसी समनि की प्रयम चैकानिक प्राप्ति पर मूल्य दिया जा सकता।

(२) मूल्य अधिकतम् १० से १२ वर्ष तक के लिए दिया जायगा जिसका भुग

तान किसी में होगा। इन किसी की राशि एवं शृण की अवधि प्रत्येक उद्योग में योग्यता एवं उसकी स्थिति के अनुसार निश्चित होगी।

(३) न्याज की दर ६% प्रति वर्ष होगी।

(४) शृण के लिए प्रस्तुत आवेदन-पत्रों पर शृण की स्वीकृति देने के पूर्व निम्न चारों के आधार पर विचार होगा—

(अ) उद्योग की आर्थिक स्थिति;

(ब) प्रतिभूतियों की पर्याप्तता;

(स) लाभार्जन शक्ति;

(द) न्याज तथा प्रभागों में मूलधन के भुगतान करने की योग्यता;

(४) तात्त्विक विशेषज्ञों द्वारा प्रबन्धक व्यक्तियों की योग्यता एवं अनुभव,

(५) आधुनीकरण, विस्तार एवं विकास योजना की तात्त्विक मुद्दाएँ,

(६) सम्पत्ति का स्वत्वाधिकार; तथा

(७) शृण लेने वाले उद्योग की साक्ष योग्यता।

प्रदेशीय अर्थ-प्रबन्धन निगम

२५ अगस्त १९५४ को उत्तरप्रदेशीय अर्थ-प्रबन्धन निगम की स्थापना हुई है।

इसका प्रधान कार्यालय कानपुर में है। इसकी अधिकृत पैंडी द करोड़ रुपया है। आरम्भ में वेवल ५० लाख रुपये के ५०,००० अंशों का निर्गमन किया गया है। इन अंशों का व्रत्य निम्न संस्थाओं के द्वारा इस प्रकार किया गया है—

(१) राज्य सरकार	३६%
(२) अनुसूचित बैंक, बीमा कम्पनी आदि	३६%
(३) रिजर्व बैंक	१५%
(४) अन्य संस्थाएँ	१०%

उद्देश्य

निगम का मुख्य उद्देश्य लघु तथा माध्यमिक उद्योगों को आर्थिक सहायता देना है।

शृण देने की शर्तें

यह निगम प्रत्येक राज्य अर्थ-प्रबन्धन निगम की शर्तों के आधार पर वन्य तथा शृणपत्र देने का आधिकारी है। सचालक मण्डल को यह निश्चय करने का आधिकार होगा कि किन उद्योगों को सहायता मिलनी चाहिये। सचालक मण्डल ही शृण की न्यूनतम तथा अधिनियम मान्या निर्धारित करेगा। शृण नवीन तथा पुरानी दोनों ही कम्पनियों को दिये जायेंगे। निगम द्वारा दिये गये शृण पर न्याज ६% की दर से

लिया जायेगा और निश्चित समय पर शूण की किसी तथा व्याव के भुगतान करने पर ३२% की छूट दी जायगी।

प्रबन्ध

निगम का प्रबन्ध एक सचालक सभा के द्वारा होगा। इसका प्रथम प्रबन्ध सचालक रिवर्व बैंक की राष्ट्र के अनुसार नियुक्त किया जायगा। निगम की कार्यदाता बढ़ाने के लिए परामर्शदाता समितियाँ (Advisory Committees) नियुक्त की जायेंगी।

राज्य निगमों की कठिनाइयाँ

निगम को पिछले वर्षों में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है जिनका विवेचन इस प्रकार है—

(१) माग लेने वाली कम्पनियों की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ये कम्पनियाँ सर्वप्राप्ति सिद्धान्तों के आधार पर अपना लेखा नहीं बनाती हैं। पिछले पांच वर्षों के अपमानित तथा अन अरेजिड (Non Audited) सारों का विश्लेषण करना होता है।

(२) माग लेनेवाली कम्पनियाँ अधिकतर अपनी उत्पादन शक्ति, वास्तविक उत्पादन, तथा अनुमानित उत्पादन कुद्दि के सम्बन्ध में पर्याप्त गत्वना नहीं देती हैं। अत निगम ऐसी कम्पनियों को शूण देने में सक्रिय करता है।

(३) बहुत सी एकल स्वामित्वधारी तथा सामेदारी के व्यवसाय शूण लेने के लिए पर्याप्त प्रतिभूति नहीं दे रहे क्योंकि उनके स्वामित्व तथा स्थायी सम्पत्ति के मूल्य कम में गढ़वाली होती थी।

(४) छोटे व्यवसायों की सफलता अधिकार उनके स्वामियों के व्यक्तित्व पर “आशालिं होती है। यदि उनके स्वामियों में परिवर्तन हो जाता है तो व्यवसाय की सफलता भी सन्-देह में पड़ जाती है। निगम को शूण देने समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है।

(५) शूण लेने वाली कम्पनियाँ निगम की सीमाओं व नातुक परिस्थिति को नहीं समझती और ये अपने हित की पूर्ति के लिए जोर देती हैं। वास्तव में देखा जाय तो मार्गेज बैंकिंग (Mortgage Banking) में बहुत ही खारपानी व देखरेत की जरूरत पड़ता है।

(६) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारी द्वारा ग्रामीण उद्योग की उन्नति के लिए जो उच्चोन्नत बत दिया जा रहा है वह भी किंई सीमा तक इन निगमों के हृषि की सीमित करता है। सरकार की इष्ट सीमि के कारण निगम लघु स्तर व उद्योगों को अधिक सहायता नहीं दे पाते हैं। उदाहरणार्थ सरकार ने ग्रामीण तेल खेलों के बोल्ड्रों को विकसित करने के उद्देश्य से लघु स्तर की आयल मिलों पर प्रतिश्वाद लगा दिया है।

(७) निगम के सामने शूल लेनेवाली कम्पनियों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना भी एक समस्या है। इस कार्य के लिए तात्काल दुश्ल व्यक्ति साहित्य बिना नितान्त अभाव है।

राज्य अर्थ प्रबन्धन निगम (मंशोधन) अधिनियम सन् १९५६

उत्तरीक कटिनाइयों के कारण राज्य निगमों को अधिक सफलता नहीं मिल सकी। इन कटिनाइयों को दूर करने वे उद्देश्य से सरकार ने अधिनियम में संशोधन किया और ३० अगस्त सन् १९५६ को राज्य अर्थ-प्रबन्धन निगम (मंशोधन) अधिनियम पास हो गया है। इसके निम्न उद्देश्य ये—

(१) पिछले वर्षों में अनुमति की गई कटिनाइयों को दूर करना।

(२) जो राज्य वित्तीय निगम की स्थापना करने में असमर्थ हैं उनसे हिन्दू निए सुनुक अर्थ प्रबन्धन निगम की स्थापना करना।

(३) जिन लघु तथा कुटीर दबोगों के पास प्रत्याभूति (Guarantee) देने वे लिए उचित प्रतिभूतियाँ नहीं हैं उनको राज्य सरकार, अनुमति वैक अथवा सदकार्य की प्रत्याभूति (Guarantice) पर शूल देना।

(३) श्रीद्योगिक मार्ग एवं विनियोग निगम

(Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd.)

निजी क्षेत्र ने दबोगों को विशेष रूप से प्रो-वाहित करने के लिए 'श्रीद्योगिक साल एवं विनियोग निगम' की स्थापना ५. जनवरी १९५५ की गई है। यह निगम विशुद्ध रूप से निजी व्यक्तियों के स्वामित्र व प्रबन्ध म है। यह निजी क्षेत्र के दबोगों की आर्थिक सहायता, उनको कृष्ण देकर, शूल की गारंटी देकर तथा अर्थी का अभियोगन करने करता है।

१९५३ में भारत सरकार तथा विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तीन व्यक्तियों के महाइल (Three Men Mission) ने इगलैंड के 'श्रीद्योगिक तथा व्यापारिक वित्त निगम' (I. & C. Corporation) के आधार पर उत्तरोक निगम को स्थापित करने का निश्चय किया था। क्योंकि भारतीय श्रीद्योगिक अर्थ प्रबन्धन निगम (I. F. C.) आर्थिक सरकारी हांगे के कारण उद्योगों की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति इतनी कुशलता से न कर सका जितना इच्छ करना चाहिए था। फरवरी १९५४ में विश्व बैंक का एक प्रतिनिधि तथा अमेरिका के वित्त निगमों के दो प्रतिनिधि भारत में आये। निगम की स्थापना के ब्येव से भारतीय सरकार के प्रतिनिधियों लधा बाबर, मद्रास-कलकत्ता तथा दिल्ली के उद्योगपतियों की सलाह से 'स्ट्रीयरिंग बोर्डी' (Steering Committee) नियुक्त की गई। इस समिति में ५ सदस्य दे जिनमें से २ सदस्य सुनुक राज्य अमेरिका

(U. S. A.) तथा संयुक्त राज्य (U. K.), विदेशी विनियोक्ताओं तथा विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने के लिए गये। इन प्रत्यलों के फलस्वरूप नियम का रजिस्ट्रेशन जनवरी १८५५, में भारतीय प्रमणिल अधिनियम (Indian Companies Act) के अन्तर्गत हुआ। इसका प्रमुख कार्यालय बंदर्ह में है।

पैंडी का ढाँचा

नियम की अधिकृत पैंडी २५ करोड़ रुपये है जो सौ-सौ रुपये के ५ लाख साधारण अशों तथा सौ-सौ रुपये के २० हाल अवर्गीय अशों में (Unclassified Shares) में विभाजित है। नियम की तुला पैंडी ५ करोड़ रुपये है जो सौ-सौ रुपये वाले ५ लाख साधारण अशों में विभाजित है। अशों का निर्गमन सम मूल्य (Par-value) पर किया गया है और उसके पारियों को प्रति अश पर एक मत (वोट) देने का अधिकार है। निर्गमित पैंडी का क्रम विभिन्न संस्थाओं के द्वारा इस प्रकार किया गया है—

(१) भारतीय बैंक, बीमा कम्पनियों तथा विनियोक्ता वर्ग आदि ३५२ करोड़ रु०	१ „ „
(२) ब्रिटिश ईस्टर्न एक्स्प्रेस बैंक तथा अन्य श्रीयोगिक संगठन आदि	५० हाल रु०
(३) अमेरिका पिनियोक्ता गण	<u>५ करोड़ रुपये</u>

अमेरिकन विनियोक्तागणों में 'रीकॉर्ड ब्रदर्स' 'वेस्टिंग हाउस इलेस्ट्रीकल इन्डस्ट्रीजन कम्पनी' तथा 'मिसर्स आलिन मैरीकन ऐमिल कार्पोरेशन' समिलित हैं।

मारत सरकार ने नियम को ७२ करोड़ रुपये का सूचा दिना चाहा के दिया है। जिसका भुगतान १५ वार्षिक कित्तों में करण देने की तिथि के १५ वर्ष पश्चात् होगा। विश्व बैंक (I. B. R. D.) ने भी नियम को उभय समय पर विविध मूलधारों में १० प्रिंट डालर के बराबर करण देना स्वीकार किया है। करण के मूलधन, ब्याज तथा अन्य व्ययों की गारंटी भारतीय सरकार ने मार्च, १८५५ में दी है। करण की कारपि ५ वर्ष तभा ब्याज की दर ४२% है। बीमा बीमा के राशीयकृत हो जाने के कारण भारतीय सरकार के स्थानित व अधिकार में पैंडी का लगभग १८% मात्र आ गया है। परन्तु सरकार इसका दुष्योग नहीं करता चाहती है।

उद्देश्य (Objects)

नियम की स्थापना भारतीय निवी सेव के द्वयों को सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से हुई है जो निम्न प्रकार से दी जाती है—

- (१) निजी उद्योग के निर्माण, विस्तार तथा आयुनिकता में सहायता देना।

(२) ऐसे उद्योगों वे आन्तरिक तथा बाह्य निजी पूँजी के विनियोग तथा वह मागिता को प्रोत्साहित करना तथा बढ़ावा देना।

(३) श्रीधोगिक विनियोगों में निजी स्वामित्व को प्रोत्साहित करना तथा विनि योग बाजार वे द्वे पक्ष को विस्तृत करना।

उपरोक्त उद्देशों की पूर्ति के हेतु सहायता निम्न रूप में दी जायगी—

(अ) उद्योगों को दीर्घकालीन या मध्यकालीन शूल देकर आथवा उनके सामान्य अर्था (Equity Shares) का क्षय करके,

(ब) अर्था एवं प्रतिभूतियों (Securities) के नवीन निर्गमन को प्रोत्साहित करके आथवा उनका अवियोपन करवे,

(स) अन्य व्यवित्तियों स्रोतों से प्राप्त शूलों की गारंटी देकर;

(द) चक्रित विनियोगों (Revolving Investments) द्वारा मुनः विनि योग के लिए पूँजी उपलब्ध कराने, तथा

(ए) भारतीय उद्योगों को प्रबन्धकीय, तात्त्विक तथा प्रशासकीय सलाह देकर और उन्हें प्रबन्धकीय, तात्त्विक एवं प्रशासकीय सेवाएँ (Services) प्राप्त करने में सहायता

निगम द्वारा अतिरिक्त पूँजी प्राप्त करने के साधन

निगम के पार्षद अन्तर्नियम व क्लोज १६ व अनुसार निगम अन्तर्मिय अर्था का साधारण समा की स्वीकृति से अथवा सचालक गणों द्वाय साधारण समा में स्वीकृति नियमों के अनुसार निर्गमित कर सकता है।

निगम बाहर से शूल के सकता है यदि उपर लिया हुआ धन निम्नरूप वे विद्युते से अधिक नहीं हो—

(१) मुरचित पूँजी (Unimpaired Capital),

(२) भारतीय सरकार से लिया गया अदत्त अग्रिम (Outstanding Advance),

(३) निगम की अतिरिक्त राशि (Surplus) तथा सचित कीप।

निगम का प्रबन्ध

श्रीधोगिक साल एवं विनियोग निगम (I C I.C.) का प्रबन्ध एक सचालक समिति के हाथ में होगा जिसमें ११ सदस्य होंगे। इनमें ७ भारतीय, २ विदेशी, एक अमरीकी और एक वारिज एन उद्योग मन्त्रालय की ओर से होगा। प्रारम्भिक सचालकगण 'स्टीफरिंग समिति' के ही सदस्य हैं। इस निगम के बनरेल मैने जर्मनी के 'ओर्डर इंग्लैण्ड' के मुख्य कोषावक्त श्री पी० एस० ब्रेल (Mr P S. Bräle) हैं। इन महोदय की नियुक्ति का अनुमोदन भारतीय विदेशी अमरीकी

सभी विनियोताओं ने किया है। निगम के चेयरमैन डाक्टर रामस्वामी मुदालिपर तथा सदस्य सर्वेश्वी ए० डी० थोक, घनश्याम दास बिहला, कस्तूर मार्ड लालमाई आदि हैं।

निराम के प्रति भारतीय सरकार के अधिकार

निगम तथा भारतीय सरकार के मध्य हुए समझौते के अनुसार सरकार को निम्न अधिकार प्राप्त हैं—

(१) सरकार निगम की समाप्ति के लिए आवेदन पत्र दे सकती है यदि वह (निगम) अपना पुनर्मुग्दान करने में असमर्पि हो जाता है अथवा उसकी पैँडी एक निश्चित मात्रा तक कम हो जाती है।

(२) सरकार निगम की सचालक समा में उस समय तक के लिए सचालक नियुक्त कर सकती है जब तक सरकार द्वारा निगम को दिये गये ऋण का पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता है।

► (३) सरकार निगम के व्यक्तिगत लाभ को रोकने वे लिए उचित कार्यगाही कर सकती है।

निगम की क्रियाओं का व्यौरा

यद्यपि 'श्रीद्वौगिक लाल ए० विनियोग निगम' (I C I C) की स्थापना ५ जनवरी १९५५ को ही हो गई थी, परन्तु इसने अपना कार्य १ मार्च १९५५ से ही प्रारम्भ किया। सन् १९५५ से सन् १९५६ के अन्त तक स्वीकृत की गई मित्रीय सहायता ५६ कर्मनियों के लिए २० ४० करोड़ रुपये थी। यही धनराशि पिछले वर्ष ४४ कर्मनियों के लिए ११ ६५ करोड़ रुपये थी। ५६ कर्मनियों, जिनको कि वित्तीय द्वेषात्मा स्वीकृत की गई, उनमें से २७ कर्मनियों नई थीं।

निगम की कुल आय १९५६, १९५७ और १९५८ में क्रमशः ४१ लाख रुपये, ५४ लाख रुपये तथा ५७ लाख रुपये थी। १९५८ में भी कुल आय पिछले वर्ष की भाँति ५७ लाख रुपये ही हुई। संस्थान (Establishment) तथा अन्य व्ययों (७ २६ लाख रुपये) तथा करों (Taxes) वे लिए प्राप्तयान (२२ ४३ लाख रुपये) करने वे प्रचालन निगम को शुद्ध लाभ (Net Profit) २८ २३ लाख रुपये का हुआ जो कि पिछले वर्ष (२५ २२ लाख रुपये) का अपेक्षा में ३ ०१ लाख रुपये अधिक था।¹

(४) राष्ट्रीय श्रीद्वौगिक विकास निगम

(National Industrial Development Corporation)

राष्ट्रीय श्रीद्वौगिक विकास निगम (N I D C) की स्थापना २० अक्टूबर

* Reserve Bank of India Bulletin, April, 1960

१९५४ को १ करोड़ रुपये की बुकहा पूँजी (जो कि पूर्णदिवा भारत सरकार के हाथ से गई है) से की गई है। यह निगम एक राजसीय संस्था है और इसका पूर्ण सामिन और नियन्त्रण सरकार के हाथ में है। देश में शीघ्रतारीम औद्योगिकरण करने के उद्देश्य की पूर्ति ही इस निगम की स्थापना का मुख्य कारण है। उर्मोत्ता उद्योगों के क्षेत्र में निजी साहस (private enterprise) योजी-सी ही वाद सहायता से समर्पूँ देश की आनश्वर्त्तिकाओं की पूर्ति कर सकता है। परन्तु जहाँ तक आशारभूत उद्योगों (basic industries) तथा मुख्य उद्योगों (key industries) की स्थापना एवं विकास का प्रश्न है निजी चेतने के बहुत की ओर नहीं। इसके लिए सरकार को सर्व प्रबन्ध करना पड़ेगा।

इस निगम की स्थापना की खात सर्वप्रथम तत्कालीन व्यापार एवं उद्योग मन्त्री श्री टी० टी० हृष्णमाचारी ने सोची थी और अक्टूबर १९५३ में योजना आयोग के हिप्टी चेयरमैन श्री वी० टी० हृष्णमाचारी ने राष्ट्रीय विकास समिति (National Development Council) की बैठक में धोषणा की थी तिं वंचरणीय योजना के एक अंग के रूप में एक औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की जायगी। इस निगम का मुख्य उद्देश्य अन्य निगमों की मात्रा उद्योगों का श्रावण-प्रबन्धन न करने, उनके विकास एवं स्थापना के साथों को जुटाना होगा। निजी साहस को यत्परि ऐसा करने में अधिक सफलता मिलने की आशा नहा है परन्तु वह अपने विनियोगों, अनुमति एवं योग्यता (experience and knowledge) के द्वारा सहायता पहुँचा सकता है। यह निगम अपने उद्देश्य की पूर्ति में निजी साहस के उपरोक्त सहयोग को सहर्ष मीकार करेगा और उसका सदृश्योग करेगा।

पूँजी एवं आर्थिक साधन

विकास निगम की स्थापना से पूर्व उसकी अंग पूँजी १५० करोड़ रुपया राजनी का विचार था परन्तु अब इसकी स्थापना केवल १ करोड़ रुपये की पूँजी तथा बैंकीव सरकार द्वारा प्राप्त अद्यों के साथ की गई है। निगम को अपने आर्थिक साधन बढ़ावे के लिए ग्राही एवं श्रृणु पत्रों के निर्माण करने का अधिकार है। यह बैंकीय तथा राज्य सरकारी, बैंकी, कमनियों तथा व्यक्तियों से अनुदान (Grants), प्राप्त (Loans), अग्रिम (Advances) या निवेद (Deposits) स्वीकार कर सकता है।

निगम की वित्तीय आनश्वर्त्तिकाओं की पूर्ति सरकार दो प्रकार से करेगी—

(१) औद्योगिक परियोजनाओं (Industrial Projects) के आवधन, अनुसंधान तथा औद्योगिक निर्माण के निर्णय तथा अनश्वक तात्रिक एवं प्रबन्धकीय कर्मचारियों के दल (A Corps of Technical and Managerial Staff) को नैयार करने के लिए वार्षिक अनुदान (grants) देकर, तथा

(२) प्रस्तावित परियोजनाओं (projects) के निर्माण के समय आवश्यक उद्देश्य देकर।

उद्देश्य

विकास निगम मुख्यतया एक सरकारी संस्था है जिरका उद्देश्य उद्योगों की स्थापना एवं विकास करना है, न कि लाभोपार्द्धन करना। यह न केवल सार्वजनिक क्षेत्र (public sector) का ही चिलार करेगा, अतिक निजी उद्योग को भी प्रोत्साहित करेगा। द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना को मफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए इस निगम की पृष्ठ स्थापना परमावश्यक समझी गई थी, क्योंकि द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में देश की सुरक्षा एवं उच्चति के हेतु देश के शास्त्रातिशास्त्र श्रीयोगीकरण पर विशेष जोर दिया गया है जो कि श्रीयोगिक विकास निगम जैसी दीर्घकालीन साइ संस्था की स्थापना के बिना सम्भव नहीं था। इस निगम को स्थापित करने का दूसरा कारण यह था कि इससे राज्यीय सरकार द्वारा घोषित मिश्रित आर्थिक नीति (mixed economy) की पृष्ठी होती थी। सरकार नवीन उद्योगों का निर्माण करने निजी व्यक्तियों को बेच देगी और उस घन से विर नवान उद्योगों का निर्माण करेगी।

अपने हन उद्देश्यों की पृष्ठ निगम निम्न सुविधाएँ प्रदान करके करेगा—

(१) उद्योगों को आवश्यक मर्शीनरी तथा प्लान्ट प्रदान करना तथा आधारभूत उद्योगों का प्रवर्तन एवं निर्माण करना।

(२) देश के श्रीयोगिक विकास में महानक वर्तमान निजी उद्योगों को तात्रिक एवं इज्जीनियरिंग सेवाएँ प्रदान करना तथा यदि आवश्यक हो तो दूँजी देना।

(३) निजी साहस (private enterprise) को सरकार द्वारा स्वीकृत श्रीयोगिक योजनाओं की पृष्ठि के लिए आवश्यक तानिक, इज्जीनियरिंग, आर्थिक अपवा अन्य सुविधाएँ प्रदान करना।

(४) प्रसामित श्रीयोगिक योजनाओं की पृष्ठि के लिए आवश्यक अध्ययन करना, उनकी तानिक, इज्जीनियरिंग, आर्थिक अथवा अन्य सुविधाएँ प्रदान करना।

इस उद्देश्य के बोर्ड ने २३ अक्टूबर १९५४ को हुई अग्री पहली मैट्रिक में उद्योगों की अराधी (provisional) दस्ती तैयार की, जिसका अध्ययन करने निगम को यह जात हो जाय कि नवेन श्रीयोगिक विकास किस सीमा तक आवश्यक है और वर्तमान उद्योगों को किस सीमा तक बढ़ाना चाहिए। निगम के बोर्ड ने इस बान को स्वीकार किया कि देश ने शीघ्र श्रीयोगीकरण के लिए सुन्दरियन तानिक सहायता के प्रारिषद (promotion) की आवश्यकता है। अतः उठमें योग्य खलाह देने वाले इज्जीनियरों की संस्था (competent firm of consulting engineers) रणनीति करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

कुने हुए उद्योग जिनकी आवश्यकी सूची दैवार की गई है, इस प्रकार है—

- (१) पिश लौह, मंगलीज और ऐरोक्रोम,
- (२) अलमूनियम,
- (३) ताँच, चक्का तथा अलौह घाटुँ
- (४) डीजल इंजिन, इंजिन और जेनरेटर,
- (५) मारी रसायन,
- (६) लाद और उपरक,
- (७) कोशला और कोलवार,
- (८) मेथानोल एवं पामेल्डीहाइड,
- (९) वारेन लेक,
- (१०) कागज, आउटोरी कागज आदि यनाने के लिए लकड़ी की छानी,
- (११) इत्रिम ट्याइयो, पिटामिन्स एवं हायमोन्ट,
- (१२) एक्स्ट्रे तथा टाक्टी सामान आदि,
- (१३) हाइड्रोइं, कनूलेशन और्ड आदि,
- (१४) हुक्क उद्योगों जैसे नृट, कराच, बल, चीनी, कागज, सीमेट, रासायनिक, धूपाई, खान, आदि के लिए आवश्यक मशीनरी तथा आपूर्णी का निर्माण करना।

आर्थिक सहायता देने के प्रकृत

विकास निगम किसी भी प्रकार के औद्योगिक व्यवसाय को आर्थिक सहायता दे सकता है, जाहे वह सरकार के विभिन्न अपना राजित्व में हो, वैधानिक संसद (statutory body) हो, कर्मना हो, एवं हो या एकाकी व्यवसाय हो। उद्योगों को सहायता पूँजी, दाय, मशीनरी, साज़बन्जा (equipment) या आप किसी भी रूप में दी जा सकती है। निगम उद्योगों को आर्थिक सहायता विभिन्न रूपों में दे सकता है। उदाहरणार्थ यह उद्योगों को ग्रृहण व अधिव (loans and advances) स्थिकर कर सकता है, उनके अणों व ग्रृहण पत्रों का नया व अभेगोत्रन कर सकता है तथा उनके शूष्णों और अप्रिम पर गारंटी दे सकता है।

निगम के अधिकार

विकास निगम को कुछ अधिकार प्रदान किये गये हैं जिससे वह अपने समर्पित उद्योगों पर नियन्त्रण रख सके। वह किसी भी उद्योग में अपने उचालक नियुक्त करने उसका प्रभुध, नियन्त्रण तथा नियावण कर सकता है। वह किसी भी सार्थ में आकेदार या आप किसी मार्गी के रूप में समिलित रूप से कार्य कर सकता है। वह किसी ऐसी सार्थ का प्रयोग तथा निर्माण भी कर सकता है जिसका उद्देश्य अन्य सार्थों को स्थापित करना अथवा उनका उचालन करना दोता है।

प्रबन्ध (Management)

विकास निगम का प्रबन्ध एक सचालक समिति (Board of Directors) के द्वारा होता है। इस समिति में कम से कम १५ सदस्य और अधिक से अधिक २५ सदस्य हो सकते हैं। ये सदस्य उद्योगपति, वैज्ञानिक तथा इनीनियर्स होते हैं जो कि भारत सरकार द्वारा मनोनीत (nominate) किये जाने हैं। इस प्रकार निगम का सचालन रार्डिनिक तथा निजी क्षेत्र के समिक्षण से होता है। वर्तमान सचालन समिति के २० सदस्य हैं जिनकी नियुक्ति बेंगलुरु सरकार ने इस प्रकार की है।¹

उद्योगपति	१०
अधिकारी (Officials)	५
इनीनियर्स	४
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (चेयरमैन)	१
मोग	<hr/> २०

निगम की क्रियाएँ

श्रीदोगिक विकास निगम की सचालक सभा की प्रथम बैठक गिलाम्बर १९५५ में हुई। इस बैठक में कुछ श्रीदोगिक विकास की योजनाएँ स्वीकृत की गईं तथा उन योजनाओं का पर्यावरण भी प्रारम्भ कर दिया गया। निगम ने भारतीय बृद्ध उद्योग के पुनर्स्थान तथा आधुनीकरण के लिए आमिक राहायता प्रदान करने के लिए आम-श्यक साधन खुदाने का निश्चय भी कर लिया। इसने एक समिति, जिसने सदस्य अधिकारी उद्योगों से सम्बन्धित ये, की स्थापना की और निश्चय किया कि इस समिति की विकारियों द्वारा आधार पर स्वीकृत मिलों को केवल ४३% व्याज पर दीर्घकालीन ऋण दिया जायगा।

जट उद्योग की सात मिलों को आधुनीकरण के लिए राज्यीय श्रीदोगिक विकास निगम ने १३६ करोड़ रुपये का ऋण दे दिया है और इस अन्य मिलों के लिए १५८ करोड़ रुपये का ऋण निगम के विचाराधीन है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उपरोक्त ऋणों के द्वारा तथा जट उद्योग के आन्तरिक साधनों के हाथ सम्पूर्ण जट उद्योग की लगभग आधी पुरानी मशीनों का आधुनीकरण हो जायगा।²

निगम ने कुछ अन्य उद्योगों की स्थापना करने का भी निश्चय किया है। ये उद्योग र्टीम्स पाराइज फोनेज, डिटिन्यू मशीनरी, प्रयर कंप्रेशर्स (Air Compressors), कागज की लुग्दी, कॉर्पन इलादि हैं।

निगम द्वारा सचालनों ने २३ मार्च १९५६ को दिल्ली में हुई बैठक में गरमारे

¹ *Modern Review*, November, 1954.

* *Indian Farmer*, August 1, 1958, p. 175.

सम्पूर्ण ऊद्योग महत्वपूर्ण सुभाषण होने। इन सुभाषणों में से एक सुभाषण 'सिंथेटिक रबड़ प्लान्ट' (Synthetic Rubber Plant) के सम्बन्ध में भी था। निगम ने मारतीय सरकार के सामने तीन योजनाओं के पर्यवेक्षण करने का सुझाव रखा। ये योजनाएँ निम्न चीजों व निर्माण से सम्बन्धित थीं—

- (अ) श्रीवि गिक मर्गीनरी तथा प्लान्ट,
- (ब) एल्यूमिनियम, तथा
- (स) एलिमेन्टल फास्फोरस (elemental phosphorus)

निगम ने यह भी निश्चय किया है कि 'स्ट्रक्चरल कम मर्गीनशाप' (structural cum-machine shop) भिलाई में तथा 'स्ट्रक्चरल शाप' दुर्गापुर में स्थापित किए जायेंगे। निगम ने इनी बछड़ उद्योगों के पुनर्स्थापन तथा आधुनीकरण करने के सम्बन्ध में आर्थिक सहायता की समस्या पर धिनार दिया। सचालक समा की एक समिति बछड़ उद्योग से प्राप्त शाश्वत आपेदन पत्रों पर धिनार करने के लिए स्थापित की गई। यह उपर्युक्ति 'टेकस्टाइल कमिशनर' के कार्यालय से पर्यवेक्षण दल की रही। स कार्य करेगी।

८ पंचमर्याद्य योजना में कार्यक्रम

द्वितीय पंचमर्याद्य योजना के अन्तर्गत निगम की क्रियाओं के लिए ५५ रुपों रुपये की धनराशि का प्राविधान किया गया है। इस धनराशि का एक भाग (लगभग २० या २५ करोड़ रु.) गृही बछड़ उद्योग तथा जूट उद्योग क आधुनीकरण की योजनाओं को सफल बनाने में खर्च किया जायगा। शेष धनराशि नवीन आवारभूत तथा मुख्य उद्योगों के निर्माण तथा प्रशर्चन में खर्च की जायगी।

(५) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

(National Small Industries Corporation Private Ltd.)

मारतीय सरकार ने परमी सन् १९५५ में लघु उद्योगों की उन्नति, सरदारण, आर्थिक तथा अन्य सहायता के लिए 'राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम' की स्थापना की है। यह निगम ऐकल उद्दीप्त उद्योगों को आर्थिक सहायता देगा जिसमें ५० से कम व्यक्ति काम करते हों और शक्ति (power) का प्रयोग होता हो और शक्ति का प्रयोग न होने पर १०० व्यक्ति कार्य करते हों। इन उद्योगों की दृङ्गी ५ लाख रुपये से अधिक न होनी, चाहिये। निगम की स्थापना लघु उद्योगों पर अन्तर्राष्ट्रीय विशेषशोध के दल 'होर्ड', 'पाउरेशन' की सिफारिश पर हुरू है।

निगम की पूँजी

निगम की स्थापना २० लाख रुपये की अधिक है। इसे निजी सीमित कमनी

के रूप में हुई है। इसे केन्द्रीय सरकार से आवश्यकतानुसार अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। निगम का मुख्य कार्यालय दिल्ली में है।

निगम के उद्देश्य

(१) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के आदेशों को देश के लघु उद्योगों को दिलाना।

(२) ऐसे उद्योगों को आर्थिक, तानिक तथा शिल्पिक सहायता पहुँचाना जिससे दिये गये आदेश निश्चित प्रमाण (standard) तथा नमूने (specification) के अनुसार हों।

(३) लघु तथा छोटे पैमाने के उद्योगों में सामजिक सहायता लाना, जिससे लघु उद्योग वडे पैमाने के उद्योगों के सहायक व पूरक के रूप में कार्य कर सकें और उनकी आपसी प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जावे।

निगम की क्रियाएँ

निगम ने राज्य सरकारों की सिफारिश पर 'डाइरेक्टर-जनरल आर्थ सलाहूइंज ऐरह डिसोबलर' की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने द्वारा रजिस्टर्ड लघु उद्योगों को आदेश दिये हैं। प्रारम्भ में २०० वस्तुओं से अधिक के आदेश कुटीर तथा उद्योगों के लिए सुरक्षित (Reserve) कर लिये हैं। १९५५-५६ में निगम ने लघु उद्योगों के लिए ४,६८,५६५१ रु० के आदेश प्राप्त किये। इन आदेशों की पूर्ति मई, १९५६ से प्रारम्भ होनी थी।

निगम ने तीन 'व्हेल विकल गाडियाँ' (Mobile Sales Vans) दिल्ली क्षेत्र की ३०० वस्तुओं का ब्रय करने के लिए चालू कर दी है। इसके अतिरिक्त आगरा के लघु उद्योगों द्वारा निर्भीन जूतों का विकल करने के लिए आगरा में एक 'थोह दुकान' (Whole-sale Depot) सोली मर्द है। श्रलांगड़ के तालों तथा खुर्ची के जर्नों को बेचने के उद्देश्य से एक बूढ़ी दुकान सोलने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

निगम ने सीमित आर्थिक साधनों वाले उद्योगों को मशीन तथा सामग्रजा (equipment) परीदने में सहायता देने के उद्देश्य से मशीन इत्यादि को क्रयविक्रय (hire-purchase) पद्धति पर सज्जाइ करने की योजना लागू कर दी है।

निगम की क्रियाओं को और रिसून करने के लिए चार और शालाइं बम्बई, १ कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में खोली जाएँगी। सब गाड़ी में कार्यक्रम प्रसारित करने के उद्देश्य से 'उद्योग सेवा संस्थाओं' की संख्या ४ से बढ़ा कर २० बरदी जारीगी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुटीर एवं लघु उद्योगों पर बुल व्यव इस प्रकार किया गया है:—

सन् १९४७-४८

हाथ कर्षा	१११ करोड़ रुपये
खादी	७४ " "
ग्राम उद्योग	४१ " " "
लघु उद्योग	५३ " " "
हस्त शिल्प	१० " " "
इंडियन औ सरीकल्चर	१३ " " "
—	—
योग	३०२ करोड़ रुपये

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों के विकास के लिए २०० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसका आपटन विभिन्न उद्योगों में इस प्रकार होगा—

(१) हाथ कर्षा	५६५ करोड़ रुपये
(२) खादी	१६७ " "
(३) ग्राम उद्योग	३८८ " "
(४) दस्तकारीयाँ	६० " "
(५) लघु उद्योग	५५० " "
(६) अन्य उद्योग	६० " "
(७) सामान्य योजनाएँ, प्रशासन, शोध आदि	१५० " "
—	—
	२००० करोड़ रुपये

तृतीय पञ्चवर्षीय योजना में ६०० करोड़ रुपये कुटीर, लघु एवं मध्यम वर्ग के उद्योगों के विकास के हेतु आवित किये गये हैं।

(६) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम

(International Finance Corporation)

निजी व्यवसाय (private enterprise) को विशेष रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ऐसे जुलाई, सन् १९४८ में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (I. F. C.) का स्थानना री गये। यह सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है और इसे अंतक देश की सरकारों वा संघर्षण प्राप्त है। इसका सम्बन्ध निश्च बैंक (I. B.R. D.) से दोनों हुए भी इसका पैकड़ने का असात्र पृथक् है। इस निगम के सदस्य केवल वे ही

देश हो सकते हैं जो विश्व बैंक से सहस्र हैं। इस समय तक ३२ देश इसके सहस्र हो चुके हैं।

पूँजी

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (I F C) की अधिकृत पूँजी १०० मिलियन डालर है, जिसमें १० अगस्त १९५६ नक ७८ ४ मिलियन डालर ३२ सहस्र देशों द्वारा कर्य की जा चुकी है। भारतवर्ष ने ४ ४३ मिलियन डालर पूँजी का कर्य किया है और कर्य करने वाले वह देशों में इसका चौथा स्थान है।

प्रमुख देशों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (I F. C.) द्वारा कर्य की गई पूँजी का व्योरा निम्न तालिका में दिया गया है—

देशों का नाम	धन राशि (इजार डालरों में)
संयुक्त राज्य अमेरिका (U S A)	१५,१६८
इंगलैण्ड	१४,८००
फ्रांस	५,८१५
भारतवर्ष	४,४३०
जर्मनी	३,६५५
कनाडा	२,६००
चापान	२,७६६
आस्ट्रलिया	२,२१५
पाकिस्तान	१,१०८
स्वीडन	१,००८

श्रीयोगिक वित्त निगम (I F. C.) को अपने अशो (shares) एवं स्कॉल्स (stocks) को बेचकर आर्थिक साधन बढ़ाने का अधिकार है परंतु प्राक्तिक बगों में उसका (I F. C.) ऐसा करने का विचार नहीं है। अत उसके विनियोग करने के आर्थिक साधन इस समय के बाहर चुक्का पूँजी तक ही सीमित हैं।

निगम के उद्देश्य (Objectives of Corporation)

निगम का उद्देश्य अपने सहस्र देशों की आर्थिक उन्नति, उत्पादनशील निवी व्यवसायों को बढ़ावा देकर करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति वह (I. F. C.) निम्न प्रकार से करेगा—

(१) जहाँ निवी पूँजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो या उचित शर्तों (terms) पर प्राप्त न हो रही हो, उस अवस्था में यह निगम निजों व्यवसायों में स्वयं विनियोग करके,

(२) विनियोग सम्भाली सुअवसरों (opportunities), निवी पूँजी (देशी

तथा विदेशी) तथा कुशन प्रगति को एकत्रित करते यह निगम निकाय यह (cleaning house) की तरह कार्य करते, तथा

(३) देशी तथा विदेशी निजी पूँजी के उत्पादनशील विनियोग को प्रोत्तरीकृत करते।

निगम का प्रबन्ध

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (I F C) के सभी देश उदास्य हो रहे हैं को विश्व बैंक (I B R D) के उदास्य हैं। निगम के डाइरेक्टर विश्व बैंक के एकत्री क्षमतियां डाइरेक्टर, जा कम ऐ कम एक ऐसी सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (I F C) की उदास्य है, निगम के डाइरेक्टर के रूप में कार्य करेंगे। प्रिंसिपल का अध्यक्ष (President) निगम (I F C) की सचिल उपाय (Board of Directors) का (Ex Officio) विषयमें होता है।

निगम का अध्यक्ष भी हमना है जिसकी नियुक्ति चेपरमेन की सिपारिश पर उन्होंने लेक सभा द्वारा की जाती है।

नियोग प्रताव दी योग्यता

(१) निगम के प्रत्येक उन विनियोग प्रत्यक्षीयों पर विचार करेगा जिनका दैश उत्पादनशील निजी व्यवसायों की स्थापना, विस्तार एवं उन्नति करना है और जो उस देश की, जिसमें निजी व्यवसाय स्थापित है, आर्थिक उन्नति में सहायता करेंगे।

(२) निगम के प्रत्येक उन्हीं व्यवसायों को सहायता प्रदान करेगा जो कि सदस्य देशों अथवा सदस्य देशों के आक्रिति प्रदेशों (Territories) में स्थित होंगे। प्रारम्भिक वर्षों में निगम के प्रत्येक उन्हीं सदस्य देशों अथवा उनके आक्रिति उपनियोगी में विनियोग करना चाहता है जो आर्थिक दृष्टिकोण से कम विकसित है।

(३) निगम आर्थिक सहायता निजी विनियोगकारी के साथ दिया करेगा आर्थिक निगम भी उसी समय आर्थिक सहायता प्रदान करेगा जबकि निजी पूँजी का विनियोग हो रहा हो। निगम को पूर्णतया यह विश्वास हो जाना चाहिये कि नवीन व्यवसाय में निजी विनियोगकारी अपने आर्थिक साधनों का विनियोग आधिक से आधिक कर रहे हैं और शेष भवनशायि अन्य निजी साधनों से उपलब्ध नहीं हो रही है उस अवस्था में निगम स्वयं विनियोग करेगा।

(४) निगम अपनी कियाओं के प्रारम्भिक वर्षों में ऐसे विनियोग प्रत्यक्षीयों पर विचार करेगा जहाँ—

(अ) कियों भी व्यवसाय में नवीन विनियोग कम से कम ५ लाख रुपये (अमरिक्ल) का उपकरण बराबर हो, तथा

(३) निगम से माँगी हुई रक्षायता कम हो कम १ लाख डालर (अमेरिकन) या उसके बराबर हो।

निगम ने अभी तक किसी एक विनियोग की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की है। उसकी साधारण नीति कुछ प्रशालकाय व्यवसायों में अधिक मात्रा के विनियोग न करने अधिक से अधिक व्यवसायों में कम मात्रा वाले विनियोग करना है।

(४) ओत्तोगिक, हाँय सम्बन्धी, आर्थिक, व्यापारिक तथा अन्य निजी व्यवसाय निगम (I. F. C.) से आर्थिक सहायता पाने के योग्य हैं, यदि वे प्रदृष्टि में उत्तादन-शील हैं। परन्तु निगम अब जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में केवल उन उद्योगों में विनियोग करेगा जो विशिष्ट रूप में ओत्तोगिक हैं। यह ऐसा निर्माण, चिकित्सालयों, रिज़ालयों, या इसी प्रकार हे अन्य अप्राप्य जो सामाजिक प्रकृति के हैं, तथा सार्वजनिक हित कार्यों जैसे प्रिवेट शक्ति, यानावात, मिचाई, पुनर्निर्माण इत्यादि जो कि विश्व बैंक (I. B. R. D.) से अधिक रक्षायता पाने के अधिकारी हैं, में विनियोग नहीं करेगा। यह ऐसी क्रियाओं में भी भाग नहीं लेगा जिनका उद्देश्य पुनर्मुग्धान (refunding) या पुनः अर्थ प्रबन्ध (re financing) है।

(५) निगम (I. F. C.) द्वेष्टल निजी व्यवसायों को ही आर्थिक रक्षायता देगा। यह ऐसे व्यवसायों में विनियोग नहीं करेगा जो किसी सरकार (government) के स्वामित्व में हैं या सरकार द्वारा चालित (operat ed) या प्रभागित (managed) हैं। आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रारूप व प्रिधियाँ

निगम (I. F. C.) किसी भी रूप में, जिसे वह उचित समझे विनियोग कर सकता है, परन्तु वह अर्थों व स्टॉक्स (stocks) के रूप में विनियोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता है। इस अव्याद (exception) के कारण निगम के विनियोग अम्बुण (loans) रे रूप में हो सकते हैं परन्तु इन फ्रूणों के अन्तर्गत लौकिक स्थायी ज्ञात वाले फ्रूण (conventional fixed interest loans) नहीं आते हैं। चूंकि निगम अब विनियोगों को बेचकर निरतर आने धन (funds) को एक दूरे को हस्तान्तरित करने का विचार रखता है, अतः वह प्रत्येक विनियोग के समय इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखता है कि वेदन उन्हीं प्रतिभूतियों (securities) का क्य किया जाय ता। निजी विनियोक्ताओं को अत्यधिक प्रिय है।

व्याज की दर

१ निगम (I. F. C.) अब विनियोगों (investments) के लिए किसी सामान्य (uniform) ज्ञाव की दर का पालन नहीं करता है। ज्ञाव की दर प्रत्येक विनियोग की अवस्था में, जो सम की मात्रा, लाभों में मांग लेने के अधिकार, विनियोग का वरिवर्तन (conversion) करने के अधिकार तथा अन्य सम्बन्धित परिवर्तियों के आधार पर निर्धारित की जाती है।

विनियोगों की अवधि तथा भुगतान विधि

निगम (I. F. C.) द्वारा दिये गए विवरों की अवधि ५ वर्ष है १५ वर्ष तक हो सकती है। शूलों के भुगतान (amortisation) तथा निश्चित विधि से पूर्ण भुगतान (pre payment) की विधि निगम (I. F. C.) द्वारा प्रत्येक दशा में उठाई परिस्थितियों के अनुसार निश्चित की जाती है।

प्रतिभूति (Security)

निगम शूलों को प्रतिभूति दे आधार पर या निम्न प्रतिभूति के स्वीकृत में सकता है। यदि प्रतिभूति ली जाती है तो उसके प्रारूप (form) का निर्धारण, शूल लेने वाले व्यवसाय (enterprise) की स्थिति, विनियोग करने की शर्तों तथा उसके देश के नियमों (laws) के आधार पर किया जाता है।

शूल देने की शर्तें

निगम किसी व्यवसाय की स्वीकृत घनता-रुद्धि को तो एक मूँद (lump-sum) में या निश्चित किसी (instalments) में दे सकता है। व्यवसाय को निगम द्वारा ५, १०, १५, २० वर्षों का व्यवसाय उन्नति की शर्त के लिए, स्वदर्भवापूर्वक करने का पूर्ण अधिकार होता है।

विनियोग की जाने वाला ब्लड मुद्रा

प्रारम्भिक शाल में निगम (I. F. C.) द्वारा अपनी उचिता पूँजी में से ही शूल या आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। निगम की पूँजी अमेरिकन डॉलरों में है। अतः शूल मा करने अमेरिकन डॉलरों में ही दिये जाते हैं। निगम (I. F. C.) का ऐसा विचार है कि इस मुद्रा (U. S. Dollars) से सभी सदस्य देशों की आमदानी की पूर्वी हो सकती है। परन्तु यदि किसी सदस्य देश के द्वारा आर्थिक सहायता अमेरिकन डॉलरों के अतिरिक्त अन्य किसी मुद्रा में मांगी जाती है तो निगम (I. F. C.) उसी मुद्रा में आर्थिक सहायता प्रदान करने की कोशिश करेगा, यदि उसे ऐसा करने में कोई विरोग हानि नहीं उठानी पड़ती है।

निगम के अधिकार

(१) निगम (I. F. C.) शूल लेने वाले व्यवसाय (enterprise) के प्रबन्ध (management) का नियंत्रण कर सकता है। गोपनीय रूप से निगम यह आशा करता है कि व्यवसाय (enterprise) अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए बुद्धल एवं धार्य प्रबन्धकों को विद्युत करेगा। युद्ध विशेष परिस्थितियों में निगम व्यवसाय (enterprise) की प्रबन्ध सम्बन्धी सहायता अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान कर सकता है। यदि व्यवसाय (enterprise) अपने प्रबन्ध में कुछ

महत्वपूर्ण परिवर्तन करने जा रहा है तो उसे इस सम्बन्ध में निगम का प्राप्तर्य लेना होगा। विशेष परिस्थितियों में निगम (I. F. C.) को व्यवसाय (enterprise) की सचालक सभा में सचालक नियुक्त करने का अधिकार भी है।

(२) निगम को व्यवसाय द्वारा कग दिये गये पूँजीगत सामान (capital goods) वथा अन्य गैरवाची के सम्बन्ध में पृष्ठांत्र करने का अधिकार है। ऐसा निगम इसलिए करता है जिससे अपने दिये गये धन के उद्देश्यों के सम्बन्ध में विश्वास बना रहे।

(३) निगम आख्य लेने वाले व्यवसाय (enterprise) को उसकी लेखा पुस्तकों का अवेद्य, स्वतन्त्र पब्लिश एकाउन्टेन्ड से कराने के लिए आदेश दे सकता है, तथा व्यवसाय की लेखा पुस्तकों का नियीकण अपने प्रतिनिधियों द्वारा करा सकता है। इसके अतिरिक्त वह (निगम) व्यवसाय से उत्तरों आर्थिक चिट्ठे (B/S) तथा हानि एवं लाभ लाते (P. & L. A/c) की प्रविलिपि एवं अन्य सामग्रिक रिपोर्ट मौंग रक्ता है।

(४) निगम (I. F. C.) अपने प्रतिनिधियों द्वारा व्यवसाय (enterprise) के प्लान्ट, बारातने तथा अन्य भवनों का नियीकण करा सकता है।

निगम का सरकार से सम्बन्ध

निगम (I. F. C.) अपने विनियोगों के उन्नभुगतान के सम्बन्ध में किसी भी सरकार की गारंटी नहीं चाहता है और शूल देते समय भी, यदि कोई वैधानिक प्रविक्षण न हो को सरकार की अनुमति भी नहीं लेता है। निगम उस देश क व्यवसायों (enterprise) को जहाँ की सरकार को कोई आरति है, उन्हें शूल नहीं देगा।

(७) पुनः अर्थ-प्रबन्धन निगम

(Refinancing Corporation)

५. जून, १९५८ को पुनः अर्थ प्रबन्धन निगम (Refinancing Corporation) की स्थापना श्रीयोगिक व्यवसायों को मध्यकालीन साल मुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। यह निगम एक स्वतन्त्र अर्द्ध सरकारी सम्भा (Autonomous Semi Government Agency) है और निजी उद्योगस्थियों को तीन से छात वर्ष के लिए शूल देती है। इवां शुल्य उद्देश्य वैद्यों के समा उचार देने के साथनों में दृढ़ रूप है जिससे वे निजी हेतु में मध्यर्ग की श्रीयोगिक इकाईयों को शुल देने की शुरिया दे सकें। अर्थात् यह निगम इन उद्योगों को प्रत्यक्ष रूप से उपार नहीं देगा परन्तु वैद्यों को उचार देने में रहायता पहुँचायेगा। सदम्य वैद्य मध्यवर्गीय श्रीयोगिक इकाईयों को अधिक से अधिक ५० लाख रुपया तक तीन से छात वर्ष की अवधि के

लिए ही उधार दे सकते हैं। इस निगम से केवल ऐसी ही ओप्रोग्राम सख्त रूप से प्राप्त कर सकती है जिनकी चुन्ता और सचिन पैंजी २३ करोड़ से अधिक न हो। शब्द प्रथम उत्तादन वृद्धि के लिए ऐसे ही उद्घागों को मिलेगा जो द्वितीय योजना तथा उक्त याद की योजनाओं में सम्मिलित होगे।

पैंजी का ढाँचा

निगम की अधिकृत पैंजी २५ करोड़ रुपये तथा निर्गमित पैंजी १२२ करोड़ रुपये है। निर्गमित पैंजी १२५० अरशपनों (प्रति अरश १ लाख रुपया) में विभाजित है जिनमें से १०% आवेदन पत्र और १०% आवटन पर देना आवश्यक है। इस पैंजी का क्या निम्न संस्थाओं द्वारा किया गया है—

(१) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया	५०० करोड़ रुपये
(२) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	२५५ " "
(३) राज्य बीमा बीमा निगम (L. I. C. of India)	२५५ " "
(४) अन्य बैंक	२५५ " "
योग	<u>१२५० करोड़ रुपये</u>

अन्य बैंकों के अन्तर्गत ऐन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पजाप नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बहौदा, नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, यनाइटेड कमर्शियल बैंक, लॉयड्स बैंक, इलाहाबाद बैंक, चार्टर्ड बैंक, इंडियन बैंक, युनाइटेड बैंक, मरकेन्टाइल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक (Dena Bank), तथा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद सम्मिलित हैं।

आगस्त १९५६ में भारतपरं तथा अमेरिका के बीच 'भारत अमरीकी इण्डियन अवध्यीय वस्तुओं का समझौता (India U. S. Agricultural Commodities Agreement) हुआ था जिसके अनुसार भारतपर्य को अपने निजी व्यवसाय वालों संस्थाओं को पुनरुत्थान करने के लिए ५५५ मिलियन डालर या ३६ करोड़ रुपये का कोष रखा गया था। यह रकम इस निगम को दे दी गई है। २६ जुलाई १९५८ को भारतीय वित्त मंत्रालय के संयुक्त मन्त्री (Joint Secretary) एवं २० दिन से न गुमा तथा अमेरिका के टेक्नोक्ल काश्परेशन मिशन (T. C. M.) के सचानक श्री हावर्ड हॉस्टन (Howard Houston) के मध्य हुए समझौते के अनुसार यह ५५५ मिलियन डालर का अमेरिका को भारतपर्य भारतीय मुद्रा (रुपये) में ३० वर्ष के अन्दर व्याप्र सहित वापस कर देगा।

भारत सरकार समय पर निगम को व्याप्र पर अमूल्य देकर सहायता करेगी और उस कोष में उचित समय पर अमूल्य के पुनर्मुक्तान का प्रबन्ध करेगी। इस

प्रकार से प्रारम्भ में निगम के पास युल ३८५ करोड़ रु० + २६ करोड़ रु०) की पूँजी होगी जिसमें से १५ अनुरूपत बैंकों में से प्रत्येक का कोटा (quota) निश्चित होगा और उसी सीमा के अतर्गत निगम से उस बैंक को पुनः अर्थप्रबन्ध की सुविधाएँ मिलेंगी।

निगम का ग्रन्थ

पुनः अर्थ प्रबन्धन निगम का प्रबन्ध एक सचालक समिति के द्वारा होगा। इस समिति के सात सदस्य होंगे, जिसमें रिजर्व बैंक आॅफ इण्डिया का गवर्नर उसका चेयरमैन होगा। शेष छः सदस्य इस प्रकार होंगे—

- (१) रिजर्व बैंक आॅफ इण्डिया का डिप्टी गवर्नर
- (२) स्टेट बैंक आॅफ इण्डिया का चेयरमैन
- (३) जीवन क्षीमा निगम (L. I. C.) का चेयरमैन
- (४) अर्थ बैंकों के तीन प्रतिनिधि।

पुनः अर्थ-प्रबन्धन निगम (Refinance Corp.) पूर्व स्थापित श्रीयोगिक साल तथा विनियोग निगम (Industrial Credit and Investment Corporation) की कियाओं में सहायता पहुँचाता है। बास्तव में आधारभूत तथा मध्यमाय उद्योगों को अपनी जीर्ण मशीनों तथा साजसज्जाओं (equipments) के परिवर्तन के लिए तथा अन्य सम्बन्धित कारों के लिए धन की आवश्यकता होती थी जिसकी पूर्ति अब पुनः अर्थ-प्रबन्धन निगम से होने लगेगी। इस प्रकार इस निगम का श्रीयोगिक द्वेष में विशेष महत्व है।

निगम की कियाओं का व्यौरा

पुनः अर्थ प्रबन्धन निगम (Refinance Corporation) ने सितम्बर १९५८ से आवेदन-पत्रों को प्राप्त करना प्रारम्भ कर दिया है। निगम के वर्तमान वित्तीय साधन ७५० करोड़ रुपये हैं, जिसमें २५० करोड़ रुपये की चुकता पूँजी तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत ५ करोड़ रुपये का मूल्य सम्पत्ति है।

कारपोरेशन के प्रारम्भ (जून, १९५८) से लेकर दिसम्बर १९५८ के अन्त तक कारपोरेशन के पास २० प्रार्थनापत्र ४२१ करोड़ रुपये के मूल्य के लिए आये। इनमें से १६ प्रार्थनापत्र ४०३ करोड़ रुपये के मूल्य के लिए स्वीकृत किये गये। जिन उद्योगों को मूल्य स्वीकृत किये गये वे क्रमशः पेरोमैनीज, यहो बब्ल लद्डोग, एलेक्ट्रिकल तथा मेकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्स्ट तथा डर्वरक चीज़ी, स्मेन्ट, भारी रसायन आदि हैं।

कारपोरेशन ने सदस्य बैंकों को दिये गये मूल्य पर पिछ्के वर्ष की मौति न्याय की दर ५ प्रतिशत ही ली। सरकार द्वारा २६ करोड़ रुपये के स्वीकृत मूल्य में से पिछ्के साल बैंक ५ करोड़ रुपये ही निकाले गये। इस वर्ष कुछ नहीं निकाला गया।

१९५८ में कारपोरेशन की आय २६ ५७ लाख रुपये थी जब कि पिछले वर्ष यह आय लगभग १४ ०६ लाख रुपये थी। सर सच्चों को निकालने के बाद शुद्ध लाभ २००२ लाख रुपये का हुआ।

प्रश्न

1. Is the supply of capital for new industrial concerns in India inadequate at the present time? Give the factors responsible for such inadequacy. (Agra 1960)

2. Why is there a shortage of industrial finance in India? What steps are being taken to remove this shortage? (Agra 1960)

3. What are the sources of finance for industries in India? What has been done by the Government in recent times to increase facilities for industrial finance in India? (Patna, 1960)



अध्याय ३१

कुटीर एवं लघु उद्योग

(Cottage And Small Scale Industries)

भारतवर्ष में प्राचीन उद्योगों का पतन तो हो गया विन्तु वे पूर्णतः नष्ट नहीं हुए और न हो ही सकते हैं, क्योंकि भारतीय अर्थ व्यवस्था की ओर आधारित है। गांधी जी के शब्दों में “भारत की मोक्ष इसके कुटीर उद्योगों से निहित है।” आज भी जब कि देश ने आयोगीकरण की विशाल योजनाएँ बना ली हैं, कुटीर उद्योगों की महत्वा में तनिक भी अन्तर नहीं पड़ा है, बल्कि किसी सीमा तक इनका महत्व और बढ़ गया है। देश में जनसंख्या की अति वृद्धि, लघुदों का वर्ष में व्याधिवाश बेकार रहना, व्यवसायों के अनुसार देश में जाति व्यवस्था का संगठन, पैदॄश व्यवसाय करने में लोगों की अभियन्ति, कलात्मक वस्तुओं के प्रति लोगों का अनुराग, स्वदेशी आन्दोलन तथा राज्य की नीति इत्यादि अनेक ऐसे यारण हैं जिन्होंने देश में कुटीर-उद्योगों को किसी न किसी रूप में जीवित रखा है।

कुटीर-उद्योगों का आर्थिक महत्व

भारतवर्ष की वर्तमान गम्भीर समस्याओं का अवलोकन करने से ही कुटीर-उद्योगों के आर्थिक महत्व का अनुमान लगाया जा सकता है। न देवल भारतवर्ष में ही शहिक साचार के उद्योग प्रचान देशों जैसे अमेरिका, इंडिया, जापान, रूस और जर्मनी में भी जहाँ कि आयोगीकरण अपने विवास की चरण सीमा पर पहुँच चुका है और उत्पादन अत्यन्त विशाल स्तर पर होता है, वहाँ भी कुटीर उद्योग दियी न विसी रूप में जीवित हैं। एक अनुमान के अनुसार अमेरिका के व्यापार में ६२.५ प्रतिशत क्षेत्र ऐसाने का व्यापार है, जिसमें देश के ४५ प्रतिशत भाग करने वाले लोग लगे हैं।^१ इन्हाँलैण्ड में ऐसे उद्योगों से जनता वो २६% रोडगार मिलता है और इन उद्योगों में सम्पूर्ण उत्पादन का १६% उत्पादन होता है। युग्मूर्य जर्मनी में २३% प्रतिशत उत्पादन इन उद्योगों से होता था। जापान में तो ५० प्रतिशत से अधिक उत्पादन कुटीर उद्योगों से होता है। इन उद्योगों का महत्व निम्न टाइक्सोलोगों से और भी अधिक दब जाता है—

¹ *Fiscal Commission Report, 1949-50, p. 101.*

(१) असत्य व्यक्तियों की लीबिया के साथन—इन उद्योगों से भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या द्वारा उपयोग की जाती है। इस उद्योग में हजारों तुरंतियों की संख्या २ लाख से भी अधिक है जिनमें वारपानों (factories) में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या ८५८,१६,८५,००० है। दश वर्ष आगे उन्होंने सार्वत्रिक व्यक्तियों की संख्या ८५८,१६,८५,००० से अधिक होने की विचारणा की है। इन उद्योगों में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या ८५८,१६,८५,००० से अधिक होने की विचारणा की है। इन उद्योगों में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या ८५८,१६,८५,००० से अधिक होने की विचारणा की है।

(२) बेकारी की समस्या का हल—कुटीर एवं लघु उद्योगों के विवाह से बेकारी की समस्या नहुत बुझ दूँ है। वारपानों में ही उनकी संख्या का एक प्रतिशत भाग ही सप्त संख्या है। भावी विवाह का अनुमान करते हुए अधिक से अधिक इतने ही व्यक्ति और सप्त जायेंगे। ऐसे भी बेकारी की समस्या का समाधान नहीं सकेगा। परन्तु यदि देश भर में कुटीर उद्योग ऐना दिये जायें तो वह समस्या बहुत ज़्यादा सुलभ संख्या है। गाड़ी जी के शहर 'मान ना भोज्य' कुटीर उद्योगों में निवृत्ति से भी इस कथन की पुष्टि होती है।

(३) भारतीय ग्रामीण अर्थ ज्यास्ता के अनुदून—ग्रामीण अर्थ-ज्यास्ता में इनका महत्व इसलिए भी है कि ये निवास के लिए अतिरिक्त (extra) आवश्यक साधन भन सकत हैं। उच्ची बरारी अथवा अद्वैत व्यक्ति के चार पाँच महीनों में काम प्रदान कर सकत हैं। हृषि उद्योग से घनिष्ठ रसायन होने के बारण कुटीर-उद्योगों का महत्व इस द्वातेर में भी है कि ये लोगों, जो कि ग्रामीणतया इस पर निर्भर हैं, के जीवन के प्रारम्भिक रहन सहन के दृग और आस्ताप के सम्बन्ध में एक है।

(४) आर्थिक विपरीता का नियासगा—कुटीर एवं लघु उद्योगों के विवरण से वर्तमान पौली हुई देश की ग्रामीण विपरीता (economic inequality) का कोई जा सकती है। यह स्थान के उद्योग के बारण एक और भविकर दृष्टिता और दूसरी और भोग विलास और अपरिमत विभव देखने में आता है। कुटीर एवं लघु उद्योगों के प्रसार से भन के बारण में समानता लाइ जा सकती है, क्योंकि बरारी दूर होने से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ग्रामीणतया की पृति के लिए पर्याप्त घन मिलेगा और विनी व्यक्ति विशेष का अधिक भन सहज बनने का अधिकर म रहेगा। शोण्य की सम्भावना भी न रहेगी।

(५) उद्योग का विकास द्वीरण—एक और तो वे इस पर घनिष्ठ लाभ सम्बन्धित हैं और दूसरी और व वह दैनानी के उद्योगों से निरत भी नहीं हैं। वीक्रीवित से

बहुती ही समाजवादी अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत उद्योगों के निवेदीकरण भी इनका विशेष महत्व है। उद्योगों के केन्द्रीय नियन्त्रण से अनेक प्रकार भी समस्याएँ पैदा हो जाती हैं, जैसे आवास की समस्या, यातायात संकुलन (traffic congestion), मैत्रिय पतन, अव्यवस्था वाताप्रण इत्यादि। कुटीर एवं लघु उद्योगों की स्थापना से वे सभी समस्याएँ दूर हो जायेंगी।

(६) उत्पादन के उपिकोण से महत्व—उत्पादन के उपिकोण से भी इन उद्योगों का महत्व कम नहीं है। 'केन्द्रीय सांख्यिकी बांग्लादेश' (Central Statistical Organisation) के अनुमान के अनुसार १९५६-५७ में लघु उद्योगों का उत्पादन ६७० करोड़ रुपये था जबकि वहे उद्योगों का उत्पादन वेवल ८२० करोड़ रुपये था। ग्रधिमाधिक उत्पादन का प्रश्न आज भी देश के सामने है। उत्पादन के इस महान् कार्य में कुटीर-उद्योग भी सहयोग दे सकते हैं।

(७) वहे उद्योगों के सहायक के रूप में—कुटीर एवं लघु उद्योग वहे उद्योगों के सहायक उन सकते हैं जैसा कि जापान में होता है। विभिन्न वस्तुओं को विभिन्न स्थानों में बनाकर विसी एक शाखाने में जोड़कर पूरी वस्तु तैयार करने की व्यवस्था की जा सकती है।

(८) समाजवादी समाज की रचना में सहायता—१९५४ से भारतीय सरकार ने समाजवादी समाज की रचना करने का निश्चय कर लिया है। सरकार वे उद्देश्य की पृति में कुटीर एवं लघु उद्योग एवं बहुत बड़ी सीमा तक सहायक हो सकते हैं। वहे पैमाने के उद्योग तो पैंजीवाद को जम देते हैं, क्योंकि इन उद्योगों से कुछ इने गिने व्यक्तियों के हाथ में घन का सचय हो जाता है, जिससे अनेक अवाहनीय समस्याओं को जम मिलता है। जैसा कि हम अन्यत्र भी देख सकते हैं कि कुटीर एवं लघु उद्योग से ये सभी दोष दूर हो जाते हैं और समाजवाद को जम मिलता है।

(९) सामरिक (Strategic) महत्व—युद्धकाल में इन उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है। उदाहरणार्थे द्वितीय महायुद्ध में कुटीर एवं लघु उद्योग का कार्य बहाहनीय रहा। उत्तर प्रदेश के शीशांगन ने फौज के लिए काँच का सामान बनाया, आगरा के सगतगारा ने फौज के लिए परिचय पट्टन बनाये, मछली के जाल बनाने वाली ने फौज के लिए शनु ये छिपाने वाले जाल बनाये तथा रिलीना बनाने वालों ने फौजी टीन बनाये।

^१ (१०) पुनर्वासन उपिकोण से महत्व—राजनीतिक पारणी से विस्थापितों की विकट समस्या उभयंतर हो जानी है, जैसा कि भारतपर में रिमाजन के फलस्वरूप हुआ। वहे रोजगार देने वाला समान रूप से देश में बनाने के लिए ये उद्योग बहुत उपयुक्त हैं। सरकार ने भी सीरार कर लिया है कि होटे उद्योगों पर जितना रार्ड किया

जाना है उतने ही सचें से बड़े उद्योगों की तुलना में कही अधिक इनमें लोगों को काम मिलता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आज भारत के कुटीर एव लघु उद्योग धन्यों पा महत्व ग्रीयोगीकरण में इतना है जितना सम्भव। पहले नहीं था। बस्तव योजना न अनुसार “ग्रीयोगिक संगठन हमारी योजना का एक महत्वपूर्ण माग है। इसमें हम ऐसाने रे उद्योगों के साथ छोटे पैमाने एव कुटीर-धन्यों की समुचित योजना होनी चाहिए। ये इसलिए महत्वपूर्ण नहीं हैं कि वे रोबगार ना साधन मान हैं, वहिं पूँजी की विशेषता प्रारम्भिक स्थिति में ग्राही पूँजी की आवश्यकता कम करने रे लिए मौ आवश्यक है। सामान्यतः यह वहा जा सकता है कि आधारभूत उद्योगों में द्वेषी श्रादी दराइयों के लिए कम स्थान है, परन्तु उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में उनकी उपयोगिता एव महत्व अद्वितीय है। इस द्वेष में उनका कार्य अधिकतर नड़ी द्वारा द्वायों के लिए सहायता होगा।”

श्री गैडगिल ने शन्दा में “आधारभूत एव छोटे पैमाने के उद्योग धन्यों के विकास से ही आर्थिक विप्रवता का यन्त्र होगा।”

प्रथम पचार्थीय योजना में इन उद्योगों ना महत्व स्वीकार करते हुए कहा गया है कि “ग्रामीण विकास कार्यक्रम में कुटीर पधार का प्रमुख स्थान है। यदि कृषि को वैश्वानिक करना है तो सम्पूर्ण देश के अतिरिक्त श्रमिकों को जो कुल उत्पादन तिहाई है, काम देने का साधन राजना होगा तथा ग्रामीण ज़ेना वी मिशाल मानवीय एव आर्थिक समस्याओं को मुक्तभाना होगा, इसलिए निकट भवित्व में कुटीर धन्यों की आवश्यकता एव महत्व समये अपिक है, जिस पर जोर देना होगा।”

प्रसवता भी यान है कि सरकारी एव गैर-सरकारी दोनों ही स्तर पर इस तथ्य को भली भांति समझ लिया गया है, और सरकार ने इस दिशा में उचित कदम भी उठाए हैं। प्रथम पचार्थीय योजना के अन्तर्गत इन उद्योगों के पुनर्स्थान एव विकास के लिए २३२ करोड़ रुपये तथा द्वितीय योजना के अन्तर्गत २०० करोड़ रुपये का ग्रामधान किया गया है। द्वितीय पचार्थीय योजना में लघु एव मध्यमीय उद्योग धन्यों पर ६०० करोड़ रुपये व्यव निये जायेंगे।

कुटीर एव लघु उद्योगों का अर्थ

(Meaning of Cottage and Small Scale Industries)

कुटीर एव लघु उद्योगों को विभिन्न व्यक्तियों एव संस्थाओं ने विभिन्न व्यक्तिगत से परिमाणित किया है। अब इनका अर्थ भी विभिन्न लगाता जाता है। कुछ लोगों के

लिए कुटीर उद्योगों का अर्थ ऐसे ग्रामीण उद्योगों से है जो कि कृषि से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं। अब लोग उनमा अर्थ ऐसे इसी भी उद्योग से लगते हैं जो छोटे स्तर पर कृपण के घर या कुटीर में इये जाते हैं और जिसमें परिवार के लभी सदस्य लगते हैं। उन्हें लोग ऐसे उद्योगों को कुटीर उद्योग कहते हैं जहाँ शक्ति एवं मशीनों का प्रयोग नहीं होता।

इसके विपरीत लघु स्तर के उद्योगों का अर्थ ऐसे औद्योगिक संस्थानों (establishments) अथवा सार्थों (concerns) से है, जिनका संगठन सीमित अधिकार अखेलीमित उत्तरदायित्व (liability) व आधार पर हुआ हो, और जिसमें कारीगर अथवा मजदूरों को पूजीपत्रिया द्वारा नियुक्त किया गया हो अथवा वे स्वयं अपने लाभ के लिए ही कार्य करते हों, परन्तु ऐसे कर्मचारियों की सख्ता ५० से अधिक न होनी चाहिए।

कुटीर एवं लघु उद्योगों के इन सीमित अर्थों एवं विवेचनाओं से गतिशील महङ्ग प्रकार का भ्रम उठता है जिससे इन उद्योगों के यही अर्थ और महत्व का निश्चेपण करने में अड़चन पड़ती है। ऐसी अवस्था में कुटीर उद्योगों की कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करना अरुगत न होगा।

परिभाषाएँ

(Definitions)

(१) केन्द्रीय अधिकोपण जांच समिति

“वे उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्रों में पाये जाते हैं, और जिनसे कृपणों की सहायता कार्य प्रिलते हैं, वो ग्रामीण एवं धरेलू उद्योग नहीं सन्तुत हैं।”

(२) बम्बई आर्थिक एवं औद्योगिक सर्वेक्षण समिति

“कुटीर उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जहाँ पर शक्ति का प्रयोग नहीं होता और जहाँ उत्पादन साधारणतया कारीगर के नियास स्थान अथवा कमी-कमी ऐसे छोटे कारपानों में जहाँ नी से अधिक व्यक्ति कार्य न करते हों।”

(३) राष्ट्रीय नियाजन समिति १६३

“लघु उद्योग अथवा कुटीर-उद्योग ऐसे उपकरण (enterprise) अथवा कार्यों की विधियां को कहते हैं जो अपनी कला (Craft) में दक्ष अभियंता द्वारा भी जानी हैं अथवा अपने ही जोखिम पर वह स्वयं निर्भित वस्तुओं का प्रिक्रिय करता है। वह अपने ही एह म, अपने ही श्रीजारा, वन्ने भाल एवं ध्रम से काम करता है और अधिक से अधिक अपने परिवार के सदस्यों की सहायता ले लेता है। अभियंता अभिक्षत अदाय, अपने चारुर्थ का प्रयोग करते, परमरागत् यार्यपिधिया से काम करते।”

आधुनिक शक्तिचालित मशीनों का प्रयोग नहीं करते हैं। अपने उद्योग में मित्रायसदा एवं कुशलता लाने की दृष्टि से वे पशु शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। उसका अतिम उद्देश्य ऐसे समीपतरी जानार के लिए बखुआ का निर्माण करना है जिसमें उसे बखुआ की भाँग एवं गुण का पूर्ण ज्ञान रखता है।”

(४) भारतीय औद्योगिक समिति

“कुटीर उद्योग वे उद्योग हैं जो कि अभिकों ने घर पर चलाये जाते हैं, जहाँ कि उत्पादन का स्तर छोटा हो और जहाँ कि न्यूनतम सुगठन हो, जिससे कि वे नियमानुसार बचल स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति में ही उमर्ख हों।”

(५) उच्चर प्रदेश औद्योगिक समगठन समिति

“वे उद्योग जहाँ साधारणतया कारीगरों वे घर में काम किया जाता है और कभी कभी ऐसे छोटे वारपानों में जिसे साहसी प्रवृत्ति के छोटे उद्योगपति बताते हैं, और इसमें शक्तिचालित मशीनरी का प्रयोग होता है।”

(६) श्री सी० डी० देशमुख (भूतपूर्व के द्वीय वित्त मन्त्री)

“कुटीर उद्यानों का तात्पर्य उन्हें वारपानों के समानित उत्पादन के अतिरिक्त समस्त प्रकार के उत्पादन से होता है। जो इन पर आधिक हानि है वे अपने ही प्रयत्न एवं चातुर्य पर निर्भर रहकर अपने ही घरों में साधारण औजारों से कार्य करते हैं।”

कुटीर उद्योगों के प्रमुख लक्षण

उपरक्त परिभाषाओं से कुटीर-उद्योगों के निम्न प्रमुख लक्षण ज्ञान होते हैं —

(१) कुटीर उद्योग किना कियाय क श्रम (hired labour) की सहायता कारीगरों के घरों पर ही चलाय जाते हैं।

(२) ये उद्योग पूर्णरूपेण कारीगर एवं उनके परिवार के सदस्यों, जो उनमें सलग हैं, पर आधिक होते हैं।

(३) इनके कारीगर एवं उनके परिवार के सदस्यों वो केवल अल्पमालीन काम मिलता है।

(४) ये उद्योग सहायता उद्योगों के रूप में केवल कारीगरों (अभिकों) को उनके अवगताश के समय में उनकी ग्रल्य आय म वृद्धि की दृष्टि से चलाये जाते हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य होने के बारण यह उनका एकमात्र व्यवसाय नहीं हो सकता।

(५) कुटीर-उद्योग असुगठित हैं और सम्पूर्ण देश में फैले हुए हैं। इन उद्योगों के स्थापन एवं पितरण में जानि पानि (caste) का प्रमुख स्थान है।

(६) अपने सुनुचित साधनों के कारण कृपका में कुटीर उद्योग न्युन प्रचलित होते हैं क्योंकि इनमें ग्रधिक पूँजी के विनियोग की आवश्यकता नहीं होती।

(७) वे उद्योग मुख्यतया कारिगरों के व्यक्तिगत चानुर्य एवं कौशल पर आधिन होने हैं जो अधिकारी न रिट्रॉट (hereditary) होते हैं। इन उद्योगों की वस्तुओं रा प्रमुख आवश्यक उनका कलान्वय युग्म तथा कारिगरी एवं कुशलता का एक जीवित उदाहरण होना है।

(८) इन उद्योगों में प्रयुक्त प्रणिधि (technique) एवं उपकरण (tools) अति साधारण होते हैं।

कुटीर एवं लघु उद्योगों का वर्गीकरण

डॉ. थी० कै० आर० थी० राय ने कुटीर-उद्योगों का निम्नलिखित वर्गीकरण निया है —

(१) वे उद्योग जो कि इहे पैमाने के उद्योगों में सहायक होने हैं,

(२) वे उद्योग जो इन विभिन्न प्रकार के भरमत कार्य करते हैं, जैसे— मोटरों तथा मशीनों र कारबाने, छोटे मोटे इंजीनियरिंग के कार्य इत्यादि,

(३) वे उद्योग जो कि पहचं माल उपच करने र लगे हुए हैं, जैसे धीतल, ताँग तथा चिनपर के गर्वन बनाना, चांदी-साने के तार बांचना, फर्नीचर बनाना आदि।

डॉ. राय ने उपरोक्त वर्गीकरण के अंतरिक्ष कुटीर उद्योगों का निम्नलिखित वर्गीकरण बच्चे माल र आधार पर भी किया है.—

(१) वे उद्योग जो गूडी, उनी तथा रणमी वस्त्रों के सम्बन्धित हैं, जैसे चताई, रगाई, बुनाई व छुगाई आदि।

(२) धानुआ सम्बन्धी उद्योग, जैसे धीतल, ताँग, व चिलपर के गर्वन ज्ञाना तथा हुदारी के कार्य।

(३) लसड़ी सम्बन्धी उद्योग, जैसे गाड़ी, सन्दूक, फर्नीचर तथा लकड़ी के तिलौने आदि ज्ञाना।


(४) चमड़े के सम्बन्धित उद्योग, जैसे चमड़ा पराना, जूता, चमड़े तथा चमड़े के थेले इत्यादि ज्ञाना।

(५) मिश्र सम्बन्धी उद्योग, जैसे तिलौने, चीनी के बर्नन, इंट, चूना, एमैल इत्यादि ज्ञाना।

(६) यादी पदार्थ सम्बन्धी उद्योग, जैसे दूध, घी, मक्कन, मिसुट, अचार, तेल, गुड व दाढ़ारी इत्यादि ज्ञाना, चापल कूटना, ग्रादा पीछना तथा विभिन्न भियाहरी इत्यादि ज्ञाना।

(७) अन्य उद्योग, जैसे चूड़ियाँ, शीशी, धानुन, मुगन्धित इत्र व तेल, साही, चटाई, दोबरिंग इत्यादि ज्ञाना।

राज्यपाल आयोग (Fiscal Commission) ने कुटीर एवं लघु-उद्योगों को इस प्रकार वर्गीकृत किया है—



प्रामीण कुटीर उद्योग—ये दो प्रकार के हो सकते हैं—अल्पकालीन एवं पूर्णकालीन। अल्पकालीन कुटीर उद्योगों के अन्तर्गत वे उद्योग आते हैं जो कृषि व्यवसाय में सहायता होने हैं, जैसे हस्तकरघा उद्योग (handloom weaving), शहर के कीड़े पालना (sericulture), टोकरी बनाना, आदा बीसना, बीड़ी बनाना इत्यादि। पूर्णकालीन कुटीर उद्योगों के अन्तर्गत वे उद्योग आते हैं जिनमें प्रामीण भूमि को पृष्ठकालीन रोबगार ग्राम्य होता है, जैसे मिट्टी के घर्तन बनाना, लोहार्पणी का बाम, तेल निकालना, मट्टईगिरों का बाम, हस्तकरघा उद्योग आदि।

शहरी कुटीर उद्योग—ये उद्योग भी दो प्रकार के हो सकते हैं—अल्पकालीन एवं पूर्णकालीन। शहरी उद्योगों में आधिकार वृष्टिकालीन उद्योग होते हैं जो विलापी की आजीविका के साथी साधन होते हैं, जैसे खोने व चाँदी के तार बनाना, लकड़ी व वाहनों के खिलौने बनाना, धातु की वस्तुएँ बनाना, रेशमी कपड़े बनाना तथा छाड़, एवं रेंगाई का बाम बनाना इत्यादि।

शहरी लघु-स्तरीय उद्योग—ये उद्योग भी दो भागों में विभाजित किये जा सकते हैं—अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन। अल्पकालीन शहरी लघु उद्योग में आपि बतर मीसमी (seasonal) उद्योग आते हैं, जिनमें अमिरा को अल्पकालीन (part time) रोबगार मिलता है। जैसे इंट बनाना, मिट्टी के घर्तन बनाना इत्यादि। पूर्णकालीन शहरी लघु उद्योगों के अन्तर्गत शहरों के साथी (perennial) बालाने आते हैं, जैसे होजारी के बालाने, इन्जीनियरिंग उद्योग, छापेमाने व चमड़े के बालाने आदि।

प्रामीण लघु-स्तरीय उद्योग—ये उद्योग भी दो प्रकार के होने हैं—अल्पकालीन तथा पूर्णकालीन। अल्पकालीन लघु स्तरीय उद्योगों के अन्तर्गत प्रामीण देना के वे सब मीसमी उद्योग आते हैं, जिनका सम्बंध खेती द्वारा उत्पादित वस्तुओं

के सुधार से होता है, उदाहरणार्थं चावल की मिलें, सदसारी के कारखाने तथा गुड़ मनाना इत्यादि। पूर्णवालीन ग्रामीण लघु स्तरीय उद्योगों के अन्तर्गत बहुत सीमित उद्योग आते हैं, जैसे लोटे मोटे औजार, कनाना, जूते कनाना, कालीन कनाना इत्यादि।

→ योजना आयोग (Planning Commission) ने लघु उद्योगों को ठीन भागों में विभक्त किया है :—

(१) वे लघु उद्योग-धर्षे जो मुविधाजनक हैं और वहे पैमाने के धर्षों के बारण उन पर विस्तीर्ण प्रवार का असर नहीं पहुंचता; जैसे ताले, मोमबत्तियाँ, चटन तथा जूतों का उत्पादन आदि।

(२) वे लघु उद्योग धर्षे जो वहे पैमाने के धर्षों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे सादकिल के धर्षे के लिए साइकिल के हिस्सों का उत्पादन, चिकित्सा भी चीजें, हुरी-कॉटे आदि वस्तुओं का उत्पादन।

(३) ऐसे लघु उद्योग धर्षे जो वहे पैमाने के धर्षों के साथ बाधायदा प्रतिशेषिता में आते हैं; जैसे हाथ वस्त्र-उद्योग।

प्राचीन भारत में कुटीर उद्योग-धर्षे

अति प्राचीन बाल से भारतवर्ष कुटीर उद्योगों का गढ़ रहा है। विभिन्न ऐति-हाइक तथ्य इस धर्षन की पुष्टि करते हैं और भारतवर्ष की सम्पूर्ण सासार में इस सम्बन्ध में प्रधानता (supremacy) को दर्शाते हैं। भारतीय कुटीर उद्योगों क्वारा निर्मित वस्तुओं की प्रशासा प्राचीन रोम एवं मिथ्र जैसे सभ्य देशों म भी की जाती थी। आदृष्ट भारतीय कुटीर उद्योग के कुछ सुनहरे ऐतिहासिक घट्टों को पलट कर देलें।

‘नील धाटी में जन प्रथिद पिरामिडा का निर्माण हुआ तर प्रीस व इटली जो शोरोपीय सम्भवा एवं सहृदयि के जन्मदाता वहे जाने हैं, जङ्गली जीपन विता रहे थे। उस समय भारत समृद्धि एवं सहृदयि के विकास पर पहुँचा हुआ था। परिश्रमी और अच्छप्रसादी भारतीय ने अपने पिशाल देश को उद्योगों की निस्तृत भूमि के रूप में परिणयत वर दिया था। धन धान्य के हरियाले घेतों से भारत भूमि लहलहा रही थी और कुशल वारीगर भूमि के अत्यन्त साधारण पदार्थों से अद्भुत और आश्चर्यजनक घट्टों का निर्माण करते थे।’

वे हैं वे वाक्य जो प्रथिद मिदान धार्नटन ने अपने प्राचीन भारत सम्बन्धी प्रथ में उल्लिखित किये हैं। वहीं तर नहीं, भीस जे प्रथिद इतिहासकार हीरोडाटस नो ‘इस नत पर आश्चर्यं प्रस्त यरने हुए लिपता है कि ‘भारतीय एवं ऐसे ऊन के बहु पहनते हैं जो भेद-व्यवरियों के शरीर पर नहीं होती अरिनु पेह-नीधों के रूप में उगार जाती है।’

भारत के प्राचीन साहित्य में भी वन्दों के उल्लेप के लक्षणों उदाहरण मिलते

है। श्रुत्येद को हैश्परकृत ग्रन्थ न मानने वाले विद्वान् भी इस बात में एकमत हैं वि
वह संसार के पुलावालाय वी सर्वप्रथम पुस्तक है। उषकीर रचना के बारे में विद्वानों वा
मत है कि वह ईशा द्ये १०,००० वर्ष पूर्व तो अवश्य ही लिखी गई होगी, जब कि भार
तीय विद्वान् इसपे कई मुना आधिक पुराना मानते हैं।

श्रुत्येद के एक मन्त्र में श्रूपि मिलाव करने हुए कहता है कि 'मैं धार्मिक
कर्तव्यों का न ताना जानता हूँ और न धाना।' श्रुत्येद में कपड़ा सोने वाली मुई वो
'रुदी' एवं 'आरिचेशी', कैंची वो 'मुरिज़', ताने वाली लबड़ी वो 'मयूर', दरख़ी की 'विन'
और बुनकर को 'वायिनी', 'वाम' और 'लिरी' नामों द्ये उल्लिखित किया गया है।
'हिरण्य द्रापी' नामक एक चमचने वाले मुनहले वस्त्र तथा 'प्रावार' धनियों की घारीक
धोनी का भी उदाहरण मिलता है।

मिगाह संस्कार में वस्त्र परिवर्तन के समय वोले जाने वाले ऋग्येद के एक
मन्त्र में राट लिया है कि 'हम वह कपड़ा पहनें जो देवियों ने आपने हाथ से बाल
और बुना है।' अर्थव्येद में भी ऐसा ही लिया है कि 'मुहागरात के दिन वर अपकृ
नवन्यधू के हाथ सा ही कत्ता-बुना वस्त्र पहनता था।' यजुर्वेद के एक मन्त्र से उन
कातने और बुनने वी प्रथिष्ठि (prathyastha) वा प्रमाण मिलता है।

) सुश्रुत सहिता में चारीक डोरे से सीने (धीन्येत सूच्येण गुह्येण) पा बर्णन है।
वैदिक साहित्य म पाण्डी वो 'उप्यीय', ज़री के काम वाले लहँगे वो 'नीति' वा
मिगाह के समय के वस्त्रों वो 'वाधूय', वस्त्र के नीचे लगने वाली भालर या गोटे वो
'दूर' कहा गया है।

महाभारत में मोती के भालर से टैक वस्त्र वो 'मणिचीर' लिया गया है।
चौड़, पाली, जैन आदि साहित्य में भी भारत वी बलात्मक बुनावट का प्रियरण मिलता
है। इस बाल की एक पुस्तक में वाराणसी के 'कीर्णयरु' वस्त्र का उल्लेख है जिनमा
मूल्य प्राप्तः १ लारा रुपये होता था। इसी वस्त्र के बारे में वाइविल के थोल्ड टेस्टा-
मेंट में भी 'शनु' शब्द का प्रयोग हुआ है।

गुप्तवालीन महाकवि कलिदास ने विवाह छाल में प्रयुक्त होने वाले
वस्त्रों को 'हस चिह्नित शुद्धल' बता है। महाकवि वाणि ने बहुमूल्य वस्त्रों की कला-
त्मक बुनावट का प्रियरण प्रस्तुत किया है। इन्होने राज्यश्री के विवाह के लिए
रौपर विवेदे हुए वस्त्रों का उल्लेख करते हुए लिया है कि रेशम, इंदू, ऊन, सौंप और
केंचुली के समान महीन, स्वांस से टड़ जाने वाले, तर्श से भी अनुभेद और इन्दू
धनुष के रग वाले कपड़ों से घर भर गया।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 'सूत्राध्यक्ष' नामक एक वडे कर्मचारी वार्षकृतीश्वरों
वा विस्तृत विवेचन है। शुक्रनीति में भी 'वस्त्र' नाम के कर्मचारी वा उल्लेख है जिनका

धाम ऊन, रेशम आदि के कपड़ों की माँग, उनकी ऊब तथा अन्य विस्तृत जानकारी रखना और व्यवस्था करना था।

ढाके की मलमल तो इतिहास प्रसिद्ध बल्कि है, जिसके बारे में ग्रॅंगूटी के द्वेद में से २० गज लम्बा और एवं गज चौड़ा थान को निकालना, आठ तह लपेटे लड्डी को भी और गजों का डाटना तथा ७५ गज मलमल वा पीने दो रत्ती बजन तक पा होना सर्वविरिदित है। महोदय बुकेनन के शब्दों में “ढाके भी मलमल जिसे ‘बुनी हवा’ (Woven wind) कहते थे, ४०० से अधिक काउन्ट्स की जनती थी तथा एक पूर्ण पिक्सित युग्मी के लिए बड़ी साड़ी एक ग्रॅंगूटी के अन्दर से निकली जा सकती थी।”^१ क्षात्र में मारतीय मलमल के अनेक वित्तवूर्ण नाम रिख्यात हैं जैसे ‘बुनी हवा’ (Woven Air) तथा ‘रसाती पुहार’ (Raining Water)। मुगल दरबारी कवियों की स्वनाशी में यहाँ ते जाले, घहता पानी, शपनम या ओस की चूंद से समानता पाते हैं।

एक प्राचीनी कलाविद वा मत है कि ३० कुविट्स लम्बाई वा सापा हाथ पर लेने से अनुभव ही न हुआ। १५ गज मलमल का बजन कुल १०० प्रेन देसकर मेरी आख फटी रह गई। अफ्रीका के इतिहास में उल्लेख है कि मारतीय वस्त्रों के मूल्य में वस्त्र का बजन से चौगुना सोना दिया जाता था।

यहीं तक नहा, इतिहास का मत है कि ईशा उे ५००० वर्ष पूर्व भी मारतीय मलमल वी मिथ्र के समीज (Egyptian Mummiaries) के आवरण के लिए बुना जाता था। रोम में मारतीय वस्त्रों की उपत होती थी तथा यूनानियों को ढाके भी मलमल ‘गोटिया’ का नाम दे जात थी।

डेनियल डैको के मलानुसार इगलैंड के हर पर में मारतीय वस्त्र का प्रवेश “हो गया था। भागत के थ्रीट के कपड़े हर एवं महिला के पेटीरोट के लिए प्रयुक्त होने लगे थे। स्वयं महायानी भी बैलिङो (कालीन्द) के कपड़े पहन वर प्रलम्ब होती थीं। यदों, गर्दियों और कुर्सियों के गिलापों आदि के लिए भारतीय वस्त्र ही प्रयुक्त होने लगे थे। डाँ राधर्ट्सन ने तो यहाँ तरह निया है कि वस्त्रोन्यों के कारण भारत में सोना और चाँदी दूसरे देशों से दुला चला आगा था।

प्राचीन भारतीय कारीगरों की प्रारिधिक (technical) योग्यता एवं कुशलता

प्रोफेसर वेगर वा वहना है कि “मारतीय सैरेन से बहुत महीन धरमा हुनने, १ रगों को मिलाने, सुगनराशी व लोहा बाटने की कुशलता वे लिए बगत प्रयिद रहे हैं।”^२ योरोपीय सभता के आदि मिश्राशील देश धूनान (Greece) के निगली

^१ बुच्नन, पृ० १६४

^२ *Industrial Commission Report*

हेरोडाटस (Herodotus), मेगस्थनीज (Megasthene) तथा प्लिनी (Pliny) जैसे विदानी ने भारतीय वर्णों की सुनकट से प्रशंसा की है।

प्राचीन युग में प्रनिलिपि बुद्ध प्रमुख द्वुदीर्घउयोग इस प्रकार थे :—

- (१) द्वारा और भद्रलीपद्म वे आषाढ़ाय मूली बनाई और बुनाई वे उयोग,
- (२) पासमीर का ऊनी वष्टि उद्योग जहाँ वे दुर्याले और खींग ज्ञाने जाते हैं;

(३) आगारा, मिर्जापुर, मुख्यान, लाहौर इत्यादि का गन्नीचा उयोग,

- (४) मुर्षिदाबाद, नगलौर, मण्डीपुर इत्यादि का छिल्फ फताई एवं ग्लाई उयोग, तथा

(५) लालनऊ वा जरी उद्योग, इत्यादि, इत्यादि।

इन उयोगों की प्रयोग सारे सदार में की जाती थी।

कुटीर एवं लघु उद्योगों की अवनति के कारण

कुटीर एवं लघु उद्योगों की अवनति के अन्तेर बारण थे। कुछ प्रकृत वारणी विवरण इस प्रकार है—

(१) गोदाओं एवं नगांवों का अन्त—प्राचीन भारतीय शासन लोग इन उद्योगों द्वारा मूल वस्तुओं को प्रोत्साहन एवं सरक्षण देते थे त्रिविश राज्य की स्थानों में साथ यात्रा प्राचीन भारतीय शासनों वा लोग होना गया जिसके परिणामस्थाप्य कुटीर एवं लघु उद्योगों के अधिक, प्रोत्साहन, सरक्षण एवं साधन के प्रधान स्रोत भी समाप्त हो गये।

(२) रिटेरी सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति—थ्रेशी शासनबाल ये पूर्ण मारा के विदेशी व्यापार की विस्तरवादी धारा वसी दूड़ थी। १८१७ में छाठ रापर्टसन ने लिया था कि 'भारत में सोना-चांदी दूषित देशों से डुला चला आता है। ऐसी वा कोई भाग ऐसा नहीं जहाँ वे लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए भारत से बहादि की माँग न करते हैं।' १८०२ में भारत में १०,५३,७२५ पौंड मूल्य वा वष्टि अवल इगलैंड भेजा गया था। पर ईस्ट इंडिया कम्पनी को मार्ज की वष्टि उद्योग अवश्यकी ठमनि अपर्याले लगी। हर तरह से कुटीर उद्योग को नराद लिया जाने लगा। १८१३ के चार्टर वाक्य के अन्तर्गत इगलैंड वा वष्टि भारतीयों के यहे मद्दा जाने लगा। मिस्टर रीड ने एवं गर त्रिविश पालियासेंट में कहा था, 'कम्पनी वो इगलैंड का नना कदमा भारत में जर्दस्ती बेचना चाहिए और उसके बदले में भारत की एक भी चीज़ को नहीं होना चाहिए।'

यहीं तक नहीं, भारतीयों को भी रिटेशी वस्तुओं को प्रयोग में लाने के लिए

रिक्ष किया गया। स्वदेशी बस्तुओं को प्रयोग करने वालों को 'भारत सरकार द्वारा द्वौही' घोषित किया गया।

(३) पारचाल्य सम्भवता का प्रचार—भारतवर्ष में विदेशी शाहन के प्रारम्भ हो, जाने से देशवासियों की शक्ति एवं पैशान में परिवर्तन हो गया, जिसके फलस्वरूप इन उद्योग द्वारा निर्मित बस्तुओं की मात्रा कम हो गई और एक समय पहले पूलने वाले उद्योगों पर कुटाराधान हो गया।

(४) मरीनों द्वारा निर्मित बस्तुओं से प्रतियोगिता—देशी तथा विदेशी मरीनों द्वारा निर्मित माल की प्रतियोगिता के कारण कुटीर उद्योगों में अनेक समस्याएँ एवं कठिनाइया उत्पन्न हो गईं और अन्त में इनका पतन हो गया। मरीनों द्वारा निर्मित बलुएँ सम्भी, प्रमाणित एवं सुडौल होती हैं। जनता स्वभावत इन बस्तुओं की ओर आर्थित हो जाती है।

(५) यातायात के साधनों में सुधार एवं विकास—यातायात के साधनों में विकास हा जाने के कारण विदेशी माल देश के बोने बोने में जाने लगा। गाँव के घरेलू घरें भी नगरों की दस्तकारी की मात्रा नाट होने लगे। प्रायः यातायात एवं संदेश याहन के साधनों की उन्नति होने से प्रत्येक देश की आर्थिक दशा सुधरती है, परन्तु इसके विपरीत भारतवर्ष की दशा चिंगहती चली गई। इसका कारण यह था कि इस देश में इन साधनों का विकास देश की आर्थिक उन्नति को ध्यान में रखनेर नहीं किया गया। रेल, टार, डाक, सड़कें, जहाज सब का निर्माण और उनके संचालन की नीति एक ही थी—अपेक्षी व्यापारिक माल की वृद्धि और तैयार माल को इस देश में संपादन।

(६) प्रामीण आत्मनिर्भरता का अन्त—मिदेशी शासन के पूर्व हमारी प्रामीण अर्थ-व्यवस्था (economy) की विशेषता आत्मनिर्भरता (self sufficient economy) थी, अर्थात् वे अपनी सम्पूण आपश्वकताओं की पूर्ति स्थय करते थे। परन्तु अब विदेशी बस्तुओं का उद्योग करने लगे। फलस्वरूप प्रामीण कुटीर एवं लघु उद्योग खेदे नष्ट हो गए।

इस प्रकार भारतीय कुटीर एवं लघु उद्योगों का रिनाश हो गया, विदेशी व्यापार घट गया और भारतीय बलाकारी की उत्तमता की जाते ऐतिहासिक वहानियों ही नज़र रह गई। भारतीय अपनी अवृत्ति आपश्वकताओं की बस्तुओं की पूर्ति के लिए भी विदेशी के मुहाजिर हो गये। यह है कुटीर एवं लघु उद्योगों का रिनाश की यह ददनाक कहानी¹ जो भारतीयों के हृदय में दूर पढ़ा पैदा करता रहेगी।

कुटीर एवं लघु उद्योगों की समस्याएँ

पदमान परिस्थिति यह है कि कुटीर एवं लघु सरकार के उद्योग अपने गौरवपूर्ण

अग्नीन को जो तुकड़े हैं। उन्हें दलकालियों ने मिट्टुल समाप्त हो गई है और उन्हें सूरीशय आपस्था में हैं। इन उद्योगों के सामने उन्हें ऐसी बठिनाइयाँ हैं, जिनका दूर करना डाको जीसिंह सनने के लिए अल्ट्रिन आपरेशन है। आगे उत्तराधी तथा भी सरकारी दीनाँ ही नारा पर उन सभी समस्याओं का अध्ययन वह हृषि आपरेशन है जो ऐसे इन उद्योगों का प्रबन्धन में वापर है। प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं—

- (१) वित्त (finance) की समस्या,
 - (२) कर्जे माल की समस्या,
 - (३) विपणन (marketing) की समस्या,
 - (४) प्रशिक्षण एवं अनुसंधान (training and research) की समस्या
 - (५) दागपूर्ण उत्पादन प्रणाली,
 - (६) प्रमाणीकरण (standardisation) का अभाव,
 - (७) मिली दाया निर्मित वस्तुओं के प्रतिशोधिता,
 - (८) सरकारी (protection) का अभाव, तथा
 - (९) प्राप्ति शक्ति (power) का अभाव, तथा
 - (१०) ग्रन्थ समस्याएँ।
- (११) चित्त की समस्या—कुटीर एवं लतु-उद्योगों के लिए वित्त अव्याप्ति वृद्धि है एवं एर नालूरिर दरमें समस्या है। साधारण आर्थिक दृष्टना निर्धन एवं ददिद है कि वह ग्रन्थने उत्पादन के लिए न तो औजार ही पराद यत्ना है और न कच्चा माल है। समस्यात तथा इस्ट इरिज्या यामनी के प्रारम्भिक वाल में समस्याएँ, महाजनाँ और खाइकारी न पार्टीर का प्रयोग शामिल रहा था। वही प्रयोग आज भी आमिकार्य में प्रचलित है। काशगारी वीर्ये में वोइ सारा (credit) नहीं होती और न ग्रामीण उद्योगी नहकरि आम-समितियों का ही पर्यावरण सामने रखा है। इसके अतिरिक्त लतु-उद्योगों के पास सुकूप स्वतंत्र प्रमदलों (J S Cos.) की मौति वृद्धी प्राप्त करने पर याधन भी उत्तराधी नहीं होते, क्योंकि इनके द्वारा निर्गमित (issued) आशयों की काढ़ कर ही नहीं करता है।

इस प्रकार आधिक याहानवा एवं आमाव में देश में लतु-उद्योगों को वही वर्ती नाइ का यामना करना पड़ रहा है। भूल से कार्याग्र तो वृद्धी व आमाव में आगे वर्ती परस्परागत उद्योगों की छाइकर यारेयानी म भव्य यत्ने के लिए विरुद्ध ही गये हैं।, ऐसी स्थिति में आपरेशन है जिसे कुटीर एवं लतु-उद्योगों एवं उत्तराधी एवं वित्त की समस्या को हृषि किया जाना।

(२) कर्जे माल की समस्या—जब से देश में वहे विभाने के उद्योगों की प्रधानता दी जाने लगी है, कुटीर एवं लतु-उद्योगों के लिए कर्जे माल का अभाव हो

गया है, क्योंकि सर्वेक्षणम् कच्चा माल पढ़े पैमाने के उद्योगों का दिया जाता है और यदि कुछ शय रह जाता है तो वह इन उद्योगों का दिया जाता है। कच्चे माल की समस्या निम्न तीन कारणों से और भा जटिल हो जाता है। प्रथम, तो कच्चा माल का व ग्राम्यत मात्रा म मिलता है, द्वितीय, उसी निष्प (quality) भी निम्नतर होती है, तृतीय, कारीगरों को प्राप्त कच्चे माल के लिए अधिक मूल्य भी देना पड़ता है क्याकि इनका सरीद धोड़ी मात्रा म होती है। इसक अतिरिक्त कारीगरों का याद सुगम नहीं है, अत उनकी सामूहिक क्रय शक्ति भी कम होती है।

इस समस्या का एक मान हल यह है कि कारीगरों द्वारा सहकारिता क आधार पर समिति करक उनकी सामूहिक क्रय शक्ति (collective purchasing power) का उपयोग जाप। इसम सरकार प्रमुख रूप से सहायत हा खरती है।

(३) विपणन (Marketing) की समस्या—विपणन क द्वारा नद हो जाने वारण कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्राच्याभासक दृष्टि उगानी पड़ी है। कारीगरों की अपनी कोई सम्भावना नहीं, जो तैयार माल को बचने म सहायक हो सके। उसे शब्दार का भी पृण्ड ज्ञान नहीं होता है। साधनहीन होने के बारण उसे निवार होकर अनुचित मूल्य पर अपना माल बेचना पड़ता है। मध्यस्थ जैसे अद्वितीया, इलाल इन्वादि उत्पन्न और शोणण वरत हैं। मनुष्य उसे अपना माल महाजन क हाथ बेचना पड़ता है, जो मनमाने दाम लगाता है।

इस दृष्टिकोण द्वारा जो सुधारने के लिए यही कदा जा सकता है कि इन उद्योगों को अपने माल की वित्ती में सुधार करना चाहए, सहनायी रुपों की स्थापना करनी चाहए, उत्पादन-व्यय म मिलायता करना चाहिए, साप ही दम्भ य जमता का चाहिए कि कुटीर-उद्योगों को सरकार प्रदान करे। योजना आयोग (Planning Commission) के मतानुठार सरकार को चाहिए कि अपने लिए 'स्टोर' की खरीद करक तथा आपात को समाज करक इन उद्योगों को प्रोत्ताहित कर और उत्पादन प्रारंभिक (technique of production) में सुगर वर।

(४) प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान—कुटीर एवं लघु उद्योगों की गिरावटी हुई अवस्था का प्रमुख कारण प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान का अभाव है। प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान क अभाव में य उद्योग लिंगों की प्रतिशिक्षा (competition) क मिल दूर नहीं पात। अनुसन्धान द्वारा ऐसे श्रीहारा का आविस्तार किया जाता है जो यहाँ, दैर्घ्य और देश एवं अनुकूल हरा, उत्पादन म वृद्धि हा और निष्प म सुधार हा।

उपरोक्त दोषों को दूर करने के लिए यही कारीगरों का प्रायतिर एवं श्रीनागिक शिक्षा की व्यवस्था अवश्यक है। निभिर यन्म में अनुसन्धानशालाओं (Research Laboratories) की व्यवस्था हाना चाहिए।

(५) दोपूर्ण उत्पादन प्रणाली—भारतमध्ये में कुटीर एवं लघु उद्योगोंमें अधिकाश वारीगर उत्पादन की प्राचीनतम विधियों का ही अनुसरण करते हैं। विज्ञान की प्रगति व साधनाथ उत्पादन की प्रविधि (technique) में इत्यर में वैवेद परिमित एवं ज्ञानियों ही गई हैं, परन्तु भारतवर्ष में इस दृष्टि से यहुत कम प्रकृति हुई है। फलस्वरूप लोग उनके निर्मित पदार्थों का उपयोग बरना कम पसंद करते हैं। वारीगरी की कार्यक्षमता (efficiency) भी यहुत कम होनी है। उत्पादन की भाग में कम होनी है। परिणामस्वरूप ये पदार्थ वारताना द्वारा निर्मित पदार्थों के सामने टिक नहीं पाते हैं।

ऐसी अपरस्या में इस समस्या का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए। जापान, फ्रान्स, स्वीडन एवं डेनमार्क तथा स्ट्रिंगलैंड इत्यादि देशोंमें प्रचलित पद्धतियों का अध्ययन करके अपने देश के धर्मोंमें उनका व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से शिक्षण, प्रदर्शन, याताओ, छात्रवृत्तियों, अनुमन्धानों तथा प्रदर्शनियों इत्यादि को प्रोत्साहन देना चाहिये। इस कार्य में वारीगरों की सहाय्या संस्थाओं तथा सरकार, दोनों का प्रयत्नशील रहना आवश्यक है।

(६) प्रमाणीकरण (standardisation) की समस्या—यस्तुओं की किस्म एवं मात्रा का प्रमाणीकरण (Standardisation) न होने की अवस्था में उनका बाजार प्रिसूत नहीं हा पाता। देश की सहकारी समितियों को इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिये और प्रमाणित (standardised) वस्तुएँ बनाने वाले विशेषज्ञों से कारीगरों को परिचित कराना चाहिए। सरकार भी इस कार्य में सहयोग प्रदान कर सकती है। जापान तथा स्ट्रिंगलैंड न दृग पर भारत में भी सहकारी समितियां द्वारा नियुक्त नियुक्त नियोगियों की सेवाओं का उपयोग कुटीर-उद्योग के जैव में होना चाहिए।

(७) मिला द्वारा निर्मित वस्तुओं से प्रतियोगिता—मिल की जनी हुई वस्तुएँ बड़े पैमाने पर तैयार की जाती हैं। अत वे सत्ती, प्रमाणित व प्रकुरुता में होती हैं। कुटीर एवं लघु उद्योगों द्वारा जनी वस्तुएँ उनके सामने टहर नहीं पाती।

सरकार को चाहिए कि कुटीर एवं लघु उद्योगों को जीमित रखने के लिए दोनों प्रशार के उद्योगों वा निर्माण अर्थव्यवस्था उत्पादन-क्षेत्र निर्धारित कर दे। ऐसी व्यवस्था मी होनी चाहिये जिससे इन दोनों प्रकार के उद्योगों—कुटीर तथा मिल—में सहकारी सम्पर्क स्थापित हो सके।

(८) संरक्षण (Protection)—भारतीय कुटीर एवं लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं को न कल आन्तरिक प्रतियोगिता का सामना बरना पड़ता है तकि नाय (प्रिटेशी) प्रतियोगिता वा भी। प्रिटेशी के उद्योग घन्ये इतने उत्तर हो जुते हैं कि उनका मुकाबला कुटीर-उद्योगों द्वारा करना सम्भव नहीं।

सरकार को विदेशी प्रतिस्वर्धा ते हन्हे मुक्ति दिलाने के लिए सरकारी प्रदान करना चाहिए और आयात की गई वस्तुओं पर इतना आयात उप कर (import duty) लगाना चाहिए जिससे वे देश की वस्तुओं की अपेक्षा में गहँगी पहँ।

२- (६) पर्याप्त रास्तों का अभाव—वैज्ञानिक ग्राहितारों की देनस्वरूप निजली का संरक्षण प्रयोग होने लगा है। कुटीर एवं लघु उद्योग भी योई अपवाद नहीं। परन्तु हन्हे पर्याप्त निजली उत्तरव्य नहीं होती, क्योंकि इसनी लागत वे जुरा नहीं पाते।

नियुत शक्ति की पूर्ति के लिए सरकार को चाहिए कि वह कुटीर उद्योग को पर्याप्त निजली सली दर पर प्रदान करे।

(१०) अन्य समस्याएँ—उमर्युक्त प्रमुख उत्तराधिकारों के अनिवार्य कुछ अन्य ऐसी भी समस्याएँ हैं जो या तो इन उद्योगों के पतन का कारण हैं अथवा उनकी निर्धारण प्रगति में जावड़ हैं, जैसे स्थानीय वर, रेल माफ़ा (Railway freight), चूगी, समाज का हेय दृष्टिकोण इत्यादि। सरकार ये जनता को इन समस्याओं का भी नियारण बरना चाहिये।

सरकार द्वारा प्रयत्न

(Government Measures)

कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए विदेशी सरकार ने भी कुछ प्रयत्न किये हैं, परन्तु यदि उस विकास को विकास बहु बाय हो 'विकास' शब्द का अर्थ ही छल जाए। सन् १९१४ म व्यारसायिक विकास की एक सत्या स्थापित की गई थी। परन्तु स्थानीयों को स्थापित घरने से ही विकास कार्य यदि सम्पन्न हो जाय तो किर वहना क्यों क्या? इन उद्योगों के विकास का तो केवल हींग रचा गया, परन्तु वालप में तो विकास कार्य की तरफ ध्यान भी नहीं दिया गया। इगलैंड को बच्चे भाल की आय इकट्ठना थी और थी आवश्यकता बाजार की। अत उसने इसी के अनुकूल अपनी नीति भी गढ़ा ली थी।

स्वदेशी आन्दोलन की चिनगारी जगला रे रूप में परिणत हुई और कुटीर उद्योग ने उन दाया। विदेशी बन्दा की होनी जलाई गई और स्वदेशी बन्दा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। विदेशी सरकार की कुछ भर हुआ और उसने पाँच लाप रसायन प्रति वर पाँच वरों तक यह उद्योगों के विकास के लिए उनके घरने का 'प्राप्तिकाल' दिया। सन् १९३४ म मामीए उद्योग सम्पत्ति की स्थापना की गई, परन्तु उक्त सम्पत्ति अब तक ही माफ़ा। सन् १९३५ म फ्रैंक्स प्राल (राज्य) में उत्तराय विभाग की स्थापना की गई। इसके अनिवार्य इसी वर्ष 'अमिल मास्टीर आमोंयोग मुफ़्' की स्थापना कांग्रेस के तत्त्वावधान में हुई। सन् १९३६ में 'राष्ट्रीय योजना समिति' ने भी

भारतीय कुटीर उद्योगों के उत्थान के सापेक्ष पर विचार किया। युद्धप्रगति योजनाओं में देश में 'बुड्डीकट रिपोर्ट' का भी महत्व है, जिसने उद्योगों के विकास के लिए एवं नवीन शिक्षा योजना देश के समक्ष रखी।

स्थतन्त्रता के उपरान्त

१५. आगले, सन १९४७ को जब हम स्वतन्त्र हुए, तब तर आधिकारी की चार हमारे मानस पटल से उतर चुकी थी। इन्द्रीय तथा राज्य सरकार ने कुटीर एवं लघु उद्योगों के महत्व को समझा।

(१) लघु उद्योगों के विकास में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना सरकार ने दिसम्बर १९४७ में आरम्भ किया जब नई दिल्ली में भारत की आयोगिक विकास के लिए एवं सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन की सिपारिश पर भारत सरकार ने १९४८ में एक 'कुटीर उद्योग नोड' और एक 'कुटीर उद्योग डायरेक्टर' की स्थापना की। १९४८ के अन्त में विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योगों पर लिए विशेष नोडों की स्थापना हान पर 'कुटीर उद्योग डायरेक्टर' का नाम बदल कर 'लघु उद्योग डायरेक्टर', रखा गया और लघु उद्योगों के विकास का जाम सौंपा गया।

१९४८ में मारत सरकार ने एक 'शिष्टमण्डल' जापान में भेजा। इसका उद्देश्य लघु उद्योगों के विकास में वहाँ विद्ये गये उपायों का आध्ययन करना और भारतीय अवस्थाओं के उपयुक्त कुछ छोटी सीढ़ी मशीनों को खरीदना था। इस शिष्ट मण्डल ने कुछ जापानी विशेषज्ञ भर्ती किये और अनेक प्रकार की मशीनें खरीदीं। अरपं भी राज्य तथा हरदूआगज आदि स्थानों पर इन मशीनों के प्रयोग किये गये। बहुत-सी मशीनें भारतीय अवस्थाओं के अनुकूल नहीं हुईं। कुछ राज्य सरकारों ने भी जापान की 'शिष्ट मण्डल' भेजे परन्तु उसका भी यही परिणाम हुआ।

(२) कारीगरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था—राज्य सरकारों ने कारीगरों को प्रशिक्षण देने का जाम आरम्भ किया और बेकार व्यक्तियों को तख्त-तख्त भी बहुत बनाना सिखाया। यस्तइ, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बगाल जैसे बड़े राज्यों ने इस सम्बंध में कुछ रोक रोक पर्याप्त विद्ये और शिक्षण मालाएँ, प्रदर्शन केन्द्र और शिक्षण दल, शिक्षण सह-उत्पादन कन्द्र और उपग्रेडचार शिक्षार्थी प्रशाली आदि चालू की। कुछ राज्यों ने द्वितीय उद्योगों के उत्पादकों को अपनी अपनी बुल आवश्यकता के एवं भाग को पूरा करने के लिए उच्चे दामों पर खरीदने का निश्चय किया। इसी हेतु केन्द्रीय सरकार ने ४ लघु-उद्योग शालाएँ तथा उत्तरी ४ शाखाएँ सोलने का प्रबन्ध किया है। ये क्रमशः बन्दई, कलन्ता, दिल्ली, मदुरार, हैदराबाद, नेल, विहार तथा उत्तर प्रदेश में होगी।

(३) पर्याप्तता (Survey) की व्यवस्था—लघु उद्योगों के विषय में आई है

समझनी जानवारी का मारी अभाव था। कुछ राज्य सरकारों ने अपने यहाँ लघु उद्योगों की स्थिति का पर्यवेक्षण कराने का प्रयत्न किया। भारत सरकार ने भी १९५० में नमूने के तौर पर अलीगढ़ क्लैन का पर्यवेक्षण कराया। एक दो राज्यों में पर्यवेक्षणात्मक और अधिकारी शालाएँ सोली गयीं जिससे लघु उद्योगों में काम आने वाले औजारों और निर्माण प्रणालियां म सुधार किया जा सके।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कुटीर उद्योगों के विकास के लिए एक नवीनतम् योजना बनाई है जिसने अनुसार 'इटाना प्रोजेक्ट' के अनुकरण पर कुटीर उद्योगों के लिए भी एक 'पाइलेट प्रोजेक्ट' की स्थापना की जा रही है। यह योजना भारत में अपने प्रभार की सर्वप्रथम पर्यवेक्षण योजना है।

(४) विपणन की व्यवस्था—कुटीर उद्योगों के द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन व वितरण के लिए भी राज्य वी ग्रो ए प्रयत्न किये जा रहे हैं। यहाँ विपणन (Marketing) समितिया की स्थापना इस दिशा म सराहनीय प्रयत्न है। इस वार्ष के लिए कन्द्रीय सरकार ने अप्रैल सन् १९५६ में 'कन्द्रीय कुटीर उद्योग इमोरियम' की स्थापना की है। यह देशी एवं विदेशी माँग द्वारा कुटीर उद्योगों के माल के विक्रय में रहायता देवर प्रोत्साहन देता है। इस 'इमोरियम' ने कुटीर उत्पादन के विशाल के लिए सुनुक राज्य, लक्ष, अफगानिस्तान, जामन, न्यूजीलैंड आदि देशों में प्रदर्शनियों का आयोजन किया जिससे यहाँ भी माँग से लाभ हो सके।

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, कश्मीर, असम, पजार तथा अन्य राज्यों में भी इसी प्रभार के 'इमोरियम' लोले गये हैं, जो देश की विभिन्न प्रदर्शनियों में माल के विशाल के हेतु दुकान खत्ते हैं। इस प्रकार के इमोरियम प्रत्येक प्रदेश में खोले जाने चाहिए।

इसके अतिरिक्त कन्द्र तथा राज्य सरकारें अपने उत्पोग के लिए इन उद्योगों पा माल खरीदती हैं।

(५) छत्ती की व्यवस्था—सन् १९५६ ५० वे दितीय वर्ष से भारत सरकार ने लघु तथा कुटीर उद्योगों के लिए अनुदान तथा भूखंड देकर राज्य सरकारों की सहायता यससे आरम्भ कर दी है। राजस्वी अर्थ प्रबलाइल विधान के अन्तर्गत कुछ राज्यों में अर्थ प्रबल ग्रन्ति गये हैं। राज्य एवं राज्य कुटीर उद्योगों पर कुछ आर्थिक सहायता 'प्रान्तीय औद्योगिक सहायता अधिनियम' के अन्तर्गत देती है, परन्तु यह अरर्थात् है।

इस कार्य के लिए कन्द्रीय रैमिंग बोर्ड समिति के अनुसार सहायी सात समितियों की स्थापना की जानी चाहिये, जो समितियों द्वारा कुटीर उद्योगों को ही साप्त मुक्तियाँ देने का कार्य करें तथा अपने सदस्यों को समीक्षा दरों पर पर्याप्त मात्रा में आर्थिक मुक्तियाँ दें। इसी हद्द नवम्बर १९५८ में लघु उद्योग निगम (Corporation)

- (२) सम्बन्धित रहने रखकर ग्रृहण देने की प्रणाली चलाइ जाए।
- (३) जांगिम वाली पूँजी के लिए सरकार पर्याप्त धन व्यवस्था नियंत्रित कर दे।
- (४) आयुक्त भर्याना और उत्तरर्यां (Deputy Commissioners) को न्यर्यूने के लिए किसी दाय अदा होने भाले सूख वा व्यवस्था की जानी चाहिए।
- (५) लतु उद्योग का ग्रृहण सम्बन्धी आपेक्षन-पत्र पर बांधनाही करने के लिए एक उत्तुक समाज वन्माल नियंत्रित किया जाए।

दल व्यवस्थारियों पर सरकार ने विचार किया और ७ जून १९५४ को इन लियारियों को स्वीकार कर लिया। २ नवम्बर १९५४ को विचार समिति नियंत्रित की अध्यक्षता में 'लतु-उद्योग नोट' की स्थापना हुई। इस नोट का विचार में अध्यान प्रगति पृष्ठा में किया गया है।

लघु उद्योग के विकास की सुविधाएँ

लतु उद्योग घरें विस्त्रित दृग के छलव-फूलने हैं, अतः उनमें उनके आड़े उत्तर दासित राज्य सरकारी पर है। पर यह राज्य सरकारी के साथ सीमित है, यत्ते कब्द इनको देखने के लिए धन की सहायता देता है और देशव्यापी नीति बनाता है।

सरकार लतु उद्योग को हर काम में सहायता देती है। यह उद्योग की सेवना करने के लेकर माल बनाने के लिए नारीगरी और शिल्प सम्बन्धी सलाह देने, वार्षिकर्यों को काम कियाने, मर्यानें पर्याप्त और पूँजी नहाने के लिए सभ्या देने, कारखाने के लिए जगह दिलाने और माल विकान तक हर काम में मदद देती है।

अन्तीम सरकार द्वाय किये गए कार्यों का व्यौग्य इस प्रकार है :—

नवम्बर १९५४ में केंद्रीय सरकार ने लतु उद्योग के लिए एक 'विकास आयुक्त' (Development Commissioner) की नियुक्ति की। यह आयुक्त (Commissioner) 'लतु उद्योग नोट' का एक ग्रामीणियों वेपर्सेन भी होता है। इस आयुक्त की ओर से वह प्रशासन का सामान तैयार करने के छोटे उद्योग मालिकों को आपरारक योजनाएँ बना कर दी जाती है। गिरुने तीन वर्षों में इस प्रशासन के १६० नमूने की योजनाएँ बना रख दी गई हैं। इसके अनुरूप योजनाएँ बनाने के तरंगों में नुस्खार करने के बारे में जानकारी देने गाले कई 'बुलटिन' भी विकाले गये हैं।

इसके अनुरूप लतु-उद्योग के विचार के लिए अन्य सुगठन इस प्रकार है :

(१) रीजनल भाल इरड-ट्रीज़ सर्विस इनस्टीच्यूट्स—ये सूख्याएँ देश के चार केंद्रों—दिल्ली, नवरें, भद्रापुर तथा कलारत्ता—में स्थापित की गई हैं। इन संस्थाओं का काम छोटे उद्योग की देखाइया यो उत्पादन में सुनार, गिरण तथा प्रकृष्टकैर प्रणिति (Technique) में सलाह प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त वे औद्योगिक इकाइयां को मर्यानपि, सूख तथा कल्पना माल भी प्रदान करते हैं। सेवाओं के अनुसार इन संस्थाओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है :

की स्थापना की गई है, जो इन उद्योगों की आर्थिक एवं शिल्पिक समस्याओं को हल दे रहा है।

रिजर्व बैंक आर्फ़ इंडिया ने तुटीर उद्योगों को उनके विकास के लिए प्रान्तीय खहकारी बैंकों के माझम से २% ब्याज पर १५ मास की अधिकतर आर्थिक सुविधाएँ देने का नियम आयोजन किया है, परन्तु इस कार्य के लिए औरोगिक सहभालियां की स्थापना भी आमरण की है, जिससे तुटीर उद्योगों की आर्थिक, कल्यान माल की तथा निर्मित माल की विक्री की समस्याएँ हल हो सकती हैं।^१

(६) राष्ट्रीय लघु उद्योग कारपरिशन की स्थापना—राष्ट्रीय लघु उद्योग कारपरिशन की सुविधा प्रमहटल (J. S. Co.) ने रुप में ४ फूटवरी सब. ११५५ को रजिस्टरी की गई। इसी समूर्य पैंजी सरकार ने लगाई है।

इसका उद्देश्य लघु उद्योगों की उन्नति करना, उनसे सरदार, आर्थिक सहायता तथा अन्य यहायता देना है। यह कारपरिशन रुपल ऐसे लघु-उद्योगों को यहायता देता जो शक्ति का प्रयोग करते हैं एवं जिनम ५० से कम व्यक्ति वाम बतते हैं अथवा जो व्यक्ति ना प्रयोग न बतते हैं, परन्तु उनम १०० से अधिक व्यक्ति वाम न बतते हैं तथा उनकी पूजी ५ लाख रुपये से अधिक न हो।

इसके निम्न कार्य हैं—

(१) सरकारी आदेशों का समुचित हिस्सा लघु-उद्योगों को दिलाना।

(२) जिन उद्योगों को ऐसे आदेश मिले हैं उनको आदेश की पूर्ति के लिए आवश्यक आर्थिक एवं शिल्पिक सहायता देना।

(३) समिति एवं लघु उद्योगों मामजस्य लाना, जिससे लघु उद्योग सुविधा उद्योगों की पूरक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सक।

(४) लघु उद्योगों के बैंकों अथवा अन्य संस्थाओं से मिलने वाले शृणों की जमानत देना तथा अभिनोपन (underwriting) करना।^२

(५) फौर्ड काउन्डेशन बैंकों—सब. ११५३ ५८ में भारत सरकार ने लघु उद्योगों की उन्नति के लिए फौर्ड पाउरेशन के सहयोग से रिदेशी नियायी कानून का एक दल निर्मित किया। ये नियायी अमेरिंग तथा स्टीडन के थे। इस दल ने भारत के लघु उद्योगों के कद्रों का दौरा किया।

लघु उद्योगों की वर्तमान आर्थिक बिनाइयों को व्यान में रखते हुए दल ने निम्न सिफारिशें भी—

(१) व्यापारी तथा सहायी बैंकों और राज्य वित्त काउरेशनों को लघु-उद्योगों के लिए प्रशंसा देना चाहिए।

^१ इसका विवेचन अगले पृष्ठा में भी किया गया है।

- (अ) यापारिक संगठनों वाली संस्थाएँ देखा
 (ब) यामरिक (technical) संगठनों वाली संस्थाएँ।

संगठनों में सामूहिक रूप में ढलाइ और कलाइ करने की व्यवस्था है। उपर्युक्त संगठन की विभिन्न क्रियाओं में गारे में संस्थाएँ इन कमन्चारी कारपाने वाली प्रो व्यापक व्यवस्था है। ये कमन्चारी ऐसा भौतिक को लेनदेन विभिन्न स्थानों का दौरा करते हैं, जिनमें अच्छे औजार और मशानें लगी हाती हैं। इन मशानों की उत्तम यांत्रिकीय और दूसरे बाम लेना सिफारिश है। राष्ट्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अपर्याप्ति को मीट देने की संस्थाएँ दी जाती हैं।

(क) नशनल स्माल इंडस्ट्रीज ऑफिसेशन—इसकी स्थापना फरवरी १९५५ में १० लाख रुपये की पूँजी से प्राइवेट लिमिटेड कमन्चारी के रूप में अच्छी व्यवस्था द्वारा हुई है। बाद में इसकी पूँजी को बढ़ावार ५० लाख रुपये कर दिया गया है। सम्पूर्ण पूँजी कंड्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

कारपोरेशन के बार्य

- (१) हर राज्य के प्रिवेट इलाकों और जिलों में लघु उद्योगों की स्थापना।
- (२) सरकारी आदर्शों (Orders) को लघु उद्योगों की देखाई को दिलवाना।
- (३) ऐसी इकाइयां वा प्राप्त किये गये आदर्शों की वृद्धि के लिए आवश्यक अधिक व्यवस्था व्यावधिक (Technical) संगठनों के द्वारा प्रदान करना।
- (४) इन उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं को बिक्री के लिए सम्पूर्ण व्यवस्था सुनियोजित प्रदान करना।
- (५) क्रय प्रिक्च (hire purchase) वाजना के अन्तर्गत मशीनें प्रदान करना।
- (६) विदेशी भाजारों में इन उद्योगों द्वारा निर्मित माल का प्रबन्ध करना।
- (७) ओपला और 'नवी' में दो श्रीयोग्य बस्तियां (Industrial Estates) को नवाचारणा तथा उनका प्राप्त करना।
- (८) श्रीयोग्य प्रसार सेवा (Industrial Extension Service)

छोटे उद्योगों का मुक्त यामरिक (technical), व्यावसायिक व्यवस्था प्रबन्ध कीय सलाह देने के अद्देश्य से कंड्रीय सरकार ने 'श्रीयोग्य प्रसार सेवा' की स्थापना की है। उसकी सहायता के लिए सरकार ने चार 'क्षमीय लघु उद्योग एवं संस्थाओं' तथा १४ प्रमुख एवं शाया संस्थाओं और ६० प्रसार केंद्रों (extension centres) की स्थापना की है जो छोटी देखाईयां (units) को उन्नत तात्त्विक पिंडि आयुनिक्लियर मशीन तथा उपकरण तथा स्थानीय कार्य माल के प्रयोग पर समर्थ में सलाह देते हैं।

इसमें १४६ औद्योगिक मणार सेवा केन्द्र हैं। कृतीय योजना के अन्त तक इनकी संख्या १,००० से अधिक हो जायगी।

(४) औद्योगिक वस्तियाँ (Industrial Estates)

योजना और संसे हुए कर्मचारियों के बाद चारताने की तोसीय जरूरत होती है जगह भी। छोटे उद्योगों वो शहरों की भीड़ भाड़ से अलग अच्छा स्थान देने के लिए देश भर में औद्योगिक वस्तियाँ बनाई जा रही हैं। इन वस्तियों की स्थापना जनवरी १९५५ में 'स्मॉल स्टेल इंडस्ट्रीज बोर्ड' की सिफारिश पर की गई है। प्रारम्भ में १० करोड़ रुपये की योजना बनाई गई थी, परन्तु द्वितीय पचासीय योजना में यह धन-राशि बढ़ाकर १५ करोड़ रुपये कर दी गई है। द्वितीय योजना के अन्त तक ६० औद्योगिक वस्तियाँ बन जायेंगी जिनमें ७०० छोटे चारताने होंगे।

इन औद्योगिक वस्तियों का मुख्य ध्येय बहुत से लघु उद्योगों के लिए कारबानों के निर्मित स्थानों (Built Factory Accommodation) की सुविधाएँ प्रदान करना है। इनके फलस्वरूप उद्योगों वो समान्य सेवाओं के अतिरिक्त अन्य प्रारंभ की सुविधाओं जैसे आपश्यक विद्युत, जल, गैस, धारा, रेलवे साइरिंग इत्यादि की प्राप्ति सुनिश्च से हो सकती है। इन सुनिश्चाओं के एक ही स्थान पर बेन्द्रित होने से यहाँ के कल-चारतानों वो बासी लाभ होता है।

सम्पूर्ण देश में ११० औद्योगिक वस्तियों के निर्माण की योजना है, जिनमें से ३६ पूरी हो चुकी हैं, जिनमें ६०० शेड हैं। २४ अन्य वस्तियों में काम चल रहा है, और ३७ में जल्दी ही शुरू होने वाला है। इन वस्तियों की सारी लागत केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को कर्ज के रूप में देती है।

उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राजपाल श्री बी० बी० गिरि ने 'इंस्टर्न यू० पी० चैम्बर ऑफ कामर्स', इलाहाबाद के समक्ष मारणे देते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिले में ऐसी औद्योगिक वस्तियों की स्थापना का सुझाव दिया था। उन्होंने यहाँ कि इससे ग्राम-वासियों की आर्थिक दशा सुधरेगी और बड़ी एवं ल्यूटी औद्योगिक इकाइयों में सामर्ज्य होगा।¹

आर्थिक सहायता

लघु उद्योगों की धन भी भी बहुत जरूरत होती है। उद्योगों को सरकारी सहायता सम्बन्धी आधिनियम के अधीन इन उद्योगों को केन्द्र और राज्यों की सरकारों से धन की सहायता मिलती है। राज्य वित्त निगम (State Finance Corporation) और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी लघु उद्योगों को रुपया देते हैं। 'राष्ट्रीय लघु उद्योग' भी अनेक प्रकार से लघु उद्योगों की सहायता करता है।

देश में आजकल विदेशी मुद्रा की बड़ी तरी है। किंतु भी लघु उद्योगों के लिए

आपश्वर नामान और मरीनें निदेशी से मँगाने की यथासम्भव आग दी जाती है। इसके लिए आश्रात लाइट्स लेने की भी रिपि सखल वर दी गई है।

खट्टरार ने एवं 'लघु अनुमन्धान मडल' का नामा है जो होटे उद्योगशालों और बारीगार्ड को नई-नई चीजें सरीदम और यन या कल पुँजी को निकालने (invent) के लिए यह तथा अनुमधान की मुखियाएँ देता है।

दस्तकारियों को उन्नति के लिए अनेक योजनाएँ

'अग्रिल मारतीय दस्तारी बोर्ड' की स्थापना नवम्बर १९५२ में हुई थी और अगस्त १९५७ में इसका पुनर्गठन किया गया। इस बोर्ड का वाम सरकार को सामाजिक तौर पर दसारही उद्योग की समस्ताओं पर प्रभावर्थ देना है।

इस बय अग्रिल मारतीय बोर्ड की दो खेत्रों हुईं। इनमें से एक अगस्त १९५८ में और दूसरी दिसंबर १९५८ में हुई। यह बोर्ड अमान वाम अनेक समितियों की मार्गित करता है। इनमें सभी महत्वपूर्ण 'स्थायी समिति' हैं, जिन्हें १४ सदस्य हैं। इसमें वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय देना। वा एक-एक प्रतिनिधि भी समिलित है।

आलोचन्य यह संघिन राज्य से सम्बन्धित ३६८ योजनाओं की जांच की हुई। मारतीय खट्टरार ने दस्तारिया के विकास पर लिए १९५८-५९ में ४० लाख रुपये, 'अनुदान' के रूप में और २० लाख रुपये 'श्रृणु के रूप में कन्त्रीय सहायता' के रूप में राज्यों का देने की व्यवस्था की है। राज्य उत्कार्षी द्वारा १९५८-६० की योजनाएँ देने के लिए, प्राथमिकताओं के अनुसार छिद्रान्त तथा वर दिये गये हैं। गम सरकार ने अनेक प्रकार की योजनाएँ चालू करने के लिए कदम उठाये हैं। इनमें से अधिक महत्व का योजनाएँ ये हैं—

- (१) परम्परागत दस्तारिया में प्रशिद्धण देना,
- (२) विकी व्यवस्था के लिए भरणारी की स्थापना, और
- (३) औपेगिक सहायी समितियों का निर्माण .

बोर्ड के कार्य

इस बय के दौरान में बोर्ड ने मोटे तौर पर निम्न कार्य विधे—

(१) डिजाइन और प्राथमिक बैन्ड—१९५७ में स्थापित किये गये प्राथमिक कन्द्र चालू रहे और इनकी कुल संख्या ८५ हो गई। प्रथमिक मन्त्रालय ने लिए ३ प्राथमिक कन्द्रों की स्थापना गमद्वय और मद्रास में की गई। सामान पैक बतने पर गरीबों का प्रशिद्धण देने के लिए करता एक नया कुन्द्र मैथूर में आरम्भ किया गया।

वस्त्र, कलेजों, उगलौर और मद्रास पर चार क्षेत्रीय कन्द्र भी इस कार्य चालू रहे।

- (२) विकी व्यवस्था—अप्रैल १९५८ में अग्रिल मारतीय चाही प्रदर्शनी का

गई। देश के विभिन्न केन्द्रों में एक चलनी किरणी प्रदर्शनी गाड़ी ने भी साइंयो का प्रदर्शन किया। सौराश्रू की दस्तकारियों पर विचार विमर्श करने के लिए जनवरी १९५८ में विक्री व्यवस्था सम्बंधी एक छोटा-खा सम्मलन सम्पन्न किया गया, जिसमें विक्री भवारी व मैनेजरों, डिजायनरों, नियांत्रिकाओं आदि ने भाग लिया।

मार्च १९५८ म अन्तर राजनीय विक्री व्यवस्था सम्बंधी एक गोपी का आयोजन भी किया गया। दो उद्योगों अर्थात् गलीचा उद्योग और ताजा तथा पीतल की बलुओं के उद्योग के लिए एक कन्द्रीय दस्तकारी विषयेन समिति की स्थापना भी गई है। राज्य सरकारों द्वारा विचार करने के लिए प्रत्येक राज्य की महत्वपूर्ण दस्तकारियों के लिए चिह्नाकन योजनाएँ तैयार कर ली गई हैं। उत्पादकों, निर्माताओं और दस्तकारियों के व्यापारियों की एक निर्देशिका भी सम्पूर्ण रूप से जारी रखी गई है।

(३) नियांत्रित सम्बद्धन—नियांत्रित के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है। इस वर्ष (१९५८) 'इडियन हैरीकाफ्ट्स डेवलपमेंट चार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड' का निर्माण किया गया। इसकी अधिकृत पूँजी १ करोड़ रुपये है। यह चार्पोरेशन विदेशों में प्रदर्शनियों के सम्बन्ध तथा नियांत्रिका को प्रिनीश सहायता देने का बास अपने हाथ में ले लेगा, विदेशी प्रदर्शनियों में शेड ने भाग लिया। नियांत्रिका के एक रजिस्टर का संकलन किया जा रहा है और उनमें एक मात्रिक सूचक पत्र भा वित्तिरित किया जाता है। नियांत्रिका से निरन्तर विचार विमर्श किये जाते हैं और ग्रामसिक आदि देशों म बाजार सम्बंधी ग्रनेक गवेषणात्मक अध्ययन भी किये गये हैं। अक्टूबर-नवम्बर १९५८ म सरकार ने ग्रामसिक में हल्तकरण और दस्तकारियों के उत्पादकों के व्यापार से सम्बन्ध रखने वाले उन्न अधिकारियों के एक दल को भास्त आने का निमन्त्रण दिया।

(४) सहकारिता—दस्तकारी उद्योगों में सहकारिता आनंदोलन का विस्तार करने की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली, मद्रास, उड़ीसा तथा जम्मू और कश्मीर की वर्षमान सहकारी समितियों का एक सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और अब राज्यों से सूचना एकत्र की जा चुकी है। सहकारी समितियों की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए मार्च १९५८ में एक गोपी का आयोजन किया गया और एक सलाहकार समिति भी गठाई गई है।

(५) आयोजन भींग गवेषणा—हाथ द्वारा और मिल द्वारा कफड़े का दृष्टान्त के मध्य प्रतिस्पर्धा की समस्या पर अनुसधान कार्य हो रहा है। अगली जनगणना में दस्तकारी उद्योग के बारे में जानकारी एकत्र करने के प्रयत्न हो रहे हैं। कारीगरों, व्यापारियों आदि की समितियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। निजी गवेषणा संस्थाओं, जिनमें प्रश्नविद्यालय भी सम्मिलित हैं, जो सहायता से अन्य सर्वेक्षण भी किये जा रहे हैं।

(६) प्राविधिक (Technical) विज्ञान—दिल्ली के प्राविधिक विभाग बेंद्र ने उत्पादक उत्पोदनों के तरीकों के नियोगण का कार्य आरम्भ कर दिया है। एक श्रविकारी को अलगालीन प्रणिक्षण प्राप्त करने के लिए जागन मेजा गया है।

(८) प्रशिक्षण—गण्डारी के प्रबन्ध थे जिसमें प्रशिक्षण फैन्ड आरम्भ + विद्ये गये और कम्बडे ने हैरानीकाफ्टस टीचर्स ट्रेनिंग कालेज दो सहायता दी जाती रही। दस्तकारियों का प्रशिक्षण देने के लिए हैदराबाद और धारवाह की दो निवी सुस्थाओं यों भी सहायता दी जा रही है।

(८) प्रचार—‘भारत १६५८ प्रदर्शनी’ में भी दस्तकारी बोर्ड ने भाग लिया। मारत के प्रमुख हराई अड्डा और होटलों में दस्तकारियों के उत्पादनों का प्रदर्शन करके प्रचार किया जा रहा है। बोर्ड ने ग्रहु सी सामग्री भी प्रशिक्षित की है।

(९) संप्रदालय—दिल्ली में बोर्ड का एक संप्रदालय भी है जिसमें १६५८ में प्रदर्शन योग्य नई वस्तुएँ रखी गईं।

(१०) विदेश से सहायता—दस्तकारियों के विवास के उद्देश्य से ६ विदेशी नियोपकारों द्वारा नियुक्त करने के लिए बोर्ड फाउण्डेशन ने ७५,०००० टालर का अनुदान दिया है। बोर्ड फाउण्डेशन ने बोर्ड को सहायता और परामर्श देने के उद्देश्य से ० डालर का एक और अनुदान दिया है।

बोर्ड की मार्फत १६५८-५९ से दस्तकारियों पर निम्न प्रवार व्यव किया गया है—

	नासनिक व्यव (लाख रु० में)
१६५८-५५	१४
१६५८-५६	१५-७
१६५८-५६	२८
१६५८-५७	२७
१६५८-५८	५६-८२

इशिड्यन हैरानीकाफ्टस डेवलपमेंट बार्यरिशन प्राइवेट लिमिटेड

दस्तकारियों के व्यापार सम्बन्धी प्रबन्ध को सारे देश के लिए एक प्रमाणशाली एवं समन्वित रूप से चलाने के लिए, निर्यात सम्बद्धन पर विशेष जोर देते हुए, अप्रैल १६५८ में ‘इशिड्यन हैरानीकाफ्टस डेवलपमेंट बार्यरिशन प्राइवेट लिमिटेड’ नामक एक सरकारी कम्पनी की स्थापना हुई। इसका प्रधान वार्यालय नई दिल्ली में है। इस कार्यरिशन की अधिकृत पूँजी १ करोड़ रु० और गुरु रु० में जारी (निर्गमित) की गई पूँजी १० लाख रुपया है।

१६५८-५९ के बजाए अनुदान में कार्यरिशन के व्यव के सम्बन्ध में अद्य लिपित राशि रखी गई थी।—

लाख रु०

कापेंशन को अनुदान	११
ऋण (Loans)	८
अंश पैंजी (Share Capital)	१०

पंचवर्तीय योजनाओं में कुटीर एवं लघु उद्योग

प्रथम, द्वितीय व तृतीय पंचवर्तीय योजनाओं में कुटीर एवं लघु उद्योगों को उचित स्थान प्रदान किया गया है, और इनके विकास के लिए विस्तृत योजनाएँ तैयार की गई हैं। इन पिभिन्न विकास सम्बन्धी क्रियाओं वा व्यौरा सदैप में इस प्रकार है—

पिभिन्न बोर्डों की स्थापना

प्रथम पंचवर्तीय योजना में निम्न छः बोर्डों (मडलों) की स्थापना की गई है, जिनका मार्य अपने अपने उद्योगों की समस्याओं एवं कठिनाइयों का अध्ययन करना तथा उनके विकास एवं उन्नति के लिए अपने सुभाव प्रस्तुत करना है—

- (१) अखिल भारतीय खादी एवं प्राम उद्योग बोर्ड;
- (२) अखिल भारतीय हस्तशिल्पकला (दस्तकारी) बोर्ड;
- (३) अखिल भारतीय हाथ करथा बोर्ड,
- (४) लघु उद्योग बोर्ड,
- (५) नारियल जडा (coir) बोर्ड, तथा
- (६) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड।

(१) अखिल भारतीय खादी एवं प्राम उद्योग बोर्ड

इस बोर्ड की स्थापना जनवरी १९५३ में हुई थी। १९५६ में इसका नाम बदल कर 'अखिल भारतीय खादी एवं प्राम उद्योग कमीशन' कर दिया गया। इसने खादी एवं नी विशिष्ट ग्रामीण उद्योगों जैसे साड़न घनाना, तेल पैरना, धान से चावल निकालना, दियासलाई घनाना, हाथ वा पागज घनाना, मधुमक्खी पालना, चमड़ा कमाना, आदा चक्की वथा मिट्टी के बर्नन घनाने के विकास का कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

(२) अखिल भारतीय हस्तशिल्पकला (दस्तकारी) बोर्ड

इसकी स्थापना नवम्बर १९५२ में हुई थी। इसका कार्य विभिन्न भारतीय हस्त शिल्प कलाओं (दस्तकारियों) का विकास करना है। अप्रैल १९५८ में केन्द्रीय सरकार ने दस्तकारियों के व्यापारिक आधार पर उत्पादन तथा निर्यात के सहायतार्थ 'भारत'

हस्तशिल्प कला विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड' की स्थापना की है। इस निगम की अधिकृत पूँजी १ करोड़ रुपये है।^१

(३) अरिल भारतीय हस्तकरघा बोर्ड

इसी स्थापना अक्टूबर १९५२ म हस्तकरघा उद्योग के विकास तथा निरौप रूप से जुलाहों को सहायी समितियां म समन्वय करने के उद्देश्य से की गई है। इस बोर्ड की क्रियाओं की अर्थ व्यवस्था सरकार द्वारा मिलां के बज्रा पर लगाये गये टाक्स (cess) से होती है। विषय की मुविधा के लिए बोर्ड के अधीन केन्द्रीय विभाग, सहानुभव (Central Marketing Organisation) की स्थापना की गई है, जिसकी शापाएँ मद्रास, नम्बद तथा बाराणसी में हैं।

(४) लघु उद्योग बोर्ड

इसी स्थापना नवम्बर १९५४ म 'इन्टरनेशनल हानिंग टीम ऑफ एक्सपर्ट्स' की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए की गई थी। यह एक समन्वयकर्ता (co ordinating) और परामर्शदात्री (advisory) संस्था है। इसके अन्तर्गत केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होने हैं जो कि विभिन्न संगठनों की क्रियाओं का समन्वय एवं विकास योजनाओं का कार्यान्वय करते हैं।

(५) नारियल बटा बोर्ड

इसका निर्माण जुलाई १९५४ म 'कोयर इण्डस्ट्री एक्ट १९५४' के अन्तर्गत हुआ है। १९५७ पद म इसका पुनर्निर्माण हुआ। प्रारम्भ में द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इसके लिए १ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था परन्तु बाद में इसकी विदेशी मुद्रा अर्जित करने की समता को देखकर इस धन-राशि को बढ़ावा १०० करोड़ रुपये कर दिया गया। भारतीय सरकार ने द्वितीय योजना के अन्तर्गत 'एलीपी' के निकट 'कोयर रिसर्च इन्स्टीट्यूट' की स्थापना की स्वीकृति दे दी है।

(६) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड

इसकी स्थापना सन् १९५६ म हुई थी, परन्तु देश के सम्पूर्ण उद्योगों को इसके अन्तर्गत लाने के लिए इसका पुनर्गठन १९५२ में किया गया। इसका उद्देश्य सिल्क उत्पादन में वृद्धि एवं विकास तथा रेशम के बीड़े पालने (sericulture) की क्रिया म अनुसन्धान करना है।

विदेशी सहयोग (Foreign Collaboration)

भारतीय लगु स्तरीय उद्योगों के विकास म कुछ विदेशी सरकारों ने मी प्रश्न तीय योगदान दिया है। केन्द्रीय उद्योग मन्त्री ने अभी हाल में ही बताया है कि ओम्बला

^१ इसका रिमार में अध्यक्ष अग्रने पूर्ण में किया गया है।

(दिल्ली) का 'इंडो जर्मन मशीन ट्रूल प्रोसेस इंडस्ट्री' १९६० तक तैयार हो जायगा। 'टी० सी० एम० सेंटर, राजकोट' में कार्बन प्रगति पर है। कलकत्ते में एक फाउण्ड्री और लाइट इंजीनियरिंग कंपनी स्थापना के सम्बन्ध में भारत सरकार और जापान के बीच व्यापक सहमति चल रही है। भारतरप्त में घड़ी उद्योग के लिए प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में एक 'स्विल दल' आने वाला है। गुरुद्वी (गढ़ाख) में तकनीकी औजार (Precision instruments) उत्पादन केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में प्राप्त सरकार ने योग प्रदान किया है। इसी प्रकार 'इंडो पोलिश' लघु-उद्योग केन्द्र के सम्बन्ध में वारंवार चल रही है।

वित्तीय सहायता (Financial Aid)

प्रथम पचवर्षीय योजना

इस योजना में केन्द्र द्वारा प्राप्ति म १७ करोड़ रुपये का प्राप्तधान था। याद में यादी एवं हाथ करघा उद्योग के नियास के नियित सूची बन्द उद्योग पर उपकर (cess) लगाकर २० करोड़ रुपये और प्रदान किये गये थे। विभिन्न राज्यों में १२ करोड़ रुपये का प्राप्तधान किया गया था।

इन प्राप्तधानों के प्रिपरेत इन उद्योगों पर व्यव की गई कुल धन राशि ४३.७ करोड़ रुपये है। इसमें से ३३.६ करोड़ रुपये कन्द्रीय सरकार द्वारा और रेंग १०.१ करोड़ रुपये राज्य सरनारों द्वारा दिये गये।

केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये ३३.६ करोड़ रुपये में से हाथ करघा उद्योग पर ११.२ करोड़ रुपये, यादी उद्योग पर १२.३ करोड़ रुपये, हस्तशिल्प कला उद्योगों पर ८.२ लाख रुपये, कौश कृषि पालन (seasculture) पर ६.५ लाख रुपये, लघु स्तरीय उद्योगों पर ४.४ करोड़ रुपये, ग्राम उद्योगों पर २.६ करोड़ रुपये, नारियल जटा उद्योग (coir industry) पर ३.० लाख रुपये व्यव किये गये। आमीण शिल्पों तथा उद्योगों के लिए सामुदायिक विकास योजनाओं के द्वेष्ट्रों में १.८ करोड़ रुपये व्यव किये गये।

द्वितीय पचवर्षीय योजना

इस योजना के अन्तर्गत कुटीर एवं लघु स्तरीय उद्योगों पर २०० करोड़ रुपये व्यव करने का प्राविधिक प्रयत्न किया गया था। विभिन्न उद्योगों पर इस धन राशि का आपूर्ति ग्रन्ति पर दियाया गया है।

उद्योग	करोड़ रुपये
(१) हस्त वरधा (Hindloom)	५६४
(२) ग्रामीण	१६७
(३) मासीण उद्योग	२८८
(४) हस्त शिल्पकला (Handicrafts)	६०
(५) लतु संस्थाय उद्योग	५५०
(६) अन्य उद्योग	६०
(७) सामान्य योजनाएँ (प्रशासन, अनुसधान इत्यादि)	१५०
कुल योग	२०००

अनुमान है कि द्वितीय योजना में इन उद्योगों पर बजल १८० करोड़ रुपये किया गया है।

४ पचार्पीय योजना

श्री मनुभाइ शाह, कन्द्राय उद्योग मनी ने सितम्बर १४, १९५६ को मैसूरु के उद्योगपतियों की कान्फ्रेंस का उद्घाटन करत समय जताया कि तृतीय पचार्पीय योजना में कुटीर, लतु एवं मध्य वर्ग के उद्योगों के विकास पर ६०० करोड़ रुपये से आधिक खर्च किया जायगा। बजल कुटीर और लतु उद्योगों पर २५० करोड़ रुपये लग जिय जायेंगे।^१

श्री शाह ने यह भी जताया कि पूर्व स्थापित किये गये छु बोडों को आधिक आत्म निर्भर नना दिया जायेगा और वे बोर्ड आगे आधिकारी वो शाजीय बोर्डों को हस्तातित कर सकेंगे, क्यानि आधिक कन्द्रीयवरण से कोइ मिशेष लाभ प्राप्त न हो सकेगा। उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि प्रत्येक राज्य में एवं औरोगिन ऐसा संस्था (Small Scale Service Institute) स्थापित की जावेगी। तृतीय पचार्पीय योजना में १००० से अधिक औरोगिन प्रशार ऐसा कन्द्रा को स्थापित किया जायगा जिससे कि प्रत्येक ५००० से अधिक ग्रामीण वाले द्वेरा में कम से कम एक प्रशार ऐसा केन्द्र हो। इस समय इन कन्द्रों की संख्या १४६ है।^२

उपसहार

उरकार की उपयुक्त विभिन्न विवास योजनाएँ, प्रतिगल कुटीर एवं लतु उद्योगों

^१ तृतीय पचार्पीय योजना प्रारूप, ६ जुलाई, १९६०।

^२ National Herald, Sept 16, '59

के प्रगति भार्गे पर नहने की सक्ती है। अनीत का समृद्धिशाली मारत समय की विषमताओं ने कारण एक जर्बर न रोकित रान्द्र रह गया था, परन्तु आज समय के परिवर्तन के साथ साथ परिस्थितियाँ नड़ी तेजी से परिवर्तित होती जा रही हैं। कुटीर एवं लघु-उद्योगों का मुनर्मिकास एवं पुनर्स्थापन सफलतापूर्वक होना प्रारम्भ हो गया है। देश में ही नहीं विदेश में भी इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं की चर्चा एवं प्रशंसा पुनः होने लगी है। दिसम्बर १९५५ में बबालालमपुर (मलाया) में 'इंडियन हैंडलूम गुद्दूस इमोरिम' की स्थापना की गई है। 'इमोरिम' के अध्यक्ष का कहना है कि : "भारतीय बुनकर पिश्व के अन्य निपुण बुनकरों में सबसे आगे हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं मालूम होती, यद्योकि पश्चिमी देश के कपड़ा बनाने वाले भी—जिनके पास मभी आधुनिक सुविधाएँ प्राप्त हैं—भारतीय हैंडलूम के कपड़ों के पक्के रग, आकर्षक डिजाइन तथा मजबूती का लोहा मानते हैं।"

न्यूजीलैंड की पैशन परिसा 'ड्रेपर' का भारतीय हस्तनिर्मित वस्त्रों के सम्बन्ध में विचार है कि 'इन कपड़ों में रिशेपर र हलस्टर्डा उत्पादित सिल्क ने परिचमी ससार' को हिला दिया है। मारतीप जरी सिल्क की कढ़ी साड़ियाँ, न्यूपार्स के पैशन फ्लामिंगो में 'इनिङ गारुस' के रूप में नड़ी प्रचलित होती जा रही हैं।¹

वेलिंगटन नगर के भारतीय दूतावास के वार्षालियों में आयोजित एक प्रदर्शनी में भारतीय साड़ियों को पश्चिमी मनों के लिए किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है, दिखाया गया था।

एक विदेशी पैशन विशेषज्ञ ने टीक ही वहा है कि चुली प्रदर्शन के हेतु मुनहले एवं मुहले बाम वाले वस्त्रों का प्रयोग आवश्यक है। भारतीय हैंडलूम में तो यह विशेषता अचूर भावा में उपलब्ध है।

प्रश्न

1. Examine the importance of cottage industries in Indian economy. How can they hold their own against large scale industries? (Agra, 1958)

2. 'Development of cottage and small scale industries should receive greater priority than the expansion of heavy and large-scale industries under the Third Five Year Plan'. (Agra, 1960)

भारत में पिशिए संगठित उद्योग

सूती वस्त्र उद्योग
(Cotton Textile Industry)

आ बुकनन के शब्दों में 'ही उद्योग भारत के प्राचीन युग का गौरव, अतीव और वर्तमान में कर्ण का नारण किन्तु सना में आशा है।' वह उद्योग भारत के उगति वह प्रमाणने के उद्योगों में प्रथम द्वाट का है। आज वह द्वाट से निरन में मारवाय सूती मिल उद्योग ना दूसरा स्थान है। तमुच्ची की सख्ता की दृष्टि से ग्रामरिकी और इगलैंड के उपरान्त भारत का ही स्थान है। अमिना की सरपा की दृष्टि से भी बूताय स्थान है। निश्चय के तम्भूण वस्त्र उत्पादन का १४% तथा सूत उत्पादन १३% भारत में ही उत्पन्न किया जाता है।

राष्ट्रीय अध्ययन संस्था में ग्रान इस उद्योग का भवान महत्व है। वह देश के उपरान्त सबसे ज्ञानी ही नहीं गरन् सबसे अधिक भवित्वपूर्ण राष्ट्रीय भारताना उद्योग है, जो अधिकारियों ने सामिन में है, उन्हीं के द्वारा सचालित है तथा इसमें निर्माण व्यवस्था भी उन्हीं के द्वारा होती है। १६५६ के प्रारम्भ में देश में ४८२ मिलें थीं। १६५८ में १२,४८१,७३४ तक तथा ८,००,६८३ करोड़ और लगभग ६ लाख व्यक्ति काम कर रहे थे और यदि यहाँके उद्योगों को भी सम्मिलित कर लिया जाय तो लगभग १० लाख व्यक्तियां न। इससे जापन का प्राप्त होता है। इसका वार्षिक उत्पादन अब लगभग ५००० करोड़ गन करता है और १६५० करोड़ दौड़ से भी अधिक सूत वा है। इसमें ११३ करोड़ रुपये की स्थायी पूँजी लगी हुई है।

आज नियात करने वाले दर्शा में भारत का स्थान जापान के बाद आता है। सूत वस्त्र का नियान भारत परिवर्तन में कनाटा से लेकर पूर्व महिन्द्रिया तरं, उत्तर में फिल्ड से लेकर दक्षिण में ग्रास्ट्रेनिया और न्यूज़ीलैंड तक करता है। साठ है ति भारताय वस्त्र उद्योग देश का वह उद्योग है जिस पर वह गन कर सकता है और मारी समृद्धि के लिए आशाभरी द्वाट से देख सकता है।

ऐतिहासिक पर्यावरण

समय के आवश्यक का होनाने से हम सूती वस्त्र उद्योग के अत्यन्त सौन्दर्यमय

एवं गौरवपूर्ण अतीत के दर्शन होते हैं। भारत में वस्त्र उद्योग अत्यन्त प्राचीन काल से अपनी उल्लंघन रिति म था। मोहनजोदड़ो के व्यसायशेषों में सूक्ष्मी वस्त्रों के अवशेष प्राप्त किये गये हैं, जिनक ग्राधार पर प्रसिद्ध वैज्ञानिक जेस्स टनर और ए. एन. गुलाटी ने इह निष्ठन निराला है कि ऐसे वस्त्र रई से बनाये गये होंगे। ग्रीस व प्रसिद्ध इति हास्तार हीरोडाटस तो इस गत पर आश्चर्य प्रस्तु घरते हुए, लिपता है कि “भारतीय एक ऐसे ऊन के वस्त्र पहनते हैं जो भेड़ चरितों के शरीर पर नहीं होती अपितु पेड़ पौधों के रूप म उगाई जाती है।” अजन्ता की गुफा के कुछ चिनों से भी इस उद्योग के गौरवपूर्ण अतीत ना अनुमान लगाया जा सकता है।

भारत के प्राचीन साहित्य म वस्त्रों के सहजों उदाहरण मिलते हैं। शृंगेद व एक भात म शृंगि विलाप करत हुए कहता है कि “मैं शार्मिक वर्तव्यों का न ताना जानता हूँ और न जना।” शृंगेद म वपड़ा दीने वाली सुरं को ‘सूक्ष्मी’ (शृंग २ ३२ ४) एवं ‘अरिषेशी’ (शृंग ७ १८ १४), वैंची को ‘भुरिज’ (सृंग ८ ४ १६) ताने वाली लकड़ी को ‘मयूख’, दरकी को ‘बिम’ और बुनकर वो ‘बापित्री’, ‘धाम’ और ‘हिंसी’ नामों से उल्लेखित किया गया है। अथर्ववेद ने भी ऐसा ही लिखा है कि ‘सुहानारात व दिन वर अग्नी नववधू के हाथ का हा कत्ता कुना वस्त्र पहनता था।’ महाकवि वाणि ने बहुमूल्य वस्त्रों भी कलात्मक बुनावट का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। सौर के केंद्रुल जैसे महीन सूत, रशमी तथा मोती की भालरा वाले वस्त्रों का अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है। वस्त्रों पर आसोट, हस तथा आँय पशु पक्षियों की अकना (बुनाई) का भी उल्लेख मिलता है।

भारतीय वस्त्र की उड़ाना मुस्लिम काल म असंदिग्ध थी। दाके वी मलमल तो इतिहास प्रसिद्ध वस्तु है, जिसक बारे म आँगनी के छेद म से २० गज लम्बा और छूक गज चौड़ा थान को निकालना, आठ तह लपेटे लड़की को भी आरेगजेव का डाटना तथा ७५ गज मलमल का पैने दो रसी घजन तक होना सर्वविदित है। मुगल दरबारी कवियों की रचनाओं म वपड़े को मकड़ी के जाले, बहता पानी, शब्दनम या ओस के बिंदुओं से समानता दी जाती है।

यहीं तक नहीं इतिहास का मत है कि ईसा से ५००० वर्ष पूर्व भी भारतीय मलमल वो मिश्र व ममाज (Egyptian Mummies) व आवरण के लिए जुना जाता था। योरोपीय सभ्यता न आदि विकासशील देश यूनान (Greece) क निवाली हीरोडाटस (Herodotus), मैगस्थनीज (Magasthene) तथा प्लिनी (Pliny) जैसे विद्वानों ने भारतीय वस्त्रों की मुकामण से प्रशासा की है। टैबरनियर (Tabular) ने लिखा है कि ‘कालीकट वी मलमल इतनी महीन थी कि हाथ में ही मही की जा सकती थी, उसका सूत आयों से दिखता ही नहीं था।’ कासु “मलमल क अनेक वित्तपूर्ण नाम_प्रियबात हैं, जैस बुनी हया (W.

भरसाती पुहार (rainbow water) आदि। अप्रीम के इविहार में उल्लेख है कि भारतीय वस्त्रों के मूल्य में वस्त्र के बजन से चौमुना सोना दिया जाता था।

इस उद्योग की विभिन्न चीजें इतनी प्रतिदिन हो गई थीं कि निर्दूषक और धू-कूर गंगा खोदायर में परिष्कार, ज्योतिष तथा काट उडायर आनंद है। डा० रामरेणु ने तो यहाँ तर लिया है कि वस्त्रोग्नी व कारण भारत में सोना और चाँदी दूसरे देशों से दुला चला आता था। इन सब उल्लेखों ऐ प्रश्न होता है कि प्राचीन काल में मार्त्तीय वस्त्र उद्योग की विश्वव्यापी व्यापारिता और जीवनोन्योगी माँग थी।

श्रीगोपिक महाकाव्य ने विलायत में शूटी कारपाने स्थापित बरों में रुद्धता की और थोड़े ही समय म लक्षायार, मैनचेस्टर, पैसले इत्यादि स्थानों में विशाल कारपाने स्थापित हो गये। इधर भारत में ऑप्रेज़र्नी का आगित्य जम चुका था, उनके खुले बाजार की नीति तथा राजनीतिक अन्याय के घट्ट ने एवं साथ मिलकर भारतीय वस्त्र उद्योग का गता धोट दिया।

आधुनिक दृढ़ की समसे वहले सूती वस्त्र मिल सन् १८१८ म हुगली नदी (कल्पनाचा) के किनारे धूसरी नामक स्थान पर स्थापित बीगड़, पर इस उद्योग की वाल निक नीनि १८५१ म झाली गई जब ति बम्बई म श्री कावसनी नाना भाई आगर ने 'चाम्बे विनिग एण्ड वीपिंग कम्पनी' स्थापित की। इसे कल्पनी ने अनना कार्पै४ फ्लूटी रन् १८५४ से आरम्भ किया। इसने उपरान्त दूसरी मिल सन् १८६१ म श्री रनद्वाङ साल छोटालाल रँहड़ीगाला ने 'शाहपुर मिल्स' के नाम से खुलवाया। इस मिल की स्थापना त लिए यमापात से ऑप्रेज़री मरीनों दो बैलगाड़ी पर लादकर अहमदाबाद लाया गया था और उसे सचालिन करने के लिए लमायायर से कारीगर बुलाये गये थे। इय मिल के उपरान्त सन् १८६६ मे "कैलिको मिल्स" की स्थापना हुई। आधिकाश मिलों की स्थापना बम्बई म ही हुई। सन् १८७८ ई० मे मिलों की सख्ती सेवत बम्बई म ही ५६ हो गई, जिनमें १४,५३,००० तकूप ग्रो १३ हजार करवे थे। आधिकाश मे ये मिल बताई मिल (spinning mills) थे।

इस सफलता की देखने हुए अहमदाबाद, शोलापुर, मद्रास, बानपुर आदि नगरों में शूटी काढ़े क कारपाने लोले गये। सन् १८१४ मे कारपानों (मिल्स) की सख्ता २६४ हो गई।

सूती वस्त्र उद्योग की प्रगति एवं विकास का आव्ययन हम पाँच सठी म वर सकते हैं—

(१) प्रथम महायुद्ध के पूर्व (१८१४ तक)

(२) प्रथम महायुद्ध एवं उसके परचात् (१८२६ तर)

(३) द्वितीय महायुद्ध वर्ष (१८३८ तक)

(४) द्वितीय महायुद्ध एवं पश्चात् (१९४७ तक)

(५) स्वतन्त्रता के पश्चात् (१९५० तक)

प्रथम महायुद्ध के पूर्व (१९१४ तक)

जैसा कि ऊपर बहा जा चुका है कि प्रारम्भ में सूती मिलों वा विवास बमर्ड के आसानी से हुआ। सन् १८७८ ई० तक मिलों की सख्ता ५६ हो गई थी। परन्तु १८७७ के पश्चात् इन मिलों वा देश के हृदय में स्थित उपरी नगरों जैसे नागपुर, अहमदाबाद, शोलापुर में भी विस्तार हुआ। खदेशी भावना (१८०५) की लहर के कारण बातने तथा बुनने की मिलों कानपुर, वलवत्ता, भद्रास, मधुपुरा, आगरा, घालियर, इन्दौर में भी खुली। उनीसर्वी शताब्दी के अन्त तक इस उद्योग में ब्रिटिश विवास होता रहा, यद्यपि वहाँ आर इस्ती दशा सरान हो गई। इस रमय की प्रमुख विशेषता थी कि का उत्पादन, बिसफा नियांत्रित चीज़ और जापान को होता था और देशी भरणे में बुनवर भी प्रयोग करते थे। १८०७ में पुनः उद्योग को विश्वमंडी के बारण सबट को सामना बरना पड़ा।

सन् १८८० से सन् १९१४ तक सूती वस्त्र उद्योग का जो विवास हुआ, उसमें दो प्रवृत्तियाँ प्रमुख थीं—

- (१) तूँछों (spindles) की अपेक्षा वरणों की सरण में हुतगति से बढ़ितथा
- (२) अच्छे वस्त्र के निर्माण की ओर प्रवृत्ति।

१९१४ में हमारे देश में सूती मिलों की सख्ता २७१ हो गई थी। परिणाम स्वरूप प्रथम महायुद्ध के पहले १९१४ तक सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से हमारा देश विश्व में चौथा स्थान प्राप्त कर सका।

प्रथम महायुद्ध एवं पश्चात् (१९१४ से १९२६ तक)

प्रथम महायुद्ध से सूती वस्त्र उद्योग को बापी बदावा मिला। सुदूर के छिड़ जाने से इङ्ग्लैंड तथा विदेशों से होने वाला बढ़के था आवात बढ़ हो गया तथा भारतीय उद्योग पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई। एक तो, देशी मोंग की पृति की तथा दूसरे, सुदूर वार्ष के लिए आवश्यक वस्त्र नियांत्रित बरने की। विदेशी बढ़के वा मृत्यु बढ़ जाने के कारण भारतीय उपभोक्ता मारतीय मिलों के बड़े बढ़के की ओर झुकने हुए। इसके अतिरिक्त नई नई सैन्य (army) आवश्यकताओं के कारण भारत में हर प्रवार के बढ़के की माँग और उपत बढ़ती गई।

इस ग्रोलाहन के होने हुए भी उद्योग के विवास में व्यावहारिक धाधारों थीं, जैसे—मशीनों, औजारों तथा आनश्वर रग रसानों के आवान में अनुग्राही एवं महायुद्ध से एक और लाभ पड़ हुआ था, भारत ना विदेशी व्यापारिक अमेरिका और जापान के साथ रहा, किन्तु अंडिनाइटा के कारण मिला—

समता से कार्य करना पढ़ा। इससे उद्योग को आगामीत और अप्रत्याशित समझता मापत हुई। अशाधारियों को १९१९ में ५०%, १९२० में ३५% और १९२१ में ३०% लाभार मिले। परन्तु यह समझता कितनी सेवी से आई थी, उनी ही तेजी से चली गई।

इस काल (१९१४ से १९२६) में सूती वस्त्र उद्योग को दो विशेषताएँ थीं—

(१) नई मशीनों के आवाव में कठिनाई होने के कारण नवीन मिलों की अधिक सख्ता में स्थापना न हो सकी परन्तु निर्माण भी फरसों की सख्ता में पर्याप्त बुद्धि हुई।

(२) अभी तक इस उद्योग में कठाई वा विशेष महत्व या परन्तु अब तुनाई १८ का विवास हुआ।

पारस, मेसोपोटामिया, दक्षिणी अफ्रीका, श्रीलंका और मलाया में मार्गीय वस्त्रों का निर्यात होने लगा।

द्वितीय महायुद्ध तक (१९२६ से १९३६)

सन् १९२३ से उपरान्त इस उद्योग की प्रगति शिखिल पड़ गई। इसी प्रकार मूल्य गिरने के कारण बृप्ती की ग्राहणति दीर्घ हो गई। फलस्वरूप सूती वस्त्रों की माँग में घटन कमी हो गई। युद्धोच्चर वाल में इस उद्योग के समूत्र अति पूँजीकरण, योग्य प्रक्रमधर्मों का आवाव, दूषणधर्म, आविधिक (technical) विशेषज्ञों का आपात, मशीनें तथा यन्त्रे भाल का दुर्योग आदि समस्याएँ उपस्थित हो गई। इसी समय सूती मिलों में मञ्चदूरों क्षारा लम्बी हड्डियाँ भी गई। इन समस्याओं पर कारण यह उद्योग और सदृश में फैदा गया।

विशेष होकर उद्योग ने सन् १९३५ में प्रशुल्क सरक्षण (tariff protection) की माँग की। फलस्वरूप सन् १९२६ में उद्योग की जाँच के लिए एक प्रशुल्क घोड़ी की स्थापना हुई। घोड़े ने उद्योग को सरक्षण प्रदान करने की रिशारिय की। रिशारिय के अनुलाभ सन् १९२७ में भारतीय प्रशुल्क अधिनियम स्वीकृत हुआ। सरक्षण के फलस्वरूप उद्योग पुनः धीरे धीरे प्रगति करने लगा। यह प्रगति द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने से बहले सन् १९३८ तक होनी रही। इस उमय हक्कारे देश में ३३४ सूती मिलों थीं।

द्वितीय महायुद्ध एवं पश्चात् (१९३८ से १९४७ तक)

सिंहमन्दर सन् १९३६ में द्वितीय महायुद्ध की घोषणा होने पर सूती वस्त्रों की माँग एकदम बढ़ने लगी। इसके विपरीत विदेशों से आने वाला कपड़ा लगभग बढ़ हो गया। क्योंकि निर्दिश यन्त्र उद्योग मुद्र समानन्दी उत्पादन में व्यस्त हो गया तथा जापान से शक्ति होने से भारत को विवर देशों की देना तथा उत्तमोत्तमों की गाँग की पूर्ति करने वा एकाधिकार मिल गया। फलस्वरूप भारतीय सूती उद्योग को युन. प्रगति

करने का अवसर प्राप्त हुआ। मिलों की सख्ती तथा तकुरों एवं करघों की सख्ती में भी काफ़ी वृद्धि हुई। फिर भी बढ़ती हुई मार्ग को पूरा करने के लिए पूरी उत्पादनशीलता से बाह्य करना पड़ा। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप ११ गांव १९४४ के अन्त में सह एवं वफ़े का उत्पादन क्रमशः १६८० मिं० पौंड तथा ४८७० ६ मिं० गज़ हो गया था, जो पिछले सब वर्षों से अधिक होने हुए भी भारत की समूर्ण माँग का ५० प्रतिशत भाग पूरा कर सकता था।

माँग की अपेक्षा पूर्ति की मात्रा कम होने के कारण वफ़े के मूल्य दिन दूने रात चौगुने बढ़ते चले गये। सन् १९४२ से वफ़े की कीमतें बढ़ने लगी थीं, जो सन् १९४६ की अपेक्षा चौगुनी थीं। इधर भारत से वफ़े का निर्यात बढ़ता जा रहा था और देशी माँग भी बढ़ रही थी। विवश होकर सरकार को वफ़े पर कन्ट्रोल लगाना पड़ा और साथ ही साथ उत्पादन एवं विक्री पर भी सरकार को अपना नियन्त्रण रखना पड़ा। नियन्त्रण के हेतु सरकार ने समय-समय पर पॉच आदेश जारी किये, जो इस प्रकार ये—

- (१) काटन क्लाथ एस्ट यार्न कन्ट्रोल आर्डर, जून सन् १९४३।
- (२) काटन क्लाथ एस्ट यार्न कन्ट्रोल आर्डर सन् १९४५—ठिकादारी १९४७।
- (३) कॉटन ऐस्टाइल इशडस्ट्री (कन्ट्रोल ग्रॉफ़ प्रोक्षण) आर्डर सन् १९४५।
- (४) काटन ऐस्टाइल इशडस्ट्री (कन्ट्रोल ग्रॉफ़ मूवमेंट) आर्डर सन् १९४६।
- (५) कॉटन ऐस्टाइल इशडस्ट्री (मैटीरियल एस्ट स्टोर) आर्डर सन् १९४६।

सन् १९४६ के अन्त में इन नियन्त्रणों के फलस्वरूप इस उद्योग की परिस्थिति में सुगर होने लगा और जनवरी सन् १९४७ से बाह्य उद्योग से मूल्य नियन्त्रण हटा लिया गया।

स्वतन्त्रता के पश्चात् (१९४७-१९५६)

१५. अगस्त सन् १९४७ में देश द्वे विभाजन के फलस्वरूप सूक्ष्म वस्त्र उद्योग को बाह्य छोड़ दिया गया, यहाँ तक कि पाकिस्तान इत्यादि देशों के बच्चे माल की पूर्ति पर भारतीय मिलों को निर्भर रहना पड़ा। सिंध तथा पश्चिमी पजाहां का हेत्र जिसमें ७५% मध्यम तथा लम्बे रेशों की व्यापार उत्पन्न करने वाली उर्द्दरा भूमि तथा १४ मिलें पाकिस्तान को चली गई। पाकिस्तान से रुद्दि वा आयात दुःखरहो गया। दोनों देशों के बीच अनेक व्यापारिक समझौते हुए, परन्तु पाकिस्तान ने अपने बच्चों का पालन नहीं किया। विवश होकर भारत सरकार ने मिश्र, अमरीका आदि देशों से व्यापारिक समझौते करके तथा देश में ही 'अधिक व्यापार उन्वादन आदोलन' द्वारा क्षति पूर्ति की।

१९४८-४९ में देश के आर्थिक और राजनैतिक वातावरण में कुछ सुव्यवस्था

आ जाने से मुधार के हृदय प्रवर्ट होने लगे। परन्तु दुर्भाग्यवश यह स्थिति फिर बिगड़ गई। सन् १९४६ में स्वये के अवमूल्यन और बोसिया के सुदूर के द्वारा क्षाप और मशीनें आदि फिर महँगी होने लगीं।

प्रथम पचवर्षीय योजना (१९५१-५६)

प्रथम योजना के प्रारम्भ के समान वह उद्योग अनेक समस्याओं से घ्रसित था। सन् १९५० ई० म वपा वी अनियमितता व हड्डताली के कारण बच्चे माल और थम वी बटिनाईयाँ उत्स्थित हो गई थीं। विमाजन के पालस्वरूप पाविल्यान में वपार उत्पन्न बने याले चेत्रों के बले जाने से इस उद्योग वी लगभग १० लाख क्षाप वी गाँठों वी वार्षिक वमी हो गई। इसके अतिरिक्त कुल ४०६ मिलों में से १५० मिलों अनार्थिक वी जिनमा आषुभीवरण तथा प्रतिस्थापन अत्यधिक आवश्यक था। परन्तु प्रथम योजना वी प्रति वे साथ साथ बन्न उद्योग वी भी प्रगति होने लगी।

प्रथम योजना में १९५५-५६ तक ४७०० मिल बपड़े वा और १७०१ मिल गज वर्षे के बपड़े वा लक्ष्य रखा गया था, पर बड़े हर्ष वी यात्र है कि इस योजना के हीसे ही वपा व बन्न उत्पादन लक्ष्य से आगे बढ़ गया। दिसम्बर १९५५ तक सरकार ने ८६ नई मिलों वी स्थापना के लिए लाइसेंस (अनुशा पन) दिये। वर्षे समिति तथा कानूनगो समिति वी छिपारिशों के अनुसार योनावाल में हस्त करणा उद्योग वो विशेष प्रोत्साहन दिया गया। निर्वात च्छाने के लिए सरकार ने एक 'सूनी बन्न निर्यात प्रबर्त्तक परिपद' नियुक्त वी जो दि बन्न निर्यात को हर प्रवार दे प्रोत्साहित करती है।

द्वितीय पचवर्षीय योजना (१९५६-५१)

इस योजना के अन्तर्गत बन्न उत्पादन में सन् १९६० ६१ तक २५% वृद्धि करने वा लक्ष्य निर्धारित। इस वी है। ३५०० मिल गज बपड़े वा उत्पादन हस्त करणा उद्योग के लक्ष्य वी सीमा है। इसके अतिरिक्त उद्योग वो अपने खर्चमान निर्यात वी कायम रखने हुए ३५० मिल गज अनियमित भिल बपड़े वा उत्पादन देवल निर्यात के लिए यरना होगा। इस लक्ष्य वी प्राप्ति के हेतु १५६०० नवे स्वचालित वर्षे लगाने वी व्यवस्था है। योजना के अन्तर्गत भिल उद्योग और वर्षा उद्योग में समवय स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया है।

सरकार वी नवीन सूती बन्न सम्बन्धी नीति

बन्न उद्योग इस तमय एक नियन्त्र सकट से गुजर रहा है। मिलों में बहुत-सी उत्पादित साव जमा हुआ है। ऐसा अनुमान है कि लगभग ४६ करोड़ वपये वे अधिक धन वेतारफ़सा पड़ा दें। बहुत सी मिलों ने वा तो उत्पादन नियुक्त कर

दिया है। अथवा कुछ कम कर दिया है। इन सूती मिलों की विगड़ती हुई दशा के सुधारने के लिए सरकार ने जून सन् १९५८ म एक जाच समिति श्री डी० एस० जोशी की अध्यक्षता में नियुक्त की। समिति ने अपनी किसारिशे इस प्रकार दी है—

— (१) उद्योग की प्रमुख वडिनाइयों को दूर करने के लिए निवीनीकरण और नवीनीकरण की योजनाओं को बायानित करना अत्यन्त आवश्यक है।

(२) विपणन शान और शोब पर अधिक से अधिक धान देना चाहिए।

(३) बन्द मिलों को सोलने का नुस्ख प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि बन्द होने का सुख बारह तुरानी मशीने तथा मरम्मत ग्रादि के प्रले उदासीनता है।

(४) एक ऐसे सलाहगार परिषद् का निर्माण होगा चाहिए, जिसमें सभी हितों का प्रतिनिधित्व हो और जो समय समय पर टेक्सटाइल कमिशनर को आवश्यक सलाह दे सके।

सरकार ने उपरोक्त किसारिशों को आशिक रूप से मान लिया है। उद्योग की भ्रष्टाचार के लिए उत्पादन दर कर (excise duty) और नियांत उप कर में कमी कर दी गई है।

सरकार भी नवीन सूती वस्त्र सम्बन्धी नीति के अन्तर्गत इस गत का प्रयास किया गया है कि मिलों द्वारा ३५०० करोड़ गज, विद्युत द्वारा चालित श्रधों द्वारा २००१ करोड़ गज और हस्त करणा द्वारा १०० करोड़ गज अतिरिक्त कपड़ा बनाया जाना चाहिए। इस नीति की मूल बातें इस प्रकार हैं—

(१) नये तकुओं (spindles) के ब्लाने के लाइसेंस (अनुमति) के बल उन्हीं को दिये जायें जो उन्ह शीघ्र चालू कर सकें, जिससे वहाँ हुई माँग की पूर्ति आसानी से हो जाय।

(२) सूती वस्त्र मिलों को १४६०० करणा को लगाने की अनुमति केवल इसलिए दी गई है जिससे उनका चमल उत्पादन, जो लगभग ३५ करोड़ गज होगा, प्रति वर्ष नियांत कर दिया जायगा।

(३) ३५,००० विद्युत चालित वर्धे सहकारी समितियों द्वारा लगाये जायेंगे।

(४) अमर चरसों को इस नीति के अन्तर्गत विशेष महत्व दिया गया है।

उद्योग की वर्तमान स्थिति

१९५८ के आरम्भ में देश में ४७० सूती वस्त्र मिलों थीं जिनमें १,३०,५०,००० तकुओं तथा २,०१,००० कस्ती पर काम हो रहा था। १९५८ में १०६८ अरब पौएड सूत तथा ४ अरब ६२ करोड़ ७० लाख गज वस्त्र का उत्पादन हुआ।

१९५८ के प्रारम्भ में इन मिलों की सूतरा बढ़ कर ४८२ हो गई, इनमें १०२० अरब रुपये का विनियोग हुआ था तथा ६ लाख मजदूर काम कर रहे थे।

पिंगल कुछ बतों से कह और सूची कराएं कि उत्पादन इस प्रकार था—

सूची बज्र उद्योग का उत्पादन¹

वर्ष	खट (लाख पौड़)	ग्रन्थी भवन (लाख गड़)
१८५१	१३,०४४	५०,७६४
१८५२	१४,४६६	५५,६८४
१८५३	१५,०६०	५८,७८०
१८५४	१५,६१२	५८,६८०
१८५५	१६,३०८	५०,६४०
१८५६	१६,७१६	५३,०७६
१८५७	१७,८०१	५३,१७४
१८५८	१६,८५३	५८,२६८
१८५९	१७,२२८	५८,९५४
१८६० (फरवरी तर्ज)	८८२६	८,२०६

दिसम्बर १८५८ में लोअर चमा में बुद्ध सम्पद के उद्दलों ने कही बज्र उद्योग की पुर्ववान दर्यानीय स्थिति और सिशेप रूप से गिरते हुए नियंत्रण की ओर चिन्ता घटकी। इसी दौरान में उत्तोगमनी की मनू माई शाह ने जाताया कि विद्युते बुद्ध बतों से यानाधिक रथा सामाजिक कुशलता व कारण ३६ सूची मिलें पूर्णरूपेण और ३२ मिलें आधिक रूप से बढ़ रहे हैं, जिसके पलस्तरप ४०,००० अमिक बेगर हो गये हैं। अब उन्होंने एक योजना घोषित की जिसके अनुतार तीन वर्ष तक (१८६१) प्रति वर्ष २५,००० स्वचालित करणे लगाये जायेंगे। उन्होंने यह भी जाताया कि I N T. U. C., A I T. U. C., तथा हिन्दू गजदूर खमा के धर्मिक नेताओं ने भी इह योजना को स्वीकार कर लिया है।

गवर्नर १८५८ गं केन्द्रीय राजपाल ने प्रति वर्ष, तीन खाजा तक २,५०० स्वचालित करणे स्थापित करने की स्थीहति दी थी। इसके अतिरिक्त बछों की समर्थन मिलों की ३००० अतिरिक्त स्वचालित करणे लगाने की अनुमति इस शर्त पर दी जाती कि उनसे किये गये उत्पादन का शत प्रतिशत और उससे पूर्व १८५४, १८५५ और १८५६ में से किंही एक वर्ष का आधा उत्पादन भी नियंत्रण्यापार में पृद्धि के रैदू, रिदेशों में लगी आनुनिष्ठ मर्शीनों के सार पर लाने के लिए ५०० से ५,००० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, इसके लिए आवश्यक वित्तीय साधनों की पृष्ठि दो तरीकों से हो सकती है : या तो उद्योग स्वयं अपने वार्षिक अतिरेकों (surpluses) में से नित


¹उद्योग व्यापार पत्रिका, जुलाई १८६०।

व्यवस्था करे या राष्ट्रीय उद्योग विकास परिषद्, श्रीबोगिक वित्त निगम (I F C) आदि उद्योगों को नई मरीनें लगाने के लिए वित्तीय साधन उपलब्ध करें। सम्भवत् इन दोनों तरीकों वा एक समिक्षण सर्वोत्तम होगा।

१ जनवरी, १९५६ से १५ अगस्त, १९५८ तक राष्ट्रीय श्रीबोगिक विकास निगम ने १२ सूती कपड़ा कारखानों को ३ करोड़ ४२ लाख ६४ हजार रुपये का सूच दिया। १९५८ में १३ सूती कारखाना को २ करोड़ ५० लाख ६० हजार रुपये और १९५७ में ४ कारखानों को १ करोड़ २० लाख ७० हजार रुपये का सूच दिया गया।^१ श्रमी हाल ही में सूती वस्त्र उद्योग का आनुनिकण करने के उपर्योग और समस्याओं का अध्ययन करने एवं अपने सुभावों को प्रस्तुत करने के लिए निगम (N. I. D. C.) द्वारा एक कार्यगाहक दल (working group) की स्थापना की गई है। इस दल के चेयरमैन श्री डॉ० एस० जोशी ट्रिस्टाइल बिश्नूर हैं। यह दल अपना कार्य ३० नवम्बर, १९५८ तक समाप्त कर चुका है।

सूती वस्त्र उद्योग का प्रिवरण (Distribution of Cotton Textile Industry)

सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य गुरुद्वारा, बंगाल, मद्रास तथा



चित्र १६

उत्तर प्रदेश हैं। मिल द्वारा बनी वस्त्रों में ८०% भाग सुता और बुनी हुई वस्त्रों

^१ उद्योग व्यापार परिका, अक्टूबर १९५८, पृष्ठ ३१२।

न होता है। जिस प्रभार से बिहार और उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग के लिए, परिवर्ती वगाल जट उद्योग के लिए, पश्चात ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए, केल चाय बायानों के लिए प्रसिद्ध हैं, उसी प्रभार नम्रई सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर देश की सबसे आधिक सूती मिल, सबसे आधिक तपुएँ (spindles) (५५%) तथा सबसे अधिक करघे (२/३) हैं। अन्ना एवं पुनर्गठन के पश्चात् नम्रई म १७४ पूर्ण (composite) मिलें तथा २२ लाख बातने वाली मिलें हैं। यहाँ पर चम्पूर्ण देश में निर्मित करघे का ६८%, तथा तपा का ५३% भाग निर्मित होता है।

उद्योग की वर्तमान समस्याएँ

(१) विवेशीकरण की समस्या—यह उद्योग के सम्मुख विवेशीकरण के अपनाने की समस्या है। योजना यायाग के अनुसार १५० अक्षुण्ठ इकाइयाँ हैं तथा काले डैप्पयाइल इनस्ट्रायरी वमटी (१६५८) वी रिपोर्ट के अनुसार सूती मिलों के बन्द होने का आरण विवेशीकरण का न अपनाया जाना है।

(२) आधुनीकरण की समस्या—सूती मिलों में लगी हुई मर्याने ४० वर्ष से भी अधिक पुरानी हैं जिनकी उत्थापिता समाप्त हो चुकी है।

(३) पच्ची रई के अभाव की समस्या—भारत के विभाजन के पश्चात् रई की छड़ी का अभाव हो गया है। फलस्वरूप मिस्र, अफ्रीका, अमेरिका व चीन से ऊन दामों पर मगानी पड़ती है।

(४) उद्योग के लिए आप्रस्तुक चारों का निर्माण—पचासीय योजनाओं के अन्तर्गत कुछ उद्योगपतियों ने इस बार्य का शुभारम्भ किया है परंतु अभी संघर जनक नहीं है।

(५) निवेशी प्रतियोगिता—जापान और अमेरिका हमारे वस्त्र उद्योग के प्रमुख प्रतियोगी हैं क्यानि युद्धोरात सभी देशों में अपना ग्रीष्मोगिन पुनर्गठन एवं पुनर्निर्माण कर लिया है।

(६) मिलों पर इस्त करघों में समन्वय स्थापित करना—आब मिलों और इस्त करघों में प्रतिस्पर्धा की भावना आ गई है और यदि यह भावना बढ़ी रही तो निश्चन्द्र ही देश का फलनाश न हो चुकेगा।

(७) अनार्थिक इकाइयों की समस्या—पूँजी के अभाव, अप्रबन्ध तथा कल्पने माल के अभाव, वे फलस्वरूप १५० अनार्थिक इकाइयों बढ़ाई गई हैं जिनमें ८० लगभग सीमान्त कुण्डली पर चल रही थीं तथा २५ इकाइयाँ बन्द हो चुकी थीं, ३५ घटे दर चल रही थीं।

(८) उत्पादन उपकरों का भार—भारत में वस्त्रों पर कर की दर ११५% है, क्षेत्र ३६% तक है जो बहुत ही अधिक है।

नामक स्थान से आयात किया था। २ वर्ष तक तो इस मिल ने नूट की बवाई वा चारू किया किन्तु १८५७ ई० में हाथ करणा भी लगा दिया गया, जिससे इस मिल में बोरे भी जनने लगे।

४ वर्ष पश्चात् सन् १८५६ में जार्ज हैशडरसन ने 'बोर्नियो कम्पनी' नामके दूसरी जूट मिल भी स्थापना की जिसने कवाइ और बुनाइ दोनों कारों को प्रारम्भ के अपनाया। शक्ति का प्रयोग होने से इस मिल ने ५ वर्षों में ही अपनी दमता दूनी कर ली और १३ वर्षों में प्राप्ति पैदी के दुगुने से अधिक लाभ कमाया। १८५० में दो और नई मिलें खुलीं। धीरे धारे गहुत-सी नई मिलें खुलती रहीं और १८१३ १४ वर्ष कुल मिलों की सख्त्या ६४ हो गई जिन्होंने ४२ ७४ लाख जूट की गाँड़ी की सफल बी और २८ २७ करोड़ रुपये वा माल घाहर मेजा था। इस समय तक जूट मिलों के प्रबन्ध, आकार, विस्तार वथा मर्यानों ने मुश्किल हुआ।

प्रथम महायुद्ध एवं उसके पश्चात् (१८१४-३६ तक)

१८१४ में प्रथम महायुद्ध के द्वितीय जाने से इस उद्योग के विकास को बढ़ाव प्रोत्ताहन मिला और युद्ध काल में अप्रत्याधित समृद्धि हुई। इस प्रकार यह महायुद्ध इस उद्योग के लिए एक परदान सिद्ध हुआ। युद्ध जनित आवश्यकताओं के कारण नूट , " की माग निरन्तर नढ़ती ही गई। फलस्वरूप उद्योग का भी विकास होता गया।

ओर बोरों, कमड़ों तथा रस्तियों की माग नढ़ती गई और दूसरी ओर विदेशी से आवश्यक मर्यानों के आयात म रक्काट पड़ गई। सरकारी मौंगा की शीम पूर्वि सम्बद्ध करने के लिए ऐकट क प्रावधानों को स्थापित कर दिया गया और बाद में इन्हें जूट का नियात निना लाइरेंट के बन्द कर दिया गया। जमनी ने हस पर आक्रमण से रुकी सन की पूर्वि अन्धेरों के लिए बन्द हो गई। फलस्वरूप नूट वारखानों को बाही लाभ हुआ। वारखानों के शुद्ध लाभ १८१५ म ५८%, १८१६ म ७५%, १८१७ में ४६% और १८१८ म ७३% थे। भालिका ने सचिव कोर्पा वथा पिछावट बोरों में भलीभांति धन का प्रावधान किया।

युद्ध के समाप्त होते ही मदी वा भाका आया और उद्योग पुन उठाट में पैदा गया। युद्ध जन्य माँग युद्ध की समाप्ति के साथ ही जुत्त हो गई। कच्चे नूट की बोयले तथा अम-न्यय पढ़ने लगा। युद्ध काल में अर्जित लाभ नये वारखानों की स्थापना वथा पुराने वारखानों का विस्तार हुआ। अति पैदीस्तर (over capitalisation) भी युद्धकाल की एक विद्योपता थी। १८१६-२० म बोयले का भी अमाव हो गया। १८२० से विश्वव्यापी मदी वा प्रभाव प्रारम्भ हो गया था। इन सब वारणों से उद्योग सक्षम्यत हो गया। इस उठाट से उच्चने के लिए सभी नूट मिलों ने निश्चय किया कि अब भविष्य में कुछ समय तक के लिए विस्तार रोक देना चाहिये। यद्यन के पड़े कम

कर दिये गये तथा नहुत'से कर्वे सील कर दिये गये। १६१६ से १६२६ तक चूँड मिल एकोसियेरान की सदस्य मिलों ने सप्ताह म बैचल ४ दिन ही बाम किया।

उल्लेखनीय नात तो यह है कि विश्वव्यापी आर्थिक-मदी की अपेक्षाकृत भी जूँड मिल उद्योग म अधिक हानि नहीं हुई। चूँड उद्योग पहले ऐ ही मुख्यत्वे एवं चुद्द थी। प्रबन्धनों की दूरदर्शिता तथा कुशलता, अच्छे संगठन व सहकारिता भी भावना के कारण उद्योग युद्दोपरान्त मदी के आश्रातों वो सहन कर सका। इतना ही नहीं, नहिं इसने अपनी स्थिति को और टोय वर लिया। प्रतिवूल परिस्थितिया के बावजूद भी उद्योग वी काफी उन्नति हुई और भारतीय नियातों म जूँड वी वसुओं का स्थान बना रहा। १६१४ १५ और १६२६ ३० म मिलों की सरया ७० से ८८, कर्त्ता वी सख्ता ३८, ३७८ से ५३,६०० और तकुर्या वी सरया ७,६५,५२८ से ११,४०,४५५ ही गई। ३० हुकेनन के अनुसार मिलों ने १६१५ २४ वी बीच प्रति मर्द ६०% का लाम कमाया और शायद ही सहार म बारपानों के लिये समूह ने इतना लाम कमाया था।

१६२६ के बाद मिश्वव्यापी मदी ने उद्योग वो ग्रवश्य काफी हानि पहुँचाई। इष्टि की पैदावार क मूल्यों म मदी के कारण ग्रन्तर्णप्तीय व्यापार कम हुआ और योरा वी माँग घट गई। उधर इस वय जूँड का उत्पादन काफी जड़ जाने के कारण चूँड मिला म ग्राने स्टाक वो समाप्त रखने के लिये बाम रखने क घटे ५६ से ६० प्रति सप्ताह वर दिये। इसके फलस्वरूप मिलों क स्थाक में और भी अधिक चुद्द हुई और निर्मित वसुओं क दाम और भी ऊर गये। अत 'जूँड मिल रघ' ने इन मिलों क बाम के घटों की सख्ता १६३१ म ६० से ४० प्रति सप्ताह कर दी और १५% कर्त्ता वी सील बन्द कर दिया गया। यह निर्यंतर १६३८ १० तक चलता रहा। परंतु किर भी परिस्थिति म बोई सुधार न हुआ।

द्वितीय महायुद्ध तथा उसके उपरान्त

३ सितम्बर १६३८ से द्वितीय महायुद्ध के द्वितीय जाने से उद्योग को पुन विश्वस वरने वा अवधर शास्त्र हुआ। युद्ध काल म दिनात्तर माग म चुद्द होने के कारण कन्वे जूँड एवं चूँड द्वारा निर्मित वसुओं के मूल्यों म भी चुद्द होती गई। भारत सरकार ने चुद्द वी आवश्यकताओं के लिए गोरे, टाट, व अच्य जूँड वी वसुओं के लिए भारी मात्रा में आढार दिये। निदेशों वी भी जूँड वी माग नहु गई। अत मदीफाल म लगाये गये उभी प्रतिमध्यों को हटा दिया गया और अब मिलों ६० घटे प्रति सप्ताह कार्य करने लगी। एक विशेष वानून क द्वारा सरकार ने 'बारपाना अधिनियम' को जूँड उद्योग के सम्बन्ध म स्थगित कर दिया। इन सन पारिधियां क फलस्वरूप चूँड उद्योग पुन अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन करने लगा तथा उसक उत्पादन म एकदम चुद्द हो गई।

आगस्त, सन् १९४० में जूट की वस्तुओं की मौग एवं दम कर हो गई, फलतः घाम करने के बड़ी बो पुनः घटान खताह में ४५ ही करना पड़ा; जिन्हे यह परिस्थिति अधिक दिन तक नहीं रही। सन् १९४२ ई० में इसने अपने दाम के बड़ी बो पुनः ५४ प्रति सदाह कर दिना। १९४२ के पश्चात् उद्योग बो दो प्रतिशूल घटनाओं का सामना करना पड़ा—(१) कोशला एवं नियुत की कमी वथा यावायाव की असुनियाएँ और (२) सन् १९४३ का प्रगति वा भीषण दुर्भिति। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने निर्णय किया कि एक सदाह तक दाम बन्द रखा जाय।

युद्धोमरात् भ्यभावतः यह उद्योग संतोषजनक स्थिति में नहीं था। यह स्थिति आगामी ३ वर्षों तक चलती रही। वास्तव म देखा जाय तो यह उद्योग ऐसी प्रतिशूल परिस्थितियों में बेवज अपने बजनूत सङ्घटन एवं अनुभवी प्रबन्ध अभिकर्ताओं के बाल्य ही जीवित रह सका।

खतनन्तरा के पश्चात्

१५ अगस्त १९४७ को देख का विभाजन हो जाने के फलस्वरूप इस उद्योग से काफी छिपे रहने वाले क्षेत्र का उत्पादन करने वाले क्षेत्र या अधिकारी भारत पाकिस्तान में चला गया और जूट निर्माण की सभी निलैं भारतरर्प में रह गई। यह उत्पन्न करने वाले क्षेत्र का ७१% भाग जिसमें कुल जूट उत्पादन का ७२% होता था पाकिस्तान में चला गया और यह निलैं—११३—भारतरर्प में रह गई। फलस्वरूप इन निलैं के लिए इच्छे जूट का नितान्त अभाव हो गया।

कन्वें जूट वी पूर्ति करने के लिए सरकार ने ३ कार्य किये—

- (१) पाकिस्तान से बच्चे जूट के आगत के सम्बन्ध में समझौता;
- (२) बच्चे जूट की उत्तरीद के लिए अविकल्प मूल्य; वथा
- (३) दैरी उत्पन्न बढ़ाने के लिए प्राप्ति।

भारत सरकार ने पाकिस्तान की सरकार से कन्वें जूट के आवाह के लिए अनेक समझौते किये। उदाहरणार्थ सन् १९४७, सन् १९४८ तथा सन् १९५० में प्रमधः ५०, ४०, तथा ७०२३ लाख गाड़ियां वा आगत होना भा परन्तु पाकिस्तान ने अपनी धूर्तवापूर्ण कियाग्रा के अपने बचना का पूर्णतः पालन नहीं किया। सिवाय सन् १९४८ में भारतरर्प ने अपने दस्ते का अवमूल्यन किया परन्तु पाकिस्तान ने अपने दस्ते का अवमूल्यन नहीं किया इसके फलस्वरूप भारतीय १४४ द० पाकिस्तान के १०० स्ट्रें के बराबर हो गये। इसके फलस्वरूप एक समस्या और उठ रही हुई और भारत को विवश होकर अपनी जूट सम्बन्धी आमश्यकताग्रां की पूर्ति के लिए आन्तरिक साधनों पर ही अवलम्बित होना पड़ा। इसके १ वर्ष पश्चात् बोरिया युद्ध भी छिप गया, एवं भारत कन्वें माल की कमी के कारण अपवर वा पूर्ण लाभ न उठा सका। सन् १९५१ में सन् १९४६ की अपेक्षा उत्पादन केवल ८०% ही रहा।

प्रथम पंचवर्षीय योजना

इस योजना में जूट और जूट की वस्तुओं के उत्पादन का लक्ष्य १२ लाख टन रखा गया था। योजना वाले में जूट उद्योग के विवास के लिए, नवीन मिलों की स्थापना के लिए ग्रधवा वर्तमान मिलों के विस्तार के लिए और योजना नहीं बनाई गई, वरन् वर्तमान मिलों की स्थिरता वो ही टोटे पर मञ्च बनाने का निश्चय किया गया। जूट की ऊमी होने के बारण तथा वर्तमान मिलों की अपेक्षित उत्पादन समता (१२ लाख टन) वो ही बनाये रखने का ही लक्ष्य रखा गया। मुख्यतः नियांत्रित उद्योग होने के बारण जूट की वस्तुओं के नियंत्रित का लक्ष्य अवश्य रखा गया। १६५०-५१ में होने वाले ६,५०,००२ टनों के नियंत्रित पो बढ़ाकर १६५५-५६ में १० लाख टन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। कम्प्यूटर वाला अभाव दूर बरने के लिए वर्तमान समय में उत्पन्न विये जाने वाले जूट को ३३ लाख गाँठों से बढ़ाकर ५६ लाख गाँठों का लक्ष्य रखा गया। इसके अतिरिक्त 'विमली' और 'मेस्ता', जो कि जूट की पूर्वी में द्वितीय होते, के उत्पादन का लक्ष्य १० लाख गाँठे रखा गया।

योजना वाले में उपरोक्त लक्ष्यों को लगभग प्राप्त कर लिया गया। किंतु भी नहीं मिल की स्थापना के लिए आज्ञा नहीं दी गई। हों, ग्रस्तम की राज्य सरकार के वहने पर एवं जूट मिल (ग्रस्तम जूट मिल, गोहाटी) विस्तवी उत्पादन समता ३०० बरबे थी, जी स्थापना के लिए आज्ञा दी गई।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

इस योजना में भी जूट की वस्तुओं के उत्पादन का लक्ष्य केवल १२ लाख टन वार्षिक ही रखा गया है क्योंकि इस वाले के अन्तर्गत जूट की वस्तुओं की मांग का अनुमान इतना ही लगाना गया है। इस योजना के अन्तर्गत केवल ग्रस्तम जूट मिलस गोहाटी, जिसकी स्थापना के लिए प्रथम योजना में आज्ञा दी गई थी, का ही केवल निर्माण हुआ। इस मिल की स्थापना में १५% करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है। इस मिल की स्थापना के अतिरिक्त न हो कोई नई मिल स्थापित की जायगी और न वर्तमान मिलों की उत्पादन समता में वृद्धि की जायगी। इसके जूट के उत्पादन में २५% वृद्धि का लक्ष्य अवश्य रखा गया है अर्थात् १६६०-६१ तक वर्तमान जूट का उत्पादन ५० लाख गाँठे हो जायगा। सर्वेष में द्वितीय योजना में जूट उद्योग के सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य अगले पृष्ठ पर दियाये गये हैं।

	इकाई	१९५५-५६	१९६०-६१
(१) शार्पिं उत्पादन कमाता	२०० टन	१२००	१२००
(२) चालापिं उत्पादन	" "	११५०	१२००
(३) निर्यात	" "	८७५	६००
(४) बन्धा यात	लास ग्रॅंट	४९	५०

कुलीय पञ्चवर्षीय योजना—इस योजना के अन्तर्गत जूह के उत्पादन का लक्ष्य १२५५ टन रखा गया है। इस प्रभार १९६६ तक जूह के उत्पादन में १५ लाख टन की घटिं हो जायगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना काल में ५० करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

जूह उद्योग का विवरण (Distribution of Jute Industry)

भारत का जूह उद्योग संसार में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उद्यार के कुल



चित्र १७

जूह करोड़ का ५३% भाग मारवारी में है। इसके पश्चात् सबुक राज्य (U. K.)

और क्रान्ति का स्थान है जहाँ क्रमशः ८ २% तथा ६ ४% करवे हैं। इस समय भारत-वर्ष में ११३ जट मिले हैं, जिनमें ६६ जट करोड़ इपये वी पैंजी तथा ७२,७८३ करवे लगे हुए हैं। इन मिलों का विवरण इस प्रकार है—

क्षेत्र	मिलों की संख्या
पश्चिमी बगाल	१०१
आनन्द प्रदेश	५
उत्तर प्रदेश	३
मिहार	३
उड़ीसा	१
देहली	१
कुल	११३

उपरोक्त लिखित से स्पष्ट है कि देश में अधिकांश जट मिलों पश्चिमी बगाल क्षेत्र में ही हैं। पश्चिमी बगाल में भी ये मिलों बलवत्ते के आसपास हुगली नदी के किनारे ६० मील लम्बी और दो भील छोटी पट्टी भ केन्द्रित हैं।

पश्चिमी बगाल में केंद्रीयकरण के कारण—जट उद्योग के ऐतिहासिक विकास वा अध्ययन करने वे जात होता है कि बगाल में जट मिलों के केन्द्रित होने वे लिए उत्तरदायी कारण निम्नांकित थे—

(१) कच्चे माल की उपलब्धता—देश में अधिकांश कच्चा जट बगाल, मिहार तथा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, और जट सक्ता होने के कारण निर्माणी मिलों को अपनी ओर ही आकर्षित कर लेता है।

(२) जल यातायात की सुविधा—बगाल क्षेत्र में बिहाल हुगली नदी तथा अन्य छोटी छोटी नदियाँ के कारण आन्तरिक जल मार्गों वा जाल या बिल्डिंग हुआ है। इसके अतिरिक्त उन्नत रेल यातायात वा भी लाभ प्राप्त होता है।

(३) सस्ती शक्ति (कोयले) की उपलब्धता—रानीगंज तथा आसनसोल वे कोयला क्षेत्र बलवत्ते से ऐवल १२३ मील की दूरी पर स्थित हैं। अतः यहाँ से कोयला सस्ती दर पर नुगमित से प्राप्त किया जा सकता है।

(४) सस्ती एवं प्रचुर श्रमशक्ति—बगाल तथा उसके पछोंसी प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा काफ़ी घने बसे हैं। अतः इन क्षेत्रों से श्रमिकों को काफ़ी सख्ती दर पर प्राप्त किया जा सकता है।

(५) कलकत्ता बन्दरगाह का निकट होना—निकटही में कलपत्रा बन्दरगाह होने के पारण निर्मित जट की बस्तुओं को निर्यात करने में तथा विदेशी से आवश्यक मशीनों को आयात करने में बहुत सुविधा है।

(६) प्रारम्भिक विकास का लाभ—उत्तरोक्त लाभों को देखते हुए स्टॉलैंड में हड्डी के एक जट उद्योगपति ने श्री जॉर्ज आक्लैंड को सलाह दी कि वे स्टॉलैंड से मशीनें ले जाकर उगाल भ बूट मिल खोलें। फलस्वरूप जॉर्ज आक्लैंड ने हड्डी से मशीनें लाकर श्रीरानपुर के निकट 'रिशार' नामक स्थान पर एक जट मिल का स्थान बिया। यहाँ शनै रिदेशी पैकीजी आपरित होती रही और उगाल क्षेत्र में अनेक मिलों स्थापित हो गईं।

मिलिंग (marketing) समझी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए इन जट मिलों आन्ध्र प्रदेश, निहार तथा उत्तर प्रदेश में भी स्थापित हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में तीन मिलों हैं जिनमें से २ बानपुर ने और एक सहजनगा में है।

द्वितीय पचपर्याय योजना में नई जट मिलों की स्थापना तथा विस्तार के लिए अनुमति नहीं दी गई। वेष्टल एक जट मिल (यसम जट मिल) स्थापित की गई है। घर्वमान स्थिति

मप्पम पचपर्याय योजना से लेकर अब तक जट की बस्तुओं का उत्पादन इन पक्कार हुआ है—

वर्ष	उत्पादन '००० डल
१९५१	८७४.८
१९५२	८५१.६
१९५३	८६८.८
१९५४	८२७.१
१९५५	१०२७.२
१९५६	१०६३.२
१९५७	१०२८.६
१९५८	१०६२.०
१९५९	१०५१.२

उत्तरोक्त आँकड़ों के पर्यवेक्षण से आत होना है कि जट का उत्पादन वर्ष प्रति वर्ष घटता ही चला जा रहा है। सन्तु महत्वपूर्ण नत तो यह है कि दस चाल नाद भारत

फिर जूट का निर्यात करने लगा है। ४ अप्रैल, १९५८ को कलकत्ता बन्दरगाह से १,००० गाँठों की पहली सेव विदेश को रखना की गई।

१९५८ में जूट मिल उद्योग ने अपने १२३% करघे भौहरबन्द रखकर काम निया। फिर भी जनवरी-सितम्बर १९५८ की अवधि में, १९५७ की इसी अवधि की तुलना में भारतीय जूट मिल सेव भी सदम्य मिलों में कुछ अधिक ही उत्पादन ८,०६,२०० टन हुआ जब कि जनवरी सितम्बर, १९५७ में यह ७,६१,७०० टन हुआ था।

जूट उद्योग की समस्याएँ

(१) कच्चे जूट का अभाव—आज भारत ८०% कच्चे जूट का उत्पादन करता है फिर भी अपनी ग्रामश्वका के २०% के लिए पाकिस्तान का मुँह ताकना पड़ता है।

(२) विवेकीकरण के अपनाए जाने की समस्या—इस उद्योग को तीव्र गति से विवेकीकरण अपनाना चाहिये क्योंकि—

(अ) जूट उद्योग मुख्यतः निर्यातकर्ता उद्योग है।

(ब) विदेशी मुद्रा का अधिकारा भाग उपार्जित किया जाता है।

(स) वर्तमान मशीने पुरानी एवं जीर्ण शीर्घे हैं।

(द) अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाना।

विवेकीकरण योजना के सम्मुख समस्याएँ

(१) ४०,००० व्यक्तियों वा बेरोजगार होना,

(२) ४० ४५ करोड़ रुपये का विनियोग, तथा

(३) जूट की गिरती हुई माँग।

स्मरणीय तत्व

१. प्रथम जूट मिल— { सन् १९५४ में जॉर्ड ऑक्लैंड द्वारा 'रिच्ड' में (कलकत्ता के पाल) स्थापित की गई।

२. कुल मिलों की संख्या— ११३ जूट मिलें

३. पूँजी का विनियोग—६६८ करोड़ रुपये

४. कर्मचारियों की संख्या—३,१०,००० से अधिक

५. वार्षिक उत्पादन —१३० करोड़ रुपये व्यापिक से अधिक, जो अधिकतर निर्यात कर दिया जाता है और १२० करोड़ रुपये वी विदेशी मुद्रा भासत होती है।

६. योजनाओं में लक्ष्य — { प्रथम योजना—१०२ मि० टन
द्वितीय योजना—१०२ मि० टन

७. उद्योग का वितरण — { तृतीय योजना—१०३५, " " पारंपरिक उपजाल—१०१ मि० अन्य प्रदेश—५ मि०

उत्तर प्रदेश तथा बिहार—६ मि० उड़ीसा तथा दिल्ली—२ मि०

लोह एवं इस्पात् उद्योग

(Iron and Steel Industry)

लोह एवं इस्पात् आधुनिक भौतिक सम्भवा के दाँचे की रेड है। आधुनिक सम्भवा के लिए लोहा एवं इस्पात्, हाय और पानी से भी आधिक उपयोगी है। निल प्रति जीपन की ऐसी बोई भी बस्तु नहीं है जो या तो लोहे से न बनती हो अथवा लोहे के सिंही ग्रीजार से न बनती हो। कवि वर्मन ने तो यहाँ तक कहा है कि "सोना महल पीर गनी के लिए आवश्यक है, चाँदी महल की दाढ़ी के लिए और चाँद एक साथारण कार्पंगर के लिए, परन्तु लोहा इन सभी धातुओं का स्वामी है।" इस कथन की पुष्टि प्रिण्ठि अर्थशास्त्री जैनेस के शब्दों से भी होती है। उनके अनुसार "आधुनिक युग के यान्त्रिक आपेक्षाकार, मुख्यतः यान्त्रिक श्रम की देन है, जिनमें गाष्ठ प्रेरक शुक्ति वथा लोहा उनकी आधारशिला एवं केन्द्रीय शक्ति है।"^१

नि सन्देह आधारभूत उद्योगों में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग लोह एवं इस्पात् है। यह न केवल औद्योगिक दाँचे की आधारशिला है, नहिं आधुनिक युग के प्रत्येक खेत की आधारशिला है। औद्योगिक प्रगति, राष्ट्रीय भुवन, व्यापार, यातायात एवं उम्याद नाहन, वैशानिक कृषि सभी जा भवित्व इस उद्योग के भवित्व पर आधारित है।

१६ एवं इस्पात के साथ बोयल भी उपलब्धता सोने में मुद्राओं के समान है। इस उद्योग पर महत्व राजनीतिक एवं सामरिक दृष्टि से भी कम नहीं है। लार्ड केन्स ने यहाँ है नि "जर्मन साम्राज्य की नीर घून और लोहे पर नहीं, नहिं कोमले और लोहे पर पड़ी थी।"^२ इतना ही नहीं सर्सार में आरण्यिक युग भले ही आ जाए, परन्तु फिर भी लोह एवं इस्पात की महत्वा यथापन्त्र ही ननी रहगी।

प्रत्येक देश का औद्योगिक महत्व उसके इस्पात उत्पादन से प्रगट होता है। इस दृष्टिकोण से अमेरिना सर्सार म अवग्रहण है। यहाँ पर इस्पात जा उत्पादन लगभग १० करोड़ टन प्रति वर्ष है। इसके नाद सोनित रूप सा स्थान है, यहाँ पर ४॥ करोड़ टन सात पदा होता है। इसके बाद प्रिंसेप, जर्मनी और फ्रास आने हैं जहाँ पर कल्य. १८० लाख टन, १७० लाख टन और १०० लाख टन इस्पात पैदा होता है। छोटे-छोटे ऐ देश जैसे जापान, लुझ्जन्स्टार्ट और जार जैसे देशों म भी कमशा: ५० लाख टन, ३० लाख टन तथा २० लाख टन इस्पात तैयार किया जाता है। परन्तु खेद का विषय है

¹ "The mechanical contrivances of the present age are mainly due to the completion of a system of machine labour, in which steam is the motive power, and iron the fulcrum and the lever."—Jevons

² "Not on blood and iron but on coal and iron was the German Empire founded"—Lord Keynes.

कि भारत कल १२ लाख टन ही प्रति वर्ष उत्पन्न नह पाता है। इस उत्पादन को बढ़ाने के लिए पचवर्षीय योजनाओं में बहुत आयोजन किये गये हैं।

भारत सरकार द्वारा १९५४ म थी गई, 'भारतीय उद्योग गणना' के अनुसार देश म उस समय लौह एव इसाव व १२६ अडे तथा छोटे वारसाने थे। इनम कुल पूँजी का विनियोग ७० १६ करोड रुपये था, जिसम से ३५.६ करोड रुपये स्थाई पूँजी और ३४ २६ करोड रुपये चालू पूँजी थी। लगभग ८५ हजार ६ सौ ३४ व्यक्ति वाम कर रहे थे जिनमें १८ १३ करोड रुपये बेतन व मजदूरी के रूप म दिये गये।

ऐतिहासिक भीमासा

लौह एव इसाव क उत्पादन म भारतीय लौग अति प्राचीन वाल थे निपुण रहे हैं। प्राचीन भारत म लौह यनिज से इसाव जनाने का वार्य छोटी छोटी लौहसारियों में किया जाता था। लगभग प्रत्येक गाव म यह वार्य होता था। सुग्रेद जो वि सुर के पुस्तकालय म प्रथम पुस्तक जानी जाती है, म भी लौह के अब्ल शब्द बनाने का सफ्ट उल्लेख प्रलिप्त है। इतिहास इस जात का साक्षी है कि ईरा से ३००० वर्ष पूर्व भारत में लौह प्रिवलाया जाता था और इसाव के प्रसिद्ध दमिश्क हुरे का निर्माण भारतीय इसाव से ही होता था। गानाडे के अनुसार भारतीय लौह उद्योग केवल देश की मागों को ही पूरा नहा करता था अल्प विदेशा म भी अपने माल को निर्वात करता था।

लौह एव इसाव की वस्तुओं के गुण की ख्याति निश्वव्यापी थी। अद्भुती ज्ञाप्रसिद्ध लौह लम्ब जो कम से कम १५ सौ वर्ष पुराना है हमारे पूर्वजों की कुशलता वा प्रतीक है। थी जात के अनुसार इस लम्ब का निर्माण आज के नडे-नडे वारसानों म होना असम्भव है। असम म यही से यही तोमें बनाई जाती थीं और भारतीय इसाव की विलायत म भी यही माग थी।

आधुनिक प्रणालियों से लौह बनाने का वार्य जहाँ तहाँ १६वीं शताब्दी से प्रारम्भ हुआ। यद्यपि कुछ अफसल प्रथल इसरे पृथ्वी भी किये जा चुके थे। अभ्यन्तरीन सुविधा के अनुसार हम इस उद्योग के ऐतिहासिक विकास को याच भागों म बाट सकते हैं —

- (१) १६वीं शताब्दी व अन्त तक,
- (२) प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक (१६०१ १४),
- (३) द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक (१६१५ १६३६),
- (४) स्वतन्त्रता के पूर्व तक (१६४६ १६४७), तथा
- (५) स्वतन्त्रता के पश्चात् (१६४७ १६५६)।

१६वीं शताब्दी के अन्त तक

र्धप्रथम १७७७ म नेचर्स मोटी तथा फरुहार (Mottee and Fur-

quhar) ने भरिया निल के पास लोहा बनाने वा काम शुरू किया था, परन्तु वह यह नाद यह ब्राद हो गया। इसके पश्चात् सन् १८०८ म 'इस्ट इण्डिया कम्पनी' की आदा से मिस्टर डक्टर ने मद्रास म लाहौर के साधनों की सोज की और एक छोटा-सा बार खाना लोला पर यह असफल रहा। तत्पश्चात् सन् १८०५ म मद्रास सिनिल रॉरिंग के मिस्टर जोसियाह हीथ (Josiah Heath) ने मद्रास म एक बारताना लोला, परन्तु यह भी असफल रहा। मिस्टर हीथ ने इस्तीका देकर सन् १८३० म दक्षिणी आरसाठ म शोर्निनारो नामक स्थान पर मद्रास सरकार थी सहायता से बारताना लाला परन्तु यह प्रयास भी असफल रहा।

उत्तर प्रदेश म तुमायू म १८३७ म खरकारी तथा गैर सरकारी कम्पनियां ने अवधाय शुरू किया, पर इधन के अभाव म असफल रहे। बगाल म जैसाप एड कम्पनी ने भगवार म १८३६ म काम शुरू किया पर शाघ ही नन्द कर दिया। इस प्रकार १८३७ तक यह कम नारा रहा। १८३८ म भरिया बोयला दाना के निवट बरारार आइरन वस्तु स्थापित किया गया जिसे १८३८ म 'बगाल आइरन एड स्टील कम्पनी' ने अपने हाथ म ले लिया। १८०० म ३५ हज़ार टन लोहा तथा इसात वा उत्पादन हुआ।

महायुद्ध के पूर्व तक (१८०१ १८१४ तक)

१८०५ म 'बगान आवरन एड स्टील कम्पनी' न लाहौर से इसात बनाना शुरू पर इसे ८३ लाप स्थायी की हानि उठाना पड़ी। भाग्यवश इसी समय एक गाहुरा

उद्योगपति, जिनका नाम जमशाद नी नसरतान जी टाटा था, भारत म एक शक्तिशाली लौह एवं इग्नियो उद्योग को स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने १८०२ म प्रट मिटेन और सयुन राज्य अमरिना का भ्रगण किया और वहा के लौह एवं इसात उद्योगों का ग्रच्छी तरह ये अव्ययन किया। वे अपने साथ तुच्छ निदेशी मिशनरी को भी यहा लाये। उन्होंने १८०३ से १८०५ तक दश वर्ष भारी लौह ज़बर (सामनी) को ढूँढ़ निकाला। पर दुर्भाग्यवश श्री टाटा अपने अम के पूर्व होने के पहले ही १८०४ में परलासवासी हो गये। १८०७ म श्री टाटा के नाम पर 'टाटा आवरन एड स्टील कम्पनी' की स्थापना हुई। पिंटुर्गां की प्राप्ति इनानियरिंग कम्पनी की सहायता से १८०८ म सामनी (जमशादपुर) नामक स्थान म कारताना बनाया गया जो १८१० म पूरा हो गया। १८११ से कल्चा लोहा और १८१३ म स्पात वा उत्पादन ग्राम्य हो गया।

द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक (१८१४ १८१८)

प्रथम महायुद्ध (१८१४ १८१८) इस उद्योग के लिए वरदान के ही म सिद्ध हुआ। निदेशी प्राप्तसदा लगभग समाप्त हो गई, मान्त्रिक और निदेशी माण अत्यधिक

बहु गई और मूल्यों में भी आशातीर बढ़ि हुई। दाटा कम्पनी भी अद्भुत तीव्र सफलता से प्रभावित होकर १९१८ में आसनसोल (नगाल) के निकट हीरापुर में १० लाख पौड़ वी पैज़ी के साथ 'इंडियन आयरल एंड स्टील कम्पनी' खोली गई। १९२१ में मनोहरपुर में 'थूनाइटेड स्टील कारपोरेशन आर्क एशिया', १९२३ में 'दी इंस्टी आयरल कम्पनी' और भद्रावती में 'मैसूर स्टेट आयरल बक्स' (अप मैसूर आयरल एंड स्टील बक्स) की स्थापना हुई।

१९२४ से उद्योग के रामने अनेक विनाइयाँ उपस्थित होने लगी। एक तो विदेशी प्रतिस्पदा और दूसरी देश में जड़दूरी और बोयले के मूल्य में बढ़ि हो जाने से उद्योग की बासी हानि हुई। बगाल आयरल कम्पनी को तो अपनी किसानों को कुछ समय के लिए रथगत भर देना पड़ा। भाग्यवत्ता सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन कर दिया और उद्योग को सरक्षण प्रदान किया। सरक्षण के अन्तर्गत विदेशी आयात पर ४०% कर लगाया गया और आर्थिक सहायता भी दी गई। प्रारम्भ में यह सहायता ५० लाख रुपये वार्षिक थी, परन्तु विदेशी इसात का मूल्य गिरने से इस सहायता की धनराशि और बढ़ा दी गई, तथा सरक्षण-आयात कर भी नढ़ाये गये। इस सहायता से उद्योग तीव्र गति से विसार करता गया और आशातों की मात्रा में भी कमी हुई। समय-समय पर पशुलक बोर्ड द्वारा इस उद्योग की जाँच होती रही और सरक्षण की अवधि छाई बारी रही। इस प्रवार १९४७ तक इस उद्योग को सरक्षण मिलाया रहा। १९४६ में उद्योग ने सरक्षण की पुनः माग नहीं की, फलस्वरूप १९४७ से यह सरक्षण हटा लिया गया है।

स्वतन्त्रता के पूर्व तक (१९३६-४७)

सन् १९३६ म द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने से इसात की माग एकदम बढ़ गई और आयातों में कमी हो गई। इस उद्योग को पुनः प्रगति दखले था अपराह्न मिला। भारत विदिशा सामाज्य वा शास्त्रशाला चन गया था और इसात के उत्पादन, वितरण, उत्पादन तथा मूल्यों पर सरकार ने फटोर नियन्त्रण कर रखा था। १९३६ में ही 'स्टील कारपोरेशन आर्क नगाल' का जन्म इस बड़ी हुई माँग का लाभ उठाने के लिए हुआ। इसके अतिरिक्त अनेक नई-नई सहायक कम्पनियाँ भी स्थापित हुईं।

इस प्रवार युद्ध काल म इन्हें लोह तथा इसात दोनों के उत्पादन में बढ़ि होती रही। सन् १९४१ म वन्जा लोह २० लाख टन और १९४३ म इसात ११३ लाख टन तक पहुँच गया। यह उत्पादन अब तक के उत्पादन में सर्वोच्च था, किन्तु इसके उपरात ही उत्पादन गिरने लगा। माँग में कमी हो गई और उद्योग पुनः उच्च ग्रस्त हो गया। १९४६ में सरकार ने एक आयरल एंड स्टील फेनल नियुक्त किया जिसने उत्पादन बढ़ाने के उपर्यांत तथा उद्योग की स्थिति व उच्चके प्रति राजकीय कर्तव्य के

विषय भ अपनी चिप्पारियें दीं। पंगल ने देश की आवश्यकताओं को देखते हुए २५ लाख टन इसात प्रति वर्ष उत्पादित करने का लक्ष्य घोषया और इसने लिए दो नये यारदाने स्थापित करने का मुभाव दिया। पंगल ने यह भी घोषया था कि यदि निशी पैंजीपति ग्रधिर ज्यादान म सहयोग नहीं देते हैं तो सरकार को स्वयं बास्ताने स्थापित करने लाहिए।

स्वतन्त्रता के पश्चात् (१९४७-६० तक)

स्वतन्त्रता प्राप्त के पश्चात् लौह एवं इसात उद्योग न विसर्जन की आरंभिक व्यापार दिया गया। राष्ट्रीय सरकार ने अनुभव इत्याकृत देश की आर्थिक उन्नति मिला एक उत्तरिणील इसात उद्योग के सम्बन्ध म हो सकती। चूंकि देश म पैंजी का अभाव था, अब सरकार ने इस उद्योग नो ग्राहिक सहायता दी।

प्रथम पचवर्षीय योनना—इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय सरकार ने लौह एवं इसात उद्योग की उन्नति का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है। सरकार या निवारण कि वह सन् १९५६ तक ३० करोड़ रुपय सार्वजनिक चूप्रभाव के सम्बन्ध म उत्तर देंगी और ४३ करोड़ रुपया निजी उद्योगावियों को निवारण योननाओं ने पूरा करने के लिए देंगा। देश म समाजवादी व्यवस्था के लक्ष्य वो सामने रखत हुए योजना आयोग ने निर्वय है कि अब भारी तथा आधारभूत उद्योगों का सरकार ही खोले। फलस्वरूप सरकार और यूरोप भी कर दिया है। सन् १९५१ म जापान ने एक कम्पनी का प्रस्ताव प्रस्तुत की वाद निवाद के पश्चात् भी वह असफल रहा। १ अगस्त १९५३ का भास्त सरकार और नमनी की दो प्रमुख कम्पनियाँ—डेमाग एंड क्रूप्स (Demag and Krups)—के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार उड़ीसा राष्ट्र के रुक्केला नामक स्थान म एक लांह का बास्ताना स्थापित किया गया है। इसके उपरान्त १९५४ म रूस का सरकार या भी प्रस्ताव आया, जिसे जनवरी १९५५ म सरकार ने स्वीकार कर लिया। यह दूसरा बास्ताना मध्य प्रदेश के भिलाई नामक स्थान पर इनाया जा रहा है। अगस्त १९५५ म एक तासरा प्रस्ताव ‘विट्श इसात मिशन’ ना भी स्वीकार कर लिया गया है और तीसरा बास्ताना पश्चिम बंगाल म आसनसाल के निकट दुर्गापुर म स्थापित किया जा रहा है।

साथ ही साथ पुराने भारतीय लौह एवं इसात बास्तानों का भी विस्तार हो रहा है। टाटा आयरन स्टील कम्पनी को १० करोड़ रुपये, स्टील बारपोरेयन आफ बड़ाल को ३५ करोड़ रुपय मिलार योजना के लिए स्वीकार किये गये हैं। इन सभी योजनाओं की सूची म रूपरेता अगले पृष्ठ पर दी गई है—

क्रम	नाम	उत्पादन शुक्रि (लाख टन)
१	दि टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	२०
२	दि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	१३
३	दि मैसूरु आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	७
४	जर्मनी बा कारपाना लरन्सा म	१०
५	सोवियत रूस बा कारपाना मिलाइ म	१०
६	प्रांथि कारपाना दुर्गापुर म	१०

द्वितीय योजना—भारत की विकास योजनाओं के साथ ही साथ लौह एवं इसात की माँग भी बढ़ने लगी। अत इस योजना के अन्तर्गत इस उद्योग को और भी अधिक महत्व दिया गया। सरकार ने ४३१ बरोड़ सप्त इस उद्योग पर व्यवहरने का नियन्त्रण किया। सरकार ने यह भी निर्णय किया कि १९६०-६१ तक इस उद्योग की उत्पादन क्षमता ६० लाख टन हो जानी चाहिये।

इस उद्देश्य से द्वितीय योजना काल म टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का उत्पादन ८ लाख टन से बढ़ाकर १५ लाख टन करने, इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का उत्पादन ३ लाख टन से बढ़ाकर ८ लाख टन करने तथा मैसूरु आयरन एण्ड स्टील वर्स्ट बा उत्पादन बढ़ाकर १ लाख टन इसात कर देने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार द्वितीय योजना म तैयार इसात का उत्पादन बढ़ाकर चौमुख वर देने की योजना है।

प्रथम योजनाकाल म जिन तीन इसात संयंशो को स्थापित करने के समझौते, जो विभिन्न देशों से हुए थे, उन्हें द्वितीय योजना म कार्यान्वित किया गया। जिनका पिछलूत विवरण इस प्रकार है—

स्थान	पैरेंजी का प्रिनियोग (अरब रु०)	कच्चा लोहा (लाख टन)	इसात प्रिड (लाख टन)	पक्का इसात (लाख टन)	प्रिक्टे हेट कच्चा लोहा (लाख टन)
मरुस्ता	१ ७०	६ ४५	१००	७ २०	३०
मिलाइ	१ ३१	११ १०	१००	७ ७०	३ ००
दुर्गापुर	१ ३८	१२ ७५	१००	७ ६०	३ ५०

ये तीनों कारखाने लगभग बन चुके हैं। इन तीनों इसात सदृशों के पश्चात का दायित्व 'हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड' पर है, जो अब पूर्णत बेंड्रीय सरकार के समिति में है।


स्टेन्केला की प्रथम धमन भट्टी का वार्ष ३ फरवरी १९५६ को, तथा मिलाई धमन भट्टी का वार्ष ४ फरवरी १९५६ को प्रारम्भ हो गया है।

तृतीय पचवर्षीय योजना

इस योजना में इसात के उत्पादन का लक्ष्य १ करोड़ टन रखा गया है। द्वितीय योजना में इसात का लक्ष्य ६० लाख टन था। इस प्रकार तृतीय योजना में १० लाख टन अतिरिक्त इसात का उत्पादन करना होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाराल में ८०० करोड़ रुपये लघु व्यय खिलेंगे।

लौह एवं इसात उद्योग का वितरण

इस समय भारतवर्ष में ६ प्रमुख लौह एवं इसात के संघर्ष हैं जिनमें से तीन पूर्व स्थापित तथा तीन नव निर्मित हैं। पूर्व स्थापित संघर्ष 'टाटा आयरन एंड स्टील'



चित्र १८

'चम्पनी', 'ईरिडियन आयरन एंड स्टील चम्पनी', तथा 'भैंसूर आयरन एंड स्टील वर्स्स' हैं। नवीन स्थापित संघर्ष 'रुरेला', 'मिलाई' तथा 'डुगापुर' हैं, जिनकी स्थापना

कन्द्रीय सरकार द्वारा द्वितीय योजना के अन्तर्गत की गई है। इन संयन्त्रों के पितरण एवं स्थानीयकरण का विवरण इस प्रकार है —

टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी—यह कम्पनी, जो कि भारतवर्ष में सबसे पुरानी इसात निर्माणी है, साकूनी (जमशेदपुर) नामक स्थान पर स्थापित है। आवश्यक कल्चा माल के लिए, कच्चा लोहा, कोयला, चूना तथा डालोमाइट साकूची से थोड़ी ही दूरी पर प्राप्त हो जाते हैं। यह कम्पनी कच्चा लोहा ३० से ५० मील की दूरी पर स्थापित गुरुमाहिसानी, नाश्रामुनी, नादम पहाड़ की खानी से प्राप्त करती है। जहाँ तक कोयले का सम्बंध है वह कम्पनी अपनी ही साना से जो कि लगभग १०० मील की दूरी पर स्थापित हैं, प्राप्त करती है। चूना और डालोमाइट की पूर्ति पास वाली ही जेनों से हो जाती है। पोरकाइ तथा मुवर्णेरेपा नदियां से आवश्यक जल की पूर्ति हो जाती है।

यह कम्पनी कलकत्ते से दूरल १५२ मील की दूरी पर स्थित है जिससे इसे विपर्यन तथा निर्यात की मुविवाएँ प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि यातायात, कल्चेमाल की प्राप्ति तथा विपर्यन की मुनिधार्थी की दृष्टि से यह कम्पनी रवंशेष्ठ है।

इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी—यह कम्पनी आसनकोले के पास 'कुलटी' नामक स्थान पर स्थापित है। कुलटी नोयला साना का एक नहुत नदा क्षेत्र है। कच्चा लोहा 'नोटोपुर' तथा 'बुद्धुरु' नामक पहाड़ियों की 'गुआ' सानों से प्राप्त किया जाता है। १६५३ म इस कम्पनी ने अपने पास म ही स्थापित 'स्टील फारोरेशन ग्राफ उगाल' का संप्रिलयन (absorbtion) कर लिया है। चूना तथा डालोमाइट विसङ्ग तथा रुक्ला से प्राप्त किया जाता है। मैगनीज तथा चार्ल्ड क्रमशः मध्य प्रदेश तथा सिंहभूमि जिले से प्राप्त की जाती है।

मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स—यह कम्पनी मैसूर राज में 'भद्रापती' में स्थापित है। यह अपनी आवश्यकता के लिए कल्चा लोहा २६ मील दूरी पर स्थित 'बाबा उदान' पहाड़ियों से प्राप्त करती है। चूना उपल १३२ मील की दूरी पर ही प्राप्त हो जाता है। यह कम्पनी लोहे के गलाने के लाए बोयले के स्थान पर तारकोल या प्रयोग करती है। तारकोल के अभाव के दूर करने के लिए कम्पनी ने अभी हाल में एक विद्युत भट्टी का निर्माण किया है। इस कम्पनी को मद्रास और ग्रंथई के बादरगाहा के पास स्थापित होने के कारण अब इसात उपनिया की ओपेज़ा में यातायात तथा दक्षिणी गाजारा का लाभ प्राप्त है।

रुक्ला इसात संयन्त्र—यह संयन्त्र कलकत्ते से २५३ मील की दूरी पर उड़ीसा प्रदेश के रुक्ला नामक स्थान पर सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। रुक्ला हानका ग्रंथई लाइन पर एक रेलवे स्टेशन है। संयन्त्र स्टेशन से

सीदूरी पर स्थापित है। पास म ही 'काइल' तथा 'साप' नामक नदियाँ बहती हैं और व दाना मिल करने एक नद नदी—ब्रह्मानी—ना जम देती है। इसी द्वेर म एक प्राचीनिक पहाड़ी ब्रेणी है जो शहर की भृत्यां की गरमी तथा खुलासे से बचावी है। यहाँ पर 'प्रोनाइ' द्वेर म स्थित पहाड़ियाँ म उच्चे लाहे का अपार भएनार पाया गया है। अनुमान है कि यह भएनार ५० नम तक २ कराव टन कच्चा लोहा श्रवि वप्प प्रदान कर सकता है। इसक अतिरिक्त ४५ मील ऊपर दूरी पर 'सुआ' म एक नद पान मिलिन नी जा रही है। चूने की पान यहाँ पर इतनी ग्रधिक है कि वहाँ से चूना देश तक अब इस्तात सर्वां बो भजा जाता है। गीरमित्रपुर नी चूने की पान जा एशिया म सरख नहीं है यहाँ पर गिरत है। दोगले की पूर्ति 'गोमारी' तथा 'भसिया' बोला पानी उ दी जायगा।

भिलाई इस्पात संयत्र—यह संयत्र मध्य प्रदेश म नागपुर से १७३ मील नी दूरी पर 'भिलाई' रेलव स्टेशन तक पास २० मील मील क द्वेर म स्थापित विना गया है। इस संयत्र न लिए आपस्यक कच्चा लोहा ५० मील नूर दक्षिण म स्थित नेल राफ़दा से प्राप्त किया जाता है। बायला १४६ मील की दूरी से 'कोडा' नामक स्थान से प्राप्त होता है। मंगनीज पश्चिम म स्थित 'भरडारा' तथा 'बालसाठी' नामक पड़ावा जिला ऐ प्राप्त किया जाता है। चूने का तो यह गढ़ ही है। आपस्यक जब से 'वटुला' जल नोप से होता है।

दुर्गापुर इस्पात संयत्र—पश्चिमी बड़ाल म 'दुर्गापुर' नामक स्थान पर १८५६ म 'इण्डियन स्टील कन्सर्ट्रेशन कम्पनी लिमिटेड' (यह १३ प्रिंटिंग कम्पनियाँ का एक सदृश है) क सहयोग नु नेन्डीय सरकार ने स्थापित किया है। इस संयत्र क लिए आपस्यक कच्चा लोहा 'गुजारा' चूने तक 'बोलानी' की दाना से प्राप्त किया जायगा। बायला 'भसिया' से प्राप्त किया जायगा। चूना 'गीरमित्रपुर' तथा 'हाथापाई' द्वेरां से प्राप्त किया जायगा।

वर्तमान स्थिति

इस्पात, पान एवं इन तक कम्पनीय मार्गी ने कवाया है कि जुलाई १८५६ तक उ छ माहा म सरकार और भिलाई म कच्चे लोहे का उत्पादन क्रमशः ८१,११६ तथा १,५४,८०२ टन था। दोनाँ ही संयत्रों म तीन धमन भृत्यां (Blast Furnaces) म से पहली भड़ी उत्पादन करने लगी थी। भिलाई म भरपरी से अगले तरफ लाहे उ १,८७,६७३ पिंड तैयार हुए।

इस्पात तक आयाव चरने के लिए भारत सरकार ने सोनियत रुप, पालैंड तथा हगरी से क्रमशः २,०४,२०० टन ५,८०० टन तक ५,२१२ टन (मैट्रिक) का अनुमत दिया है। जून १८५६ तक पालैंड, हगरी तथा सोनियत रुप से ६८,१६८ टन

(मीट्रिक) इसात् आ गया था। सरकार 'विकास ऋण कोष' (Development Loan Fund) में से भी ६० मिलियन डॉलर के मूल्य का इसात् लगीद ही है।

वास्तविक उत्पादन—विभिन्न विकास योजनाओं के फलस्वरूप विगत कुछ वर्षों से लौह एवं सात् का कुल वास्तविक उत्पादन देश में बढ़ता ही रहा है, जैसा कि निम्न वालिका से जात होता है—

लौह एवं इसात् का उत्पादन*

(,००० टन)

वर्ष	पञ्चा लोहा	तैवार इसात्
१९५३	१,७०८८	१,०७६.४
१९५४	१,६८४८	१,१०२.८
१९५५	१,६५४८	१,०२३.८
१९५६	१,७८८८	१,२४३.२
१९५७	१,७५६८	१,२६०.०
१९५८	१,८०७२	१,३१६.४
१९५९	१,८८८२	१,३४६.४
१९६०	२,०११२	१,२८६.६
१९६१	२,१६८०	१,७३६.४
१९६० (जनरल)	२३६८	२१५८.२

निम्नी सेत्र के इसात् कारबानों की प्रगति

दादा आयरन एरड स्टील वर्क्स के विस्तार का कार्यक्रम लगभग पूरा हो चुका है। आशा की जाती है कि अप्रैल १९५८ तक २० लाख टन इसात् तैयार ही जाने वी योजना पूरी बी जा सकेगी।

इंडियन आयरन एरड स्टील वर्क्स ने दो धमन भट्टियाँ चालू की हैं और इसपे प्रति दिन १,२५० टन लोहा तैयार किया जाता है। इसके पिछार का कार्यक्रम दिसम्बर १९५९ तक पूरा करने वी योजना है। भैंसू आयरन एरड स्टील वर्क्स के हर वर्ष १५,००० टन दले तुए लोहे के सन पाइन यनाने का कारबाना लगभग तैयार हर लिया है। इसके अलावा, एक और कारबाना प्रोत्तने वी योजना पूरी बी जा चुकी है, जिसमे हर वर्ष २० हजार टन लोहा एवं तिलकन मिथित धातु तैयार की जायगी।

सिंटेट में चताया गया है कि १९५८ में कुल ११ लाख ६० हजार टन लोहा

*उद्योग व्यापार परिवार, जुलाई १९६०

और इसात आयात किया गया, जबकि १९५७ म १७ लाख ३० हजार टन आयात किया गया था। इस वर्ष देश म ४,५७,००० टन पनिज लोहा निकाला गया, जबकि १९५७ म २,६५,००० टन निकाला गया था। इस वर्ष तीनों सरकारी इसात भारताना वी निर्माण की प्रगति सन्तोषजनक रही।

इसात र तीनों सरकारी भारताना में २००० इजानियरों और १६ हजार मर्शीन चलाने वाला तथा तुशल कर्मचारियों की आवश्यकता थी। इसके लिए सुध अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, परिचमी जर्मनी और कनाडा के इसात कारखानों में इजीनियरों के १,७०० स्नातकों को काम दियाने की व्यवस्था भी गई। दिसम्बर १९५८ तक १,०४० इजानियर तथा कर्मचारियों को पिंडेश्वर में भेजा गया था जिनमें से ७०० काम सीप और आ गये हैं और बाकी पर संग गये हैं।

लौं एव इसात उद्योग की समस्याएँ

वर्तमान काल में इस उद्योग के सम्मुख तुच्छ गम्भीर समस्याएँ हैं जिनके बारे द्वितीय योजना में निर्धारित लक्ष्य र पूरा होने में तुच्छ वाधा पड़ रही है। प्रकृति समस्याएँ इस प्रकार हैं—

(१) वित्त की समस्या—नवीनीकरण, आधुनीकरण तथा विकार करने के लिए उद्योग को एक बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता है। इसकी पूर्ति आन्तरिक गार्हना में होना असम्भव सा जान पड़ता है। सरनार द्वारा स्थापित विभिन्न उत्तर निगम भी अपने खेलियां साधना र कारण इसकी पूर्ति करने में असमर्थ हैं।

(२) प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव—वर्तमान काल में उद्योग के सामने एक दूसरी समस्या प्रतिद्वित एक प्राप्तिकर्त्ता कर्मचारियों का अभाव है। देश में ऐसी शिक्षा देने वाले नियालय तथा उन्नद बहुत कम हैं। इस अभाव को दूर करने के लिए सरकार पिंडेश्वर से ऐसे व्यक्तियों का आयात कर रही है और याथ ही साथ भारतीयों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(३) औद्योगिक नीति—भारत सरकार ने अपनी नवीन औद्योगिक नीति का समाजनादी व्यवस्था के आधार पर नामा दिया है। इसके अनुसार सार्वजनिक चैत्र भी नियमी चैत्र की अपकृति अधिक महत्वपूर्ण है। फलस्वरूप नियमी उद्योगपति अपना धन प्रिनियोग करने में हिचकच है।

(४) कोयले की कमी—उद्योग को अच्छे कोयले के अभाव की समस्या को भा सामना करना पड़ रहा है। अच्छे कोयले वा वर्तमान उत्पादन ३६ मिलियन टन जिसको बढ़ा कर १६६० द१ तक ११२ मिलियन टन करने वा लक्ष्य है जिसको प्राप्त करना असम्भव सा प्रतीत हो रहा है।

(५) यातायात की मुविधा का अभाव—इस उद्योग में वन्दे वथ पर्यावरण

माला को ग्राधिकारा रेल यातायात के द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है। वर्तमान रेलवे इजन तथा डिब्बों की कमी इस उद्योग के लिए एक समस्या बन गई है। स्मरण्य रहे कि १ टन इसात माने के लिए ५२ टन कल्पा माल तथा कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसका यातायात रेलवे के द्वारा होता है। द्वितीय योजना में निर्दिष्ट ६ मिं० टन इसात पिरड़ी का लक्ष्य पूरा करने के लिए ३२ मिं० टन उच्चे माल तथा कोयले का यातायात करना होगा। यह उसी समय सम्भव है जब कि रेल यातायात ने द्वितीय योजना में निर्धारित लक्ष्य पूरे हो जायें।

स्मरणीय तत्व

१. प्रथम कारखाना—सन् १९७७ में मैसर्स गोटी तथा फरुहार ने झरिया जिले में एक कारखाना स्थापित किया।
 २. कुल कारखानों की संख्या—१९५४ की श्रीनगरिक उत्पादन गणना के अनुसार देश में १३१ कारखाने हैं। इति समय स्थापित कारखाने हैं—(१) T. I. S. Co., (२) I. I. S. Co., (३) M. I. S. W., (४) Rourkela, (५) Bhilai & (६) Durgapur
 ३. पैद़ी का विनियोग—{ लगभग ७०० करोड़ रुपये जिसमें से ५५८ २५ करोड़ द० रेपल तीन नये संवर्गों पर।
 ४. वार्षिक उत्पादन—१९५८ में २०११ २ हजार टन कच्चा लोहा तथा १,२६६ ६ हजार टन तैयार बनाया गया।
 ५. योजनाओं में लक्ष्य—{ प्रथम योजना—१७ मि० टन
(इसाव चरण) द्वितीय योजना—६ „
तृतीय योजना—१० „
 ६. उद्योग का वितरण—मिहार, पश्चिमी प्रगाल, मध्य प्रदेश तथा मद्रासा
 ७. कर्मचारियों की संख्या—१९५४ की गणना के अनुसार ८५,६३४ व्यक्ति
 ८. एक्साइज ह्यूटी—इसाव सड़ा पर १९५८ ६० म घरोड़ ६०

चीनी उद्योग

(Sugar Industry)

* स्वत्थ शारीरिक क्रिया प्रणालियों के सञ्चालन में शब्दया (स्लूकोज़) भी जो उपयोगिता है, इसी भी राष्ट्र की अर्ध-अवस्था में जीनी बो उठाए अम महत्वपूर्ण स्थान नहीं प्राप्त है। दैनिक जीवन की उपभोग्य सामग्रियों में जीनी भी आवश्यकता दिन ~ दिन गढ़ती जा रही है, फलतः जीनी उत्पाद का नहुत्व भी कड़वा जा रहा है।

गुड़ और देशी सौंह को सम्मिलित करने हुए भारतीय चीनी उत्प्रोग उत्तर म समये बढ़ा उत्प्रोग है। उत्तर के प्रमुख नीनी उत्तरादक—क्षेत्र, उत्तर यन्न अमेरिता, बाजील, जर्मनी, फ्रान्स इत्यादि देश—भारत के उत्तरान्त ही आते हैं। उत्तर म ग्राज गन्ने की शक्ति ना कुल उत्पादन २४० लाख टन और गन्ने तथा चुकन्दर की शक्ति का उत्पादन ३८० लाख टन है जिसमें से ५० लाख टन शक्ति के गले भारत ही उत्पन्न करता है। यही नहीं उत्तर के समूर्य गन्ने के उत्पादन व लगभग २८% भारत म पेंदा होता है। भारतपर्य के सुगण्ठित नड़ उत्पादों में चीनी उत्प्रोग या स्थान दिनीय है। उह देश की अर्थ व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है जो जारी रखी दिनिक आपराधिकता में से एक प्रमुख आपराधिकता की पूर्ति करता है। चीनी तथा गुड़ का उत्पादन प्रति वर्ष १२० करोड़ रु० से अधिक जा होता है। इस उत्पादन के लगभग १२० चीनी र बासगने हैं जिनमें लगभग कुल १०० करोड़ रु० की पूँजी लगी हुई है। इस उत्प्रोग म लगभग २ करोड़ हृष्टां, १०४ लाख कुशल एवं अनुशल अमिरों तथा २५०० विद्वनियालालों के शिक्षित वक्ति रोजगार पा रहे हैं। इस उत्प्रोग म १६५७.५८ म चीनी, गुड़, याँड़सारी तथा शीरा क्रमशः १६,६८,०००, ४०,००,०००, २,००,०००, ७,२४,००० टन पेंदा किया गया। उत्तर का ने इसे उत्पादन उत्तर (excise duty) के रूप में इसी वर्ष ४२.५५ लाख रु० बरता दिये। इस प्रतार भारत की अर्थ-व्यवस्था में चीनी उत्प्रोग का एक महत्वपूर्ण स्थान है।

ऐतिहासिक मीमांसा

चीनी उत्प्रोग भारत का ग्रन्थि प्राचीन उत्प्रोग है। ऐसा वहां जाता है जिसे भारत ही गन्ने तथा चीनी का प्रारम्भिक गढ़ है। भारतीय शक्ति उत्प्रोग का प्रारम्भिक इतिहास अत्यन्त रोचक है। इस गते के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि ग्राज से २५०० कर्ज पूर्ण भारत की गन्ने शीर गन्ने से चीनी भनाने की कला जा पूर्ण गया प्राप्त था। प्राचीन-तम धर्म ग्रन्थ म 'शर्करा' शब्द का उल्लेख मिलता है। 'पच अमृत' नामक खाद्य पदार्थ म 'शर्करा' द्वारा जाती थी। इसे ६२७ द४५० के शीत चंचन के महान् शास्त्र 'वाय तुसुग' (Tai Tsuang) न एक महात्म भारत म भारतीय चीनी उत्प्रोग की अध्ययन करने की भेजा था। इसे बार शब्दान्तरी पूर्व वीटिव ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'अर्थशास्त्र' म गन्ने के द्वारा चीनी भनाने तथा शीर से बद्धालालने की विधियों का डेल्लेक्ट किया है। १५८२ शब्दान्तरी द्वारा भारत ने योरोपीय देशों की चीनी भेजना प्रारम्भ कर दिया। इंस्ट द्वारा इत्यादि उपनी र भाल में भी (१७वीं तथा १८वीं शताब्दी) गुड़ चीनी तीवर करने तथा उसे निटेशा को निर्वात करने के सर्वप्रथम होते हैं। सन् १८०२ ई० में चुकन्दर (Sugars-Beet) की लोज होने पर येरोग में चीनी निराली जाने लगी। फलस्वरूप भारतीय चीनी की माँग घटने लगी। १८वीं

शतान्दी में परिस्थिति एवं दम बदल गइ तथा भारत स्वयं इसका आयात करने लगा। मारिशस तथा जाना से आयात में भारी बुद्धि के कारण तथा सरकारी सहायता प्राप्त योरोपीय चीनी के आयातों के फलस्वरूप सन् १८६० तथा उसके पश्चात् चीनी उद्योग की दशा अहुत तराव हो गई।

ग्राम्यनिक चीनी उद्योग का विसास सन् १८६६ ई० से होता है, जब कि मद्रास तथा बगाल के बाशीपुर में गुड़ बनाने और साफ़ करने के लिए एक एक बाराना सोला गया। परन्तु बास्तव में दैप्य जाय तो ग्राम्यनिक चीनी उद्योग दी नवि १८६६ ई० में पढ़ी, जब कि सरकार ने चीनी के आयात पर पर लगा दिया। इस प्रतिबंध की आड़ में अनेक बाराने १८०३ में उत्तरी भारत में सोले गये। परन्तु इस समय तक उत्तादन के दूर अवैश्वानिक थे, जिससे वीयत अधिक होती थी, भाल की विस्म तराव होती थी और भारत अन्य देशों से प्रतिबंधों के लिए भयानक था।

वीसवीं शतान्दी के प्रारम्भ में उत्तरी भारत में मोतिहारी, बारा-चक्रिया, बेल मुदू, गारुदपुर, तथा पड़ोनीग के नामोंने प्रसिद्ध थे। शतान्दी के प्रारम्भ में चीनी कुटीर उद्योग एक प्रदार से नाट होता जा रहा था और मले उद्योग माद गति से प्रगति करता जा रहा था। सन् १८०१ १८२० के बीच भारतीय गन्ने की नस्न सुधारने तथा उत्तादन में बुद्धि करने के लिए विशेष प्रयत्न निये गये थे। सन् १८०१ ई० में गन्ने में मुधार करने की हटि से दोषमृदूर में एक अनुसधान नक्क लोला गया। सन् १८१६ २० में चीनी उद्योग के विसास के लिए एक चीनी समिति भी स्थापित की गई। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप गन्ने का उत्तादन बढ़ा। प्रथम महायुद्ध (१८१४-१५) के फलस्वरूप इस उद्योग को प्रोत्साहन अवश्य मिला परन्तु युद्धोपरान्त उद्योग की अवस्था ज्यों की तर्फ हो गई।

चीनी उद्योग को सरकार

सन् १८३१ तक भारत में विदेश से शक्ति का काफ़ी आयात रिया जाता था। इस समय भारत में छोटे-बड़े सब मिलाकर ऊल ३२ भारताने ही थे, जिनका ग्रासित ही रहते थे वा, क्याक वे निदेशी उद्योग के द्वारा प्रतिबंध करने में असमर्थ थे। अत इन् १८३० ३१ में 'इम्परियल बाड़न्सिल आफ़ एआरल्चरल रिचर्च' ने इस उद्योग की दृश्यनीय दशा की ओर सरकार का भान आकृष्ट रिसा तथा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए भी कुछ सुझाव दिये। फलस्वरूप सन् १८३१ में एक दरिक्ष घोड़ नियुक्त विना गया जिसके सुझावों का अनुसार अप्रैल १८३१ को १५ बांग के लिए उद्योग को सरकार देना स्वीकार किया गया। चीनी उद्योग ही एक ऐसा उद्योग था, जिसे सरकार ने सर्वप्रथम इतनी लम्बी अवधि के लिए सरकार देना चाहा था, :

के लिए सरनार ने चीनी के आगाहों पर प्रथम सात वर्षों के लिए ५२१ रु. प्रति हजार चेट के हिलाद ये सख्त घर लगाया और इस आयात कर पर २५% के बगमर एक अतिरिक्त गुलब (सरनार्ज) भी लगाया, जिसके परिणामस्वरूप आयातों पर मुल मार ६ रुपया १ ग्रामा प्रति हपड़पेट हो गया।

इस परिणाम पहुँच आ कि चिरेणी शक्ति के आगात ममणः कम होने चले गए और १६८१-४२ तक आगाहों प्राप्त समात हो गई। सन् १६३१-३२ में ३२ चीनी मिले थीं जिनका उत्पादन १,५८,५८१ टन था। सन् १६३६-३७ में मिला थी रुद्धा गढ़वर १३७ तथा उत्पादन १२,२०,६०० टन हो गया। यह उत्पादन अनुमानित उत्पादन (१२,५०,००० टन) से तुष्ट अधिक था। इस अतिरिक्त उत्पादन ये उत्पादन भारी सबट में पैदा गया, करारि चीनी का भाव तेजी से गिरने लगा था।

सन् १६३७ में मिला थी आपसी अनार्थिक प्रतिशर्थी, अविरिक उत्पादन, और लाभी न भागी रुमी सो खेलन के लिए सुगर सिंडीकेट की स्थापना री गई। इस चिरेणीकृष्ट की ६० मिल सदस्य थी। इसी वर्ष चीनी अधिनियम नियन्त्रण मी स्वीकृत किये गये। इन अधिनियमों के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा मिहार म प्रत्येक मिल की प्रान्तीन (राज) सरकार से मिल चलाने के पूर्व अनुशासन (Licence) लेना आवं था। प्रत्येक मिल के लिए गना प्राप्त करने के लिए जेन भी नियंत्रित कर दिये गये। इन दानीं प्राप्ति री मिलों दो आपनी चीनी इसी चिरेणीकृष्ट को बेचनी पड़ी थी। एक चीनी नियन्त्रण भार्ड मी स्थापित किया गया। सन् १६४० में एक युक्ति आयोग (Sugar Commission) की भी नियुक्ति की गई।

द्वितीय महायुद्धान उसके पश्चात् (१६३६-१६४७ तक)

सन् १६३६ में दियु समय द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ १६४२ चीनी के अर न्याने थे तथा उनका मुल उत्पादन १३,६३,२०० टन था। उत्पादन अधिक होने के नारण उत्तर प्रदेश तथा मिहार सरकारी ने इन पर नियन्त्रण सुनाने के लिए प्रत्येक कारणों रे उत्पादन का नोटा निश्चित किया। सन् १६४० के उत्पान्त देश में चीनी पर सबट रहने लगा। सन् १६३६-४० में एक तो अति उत्पादन हो जाने से, दूसरे गने के दाम सरकार द्वाय उच्चे नियत करने के बारे स्थिति और भी बिहङ गई। चीनी का उत्पादन अधिक होने पर भी लाम कमाने री इच्छा से सुगर चिरेणीकृष्ट ने चीनी र मूल्यों सो कैंचा ही रखा। सरकार और अस्थिर व अनियोजित नीति तथा चिरेणीकृष्ट के लाम न्याने की इच्छा के बारे चीनी उत्पाद एक देशे तुचक म पैदा गया था जिससे मुक्ति पाना असम्भव प्रतीत होता था।

अप्रैल सन् १६४२ म चीनी का भरकर अभाव हो गया। अतः सरकार द्वाय चीनी के मूल्यों एक नियन्त्रण पर नियन्त्रण किया गया। तुष्ट समाप्त पश्चात् चीनी के

उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से उत्पादन पर भी नियन्त्रण कर दिया गया। सन् १९४२-४३ के उत्तरान्त चीनी उद्योग पर सरकारी नियन्त्रण बहुत बढ़ गया। सन् १९४४ में गन्डे वी स्थिति में सुधार करने के लिए 'भारतीय केन्द्रीय गन्डा समिति' की स्थापना ही गई।

१९४४-४५ में देश में चीनी के उत्पादन में और भी कमी हो गई। सन् १९४६-४७ में तो केवल ८०१ लाख टन चीनी ना ही उत्पादन हुआ जब कि १९४३-४४ में १२०१ लाख टन का उत्पादन हुआ था। इस वर्ष आयात बिल्कुल न होने से देश में चीनी का घोर अभाव हो गया, क्योंकि ५ गुनी बढ़ गई और चोराजारी भी चालू हो गई। इस प्रभार नियन्त्रण सन् १९४७ तक चलवा रहा किन्तु शाद को गांधी जी के प्रबलों के फलस्वरूप इसे हटा लिया गया।

विभाजन और चीनी उद्योग—१५ अगस्त, १९४७ में देश का विभाजन हो जाने से चीनी उद्योग पर भी कुछ प्रभाव पड़ा, परन्तु यह प्रभाव चीनी उद्योग के लिए इतना अधिक नहीं था जितना सूती बख्त तथा जट उद्योग के लिए। विभाजन के पहले स्वरूप कुल उत्पादन का केवल २०१% भाग पाकिस्तान के द्वेष में गया तथा शेष ६७६% भारतीय-गणतन्त्र में रह गया। चीनी के दाम अधिक ऊँचे होने के कारण पाकिस्तान तथा मध्य एशियाई देशों ने क्षूना, जावा तथा बांग्लादेश से सूती चीनी मँगाना प्रारम्भ कर दिया था। निर्यात न होने पर देश में आन्तरिक उत्पादन के लिए चीनी उपलब्ध होने लगी। जनता में नियन्त्रण वी घोर निन्दा हो रही थी। महात्मा गांधी भी मूल्य नियन्त्रण के विरोध में थे। अतः दिसम्बर १९४७ में चीनी पर से नियन्त्रण हटा दिया गया।

नियन्त्रण हट जाने के परिणामस्वरूप १९४८ में चीनी उत्पादन में वृद्धि हो गई किन्तु १९४८ ई० म पुनः चीनी उद्योग व्यापारियों और उत्पादकों के प्रदूषन का लक्ष्य बन गया। निवाहोन्नर सरकार दो पुनः नियन्त्रण लगाना पड़ा जिसके अनुसार सरकार ने चीनी के उत्पादन, निररण, तथा मूल्य के नियमन का उचरणायित्व अपने ऊपर ले लिया। सन् १९५० म 'चीनी तथा गुड़ नियन्त्रण आजा' के द्वारा सरकार ने नियन्त्रण को और भी प्रभावपूर्ण बना दिया। इसके अनुसार गन्डे के भाव भी निश्चित कर दिये गये और १८ वर्ष गुणाना सरकार भी समाप्त कर दिया गया। अगले दो वर्षों में चीनी के उत्पादन में वृद्धि होने के कारण तथा उद्योग वी दशा में सुधार होने के कारण चीनी-वा नियन्त्रण हटा लिया गया।

प्रथम पचवर्षीय योजना

योजना के प्रारम्भ में श्वेत चीनी उत्पादन चरने वाले वारसानों वी सरकार १५६ थी। इन वारसानों म थे १४१ वारसाने वालव में उत्पादन कर रहे थे और निका

उत्पादन ११७ लाख टन था। उन् १६५१ के घाद एक कारखाना और बन गया। इन सब कारखानों की उत्पादन लगभग १५४ लाख टन चीनी थी। योजना आयोग ने अनुमान लगाया था कि १६५५-५६ तक देश में १५ लाख टन वार्षिक चीनी की मांग होगी। अतः योजना वाल में किसी नवीन कारखाने को स्थापित करने की आवश्यकता, नहीं समझी गई। हाँ इस बात पर जोर अवश्य दिया गया कि कारखाना की बेकार छमला का उपयोग किया जाय, कारखानों का प्रतिकूल परिस्थितियों वाले स्थानों से अनुकूल परिस्थितियां वाले स्थानों पर विचलन प्रोत्त्वाहित किया जाय, और कारखाना को पर्याप्त मात्रा में गन्ने की पूर्ति प्रदान की जाय जिससे और सब बान बनने के दिन १०० से १२० वार्षिक हो जाएँ।

प्रथम योजना में चीनी का उत्पादन लक्ष्य १५ लाख टन रखा गया। पर लक्ष्य १२५ मांग के बारण इसे पूरा करने के लिए इस लक्ष्य को बढ़ाकर १८ लाख टन कर दिया जय कि वार्षिक उत्पादन लगभग १८,२०,००० टन हुआ। इस बाल में १३ कारखाने वास्तव में उत्पादन कर रहे थे। योजनावाल में उद्योग के विवार एवं विस्तार पर १५ बड़ों रूपये व्यवहार किये गये।

द्वितीय पचवर्षीय योजना

चीनी उद्योग की विकास-परिपाद ने अनुमान लगाया कि द्वितीय योजना के अन्त में चीनी का उत्पादन २५ लाख टन या इससे अधिक हो जायगा। अतः द्वितीय योजना वाल में चीनी का उत्पादन लक्ष्य २५ लाख टन रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ८० नए कारखानों की स्थापना की जा रही है। अर्थात् योजना के अन्त तक तुल २०० कारखाने हो जायेंगे। इस २५ लाख टन में 'इहारी चीनी कारखाने' का योगदान लगभग १५,००,००० टन होगा, और आया है कि ग्रामी चलकर ये सहवारी कारखाने तुल उत्पादन का २५% स्वरूप बनने लगेंगे। नये चार सार्वों को लाइसेन्स देते समय यह ज्ञान रखा जायगा कि कारखाने ऐसे स्थानों पर स्थिति किये जायें जहाँ हि गन्ना कासी मात्रा में उत्पन्न हो तथा चीनी उद्योग का एहते से मिलाउ न हुआ हो।

२५ लाख टन चीनी के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनावाल में लगभग ५० बड़ों रूपये व्यवहार किये जायेंगे।

तृतीय पंचवर्षीय योजना

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त (१६६६) तक देश में चीनी की मांग २५ लाख टन हो जायगी। अतः इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए १ अरब ५० का विनियोग करने का अनुमान लगाया गया है।

वर्तमान स्थिति

प्रथम योजनाकाल से लेकर इस समय तक चीनी उद्योग की स्थिति का अंश निम्न चालिका में दर्शाया गया है—

वर्ष	चारपानों की संख्या (चालू)	उत्पादन (हजार टन)
१९५१	१३६	१११४८
१९५२	१३६	१४६४०
१९५३	१३६	१२६१२
१९५४	१३७	१०८८०
१९५५	१३७	१५६४८
१९५६	१४३	१८५६४
१९५७	१६४	२००७६
१९५८	१६४	२००६४
१९५९	१७००	२४२८८

दूसरी योजना में जितनी चीनी के उत्पादन का लक्ष्य था, उतनी ज्ञानवा के चारपानों के लिए लाइसेन्स दिये जा सके हैं। अब और चारपानों के लिए इस अवधि में सरकार लाइसेन्स नहीं देगी।

चीनी के सहकारी कारखाने

इस समय देश में जितनी चीनी बनती है, उसका चीधाई भाग दूसरी योजना के अन्त तक चीनी के सहकारी चारपानों में बनेगा। १९५७ पृष्ठ में गला पेरने के भौतिक में १४ सहकारी चारपानों में १ लाख ५० हजार टन चीनी बनी। यह चीनी के समस्त उत्पादन का लगभग ७॥ प्रतिशत है।

पहली योजना के आठमध्य से १९५१ के उद्योग अधिनियम के अन्तर्गत चीनी बनाने के ३८ सहकारी चारपानों को लाइसेन्स दे दिये गये। इनमें से २१ चारपानों में बाज़ शुरू हो गया है। ६ और कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं।

इन चारपानों के लिए मशीनें बाहर से मेंगानी पहुँची। रोप सहकारी चारपानों के लिए मशीनें देश में ही बनाई जा रही हैं। इन मशीनों के कुछ पुर्जे जो देश में नहीं बनाये जा सकते, बाहर से मेंगाये जाते हैं।

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार चार चारपानों की मशीने १६६० के अन्त तक

*उद्योग व्यापार पत्रिका, जुलाई १९६०।

†अनुमानित।

दे दी जायेगी। सात और बारसानों को भी १६६१ के अन्त तक गणनी मिल जायेगी।

गन्ने की खेती करने वालों द्वारा लिए रहवारिता के आधार पर चीनी के बारसाने, उत्पादन का काम बहुत महत्वपूर्ण है। इन बारसानों के मालिक गन्ने के उत्पादक ही होंगे और वे ही इनका प्रबन्ध भी करेंगे। आजम में राज्य उत्पादकों द्वारा बारसानों के शेयर (shares) सरिदेंगी। इस काम के लिए राज्य सरकारों की केन्द्र वे रहस्यकारी मिलेंगी।

चीनी उत्पादकों की समस्याएँ

(१) दोपूर्ण स्थानीयकरण—भारत में गन्ना उत्पादन का प्रमुख देश दक्षिणी भारत है और चीनी मिलने उत्तर प्रदेश तथा निहार में स्थिति है। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण में गन्ने की उत्पत्ति एक हड्ड उत्तर प्रदेश तथा निहार से ५-५ गुनी है।

(२) प्रति एक हड्ड पैदावार में कमी—अन्य देशों की अपेक्षा भारत में प्रति एक हड्ड गन्ने की उत्पत्ति कम है तथा उससे प्राप्त चीनी का प्रतिशत अधिक भी कम है।

(३) गन्ने की ऊँची कीमतें—मिलों के पास ग्रापने निजी कार्म नहीं है। अब किसानों पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत में गन्ने का मूल्य दीक्षा के आवार पर निश्चित किया जाता है तथा गन्ने की जिस्म का कोई विचार नहीं किया जाता जिससे दोनों कांगों को हानि की सम्भावना रहती है।

(४) सरकार द्वारा लगाए गए ऊँचे उत्पादन कर—चीनी उत्पादक पर अब तथा उत्पादक की दर दिन प्रति दिन घटती जा रही है केन्द्रीय सरकार उत्पादन की संगति है तथा राज्य उत्पादकों द्वारा गन्ना कर (Cane-cess) लगाती है।

(५) निवेशीकरण के अपनाए जाने की समस्या—आजकल आधिक इन्वेस्ट उसे माना जाता है जो ७००-८०० टन प्रति दिन गन्ना पेलो की जमता रखती है। १६५५ में ३१ ऐसे बारसाने थे जो ७०० टन गन्ना पेले थे जमता नहीं रखते थे।

(६) इंधन का अभाव—गन्ने की छोर्फ (refuse) कागज तथा गवा गन्ने के काम आवी है। अतएव इसको नहीं जलाना चाहिए किंतु भी जहाँ बोक्से और लकड़ी का अभाव है, छोर्फ जलाने के काम में लाई जाती है।

(७) अन्य समस्याएँ—कमी-कमी देश में चीनी ना एकदम अनाउ हो जाती है, इसके लिए प्राकृतिक यात्रन उत्तरदायी नहीं हैं बल्कि हमारे घड़े-बड़े व्यापारी लोग बहुत बड़ी मात्रा में उत्पन्न को लपीट होते हैं और नाजार में वृन्दिम अभाव पैदा कर देते हैं। हमारे व्यापारी भारतीयों द्वारा हिंद कि वे ग्रापने इस नयोदिव सरकार द्वारा मात्र भारत के मालिक पर कलकत्ता या दीवा न लगायें।

एक समस्या यह भी है कि चीनी उद्योग को देशी खाँड़ियाँ तथा गुड़ से भी प्रतियोगिता लेनी पड़ती है। अच्छा हो यदि इन सभी उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के मूल्यों का नियमन कर दिया जाय।

योजना आयोग के सुझाव

चीनी उद्योग की विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए योजना आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :—

(१) नये चारसानों की स्थापना के स्थान पर पुराने चारसानों के विस्तार को प्रोत्साहित करना चाहिए।

(२) जो चारसाने गत्रा उत्पन्न करने वाले चेत्रों से दूर बसे हुए हैं उनको अपनी स्थिति बदलनी चाहिए, जिससे भाड़े में बनत हो।

(३) गले एवं चीनी पर लगाये गये उत्पादन दरों इत्यादि को इस उद्योग के विवास के लिए मुनः व्यय किया जाना चाहिए।


(४) उद्योग को नई मशीनें प्राप्त करने में सुविधा की जाय जिससे वे विकी हुई व पुरानी मशीनों को हटा सकें।

(५) सरकार को उद्योग की उचित उन्नति के लिए समय-समय पर चीनी के उत्पादन पर नियवण, गुड़ व चीनी के मूल्यों के उचारन्चाव पर विचार करते रहना चाहिए।

चीनी उद्योग की विकास सभा के भुभाव पर भारत सरकार ने एक प्रतिनिधि मण्डल आस्ट्रेलिया व इंडोनेशिया भेजा था। इस मण्डल ने अपनी रिपोर्ट सन् १९५६ में प्रस्तुत की। रिपोर्ट में चीनी उद्योग के विवास के लिए बुड़े महत्वपूर्ण तुलाव भी प्रस्तुत किये गये हैं। सरकार इन पर विचार चर रही है।

चीनी उद्योग का वितरण

यह उद्योग सुखनवास उत्तर प्रदेश तथा विहार में केन्द्रित है। इन दोनों प्रदेशों में उद्योग के बुल उत्पादन का ७० प्रतिशत से अधिक भाग उत्पादित किया जाता है। १९५५ में १४३ चीनी के चारसानों में ११८७३ करोड़ रुपये के मूल्य की चीनी बनाई गई। इसमें से उत्तर प्रदेश और विहार का भाग प्रमाण: ६४४५ रुपया २३५१ करोड़ रुपया था। जब कि उत्तर प्रदेश, भारत का आनंद प्रदेश का भाग क्रमशः १३६४, ४८६ और ४८२ करोड़ रुपया ही था।



चित्र १८

स्मरणीय तत्व

प्रथमे कारणाना— सन् १९६६ इ० में बगाल के वाणीपुर में गुड़ बनाने और सारू करने के लिए एक कारताना सोला गया।

कुल कारणाने— मई १९५६ में १७० चीनी के कारणाने थे।

सरकार— १९३१ से १५ वर्षों के लिए सरकार प्रदान किया गया।

वार्षिक उत्पादन— १९५६ में देश में २४२८ लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ।

लक्ष्य— प्रथम योजना—१५ लाख टन चीनी

द्वितीय योजना—२५ लाख „ „

तृतीय योजना—३३ लाख „ „

उत्पादन कर— १९५८ इ० में सरकार ने ४६ करोड़ रुपये उत्पादन करने के लिए वास्तविक किये।

केन्द्रीयकरण— चीनी के बारताने उत्तर प्रदेश तथा बिहार में मुख्यतया फैलिए हैं।



चित्र २०

सीमेंट उद्योग (Cement Industry)

देश के औद्योगिक क्षेत्र एवं दौचे में सुप्रबन्धित सीमेंट उद्योग का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय सीमेंट उद्योग की प्रमुख विशेषता यह है कि अपेक्षाकृत नवीन होते हुए भी इसने सराहनीय प्रगति प्रीत है। इसके सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण चाह यह भी है कि यह उद्योग बिना सरकार के प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् हुतात्मता से विकसित हुआ और इगले १५ वर्षों में इसने अपना उत्पादन तिगुता कर लिया। यद्यपि इसकी स्थापना सन् १९०४ में मद्रास में समुद्री सीमियों से पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए हुई थी, परन्तु इसको सफलता न मिल सकी। इस उद्योग का वास्तविक विकास १९१२-१३ में तीन कम्पनियों के निर्माण के साथ हुआ। इस समय देश में सीमेंट बनाने के ३१ चारोंनाने हैं जिनका वार्षिक उत्पादन ६०६ लाख टन है। इस उद्योग में अनुमानतः ५० करोड़ वर्षे की पैंडी लगी हुई है और ४० हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है।

उद्योग का ऐतिहासिक विकास

आधुनिक सीमेंट का आविष्करण इगलैंड के 'लॉड्स' के भी 'जोसेफ एस्टेन' ने १८२४ ₹० में किया था जब उन्होंने विभिन्न वस्तुओं के 'पोर्टलैंड'

सीमेन्ट के लिए पेटेन्ट अधिकार प्राप्त किया था। अतः उनकी पदवि पर तैयार किये गये सीमेन्ट को 'पोर्टलैंड' सीमेन्ट बताते हैं। भारतीय सीमेन्ट उत्तोग का विकास पिछले कुछ ही वर्षों से हुआ है। यद्यपि सीमेन्ट बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल भारत-वर्ष में पवार्पत मात्रा में उपलब्ध हैं और देश में उसकी खपत के लिए एक विलूप्त बाजार भी है परन्तु फिर भी इसको पथम महायुद्ध के छिड़ने पर ही राष्ट्रीय महत्व प्राप्त हो सका और यहाँ पर विदेशी लार पर सीमेन्ट का उत्पादन होने लगा। इसके पूर्व यद्यपि कुछ मात्रा में सीमेन्ट का उत्पादन होता था, परन्तु इसकी विस्तृत ज्ञाता अस्ती नहीं थी। देश को आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक बड़ी मात्रा में (लगभग १८ मिलियन प्रति वर्ष) सीमट का आपात बनाना पड़ता था।

प्रथम महायुद्ध एवं उसके पश्चात् (१९१४-१९२१)

पथम विश्वयुद्ध तक केवल एक ही सीमेन्ट का बारलाना मद्रास में था जिसकी स्थापना १९०४ में हुई थी। यद्यपि १९१२ और १३ में ३ अन्य कम्पनियाँ—'इंडियन सीमेन्ट कम्पनी, पोर बन्दर', 'कट्टनी सीमेन्ट ऐंड इंडस्ट्रियल कम्पनी' तथा 'बूनी पोर्टलैंड सीमेन्ट कम्पनी' स्थापित हुई थीं, परन्तु इन्होंने सीमेन्ट का उत्पादन युद्ध के छिड़ने पर ही प्रारम्भ किया था। इन तीन कम्पनियों की सीमेन्ट उत्पादन तिथि समय अक्टूबर १९१४, जनवरी १९१५, तथा १९१६ थी। इन तीनों कम्पनियों की उत्पादन वार्षिक उत्पादन स्थिता ७६ टन थी। युद्ध से उत्तोग को धड़ा बढ़ावा मिला।

के बारण सीमेन्ट की माँग बाही धड़ गई स्पष्टकि युद्ध के लिए हवाई अटूटे, सहकै तथा भवन निर्माण के लिए सीमेन्ट की बड़ी आवश्यकता थी। इधर देशवालियों ने भी अधिक धन कमा कर भवन निर्माण की ओर ध्यान दिया। सीमेन्ट की सीमित उत्पादन थोड़े होने के कारण सरकार ने इसके विवरण पर निवन्धण लगा दिया जो १९१६ तक चाही रहा।

१९१६ २२ के बीच ७ नवं कम्पनियों की स्थापना हुई। इन नई कम्पनियों में से २ कट्टनी, १ काटियागढ़, १ पजार, १ छोटा नागपुर, १ ग्यालियर और १ हैदराबाद में स्थापित की गईं। कम्पनियों की संख्या में बढ़ि हो जाने के कारण आपस में अनार्थिक प्रतिसर्दी होने लगी जिसने कारण २ से २.५ करोड़ रुपये की हानि हुई। अतः इस सफ्ट से बचने के लिए १९२४ म इस उत्तोग ने सरकार का माँग की परलु इस उत्तोग को सरकार द्वारा प्राप्त न हो रखा। अतः इस उत्तोग को बाही चोट पहुंची, यहाँ तक कि इसका अस्तित्व भी रहते में पड़ गया।

ऐसी स्थिति में उत्तोग के समक्ष अपने स्वयं के साधनों पर निर्भर रह कर अपनी स्थिति में सुधार करने के ग्रातिरिक और कोई साधन नहीं था। अतः भारतीय सीमेन्ट के उत्तोगपतियों ने थेरिक बोर्ड के सुभार के अनुसार सीमेन्ट के विक्रय मूल्यों को निर्धारित

उद्योग नियमित करने के लिए 'दी इंडियन सीमट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन' की स्थापना की।

'दी इंडियन सीमट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन'

इसकी स्थापना सन् १९२५ में सीमट के निर्माताओं के द्वारा हुई थी। इस एसोसियेशन का उद्देश्य किसी मूल्या का निर्धारण व नियमन था। इस एसोसियेशन द्वारा अपने उद्देश्य में पूर्ण सफलता मिली। सदस्य निर्माताओं ने पूर्ण सहयोग से बार्य किया, यहाँ तक कि एसोसियेशन भी आगामी चार वर्षों की कियाओं में मूल्यों में कटौती या कमी करने का एक भी उदाहरण नहीं मिलता है।

सन् १९२७ में सीमट की माँग बढ़ाने के उद्देश्य से एसोसियेशन ने Concrete Association of India की स्थापना की। वित्त व्यवस्था के लिए प्रत्येक सदस्य अपनी कुल किसी पर ५ आने प्रति टन वी दर से बन्दा देता था। इस एसोसियेशन द्वारा प्रमुख उद्देश्य सीमट के उपभोक्ताओं में सामट के प्रयोग का प्रचार करना और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें मुफ्त प्राविधिक (Technical) उलाह देना था।

'दी सीमट मार्केटिंग कम्पनी आॅव इंडिया'

विक्रय व्यय म भितव्यमिता लाने के उद्देश्य से 'दी इंडियन सीमट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन' एक केन्द्रीय विक्रय संगठन के निर्माण की घात साची गई। वहाँ बठिनाइयाँ के बाद 'दी सीमट मार्केटिंग कम्पनी आॅव इंडिया' की स्थापना १९३० में की गई। इसके अनुसार प्रत्येक वारसाने के लिए उत्पादन कोटा (Quota) निर्धारित किया गया। अब सभी वारसानों की आर्थिक उत्पादनक्षमता ७ लाख २२ हजार टन हो गई।

इनके द्वारा किसी वा केन्द्रीय व्यवस्था हुआ और सीमट बेचने में नहीं सुनिश्च एवं रहायता मिली। सीमट की किसी नहीं और सम्पूर्ण देश में सीमट का मूल्य म २५% से अधिक की कमी हुई। इससे पुनः उद्योग उन्नति करने लगा।

'दी एसोसिएटेड सीमट कम्पनीज लिमिटेड'

१९३२ ३४ म दो नई कम्पनियाँ की स्थापना क्रमशः बोयम्बूर और शाहा याद म हुई। इन कम्पनियाँ की स्थापना से २ लाख टन उत्पादन क्षमता म शुरू हो गई, अर्थात् अब कुल कोटा की मात्रा ६,२२,००० टन हो गई। कोटा नहीं बटोरा से जूप होता था और यथापि वह अरशा म वह पद्धति सन्तोषजनक थी, परि भी इससे लाभ प्रद प्रिवरण नहीं हो पाता था। प्राय अनार्थिक इवाइयाँ को भी कोटा मिल था जो आर्थिक कुशलता के स्तर से निम्न स्तर पर था वर्ती थी। इसके अनुशुलता दो दूर करने के लिए कोशिश भी नहीं करती थी। इसके तक देखा कोइ प्रावधान भी नहीं था जिसके अनुसार कम्पनियाँ अपना

उद्योग के लिए धार्य हों। इन दोनों को दूर करने के लिए आवश्यक था कि उद्योग में विवेचनरण की योजना को अपनाया जाय।

आतः श्री पी० ई० दिनशाँ ने १ अगस्त १९३६ को ११ कम्पनियों पा० स्ट्रिलियन (Merge) करके “एसोशियेटेड सीमेंट कम्पनीज़ लिमिटेड” की स्थापना करोड़ रुपये की पैंडोजो से घन्दई में की। इसमें केवल ‘ठोन बैली सीमेंट कम्पनी लिमिटेड’, जो छोड़कर देश की सभी कम्पनियाँ सम्मिलित थीं। बास्तव में सीमेंट-उद्योग के भवी विवेचनरण की ओर यह पहला प्रयास था।

इसका उद्देश्य एकाधिकार बरना नहीं था, बल्कि सीमेंट के निर्माण में उत्पादन-व्यय म कमी बरना, नितरण व प्रक्रिय व्यय में कमी बरना तथा उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर सीमेंट देना था। इसके फलस्वरूप १९३६ से आगे देश में सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि होने लगी।

दालभिया सीमेंट लिमिटेड

सन् १९३६ में ‘दालभिया सीमेंट लिमिटेड’ ५० करोड़ रुपये की अधिकृत पैंडोजो के साथ स्थापित हुई। श्री रामहृष्ण दालभिया का विचार था कि डाकोट, भींद, करांची, शिनापल्ली और रोहतास में सीमेंट की ५० कम्पनियाँ खोलें, पर १९३६ तक केवल करांची और देहरी और नौन-सोन की दो ही कम्पनियाँ सीमेंट वा० निर्माण कर रही थीं। ये कम्पनियाँ A. C. C. से सम्मिलित नहीं हुईं बल्कि उनसे प्रतिस्पर्धा करने लगीं। इस प्रतिस्पर्द्धा ने बहुत बुरा रूप धारण कर लिया और A. C. C. को इसका मुख्यबला बरना कठिन हो गया। आतः यह उचित समझा गया कि इन दोनों दलों में एक समझौता हो जाय जिससे पारस्परिक अनाधिक प्रतिस्पर्द्धा से छुटकारा मिल सके। सीमान्धवर्य सन् १९४० में दोनों दलों में समझौता हो गया। ‘दी सीमेंट मार्केटिंग’ कम्पनी आर्क इडिंग लिं० का जीर्णोदार किया गया और इस कम्पनी की दोनों दलों द्वारा निर्मित सीमेंट की विक्री का कार्य सौंपा गया। इस समय A. C. C. के अन्तर्गत १२ कारखाने और दालभियाँ ग्रूप के अन्तर्गत ५ कारखाने तथा ४ अन्य कारखाने उत्पादन कार्य में लगे हुए थे।

द्वितीय महायुद्ध एवं उसके पश्चात् (१९३९-५१)

अन्य उद्योगों की भाँति इस उद्योग को भी द्वितीय महायुद्ध के छिप जाने में मर्यादा लाभ हुआ। सरकार जो युद्ध वायों के लिए आवश्यक निर्माण कार्य करने के लिए बहुत सीमेंट की आवश्यकता थी। आतः सरकार ने सीमेंट के उत्पादन एवं वितरण पर नियन्त्रण लगा दिया। देश के सभूत उत्पादन का लगभग ६०% भाग और बाद में ८०% भाग सरकार ने अपने लिए सुरक्षित करा रखा था। शेष जनता की माँग के लिए मिलता था जिस पर सरकार का नियन्त्रण था। नि.सन्देह आन्तरिक व्यय

पिदेशी माँग में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण युद्धकाल में उत्पादन में आरातीव वृद्धि हुई। बढ़ती हुई माँग का लाभ उठाने के लिए A. C. C. ने अपने सदस्य आरणानों का योगार कर दिया।

युद्ध के पश्चात् सीमेट का उत्पादन घटने लगा और १९४६-४७ में उत्पादन अपनी निम्नतम सीमा पर पहुँच गया। इसके लिए उत्तरदायी कारण—अमिरों द्वाय हड्डील, बोयले का अभाव, यातायात की कटिनाई, राजनैतिक उथल पुथल तथा सूखनों एवं मशीनों का छिस जाना इत्यादि थे। इस वर्ष (१९४६-४७) में वैबल १५,४२,००० टन सीमेट उत्पन्न हुआ।

विभाजन का प्रभाव—देश के योजनान के समय २४ सीमेट के कारणाने थे, जिनकी वार्षिक उत्पादन द्यमता २०६ मिठ टन थी। योजना के फलस्वरूप ५ आरणाने पाकिस्तान में चले गये और 'जिप्सम' वी रान वाले चेत्र भी पाकिस्तान की सीमा में चले गये। अब भारतीय मिलों की उत्पादन द्यमता पटकर २०२ मिठ टन ही रह गई और 'जिप्सम' का कार्पी अभाव हो गया। १९४८ में A. C. C. तथा डाल-मियां ग्रुप में कीमतों के विषय में मतभेद होने के कारण दोनों ने अपनी विपणन व्यवस्थाएँ अलग-अलग कर लीं। यह व्यवस्थाएँ आज भी अलग अलग ही हैं।

सरकार ने अपनी युद्धोत्तर आर्थिक पुनर्निर्माण तथा विकास योजनाओं में आगामी पाँच वर्षों (१९५२ तक) में सीमेट का उत्पादन लक्ष्य ६२ लाख टन प्रति-वर रखा था। प्रयत्नियह लक्ष्य पालन न हो सका, परन्तु यिर भी सन् १९३६ के बाद उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होती रही। युद्धोत्तर काल में (१९४७-५२) उद्योग का उत्पादन दुगुना हो गया था और A. C. C. तथा डालमिया ग्रुप अपने अपने कारणानों के विस्तार में क्रियाशील रहे थे। मार्च १९५२ तक देश में २३ सीमेट के कारणाने थे।

प्रथम पचवर्षीय योजना

इस योजना के अन्तर्गत ६ नये सीमेट के कारणाना के स्थापित करने तथा २० लाख टन वार्षिक योजना के अन्त तक, उत्पादन द्यमता बढ़ाने वा सक्षम था। इस समय सीमेट के २१ कारणाने थे, जिनकी उत्पादन द्यमता ३३ लाख टन तथा वास्तविक उत्पादन २७ लाख टन था। जो योजना के अन्त में घटकर ४७-४ लाख ८८ लाख टन कमश्य हो गया। इस प्रवार निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति न परन्तु वृद्धि तो कार्पी हुई। योजना का पूर्ण चित्र इस प्रकार है—

	१९५० ५३	१९५५ ५६
कारबानों की सख्ता	२१	२७
आर्थिक उत्पादन घमता	३२,८०,०००	५३,०६,०००
वास्तविक उत्पादन	२६,६२,०००	४८,००,०००
नियर्ता	२६,०००	३,००,०००

द्वितीय पचवर्षीय योजना

इस योजना में उद्योग की उत्पादन घमता का लक्ष्य १६ मि० इन वार्षिक वर्षों वास्तविक उत्पादन १३ मि० इन वार्षिक रखा गया है। कारबानों की सख्ता २७ से कहर ४४ हो जायगी। सचेत में इस योजना के अन्वर्गित उद्योग का विवार आर्यम् इस प्रधार है—

	१९५५ ५६०	१९६० ६१
कारबानों की सख्ता	२७	४४
आर्थिक उत्पादन घमता	५८,३१,०००	१,६०,००,०००
वास्तविक उत्पादन	४६,००,०००	१,३०,००,०००

तृतीय पचवर्षीय योजना


इस योजना में सामट य उत्पादन का लक्ष्य २ करोड़ टन रखा गया है, अथवा द्वितीय योजना की अपेक्षा में १९५५-६६ तक ४० लाख टन सीमेंट आधिक उत्पादन होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना काल में १ अरब रुपये व्यवस्थित जावेंगे।

सीमेंट उद्योग का वितरण

(Distribution of Cement Industry)

मार्च १९५८ में ८८ सीमट न कारबाने थे जिनकी उत्पादन घमता ६ मि० इन प्रति वर्ष सभी अधिक थी। इन कारबानों में से १३ A C C ग्रूप में, ३५ डालमिया जैन ग्रूप में थे, तथा १० अन्य कारबाने थे। विभिन्न क्षेत्रों में इनका वितरण उपर द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्वर्गित इनका विवार आर्यम् इस प्रकार है—

लक्ष्य प्राप्त हो जाने पर।



निव २१

स्थान	१९५४-५५		१९६०-६१	
	वर्तमानों की संख्या	वार्षिक उत्पादन दरमता ('००० टन में)	वर्तमानों की संख्या	वार्षिक उत्पादन ('००० टन में)
बिहार	६	११२२	७	२३२४
उड़ीसा	२	१६५	१	७२५
उत्तर प्रदेश	१	२००	२	६२१
मध्य प्रदेश	१	३५०	३	११६८
मध्य भारत	१	६०	१	६०
राजस्थान	२	५२५	२	१२८४
पैशु	२	३७०	२	६३५
झौलाल	२	५८८	५	१४७०
बम्बई	२	३००	४	५६५
महाराष्ट्र	२	६१८	४	८७६
आंध्र	२	१८८	५	८८८
मैग्नू	१	८८	१	१०४
केरल	१	५०	१	५५
द्विदेशनाड	१	३८०	१	६४४
असम	—	—	१	२३३
गिन्ध प्रदेश	—	—	१	५५०
योग	२०	४,६३१	४४	१२,२८४

यह उद्योग भारत के समूहें राज्यों, असम, पश्चिमी बड़ाल तथा कर्नाटक और छोटवर पूर्ण रूप से विषय हुआ है।

उद्योग के केन्द्रीयकरण के कारण

जैसा हम ऊपर देख चुके हैं कि देश में सीमेंट के कारखाने बहुत अधिक संख्या में हैं और वे अन्य उद्योगों की भाँति विद्यु विरोप चेत्र में केन्द्रित नहीं हैं। इस उद्योग के स्थानीयकरण वा अध्ययन करने से शाव होता है कि इस उद्योग के स्थानीयकरण में तीन प्रमुख वारक (factor)—कल्पा माल, बाजार तथा शक्ति—सहायक होते हैं। भारतवर्ष में भी ये कारखाने इन साधनों की उपलब्धता वाले स्थान में ही अधिकतर सीमित हैं।

सीमेंट के लिए आवश्यक कल्पा माल चूना गा लकड़िया, चिकनी मिट्ठी तथा विषय है। चूना अपना लकड़िया वी पाने देश के विभिन्न ज़ोड़ों में बहुतायत से पाई जाती है। उपयुक्त चिकनी मिट्ठी भी इन जानों के पास प्राप्त हो जाती है। जिसके ही एक ऐसी धारा है जिसको दूर के स्थानों से लाना पड़ता है। इस प्रकार अधिकतर ने वर्षे माल की प्राप्ति वाले ज़ोड़ों में अधिक उनके पास ही केन्द्रित हो जाते हैं। परन्तु कभी कभी भाड़े वी लागत इतनी अधिक हो जाती है कि इन कारखानों को अपने वज्रे माल वी प्राप्ति वाले स्थानों से विलग होकर उपभोग वाले ज़ोड़ों के पास केन्द्रित होना पड़ता है। इसी कारण से घरराने देश के विभिन्न ज़ोड़ों में गुविया-नुसार विवरे हुए हैं।

उद्योग की वर्तमान स्थिति

सीमेंट उद्योग के कारखानों का आवार काफ़ी अनार्थिक है। आजकल आर्थिक आवार के बारखाने बहुत सीमित हैं। सन् १९५५-५६ में २७ कारखानों में से केवल १६ कारखाने ही आर्थिक ये जिनकी उत्पादन दृमता १ लाख टन वार्षिक से अधिक थी। इस अनार्थिक आवार के बारण उद्योग अधिक उत्पादन व्यव वी समस्या से अधिक था। प्रथम व द्वितीय योजनाओं में कारखानों के आवार ने सामान्य दृष्टि हुई है। उद्योग की प्रगति वा संचेतन में व्यौरा अगले पृष्ठ की तालिका में दियाया गया है—

सीमेन्ट का उत्पादन^१

वर्ष	सीमेन्ट ('००० टन)	सीमेन्ट की जारी रेट ('००० टन)
१९५१	३,१८५.६	८२.८
१९५२	२,५२७.६	८७.६
१९५३	३,७८०.०	७६.६
१९५४	४,२६८.०	७६.२
१९५५	४,४८६.८	१०४.४
१९५६	४,६२८.४	१२०.०
१९५७	५,६०१.६	१५८.४
१९५८	६,०६८.४	१८६.०
१९५९	४,८२६.८	१८२.४
१९६० मार्च तक	१८३५.३	४८.६

इस समय सीमेन्ट का निर्यात बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। निर्यात के लिए २.लाख टन सीमेन्ट के निश्चित कोटे के अंतरिक १,५८,००० टन और सीमेन्ट बाहर भेजने के कारण किये जा चुके हैं। इसमें से लगभग ७६ हजार टन सीमेन्ट बाहर भेजा जा चुका है।

सीमेन्ट के बाल्कानी धरी मरीनों बाहर से मैगाने के लिए कुछ लाइसेंस दिये गये हैं। इन मरीनों से २३ लाख टन सीमेन्ट और बनाया जा सकेगा। सीमेन्ट उत्पादन बढ़ाने की योजनाओं के लिए अमेरिका की विभास शृणु नियि और शाविपिक सहयोग मिशन की सहायता वा दिदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग किया गया है।

सीमेन्ट के बाल्कानी धरी और अधिक मरीनों भारत में ही बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। आशा है कि १९६२ तक भारत में ही यनी मरीनों से सीमेन्ट बार-सानों की आवश्यकताओं की काफी हद तक पूर्ति हो सकेगी। १९५८ में एसबेस्टोस की १ लाख ८८ हजार ३६५ टन जारी रैयर की गई।

१९५८ में सीमेन्ट उत्पोग बढ़ावर उभयति करता रहा। वर्ष के आरम्भ में ६३.३ लाख टन की स्थानित क्षमता थी जो नवम्बर १९५८ तक अन्त तक घटकर ७०.५३ लाख टन हो गई। १९५८ के पहले ११ महीनों में वात्सविक उत्पादन ५५.३२ लाख टन हुआ जबकि १९५७ की इसी अवधि में यह ५०.१ लाख टन हुआ।

^१ उत्पोग ज्ञानार्पण, जुलाई १९६०।

स्मरणीय तत्व

१. प्रथम कारखाना—१९०४ में नद्राल में सुन्दरी सीमियों से पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए एक कारखाना खोला गया था।
२. कुल कारखाने—१९५५-५६ म देश म २७ सीमेंट के कारखाने हैं।
३. वार्षिक उत्पादन—१९५८ मे ६०६८.५ हजार टन सीमेंट तथा १८६.० हजार टन सीमेंट की चारों बनाई गई।
- ४ उत्पादन लक्ष्य—प्रथम योजना—५३,०६,००१ टन
द्वितीय योजना—१,६०,००,००० टन
तृतीय योजना—२,००,००,००० टन
५. केन्द्रीयकरण—लगभग देश भर म समान रूप से वितरण। अपेक्षाकृत निहार और नद्राल में व्यधिक केन्द्रीयकरण है, जहाँ कमशः ६ और ३ कारखाने हैं।
६. पूँजी—५० करोड़ से अधिक पूँजी लगी हुई।
७. रोजगार—इस उद्योग से ४० हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिलाता है।
८. उत्पादन कर—१९५८-५९ में सरकार ने १३.८३ करोड़ रु० बजूल किये।

कोयला उद्योग

(Coal Industry)

कोयला उद्योग की आधारशिला है। कोयले और लोहे का सम्मिश्रण ही यौवोगिक विकास के लिए छोने में मुहागे के समान है। तो भी देश अपने उद्योग बढ़ावा देने के पथ पर तभी आगे नहु सकता है, जब कि उसके पास कोयले की पर्याप्त राने हीं और वह उनसे पर्याप्त कोयला निकालता हो। दूसरे शब्द में कोयला आपुनिक उद्योग-धर्मों का जन्मदाता है, क्योंकि व्यधिमात्रा देशी से यौवोगिक एवं व्यापारिक शक्ति की पूर्ति मुख्यतः कोयले के द्वारा ही होती है। लार्ड केन्स ने भी कहा है कि “जर्मन साम्राज्य की नींव खन और लोहे पर नहीं उल्क बोले और लोहे पर पड़ी थी।” ऐसे समय में जब कि देश यौवोगीकरण की ओर व्याप्रसर हो रहा था, कोयला नि.सन्देह एक राष्ट्रीय भूल रहा रहा जाती है। स्वतन्त्र भारत की नींव सुव्यवस्थित व्यर्थ व्यवस्था पर लड़ी बरसे के लिए आजादी के नद द्वारा राष्ट्रीय सरकार ने कोयला और सात उद्योगों के नियाप को पासी प्रधानता दी है। प्रथम योजना के अन्त में देश की यानों से हर साल ३ करोड़ रु० लाप टन कोयला नियाप के गया है।

मारत म ३५००० वर्ग माल म ४४ अरत टन कामल की भरणी है। अनुमान लगाया गया है। यह सहार भर र पाने के भएटारों का इस भारतीय मारत का जोड़ला चूप बढ़ने र पारला चूप खेति दिया है।

उद्योग वा क्रमिक विकास

भारत म कामला निरापत्ति के उद्देश म यह गर्व के साथ बहुत बढ़ा दिया है। इसके देश म यह वार्ष नया नहीं है। प्रकाशित सूचनाओं से पता चलता है कि सन् १७७८ १० म उत्तर बहुत जोड़ला निरापत्ति का बाम उत्तर द्वारा, काला और हॉस्टिंगन ने 'भवति उम्मतर एरड हाइल वी' बगाल म नारले की सालांड वृक्ष निरापत्ति की आज्ञा प्रदान की। परन्तु यह प्रयत्न उत्तर न हो चुका रहा तथा चूप लान का गहरी था। इसने ४० वर्ष ताद सन् १८१४ में शनीग्रह के पाठ के निरापत्ति का बाम नये सिरे से पुन ग्रामम हुआ और १६वीं सदी के मध्य तक यह गड़ म बहुत सी जोड़ला लाने सारी गई।

इस बाम म १८५८ के १८२० तक के भू-गर्भी वर्षवाणि के मती स्थानवाले थी। १८२० तक लगभग ५० जोड़ला जानी ग खुदाह होने लगी थी। और १८२० म प्रतिवर्ष लगभग २८२,००० टन जोड़ला निरापत्ति जाने लगा था। २३वीं दोष म ग्रामम भ देश म ६० लाय टन जोड़ला प्रति वर्ष निरापत्ति बने लगा। इसमें से ५५ लाय टन जोड़ला गनीगञ्ज, भारता और मिरीडीह म निरापत्ति था। प्रथम उत्तर के पूर्व गाजारी, वैच और चादाघाटी म भी जोड़ले की लाने पोदी गई थी। १८२० तक युत उत्तरादन नहर १६५८ लाय टन हो गया।

प्रथम महायुद्ध एवं उसके पश्चात् (१८१४ १८२१)

युद्धाल म ग्रीष्मीयिक गति विधि म एकदम उत्तिह हो जाने के बाद जोड़ले की नाग उत्तरी पूर्ति के अविवर हो गई। जोड़ला उद्योग पूरे युद्धाल तक वृद्धि प्रयत्न करता रहा कि वह यही तुर्द भाग के साथ जोड़ले की पूर्ति त्तरा रहे। इस प्रयत्नों के फलस्वरूप जोड़ले का उत्तरादन तन् १८१८ म २ करोड़ टन हो गया था। इस उत्तरादन रा ८५% गनीगञ्ज ग्रीर भरिया चौन से ग्रात हुआ। जोड़ला वाला भाग एकदम कह गइ थी, अब नकारा के जोड़ला चौन का अवशिक निरापत्ति भाग गया। युखली और भरिया चौन की धानी भ जोड़ला उत्तरादन बाली गरी गई महज लगाई गई। इसके आतारन जोड़ला चौन का नियुक्तीवरण भी तरी के लक्ष गया ताक २ केन्द्रीय पायुत स्टेनन जाने गये।

युद्धारान्त उत्तरादन रा जमी होना शुरू हो गद, क्योंकि युद्धाल रा यह विकास सीमित था और भयीन एवं उत्तररणों के मिलने परी बलिनार क पारण यह क्षम जाए भी न रह गवा। युद्धारान्त कुछ ऐसी घटनाएँ भी हुई जिए विष्वि में कुछ

भारत में ३५००० वर्ग मील म ४४ अरब टन कोयले का भरणार हन वा अनुग्राम लगाया गया है। यह सुखार भर के बोयले वे भरणार का पूरी मात्रा है। भारत का कोयला जैन प्रिन्ट व कोयला चेत्र से नियुक्त है।

उद्योग का क्रमिक विकास

भारत में कोयला नियालन के दृष्टव्य में यह गई के साथ कहा जा सकता है कि हमारे देश में यह कार्य नया नहीं है। प्रकाशित सूचनाओं से पता चलता है कि सन् १७७४ ई० में एस्ट्रें पहले कोयला नियालने का काम शुरू हुआ, जबकि पोर्टलैंड स्ट्रिटन ने 'मसर्स चेम्नर एंड हाउले' को जगत में कायले की न्याया से कोयला नियालने की आज्ञा प्रदान की। परन्तु यह प्रथम सफल न हो सका। स्वाहि राजीग्राम की साने कम गहरी थी। इसने ८० वर्ष नाद सन् १८१४ में राजीग्राम के साथ पोर्टलैंड नियालने का काम नये सिर से उन प्रारम्भ हुआ और १६वीं सदी के मध्य तक यह गँगा में बहुत सी कायला खाने सकी गई।

इस काम में १८४८ ए १८६० तक के भू-गर्भ पर्यवेक्षण से उत्तीर्ण सहायता मिली थी। १८६० वर्ष के लगभग ५०० कोयला लाती में शुद्धार होने लगी थी। और यांत्रिक में प्रतिशर्प लगभग २,८२,००० टन कोयला नियाला जाने लगा था। २०वीं सदी के प्रथम भेदों में देश में ६० लाख टन कोयला प्रति वर्ष नियाला जाने लगा। इसमें से ५० लाख टन कोयला राजीग्राम, भरिया और गिरीगढ़ में नियालता था। प्रथम महायुद्ध के पूर्व यांत्रिक, पैच और चादापाटी में भी कोयले की खाने सोटी गई थीं। १८१८ वर्ष के बहुत उत्पादन भद्रक १६५० लाख टन हो गया।

प्रथम महायुद्ध एवं उसके पश्चात् (१८१४-१८३६)

उद्यात में श्रीगोपिन गणि विधिया में एकदम टूट हो जाने के बारे कोयले की माँग उससे पूर्ति से अधिक हो गई। कोयला उद्योग पूरे युद्धकाल तक यह प्रथल करता रहा कि वह इन्हीं हुई माँग के साथ कोयले की पूर्ण कूला रहे। इन प्रथलों के पालन्पालन पोर्टले का उत्पादन सन् १८१६ में २ करोड़ टन हो गया था। इस उत्पादन का ८५% राजीग्राम और भरिया चेत्र से प्राप्त हुआ। कोर्किंग बोल की माँग एकदम कह गई थी, अत यांत्रिक के कोयला चेत्र का अन्यायिक विनाप निया गया। कुली और भरिया चूब यी त्याना में कोयला उनने याती रक्षावाली मर्शीनें लगाई गई। इसने अनियिक कोयला चूब का नियुक्ति करव भी सेनी से निया गया और २ केन्द्रीय रियुव टेट्यान ग्रामे गये।

युद्धोपयन उत्पादन में कम होना शुरू हा गई, क्यांसि युद्धकाल का यह विकास सीमित था और मर्शीन एवं उत्पादणों से मिलने की कठिनाइ के पास यह क्लन जारी भी न रह सका। युद्धोपयन कुछ ऐसी घटनाएँ भी हुए जिनसे स्थिति में कुछ

सुधार न हो सका। उदाहरणार्थ 'इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी' द्वारा भट्टियों का नामा जाना, सरकार की अधिकारी नीति तथा प्रिवेट आर्थिक भवनी इस असन्तोषजनक रिपोर्ट के लिए उत्तरदाती थे। सन् १९३६ के नाद औद्योगिक गतियों में पुनः वृद्धि हुई जिसमा प्रभाव यह हुआ कि बोयले की माँग पुनः घटने लगी।

द्वितीय महायुद्ध एवं उसके पश्चात् (१९३६-१९५१)

दूसरे महायुद्ध के कारण जहां से नये उद्योग लोले गये जिससे बोयले के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। बोयले की माँग इन्हें के साथ साथ मूल्यों में भी सुधार हुआ। पर आरक्षकाना भी पूर्ण के लिए रुद्ध हुए मूल्य पर भी बोयला पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न नहीं था। यातायात सम्बन्धी वरिजाइंटों तथा बोयले के गिरते हुए आवात ने इस सम्बन्ध को और भी गम्भीर बना दिया। इस कर्मा को पूरा बरने के लिए ठोस बदल उठाये गये और बोयले के मूल्य का नियन्त्रण किया गया। सन् १९४४ के मध्य तक मूल्यों पर बढ़ा नियन्त्रण हो चुका था। सरकार ने उत्पादन छोड़ने के लिए बोयला कंपोनेंटों से गहरे वे अभिकों दो भरती किया, जोनस, हास और अतिरिक्त लाम कर (E.P.T.) के सम्बन्ध में क्लूटे देवर अनेक प्रकार के आर्थिक फ्लोड्स भी दिये। इन प्रयत्नों ने कलाईरूप उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई। सन् १९५० में बोयले का उत्पादन केवल ३२ करोड़ टन हो गया। १९५१ में भी ऐसी फोई प्रतिकूल घटना नहीं हुई और इस बरे भी उत्पादन ३४२ करोड़ टन रहा।

प्रथम पचावर्षीय योजना (१९५१-५६)

इस योजना में बोरिंग बोल के सुरक्षित रखने और नान फोर्मिंग बोल के भूएटर भी विस्तृत खोज करने की आवश्यकता पर बढ़ा जोर दिया गया है। योजना वाल में ३८ रुपोड़ टन का लद्दाख सर्वानुसार गया था जो लगभग प्राप्त हो गया। योजना के अन्त में बोरला उत्पादन बरने वाली ताना वर्ष सर्वानुसार ३०६ थी। सन् १९५२ में भारत सरकार ने बोयला तान (उत्पादन व मुल्य) बनाने पास रिया, जिसके द्वारा खराकर यो निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हो गये —

- (१) बोयले की तानों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए वार्षिक बनाना और उनपर वार्षिक फसना,
- (२) बोयला चोड़ को बोयला उद्योग की समस्ताओं को सुलभता का अधिकार देना,
- (३) बोयला तथा योर के उत्पादन पर कर लगाना, तथा
- (४) बोयला उद्योग को उत्तराधार्मिक नामे दे निया जाया तो नियन्त्रित करने के लिए नियन दाना।

सन् १९५३ में सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी, जिसका उद्देश्य बोयला देने की मशीने लगाने के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देना था।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

इस योजना में बोयले के उत्पादन वा लक्ष्य ६ करोड़ टन खाली गया है। इस प्रकार लक्ष्य वो पूरा करने के लिए बोयले का उत्पादन २ करोड़ २० लाख टन और बढ़ाना है। इस अनिवार्य उत्पादन का १ करोड़ टन निजी बोयला सानों में तथा शेष १ करोड़ २० लाख टन सरकारी सानों से उत्पादित किया जायगा। सरकारी देव्र में बोयले के उत्पादन की देसमाल करने के लिए अक्टूबर सन् १९५६ में 'राष्ट्रीय बोयला निगम (प्राइवेट) लिमिटेड' की स्थापना की गई है। इसने अधीन सरकारी सानों से बोयला नियालने, उत्पादन बढ़ाने और उसे सुरक्षित रखने का काम होता है। निगम अपना पार्थ पूरी सफलता से कर रहा है। इस समय इसके अर्धमान ११ बोयला सानें हैं। इसने गलामा कुछ नई सानों से भी बोयला नियालने का काम शुरू हो गया है और कुछ अन्य नई सानें लोदी जा रही हैं।

दूसरी योजना में बोयले वा उत्पादन बढ़ाने के लिए ऐनीय सरकार ने वे देव्र भी ले लिए हैं, जहाँ बोयला है परन्तु अभी सानें नहीं लोदी गईं।

तृतीय पंचवर्षीय योजना

इस योजना के अन्तर्गत बोयले वा उत्पादन बढ़ा कर दुगना कर दिया जायगा अर्थात् १९६० ६१ में बोयले वा वार्षिक उत्पादन १२ करोड़ टन होने लगेगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाकाल में २५० करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

र्तमान स्थिति—प्रथम योजनाकाल से अब तक निजी बोयला सानों में बोयले का उत्पादन चार ग्रन्थ है। १९५८ में इन सानों से ३,४५,००,००० टन बोयला नियाला गया। सरकारी बोयला सानों से ४७ लाख टन बोयला नियाला गया। इस प्रकार सन् १९५८ में सरकारी व निजी सानों से कुल ४,९२,००,००० टन बोयला नियाला गया। इस प्रकार अब हम अपना लक्ष्य पूरा करने में सफल हो रहे हैं। देश में बोयले के कुल उत्पादन का ६५% देश में ही रख जाता है और शेष ३५% बोयला विदेशी को भेजा जाता है। १९५१ से लेकर अब तक बोयले के उत्पादन की स्थिति इस प्रकार है—

राजनिक बोयला का उत्पादन*

वर्ष	राजनिक बोयला (हजार टन)
१९५१	३४,२०८
१९५२	३६,२२८
१९५३	३५,८४४
१९५४	३६,७६८
१९५५	३८,१०८
१९५६	३८,४३२
१९५७	४२,५३६
१९५८	४५,३२४
१९५९	४७,०२८

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बोयले का उत्पादन प्रति वर्ष बढ़ता गया है। परन्तु देश में उद्योग नेतृत्व से बढ़ रहे हैं, अतः इसमें साथ साथ बोयले की मात्रा बढ़ती जा रही है। परन्तु इस मात्रा को देखते हुए हमारे यहाँ बोयले की साने बाप्ती नहीं हैं और अच्छे यिस्म की साने तो बहुत कम हैं। इसलिये हमें इस बात का ध्यान अपने विद्युत कम है। इसलिये हमें इस बात का ध्यान अपने विद्युत कम है। इसके लिए बेन्द्रीप सरकार ने 'राज्यीय बोयला विकास निगम' बनाया है जिसके अधीन सरकारी सानों से बोयला निकालने, उत्पादन बढ़ाने, और उसे सुरक्षित रखने का धारा होता है। निगम अपना धारा पूर्ण सफलता के साथ कर रहा है।

१५ अप्रैल १९५६ वो यह मत्री पटित गोपिनंद बहलम बन ने 'अरणी' में बोयला घोने के नये पारखाने का उद्घाटन किया। यह एगिया में आने विस्म वा सर्वसे पहला पारखाना है। यह पारखाना नवमवर्ष, १९५८ में चालू हुआ। इन पारखानों में प्रति घटा ४०० टन बोयला घोना जायगा। पर यहाँ से छुला हुआ बोयला सरपेला और भिलाई के इसात में बारखानों की मिजा जायगा। यह पारखाना बोकारो की सानों के पाठ है।

सरकार बोयले के सभे महारा बो खोदने, बही साने खोदने, और इस बाद को भर्तीनों की सहायता के बड़ाने के साथ साथ, पुगानी सानों पा विकास कर रही है। निक्षित स्थानों पर दमों परी सहायता के पुराहाई करने लगभग १ अरब ६० करोड़ टन


कोयले के मढ़ारों का पता लगाया जा चुका है। इन से स्थानीय पर आमी खुदाई जारी है और बहुत से अन्य मढ़ारों के मिलने की आशा है। पुरानी रियासतों की सानों से अब ६ लाख २७ हजार टन अधिक कोयला निराला जाने लगा है।

हमारे देश में यान इंजीनियरों वी बहुत कमी है। 'कोयला विद्युत निगम' द्वारा शिल्पकों वी माँग पूरी करने के लिए १९५६ में ४ लाखन प्रशिक्षण खुल संस्कृते गये। ये सूल कर्माली (निहार), गिरझीह (निहार), चलद्वार (उड़ीसा), और कुरुक्षेत्र (मध्य प्रदेश) में हैं। इन सूलों में प्रति वर्ष ४०० से अधिक लात्र मरती रिये जाने हैं। यीथ ही एक और सूल पोला जायगा। ६८ सालाव इंजीनियरों को ट्रेनिंग देने की भी योजना है। बुद्ध अधिकारी ट्रेनिंग के लिए ग्राहर भी भेजे जाने हैं।

'कोयला विवास निगम' वी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निगम वी नई यानों ने १९५६ में १२.७४ लाख टन कोयला यानी से निवाला। वथार कोलही ने जून १९५६ से कार्य प्रारम्भ कर दिया है और प्रति वर्ष लगभग ३५.००० टन कोयला यानों से निकालेगी।

कोयला उद्योग का वितरण

भारतर्थ में प्रायः कोयले वा ६६% मात्र 'गोट्याना' वी यानों से प्राप्त होते



चित्र २२

है। रोप १% राजस्थान, असम, उड़ीसा, मिन्ड्र प्रदेश, हैदराबाद, मध्य प्रदेश,

बगाल तथा विहार से प्राप्त होता है। इन प्रदेशों में भी बगाल, विहार तथा मध्य प्रदेश प्रमुख हैं। इस प्रभार हम देखने हैं कि देश में रोपने का मितरण अपने असनुलिख है। देश के कुछ भागों, जैसे दक्षिण मारत म बोपले की इतनी कमी है कि वहाँ पर औपेगिन विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। यातायात की जागाओं ने स्थिति को और भी बद्दिल बना दिया है।

बगाल और विहार में देश का सर्वाधिक विकास कोपला पाया जाता है। देश के लगभग मध्य में स्थित होने के कारण यहाँ कोपने का मितरण अत्यधिक हो आया है। रेल यातायात तथा यातायात का मन्दराह इसके मितरण में प्रमुख रूप से सहायता होने हैं। कोपला अधिकतर रेल यातायात से भेजा जाता है, और यह मालागाड़ी द्वारा दोनों गये कुल गोक का ३५% भाग है।

उद्योग की समस्याएँ

उद्योग की २ प्रमुख समस्याएँ हैं जिनका विवेचन इस प्रवार है—

(१) प्रति व्यक्ति कम उत्पादनशीलता—भारतीय अभिन, जो कोपला यान म याम बरत है, की उत्पादनशीलता अपेक्षाकृत कम है। यहाँ प्रति व्यक्ति पाली, कोपने का उत्पादन ०.४१ टन है। यह विदेशी उत्पादकों की तुलना में पहुँच फट है। अतः इसमें गुदि की आमरणता है। अत जोपला यानों का अधिकारिक यन्त्रिकरण होना आवश्यक है।

(२) प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी—जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। मारतरप में कोपला उद्योग के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की अप मी बहुत कमी है। यद्यपि यत्पार न अभी कुछ प्रशिक्षण केन्द्रों रो पोजा है परन्तु फिर भी यह आप-स्थकायों पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं करना पा रहा है। अत इन केन्द्रों के प्रधार की आमरणता है।

(३) यातायात की भवस्या—योननाया के अन्वर्गन आयोजित शृहत औषो-पिन विकास कार्यक्रम के अनुग्राह देश में यातायात के उपयोग की कमी होनी जा रही है। कोपने की उत्पादन कल्दा के उत्पादन के कल्दा तथ स्थानान्तरित करने के लिए यातायात के उपयोग म और अधिक गुदि करने की आमरणता है।